




कोल इंडिया लिमिटेड
एक महारत्न कंपनी



एकीकृत वार्षिक रिपोर्ट 2022-23




अर्जा सुरक्षा का वाहक,
स्थिरता का पोषण

राष्ट्र के प्रति हमारी प्रतिबद्धता

आरंभ से कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) ने देश की बढ़ती ऊर्जा की आवश्यकताओं को पूरा करता रहा है, जिसमें सभी के लिए ऊर्जा सुरक्षित करने की क्षमता निहित है। उसके बाद के दशकों में, हमने खदान से बाजार तक सर्वोत्तम कार्यप्रणाली को अपनाकर पर्यावरणीय और सामाजिक रूप से विकास हासिल किया है।

अपने शुरुआती दौर में मात्र 79 मिलियन टन (एमटी) कोयला उत्पादन के साथ अपनी यात्रा शुरू करते हुए, हम अब दुनिया में सबसे बड़े कोयला उत्पादक और सबसे बड़े कॉर्पोरेट नियोक्ताओं में से एक के रूप में उभरे हैं। हमारी शाखाएँ भारत के 8 राज्यों में फैले 83 खनन क्षेत्रों में अपनी सहायक कंपनियों के माध्यम से कार्य करते हैं।

भारत के कुल बिजली उत्पादन का लगभग 70.6% थर्मल आउट के माध्यम से प्रबंधित किया जाता है और देश में कुल कोयला उत्पादन का 84% बिजली क्षेत्र को आपूर्ति किया जाता है। हम बिजली क्षेत्र में थर्मल कोयले के सबसे बड़े आपूर्तिकर्ता हैं, इसलिए भारत में बिजली सुरक्षा पूरी तरह हमारे प्रदर्शन पर निर्भर है।



सीआईएल में, हमारा दृढ़ विश्वास है कि कोयले की मांग में काफी बढ़ातरी होने की संभावना है क्योंकि भारत हाल ही में 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का प्रयास कर रहा है, जिससे लाखों नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि होगी। तेज़ शहरीकरण और ग्रामीण विद्युतीकरण अभियान से भारत में कोयले की मांग में काफी वृद्धि होने की उम्मीद है।

यद्यपि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की ओर स्पष्ट बदलाव हो रहा है, कोयला हमारे देश के ईंधन मिश्रण में प्रमुख स्रोत बना रहेगा, क्योंकि यह किफायती कीमतों पर आपूर्ति की विश्वसनीयता और स्थिरता प्रदान करता है।

हम ‘कोयला से रसायन’ व्यवसाय रणनीति के तहत अन्य क्षेत्रों में भी विविधता और विस्तार कर रहे हैं, जो अधिक मूल्यवर्धन सुनिश्चित करेगा; और इस प्रकार, लंबी अवधि के लिए हमारे परिचालन और वित्तीय प्रदर्शन में सुधार होगा।



इस रिपोर्ट को ऑनलाइन देखने के लिए कृपया उपरोक्त क्यूआर कोड को स्कैन करें।

भविष्योन्मुखी अभिव्यक्ति

इस रिपोर्ट के कुछ तथ्यों में भविष्योन्मुखी अभिव्यक्ति शामिल हो सकते हैं जिनमें कंपनी की अपेक्षित वित्तीय स्थिति और संचालन के परिणाम, व्यावसायिक योजनाओं और सभावनाओं के बारे में भविष्योन्मुखी शब्दों जैसे 'विश्वास,' 'योजना,' 'अनुमान,' 'से जाने जाने हैं', 'मजारी रखें,' 'अनुमान,' 'उम्मीद,' 'हो सकता है,' 'होगा' या अन्य समान शब्द अभिव्यक्ति शामिल हैं। भविष्योन्मुखी बयान ऐसे बयानों में अंतर्निहित धारणाओं या आधार पर निर्भर होते हैं। हमने इन धारणाओं या आधारों को अच्छे विश्वास से चुना है, और हमारा मानना है कि वे सभी भौतिक मामलों में उचित हैं। हालाँकि, हम पाठकों को सावधान करते हैं कि वास्तविक परिणाम, प्रदर्शन या उपलब्धियाँ ऐसे भविष्योन्मुखी बयानों में व्यक्त या निहित परिणामों से भिन्न हो सकती हैं। हम किसी भी भविष्योन्मुखी बयान को अद्यतन या संशोधित करने के लिए कोई दायित्व नहीं लेते हैं, चाहे वह नई जानकारी, भविष्य की घटनाओं या अन्यथा के परिणामस्वरूप हो।

002-115

कारपोरेट अवलोकन

- 02 कोल इंडिया के बारे में
- 06 हमारी उपस्थिति का मानचित्रण
- 08 उत्पाद पोर्टफोलियो
- 10 बिजनेस मॉडल
- 12 भौतिकता मूल्यांकन
- 14 हितधारक सहभागिता
- 18 बाज़ार परिदृश्य
- 20 जोखिम प्रबंधन
- 26 शासन
- 28 निदेशक मंडल
- 36 अध्यक्ष का वक्तव्य
- 44 वित्तीय पूँजी
- 50 सामाजिक और संबंध पूँजी
- 60 विनिर्मित पूँजी
- 70 प्राकृतिक पूँजी
- 80 बौद्धिक पूँजी
- 88 मानव पूँजी
- 100 निदेशक मंडल
- 101 बोर्ड के सदस्य एवं वरिष्ठ प्रबंध
- 102 बैंकर, लेखा परीक्षक, पंजीकृत कार्यालय एवं आर.टी.ए
- 103 परिचालन सांख्यिकी

116-332

वैधानिक रिपोर्ट

- 116 निदेशकों की रिपोर्ट
- 247 कॉर्पोरेट प्रशासन पर रिपोर्ट
- 274 प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट
- 290 व्यावसायिक उत्तरदायित्व एवं स्थिरता रिपोर्ट

333-513

वित्तीय विवरण

- स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण
- 334 बैलेंस शीट
- 335 लाभ और हानि का विवरण
- 336 इकिटी में परिवर्तन का विवरण
- 338 नकदी प्रवाह का विवरण
- 340 फाइनेंसियल स्टेटमेंट्स के नोट

समेकित आर्थिक विवरण

- 414 बैलेंस शीट
- 415 लाभ और हानि का विवरण
- 416 इकिटी में परिवर्तन का विवरण
- 418 नकदी प्रवाह का विवरण
- 420 फाइनेंसियल स्टेटमेंट्स के नोट

514

हरित पहल

- 514 हरित पहल

515-532

सूचना

- 515 सूचना

533

प्रमुख संक्षिप्ताक्षर

- 533 प्रमुख संक्षिप्ताक्षर



विषय-सूची

रिपोर्ट के विषय में

हमें अपनी एकीकृत वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए खुशी हो रही है, जिसका उद्देश्य हमारे एकीकृत और टिकाऊ दृष्टिकोण का एक व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करना है, जो हमारे हितधारकों की जरूरतों और अपेक्षाओं को संबोधित करते हुए हमारे द्वारा बनाए गए मूल्यों को प्रदर्शित करता है।

यह रिपोर्ट लघु, मध्यम और दीर्घकालिक में मूल्य सृजन के लिए कोल इंडिया की रणनीतिक रूपरेखा प्रस्तुत करती है। यह वित्तीय वर्ष में कंपनी के प्रदर्शन की एक संक्षिप्त समीक्षा प्रदान करता है, यह दर्शाता है कि वे रणनीतिक उद्देश्यों के साथ कैसे सरेखित होते हैं।

इसके अलावा, हमारी गतिविधियाँ संयुक्त राष्ट्र स्थिरता में योगदान देती हैं। विकास लक्ष्य (एसडीजी), जिसमें कई हितधारकों को शामिल करते हुए उद्देश्यों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। हम सतत विकास के वैश्विक एजेंडा के साथ अपने प्रयासों को जोड़ते हुए, इन एसडीजी की दिशा में काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।



रिपोर्टिंग की रूपरेखा

यह रिपोर्ट इंटरनेशनल इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग काउंसिल (आईआईआरसी) द्वारा परिभाषित छह पूँजियों से संबंधित प्रमुख खुलासों पर ध्यान केंद्रित करते हुए, कोल इंडिया के व्यवसाय संचालन का एक व्यापक अवलोकन प्रदान करती है। यह जानकारी इसमें दी गई है कि वे रिपोर्ट में कोल इंडिया के व्यासाय मॉडल, परिचालन संदर्भ, भौतिक जोखिम, अवसर, साथ ही शासन और परिचालन प्रदर्शन शामिल हैं।



अंतर्राष्ट्रीय एकीकृत रिपोर्टिंग (आईआईआरसी) के लिए क्यूआर कोड।

यह रिपोर्ट निम्नलिखित के अनुरूप भी है:

- कंपनी अधिनियम, 2013
- भारतीय लेखा मानक
- भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015।

INTEGRATED REPORTING <IR>



GRI
Empowering Sustainable
Development



01



वित्तीय पूँजी

02



सामाजिक और संबंध पूँजी

03



विनिर्मित पूँजी

04



प्राकृतिक पूँजी

05



बौद्धिक पूँजी

06



मानव पूँजी

कोल इंडिया के संबंध में

भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करना

भारत सरकार के कोयला मंत्रालय के तत्वावधान में संचालित 'महारत्न' कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) वैश्विक ऊर्जा परिदृश्य में एक प्रमुख खिलाड़ी है।

सीआईएल विभिन्न उद्योगों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खुली खदान, भूमिगत और मिश्रित खदानों सहित विविध कोयला खदानों का संचालन करती है। हमारे कोयला और कोयला-आधारित उत्पाद इस्पात निर्माण, उर्वरक, कांच, बिजली उपयोगिताओं, सीमेंट, चीनी मिट्टी की चीज़ें, रसायन, कागज, घरेलू ईंधन जैसे क्षेत्रों के औद्योगिक कारखानों लिए आवश्यक हैं।

8 राज्यों में 83 खनन क्षेत्रों में फैले संचालन के साथ, हम देश की ऊर्जा आवश्यकताओं और इसकी सामाजिक-आर्थिक प्रगति में बढ़े ऐमाने पर योगदान करते हैं। कोलकाता, पश्चिम बंगाल (मुख्यालय), भारत की लगभग 79 % कोयला उत्पादन की आवश्यकताओं को पूरा करता है। हमने मोज़ाम्बिक में एक खनन कंपनी के साथ भारत के बाहर भी अपनी उपस्थिति का विस्तार किया है।

एक जिम्मेदार कॉर्पोरेट के रूप में, हम स्थायी साधनों के साथ खनन के लिए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाने का भी प्रयास करते हैं जो कोयला खनन से जुड़ी पर्यावरणीय और सामाजिक चुनौतियों का समाधान करता है।

138


भूमिगत
खदान

171

खुली
खदान

13

मिश्रित
खदान



हमारे दृष्टिकोण

प्राथमिक ऊर्जा क्षेत्र में एक वैश्विक खिलाड़ी के रूप में उभरने के लिए खदान से बाजार तक सर्वोत्तम साधनों के माध्यम से पर्यावरणीय और सामाजिक रूप से टिकाऊ विकास प्राप्त करके देश को ऊर्जा सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

हमारा उद्देश्य

सुरक्षा, संरक्षण और गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण-अनुकूल तरीके से कुशलतापूर्वक और आर्थिक रूप से कोयले और कोयला उत्पादनों की नियोजित मात्रा का उत्पादन और विपणन करना।

हमारा आदर्श

हमारे मूल्यों में समानता, न्याय, पारदर्शिता और जवाबदेही शामिल हैं। ये हमारी व्यावसायिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में प्रचलित हैं।



समानता



न्याय



पारदर्शिता



जवाबदेही





मुख्य विचार

703.20 मिलियन टन

कोयला उत्पादन

₹57,224.76 करोड़

नेट वर्थ

694.69 मिलियन टन

कोयला उठाव

₹38,000.81 करोड़

पीबीटी


2,39,210

कर्मचारी

1,613 हेक्टेयर

भूमि का पुनर्वास किया गया

हमारी संगठनात्मक संरचना




हमारी उपस्थिति का मानचित्रण


हमारा भौगोलिक पदचिह्न

सहायक

कोल इंडिया अफ़्रिकाना
लिमिटेड



मोजाम्बिक



सिरों की गिनती
(31 मार्च 2023 तक)

वित्त वर्ष 22-23 कोयला
उत्पादन (एमटी)

आपरेटिव खानों की
संख्या

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड

37,037

36.179

32

सेंट्रल कोलफिल्ड्स लिमिटेड

34,975

76.087

53

ईस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड

51,074

35.018

79

महानदी कोलफिल्ड्स लिमिटेड

21,827

193.262

18

नॉर्दर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड

13,753

131.169

10

साउथ ईस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड

41,832

167.006

67

वेस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड

34,390

64.283

62

उत्पाद पोर्टफोलियो

एक स्थायी ऊर्जा भविष्य में योगदान

हमारे उत्पाद पोर्टफोलियो में विभिन्न ग्रेड के कोयले और कोयला-व्युत्पन्न उत्पाद शामिल हैं जो ऊर्जा, इस्पात, सीमेंट, विनिर्माण और अन्य उद्योगों की जरूरतों को पूरा करता है।



कोकिंग कोयला

कोकिंग कोयला, जब हवा की अनुपस्थिति में गरम किया जाता है, तो एक मजबूत और छिद्रपूर्ण द्रव्यमान के साथ सुसंगत मोती बनाता है, जिसे कोक कहा जाता है। इसमें कोकिंग गुण होते हैं और इसका उपयोग मुख्य रूप से इस्पात निर्माण और धातुकर्म उद्योगों में किया जाता है। इसका उपयोग हार्ड कोक के उत्पादन में भी किया जाता है।



अर्ध-कोकिंग कोयला

जब हवा की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है, तो यह सुसंगत मोतियों का निर्माण करता है जो इतनी मजबूत नहीं होती हैं कि इन्हें सीधे ब्लास्ट फर्नेस में उपयोग किया जा सके। कोक बनाने के लिए इन मोतियों को कोकिंग कोयले के साथ उचित अनुपात में मिश्रित किया जाता है। इसमें अपेक्षाकृत कम कोकिंग गुण होते हैं और इसका उपयोग स्टील बनाने, मर्चेंट कोक निर्माण और अन्य धातुकर्म उद्योगों में मिश्रण योग्य कोयले के रूप में किया जाता है।



गैर-कोकिंग कोयला

यह उस कोयले को संदर्भित करता है जिसमें कोकिंग गुण नहीं होते हैं और राख की मात्रा अधिक होती है। इसका उपयोग मुख्य रूप से बिजली उत्पादन के लिए थर्मल ग्रेड कोयले के रूप में किया जाता है। इसके अतिरिक्त, ऑन-कोकिंग कोयले का उपयोग सीमेंट, उर्वरक और कांच, सिरेमिक, कागज और रासायनिक उद्योगों द्वारा किया जाता है। यह ईंट निर्माण के लिए भी आवश्यक है।



धुला हुआ एवं परिष्कृत कोयला

यह उस कोयले को संदर्भित करता है जो कोयले की धुलाई या कोयला लाभकारी प्रक्रिया से गुजरा है। इससे राख प्रतिशत में कमी आती है, जिसके परिणामस्वरूप कोयले का मूल्यवर्धन होता है। इसका उपयोग इस्पात निर्माण और बिजली उत्पादन के लिए हार्ड कोक के निर्माण में किया जाता है। इस किस्म का उपयोग सीमेंट, स्पंज आयरन और औद्योगिक संयंत्रों द्वारा भी किया जाता है।



मिडलिंग्स

ये कोयले की धुलाई/लाभकारी प्रक्रिया के उप-उत्पाद हैं, जो फ़ीड कच्चे कोयले के एक अंश के रूप में प्राप्त होते हैं। घरेलू ईंधन संयंत्रों, इंटर्निमाण इकाइयों, सीमेंट संयंत्रों और औद्योगिक संयंत्रों में बिजली उत्पादन के लिए मिडलिंग का उपयोग किया जाता है।



अस्वीकृत

स्वच्छ कोयले और/मिडलिंग्स को अलग करने के बाद, कोयला लाभकारी प्रक्रिया से रिजेक्ट प्राप्त होते हैं। इसका उपयोग बिजली उत्पादन, सड़क मरम्मत, ब्रिकेट निर्माण, लैंडफिलिंग और अन्य समान उद्देश्यों के लिए फ्लूइडाइज्ड बेड कम्बशन (एफबीसी) बॉयलर में किया जाता है।

व्यापार मॉडल

जिम्मेदार मूल्य सूजन

इनपुट



वित्तीय पूँजी

- ▶ 18,619.27 करोड़ रुपये कैपएक्स
- ▶ कुल संपत्ति 2,11,206.65 करोड़ रुपये
- ▶ 4,114.73 करोड़ रुपये कर्ज



सामाजिक और संबंध की पूँजी

- ▶ ₹ 586.50 करोड़ सीएसआर व्यय
- ▶ 180+ सामुदायिक विकास संवर्ग



विनिर्मित पूँजी

- ▶ 322 खदान
- ▶ 13 कोयला बाशरी
- ▶ 85.80% क्षमता इस्तेमाल



प्राकृतिक पूँजी

- ▶ 4,598.78 मिलियन यूनिट ऊर्जा खपत
- ▶ 5,974.64 केएल पानी की खपत*
- ▶ 4,37,096.33 किलोलीटर ईंधन की खपत
- ▶ 11,217.7 केडब्ल्यूपी सौर ऊर्जा क्षमता



बौद्धिक पूँजी

- ▶ 58 कोयला परीक्षण प्रयोगशालाएँ
- ▶ 74.86 करोड़ रुपये आर एंड डी व्यय



मानव पूँजी

- ▶ 2,39,210 कर्मचारी
- ▶ 95,635 कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया
- ▶ ₹ 49,409.16 करोड़ रुपये कर्मचारी लाभ व्यय

परिचालन पारिस्थितिक तंत्र



अन्वेषण

निष्कर्षण



कोयला प्रसंस्करण
और धुलाई

गुणवत्ता नियंत्रण

बिक्री और
विपणन

परिवहन व
लॉजिस्टिक



अनुसंधान एवं विकास सहयोग



सामुदायिक कल्याण



सतत खनन
प्रथाएँ

*(खदान का पानी खदान के गड्ढों में संग्रहित किया जाता है और स्वयं के प्रयोजन, सामुदायिक उपयोग और भूजल पुनर्भरण के लिए उपयोग किया जाता है)

आउटपुट



वित्तीय पूँजी

- ▶ परिचालन से 1,38,251.91 करोड़ रुपये राजस्व
- ▶ 28,124.94 करोड़ रुपये पीएटी
- ▶ 40,291.30 करोड़ रुपये ईबीआईटीडीए
- ▶ ₹ 45.70 ईपीएस



सामाजिक और संबंध की पूँजी

- ▶ 2,274 लोगों का पुनर्वास हुआ
- ▶ 56,524.11 करोड़ राजकोष में योगदान
- ▶ ग्राहकों की शिकायतों का समाधान किया गया



विनिर्दित पूँजी

- ▶ 703.20 एम.टी. कोयला उत्पादन
- ▶ 694.69 एम.टी. कोयले का उठाव
- ▶ 695.13 एम.टी. कोयला भेजा गया
- ▶ 2.155 एम.टी. कुल वाशड कोयले (कोकिंग) का उत्पादन



प्राकृतिक पूँजी

- ▶ 52.10 मिलियन यूनिट बिजली के उपयोग में कमी
- ▶ 5,524.64 किलो लीटर जल पुनर्चक्ति**
- ▶ ~5,606 टन प्रति वर्ष कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी
- ▶ 68,36,317 किलोवाट अवर्स कुल सौर ऊर्जा उत्पन्न हुई
- ▶ 31.01 लाख पौधे रोपे गए



बौद्धिक पूँजी

- ▶ 26 चल रही अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं
- ▶ 10 चल रहे विज्ञान और प्रौद्योगिकी (एस एंड टी) परियोजनाएं
- ▶ 6 शैक्षणिक सहयोग



मानव पूँजी

- ▶ 1,234 नए भर्ती किए गए
- ▶ 5,83,984 प्रशिक्षण मानव दिवस प्राप्त किये गय
- ▶ 0.09 प्रति मिलियन टन गंभीर जोखिम दर

पुनर्वास/
समापन

वित्तीय स्थिरता

समृद्ध मानव पूँजी

एसडीजी पर असर पड़ा



1 NO POVERTY

8 DECENT WORK AND ECONOMIC GROWTH



1 NO POVERTY

2 ZERO HUNGER

3 GOOD HEALTH AND WELL-BEING



4 QUALITY EDUCATION

6 CLEAN WATER AND SANITATION

8 DECENT WORK AND ECONOMIC GROWTH



7 AFFORDABLE AND CLEAN ENERGY

9 INDUSTRY, INNOVATION AND INFRASTRUCTURE

12 RESPONSIBLE CONSUMPTION AND PRODUCTION FOR SUSTAINABILITY



11 SUSTAINABLE CITIES AND COMMUNITIES

12 RESPONSIBLE CONSUMPTION AND PRODUCTION FOR SUSTAINABILITY

13 CLIMATE ACTION



14 LIFE BELOW WATER

15 LIFE ON LAND



7 AFFORDABLE AND CLEAN ENERGY

9 INDUSTRY, INNOVATION AND INFRASTRUCTURE

17 PARTNERSHIPS FOR THE GOALS



1 NO POVERTY

3 GOOD HEALTH AND WELL-BEING



5 GENDER EQUALITY

8 DECENT WORK AND ECONOMIC GROWTH

**स्वयं का उपयोग - 2831.89 लाख किलो लीटर, सामुदायिक उपयोग - 2691.57 लाख केएल भूजल रिचार्ज - 451.176 लाख किलो लीटर

भौतिकता मूल्यांकन


दक्षता के साथ भौतिक मुद्दों की पहचान करना

हम उन महत्वपूर्ण विषयों की पहचान करने और उनका समाधान करने के लिए एक व्यापक भौतिकता मूल्यांकन करते हैं जो हमारे व्यवसाय के साथ-साथ हितधारकों के लिए भी प्रासंगिक हैं।

यह हितधारकों की चिंताओं और अपेक्षाओं के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करने में मदद करता है। भौतिकता मूल्यांकन के दौरान, हम विभिन्न विभागों के आंतरिक हितधारकों को भी सक्रिय रूप से शामिल करते हैं। यह सहयोगात्मक दृष्टिकोण हमें क्रॉस-फंक्शनल अंतर्दृष्टि प्राप्त करने की अनुमति देता है, जो हमें अपनी स्थिरता पहलों को संरेखित करने, पारदर्शिता को बढ़ावा देने और विश्वास बनाने में सक्षम बनाता है।

विषयों को उनकी गंभीरता के आधार पर प्राथमिकता देकर, हम टिकाऊ व्यावसायिक संचालन सुनिश्चित करने के लिए पहचाने गए सामग्री विषयों के साथ रणनीतियों, कार्य योजनाओं और लक्ष्यों को संरेखित करते हैं।

भौतिकता मैट्रिक्स



सर्वोच्च प्राथमिकताएँ:

- 6 वायु उत्सर्जन
- 15 सामुदायिक सहभागिता
- 7 जैव विविधता और भूमि प्रबंधन
- 26 शिकायत निवारण प्रबंधन प्रणाली
- 19 खदानों बंद करना
- 14 श्रम स्थितियाँ / मानवाधिकार मूल्यांकन
- 4 अपशिष्ट प्रबंधन
- 11 कर्मचारी समावेशन और विविधता
- 1 जल प्रबंधन
- 16 सामाजिक-आर्थिक अनुपालन
- 25 व्यवसाय निरंतरता/दीर्घकालिक व्यवसाय वहनीयता
- 22 व्यावसायिक जोखिम प्रबंधन
- 20 विनियामक अनुपालन/भृष्टाचार-विरोधी
- 21 व्यावसायिक नैतिकता और कॉर्पोरेट प्रशासन
- 8 पर्यावरण और विनियामक अनुपालन

ठिपे हुए मूल्य निर्माता:

- 2 वित्तीय प्रदर्शन और विकास
- 12 कर्मचारी विकास और कल्याण प्रशिक्षण और शिक्षा
- 23 ऊर्जा प्रबंधन एवं पुनर्वास
- 9 खदानों का मशीनीकरण

स्वच्छता कारक:

- 5 जीएचजी उत्सर्जन/जलवायु परिवर्तन
- 10 पर्यावरणीय प्रभावों को कम करना परिवहन और प्रेषण
- 17 भूमि अधिग्रहण
- 18 स्वदेशी लोगों के अधिकारों को कायम रखना
- 24 आपदा प्रबंधन

मुद्दे की निगरानी:

- 3 नवीकरणीय ऊर्जा एवं स्वच्छ ऊर्जा
- 13 व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा



शेयरधारकों की भागीदारी

मजबूत बंधनों का पोषण

हम अपने शेयरधारकों के साथ जुड़ने और सौहार्दपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देने के महत्व को पहचानते हैं। शेयरधारक जुड़ाव के प्रति हमारी प्रतिबद्धता हमें साझा सफलता के लिए स्थायी समाधान बनाने के साथ-साथ हमारे व्यावसायिक निर्णयों, गतिविधियों और प्रदर्शन के प्रभाव को संप्रेषित करने में सक्षम बनाती है।

साझा मूल्य को बढ़ावा देना


हम समझते हैं कि हमारे दीर्घकालिक विकास और जिम्मेदार संचालन के लिए हमारे आंतरिक और बाहरी हितधारकों के साथ साझा मूल्य बनाना महत्वपूर्ण है। सक्रिय सहभागिता के माध्यम से, हम उनकी जरूरतों, चिंताओं और अपेक्षाओं को समझना चाहते हैं। हमारी निर्णय लेने की प्रक्रियाओं और रणनीतियों में उनके दृष्टिकोण को एकीकृत करके, हम यह सुनिश्चित करते हैं कि हमारे कार्य उनके हितों के अनुरूप हों।

सतत संचार पर जोर

समावेशिता, भौतिकता और जवाबदेही के सिद्धांतों का उपयोग करते हुए, हम अपने संचालन पर उनके प्रभाव और उनकी चिंताओं के महत्व के आधार पर अपने शेयरधारकों की पहचान करते हैं और उन्हें प्राथमिकता देते हैं। यह हमें विशिष्ट आवश्यकताओं का पालन करते हुए विभिन्न शेयरधारक समूहों को बारीकी से प्रबंधित करने, संतुष्ट करने, सूचित करने और निगरानी करने की अनुमति देता है।

नियमित और सार्थक बातचीत के माध्यम से, हम अपने शेयरधारकों को हमारी संगठनात्मक प्राथमिकताओं, कार्यक्रमों, प्रदर्शन और व्यावसायिक लक्ष्यों के बारे में सूचित रखते हैं। संचार के स्पष्ट चैनलों को सुविधाजनक बनाने के लिए, हम उनकी प्रतिक्रिया प्राप्त करते हैं, अपेक्षाओं का विश्लेषण करते हैं और प्रभावी संवाद को बढ़ावा देने का प्रयास करते हैं।

हितधारक सहभागिता प्रक्रिया





	संबंधों का महत्व	जरूरतें और अपेक्षाएं
ग्राहक 	<ul style="list-style-type: none"> ब्रांड निष्ठा की ताकत और पारस्परिक रूप से लाभकारी रिश्ते राजस्व का स्रोत 	<ul style="list-style-type: none"> ग्राहक की संतुष्टि (कोयले की गुणवत्ता सहित सुपुर्दग्गी का समय) शिकायत निवारण
→		
स्थानीय समुदाय 	<ul style="list-style-type: none"> भूमि और संसाधनों तक पहुंच प्रदान करना एक मजबूत कार्यबल बनाने में मदद करना सामाजिक लाइसेंस प्रदान करना 	<ul style="list-style-type: none"> आजीविका विकल्प और नौकरी संचालित करने के लिए अवसर पुनर्वास एवं पुनःस्थापन (आर एंड आर) पर्यावरण मंजूरी वन भूमि मंजूरी
→		
कर्मचारी 	<ul style="list-style-type: none"> उत्पादकता का स्रोत ज्ञान और विशेषज्ञता प्रदान करना 	<ul style="list-style-type: none"> नौकरी से संतुष्टि मजदूरी और कल्याण अभ्यास और विकास स्वास्थ्य और कल्याण
→		
आपूर्तिकर्ता और ठेकेदार 	<ul style="list-style-type: none"> कच्चा माल (विस्फोटक और मशीनरी) और सेवाएँ) उपलब्ध कराते हैं दक्षता और उत्पादकता में सुधार 	<ul style="list-style-type: none"> निविदाएं आमंत्रित करने के लिए सूचना
→		
शेयरधारक 	<ul style="list-style-type: none"> कंपनी को इसके लिए जवाबदेह ठहराते और कॉर्पोरेट शासन संरचना के लिए निर्णय लेने की प्रक्रियाओं को प्रभावित करते हैं हैं 	<ul style="list-style-type: none"> वित्तीय प्रदर्शन व्यापार रणनीति आपरेशनल प्रदर्शन ईएसजी पहल
→		
ज्ञान साझेदार 	<ul style="list-style-type: none"> नई प्रौद्योगिकियों तक पहुंच प्रदान करना और उद्योग विशेषज्ञता सुरक्षा और पर्यावरण को बेहतर बनाने में मदद करना 	<ul style="list-style-type: none"> अनुसंधान एवं विकास
→		
सरकारी/वैधानिक और विनियामक निकाय 	<ul style="list-style-type: none"> नियमों और विनियम निष्पादन सुनिश्चित करना धन और सहायता प्रदान करना 	<ul style="list-style-type: none"> नियामक आवश्यकताएं राष्ट्रीय तथा स्थानीय विनियमों के साथ अनुपालन
→		
गैर सरकारी संगठन 	<ul style="list-style-type: none"> सामाजिक और पर्यावरण को बेहतर बनाने में मदद स्थानीय समुदाय के साथ कंपनी को रिश्ते मजबूत बनाने के लिए अनुमति प्रदान करना 	<ul style="list-style-type: none"> स्थानीय समुदायों के साथ संबंध खनन गतिविधियों के प्रभाव को कम करना सीएसआर गतिविधियों के माध्यम से मूल्य सृजन करना
→		
मीडिया 	<ul style="list-style-type: none"> शेयरधारकों के साथ संवाद करने में सहायता करता है ब्रांड मूल्य और प्रतिष्ठा बनाना 	<ul style="list-style-type: none"> प्रदर्शन पूरा होने की उम्मीद मानदंड, सामाजिक और पर्यावरणीय दायित्वों
→		

जुड़ाव के तरीके	सहभागिता आवृत्ति	पूंजी लिंकेज
राष्ट्रीय कार्बन कैप्चर सेंटर की ग्राहकों के साथ बैठक	वार्षिक	 वित्तीय पूंजी
क्षेत्रीय कोयला उपभोक्ता परिषद की ग्राहकों के साथ बैठक	वार्षिक	 सामाजिक और संबंध की पूंजी
ग्राहकों और मार्केटिंग टीम के बीच बैठकें	सतत प्रक्रिया	 विनिर्मित पूंजी
वार्षिक रूप से शिकायतों की ऑनलाइन फाइलिंग और निवारण	सतत प्रक्रिया	 सामाजिक और संबंध की पूंजी
सतत विकास एवं पहल	सतत प्रक्रिया	 प्राकृतिक पूंजी
सीएसआर गतिविधियाँ	सतत प्रक्रिया	
परियोजना बैठकें	सतत प्रक्रिया	
वैधानिक अनुपालन के एक भाग के रूप में सार्वजनिक सुनवाई	जब भी आवश्यकता हो	
यूनियन नेताओं के साथ कॉर्पोरेट स्तर की औद्योगिक संबंधों की बैठकें	सतत प्रक्रिया	 बौद्धिक पूंजी
प्रशिक्षण और सेमिनार	सतत प्रक्रिया	
मुरक्खा पखवाड़ा	वार्षिक	 मानव पूंजी
सतर्कता जागरूकता सप्ताह	वार्षिक	
अनुमोदन प्रक्रिया के दौरान इंटरेक्टिव बैठकें	आवश्यकता पड़ने पर	 वित्तीय पूंजी
विक्रेता के साथ बैठक	तिमाही में कम से कम एक बार	 विनिर्मित पूंजी
नियमित बैठकें और बातचीत	सतत प्रक्रिया	 वित्तीय पूंजी
		 विनिर्मित पूंजी
		 सामाजिक और संबंध की पूंजी
प्रशिक्षण	सतत प्रक्रिया	 बौद्धिक पूंजी
		 मानव पूंजी
प्रदर्शन रिपोर्ट	वार्षिक एवं त्रैमासिक	 विनिर्मित पूंजी
बोर्ड बैठक	जब भी आवश्यकता हो	 प्राकृतिक पूंजी
अनुपालन रिपोर्ट	वार्षिक	 सामाजिक और संबंध की पूंजी
निरीक्षण	सतत प्रक्रिया	
सार्वजनिक मंचों के माध्यम से प्रत्यक्ष जुड़ाव और चर्चा	जब भी आवश्यकता हो	 वित्तीय पूंजी
		 सामाजिक और संबंध की पूंजी
प्रेस विज्ञप्तियाँ और साक्षात्कार	जब भी आवश्यकता हो	 सामाजिक और संबंध की पूंजी

बाज़ार परिदृश्य

भारत के लिए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना

कोयला सबसे व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले जीवाश्म ईंधन में से एक है और बिजली उत्पादन के लिए एक अभिन्न वस्तु है। बिजली उत्पादन के लिए प्राथमिक ऊर्जा स्रोत होने के साथ-साथ इसका उपयोग सीमेंट, लोहा और इस्पात के उत्पादन के लिए भी किया जाता है। कोयला उद्योग तेजी से बढ़ते देश की बढ़ती जरूरतों को पूरा करते हुए, देश के सामाजिक आर्थिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

क्या आप जानते हैं

कोयला भंडार के मामले में भारत दुनिया में **पांचवें** स्थान पर है और कोल इंडिया लिमिटेड कोयले के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है। चीन के बाद भारत कोयले का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है, जिसकी मांग मुख्य रूप से बिजली क्षेत्र द्वारा संचालित है।

इसके अलावा, लोहा और इस्पात, सीमेंट और उर्वरक जैसे उद्योग कुछ ऐसे उद्योग हैं जो अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए कोयले पर निर्भर हैं। भारत में खनन, परिवहन, बिजली, स्पंज आयरन और स्टील1 सहित कोयले से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों में लगभग **13 मिलियन** लोग कार्यरत हैं।¹

बाज़ार की गतिशीलता

मांग आपूर्ति के अंतर को पाठना

कोयला उद्योग देश के लिए राजस्व का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। कोयले की घेरेलू मांग लगातार ऊँची बनी हुई है। कोयला उद्योग सालाना 6-7% की दर से बढ़ने की उम्मीद है, जो वित्त वर्ष 2025-26 तक 1 बिलियन टन और 2030 तक लगभग 1.5 बिलियन टन तक पहुंच जाएगा। यह प्रतिस्थापन योग्य आयातों को बदलने और नियात को बढ़ाने का अनुमान है।²

कोयले की मांग और उत्पादन में मजबूत वृद्धि

वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान भारत में कोयले का कुल उत्पादन 893.08 मीट्रिक टन था, जो पिछले वर्ष की तुलना में 14.76% की सकारात्मक वृद्धि दर्शाता है।³ बढ़ती जनसंख्या, बढ़ती अर्थव्यवस्था और जीवन की बेहतर गुणवत्ता की तलाश से प्रेरित होकर, भारत में ऊर्जा का उपयोग अगले कुछ वर्षों में अभूतपूर्व रूप से बढ़ने की उम्मीद है। नवीकरणीय/गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा पर जोर देने के बावजूद, निकट भविष्य में कोयले से संक्रमण की अत्यधिक संभावना नहीं है। ऊर्जा बाकेट में कोयले की हिस्सेदारी भी महत्वपूर्ण रहने की उम्मीद है क्योंकि कोयले की मांग 2030 तक 1.3-1.5 बिलियन टन की सीमा में होने की संभावना है। मांग 2040⁴ के आसपास बढ़ने और चरम पर पहुंचने का भी अनुमान है।

उत्पादकता में सहायता के लिए डिजिटल तरीकों को अपनाना

कोयला खदानों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए स्वचालित और डिजिटलीकृत प्रक्रियाएं लागू की गई हैं। इसके अतिरिक्त, कोयले को अब साइलो या बंकरों में रखा जाता है और त्वरित लोडिंग सिस्टम या बेल्ट कन्वेयर की मदद से तुरंत वैगनों पर लोड किया जाता है। इससे कार्बन उत्सर्जन काफी हद तक कम हो जाता है। इसके अतिरिक्त, उत्पादकों और आपूर्तिकर्ताओं के बीच कोयले के आदान-प्रदान से आपूर्ति श्रृंखला संचालन में सुधार की उम्मीद है।

¹ <https://www.pwc.in/assets/pdfs/research-insights/research-insights-hub/our-take.pdf>

² <https://www.indiabudget.gov.in/economicsurvey/doc/echapter.pdf>

³ <https://coal.gov.in/en/major-statistics/production-and-supplies>

⁴ <https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1881423>



विनियामक सुधार

सिंगल विंडो क्लीयरेस

कोयला भारत में सबसे महत्वपूर्ण और प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला जीवाशम ईंधन है। यह देश की ऊर्जा जरूरतों का 49.3% (लिग्राइट को छोड़कर) पूरा करता है। सीईए के अनुसार, 70.6% बिजली उत्पादन कोयले से प्राप्त होता है। कोयले की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने देश में कोयला खदानों के संचालन के लिए एकल खिड़की मंजूरी प्राप्त करने के लिए मंच बनाया है।

निजी क्षेत्र और एमडीओ की बढ़ी भूमिका

सरकार ने कोयला खनन में निजी क्षेत्र की अधिक भागीदारी की अनुमति देकर देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए कोयले की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित की है। इसने आर्थिक और जिम्मेदार तरीके से कोयला स्रोत के अवसर भी प्रदान किए हैं।

भारत सरकार ने दक्षता और उत्पादकता में सुधार के लिए कोयला उद्योग में माझन डेवलपर ऑपरेटर्स (एमडीओ) के उपयोग को भी प्रोत्साहित किया है। एमडीओ ने नई प्रौद्योगिकियों और प्रबंधन प्रथाओं को पेश किया है और आम तौर पर बाजार की बदलती गतिशीलता के लिए अधिक चुस्त और अनुकूलनीय हैं। निजी क्षेत्र की भागीदारी और उपयोग की अधिकता से क्षेत्र में अधिक निवेश आकर्षित करने, समग्र दक्षता और उत्पादकता में सुधार के लिए नई प्रौद्योगिकियों और कुशल प्रबंधन प्रथाओं को पेश करने की उम्मीद है।

कोयला गैसीकरण

स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के विकास को बढ़ावा देते हुए भारत की ऊर्जा रणनीति में काफी बदलाव देखा गया है। जलवायु परिवर्तन पर सरकार की राष्ट्रीय कार्य योजना

और राष्ट्रीय विद्युत योजना ने बिजली उत्पादन के लिए कोयले पर निर्भरता को कम कर दिया है। इसने कोयला गैसीकरण, द्रवीकरण और हाइड्रोजन उत्पादन के रूप में कोयले के वैकल्पिक उपयोग के अवसर पैदा किए हैं।

उन्नत प्रौद्योगिकीयों के उपयोग से, कोयले को गैसीय या तरल रूपों में परिवर्तित किया जा सकता है जिसका उपयोग विभिन्न औद्योगिक और रासायनिक प्रक्रियाओं में फ़िडस्टॉक के रूप में किया जा सकता है। चूंकि सरकार बिजली उत्पादन से मिशन को कम करने के महत्व पर जोर दे रही है, जिससे आने वाले वर्षों में इन कार्यों में तेजी आने की उम्मीद है। अतिरिक्त माँग को पूरा करने के लिए, नई खदानों की मंजूरी या मौजूदा खदानों की क्षमता विस्तार के माध्यम से कोयले की आपूर्ति बढ़ानी होगी। 2030 तक 100 मिलियन टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने के लिए, भारत सरकार ने राष्ट्रीय कोयला गैसीकरण मिशन⁵ लॉन्च किया है।

स्थिरता को सम्मिलित करना

सीओपी26 में भारत की प्रतिबद्धताएँ

भारत ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी के माध्यम से जलवायु परिवर्तन से निपटने में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रतिबद्ध है। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेशन (यूएनएफसीसीसी) के पार्टियों के 26वें सम्मेलन (सीओपी26) में, भारत ने भविष्य में दीर्घकालिक योगदान हेतु पाँच प्रमुख प्रतिबद्धताओं की घोषणा की:

- 2030 तक 500 जीडबल्यूएन गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा उत्पन्न करने की क्षमता विकसित करना।
 - 2030 तक देश की 50% ऊर्जा जरूरतों को नवीकरणीय ऊर्जा से प्राप्त करना।

- 2030 तक अनुमानित वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में मौजूदा एक अरब टन से उल्लेखनीय कमी आएगी।
 - 2005 के स्तर से 2030 तक अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता में 45% तक कमी की जाएगी।
 - 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है।

जैसे-जैसे भारत अपनी सीओपी 26 प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के पक्ष में अधिक नीतियाँ लागू होने की उम्मीद है। आगे चलकर, कुल ऊर्जा मिश्रण में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी भी बढ़ने की संभावना है।

पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव

खनन के पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव
इस क्षेत्र के लिए बड़ी चुनौतियाँ बने हुए
हैं। खनन-प्रेरित विस्थापन और पुनर्वास
(एमआईडीआर) का मुद्दा लोगों के लिए
खतरा पैदा करता है। हालांकि, जिम्मेदार
पद्धतियों को अपनाने और खनन के कारण
प्रभावित लोगों के उचित पुनर्वास को सुनिश्चित
करने के प्रयासों ने कोयला खनन के प्रभाव
को कम करने में मदद की है।

डीकार्बोनाइजेशन

पिछले वर्ष में, खनिकों और निवेशकों ने डीकार्बोनाइजेशन के प्रयास तेज कर दिए हैं। 2013 की शुरुआत से ही, बैंक, पेंशन फंड और बीमा कंपनियों सहित वित्तीय संस्थान थर्मल कोयले से संबंधित उद्यमों को वित्तपोषित करने में अनिच्छुक रहे हैं। हालाँकि, स्थायी तरीकों को अपनाने और क्षेत्र से कार्बन उत्सर्जन को कम करने के प्रयासों ने उद्योग में अधिक निवेश का मार्ग प्रशस्त किया है।

⁵ https://assets.ey.com/content/dam/ey-sites/ey-com/en_in/topics/mining-metals/2023/04/ey-steel-coal-and-iron-ore-report.pdf?download#:~:text=Steel%20and%20iron%20ore%20are%20the%20two%20most%20important%20metals%20used%20in%20the%20global%20steel%20industry%20and%20the%20global%20iron%20ore%20market.

जोखिम प्रबंधन

सक्रिय रूप से खतरों को कम करना

हमने संभावित जोखिमों को प्रभावी ढंग से संबोधित करने और कम करने के लिए एक मजबूत जोखिम प्रबंधन की रूपरेखा तैयार किया है। इस रूपरेखा में जोखिमों से निपटने के लिए आकस्मिक रणनीतियों को परिभाषित करने, प्राथमिकता देने और तैयार करने के लिए विभिन्न तंत्र शामिल हैं। यह जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाओं को क्रियान्वित करने में विभिन्न प्राधिकरणों, समितियों और बोर्ड की भूमिकाओं, जिम्मेदारियों और कर्तव्यों को रेखांकित करता है। जोखिमों की आवधिक निगरानी और मूल्यांकन सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक जोखिम प्रबंधन कैलेंडर का पालन किया जाता है।




जोखिम प्रबंधन टीम

हमने निदेशक मंडल की एक विशेष उपसमिति का गठन किया है जो जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) बनाती है। मुख्य जोखिम अधिकारी (सीआरओ), सक्षम टीम द्वारा समर्थित, जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) के मार्गदर्शन में काम करता है। यह जोखिम परिदृश्य का आकलन करता है और पूरे संगठन

में इसके कार्यान्वयन की निगरानी के लिए प्राथमिकता वाले जोखिम शमन योजनाएं तैयार करता है। हमारी प्रत्येक सहायक कंपनी एक स्वतंत्र जोखिम प्रबंधन समिति का रखवाखाव करती है, जिसका नेतृत्व महाप्रबंधक स्तर के मुख्य जोखिम अधिकारी करते हैं और एक स्वतंत्र निदेशक इसकी अध्यक्षता करते हैं।

इसके अतिरिक्त, हमारे मुख्यालय में एक अलग जोखिम प्रबंधन समिति का गठन किया गया है। आरएमसी रणनीतिक दिशा प्रदान करता है और जोखिम प्रबंधन ढांचे की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करता है।



हमने एक मजबूत जोखिम प्रबंधन संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। बोर्ड ने जोखिमों को प्रभावी ढंग से संबोधित करने और इसे हमारे आंतरिक लक्ष्यों और उद्देश्यों के साथ सरेखित करने के लिए एक जोखिम प्रबंधन चार्टर और जोखिम रजिस्टर को मंजूरी दे दी है। जोखिमों की पहचान (आरटीएम) की गई है, और निरंतर निगरानी और शमन प्रयासों को सुनिश्चित करने के लिए समर्पित जोखिम मालिकों और जोखिम शमन योजना मालिकों को नियुक्त किया गया है।

जोखिमों की समीक्षा

द्वि-वार्षिक जोखिम प्रबंधन समिति की बैठकों के दौरान जोखिम मूल्यांकन, पहचान और शमन उपायों पर गहन चर्चा की जाती है। हम अपनी रणनीतिक योजना प्रक्रिया के अभिन्न अंग के रूप में अपने जोखिम प्रबंधन ढांचे की प्रभावशीलता की लगातार समीक्षा करते हैं। एक व्यापक जोखिम प्रबंधन ढांचे का पालन करके, हमारा लक्ष्य संभावित जोखिमों को सक्रिय रूप से संबोधित करना, अपने परिचालन की सुरक्षा करना और सतत विकास सुनिश्चित करना है।

जोखिमों की पहचान

और शमन

मुख्य जोखिम अधिकारी (सीआरओ) के नेतृत्व में और विभागाध्यक्षों (एचओडी) की भागीदारी के साथ, एक समर्पित जोखिम प्रबंधन टीम ने जोखिम प्रबंधन ढांचे में उल्लिखित शासन प्रक्रियाओं को लागू किया है। इसमें प्राथमिकता वाले जोखिमों के लिए जोखिम शमन योजनाएं

तैयार करना और उन जोखिमों (आरटीएम) को संबोधित करना शामिल है जो हमारे लिए विशिष्ट हैं।

संचालन पर प्रत्येक पहचाने गए जोखिम के संभावित प्रभावों का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन किया जाता है। इसके बाद, इन जोखिमों के

संभावित प्रतिकूल प्रभावों को प्रबंधित करने और कम करने के लिए एक व्यापक शमन योजना तैयार की गई है। इस व्यवस्थित पद्धति के माध्यम से, हमारा लक्ष्य अपनी जोखिम प्रबंधन पद्धति में वृद्धि लाना और अपने परिचालन का सुचारू रूप से संचालन को सुनिश्चित करना है।



अव्यवहार्य खनन के जोखिम

वे क्यों मायने रखते हैं?

वित्तीय स्थिरता, परिचालन दक्षता और पर्यावरणीय स्थिरता के लिए भूमिगत खनन कार्यों की व्यवहार्यता महत्वपूर्ण है। अव्यवहार्य संचालन से महत्वपूर्ण वित्तीय नुकसान हो सकता है, दीर्घकालिक विकास में बाधा आ सकती है, सुरक्षा मानकों से समझौता हो सकता है और मूल्यवान संसाधनों की बर्बादी हो सकती है।

हम उन्हें कैसे कम कर रहे हैं?

इस जोखिम से निपटने और कम करने के लिए, हमने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

- ▶ हम लागत-लाभ विश्लेषण, खनन योग्य भंडार को संतुलित करने और सुरक्षा और पर्यावरण संबंधी विचारों सहित तकनीकी आकलन के आधार पर अव्यवहार्य कोयला खदानों की पहचान करते हैं।
- ▶ हम नई तकनीक को लागू करके, खनन पद्धति को फिर से उन्मुख करके और सुरक्षा मानकों को बढ़ाकर घाटे में कमी के
- उपायों के माध्यम से अव्यवहार्य खानों के पुनरुद्धार को प्राथमिकता देते हैं।
- ▶ पिछले कुछ वर्षों में, हमने अव्यवहार्य खदानों से उत्पादन को निलंबित करने के लिए सक्रिय कदम उठाए हैं। वित्त वर्ष 22-23 में, कुल चार अव्यवहार्य खदानों को उत्पादन से निलंबित कर दिया गया था।



प्रतिस्पर्धा जोखिम

वे क्यों मायने रखते हैं?

वाणिज्यिक खनन और नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन पर जोर देने से ऊर्जा क्षेत्र में हमारी बाजार हिस्सेदारी के लिए खतरा पैदा करता है। वाणिज्यिक खनन और नवीकरणीय ऊर्जा से प्रतिस्पर्धा भी मूल्य निर्धारण दबाव का कारण बन सकती है।

हम उन्हें कैसे कम कर रहे हैं?

हम निम्नलिखित उपाय अपनाकर प्रतिस्पर्धा का प्रबंधन करने का प्रयास करते हैं:

- ▶ हम कोयले की मांग पर बारीकी से नजर रखते हैं। वित्त वर्ष 24-25 तक कोयले की मांग 900 मिलियन टन तक पहुंचने का अनुमान है, जिसमें नीलामी के माध्यम से आपूर्ति भी शामिल है। इस मांग को पूरा करने के लिए, हमने अपना उत्पादन लक्ष्य 840 मिलियन टन निर्धारित किया है, जो इसे अनुमानित मांग के आंकड़ों के साथ समरेखित करता है।
- ▶ हमारे ईंधन आपूर्ति समझौतों (एफएसए) के आधार पर, हम निकट भविष्य में
- थर्मल पावर प्लांट्स के लिए कोयले के प्राथमिक आपूर्तिकर्ता बने रहेंगे।
- ▶ इसके अलावा, इस्पात विनिर्माण जैसे कुछ क्षेत्रों में कोयले की लगातार मांग बनी रहेगी। इसके अतिरिक्त, पेट्रोकेमिकल, गैसीकरण और मेथनॉल जैसे सिथेटिक ईंधन उत्पादन के लिए फ़िडस्टॉक के रूप में कोयले की मांग निकट भविष्य में बढ़ने की उम्मीद है।



साइबर सुरक्षा जोखिम

वे क्यों मायने रखते हैं?

साइबर सुरक्षा जोखिम हमारी सूचना प्रणाली, डेटा और संचालन के लिए संभावित खतरे पैदा करते हैं। खनन उद्योग में एक बड़े संगठन के रूप में, हम अपने संचालन, कर्मचारियों, ग्राहकों और हितधारकों से संबंधित संवेदनशील और गोपनीय जानकारी को संभालते हैं। साइबर हमले या उल्लंघन से महत्वपूर्ण वित्तीय नुकसान, प्रतिष्ठा क्षति, संचालन में व्यवधान और महत्वपूर्ण डेटा से समझौता हो सकता है।

हम उन्हें कैसे कम कर रहे हैं?

हमने अपनी डिजिटल उपस्थिति को सुरक्षित करने के लिए विभिन्न साइबर सुरक्षा उपाय लागू किए हैं।

- ▶ हमारे मुख्यालय में एक समर्पित साइबर संकट प्रबंधन समूह का गठन किया गया है, जिसके अध्यक्ष के रूप में निदेशक (तकनीकी) कार्यरत है। पूरे संगठन में व्यापक साइबर सुरक्षा उपायों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए सहायक कंपनियों में समान समूह भी स्थापित किए गए हैं।
- ▶ सूचना सुरक्षा प्रथाओं की देखरेख और समन्वय के लिए, हमने सिस्टम विभाग के महाप्रबंधक को मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी (सीआईएसओ) के रूप में पहचाना और नामित किया है। सीआईएसओ आंतरिक और हमारी सहायक
- ▶ कंपनियों में सूचना सुरक्षा उपायों को लागू करने और निगरानी करने के लिए जिम्मेदार है।
- ▶ हम अंतिम उपयोगकर्ताओं के लिए साइबर खतरों के बारे में उनकी समझ बढ़ाने और सर्वोत्तम प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए नियमित सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करते हैं। इन कार्यक्रमों में कर्मचारियों को संभावित जोखिमों और उन्हें कम करने के तरीकों के बारे में शिक्षित करने के लिए विशेषज्ञ वार्ता, ईमेल अभियान और डिस्प्ले बोर्ड शामिल हैं।



क्रेडिट जोखिम

वे क्यों मायने रखते हैं?

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) से प्राप्तियों का क्रेडिट जोखिम सीधे संगठन के वित्तीय स्वास्थ्य और तरलता को प्रभावित करता है। पीएसयू से विवादित और निर्विवाद प्राप्त विलंबित भुगतान, संभावित बड़े खाते में डालने और नकदी प्रवाह बाधाओं के मामले में चुनौतियां पैदा कर सकते हैं।

हम उन्हें कैसे कम कर रहे हैं?

हम नकदी प्रवाह और संगठन के समग्र वित्तीय स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए क्रेडिट जोखिमों को संबोधित करने को प्राथमिकता देते हैं। हमने इन जोखिमों को कम करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए:

- ▶ हमारे ऑनलाइन समाधान पोर्टल के माध्यम से, हमारी सहायक कंपनियाँ दैनिक आधार पर चालान-वार समाधान करती हैं। हम बकाया वसूली में तेजी लाने और विवादों को सुलझाने के लिए कोयला कंपनियों और उपभोक्ताओं के साथ नियमित पत्राचार करते हैं। ऐसे मामलों में जहां वाणिज्यिक विवादों को द्विपक्षीय रूप से हल नहीं किया जा सकता है, हम उन्हें सीपीएसई विवादों के समाधान के लिए प्रशासनिक तंत्र के पास भेजते हैं।
- ▶ कोयला कंपनियों के महाप्रबंधक (बिक्री) भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई), कानूनी मामलों और एडीआरएम मुद्दों के साथ समन्वय की देखरेख करते हैं।
- ▶ कैश एंड कैरी का प्रावधान हमारे ईंधन आपूर्ति समझौतों में पहले से ही शामिल है।
- ▶ सीआईएल और हमारी सहायक कोयला कंपनियों की लेखापरीक्षा कमेटी वित्त निदेशक के साथ नियमित रूप से क्रृणों की स्थिति की समीक्षा करती है।



परिचालन सुरक्षा जोखिम

वे क्यों मायने रखते हैं?

परिचालन सुरक्षा जोखिमों का श्रमिकों की भलाई और समग्र परिचालन दक्षता पर संभावित प्रभाव पड़ सकता है। सुरक्षा नियमों का पालन करने और सुरक्षा उपायों के कार्यान्वयन में विफलता से खनन उद्योग की कार्यप्रणाली अस्थिर और गैरजिम्मेदार हो सकती है।

हम उन्हें कैसे कम कर रहे हैं?

परिचालन सुरक्षा सुनिश्चित करने और सुरक्षित कार्य वातावरण बनाने के लिए, हमने निम्नलिखित लागू किया है:

- ▶ परिचालन सुरक्षा बढ़ाने और वैधानिक आवश्यकताओं का अनुपालन करने के लिए, हमने प्रत्येक खदान के लिए साइट प्रबंधन योजना (एसएमपी) तैयार की है। ये योजनाएं खनन कार्यों में शामिल अधिकारियों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से रेखांकित करती हैं, जबाबदेही और नियमों का पालन सुनिश्चित करती हैं।
- ▶ एसएमपी को खान सुरक्षा महानिदेशालय (डीजीएमएस) द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार परिश्रमपूर्वक तैयार किया गया है और समीक्षा और अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया गया है।



निकासी जोखिम

वे मायने क्यों रखते हैं?

कोयला उत्पादन के सुचारू खरीद के लिए कोयले की कुशल निकासी महत्वपूर्ण है। निकासी बुनियादी ढांचे में सीमाएं या बाधाएं, देरी, भीड़भाड़ और कोयले की छुलाई की लागत में वृद्धि का कारण बन सकती हैं।

हम उन्हें कैसे कम कर रहे हैं?

कोयले की खरीद के लिए निकासी जोखिमों को संबोधित करने हेतु, हमने मध्यम से दीर्घकालिक में निकासी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए 'जमा आधार' पर रणनीतिक परियोजनाएं शुरू की हैं।

- ▶ इसमें टोरी-शिवपुरी रेल लाइन और झारसुगुड़ा-बारपाली-सरदेग्रा रेल लाइन के माध्यम से कोयला निकालने की पहल शामिल है।
- ▶ इसके अतिरिक्त, राज्य सरकारों और रेलवे के साथ संयुक्त उद्यमों के माध्यम से, हमने ग्रीनफिल्ड कोयला क्षेत्रों में समर्पित रेलवे लाइनों के निर्माण का प्रावधान किया है और विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) का गठन किया है।



तकनीकी जोखिम

वे मायने क्यों रखते हैं?

तकनीक को उन्नत करने और हेवी अर्थ मूविंग मशीनरी (एचईएमएम) का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने से हमें प्रतिस्पर्धी बने रहने, संसाधन निष्कर्षण को अधिकतम करने और बाजार की मांगों को पूरा करने में मदद मिल सकती है। इन जोखिमों को संबोधित करने में विफलता के परिणामस्वरूप परिचालन दक्षता में कमी, लागत में वृद्धि और कम लाभप्रदता हो सकती है।

हम उन्हें कैसे कम कर रहे हैं?

निम्नलिखित उपाय तकनीक को उन्नत करने, उपकरण समय पर उपलब्ध कराने और खनन कार्यों के लिए इसका कुशल उपयोग सुनिश्चित करने में मदद करते हैं।

तकनीकी उन्नयन:

- ▶ विद्युत ड्राइव, ईंधन-कुशल इंजन और स्वास्थ्य/उत्पादकता निगरानी प्रणाली जैसी नवीनतम तकनीकों को शामिल करने के लिए उपकरण विनिर्देशों में संशोधन।
- ▶ सहायक कंपनियों में विकेन्ट्रीकृत एचईएमएम खरीद के लिए समान तकनीकी विशिष्टाओं का कार्यान्वयन।
- ▶ 10 क्यू इलेक्ट्रिक रस्सी फावड़े को बंद करना और बेहतर उत्पादकता के लिए उच्च क्षमता वाले इलेक्ट्रिक रस्सी फावड़े की खरीद।
- ▶ उत्पादकता में सुधार के लिए निरंतर खनिकों और सतही खनिकों की नियुक्ति।
- ▶ बढ़ी हुई उत्पादकता और परिचालन दक्षता के लिए खुली खदानों में डिजिटलीकरण की पहल।

एचईएमएम की उपलब्धता और उपयोग:

- ▶ पुर्जों और उपभोग्य सामग्रियों की गारंटीकृत उपलब्धता के साथ उच्च क्षमता वाले एचईएमएम की खरीद।
- ▶ लंबे समय से टूटने वाले एचईएमएम की नियमित समीक्षा और शीघ्र पुनः कमीशनिंग।
- ▶ अप्रचलित और अपूरणीय उपकरणों का समय से पहले सर्वेक्षण।
- ▶ अपना जीवन चक्र पूरा कर चुके उपकरणों के सर्वेक्षण/ग्राउंडिंग के लिए निगरानी और अनुवर्ती कार्रवाई।
- ▶ पेलोड मॉनिटरिंग सिस्टम डेटा विश्लेषण के माध्यम से डंपरों के प्रदर्शन की निगरानी।

शासन

नैतिक और पारदर्शी संचालन के लिए एक मजबूत ढांचा

हमने पारदर्शिता, जवाबदेही और भ्रष्टाचार की रोकथाम सुनिश्चित करने के लिए मजबूत शासन उपायों को लागू किया है। हमारी कॉर्पोरेट संरचना, संचालन और प्रकटीकरण साधन अच्छे कॉर्पोरेट प्रशासन के प्रति हमारी निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं।

नैतिक संचालन सुनिश्चित करना



हमारी शासन संरचना का एक प्रमुख पहलू व्यापक नीतियों और रूपरेखाओं का निर्माण है। ये नीतियां कई क्षेत्रों को कवर करती हैं, जिनमें नैतिक आचरण, हितों का टकराव, भ्रष्टाचार विरोधी, मुखबिरी और लागू कानूनों और विनियमों का अनुपालन शामिल है, लेकिन यहाँ तक सीमित नहीं है। ये नीतियां हमारे कर्मचारियों और हितधारकों के लिए मार्गदर्शक सिद्धांतों के रूप में काम करती हैं, यह सुनिश्चित करती है कि वे अपने दैनिक कार्यों में उच्चतम नैतिक मानकों का पालन करें।

सतर्कता ढांचा

कोलकाता कॉर्पोरेट मुख्यालय में, हमने एक अच्छी सुसंगठित संरचित सतर्कता प्रभाग की स्थापना की है, जिसका नेतृत्व मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीबीओ) करता है और विविध विशेषज्ञता वाले सतर्कता अधिकारियों की एक टीम द्वारा समर्थित है। इसके अतिरिक्त, हमारी आठ सहायक कंपनियों में से प्रत्येक की अपनी स्वतंत्र सतर्कता इकाई है, जिसका नेतृत्व एक समर्पित पूर्णाकालिक सीबीओ करता है। कॉर्पोरेट स्तर पर सीबीओ सहायक सतर्कता इकाइयों, केंद्रीय जाँच ब्यूरो (सीबीआई), कोलाल मंत्रालय और केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीबीसी) के बीच एक समन्वय प्राधिकारी के रूप में कार्य

करता है। यह समन्वय शिकायतों, जांचों और प्रणालीगत सुधारों के प्रभावी प्रबंधन को सुनिश्चित करता है जिनका कंपनी के साथ-साथ कई सहायक कंपनियों पर भी प्रभाव पड़ता है।

सतर्कता की दृष्टिकोण से कोई भी कदाचार जो सीआईएल के सीडीए नियमों का उल्लंघन करता है, उसका सत्यापन किया जाता है, जाँच की जाती है और मामले की योग्यता के अनुसार, दोषी अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक/विभागीय कार्यवाही शुरू की जाती है। जाँच के परिणामों के आधार पर सीए नियमावली में यथा अधिदेशित समुचित कार्रवाई की जाती है।



भ्रष्टाचार के प्रति शून्य सहिष्णुता

संगठन के भीतर भ्रष्टाचार से निपटने की प्रतिबद्धता शून्य-सहिष्णुता नीति पर आधारित है। हमने भ्रष्टाचार विरोधी प्रयासों का समर्थन करने के लिए मैनुअल और विस्तृत मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) सहित स्पष्ट नीति दिशानिर्देश विकसित किए हैं। इसके अलावा, हमने एक प्रभावी शिकायत प्रबंधन नीति और व्हिस्सल ब्लॉअर नीति स्थापित की है, जो हमारी भ्रष्टाचार विरोधी पहल को मजबूत करने का काम करती है। हम सीवीसी दिशानिर्देशों के अनुरूप एक व्यापक 'शिकायत प्रबंधन नीति' का पालन करते हैं और शिकायतों की प्राप्ति से लेकर निपटान तक सुव्यवस्थित प्रसंस्करण के लिए एक ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन पोर्टल का उपयोग करते हैं। यह दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है कि संगठन द्वारा प्राप्त सभी शिकायतों का तुरंत और स्थापित प्रक्रियाओं के अनुसार निपटारा किया जाए।

132

भ्रष्टाचार की शिकायतों का समाधान किया गया

शृंखला आपूर्ति में नैतिकता को एकीकृत करना

हम यह सुनिश्चित करते हैं कि विक्रेता, सेवा प्रदाता और सलाहकार भी सीवीसी दिशानिर्देशों के अनुसार संविदात्मक दायित्वों, सामान्य नियमों और शर्तों और इंटीग्रिटी पैक्ट प्रोग्राम के माध्यम से हमारी भ्रष्टाचार विरोधी पहल के अंतर्गत आते हैं।

ऐसे मामलों में जहाँ भ्रष्टाचार की घटनाओं का पता चलता है, हम कंपनी के सीडीए नियमों का पालन करते हुए अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करते हैं। आपाधिक कदाचार के लिए ऐसे मामलों की सूचना सीवीसी दिशानिर्देशों के अनुपालन में उपयुक्त एजेंसियों को दी जाती है। भ्रष्टाचार के मामलों से संबंधित आपाधिक मुकदमे सीआईएल के सतर्कता विभाग की निगरानी के साथ, सीबीआई जैसी कानून प्रवर्तन एजेंसियों के माध्यम से चलाए जाते हैं।

उन सभी मामलों में अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाती है जहाँ अधिकारियों को किसी भी भ्रष्टाचार के आरोप में दोषी ठहराया जाता है और सीबीआई द्वारा जाँच किए गए मामलों में जहाँ अभियोजन की मंजूरी दी गई है, साथ ही साथ विभागीय कार्रवाई भी शुरू की जाती है और प्रावधानों या सीए नियमों का पालन करते हुए उसके तार्किक निष्कर्ष तक ले जाया जाता है।

12

भ्रष्टाचार के विरुद्ध की गई कार्रवाई के उदाहरण

जागरूकता बढ़ाना

संयुक्त हितधारक बैठके और शिकायत निवारण शिविर समय-समय पर आयोजित किए जाते हैं, और ग्राम सभाओं, कार्यशालाओं/सेमिनारों, स्कूलों/कॉलेजों में प्रतियोगिताओं और प्रचार सामग्री और सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के उपयोग जैसी गतिविधियों के माध्यम से भ्रष्टाचार विरोधी जागरूकता कार्यक्रमों में जनता की भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाता है।

इसके अलावा, हम सतर्कता जागरूकता सप्ताह भी मनाते हैं, जो 'विकसित राष्ट्र के लिए भ्रष्टाचार-मुक्त भारत' विषय के तहत 31 अक्टूबर से 6 नवंबर, 2022 तक आयोजित किया गया था। इस वार्षिक आयोजन का उद्देश्य संगठन और समाज के भीतर जागरूकता बढ़ाना और अखंडता और नैतिक आचरण की संस्कृति को बढ़ावा देना है।

भ्रष्टाचार विरोधी प्रशिक्षण

निवारक सतर्कता और भ्रष्टाचार विरोधी उपायों के बारे में जागरूकता और समझ बढ़ाने के लिए, हम सभी सतर्कता पदाधिकारियों के लिए व्यापक प्रशिक्षण और संवेदीकरण कार्यक्रम आयोजित करते हैं। अधिकारियों को विभिन्न संगठनों जैसे कि सीबीआई, सीवीसी, एनएफएसयू, एनपीसी और अन्य द्वारा आयोजित भ्रष्टाचार विरोधी प्रशिक्षण के लिए नामांकित किया जाता है। संगठन में शामिल होने पर सभी अधिकारियों को निवारक सतर्कता पर प्रेरण प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, और ऐसा प्रशिक्षण समय-समय पर गैर-कार्यकारी कर्मचारियों और संविदा कर्मचारियों के लिए भी आयोजित किया जाता है। कर्मचारियों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए सेमिनार, कार्यशालाएं और इंटरैक्टिव सत्र अक्सर आयोजित किए जाते हैं।



निदेशक मंडल

दूरदर्शिता के साथ नेतृत्व करना



श्री पीएम प्रसाद [डीआईएन: 08073913] ने 1 जुलाई, 2023 को कोल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक का पदभार ग्रहण किया है। इससे पहले, वह 01/09/2020 से सेंट्रल कोलफिल्ड्स लिमिटेड (सीसीएल) के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक (सीएमडी) का प्रभार संभाल रहे थे। श्री प्रसाद को संचालन और प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं में 38 वर्षों का अनुभव है। श्री प्रसाद उत्तमान्या विश्वविद्यालय से खनन इंजीनियर हैं। उन्होंने धनबाद के इंडियन स्कूल ऑफ माइन्स (आईआईटी-आईएसएम) से 'ओपन-कास्ट माइनिंग' में एमटेक किया। 1988 में, उन्होंने डीजीएमएस से प्रथम श्रेणी खान प्रबंधक प्रमाण पत्र प्राप्त किया। उन्होंने 1997 में नागपुर विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री भी प्राप्त की। श्री प्रसाद ने 1984 में कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) की सहायक कंपनी वेस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड (डब्ल्यूसीएल) में एक कार्यकारी प्रशिक्षक के रूप में अपना करियर शुरू किया। कंपनी में विभिन्न भूमिकाओं के माध्यम से आगे बढ़ते हुए उन्होंने समर्पण,

कड़ी मेहनत, ईमानदारी और गतिशील नेतृत्व का प्रदर्शन किया और महानदी कोलफिल्ड्स लिमिटेड (एमसीएल) में लिंगराज क्षेत्र के महाप्रबंधक बन गए। 1994-95 में, उन्होंने डब्ल्यूसीएल में अपनी पोस्टिंग के दौरान भूमिगत आग से प्रभावित डीआरसी खदानों को फिर से खोलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस उल्लेखनीय कार्य के लिए, उन्हें 1995 में कोयला सचिव, कोयला मंत्रालय (एमओसी) और अध्यक्ष, कोल इंडिया लिमिटेड से 'सर्वश्रेष्ठ खान प्रबंधक' के रूप में सम्मानित किया गया। एमसीएल में महाप्रबंधक के रूप में अपने सफल कार्यकाल के दौरान, वह मार्च, 2010 से 'कनिहा ओपन कास्ट प्रोजेक्ट' के सफल उद्घाटन और संचालन किया। उन्हें वर्ष 2014-15 में 26.00 मीट्रिक टन के कोयला भंडार को अनलॉक करने के लिए हिंगुला ओपनकास्ट क्षेत्र में नाले के डायवर्जन और तालचेर कोलफिल्ड्स में नई रेलवे साइडिंग नंबर 9 की शुरुआत का श्रेय भी दिया जाता है। सुरक्षा के लिए उनका विशेष लगाव है और जिन परियोजनाओं के साथ वह जुड़े थे, उन्होंने विभिन्न प्रतियोगिताओं में विभिन्न पुरस्कार जीते हैं, जिनमें दो परियोजनाओं के लिए हैट्रिक शामिल है, अर्थात्, पद्मपुर ओपनकास्ट, 1996 और 1998 के बीच नंदीरा यूजी माइन, एमसीएल। मई, 2015 में, वह कार्यकारी निदेशक (कोयला खनन) के रूप में एनटीपीसी में शामिल हुए। उन्हें एमडीओ परियोजनाओं के आवंटन की प्रक्रिया में तेजी लाने और पकरीबरवाडीह कोयला ब्लॉक (एनटीपीसी की पहली परियोजना) प्रदान करने और शेष कोयला ब्लॉकों के लिए एनआईटी जारी करने के

लिए सम्मानित किया गया। मार्च 2016 में, उन्होंने हजारीबाग और झारखंड के कार्यकारी निदेशक-सह-प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला। अपने कार्यकाल के दौरान, उन्होंने पकरीबरवाडीह खदान, हजारीबाग में कोयला खनन कार्य शुरू करने का नेतृत्व किया। 2016 में उनके कार्यकाल के दौरान, पकरीबरवाडीह को 'स्वर्ण शक्ति पुरस्कार' में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। फरवरी 2018 में, वह निदेशक तकनीकी (पी एंड पी) के रूप में नार्दन कोलफिल्ड्स लिमिटेड (एनसीएल) में शामिल हुए। उनके नेतृत्व में एनसीएल को पर्यावरण संरक्षण में उत्कृष्ट कार्य के लिए जून 2018 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन में सम्मानित किया गया। उन्होंने अगस्त 2019 में भारत कोर्किंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल) के सीएमडी का पदभार संभाला। चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बीच, उन्होंने प्रतिबद्धता, जोश और समर्पण के साथ आगे बढ़कर नेतृत्व किया। उन्होंने महामारी के खिलाफ कंपनी की लड़ाई का नेतृत्व किया और कंपनी के समग्र प्रदर्शन को बदलने के लिए विभिन्न पहलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। श्री प्रसाद अपने पारस्परिक कौशल के लिए प्रसिद्ध हैं और टीम वर्क में दृढ़ विश्वास रखते हैं और उनके पास उत्कृष्ट तकनीकी विशेषज्ञता है। उनके मार्गदर्शन में, कंपनी नए मील के पथर हासिल करने और सफलता की नई ऊँचाइयों को छूने के लिए तैयार है। उनके पास कोल इंडिया लिमिटेड का कोई शेयर नहीं है।

सरकार द्वारा नामित निदेशक



श्री नागराजू मद्दीराला

[डीआईएन: 06852727] **अपर सचिव,**
एमओसी, श्री नागराजू मद्दीराला ने 22 फरवरी,
 2023 को कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल)
 के बोर्ड में अंशकालिक निदेशक (सरकार
 नामित) का पदभार ग्रहण किया है। वह

1993 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। उन्होंने हैदराबाद विश्वविद्यालय से पोस्ट-ग्रेजुएशन किया। सेवा के दौरान, उन्होंने सार्वजनिक व्यवस्था, राजस्व और विकास प्रशासन, आदिवासी विकास, वित्त, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध, उद्योग और वाणिज्य, स्वास्थ्य देखभाल और राज्य वित्त के क्षेत्रों में राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सेवा की। राज्य सरकार में, उन्होंने जिला मजिस्ट्रेट, निदेशक, जनजातीय कल्याण, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, वित्त और उद्योग एवं वाणिज्य विभागों के सचिव/प्रमुख सचिव के रूप में कार्य किया। 2004-08 के दौरान, उन्होंने वित्त मंत्रालय, आर्थिक मामलों के विभाग में जापान / उत्तरी

अमेरिका और विश्व बैंक डिवीजनों में निदेशक के रूप में कार्य किया। इसके बाद, उन्होंने 2008 से 2012 तक वाशिंगटन डीसी में विश्व बैंक में कार्यकारी निदेशक के सलाहकार के रूप में काम किया। वह 2012-13 में एक वर्ष के लिए पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय, अमेरिका में विजिटिंग फेलो और 2018-19 में स्टोन हिल कॉलेज में विजिटिंग रिसर्च स्कॉलर थे। उन्होंने 30.01.2020 को कोयला मंत्रालय के संयुक्त सचिव के रूप में और 03.11.2020 से कोयला मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव के रूप में पदोन्नति के बाद कार्यभार संभाला। उनके पास कोल इंडिया लिमिटेड का कोई शेयर नहीं है।



श्रीमती निरुपमा कोटरू [डीआईएन:
09204338] संयुक्त सचिव एवं वित्तीय
सलाहकार, एमओसी, 1992 बैच की भारतीय राजस्व सेवा (आयकर) की अधिकारी हैं। 28 जनवरी, 1969 को जन्मी निरुपमा कोटरू ने दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफ़न्स कॉलेज से अर्थशास्त्र (ऑर्सर्स) में बीए और स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, दिल्ली से राजनीति और

अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एमए किया है। उन्होंने दिल्ली की टीईआरआई यूनिवर्सिटी से पब्लिक पॉलिसी एंड स्टर्टेनेबल डेवलपमेंट में एमए भी किया है। सुश्री कोटरू ने मुंबई, चेन्नई, दिल्ली और पुणे में आयकर विभाग में विभिन्न पदों पर काम किया है और आयकर विभाग के अंतर्राष्ट्रीय कराधान निदेशालय की स्थापना में शामिल थीं। कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय में निदेशक (ई-गवर्नेंस) के रूप में, उन्होंने पुरस्कार विजेता एमसीए21 कॉर्पोरेट फाइलिंग प्रणाली का प्रबंधन कार्य किया है। उन्होंने मानेसर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की स्थापना में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में निदेशक (फिल्म) के रूप में, उन्होंने एनएफडीसी, फिल्म प्रभाग, राष्ट्रीय फिल्म पुरालेख और फिल्म महोत्सव निदेशालय जैसी मीडिया

इकाइयों के प्रशासन और फिल्मों से संबंधित सभी नीतिगत मामलों की देखभाल की। हाल तक वह भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर तैनात थीं, जहां उन्होंने साहित्य अकादमी, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, संगीत नाटक अकादमी और ललित कला अकादमी जैसी प्रतिष्ठित अकादमियों की देखभाल की। साथ ही राष्ट्रीय संग्रहालय, दिल्ली, विकटोरिया मेमोरियल संग्रहालय और भारतीय संग्रहालय, कोलकाता जैसे प्रसिद्ध संग्रहालय भी शामिल हैं। वह प्रशासन के साथ-साथ कराधान के विभिन्न क्षेत्रों में अपने विविध अनुभव लेकर आती हैं। वह हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड और भारत एन्युमीनियम कंपनी लिमिटेड में निदेशक भी हैं। उनके पास कोल इंडिया लिमिटेड में कोई शेयर नहीं है।

कार्यात्मक निदेशक



श्री विनय रंजन

[डीआईएन: 03636743] श्री विनय रंजन ने 28 जुलाई, 2021 को कोल इंडिया लिमिटेड के निदेशक (कार्यिक और औद्योगिक संबंध) के रूप में कार्यभार संभाला। श्री रंजन मानव संसाधन के संपूर्ण क्षेत्र में व्यापक वर्षों के अनुभव के साथ एक प्रदर्शन-केंद्रित जन-उन्मुख पेशेवर हैं, जिसमें बड़े पैमाने पर लेटरल/कैंपस हायरिंग, टैलेंट मैनेजमेंट, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, एम्प्लॉयर ब्रांडिंग, कंपनसेशन मैनेजमेंट और बैंच-मार्किंग, चेंज मैनेजमेंट,

कल्चरल बिल्डिंग, एंप्लॉयी एंगेजमेंट, एंप्लॉयी रिलेशंस, एचआरआईएस, एंप्लॉयी प्रोडक्टिविटी और लर्निंग एंड डेवलपमेंट शामिल हैं। उन्होंने विदेशी व्यावसायिक संस्थाओं को भी सफलतापूर्वक मानव संसाधन सहायता प्रदान की है। वह दो पूर्ण जीवन चक्र एसएपी एचआर कार्यान्वयन का भी हिस्सा थे। उन्होंने टाटा कम्युनिकेशन (पूर्ववर्ती वीएसएनएल) में पूर्ण जीवन चक्र एसएपी एचआर कार्यान्वयन के लिए टीम का नेतृत्व किया, जहां उन्होंने पूरे एसएपी एचसीएम मॉड्यूल के कार्यान्वयन के लिए वीएसएनएल एचआर और टीसीएस से युक्त 8 सदस्यीय टीम का नेतृत्व किया। वह वीएसएनएल से प्रतिनियुक्ति पर टाटा टेलीसर्विसेज (टीटीएसएल) एसएपी एचआर कार्यान्वयन टीम का भी हिस्सा थे। वह कुशल और अत्यधिक उत्पादक कार्यबल को विकसित करने और नेतृत्व करने की क्षमता के साथ प्रभावशाली नेता है। उनके पास उत्कृष्ट

शेयरधारक प्रबंधन कौशल हैं और वह पिछले छह वर्षों से प्रमोटरों के साथ सीधे काम कर रहे हैं। उन्हें उच्च स्तर की सेवा वितरण और निष्पादन के साथ ईमानदारी और प्रतिबद्धता के लिए पहचाना जाता है। उनके पास मजबूत पारस्परिक, संचार और बातचीत कौशल भी हैं। 29 जुलाई 2016 को फ्रांस के फॉनटेनब्लियू परिसर में आयोजित शानदार स्नातक समारोह में पाठ्यक्रम के सफल समापन के बाद वह इनसीड के पूर्व छात्र बन गए। जब दैनिक भास्कर समूह का विविधीकरण हुआ तब श्री विनय रंजन डीबी पावर लिमिटेड (एक दैनिक भास्कर समूह की कंपनी) के कॉर्पोरेट हेड-एचआर थे उस समय उन्होंने 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश से दो बड़े थर्मल पावर प्लांट बनाने का निर्णय लिया था। उनके पास कोल इंडिया लिमिटेड का कोई शेयर नहीं है।



डॉ. बी. वीरा रेड्डी

[डीआईएन: 08679590] ने 1 फरवरी, 2022 से सीआईएल के निदेशक (तकनीकी) का कार्यभार ग्रहण किया है। इससे पहले वह 01.01.2020 से 31.01.2022 तक ईस्टर्न

कोलफील्ड्स लिमिटेड के निदेशक (तकनीकी) संचालन थे। उन्होंने वर्ष 1986 में कोठागुडेम स्कूल ऑफ माइन्स, उस्मानिया विश्वविद्यालय से खनन में बी.टेक किया और वर्ष 1990 में डीजीएमएस द्वारा प्रथम श्रेणी प्रबंधक योग्यता प्रमाण पत्र प्राप्त किया। उन्होंने वर्ष 2000 में उस्मानिया विश्वविद्यालय के कोठागुडेम स्कूल ऑफ माइन्स से माइन प्लानिंग में मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी भी पूरा किया है। उन्होंने आईआईटी-आईएसएम, धनबाद से डॉक्टरेट की पढ़ाई पूरी की। श्री रेड्डी वर्ष 1987 में एससीसीएल में शामिल हुए और उन्हें कोयला खनन, योजना, खरीद और संचालन में 32 से

अधिक वर्षों का अनुभव है। उन्होंने मैकेनाइज्ड अंडरग्राउंड और ओपनकास्ट खदानों और एससीसीएल के कॉर्पोरेट प्रोजेक्ट प्लानिंग विभाग में विभिन्न पदों पर काम किया। ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के निदेशक (तकनीकी) संचालन के रूप में शामिल होने से पहले उन्होंने सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड के एड्रियाला लॉनावॉल प्रोजेक्ट एरिया के महाप्रबंधक के रूप में काम किया था। उनके पास कोल इंडिया लिमिटेड का कोई शेयर नहीं है।



श्री देबाशीष नंदा

[डीआईएन: 09015566] ने 11 जुलाई, 2022 से कोल इंडिया लिमिटेड के निदेशक - व्यवसाय विकास के रूप में पदभार संभाला है। इससे पहले, वह इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में कार्यकारी निदेशक (गैस) के रूप में काम कर रहे थे। उन्होंने यूसीई बुला, संबलपुर

विश्वविद्यालय से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक किया, उसके बाद आरईसी राउरकेला से प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में स्नातकोत्तर किया और उन्होंने आईआईएफटी, नई दिल्ली से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में परास्नातक भी किया है। श्री नंदा 1988 में विपणन प्रभाग में प्रबंधन प्रशिक्षा के रूप में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में शामिल हुए और सर्वो लुब्रिकेंट्स मार्केटिंग 11 वर्ष बिताए। इसके बाद, वह 1999 में बिजनेस डेवलपमेंट गतिविधियों में काम किया, जिसमें बिदेशों में ल्यूब्र बिजनेस का विस्तार, पीओएल का निर्यात, इंडियन ऑयल की सहायक कंपनियों की स्थापना आदि शामिल थी। 2009 में इंडियन ऑयल

के गैस व्यवसाय में जाने से पहले श्री. नंदा ने इंडियन ऑयल के 'प्राकृतिक गैस' व्यवसाय का नेतृत्व किया, जिसका कारोबार ₹ 20,000 करोड़ से अधिक था। उन्होंने प्राकृतिक गैस व्यवसाय में इंडियन ऑयल की पैठ बढ़ाने के लिए कई मजबूत रणनीतियाँ विकसित कीं। उन्होंने एमओपीएनजी, पीएनजीआरबी और अन्य उद्योग निकायों के साथ संपर्क के लिए विभिन्न विविध पदों को भी संभाला है। उन्होंने यूएस-इंडिया एनर्जी टास्क फोर्स की अध्यक्षता की, बांग्लादेश और श्रीलंका को पाइपलाइन आरएलएनजी निर्यात पर काम का नेतृत्व किया और उन्हें यूरिया संयंत्रों के लिए एचपी-एचटी घरेलू गैस के एग्जिगेटर का दर्जा दिया गया। उनके पास कोल इंडिया लिमिटेड का कोई शेयर नहीं है।



श्री मुकेश चौधरी

[डीआईएन: 07532479] ने 23 दिसंबर, 2022 (ए/एन) से राज्य के स्वामित्व वाली महारत्न कोयला खनन कंपनी, कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) के निदेशक (विपणन) के रूप में पदभार संभाला। सीआईएल विपणन प्रभाग के शीर्ष पद की बागडोर संभालने से पहले, वह रक्षा मंत्रालय के रक्षा उत्पादन

विभाग में उप महानिदेशक थे। श्री चौधरी ने डॉ. बी वीरा रेण्डी, निदेशक (तकनीकी) सीआईएल जो इस वर्ष मई से निदेशक (विपणन) के रूप में अतिरिक्त रूप से कार्य कर रहे थे से पदभार ग्रहण किया। भारतीय आयुध निर्माणी सेवा (आईओएफएस) 1996 बैच के एक अधिकारी, श्री. चौधरी इंजीनियरिंग कॉलेज कोटा से मैकेनिकल इंजीनियरिंग (ऑनर्स) स्नातक हैं। उनके पास मास्टर ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस (एमएफए) की डिग्री और एमबीए की डिग्री भी है। सीआईएल के लिए महत्वपूर्ण रूप से, श्रीमान. चौधरी कोयला मंत्रालय में निदेशक (कोयला उत्पादन और प्रेषण) के रूप में अपने साथे छह साल के अनुभव के कारण देश की कोयला मांग आपूर्ति शृंखला और सीआईएल की विपणन

प्रणाली की बारीकियों से अच्छी तरह वाकिफ हैं, जहां उनके कार्यों में कोयला आपूर्ति की निगरानी था परिवहन रसद और विपणन नीतियां करना शामिल था। उन्होंने छह सरकारी स्वामित्व वाली कोयला कंपनियों - एमसीएल, एसईसीएल, एनसीएल, सीएमपीडीआईएल, एनटीपीएल, एससीसीएल के बोर्ड में भी काम किया। ऐसे समय में जब सीआईएल की कोयले की आपूर्ति रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गई है, खासकर प्रमुख कोयला खपत करने वाले बिजली क्षेत्र के लिए, और देश में बिजली उत्पादन में वृद्धि के कारण कोयले की मांग बढ़ने की उम्मीद है, श्रीमान चौधरी का अनुभव चुनौतीपूर्ण मुद्दों से निपटने में मदद करेगा। उनके पास कोल इंडिया लिमिटेड के 1200 शेयर हैं।

स्वतंत्र निदेशक



प्रो. जी. नारेश राव

[डीआईएन: 08461461] को 1 नवंबर, 2021 से कोल इंडिया लिमिटेड के बोर्ड में एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। वह जुलाई 2016 और जुलाई 2019 के दौरान आंध्र विश्वविद्यालय के कुलपति थे, डॉ. बी.आर.अंबेडकर विश्वविद्यालय, एचेरला के प्रभारी कुलपति थे, जुलाई 2017 से दिसंबर 2017 तक और जनवरी 2019 से जुलाई 2019, सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी ऑफ एपी तक मेंटर रहे। उन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा मानद कर्नल रैंक से सम्मानित किया

गया है। उन्हें 2000 में सर्वश्रेष्ठ शोधकर्ता पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था और 2008 में आंध्र विश्वविद्यालय में डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन सर्वश्रेष्ठ शिक्षाविद पुरस्कार से सम्मानित किया गया और आंध्र प्रदेश सरकार से 2014 में 'राज्य सर्वश्रेष्ठ शिक्षक पुरस्कार' से सम्मानित हुए। वे 1989 से 2019 तक आंध्र विश्वविद्यालय के संकाय सदस्य थे। उन्होंने भारतीय विज्ञान संस्थान, बैंगलुरु (मार्च 1990 - फरवरी 1991) और डरबन विश्वविद्यालय, दक्षिण अफ्रीका में पोस्टडॉक्टरल शोध किया। (अप्रैल 1997 - मार्च 1998)। प्रो. राव ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में 367 शोध पत्र प्रकाशित किए हैं और 121 सम्मेलनों में भाग लिया है। उन्होंने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, महासागर विकास विभाग और महासागर और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, सरकार द्वारा वित्त पोषित अनुसंधान परियोजनाओं को पूरा किया। उन्होंने 59 शोधार्थियों को पीएच.

डी. पुरस्कार के लिए मार्गदर्शन किया। वे प्रमुख अनुसंधान परियोजनाओं, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मूल्यांकन के लिए विशेषज्ञ समिति के सदस्य थे। उन्होंने सहायक प्राचार्य, विज्ञान और प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, मुख्य बार्डन, विज्ञान छात्रावास, अकार्बनिक और विश्लेषणात्मक रसायन विज्ञान विभाग के प्रमुख, निदेशक, रसायन विज्ञान स्कूल, एसोसिएट निदेशक, प्रवेश निदेशालय, प्लेसमेंट अधिकारी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी आंध्र विश्वविद्यालय जैसे विभिन्न पदों पर कार्य किया। उन्होंने कई एनएएसी सहकर्मी टीमों और कुलपति पद के लिए खोज समितियों के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया है। प्रोफेसर राव एक केंद्रीय विश्वविद्यालय, आंध्र प्रदेश के केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद के सदस्य हैं। वे विद्याभारती, आंध्र प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं। उनके पास कोल इंडिया लिमिटेड का कोई शेयर नहीं है।



डॉ अरुण कुमार ओराँव

[डीआईएन: 09388744] को 1 नवंबर, 2021 से कोल इंडिया लिमिटेड के बोर्ड में एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। वे 1992 बैच के आईपीएस, पंजाब कैडर हैं। उन्होंने आईजीपी पद से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली। आईपीएस ट्रेनिंग के दौरान उन्हें सर्वश्रेष्ठ प्रोबेशनर ट्रॉफी से सम्मानित किया गया। उन्होंने पंजाब और झारखंड राज्य में एसपी, डीआइजी और आईजीपी के रूप

में कार्य किया है। उनके पास आतंकवादी और नक्सल (एलडब्ल्यूई) प्रभावित क्षेत्रों में पुलिसिंग का व्यापक अनुभव है, उन्होंने यूके के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पुलिस कार्यकारी कार्यक्रम पाठ्यक्रम भी किया है। इसके अलावा उन्होंने राजेंद्र मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल (रिम्स), रांची से एमबीबीएस किया है। उन्होंने 4 पूर्व प्रधानमंत्रियों की आपातकालीन चिकित्सा टीम में वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के रूप में भी काम किया है। उनके पास जेएसपीएल, रांची में उपाध्यक्ष के रूप में अनुभव है। वह अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के सलाहकार और पूर्व अध्यक्ष भी थे। वह झारखंड के तीन जिलों के कई गांवों में गरीब आदिवासियों के लिए 'रात्रि पाठशाला' भी चला रहे हैं। वे झारखंड में आदिवासी पुलिस अधिकारियों के फोरम के संस्थापक हैं और उन्होंने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा

प्रदान करके, आदिवासी भाषा को बढ़ावा देने और आदिवासी संस्कृति, परंपराओं और मूल्यों के संरक्षण द्वारा आदिवासियों के कल्याण के लिए काम किया। वे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और पश्चिमी यूपी के आदिवासी प्रवासियों के कल्याण के लिए पंजाब में एक पंजीकृत संगठन मसंधाराफ के संस्थापक अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने क्रिकेट में सिविल सर्विसेज दिल्ली और पंजाब टीम, शेष बिहार, रांची विश्वविद्यालय, रांची जिले का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने लॉन टेनिस में ऑल इंडिया पुलिस गेम्स चैंपियन, पंजाब पुलिस टीम का भी प्रतिनिधित्व किया है। वे लॉन टेनिस अकादमी, जेएससीए, रांची के निदेशक और गुमला जिला क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। वह राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य और एसटी मोर्चा भाजपा, असम के सह प्रभारी भी हैं। उनके पास कोल इंडिया लिमिटेड का कोई शेयर नहीं है।



सीए कामेश कांत आचार्य

[डीआईएन: 09386642] को 2 नवंबर, 2021 से कोल इंडिया लिमिटेड के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। श्री कामेश कांत आचार्य द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के फेलो सदस्य हैं। उनके पास वैधानिक ऑडिट, टैक्स ऑडिट, टैक्स प्लानिंग, सलाहकार, प्रोजेक्ट फाइंेंसिंग, कॉर्पोरेट फाइंेंस, फंड पुनर्गठन

और टैक्स और अन्य सरकारी विभागों के समक्ष प्रतिनिधित्व सहित पेशे के विभिन्न क्षेत्रों में 20 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वे दिल्ली विश्वविद्यालय से लॉ में स्नातक भी हैं। उनके पास बैंकिंग, रियल एस्टेट, डिस्टिलरी, विनिर्माण और प्रसंस्करण उद्योग, परिवहन, स्वास्थ्य और शिक्षा सहित कई क्षेत्रों में सेवा देने का व्यापक अनुभव है। उनके पास भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब और सिंध बैंक, न्यू बैंक ऑफ इंडिया सहित कई बैंकों के साथ काम करने का व्यापक अनुभव है और उन्होंने विभिन्न ऑडिट के दौरान विभिन्न सार्वजनिक और निजी लिमिटेड कंपनियों आदि में भी काम किया है। वह आचार्य गोयल एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स से जुड़े हे और वर्तमान में एसकेएम एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स फर्म के साथ एक वरिष्ठ भागीदार

के रूप में जुड़े हुए थे। वे 'द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया' की उत्तरी भारत क्षेत्रीय परिषद में कराधान समितियों और व्यावसायिक विकास समितियों के सदस्य थे। वे 'द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया' और 'द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया' से भी जुड़े हुए हैं। वे आरएसएस और अन्य राष्ट्रवादी, सामाजिक, कल्याणकारी, धर्मर्थ और निवासी संगठनों या संघों से जुड़े एक सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता और प्रेरक वक्ता हैं। वे भाजपा के राष्ट्रीय वाणिज्य प्रकोष्ठ के पूर्व सदस्य, जिला कोषाध्यक्ष और वार्ड अध्यक्ष हैं। वर्तमान में वे सीए सेल, भाजपा दिल्ली में राज्य सह-संयोजक हैं और सरकारी समिति सर्कल- 58, खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग, एनसीटी दिल्ली सरकार के सदस्य भी हैं। उनके पास कोल इंडिया लिमिटेड का कोई शेयर नहीं है।



सीए दिनेश सिंह

[डीआईएन: 08038875] - उन्हें 1 नवंबर, 2021 से कोल इंडिया लिमिटेड के बोर्ड में एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। श्री दिनेश सिंह द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) के एक साथी सदस्य हैं और सीसीएमएन बिजनेस स्कूल के उपाध्यक्ष। उन्होंने यूजीसी, डीईसी और एआईसीटीई द्वारा अनुमोदित ईआईआईएलएम विश्वविद्यालय से प्रथम श्रेणी के साथ एमबीए और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से प्रथम श्रेणी के साथ बी.कॉम (माननीय) की डिग्री भी हासिल की है। वे एससीएंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स

के वरिष्ठ भागीदार हैं। उन्होंने दिसंबर 2017 से मार्च 2020 तक यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के बोर्ड में एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में कार्य किया। यूनाइटेड बैंक के बोर्ड ने उन्हें ऑडिट समिति के अध्यक्ष और हितधारक संबंध समिति, नामांकन समिति, ग्राहक सेवा के सदस्य। समिति, आईटी उप-समिति, और चुनाव समिति के रूप में नियुक्त किया। वह इंटरनेशनल बिजनेस वैल्यूअर्स एसोसिएशन (आईबीवीए) के संस्थापक निदेशक हैं - आईबीबीआई द्वारा मान्यता प्राप्त एक आरबीओ। उनके पास भारत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न उद्योगों में ग्राहकों की सेवा करने का 20 वर्षों से अधिक का विविध अनुभव है। उन्होंने 20 वर्षों से अधिक समय से सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में व्यवसायों के लिए ऑडिटिंग, कराधान, परियोजना वित्तपोषण, प्रबंधन परामर्श और अन्य परामर्श सहायता सेवाओं में विशेषज्ञता हासिल की है। उन्होंने 15 वर्षों से अधिक समय तक कई सरकारी विभागों के लेखाकारों और वित्त अधिकारियों को लेखा और वित्त के विभिन्न



श्री पुनमभाई कलाभाई मकवाना

[डीआईएन: 09385881] को 2 नवंबर, 2021 से कोल इंडिया लिमिटेड के बोर्ड में एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया



गया है। उन्होंने 1978 में विज्ञान में स्नातक किया। वर्तमान में वे एक उद्योगपति और कृषक हैं। वे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति मोर्चा, भाजपा के कार्यकारी सदस्य, गुजरात सेनेवा और रावत विकास संघ के अध्यक्ष और भाजपा गुजरात राज्य के कार्यकारी सदस्य रहे हैं। वे 2012 से 2017 तक दसाडा विधानसभा (गुजरात) के विधायक, सरकार के संसदीय सचिव गुजरात से थे। 2015 से 2017 तक, 2002 से 2004 बी.जे.पी. गुजरात प्रदेश के सचिव, 2010-2012 तक गुजरात अति पिछळा जाति

विकास बोर्ड के अध्यक्ष, जी.आई.डी. इंजी.एसोसिएशन, गांधीनगर, के अध्यक्ष, 2005 से 2007 तक हाई पावर कमेटी के सदस्य, गुजरात सरकार के, बी.जे.पी. अनुसूचित जाति मोर्चाचों गांधीनगर (गुजरात) 1985 तक अध्यक्ष, वे गुजरात राज्य हथकरघा देव निगम में निदेशक थे, 1998 से 2002 तक और 1982 से 1988 तक गुजरात राज्य नासाबंधी बोर्ड में निदेशक रहे हैं। उनके पास कोल इंडिया लिमिटेड का कोई शेयर नहीं है।



श्री बी. राजेश चंद्र

[डीआईएन: 02065422] को 1 नवंबर, 2021 से कोल इंडिया लिमिटेड के बोर्ड में एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। श्री राजेश चंद्र श्री जयचामाराजेंद्र कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, मैसूर से इंजीनियरिंग स्नातक हैं। श्री राजेश चंद्र ने 2015 से 2017 की अवधि के दौरान कोयंबटूर टी ट्रेडर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया है। उन्होंने 1998 से 2020 तक हितकल

एस्टेट टी फैक्ट्री में प्रबंध भागीदार के रूप में भी कार्य किया है। उन्होंने ईशा फाउंडेशन में ट्रस्टी/सचिव का पद भी संभाला है। अवधि 2008 से 2020। वे पेशेवर रूप से चाय और कॉफी रोपण व्यवसाय से भी जुड़े हुए हैं। वह भारतीय चाय बोर्ड के सदस्य भी हैं। वे लॉरेंस स्कूल, लवडेल (शिक्षा मंत्रालय के तहत) के बोर्ड ऑफ गवर्नर के सदस्य भी हैं। उनके पास कोल इंडिया लिमिटेड का कोई शेयर नहीं है।



कैप्टन घनश्याम सिंह राठौड़

[डीआईएन: 09615384] 1 मार्च, 2023 से कोल इंडिया लिमिटेड के बोर्ड में एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। उनका जन्म 19 जुलाई, 1966 को हुआ था और उन्होंने हिंदू कॉलेज, दिल्ली से कला में स्नातक की डिग्री पूरी की। उन्होंने हाई एल्टीच्यूड माउंटेन वारफेयर, रेडियो इंस्ट्रक्टर और पार्ट 'बी' में प्रोफेशनल आर्मी कोर्स भी पूरा किया है और सेना में अपने कार्यकाल के दौरान जनशक्ति प्रबंधन और प्रशासन में भी

प्रशिक्षण लिया था। उन्होंने अपने करियर के दौरान 42 बख्तरबंद रेजिमेंट में स्काइन लीडर के रूप में कार्य किया और तकनीकी संचालन में स्वतंत्र टीमों को नेतृत्व प्रदान किया। उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों को सैन्य मामलों, प्रशासन और अधीनस्थ कर्मचारियों के प्रबंधन पर भी अपनी सलाह दी थी। उनकी विशेषज्ञता और विशेषज्ञता के क्षेत्रों में प्रबंधन, प्रशासन और तकनीकी संचालन शामिल हैं। उनके पास कोल इंडिया लिमिटेड का कोई शेयर नहीं है।

श्री ब्रजेश कुमार त्रिपाठी, मुख्य सतर्कता

अधिकारी, सीआईएल, श्री त्रिपाठी आईआरएसई, 1996 परीक्षा बैच ने 16 नवंबर, 2022 को कोल इंडिया लिमिटेड, कोलकाता के मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) का पदभार ग्रहण किया है। उन्होंने एमएनआरआईसी, इलाहाबाद से बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग (सिविल) और आईआईटी से मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी किया, दिल्ली। सीआईएल में शामिल होने से पहले उन्होंने पूर्वी रेलवे के आसनसोल डिवीजन के अतिरिक्त मंडल रेलवे प्रबंधक (एडीआरएम) के प्रशासनिक पद पर कार्य किया। इससे पहले, उन्होंने पूर्वी रेलवे में मुख्य

सतर्कता अधिकारी (इंजीनियरिंग) के रूप में काम करते हुए कई सतर्कता सुधारों और सिस्टम सुधारों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

श्री त्रिपाठी के पास विभिन्न रेलवे परियोजनाओं की योजना, डिजाइन और कार्यान्वयन के साथ-साथ प्रमुख बुनियादी ढांचे के रखरखाव और संचालन में लगभग 25 वर्षों का व्यापक अनुभव है। उनके पास स्थापना, बजट, निविदाएं और अनुबंध प्रबंधन आदि से संबंधित मामलों में विशेषज्ञता है। उनके पास कोल इंडिया लिमिटेड का कोई शेयर नहीं है।



अध्यक्ष की अभिव्यक्ति

प्रिय हितधारक,

अब जब हम चुनौतियों एवं अवसरों से भरपूर एक दूसरे वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं तो मुझे हमारी प्रगति, उपलब्धियों और भविष्य के लिए अपनाइ गई दृष्टिकोण को आप लोगों के समक्ष साझा करने में अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। वर्षों से, हमने कोयले की स्थिर आपूर्ति सुनिश्चित करके देश की अर्थव्यवस्था के विकास को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाइ है, जो हमारे ऊर्जा क्षेत्र की रीढ़ है। उत्कृष्टता, स्थिरता और नवाचार के लिए हमारी प्रतिबद्धता हमारी यात्रा को आकार देने और उद्योग में सकारात्मक बदलाव लाने में महत्वपूर्ण रही है। मैं हमारी प्रमुख उपलब्धियों, सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए हमारे द्वारा उठाए गए कदमों और हमारे हितधारकों, पर्यावरण और समुदायों की भलाई के लिए हमारे समर्पण पर प्रकाश डालना चाहूंगा।

1. भारत के ऊर्जा कैनवास में कोयला और कोल इंडिया लिमिटेड

- तीव्र औद्योगिकीकरण और शहरीकरण के कारण साल 2000 के बाद से भारत की ऊर्जा खपत दोगुनी से अधिक हो गई है। ऊर्जा आवश्यकता का विस्तार जारी है। यह उत्तरोत्तर स्पष्ट होता जा रहा है कि ऊर्जा का कोई भी एक स्रोत पूरी मांग को पूरा नहीं कर सकता है और इसका सभी स्रोतों के साथ तालमेल भी होना चाहिए। तथापि, अक्षय ऊर्जा स्रोतों के लगातार वृद्धि के बावजूद 'कोयला' देश की ऊर्जा का नेतृत्व कर रहा है, जो प्राथमिक वाणिज्यिक ऊर्जा के आधे से भी अधिक को पूरा करता है। कोयले पर निर्भरता जल्द कम होने की संभावना नहीं है और इसका प्रभुत्व कम से कम दो दशकों तक जारी रहेगा।
- पर्यावरण की दृष्टि से देश की ऊर्जा टोकरी में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में वृद्धि निश्चित रूप से सुप्रबंधित है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या ये इस समय कोयले की जगह ले पाएंगे। सौर और पवन बड़े दांव हैं और दौड़ का नेतृत्व कर रहे हैं। हरा और नीला हाइड्रोजन पर देश के योजनाकारों का ध्यान केंद्रित किया जा रहा है, लेकिन मूल्य निर्धारण उनकी आर्थिक व्यवहार्यता के लिए एक चुनौती होगी।

- नवीकरणीय ऊर्जा सहित वर्ष 2022-23 के दौरान देश का कुल विद्युत उत्पादन 1624.16 बिलियन यूनिट (वीयू) था, जबकि 2021-22 में 1491.86 बिलियन यूनिट का उत्पादन हुआ था। इस वर्ष के दौरान 8.87% की उत्पादन वृद्धि 13 वर्षों के सबसे उच्च स्तर पर था, जो देश की बढ़ती ऊर्जा भूख का प्रमाण है।
- इस कुल उत्पादन में कोयला आधारित उत्पादन का हिस्सा पिछले वर्ष की तुलना में 10% वृद्धि के साथ 70.6% या 1145.86 बिलियन यूनिट रहा।
- हालांकि वित्त वर्ष 2022 की तुलना में वित्त वर्ष 2022-23 में नवीकरणीय स्रोतों में 19% की मजबूत वृद्धि हुई है, लेकिन कुल उत्पादन में उनका योगदान 203.36 बिलियन यूनिट पर मात्र 12.5% था। दूसरे शब्दों में, नवीकरणीय ऊर्जा कोयले से 5.6 गुना पीछे है। यह कोयले की भूमिका के महत्व और कोयले से नवीकरणीय ऊर्जा में संतुलित ऊर्जा संक्रमण की आवश्यकता को प्रवर्धित करता है।
- इसके अतिरिक्त, कोयला कई गैर-बिजली उद्योगों जैसे स्टील, सीमेंट, उर्वरक, संपंज आयरन, एल्यूमीनियम और कई अन्य उद्योगों को भी प्रभावित करता है।
- भारतीय ऊर्जा क्षेत्र में कोयले की इतनी प्रधानता, कोल इंडिया लिमिटेड देश के कोयला उत्पादन का नेतृत्व करता है जो देश के पूरे कोयला उत्पादन का लगभग 79% योगदान देता है। आपकी कंपनी अपने उत्पादन और आपूर्ति को अनिवार्य स्तर तक बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि देश को उचित मूल्य बिंदुओं पर बिजली मिले।
- पिछले पांच वर्षों के दौरान, कोल इंडिया का उत्पादन वित्त वर्ष 2018 में 567.37 मीट्रिक टन से 24% वृद्धि के साथ वित्त वर्ष 2022-23 में 703.20 मीट्रिक टन हो गया।
- एक ऐसे देश में जहां कुल बिजली उत्पादन का 70.6% उत्पादन कोयला आधारित है, आपकी कंपनी वास्तव में देश के बिजली क्षेत्र को सशक्त बनाती है। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान बिजली क्षेत्र को कोल इंडिया लिमिटेड की आपूर्ति उसके कुल प्रेषण का 84% थी।
- वर्ष 2022-23 के दौरान आयातित कोयले सहित कोयला आधारित बिजली उत्पादन 1145.86 बिलियन यूनिट था। घेरलू कोयला स्रोतों के माध्यम से उत्पादन 1105.25 बिलियन यूनिट या 96.5% था, जिसमें आपकी कंपनी द्वारा आपूर्ति किए गए कोयले का बड़ा हिस्सा था।
- कोल इंडिया लिमिटेड केंद्र और राज्य दोनों सरकारी खजाने में सबसे बड़े योगदानकर्ताओं में से एक है और अपनी कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के तहत देश के सामाजिक ताने-बाने में एक से अधिक तरीकों से देशवासियों के जीवन को छूने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- कोल इंडिया भारतीय उपभोक्ताओं को कोयले की आपूर्ति अंतर्राष्ट्रीय कोयले की कीमतों की तुलना में अत्यधिक प्रतिस्पर्धी लागत पर करती है।
- विभिन्न निविष्ट लागतों, विशेष रूप से डीजल और विस्फोटकों में वृद्धि के बावजूद, आपकी कंपनी ने अभी भी वित्त वर्ष 2021-22 की तुलना में पीबीटी में 61% और पीएटी में 62% की वृद्धि दर्ज करते हुए सर्वकालिक रिकॉर्ड लाभप्रदता बनाए रखी है।

2. रिकॉर्ड ऊंचाई का वर्ष

- पिछले रिकॉर्ड को तोड़ते हुए, आपकी कंपनी के महत्वपूर्ण प्रदर्शन पैरामीटर जैसे उत्पादन, अधिभार निष्कासन (ओबीआर), कोयले का उठाव, देश के बिजली संयंत्रों को आपूर्ति, शुद्ध बिक्री, पीबीटी और पीएटी उल्लेखनीय सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है।
- एकीकृत संगठित प्रयास में, कोल इंडिया लिमिटेड की सभी सहायक कंपनियों ने उत्पादन और ओबीआर में वृद्धि हासिल करके अब तक का अपनी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है।
- कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनियों के सीएमडी से लेकर जीएम और एरिया मैनेजरों तक पदानुक्रम के सभी स्तरों पर अधिकारियों ने अपनी संबंधित कंपनी के प्रदर्शन को बढ़ाने और उत्साह बनाए रखने में नेतृत्व की भूमिका निभाई है।

3. उत्पादन

- पहली बार 700 मीट्रिक टन उत्पादन के निशान को पार करते हुए, आपकी कंपनी ने वित्त वर्ष 2022-23 के समाप्त होने से एक दिन पहले 30 मार्च को इस चुनौतीपूर्ण लक्ष्य को हासिल किया है।
- कोल इंडिया ने वित्त वर्ष 2022-23 में 100.5 फीसदी लक्षित संतुष्टि के साथ 703.2 करोड़ टन कोयले का उत्पादन किया। वित्त वर्ष 2022 में 622.60 करोड़ टन की तुलना में यह वृद्धि 13 प्रतिशत अधिक रही।
- एक ही वर्ष में 80.6 मीट्रिक टन उत्पादन की मात्रा में वृद्धि कंपनी की स्थापना के बाद से कभी भी उच्च नहीं देखी गई थी। यह 2015-16 में दर्ज 44.5 करोड़ टन की वृद्धि के पिछले उच्च स्तर से लगभग दो गुना अधिक है।
- इसके अलावा, वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान 80.6 मीट्रिक टन आकस्मिक वृद्धि पिछले सात वित्तीय वर्षों की संयुक्त वृद्धि के लगभग बराबर थी, जो 84 मीट्रिक टन थी।
- कोल इंडिया लिमिटेड की पांच कोयला उत्पादक सहायक कंपनियों और बीसीसीएल (113%), एमसीएल (110%), एनसीएल (108%), डब्ल्यूसीएल (104%), और सीसीएल (100%) 2022-23 के अपने संबंधित उत्पादन लक्ष्यों से आगे निकल गई हैं।
- कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनियों के बीच उत्पादन वृद्धि आगे बढ़ाते हुए, एमसीएल ने 193.3 मीट्रिक टन का उच्चतम उत्पादन किया जो कोल इंडिया लिमिटेड के कुल उत्पादन का 27.5% था। वित्त वर्ष 2022 की तुलना में उत्पादन में 25.1 करोड़ टन की वृद्धि हुई।
- एसईसीएल ने वित्त वर्ष 2023 के अंत तक 167 मीट्रिक टन का उत्पादन किया, जो पिछले साल के 142.5 मीट्रिक टन की तुलना में 24.5 मीट्रिक टन अधिक है।

3.1 अधिभार हटाना

- अपने दृढ़ प्रदर्शन में कोल इंडिया लिमिटेड ने वित्त वर्ष 2022-23 की समाप्ति से चार दिन पहले 27 मार्च को 1634 मिलियन घन मीटर (एम.सी.यू.एम) के ओबीआर लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। ओबीआर लक्ष्य 2015-16 के बाद 7 वर्षों में पहली बार हासिल किया गया था।

- आपकी कंपनी का ओबीआर वित्तीय वर्ष के दौरान लक्ष्य का 101.5% प्राप्त करते हुए 1658.627 मिलियन घन मीटर के नए रिकॉर्ड तक पहुंच गया। ओबीआर का पिछला उच्च स्तर वित्त वर्ष 2022 में 1362.06 एम.सी.यू.एम. था। पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि 21.77% थी। एक वर्ष में 297 मिलियन घन मीटर की वृद्धि अब तक की सबसे अधिक वृद्धि थी।

3.2 कोयले का कुल व्यापार

- कोल इंडिया का कुल कोयला व्यापार वित्त वर्ष 2023 में 32.8 मीट्रिक टन वृद्धि के साथ 694.7 मीट्रिक टन हो गया, जो अब तक का सर्वाधिक है। 5% की वृद्धि पिछले साल के उच्च आधार से अधिक थी, उस समय कोल इंडिया लिमिटेड की आपूर्ति 661.9 मीट्रिक टन थी।
- आपकी कंपनी की सात कोयला उत्पादक सहायक कंपनियों में से पांच ने पिछले वित्त वर्ष के व्यापार को काफी अंतर से पार कर लिया। मात्रा के लिहाज से अधिकतम वृद्धि दर्ज करने के क्रम में एमसीएल (16.4 मीट्रिक टन), एनसीएल (7.9 मीट्रिक टन), एसईसीएल (4.5 मीट्रिक टन), बीसीसीएल (3.3 मीट्रिक टन) और सीसीएल (3.2 मीट्रिक टन) हैं।

3.3 बिजली क्षेत्र को आपूर्ति

- वित्त वर्ष 2022-23 के अंत में बिजली क्षेत्र में आपकी कंपनी की आपूर्ति बढ़कर 586 मीट्रिक टन के अभूतपूर्व उच्च स्तर पर पहुंच गई।
- वित्त वर्ष 2023 की शुरुआत में बिजली क्षेत्र द्वारा 565 मीट्रिक टन के मांग लक्ष्य को देखते हुए कोल इंडिया ने वित्त वर्ष के अंत तक 21 मीट्रिक टन अतिरिक्त मांग के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया। यह 103.7% लक्ष्य उपलब्धि थी।
- बिजली क्षेत्र की बढ़ती मांग को संतुष्ट करते हुए, कंपनी ने पिछले वित्त वर्ष की तुलना में वित्त वर्ष 2023 में 45.6 मीट्रिक टन अधिक कोयले की आपूर्ति की। इस प्रक्रिया में, कोल इंडिया लिमिटेड ने वित्त वर्ष 2021-22 के 540.4 मीट्रिक टन के उच्च आधार पर बिजली संयंत्रों को आपूर्ति में 8.3% की वृद्धि दर्ज की।

4. अन्य विपणन उपलब्धियां

- गुणवत्ता कोयले की आपूर्ति – प्राप्त तृतीय पक्ष नमूना विश्लेषण परिणामों के अनुसार, बेहतर गुणवत्ता वाले कोयले की आपूर्ति के प्रयासों ने सकारात्मक उछल दर्शाया है जैसा कि वित्त वर्ष 2021-22 में 66% से वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान ग्रेड अनुरूपता में सुधार हुआ और यह 70% हो गया। अब, कोल इंडिया लिमिटेड के सभी उपभोक्ताओं के पास स्वतंत्र तृतीय-पक्ष नमूना एजेंसियों के माध्यम से आपूर्ति के गुणवत्ता मूल्यांकन का विकल्प है। गुणवत्ता खरखाल की दिशा में किए गए सचेत और सतत उपायों के परिणामस्वरूप, वर्ष के दौरान कोयले के घोषित और विश्लेषित जीसीवी के भारित औसत के बीच का अंतर एक जीसीवी बैंड के भीतर केवल 3 किलो कैलोरी/किग्रा था।
- वित्त वर्ष 2021-22 की 271.2 रेक प्रति दिन की तुलना में प्रति दिन औसत लोडिंग 273.6 रेक के अपने उच्चतम स्तर पर थी। बिजली क्षेत्र के उपभोक्ताओं को औसत लदान भी 243.1 रेक/दिन की तुलना में 259.4 रेक/दिन के उच्च स्तर पर था, जिसमें वर्ष-दर-वर्ष 7% की वृद्धि हुई।
- 1 मार्च, 2023 से कोयला कंपनियों ने स्पॉट नीलामी की जगह ‘सिंगल विंडो मोड अज्ञेयवादी ई-नीलामी’ संचालित करना शुरू कर दिया है। ई-नीलामी से उच्च प्रीमियम प्राप्त होता है ई-नीलामी बिक्री में प्रीमियम में वृद्धि के साथ-साथ उच्च मात्रा की बिक्री ने वर्ष के दौरान कंपनी की मजबूत लाभप्रदता को बढ़ाया है। हालांकि वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान 62.32 (कच्चे कोयले) मीट्रिक टन पर ई-नीलामी की मात्रा की बिक्री वित्त वर्ष 2021-22 के 110.80 मीट्रिक टन की तुलना में 43.8% कम थी, लेकिन उच्च प्रीमियम ने आपकी कंपनी को 9,347 करोड़ रुपये की बिक्री बढ़ाने में मदद की। ई-नीलामी के तहत प्रति टन कोयले की प्राप्ति वित्त वर्ष 2021-22 की 1,879.42 छमाही के मुकाबले 4,841.14 की पहली छमाही में लगभग 158 प्रतिशत अधिक रही।

- उपभोक्ता शिकायत निवारण उपभोक्ताओं की वाणिज्यिक शिकायतों के त्वरित निवारण और बेहतर व्यावसायिक संबंधों को मजबूत करने के लिए, कोल इंडिया ने अपने मुख्यालय के साथ-साथ सहायत कंपनियों में 'उपभोक्ता शिकायत निवारण समितियों' की स्थापना की है।

5. विकास की रणनीतियाँ

खदान डेवलपर और ऑपरेटर

- 170 मीट्रिक टन की संयुक्त लक्षित क्षमता वाली 15 एमटीओ परियोजनाओं (11 ओसी और 4 यूजी) के खान विकासकर्ताओं और परिचालकों को वर्ष के दौरान 127 एमटी/वार्ड क्षमता की नौ परियोजनाओं के लिए कार्य आदेश जारी किए गए थे। नौ परियोजनाओं में से तीन ने पहले ही खनन कार्य शुरू कर दिया है और शेष छह में से दो परियोजनाओं के लिए निविदाओं का मूल्यांकन किया जा रहा है, जबकि चार परियोजनाओं के लिए निविदा प्रक्रिया चल रही है।

परियोजनाओं की मंजूरी दी गई

- वित्त वर्ष 2022-23 में 140.3 एमटी/वार्ड की कुल क्षमता वाली 24 कोयला खनन परियोजनाओं को मंजूरी दी गई थी। इन परियोजनाओं के लिए कुल स्वीकृत यूजी 22130.22 करोड़ रुपए है।

यूजी खनन पर ध्यान केंद्रित

- यूजी खानों के माध्यम से उत्पादन के पुनरुद्धार के लिए, कोल इंडिया लिमिटेड ने उनके परिचालन के लिए 30 बंद खानों की पहचान की है। इन खदानों में लगभग 600 मीट्रिक टन का अनुमानित खनन योग्य भंडार है। उन्हें दो चरणों के तहत आगे बढ़ाया जा रहा है। पहली खेप में 20 खदानों के पुनरुद्धार के लिए निविदाएं जारी की गई हैं। प्राप्त 10 बोलियों में से सभी के लिए स्वीकृति पत्र जारी किए गए थे। दूसरी किस्त के तहत नौ खदानों के लिए निविदाएं जारी की गई हैं।
 - ईसीएल, डब्ल्यूसीएल और एसईसीएल में भूमिगत मशीनीकरण को बढ़ावा देने के लिए वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान पांच अनवरत खनिकों को चालू किया गया है। हरित मंजूरी कोल इंडिया लिमिटेड ने 87.32 एमटी/वार्ड की वृद्धिशील क्षमता वाले 40 प्रस्तावों के लिए पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त की है। आपकी कंपनी ने 1920.15 हेक्टेयर के सात प्रस्तावों
- के लिए चरण-I वानिकी मंजूरी और 885.86 हेक्टेयर के सात प्रस्तावों के लिए अंतिम अनुमोदन (चरण-II एफसी) भी प्राप्त कर लिया है।

6. बेहतरीन वित्तीय प्रदर्शन

- आपकी कंपनी ने वित्त वर्ष 2021-22 की तुलना में वित्त वर्ष 2022-23 में कर पूर्व लाभ (पीबीटी) में 60.91% और कर पश्चात लाभ (पीएटी) में 61.84% की भारी वृद्धि दर्ज की है। वित्त वर्ष 2022-23 में कोल इंडिया लिमिटेड का एकीकृत कर पूर्व लाभ 38,000.81 करोड़ रुपये और पीएटी 28,124.94 करोड़ रुपये है। कोल इंडिया के गैर-कार्यकारी कर्मचारियों के वेतन संशोधन के लिए 2022-23 में खातों में 8,153 करोड़ रुपये का प्रावधान किए जाने के बावजूद ऐसा किया गया।
- आपकी कंपनी की शुद्ध बिक्री, जो अब तक की सबसे अधिक है, वर्ष के दौरान 1,27,627.47 करोड़ रुपये थी, जो वित्त वर्ष 2022 में 1,00,562.57 करोड़ रुपये की तुलना में 27% की मजबूत वृद्धि थी।
- वित्त वर्ष के दौरान सकल बिक्री भी बढ़कर 1,87,455.57 करोड़ रुपये के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है, जो वित्त वर्ष 2022 में दर्ज 1,52,603.30 करोड़ रुपये के पिछले सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन से लगभग 23 प्रतिशत अधिक है।
- ब्याज, कर, मूल्यहास, परिशोधन, हानि (ईबीआईटीडीए) से पहले आय - वित्त वर्ष 2021-22 में 26,973.89 करोड़ रुपये से वित्त वर्ष 2023 के दौरान कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन का माप 49% बढ़कर 40,291.30 करोड़ हो गया है।
- आपकी कंपनी और इसकी सहायक कंपनियों ने रॉयल्टी, जीएसटी, बिक्री कर/वैट, जीएसटी मुआवजा उपकर, उपकर, जिला खनिज फाउंडेशन (डीएमएफ), राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट (एनएमईटी) और अन्य शुल्कों के लिए 56524.11 करोड़ रुपये का भुगतान/समायोजन किया। यह वित्त वर्ष 2021-22 की तुलना में 13.78% की वृद्धि है।
- कोल इंडिया ने वित्त वर्ष 2023 के दौरान ₹20.25 प्रति शेयर की दर से कुल 12,479.57 करोड़ रुपये का अंतरिम लाभांश दिया है।

- इसके अलावा, कोल इंडिया के बोर्ड ने 7 मई, 2023 को आयोजित अपनी बैठक में वित्त वर्ष 2022-23 के लिए ₹4.00 प्रति शेयर के अंतिम लाभांश की सिफारिश की है।

7. रिकॉर्ड कैपेक्स

- कोल इंडिया लिमिटेड के पूंजीगत व्यय में पिछले वर्ष की तुलना में 20.90% की अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज की गई है। इससे आपकी कंपनी को वित्त वर्ष 2021-22 की 15,400.96 करोड़ की तुलना में वित्त वर्ष 2022-23 में 18,619.27 करोड़ रुपये खर्च करने में मदद मिली।
- 16,500 करोड़ के लक्षित पूंजीगत व्यय को 112.84% उपलब्धि दर के साथ पूरा किया गया है। यह उपलब्धि ऐसे समय में आई है जब भारत सरकार ने देश के सीपीएसई को अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए अपने व्यय को बढ़ाने की सलाह दी थी।
- आंतरिक संसाधनों के माध्यम से पूरी तरह से वित्त पोषित पूंजीगत व्यय, आपकी कंपनी के अनेक विकास से प्रेरित था जैसे कि त्वरित एचईएमएम खरीद प्रक्रिया, भूमि अधिग्रहण, कोयला निकासी पहल, रेल बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, समय पर अनुबंध को अंतिम रूप देना और निष्पादन, संयुक्त उद्यम आदि।
- वर्ष का रिकॉर्ड कैपेक्स पूंजीगत व्यय उत्पादन और कोयला परिवहन के मामले में आने वाले वर्षों में कंपनी के लिए सकारात्मक परिणाम देगा।
- वित्त वर्ष 2022-23 में कुछ प्रमुख घटनाक्रम निम्न प्रकार हैं-
- रेल के माध्यम से कोयले के निर्बाध परिवहन को सुनिश्चित करने के लिए, विशेष रूप से उच्च विकास क्षमता वाली खानों से, आपकी कंपनी ने नई रेल लाइनों के निर्माण में निवेश किया है। वित्त वर्ष 2022-23 में कुछ प्रमुख घटनाक्रम निम्न प्रकार हैं-
- मई 2022 में परियोजना के वित्तीय समाप्त हासिल करते हुए 49.09 किलोमीटर की शिवपुर-कठौतीया नई रेलवे लाइन का निर्माण शुरू करना।

- रेलवे बोर्ड द्वारा 'निश्चेप आधार' पर कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा वित्त पोषित दो रेलवे लाइनों के लिए 'बढ़े हुए माइलेज' को मंजूरी दे दी गई है। वर्ष के दौरान झारसुगुडा-बरपाली सरडेगा 52.41 किलोमीटर और टोरी-शिवपुर 44.37 किलोमीटर लंबी दोनों रेल लाइनों में क्षमता वृद्धि कार्य शुरू हो गए हैं।
- महानदी तट रेलवे लिमिटेड द्वारा शुरू की गई 14.22 किलोमीटर की अंगुल-बलराम रेल लिंक परियोजना को 14 नवंबर, 2022 को चालू कर दिया गया है, जिससे एमसीएल के तालचर कोयला क्षेत्रों से रेल निकासी क्षमता में लगभग 15 एमटीपीए की वृद्धि हुई है।
- फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी के अंतर्गत कोयले के पर्यावरण के अनुकूल मशीनीकृत ढुलाई, कुल 92 मीट्रिक टन की 7 परियोजनाओं का निर्माण अब तक शुरू किया गया है।

9. जीईएम के माध्यम से खरीद

- जीईएम पोर्टल के माध्यम से माल और सेवाओं की खरीद बढ़ाने के सरकारी जनादेश के अनुसार, कोल इंडिया लिमिटेड ने 3107.33 करोड़ रुपये पर माल की खरीद के लक्षित मूल्य को पार कर लिया है। 2022-23 के लिए लक्ष्य 3035 करोड़ रुपये था।

10. पर्यावरण को समृद्ध करने का प्रयास

- दो साल की अवधि में आपके खनन क्षेत्रों में आपकी कंपनी का वृक्षारोपण वित्त वर्ष 2022 के 1,468 हेक्टेयर से लगभग दोगुना बढ़कर वित्त वर्ष 2022-23 में 1613.39 हेक्टेयर (हेक्टेयर) हो गया। वित्त वर्ष के दौरान कोल इंडिया लिमिटेड ने 31.01 लाख से अधिक पौधे लगाए हैं।
- कोल इंडिया लिमिटेड ने 107% संतुष्टि प्राप्त करते हुए 1,510 हेक्टेयर के वर्ष के लक्ष्य को पार कर लिया है। बढ़े हुए वृक्षारोपण ने प्रति वर्ष लगभग 81,000 टन कार्बन सिंक क्षमता बनाने में मदद की।
- इको-पार्क का निर्माण - कोल इंडिया लिमिटेड स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा देने

और खनन क्षेत्रों में संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए पुनर्ग्रहण के हिस्से के रूप में अपनी परित्यक्त खानों को इको-पार्क में परिवर्तित कर रहा है। ये पर्यावरणीय पर्यटन स्थलों के रूप में लोकप्रिय हो गए हैं। कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनियों ने वर्ष के दौरान 5.67 करोड़ रुपये के बजट के साथ 41 हेक्टेयर क्षेत्र में 3 इको-पार्क विकसित किए हैं। ऐसे कुल 30 इको-पार्क पहले से ही नियमित रूप से पर्यटकों को आकर्षित कर रहे हैं। खनन क्षेत्रों में और अधिक इको-पार्क, पर्यावरणीय पर्यटन स्थलों और पर्यावरण-नवीनीकरण स्थलों के निर्माण के लिए योजनाएं बनाई जा रही हैं।

11. ऊर्जा दक्षता के उपाय

- कोल इंडिया ने वित्त वर्ष 2021-22 की शुरुआत में ऊर्जा दक्षता उपायों का मिश्रण अपनाया है। वित्त वर्ष 2022-23 के अंत तक इन उपायों के परिणामस्वरूप इस वर्ष 69,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी आई है, जो 55,766 टन के अनुमानित लक्ष्य का 124% था।
- ऊर्जा दक्षता एलईडी बत्ती, वातानुकूलन, उत्कृष्ट पंखे, जल तापक, मोटर और ऑटो टाइमर स्ट्रीट लाइट के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप ऊर्जा पर कुल बचत 84.20 मिलियन किलोवाट (यूनिट) थी।

12. रेत पथकरण संयंत्रों के माध्यम द्वारा अपांशुष्ट पदार्थों से धन सूजन

- एक नवीन सबसे अलग पहल के रूप में आपकी कंपनी अधिभार सामग्री से रेत बना रही है। वर्ष के दौरान डब्ल्यूसीएल (2,08,229 सीयू.एम), ईसीएल (18,000 सीयू.एम) और एनसीएल (38,200 क्यू.एम) में ऐसी तीन रेत पृथकरण परियोजनाओं ने ओबीआर से कुल 2,64,429 क्यूबिक मीटर रेत का संचयी उत्पादन किया है। यह पहल पर्यावरण अनुकूल विधि से निर्माण के लिए सस्ती रेत उपलब्ध कराती है।
- निर्माण उद्योग में आवश्यक वस्तुओं में से एक - रेत की भारी मांग है। वर्तमान में इस मांग को नदियों के जल स्रोतों से रेत खनन और निर्कर्षण के माध्यम से पूरा

किया जाता है, जो नदी के पारिस्थितिकी तंत्र को गंभीर रूप से प्रभावित करता है। कोल इंडिया के इस कदम से पारिस्थितिकी तंत्र को कुछ हद तक संरक्षित करने में मदद मिलेगी।

13. खान के जल का प्रभावी उपयोग

- कोल इंडिया की खदानों से छोड़े गए खदान के पानी से वर्ष के दौरान इसके खनन क्षेत्रों के निकटतम 837 गांवों के 11.10 लाख लोग लाभान्वित हुए। पानी का उपयोग घरेलू और सिंचाई उद्देश्यों के लिए किया गया। वित्त वर्ष 2021-22 की तुलना में लगभग 110 से अधिक गांवों और 42,000 से अधिक आबादी को लाभ हुआ। कुल 2,832 किलो लीटर पानी का उपयोग औद्योगिक और घरेलू सहित अपने उपयोग के लिए किया गया था, जबकि 2,692 किलो लीटर के उपयोग से समुदाय को घरेलू और सिंचाई उद्देश्यों के लिए लाभ हुआ था।

14. सीएसआर : समाज के लिए चिंता

- कोल इंडिया देश के सीपीएसई में सीएसआर पर सबसे ज्यादा खर्च करने वाली कंपनी है। आपकी कंपनी ने वित्तीय वर्ष के दौरान सीएसआर गतिविधियों पर कुल मिलाकर 586.50 करोड़ खर्च किए।
- वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान शुरू की गई कुछ प्रमुख सीएसआर परियोजनाओं में राँची विश्वविद्यालय में 5,000 सीटों वाले पुस्तकालय का निर्माण, बद्रीनाथ में वर्षा आश्रय सह सामान्य सुविधा केंद्र का पुनर्निर्माण और रामगढ़ (झारखंड) में 50,000 छात्रों को मध्याह्न भोजन प्रदान करने के लिए केंद्रीकृत रसोई की स्थापना शामिल है।
- अगस्त 2022 में घोषित एमसीएल और सीसीएल को प्रतिष्ठित राष्ट्रीय सीएसआर पुरस्कार 2020 में क्रमशः 'कृषि और ग्रामीण विकास' और 'खेल को बढ़ावा' देने में विजेता घोषित किया गया।
- वित्त वर्ष 2022-23 के अंत तक चार साल की अवधि के दौरान 2,172.63 करोड़ रुपये का सीएसआर खर्च, 1,731.6 करोड़ की तुलना में 25.7%

अधिक था, जिसे कंपनी वैधानिक रूप से खर्च करने के लिए बाध्य थी।

15. एनसीडब्ल्यूए-XI के अतर्गत वेतन समझौते में सफलता

- आपकी कंपनी देश में सबसे बड़ा कॉर्पोरेट नियोक्ता है और इसके बहुत आधार में कृशल गैर-कार्यकारी शामिल हैं। कोल इंडिया लिमिटेड उनके वेतन संशोधन को समय पर पूरा करने को उच्च प्राथमिकता देता है।
- कोल इंडिया और चार केंद्रीय ट्रेड यूनियन बीएमएस, एचएमएस, एटक और सीटू ने 3 जनवरी, 2023 को राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता-XI (एनसीडब्ल्यूए-XI) के रूप में अपने 2.38 लाख गैर-कार्यकारी कर्मचारियों को 19% न्यूनतम गारंटीकृत लाभ (एमजीबी) की सिफारिश करते हुए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं।
- 19% का एमजीबी 30 जून, 2021 तक परिलब्धियों से अधिक है, जिसमें मूल वेतन, परिवर्तनीय महंगाई भत्ता, विशेष महंगाई भत्ता और उपस्थिति बोनस शामिल हैं।
- इसके अलावा, एनसीडब्ल्यूए-XI वेतन समझौते समापन के समय आपकी कंपनी द्वारा भत्तों में 25% वृद्धि पर सहमति दी गई है।
- एनसीडब्ल्यूए के पिछले तीन संस्करणों के दौरान, कोल इंडिया देश का पहला सीपीएसई था जिसने कार्यबल के वेतन समझौते को सफलतापूर्वक पूरा किया था।

16. समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर

- कोल इंडिया लिमिटेड ने भू-तल कोयला गैसीकरण का उपयोग करते हुए कोयला-से-रसायन व्यवसाय करने के लिए भेल, गेल इंडिया लिमिटेड और आईओसीएल के साथ तीन समझौता ज्ञापनों (एमओयू) को निष्पादित किया है, जिसे संयुक्त उद्यम कंपनियों के माध्यम से संयुक्त रूप से कार्यान्वित करने का प्रस्ताव है।
- कोल इंडिया ने थर्मल ऊर्जा व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए दो समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए।

- पहला, एसईसीएल और मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड (एमपीपीजीसीएल) के बीच संयुक्त उद्यम के लिए है जो एमपीपीजीसीएल के अमरकंटक थर्मल पावर स्टेशन, चचाई, जिला अनूपपुर, मध्य प्रदेश के मौजूदा परिसर में स्थित निवृत्त उत्पादन इकाइयों की जगह 1×660 मेगावाट सुपरक्रिटिकल थर्मल पावर स्टेशन को लागू करेगा।
- अन्य पहल में एमसीएल की 100% सहायक कंपनी महानदी बेसिन पावर लिमिटेड (एमबीपीएल) के माध्यम से ओडिशा में 2×800 मेगावाट सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट की स्थापना शामिल है। प्रस्तावित एमबीपीएल पावर प्लांट से 1200 मेगावाट की खरीद के लिए कोल इंडिया लिमिटेड और असम पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (एपीडीसीएल) के बीच समझौता ज्ञापन निष्पादित किया गया था।

17. कर्मचारी शिक्षण और व्यावसायिक प्रशिक्षण

- विभिन्न स्तरों और विषयों में कुल 1,083 बहु-विषयक अधिकारियों को प्रमुख प्रबंधन संस्थानों में प्रशिक्षण की पेशकश की गई। प्रशिक्षित कोल इंडिया के कर्मचारियों की कुल संख्या 95,635 थी जो कंपनी की कुल श्रमसक्ति का 39.86% है। खान व्यावसायिक प्रशिक्षण नियमों के अनुसार कोल इंडिया लिमिटेड के व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों में मोटे तौर पर 36,644 ठेकेदारों के कामगारों को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान किया गया।
- कोल इंडिया और सहायक कंपनियों में लगभग 8,891 प्रशिक्षुओं को एक वर्ष के लिए व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया गया।

18. खेल-कूद गतिविधियाँ

- वर्ष के दौरान, कोल इंडिया ने क्रीड़ा बुनियादी ढांचे के निर्माण, अपने संबंधित क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सहायता और प्रमुख खेल आयोजनों के प्रायोजन के लिए ₹ 2.97

करोड़ खर्च किए। कोल इंडिया ने अखिल भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र खेल संवर्धन बोर्ड के लिए क्रिकेट और गोल्फ टूर्नामेंट का भी आयोजन किया जिसमें कई सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने भाग लिया।

19. सुरक्षा: प्राथमिकता सरोकार

- अपने श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर आपकी कंपनी के ध्यान केंद्रित करने के परिणामस्वरूप 2022 में मृत्यु और घातक दुर्घटनाओं में एक तिहाई की गिरावट आई। 2022 में मृत्यु दर 20 के सर्वकालिक निचले स्तर पर पहुंच गई है, जो 2021 में दर्ज 29 की तुलना में एक वर्ष में 31% कम हो गई।
- गिरावट की प्रवृत्ति का प्रदर्शन करते हुए, घातक दुर्घटनाएं भी 2022 में एक तिहाई से घटकर 18 हो गई। तुलनात्मक रूप से 2021 में यह संख्या 27 थी।
- 2022 में प्रति मिलियन टन (एमटी) कोयले के उत्पादन में मृत्यु दर 0.028 थी, जो 2021 के 0.047 की तुलना में 40% कम है; जबकि संदर्भित अवधि के दौरान कोयला उत्पादन में 71 मिलियन टन की वृद्धि हुई।
- कोल इंडिया अपने प्रदर्शन मापदंडों के समान सुरक्षा को प्राथमिकता वाली सरोकार के रूप में देखती है। कोल इंडिया लिमिटेड की प्राथमिक चिंता अपनी प्रमुख परिसंपत्तियों - पुरुषों, खानों और मरीनों की रक्षा करना है। सभी खनन कार्यों को सुरक्षित और खतरे से मुक्त बनाने के लिए सुरक्षा मानदंडों को समग्र रूप से देखा जाता है।

20. एकीकृत रिपोर्ट

- कंपनी ने स्वेच्छा से अपनी पहली एकीकृत वार्षिक रिपोर्ट तैयार की है जिसका उद्देश्य हमारे एकीकृत और टिकाऊ दृष्टिकोण का व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करना है, जो हमारे हितधारकों की जरूरतों और अपेक्षाओं को पूरा करते हुए हमारे द्वारा बनाए गए मूल्य को प्रदर्शित करता है। रिपोर्ट में लघु, मध्यम और दीर्घकालिक में मूल्य सृजन के लिए कोल

इंडिया के रणनीतिक ढांचे को प्रस्तुत किया गया है। यह वित्तीय वर्ष में कंपनी के प्रदर्शन की एक संक्षिप्त समीक्षा प्रदान करता है जिसमें यह दर्शाया जाता है कि यह कंपनी के रणनीतिक उद्देश्यों के साथ कैसे संरचित होता है।

21. व्यावसायिक जिम्मेदारी और स्थिरता:

- वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी ने वार्षिक रिपोर्ट में अपनी 'व्यापार जिम्मेदारी और स्थिरता रिपोर्ट' (बीआरएसआर) प्रकाशित की है। बीआरएसआर 'जिम्मेदार व्यापार आचरण पर राष्ट्रीय दिशानिर्देश' के सिद्धांतों के खिलाफ कंपनी के प्रदर्शन को इंगित करता है। इससे सदस्यों को कंपनी की पर्यावरणीय, सामाजिक और शासन संबंधी पहल के बारे में जानकारी प्राप्त होगी।

22. कॉर्पोरेट प्रशासन

- आपकी कंपनी ने सार्वजनिक उद्यम विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन पर दिशानिर्देशों और सेबी की अनुसूची V (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) के साथ पठित विनियमन 34 (3) में निर्धारित कॉर्पोरेट प्रशासन की शर्तों का अनुपालन किया है। शेयर बाजार के साथ विनियम,

2015 - जैसा कि सेबी (एलओडीआर) विनियम 2015 के तहत अपेक्षित है, निदेशकों की रिपोर्ट में कॉर्पोरेट प्रशासन पर एक अलग खंड जोड़ा गया है और कॉर्पोरेट प्रशासन की शर्तों के अनुपालन के लिए समकक्ष समीक्षित कंपनी सचिव से एक प्रमाण पत्र दिनांक: 20 जुलाई, 2023 स्थान: कोलकाता प्राप्त किया गया।

- आपकी कंपनी ने अधिनियम 2013 के अंतर्गत यथा अपेक्षित वित्त वर्ष 2022-23 के लिए पेशेवर कंपनी सचिव फर्म द्वारा सचिवीय लेखा परीक्षा संचालित किया। कंपनी ने महिला स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति को छोड़कर कंपनी अधिनियम, 13 और सेबी (एलओडीआर) विनियम 2015 के प्रावधानों का अनुपालन किया है। महिला स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति न करने के लिए शेयर बाजार द्वारा जुर्माना लगाया गया है। सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट 2022-23 निदेशक की रिपोर्ट का हिस्सा है। महिला स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति की शक्ति भारत सरकार के पास निहित है। आपकी कंपनी ने रिक्ति उत्पन्न होने से पहले और रिक्ति के बाद भी कोयला मंत्रालय के साथ इस मामले को उठाया है।

23. दूरदर्शिता

- आपकी कंपनी का विज्ञन यह सुनिश्चित करना है कि देश में कोयले की कमी

न हो और देश को कोयले के मामले में आत्मनिर्भर बनाना है। कोल इंडिया व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य कंपनी बनने की कल्पना करती है और राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों के लिए प्रतिबद्ध समकालीन, पेशेवर, उभोक्ता अनुकूल और सफल कॉर्पोरेट इकाई के रूप में आगे बढ़ने का प्रयास करती है। हमारी भविष्य की योजना किफायती और पर्यावरण के अनुकूल प्राथमिक वाणिज्यिक ऊर्जा प्रदान करने में देशवासियों की सेवा के लिए समर्पित है। कोल इंडिया का उद्देश्य न केवल मूल्यवान कंपनी बनना है, बल्कि मूल्यों के साथ कंपनी बनना है।

24. अभिस्वीकृति

- आपकी कंपनी के निदेशक मंडल की ओर से मैं आपके निरंतर समर्थन और विश्वास के लिए आपको, हमारे मूल्यवान शेयरधारकों के प्रति अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त करना चाहता हूँ। यह हमें अपने सभी कार्यों में उत्कृष्टता प्राप्त करने और लगातार आपके साथ-साथ राष्ट्र के लिए मूल्य सूजन करने के लिए प्रेरित करता है।
- मैं कोयला मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त निरंतर समर्थन और मूल्यवान मार्गदर्शन की सराहना करता हूँ। मैं केंद्र सरकार के अन्य मंत्रालयों और विभागों, राज्य सरकारों, सभी कर्मचारियों, ट्रेड यूनियनों, लेखा परीक्षकों, उभोक्ताओं, आपूर्तिकर्ताओं और अन्य सभी हितधारकों को उनके निरंतर सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूँ।

दिनांक: 20, जुलाई 2023

जगह: कोलकाता

हा०/-

पी.एम. प्रसाद

अध्यक्ष-प्रबंधक-निदेशक

(डीआईएन-08073913)

राष्ट्र की ऊर्जा जरूरतों को पूरा
करने के हमारे दृष्टिकोण ने हमें

भारत की विकास गाथा में एक अभिन्न अंग बना दिया है।

अपने वित्तीय अनुशासन, उत्पादन
विशेषज्ञता, बौद्धिक क्षमता और
मानव विशेषज्ञता के समर्थन से,
हम ऊर्जा स्वतंत्रता के प्रति अपनी
प्रतिबद्धता को पूरा करना जारी
रखते हैं। इसने हमें सामाजिक
और पर्यावरणीय रूप से जिम्मेदार
तरीके से अपने हितधारकों की
जरूरतों और अपेक्षाओं को
संतुलित करने में भी सक्षम
बनाया है।





01
वित्तीय
पूँजी



02
सामाजिक और संबंध की
पूँजी



03
विनिर्मित
पूँजी



04
प्राकृतिक
पूँजी



05
बौद्धिक
पूँजी




06
मानव
पूँजी



वित्तीय पूँजी

कुशल पूँजी आवंटन योजनाओं और विवेकपूर्ण वित्तीय प्रबंधन द्वारा समर्थित, हमने मूल्य संवर्धन व्यवसाय की नींव को मजबूत किया है। हितधारकों के लिए रिटर्न उत्पन्न करने पर हमारा निरंतर जोर हमें संगठनात्मक उद्देश्यों को पूरा करने की राह पर रखता है और भारत की ऊर्जा आकांक्षाओं को स्थायी रूप से पूरा करने का मार्ग प्रशस्त करता है।



हमारी वित्तीय पूँजी में हमारे खनन कार्यों में तैनाती के लिए उपलब्ध धनराशि शामिल है, जिसमें बरकरार रखी गई कमाई, इक्किटी फंडिंग और मुनाफा शामिल है। हम अपने सतत विकास को समर्थन देने के लिए पर्याप्त नकदी प्रवाह, लाभांश भुगतान और एक अच्छी तरह से परिभाषित पूँजी आवंटन योजना को प्राथमिकता देते हैं।

अच्छे प्रदर्शन मेट्रिक्स और पूँजी की लागत के कुशल प्रबंधन को कायम रखते हुए, हम अपने परिचालन की दीर्घकालिक व्यवहार्यता सुनिश्चित करते हैं और आय-सूजन परिसंपत्तियों के हमारे पोर्टफोलियो के लिए वित्त पोषण की सुविधा प्रदान करते हैं।



मजबूत वित्तीय प्रदर्शन

अपने निरंतर विकास पथ और परिचालन को अनुकूलित करने पर ध्यान केंद्रित करने के साथ, हम ऊर्जा क्षेत्र में एक अग्रणी खिलाड़ी के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत करना जारी रख रहे हैं। हमने प्रमुख वित्तीय मैट्रिक्स जैसे परिचालन से कुल राजस्व, शुद्ध बिक्री, कर से पहले लाभ (पीबीटी), कर के बाद लाभ (पीएटी), पूंजीगत व्यय (कैपेक्स), और ई-नीलामी वसूली में रिकॉर्ड तोड़ने वाले आंकड़े हासिल किए।

लाभ में उल्लेखनीय वृद्धि में योगदान देने वाले प्राथमिक कारकों में से एक शुद्ध बिक्री में उल्लेखनीय वृद्धि थी, जो ₹27,064.90 करोड़ तक बढ़ी। यह वृद्धि मुख्य रूप से 694.69 मिलियन मीट्रिक टन के रिकॉर्ड उठाव (पिछले वर्ष की तुलना में 32.80 मिलियन मीट्रिक टन या 5% की वृद्धि) और प्रति टन औसत प्राप्ति में वृद्धि से प्रेरित थी।

ई-नीलामी बिक्री के लिए बेहतर प्रीमियम और सहायक कंपनियों द्वारा बुक किए गए उच्च प्रदर्शन प्रोत्साहन के कारण प्रति टन औसत प्राप्ति में सुधार हुआ। विशेष रूप से, कच्चे कोयले की प्रति टन ई-नीलामी प्राप्ति में एच1879/टन से एच4841/टन तक तेज वृद्धि देखी गई, जो परिचालन उत्कृष्टता और बाजार के अवसरों को भुनाने की क्षमता पर हमारे फोकस को दर्शाता है।

₹1,38,251.91 करोड़

परिचालन से कुल राजस्व (शुद्ध)

₹1,27,627.47 करोड़

शुद्ध बिक्री

₹40,291.30 करोड़

ईबीआईटीडीए*

₹28,124.94 करोड़

पीएटी

24.08%


परिचालन लाभ मार्जिन

22.04%

शुद्ध लाभ मार्जिन


नेट लाभ

(₹ करोड़ में)




रिटर्न ओन एवरेज नेट वर्थ

(%)




* ईबीआईटीडीए की गणना कर पूर्व लाभ के साथ वित्त लागत, मूल्यहास / परिशोधन / हानि और व्याज आय में कटौती करके समायोजित (वापस जोड़कर) की गई है।


देनदार टर्नओवर अनुपात (महीनों की संख्या)




नेट वर्थ (₹ करोड़ में)



कुल बिक्री (₹ करोड़ में)



शुद्ध बिक्री (₹ करोड़ में)



लिक्विडिटी रूप रेखा का प्रबंधन

हम खनन गतिविधियों के निर्बाध संचालन को सुनिश्चित करने के लिए अपनी सहायक कंपनियों की तरलता स्थिति की निगरानी पर जोर देते हैं। लंबी अवधि के उधार के संदर्भ में, हमारी समेकित वित्तीय स्थिति में मुख्य रूप से हमारी सहायक कंपनियों, विशेष रूप से साउथ ईस्टन कोलफाल्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल) द्वारा अपनी सहायक कंपनियों छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड (सीईआरएल) और छत्तीसगढ़ ईस्ट-वेस्ट रेलवे लिमिटेड (सीईडब्ल्यूआरएल) के माध्यम से प्राप्त किए गए सावधि ऋण शामिल हैं। ये ऋण बैंकों के संघ से प्राप्त किये जाते हैं।

हमारी स्टैंडअलोन इकट्ठी शेयर पूँजी मुख्य रूप से सहायक कंपनियों में निवेश की जाती है। बदले में, सहायक कंपनियों ने मुख्य रूप से अपने खनन कार्यों से संबंधित दीर्घकालिक परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के लिए अपनी इकट्ठी शेयर पूँजी आवंटित की है। हमारा दृष्टिकोण हमें परिचालन दक्षता बनाए रखने और हमारे दीर्घकालिक विकास उद्देश्यों का समर्थन करने में सक्षम बनाता है।

अल्पकालिक लक्ष्यों

- सुचारू खनन संचालन सुनिश्चित करना, सभी सहायक कंपनियों में पर्याप्त तरलता
- सुनिश्चित करना, बजटीय पूँजीगत व्यय और ओपेरेक्स के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराना

मध्यम अवधि के लक्ष्य

- शेयरधारकों को नियमित रूप से लाभांश का भुगतान करके हितधारक मूल्य और रिटर्न को अधिकतम करें


शेयरधारकों का रिटर्न

हमारी लाभांश नीति लाभांश वितरित करने और आंतरिक भंडार बनाए रखने के बीच संतुलन बनाने के लिए डिज़ाइन की गई है। हमारे व्यावसायिक प्रदर्शन, लाभांश भुगतान अनुपात, व्यावसायिक दृष्टिकोण, वित्तीय स्थिति और अन्य कारकों पर व्यापक विचार के माध्यम से, हमारा लक्ष्य हमारी कंपनी की दीर्घकालिक स्थिरता और वृद्धि सुनिश्चित करते हुए शेयरधारक रिटर्न को बढ़ाना और मूल्य को अधिकतम करना है।

वित्त वर्ष 22-23 में, हमने ₹10 प्रत्येक के अंकित मूल्य के साथ प्रति इकट्ठी शेयर ₹20.25 के कुल अंतरिम लाभांश का भुगतान किया है, जिसकी राशि ₹12,479.57 करोड़ है। इसके अतिरिक्त, हम आगामी एजीएम में वित्त वर्ष 22-23 के लिए प्रति इकट्ठी शेयर का अंतिम लाभांश का भुगतान करेंगे, जिसकी कुल राशि ₹14,944.66 करोड़ होगी।

शेयरधारकों के लिए हमारा मूल्य सूजन लाभांश भुगतान से परे है। हम परिचालन दक्षता बढ़ाने, विकास के अवसरों का पता लगाने और लागत संरचनाओं को अनुकूलित करने के लिए विभिन्न रणनीतिक पहल लागू कर रहे हैं। इन प्रयासों का उद्देश्य दीर्घावधि में स्थायी मूल्य सूजन करना है।

ईपीएस (₹ में)




पूंजी आवंटन ढांचा


हमने एक विवेकपूर्ण पूंजी आवंटन का प्रदर्शन किया है जो पूंजीगत व्यय को निधि देने के लिए नकदी प्रवाह का कुशलतापूर्वक उपयोग करता है और लाभांश के रूप में शेयरधारकों को रिटर्न सुनिश्चित करता है। वित्तीय वर्ष के दौरान, हमने अपने परिचालन से ₹35,686.21 करोड़ का शुद्ध नकदी प्रवाह उत्पन्न किया।

वित्त वर्ष 22-23 में सीआईएल (समेकित) की परिचालन गतिविधियों से उत्पन्न शुद्ध नकदी प्रवाह ₹35,686.21 करोड़ है और इसका उपयोग मुख्य रूप से पूंजीगत व्यय करने और लाभांश के भुगतान के लिए किया गया था।

हमारी प्रभावी पूंजी आवंटन रणनीति के परिणामस्वरूप, हमने अपनी बरकरार रखी गई आय में भी वृद्धि का अनुभव किया। यह वित्त वर्ष 21-22 में ₹17,451.80 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 22-23 में ₹29,938.97 करोड़ हो गया। यह पर्याप्त वृद्धि लाभ उत्पन्न करने और पुनर्निवेश और भविष्य के विकास के अवसरों के लिए एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाए रखने की हमारी क्षमता को इंगित करती है।

लाभांश (₹ करोड़ में)





विविधीकरण और मूल्य श्रृंखला एकीकरण

हम विदेशों में लिथियम, कोबाल्ट और निकल संपत्तियों के अधिग्रहण की खोज कर रहे हैं और अलौह और महत्वपूर्ण खनिजों को शामिल करने के लिए अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन (एमओए) में संशोधन किया है। हम वर्तमान में विलय और अधिग्रहण के लिए उपयुक्त विदेशी संपत्तियों की पहचान कर रहे हैं।

खनन में अपनी मूल क्षमता को पहचानते हुए, हमने नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन (एनटीपीसी), इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल), गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (गेल), और राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड जैसी कंपनियों के साथ संयुक्त उद्यम (जेवी) बनाए हैं। आरसीएफ) तकनीकी और वित्तीय जोखिमों को कम करने के लिए।

दो विनिर्माण संयुक्त उद्यम यानी, हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड (एचयूआरएल) और तालचेर फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (टीएफएल), क्रमशः प्राकृतिक गैस-आधारित उर्वरक-ग्रेड यूरिया संयंत्र और एक एकीकृत कोयला गैसीकरण-आधारित यूरिया संयंत्र

स्थापित करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यह हमें अपने व्यापारिक साझेदारों की विशेषज्ञता का लाभ उठाते हुए नए क्षेत्रों में विस्तार करने का अवसर प्रदान करता है।

रणनीतिक साझेदारी के लाभ

- ▶ उर्वरक/रासायनिक क्षेत्र में विविधीकरण ने हमारी पहुंच का विस्तार करने में मदद की और देश में कोयला-रासायनिक क्षेत्र से संक्रमण को बढ़ावा दिया।
- ▶ सीआईएल सहायक कंपनियों को ज्ञान हस्तांतरण की सुविधा प्रदान की गई और अतिरिक्त कोयला-टूकेमिकल पहल के लिए गेल और आईओसीएल के साथ सहयोग को मजबूत किया गया।
- ▶ दीर्घकालिक कोयला आपूर्ति के लिए नए क्षेत्र बनाए गए, आत्मनिर्भर भारत पहल में योगदान दिया और घेरेलू विनिर्माण और आयात प्रतिस्थापन का समर्थन करने के लिए मेक-इन-इंडिया कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया।

अधिशेष निधि को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए, हमारे पास एक समान जमा नीति है जो सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) और निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएम) के दिशानिर्देशों के अनुरूप है। यह स्थापित सिद्धांतों का पालन करते हुए अधिशेष निधि को तैनात करने में मदद करता है।


वित्त वर्ष 21-22 में सामान्य रिजर्व ₹17,641.59 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 22-23 में ₹18,968.42 करोड़ हो गया। इसमें विस्तार, पूँजी निवेश, या अप्रत्याशित आकस्मिकताओं जैसे विभिन्न उद्देश्यों के लिए अलग रखा गया मुनाफा शामिल होता है। सामान्य रिजर्व में वृद्धि हमारी वित्तीय स्थिति को मजबूत करने और अनिश्चितता की स्थिति में स्थिरता सुनिश्चित करने की हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

अगले वित्तीय वर्ष के लिए, हमने ₹16,600 करोड़ के पूँजीगत व्यय का प्रस्ताव रखा है। हमारी निवेश योजना के हिस्से के रूप में, हमने रणनीतिक रूप से सौर ऊर्जा, थर्मल पावर प्लांट, उर्वरक संयंत्रों के पुनरुद्धार, सतह कोयला गैसीकरण, कोयला बिस्तर मीथेन और अन्य जैसे उद्यमों सहित विविधीकरण परियोजनाओं के लिए पर्याप्त राशि आवंटित की है। अधिग्रहण और संयुक्त उद्यमों पर ध्यान केंद्रित करने के साथ, हम अपनी मुख्य दक्षताओं से परे उद्यम करना चाहते हैं, उभरते अवसरों का लाभ उठाना चाहते हैं और संबंधित जोखिमों का प्रभावी ढंग से प्रबंधन करना चाहते हैं।



सामाजिक और संबंध पूँजी

लोगों, समुदायों, नियामक निकायों और विभिन्न अन्य हितधारकों के साथ मजबूत संबंध बनाने की हमारी प्रतिबद्धता हमें एक टिकाऊ और जिम्मेदार व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए सशक्त बनाती है। हम सामाजिक रूप से प्रासंगिक गतिविधियों में संलग्न होते हैं, जीवन में सुधार करते हैं, समाज के उत्थान में योगदान देते हैं और पारस्परिक रूप से लाभप्रद संबंधों को मजबूत करते हैं जो हमारी दीर्घकालिक सफलता का मार्ग प्रशस्त करते हैं।



कोयला खनन कार्यों का लोगों और समुदायों के साथ जटिल संबंध है। कंपनी और उसके हितधारकों के बीच मजबूत बंधन स्थायी संबंध बनाने में मदद करते हैं जो हमारे जन-केंद्रित दृष्टिकोण की नींव को मजबूत करते हैं।

मजबूत संबंध बनाकर और समय-समय पर अपने हितधारकों के साथ जुड़कर, हम लक्षित पहल तैयार करने में सक्षम हैं जो पारस्परिक लाभ उत्पन्न करते हैं। एक सहयोगात्मक वातावरण हमें मूल्यवान अंतर्रूढ़ि प्राप्त करने और हमारी निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में विविध दृष्टिकोणों को शामिल करने में सक्षम बनाता है।



समुदायों के साथ जुड़ाव

हम उन समुदायों की भलाई को प्राथमिकता देते हैं जिनमें हम काम करते हैं। उनकी चिंताओं को दूर करके और सामुदायिक विकास सुनिश्चित करने के लिए पारस्परिक रूप से लाभकारी कार्यक्रमों में शामिल होकर, हम लोगों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डालने और उनकी समृद्धि और भलाई में योगदान करने का प्रयास करते हैं। हमारा मानना है कि स्थानीय समुदायों के साथ पारस्परिक रूप से लाभप्रद तरीके से सह-अस्तित्व टिकाऊ और जिम्मेदार व्यावसायिक अभ्यास की कुंजी है।

हम शिक्षा को प्राथमिकता देते हैं, छात्रवृत्ति, व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करते हैं, और व्यक्तियों को सशक्त बनाने और भविष्य की संभावनाओं को बेहतर बनाने के लिए स्कूलों का निर्माण करते हैं। हम महिला सशक्तिकरण, उद्यमिता के अवसरों को बढ़ावा देने और महिलाओं के अधिकारों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए भी समर्पित हैं। इसके अतिरिक्त, हम आजीविका के अवसरों, स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं और सामाजिक रूप से समावेशी पहल के माध्यम से समाज के हाशिए पर रहने वाले वर्गों के उत्थान पर ध्यान केंद्रित करते हैं।

₹586.50 करोड़

कुल सीएसआर व्यय

₹204.45 करोड़

स्वास्थ्य देखभाल, पोषण और स्वच्छता पर खर्च किया गया

₹9.40 करोड़

थलेसीमिया बाल सेवा योजना पर खर्च

₹143.69 करोड़

शिक्षा और आजीविका पर खर्च किया

कमज़ोर शेयरधारक समूहों का समावेश

स्थानीय समुदायों, गैर सरकारी संगठनों और सरकारी एजेंसियों के सहयोग से, कोल इंडिया ने कई परियोजनाएं लागू की हैं जो विशेष रूप से समाज के हाशिए पर रहने वाले वर्गों की जरूरतों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन की गई हैं। हमारा मानना है कि समग्र विकास प्रक्रिया में उनकी भागीदारी को सशक्त बनाने और बढ़ावा देकर, हम एक अधिक न्यायसंगत और समावेशी समाज में योगदान दे सकते हैं। व्यावसायिक प्रशिक्षण, छात्रवृत्ति और शैक्षिक सहायता के माध्यम से, हमारा लक्ष्य हाशिए पर रहने वाले समुदायों के जीवन की गुणवत्ता को ऊपर उठाना और सामाजिक और आर्थिक विभाजन का समन्वय करना है।

सामुदायिक आवश्यकताओं का आकलन करना

हमने एक कुशल सहभागिता तंत्र स्थापित किया है जो सार्थक बातचीत और स्थानीय समुदायों की विशिष्ट आवश्यकताओं को समझने पर केंद्रित है। सामुदायिक विकास कैडर के अधिकारियों की भागीदारी से, जो निवासियों और उनके प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करके उनकी जरूरतों का आकलन करते हैं, विभिन्न प्रकार की परियोजनाएं शुरू की जाती हैं। स्थानीय विकास योजनाओं के साथ परियोजनाओं का सरेखण सुनिश्चित करने के लिए कोल इंडिया जन प्रतिनिधियों और सरकारी एजेंसियों के साथ भी सहयोग करता है। हम स्थानीय रीति-रिवाजों और परंपराओं के सामाजिक ताने-बाने को ध्यान में रखते हुए सीएसआर गतिविधियों को लागू करते हैं। यह न केवल हितधारकों के साथ निरंतर बातचीत को बढ़ावा देता है, बल्कि स्थानीय समुदायों का विश्वास अर्जित करने में भी मदद करता है।

180+

सामुदायिक विकास संवर्ग



पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास

हम अपनी सीएसआर परियोजनाओं के माध्यम से उन लोगों के लिए व्यापक पुनर्वास प्रयास करते हैं जो हमारे खनन कार्यों के कारण विस्थापित हुए हैं। नियामक दिशानिर्देशों के अनुपालन में, हम व्यापक पाँच-वर्षीय पुनर्वास योजनाएँ विकसित करते हैं। इसमें अच्छी तरह से परिभाषित लक्ष्य, निगरानी प्रोटोकॉल, प्रभावी रखरखाव रणनीतियाँ और व्यापक प्रबंधन कार्यक्रम शामिल हैं जिनका उद्देश्य कोयला खनन परियोजनाओं की सफल समाप्ति सुनिश्चित करना है।

उचित मुआवजे, बुनियादी ढांचे के विकास, आजीविका बहाली और व्यापक सामाजिक-आर्थिक जरूरतों पर ध्यान केंद्रित करके, हम विस्थापित परिवारों का समर्थन करते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, सामुदायिक विकास और पर्यावरणीय स्थिरता के लिए लक्षित हस्तक्षेपों के साथ, हम समुदायों को सशक्त बनाने, सतत विकास को बढ़ावा देने और प्रभावित क्षेत्रों में लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने का प्रयास करते हैं।

2,274

लोगों का पुनर्वास किया गया

स्थानीय अर्थव्यवस्था में

योगदान

हम उन समुदायों की आर्थिक भलाई को बढ़ावा देने में विश्वास करते हैं जिनमें हम कौशल विकास के माध्यम से स्थानीय कार्यबल को सशक्त बनाकर और स्थायी आजीविका के अवसर पैदा करके काम करते हैं।

11,816

लोगों को आजीविका संवर्धन प्रशिक्षण दिया गया

सामाजिक उत्थान हेतु पहल

साक्षरता और सीखने के परिणामों में सुधार के लिए शिक्षा परियोजनाएँ

स्थानीय स्वास्थ्य देखभाल पहलों को नियोजित करने वाली निर्माण परियोजनाएँ

स्वास्थ्य में सुधार और खर्चों को कम करने के लिए

जीवन स्तर को बढ़ाने, उच्च उत्पादकता को सक्षम करने और रोजगार के अवसर पैदा करने की पहल

व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम उच्च रोजगार क्षमता पर केंद्रित हैं

मुर्गी पालन इकाइयों, हस्तशिल्प और पिछवाड़े की खेती के विकास के माध्यम से आर्थिक अवसर पैदा करने के लिए आजीविका परियोजनाएँ

स्थानीय कार्यबल को आवश्यक कौशल से लैस करने के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के रूप में कौशल विकास बुनियादी ढांचे का निर्माण

शिकायत निवारण

हमने सामुदायिक विकास कैडर अधिकारियों की उपस्थिति में प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किया है, जो मध्यस्थ के रूप में कार्य करते हैं, पीड़ित पक्षों के बीच चर्चा और समाधान की सुविधा प्रदान करते हैं। हम सहयोगात्मक तरीके से सामुदायिक चिंताओं को दूर करने के लिए जन प्रतिनिधियों के साथ भी मजबूत संबंध बनाए रखते

हैं। शिकायतें पारंपरिक चैनलों और केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) पोर्टल के माध्यम से प्राप्त की जाती हैं, जिससे शिकायतों की पारदर्शिता और कुशल ट्रैकिंग सुनिश्चित होती है। समुदायों को नियमित अपडेट प्रदान करने के साथ, शिकायतों के समाधान के लिए त्वरित कार्रवाई भी की जाती है।

50+

से अधिक सामुदायिक शिकायतों का समाधान किया गया

सामुदायिक सशक्तिकरण कार्यक्रम



स्वास्थ्य देखभाल

हमने स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच में सुधार के लिए कई पहल की हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय, 11 अस्पतालों और थैलेसीमिया बाल सेवा योजना (टीबीएसवाई) फ़शुरू की थी। यह पहल अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण के लिए ₹10 लाख तक की वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जिससे वंचित रोगियों को लाभ होता है। हमने वित्तीय वर्ष के दौरान थैलेसीमिया बाल सेवा योजना (टीबीएसवाई) के दूसरे चरण को सफलतापूर्वक संपन्न किया, जिससे थैलेसीमिया और अप्लास्टिक एनीमिया के उपचार और प्रबंधन के लिए आवश्यक प्रावधान किए गए।

350+

टीबीएसवाई के अब तक के लाभार्थी

इसके अतिरिक्त, हमने कैंसर रोगियों की बेहतर देखभाल सुनिश्चित करने के लिए नागपुर में राष्ट्रीय कैंसर अस्पताल में सुधार का कार्य किया। सरकार के सहयोग से हमने पश्चिम बंगाल के सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगाए। इसके अलावा, हमने स्तन कैंसर की जांच और पहचान में सुधार के लिए कोलकाता के टाटा मेडिकल सेंटर में एक डिजिटल मैमोग्राफी मशीन की खरीद का समर्थन किया। हमने स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए हिमाचल प्रदेश की कई ग्राम पंचायतों के लिए जिम उपकरण भी खरीदे।

“हम यह जानकर खुशी से अभिभूत हैं कि हमारी बेटी को अब रक्त आधान के लिए सुई चुभाने का मासिक दर्द नहीं सहना पड़ेगा। कोल इंडिया लिमिटेड और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, हमारे जीवन में देवदूतों की तरह रहे हैं, जो हमें आशा और राहत दिला रहे हैं।”

— एलिसा अरोड़ा के पिता
(टीबीएसवाई के लाभार्थियों में से एक)





शिक्षा

हमारे प्रयासों का उद्देश्य शैक्षिक अवसर प्रदान करना और जीवन में बदलाव लाना है। हमने छात्रों को अनुकूल शिक्षण वातावरण प्रदान करने के लिए मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में विद्या भारती स्कूल में एक अत्याधुनिक छात्रावास का निर्माण किया है। इसके अतिरिक्त, हमने अधिक छात्रों को समायोजित करने की क्षमता बढ़ाने के लिए, पश्चिम बंगाल के मायापुर में भक्ति वेदांत नेशनल स्कूल के बुनियादी ढांचे में सुधार किया है। हमारे चल रहे प्रयासों में जोका, कोलकाता में एक छात्रावास का निर्माण शामिल है, जो विशेष रूप से 1,000 वंचित और आदिवासी छात्रों को समायोजित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच प्रदान करता है।

हमने कोरबा, रायगढ़ (छत्तीसगढ़) और उमरिया (मध्य प्रदेश) के सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम स्थापित किए हैं, जिससे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सीखने के परिणामों में सुधार और स्कूल छोड़ने की दर में कमी सुनिश्चित की जा सके। इसके अलावा हमने डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमों का समर्थन करने और डिजिटल विभाजन को पाठने के लिए धर्मर्थ और सरकारी स्कूलों में कंप्यूटरों की मरम्मत और वितरण किया है।

780+

स्मार्ट क्लासरूम स्थापित किए गए

300+

कंप्यूटर वितरित किए गए।

इसके अलावा 'सीसीएल के लाल' और 'सीसीएल की लाडली' नामक हमारे कार्यक्रम के माध्यम से, हम मेधावी वंचित छात्रों को इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोर्चिंग प्रदान करते हैं।

"एक दूरदराज के गांव से आने वाले छात्र के रूप में, मुझे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना पड़ा। हालाँकि, इस पहल की बदौलत, मैंने न केवल एनआईटी, जमशेदपुर में प्रवेश प्राप्त किया, बल्कि रु.40 लाख के वार्षिक पैकेज के साथ ज़ोमैटो में एक सफल सॉफ्टवेयर डेवलपर के रूप में भी उभरा। 'सीसीएल के लाल' ने मेरी जिंदगी बदल दी है, मुझे उन ऊँचाइयों तक पहुंचने के लिए सशक्त बनाया है जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था।"

- विवेक कुमार मेहता
(लाभार्थी, 2015-17 बैच)





ग्रामीण विकास

हमने समुदायों के उत्थान और ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए कई पहल की हैं। उदाहरण के लिए, उत्तराखण्ड के चमोली में एक सीमा सड़क के निर्माण से इस क्षेत्र की कनेक्टिविटी में सुधार हुआ है। हमारा व्यापक सामुदायिक विकास कार्यक्रम (सीसीडीपी) - उत्थान पशुधन विकास, कृषि-वानिकी, उन्नत कृषि और जल संसाधन विकास के माध्यम से एमसीएल के कमांड क्षेत्रों में परिवारों के उत्थान पर केंद्रित है।

7,000

परिवार सीसीडीपी उत्थान परियोजना से लाभान्वित हुए

40

गाँव परियोजना से लाभान्वित हुए

इसके अतिरिक्त, हमने एक सीबेज उपचार संयंत्र को चालू करने का समर्थन किया। मायापुर, पश्चिम बंगाल, स्वच्छता सुविधाओं में सुधार और टिकाऊ प्रथाओं में सुधार के लिए हरी मिट्टी जैव-प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रहा है। ये पहल ग्रामीण भारत में सामाजिक आर्थिक विकास, टिकाऊ बुनियादी ढांचे और सामुदायिक कल्याण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करती हैं।



आजीविका के अवसर

हमने सिंगरौली, मध्य में आदिवासी महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए एनसीएल के साथ साझेदारी की है प्रदेश, लघु धारक कुक्कुट परियोजना के माध्यम से। इस पहल में शामिल है पोल्ट्री शेड का निर्माण, प्रशिक्षण और पूंजीगत सहायता प्रदान करना और गठन करना स्वयं सहायता समूह (एसएचजी)।



750

आदिवासी महिलाएं लाभान्वित हुईं

हमने कौशल विकास और रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में महिलाओं के लिए एक उत्पाद प्रशिक्षण केंद्र भी स्थापित किया है। 'भारत के कलाधर्म' परियोजना वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण और प्रचार के अवसर प्रदान करके कोविड-19 से प्रभावित प्रदर्शन करने वाले कलाकारों का समर्थन करती है। इसके अतिरिक्त, हम कानूनी विवाह के महत्व पर जोर देकर और झारखण्ड के खूंटी में ढुकु परंपरा में रहने वाली महिलाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करके महिला सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इसका उद्देश्य उनके सामाजिक-आर्थिक कल्याण में सुधार करना है।



ग्राहकों के साथ जु़दाव

हम अपने ग्राहकों के साथ जु़दने के महत्व को पहचानते हैं और नियमित बातचीत के माध्यम से संचार के स्पष्ट चैनल बनाए रखने का प्रयास करते हैं। इसका उद्देश्य ग्राहकों की संतुष्टि सुनिश्चित करना और शिकायतों का कुशलतापूर्वक समाधान करना है।

सूचना की पारदर्शिता

हम अपनी वेबसाइट और नीलामी सेवा प्रदाताओं की वेबसाइटों पर प्रासारित जानकारी के प्रकाशन के माध्यम से ग्राहकों के साथ नियमित रूप से संवाद करते हैं। यह ग्राहकों को कोयले की उपलब्धता, मूल्य निर्धारण और अन्य संबंधित विवरणों के बारे में नवीनतम जानकारी तक पहुंचने में सक्षम बनाता है। इसके अतिरिक्त, डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग ग्राहकों तक सूचना और महत्वपूर्ण अपडेट प्रसारित करने के लिए किया जाता है।

संचार हेतु चैनल खोले गये

ग्राहकों के पास ईमेल या पत्रों के माध्यम से सीआईएल के साथ संवाद करने का विकल्प भी है, जिसके माध्यम से वे प्रतिक्रिया, सुझाव दे सकते हैं या चिंताएं उठा सकते हैं। ग्राहकों की शिकायतों और सुझावों को संबोधित करने के लिए, हमने एक मजबूत शिकायत निवारण प्रणाली स्थापित की है। हम ग्राहकों के लिए रेक में लोड किए गए कोयले की गुणवत्ता से संबंधित शिकायतों की रिपोर्ट करने के लिए रजिस्टर भी बनाए रखते हैं। यह गुणवत्ता संबंधी चिंताओं को दूर करने में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देता है।

हम नियमित आधार पर ग्राहकों के साथ बातचीत करने के लिए सम्मेलन भी आयोजित करते हैं। इस तरह की बातचीत से प्राप्त अंतर्दृष्टि का उपयोग सेवा वितरण में सुधार और पहचाने गए अंतराल या मुद्दों को संबोधित करने के लिए किया जाता है।

शिकायत निवारण समितियाँ

शिकायत निवारण समितियाँ उपभोक्ता शिकायतों का समय पर समाधान सुनिश्चित करने के लिए, समर्पित 'उपभोक्ता शिकायत निवारण समितियाँ' स्थापित की गई हैं। वे बयाना राशि की वापसी, सुरक्षा जमा, कोयला मूल्य, बैंक गारंटी जारी करने और अन्य प्रासारित मामलों से संबंधित उपभोक्ता शिकायतों को संबोधित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इससे मूल्यांकन और शिकायत समाधान में भी तेजी आती है।

उपभोक्ता से संबंधित समस्याओं का संबोधित करना

उपभोक्ता अपनी चिंताएं grahaksamadhan@coalindia.in पर ईमेल कर सकते हैं। उपभोक्ता शिकायतों का समय पर समाधान सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल डेशबोर्ड के माध्यम से पाक्षिक समीक्षा की जाती है। उपभोक्ता शिकायतों का आकलन करते समय, हम प्रत्येक मामले की व्यक्तिगत रूप से जांच करते हैं और उपभोक्ता संतुष्टि सुनिश्चित करने के लिए संबंधित संस्थाओं से इनपुट मांगते हैं।



सरकार और नियामक निकायों के साथ

जुड़ाव

सरकार और नियामक निकायों के साथ जुड़ाव कंपनी के सुशासन और सतत विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सहयोगात्मक प्रयासों के माध्यम से, हमारा लक्ष्य एक जिम्मेदार कॉर्पोरेट नागरिक के रूप में अपने दायित्व को पूरा करते हुए देश के सामाजिक-आर्थिक विकास में योगदान देना है। यह हमें जटिल नियामक परिदृश्य को नेबिगेट करने, हमारी सीएसआर पहलों को सरकारी योजनाओं के साथ संरेखित करने और पारदर्शी और जिम्मेदार संचालन सुनिश्चित करने में भी मदद करता है।

हम समन्वित सीएसआर प्रयासों को सुनिश्चित करने के लिए सरकारी एजेंसियों के साथ मजबूत संबंध बनाए रखते हैं जो मौजूदा सरकारी योजनाओं के पूरक हैं और प्रासंगिक सामुदायिक चिंताओं का समाधान करते हैं। इसके अलावा, हम कोयला खनन, पर्यावरण नियमों और श्रम कल्याण से संबंधित विभिन्न मामलों पर सरकारी एजेंसियों के साथ जुड़ते हैं। हम कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) और सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) जैसे नियामक निकायों द्वारा निर्धारित नीतियों और दिशानिर्देशों के अनुरूप भी काम करते हैं।

जवाबदेही सुनिश्चित करना

हम अपने परिचालन में पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्व को पहचानते हैं और इसलिए, नियामक एजेंसियों को समय-समय पर रिपोर्ट प्रदान करते हैं। यह वित्तीय प्रदर्शन, पर्यावरण और श्रम नियमों के अनुपालन और

सीएसआर पहल की प्रगति सहित कई पहलुओं पर जानकारी प्रदान करता है। नियामक निकायों के साथ नियमित संचार और प्रासंगिक जानकारी साझा करना हमें कानूनी और नैतिक मानकों का कुशलतापूर्वक पालन करने में सक्षम बनाता है।



निवेशक के साथ जुड़ाव


नियमित प्रकटीकरण के माध्यम से, हम अपने कार्यों की पारदर्शिता सुनिश्चित करते हैं। यह हमें कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) और भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) द्वारा निर्धारित कड़े नियामक दिशानिर्देशों का अनुपालन करने में भी सक्षम बनाता है।

वित्तीय जानकारी के पारदर्शी और समय पर प्रसार की गारंटी के लिए, हम निर्धारित समयसीमा के भीतर वार्षिक और त्रैमासिक परिणाम प्रकाशित करते हैं। हम इंटरैक्टिव संवाद और चर्चा को बढ़ावा देने के लिए निवेशकों और विश्लेषकों के लिए नियमित बैठकें भी आयोजित करते हैं। ये सत्र निवेशकों द्वारा उठाए गए प्रश्नों या चिंताओं का समाधान करने का भी काम करते हैं। सक्रिय रूप से प्रश्नों का समाधान करके और समय पर जानकारी प्रदान करके, हम निवेशक समुदाय के साथ संबंधों को विकसित और मजबूत करते हैं।



विनिर्मित पूँजी

हमारी खनन संपत्तियों की ताकत हमें देश की बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को सफलतापूर्वक पूरा करने में सक्षम बनाती है। टिकाऊ खनन प्रथाओं और परिचालन उत्कृष्टता पर अधिक ध्यान देने के साथ, हम कोयला उत्पादन को अनुकूलित कर रहे हैं और विभिन्न आवश्यकताओं के लिए बेहतर ग्रेड के कोयले की आपूर्ति बढ़ा रहे हैं।



हमारी निर्मित पूँजी हमारी खनन परिसंपत्तियों से परे फैली हुई है और इसमें तकनीकी उन्नति, परिचालन उत्कृष्टता और टिकाऊ खनन प्रथाओं के लिए पूँजीगत व्यय शामिल है, जिसका उद्देश्य कोयला निष्कर्षण प्रक्रियाओं को अनुकूलित करना है।

खनन कार्यों में दक्षता बढ़ाने और संसाधन उपयोग को अनुकूलित करने पर निरंतर ध्यान देने के साथ, हम खनन बुनियादी ढांचे में सुधार कर रहे हैं, तकनीकी रूप से उन्नत उपकरणों का उपयोग कर रहे हैं और देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए खनन परिसंपत्ति पोर्टफोलियो में विविधता ला रहे हैं।



कोयला उत्पादन

भारत की ऊर्जा माँगों को पूरा करने के लिए कोयला प्राथमिक संसाधनों में से एक है। हम देश की ऊर्जा आवश्यकताओं का आकलन करने और उसके अनुसार उत्पादन लक्ष्य निर्धारित करने के लिए कोयला मंत्रालय और अन्य हितधारकों के साथ मिलकर काम करते हैं। बिजली संयंत्रों, औद्योगिक उपभोक्ताओं और अन्य उपयोगकर्ताओं के साथ नियमित

समन्वय से हमें मांग पैटर्न का आकलन करने और उत्पादन रणनीति तैयार करने में मदद मिलती है। टिकाऊ खनन प्रथाओं और पर्यावरणीय चिंताओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए, हम लागत प्रभावशीलता के साथ-साथ लाभप्रदता सुनिश्चित करने के लिए संचालन को अनुकूलित करना चाहते हैं।



स्थापना के बाद से

703.20 मिलियन टन

उच्चतम कोयला उत्पादन हासिल किया गया

273.60 रेक/दिन

दैनिक औसत रेल लोडिंग

694.69 मिलियन टन

कोयले का उठाव

586.58 मिलियन टन

कोयला बिजली क्षेत्र को भेजा गया

ई-नीलामी के तहत

53.38 मिलियन टन

टन कोयला आवंटित

कोयला उत्पादन को प्रभावित करने वाले कारक

01

खनन और उत्पादन के लिए वैधानिक मंजूरी

02

खनन के लिए भूमि का अधिग्रहण और कब्ज़ा

03

प्रभावित समुदायों का स्थानांतरण और पुनर्वास (आर एंड आर)

04

खनन उपकरणों की खरीद और रखरखाव

05

कोयला परिवहन प्रणालियों सहित निकासी बुनियादी ढांचे का विकास

06

राष्ट्रीय ऊर्जा लक्ष्यों के साथ उत्पादन क्षमता का सरेखण

07

क्षेत्र पर सीधा प्रभाव डालने वाली सरकारी नीतियों पर विचार

08

कोयले की मांग का विश्लेषण

09

पर्यावरण और सामाजिक सरोकारों को संतुलित करना

10


प्राकृतिक और सामाजिक कारकों से जुड़ी बाहरी चुनौतियों के बावजूद उत्पादन का प्रबंधन करना

लगातार उत्पादन बढ़ना

रिपोर्टिंग वर्ष के दौरान उत्पादन में लगातार वृद्धि करते हुए, हमने प्रभावशाली 703.20 मिलियन मीट्रिक टन (एमटी) कोयला उत्पादन हासिल किया, जो पिछले वित्तीय वर्ष में 622.63 मीट्रिक टन की तुलना में 80.57 मीट्रिक टन या 12.94% की पर्याप्त वृद्धि दर्शाता है। यह असाधारण वृद्धि परिचालन दक्षता बढ़ाने, हमारी खनन प्रक्रियाओं को अनुकूलित करने और हमारे संचालन को सुव्यवस्थित करने और उत्पादकता को अधिकतम करने के लिए रणनीतिक उपायों को लागू करने के हमारे अथक प्रयासों का प्रमाण है।

कोयला उत्पादन

(एमटी)




क्षमता के उपयोग में सुधार

हमने वित्त वर्ष 2023 में आश्र्यजनक 85.80% क्षमता उपयोग दर की रिपोर्ट करने के लिए अपने 85% क्षमता उपयोग के आंकड़े को पार कर लिया है। इसके अलावा, हमने वर्ष के दौरान लगभग 2,079 मिलियन क्यूबिक मीटर (एम. सी. यू.) कोयले और ओवरबर्डन की कुल मात्रा को कुशलतापूर्वक संभाला है।

विशेष रूप से, हमारे भूमिगत खनन कार्यों ने 90.06% की उत्कृष्ट क्षमता उपयोग दर हासिल की, जबकि हमारे ओपन-कास्ट खनन कार्यों ने 85.77% की क्षमता उपयोग की सूचना दी।

कोयले का प्रेषण

(एमटी)



संचालन को बढ़ाना

परिचालन को और अधिक विस्तारित करने के लिए, हमने भूमि अधिग्रहण में महत्वपूर्ण प्रगति की है। वित्त वर्ष 22-23 के दौरान, हमने अपनी सहायक कंपनियों के माध्यम से 2090.25 हेक्टेयर भूमि पर कब्जा कर लिया। इसने हमें अपने परिचालन का सफलतापूर्वक विस्तार करने और कोयले की विश्वसनीय आपूर्ति सुनिश्चित करने में सक्षम बनाया।

वित्त वर्ष 23-24 में, हमने ₹2200 करोड़ से अधिक मूल्य के उच्च क्षमता वाले उपकरण खरीदने पर ध्यान केंद्रित किया है। इस निवेश का उद्देश्य आने वाले वर्षों में उच्च कोयला उत्पादन लक्ष्य प्राप्त करना है। हम लगातार अप्रयुक्त कोयला भंडार का पता लगाते हैं, उन्नत खनन प्रौद्योगिकियों को अपनाते हैं और कोयला उत्पादन की अपनी क्षमता को और अधिक अनलॉक करने के लिए परिचालन क्षमता को अनुकूलित करते हैं।

कैपेक्स निवेश


(₹ करोड़ में)



एक अरब कोयला उत्पादन रोडमैप

80% से अधिक घरेलू कोयले की आपूर्ति करने वाली सीआईएल देश की ऊर्जा मांगों को पूरा करने और घरेलू ऊर्जा खपत के भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। देश में स्वदेशी कोयले के एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता के रूप में, हमने भारत में कोयले की बढ़ती मांग को पूरा करने की हमारी आकांक्षाओं के अनुरूप, वित्त वर्ष 25-26 तक 1 बिलियन टन (बीटी) का उत्पादन लक्ष्य निर्धारित किया है।

अगले 5 वर्षों के लिए उत्पादन अनुमान
(चित्र एमटी में)



बड़े पैमाने पर
उत्पादन प्रौद्योगिकी
और उच्च क्षमता
वाली हेवी अर्थ
मूर्विंग मशीनरी
(एचईएमएम)
का उपयोग करके
उच्च क्षमता वाली
खदानों की योजना
और कार्यान्वयन

सीमांत ओपन कास्ट
(ओसी) पैच के
दोहन के माध्यम से
क्षमता वृद्धि

कार्यबल की
योग्यता बढ़ाने
के लिए कौशल
विकास पहल

नई और
क्षमता विस्तार
परियोजनाओं के
लिए अनुमोदन
प्राप्त करना

ग्रीनफिल्ड और
ब्राउनफिल्ड
क्षेत्रों में खान
विकास ऑपरेटरों
(एमडीओ) की
तैनाती

फर्स्ट माइल
कनेक्टिविटी
(एफएमसी)
परियोजनाओं और
रेल लाइनों के तेजी से
कार्यान्वयन के माध्यम
से निकासी दक्षता और
क्षमता में सुधार

उत्पादन प्रक्रियाओं
को अनुकूलित
करने और सुरक्षा
मानकों में सुधार के
लिए अत्याधुनिक
खनन प्रौद्योगिकियों
का समावेश

अतिरिक्त कोयला
भंडार का पता
लगाने के लिए
तीव्र अन्वेषण
गतिविधियाँ

विशेष व्यवस्था के
माध्यम से 50%
तक अतिरिक्त
पर्यावरण मंजूरी
(ईसी) प्राप्त करना

हमने कोयला उत्पादन बढ़ाने और अपने
उत्पादन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए कई
उपाय किए हैं।

अन्वेषण और मूल्यांकन

हम भारत में संभावित कोयला-क्षेत्रों की पहचान करने के लिए व्यापक अन्वेषण और मूल्यांकन गतिविधियाँ संचालित करते हैं। कोयला भंडार की गुणवत्ता और मात्रा पर डेटा इकट्ठा करने के लिए भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, ड्रिलिंग संचालन और नमूनाकरण तकनीकों को नियोजित किया जाता है। विशेषज्ञ भूवैज्ञानी संभावित क्षेत्रों की पहचान करने के लिए सर्वेक्षण करते हैं, उसके बाद विश्लेषण के लिए मुख्य नमूने निकालने के लिए ड्रिलिंग ऑपरेशन करते हैं। इन क्षेत्रों से निकाले गए कोयले के मूल गुणों को निर्धारित करने के लिए प्रयोगशालाओं में नमूनों का परीक्षण किया जाता है। कोयला भंडार का अनुमान लगाने और त्रि-आयामी भूवैज्ञानिक मॉडल तैयार करने के लिए डेटा का आगे विश्लेषण किया जाता है।

आधुनिक उपकरणों को अपनाना

- ▶ बड़े क्षेत्रों को कवर करने, खनन के लिए आवश्यक बोरहोल की संख्या को कम करने और अन्वेषण गतिविधियों में तेजी लाने के लिए भूकंपीय सर्वेक्षण प्रौद्योगिकी का कार्यान्वयन।
- ▶ भूवैज्ञानिक रिपोर्टों की गुणवत्ता बढ़ाने और मैन्युअल हस्तक्षेप को कम करने के लिए सॉफ्टवेयर और बेहतर 2डी/3डी मॉडल का उपयोग।
- ▶ भूमि संसाधन मानचित्रण और निगरानी के लिए रिमोट सेंसिंग और जीआईएस प्रौद्योगिकी को अपनाना।



खदान योजना एवं विकास

हम इष्टतम निष्कर्षण विधि, खदान डिजाइन और बुनियादी ढांचे के विकास को निर्धारित करने के लिए अन्वेषण डेटा के आधार पर खदान योजना और विकास गतिविधियाँ करते हैं। इसमें भूवैज्ञानिक डेटा का विश्लेषण, खनन के लिए उपयुक्त क्षेत्रों का चयन, और पहुंच सड़कों, वेंटिलेशन सिस्टम और अन्य आवश्यक सुविधाओं का डिजाइन शामिल है।

तकनीकी रूप से उन्नत उपकरणों को अपनाना

- ▶ डिजिटल खदान योजना तकनीकों का उपयोग उत्पादन क्षमता, बाजार की मांग और भूवैज्ञानिक पर्याप्तता निर्धारित करने के लिए किया जाता है।
- ▶ प्रक्रिया की दृश्यता और दक्षता में सुधार के लिए माइनेक्स, सुरपैक, माइनशेड और माइनस्केप जैसे डिजिटल टूल को अपनाना।

निष्कर्षण

हम उथले कोयला भंडार के लिए ओपनकास्ट खनन और गहरी और मोटी परतों के लिए भूमिगत खनन का उपयोग करते हैं। हमारी प्राथमिकता उत्पादकता बढ़ाने और श्रमिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मशीनीकरण, प्रौद्योगिकी और नवाचार को अपनाकर कोयला उत्पादन को अनुकूलित करना है। हमारे पास उपकरण और स्पेयर पार्ट्स की खरीद के लिए दीर्घकालिक सेवा अनुबंध भी हैं। उपकरणों और खदानों के मानकीकरण, आधुनिकीकरण और डिजिटल परिवर्तन पर हमारा ध्यान हमें अपनी कोयला निष्कर्षण प्रक्रियाओं में दक्षता जोड़ने में सक्षम बनाता है।

आधुनिक उपकरणों का प्रयोग

- ▶ खुली खदानों में अत्याधुनिक उच्च क्षमता वाली हेवी अर्थ भूमिगत मशीनरी (एचईएमएम) का उपयोग। इसमें डंपर, फावड़े और सतह खनिक शामिल हैं। डंपरों का उपयोग ओवरबर्डन (मिट्टी और चट्टान की परतें) के परिवहन के लिए किया जाता है, जबकि फावड़े का उपयोग ओवरबर्डन को हटाने और कोयला सीम को उजागर करने के लिए किया जाता है।
- ▶ जहां भी संभव हो, सतह खनिकों (सीएम) पर प्राथमिक ध्यान देने के साथ बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रौद्योगिकियों (एमपीटी) को अपनाना।
- ▶ पावर्ड सपोर्ट लॉन्गवॉल उपकरण की खोज, एक मशीनीकृत उत्पादन तकनीक जिसका उद्देश्य भूमिगत खदानों से कोयला निष्कर्षण को अनुकूलित करना है।
- ▶ परिचालन दक्षता बढ़ाने के लिए डिजिटल रूप से उन्नत मशीनरी का उपयोग।
- ▶ खानों और भंडारों के कुशल और सटीक डेटा संग्रह, सर्वेक्षण और माप के लिए ड्रोन-आधारित फोटोग्राफी का उपयोग।

677.717 मिलियन टन

कोयला ओपन कास्ट खदानों से उत्पादन

25.487 मिलियन टन

कोयला भूमिगत खदानों से उत्पादन

4,689

एचईएमएम उपकरण

अतिभार प्रबंधन

हम नियंत्रित ब्लास्टिंग और सावधानीपूर्वक स्ट्रिपिंग के माध्यम से ओवरबर्डन का प्रबंधन करते हैं। कोयला परतों तक पहुँचने, इसके पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने और श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपशिष्ट पदार्थ को हटा दिया जाता है। भू-तकनीकी चुनौतियों का समाधान करने और विस्तृत नींव की मिट्टी को स्थिर करने के लिए फोरेंसिक जांच की जाती है। ओवरबर्डन डंप की इष्टतम ऊंचाई को बनाए रखने और बढ़ाने के लिए उपयुक्त जमीन सुधार प्रैदूषिकियों को भी लागू किया जाता है। सतही जल प्रदूषण को रोकने के लिए, हम अवसादन तालाबों का निर्माण करते हैं और जल प्रबंधन प्रणाली लागू करते हैं। इसके अतिरिक्त, हम खनन किए गए क्षेत्रों को बहाल करने और पारिस्थितिक संतुलन को बढ़ावा देने के लिए पुनः वनस्पति और भूमि पुनर्वास जैसी प्रगतिशील पुनर्ग्रहण तकनीकों को लागू करते हैं।

1,658.627

मिलियन घन मीटर

अधिभार हटाना

आधुनिक उपकरणों का प्रयोग

- ब्लास्ट-मुक्त खनन तकनीक में वर्टिकल रिप्सर्स और सरफेस माइनर्स जैसे उन्नत उपकरणों का उपयोग शामिल है।
- ओवरबर्डन सामग्री से रेत को अलग करने के लिए रेत पृथक्करण संयंत्रों की स्थापना। निकाली गई रेत का उपयोग अन्य कार्यों में भी किया जा सकता है।

कोयला प्रसंस्करण और धुलाई

हम कोयला लाभकारीकरण में भी सलम्ब हैं, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें अशुद्धियों को दूर करना और कोयले की गुणवत्ता में सुधार करना शामिल है। इस प्रक्रिया में कोयले को चट्ठान और राख जैसे अवांछित पदार्थों से अलग करने के लिए कुचलना, छानना और धोना शामिल है। अशुद्धियों को दूर करने और कोयले की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए सॉफ्टवेयर-आधारित कोयला

प्रसंस्करण तकनीकों का उपयोग किया जाता है। प्रसंस्कृत कोयले को उसकी गुणवत्ता और आकार के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है।

2.155 एम टी

कुल धुले कोयले का उत्पादन



गुणवत्ता आश्वासन

हमारा लक्ष्य अपने ग्राहकों को उच्च गुणवत्ता वाले कोयले की डिलीवरी सुनिश्चित करना है और इसलिए, खनन से लेकर कोयले के प्रेषण तक कड़े गुणवत्ता नियंत्रण उपायों का पालन करना है।

70%

ग्रेड अनुरूपता में सुधार

57

एनएसीएल मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाएँ

गुणवत्ता नियंत्रण के उपाय

कोयला कंपनियों और बिजली क्षेत्र के सहयोग से, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) के तहत एक संस्थान, केंद्रीय खनन और ईंधन अनुसंधान संस्थान (सीआईएमएफआर), लोडिंग बिंदु पर कोयले के नमूने और परीक्षण करने के लिए लगा हुआ है। इससे ग्राहकों को आपूर्ति किए जाने वाले कोयले की गुणवत्ता सुनिश्चित करने में मदद मिलती है। नमूनाकरण और परीक्षण प्रक्रिया के लिए एक स्पष्ट रूपरेखा स्थापित करने के लिए कोयला आपूर्तिकर्ता, क्रेता (बिजली उपयोगिताओं) और सीआईएमएफआर के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं।

सीआईएमएफआर के अलावा, अन्य प्रतिष्ठित तृतीय-पक्ष एजेंसियां जैसे कि क्लालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया (क्यूसीआई) और मेसर्स एसजीएस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जो बिजली और गैर-बिजली दोनों क्षेत्रों को पूरा करती हैं, साथ ही मेसर्स मित्रा एस के प्राइवेट लिमिटेड भी शामिल हैं। बिजली क्षेत्र में सेवारात लिमिटेड को कोयले की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सूचीबद्ध किया गया है। ये स्वतंत्र एजेंसियां कोयले की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए उपभोक्ताओं को अपनी सेवाएं प्रदान करती हैं।

गुणवत्ता मानकों को पूरा करने के लिए निम्नलिखित तकनीकी रूप से उन्नत तरीकों का भी उपयोग किया जाता है:

बढ़ती पेराई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कोयला हैंडलिंग संयंत्रों में मोबाइल क्रशर स्थापित किए जाते हैं।

100 मिमी कोयले का अधिकतम उत्पादन करने के लिए सतही खनिकों का उपयोग किया जाता है, और इसकी **गुणवत्ता की सावधानीपूर्वक निगरानी** की जाती है।

कोयले की गुणवत्ता में सुधार के लिए विभिन्न उपाय किए जाते हैं, जिनमें शेल/पत्थर चुनना, चयनात्मक खनन प्रक्रियाओं को अपनाना, उचित ब्लास्टिंग प्रक्रियाएं और कोयले के आकार में सुधार शामिल हैं।

कोयले के नमूनों के सकल कैलोरी मान (जीसीवी) की सटीक माप के लिए क्षेत्रीय प्रयोगशालाएँ बम कैलोरीमीटर से सुसज्जित हैं।

प्रेषण से पहले कोयले का उचित वजन सुनिश्चित करने के लिए रेल लोडिंग बिंदुओं पर प्रिंटआउट सुविधाओं के साथ इलेक्ट्रॉनिक वेटब्रिज स्थापित किए गए हैं। 100% वजन सुनिश्चित करने के लिए स्टैंडबाय वेटब्रिज भी लगाए जा रहे हैं।

कुछ सहायक कोयला कंपनियां मानव हस्तक्षेप को समाप्त करते हुए कोयला नमूनाकरण के लिए साइलो लोडिंग बिंदुओं पर **ऑटो मैकेनिकल सैम्प्लर्स (एएमएस)** का उपयोग करती हैं।


पायलट प्रोजेक्ट के रूप में एमसीएल और एनसीएल में ऑनलाइन विश्लेषक की स्थापना का उद्देश्य प्रेषण बिंदुओं पर **कोयले की गुणवत्ता की निगरानी** की व्यवहार्यता का आकलन करना है।



कोयला परिवहन और रसद

खदानों से विभिन्न गंतव्यों तक कोयले की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए हमारे पास परिवहन बुनियादी ढांचे का एक व्यापक नेटवर्क है। इस नेटवर्क में रेलवे लाइनों, कन्वेयर बेल्ट, ट्रक और अन्य परिवहन साधनों सहित कई बुनियादी ढांचे शामिल हैं। इसका उद्देश्य बिजली संयंत्रों, औद्योगिक इकाइयों और अन्य उपभोक्ताओं तक कोयले को कुशलतापूर्वक पहुंचाना है।

प्रेषित



- रेल - 53%
- सड़क - 31%
- मैरी-गो-राउंड - 14%
- बेल्ट और रोप - 2%

प्रथम मील कनेक्टिविटी

हमारे द्वारा की गई महत्वपूर्ण पहलों में से एक फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी (एफएमसी) परियोजना है। इस परियोजना का प्राथमिक लक्ष्य यातायात की भीड़, सड़क दुर्घटनाओं, पर्यावरणीय प्रभाव और कोयला परिवहन से जुड़े स्वास्थ्य खतरों जैसे मुद्दों को संबोधित करके कोयला खनन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन में सुधार करना है। परियोजना वैकल्पिक परिवहन विधियों, जैसे मशीनीकृत कन्वेयर सिस्टम और रेलवे रेक में कम्प्यूटरीकृत लोडिंग को नियोजित करके इसे प्राप्त करती है।

उम्मीद है कि वित्त वर्ष 28-29 तक एफएमसी परियोजनाओं से मशीनीकृत निकासी

15। एमटीपीए से बढ़कर 9।4.50 एमटीपीए हो जाएगी।

एफएमसी परियोजनाओं में कोयले को पिटहेड्स से लोडिंग पॉइंट तक ले जाने के लिए पाइप कन्वेयर बेल्ट की स्थापना शामिल है, जहां रेलवे रेक में कोयले को लोड करने के लिए एक तेज़ लोडिंग सिस्टम नियोजित किया जाता है। कोयले की सड़क परिवहन की आवश्यकता को समाप्त करके और तीव्र लोडिंग प्रणालियों को एकीकृत करके, हमने कई लाभ प्राप्त किए हैं। इसमें शामिल है।

लोडिंग दक्षता में
सुधार

टर्नअराउंड समय में
कमी

आपूर्ति श्रृंखला की
विश्वसनीयता में वृद्धि

धूल प्रदूषण में
कमी

सुरक्षा मानकों
में वृद्धि

अंडर लोडिंग
शुल्क में बचत


तीन चरणों में कार्यान्वयन के लिए

6।

परियोजनाओं की पहचान की गई है

763.5 एमटीपीए

क्षमता के एफएमसी परियोजनाओं के लिए
कमीशन साधिकृत किये गये



रेल अवसंरचना

कोयला निकासी प्रणाली में दक्षता सुनिश्चित करने के लिए, हमने बुनियादी ढांचे को बढ़ाने और मजबूत करने के लिए एक कार्य योजना विकसित की है। इस योजना में कोयला निकासी के लिए समर्पित सात रेलवे परियोजनाओं की पहचान शामिल है। हाल के वर्षों में, हमने अपने रेल पोर्टफोलियो का उल्लेखनीय रूप से विस्तार किया है, जिससे यह कोयला परिवहन के लिए परिवहन का एक पसंदीदा साधन बन गया है।

- ▶ टोरी-शिवपुर नई बीजी डबल लाइन (44.37 किमी) के चालू होने से सीसीएल के उत्तरी करणपुरा कोयला क्षेत्र से कोयला निकासी क्षमता लगभग 100 एमटीपीए बढ़ जाएगी।
- ▶ झारसुगुड़ा-बारपाली-सरदेहा नई बीजी सिंगल लाइन (52.41 किमी) के दोहरीकरण के लिए निर्माण कार्य प्रगति पर है। यह परियोजना, बारपाली में

लोडिंग ब्ल्ब और झारसुगुड़ा में एक फ्लाइओवर कॉम्प्लेक्स के निर्माण के साथ, निकासी क्षमता को लगभग 65 एमटीपीए बढ़ाएगी।

- ▶ एमसीएल के तालचेर कोलफिल्ड्स (4.8 किमी) में लिंगराज साइलो और देउलबेड़ा साइडिंग के बीच रेल कनेक्टिविटी सफलतापूर्वक चालू हो गई है, जिससे लगभग 5 एमटीपीए की निकासी संभव हो गई है।



जिम्मेदार खनन प्रथाएँ

हम अपने खनन कार्यों में स्थायित्व को सर्वों परि मानते हैं, जहां हम इष्टतम निष्कर्षण प्राप्त करने और पर्यावरणीय प्रभावों को कम करने के लिए चयनात्मक खनन, लाभकारी और सम्मिश्रण तकनीकों पर जोर देते हैं। इसके साथ ही, हम कड़े पर्यावरण मानकों को पूरा करने के लिए उत्तर प्रौद्योगिकियों का उपयोग करने का भी इरादा रखते हैं।


- ▶ मानकीकृत मशीन संयोजन और हाइड्रोलिक मशीनों की बढ़ती तैनाती से गतिशीलता, उत्पादकता में सुधार होता है और उत्सर्जन में कमी आती है।

- ▶ सभी एचईएमएम अनुबंधों में सुरक्षित और आरामदायक कार्य वातावरण सुनिश्चित करने के लिए खान सुरक्षा महानिदेशालय (डीजीएमएस) द्वारा तैयार किए गए दिशानिर्देशों के अनुरूप आवश्यक सुरक्षा विशेषताएं शामिल हैं।
- ▶ रिमोट सेंसिंग तकनीक का उपयोग भूमि उपयोग की निगरानी और प्रभावी भूमि प्रबंधन प्रथाओं को लागू करने के लिए किया जाता है।
- ▶ धूल और वायु प्रदूषण को कम करने के लिए सतह खनिकों, कोहरे तोपों और सड़क सफाई मशीनों को तैनात किया जाता है।
- ▶ सतही गडबड़ी को कम करने और पारिस्थितिक संतुलन के संरक्षण के लिए भूमिगत खनन विस्तार पर ध्यान दें।
- ▶ उत्सर्जन को कम करने और पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकियों में निवेश।
- ▶ वास्तविक समय की निगरानी और सक्रिय पर्यावरण प्रबंधन के लिए डिजिटल पर्यावरण अनुपालन उपकरणों का परिचय।



प्राकृतिक पूंजी

पर्यावरण गहन गतिविधियाँ करने वाले एक संगठन के रूप में, हम ग्रह पर खनन के व्यापक प्रभाव का एहसास करते हैं। अपने पारिस्थितिक पदचिह्न को सचेत रूप से सीमित करने के लिए, हम प्रतिकूल प्रभावों को कम करने, जागरूकता पैदा करने और देश की ऊर्जा मांगों को जिम्मेदारी से पूरा करने के लिए स्थायी प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।




इसमें खनन प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में उपयोग किए जाने वाले अमूल्य प्राकृतिक संसाधन शामिल हैं। नवीकरणीय और गैर-नवीकरणीय दोनों संसाधनों से युक्त, संपूर्ण खनन जीवन चक्र हमारी प्राकृतिक पूँजी से काफी प्रभावित है।

हम अपने मूल्य-निर्माण लक्ष्यों के समर्थन में प्राकृतिक पूँजी के आंतरिक मूल्य को पहचानते हैं। इसलिए, हम एक महत्वपूर्ण व्यावसायिक अनिवार्यता के रूप में इसके संरक्षण को प्राथमिकता देते हैं। ऊर्जा दक्षता, टिकाऊ प्रौद्योगिकी के उपयोग और जल प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए रणनीतिक दृष्टिकोण का पालन करते हुए, हम अपने पारिस्थितिक प्रभाव को कम करते हैं। हम जिम्मेदार खनन प्रथाओं का संचालन करने के लिए जैव-पुनर्ग्रहण, अपशिष्ट और अपशिष्ट प्रबंधन, शोर नियंत्रण, वायु उत्सर्जन प्रबंधन और पर्यावरण-बहाली में संलग्न हैं।



ऊर्जा संरक्षण

कोयला उत्पादन में एक वैश्विक नेता के रूप में, हम जिम्मेदार प्रथाओं को अपनाकर खनन उद्योग के लिए एक उदाहरण स्थापित कर रहे हैं। उन्नत प्रौद्योगिकियों को अपनाने, कुशल संसाधन उपयोग और हमारी परियोजनाओं में नवीकरणीय ऊर्जा के एकीकरण के माध्यम से, हम ऊर्जा संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण प्रगति कर रहे हैं। ये उपाय न केवल हमारे स्थिरता लक्ष्यों में योगदान करते हैं, बल्कि हमें स्वच्छ और हरित ऊर्जा क्षेत्र बनाने के भारत के दृष्टिकोण के साथ जुड़ने के लिए भी सशक्त बनाते हैं।



4,598.78 मिलियन यूनिट

ऊर्जा खपत

नवीकरणीय ऊर्जा को अपनाना

नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को अपनाकर, हमारा लक्ष्य अपने कार्बन पदचिह्न को कम करना और कोयला खनन उद्योग के भीतर टिकाऊ प्रथाओं को बढ़ावा देना है। हमने विभिन्न कमांड क्षेत्रों में जमीन और छत पर लगे सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।

सौर ऊर्जा क्षमता में वृद्धि

वित्त वर्ष 22-23 में, हमने 3.393 मेगावाट की अतिरिक्त रुफटॉप सौर क्षमता जोड़ी। यह सौर ऊर्जा के दोहन और पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता कम करने की हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इन छत सौर संयंत्रों की स्थापना न केवल कार्बन उत्सर्जन को कम करने में योगदान देती है, बल्कि सीआईएल के संचालन की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में भी मदद करती है।

इसके अलावा, हमने 300 मेगावाट के ग्राउंड-माउंटेड सौर संयंत्रों की स्थापना के लिए भी अनुबंध दिए हैं। स्थापना कार्य वर्तमान में प्रगति पर है और वित्त वर्ष 23-24 तक चालू होने की उम्मीद है।

11,217.7 किलोवाटपी

सौर ऊर्जा क्षमता

68,36,317 किलोवाटपी

कुल सौर ऊर्जा उत्पन्न

5,606 टन

प्रति वर्ष कार्बन डाई आक्साइड
उत्सर्जन में कमी

ऊर्जा दक्षता उपाय



एलईडी लाइट

एलईडी लाइटें खदानों, भूमिगत खदानों, स्ट्रीट लाइटों, कार्यालयों और टाउनशिप के लिए उच्च वाट क्षमता वाली लाइटों और पारंपरिक लाइट फिटिंग के स्थान पर ऊर्जा कुशल एलईडी लाइटें लगाई गईं। एलईडी के इस परिवर्तन के परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण ऊर्जा बचत हुई है।

1,57,216

एलईडी लाइटें लगाई गईं



ऊर्जा कुशल एयर कंडीशनर

सीआईएल की विभिन्न सहायक कंपनियों के कार्यालयों में ऊर्जा-कुशल एयर कंडीशनर स्थापित किए गए हैं। इन एसी को प्रभावी शीतलन प्रदान करते हुए कम बिजली की खपत करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

1,679

ऊर्जा कुशल एसी बदले/स्थापित किये गये



सुपर प्रशंसक

बिजली की खपत को कम करने के लिए विभिन्न स्थानों पर ऊर्जा-कुशल पंखे लगाए गए हैं।

18,626

ऊर्जा कुशल सुपर पंखे स्थापित किये गये

ऊर्जा दक्षता उपायों
के परिणाम



इलेक्ट्रिक वाहन

इलेक्ट्रिक वाहन हमारे परिवहन बेडे के हिस्से के रूप में इलेक्ट्रिक वाहन (ई-वाहन) तैनात किए गए हैं। पारंपरिक ईंधन चालित वाहनों से ई-वाहनों में परिवर्तन करके, हमारा लक्ष्य कार्बन उत्सर्जन को कम करना और स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना है।

71

ई-वाहन तैनात



ऊर्जा कुशल वॉटर हीटर

ये वॉटर हीटर विभिन्न सुविधाओं पर स्थापित किए गए हैं और बिजली की खपत को कम करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं।

625

ऊर्जा कुशल वॉटर हीटर स्थापित किए गए



सड़कों के बत्ती में ऑटो टाइमर

विभिन्न स्थानों पर स्ट्रीट लाइटों में स्वचालित टाइमर लगाए गए हैं। ये टाइमर प्रकाश की अवधि को नियंत्रित करते हैं और आवश्यकता पड़ने पर ही स्ट्रीट लाइट को चालू रखते हैं।

1,016

ऑटो टाइमर लगाए गए हैं



पावर घटक में सुधार

पावर घटक में सुधार के लिए सहायक कंपनियों में उपयुक्त (किलोवोल्ट-एम्पीयर रिएक्टिव) रेटिंग के कैपेसिटर बैंक स्थापित किए गए हैं। 0.90 से 0.99 के बीच पावर फैक्टर बनाए रखकर, हम विद्युत ऊर्जा का कुशल उपयोग सुनिश्चित करते हैं और बर्बादी को कम करते हैं।

54,690

केवीएआर कैपेसिटर बैंक खरीदे और स्थापित किये गये हैं



ऊर्जा कुशल मोटरें

हमारे परिचालन में पुरानी मोटरों को ऊर्जा कुशल मोटरों से बदला गया। यह अपग्रेड ऊर्जा हानि को कम करने और समग्र परिचालन दक्षता में सुधार करने में मदद करता है।

169

पुरानी मोटरों को ऊर्जा कुशल मोटरों से बदला गया

52.10 मिलियन यूनिट

विद्युत ऊर्जा की बचत प्रति वष

42,725 टन

कार्बन डाई आक्साइड उत्सर्जन कम हुआ

प्रदूषण निवारण

हम खदानों के खूलने से लेकर बंद होने तक के पूरे जीवनचक्र में प्रदूषण को कम करने और टिकाऊ खनन प्रथाओं को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमारा लक्ष्य वायु, जल, जल विज्ञान, भूमि कंपन, ध्वनि और भूमि सहित सभी प्रमुख पर्यावरणीय अंगों की स्वीकार्य सीमाएं बनाए रखना है।

वायु प्रदूषण नियंत्रण के उपाय

कोयला खनन के लिए वायु प्रदूषण एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय है। हमने ड्रिलिंग, ब्लास्टिंग, लोडिंग और कोयला परिवहन के दौरान धूल उत्पादन को नियंत्रित करने और कम करने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं। इन पहलों को प्रत्येक परियोजना के लिए पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ और सीसी) द्वारा अनुमोदित पर्यावरण प्रबंधन योजना (ईएमपी) में रेखांकित किया गया है। ईएमपी पर्यावरणीय प्रभाव को ध्यान में रखता है और पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ईआईए) अध्ययन आयोजित करता है।

हमने ब्लास्टिंग-मुक्त कोयला निष्कर्षण को सक्षम करने और पारंपरिक ब्लास्टिंग विधियों के कारण होने वाले वायु प्रदूषण को कम करने के लिए क्रमशः ओपन-कास्ट और भूमिगत खदानों में अतिरिक्त सतह खनिकों और सतत खनिकों को भी तैनात किया है।

परिवहन से वायु प्रदूषण को कम करना

परिवहन प्रक्रिया के दौरान वायु प्रदूषण को सीमित करने के लिए, हमने धूंध छिड़काव प्रणाली, मोबाइल वॉटर स्प्रिंकलर, फॉग कैनन और स्वचालित स्प्रिंकलर लागू किए हैं। हमने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए कई महत्वपूर्ण पहल भी शुरू की हैं, जिसमें सड़क मार्ग से कोयला परिवहन को कम करने के लिए फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी का कार्यान्वयन भी शामिल है। कोयले का परिवहन कन्वेयर, ढके हुए ट्रकों और साइलो के माध्यम से रेलवे रेक में लोडिंग के माध्यम से किया जाता है, जो वायु प्रदूषण को कम करने में मदद करता है।

इसके अतिरिक्त, हम कोयला परिवहन सड़कों की ब्लैकटॉपिंग और मरम्मत, डुलाई सड़कों को मजबूत करने और विंडब्रेक और ऊर्ध्वधर हरियाली प्रणालियों के विकास पर ध्यान केंद्रित करते हैं।

ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के उपाय

हमने ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपायों को लागू किया है, जिसमें शोर को कम करने के लिए उपकरणों का उचित रखरखाव भी शामिल है। खदानों के आसपास हरित पट्टियों और आवासीय क्षेत्रों के विकास से प्राकृतिक ध्वनि अवरोधक बनाने में मदद मिलती है। इसके अलावा, अन्य समय में गड़बड़ी को कम करने के लिए दिन के समय विस्फोट करना निर्धारित है। इसके अतिरिक्त, शोर वाले क्षेत्रों में काम करने वाले कर्मचारियों को उनकी सुरक्षा के लिए और अत्यधिक शोर के संपर्क में आने को कम करने के लिए ईयर मफ या इयरप्लग प्रदान किए जाते हैं।



खदान जल प्रबंधन

हम निस्तारित खदान जल के उपचार, उपयोग और संरक्षण के लिए विभिन्न पहलों को लागू करके जल संसाधनों और पारिस्थितिक तंत्र पर हमारे खनन कार्यों के प्रभाव को कम करने का प्रयास करते हैं।

खदान जल मापदंडों का नियमित मूल्यांकन

भूजल पर खनन गतिविधियों के संभावित प्रभाव का आकलन करने के लिए, हम खदान पट्टा क्षेत्र में और उसके आसपास भूजल स्तर की नियमित निगरानी करते हैं। यह निगरानी किसी भी संभावित परिवर्तन को समझने और स्थायी भूजल प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए उचित उपाय करने में मदद करती है।

पर्यावरणीय नियमों के अनुरूप, हम निर्धारित मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए खदान, कार्यशाला और घरेलू अपशिष्टों की नियमित निगरानी भी करते हैं। पारदर्शिता और जबाबदेही बनाए रखने के लिए निगरानी गतिविधियों की रिपोर्ट राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी) और पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ और सीसी) को नियमित रूप से प्रस्तुत की जाती है।

खदान जल उपचार

अवसंरचना

सभी प्रमुख परियोजनाओं में अपशिष्ट उपचार सुविधाएं, जैसे तेल और ग्रीस जाल, अवसादन तालाब और उपचारित पानी के लिए भंडारण सुविधाएं स्थापित की गई हैं। ये सुविधाएं निर्वहन या पुनः उपयोग से पहले अपशिष्टों से दूषित पदार्थों का प्रभावी ढंग से उपचार और निष्कासन करती हैं। इससे जल प्रदूषण को रोकने और खनन कार्यों के आसपास जल निकायों की गुणवत्ता बनाए रखने में मदद मिलती है। हमने अपने परिसर के बाहर अपशिष्टों के शून्य निर्वहन को प्राप्त करने के लिए अपनी वाशरी में बंद जल पुनः-परिसंचरण प्रणाली को भी अपनाया है।

इसके अतिरिक्त, हमने खनन क्षेत्रों के पास आवासीय क्षेत्रों से उत्पन्न अपशिष्टों के उपचार के लिए घरेलू सीवेज उपचार संयंत्र भी स्थापित किए हैं। यह पर्यावरण नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

खदान जल निवारण

हमने खदानों, कार्यशालाओं और कोयला हैंडलिंग संयंत्रों से उत्पन्न अपशिष्टों के उपचार और पुनः उपयोग के लिए विभिन्न उपाय लागू किए हैं। खदान जल प्रबंधन के प्रमुख घटकों में से एक खदानों के भीतर माइन डिस्चार्ज ट्रीटमेंट प्लांट (एमडीटीपी) की स्थापना है। ये संयंत्र दूसरे चरण की उपचार प्रक्रिया के माध्यम से सतह पर छोड़े गए खदान के पानी का उपचार करने के लिए जिम्मेदार हैं। एक बार उपचारित होने के बाद, खदान के पानी का उपयोग कई उद्देश्यों के लिए किया जाता है, जिसमें धूल दमन, अशिशमन, वृक्षारोपण और खदान के भीतर धुलाई गतिविधियाँ शामिल हैं।

इसके अलावा, स्थानीय समुदाय की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए, उपचारित खदान के पानी का एक हिस्सा आसपास के गांवों को पीने और सिंचाइ के लिए आपूर्ति किया जाता है। यह स्वच्छ जल तक पहुंच प्रदान करके स्थानीय समुदायों का समर्थन करने की हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। 92.45% निस्तारित खदान जल का उपयोग खदानों के भीतर और स्थानीय समुदायों द्वारा किया जाता है।

92.45%

निस्तारित खदान जल का उपयोग खदानों के भीतर और स्थानीय समुदायों द्वारा किया जाता है।

837

गांवों ने निस्तारित खदान जल का उपयोग किया

11.10

लाख

ग्रामीण लाभान्वित



भूजल स्रोतों का पुनर्जीवन

हम खदान के भीतर और आस-पास के गांवों में भूजल पुनर्भरण के लिए भी पहल करते हैं। इन पहलों में वर्षा जल संचयन, तालाबों की खुदाई, लैगून का विकास और मौजूदा तालाबों और टैंकों से अपशिष्ट निकालना शामिल है। ऐसे उपायों का उद्देश्य भूजल संसाधनों को फिर से भरना और क्षेत्र में संतुलित जल चक्र को बढ़ावा देना है।

7.55%

पानी भविष्य में उपयोग और भूजल पुनर्भरण के लिए रखा जाता है

नदी पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ाना


हम नवीन रेत संयंत्रों के कार्यान्वयन के माध्यम से रेत खनन के पर्यावरणीय प्रभाव को भी कम कर रहे हैं। ये उन्नत सुविधाएं रेत को ओवरबर्डन से प्रभावी ढंग से अलग करती हैं, जिसके परिणामस्वरूप नदी पारिस्थितिकी तंत्र, भूजल पुनर्भरण क्षमता और समग्र जल गुणवत्ता में महत्वपूर्ण सुधार होता है।



भूमि पुनर्ग्रहण

हम खनन के पर्यावरणीय प्रभाव को संबोधित करने के लिए व्यापक भूमि सुधार उपायों को लागू करने के लिए समर्पित हैं। हम अपनी खुली खदानों के भीतर वृक्षारोपण क्षेत्रों में इसका उपयोग करने के लिए ऊपरी मिट्टी के संरक्षण और उपयोग को प्राथमिकता देते हैं। हमारा लक्ष्य खनन किए गए क्षेत्रों को कुशलतापूर्वक पुनः प्राप्त करना और उत्पादक भूमि उपयोग के लिए इसका पुनर्वास करना है।

सीआईएल में, हम पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ एंड सीसी) द्वारा अनुमोदित पर्यावरण प्रबंधन योजनाओं (ईएमपी) और खदान बंद करने की योजनाओं (एमसीपी) का सख्ती से पालन करते हैं। ये योजनाएँ खनन किए गए क्षेत्रों के व्यवस्थित पुनर्ग्रहण के लिए एक रूपरेखा प्रदान करती हैं। हम पर्यावरणीय नियमों और मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए, इन योजनाओं के अनुसार पुनर्ग्रहण गतिविधियाँ करते हैं।



खनन के बाद स्थल का पुनर्वास

खनन स्थल पुनर्वास के बाद जिम्मेदार खनन प्रथाओं को अपनाने की हमारी प्रतिबद्धता के हिस्से के रूप में, हमने सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड (सीएमपीडीआई) के सहयोग से माइन क्लोजर प्लान (एमसीपी) विकसित किया है। ये एमसीपी हमारी परियोजना रिपोर्ट का एक अभिन्न अंग हैं और पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) और ईएमपी में भी शामिल हैं, जिन्हें एमओईएफ और सीसी से अनुमोदन प्राप्त होता है। वित्त वर्ष 22-23 में, हमने खदान बंद करने की गतिविधियों का समर्थन करने के लिए एस्क्रो फंड से ₹91.28 करोड़ की पर्याप्त राशि आवंटित की।

पुनर्ग्रहण उपायों के प्रभाव का मूल्यांकन करना

हमारे भूमि सुधार और पुनर्स्थापना कार्यों की प्रभावी ढंग से निगरानी करने के लिए, हम उच्च-रिज़ॉल्यूशन उपग्रह डेटा का उपयोग करते हैं। यह तकनीक हमें पुनर्ग्रहण प्रयासों की प्रगति पर बारीकी से नज़र रखने और ज़रूरत पड़ने पर आवश्यक समायोजन करने में सक्षम बनाती है।

इसके अतिरिक्त, हम उपग्रह डेटा का उपयोग करके हर तीन साल में प्रपुख कोयला क्षेत्रों की वनस्पति कवर मैपिंग करते हैं। यह मानचित्रण हमें पुनः प्राप्त क्षेत्रों में वनस्पति की वृद्धि और विकास का आकलन करने में मदद करता है।

110

भूमि सुधार परियोजनाओं की निगरानी की जा रही है।

19

कोयला क्षेत्रों का मानचित्रण किया गया वनस्पति आवरण के लिए

पारिस्थितिक संतुलन को बढ़ाना

हम अशांत भूमि के स्थायी सुधार को सुनिश्चित करने के लिए पर्यावरण बहाली पर ज़ोर देते हैं। हम वनीकरण के लिए उपयुक्त पौधों की प्रजातियों की पहचान करने के लिए वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं, जिससे हम पुनः प्राप्त क्षेत्रों के पारिस्थितिक संतुलन को बहाल करने में सक्षम होते हैं।

वन अनुसंधान संस्थान (एफआरआई), भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद (आईसीएफआरई) और राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान (एनईआरआई) जैसे भारतीय वैज्ञानिक संस्थानों के साथ रणनीतिक सहयोग के माध्यम से, हम व्यापक वैज्ञानिक अध्ययन में संलग्न हैं और विकास में विशेषज्ञ सहायता प्राप्त करते हैं। पर्यावरण-पुनर्स्थापना स्थल ये पहल देशी प्रजातियों का उपयोग करके त्रि-स्तरीय वृक्षारोपण को लागू करने पर ध्यान केंद्रित करती हैं, जिससे खनन क्षेत्रों में बदलाव आता है।

पर्यावरणीय प्रबंधन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित करने के लिए, हमने कई खनन क्षेत्रों में इको-पार्क भी स्थापित किए हैं। ये इको-

पार्क हरित स्थानों के रूप में काम करते हैं जो न केवल परिदृश्य को सुंदर बनाते हैं, बल्कि स्थानीय समुदायों के लिए मनोरंजन के अवसर भी प्रदान करते हैं।

उल्लेखनीय उदाहरणों में समाहित:

- ▶ ईस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड (ईसीएल) में मधुवन बाटिका,
- ▶ भारत कोर्किंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल) में गोवर्धन इको-पार्क,
- ▶ साउथ ईस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल) में बिश्रामपुर पर्यटन स्थल।

30

इको-पार्क, खनन पर्यटन और इको-पुनर्स्थापना स्थल

8

नए इको-पार्क स्थापित किए जाएंगे वित्त वर्ष 22-23 में

वृक्षारोपण लक्ष्य

वित्त वर्ष 21-22 से वित्त वर्ष 25-26 तक पांच साल की अवधि में वृक्षारोपण लक्ष्य 6,800 हेक्टेयर



पुनर्वनीकरण पहल

हम खनन कार्यों के प्रभाव को कम करने के लिए खनन क्षेत्रों में और उसके आसपास वृक्षारोपण प्रयासों को प्राथमिकता देते हैं। आधुनिक खनन तकनीकों को अपनाकर हमारा लक्ष्य वायु और ध्वनि प्रदूषण को सीमित करना है।

हमने मियावाकी पद्धति को भी अपनाया है, जिसमें जैव विविधता को बहाल करने और टिकाऊ बन पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए देशी पेड़ पौधे लगाना शामिल है। यह दृष्टिकोण कार्बन कैप्चर को अधिकतम करता है और पुनर्वनीकरण प्रक्रिया को तेज करता है।

31.01 लाख


पौधे रोपे गए

1,613.39 हेक्टेयर


वृक्षारोपण क्षेत्र खदान पट्टे के भीतर और बाहर कवर किया गया

खदान पट्टा क्षेत्र में वृक्षारोपण

पौधे




हेक्टेयर



खदान पट्टा क्षेत्र के अंदर पिछले 5 वर्षों में निर्मित कार्बन सिंक क्षमता लगभग


2.35 लाख टन/वर्ष है।





बौद्धिक पूँजी

हम गतिशील परिदृश में फलने-फूलने और समृद्ध होने के लिए अपनी बौद्धिक पूँजी पर भरोसा करते हैं। दशकों की उद्योग विशेषज्ञता, अनुसंधान और विकास कौशल और अत्याधुनिक खनन प्रौद्योगिकी को लगातार अपनाकर, हम भारत के ऊर्जा परिदृश्य में परिवर्तन लाने की शुरुआत करने की सोच रखते हैं।



इसमें विशाल ज्ञान भंडार और कोयला खनन उद्योग में हमारी विशेषज्ञता शामिल है। बौद्धिक पूँजी में खनन के साथ-साथ आंतरिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए उन्नत डिजिटल प्रौद्योगिकी को तेजी से अपनाना भी शामिल है।

हमारा मानना है कि आर्थिक मूल्य न केवल हमारी भौतिक खनन परिसंपत्तियों से, अपितु इन संसाधनों के प्रभावी प्रबंधन और हमारी उपयोग क्षमता से भी उत्पन्न होता है। अपनी बौद्धिक पूँजी का लाभ उठाकर, अनुसंधान और विकास में निवेश करके और डिजिटलीकरण को अपनाकर, हम खनन उद्योग में उत्कृष्टता प्राप्त करने, संचालन को अनुकूलित करने और इसकी समग्र उन्नति में योगदान देने का प्रयास करते हैं। इसमें वृहद ज्ञान शामिल है।



अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी)

हमारा शोध कोयला अन्वेषण, कोल बेड मीथेन (सीबीएम) और कोल माइन मीथेन (सीएमएम) जैसे गैर-पारंपरिक ऊर्जा संसाधनों के विकास, कोयला गैसीकरण, कोयला की उपयोगिता जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित है। उत्पादन अनुकूलन, खदानों में उत्पादकता और सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण, कोयले का वैकल्पिक उपयोग, स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकी, अपशिष्ट से धन सूजन, नवाचार और स्वदेशीकरण। इन अनुसंधान एवं विकास प्रयासों के माध्यम से हमारा लक्ष्य खनन कार्य, स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देना, कोयले की गुणवत्ता में सुधार करना, सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करना, पर्यावरण की रक्षा करना, कोयले के वैकल्पिक उपयोग का पता लगाना और उद्योग में तकनीकी प्रगति और सहयोग को बढ़ावा देना है।

नेतृत्व-संचालित अनुसंधान और विकास

सीआईएल की अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों के शीर्ष पर अनुसंधान एवं विकास बोर्ड है, जिसका नेतृत्व सीआईएल के अध्यक्ष करते हैं। यह बोर्ड अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं की देखरेख और अनुमोदन के लिए प्राथमिक शासी निकाय के रूप में कार्य करता है। अधिक सुव्यवस्थित निर्णय लेने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए, एक शीर्ष समिति की स्थापना की गई है, जो अनुसंधान एवं विकास बोर्ड के तहत काम करती है। सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड (सीएमपीडीआई), सीआईएल की परामर्श शाखा, कंपनी के अनुसंधान एवं विकास प्रयासों के लिए नोडल एंजेंसी के रूप में कार्य करती है। सीएमपीडीआई अनुसंधान प्रस्तावों की जांच करने और अनुमोदन प्रक्रिया के प्रबंधन, शीर्ष समिति और आर एंड डी बोर्ड द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

प्रौद्योगिकी विकास को अपनाना

बौद्धिक पूँजी, संसाधन संरक्षण, पर्यावरणीय स्थिरता और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कोयला उत्पादन बढ़ाने वाली नई अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं को प्राथमिकता दिया जाता है। अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं का चयन करते समय हम प्रतिस्पर्धी कारोबारी माहौल, बदलती प्रौद्योगिकी, उत्सर्जन मानदंडों और ग्राहकों की मांगों के अनुरूप ढल जाते हैं। हम नवाचार को बढ़ावा देने और प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों के साथ सहयोग के माध्यम से प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर भी जोर देते हैं।

हमने विभिन्न नई परियोजनाओं में अनुसंधान एवं विकास पहलों में विविधता लाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इन परियोजनाओं में कोयले का वैकल्पिक उपयोग, स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकी, पर्यावरणीय स्थिरता, ऊर्जा प्रबंधन, डिजिटलीकरण, पतली कोयला सीम निष्कर्षण तकनीक, कार्बन उत्सर्जन में कमी, नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्र शामिल हैं।

एआई और आईओटी अनुप्रयोग, अपशिष्ट से धन निर्माण, दुर्लभ भू तत्वों की खोज, गहरी भूमिगत खदानों के लिए परिवहन प्रणाली और भूमिगत खदानों में संचार प्रणाली शामिल हैं।

बौद्धिक संपदा

हम उत्पाद, प्रक्रिया और प्रणाली विकास को मौजूदा अनुसंधान परियोजनाओं के रूप में बौद्धिक संपदा उत्पन्न कर रहे हैं। इन अनुसंधान प्रयासों से उत्पन्न बौद्धिक संपदा की सुरक्षा के लिए, हम सीआईएल और विभिन्न परियोजनाओं में शामिल कार्यान्वयन/उप कार्यान्वयन एंजेंसी के बीच आपसी सामंजस्य से बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) का प्रयोग करते हैं। इसमें आईपीआर का स्वामित्व सीआईएल और संबंधित एंजेंसी के बीच समान रूप से साझा किया जाता है। इन बौद्धिक संपत्तियों की सुरक्षा और उनकी विशिष्टता बनाए रखने के लिए, हम अपनी अनुसंधान गतिविधियों के परिणामस्वरूप उत्पादित विभिन्न संपत्तियों के लिए परेंट आवेदन दायर करते हैं।



अनुसंधान एवं विकास में सहयोग

► भारत और विदेश दोनों में अनुसंधान संगठनों, शैक्षणिक संस्थानों और कोयला उत्पादक कंपनियों के साथ सहयोग स्थापित करने और उन्हें बनाए रखने के लिए अनवरत प्रयास किए जा रहे हैं। हमारी विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने में और दीर्घकालिक स्थिरता को बनाए रखने में अनुसंधान प्रस्ताव प्रस्तुत करने में उनकी सक्रिय भागीदारी है। अपनी पहुंच का विस्तार करके और भारत और विदेशों में विश्व स्तरीय वैज्ञानिक और अनुसंधान संस्थानों को शामिल करके, हमारा लक्ष्य 'आत्मनिर्भर भारत' बनाने में देश की आकांक्षाओं को पूरा करना है।



- अनुसंधान एवं विकास में किये गये प्रयासों में विशेषज्ञों और युवा वैज्ञानिकों की भागीदारी को सुविधाजनक बनाने के लिए, विभिन्न अनुसंधान संगठनों और शैक्षणिक संस्थानों के प्रमुखों के साथ संचार चैनल स्थापित किए गए हैं। भारत सरकार के उच्च शिक्षा मंत्रालय के माध्यम से, इन नेताओं से संपर्क किया गया है और उन्हें हमारी अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों में अपने संकायों और शोधकर्ताओं को शामिल करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। उनका ध्यान उनके प्रतिभा समूह से गुणवत्तापूर्ण और विश्वसनीय शोध प्रस्ताव मांगने पर है।
- जागरूकता बढ़ाने और भागीदारी बढ़ाने के लिए, विशेष रूप से संस्थानों और अनुसंधान संगठनों को लक्षित करने के लिए एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इसका उद्देश्य हमारी अनुसंधान एवं विकास पहलों में उनकी भागीदारी को प्रेरित और प्रोत्साहित करना था। इसके अतिरिक्त, कोयला क्षेत्र में अनुसंधान के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की एक सूची की पहचान की गई है और इसे सभी शैक्षणिक संस्थानों और अनुसंधान संगठनों के साथ साझा किया गया है। यह पहल हमारे रणनीतिक उद्देश्यों के अनुरूप प्रस्ताव तैयार करने और उन्हें प्रस्तुत करने में उनके मार्गदर्शन करती है।
- कोयला क्षेत्र में अनुसंधान परियोजनाओं से संबंधित जानकारी के प्रसार को सुव्यवस्थित करने के लिए, सेंट्रल माइनिंग प्लानिंग एवं डिजाइन इंस्टीट्यूट (सीएमपीडीआई) ने एक समर्पित वेबसाइट (<https://scienceandtech.cmpdi.co.in>) तैयार किया है। यह वेबसाइट कोयला क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करती है। यह पूर्ण और वर्तमान अनुसंधान परियोजनाओं पर व्यापक विवरण प्रदान करता है, साथ ही कोयला अनुसंधान परियोजनाओं को लागू करने के लिए दिशानिर्देश भी प्रदान करता है।
- भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी), और वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) प्रयोगशालाएं जैसे सीआईएमएफआर, धनबाद और एनएमएल जैसे प्रसिद्ध संस्थान, कोयला उत्पादक कंपनियों के साथ, सीआईएल के अनुसंधान एवं विकास प्रयासों में भाग लेते हैं। विशेष रूप से, स्वीडन की लूलिया टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी (एलटीयू), ऑस्ट्रेलिया की एसआईएमटीएआरएस और सीएसआईआरओ, ऑस्ट्रेलिया सहित कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थान भी सहयोगात्मक अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों में लगे हुए हैं।

अनुसंधान एवं विकास में प्रगति

कई अनुसंधान परियोजनाओं से महत्वपूर्ण परिणाम आए हैं, जिससे उद्योग प्रभावित हुआ है और खानों के संचालन और भविष्य के खनन प्रयासों का समर्थन करने के लिए खान योजना, डिजाइन और तकनीकी सेवाओं जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं को बढ़ाया है।

भूकंपीय डेटा प्रसंस्करण और व्याख्या
के लिए उन्नत सॉफ्टवेयर के उपयोग
सहित अनुसंधान एवं विकास प्रयासों के
माध्यम से कोयला अन्वेषण तकनीकों में
विकास हुआ है। इसके परिणामस्वरूप
उप-सतह संरचनात्मक जानकारी में
सुधार हुआ है।

ओबी (ओवरबर्डन) मापन के लिए
एयरबोर्न लेजर टेरेन मैपर और ग्राउंड
आधारित ट्रैस्ट्रियल लेजर स्कैनर का
उपयोग करने वाली एक नई तकनीक
लागू की गई है, जो पारंपरिक सर्वे
क्षण विधियों की तुलना, **समय और**
जनसक्ति को काफी कम कर
देती है।

26

चल रही अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं

सुरक्षा बढ़ाने और उपकरण हानि को
रोकने के लिए खुली खदानों में स्वदेशी
रूप से विकसित डम्पर टक्कर बचाव
प्रणाली (डीसीएस) लागू की गई है।
सिस्टम वस्तुओं की पहचान करने और
स्थिति संबंधी जानकारी प्रदान करने के
लिए प्रॉक्सिमिटी सेंसर, जीपीआरएस और
तीन परत पहचान का उपयोग करता है।

एनएफओ विस्फोटक की तकनीकी-
आर्थिक प्रभावकारिता स्थापित की गई
है, जो अन्य विस्फोटकों की अपेक्षा
बेहतर विखंडन और लागत बचत
दिखाती है। एनएफओ का उपयोग
कुछ खदानों में किया जा रहा है वही
दूसरों में कार्यान्वयन चल रहा है।

बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रद्योगिकी के लिए
न्यूनतम वायु मात्रा की आवश्यकता
को निर्धारित करने के लिए कंटीन्यूअस
माइनर और लॉन्गवॉल भूमिगत खदानों
में वेंटिलेशन अध्ययन आयोजित किए
गए हैं। विश्लेषण के आधार पर मानदंड
तैयार किए गए हैं और सभी बड़े पैमाने
पर उत्पादन वाले खदानों में लागू किए
जाएंगे।

ड्रेगलाइन संचालित ओपनकास्ट खदानों
के लिए दिशानिर्देश विकसित किए गए
हैं, जिससे भू इंजीनियरिंग मानदंडों के
आधार पर डंप ऊंचाई और ढलान की
भविष्यवाणी की जाती है। जल स्तर
में उतार-चढ़ाव को ध्यान में रखते हुए
स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए
फावड़ा डंप प्लेसमेंट की सिफारिशें
की गई हैं।

कोलफील्ड क्षेत्रों में ऑर्किड
वनस्पतियों की बहाली पर केंद्रित
एक परियोजना के परिणामस्वरूप
ऑर्किड संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए
जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए
जाने के साथ-साथ पुनः वनस्पति स्थलों,
वनस्पति उद्यानों और जंगलों में पौधों का
प्रजनन और रोपण हुआ है।

ओबी डंप नमूनों के परीक्षण के लिए एक
बड़े पैमाने पर लार्ज स्केल डायरेक्ट शेयर
टेस्टिंग मशीन (एलडीएसटीएम) को तैयार
और विकसित किया गया है। विश्लेषण
से पता चलता है कि मौजूदा नियमों के
अनुरूप स्टीपर बेंच एंगल और **हायर**
एक्सटर्नल डंप हाइट्स को सुरक्षित
माना जा सकता है।

एक वैज्ञानिक अध्ययन ने रानीगंज
कोयला क्षेत्र में जमीनी नियंत्रण और
सहज तापन से संबंधित कोयला निष्कर्षण
मुद्दों को संबोधित किया है। अनुकूलित
निष्कर्षण विधियों का भी शिनारख की
गई है, जिससे प्रति पैनल **खंभों** की
संख्या में वृद्धि हो सकती है।

डिजिटलीकरण

डिजिटल परिवर्तन की तीव्र गति से चिह्नित युग में, हमने प्रगति के प्रति अपने समर्पण का प्रदर्शन किया है और नवीनतम तकनीकी प्रगति को अपने बुनियादी ढांचे में एकीकृत किया है, जिससे हमारी बहुमुखी प्रक्रियाओं को सटीकता के साथ प्रभावी ढंग से सुव्यवस्थित किया जा सके।

तथ्य विश्लेषण

उत्पादन दरों, आपूर्ति श्रृंखला मेट्रिक्स और इन्वेंट्री स्टरों से संबंधित डेटा का विश्लेषण करके, हम अपनी प्रक्रियाओं को अनुकूलित करते हैं, लागत कम करते हैं और समग्र दक्षता बढ़ाते हैं। डेटा एनालिटिक्स हमें प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों (कैपीआई) पर नज़र रखने के लिए वास्तविक समय की निगरानी क्षमताएं प्रदान करता है। निर्धारित लक्ष्यों के मुकाबले अपने प्रदर्शन का लगातार आकलन करके, हम सुधार के क्षेत्रों की पहचान कर सकते हैं और अपने रणनीतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए डेटा-संचालित समायोजन कर सकते हैं।

ईआरपी कार्यान्वयन

हमने संसाधन उपयोग को अनुकूलित करने और अपने परिचालन में निगरानी में सुधार करने के लिए एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग (ईआरपी) को सफलतापूर्वक लागू किया है। इस कार्यान्वयन ने कर्मचारियों, विक्रेताओं और ग्राहकों सहित विभिन्न हितधारकों के साथ वास्तविक समय में जानकारी साझा करने की सुविधा प्रदान की है।

ईआरपी प्रणाली के माध्यम से, हमने एक मजबूत निगरानी प्रणाली स्थापित की है जो पर्यावरण मंजूरी, वन मंजूरी, भूमि अधिग्रहण और कब्जे से संबंधित प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों पर समय पर अपडेट प्रदान करती है। यह प्रणाली खनन परियोजनाओं के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह नियामक आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित करती है। इसके अतिरिक्त, ईआरपी प्रणाली के माध्यम से उत्पन्न रिपोर्ट के आधार पर प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए ठेकेदार के प्रदर्शन की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है।

सभी कार्य धाराओं में प्रगति को प्रभावी ढंग से निगरानी रखने के लिए, हमने ईआरपी के प्रोजेक्ट सिस्टम (पीएस) मॉड्यूल का लाभ उठाया है। यह मॉड्यूल समय-समय पर वैधानिक मंजूरी, भूमि, पुनर्वास और पुनर्वास (आर एंड आर), बुनियादी ढांचे और अन्य परियोजना से संबंधित पहलुओं से संबंधित जानकारी को बनाए रखता है और अद्यतन करता है। यह शेड्यूल निगरानी प्रक्रिया बाधाओं की पहचान करने, अन्योन्याश्रितताओं का विश्लेषण करने और परियोजना कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण कार्रवाइयों को निर्धारित करने में मदद करती है।

यंत्र के अंदर ईआरपी डैशबोर्ड वास्तविक समय में परियोजना से प्राप्त कार्रवाई योग्य अंतर्वृष्टि प्रदर्शित करते हैं। यह डैशबोर्ड वरिष्ठ प्रबंधन को नवीनतम प्रोजेक्ट अपडेट और प्रदर्शन मेट्रिक्स के आधार पर तेजी से निर्णय लेने में सक्षम बनाते हैं।

क्लाउड डेटा केंद्र

हमने हाल ही में एक सार्वजनिक क्लाउड मंच पर एक क्लाउड डेटा केन्द्र शुरू किया है, जो हमें उन्नत एनालिटिक्स सिस्टम का लाभ उठाने, सूचित निर्णय लेने और खनन कार्यों को बढ़ाने में सक्षम बनाता है। क्लाउड डेटा केन्द्र बड़े पैमाने पर डेटा वॉल्यूम के तेज़ और सटीक प्रसंस्करण की सुविधा प्रदान करता है, जिससे मूल्यवान अंतर्वृष्टि और पैटर्न तैयार होते हैं। स्केलेबिलिटी सुविधा हमें इष्टतम प्रदर्शन सुनिश्चित करने के लिए मांग के आधार पर संसाधनों को अनुकूलित करने की अनुमति देती है। इसके अलावा, केंद्रीकृत क्लाउड आधारभूत संरचना का सहयोग और डेटा संचालित संस्कृति को बढ़ावा देता है, जो हमें कोयला खनन उद्योग में नवाचार और उत्पादकता बढ़ाने के लिए सशक्त बनाता है।

परिवहन में डिजिटलीकरण

हमारी डिजिटलीकरण पहल का उद्देश्य दक्षता बढ़ाना, सुरक्षा बढ़ाना और कोयला परिवहन प्रक्रिया के प्रमुख पहलुओं की निगरानी करना है।

वीटीएस

इसमें विशाल ज्ञान समाहित है। हमने वास्तविक समय में कोयला परिवहन वाहनों पर निगरानी रखने के लिए जियो-फेसिंग के साथ एक जीपीएस-आधारित वाहन ट्रैकिंग सिस्टम (वीटीएस) लागू किया है। वाहनों में जीपीएस उपकरण लगाए जाते हैं, और उनके तथ्य एक केंद्रीय निगरानी सेटअप में प्रेषित किया जाता है। यह प्रणाली हमें समन्वय और परिचालन नियंत्रण में सुधार करते हुए, हमारे बेड़े के स्थान और आंदोलन की बारीकी से निगरानी करने में सक्षम बनाती है।

आरएफआईडी

खदान क्षेत्रों तक पहुंच को नियंत्रित करने और कोयला परिवहन में शामिल परिवहन वाहनों के प्रवेश को नियमित करने के लिए, हमने एक रेडियो फ्रीकॉम्सी आइडेंटिफिकेशन (आरएफआईडी) आधारित बूम-बैरियर प्रणाली की शुरुआत की है। यह प्रणाली खदान क्षेत्रों में प्रवेश करने वाले वाहनों की पहचान और प्रमाणीकरण के लिए आरएफआईडी तकनीक का उपयोग करती है। इस तकनीक को लागू करके, हम अधिकृत वाहनों तक पहुंच को कुशलतापूर्वक प्रबंधित और प्रतिबंधित कर सकते हैं, जिससे सुरक्षा बढ़ेगी और अनधिकृत प्रवेश को रोका जा सकेगा।

टीपीएमएस

हमने सेंसर, टेलीमेट्री डिवाइस और डेटा एनालिटिक्स जैसी डिजिटल प्रौद्योगिकियों के एकीकरण के माध्यम से अपने ट्रक पेलोड मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) को बढ़ाया है। यह परिवहन किए गए कोयले की बेहतर ट्रैकिंग को सक्षम बनाता है, वजन नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करता है, और परिवहन प्रक्रिया में किसी भी विचलन या अक्षमता की पहचान करने में मदद करता है। टीपीएमएस में सुधार करके, हम अपने परिचालन को सुव्यवस्थित कर सकते हैं, चोरी को कम कर सकते हैं, और अपने परिवहन कार्यों की समग्र पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ा सकते हैं।

डिजीकोल

परियोजना

हमने डिजीकोल परियोजना की शुरुआत की है, जो एक अग्रणी डिजिटल परिवर्तन पहल है जिसका उद्देश्य हमारे खनन कार्यों में क्रांतिकारी बदलाव लाना और वित्त वर्ष 25-26 तक एक अरब टन कोयला उत्पादन के लक्ष्य को हासिल करना है। इस परियोजना में पायलट आधार पर सात कोयला खदानों में उन्नत डिजिटल समाधानों का कार्यान्वयन शामिल है।

प्रोजेक्ट डिजीकोल में दक्षता और उत्पादकता बढ़ाने के लिए उद्योग 4.0 डिजिटल समाधानों की एक श्रृंखला शामिल है। इसमें सटीक सर्वेक्षण और योजना के लिए ड्रोन का उपयोग, कोयला विखंडन में सुधार के लिए एआई/एमएल आधारित ड्रिल और ब्लास्ट डिजाइन, इष्टतम उपकरण उपयोग के लिए आईओटी आधारित बेड़े निगरानी प्रणाली और सुव्यवस्थित भूमि अधिग्रहण प्रबंधन के लिए भूमि रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण शामिल है। यह परियोजना रणनीतिक रूप से प्रमुख व्यावसायिक प्रदर्शन संकेतकों को प्रभावित करने और समग्र उत्पादन में सुधार करने के लिए डिजाइन की गई है।

सर्वेक्षण और योजना के लिए ड्रोन का उपयोग करके, यह बेहतर निर्णय लेने के लिए वास्तविक समय और सटीक डेटा तक पहुंच सुनिश्चित करता है। ड्रिल और ब्लास्ट डिजाइन में एआई/एमएल एल्गोरिदम के उपयोग से कोयला निष्कर्षण और संसाधन अनुकूलन में सुधार होता है। खेड़-आधारित बेड़े निगरानी के कार्यान्वयन से खनन उपकरणों की उपलब्धता और उपयोग अधिकतम हो जाता है, जिससे परिचालन दक्षता में वृद्धि होती है। इसके अतिरिक्त, भूमि रिकॉर्ड को डिजिटल बनाने से कानूनी और पर्यावरणीय आवश्यकताओं का पालन करते हुए भूमि

अधिग्रहण प्रक्रिया में तेजी आती है। प्रोजेक्ट डिजीकोल महत्वपूर्ण खनन उपकरणों की सक्रिय निगरानी करने और प्रक्रिया डाउनटाइम को कम करने के लिए डिजिटल समाधानों का उपयोग करते हुए निवारक परिसंपत्ति रखरखाव पर भी जोर देता है। उद्योग-अग्रणी प्रथाओं को अपनाकर, हमारा लक्ष्य देश के खनन क्षेत्र में डिजिटल परिवर्तन लाना है।



डिजिटल मंच

हम अपने संचालन को बढ़ाने, दक्षता को अनुकूलित करने और प्रभावी संचार को बढ़ावा देने के लिए एक परिवर्तनकारी उत्तरेक के रूप में डिजिटल प्लेटफॉर्म का लाभ उठा रहे हैं।

ई-नीलामी

एकाधिक नीलामी विंडो को एकल विंडो ई-नीलामी प्लेटफॉर्म में समेकित करके, हमने नीलामी प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाई है और कोयले के लिए बाजार-संचालित कीमतों की खोज की सुविधा प्रदान की है। यह इलेक्ट्रॉनिक नीलामी प्रक्रिया कोयले के वितरण के लिए प्राथमिक तरीका बन गई है, और ग्राहक कोयला खरीद के लिए नीलामी में भाग लेने के लिए मंच पर पंजीकरण कर सकते हैं।

बिल सुलह पोर्टल

बिल सुलह पोर्टल कोयला खनन उद्योग में हमारी विशेषज्ञता है। इंटेलेक्चुअल कैप पोर्टल हमने ग्राहक अनुभव को बेहतर करने और प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए वेब और मोबाइल एप्लिकेशन भी लॉन्च किए हैं। ऐसा ही एक मंच बिल समाधान पोर्टल है, जहां उपभोक्ता सीआईएल के साथ अपने बिलों का समाधान कर सकते हैं। इस पोर्टल ने बिलिंग-संबंधित प्रक्रियाओं को प्रबंधित करने का एक सुविधाजनक और कुशल तरीका प्रदान करके उपभोक्ता संतुष्टि में सुधार लाया है।

तथ्य गोपनीयता और सुरक्षा

हम ग्राहक और वित्तीय तथ्य जैसी संवेदनशील जानकारी की सुरक्षा के लिए विभिन्न उपाय अपनाकर तथ्य गोपनीयता और सुरक्षा को प्राथमिकता देते हैं। हमारे पास एन्क्रिप्शन सुविधाओं और सख्त पहुंच नियंत्रण के साथ सैन्यकृत क्षेत्र में स्थित एक अत्यंत सुरक्षित डेटाबेस है। आंतरिक नेटवर्क के भीतर सुरक्षित ट्रांसमिशन सुनिश्चित करने और सार्वजनिक नेटवर्क के संपर्क से बचने के लिए एक निजी मल्टीप्रोटोकॉल लेबल स्विचिंग (एमपीएलएस) के वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (वीपीएन) के

चैटबॉट

संचार और पहुंच में सुधार के लिए, हमने एक ब्हाट्सएप चैटबॉट पेश किया है। यह इंटरैक्टिव चैटबॉट कर्मचारियों, ग्राहकों और विक्रेताओं को मैसेंजिंग एप्लिकेशन के माध्यम से प्रासारित जानकारी आसानी से प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। चैटबॉट विभिन्न सेवाओं तक पहुंचने और प्रश्नों को तुरंत संबोधित करने के लिए एक उपयोगकर्ता के अनुकूल इंटरफेस के रूप में कार्य करता है।

इन-हाउस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मंच

इन-हाउस और क्लाउड-आधारित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग समाधानों का लाभ उठाते हुए, हमने वर्चुअल बैठक और सहयोग आयोजित करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाओं का विस्तार किया है। यह मंच विभिन्न एजेंसियों, कर्मचारियों और हितधारकों के बीच निर्बाध संचार और निर्णय लेने में सक्षम बनाता है। 24x7 उपलब्धता के साथ, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मंच दिन-प्रतिदिन के कामकाज की सुचारू प्रगति सुनिश्चित करता है और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में दक्षता बढ़ाता है।




माध्यम से सूचना प्रवाह की सुविधा प्रदान की जाती है। हमने गेटवे स्तर पर फ़ायरवॉल, एंडपॉइंट सुरक्षा, वेब एप्लिकेशन फ़ायरवॉल (डब्ल्यूएफ), और वितरित डेनियल-ऑफ-सर्विस (डीडीओएस) सुरक्षा जैसे व्यापक सुरक्षा उपायों को लागू करने के लिए क्लाउड सेवा प्रदाता के साथ भी साझेदारी की है। इसके अलावा, संगठन के भीतर उपयोग और उत्पन्न किए गए सभी डेटा को अवरोधन और अनधिकृत पहुंच से बचाने के लिए एन्क्रिप्ट किया गया है।

संभावित डेटा चोरी, हानि, या भ्रष्टाचार को संबोधित करने के लिए, हमारे पास ऐसी घटनाओं की स्थिति में सहायता प्रदान करने के लिए संविदात्मक समझौते हैं। हम बाहरी हितधारकों के साथ सूचना एकीकरण के लिए सुरक्षित एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (एपीआई) का भी उपयोग करते हैं। इन एपीआई को सुरक्षित डेटा विनियम की सुविधा के लिए मजबूत सुरक्षा उपायों के साथ डिज़ाइन किया गया है।



मानव पूँजी

हमारी प्रगति विविध रूप से प्रतिभाशाली लोगों के समूह द्वारा संचालित है। भविष्य सुरक्षित करने के लिए हमारे व्यवसाय में, हम समानता के माध्यम से कर्मचारियों के पोषण पर जोर देते हैं कार्यस्थल, एक अनुकूल कार्य वातावरण और उचित लाभ कार्य-जीवन संतुलन को मजबूत करने का इरादा है।



हमारी मानव पूँजी हमारे कार्यबल की विशाल क्षमता, रचनात्मकता और सामूहिक बुद्धिमत्ता को समाहित करती है। समावेशिता और टीम वर्क की संस्कृति को बढ़ावा देकर, हम चुनौतियों से पार पाने और अपने खनन कार्यों में नवाचार लाने के लिए अपने कार्यबल की सहयोगात्मक क्षमता का उपयोग करते हैं।

हम समझते हैं कि एक व्यस्त और प्रेरित टीम अतिरिक्त प्रयास करने के लिए अधिक इच्छुक होती है, और इस प्रकार, हम एक ऐसा कार्य वातावरण तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जहां हमारे कर्मचारी मूल्यवान महसूस करते हैं और अपनी भूमिकाओं में पूर्णता पाते हैं। उनके विचारों, चिंताओं और फीडबैक को सुनकर, हम नवाचार, निरंतर सुधार और उत्कृष्टता के लिए साझा प्रतिबद्धता को प्रोत्साहित करते हैं।




प्रतिभा प्रबंधन

हमने विभिन्न विषयों से कुशल पेशेवरों को आकर्षित करने और विकसित करने के लिए एक मजबूत प्रतिभा प्रबंधन प्रणाली लागू की है। हमारी प्रतिभा प्रबंधन प्रथाएं, विकास और उन्नति के अवसर प्रदान करने और विविध और समावेशी कार्य वातावरण को बढ़ावा देने के लिए उच्च क्षमता वाले उम्मीदवारों की भर्ती पर ध्यान केंद्रित करती हैं।

2,39,210

कुल कार्यबल



- कार्यकारी - 16,305
- गैर-कार्यकारी - 2,22,905

भर्ती प्रक्रिया

प्रवेश स्तर पर, हम एक कठोर चयन प्रक्रिया के माध्यम से विभिन्न विषयों में प्रबंधन प्रशिक्षुओं (एमटी) की भर्ती करते हैं। तकनीकी पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों का चयन उनके जीएटीई (ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग) अंक के आधार पर किया जाता है, जबकि गैर-तकनीकी उम्मीदवारों का चयन कंप्यूटर आधारित टेस्ट (सीबीटी) के माध्यम से किया जाता है। अखिल भारतीय भर्ती प्रक्रिया देश के विभिन्न हिस्सों से प्रतिभाओं को सीआईएल का हिस्सा बनने का अवसर प्रदान करती है।

एक निर्बाध और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए, हमने सीबीटी और अन्य संबंधित गतिविधियों का संचालन करने के लिए एक बाहरी एजेंसी, एक केंद्र सरकार सार्वजनिक क्षेत्र इकाई (पीएसयू) को नियुक्त किया है। यह ऑनलाइन आवेदन पोर्टल विकसित करने से लेकर सीबीटी को पेशेवर और कुशल तरीके से संचालित करने तक सब कुछ की देखरेख करता है। उम्मीदवारों को प्रश्नों या उत्तरों के विकल्प के खिलाफ सवाल उठाने का अवसर भी प्रदान किया जाता है, और एजेंसी शिकायतों का समय पर समाधान सुनिश्चित करती है। अंतिम योग्यता सूची अनुमोदित मानदंडों के आधार पर तैयार की जाती है, और परिणाम तटनुसार घोषित किए जाते हैं। परिचालन आवश्यकताओं और उम्मीदवार की प्राथमिकताओं के आधार पर, सीआईएल की सहायक कंपनियों के लिए चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति तय की जाती है।

नियुक्ति में विविधता

विविध पृष्ठभूमियों से एमटीएस की नियुक्त करके हम संगठन के भीतर सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देते हैं। नव नियुक्त अधिकारी कंपनी में अपने अद्वितीय दृष्टिकोण, कौशल और अनुभव लेकर आए हैं। यह संगठनात्मक संस्कृति को समृद्ध करता है, नवाचार को बढ़ावा देता है और संगठन के भीतर समावेशिता को बढ़ावा देता है।

वित्त वर्ष 22-23 में, हमने जीएटीई-2022 स्कोर और सीबीटी-2022 के आधार पर

1,094 एमटी

की भर्ती की। इसके अतिरिक्त, हमारी सहायक कंपनियों द्वारा आयोजित साक्षात्कार के माध्यम से


128 चिकित्सा अधिकारियों

का चयन किया गया। भर्ती प्रक्रिया प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करती है राज्य, श्रेणी और लिंग के संदर्भ में, विविधता और समान अवसर के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को और मजबूत किया गया है।




कर्मचारियों की भर्ती की गई

लिंग



प्रबंधन प्रशिक्षुओं की भर्ती की गई

लिंग



48

पीडब्ल्यूडी कर्मचारिया नियुक्ति किए गए

8

पीडब्ल्यूडी प्रबंधन प्रशिक्षुओं की नियुक्ति

प्रशिक्षण एवं विकास

एक व्यस्त और कुशल कार्यबल बनाने के लिए, हम निरंतर प्रशिक्षण और विकास के लिए कई अवसर प्रदान करने का प्रयास करते हैं। यह हमें एक प्रगतिशील कार्यबल का पोषण करने में सक्षम बनाता है जो संगठनात्मक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्पित है।



नव नियुक्तों के लिए प्रशिक्षण

हमने प्रबंधन प्रशिक्षुओं (एमटी) के लिए एक व्यापक ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया लागू की है। ऑनबोर्डिंग कार्यक्रम एक वर्ष तक चलता है और इसका उद्देश्य पेशेवर कामकाजी माहौल में सुचारू परिवर्तन की सुविधा प्रदान करना है। विभिन्न कार्यात्मक क्षेत्रों में नौकरी पर प्रशिक्षण। कार्यक्रम में कक्षा प्रशिक्षण, नौकरी पर प्रशिक्षण और सलाह का संयोजन शामिल है।

कक्षा प्रशिक्षण

प्रेरण के दौरान, प्रशिक्षुओं को रांची में भारतीय कोयला प्रबंधन संस्थान (आईआईसीएम) में ऑनलाइन और ऑफलाइन चैनलों के माध्यम से तकनीकी कौशल विकास और प्रबंधकीय कौशल विकास प्रशिक्षण सत्र का आयोजन किया जाता है।

नौकरी के प्रशिक्षण

उन्हें सीआईएल की विभिन्न सहायक कंपनियों को सौंपा गया है, जहां वे संबंधित कार्यात्मक क्षेत्रों में नौकरी पर प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। यह व्यावहारिक अनुभव उन्हें अपने ज्ञान को लागू करने और अपनी भूमिकाओं में व्यावहारिक अंतर्दृष्टि प्राप्त कराता है।

सलाह

नए अधिकारियों को परामर्श कार्यक्रमों के माध्यम से मार्गदर्शन और समर्थन प्राप्त होता है जो उन्हें उनकी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को कुशलतापूर्वक पूरा करने में मदद करता है। सलाहकार बहुमूल्य अंतर्दृष्टि भी प्रदान करते हैं और उनके व्यावसायिक विकास में सहायता करते हैं।

कर्मचारी प्रशिक्षण

हम अपने मौजूदा कर्मचारियों के लिए निरंतर सीखने और विकास पर जोर देते हैं। सीखने की संस्कृति को बढ़ावा देने और विशिष्ट योग्यता अंतराल को संबोधित करने के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इन कार्यक्रमों में तकनीकी, प्रबंधकीय, व्यवहारिक और कार्यात्मक पहलू शामिल हैं:

तकनीकी प्रशिक्षण

कर्मचारी अपने तकनीकी कौशल को बढ़ाने के लिए अनुशासन-विशिष्ट प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। इसके अतिरिक्त, कर्मचारियों को नवीनतम प्रगति के साथ अपडेट रहने में मदद करने के लिए नई प्रौद्योगिकियों और उद्योग के रुक्षानों पर प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

प्रबंधकीय प्रशिक्षण

प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रभावी प्रतिनिधिमंडल, तार्किक सोच, संघर्ष प्रबंधन, बातचीत कौशल और पारस्परिक संबंधों के लिए प्रबंधकीय कौशल विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ये कौशल कर्मचारियों को उनकी भूमिकाओं में उत्कृष्टता प्राप्त करने और संगठन की सफलता में योगदान देने के लिए महत्वपूर्ण हैं।

व्यवहारिक प्रशिक्षण

संचार कौशल, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, नेतृत्व क्षमता और प्रस्तुति कौशल कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो व्यवहारिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में शामिल हैं। इन पहलों का उद्देश्य दक्षता बढ़ाना और सकारात्मक कार्य वातावरण को बढ़ावा देना है।

कार्यात्मक प्रशिक्षण

कर्मचारी अपनी भूमिकाओं से संबंधित विशिष्ट कार्यात्मक क्षेत्रों पर प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, जैसे कि आरटीआई को समझना (सूचना का अधिकार) अधिनियम, अनुशासनात्मक कार्यवाही, और अन्य वैधानिक आवश्यकताएँ।

क्षमता वृद्धि के लिए रणनीतिक

साझेदारी

हमने आईआईएम सहित प्रसिद्ध प्रबंधन और प्रौद्योगिकी संस्थानों के साथ साझेदारी स्थापित की ह कलकत्ता, आईआईएम लखनऊ, आईआईएम इंदौर, आईआईएम नागपुर, आईआईटी खड़गपुर, और आईआईटीआईएसएम धनबाद। ये सहयोग सीआईएल के अधिकारियों के लिए क्षमता वृद्धि कार्यक्रमों की सुविधा प्रदान करते हैं।

1,083

प्रमुख संस्थानों में प्रशिक्षित कार्यकारी अधिकारी

आईआईएम लखनऊ में सामान्य प्रबंधन कार्यक्रम

आईआईएम लखनऊ दो सप्ताह का सामान्य प्रबंधन कार्यक्रम आयोजित करता है, जो विशेष रूप से सीआईएल के ई4 और ई5 अधिकारियों के लिए डिज़ाइन किया गया है। कार्यक्रम में विभिन्न विषयों को शामिल किया गया है, जिनमें संघर्ष प्रबंधन, बातचीत कौशल, बैचमार्किंग तरीके, वित्तीय जोखिम विश्लेषण, नेतृत्व क्षमता, संचार कौशल, रणनीतिक एचआरएम और बहुत कुछ शामिल हैं। इसका उद्देश्य कौशल बढ़ाना, प्रतिभा विकसित करना और कर्मचारी जुड़ाव बढ़ाना है।

प्रशिक्षण और विकास के लिए संस्थागत

सहारा

हमने रांची में भारतीय कोयला प्रबंधन संस्थान (आईआईसीएम) की स्थापना की है, जो कंपनी के लिए शीर्ष प्रशिक्षण संस्थान के रूप में कार्य करता है। आईआईसीएम सीआईएल की सहायक कंपनियों में अधिकारियों की प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जिम्मेदार है और पूरे वर्ष संरचित और कैलेंडर आधारित कार्यक्रम आयोजित करता है।

आईआईसीएम के अलावा, सीआईएल की सहायक कंपनियों में प्रबंधन विकास संस्थान (एमडीआई) और व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र (वीटीसी) हैं जो अधिकारियों और गैर-कार्यकारियों दोनों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए समर्पित हैं। ये संस्थान सुनिश्चित करते हैं कि कर्मचारियों की प्रशिक्षण आवश्यकताओं को तुरंत पूरा किया जाए और उन्हें पूरे वर्ष आवश्यकता-आधारित और वैधानिक प्रशिक्षण प्राप्त हो।

आईआईसीएम द्वारा की गई उल्लेखनीय पहलों में से एक मनाली, उत्तरकाशी, लेह और अन्य जैसे विभिन्न स्थानों पर आउटबाउंड प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन है। ये नेतृत्व विकास और कर्मचारी कल्याण सहीत कई उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं।

95,635

कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया है

52

कार्यकारियों ने देश के बाहर कार्यशालाओं/सम्मेलनों/प्रशिक्षण/दौरों में भाग लिया

5,83,984

प्रशिक्षण कार्य दिवस प्राप्त किये गये

इन-हाउस प्रशिक्षण कार्यक्रम

हम अपने कर्मचारियों के कौशल और क्षमताओं को बढ़ाने के लिए कई प्रकार के इन-हाउस प्रशिक्षण कार्यक्रम पेश करते हैं। इसमें शामिल है

दिशा

इसे हाल ही में पदोन्नत महाप्रबंधकों के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसका उद्देश्य उन्हें उनकी नई भूमिकाओं और जिम्मेदारियों की व्यापक समझ प्रदान करना है। दिशा के माध्यम से, महाप्रबंधक चुनौतियों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं उनके पदों से जुड़ी अपेक्षाएँ, उन्हें नेतृत्व की भूमिकाओं में उत्कृष्टता प्राप्त करने में सक्षम बनाती हैं।

29

महाप्रबंधकों को दिशा के माध्यम से प्रशिक्षण दिया गया।

लक्ष्य

यह महाप्रबंधकों के लिए आयोजित एक व्यक्तिगत विकास और परिवर्तन यात्रा है। यह व्यक्तिगत विकास पर ध्यान केंद्रित करता है, प्रतिभागियों को उनके नेतृत्व कौशल, निर्णय लेने की क्षमता और समग्र व्यावसायिक विकास को बढ़ाने के लिए उपकरण और तकनीक प्रदान करता है। इसका उद्देश्य प्रतिभागियों को उनके व्यक्तिगत और व्यावसायिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सशक्त बनाना है। लक्ष्य के माध्यम से 50-सामान्य मुख्य प्रबंधकों को प्रशिक्षित किया गया।

50

लक्ष्य के माध्यम से सामान्य मुख्य प्रबंधकों को प्रशिक्षण दिया गया।

मंथन

यह सीआईएल की विभिन्न सहायक कंपनियों के बोर्ड में नव चयनित निदेशकों के लिए एक नेतृत्व विकास कार्यक्रम है। यह निदेशकों को नेतृत्व गुण विकसित करने के लिए आवश्यक कौशल और ज्ञान से सुसज्जित करता है। यह उन्हें उनकी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को समझने, जटिल संगठनात्मक गतिशीलता को नेविगेट करने और संगठन के विकास के लिए रणनीतिक पहल करने में मदद करता है।

आउटबाउंड कार्यक्रम

यह टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन (टीएसएफ) के सहयोग से संचालित एक नेतृत्व विकास पहल है। यह मसूरी में आयोजित किया जाता है और प्रतिभागियों के बीच सहयोग, संचार और समस्या-समाधान कौशल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से टीम निर्माण, नेतृत्व विकास और बाहरी गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए अधिकारियों को लक्षित किया जाता है। इसी तरह के टीम निर्माण और नेतृत्व कार्यक्रम कंपनी के अधिकारियों के लिए लद्दाख, शिमला, जिम कॉर्बेट और पंचगंगी जैसे अन्य स्थानों पर भी आयोजित किए जाते हैं।



24

महिला कर्मचारी आउटबाउंड कार्यक्रम का हिस्सा थी

विविधता और समावेशन

हम एक विविध, समावेशी और सम्मानजनक कार्य वातावरण को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं जहां सभी कर्मचारियों को महत्व दिया जाता है, समर्थन दिया जाता है और विकास के लिए समान अवसर प्रदान किए जाते हैं। हम एक विविध कार्यबल के महत्व को समझते हैं, जिसमें विभिन्न पृष्ठभूमि, लिंग, समुदाय और क्षमताओं के व्यक्ति शामिल हैं। समान अवसरों को बढ़ावा देने के लिए, हमने एक समान अवसर नीति लागू की है जो विशेष रूप से कमज़ोर समूहों के कर्मचारियों को पूरा करती है।

19,794

महिला कर्मचारी

783

पीडब्ल्यूडी कर्मचारी

समान रोजगार के अवसर

हम नियुक्ति और पदोन्नति के लिए निष्पक्ष और न्यायसंगत प्रथाओं को बनाए रखते हैं और चयन या रोजगार के दौरान जाति, पंथ या धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करते हैं। भर्ती प्रक्रिया के दौरान, हम यह भी सुनिश्चित करते हैं कि विकलांग या विशेष आवश्यकता वाले उम्मीदवारों को समायोजित करने के लिए समायोजन किया जाए।

पारदर्शी और समावेशी नियुक्ति समितियाँ

साक्षात्कार विभिन्न पृष्ठभूमियों और अनुभवों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक विविध पैनल द्वारा आयोजित किए जाते हैं, जो चयन प्रक्रिया में समावेशीता, विविधता और पारदर्शिता पर हमारे जोर में योगदान करते हैं। हाशिए पर रहने वाले समुदायों को भी उचित मान्यता दी जाती है और उन्हें विभिन्न समितियों में शामिल किया जाता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनकी आवाज़ सुनी जाए दृष्टिकोण को महत्व दिया जाए।

महिलाओं के लिए एक सुरक्षित और समावेशी वातावरण उपलब्ध कराना

हम मातृत्व अवकाश, शिशु देखभाल अवकाश और क्रेच सुविधाओं के प्रावधान जैसे लाभों के रूप में अपनी महिला कर्मचारियों की भलाई का समर्थन करते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र में महिलाओं का मंच (डब्ल्यूआईपीएस), के तहत काम कर रहा है।

सार्वजनिक उद्यमों के स्थायी सम्मेलन (स्कोप) के तत्त्वावधान में, महिलाओं को नेटवर्किंग और पेशेवर विकास के लिए एक मंच प्रदान करके सशक्त बनाया जाता है। वित्तीय वर्ष में, हमने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को 'लिंग समानता' थीम के साथ मनाया। इस उत्सव के हिस्से के रूप में, हमने महिलाओं को सशक्त बनाने और उनके व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया।

जागरूकता बढ़ाना और यौन उत्पीड़न को रोकना

एक सम्मानजनक और समावेशी कार्य वातावरण को बढ़ावा देने के लिए, हम यौन उत्पीड़न की रोकथाम (पीओएसएच), कार्यस्थल नैतिकता और लिंग संवेदनशीलता पर नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करते हैं। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य कार्यस्थल पर उत्पीड़न और भेदभाव से संबंधित मुद्दों पर कर्मचारियों को शिक्षित करना है। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक सहायक कंपनी और सीआईएल के पास कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने और हल करने के लिए एक आंतरिक शिकायत समिति है।

11

पीओएसएच पर प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए गए

331

प्रतिभागियों ने पीओएसएच प्रशिक्षण में भाग लिया



कर्मचारी कल्याण

हम अपने व्यापक 'संपूर्ण देखभाल' दृष्टिकोण के माध्यम से कर्मचारियों की भलाई पर जोर देते हैं। हम कार्यस्थल से परे अपना समर्थन बढ़ाकर अपने कर्मचारियों और उनके परिवारों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के महत्व को पहचानते हैं। कर्मचारी कल्याण कार्यक्रमों में आवास, मनोरंजन, खेल, स्वास्थ्य और बच्चों की शिक्षा जैसे विभिन्न पहलू शामिल हैं।

सुलभ चिकित्सा सुविधाएं

हम अपनी स्वामित्व वाली चिकित्सा सुविधाओं के माध्यम से सभी कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों के लिए चिकित्सा देखभाल सुलभ बनाने का प्रयास करते हैं। स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए, हमने अपने परिचालन क्षेत्रों में, यहां तक कि बिहार हुए और दूरदाराज के स्थानों में भी चिकित्सा सुविधाएं स्थापित की हैं। इन सुविधाओं में अस्पताल, डिस्पेंसरी, डिजिटल डिस्पेंसरी, एम्बुलेंस और डॉक्टरों, नर्सों और पैरामेडिकल स्टाफ की एक समर्पित टीम शामिल है।

सुविधाजनक स्वास्थ्य देखभाल विकल्प प्रदान करना

कर्मचारी, अपने हकदार परिवार के सदस्यों के साथ, इन चिकित्सा सुविधाओं पर मुफ्त उपचार सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा, हमने निजी तौर पर सूचीबद्ध अस्पतालों के साथ सहयोग किया है, जिससे कर्मचारियों को आवश्यकता पड़ने पर उपचार प्राप्त करने में सक्षम बनाया जा सके। ऐसी स्थितियों में जहां विशिष्ट सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती हैं, मरीजों को उपचार के लिए उपयुक्त उच्च केंद्रों पर भेजा जाता है। मानसिक स्वास्थ्य के महत्व को पहचानते हुए, हम यह भी सुनिश्चित करते हैं कि हमारे कर्मचारियों की कंपनी के अस्पतालों में मानसिक स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं तक पहुंच हो।

शीघ्र प्राथमिक चिकित्सा सेवाएं

कार्यस्थल पर चोट लगने की स्थिति में, खदानों में प्राथमिक चिकित्सा सेवाओं के माध्यम से तत्काल ध्यान प्रदान किया जाता है। खनन स्थानों के निकट सुविधाजनक रूप से स्थित चिकित्सा इकाइयाँ उचित चिकित्सा देखभाल प्रदान करने के लिए सुसज्जित हैं। गंभीर चोटों के मामलों में, खदान प्रबंधक तुरंत चिकित्सा परिचारक को घटना की रिपोर्ट करता है, जो आगे के मूल्यांकन और आवश्यक कार्रवाई के लिए चोट रिपोर्ट प्रस्तुत करता है।

26

डिजिटल औषधालय

564

एम्बुलेंस

1,044

डॉक्टर

1,077

नर्स

1,464

पैरामेडिकल कर्मचारी

387

निजी सूचीबद्ध अस्पताल

366

औषधालय



मानवाधिकारों को सुनिश्चित करना

हम मानवाधिकारों को बढ़ावा देने, समावेशिता को बढ़ावा देने और अपने सभी कर्मचारियों के लिए एक सुरक्षित और निष्पक्ष कार्य वातावरण प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। एक आदर्श नियोक्ता के रूप में, हम विभिन्न अधिनियमों और विनियमों का अनुपालन करते हैं जो हमारे कार्यबल के अधिकारों और हितों की रक्षा करते हैं। हम यह सुनिश्चित करते हैं कि इन अधिनियमों की सार प्रतियां सभी कर्मचारियों के लिए आसानी से उपलब्ध हों, ताकि उनके अधिकारों के बारे में जागरूकता और समझ को बढ़ावा दिया जा सके।

मानवाधिकारों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता कई प्रमुख अधिनियमों के पालन से परिलक्षित होती है, जिनमें शामिल हैं:

वेतन भुगतान
अधिनियम,
1936

कर्मचारियों को समय पर
वेतन और सटीक भुगतान
सुनिश्चित करता है।

औद्योगिक रोजगार (स्थायी
आदेश) अधिनियम,
1946

-निष्पक्ष और पारदर्शी
प्रथाओं को सुनिश्चित करते
हुए रोजगार के नियम और
शर्तें स्थापित करता है।

औद्योगिक विवाद
अधिनियम,
1947

-नियोक्ताओं और
कर्मचारियों के बीच विवादों
को सुलझाने, शांतिपूर्ण
औद्योगिक संबंधों को
बढ़ावा देने के लिए एक
रूपरेखा प्रदान करता है।

फैक्टरी अधिनियम,
1948

श्रमिकों के स्वास्थ्य, सुरक्षा
और कल्याण को सुनिश्चित
करता है।

न्यूनतम वेतन अधिनियम,
1948

श्रमिकों को शोषण से
बचाने और उचित मुआवजा
सुनिश्चित करने के लिए
न्यूनतम वेतन मानक स्थापित
करता है।

कोयला खदान भविष्य
निधि और विविध प्रावधान
अधिनियम,
1948

कोयला खदान श्रमिकों
की सामाजिक सुरक्षा और
कल्याण की रक्षा करता है।

खान अधिनियम,
1952

खानों में कार्यरत श्रमिकों के
लिए सुरक्षा और कल्याण
प्रावधान निर्धारित करता है।

मातृत्व लाभ अधिनियम,
1961

मातृत्व लाभ प्रदान करके
और स्वस्थ कार्य-जीवन
संतुलन को बढ़ावा देकर
महिला कर्मचारियों के
अधिकारों की रक्षा करता
है।

अनुबंध श्रम (विनियमन
और उन्मूलन) अधिनियम,
1970

अनुबंध श्रमिकों का कल्याण सुनिश्चित करता है और उनकी रोजगार स्थितियों को नियंत्रित करता है।

ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम,
1972

सेवानिवृति या सेवा समाप्ति पर कर्मचारियों को ग्रेच्युटी का भुगतान सुनिश्चित करता है।

समान पारिश्रमिक
अधिनियम,
1976

लिंग के आधार पर पारिश्रमिक में भेदभाव को रोकता है, समान काम के लिए समान वेतन को बढ़ावा देता है।

अनुसूचित जाति और¹
अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम,
1989

अनुसूचित जाति और जनजाति के अधिकारों की रक्षा करता है और उनके खिलाफ भेदभाव और अत्याचार को रोकता है।

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम,
2013

2013 महिलाओं के लिए एक सुरक्षित और उत्पीड़न मुक्त कार्य वातावरण प्रदान करता है और समाधान के लिए तंत्र स्थापित करता है।

शिकायतें, विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम,
2016

रोजगार में विकलांग व्यक्तियों के लिए समान अवसर, पहुंच और गैर-भेदभाव सुनिश्चित करता है।

ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम,
2019

ट्रांसजेंडर लोगों के अधिकारों को बरकरार रखता है, जिसमें भेदभाव के खिलाफ सुरक्षा और समान अवसरों तक पहुंच शामिल है।

व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा

हम अपने कर्मचारियों के व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा को अन्य सभी चीजों से ऊपर प्राथमिकता देते हैं। हमारा दृढ़ विश्वास है कि दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है, और सावधानीपूर्वक योजना, व्यापक प्रशिक्षण, एक सक्रिय मानसिकता और उचित उपकरणों के प्रावधान के माध्यम से औद्योगिक स्वास्थ्य खतरों को नियंत्रित किया जा सकता है।

0.09 पर मिलियन टन

गंभीर चोट दर

0.03 पर मिलियन टन

मृत्यु दर

10%

चोट की दर में कमी

40%

मृत्यु दर में कमी

सही उपकरणों के माध्यम से श्रमिकों को

सुरक्षा प्रदान कराना

हम अत्याधुनिक खनन प्रौद्योगिकी के उपयोग के महत्व को अहमियत देते हैं। उन्नत उपकरणों और मशीनरी का उपयोग करके, हमारा लक्ष्य खतरों को कम करना और अपने श्रमिकों की भलाई सुनिश्चित करना है। हम लगातार स्तर और गैस प्रबंधन के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने का प्रयास करते हैं, साथ ही अपने कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए अपने जल प्रबंधन प्रोटोकॉल को मजबूत करते हैं।

सुरक्षा प्रोटोकॉल प्रशिक्षण

अपने कार्यबल के बीच सुरक्षा जागरूकता और कौशल बढ़ाने के लिए, हम खान सुरक्षा पर व्यापक प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। इसमें प्रासंगिक कानूनों के अनुसार प्रारंभिक और पुनर्शर्याप्रशिक्षण के साथ-साथ नैकरी पर प्रशिक्षण भी शामिल है। हम भारी अर्थ-मूर्विंग मशीनरी (एचईएमएम) ऑपरेटरों को प्रशिक्षित करने के लिए सिमुलेटर का भी उपयोग करते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि उनके पास उपकरण को सुरक्षित और कुशलता से संचालित करने के लिए आवश्यक विशेषज्ञता है।

आपातकालीन तैयारियां

खदान आपातकाल की स्थिति में, हमारे पास एक मजबूत आपातकालीन प्रतिक्रिया और निकासी योजना (ईआरईपी) है। यह आपातकालीन स्थितियों से कर्मियों की सुरक्षित और व्यवस्थित वापसी के लिए प्रक्रियाओं की रूपरेखा तैयार करता है। इसमें प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करने, परिवहन की व्यवस्था करने और घायलों को चिकित्सा उपचार प्रदान करने का दिशानिर्देश भी शामिल हैं। हमारे कर्मचारियों को महत्वपूर्ण परिचालनों और खदान आपात स्थितियों पर प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया देने के लिए विशेष प्रशिक्षण प्राप्त होता है। हम अपनी आपातकालीन प्रतिक्रिया योजना की प्रभावकारीता का आकलन करने और सुधार के क्षेत्रों की पहचान करने के लिए नियमित रूप से मॉक रिहर्सल भी आयोजित करते हैं।

नियमित संरक्षा निरीक्षण

संभावित खतरों का शिनाख्त करने और संरक्षा नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए हम नियमित रूप से अपनी खदानों का निरीक्षण करते हैं। ये निरीक्षण प्रशिक्षित पेशेवरों द्वारा किए जाते हैं, जो उपकरण की स्थिति, वेंटिलेशन प्रणाली और समग्र सुरक्षा उपायों सहित खनन कार्यों के विभिन्न पहलुओं का सावधानीपूर्वक आकलन करते हैं।



कर्मचारी कल्याण

हम अपने कार्यबल और उनके परिवारों के हित और विकास सुनिश्चित करने के लिए अपने कर्मचारी कल्याण कार्यक्रमों में लगातार मूल्यांकन और सुधार करते हैं। हम अपने कर्मचारियों को व्यक्तिगत और व्यावसायिक रूप से आगे बढ़ने के लिए अनुकूल माहौल प्रदान करने के लिए कई प्रकार की सुविधाएं और लाभ प्रदान करने का प्रयास करते हैं।

आवास सुविधाएं

हम एक आरामदायक और सुरक्षित जगह में रहने के महत्व को समझते हैं। इसलिए, हम पात्र कर्मचारियों को कंपनी कार्टर उपलब्ध कराते हैं। हम अपने कर्मचारियों को रहने के लिए एक अच्छी जगह प्रदान करने के लिए नियमित रूप से नवीनीकरण सहित मरम्मत और रखरखाव का काम भी करते हैं।

जलापूर्ति

स्वस्थ जीवन के लिए स्वच्छ पेयजल पहुंचाना आवश्यक है। इसके निपटान के लिए, हमने विभिन्न जल आपूर्ति योजनाएं लागू की हैं। हम वितरण से पहले पानी की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए उसके उपचार को प्राथमिकता देते हैं। इसके अलावा, हमने कोयला क्षेत्रों में रिवर्स ऑस्मोसिस (आरओ) प्लांट और प्रेशर फिल्टर प्लांट स्थापित किए हैं। इन सुविधाओं से न केवल हमारे कर्मचारियों की जरूरतों को पूरी होती है, बल्कि आसपास के समुदायों को भी लाभान्वित होते हैं। पानी की कमी के दौरान, हम टैंकरों के माध्यम से पानी की आपूर्ति की भी व्यवस्था करते हैं, जिससे बड़ी संख्या में लोगों को इस महत्वपूर्ण संसाधन तक पहुंच मिलती है।

शिक्षण सुविधाएं

हम अपने कर्मचारियों के बच्चों के भविष्य को आकार देने में शिक्षा के महत्व को समझते हैं। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए, हम खनन क्षेत्रों में संचालित विद्यालयों को वित्तीय सहायता और बुनियादी सुविधाएं प्रदान करते हैं। डीएवी, केंद्रीय विद्यालय, दिल्ली पब्लिक स्कूल और सरकार द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थानों जैसे प्रसिद्ध संस्थानों को हमारा समर्थन मिलता है। हम निजी तौर पर प्रबंधित विद्यालयों को वित्तीय सहायता और बुनियादी ढांचा सहायता भी प्रदान करते हैं। कोयला क्षेत्रों में और उसके आसपास शैक्षणिक संस्थान।

छात्रवृत्ति

हम अपने कर्मचारियों के बच्चों की शैक्षिक आकांक्षाओं का समर्थन करते हुए कोल इंडिया छात्रवृत्ति प्रदान करते हैं। इस योजना के तहत, हम दो प्रकार की छात्रवृत्तियाँ प्रदान करते हैं: योग्यता और सामान्य छात्रवृत्ति। ये छात्रवृत्तियाँ निर्धारित नियमों और शर्तों का पालन करते हुए प्रतिवर्ष प्रदान किये जाते हैं। इससे, हम शैक्षणिक उत्कृष्टता को प्रोत्साहित करते हैं और अपने कर्मचारियों के बच्चों को उनके शैक्षिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम बनाते हैं।



निदेशक मंडल



श्री. पीएम प्रसाद
अध्यक्ष

सरकार द्वारा नामित निदेशक



श्री. नागराजू मद्दीराला



श्रीमती मिरुपमा कोटरू

कार्यकारी निदेशक



श्री विनय रंजन



डॉ. बी. वीरा रेड्डी



श्री देवाशीष नंदा



श्री मुकेश चौधरी

स्वतंत्र निदेशक



प्रो. जी. नारेश राव



डॉ अरुण कुमार ओराँव



सी.ए. कामेश कांत आचार्य



सी.ए. दिनेश सिंह



श्री. पुनमभाई कालाभाई मकवाणा



श्री. भौ. राजेशचंद्र



कैप्टन घनश्याम सिंह राठौड़

मुख्य सतर्कता अधिकारी



श्री ब्रजेश कुमार त्रिपाठी

बोर्ड के सदस्य और वरिष्ठ प्रबंधन

18 जुलाई 2023 तक

कार्यात्मक निदेशक

श्री. पीएम प्रसाद	: अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक
श्री. विनय रंजन	: कार्मिक और औद्योगिक संबंध
डॉ. बी. वीरा रेण्डी	: तकनीकी
श्री. देवाशीष नंदा	: व्यवसाय विकास एवं वित्त (अतिरिक्त प्रभार)
श्री. मुकेश चौधरी	: मार्केटिंग

स्वतंत्र निदेशक

प्रोफेसर नागेश्वर राव गोलापल्ली	
सीए दिनेश सिंह	
श्री. भोजराजन राजेशचंद्र	
सीए कामेश कांत आचार्य	
श्री. पुनमभाई कालाभाई मकवाणा	
डॉ. अरुण कुमार उराँव	
कैप्टन घनश्याम सिंह राठौड़	

कार्यकारी निदेशक

श्री. एमके सिंह	: समन्वय
श्री. नारायण दास	: सुरक्षा एवं बचाव
डॉ. एके सामंतराय	: कॉर्पोरेट मामले और व्यवसाय विकास
श्री. राकेश	: सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी
श्री. सुनील कुमार मेहता	: वित्त एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी
श्री. सुर्धीर अग्रवाल	: इंजीनियरिंग एवं उपकरण
श्री. सौमित्र सिंह	: सौर
श्री. आलोक ललित कुमार	: प्रोडक्शन
श्री. संजय खरे	: भूमि एवं पुनर्बास
श्री. प्रतुल देव शर्मा	: सामग्री एवं अनुबंध
श्री. सुजय हलदर	: मार्केटिंग एवं लॉजिस्टिक्स

सरकार द्वारा नामित निदेशक

श्री. नागराजू मद्दीराला	: अतिरिक्त. सचिव, एमओसी, नई दिल्ली
श्रीमती निरुपमा कोटरू	: जेएस एवं एफए, एमओसी, नई दिल्ली

कंपनी सचिव

श्री. बीपी दुबे

बैंक, लेखा परीक्षक, पंजीकृत कार्यालय और आरटीए

- | | | | |
|----------|-----------------------|-----------|-------------------------|
| 1 | बैंक ऑफ इंडिया | 8 | आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड |
| 2 | बैंक ऑफ बड़ौदा | 9 | आईडीबीआई बैंक |
| 3 | केनरा बैंक | 10 | इंडियन बैंक |
| 4 | पंजाब नेशनल बैंक | 11 | यूको बैंक |
| 5 | भारतीय स्टेट बैंक | 12 | एक्सिस बैंक |
| 6 | यूनियन बैंक ऑफ इंडिया | 13 | कोटक महिंद्रा बैंक |
| 7 | एचडीएफसी बैंक लिमिटेड | 14 | बैंक ऑफ महाराष्ट्र |

सांविधिक लेखापरीक्षक	पंजीकृत कार्यालय	वेबसाइट	रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट
मेसर्स लोढ़ा एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउटेंट, 14 सरकारी स्थान पूर्वी कोलकाता पिन कोड - 700069	कोल भवन, परिसर क्रमांक-04 मार्च, प्लॉट नंबर-एएफ-III, एक्शन एरिया-1ए, न्यू टाउन, राजारहाट, कोलकाता-700156 फ़ोन: 033-23245555 ईमेल: complianceofficer.cil@coalindia.in सीआईएन: L23109WB1973GOI028844	www.coalindia.in	मेसर्स अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड 205-208 अनारकली कॉम्प्लेक्स झाँडेवालान एक्सटेंशन, नई दिल्ली - 110 055 फोन नंबर: 011-4254-1234/2354-1234 फैक्स नंबर: 011-4154-3474 ई-मेल आईडी: rta@alankit.com वेबसाइट: www.alankit.com टोल फ्री नंबर: 1860-121-2155

परिचालन सांख्यिकी

31 मार्च को समाप्त होने वाला वर्ष	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
1.ए) कोयले का उत्पादन									
(मिलियन टन)									
भूमिगत	25.487	25.624	26.454	30.037	30.480	30.542	31.477	33.786	35.042
खुली खदान	677.717	597.01	569.766	572.101	576.40	536.823	522.663	504.968	459.196
कुल	703.204	622.63	596.22	602.138	606.89	567.365	554.140	538.754	494.238
(ब) अधिभार हटाना									
(मिलियन सियुम)									
1,658.627	1,362.06	1,344.683	1,154.327	1,161.99	1,178.115	1,156.377	1,148.908	886.528	
2. ऑफ ट्रैक (कच्चा कोयला)									
(मिलियन टन)									
शक्ति	586.58	540.57	444.97	465.678	491.247	453.473	426.294	407.648	385.852
स्टील/हार्ड कोक	9.092	6.85	5.691	5.394	5.372	5.835	6.759	7.668	6.994
अन्य	99.022	115.15	123.814	110.854	111.517	120.976	110.266	119.180	96.531
कुल	694.689	662.57	574.480	581.926	608.137	580.284	543.319	534.496	489.377
3. औरसत जनशक्ति									
2,43,880	2,53,783	2,65,730	2,78,962	2,92,118	3,04,386	3,162,10	3,27,750	3,39,867	
2,39,210	2,48,550	2,59,016	2,72,445	2,85,479	2,98,757	3,10,016	3,22,404	3,33,097	
4. वार्षिक जनशक्ति									
5. उत्पादकता									
ए) औरसत प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष (टन)									
2,940	2,505	2,302	2,210	2,126	1,899	1,787	1,671	1,484	
बी) आउटप्रूट प्रति मैनशिप (ओएमएस)									
i) भूमिगत (टन)	1.05	0.98	0.93	0.99	0.95	0.86	0.80	0.80	0.79
ii) ओपन कार्पस्ट (टन)	22.04	15.23	15.09	14.25	14.68	14.10	15.26	14.35	13.13
iii) कुल मिलाकर (टन)	12.80	9.53	9.02	8.53	8.51	7.71	7.53	6.95	6.20

परिचालन सांख्यिकी - कोल इंडिया लिमिटेड (समैक्य)

आय और व्यय विवरण

क्रमांक	31 मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए						(₹ करोड़ में)		
		2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
ए से कमाया									
1	सकल बिक्री (कोलेक्शन)	1,87,455.57	1,52,603.3	1,26,786.13	1,34,979.13	1,40,603.00	1,26,543.97	1,22,286.96	1,08,147.54
	घटाएँ: उत्पाद शुल्क और अन्य लेवी	59,828.1	52,040.73	44,075.81	45,605.79	47,706.92	45,432.71	46,684.10	32,505.76
2	कुल बिक्री	1,27,627.47	1,00,562.57	82,710.32	89,373.34	92,896.08	81,111.26	75,602.86	75,641.78
3.आई कोलेला आयात के लिए सुविधा शुल्क									
3.ii	रेत भंडारण और सुरक्षात्मक कर्यां के लिए समिक्षा	3.38	1.46	8.31	0.76	6.82	80.79	126.84	126.85
3.iii	परिवहन और लोडिंग लागत की वस्तु (उत्पाद शुल्क का शुद्ध)	6,138.57	5,236.39	4,442.95	3,832.02	3,853.99	2,980.60	2,490.91	2,238.62
3.iv	निकासी सुविधा शुल्क (लेवी का शुद्ध)	4,161.38	3,632.07	2,321.65	2,392.91	2,520.65	743.57		
3.vi	सेवाओं से राजस्व (लेवी का शुद्ध)	307.18	282.93	542.78	481.31	308.07	328.02	190.60	
3	अन्य परिचालन राजस्व (उत्पाद शुल्क का शुद्ध)	10,624.44	9,152.85	7,315.69	6,707.00	6,689.53	4,132.98	2,808.35	2,365.85
3.आई	जमा और निवेश पर व्याज	3,069.09	1,612.55	1,509.47	3,309.66	3,167.04	2,770.90	3,536.11	4,747.97
4.ii	स्ट्रुक्चरल फंड से लाभाश	0	11.01	3.94	157.44	243.36	180.85	194.49	265.09
4.iii	अन्य गैर-परिचालन आय	3,481.57	2,257.85	2,229.42	2,977.86	2,426.66	2,023.13	1,593.61	927.52
4	अन्य कमाई	6,550.66	3,881.41	3,742.83	6,444.96	5,837.06	4,974.88	5,324.21	5,940.58
कुल (ए) कोल भ्रातान किया गया/प्रदान किया गया									
1.आई	बेतन, मजदूरी, भर्ते, बोनस आदि।	38,644.35	30,534.07	28,634.74	28,812.51	28,542.12	28,008.89	25,995.43	23,675.76
1.ii	पीएफ और अन्य फंड में योगदान	8,369.00	7,905.73	7,753.70	8,271.56	8,080.78	12,035.02	5,045.79	4,301.95
1.iii	अन्य	2,395.81	2,033.41	2,203.98	2,320.11	2,149.95	2,577.93	2,481.66	2,149.07
1	कर्मचारी लाभ व्यय	49,409.16	40,473.21	38,592.42	39,404.18	38,772.85	42,621.84	33,522.88	30,126.78
2	उपभोग की गई समझी की लागत	13,557.00	9,443.51	7,588.54	7,065.46	7,331.43	6,813.33	6,968.52	7,039.76
3	स्टॉक-इन-ट्रैड की खरीद	469.74	103.56	282.34	60.80				
4	तैयार माल/कार्य प्राप्ति पर और व्यापार में स्टॉक की सूची में परिवर्तन	(678.12)	2308.49	(2,351.26)	(1,042.50)	856.24	1,679.46	(1,238.38)	(1,444.22)
5	बिजली व्यय	2,759.89	2,638.46	2,524.67	2,467.22	2,443.08	2,516.42	2,546.45	2,490.54
6	कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय	586.5	548.98	449.31	587.84	416.47	483.78	489.67	1,082.16
7	प्रमाणत	1,772.28	1,632.33	1,544.85	1,410.93	1,486.56	1,439.01	1,285.92	1,241.67
8	संविदात्मक व्यय	23,289.21	18,875.16	16,045.91	13,911.55	13,337.84	12,757.28	12,303.03	11,128.42
9	वित लागत								
	छूट का समाप्तन	546.09	456.81	446.46	434.29	251.33	393.59	378.55	365.51
	अन्य वित लागत	138.22	84.68	195.78	68.63	12.35	36.51	30.63	20.65
10	मूल्यहास/परिशोधन/हानि	4,675.27	4,428.67	3,717.85	3,450.83	3,450.36	3,062.70	2,906.75	2,825.91
11	स्ट्रिपिंग गतिविधि समयोजन	3,809.11	3,760.86	1,450.37	5,541.87	5071.19	3,358.25	2,672.21	2,811.42
12	प्रवधान एवं बहुत खाते में डालना	567.53	184.33	1023.21	486.41	111.61	82.61	2,331.95	884.57
13	अन्य खर्च	5,891.74	5,032.91	4,246.18	4,605.30	4,752.49	4,204.03	5,090.91	3,935.24
1	कुल (बी)	1,06,793.62	89,971.96	75,756.63	78,452.81	78,293.80	79,448.81	69,289.09	62,508.41

परिचालन सांख्यिकी – कोल इंडिया लिमिटेड (समेकित)

आय और व्यय विवरण

		(₹ करोड़ में)							
क्रमांक	31 मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
14	संयुक्त उद्यम/सहयोगी के शेयर से पहले लाभ/(हानि) (ए-बी)	38,008.95	23,624.87	18,012.21	24,072.49	27,128.87	10,770.31	14,446.33	21,439.80
15	संयुक्त उद्यम/सहयोगी का लाभ/(हानि) का हिस्सा	(8.14)	(8.59)	(2.97)	(1.17)	(2.00)	0.44	(1.76)	(1.14)
16	कर देने से पूर्व लाभ	38,000.81	23,616.28	18,009.24	24,071.32	27,126.87	10,770.75	14,444.57	21,438.66
17	कम: कर व्यय	(9,875.87)	(6,237.86)	(5,307.07)	(7,370.98)	(9,662.45)	(3,732.31)	(5,164.79)	(7,171.87)
18	निस्तर संचालन से अवधि के लिए लाभ	28,124.94	17,378.42	12,702.17	16,700.34	17,464.42	7,038.44	9,279.78	14,266.79
19	बंद परिचालन से लाभ/(हानि) (कर के बाद)	28,124.94	17,378.42	12,702.17	16,700.34	17,464.42	7,038.44	(0.01)	(0.01)
21	अवधि के लिए लाभ							9,279.77	14,266.78
22	अन्य व्यापक आय								
	ए (i) आइटम जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनर्गठित नहीं किया जाएगा	353.40	90.28	(769.73)	(1,805.19)	(42.53)	973.37	140.15	455.01
	(ii) उन वस्तुओं से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनर्गठित नहीं किया जाएगा	(88.94)	(39.19)	134.70	469.88	59.53	(330.56)	(58.16)	(160.89)
	बी (i) आइटम जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनर्गठित किया जाएगा	0.17	0.22	(0.48)	0.58	0.38	0.01	0.01	0.29
	(ii) उन वस्तुओं से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ या हानि के रूप में पुनर्गठित किया जाएगा	–	–	–	–	–	–	–	–
	कुल अन्य व्यापक आय	264.63	51.31	(635.51)	(1,334.73)	17.38	642.82	82.00	294.41
23	अवधि के लिए कुल व्यापक आय (इस अवधि के लिए लाभ (हानि) और अन्य व्यापक आय शामिल)	28,389.57	17,429.73	12,066.66	15,365.61	17,481.80	7,681.26	9,361.77	14,561.19
24	इसके काण होने वाला लाभ:								
	कंपनी के मालिक	28,165.19	17,358.10	12,699.89	16,714.19	17,463.07	7,038.56	9,280.02	14,266.82
	अनियंत्रित व्याज	(40.25)	20.32	2.28	(13.85)	1.35	(0.12)	(0.25)	(0.04)
25	अन्य व्यापक आय के कारण:								
	कंपनी के मालिक	264.63	51.31	(635.51)	(1,334.73)	17.38	642.82	82.00	294.41
	अनियंत्रित व्याज								
26	कुल व्यापक आय जिसके कारण:								
	कंपनी के मालिक	28,429.82	17,409.41	12,064.38	15,379.46	17,480.45	7,681.38	9,362.02	14,561.23
	अनियंत्रित व्याज	(40.25)	20.32	2.28	(13.85)	1.35	(0.12)	(0.25)	(0.04)
		28,389.57	17,429.73	12,066.66	15,365.61	17,481.80	7,681.26	9,361.77	14,561.19

परिचालन सांख्यकी - कोल इंडिया लिमिटेड (समेकित)

क्र.सं. नंहीं	31 मार्च की स्थिति के अनुसार विवरण							(₹ करोड़ में)	
		2023	2022	2021	2020	2019	2018		
संपत्ति									
ए	गैर तात्कालिक परिसंपत्ति								
(ए)	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	44,447.97	42,697.79	37,753.65	32,302.35	28,546.43	24,059.98	22,035.99	20,662.55
(बी)	पूँजीगत कर्त्या प्राप्ति पर	15,262.62	12,713.73	10,403.66	8,271.09	9,618.98	10,272.70	8,585.22	4,553.22
(सी)	अन्वेषण और मूल्यांकन संपत्ति	4,924.85	3,873.55	4,605.81	4,443.12	4,036.71	3,484.58	1,717.73	1,351.13
(डी)	अमूर्त संपत्ति	2,588.11	105.62	45.76	38.14	35.18	29.53	57.65	68.81
(ई)	विकास के तहत अमूर्त संपत्ति	2,359.35	183.41	86.17	57.16	38.70			
(एफ)	वित्तीय संपत्ति								
(i)	निवेश	3,085.4	24,26.97	2,317.64	1,873.17	1,419.84	1,303.06	969.39	966.11
(ii)	ऋण	3,72.21	355.47	190.00	638.59	1,141.73	1,020.08	23.29	80.60
(iii)	अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	16,300.29	14,498.79	13,140.24	12,293.05	12,098.95	11,315.98	9,534.29	8,883.05
(जी)	आस्थगित कर संपत्ति (शुद्ध)	4,177.00	4,128.42	4,068.09	3,618.01	4,269.16	5,355.05	2,732.76	2,044.54
(ज)	अन्य गैर-चालू संपत्तियाँ	9,606.15	6,407.94	4,417.23	3,105.25	2,144.39	2,514.08	2,238.99	1,891.67
कुल गैर-चालू संपत्ति (ए)		1,03,123.95	87,391.69	77,028.25	66,639.93	63,350.07	59,355.04	47,895.31	40,501.68
बी	वर्तमान संपत्ति								
(ए)	सुधृदी	8,154.68	7,075.68	8,947.47	6,617.98	5,583.93	6,443.85	8,945.27	7,569.17
(बी)	वित्तीय संपत्ति								
(i)	निवेश	4,054.01	6,493.63	3,632.59	99.70	1,749.96	400.57	513.47	1,939.96
(ii)	व्यापार प्राप्य	13,060.48	11,367.68	19,623.12	14,408.22	5,498.55	6,257.80	12,476.27	11,447.61
(iii)	नकद और नकद समकक्ष	5,665.38	7,063.48	5,112.40	2,791.10	2,302.36	3,997.67	4,193.91	4,876.40
(iv)	अन्य बैंक शेष	34,256.47	22,901.75	12,197.90	25,657.86	28,821.87	27,282.31	26,955.28	33,138.51
(V)	ऋण	20.79	0.32	500.81	502.65	502.33	3.69	12.48	21.80
(vi)	अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	2,716.96	2,620.91	2,215.65	2,779.28	3,522.09	3,383.68	2,829.83	2,491.07
(सी)	वर्तमान कर संपत्ति (नेट)	8,719.00	8,423.19	9,161.38	8,950.27	9,202.53	7,996.58	7,467.97	4,397.87
(डी)	अन्य वर्तमान संपत्ति	31,434.93	26,899.35	23,362.00	21,880.49	12,487.76	10,349.48	6,525.43	6,444.13
कुल वर्तमान संपत्ति (बी)		10,8082.7	92,845.99	84,753.32	83,687.55	69,671.38	66,115.63	69,919.91	72,326.52
कुल संपत्ति (ए+बी)									
इक्षिटी और देवता हिस्तेदारी									
ए									
1	जारी, सब्लक्षाइट और प्रदत्त इक्षिटी शेयर पूँजी पूँजी मेचन सिजर्व	6162.73	6,162.73	6,162.73	6,162.73	6,162.73	6,207.41	6,207.41	6,316.36
2	खुलने पर संतुलन वर्ष के दैरान अतिरिक्त इक्षिटी शेयरों की प्रतिवर्षीय	1,202.96	1,202.96	1,202.96	1,202.96	1,013.13	2,064.51	1,808.36	1,808.36
						189.83	-	256.15	0.00

परिचालन सांख्यिकी – कोल इंडिया लिमिटेड (समेकित)

वित्तीय स्थिति

क्र.सं.	31 मार्च की स्थिति के अनुसार नहीं।	(₹ करोड़ में)						
		2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
3	बोनस शेयर जारी करना समापन पर शेष संपत्ति कोष	1,202.96	1,202.96	1,202.96	1,202.96	1,013.13	1,051.38	2,064.51
3	खुलने पर संतुलन वर्ष के दौरान अतिरिक्त वर्ष के दौरान समायोजन बोनस शेयर जारी करना इकिटी शेयरों की पुनर्खिद समापन पर शेष	1,566.57 2.63 (1.40)	1,565.45 2.20 (1.08)	1,461.52 0.19 (0.98)	1,461.82 0.60 (0.90)	1,567.66 1.00 (1.33)	1,548.45 0.39 (0.99)	1,808.36 18.18 2.32 (0.69)
4	सामान्य रिजर्व खुलने पर संतुलन समायोजन जनरल रिजर्व में/से स्थानांतरण इकिटी शेयरों की पुनर्खिद बायबैक पर टैक्स बोनस शेयर जारी करना समापन पर शेष	17,641.59	16,779.18	16,080.17	15,321.42	15,737.15	15,676.06	23,139.53 (3,914.17) 21,511.02
4	समायोजन जनरल रिजर्व में/से स्थानांतरण इकिटी शेयरों की पुनर्खिद बायबैक पर टैक्स बोनस शेयर जारी करना समापन पर शेष	1,326.83	862.41	721.38	758.75	791.17 (1,065.00) (141.90)	544.89 (3,797.20) (262.85)	510.75 1,628.51
5	प्रतिधारित कमाई खुलने पर संतुलन समायोजन अवधि के लिए लाभ विनियोग जनरल रिजर्व में/से स्थानांतरण अन्य भांडारों में स्थानांतरण अंतीम लाभांश अंतीम लाभांश कार्यपाल लाभांश कर इकिटी शेयरों की पुनर्खिद बायबैक पर टैक्स बोनस शेयर जारी करना समापन पर शेष	18,968.42	17,641.59	16,779.18	16,080.17	15,321.42 (5,365.55) (0.03)	15,737.15 174.18 303.68 7,038.56	15,676.06 3,256.61 3,891.65 9,280.02
6	अन्य व्यापक अव्य परिवर्तित लाभ योजनाओं का ओसीआई पुनर्मानन (कर का शुद्ध) खुलने पर शेष	29,938.97	17,451.80	11,740.96	7,547.95 (7,395.27) (2,156.97)	1,269.89 (8,105.58) (1,833.86)	(544.89) (10,242.24) (2,081.57)	(1,628.51) – – (2,750.36) (640.23)

परिचालन सांख्यिकी – कोल इंडिया लिमिटेड (समैक्य)

वित्तीय स्थिति

108

कोल इंडिया लिमिटेड

एकीकृत वार्षिक रिपोर्ट 2022-23

क्र.सं.	31 मार्च की स्थिति के अनुसार नहीं।	(₹ करोड़ में)						
		2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
	विवरण							
	परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्मापन (कर का शुद्ध)	264.46	51.09	(636.01)	(1,334.73)	17.38	642.82	82.00
	समायोजन	21.99						294.12
	समापन पर शब्द	(596.88)	(883.33)	(934.42)	(298.41)	1,036.32	1,018.94	376.12
	किसी विदेशी सहायक कंपनी के वित्तीय विवरणों के अनुचान में ऑसीआई-							
	एकमर्जन अंतर							
	छलने पर शेष	0.72	0.50					
	अवधि के लिए लाभ	0.17	0.22	0.50				
	समापन पर शेष	0.89	0.72	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	समापन पर शेष	(595.99)	(882.61)	(933.92)	(298.41)	1,036.32	1,018.94	376.12
	अन्य इकिटी	51,082.16	36,980.31	30,354.63	25,994.19	20,292.41	13,971.33	18,310.68
7	कंपनी के इकिटीधारकों के लिए जिम्मेदार इकिटी	57,244.89	43,143.04	36,517.36	32,156.92	26,455.14	20,178.74	24,518.09
8	अनिवार्य व्याज	770.68	673.79	441.08	394.08	407.80	362.45	345.92
9	कुल इकिटी (ए)	58,015.57	43,816.83	36,958.44	32,551.00	26,862.94	20,541.19	24,864.01
	देखताएं							
	वी गैर मौजूदा देनदारियाँ							
	(ए) वित्तीय देनदारियां							
	(i) उधार	4,106.25	3,301.78	2,688.10	1,993.38	1,472.27	1,054.40	294.80
	(आईए) व्यापार देव	157.00	159.66	1.11				263.06
	(ii) अन्य वित्तीय देनदारियाँ	3,207.57	2,477.84	1,590.02	802.51	1,354.56	1,164.92	1,042.76
	(बी) प्रावधान	68,827.95	65,944.00	63,540.59	60,223.45	52,380.16	50,024.48	43,778.11
	(सी) आस्थगित कर देनदारियाँ (शुद्ध)	1,330.68	801.35	730.73	307.04			1,219.41
	(टी) अन्य गैर-वर्तमान देनदारियाँ	6,826.99	6,527.71	5,685.68	5,381.81	4,853.72	4,366.58	3,819.71
10	कुल गैर-वर्तमान देनदारियाँ (बी)	84,456.44	79,212.34	74,236.23	68,708.19	60,060.71	56,610.38	48,935.38
	सी वर्तमान देनदारियाँ							
	(ए) वित्तीय देनदारियां							
	(i) उधार	8.48	7.98	3,194.79	4,432.61	730.47	476.54	2,712.97
	(आईए) लीज देनदारियाँ	59.69	44.22	0.23				929.03
	(ii) व्यापार देव	8,549.18	8,603.53	8,473.14	7,250.96	9,417.97	6,974.40	3,884.31
	(iii) अन्य वित्तीय देनदारियाँ	12,815.19	11,431.07	10,507.08	8,446.80	4,156.19	4,470.61	4,747.97
	(बी) अन्य वर्तमान देनदारियाँ	32,313.94	30,897.32	22,889.38	22,156.48	24,966.55	24,364.36	21,524.07
	(सी) प्रावधान	14,963.38	6,224.39	5,522.28	6,781.44	6,826.62	12,033.19	11,146.51
	(टी) वर्तमान कर देनदारियाँ	24.78	0.00					8,047.83
	कुल वर्तमान देनदारियाँ (सी)	68,734.64	57,208.51	50,586.90	49,068.29	46,097.80	48,319.10	44,015.83
	कुल वर्तमान देनदारियाँ (ए+बी+सी)	2,11,206.65	1,80,237.68	1,61,781.57	1,50,327.48	1,33,021.45	1,25,470.67	1,17,815.22
	कुल वर्तमान देनदारियाँ (ए+बी+सी)	2,11,206.65	1,80,237.68	1,61,781.57	1,50,327.48	1,33,021.45	1,25,470.67	1,17,815.22



**परिचालन सांच्यकी - कोल इंडिया लिमिटेड (समेकित)
महत्वपूर्ण वित्तीय जानकारी**

(₹ करोड़ में)										
क्र.सं	31 मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए									
	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
ए	संपत्ति एवं देनदारियाँ से संबंधित									
1.i	प्रत्येक 10 के इकिटी शेयरों (सीआईएल) की संख्या	6162728327	6162728327	6162728327	6162728327	6162728327	6207409177	6207409177	6316364400	
1.ii	हिस्सेदारी									
1.ii.a	इकिटी शेयर पूँजी	6162.73	6,162.73	6,162.73	6,162.73	6,162.73	6,207.41	6,207.41	6,316.36	
1.ii.b	अन्य इकिटी	51,082.16	36,980.31	30,354.63	25,994.19	20,292.41	13,971.33	18,310.68	28,516.80	
1.ii.c	इकिटी (1.ii.a + 1.ii.b)	57,244.89	43,143.04	36,517.36	32,156.92	26,455.14	20,178.74	24,518.09	34,833.16	
1.ii.d	पूँजी आगक्षित (बोनस शेयर जारी करने को छोड़कर)	20.13	18.90	17.78	18.57	18.88	19.21	19.81	18.18	
1.ii.e	केट र्हर्थ (1.ii.c - 1.ii.d)	57,224.76	43,124.14	36,499.58	32,138.35	26,436.26	20,159.53	24,498.28	34,814.98	
2.i	दीर्घकालिक उधार को छोड़कर। वर्तमान परिपक्तता	4,106.25	3,301.78	2,688.10	1,993.38	1,472.27	1,054.40	294.80	263.06	
2.ii	दीर्घकालिक उधार की वर्तमान परिपक्तता	8.45	7.80	7.59	7.78	7.20	6.78	11.58	6.70	
2.iii	दीर्घकालिक उधार सहित। वर्तमान परिपक्तता (2.i. + 2.ii.)	4,114.70	3,309.58	2,695.69	2,001.16	1,479.47	1,061.18	410.69	269.76	
2.iv.	लघु अवधि की उधारी	8.48	7.98	3,194.79	4,432.61	730.47	476.54	2,712.97	929.03	
2.v.	कुल उधार (वर्तमान परिपक्तता सहित) (2.i.+2.iv.)	4,114.73	3,309.76	5,882.89	6,425.99	2,202.74	1,530.94	3,007.77	1,192.09	
3.i	सकल संपत्ति संयंत्र एवं उपकरण	69,495.94	63,962.27	55,361.11	46,826.33	40,085.35	32,499.12	27,630.94	23,341.40	
3.ii.	सचित मूल्यहास/हासि	25,047.97	21,264.48	17,607.46	14,523.98	11,538.92	8,439.14	5,594.95	2,678.85	
3.iii.	शुद्ध संपत्ति संयंत्र और उपकरण (3.i. – 3.ii.)	44,447.97	42,697.79	37,753.65	32,302.35	28,546.43	24,059.98	22,035.99	20,662.55	
3.iv.	निवल अन्य अचल संपत्तियाँ	22,775.58	16,692.90	15,055.23	12,752.35	13,690.87	13,786.81	10,360.60	5,973.16	
3.v.	अन्य गैर – वर्तमान परिसंपत्ति	35,900.40	28,001.00	24,219.37	21,585.23	21,112.77	21,508.25	15,498.72	13,865.97	
3.vi.	वर्तमान संपत्ति	1,08,082.70	92,845.99	84,753.32	83,687.55	69,671.38	66,115.63	69,919.91	72,326.52	
3.vii.	कुल संपत्ति (3.i. से 3.vi.)	2,11,206.65	1,80,237.68	1,61,781.57	1,50,327.48	1,33,021.45	1,25,470.67	1,17,815.22	1,12,828.20	
3.viii.	वर्तमान देनदारियाँ	68,734.64	57,208.51	50,586.90	49,068.29	46,097.80	48,319.10	44,015.83	31,354.16	
3.ix.	नियोजित पूँजी (3.vii – 3.viii.)	1,42,472.01	1,23,029.17	1,11,194.67	1,01,259.19	86,923.65	77,151.57	73,799.39	81,474.04	
4.i	व्यापार प्राप्तिया	13,060.48	11,367.68	19,623.12	14,408.22	5,498.55	6,257.80	12,476.27	11,447.61	
4.ii	नकद एवं नकद समतुल्य	5,665.38	7,063.48	5,112.40	2,791.10	2,302.36	3,997.67	4,193.91	4,876.40	
4.iii	अन्य बैंक शेष	34,256.47	22,901.75	12,197.90	25,657.86	28,821.87	27,282.31	26,955.28	33,138.51	
5.i	कोयले का अंतिम स्टॉक (शुद्ध)	6,105.11	5,413.16	7,619.11	5,199.51	4,138.24	4,979.09	7,412.79	6,162.54	
5.ii	टुकराने एवं पुर्जी का अंतिम स्टॉक (नेट)	1,932.13	1,561.64	1,125.27	1,183.75	1,209.19	1,231.92	1,316.73	1,212.69	
5.iii	समापन स्टॉक अन्य (नेट)	117.44	100.88	203.09	234.72	236.50	232.84	215.75	193.94	
इ	लाभ/हानि से संबंधित									
1.i	संयुक्त उद्यम/सहयोगी के शेयर से पहले लाभ/(हानि)	38,008.95	23,624.87	18,012.21	24,072.49	27,128.87	10,770.31	14,446.33	21,439.80	
1.ii	कर देने से पूर्व लाभ	38,000.81	23,616.28	18,009.24	24,071.32	27,126.87	10,770.75	14,444.57	21,438.66	
1.iii	कर प्राप्ति लाभ/अवधि के लिए लाभ	28,124.94	17,378.42	12,702.17	16,700.34	17,464.42	7,038.44	9,279.77	14,266.78	
1.iv	अन्य व्यापक आय	264.63	—	51.31	(635.51)	(1,334.73)	17.38	642.82	82.00	294.41
1.v	कुल व्यापक आय (1.iii +1.iv)	28,389.57	17,429.73	12,066.66	15,365.61	17,481.80	7,681.26	9,361.77	14,561.19	

परिचालन सांख्यिकी – कोल इंडिया लिमिटेड (समेकित)

महत्वपूर्ण वित्तीय जानकारी

क्र.सं	31 मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए	(₹ करोड़ में)							
		2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
2.i	कोशले की सकल बिक्री	1,87,455.57	1,52,603.30	1,26,786.13	1,34,979.13	1,40,603.00	1,26,543.97	1,22,286.96	1,08,147.54
2.ii	कुल बिक्री	1,27,627.47	1,00,562.57	82,710.32	89,373.34	92,896.08	81,111.26	75,602.86	75,641.78
2.iii.	अन्य परिचालन आय	10,624.44	9,152.85	7,31.69	6,707.00	6,689.53	4,132.98	2,808.35	2,365.85
2.iv	परिचालन से रजतव (शुद्ध) (2.ii.+2.iii.)	1,38,251.91	1,09,715.42	90,026.01	96,080.34	99,585.61	85,244.24	78,411.21	78,007.63
3.i.	जमा और निवेश पर व्याज (व्याज आय)	3,069.09	1,612.55	1,509.47	3,309.66	3,167.04	2,770.90	3,536.11	4,747.97
3.ii.	स्थायुअल फंड से लाभांश	0.00	11.01	3.94	1,157.44	243.36	180.85	194.49	265.09
3.iii.	अन्य और-परिचालन आय	3,481.57	2,257.85	2,229.42	2,977.86	2,426.66	2,023.13	1,593.61	927.52
3.iv.	कुल अन्य आय (3.i.+3.ii.+3.iii.)	6,550.66	3,881.41	3,742.83	6,444.96	5,837.06	4,974.88	5,324.21	5,940.58
3	कुल आय (2.iv.+3.iv.)	1,44,802.57	1,13,596.83	93,768.84	1,02,525.30	1,05,422.67	90,219.12	83,735.42	83,948.21
4	कुल व्यय	1,06,793.62	89,971.96	75,756.63	78,452.81	78,293.80	79,448.81	69,289.09	62,508.41
4.i	कर्मचारी लाप्त व्यय	49,409.16	40,473.21	38,592.42	39,404.18	38,772.85	42,621.84	33,522.88	30,126.78
4.ii	उपभोग की गई समग्री की लागत	13,557.00	9,443.51	7,588.54	7,065.46	7,331.43	6,813.33	6,968.52	7,039.76
4.iii	बिजली एवं ईंधन	2,759.89	2,638.46	2,524.67	2,467.22	2,443.08	2,516.42	2,546.45	2,490.54
4.iv	वित्तीय लागत	684.31	541.49	642.24	502.92	263.68	430.10	409.18	386.16
4.vi	मूल्यहस्त और परिशोधन	4,675.27	4,428.67	3,717.85	3,450.83	3,450.36	3,062.70	2,906.75	2,825.91
4.vi.	कामरेट सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय	586.50	548.98	449.31	587.84	416.47	483.78	489.67	1,082.16
4.vii.	स्ट्रिंग गतिविधि समायोजन	3,809.11	3,760.86	1,450.37	5,541.87	5,071.19	3,358.25	2,672.21	2,811.42
4.viii.	प्रवधान एवं बड़े खाते में डालना	567.53	184.33	1,023.21	486.41	111.61	82.61	2,331.95	884.57
5	बेचे गए माल की लागत (4 – 4.iv.-4.vi.-4.vii.-4.viii.)	1,01,146.17	84,936.30	72,191.50	71,333.77	72,430.85	75,094.07	63,386.08	57,344.10
6	ईवीआईटी (1.ii.+ 4.iv.-3.i.)	35,616.03	22,545.22	17,142.01	21,264.58	24,223.51	8,429.95	11,317.64	17,076.85
7	ईवीआईटीटीए (6+4.v.)	40,291.30	26,973.89	20,859.86	24,715.41	27,673.87	11,492.65	14,224.39	19,902.76
8	जोड़े गया मूल्य (1.ii.+4.iv.+4.v.+ 4.i.)	92,769.55	69,059.65	60,961.75	67,429.25	69,613.76	56,885.39	51,283.38	54,777.51

परिचालन सांख्यिकी – कोल इंडिया लिमिटेड (समेकित) महत्वपूर्ण वित्तीय सापेक्ष अनुपात

(₹ करोड़ में)

क्र.सं	अनुपात	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
1	ऋण इकिटी अनुपात								
1.i	- इकिटी पर कुल ऋण	0.07	0.08	0.16	0.20	0.08	0.08	0.12	0.03
1.ii	- इकिटी पर दीर्घकालिक ऋण	0.07	0.08	0.07	0.06	0.06	0.05	0.02	0.01
2	वर्तमान अनुपात	1.57	1.62	1.68	1.71	1.51	1.37	1.59	2.31
3	औसत निवल मूल्य पर रिटर्न	56.05%	43.65%	37.01%	57.02%	74.96%	31.50%	31.29%	37.59%
4	नियोजित औसत पूंजी पर रिटर्न	26.83%	19.25%	16.14%	22.60%	29.53%	10.96%	14.58%	20.65%
5	सकल बिक्री का देनदार टर्नओवर अनुपात (महीनों की संख्या के अनुसार)।	0.78	1.22	1.61	0.88	0.50	0.71	1.17	1.11
6	बेचे गए माल की लागत का इन्वेंटरी टर्नओवर अनुपात (महीनों की संख्या के अनुसार)।	0.68	0.92	1.07	0.79	0.76	0.80	1.29	1.14
7	शुद्ध बिक्री पर ईबीआईटीए मार्जिन	31.57%	26.82%	25.22%	27.65%	29.79%	14.17%	18.81%	26.31%
8	शुद्ध बिक्री पर शुद्ध लाभ मार्जिन	22.04%	17.28%	15.36%	18.69%	18.80%	8.68%	12.27%	18.86%
9	प्रति शेयर आय (₹)	45.70	28.17	20.61	27.12	28.14	11.34	14.80	22.59
10	प्रति शेयर बुक वैल्यू (₹)	92.89	70.01	59.26	52.18	42.93	32.51	39.50	55.15
11	प्रति शेयर बाजार मूल्य (एनएसई) (₹)	213.65	183.05	130.35	140.05	237.20	283.30	292.65	291.95
12	मूल्य आय अनुपात (पी/ई अनुपात)	4.68	6.50	6.32	5.16	8.43	24.98	19.77	12.92
13	प्रति शेयर लाभांश (₹)*	24.25	17.00	16.00	12.00	13.10	16.50	19.90	27.40
14	लाभांश भुगतान अनुपात	53.06%	60.35%	77.63%	44.25%	46.55%	145.50%	134.46%	121.29%
15	बाजार पूंजीकरण (करोड़ में)	1,31,666.69	1,12,808.74	80,331.16	86,309.01	1,46,179.92	1,75,855.90	1,81,659.83	1,84,406.26

* प्रति शेयर लाभांश में अंतिम लाभांश और अंतरिम लाभांश शामिल हैं। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए, 4.00 का अंतिम लाभांश एजीएम में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन है।

सूत्रों

- जोड़ा गया मूल्य = कर पूर्व लाभ + वित्त लागत + मूल्यहास और परिशोधन + कर्मचारी लाभ व्यय
- इकिटी = इकिटी शेयर पूंजी + अन्य इकिटी
- इकिटी पर कुल ऋण = उधार/इकिटी
- इकिटी पर दीर्घकालिक ऋण = (दीर्घकालिक उधार + दीर्घकालिक की वर्तमान परिपक्तता) / इकिटी
- वर्तमान अनुपात = वर्तमान परिसंपत्तियाँ / वर्तमान देनदारियाँ
- औसत निवल मूल्य पर रिटर्न (%) = कर पश्चात लाभ (अवधि के लिए लाभ) / औसत निवल मूल्य
- नियोजित पूंजी = कुल संपत्ति - वर्तमान देनदारियाँ
- ईबीआईटी (ब्याज और कर से पहले कमाई) = कर से पहले लाभ + वित्त लागत - ब्याज आय
- नियोजित औसत पूंजी पर रिटर्न = ईबीआईटी/नियुक्त औसत पूंजी
- देनदार टर्नओवर अनुपात = औसत देनदार (प्रावधान का शुद्ध) / सकल बिक्री *12
- बेचे गए माल की लागत = (कुल व्यय - वित्त लागत - बड़े खाते में डालना - प्रावधान-सीएसआर-स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन)
- इन्वेंटरी टर्नओवर अनुपात = कोयले की औसत इन्वेंटरी/बेचे गए माल की लागत *12
- ईबीआईटीडीए (ब्याज, कर, मूल्यहास और परिशोधन से पहले की कमाई) = कर से पहले लाभ + वित्त लागत + मूल्यहास और परिशोधन - ब्याज आय
- ईबीआईटीडीए मार्जिन = ईबीआईटीडीए/शुद्ध बिक्री
- प्रति शेयर आय = कर पश्चात लाभ (अवधि के लिए लाभ) / इकिटी शेयरों की भारित औसत संख्या
- प्रति शेयर बुक वैल्यू = इकिटी / इकिटी शेयरों की संख्या
- मूल्य अर्जन अनुपात (पी/ई अनुपात) = प्रति शेयर बाजार मूल्य/प्रति शेयर अर्जन मूल्य
- लाभांश भुगतान अनुपात = प्रति शेयर लाभांश/प्रति शेयर आय

परिचालन सांख्यिकी – कोल इंडिया लिमिटेड (समेकित) आय और व्यय विवरण

(₹ करोड़ में)						
क्रमांक	31 मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए	2015	2014	2013	2012	2011
ए	से कमाया					
1	सकल बिक्री (कोयला)	95,434.76	89,216.86	88,281.32	78,410.38	60,240.90
	घटाएँ: उत्पाद शुल्क और अन्य लेवी	(23,420.14)	(20,406.84)	(19,978.58)	(15,994.95)	(10,011.62)
2	कुल बिक्री	72,014.62	68,810.02	68,302.74	62,415.43	50,229.28
3.i	कोयला आयात के लिए सुविधा शुल्क	0.30				
3.ii	रेत भंडारण और सुरक्षात्मक कार्यों के लिए सब्सिडी	78.19	99.89	79.51	67.48	76.83
3.iii	परिवहन एवं लोडिंग लागत की वसूली (शुद्ध)	2,026.96	1,697.61	1469.02	1,376.04	1,218.88
3	अन्य परिचालन राजस्व (शुद्ध) (3.i. से 3.iii.)	2,105.45	1,797.50	1548.53	1,443.52	1,295.71
4.i	जमा और निवेश पर व्याज	5,297.89	5,566.77	6216.71	5,317.77	2,964.34
4.ii	म्युचुअल फंड से लाभांश	279.60	241.63	140.49	27.97	0.33
4.iii	अन्य गैर-परिचालन आय	993.15	1,363.48	840.96	747.64	611.76
4	अन्य आय (4.i. से 4.iii.)	6,570.64	7,171.88	7198.16	6,093.38	3,576.43
	कुल (ए)	80,690.71	77,779.40	77049.43	69,952.33	55,101.42
बी	को भुगतान किया गया/प्रदान किया गया					
1.i	वेतन, मजदूरी, भत्ते, बोनस आदि।	21,217.34	20,615.96	18,930.24	16,571.73	13,296.31
1.ii	पीएफ और अन्य फंड में योगदान	2,563.73	2,470.01	2,291.46	1,778.31	1,697.84
1.iii	उपहार	1,121.60	514.51	1,456.83	3,944.09	1,482.09
1.iv	नकदीकरण छोड़े	949.42	601.34	833.21	804.67	686.11
1.वी	अन्य	4,022.03	3,712.58	4,094.26	3,317.70	2,706.85
1	कर्मचारी लाभ व्यय (1.i. से 1.v.)	29,874.12	27,914.40	27,606.00	26,416.50	19,869.20
2	उपभोग की गई सामग्री की लागत	7,256.44	7,022.05	6,062.11	5,504.07	5,272.82
3	तैयार माल/कार्य प्रगति पर और व्यापार में स्टॉक की सूची में परिवर्तन	(530.48)	92.65	493.92	(381.04)	(1,214.97)
4	बिजली व्यय	2,347.28	2,282.23	2,333.48	2,012.52	1,749.48
5	कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय	298.10	409.37	140.13	104.12	94.70
6	मरम्मत	1,122.73	985.18	822.40	645.71	657.36
7	संविदात्मक व्यय	8,512.62	6,827.53	5,801.97	4,900.97	4,624.50
8	वित्त लागत	7.32	58.00	45.17	53.98	73.70
9	मूल्यहास/परिशोधन/हानि	2,319.80	1,996.41	1,812.97	1,969.22	1,765.40
10	ओवरबर्डन हटाने का समायोजन	3,826.70	3,286.56	3,201.74	3,693.89	2,618.47
11	प्रावधान एवं बढ़े खाते में डालना	993.80	1,154.53	927.10	1,469.84	578.84
12	अन्य खर्चों	3,083.36	2,872.36	2,830.26	2,381.04	2,501.28
13	पूर्व अवधि समायोजन/असाधारण आइटम	(5.00)	(1.41)	(6.86)	(91.15)	47.40
	कुल (बी)	59,106.79	54,899.86	52,070.39	48,679.67	38,638.18
	कर पूर्व लाभ (ए - बी)	21,583.92	22,879.54	24,979.04	21,272.66	16,463.24
	कम: कर व्यय	(7,857.30)	(7,767.90)	(7,622.67)	(6,484.45)	(5,595.88)
	संचालन बंद करने से लाभ/(हानि)	(0.01)	(0.01)	(0.01)	(0.01)	(0.01)
	अल्पसंख्यक का हिस्सा	0.09	0.04			
	कर के बाद लाभ	13,726.70	15,111.67	17,356.36	14,788.20	10,867.35
	वर्ष के लिए लाभांश	13,074.88	18,317.46	8,842.91	6,316.36	2,463.38
	कॉर्पोरेट लाभांश कर	2,424.55	2,825.27	1,323.23	1,183.56	897.74
	जनरल रिजर्व में स्थानांतरण	2,578.50	2,827.44	2,508.92	2,143.24	1,471.94
	सीएसआर रिजर्व में स्थानांतरण		231.28	220.82	231.22	168.12
	अन्य स्थानांतरण एवं समायोजन	410.13	31.30	(70.36)	115.77	7.74
	वर्ष के लिए अधिशेष/(घटा) बरकरार रखा गया	(4,761.36)	(9,121.08)	4,530.84	4,798.05	5,858.43
	पिछले वर्ष से संचयी लाभ/हानि	15,515.36	24,636.44	20,105.60	15,307.55	9,449.12
	बैलेंस शीट में संचयी लाभ/हानि	10,754.00	15,515.36	24,636.44	20,105.60	15,307.55

* उपरोक्त वित्तीय विवरण इंड एज के कार्यान्वयन से पहले के हैं

परिचालन सांख्यिकी - कोल इंडिया लिमिटेड (समेकित)

वित्तीय स्थिति

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	31 मार्च की स्थिति के अनुसार	2015	2014	2013	2012	2011
ए	क्या स्वामित्व है					
	सकल अचल संपत्ति (मूर्त एवं अमूर्त)	4,4807.98	41,479.46	39,010.67	38,096.41	36,714.12
	कम: मूल्यहास, हानि और प्रावधान	(28,692.94)	(26,695.07)	(25,544.91)	(24,656.12)	(23,870.81)
1	अचल संपत्तियों का शुद्ध वहन मूल्य	16,115.04	14,784.39	13,465.76	13,440.29	12,843.31
2	विकास के तहत पूँजी डब्ल्यूआईपी और अमूर्त संपत्ति	5,159.37	4,315.81	3,495.95	2,903.38	2,057.16
3	गैर-वर्तमान निवेश	963.05	1,187.58	1,400.30	946.99	850.96
4	आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ (शुद्ध)	1,959.62	1,971.74	2,255.02	1,194.06	873.23
5	दीर्घकालिक ऋण एवं अग्रिम	1,688.22	1,163.66	1,181.36	1,017.25	845.35
6	अन्य गैर - वर्तमान परिसंपत्ति	6,776.65	5,259.55	2,118.00	2,000.21	1,500.77
7	वर्तमान संपत्ति					
7.आइए	कोयले की सूची (नेट)	4,712.16	4,154.61	4,301.16	4,801.14	4,439.82
7.आईबी	भंडार एवं पुर्जी की सूची (नेट)	1,245.17	1,167.16	1,117.90	1,126.45	1,038.17
7.आईसी	अन्य सूची	226.49	246.30	198.77	143.69	107.62
7.ii	व्यापार प्राप्तियां	8,521.88	8,241.03	10,480.21	5,662.84	3,456.98
7.iii	नकद एवं बैंक शेष	47,268.89	47,722.60	60,192.17	56,271.86	44,382.00
7.iv	वर्तमान निवेश	1,850.39	2,587.32	994.66	1,034.41	212.73
7.वि	अल्पावधि ऋण एवं अग्रिम	8,826.80	6,596.06	4,919.81	13,478.19	1,1180.14
7.vi	अन्य चालू परिसंपत्तियां	5,227.73	4,844.54	4,174.74	2,965.50	2,125.75
	कुल चालू संपत्ति (7.ia से 7.vi.)	77,879.51	75,559.62	86,379.42	85,484.08	66,943.21
8	वर्तमान देनदारियाँ और प्रावधान					
8.i	लघु अवधि की उधारी	200.11	0.32			32.60
8.ii	व्यापार देनदारियां	920.76	805.08	837.17	829.02	645.45
8.iii	अन्य वर्तमान देनदारियां	20,596.67	18,070.40	16,385.71	17,832.16	13,601.00
8.iv	अल्पावधि प्रावधान	7,691.96	6,300.60	9,761.53	16,039.27	12,757.37
	कुल वर्तमान देनदारियाँ और प्रावधान (8.i. से 8.iv.)	29,409.50	25,176.40	26,984.41	34,700.45	27,036.42
9	शुद्ध चालू संपत्ति (7-8)	48,470.01	50,383.22	59,395.01	50,783.63	39,906.79
	कुल (ए)	81,131.96	79,065.95	83,311.40	72,285.81	58,877.57
बी	क्या बकाया है					
	शेयर पुर्जी	6,316.36	6,316.36	6,316.36	6,316.36	6,316.36
	आरक्षित एवं अधिशेष	34,036.71	36,088.10	42,155.63	34,136.66	26,997.84
1	शेयरधारकों का कोष	40,353.07	42,404.46	48,471.99	40,453.02	33,314.20
2	दीर्घकालिक उधार	201.83	171.46	1,077.79	1,305.35	1,333.76
3	अन्य दीर्घकालिक देनदारियाँ	3,999.44	3,528.94	3,137.21	2,647.03	2,057.39
4	दीर्घकालिक प्रावधान	36,511.79	32,897.49	30,560.81	27,826.81	22,139.61
	कुल (बी)	81,066.13	79,002.35	83,247.80	72,232.21	58,844.96
सी	अल्पसंख्यक व्याज	65.83	63.60	63.60	53.60	32.61
	कुल (बी) + (सी)	81,131.96	79,065.95	83,311.40	72,285.81	58,877.57

*उपरोक्त वित्तीय विवरण इंड एज़ के कार्यान्वयन से पहले के हैं

परिचालन सांख्यिकी – कोल इंडिया लिमिटेड (समेकित) महत्वपूर्ण वित्तीय जानकारी

(₹ करोड़ में)

क्र.सं	31 मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए	2015	2014	2013	2012	2011
ए	संपत्ति एवं देनदारियों से संबंधित					
1.आई	प्रत्येक ₹ 10 के इकट्ठी शेयरों (सीआईएल) की संख्या	6316364400	6316364400	6316364400	6316364400	6316364400
1.ii	हिस्सेदारी					
1.ii.a	इकट्ठी शेयर पूँजी	6,316.36	6,316.36	6,316.36	6,316.36	6,316.36
1.ii.bी	आरक्षित एवं अधिशेष	34,026.97	36,075.50	42,144.45	34,124.40	26,988.97
1.ii.सी	इकट्ठी (1.ii.a + 1.ii.b)	40,343.33	42,391.86	48,460.81	40,440.76	33,305.33
1.ii.व	पूँजी आरक्षित (बोनस शेयर जारी करने को छोड़कर)	9.74	12.60	11.18	12.26	8.87
1.ii.ड.	नेट वर्थ (1.ii.c – 1.ii.d)	40,333.59	42,379.26	48,449.63	40,428.50	33,296.46
2.आई	दीर्घकालिक उधार को छोड़कर। वर्तमान परिपक्तता	201.83	171.46	1,077.79	1,305.35	1,333.76
2.ii	दीर्घकालिक उधार की वर्तमान परिपक्तता	6.38	6.36	227.51	222.03	187.21
2.iii.	दीर्घकालिक उधार सहित। वर्तमान परिपक्तता (2.i. + 2.ii.)	208.21	177.82	1,305.30	1,527.38	1,520.97
2.iv.	लघु अवधि की उधारी	200.11	0.32	0.00	0.00	32.60
2.वि.	कुल उधार (वर्तमान परिपक्तता सहित) (2.i.+2.iv.)	401.94	171.78	1,077.79	1,305.35	1,366.36
3.आई	सकल अचल संपत्ति	44,807.98	41,479.46	39,010.67	38,096.41	36,714.12
3.ii.	संचित मूल्यहास/हानि	28,692.94	26,695.07	25,544.91	24,656.12	23,870.81
3.iii.	शुद्ध संपत्ति संयंत्र और उपकरण (3.i. – 3.ii.)	16,115.04	14,784.39	13,465.76	13,440.29	12,843.31
3.iv.	निवल अन्य अचल संपत्तियां	5,159.37	4,315.81	3,495.95	2,903.38	2,057.16
3.वि.	अन्य गैर – वर्तमान परिसंपत्ति	11,387.54	9,582.53	6,954.68	5,158.51	4,070.31
3.vi.	वर्तमान संपत्ति	77,879.51	75,559.62	86,379.42	85,484.08	66,943.21
3.vii.	कुल संपत्ति (3.i. से 3.vi.)	1,10,541.46	1,04,242.35	1,10,295.81	1,06,986.26	85,913.99
3.viii.	वर्तमान देनदारियां	29,409.50	25,176.40	26,984.41	34,700.45	27,036.42
3.ix.	नियोजित पूँजी (3.vii – 3.viii.)	81,131.96	79,065.95	83,311.40	72,285.81	58,877.57
4.आई	व्यापार प्राप्तियां	14,408.22	5,498.55	6,257.80	8,689.16	12,476.27
4.ii	नकद एवं बैंक शेष	47,268.89	47,722.60	60,192.17	56,271.86	44,382.00
5. मैं	कोयले का अंतिम स्टॉक (शुद्ध)	4,712.16	4,154.61	4,301.16	4,801.14	4,439.82
5.ii	दुकानों एवं पुर्जों का अंतिम स्टॉक (नेट)	1,245.17	1,167.16	1,117.9	1,126.45	1,038.17
5.iii	समाप्त स्टॉक अन्य (नेट)	226.49	246.3	198.77	143.69	107.62
बी	लाभ/हानि से संबंधित					
1.आई	कर देने से पूर्व लाभ	21,583.92	22,879.54	24,979.04	21,272.66	16,463.24
1.ii	कर के बाद लाभ	13,726.70	15,111.67	17,356.36	14,788.20	10,867.35
2.आई	कोयले की सकल बिक्री	95,434.76	89,216.86	88,281.32	78,410.38	60,240.90
2.ii	कुल बिक्री	72,014.62	68,810.02	68,302.74	62,415.43	50,229.28
2.iii.	अन्य परिचालन आय	2,105.45	1,797.50	1,548.53	1,443.52	1,295.71
2.iv.	परिचालन से राजस्व (शुद्ध) (2.ii.+2.iii.)	74,120.07	70,607.52	69,851.27	63,858.95	51,524.99
3.आई	जमा और निवेश पर ब्याज (ब्याज आय)	5,297.89	5,566.77	6,216.71	5,317.77	2,964.34
3.ii.	म्युचुअल फंड से लाभांश	279.60	241.63	140.49	27.97	0.33
3.iii.	अन्य गैर-परिचालन आय	993.15	1,363.48	840.96	747.64	611.76
3.iv.	अन्य आय (3.i + 3.ii.+ 3.iii.)	6,570.64	7,171.88	7,198.16	6,093.38	3,576.43
3.vi.	कुल आय (2.iv.+3.iv.)	80,690.71	77,779.40	77,049.43	69,952.33	55,101.42
4	कुल व्यय	59,106.79	54,899.86	52,070.39	48,679.67	38,638.18
4.आई	कर्मचारी लाभ व्यय	29,874.12	27,914.40	27,606.00	26,416.50	19,869.20
4.ii	उपभोग की गई सामग्री की लागत	7,256.44	7,022.05	6,062.11	5,504.07	5,272.82
4.iii	बिजली एवं इंधन	2,347.28	2,282.23	2,333.48	2,012.52	1,749.48
4.iv	वित्तीय लागत	7.32	58.00	45.17	53.98	73.70
4.वि	मूल्यहास और परिशोधन	2,319.80	1,996.41	1,812.97	1,969.22	1,765.40
4.vi.	कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय	298.10	409.37	140.13	104.12	94.70
4.vii.	ओवरबर्डन हटाने का समायोजन	3,826.70	3,286.56	3,201.74	3,693.89	2,618.47
4.viii.	प्रावधान एवं बढ़े खाते में डालना	993.80	1,154.53	927.10	1,469.84	578.84
5	बेचे गए माल की लागत (4 – 4.iv.-4.vi.-4.vii.-4.viii.)	53,980.87	49,991.40	47,756.25	43,357.84	35,272.47
6	ईबीआईटी (1.ii.+ 4.iv.- 3.i.)	16,293.35	17,370.77	18,807.50	16,008.87	13,572.60
7	ईबीआईटीडीए (6+4.v.)	18,613.15	19,367.18	20,620.47	17,978.09	15,338.00
8	जोड़ा गया मूल्य (1.ii.+4.iv.+4.v.+ 4.i.)	53,785.16	52,848.35	54,443.18	49,712.36	38,171.54

* उपरोक्त वित्तीय विवरण इंड एज के कार्यान्वयन से पहले के हैं

परिचालन सांख्यिकी – कोल इंडिया लिमिटेड (समेकित)

महत्वपूर्ण वित्तीय सापेक्ष अनुपात

(₹ करोड़ में)

क्र.सं	अनुपात	2015	2014	2013	2012	2011
1	ऋण इकिटी अनुपात					
1.i	- इकिटी पर कुल ऋण	0.01	0.00	0.02	0.03	0.04
1.ii	- इकिटी पर दीर्घकालिक ऋण	0.01	0.00	0.03	0.04	0.05
2	वर्तमान अनुपात	2.65	3.00	3.20	2.46	2.48
3	औसत निवल मूल्य पर रिटर्न	33.19%	33.28%	39.06%	40.12%	36.79%
4	नियोजित औसत पूँजी पर रिटर्न	20.34%	21.40%	24.17%	24.41%	30.80%
5	सकल बिक्री का देनदार टर्नओवर अनुपात (महीनों की संख्या के अनुसार)।	1.25	0.79	1.02	1.62	1.46
6	बेचे गए माल की लागत का इन्वेंटरी टर्नओवर अनुपात (महीनों की संख्या के अनुसार)।	0.99	1.01	1.14	1.28	1.30
7	शुद्ध बिक्री पर ईबीआईटीडीए मार्जिन	25.85%	28.15%	30.19%	28.80%	30.54%
8	शुद्ध बिक्री पर शुद्ध लाभ मार्जिन	19.06%	21.96%	25.41%	23.69%	21.64%
9	प्रति शेयर आय (₹)	21.73	23.92	27.63	23.47	17.19
10	प्रति शेयर बुक वैल्यू (₹)	63.87	67.11	76.72	64.03	52.73
11	प्रति शेयर बाजार मूल्य (एनएसई) (₹)	362.90	288.75	309.10	343.90	346.50
12	मूल्य आय अनुपात (पी/ई अनुपात)	16.70	12.07	11.19	14.65	20.16
13	प्रति शेयर लाभांश (₹)	20.70	29.00	14.00	10.00	3.90
14	लाभांश भुगतान अनुपात	95.26%	121.24%	50.67%	42.61%	22.69%
15	बाजार पूँजीकरण (₹ करोड़ में)	2,29,220.86	1,82,385.02	1,95,238.82	2,17,219.77	2,18,862.03

* उपरोक्त वित्तीय विवरण इंड एज़ के कार्यान्वयन से पहले के हैं

सूत्रों

- जोड़ा गया मूल्य = कर पूर्व लाभ + वित्त लागत + मूल्यहास और परिशोधन + कर्मचारी लाभ व्यय
- इकिटी = इकिटी शेयर पूँजी + अन्य इकिटी
- इकिटी पर कुल ऋण = उधार/इकिटी
- इकिटी पर दीर्घकालिक ऋण = (दीर्घकालिक उधार + दीर्घकालिक की वर्तमान परिपक्तता) / इकिटी
- वर्तमान अनुपात = वर्तमान परिसंपत्तियाँ / वर्तमान देनदारियाँ
- औसत निवल मूल्य पर रिटर्न (%) = कर के बाद लाभ / औसत निवल मूल्य
- नियोजित पूँजी = कुल संपत्ति - वर्तमान देनदारियाँ
- ईबीआईटी (ब्याज और कर से पहले कर्माई) = कर से पहले लाभ + वित्त लागत - ब्याज आय
- नियोजित औसत पूँजी पर रिटर्न = ईबीआईटी/नियुक्त औसत पूँजी
- देनदार टर्नओवर अनुपात = औसत देनदार (प्रावधान का शुद्ध) / सकल बिक्री *12
- बेचे गए माल की लागत = (कुल व्यय - वित्त लागत - बहु खाते में डालना - प्रावधान-सीएसआर-स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन)
- इन्वेंटरी टर्नओवर अनुपात = कोयले की औसत इन्वेंटरी/बेचे गए माल की लागत *12
- ईबीआईटीडीए (ब्याज, कर, मूल्यहास और परिशोधन से पहले की कर्माई) = कर से पहले लाभ + वित्त लागत + मूल्यहास और परिशोधन - ब्याज आय
- ईबीआईटीडीए मार्जिन = ईबीआईटीडीए/शुद्ध बिक्री
- प्रति शेयर आय = कर पश्चात लाभ/इकिटी शेयरों की भारित औसत संख्या
- प्रति शेयर बुक वैल्यू = इकिटी / इकिटी शेयरों की संख्या
- मूल्य अर्जन अनुपात (पी/ई अनुपात) = प्रति शेयर बाजार मूल्य/प्रति शेयर अर्जन मूल्य
- लाभांश भुगतान अनुपात = प्रति शेयर लाभांश/प्रति शेयर आय

निदेशकों की रिपोर्ट

सेवा में

सदस्यगण,

कोल इंडिया लिमिटेड

देवियों और सज्जनों,

निदेशक मंडल की ओर से, मुझे आपके समक्ष कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) की 49वीं वार्षिक रिपोर्ट और 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षित लेखा के साथ सांबिधिक लेखापरीक्षकों और भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए अत्यंत हर्ष की अनुभूति हो रही है।

कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक 'महारत्न' कंपनी है जिसका मुख्यालय कोलकाता, पश्चिम बंगाल में स्थित है। कोल इंडिया लिमिटेड विश्व की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कंपनी है और 239210 (1 अप्रैल, 2023 तक) की श्रमशक्ति के साथ सबसे बड़े कॉर्पोरेट नियोक्ताओं में से भी एक है। कोल इंडिया लिमिटेड भारत के आठ (8) राज्यों में फैले 83 खनन क्षेत्रों के माध्यम से संचालित होता है। कोल इंडिया लिमिटेड के पास 322 खदानें हैं (1 अप्रैल, 2023 तक) जिनमें से 138 भूमिगत, 171 खुली खदानें और 13 मिश्रित खदानें हैं।

कोल इंडिया लिमिटेड की ग्यारह पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियाँ हैं, जैसे ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ईसीएल), भारत कोर्किंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल), सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल), वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (डब्ल्यूसीएल), साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल), नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एनसीएल), महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल), सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड (सीएमपीडीआईएल), गैर-पारंपरिक/स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा के विकास के लिए सीआईएल नवीकरणीय ऊर्जा लिमिटेड और सौर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल के विकास के लिए सीआईएल सोलर पीवी लिमिटेड। सीआईएल की मोज़ाम्बिक में कोल इंडिया अफ्रीकाना लिमिटेड (सीआईएएल) नाम से एक विदेशी सहायक कंपनी भी है। इसके अलावा सीआईएल की पाँच संयुक्त उद्यम कंपनियाँ हैं- हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड, तालचर फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, सीआईएल एनटीपीसी ऊर्जा प्राइवेट लिमिटेड, कोल लिग्राइट ऊर्जा विकास प्राइवेट लिमिटेड और इंटरेशनल कोल वेंचर प्राइवेट लिमिटेड।

असम में खदानों अर्थात् नॉर्थ ईस्टर्न कोलफील्ड्स (एनईसी) का प्रबंधन सीधे सीआईएल द्वारा किया जाता है।

कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड की चार (4) सहायक कंपनियाँ हैं, एसईसीएल की दो (2) सहायक कंपनियाँ हैं और सीसीएल की एक (1) सहायक कंपनी है।

1. कंपनी के मामलों की स्थिति

- सीआईएल ने 2022-23 के दौरान 703.20 मिलियन टन का उत्पादन किया जो इसकी स्थापना के बाद से हासिल किया गया सबसे अधिक उत्पादन है। इस वर्ष के उत्पादन में 80.57 मिलियन टन की वृद्धि हुई, अर्थात् पिछले वर्ष के 622.63

मिलियन टन के उत्पादन की तुलना में 12.94% की वृद्धि को दर्शाता है।

- एमसीएल वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाली सहायक कंपनी बनी।
- कोल इंडिया ने 2022-23 में 694.69 एमटी कोयले का आप टेक की जो 2021-22 की तुलना में 32.80 एमटी अधिक है।
- ईआरपी लागू हो गई है और कोल इंडिया लिमिटेड की सभी सहायक कंपनियों में सक्रीय है, जिसके परिणामस्वरूप पहली बार सीआईएल वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 37 दिनों के भीतर अपने वित्तीय परिणाम घोषित करने में सक्षम हुई है।
- दिनांक 30.06.2021 के अनुसार परिलब्धियों (यानी बुनियादी, बीडीए, एसडीए और उपस्थिति बोनस) पर दिनांक 01.07.2021 से प्रभावित 19% (उन्नीस प्रतिशत) न्यूनतम गारंटीकृत लाभ (एमजीबी) और गैर-कार्यपालकों को एनसीडब्ल्यूए XI में भर्तों में 25% की वृद्धि प्रदान की गई है।
- भारत के राष्ट्रपति (कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से कार्यरत), कंपनी के प्रमोटर ने 1 जून, 2023 को (केवल गैर-खुदरा निवेशकों के लिए) और 2 जून, 2023 को ऑफर फॉर सेल (ओएफएस) (कंपनी की कुल चुकता इकिटी शेयर पूंजी का 1.50% का प्रतिनिधित्व करते हुए) में 10 रुपये के अंकित मूल्य के 9,24,40,924 इकिटी शेयर बेचे हैं। (खुदरा निवेशकों और गैर-खुदरा निवेशकों के लिए जो अपनी गैर-आवंटित बोलियों को आगे बढ़ाने का विकल्प चुनते हैं) के साथ अतिरिक्त रूप से 9,24,40,924 इकिटी शेयर (कंपनी की कुल चुकता इकिटी शेयर पूंजी का 1.50% का प्रतिनिधित्व करते हैं) बेचने का विकल्प है। इसलिए, उन्होंने 1 जून, 2023 और 2 जून, 2023 को प्राप्त वैध बोलियों के आधार पर गैर-खुदरा निवेशकों और खुदरा निवेशकों को कंपनी के 18,48,81,848 इकिटी शेयर (इकिटी शेयर पूंजी के कुल चुकता पूंजी के 3.00% का प्रतिनिधित्व करते हैं) बेचे हैं। ओएफएस की कुल आय 4185.31 करोड़ रुपये है। इसके अलावा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा 'कर्मचारी ओएफएस' के तहत आवंटन के लिए ₹ 37.91 लाख की राशि के 16,767 इकिटी शेयर हस्तांतरित किए गए हैं।

2. वित्तीय प्रदर्शन

2.1 वित्तीय परिणाम (सीआईएल समेकित)

वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए सीआईएल ने 38,000.81 करोड़ रुपये का कुल कर पूर्व लाभ और 28,124.94 करोड़ रुपये का कर पश्चात लाभ हासिल किया है, जबकि 2021-22 में कर पूर्व लाभ 23,616.28 करोड़ रुपये और कर पश्चात लाभ 17,378.42 करोड़ रुपये था। कर-पूर्व लाभ का सहायक कंपनीवार विवरण अनुलग्नक में दिया गया है।

प्रदर्शन की मुख्य विशेषताएँ

पिछले वर्ष की तुलना में वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कोल इंडिया लिमिटेड (समेकित) का प्रदर्शन की मुख्य विशेषताएँ नीचे दी गई तालिका में दिखाया गया है:

विवरण	2022-23	2021-22
कोयले का उत्पादन (मिलियन टन में)	703.204	622.634
कोयले की कुल आफ टेक (मिलियन टन में)	694.689	661.885
बिक्री (सकल) (₹/करोड़)	187455.57	152603.30
नियोजित समापन पूँजी (₹/करोड़)	142472.01	123029.17
नेट वर्थ (₹/करोड़)	57224.76	43124.14
कर पूर्व लाभ (₹/करोड़)	38000.81	23616.28
इस वर्ष के लाभ (₹/करोड़)	28124.94	17378.42
इस वर्ष के कुल व्यापक आय (₹/करोड़)	28389.57	17429.73
नियोजित औसत पूँजी पर रिटर्न (%)	26.83	19.25
औसत नेट वर्थ पर रिटर्न (%)	56.05	43.65
प्रति शेयर आय (₹) (प्रति शेयर 10 रुपये के अंकित मूल्य को ध्यान में रखते हुए)	45.70	28.17
प्रति शेयर लाभांश (₹)* (प्रति शेयर 10 रुपये के अंकित मूल्य को ध्यान में रखते हुए)	24.25	17.00
इन्वेंट्री टर्नओवर अनुपात (महीनों की संख्या के अनुसार)	0.68	0.92
देनदार टर्नओवर अनुपात (महीनों की संख्या के अनुसार)	0.78	1.22

*प्रति शेयर लाभांश में अंतिम लाभांश और अंतरिम लाभांश शामिल हैं। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए ₹ 4.00 का अंतिम लाभांश एजीएम में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन है।

रिजर्व में हस्तानंतरण

वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान, सीआईएल समेकित लाभ में से ₹1326.83 करोड़ (पिछले वर्ष ₹862.41 करोड़) की राशि जनरल रिजर्व में हस्तानंतरित की गई थी।

2.2 लाभांश आय और भुगतान (सीआईएल स्टैंडअलोन)

जबकि सीआईएल (स्टैंडअलोन और समेकित) दोनों के वित्तीय विवरण अलग-अलग प्रस्तुत किए जाते हैं, केवल सीआईएल स्टैंडअलोन अपने शेयरधारकों को लाभांश भुगतान के लिए सूचीबद्ध और प्रासंगिक है। इसके शेयरधारकों को लाभांश का भुगतान सीआईएल की स्टैंडअलोन आय से किया जाता है, जिसका बड़ा शेयर इसकी सहायक कंपनियों नामित सीसीएल, एनसीएल, एसईसीएल, एमसीएल और सीएमपीडीआईएल से वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान प्राप्त किया गया लाभांश आय है। इस वर्ष के दौरान विभिन्न सहायक कंपनियों से प्राप्त ऐसे लाभांश और लेखा-जोखा का विवरण अनुलग्नक 2 में दिया गया है।

31 मार्च, 2023 तक सीआईएल में भारत सरकार की इकिटी होल्डिंग कुल इकिटी शेयर पूँजी का 66.13% है।

वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान, सीआईएल स्टैंडअलोन ने 10 रुपये के अंकित मूल्य के मुकाबले 12479.57 करोड़ रुपये 20.25 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से अंतरिम लाभांश का भुगतान किया है। उपर्युक्त कुल अंतरिम लाभांश में से, भारत सरकार का शेयर 8253.16 करोड़ रुपए और अन्य शेयरधारकों का शेयर 4226.41 करोड़ रुपए था। (पिछले वर्ष - कुल अंतरिम लाभांश 8627.82 करोड़ रुपये है; भारत सरकार का - 5705.89 करोड़ रुपये और अन्य शेयरधारकों का - 2921.93 करोड़ रुपये) है।

कोल इंडिया ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए ₹1848.82 करोड़ ₹ 3.00 प्रति शेयर के अनुसार अंतिम लाभांश का भी भुगतान किया है। वित्तीय वर्ष के अंतिम लाभांश में से, भारत सरकार का शेयर ₹ 1222.69 करोड़ था।

इसके अलावा, कंपनी के निदेशक मंडल ने 07 मई, 2023 को वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए ₹ 4.00 प्रति इकिटी शेयर के

अंतिम लाभांश की सिफारिश की है जो वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए आयोजित होने वाली कंपनी की वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन है।

2.3 भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएंडएजी) द्वारा वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा। अनुलग्नक 3 एवं 4 के साथ अंतिम रूप दिया गया

वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए स्टैंडअलोन और समेकित वित्तीय विवरणों के कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (बी) और धारा 129 (4) के साथ भी पढ़ें के तहत पूरक लेखापरीक्षा पर सी एंड एजी की टिप्पणियाँ संलग्न हैं प्रबंधन स्पष्टीकरण के साथ (अनुबंध 3 और अनुबंध 4)

2.4 सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर प्रबंधन का स्पष्टीकरण

कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कंपनी के क्रमशः स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण और समेकित वित्तीय विवरण पर एक अयोग्य रिपोर्ट अनुलग्नक 3 (क) और अनुलग्नक 4 (क) दी है। हालाँकि, उन्होंने “मामलों को महत्व देना” बिंदु के तहत कुछ मामलों पर ध्यान आकर्षित किया गया है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर लेखापरीक्षा रिपोर्ट में मामलों को महत्व देना बिंदु संख्या (i) और (ii) और समेकित वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट में बिंदु (क) और (ग) के महत्व को निम्नानुसार प्रस्तुत किया गया है -

(क) जीएसटी पर इनपुट टैक्स क्रेडिट को आगे बढ़ाने के संबंध में, इस मामले को क्रमशः स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के नोट 11 और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नोट 11 के लिए फुटनोट 5 में पर्याप्त रूप से स्पष्ट किया गया है।

(ख) ग्राहक से प्राप्त होने वाले परिवहन शुल्क के संबंध में, मामले को समेकित वित्तीय विवरणों के फुटनोट 4 से नोट 13 में पर्याप्त रूप से स्पष्ट किया गया है।

(ग) स्वतंत्र महिला निदेशकों की अनुपलब्धता के कारण होलिंडग कंपनी सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 की अनुसूची ॥ के साथ पठित नियम 17 का अनुपालन नहीं कर सकी, क्योंकि निदेशकों की नियुक्ति की शक्ति प्रशासनिक मंत्रालय यानी कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के पास है।

3. कोयला विपणन

3.1 कोयले की बिक्री

- 2022-23 के दौरान कच्चे कोयले की कुल खरीद 2021-22 के दौरान 661.89 मिलियन टन की तुलना में 694.69 मिलियन टन (एमटी) के अपने उच्चतम स्तर पर रहा। वर्ष 2022-23 में कोयले की खरीद में वर्ष 2021-22 की तुलना में 5% की वृद्धि दर्ज की और कुल खरीद और वैगन लोडिंग के प्रदर्शन ने पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए।

2022-23 और 2021-22 के लिए कंपनी-वार लक्ष्य और वास्तविक कोयले की खरीद अनुलग्नक-5 में दिखाया गया है।

- 2022-23 में प्रेषण संबंधी उत्पन्न बाधाओं को निम्नानुसार सूचीबद्ध किया जा सकता है:
 - विशेष रूप से महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल) और साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल) में रेक की उपलब्धता में बाधाएँ।
 - भूमि अधिग्रहण मुद्रे के कारण ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ईसीएल) की राजमहल खदान में उत्पादन में बाधा के कारण कम कोयला प्रेषण हो रहा है।
 - कुछ कोयला क्षेत्रों में छिटपुट कानून एवं व्यवस्था संबंधी समस्याएँ हैं।
 - विस्तारित और बेमौसम बारिश ने विशेष रूप से वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (डब्ल्यूसीएल) में परिवहन और प्रेषण में बाधा उत्पन्न की।

- प्रमुख उपभोक्ता, बिजली क्षेत्र को 586.57 मिलियन टन कोयला भेजा गया। 2022-23 के लिए लक्ष्य और पिछले वर्ष के वास्तविक के मुकाबले कोयला और कोयला उत्पादों के प्रेषण का क्षेत्र-वार विवरण अनुलग्नक-6 में दिया गया है।
- सीसीईए (आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति) ने मौजूदा नीलामी विंडो को क्लब करके और परिवहन के तरीके के बावजूद एकीकृत नीलामी तंत्र शुरू करके एकल विंडो मोड अज्ञेयवादी ई-नीलामी की नई व्यवस्था को मंजूरी दे दी। सीसीईए के निर्णय की सूचना एमओसी द्वारा परिपत्र सं. सीपीडी-23011/18/2021-सीपीडी दिनांकित 21.03.2022 माध्यम से दी गई थी। अधिसूचना के अनुसरण में वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान केवल स्पॉट नीलामी आयोजित की गई थी।
- सिंगल विंडो नीलामी नीति के लिए अधिसूचना के बाद, सीआईएल ने सिंगल विंडो मोड एप्लोस्टिक ई-नीलामी को लागू करने के लिए तौर-तरीके और मसीआईएल ई-नीलामी योजना 2022 नाम से एक नई ई-नीलामी योजना विकसित की। सीआईएल ने 1 मार्च 23 से सभी कोयला कंपनियों में स्पॉट नीलामी की जगह सीआईएल ई-नीलामी योजना 2022 के अनुसार नई ई-नीलामी नीति पेश की।
- वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान ई-नीलामी के तहत कुल 53.38 मिलियन टन की मात्रा सफलतापूर्वक आवंटित की गई, जबकि वित्त वर्ष 2022 के दौरान यह 108 मिलियन टन थी। वित्त वर्ष 2023

के दौरान अधिसूचित कीमतों पर प्रीमियम 252% रहा, जबकि वित्त वर्ष 2022 में 88% प्रीमियम प्राप्त हुआ था। वित्त वर्ष 2023 में अधिसूचित मूल्य पर लाभ 22,832 करोड़ रुपये प्राप्त हुआ, जबकि वित्त वर्ष 2022 में यह 12,188 करोड़ रुपये ही था।

3.2 दीर्घकालिक मांग का सूजन

- आवंटित लिंकेज द्वारा अतिरिक्त दीर्घकालिक मांग का सूजन निम्नलिखित योजनाओं के माध्यम से किया गया है:
 - विद्युत क्षेत्र के लिए भारत में पारदर्शी तरीके से कोयला दौहन और आवंटन योजना (शक्ति) सरकार द्वारा दिनांक 22.5.2017 को अधिसूचित की गई और बाद में एमओसी पत्र दिनांक 25.03.2019 द्वारा संशोधित की गई।
 - गैर-विनियमित क्षेत्र (एनआरएस) के लिए कोयला लिंकेज की नीलामी सरकार द्वारा दिनांक 15.2.2016 को अधिसूचित की गई।

क. शक्ति:

शक्ति नीति में विभिन्न मानदंडों को पूरा करने वाले विभिन्न श्रेणियों के विद्युत संयंत्रों के लिए कोयला आपूर्ति के प्रावधान शामिल हैं।

2022-23 तक, कोयला मंत्रालय (एमओसी) ने 32.255 मिलियन टन की वार्षिक अनुबंधित मात्रा के लिए शक्ति के पैरा क (i) के प्रावधानों के तहत 9 थर्मल पावर प्लांट (टीपीपी) के साथ एफएसए पर हस्ताक्षर करने की सिफारिश की है और 31.155 मिलियन टन के एसीक्यू के लिए 8 टीपीपी के साथ एफएसए पर हस्ताक्षर किए गए हैं। एसएलसी (एलटी) की सिफारिश पर दिनांक 31.3.2023 तक 47.439 मिलियन टन के एसीक्यू के लिए 13 केंद्रीय/राज्य जेनको के साथ शक्ति के पैरा ख (ii) के प्रावधानों के तहत एफएसए पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

वित्त वर्ष 22-23 के दौरान शक्ति ख (ii) दीर्घकालिक लिंकेज नीलामी का पाँचवा दौरे आयोजित किया गया था जिसमें 12 पैसे/पीपीए यूनिट (किलोवाट) की औसत छूट पर 0.049 मिलियन टन की मात्रा का सफलतापूर्वक आवंटन किया गया था। अब तक, नीलामी के पाँच दौरों में, विद्युत संयंत्रों को 36.25 एमटीपीए के लिंकेज सफलतापूर्वक आवंटित किया गया है। नीलामी के पाँच दौरों में विद्युत संयंत्रों द्वारा दी गई टैरिफ में समान छूट 1 पी/किलोवाट से 12 पी/किलोवाट तक की सीमित है।

इस वित्तीय वर्ष के दौरान, सीआईएल ने 22.20 मिलियन टन की कुल पेशकश के साथ ख (iii) दीर्घकालिक/मध्यम अवधि लिंकेज नीलामी के तीन दौरे आयोजित किए गए और अधिसूचित मूल्य से 1.2% के औसत प्रीमियम पर सफलतापूर्वक 15.82 मीट्रिक टन कोयला लिंकेज आवंटित किया गया। अब तक आयोजित नीलामी के चार दौरों में, बिजली संयंत्रों द्वारा 22.31 एमटीपीए के लिंकेज बुक किए गए हैं।

इसके अलावा, शक्ति नीति के पैरा ख (viii-क) के तहत वित्त वर्ष 2023 के दौरान अल्पकालिक लिंकेज नीलामी की पाँच ट्रैच आयोजित की गई थीं, जिसमें विद्युत संयंत्रों द्वारा अधिसूचित मूल्य से 152.65% के औसत प्रीमियम के साथ कुल 25.28 मिलियन टन की मात्रा बुक की गई थी।

ख. गैर-विनियमित क्षेत्र (एनआरएस) के लिए कोयला लिंकेज की नीलामी:

एनआरएस लिंकेज नीलामी में सुरक्षित लिंकेज के विशुद्ध कोयले की आपूर्ति एफएसए के तहत 5 साल की अवधि के लिए की जाती है, स्टील (कोकिंग) क्षेत्र को छोड़कर जहाँ एफएसए का कार्यकाल 10 वर्ष है।

वित्त वर्ष 2023 के दौरान, सीआईएल ने ट्रैच V और VI के तहत निम्नलिखित उप-क्षेत्रों के लिए लिंकेज नीलामी आयोजित की:

- नवंबर'22 के दौरान, ट्रैच V के अन्य (कोकिंग) उपक्षेत्र के लिए नीलामी आयोजित की गई थी, जिसमें 195% के औसत प्रीमियम पर 1 मिलियन टन की मात्रा बुक की गई थी।
- फरवरी 23 के दौरान स्पंज आयरन उपक्षेत्र के साथ ट्रैच VI एनआरएस लिंकेज नीलामी शुरू हुई, जिसमें 118% के औसत प्रीमियम पर 10.98 मिलियन टन की मात्रा बुक की गई थी।

इसके अलावा, एनआरएस क्षेत्र को कोयले की आपूर्ति के लिए आरओएम मूल्य के अनुक्रमण के लिए एनआरएस लिंकेज नीलामी नीति 2016 के सक्षम प्रावधान के अनुरूप, सीआईएल ने ट्रैच VI की एनआरएस लिंकेज नीलामी से थोक मूल्य सूचकांक (वर्ष-दर-वर्ष आधार पर, दिनांक 01.04.2023 से) के साथ एनआरएस मूल्य का मॉड्यूलेशन शुरू किया।

3.3 एफएसए के माध्यम से प्रतिबद्ध दीर्घकालिक मांग:

एनसीटीपी के प्रावधानों के तहत विद्युत संयंत्रों के साथ पूर्व में निष्पादित एफएसए और शक्ति के विभिन्न प्रावधानों के तहत निष्पादित एफएसए को ध्यान में रखते हुए, दिनांक 31.3.2023 तक लगभग 578 एमटीपीए की कुल मात्रा के लिए परिचालन लिंकेज विद्युत क्षेत्र के साथ मौजूद है, जो ब्रिज लिंकेज प्रतिबद्धताओं को छोड़कर एफएसए के माध्यम से दीर्घकालिक आपूर्ति प्रतिबद्धताओं से बंधा है। 31.03.2023 तक पुल लिंकेज प्रतिबद्धताएँ 30 एमटीपीए थीं, जहाँ कोयले की आपूर्ति सर्वोत्तम प्रयास के आधार पर आधारित है।

पूर्ववर्ती शासन, ब्रिज लिंकेज और राज्य नामांकित एजेंसियों के एफएसए सहित गैर-विद्युत उपभोक्ताओं के लिए कुल एफएसए प्रतिबद्धताएँ दिनांक 31.03.2023 तक 87 एमटीपीए थीं।

उपभोक्ता संतुष्टि

3.4.1 गुणवत्ता प्रबंधन

ग्राहकों की संतुष्टि बढ़ाने के लिए खदान से प्रेषण बिंदु तक कोयले के गुणवत्ता प्रबंधन पर विशेष बल दिया गया है।

अब, सीआईएल के सभी उपभोक्ताओं के पास स्वतंत्र तृतीय-पक्ष नमूना एजेंसियों के माध्यम से आपूर्ति के गुणवत्ता मूल्यांकन का विकल्प है। अच्छी गुणवत्ता/आकार के कोयले की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रतिष्ठित वैश्विक गुणवत्ता आश्वासन सेवा प्रदाताओं नामित एसजीएस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को मौजूदा तृतीय-पक्ष एजेंसियों (केन्द्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान (सीआईएमएफआर) और भारतीय गुणवत्ता परिषद (क्यूसीआई) के अतिरिक्त सीआईएल सहायक कंपनियों में लोडिंग छोर में कोयले के नमूनों और विश्लेषण का कार्य करने के लिए लगाया गया है। इसके अलावा, एमओपी

की ओर से, पीएफसी ने विद्युत क्षेत्र के लिए लोडिंग छोर पर कोयले के नमूनों के संग्रह, तैयारी और विश्लेषण के लिए बोली प्रक्रिया के माध्यम से मैसर्स मित्र एसके प्राइवेट लिमिटेड को सूचीबद्ध किया।

सीआईएल की सहायक कंपनियों में 58 कोयला परीक्षण प्रयोगशालाओं में से, 57 प्रयोगशालाएँ अब एनएबीएल मान्यता प्राप्त हैं और अन्य 01 प्रयोगशाला के संबंध में मान्यता प्रक्रिया चल रही है।

गुणवत्ता रखरखाव की दिशा में किए गए सचेत और निरंतर उपायों के परिणामस्वरूप, वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 31.03.2023 तक प्राप्त परिणामों के आधार पर कोयले के घोषित और विश्लेषित जीसीवी के भारित औसत के बीच का अंतर 03 किलो कैलोरी/किलोग्राम है जो एक जीसीवी बैंड के 1% के भीतर है।

3.4.2 लिंकेज युक्तिकरण

वर्ष 2022-23 के दौरान भी कोयले के परिवहन की लागत और बिजली उत्पादन की लागत को कम करने के लिए लिंकेज युक्तिकरण पहल जारी रखी गई थी। दिनांक 15.5.2018 को सरकार द्वारा जारी अधिसूचित लिंकेज युक्तिकरण नीति के दायरे के तहत, आईपीपी के लिए 7.80 एमटीपीए की मात्रा के लिए लिंकेज के स्रोतों को 2021-22 में तर्कसंगत बनाया गया था, जिससे परिवहन लागत में लगभग 457 करोड़ रुपये की वार्षिक संभावित बचत हुई है। इसके अतिरिक्त, सीआईएल ने राज्य जेनकोस के अनुरोध के अनुसार लगभग 624 करोड़ रुपये की परिवहन लागत में वार्षिक संभावित बचत के साथ 2021-22 में राज्य जेनकोस के लिए 7.644 एमटीपीए की मात्रा को युक्तिसंगत बनाया है।

3.5 कोयले से लाभ:

सीआईएल वर्तमान में 24.94 एमटीवाई की कुल प्रचालनीय धुलाई क्षमता के साथ 13 कोयला वाशरियों का प्रचालन कर रही है। इनमें से 11 कोकिंग कोल वाशरी हैं और शेष 2 गैर-कोकिंग हैं, जिनकी परिचालन क्षमता क्रमशः 13.94 एमटीवाई और 11 एमटीवाई है। 2022-23 के दौरान मौजूदा कोकिंग कोल वाशरियों से कुल धुले हुए कोयले का उत्पादन लगभग 2.155 मिलियन टन था, जो 2021-22 से 33.7% से अधिक की वृद्धि थी।

मध्यबंद वाशरी (5 एमटीवाई) का निर्माण पूरा हो गया है और मई 2023 तक वाणिज्यिक संचालन के तहत आने की उम्मीद है। कोकिंग कोयले की लाभकारी क्षमता को बढ़ाने के लिए, सीआईएल बीसीसीएल में 7 एमटीवाई की कुल शूपुर क्षमता वाली 3 नई वाशरियों स्थापित कर रही है। इनमें से 2 निर्माणाधीन (4.5 एमटीवाई) हैं और एक (2.50 एमटीवाई) के लिए एलओआई जारी किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त, सीसीएल में 14.5 एमटीवाई की कुल क्षमता के साथ 5 कोकिंग कोल वाशरी भी स्थापित की जा रही हैं। इन 5 वाशरियों में से दो नंबर के लिए एलओआई जारी किया गया है।

उपर्युक्त के अलावा, सीआईएल एमसीएल में इब वैली, लखनपुर में एक गैर-कोकिंग कोल वाशरी भी स्थापित कर रही है, जो निर्माण की उत्तर स्थिति में है और 31 जुलाई, 23 तक आरंभ होने की उम्मीद है।

3.6 कोयले का स्टॉक

वित्त वर्ष 2022-23 की समाप्ति पर कोयले का स्टॉक ₹ 6105.11 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 5413.16 करोड़) था, जो शुद्ध बिक्री के 0.57 महीने के मूल्य (पिछले वर्ष 0.65 महीने) के बराबर था। 31 मार्च, 2023 और 31 मार्च, 2022 को रखे गए स्टॉक की कंपनी-वार स्थिति अनुलग्नक 7 में दी गई है।

3.7 व्यापार प्राप्तियाँ

31 मार्च 2023 तक व्यापार प्राप्त यानी शुद्ध बकाया राशि, खराब और संदिग्ध ऋणों के लिए ₹ 2722.13 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 2424.53 करोड़) प्रदान करने के बाद, ₹ 11367.68 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 11367.68 करोड़) था, जो कुल मिलाकर सीआईएल की 0.84 महीने की सकल बिक्री (पिछले वर्ष 0.89 महीने) के बराबर है। 31 मार्च, 2022 की तुलना में 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार बकाया व्यापार प्राप्तियों का सहायक कंपनी-वार विवरण अनुलग्नक 8 में दर्शाया गया है।

3.8. रॉयलटी, उपकर, बिक्री कर, जीएसटी, स्वच्छ ऊर्जा उपकर और अन्य का भुगतान

वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान, सीआईएल और इसकी सहायक कंपनियों ने रॉयलटी, उपकर, बिक्री कर और अन्य शुल्कों के लिए 56524.11 करोड़ रुपये का भुगतान किया। विवरण अनुलग्नक 9 में दर्शाया गया है।

4. कोयला उत्पादन और भविष्य का दृष्टिकोण

कच्चे कोयले का उत्पादन तथा भूमिगत एवं खुली खदानों से उत्पादन। कच्चे कोयले का उत्पादन 2021-22 के दौरान 622.63 मिलियन टन के मुकाबले 2022-23 के दौरान 703.20 मिलियन टन था। 2022-23 के दौरान खुली खदानों से उत्पादन कुल कच्चे कोयले के उत्पादन का 96.38% था।

सहायक कंपनी-वार उत्पादन, भूमिगत और खुली खदानों से उत्पादन और कोकिंग और गैर-कोकिंग उत्पादन अनुलग्नक 10 में दिया गया है।

धुले हुए कोयले (कोकिंग) का उत्पादन-सहायक कंपनी-वार धुले हुए कोयले (कोकिंग) का उत्पादन अनुलग्नक 10क में दिया गया है।

ओवरबर्डन रिमूवल-कंपनी-वार ओवरबर्डन रिमूवल का वर्णन अनुलग्नक 10 ख में किया गया है।

भविष्य के लिए दृष्टिकोण

देश में कोयला क्षेत्र के लिए 'विजन 2024' में माँग अनुमान और सीआईएल पर बाद में माँग प्रक्षेपण के आधार पर, मध्यम अवधि में उत्पादन योजना पेश करने के लिए एक रोडमैप तैयार किया गया है जिसमें सीआईएल ने देश की कोयले की माँग को पूरा करने के लिए वर्ष 2025-26 और उसके बाद तक 1 बिलियन टन (बीटी) कोयला उत्पादन की परिकल्पना की है। सीआईएल ने पहले ही अपेक्षित सभी संसाधनों की पहचान कर ली है, जिसमें प्रमुख परियोजनाएँ शामिल हैं जो इसकी 1 बीटी उत्पादन योजना में योगदान करेंगी और इससे संबंधित मुद्दों/सहायकों जैसे ईसी/एफसी की आवश्यकता, भूमि, निकासी बाधाएँ आदि सीआईएल एमओसी और अन्य सभी हितधारकों के सक्रिय समर्थन के साथ 1 बिलियन टन उत्पादन योजना को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। सीआईएल 1 बिलियन टन कोयला उत्पादन योजना का पालन करेगी लेकिन मांग परिदृश्य भविष्य में उत्पादन/आपूर्त का निर्णय लेगा। वर्ष 2023-24 के लिए प्रस्तावित पूँजीगत व्यय 16600 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है। इसके अलावा, निवेश योजना के अनुसार,

सीआईएल ने 2023-24 के दौरान विविधीकरण परियोजनाओं जैसे सौर ऊर्जा, थर्मल पावर प्लाट, उर्वरक संयंत्रों के पुनरुद्धार, सीबीएम आदि में पर्याप्त राशि का निवेश करने की योजना बनाई गई है।

5. उपकरणों की संख्या

दिनांक 01.04.2023 और 01.04.2022 की स्थिति के अनुसार प्रमुख खुले उपकरण (हैवी अर्थ मूर्विंग मशीनरी) की संख्या के साथ-साथ सीआईएल मानदंडों के प्रतिशत के रूप में व्यक्त उपलब्धता और उपयोग के संदर्भ में उनके प्रदर्शन का विवरण अनुलग्नक 11 में किया गया है।

लगभग 460 पुराने और अप्रचलित प्रमुख एचईएमएम का सर्वेक्षण किया गया है और 2022-23 के दौरान 35 फावड़े, 109 डंपर, 32 डोजर, 31 ड्रिल और 3 सतह खनिकों को चालू किया गया था।

वित्त वर्ष 2023-24 में, सीआईएल आने वाले वर्षों में कोयला उत्पादन लक्ष्य को बढ़ाने के लिए 2200 करोड़ रुपये से अधिक के उच्च क्षमता वाले उपकरण खरीदने की योजना बना रहा है।

6. क्षमता का उपयोग

वर्ष 2022-23 के दौरान, सीआईएल द्वारा संभाले गए कोयले की कुल मात्रा और ओवरबर्डन लगभग 2079 मिलियन टन था। इस प्रकार सीआईएल की समग्र प्रणाली क्षमता उपयोग लगभग 85.80% है। यह सीआईएल के लिए एक नई ऊंचाई है और प्रतिष्ठित 85% क्षमता उपयोग को पार करना एक प्रशंसनीय उपलब्धि थी। जबकि यूजी क्षमता उपयोग 90.06% था, औसी क्षमता उपयोग 85.77% था।

7. परियोजना कार्यान्वयन की स्थिति

7.1 परियोजना कार्यान्वयन:

क) वर्ष 2022-23 के दौरान पूर्ण की गई परियोजनाएँ:

वर्ष 2022-23 के दौरान 584.39 करोड़ रुपये की कुल पूर्णता पूँजी के साथ 4.02 एमटीवाई की स्वीकृत क्षमता और 563.29 करोड़ रुपये की स्वीकृत पूँजी के साथ 03 कोयला परियोजनाएँ पूरी की गई। विवरण अनुलग्नक 13 में दिया गया है।

ख) परियोजना ने वर्ष 2022-23 के दौरान उत्पादन शुरू किया:

वर्ष 2022-23 के दौरान 06 परियोजनाओं ने कोयला उत्पादन ग्रांंभ कर दिया है। विवरण अनुलग्नक-13 में दिया गया है।

ग) चल रही परियोजनाओं की स्थिति (लागत 20 करोड़ रुपये और उससे अधिक):

928.7 एमटीवाई की स्वीकृत क्षमता और 139436.6 करोड़ रुपये की स्वीकृत पूँजी वाली 117 कोयला परियोजनाएँ कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं, जिनमें से 78 परियोजनाएँ निर्धारित समय पर हैं और 39 परियोजनाएँ दोहरे से चल रही हैं। इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन में विलंब के प्रमुख कारण एफसी में विलंब, भूमि का कब्जा और आर एंड आर से संबंधित मुद्दे हैं।

7.2 स्वीकृत परियोजनाएँ (लागत 20 करोड़ रुपये और उससे अधिक):

क) 2022-23 के दौरान सीआईएल बोर्ड और सहायक बोर्ड द्वारा स्वीकृत पीआर/यूसीई/आरपीआर/आरसीई:

2022-23 के दौरान सीआईएल और सहायक कंपनी बोर्डों द्वारा 140.30 एमटीवाई की स्वीकृत क्षमता और 22130.22 करोड़ रुपये की स्वीकृत पूँजी वाली 24 खनन परियोजनाओं को मंजूरी दी गई थी। विवरण अनुलग्नक 13 में दिया गया है।

ख) 2022-23 के दौरान सीआईएल और सहायक बोर्ड द्वारा स्वीकृत गैर-खनन परियोजनाएँ:

वर्ष 2022-23 के दौरान 1043.28 करोड़ रुपये की स्वीकृत पूँजी के साथ 4 गैर-खनन परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। विवरण अनुलग्नक 13 में दिया गया है।

7.3 मुख्य रणनीतियाँ:

कोयला निकासी के लिए रणनीतियाँ:

कंपनी ने कोयला निकासी बुनियादी ढांचे के विकास के लिए निम्नलिखित रणनीतियों को अपनाया है:

फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी (एफएमसी) परियोजनाएँ:

सीआईएल के प्रमुख 'फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स' के तहत, तीन चरणों में कार्यान्वयन के लिए 61 परियोजनाओं की पहचान की गई है जो मशीनीकृत कोयला परिवहन और लोडिंग प्रणाली को अपग्रेड करेगी।

पहले चरण में, 10,750 करोड़ रुपये के पूँजी निवेश पर सींपी गई 414.5 एमटीपीए क्षमता की नियोजित 35 एफएमसी परियोजनाओं में से 92 एमटीपीए क्षमता की 7 एफएमसी परियोजनाएँ अब तक चालू की जा चुकी हैं। जयंत एफएमसी (15 एमटीपीए) के लिए पीजी टेस्ट शुरू हो चुका है, जो जून 23 तक पूरा होने का लक्ष्य है। शेष परियोजनाएँ वित्त वर्ष 24-25 तक पूरा होने की उम्मीद है।

दूसरे चरण में, लगभग 2,500 करोड़ रुपये के अनुमानित निवेश के साथ 57 एमटीपीए की 9 एफएमसी परियोजनाओं में से, 14 एमटीपीए क्षमता की 3 एफएमसी परियोजनाओं में निर्माण कार्य शुरू हो गया है और 7.5 एमटीपीए क्षमता की 2 परियोजनाओं के लिए एलओए / डब्ल्यूओ जारी किया गया है। शेष 4 परियोजनाओं के लिए निविदाएँ तैयार करने और अनुमोदन के विभिन्न चरणों में हैं। इन परियोजनाओं को वित्त वर्ष 24-25 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

तिसरे चरण में, लगभग 11500 करोड़ रुपये के अनुमानित निवेश पर 292 एमटीपीए की कुल क्षमता वाली 17 परियोजनाओं की योजना बनाई गई है, जिसके लिए वित्त वर्ष 25-26 तक निविदाएँ जारी की जाएंगी और वित्त वर्ष 28-29 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

इन एफएमसी परियोजनाओं से वित्त वर्ष 28-29 तक मशीनीकृत निकासी 151 एमटीपीए से बढ़कर 914.5 एमटीपीए हो जाएंगी। कंपनी को कोयले की गुणवत्ता में सुधार, कम लोडिंग शुल्क में बचत और पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव की उम्मीद है।

रेल परियोजनाओं की स्थिति:

सीआईएल ने कोयले की निकासी के लिए 07 रेल परियोजनाओं की पहचान की थी, जिनमें से 03 का वित्तपोषण सीआईएल द्वारा निक्षेप

आधार पर किया गया था और 04 का वित्तपोषण सीआईएल द्वारा संयुक्त उद्यमों/एसपीवी के माध्यम से किया गया था। इन परियोजनाओं की स्थिति निम्नानुसार थी:

निक्षेप के आधार पर सीआईएल द्वारा वित्त पोषित:

- तोरी-शिवपुर नई बीजी डबल लाइन (44.37 किमी) को सीआईएल द्वारा वित्त पोषित किया गया था और दिसंबर, 2019 में चालू किया गया था। तीसरी लाइन का निर्माण कार्य चल रहा है और दिसंबर 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य है। इससे सीसीएल के उत्तरी करणपुरा कोयला क्षेत्र से लगभग 100 एमटीपीए कोयला निकालने की क्षमता बढ़ जाएगी।
- झारसुगुडा-बरपाली-सरडेगा नई बीजी सिंगल लाइन (52.41 किमी) को सीआईएल द्वारा वित्त पोषित किया गया था और अप्रैल, 2018 में चालू किया गया था। बरपाली में लोडिंग बल्बों और झारसुगुडा में फ्लाईओवर परिसर के साथ इस रेल लाइन के दोहरीकरण का निर्माण चल रहा है और इसे दिसंबर 23 तक पूरा करने का लक्ष्य है। इससे लगभग 65 एमटीपीए को निकालने के लिए इसकी निकासी क्षमता में वृद्धि होगी।
- लगभग 5 एमटीपीए की निकासी के लिए एमसीएल के तालचेर कोलफिल्ड्स (4.8 किमी) में देउलबेडा साइडिंग के साथ लिंगराज साइलो की रेल कनेक्टिविटी मई, 2021 में शुरू की गई थी।

सीआईएल द्वारा जेवी/एसपीवी के माध्यम से वित्त पोषित:

- ओडिशा के तालचेर कोलफिल्ड में महानदी कोल रेल लिमिटेड (एमसीआरएल)-अंगुल-बलराम रेल लिंक (14.22 किमी) को रेल जेवी, (एमसीआरएल महानदी कोल रेल लिमिटेड) द्वारा निष्पादित किया गया था और दिनांक 14.11.2022 को चालू किया गया था। इससे लगभग 15 एमटीपीए कोयले की निकासी में सुविधा होगी।
- झारखंड कोल रेल लिमिटेड (जेसीआरएल) - शिवपुर-कठौतिया रेल कनेक्टिविटी (49.09 किमी) रेल जेवी, जेसीआरएल (झारखंड कोल रेलवे लिमिटेड) द्वारा निष्पादित की जा रही है। सीसीएल की खदानों से लगभग 25 एमटीपीए कोयले को इस लाइन के माध्यम से निकालने की योजना है। दिनांक 05.05.2022 को वित्तीय समापन हासिल किया गया था। निर्माण कार्य शुरू हो गए हैं और कार्य प्रगति लगभग 18% है। यह लाइन मार्च 2025 तक चालू होने की उम्मीद है।
- छत्तीसगढ़ ईस्ट रेल लिमिटेड (सीईआरएल) - छत्तीसगढ़ राज्य में पूर्व रेल कॉरिडोर - 132 किलोमीटर का सीईआरएल चरण -1 रेल संयुक्त उद्यम, सीईआरएल द्वारा निष्पादित किया जा रहा है। खरसिया से धरमजयगढ़ (0-74 किमी) के बीच मुख्य कॉरिडोर 21 जून, 2021 को चालू किया गया था। चाल फीडर लाइन की वाणिज्यिक अधिसूचना दिनांक 31.07.2022 को जारी की गई थी। बरौद फीडर लाइन पर इंजन ट्रायल रन दिनांक 31.12.2022 को पूरा हुआ। फीडर लाइनों का शेष कार्य प्रगति पर है। यह लगभग 65 एमटीपीए कोयले की निकासी केरेगा और दिसंबर 2023 तक चालू होने की उम्मीद है। धरमजयगढ़ और उरगा के बीच 62.5 किमी के सीईआरएल चरण-II में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है। चरण-II के कार्यों के मार्च, 2026 तक चालू होने की उम्मीद है।

4) छत्तीसगढ़ ईस्ट रेल लिमिटेड (सीईडब्ल्यूआरएल) - छत्तीसगढ़ राज्य में गेवरा रोड और पेंड्रा रोड के बीच लगभग 135 किलोमीटर का ईस्ट रेल कॉरिडोर निर्माणाधीन है और इससे कोयला क्षेत्र की मेंगा परियोजनाओं से लगभग 65 एमटीपीए कोयला निकालने की सुविधा मिलेगी। निर्माण कार्य क्रियान्वित किया जा रहा है और कार्य प्रगति लगभग 35% है। यह रेल लाइन दिसंबर, 2024 तक चालू होने की उम्मीद है।

7.4 भूमि अधिग्रहण एवं कब्जे में उपलब्धि:

कोल इंडिया की सभी सहायक कंपनियों में भूमि का अधिकांश भाग है जिसे कोयला धारक क्षेत्र (अधिग्रहण एवं विकास) अधिनियम, 1957 के अंतर्गत अधिगृहीत किया गया था। 2022-23 के दौरान, 2582.14 हेक्टेयर भूमि के लिए अधिसूचना यू/एस-9 (1) और 1495.03 हेक्टेयर भूमि के लिए अधिसूचना यू/एस-11 (1) जारी की गई है।

2022-23 के दौरान, कोल इंडिया की विभिन्न सहायक कंपनियों में 2049.26 हेक्टेयर भूमि पर भौतिक कब्ज़ा कर लिया गया था।

7.5 परियोजना निगरानी में प्रणाली का सुधार:

सीआईएल वर्तमान में विभिन्न प्रकार की परियोजनाओं को क्रियान्वित कर रहा है, जिनमें खनन, वाशरी, निकासी परियोजनाएँ आदि शामिल हैं। ऐसी परियोजनाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए सीआईएल कई परिष्कृत परियोजना प्रबंधन तंत्रों और उपकरणों के माध्यम से चल रही प्रगति की लगातार निगरानी कर रहा है।

सभी कार्य क्षेत्रों में प्रगति की नवीनतम स्थिति का पता लगाने के लिए, सीआईएल ने उद्यम संसाधन योजना (ईआरपी) के परियोजना प्रणाली (पीएस) मॉड्यूल को अपनाया है। पीएस मॉड्यूल में, सांविधिक मंजूरी (ईसी और एफसी), भूमि, आर एंड आर, बुनियादी ढांचे आदि से संबंधित सभी जानकारी आवधिक आधार पर रखी और अपडेट की जाती है। सीआईएल ने पीएस मॉड्यूल में मानकीकृत और विस्तृत परियोजना अनुसूची (20 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली सभी परियोजनाओं के लिए) भी विकसित की है। यह अनुसूची निगरानी प्रक्रिया बाधाओं की पहचान करने, परस्पर निर्भरताओं का विश्लेषण करने और महत्वपूर्ण कार्रवाई मदों का निर्धारण करने में मदद करती है जो परियोजना कार्यान्वयन में गति लाएगी।

वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा शीघ्र निर्णय लेने में सक्षम बनाने के लिए इस विस्तृत परियोजना जानकारी से कार्रवाई योग्य अंतर्दृष्टि को वास्तविक समय के आधार पर ईआरपी डैशबोर्ड पर मैप किया जाता है।

7.6 एक बिलियन कोयला उत्पादन कार्यक्रम:

वर्तमान में, कोयला घरेलू बाजार में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है और सीआईएल कुल घरेलू कोयला उत्पादन का 80% से अधिक आपूर्ति करता है। इसलिए, सीआईएल पर देश की ऊर्जा माँगों को पूरा करने की जिम्मेदारी है और यह घरेलू खपत की ऊर्जा गतिशीलता को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

भविष्य की घरेलू माँग को ध्यान में रखते हुए, सीआईएल ने वित्त वर्ष 2025-26 में 1 बिलियन टन कोयला उत्पादन हासिल करने के लिए एक रणनीतिक उत्पादन रोडमैप की परिकल्पना की है। 1 बिलियन टन योजना सीआईएल की सभी सहायक कंपनियों के इष्टतम उत्पादन पर आधारित थी और इसमें इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए

सभी सक्षम गतिविधियों की रूपरेखा तैयार की गई थी। सक्षम गतिविधियों में वैधानिक मंजूरी प्राप्त करना, भूमि का अधिग्रहण और कब्ज़ा, आर एंड आर सुनिश्चित करना, उपकरण खरीदना और निकासी बुनियादी ढांचे (जैसे रेल लाइनें और कोयला हैंडलिंग संयंत्र) विकसित करना शामिल है।

8. ऊर्जा संरक्षण

ऊर्जा संरक्षण हमेशा एक प्राथमिकता वाला क्षेत्र रहा है और सीआईएल/सहायक कंपनियों ने विशिष्ट ऊर्जा खपत में कमी लाने की दिशा में बड़े पैमाने पर विभिन्न उपाय किए हैं।

8.1 ऊर्जा खपत परिवृद्धि

2021-22 की तुलना में 2022-23 में कोयला उत्पादन में 12.9% की वृद्धि हुई है और ओबी हटाने में 297 एमएम3 की वृद्धि हुई है। 2021-22 में 4571.40 मिलियन यूनिट की तुलना में 2022-23 में सीआईएल में कुल मिलाकर 4598.78 मिलियन यूनिट बिजली की खपत थी, जो 0.60% की वृद्धि दर्शाती है। 2022-23 में ऊर्जा बिल के लिए भुगतान में 5.82% की वृद्धि हुई जिसमें कुल राशि 3764.16 करोड़ रुपये थी, जो 2021-22 में 3557.12 करोड़ रुपये थी।

- कुल कोयला उत्पादन के संदर्भ में, 2021-22 के दौरान सीआईएल के लिए विशिष्ट ऊर्जा खपत 7.34 केडब्ल्यूएच/टी की तुलना में 10.90% की समग्र कमी के साथ 2022-23 के दौरान 6.54 केडब्ल्यूएच/टी थी।
- समग्र उत्पादन (एम3 में) के संदर्भ में, 2021-22 के दौरान सीआईएल के लिए विशिष्ट ऊर्जा खपत 2.57 केडब्ल्यूएच/एम3 की तुलना में 2022-23 के दौरान 2.19 केडब्ल्यूएच/एम3 थी, जिसमें कुल 14.79% की कमी आई है।

8.2 2022-23 में आयोजित विद्युत ऊर्जा लेखापरीक्षा

2022-23 में सीआईएल की विभिन्न सहायक कंपनियों (सीआईएल-6 नंबर, एनसीआईएल-2 नंबर, बीसीसीएल-1 नंबर, और ईसीएल-1 नंबर) के लिए सीएमपीडीआईएल द्वारा 10 विद्युत ऊर्जा लेखापरीक्षा आयोजित किया गया। 2022-23 के दौरान सीसीएल में 06 खदानों, अर्थात् रेलीगढ़ा ओसीपी, परेज ईस्ट ओसीपी, धोरी खास यूजी, रजरपा ओसीपी, और गोविंदपुर पीच- II ओसीपी और उत्तरी उरीमारी ओसीपी के लिए ऊर्जा लेखापरीक्षा किया गया है। एनसीएल में दुधिन्चुआ ओसीपी और बीना ओसीपी में ऊर्जा लेखापरीक्षा किया गया। बीसीसीएल में इसे एबी ओसीपी में लिया गया। ईसीएल में राजमोहाल ओसीपी में लेखापरीक्षा हुआ। उपरोक्त खदानों में ऊर्जा संरक्षण उपायों से अनुमानित बचत लगभग 135.31 लाख किलोवाट प्रति वर्ष होगी और बिजली बिल में प्रति वर्ष 971.35 लाख रुपये की अनुमानित कमी होगी।

8.3 ऊर्जा संरक्षण के उपाय

ऊर्जा संरक्षण के लिए सीआईएल/सहायक कंपनियों द्वारा उठाए गए कुछ प्रमुख उपाय इस प्रकार हैं:

क. 2022-23 में ऊर्जा कुशल के उपाय:-

- एलईडी लाइटों का प्रयोग - खदान प्रकाश व्यवस्था, स्ट्रीट लाइटिंग, कार्यालय और अन्य कार्य स्थलों, टाउनशिप आदि के लिए

अधिकांश स्थानों पर उच्च वाट क्षमता वाले ल्यूमिनरी/पारंपरिक लाइट फिटिंग को उपयुक्त वाट क्षमता के कम बिजली खपत वाले एलईडी से बदल दिया गया है, जिसके परिणामस्वरूप बिजली की खपत में भारी बचत हुई है। वर्ष 2022-23 के दौरान विभिन्न वाट क्षमता रेटिंग की 1,57,216 एलईडी लाइटें (ईसीएल-2794, एमसीएल - 23633, डब्ल्यूसीएल-24150, एनसीएल - 33582, बीसीसीएल - 17196, एसईसीएल - 34119 सीसीएल - 15851 और सीआईएल मुख्यालय - 5891 संख्या) संस्थापित की गई हैं।

- (ii) ऊर्जा कुशल एसी - सीआईएल की विभिन्न सहायक कंपनियों में 1679 ऊर्जा कुशल एसी बदले/स्थापित किए गए हैं।
- (iii) सुपर पंखे - सीआईएल की विभिन्न सहायक कंपनियों में 18626 उच्च ऊर्जा कुशल सुपर पंखे स्थापित किए गए हैं।
- (iv) ई-वाहनों - सीआईएल की विभिन्न सहायक कंपनियों में 71 ई-वाहन तैनात किए गए हैं।
- (v) ऊर्जा कुशल वॉटर हीटर - सीआईएल की सहायक कंपनियों में विभिन्न स्थानों पर 625 ऊर्जा कुशल वॉटर हीटर स्थापित किए गए हैं।

8.4 सौर ऊर्जा उत्पादन:

सीआईएल और सहायक कंपनियां नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग कर रही हैं। 2022-23 में सहायक कंपनी-वार सौर ऊर्जा उत्पादन विवरण (रुपये करोड़ में)

क्र.सं.	सहायक कंपनीयाँ	सौर ऊर्जा क्षमता (किलोवाट)	कुल विद्युत उत्पादन (किलोवाट)
1	सीसीएल	1245.0	819108
2	ईसीएल	1046.0	712075
3	एमसीएल	3149.7	2065849
4	एसईसीएल	580.0	121646
5	डब्ल्यूसीएल	1997.0	1174908
6	बीसीसीएल	1550.0	785025
7	एनसीएल	470.0	288999
8	सीएमपीडीआईएल	1020.0	787650
9	सीआईएल मुख्यालय	160.0	81057
कुल		11217.7	6836317

2022-23 के दौरान उत्पादित कुल सौर ऊर्जा 68.36 लाख यूनिट थी।

8.5 सौर परियोजनाओं और ऊर्जा दक्षता उपायों के कारण कार्बन तटस्थिता का अपेक्षित लाभ:-

- 2022-23 के दौरान ऊर्जा दक्षता उपायों के कार्यान्वयन के कारण, लगभग 52.10 मिलियन यूनिट विद्युत ऊर्जा की बचत हुई है, जिसके परिणामस्वरूप प्रति वर्ष (लगभग) 42,725 टन कार्बन-डाई-अक्साइड गैस की कमी होगी।
- इसी प्रकार, 2022-23 के दौरान सीआईएल की 10 खदानों में किए गए ऊर्जा लेखापरीक्षा के कारण, 13.531 मिलियन

(vi) ऊर्जा कुशल मोटर्स - सीआईएल की विभिन्न सहायक कंपनियों में 169 मौजूदा पुरानी मोटरों को ऊर्जा कुशल मोटरों से बदल दिया गया है।

(vii) स्ट्रीट लाइट में ऑटो टाइमर - सीआईएल की सहायक कंपनियों में विभिन्न स्थानों पर 1016 ऑटो टाइमर लगाए गए हैं।

घ. पावर फैक्टर में सुधार - सहायक कंपनियों के लगभग सभी क्षेत्रों ने उपयुक्त केवीएआर रेटिंग के कैपेसिटर बैंक स्थापित करके 2022-23 के दौरान पावर फैक्टर्स को 0.90 से 0.99 तक बनाए रखा है। वर्ष 2022-23 के दौरान, कैपेसिटर बैंकों के 54690 केवीएआर की खरीद की गई है और सहायक कंपनियों में स्थापित किया गया है।

ग. सीआईएल के विभिन्न कमांड क्षेत्रों में जमीन और छत पर लगे सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना:

- 2022-23 के दौरान अतिरिक्त रूफ टॉप सौर क्षमता जोड़ी गई - 3.393 मेगावाट
- ग्राउंड माउंटेड सोलर प्लांट की 300 मेगावाट क्षमता की स्थापना के लिए काम सौंपा गया है। स्थापना कार्य प्रगति पर है और वित्त वर्ष 2023-24 तक चालू होने की उम्मीद है।

यूनिट विद्युत ऊर्जा बचाने का प्रस्ताव किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप (लगभग) 11095 टन/वर्ष कार्बन-डाई-अक्साइड गैस की कमी होगी।

● 2022-23 के दौरान उत्पादित कुल सौर ऊर्जा 68.36 लाख यूनिट थी। इस प्रकार, सौर ऊर्जा उत्पादन के परिणामस्वरूप कार्बन-डाई-अक्साइड गैस उत्सर्जन में प्रति वर्ष (लगभग) 5606 टन की कमी आई है।

9. पूँजीगत व्यय

वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान कुल पूँजीगत व्यय 18619.27 करोड़ रुपये रहा, जबकि पिछले वर्ष यह 15400.96 करोड़ रुपये था। 2022-23 के दौरान किया गया पूँजीगत व्यय बजट अनुमान का 112.84% (2021-22 में 104.88%) था। सहायक कंपनी-वार विवरण अनुलग्नक 12 में दिया गया है।

10. विविधता

क. रसायन एवं उर्वरक क्षेत्र में विविधीकरण:

1. गोरखपुर, सिंदरी एवं बरानी में एचयूआरएल के प्राकृतिक गैस आधारित उर्वरक संयंत्र की स्थापना

हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड (एचयूआरएल), हमारी संयुक्त उद्यम कंपनियों में से एक है, जिसमें सीआईएल - 29.67%, एनटीपीसी - 29.67%, आईओसीएल - 29.67% और एफसीआईएल/ एचएफसीएल (संयुक्त) - 10.99% की प्रमोटर शेयरधारक है। एचयूआरएल ने गोरखपुर (उत्तर प्रदेश), सिंदरी (झारखंड) और बरानी (बिहार) में प्राकृतिक गैस आधारित 1.27 एमटीपीए यूरिया संयंत्र स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया है। राष्ट्रीय महत्व की इन प्रतिष्ठित परियोजनाओं को लगभग 27,895 करोड़ रुपये की अनुमानित कुल लागत पर एकमुश्त टर्न की (एलएसटीके) मोड के माध्यम से लागू किया गया है। गोरखपुर इकाई के लिए वाणिज्यिक परिचालन तिथि (सीओडी) 03.05.2022 को घोषित की गई थी। दिनांक 31.03.2023 तक, सभी तीन इकाइयों के लिए संचयी उत्पादन और प्रेषण क्रमशः 12.19 लाख मिलियन टन और 12.06 लाख मिलियन टन था।

2. तालचर में टीएफएल के कोयला आधारित उर्वरक संयंत्र की स्थापना:

तालचर फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (टीएफएल) एक अन्य संयुक्त उद्यम कंपनी है जिसमें सीआईएल की प्रवर्तक हिस्सेदारी 31.85%, आरसीएफ - 31.85%, गेल - 31.85% और एफसीआईएल - 4.45% है। संयुक्त उद्यम का गठन तालचर में सतही कोयला गैसीकरण (एससीजी) आधारित एकीकृत 1.27 एमटीपीए यूरिया परिसर स्थापित करने के लिए किया गया था, जिसमें पास के तालचर कोयला क्षेत्रों से कोयले का उपयोग किया गया था। यह एक ऐतिहासिक परियोजना है जो देश में कोयला गैसीकरण क्षेत्र की नींव रखेगी। इस परियोजना में, पेट-कोक के साथ मिश्रित उच्च राख वाले कोयले को 25% तक गैसीकृत किया जाएगा ताकि सिनगैस का उत्पादन किया जा सके जिसे नीम लेपित यूरिया में परिवर्तित किया जाएगा। यह परियोजना 17,080.69 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर आंशिक एकमुश्त टर्न की (एलएसटीके) आधार पर कार्यान्वित की जा रही है, जिसे 60.12:39.88 की ऋण-इक्विटी संरचना के माध्यम से वित्तपोषित किया जाएगा। टीएफएल ने अग्रणी बैंकर के रूप में एसबीआई के साथ लक्षित ऋण राशि की अंतिम मंजूरी प्राप्त करके सफलतापूर्वक वित्तीय समापन हासिल कर लिया है। प्रायोजक सहायता उपक्रम पर दिनांक 05.05.2022 को हस्ताक्षर किए गया है और ऋण आहरण की पहली किस्त 23.12.2022 से शुरू हो गई है। इसके अलावा, परियोजना में तेजी लाने के लिए टीएफएल कार्यालय को सितंबर, 2022 में नोएडा से भुवनेश्वर स्थानांतरित कर दिया गया है। 31.03.2023

तक, परियोजना की समग्र प्रगति लगभग 42.69% है। संयंत्र के वित्त वर्ष 2024-25 में परिचालन में आने की उम्मीद है।

3. सहायक कंपनियों की सतही कोयला गैसीकरण (एससीजी) परियोजनाएँ:

ईसीएल, एसईसीएल और एमसीएल परियोजना: आगे बढ़ने के लिए, सीआईएल अब संयुक्त उद्यम के माध्यम से तीन परियोजनाओं को लागू करने का इरादा रखता है। मैसर्स भेल, गेल और आईओसीएल को क्रमशः एमसीएल, ईसीएल और एसईसीएल में एससीजी परियोजनाओं के लिए संयुक्त उद्यम भागीदारों के रूप में पहचाना गया है। इन सीआईएसई के साथ दिनांक 12.10.2022 को तीन समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यह उल्लेख करना उचित है कि बीएचईएल के साथ समझौता ज्ञापन स्वदेशी रूप से विकसित प्रेशराइज्ड फ्लुइडाइज्ड बेड गैसीफायर (पीएफबीजी) तकनीक को बढ़ावा देने के लिए है। मैसर्स पीडीआईएल ने मार्च 2023 में ईसीएल में कोल-टू-एसएनजी परियोजना, एसईसीएल में कोल-टू-डीएमई परियोजना और एमसीएल में कोल-टू-अमोनियम नाइट्रेट परियोजना के लिए अंतिम पीएफआर प्रस्तुत किए हैं। इसके साथ-साथ, परियोजना में तेजी लाने के लिए जेवीए बातचीत के उन्नत चरण में है।

डब्ल्यूसीएल परियोजना: कार्यान्वयन के बीओओ मोड के माध्यम से माजरी क्षेत्र की जूना कुनाडा खुली खदान के पिट हेड पर सतही कोयला गैसीकरण आधारित अमोनियम नाइट्रेट संयंत्र की स्थापना के लिए भी पहल की गई है। फिलहाल यह प्रोजेक्ट टेंडरिंग स्टेज में है। निविदा दिनांक 06.03.2023 को आमंत्रित की गई है और निर्धारित बोली जमा करने की अंतिम तिथि 12.09.2023 है।

ख. नए व्यावसायिक कार्यक्षेत्रों में विविधीकरण:

1. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन (एमओए) में संशोधन

दिनांक 30.08.2022 को आयोजित सीआईएल की 48वीं एजीएम ने मुख्य उद्देश्य खंड में निम्नलिखित व्यवसायों को शामिल करके एमओए में संशोधन को मंजूरी दे दी है:

- एल्यूमीनियम व्यापार मूल्य शृंखला
- नवीकरणीय ऊर्जा व्यापार मूल्य शृंखला
- महत्वपूर्ण खनिज व्यापार मूल्य शृंखला
- अग्रिम रसायन विज्ञान कोशिकाओं और ऊर्जा भंडारण उपकरणों विनिर्माण मूल्य शृंखला
- हाइड्रोजन व्यापार मूल्य शृंखला:

2. एल्यूमीनियम व्यवसाय मूल्य शृंखला:

मैसर्स डेलॉयट के माध्यम से एमसीएल के जरिये सीआईएल द्वारा शुरू की जाने वाली एकीकृत ग्रीनफिल्ड एल्यूमीनियम परियोजना के लिए एक पूर्व-व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार की गई थी। सिंगल विंडो लीयरेस सिस्टम के तहत, हमें 1 एमटीपीए रिफाइनरी, 0.5 एमटीपीए एल्यूमीनियम स्पेल्टर और 1400 मेगावाट सीपीपी की स्थापना पर हमारे प्रस्ताव के लिए ओडिशा सरकार के उच्च स्तरीय मंजूरी प्राधिकरण (एचसीएलए) से पहले ही 'सैद्धांतिक' अनुमोदन प्राप्त हो चुका है। 19.04.2023 को आयोजित सीआईएल बोर्ड की 450वीं बैठक में पुनर्मूल्यांकन क्षमता विन्यास यानी 6

एमटीपीए बॉक्साइट खान, 2 एमटीपीए रिफाइनरी, 0.5 एमटीपीए एल्यूमीनियम स्मेल्टर और 1400 मेगावाट सीपीपी पर विचार करने के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया है। परियोजना के लिए तृतीय पक्ष व्यवहार्यता अध्ययन पूरा कर लिया गया है। मैसर्स ईआईएल ने प्रस्तावित एल्यूमीनियम परियोजना के लिए अंतिम भूमि और जल मूल्यांकन अध्ययन रिपोर्ट दिसंबर, 2022 में प्रस्तुत कर दी है। एकीकृत ग्रीनफाइल्ड एल्यूमीनियम परियोजना को एसपीवी के माध्यम से कार्यान्वित किए जाने का प्रस्ताव है।

3. ताप विद्युत उत्पादन:

क. एसईसीएल-एमपीपीजीसीएल- यह एक और रणनीतिक वर्टिकल है जहां सीआईएल विविधीकरण की योजना बना रही है। हमारी सहायक कंपनी साउथ ईस्टर्न कोलफाइल्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल) के माध्यम से, हम मध्य प्रदेश के चचाई गांव में अमरकंटक थर्मल पावर स्टेशन (एटीपीएस) के मौजूदा परिसर में प्रस्तावित 1x660 मेगावाट विस्तार परियोजना स्थापित करने के लिए एक अलग संयुक्त उद्यम बनाने के लिए एमपीपीजीसीएल के साथ साझेदारी करने की परिकल्पना करते हैं। उक्त संयंत्र को कोयले की आपूर्ति एसईसीएल से एक नए लिंकेज (जेवीसी द्वारा लागू किया जाएगा) के माध्यम से की जाएगी। एमओसी, दीपम और नीति आयोग से 'सैद्धांतिक' अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है। एसईसीएल और एमपीपीजीसीएल के बीच दिनांक 17.06.2022 को समझौता ज्ञापन निष्पादित किया गया है। जेवीए को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

ख. एमबीपीएल (एमसीएल का एक एसपीवी): ओडिशा में प्रस्तावित 2x800 मेगावाट थर्मल पावर स्टेशन एक ऐसा संभावित अवसर है जिसमें सीआईएल के थर्मल पावर उत्पादन विविधीकरण लक्ष्य के साथ तालमेल है। महानदी बेसिन पावर लिमिटेड (एमबीपीएल) प्रस्तावित परियोजना को कार्यान्वित करेगा जिसे सुपरक्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट के रूप में परिकल्पित किया गया है। यह परियोजना ओडिशा में एमसीएल की खानों से पिट-हेड पर कोयले की उपलब्धता का लाभ उठाएगी ताकि एक सफल उद्यम स्थापित किया जा सके जो आने वाले भविष्य में देश की बिजली की बढ़ती माँग को पूरा करेगा। बिजली की कुल खरीद सुनिश्चित करने के लिए, सीआईएल ने दिनांक 24.03.2023 को असम पावर डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड (एपीडीसीएल) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं ताकि एमबीपीएल द्वारा संचालित विद्युत परियोजनाओं से गैर-अनन्य आधार पर एपीडीसीएल को 1200 मेगावाट बिजली की आपूर्ति के लिए पारस्परिक चर्चा, सभी पहलुओं पर विचार-विमर्श के लिए एक बुनियादी ढांचे की सुविधा मिल सके।

11. आग, भूस्खलन और पुनर्वास से निपटने के लिए मास्टर प्लान

भारत कोर्किंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल) और ईस्टर्न कोलफाइल्ड्स लिमिटेड (ईसीएल) के लीजहोल्ड में आग, भूस्खलन और पुनर्वास से निपटने के लिए मास्टर प्लान को 12 अगस्त 2009 को भारत सरकार द्वारा झारिया कोलफाइल्ड्स के लिए 7,112.11 करोड़ रुपये और रानीगंज कोलफाइल्ड्स के लिए 2,661.73 करोड़ रुपये के

अनुमानित निवेश के साथ अनुमोदित किया गया था। मास्टर प्लान की कार्यान्वयन अवधि ईसीएल के लिए 10 वर्ष और बीसीसीएल के लिए 12 वर्ष के रूप में निरूपित की गई है। झारिया पुनर्वास और विकास प्राधिकरण (जेआरडीए) और आसनसोल दुर्गापुर विकास प्राधिकरण (एडीडीए) मास्टर प्लान के तहत गैर-बीसीसीएल और गैर-ईसीएल लोगों के पुनर्वास के लिए कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में कार्य करती है।

क. रानीगंज मास्टर प्लान के कार्यान्वयन की संक्षिप्त स्थिति (ईसीएल के लीजहोल्ड में):

ईसीएल के तहत 03 अस्थिर स्थान हैं जिन्हें पहले ही खाली कर दिया गया था और परिवारों को स्थानांतरित कर दिया गया था। एडीडीए द्वारा उपलब्ध कराई गई जनसांख्यिकीय सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार, लगभग 29,000 गैर-ईसीएल परिवारों को अस्थिर स्थानों से पुनर्वासित करने की आवश्यकता है। गैर-ईसीएल परिवारों को स्थानांतरित करने के लिए एडीडीए द्वारा अनुमोदित 29,000 घरों में से 12,976 घरों का निर्माण शुरू किया गया है। वर्तमान में 7184 घरों का निर्माण पूरा हो चुका है और 5,792 घरों का निर्माण विभिन्न चरणों में है।

ख. झारिया मास्टर प्लान के कार्यान्वयन की संक्षिप्त स्थिति (बीसीसीएल के लीजहोल्ड में):

2018 में राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर (एनआरएससी) की सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार, 34 साइटों को आग प्रभावित क्षेत्र के रूप में पहचाना गया है। बाद में, एनआरएससी की अंतरिम अध्ययन रिपोर्ट (अक्टूबर 2020) के अनुसार, 27 स्थलों की पहचान अग्रि प्रभावित क्षेत्र के रूप में की गई है।

वर्तमान में, सीएमपीडीआईएल द्वारा मूल्यांकन के अनुसार 15 अग्रि स्थल आर्थिक रूप से व्यवहार्य हैं, जिनमें काम सौंपा गया है और कार्यान्वयन शुरू हो गया है। सीएमपीडीआईएल के मूल्यांकन के अनुसार शेष 12 अग्रि स्थल आर्थिक रूप से अव्यवहार्य पाए गए हैं। एनआरएससी (अगस्त 2021) के हालिया अध्ययन में, 10 अग्रि स्थलों में आग की घटटी प्रवृत्ति/सीमांत संकेत दिखाई दिए हैं। जिनसे निपटने के लिए बीसीसीएल की ओर से सरकेस ब्लैंकेटिंग का काम किया जा रहा है। शेष 2 अग्रि स्थलों के लिए, एक खनन योग्य साइट का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है और अन्य खनन योग्य साइट के लिए जेएमपी से वायबिलिटी गैप फंडिंग (वीजीएफ) की आवश्यकता है।

बीसीसीएल ने परिवारों को स्थानांतरित करने के लिए 15,852 घरों का निर्माण कार्य शुरू किया गया है। अब तक 7,714 घरों का निर्माण हो चुका है और 4,215 परिवारों को स्थानांतरित कर दिया गया है। बीसीसीएल कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के कारण वर्तमान में केवल 7,852 बीसीसीएल परिवारों को स्थानांतरित करने की आवश्यकता है। बीसीसीएल बोर्ड के निर्णय के अनुसार, गैर-बीसीसीएल परिवारों के लिए 8,000 घर जेआरडीए को सौंपे जाने हैं और इसकी जानकारी जेआरडीए को दे दी गई है।

अनुमोदित मास्टर प्लान के अनुसार गैर-बीसीसीएल परिवारों के लिए 54,159 घरों में से जेआरडीए द्वारा 18,352 घरों का निर्माण कार्य शुरू किया गया है। अब तक 6,352 घरों का निर्माण पूरा हो चुका है और 2,684 परिवार स्थानांतरित हो चुके हैं। शेष 12,000 घर निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं।

ग. स्वीकृत झारिया एवं रानीगंज मास्टर प्लान का पुनरीक्षण

रानीगंज मास्टर प्लान और झारिया मास्टर प्लान के कार्यान्वयन की समय सीमा क्रमशः दिनांक 11.08.2019 और 11.08.2021 को समाप्त हो गई है। 19 मई 2019 को एचपीसीसी की 19वीं बैठक के निर्देश के अनुसार, सीएमपीडीआई, आरआई -1 और एडीडीए और सीएमपीडीआई आरआई -2 और जेरारडीए के परामर्श से ईसीएल द्वारा वैकल्पिक पुनर्वास पैकेज, समय और लागत वृद्धि को शामिल करते हुए एक मसौदा व्यापक प्रस्ताव तैयार किया गया है।

21वीं एचपीसीसी बैठक के निर्देश के अनुसार, दोनों प्रस्तावों का संशोधन क्रमशः झारखंड सरकार (खान एवं भूविज्ञान) और एडीडीए/पर्सिव बंगाल सरकार में अंतिम रूप दिया जा रहा है।

झारिया मास्टर प्लान

एमओसी ने अपने पत्र दिनांक 18.08.2021 के माध्यम से बताया कि सीआईएल संशोधित झारिया मास्टर प्लान के अनुमोदन तक झारिया मास्टर प्लान के लिए अपने प्रतिबद्ध/चल रहे कार्यों पर शेष राशि से खर्च कर सकता है।

इसके अलावा, दिनांक 25.08.2021 को पीएमओ के मार्गदर्शन में झारिया मास्टर प्लान की समीक्षा के लिए सचिव, कोल इंडिया लिमिटेड की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। उक्त रिपोर्ट पर कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में दिनांक 07.02.2023 को आयोजित बैठक में चर्चा की गई, जहाँ झारिया मास्टर प्लान को आगे बढ़ाने के लिए अंतिम रिपोर्ट के अनुमोदन के लिए आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया गया है।

रानीगंज मास्टर प्लान:

एचपीसीसी की 21वीं बैठक के निर्देश के अनुसार, दोनों प्रस्तावों के संशोधन के लिए एमओसी ने अपने दिनांक 18.01.2023 के पत्र और दिनांक 22.02.2023 के माध्यम से सूचित किया है कि सीआईएल संशोधित मास्टर प्लान के अनुमोदन तक रानीगंज मास्टर प्लान के लिए अपने प्रतिबद्ध/चल रहे कार्यों पर शेष धनराशि से खर्च कर सकता है। तदनुसार, सीआईएल ने रानीगंज मास्टर प्लान के कार्यान्वयन के तहत गैर-ईसीएल परिवारों के पुनर्वास के लिए मार्च, 2023 में ईसीएल को 300 करोड़ रुपये जारी किए हैं।

12. पर्यावरण प्रबंधन

12.1 प्रबंधन प्रणाली मानक:

सीआईएल मुख्यालय ने गुणवत्ता प्रबंधन, पर्यावरण प्रबंधन और ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली के लिए क्रमशः आईएसओ 9001:2015, आईएसओ 14001:2015 और आईएसओ 50001:2018 का पुनः प्रमाणन भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) से 2022 में प्राप्त किया, जिसकी वैधता अक्टूबर, 2025 तक है। 31 मार्च 2023 तक, ईसीएल, एनसीएल, एमसीएल, सीसीएल (27 इकाइयाँ) और डब्ल्यूसीएल (83 इकाइयाँ) एकीकृत प्रबंधन प्रणाली (आईएसओ 9001: 2015, आईएसओ 14001: 2015 और ओएचएसएस 18001: 2017) द्वारा प्रमाणित हैं। सीएमपीडीआई मुख्यालय और इसके सात आरआई आईएसओ 9001: 2015 द्वारा प्रमाणित हैं। इसके अलावा,

सीएमपीडीआईएल मुख्यालय, रांची को आईएसओ 37001: 2016 (रिश्वत विरोधी प्रबंधन प्रणाली) के साथ प्रमाणित किया गया है।

12.2 प्रदूषण नियंत्रण उपाय और उनकी प्रभावकारिता:

सीआईएल खदान योजना चरण से ही स्थायी खनन प्रथाओं का अभ्यास और पालन करके पर्यावरण की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। पर्यावरण की प्रमुख भौतिक और रासायनिक विशेषताओं जैसे हवा, पानी, जल विज्ञान, जमीन के कंपन, शोर, भूमि, आदि की स्वीकार्य/अनुमेय सीमा को बनाए रखने के लिए, खनन कार्यों के साथ-साथ विभिन्न प्रदूषण नियंत्रण उपाय और पहल की जा रही हैं।

क. वायु प्रदूषण और उसके नियंत्रण के उपाय:

ट्रिलिंग, ब्लास्टिंग, लोडिंग और कोयला परिवहन के दोरान धूल उत्पादन को नियंत्रित करने और कम करने के लिए, सीआईएल ने एमओईएफ और सीसी द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं के पर्यावरण प्रबंधन योजना (ईएमपी) में सूचीबद्ध विभिन्न पहल की है। प्रत्येक परियोजना का पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) अध्ययन करने के बाद किए गए कोयला खनन के कारण मौजूदा पर्यावरण और वन पर पड़ने वाले प्रभाव को ध्यान में रखते हुए ईएमपी तैयार किया जाता है। वायु प्रदूषण को कम करने और इसके नियंत्रण उपायों के लिए धूंध छिड़काव प्रणाली, मोबाइल वॉटर स्प्रिंकलर और स्वचालित स्प्रिंकलर प्रदान किए गए हैं।

सीआईएल द्वारा की गई कुछ महत्वपूर्ण पहल इस प्रकार हैं:

- सड़क मार्ग से कोयले के परिवहन को कम करने के लिए फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी का कार्यान्वयन।
- कन्वेयर, ढके हुए ट्रकों द्वारा कोयले का परिवहन और साइलो के माध्यम से रेलवे रेक में लोडिंग।
- कोयला परिवहन सड़कों की ब्लैकटॉपिंग और मरम्मत और धुलाई सड़कों को मजबूत करना।
- पवन अवरोध और ऊर्ध्वाधर हरियाली प्रणाली का विकास।
- मुक्त कोयला अतिरिक्त कार्बोवाई के लिए विस्फोट के लिए ओपनकास्ट और यू/जी खदान में क्रमशः अतिरिक्त सतह खनिकों और सतत खनिकों की तैनाती।

(ख) खदान के जल का प्रबंधन:

दूसरे चरण के उपचार के लिए सतह पर छोड़े गए खदान के पानी के उपचार के लिए खदानों में माइन डिस्चार्ज ट्रीटमेंट प्लांट (एमडीटीपी) स्थापित किए जाते हैं। उपचारित खदान के पानी का उपयोग आंशिक रूप से धूल दमन, अग्निशमन, वृक्षारोपण, धुलाई आदि के लिए किया जाता है। स्थानीय समुदाय की आवश्यकता के अनुसार, उपचारित खदान के पानी को पीने और सिंचाई उद्देश्यों के लिए आसपास के गांवों में आपूर्ति की जाती है। भूजल पर खनन गतिविधियों के प्रभाव का आकलन करने के लिए, खदान पट्टा क्षेत्र के आसपास और आसपास भूजल स्तर की निगरानी की जा रही है। खदान के परिसर और आसपास के गांवों में भूजल पुनर्भरण के लिए, वर्षा जल संचयन, तालाबों की खुदाई / लैगून का विकास, मौजूदा तालाबों / टैकों से गाद निकालना आदि जैसी पहल की गई हैं। खदान, वर्कशॉप एवं घेरेलू उत्प्रवाह की नियमानुसार नियमित निगरानी कर वांछित कार्यवाही की जा रही है। इसकी रिपोर्ट नियमित रूप

से एसपीसीबी और एमओईएफएंडसीसी को प्रस्तुत की जाती हैं। 2022-23 में, 92.45% डिस्चार्ज किए गए खनन जल का उपयोग आंतरिक और सामुदायिक उपयोग के लिए किया गया और शेष 7.55% को भविष्य में उपयोग और भूजल रिचार्जिंग के लिए रखा गया।

ग) ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण उपाय:

ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के लिए उपकरणों के उचित रखरखाव, खान और आवासीय क्षेत्र के आसपास हरित पट्टी विकास, दिन के समय विस्फोट और शेर-शरबे वाले क्षेत्रों में कान के मफ/कान प्लग के उपयोग जैसे विभिन्न उपायों को अपनाया जाता है।

घ) भूमि सुधार:

- खनन किए गए क्षेत्रों और बाहरी ओबी डंपों का पुनरुद्धार सीआईएल द्वारा की गई प्रमुख पर्यावरणीय गतिविधियाँ हैं। खनन किए गए क्षेत्रों का पुनरुद्धार पर्यावरण प्रबंधन योजना (ईएमपी) और खान बंद करने की योजना (एमसीपी) के अनुसार किया जा रहा है, जो एमओईएफ और सीसी द्वारा अनुमोदित है। ऊपरी मिट्टी को संरक्षित, संग्रहित किया जाता है और खुली खदानों में वृक्षारोपण क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है। लाभकारी भूमि उपयोग के लिए खनन किए गए क्षेत्रों का समर्वती पुनर्ग्रहण और पुनर्वास किया जाता है। तकनीकी पुनर्ग्रहण पूरा होने के बाद वृक्षारोपण किया जाता है जिसे जैविक पुनर्ग्रहण कहा जाता है।
- पारिस्थितिकी-पुनर्स्थापना: अनुपयुक्त भूमि के प्रभावी जैव-पुनर्ग्रहण के लिए, तीन स्तरीय वृक्षारोपण अवधारणा पर बनीकरण के लिए पौधों की उपयुक्त प्रजातियों का चयन करने के लिए वैज्ञानिक अध्ययन किए जाते हैं। पुनः प्राप्त क्षेत्रों में पर्यावरण-पुनर्स्थापना के क्षेत्र में अपनी विशेषज्ञता साझा करने के लिए सीआईएल द्वारा वन अनुसंधान संस्थान (एफआरआई) को नियुक्त किया गया है। एफआरआई के तकनीकी सहयोग से सीआईएल की सहायक कंपनियों में कई इको-रेस्टोरेशन साइट विकसित की गई हैं।
- पुनः प्राप्त भूमि में इको-पार्क: सीआईएल के कई खनन क्षेत्रों और कमांड क्षेत्रों जैसे मधुवन वाटिका, ईसीएल, गोवर्धन इको-पार्क, बीसीसीएल, विश्रामपुर पर्यटन स्थल, एसईसीएल, निगाही इको पार्क, एनसीएल, बाल गंगाधर तिलक इको-पार्क, डब्ल्यूसीएल, कायाकल्प वाटिका, सीसीएल, चंद्र शेखर आजाद इको-पार्क, एमसीएल, आदि में इको पार्क विकसित किए गए हैं। सीआईएल ने अब तक 30 इको-पार्क और खान पर्यटन और इको-पुनर्स्थापना स्थल स्थापित किए हैं।
- पुनर्ग्रहण की निगरानी: सीआईएल की ओपनकास्ट खदानों में भूमि पुनर्ग्रहण और पुनर्स्थापन कार्यों की निगरानी उच्च रिजॉल्यूशन सैटेलाइट डेटा का उपयोग करके की जा रही है। सीआईएल की विभिन्न सहायक कंपनियों के तहत कुल 110 परियोजनाओं की भूमि सुधार निगरानी 2022-23 में पूरी हो चुकी है। 2022-23 में प्रति वर्ष 5 एमसीएम (कोयला + ओबी) से अधिक उत्पादन करने वाली 76 प्रमुख ओपनकास्ट परियोजनाओं (ओसीपी) के साथ-साथ 5 एमसीएम (कोयला + ओबी) प्रति वर्ष से कम उत्पादन

करने वाले 34 ओसीपी/क्लस्टर की निगरानी की गई। 2022-23 के दौरान अध्ययन से पता चलता है कि 76 प्रमुख ओसीपी ने 199.46 किमी² (63.14%) का पुनः प्राप्त क्षेत्र प्राप्त किया है और सक्रिय खनन क्षेत्र कुल उत्खनन क्षेत्र का 116.44 किमी² (36.86%) है। जबकि, 5 एमसीएम से कम ओसीपी की परियोजनाओं के लिए, पुनः प्राप्त क्षेत्र 34.82 किमी² (63.58%) है और सक्रिय खनन क्षेत्र कुल उत्खनन क्षेत्र का 19.95 किमी² (36.42%) है।

इसके अलावा, सीआईएल हर 3 साल में चरणबद्ध तरीके से उपग्रह डेटा का उपयोग करके 19 प्रमुख कोयला क्षेत्रों की वनस्पति कवर मैपिंग भी कर रहा है। 2022-23 के दौरान, छह कोयला क्षेत्रों अर्थात् वर्धा और कैम्पटी कोलफील्ड्स (डब्ल्यूसीएल), तालचर कोलफील्ड (एमसीएल), बिश्रामपुर कोलफील्ड (एसईसीएल), झारिया कोलफील्ड (बीसीसीएल) और मकुम कोलफील्ड (एनईसी) की वनस्पति कवर मैपिंग पूरी हो चुकी है।

- खान बंद करने की योजना (एमसीपी): एमसीपी सीआईएल की कोयला खानों के लिए सीएमपीडीआईएल द्वारा तैयार की गई परियोजना रिपोर्ट का एक अभिन्न अंग है। यह प्राप्तिशील खान बंद करने की योजना पर्यावरण मंजूरी के एक भाग के रूप में एमओईएफ और सीसी द्वारा तैयार और अनुमोदित ईआईए/ईएमपी का भी एक हिस्सा है। वित्त वर्ष 2022-23 में खदान बंदी की गतिविधि के लिए संबंधित परियोजना प्रस्तावकों को एस्को फंड से 91.28 करोड़ रुपये की प्रतिपूर्ति की गई है।

ड) पर्यावरण प्रदर्शन में निरंतर सुधार के लिए प्रयास करें।

35 सीआईएल (5 एमएम3 कोयला + ओबी) खानों में ईसी शर्तों के अनुसार पर्यावरणीय स्थितियों की सूचकांक रेटिंग और प्रदर्शन मूल्यांकन के लिए दृष्टिकोण और कार्यप्रणाली विकसित करने का काम आईसीएफआरई द्वारा पूरा किया गया था और दिसंबर 2020 में सीआईएल बोर्ड द्वारा अनुमोदित भी किया गया था। आईसीएफआरई ने पहले ही 32 खदानों का फील्ड दौरा पूरा कर लिया है और मार्च 2023 तक 30 खदानों के लिए मसौदा रिपोर्ट प्रस्तुत कर दिया है।

13. सीआईएल में ईआरपी, आईटी पहल, इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार

क. ईआरपी

वर्ष 22-23 के लिए सीआईएल और सहायक कंपनियों में एसएपी ईआरपी कार्यान्वयन की उपलब्धि

सीआईएल में एक उद्यम-व्यापी ईआरपी समाधान की शुरूआत के साथ, कुछ सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियां व्यावसायिक प्रक्रियाओं का मानकीकरण, सर्वोत्तम उद्योग प्रथाओं को अपनाना और संसाधनों के अनुकूलन को प्राप्त करने के लिए व्यावसायिक प्रक्रियाओं का एकीकरण है। प्रबंधन विश्वसनीय और सटीक जानकारी के आधार पर सूचित निर्णय लेने में सक्षम है। विशाल विरासत डेटा अब एकीकृत, शुद्ध किया गया है और पूरे संगठन में वास्तविक समय के आधार पर सुलभ एक सामान्य भंडार में रखा गया है। डेटा स्रोत पर कैचर किया जाता है, विभिन्न स्तरों पर मूल रूप से प्रवाहित होता है और भूमिकाओं और प्राधिकरण के आधार पर सुलभ होता है।

ईआरपी अपने पूरे जीवनचक्र में वास्तविक समय की निगरानी द्वारा परियोजना प्रबंधन की सुविधा प्रदान करता है। ईआरपी ने परिसंपत्तियों के प्रभावी प्रबंधन को सक्षम किया है, अंतिम भंडारण स्थान तक स्पेयर की दृश्यता प्रदान करता है जिससे कुशल स्टोर प्रबंधन सक्षम हुआ है। ईआरपी श्रमशक्ति की इष्टतम तैनाती के माध्यम से कुशल मानव संसाधन के बेहतर उपयोग की सुविधा प्रदान करता है। सभी मुख्य प्रक्रियाओं को स्थिर कर दिया गया है और चरण । और चरण II के लिए एमसी प्रथम वर्ष की एमसी की अंतिम तिमाही में हैं। डेटा के आगे के विजुअलाइज़ेशन के लिए मल्टी मॉड्यूल डैशबोर्ड को चालू किया गया है और हितधारकों के सुझाव पर इसे बढ़ाया जा रहा है।

मॉड्यूल-वार कुछ प्रमुख उपलब्धियाँ नीचे दी गई हैं:

बिक्री एवं वितरण मॉड्यूल

1. अनुबंध निर्माण, बिक्री आदेश निर्माण, प्रोफार्मा चालान निर्माण, अग्रिम संग्रह, बिक्री आदेश अनुमोदन और रिलीज़, और स्वचालित मेल के माध्यम से ग्राहकों को संचार
2. डिलिवरी नोट निर्माण, आईआरएन जनरेशन और चालान जनरेशन और ग्राहकों को स्वचालित मेल
3. तृतीय-पक्ष नमूनाकरण परिणाम की प्रविष्टि
4. गुणवत्तापूर्ण मामलों के लिए डेबिट/क्रेडिट नोट जारी करना
5. बैंक इंटरफ़ेस के माध्यम से कोयला मूल्य का संग्रहण और शेष राशि की वापसी
 - क. भुगतान: एसबीआई, एक्सिस, आईसीआईसीआई
 - ख. संग्रह: आईसीआईसीआई, एक्सिस
6. नीलामी डेटा के निर्बाध प्रवाह के लिए एम जंक्शन और एमएसटीसी के साथ एकीकरण
7. ईआरपी में वजन ब्रिज डेटा का निर्बाध प्रवाह।
8. कोयले के रेल प्रेषण के लिए एफओआईएस के साथ एकीकरण
9. संपूर्ण कोयला बिक्री प्रक्रिया (अग्रिम, बिलिंग, क्रेडिट-डेबिट और रिफ़ंड) की ऑटो-क्लियरिंग
10. ईआरपी के माध्यम से कोयला बिक्री प्रक्रिया का आयात
11. मोड अज्ञेयइंटरफ़ेस विकसित किया जा रहा है।

उत्पादन योजना मॉड्यूल

1. मासिक उत्पादन प्रक्रिया ऑर्डर का निर्माण और उसे समय पर जारी करना (माह की शुरुआत में)
2. शिफ्ट के अंत में समय पर शिफ्ट उत्पादन डेटा और ओबी निष्कासन कैप्चर करना।
3. 1 और 2 शृंखला (शिफ्ट और दिन शृंखला) के सभी येलो बुक प्रारूप/रिपोर्ट तैयार करना।
4. अगले माह की 6 तारीख तक प्रक्रिया आदेश का तकनीकी समापन
5. विस्फोटक एवं डीजल खपत की निगरानी
6. कोयला एवं ओबी माप एवं समाधान
7. सीडब्ल्यूएस और आरडब्ल्यूएस में किए गए निर्माण/नवीनीकरण कार्य की मैटिंग

मानव पूँजी प्रबंधन मॉड्यूल

1. सभी ऑन-रोल कर्मचारियों की पेरोल प्रोसेसिंग
2. ईआरपी के माध्यम से सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी की टर्मिनल लाभ प्रसंस्करण।

3. समय प्रबंधन (छुट्टी/उपस्थिति)
4. न्यूजेन (एनई, सम्मेलन कक्ष, अतिथि गृह, एनपीएस, कानूनी राय, कानूनी मामला, समिति और बैठक, कर्मचारी सुझाव)
5. बैंक ट्रॉबैंक फंड ट्रांसफर के लिए इंटरफ़ेस
 - क. भुगतान: एसबीआई, एक्सिस, आईसीआईसीआई
 - ख. संग्रह: आईसीआईसीआई, एक्सिस
6. वेतन निर्धारण प्रक्रिया

वित्त एवं नियंत्रण मॉड्यूल

1. वित्तीय विवरण तैयार करना
2. विक्रेता/ग्राहक/कर्मचारी को भुगतान
3. बैंक समाधान विवरण
4. संपत्ति रजिस्टर का रखरखाव
5. लागत पत्र तैयार करना।
6. बजट मॉड्यूल सभी सहायक कंपनियों में लागू किया गया
7. विक्रेता की बिल ट्रैकिंग

प्रोजेक्ट सिस्टम मॉड्यूल

1. सभी खनन और गैर-खनन परियोजना गतिविधियों की योजना, नियंत्रण और निगरानी
2. सभी खनन और गैर-खनन परियोजनाओं के लिए बजट नियंत्रण
3. खरीद संबंधी गतिविधियों के लिए एमएम और एफआईसीओ मॉड्यूल के साथ एकीकरण
4. एसएपी के साथ-साथ डैशबोर्ड में वित्तीय और भौतिक प्रगति की समीक्षा।
5. वास्तविक समय परियोजना से संबंधित मापदंडों (व्यय, क्षमता, डीपीआर योजना मूल्य, वास्तविक मूल्य आदि) का रखरखाव और रिपोर्टिंग।
6. भूमि, पूर्व परियोजना, जारी स्थिति आदि जैसे अन्य संबंधित विवरणों का रखरखाव और रिपोर्टिंग।

संयंत्र रखरखाव मॉड्यूल

1. उपकरण का प्रदर्शन: प्रदर्शन निगरानी विभागीय उपकरण (एचईएमएम/यूजीएमएम)
2. सीडब्ल्यूएस का प्रदर्शन (प्रमुख उप-विधानसभा मरम्मत की संख्या)
3. उपकरण का पुराना होना
4. निवारक रखरखाव शेड्यूलिंग
5. ब्रेकडाउन प्रक्रियाओं का विन्यास

सामग्री प्रबंधन मॉड्यूल

1. खरीद आवश्यकता (वस्तुओं, संपत्तियों और सेवाओं का इंडेंट) का निर्माण, इसका समेकन और अनुमोदन।
2. अनुबंध का निर्माण।
3. क्रय आदेश का निर्माण।
4. माल की रसीद इस प्रकार, निधि और उपभोग विवरण की प्रतिबद्धता के साथ उठाई गई आवश्यकताओं, अनुमोदित, आदेशित मात्रा और प्राप्त मात्रा की निगरानी की जाती है।
5. गुणवत्ता निरीक्षण।
6. आरक्षण के विरुद्ध माल मुद्दा।

7. स्टॉक ट्रांसफर।
8. सेवा प्रवेश पत्रक का निर्माण।
9. फास्ट मूविंग, नॉन-मूविंग आदि की सुविधा के साथ इन्वेंटरी प्रबंधन और स्पेयर, उपभोज्य, पीओएल आदि के रूप में सामग्री प्रकार के अनुसार।

अस्पताल प्रबंधन प्रणाली

1. सभी सहायक कंपनियों में एचएमएस गो-लाइव

ख. आईटी पहल

सीआईएल और उसकी सहायक कंपनियों ने आज तक निम्नलिखित प्रमुख आईटी पहल की हैं:

1. सीआईएल ने एसईसीएल और एनसीएल की सात बड़ी खुली खदानों के डिजिटलीकरण उपयोग के मामलों को लागू किया है। इससे प्रदर्शन और उत्पादकता में बढ़ि होगी।
2. सीआईएल ने सार्वजनिक क्लाउड प्लेटफॉर्म में एक नया डेटा सेंटर बनाया है। यह प्लेटफॉर्म डेटा एनालिटिक्स के लिए आवश्यक सेवाएँ प्रदान करेगा और सूचित निर्णय लेने की सुविधा प्रदान करेगा।
3. सीआईएल ने एक सुरक्षा सलाहकार नियुक्त करके आईएसएमएस (सूचना सुरक्षा और प्रबंधन प्रणाली) स्थापित करने का प्रस्ताव शुरू किया है। सलाहकार भारत सरकार के सुरक्षा संबंधी दिशानिर्देशों और आईएसओ 27001 का अनुपालन प्राप्त करने के लिए एक रोडमैप प्रस्तुत करेगा।
4. सीआईएल ने पूरे सीआईएल में ई-ऑफिस संस्करण 7 लागू करने का निर्णय लिया है और जल्द ही एनआईसी को आवश्यक बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराया जाएगा।
5. सीआईएल मुख्यालय में 600 उपयोगकर्ताओं के लिए एम 365 को लागू करने के लिए एक अध्ययन आयोजित किया गया है जो शेयरपॉइंट की सुविधा, सक्रिय निर्देशिका, टीमों और अन्य उपयोगी अनुप्रयोगों की स्थापना के साथ उपयोगिता उपकरण प्रदान कर सकता है। यह अंतिम बिंदु सुरक्षा भी प्रदान करेगा।
6. सीआईएल ने वेब/मोबाइल एप लॉन्च किए हैं -
 - सीआईएल ने एक बिल समाधान पोर्टल लॉन्च किया है जहां कोयला उपभोक्ता सीआईएल के साथ अपने संबंधित बिलों का समाधान करने में सक्षम हैं। इससे उपभोक्ताओं में अपार संतुष्टि हुई है।
 - एक व्हाट्सएप चैटबॉट लॉन्च किया गया है जिसमें कर्मचारियों/ग्राहकों/विक्रेताओं को व्हाट्सएप के माध्यम से बहुत आसान तरीके से प्रासंगिक जानकारी मिल रही है।

ग. इलेक्ट्रॉनिक्स एवं दूरसंचार

वर्ष 2022-2023 के दौरान ई एंड टी विभाग द्वारा प्रमुख पहल, गतिविधियां और उपलब्धियाँ निम्नलिखित हैं-

- i. सीआईएल की सभी सहायक कंपनियों में मानव हस्तक्षेप रहित रोड वेटब्रिज स्वचालन प्रक्रिया: एसईसीएल में किए गए मानव हस्तक्षेप रहित वेटब्रिज के लिए 'स्वचालन प्रक्रिया' को सीआईएल की शेष सहायक कंपनियों में भी वजन डेटा को कैचर करने और न्यूनतम मानव हस्तक्षेप के साथ स्वचालित रूप से रिकॉर्ड करने के

लिए दोहराया गया है। सभी सहायक कंपनियों के लिए मैन्युअल हस्तक्षेप के बिना इलेक्ट्रॉनिक वेटब्रिज से एसएपी ईआरपी सिस्टम तक निर्बाध डेटा प्रवाह की व्यवस्था की गई है।

ii. सीआईएल सहायक कंपनियों में विभिन्न आईटी पहलों के माध्यम से प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना: आईटी पहल के निम्नलिखित वर्टिकल सीआईएल की सहायक कंपनियों में पहले से ही कार्य कर रहे हैं

क) जीपीएस आधारित वाहन ट्रैकिंग सिस्टम (वीटीएस) और जियो-फैसिंग: कोयला खदानों में चलने वाले कोयला परिवहन वाहनों में सहायक मुख्यालय में वास्तविक समय निगरानी सेटअप के साथ जीपीएस आधारित वाहन ट्रैकिंग सिस्टम लगाया जाता है।

ख) आरएफ-आईडी आधारित बूम-बैरियर प्रणाली: कोयला परिवहन के लिए खदान क्षेत्र में आने वाले विभिन्न परिवहन वाहनों की पहुंच को नियंत्रित करने के लिए यह व्यवस्था की गई है।

ग) सीसीटीवी आधारित ई-निगरानी प्रणाली: इलेक्ट्रॉनिक निगरानी के लिए खदान के अंदर विभिन्न संवेदनशील स्थानों जैसे मैगजीन, सेंट्रल स्टोर, सेंट्रल वर्कशॉप, कोयला स्टॉक, साइडिंग, वेटब्रिज और चेकपॉइंट आदि पर पीटीजेड, डोम और बुलेट प्रकार के सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं।

iii. डब्ल्यूसीएल में इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर (आईसीसीसी) का कार्यान्वयन: एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र (आईसीसीसी) को नवंबर 2022 में डब्ल्यूसीएल में सफलतापूर्वक लागू किया गया है। यह डब्ल्यूसीएल में कोयला क्षेत्र क्षेत्रों में एआई और वीडियो एनालिटिक्स का उपयोग करके समग्र ई-सुरक्षा और निगरानी को बढ़ाने के लिए है।

2023-24 के दौरान अन्य सहायक कंपनियों में भी इसी तरह के आईसीसीसी को अपनाने का आदेश दिया गया है।

iv. एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग (ईआरपी) के कामकाज के लिए अतिरिक्त 2 स्तरीय एमपीएलएस वीपीएन कर्नेक्टिविटी की स्थापना: - द्वितीय मल्टीप्रोटोकॉल लेबल स्विचिंग (एमपीएलएस) - सीआईएल मुख्यालय कोलकाता में ईआरपी के लिए आवश्यक वीपीएन कर्नेक्टिविटी, दिल्ली में सीआईएल कार्यालय और डीसी के साथ-साथ डीआरसी को सीआईएल मुख्यालय में एनओसी की स्थापना के साथ स्थापित किया गया है और ईआरपी के सुचारू कामकाज के लिए इसे प्राथमिक एमपीएलएस और सीआईएल लैन के साथ एकीकृत किया गया है।

v. कोल इंडिया में सीसीटीवी के रखरखाव देख-भाल के लिए एक समान और मानकीकृत सीसीटीवी एमसी नियम और शर्तें को तैयार करना और अपनाना।

14: खदान की सुरक्षा

14.1: कोयला खदानों में सुरक्षा के लिए वैधानिक ढांचा:

दुनिया भर में कोयला खनन, अंतर्राष्ट्रीय, परिचालन और व्यावसायिक खतरों और संबंधित जोखियों की उपस्थिति के कारण अत्यधिक

विनियमित उद्योग माना जाता है। भारत में कोयला खदान सुरक्षा कानून व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा (ओएचएस) सुनिश्चित करने के लिए सबसे व्यापक और व्यापक वैधानिक ढांचे में से एक है। भारत में, कोयला खदानों में परिचालन खदान अधिनियम-1952, खदान नियम-1955, कोयला खदान विनियम-2017 और उसके तहत बनाई गई कई अन्य विधियों द्वारा विनियमित किया जाता है। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय (एमओएल एंड ई) के तहत खदान सुरक्षा महानिदेशालय (डीजीएमएस) इन विधियों के अनुपालन का संचालन करता है। कोयला खदानों में लागू अन्य प्रमुख अधिनियम/नियम इस प्रकार हैं—विद्युत अधिनियम-2003, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा और आपूत से संबंधित उपाय) विनियम-2010, भारतीय विस्फोटक अधिनियम-1884 और विस्फोटक नियम-2008, भारतीय बॉयलर अधिनियम-1923, कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम-1932 (प्रधान अधिनियम) और कारखाना अधिनियम-1948, अध्याय-III और IV और इसके अंतर्गत बनाई गई कई अन्य कानून।

14.2: सीआईएल की व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा नीति: कोयला खदान विनियमन - 2017 की अनुपालन आवश्यकता में, सीआईएल की एक नई व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा नीति को 04.01.2023 को आयोजित 448 वीं बैठक के दौरान सीआईएल निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था।

सीआईएल की व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा नीति: हम, कोल इंडिया लिमिटेड में, अपने कर्मचारियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। सीआईएल का मानना है कि दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है और दूरदर्शिता, प्रासंगिक प्रशिक्षण, उद्देश्यपूर्ण दृष्टिकोण और उचित उपकरणों के साथ औद्योगिक स्वास्थ्य खतरों को नियंत्रित किया जा सकता है।

सीआईएल की प्रतिबद्धता :

- सभी खनन और संबंधित गतिविधियों को इस तरह से करें कि कर्मचारियों, पड़ोसी समुदायों और पर्यावरण को नुकसान से बचाया जा सके।
- व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए सभी प्रासंगिक कानूनों का पालन करें।
- अपनी निगरानी और फीडबैक के साथ-साथ योजनाबद्ध तरीके से अपने सभी कार्यों में सुरक्षित प्रथाओं को लगातार बढ़ावा देना और सुधार करना।
- कार्यस्थलों पर व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा (ओएचएस) से संबंधित प्रथाओं और प्रणालियों में प्रगतिशील सुधार की परंपरा विकसित करें।

सीआईएल इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए बाध्य है:

- व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए पर्याप्त प्रावधान के साथ खदान की योजना और डिजाइनिंग।
- खदानों में खतरे की पहचान और जोखिम मूल्यांकन आधारित सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली।
- कार्यस्थलों पर व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा (ओएचएस) प्रणाली में सुधार के लिए उपयुक्त औद्योगिकी को अपनाना।
- कार्यस्थलों पर व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा (ओएचएस) प्रणाली के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए पर्याप्त संसाधनों का प्रावधान।
- खदानों के सुरक्षा मानकों और सुरक्षा संस्कृतियों में सुधार के लिए विशेष रूप से सुरक्षा कर्मियों को शामिल करें।

- व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रणाली में कर्मचारियों की प्रेरणा और प्रतिबद्धता को बढ़ावा देने के लिए व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा मामलों पर संयुक्त परामर्श के लिए कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के साथ उचित मंचों का आयोजन करें।
- कंपनी मुख्यालय में आंतरिक सुरक्षा संगठन (आईएसओ) और क्षेत्र स्तर पर क्षेत्रीय सुरक्षा अधिकारियों के माध्यम से खदानों में व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा (ओएचएस) प्रणाली के कार्यान्वयन की बहु-स्तरीय निगरानी;
- व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा (ओएचएस) प्रणाली से संबंधित प्रक्रियाओं और प्रथाओं की समय-समय पर लेखापरीक्षा;
- सुरक्षा उन्मुख कौशल के विकास पर जोर देने हुए सभी कर्मचारियों को निरंतर शिक्षा, प्रशिक्षण और पुनर्प्रशिक्षण प्रदान करना;
- व्यावसायिक स्वास्थ्य मानकों, कार्यस्थल माहौल और कर्मचारियों की स्वास्थ्य स्थितियों में सुधार के लिए निरंतर प्रयास।

14.3: कॉर्पोरेट आईएसओ के प्रमुख कार्य

- खदानों की सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए उनका निरीक्षण करना।
- घातक दुर्घटनाओं के साथ-साथ प्रमुख खतरनाक घटनाओं की तथ्यान्वेषी जांच।
- प्रत्येक वर्ष खान सुरक्षा लेखापरीक्षा की निगरानी करना।
- सिमटार्स मान्यता प्राप्त प्रशिक्षकों द्वारा विशेष प्रशिक्षण प्रदान करना।
- सुरक्षा से संबंधित आंतरिक तकनीकी परिपत्र/प्रबंधन दिशानिर्देश/सलाह जारी करना।
- दुर्घटनाओं/प्रमुख घटनाओं के डेटाबेस का रखरखाव और खान दुर्घटनाओं का विश्लेषण।
- सीआईएल में सुरक्षा संबंधी अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों की निगरानी करना।
- सीआईएल सुरक्षा बोर्ड और राष्ट्रीय धूल निवारण समिति (एनडीपीसी) का आयोजन।
- विभिन्न खदान बचाव प्रतिष्ठानों में खदान बचाव तैयारियों की निगरानी करना।
- सुरक्षा बुलेटिन का प्रकाशन।
- खदानों सुरक्षा के मामले पर विभिन्न एजेंसियों के साथ संपर्क स्थापित करना।
- सीआईएल सुरक्षा सूचना प्रणाली (सीएसआईएस) डेटाबेस की निगरानी।
- खदानों सुरक्षा के संबंध में आरटीआई अधिनियम-2005 के तहत संसदीय मामलों और प्रश्नों का उत्तर।

14.4: खदान में दुर्घटना के आंकड़े


- सीआईएल में खदान दुर्घटना आंकड़े का विश्लेषण – दुर्घटना के आंकड़े खदानों में सुरक्षा स्थिति के सापेक्ष संकेतक हैं। पिछले कुछ वर्षों में, सीआईएल के सुरक्षा प्रदर्शन में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। वर्ष 2022 के लिए दोनों घातक परिणाम 1975 में कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना के बाद से सबसे कम हो गई**

हैं। खदान दुर्घटनाओं में कमी की प्रवृत्ति को निम्नलिखित महत्वपूर्ण योगदान देने वाले कारकों की लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है:


- सभी हितधारकों के बीच प्रतिबद्धता और सहक्रियात्मक सहयोग।
- खनन विधियों और सुरक्षा निगरानी के क्षेत्र में अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग।
- कार्यबल के ज्ञान, कौशल और जवाबदेही में निरंतर सुधार।
- लगातार निगरानी, चौबीस घंटे पर्यवेक्षण और विभिन्न एजेंसियों से समर्थन।

सीआईएल के सुरक्षा प्रदर्शन में निरंतर और निरंतर सुधार की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित ग्राफ़ में दी गई हैं और अनुलग्नक 14 में भी दी गई हैं।

ग्राफ़ - 1 – 1975 से सीआईएल में 5 वार्षिक औसत मृत्यु दर का रुझान



ग्राफ़: 2 – 1975 से गंभीर चोटों के 5 वार्षिक औसत का रुझान



14.5: 2022 में खान सुरक्षा में सुधार के उपाय

सीआईएल ने वर्ष 2022 में खानों में सुरक्षा मानक बढ़ाने के लिए वैधानिक आवश्यकताओं के अनुपालन के अलावा, चल रही सुरक्षा संबंधी पहलों के साथ-साथ कई उपाय भी सख्ती से अपनाए हैं, जो नीचे दिए गए हैं:

- बहु-विषयक अंतर क्षेत्रीय सुरक्षा ऑडिट टीमों के माध्यम से खानों का सुरक्षा ऑडिट किया गया। इसके अलावा, ऑडिटों द्वारा किए गए ऑडिट का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए सीआईएल की 10% खदानों का चेक ऑडिट भी इंटर सब्सिडियरी मल्टीडिसिप्लिनरी टीम द्वारा किया गया।
- सुरक्षा प्रबंधन योजनाओं (एसएमपी) की समीक्षा की जा रही है और नियंत्रण उपायों का अनुपालन किया जा रहा है।
- प्रमुख खतरा प्रबंधन योजनाओं (एफएमपी) की समीक्षा की जा रही है और नियंत्रण उपायों का अनुपालन किया जा रहा है।
- सभी खनन कार्य मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) के अनुसार किए जा रहे हैं।
- भूमिगत खदानों में ओबी डंप और बैंच के साथ-साथ एससीएमपी का वैज्ञानिक अध्ययन।
- ऑपरेशन शुरू होने से पहले सुरक्षा संबंधी खतरों के प्रभावी मूल्यांकन के लिए टूल बॉक्स सुरक्षा वार्ता और प्री-शिफ्ट सुरक्षा ब्रीफिंग।
- सुरक्षा के बारे में जागरूकता के लिए व्यक्तिगत सुरक्षा परामर्श और कर्मचारी सहायक कार्यक्रम शुरू किया गया है।
- सुरक्षा में सुधार और सुरक्षा जागरूकता बढ़ाने के लिए विशेष सुरक्षा अभियान चलाए गए।
- खानों की सुरक्षा स्थिति का आकलन करने के लिए आईएसओ के साथ नियमित समन्वय बैठक।
- सभी खदानों की सुरक्षा स्थिति का आकलन करने के लिए 58वें सीआईएल सुरक्षा बोर्ड का आयोजन किया गया।
- ओसी खदानों में मिस्ट टाइप फिक्स्ड के साथ-साथ ट्रॉकों पर लगे वॉटर कैनन की शुरुआत की गई है।
- विभिन्न खान सुरक्षा प्रक्रियाओं, संचालन और खान दुर्घटनाओं से संबंधित क्या करें और क्या न करें पर लघु वीडियो क्लिप या एनीमेशन फिल्में तैयार की गई और कर्मचारियों के बीच साझा की गई।
- कर्मचारियों के बीच सुरक्षा संस्कृति विकसित करने के लिए इस वर्ष सुरक्षा मित्र मंडली/सर्कल की अवधारणा शुरू की गई है।
- मानसून के लिए सूक्ष्म एवं वृहत स्तर की कार्ययोजना तैयार कर क्रियान्वित की गई।

उपरोक्त विशिष्ट कार्रवाइयों के अलावा, सुरक्षा मानकों में सुधार के लिए निम्नलिखित उपाय चल रहे हैं:

- अत्याधुनिक खनन तकनीक के इस्तेमाल पर जोर ख

- स्ट्रेटा और गैस प्रबंधन के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाना।
- जल खतरा प्रबंधन को मजबूत करना।
- खान सुरक्षा एवं कौशल उन्नयन पर प्रशिक्षण।
- खदानों के निरीक्षण पर जोर।

15. खदान आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली

15.1: खदान सुरक्षा पर प्रशिक्षण:

- कानून के अनुसार प्रारंभिक और पुनर्शर्चर्या प्रशिक्षण और नौकरी पर प्रशिक्षण।
- एचईएमएम ऑपरेटरों को सिमुलेटर पर प्रशिक्षण।
- विभिन्न विषयों पर निरंतर आधार पर अग्रिम पंक्ति के खान अधिकारियों का कौशल उन्नयन।
- सुरक्षा समितियों के सदस्यों और संविदा कर्मियों सहित सभी कर्मचारियों को नियमित आधार पर जागरूक करना।
- वीटीसी में इलेक्ट्रिशियन और इलेक्ट्रिकल सहायकों को प्रशिक्षण देने के लिए क्षेत्र के अनुभवी विद्युत पर्यवेक्षकों को लगाया जा रहा है।
- प्रशिक्षण की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने में अनुभवी एजेंट, खान प्रबंधकों, ईएंडएम और उत्खनन इंजीनियरों और अन्य वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों के डोमेन ज्ञान का उपयोग किया जा रहा है।

15. 2: खदान आपातकालीन प्रतिक्रिया और निकासी योजना (ईआरईपी)

- आपातकाल से प्रभावित सभी व्यक्तियों को तत्काल सूचना देने की प्रक्रिया।
- व्यक्तियों को खतरे से सुरक्षित, व्यवस्थित और तत्काल बाहर निकालने की प्रक्रियाएँ।
- दुर्घटना के कारण अक्षम या फँसे हुए व्यक्तियों के बचाव की प्रक्रियाएँ।
- घायलों को प्राथमिक चिकित्सा, परिवहन, चिकित्सा उपचार प्रदान करने की प्रक्रियाएँ।
- महत्वपूर्ण परिचालनों और खदान आपात स्थितियों पर प्रतिक्रिया देने के लिए विशेष प्रशिक्षण।
- योजना की प्रभावकारिता की जाँच के लिए मॉक रिहर्सल।
- जमीन के नीचे आपातकालीन निकास मार्गों का सीमांकन करना और निकासी पर प्रशिक्षण।
- संकट/आपदा से संबंधित सूचना के प्रसारण के लिए फ्लो चार्ट तैयार किया गया।

15.3: सीआईएल में खदान बचाव सेवाएँ:

- सीआईएल की सहायक कंपनियां 24x7 आधार पर आपात स्थितियों को पूरा करने के लिए रणनीतिक स्थानों पर 6 खदान बचाव स्टेशन (एमआरएस), 13 बचाव कक्ष और पुनर्शर्चर्या

प्रशिक्षण सुविधाओं के साथ 17 बचाव कक्ष (आरआरआरटी) का रखरखाव करती है।

- एमआरआर-1985 के अनुसार सभी बचाव स्टेशन/बचाव कक्ष पर्याप्त संख्या में बचाव उपकरणों से सुसज्जित हैं और पर्याप्त संख्या में बचाव प्रशिक्षित कार्मिक (आरटीपी) कार्यरत हैं।
- डब्ल्यूसीएल की माइन रेस्क्यू टीम ने बीवर, वेस्ट बर्जीनिया, यूएसए में माइंस सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन अकादमी द्वारा आयोजित 12वीं अंतर्राष्ट्रीय माइंस रेस्क्यू प्रतियोगिता (आईएमआरसी) में माइन रेस्क्यू स्किल्स श्रेणी में तीसरा स्थान हासिल किया है।

16 मानव संसाधन विकास

कोल इंडिया लिमिटेड ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निर्बाध कोयला आपूर्ति श्रृंखला बनाए रखकर राष्ट्र की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए सदैव तत्पर है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने में मानव संसाधन की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है, यह संगठन अच्छी तरह से समझता है और इसलिए कार्यबल का विकास सर्वोच्च प्राथमिकता वाली गतिविधियों में से एक है जिसमें कंपनी लगातार निवेश कर रही है। मानव संसाधन नेतृत्व 2025-26 तक 1 बीटी कोयला उत्पादन के लक्ष्य, लक्ष्य को पूरा करने के लिए आवश्यक सक्षम प्रौद्योगिकी को तैनात करने की तीव्रता और संबंधित प्रशिक्षण हस्तक्षेपों के संदर्भ में एक स्पष्ट परिप्रेक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहा है। व्यवसाय का विविधीकरण एक अन्य क्षेत्र है, जहाँ क्षमता विविधीकरण की अच्छी उम्मीद है, जिसके साथ तालमेल बनाए रखने के लिए कंपनी खुद को तैयार कर रही है।

वर्ष 2022-23 के दौरान सहायक मुख्यालयों, प्रशिक्षण केंद्रों, व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों और सीआईएल की अपनी इन-हाउस प्रशिक्षण सुविधा भारतीय कोयला प्रबंधन संस्थान रांची में विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। ये प्रशिक्षण कार्यक्रम सहायक कंपनी के भीतर कर्मचारियों की संबंधित श्रेणी में प्रशिक्षण आवश्यकताओं के आकलन के बाद आयोजित किए गए थे।

कर्मचारियों को कौशल विकास और मौजूदा और भविष्य की प्रौद्योगिकी के साथ-साथ सुरक्षा में ज्ञान और कौशल हासिल करने के लिए प्रशिक्षण दिया गया। इन-हाउस प्रशिक्षण के अलावा, कर्मचारियों को उनके संचालन के संबंधित क्षेत्रों में आईआईएम लखनऊ, आईआईएम कलकत्ता, आईआईएम-इंदौर, आईआईएम नागपुर, आईएसएम धनबाद जैसे प्रमुख संस्थानों में “सामान्य” प्रबंधन, अनुबंध प्रबंधन, ईएसजी प्रबंधन, एचआरएम, सुरक्षा कर्मियों के लिए आरसीए” जैसे विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण दिया गया।

16.1 मानव संसाधन का प्रशिक्षण एवं विकास:

वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल 89,168 कर्मचारियों को घरेलू प्रशिक्षण दिया गया है, इसमें से 17,404 कार्यकारी और 71,764 गैर-कार्यकारी थे। कुल 6415 कर्मचारियों को कंपनी के बाहर लेकिन देश के भीतर प्रशिक्षित किया गया है, इनमें से 5895 कार्यकारी और 520 गैर-कार्यकारी थे। वित्त वर्ष 22-23 के दौरान, सहायक कंपनियों में अधिकारियों और गैर-कार्यकारियों (अनुबंध श्रमिकों को छोड़कर) सहित सीआईएल कर्मचारियों के लिए 5,83,984 प्रशिक्षण मानव-दिवस हासिल किए गए।

52 अधिकारियों ने इस वित्तीय वर्ष में देश के बाहर कार्यशालाओं/सम्मेलनों/प्रशिक्षण/दैरों में भाग लिया।

वित्तीय वर्ष 2022-23 में 36,644 संविदा कर्मियों को प्रशिक्षित किया गया।

16.2 प्रशिक्षणों की नियुक्ति:

वर्ष 2022-23 के दौरान, सीआईएल और उसकी सहायक कंपनियों में कुल 8891 प्रशिक्षुओं को राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रशिक्षण योजना (एनएटीएस) और राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस) पोर्टल के माध्यम से लगाया गया था, जो ठेकेदार श्रमिकों सहित कुल श्रमशक्ति का लगभग 2.62% है।

16.3 विशेष पहल:

- सीआईएल के संपूर्ण कार्यकारी कार्यबल का प्रशिक्षण आवश्यकता विश्लेषण मेसर्स डेलॉइट के परामर्श समर्थन के साथ निर्धारित समय सीमा के भीतर शुरू और पूरा किया गया। इस अध्ययन के तहत, योग्यता अंतराल की पहचान की गई है और अंतराल को कम करने के लिए आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
- बोर्ड स्तर से नीचे के कार्यकारियों का प्रशिक्षण: विभिन्न स्तरों और विषयों में कुल 1083 अधिकारियों को आईआईएम लखनऊ, आईआईएम-इंदौर, आईआईएम-कलकत्ता, आईआईएम-नागपुर, एक्सएलआरआई जमशेदपुर, आईएसएम धनबाद जैसे प्रमुख संस्थानों में “सामान्य” प्रबंधन, अनुबंध प्रबंधन, ईएसजी प्रबंधन, एचआरएम, सुरक्षा कर्मियों के लिए आरसीए” जैसे विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण दिया गया।
- राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान में सौर ऊर्जा परियोजना पर 4 अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया; आईआईएम कलकत्ता में 70 वरिष्ठ अधिकारियों ने कार्बन तटस्थला पर प्रशिक्षण लिया।
- सीआईएल में 16 अधिकारियों का एक पायलट बैच एक्सएलआरआई जमशेदपुर द्वारा छह महीने से एचआरएनालिटिक्स पर सर्टिफिकेट कोर्स का प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
- घरेलू प्रशिक्षण कार्यक्रम (आईआईसीएम, रांची द्वारा): इस वित्तीय वर्ष में शुरू किए गए कुछ प्रमुख प्रशिक्षण कार्यक्रम:
 - क. दिशा:** आगे की राह - हाल ही में सीआईएल में पदोन्नत हुए 29 महाप्रबंधकों ने नई भूमिकाओं की जिम्मेदारियों को समझने के लिए कार्यक्रम में भाग लिया।
 - ख. लक्ष्य:** सीआईएल और सहायक कंपनियों के 50 जीएम/मुख्य प्रबंधकों के लिए विकास और परिवर्तन के लिए एक व्यक्तिगत यात्रा का आयोजन किया गया था।
 - ग. मंथन:** सीआईएल की विभिन्न सहायक कंपनियों के बोर्ड में नव चयनित निदेशकों के लिए एक निदेशक-स्तरीय नेतृत्व विकास कार्यक्रम।
 - घ. आउटबाउंड कार्यक्रम:** मसूरी में 24 महिला अधिकारियों के लिए टीएसएफ से पेशेवर समर्थन से कार्यक्रम का

आयोजन किया गया। अधिकारियों के लिए अन्य स्थानों पर आयोजित टीम निर्माण और नेतृत्व कार्यक्रम लद्धाख, शिमला, जिम कॉर्बेट और पंचगनी में किया गया था।

17 भर्ती

वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान, कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) ने सेवानिवृत्ति, इस्टीफे आदि से प्राप्त रिक्ति को भरने के लिए सीधी भर्ती के माध्यम से पार्श्व स्तर पर प्रबंधन प्रशिक्षुओं, चिकित्सा कार्यपालकों और अन्य अधिकारियों को शामिल किया गया है। गैर-कार्यपालक कर्मचारियों को कार्यपालक संवर्ग में पदोन्नत कर विभिन्न विधाओं में विभागीय पदोन्नति/चयन भी किया गया। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए सीआईएल में कार्यकारी श्रमशक्ति प्रवाह का विवरण निम्नानुसार है:

- सीआईएल के भर्ती विज्ञापन संख्या 03/2021 में अधिसूचित 588 रिक्तियों के मुकाबले गेट-2021 स्कोर के आधार पर 581 प्रबंधन प्रशिक्षुओं (एमटी) का चयन किया गया था, जिसमें 281 एमटी शामिल हुए हैं।
- सीआईएल के भर्ती विज्ञापन संख्या 02/2022 में अधिसूचित 1026 रिक्तियों के लिए गेट-2022 स्कोर के आधार पर 958 प्रबंधन प्रशिक्षुओं (एमटी) का चयन किया गया था। अब तक सभी सहायक कंपनियों में 723 प्रबंधन प्रशिक्षुओं शामिल हो चुके हैं। आगे के चरणों में चुने गए प्रबंधन प्रशिक्षुओं की औपचारिकताएं वर्तमान में चल रही हैं।
- सीआईएल (सीबीटी-2022) के भर्ती विज्ञापन संख्या 03/2022 में अधिसूचित 398 रिक्तियों के लिए कंप्यूटर आधारित टेस्ट (सीबीटी) स्कोर के आधार पर 366 एमटी का चयन किया गया था, जिसमें अब तक 295 एमटी सहायक कंपनियों में शामिल हो चुके हैं। वर्तमान में शामिल होने की औपचारिकताएं चल रही हैं। इसके अलावा, सीबीटी-2022 (दूसरे चरण) में चयनित 43 उम्मीदवारों में दस्तावेज सत्यापन (डीवी) और प्रारंभिक चिकित्सा परीक्षा (आईएमई) 27.03.2023 को आयोजित की गई थी।
- वित्तीय वर्ष के दौरान 2022-23 (30.09.2022 तक),

दिनांक 01.01.2021, 01.01.2022 और 01.01.2023 को सीआईएल और इसकी सहायक कंपनियों की कुल श्रमशक्ति में एससी/एसटी कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व नीचे दिया गया है: -

पर्यंत दिनांक	कुल श्रमशक्ति	अनुसूचित जाति		अनुसूचित जनजाति		अन्य पिछड़ा वर्ग	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
01.01.2021	2,62,292	52,000	19.83	40,063	15.27	59,937	22.85
01.01.2022	2,51,320	48,493	19.30	36,398	14.48	60,172	23.94
01.01.2023	2,41,563	46,157	19.11	35,055	14.51	56,556	23.41

समूह	(दिनांक 1.1.21 तक)						
	कुल श्रमशक्ति	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जाति %	अनुसूचित जनजाति	अनुसूचित जनजाति %	अन्य पिछड़ा वर्ग	अन्य पिछड़ा वर्ग %
क	14333	2222	15.50	841	5.87	2319	16.18
ख	15724	2482	15.78	1542	9.81	3938	25.04
ग	232235	47296	20.37	37680	16.22	53680	23.11
कुल	262292	52000	19.83	40063	15.27	59937	22.85

समूह	कुल श्रमशक्ति	(दिनांक 1.1.22 तक)					
		अनुसूचित जाति	अनुसूचित जाति %	अनुसूचित जनजाति	अनुसूचित जनजाति %	अन्य पिछ़ा वर्ग	अन्य पिछ़ा वर्ग %
क	14053	2222	15.81	859	6.11	2562	18.23
ख	17774	2324	13.08	1563	8.79	4058	22.83
ग	219493	43947	20.02	33976	15.48	53552	24.40
कुल	251320	48493	19.30	36398	14.48	60172	23.94

समूह	कुल श्रमशक्ति	(दिनांक 1.1.23 तक)					
		अनुसूचित जाति	अनुसूचित जाति %	अनुसूचित जनजाति	अनुसूचित जनजाति %	अन्य पिछ़ा वर्ग	अन्य पिछ़ा वर्ग %
क	14936	2360	15.80	967	6.47	3156	21.13
ख	17061	2230	13.07	1484	8.70	3838	22.50
ग	209566	41567	19.83	32604	15.56	49562	23.65
कुल	241563	46157	19.11	35055	14.51	56556	23.41

19. औद्योगिक संबंध और प्रबंधन में कर्मचारियों की भागीदारी

वित्तीय वर्ष के दौरान सीआईएल और उसकी सहायक कंपनियों में औद्योगिक संबंध परिदृश्य सौहार्दपूर्ण रहा। इकाई/क्षेत्र स्तर और सहायक (मुख्यालय) स्तर पर संयुक्त सलाहकार समितियाँ और अन्य द्विपक्षीय समितियाँ सामंजस्य के साथ कार्य करती रहीं। आईआर, कल्याण, उत्पादकता/उत्पादन, सुरक्षा आदि मुद्दों के समाधान के लिए सीआईएल में नियमित अंतराल पर द्विपक्षीय समितियों की बैठकें आयोजित की गईं। कुछ सहायक कंपनियों में स्थानीय प्रकृति के कुछ छोटे मुद्दों को छोड़कर, कंपनी में कोई बड़ी आईआर समस्या नहीं हुई है।

20. कर्मचारी कल्याण एवं सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ

कोल इंडिया लिमिटेड अपने कर्मचारियों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए सर्वोत्तम सुविधाएँ प्रदान करने का प्रयास करता है। समाज के सभी वर्गों जैसे- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछ़ा वर्ग, अल्पसंख्यकों के साथ-साथ समाज के अन्य हाशिए पर रहने वाले वर्गों को बिना किसी भेदभाव के प्रदान की जाने वाली सुविधाएँ निम्नवत हैं:-

20.1 आवास सुविधाएँ

सीआईएल और इसकी सहायक कंपनियों में, सभी पात्र कर्मचारियों को उपलब्धता और कंपनी नियमों के अध्यधीन कंपनी कार्टर प्रदान किए जाते हैं। कर्मचारियों को अच्छे आवास उपलब्ध कराने के लिए इन आवासों की संपूर्ण मरम्मत सहित देखभाल और रखरखाव नियमित रूप से किया जाता है।

20.2 जल आपूर्ति

कर्मचारियों और उनके परिवारों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए कई जल आपूर्ति योजनाएँ शुरू की गई हैं। पानी की आपूर्ति उचित उपचार के बाद की जाती है और कोयला क्षेत्रों में कई आरओ प्लॉट/प्रेशर फिल्टर प्लॉट भी मौजूद हैं जो न केवल हमारे कर्मचारियों बल्कि आस-पड़ोस की आबादी को भी पानी की आपूर्ति करते हैं। गर्मी के महीनों में पानी की कमी से जूझ रहे इलाकों में टैकरों से भी पानी की आपूर्ति की जाती है।

20.3 शैक्षिक सुविधाएँ

सीआईएल की सहायक कंपनियाँ कर्मचारियों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए खदान क्षेत्रों में संचालित स्कूलों जैसे डीएवी, केंद्रीय विद्यालय, दिल्ली पब्लिक स्कूल आदि और राज्य सरकार द्वारा संचालित अन्य शैक्षणिक संस्थानों को वित्तीय सहायता और बुनियादी

सुविधाएँ प्रदान कर रही हैं। इसके अलावा, कोलफील्ड क्षेत्रों में और उसके आसपास काम करने वाली कुछ सहायक कोयला कंपनियों द्वारा कुछ निजी तौर पर प्रबंधित स्कूलों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों को वित्तीय सहायता और बुनियादी सुविधाएँ भी प्रदान की जाती है। ये स्कूल कोलफील्ड क्षेत्रों में पूरी आबादी की आवश्यकताओं को पूरा करता है।

20.3.1 कोल इंडिया छात्रवृत्ति योजना:

कर्मचारियों के बच्चों के लिए, दो प्रकार की छात्रवृत्तियां, अर्थात् मेरिट और सामान्य छात्रवृत्ति, निर्धारित नियमों और शर्तों के तहत प्रत्येक वर्ष प्रदान की जा रही है।

क) मेरिट स्कॉलरशिप में, माध्यमिक/एच.एस. में प्रथम से 20वां स्थान प्राप्त करने वाले छात्र। या किसी भी राज्य बोर्ड या आईसीएसई, सीबीएसई / आईएससी परीक्षा (कक्षा-10वीं और बाहवी) में 95% और उससे अधिक अंक हासिल करने वालों को प्रति माह छात्रवृत्ति दी जाती है।

सामान्य छात्रवृत्ति कक्षा-पाँच से स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर तक किसी भी विषय में अध्ययन करने वाले छात्रों को अंकों के निर्धारित प्रतिशत के अधीन प्रदान की जाती है।

ख) नकद पुरस्कार एवं प्रशंसा प्रमाण पत्र: -

प्रत्येक वर्ष, 10 वीं और 12 वीं कक्षा की बोर्ड स्तर की परीक्षा में कुल मिलाकर 90% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले सीआईएल कर्मचारियों के मेधावी बच्चों को क्रमशः 5000 रुपये और 7000 रुपये का नकद पुरस्कार प्रदान किया जाता है।

ग) देश में तकनीकी और चिकित्सा शिक्षा की उच्च लागत को ध्यान में रखते हुए, कोल इंडिया लिमिटेड वेतन बोर्ड कर्मचारियों के आश्रित बच्चों की शिक्षा की लागत को आईआईटी, एनआईटी, सरकारी इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में इंजीनियरिंग/मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए ट्यूशन फीस और छात्रावास शुल्क की सीमा तक पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है।

20.4 चिकित्सा सुविधाएँ

कोल इंडिया लिमिटेड और इसकी सहायक कंपनियाँ कोयला क्षेत्रों के विभिन्न हिस्सों में डिस्पेंसरी स्तर से लेकर केंद्रीय और शीर्ष अस्पतालों तक विभिन्न चिकित्सा प्रतिष्ठानों के माध्यम से कर्मचारियों और उनके

परिवारों को चिकित्सा सुविधाएँ प्रदान कर रही है। विशिष्ट उपचार के लिए, जहाँ विशेषज्ञता/सुविधाएँ उपलब्ध नहीं हैं, उन्हें सूचीबद्ध अस्पताल में बाहर भी इलाज के लिए भेजा जाता है।

मरीजों को अस्पतालों तक ले जाने के लिए, पूरे कोयला क्षेत्रों में केंद्रीय स्थानों पर नवीनतम तकनीक और जीवन रक्षक प्रणालियों के साथ एम्बुलेंस सेवा प्रदान की जाती है।

इसके अलावा, कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए व्यावसायिक स्वास्थ्य, एचआईवी/एड्स जागरूकता कार्यक्रम पर भी विशेष जोर दिया गया है।

कंपनी के अस्पतालों/औषधालयों में ओपीडी और इनडोर उपचार की चिकित्सा सुविधाएँ ठेकेदारों द्वारा नियुक्त श्रमिकों को भी प्रदान की जाती है।

कोविड महामारी के दौरान, चिकित्सा बिरादरी और कर्मचारियों ने कोलफिल्ड के क्षेत्रों के लोगों के लिए सराहनीय सहायता प्रदान की है।

20.5 सांविधिक कल्याण सुविधाएँ

खान अधिनियम 1952 के प्रावधान और उसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों के अनुसार, कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनियों में कैटीन, रेस्ट शेल्टर आदि जैसी विभिन्न वैधानिक कल्याण सुविधाएँ उपलब्ध हैं। ये सुविधाएँ कंपनी के कर्मचारियों के साथ-साथ ठेकेदार के श्रमिकों द्वारा समान रूप से उपयोग के लिए हैं।

20.6 गैर-सांविधिक कल्याण उपाय

20.6.1 सहकारी भंडार और क्रेडिट सोसायटी

कोलियरियों में आवश्यक वस्तुओं और उपभोक्ता वस्तुओं को सस्ती दर पर आपूर्ति करने के लिए सीआईएल के कोयला क्षेत्रों में केंद्रीय सहकारी और प्राथमिक सहकारी भंडार उपलब्ध है।

20.6.2 बैंकिंग सुविधाएँ और डाकघर

कोयला कंपनियों का प्रबंधन अपने श्रमिकों के लाभ के लिए कोलफिल्ड्स में अपनी शाखाएँ और विस्तार काउंटर खोलने के लिए विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों को बुनियादी सुविधाएँ प्रदान कर रहा है। इसी प्रकार, आवासीय कॉलोनियों के निकट जमा खाता खोलने की सुविधाएँ प्रदान करके प्रोत्साहित किया गया एवं डाकघरों को श्रमिकों की निकटता में लाने का प्रयास किया गया है।

20.6.3 खेल सुविधाएँ

खेल और संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से श्रमिकों और उनके परिवारों की भलाई और अच्छे स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए श्रमिकों की आवासीय कॉलोनियों के पास मनोरंजन और खेल सुविधाएँ उपलब्ध हैं,

क. लंबित सीए एवं एजी पैरा (सीआईएल मुख्यालय):-

भाग II क			भाग II ख			कुल		
प्राप्त पैरा की संख्या	उत्तर दी गई पैरा की संख्या	टिप्पणी	प्राप्त पैरा की संख्या	उत्तर दी गई पैरा की संख्या	टिप्पणी	पैरा की संख्या	उत्तर दी गई पैरा की संख्या	टिप्पणी
20	19	सीएजी की जाँच के दायरे में	28	28	सीएजी की जाँच के दायरे में	48	47	सीएजी की जाँच के दायरे में

सभी नियंत्रक और महालेखा परीक्षकों को उत्तर दे दिए गए हैं और यह मामला नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की जाँच के अधीन है। इस मामले को नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के कार्यालय के साथ नियमित रूप से अनुबर्ती कार्रवाई की जा रही है।

खेल और संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, कोल इंडिया के पास कोल इंडिया स्पोर्ट्स प्रमोशन एसोसिएशन (सीआईएसपीए) के माध्यम से प्रशासित एक अनुमोदित खेल नीति है, जो पश्चिम बंगाल सोसाइटी के पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत एक निकाय है; और यह एसोसिएशन कोलफिल्ड्स क्षेत्रों में प्रायोजन / वित्तीय सहायता प्रदान करके खेल और संस्कृति का समर्थन करता है। सीआईएसपीए बड़ी स्थानीय आबादी के लाभ के लिए खेल अवसरंचना के निर्माण में विभिन्न सहायक कंपनियों को भी सहायता प्रदान कर रहा है।

20.7 महिलाओं का सशक्तिकरण

सीआईएल और उसकी सहायक कंपनियों में 19794 महिला कर्मचारी कार्यरत हैं। उनके स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए, कोयला कंपनियाँ सभी वैधानिक आवश्यकताओं, बढ़े हुए मातृत्व अवकाश, शिशु देखभाल अवकाश, क्रेच आदि का अनुपालन सुनिश्चित करती हैं।

इसके अलावा, स्कोप (सार्वजनिक उद्यमों का स्थायी सम्मेलन) के तत्त्वावधान में सार्वजनिक क्षेत्र में महिलाओं का फोरम (डब्ल्यूआईपीएस) सभी कोयला कंपनियों/सीआईएल में उन्हें सशक्त बनाने के लिए कार्यरत है और नेटवर्किंग के लिए एक मंच प्रदान करता है।

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार, कोल इंडिया लिमिटेड की एक आंतरिक शिकायत समिति है।

20.8 सीआईएल कल्याण बोर्ड की बैठक

ट्रेड यूनियनों और प्रबंधन के प्रतिनिधियों को शामिल करने वाला एक द्विपक्षीय मंच कल्याण बोर्ड का गठन करता है। यह कल्याण बोर्ड नियमित रूप से इकाई/सहायक और मुख्यालय स्तर पर अपनी बैठकें आयोजित करता है। कल्याण बोर्ड कर्मचारियों के लिए कल्याणकारी उपायों, आवास सुविधाओं के उत्थान, पेयजल सुविधाओं और अन्य सभी सुविधाओं के बारे में महत्वपूर्ण निर्णय लेता है। कल्याण बोर्ड सुविधाओं की गुणवत्ता की निगरानी भी करता है।

21. समिति द्वारा अपनी 150वां रिपोर्ट में सभा पटल (राज्य सभा) पर रखे गए पत्रों पर की गई सिफारिशें

क. वर्ष 2022-23 के दौरान सतर्कता मामले

विवरण	मामलों की संख्या
शुरूआती मामले	7
प्राप्त हुआ	569
कुल	576
निपटाया गया	560
मामलों को बंद करना	16

ग आरटीआई मामले:

वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए आरटीआई वार्षिक रिटर्न का निष्कर्ष

विवरण	प्राप्त अनुरोध (अन्य सार्वजनिक प्राधिकरण को हस्तांतरित मामलों सहित)	स्थानांतरित किये गये मामलों की संख्या	ऐसे निर्णय जहाँ अनुरोध/अपील अस्वीकार कर दिए गए	ऐसे निर्णय जहाँ अनुरोध/अपील स्वीकार किए गए और निपटाए गए
संख्या		341	119	1237

22. वृक्षारोपण/वनीकरण

सीआईएल की सहायक कंपनियों द्वारा प्रत्येक वर्ष व्यापक वृक्षारोपण कार्यक्रम के माध्यम से वृक्षारोपण और हरित पट्टी विकसित की जाती है। मौजूदा और नई परियोजनाओं में एवेन्यू वृक्षारोपण, ओबी डंप पर वृक्षारोपण, खानों, आवासीय कॉलोनियों और उपलब्ध सरकारी भूमि में और उसके आसपास वृक्षारोपण किया जाता है। सीआईएल की सहायक कंपनियों ने 2022-23 के दौरान (खदान पट्टा क्षेत्र के अंदर लगभग 1,126 हेक्टेयर और खदान पट्टा क्षेत्र के बाहर 487 हेक्टेयर से अधिक) वृक्षारोपण के क्षेत्र के संदर्भ में पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 10% की वृद्धि के साथ 1,613.39 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में लगभग 31.01 लाख पौधे लगाए हैं।

23. हिन्दी का प्रगामी प्रयोग

कोल इंडिया लिमिटेड राजभाषा अधिनियम, नियमों और विनियमों के प्रावधानों को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है और सभी अनिवार्य गतिविधियां हर तिमाही में नियमित रूप से आयोजित की जाती हैं। वर्ष भर होने वाली गतिविधियों में निम्नवत शामिल हैं:

- प्रत्येक तिमाही में सीआईएल राजभाषा कार्यान्वयन समिति की समीक्षा बैठक आयोजित की जाती थी।
- सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक तिमाही में कुल 4 कार्यशालाएँ आयोजित की गईं। हिन्दी ई-टूल्स, हिन्दी टिप्पण, प्रारूपण एवं नियमित शासकीय कार्यों से संबंधित प्रशिक्षण एवं अभ्यास कार्यक्रम आयोजित किये गये तथा संवैधानिक प्रावधानों की जानकारी दी गयी।
- सेवाकालीन हिन्दी प्रशिक्षण के प्रावधानों के तहत भारत सरकार की हिन्दी शिक्षण योजना, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के सहयोग से जनवरी-2023 सत्र में सीआईएल के 14 कर्मचारियों के लिए हिन्दी प्रवीण की कक्षा संचालित की जा रही है और 'प्रज्ञा' वर्ग के जुलाई, 2022 सत्र में 15 प्रशिक्षुओं ने हिन्दी में प्रशिक्षण प्राप्त किया।
- दिनांक 22.04.2022 को सीआईएल (मुख्यालय), कोलकाता परिसर में हिन्दी कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया।
- दिनांक 18.05.2022 को माननीय कोयला मंत्री श्री प्रल्हाद जोशी की अध्यक्षता में कोयला मंत्रालय, हिन्दी सलाहकार समिति की बैठक का आयोजन।
- दिनांक 15.07.2022 को सीआईएल की अध्यक्षता एवं टीओएलआईसी (पीएसयू), कोलकाता के तत्वावधान में कविता पाठ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जिसमें 80 प्रतिभागियों ने भाग लिया।
- सीआईएल की अध्यक्षता में और नराकास (पीएसयू), कोलकाता के तत्वावधान में, नवंबर और दिसंबर के महीने में कोलकाता स्थित सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के विभिन्न केंद्रों में राजभाषा हिन्दी में विभिन्न प्रतियोगिताओं जैसे कविता पाठ, पत्र और नोट लेखन, निबंध लेखन, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता, अनुवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था।
- दिनांक 29.09.2022 को राजभाषा पखवाड़ा के समाप्त समारोह के अंतर्गत राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक एवं पुरस्कार वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उक्त समारोह में प्रतियोगिता के विजेताओं को राजभाषा हिन्दी में उत्कृष्ट कार्य करने वाले तीनों विभागों को पुरस्कार एवं 'सीआईएल राजभाषा चालशील' देकर प्रोत्साहित किया गया।
- सीआईएल की अध्यक्षता में और नराकास (पीएसयू), कोलकाता के तत्वावधान में, नवंबर और दिसंबर के महीने में कोलकाता स्थित सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के विभिन्न केंद्रों में राजभाषा हिन्दी में विभिन्न प्रतियोगिताओं जैसे कविता पाठ, पत्र और नोट लेखन, निबंध लेखन, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता, अनुवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था।

- 30.01.2023 को नाराकास (पीएसयू), कोलकाता की हिंदी पत्रिका 'अभिव्यक्ति' का 27वाँ अंक जारी किया गया।
- 30-31 जनवरी, 2023 को राजभाषा विभाग, सीआईएल के नेतृत्व में नाराकास (पीएसयू), कोलकाता द्वारा दो दिवसीय तकनीकी सेमिनार का आयोजन किया गया। जिसमें सीआईएल के राजभाषा नोडल अधिकारियों और अन्य सदस्य पीएसयू के अधिकारियों ने भी भाग लिया।

सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित योजनाएँ लागू की गई हैं:

- (i) "सीआईएल हिंदी पुस्तक लेखन प्रोत्साहन योजना "
- (ii) "पत्राचार/प्रारूपण एवं अन्य सरकारी कार्य हिन्दी में करने हेतु प्रोत्साहन योजना "
- (iii) सीआईएल हिंदी पुस्तक लेखन योजना
- (iv) सीआईएल राजभाषा चल शिल्ड योजना

24. सतर्कता प्रभाग

कोल इंडिया लिमिटेड के कॉर्पोरेट मुख्यालय कोलकाता में सतर्कता प्रभाग स्थापित है, जिसका नेतृत्व मुख्य सतर्कता अधिकारी अपने सतर्कता अधिकारियों की एक बहु-विषयक टीम की सहायता पाकर करते हैं। इसी प्रकार, इसकी सभी आठ सहायक कंपनियों की अपनी स्वतंत्र सतर्कता इकाइयाँ हैं, जिनमें से प्रत्येक का नेतृत्व एक पूर्णकालिक सीवीओ करता है। होल्डिंग कंपनी, सीवीओ के स्तर पर, सीआईएल सहायक सतर्कता, सीबीआई, कोयला मंत्रालय और केंद्रीय सतर्कता आयोग के बीच एक समन्वय प्राधिकारी के रूप में कार्य करता है। कॉर्पोरेट स्तर पर सीवीओ, सीआईएल बहु-सहायक और कंपनी-व्यापी प्रभाव वाले मुद्दों पर शिकायतें, जांच और प्रणालीगत सुधारों से निपटता है।

संगठन में प्राप्त शिकायतों को सीआईएल और सीवीसी दिशानिर्देशों की 'शिकायत हैंडलिंग नीति' के अनुसार निपटाया जाता है और प्राप्ति से लेकर निपटान तक अँनलाइन शिकायत हैंडलिंग पोर्टल का उपयोग करके कार्रवाई की जाती है। निवारक सतर्कता के एक भाग के रूप में, सीआईएल सतर्कता प्रभाग प्रचालनात्मक और वित्तीय निहितार्थ बाली विभिन्न व्यावसायिक प्रक्रियाओं का प्रणाली अध्ययन करता है और प्रबंधन के लिए विशिष्ट प्रणाली सुधार सुझाव विकसित करता है। 2022-23 के दौरान किए गए कुछ प्रणाली सुधार उपायों (सिम) को नीचे संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है::

- मिशन - उत्पादकता अधिकतमकरण - डंपरों का प्रदर्शन विश्लेषण: सतर्कता अध्ययन से पता चला है कि ऑन-बोर्ड ट्रक पेलोड मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) द्वारा उत्पन्न डेटा में उच्च क्षमता वाले डंपरों की दक्षता और उत्पादकता में नाटकीय रूप से सुधार करने की क्षमता है। एक गहन अध्ययन किया गया था और कार्यान्वयन के लिए सीआईएल प्रबंधन को व्यवस्थित सुधार के लिए सिफारिशें सुझाई गई थीं। सीआईएल प्रबंधन ने सुझाव को स्वीकार कर लिया और उपकरणों को लोड करने और परिवहन के लिए ईआरपी प्रणाली में डेटा के निर्बाध हस्तांतरण की सुविधा का पता लगाने का निर्णय

लिया। विचार-विमर्श के आधार पर, प्रशासनिक आदेश जारी किए गए थे। पोर्टल को विभिन्न सहायक कंपनियों से डेटा को समेकित करने के लिए विकसित किया गया है, जिसकी निगरानी ईईडी द्वारा अपनी मासिक रिपोर्ट में की जा रही है।

- सीआईएल में कोयला स्टॉक की मात्रा: नीति, प्रक्रिया और नुकसान: अनुपान के आधार पर उत्पादन रिपोर्टिंग प्रक्रिया की कमजोरियों को समझने के लिए एक सिस्टम अध्ययन आयोजित किया गया था, जिसमें (ए) कोयला उत्पादन टन भार की वर्तमान रिपोर्टिंग प्रणाली की विश्वसनीयता और प्रामाणिकता में सुधार (बी) एचईएमएम की उत्पादकता और दक्षता को अधिकतम करने पर विशेष ध्यान दिया गया था। इस अध्ययन के परिणामस्वरूप कई सिस्टम सुधार सुझाव सामने आए हैं जिन्हें सभी सहायक कंपनियों में लागू किया गया है।
- बड़े आकार के एचईएमएम टायरों की खरीद के संबंध में प्रणालीगत सुधार के सुझाव जारी किए गए: सीआईएल स्तर पर खरीदी गई और सहायक/परियोजना स्तर पर उपभोग की गई बस्तुओं के प्रदर्शन को सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत प्रक्रिया तैयार करने और आपूर्ति आदेशों में शामिल करने का सुझाव दिया गया है। यह सिफारिश की गई कि सीआईएल के हितों की रक्षा के लिए वारंटी की अवधि में उचित संशोधन किया जाना चाहिए। वारंटी दावों के लिए एक एसओपी जारी करने का सुझाव दिया गया है जिसका अनुपालन किया जाता है।

शिकायतों से निपटना: वर्ष 2022-23 के दौरान, सीआईएल सतर्कता प्रभाग को 569 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें एमओसी, सीबीआई और सीवीसी द्वारा अग्रेषित शिकायतें भी शामिल थीं, जिनमें से वर्ष के दौरान 560 शिकायतों का निपटान कर दिया गया है।

दंडात्मक सतर्कता: सीआईएल और उसकी सहायक कंपनियों की सतर्कता इकाइयों ने वर्ष के दौरान 265 अधिकारियों पर दंडात्मक कार्रवाई के लिए कई गहन जांच, औचक निरीक्षण और जांच की गई है।

सतर्कता जागरूकता समाह: वर्ष 2022 में, 31 अक्टूबर से 6 नवंबर, 2022 तक "विकसित राष्ट्र के लिए भ्रष्टाचार मुक्त भारत" विषय पर सतर्कता जागरूकता समाह मनाया गया।

बीएडब्ल्यू के पालन से पहले 16 अगस्त, 2022 से 15 नवंबर, 2022 की अवधि के दौरान सतर्कता जागरूकता समाह 2022 के अग्रदूत के रूप में निवारक सतर्कता सह हाउसकीरिंग गतिविधियों पर सतर्कता जागरूकता समाह 2022 के अग्रदूत के रूप में छह फोकस क्षेत्र, अर्थात्; संपत्ति प्रबंधन, संपत्तियों का प्रबंधन, रिकॉर्ड प्रबंधन, तकनीकी पहल, दिशानिर्देश/परिपत्र/मैनुअल का अद्यतनीकरण और शिकायतों का निपटान के साथ एक विशेष अभियान चलाया गया था, जैसा कि सीवीसी द्वारा दिनांक 25.07.2022 के परिपत्र संख्या 14/07/22 के माध्यम से प्रसारित किया गया था। इस समाह के दौरान सीआईएल मुख्यालय में सत्यनिष्ठ शपथ, निबंध लेखन प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता, स्कूल और कॉलेज के छात्रों के बीच ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी, कोल इंडिया के छात्रों, पति/पत्नी और कर्मचारियों के बच्चों की ड्राइंग और पेटिंग प्रतियोगिता, संवेदीकरण कार्यक्रम आयोजित करना, सतर्कता जागरूकता के लिए वॉकथॉन आदि का आयोजन किया गया।

25. कर्मचारियों का विवरण

एमसीए ने दिनांक 5 जून, 2015 की अपनी अधिसूचना के तहत सरकारी कंपनी के लिए इसे छूट दी है। सीआईएल और इसकी सहायक कंपनियों का कोई भी कर्मचारी प्रति वर्ष 1.02 करोड़ रुपये से अधिक आय नहीं कर रहा है।

26. निदेशक मंडल और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

क) कार्यात्मक (कार्यकारी) निदेशक: -

31.03.2023 की स्थिति के अनुसार, कोल इंडिया लिमिटेड के कार्यात्मक निदेशक निम्नानुसार हैं:-

1. श्री प्रमोद अग्रवाल डीआईएन-(00279727)- अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक (सीएमडी)
2. श्री प्रमोद अग्रवाल डीआईएन-(00279727)- निदेशक (वित्त), 28 दिसंबर, 2022 तक अतिरिक्त प्रभार
3. श्री एस. एन. तिवारी डीआईएन-(07911040)- निदेशक (विपणन) - 30 अप्रैल, 2022 को सेवानिवृत्त
4. श्री विनय रंजन डीआईएन-(03636743)- निदेशक (पी एंड आईआर)
5. डॉ. बी. वीरा रेण्डी- डीआईएन-(08679590)- निदेशक (तकनीकी)
6. डॉ. बी. वीरा रेण्डी- डीआईएन-(08679590) निदेशक (विपणन), 1 मई 22 से 22 दिसंबर 22 तक अतिरिक्त प्रभार
7. डॉ. बी. वीरा रेण्डी- डीआईएन-(08679590) निदेशक (वित्त), 29 दिसंबर'22 से 02 मई 23 तक अतिरिक्त प्रभार
8. श्री देबाशीष नंदा डीआईएन-(09015566) - निदेशक (व्यवसाय विकास)- 11 जुलाई, 2022 से
9. श्री मुकेश चौधरी डीआईएन-(07532479)- निदेशक (विपणन)- 23 दिसंबर, 2022 से

ख) सरकार द्वारा नामित निदेशक: -

1. श्री विनोद कुमार तिवारी डीआईएन-03575641- एएस, एमओसी- 21 फरवरी, 23 से निदेशक नहीं रहे।
2. श्रीमती निरुपमा कोटरू -डीआईएन-09204338- जेएस एंड एफए, एमओसी
3. श्री नागराजू मद्हिराला-डीआईएन-06852727- अतिरिक्त सचिव, एमओसी 22 फरवरी, 2023 को नियुक्त किये गये।

ग) स्वतंत्र निदेशक: -

सीआईएल बोर्ड में निम्नलिखित सात स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किए गए :-

1. प्रोफेसर जी नागेश्वर राव - डीआईएन-08461461
2. सीए दिनेश सिंह - डीआईएन-08038875

3. श्री बी. राजेश चंद्र - डीआईएन-02065422

4. सीए कामेश कांत आचार्य डीआईएन-09386642
5. श्री मकवाना पी कालाभाई - डीआईएन-09385881
6. डॉ अरुण कुमार उरांव - डीआईएन-09388744
7. श्री घनश्याम सिंह राठौर - डीआईएन-09615384 1 मार्च, 2023 को नियुक्त किये गये।

घ) स्थायी आमंत्रित सदस्य: -

पूरे वित्तीय वर्ष में सीआईएल बोर्ड में निम्नलिखित स्थायी आमंत्रित सदस्य थे:-

1. श्री पी. एम. प्रसाद, सीएमडी, सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड
2. श्री भोला सिंह, सीएमडी, नार्दन कोलफील्ड्स लिमिटेड
3. सुश्री जया वर्मा सिन्हा, अपर सदस्य- यातायात, परिवहन, रेलवे

ड) प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक: -

1. श्री प्रमोद अग्रवाल - मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ)
2. श्री एस. के. मेहता, ईडी (वित्त) - मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ)
3. श्री एम. विश्वनाथन - 30 सितंबर, 2022 को कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी के पद से हट गए।
4. श्री बी. पी. दुबे को 21 अक्टूबर, 2022 से सीआईएल के कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया।

आपके निदेशक अपने कार्यकाल के दौरान निदेशकों द्वारा प्रदान किए गए मूल्यवान मार्गदर्शन और सेवाओं के लिए अपनी गहरी साराहना की भावना को रिकॉर्ड पर रखना चाहते हैं, जो वर्ष के दौरान निदेशक नहीं रहे।

कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अनुच्छेद 39(जे) के अनुसार, एक तिहाई निदेशक रोटेशन के आधार पर सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी हैं, जो आगामी वार्षिक आम बैठक में सेवानिवृत्त होंगे और वे पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र हैं। श्री विनय रंजन, निदेशक (पी एंड आईआर), सीआईएल और डॉ. बी. वीरा रेण्डी, निदेशक (तकनीकी), सीआईएल रोटेशन से सेवानिवृत्त होंगे और उन्होंने खुद को पुनर्नियुक्ति के लिए पेश किया है।

वर्ष 2022-23 के दौरान निदेशक मंडल की 11 बैठकें हुईं।

27. लेखापरीक्षा समिति की संरचना

कॉर्पोरेट गवर्नेंस में उत्कृष्टता के अनुसरण में सीआईएल ने 20 जुलाई, 2001 से अपने निदेशक मंडल की एक लेखा परीक्षा समिति का गठन किया और 12 नवंबर, 2021 को आयोजित अपनी 433वीं बैठक में बोर्ड द्वारा लेखापरीक्षा समिति का पुनर्गठन किया गया, जिसमें 4 स्वतंत्र निदेशक, एक सरकारी नामित निदेशक, एक पूर्णकालिक

निदेशक (निदेशक तकनीकी) और एक स्थायी आमंत्रित (निदेशक वित्त) शामिल थे। संरचना, कोर्स, शक्तियाँ, भूमिका और दायरा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और सेबी (एलओडीआर) 2015 के विनियम 18 के प्रावधानों के अनुसार हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में विवरण का खुलासा किया गया था।

28. सीएसआर समिति की संरचना

सीआईएल निदेशक मंडल द्वारा दिनांक 16-04-2012 को आयोजित अपनी 282वीं बैठक में सीएसआर सहित सतत विकास समिति का गठन किया गया था। इस समिति का नाम कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 और कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व) नियम, 2014 के अनुसरण में सीएसआर समिति के रूप में बदल दिया गया था। इस समिति का पुनर्गठन 12 नवंबर 2021 को किया गया था जिसमें 2 स्वतंत्र निदेशक, 1 सरकारी नामित निदेशक और 1 कार्यात्मक निदेशक शामिल थे। कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में इस विवरण को प्रस्तुत किया गया था।

29. धारा 149 की उपधारा (6) के तहत स्वतंत्र निदेशकों द्वारा दी गई घोषणा।

स्वतंत्र निदेशकों ने 2022-23 के दौरान अपनी घोषणा दी थी कि वे कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 149 की उपधारा (6) में निर्धारित स्वतंत्रता के मानदंडों को पूरा करते हैं।

इसके अलावा, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 149 (7) और सेबी (एलओडीआर) विनियम 2015 के विनियम 25 (8) के तहत आवश्यकतानुसार, स्वतंत्र निदेशकों ने घोषणा प्रस्तुत की थी कि वे एलओडीआर 2015 के विनियम 16 (i) के खंड (ख) में प्रदान किए गए स्वतंत्रता मानदंडों को पूरा करते हैं और उन्हें किसी भी परिस्थिति या स्थिति के बारे में पता नहीं है, जो मौजूद है या यथोचित रूप से प्रत्याशित हो सकती है जो एक उद्देश्यपूर्ण स्वतंत्र निर्णय बिना किसी बाहरी प्रभाव के साथ कर्तव्यों का निर्वहन करने की उनकी क्षमता को बाधित या प्रभावित कर सकती है। इसके अलावा, एलओडीआर 2015 के विनियम 25(9) के तहत यथावश्यक, कंपनी के निदेशक मंडल ने 19 अप्रैल, 2023 को आयोजित अपनी 450वीं बोर्ड बैठक में विनियम 25(8) के तहत स्वतंत्र निदेशकों द्वारा प्रस्तुत घोषणा और पुष्टि को रिकॉर्ड में लिया।

30. स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति /पुनर्नियुक्ति और अखंडता, विशेषज्ञता और अनुभव (प्रवीणता सहित)

सभी 7 स्वतंत्र निदेशकों ने आईआईसीए, डेटा बैंक के साथ अपना पंजीकरण किया था। जैसा कि सेबी (एलओडीआर) विनियम 2015 द्वारा निर्धारित किया गया है, उनके पास मौजूद मुख्य कौशल/विशेषज्ञता/क्षमता की सूची को 19 अप्रैल 23 को आयोजित 450वीं बोर्ड बैठक में बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया था। इसमें स्वतंत्र निदेशकों की ईमानदारी, विशेषज्ञता और अनुभव शामिल है।

31 लेखापरीक्षा समिति एवं बोर्ड की अन्य उप-समितियों की सिफारिशें।

लेखापरीक्षा समिति और अन्य उप-समितियों द्वारा की गई सभी सिफारिशें बोर्ड द्वारा स्वीकार कर ली गईं।

32. निदेशकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक पर कंपनी की नीति, जिसमें धारा 178 की उप-धारा (3) के तहत प्रदान की गई योग्यताएं, सकारात्मक गुण, निदेशक की स्वतंत्रता और अन्य मामले निर्धारित करने के मानदंड शामिल हैं।

एमसीए ने 5 जून 2015 की अधिसूचना के माध्यम से सरकारी कंपनियों के लिए उपरोक्त छूट दी थी।

33. निदेशकों, केएमपीएस और वरिष्ठ प्रबंधन की पारिश्रमिक नीति – धारा 178(4)।

एमसीए ने 5 जून 2015 की अधिसूचना के जरिए सरकारी कंपनियों के निदेशकों को उपरोक्त छूट दी थी।

34. बोर्ड द्वारा अपने और अपनी समितियों तथा व्यक्तिगत निदेशकों के प्रदर्शन का औपचारिक वार्षिक मूल्यांकन किस प्रकार किया गया है, इसका संकेत देने वाला विवरण।

एमसीए ने 5 जून 2015 की अधिसूचना के माध्यम से सरकारी कंपनियों के लिए मूल्यांकन तंत्र को छूट दी थी।

35. संबंधित पक्षों के साथ अनुबंध या व्यवस्था

सहायक कंपनियों के साथ किए गए संबंधित पक्ष लेनदेन को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 23 (5) (क) और (ख) के तहत छूट दी गई थी, जो दो सरकारी कंपनियों के बीच लेनदेन और होल्डिंग और उसकी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों के बीच किए गए लेनदेन थे, जिनके खाते होल्डिंग कंपनी के साथ समेकित होते हैं और अनुमोदन के लिए आम बैठक में शेयरधारकों के समक्ष रखे जाते हैं। तदनुसार, फॉर्म एओसी 2 लागू नहीं है।

36. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 186 के तहत किसी कंपनी द्वारा ऋण, गारंटी या निवेश

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 186 के संदर्भ में कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा दिए गए ऋण, गारंटी और निवेश अनुलग्नक 16 में संलग्न है।

37. बोर्ड सदस्यों का परिचय कार्यक्रम।

निदेशक मंडल को व्यवसाय से संबंधित सभी मामलों, कंपनी द्वारा उठाए गए संबंधित जोखिम और शमन उपाय, कंपनी की नई पहल आदि के बारे में पूरी जानकारी दी जाती है। निदेशक मंडल को कंपनी अधिनियम 2013, संशोधित अंदरूनी व्यापार निषेध विनियम और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकता) विनियम 2015 के प्रावधानों के बारे में भी जानकारी दी गई। सेबी (सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकता) विनियम 2015 के नियम 25 के अनुसार, सूचीबद्ध इकाई के बारे में विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से स्वतंत्र निदेशकों को परिचित करेंगी, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

(क) उस उद्योग की प्रकृति जिसमें सूचीबद्ध इकाई कार्य करती है;

(ख) सूचीबद्ध इकाई का व्यवसाय मॉडल;

- (ग) स्वतंत्र निदेशकों की भूमिकाएं, अधिकार, जिम्मेदारियां; और
 (घ) कोई अन्य प्रासंगिक जानकारी।

सेबी (सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकता) विनियम 2015 के विनियम 46 के अनुसार, स्वतंत्र निदेशकों को दिए गए परिचय कार्यक्रमों का विवरण कंपनी की वेबसाइट पर प्रकट किया जाना है। इसका खुलासा कंपनी की वेबसाइट पर किया गया है और लिंक यहाँ नीचे दिया गया है: - <https://d3u7ubx0okog7j.cloudfront.net/documents/FamiliarizationProgrammesIDs.pdf>

38. कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न

कंपनी के पास कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 की आवश्यकताओं के अनुरूप एक यौन उत्पीड़न विरोधी नीति उपलब्ध है। आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए कोल इंडिया लिमिटेड की प्रत्येक सहायक कंपनी और कार्यालय में काम कर रही है। सभी महिला कर्मचारी (स्थायी, संविदा, अस्थायी, प्रशिक्षा) उक्त नीति के तहत कवर की जाती हैं। 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार कोल इंडिया लिमिटेड के मुख्यालय के आईसीसी सदस्य इस प्रकार हैं:

1. सुश्री बिनीता डे - अध्यक्ष
2. श्री सीवीएस रामानुजम - सदस्य
3. सुश्री नग्रता शुक्ला-सदस्य
4. सुश्री श्वेता लोहारुका- सदस्य
5. श्री अरुण बोहरा - सदस्य
6. सुश्री पल्लबी हलदर - एनजीओ सदस्य

कोल इंडिया लिमिटेड मुख्यालय में वर्ष 2022-23 के दौरान यौन उत्पीड़न की एक शिकायत प्राप्त हुई थी। कर्मचारी को 10 दिनों की अवधि के लिए निलंबित कर दिया गया था और कार्यालय से स्थानांतरित कर दिया गया था।

39. निदेशकों की जिम्मेदारियों का विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) (ग) के अनुसार, नोट-2 में महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ और नोट-38 में खातों पर अतिरिक्त नोट्स सीआईएल (स्टैंडअलोन) खातों का हिस्सा हैं और नोट-2 में महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ और नोट-38 में खातों पर अतिरिक्त नोट्स सीआईएल (समेकित) खातों का हिस्सा हैं।

यह पुष्टि की गई है कि:

- क) वार्षिक वित्तीय विवरणों की तैयारी में, लागू भारतीय लेखा मानकों का पालन किया गया है और उनसे कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं किया गया है;
- ख) लेखा नीतियों का चयन किया गया है और उन्हें लगातार लागू किया गया है और ऐसे निर्णय और अनुमान लगाए गए हैं जो उचित और विवेकपूर्ण हैं ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी के

मामलों की स्थिति और उस अवधि के लिए कंपनी के लाभ और हानि के बारे में सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण दिया जा सके;

- ग) कंपनी की संपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी और अन्य अनियमिताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए उचित और पर्याप्त देखभाल की गई है;
- घ) वार्षिक वित्तीय विवरण चालू संस्थानों के आधार पर तैयार किए गए हैं;
- इ) आंतरिक वित्तीय नियंत्रण निर्धारित किए गए हैं और ऐसे नियंत्रण पर्याप्त हैं और 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के दौरान प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे।
- ज) सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियाँ तैयार की गई हैं और ऐसी प्रणालियाँ पर्याप्त थीं और प्रभावी ढंग से काम कर रही थीं।

सीआईएल (समेकित) वित्तीय विवरणों के लिए, ऐसी पुष्टि सीआईएल की दस भारतीय सहायक कंपनियों नाराय ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, भारत कोर्किंग कोल लिमिटेड, सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (समेकित), नॉर्थ कोलफील्ड्स लिमिटेड, वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (समेकित), साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (समेकित), सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड, सीआईएल सोलर पीवी लिमिटेड और सीआईएल नविकरणीय ऊर्जा लिमिटेड से प्राप्त पुष्टि पर आधारित है। तथापि, मोजाबिक वाणिज्यिक संहिता के अंतर्गत निगमित विदेशी सहायक कंपनी अर्थात् कोल इंडिया अफ्रिकाना लिमिटेड और संयुक्त उद्यमों अर्थात् इंटरनेशनल कोल वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड, एनटीपीसी ऊर्जा प्राइवेट लिमिटेड, हिन्दुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड, तालचेर फलाइजर्स लिमिटेड और कोल लिग्राइट ऊर्जा विकास प्राइवेट लिमिटेड, जहाँ सीआईएल बहुराय शेयरधारक नहीं है इसलिए पुष्टि प्राप्त नहीं की गई है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण और इसकी पर्याप्तता: (विवरण एमडी और एआर भाग में वर्णित है)

40. सहायक कंपनियों के खाते

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 की उप-धारा (3) के पहले प्रावधान के तहत कंपनी की सहायक कंपनियों, सहयोगी कंपनियों और संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरणों की मुख्य विशेषताओं वाला विवरण अनुलग्नक 17 में ऐओसी 1 के रूप में संलग्न है। कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय से सामान्य परिपत्र संख्या 2/2011 दिनांक 8 फरवरी 2011, सहायक कंपनियों के वार्षिक खाते शेयरधारकों की मांग पर उपलब्ध कराए जाएंगे।

41. लागत लेखापरीक्षा रिपोर्ट एवं लागत लेखापरीक्षक

मेसर्स शोम एंड बनर्जी ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए आपकी कंपनी का लागत लेखापरीक्षा किया है और लागत लेखापरीक्षा रिपोर्ट को निदेशक मंडल द्वारा संकुलेशन द्वारा अनुमोदित किया गया था। उपरोक्त रिपोर्ट 27 सितंबर 2022 को एमसीए के साथ एक्सबीआरएल मोड में दायर की गई थी। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148

की उप-धारा (1) के तहत केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट सभी लागत रिकॉर्ड कंपनी द्वारा आवश्यक हैं और तदनुसार खाते और रिकॉर्ड बनाए और रखे जाते हैं।

मेसर्स आर. एम. बंसल एंड कंपनी को वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए सीआईएल स्टैंडअलोन के लिए लागत लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। ई-फॉर्म सीआरए-2 एमसीए के साथ दर्ज कर दिया गया है।

42. आयात

पिछले 3 वर्षों में कोल इंडिया लिमिटेड (समेकित) द्वारा आयात निम्नानुसार है:

(₹ कोरड़ में)

वर्ष	मूल्यांकन मूल्य	जीएसटी और उपकर सहित सीमा शुल्क
2020-21	1952.20	610.45
2021-22	517.78	168.71
2022-23	1028.31	263.04

43. सचिवीय लेखापरीक्षा

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 204 के अनुसरण में, कंपनी ने वर्ष 2022-23 के लिए एक सहकर्मी-समीक्षित कंपनी सचिव फर्म मेसर्स पारिख एंड एसोसिएट्स, प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिवों द्वारा सचिवीय लेखापरीक्षा आयोजित किया था। उनकी नियुक्ति को 31 जनवरी 2023 को आयोजित 449वीं सीआईएल बोर्ड बैठक में मंजूरी दी गई थी। कंपनी ने फॉर्म एमआर-3 में वर्ष 2022-23 के लिए मसचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्राप्त की है और उनकी टिप्पणी का जवाब अनुलग्नक 18 में संलग्न है। इसके अलावा, सीआईएल के पास 6 सामग्री असूचीबद्ध सहायक कंपनियां और सचिवीय अवलोकन के साथ उनकी सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट है। एलओडीआर 2015 के विनियम 24ए के अनुसार लेखा परीक्षक और प्रबंधन का उत्तर भी संलग्न है।

44. जोखिम प्रबंधन नीति

सीआईएल ने कंपनी के लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एक मजबूत जोखिम प्रबंधन व्यवस्था बनाने के लिए जोखिम प्रबंधन चार्टर और जोखिम रजिस्टर को मंजूरी दे दी है। इकाई स्तर के जोखिम मूल्यांकन में रणनीतिक जोखिम, परिचालन जोखिम, वित्तीय जोखिम, अनुपालन जोखिम, परियोजना संबंधी जोखिम और समर्थन प्रणाली जोखिम शामिल हैं।

सीआईएल का जोखिम रजिस्टर के अनुसार, सीआईएल और उसकी सहायक कंपनियों के लिए विभिन्न जोखिमों की पहचान की गई है। निरंतर निगरानी और शमन सुनिश्चित करने के लिए पहचाने गए प्रत्येक जोखिम के लिए जोखिम स्वामी और जोखिम शमन योजना मालिकों को भी नामित किया गया है। एचओडी के परामर्श से और जोखिम प्रबंधन समिति के मार्गदर्शन में मुख्य जोखिम अधिकारी (सीआरओ) की अध्यक्षता में एक जोखिम प्रबंधन टीम ने आरटीएम (जोखिम जो मायने रखता है) के लिए जोखिम शमन योजनाओं के निर्माण के साथ-साथ जोखिम प्रबंधन ढांचे में परिकल्पित शासन प्रक्रिया को लागू किया था। जोखिम प्रबंधन के दायरे में सीआईएल के सात आरटीएम हैं: अव्यवहार्य

भूमिगत खनन कार्यों के कारण जोखिम, साइबर सुरक्षा जोखिम, वाणिज्यिक खनन और नवीकरणीय ऊर्जा से प्रतिस्पर्धा जोखिम, पीएसयू से प्राप्तियों का क्रेडिट जोखिम, खनन कार्यों से उत्पन्न परिचालन सुरक्षा जोखिम, निकासी चुनौतियाँ कोयला की खरीद और प्रौद्योगिकी उन्नयन और एचईएमएम की उपलब्धता और उपयोग में सुधार के लिए।

45. वेबलिंक

निम्नलिखित नीतियाँ अपलोड की गई हैं और इन्हें कंपनी की वेबसाइट पर निम्नानुसार एक्सेस किया जा सकता है: -

1. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति:

https://d3u7ubx0okog7j.cloudfront.net/documents/CSR_Policy_w.e.f._08.04.2021.pdf

2. सरकाता तंत्र/व्हिसल ब्लोअर नीति:

https://d3u7ubx0okog7j.cloudfront.net/documents/whistle-blower-policy_TYEsLJw.pdf

3. सामग्री सहायक कंपनी के निर्धारण हेतु नीति:

https://d3u7ubx0okog7j.cloudfront.net/documents/POLICY_FOR_DETERMINING_MATERIAL_SUBSIDIARIES_21032015.pdf

4. संबंधित पार्टी लेनदेन नीति:

https://d3u7ubx0okog7j.cloudfront.net/documents/Related_Party_cOumNP8.pdf

5. सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के तहत भौतिकता के निर्धारण पर नीति

https://d3u7ubx0okog7j.cloudfront.net/documents/Policy_on_determination_of_Materiality_under_SEBI_LODR_Regulations_2015_030_CnX61Sk.PDF

6. सेबी (एलओडीआर) विनियम 2015 के तहत अभिलेखीय नीति सहित दस्तावेजों के संरक्षण पर नीति

https://d3u7ubx0okog7j.cloudfront.net/documents/Policy_on_Preservation_of_documents_including_Archival_Policy_under_SEBI_LODR_ZXTbKI6.pdf

7. सेबी (एलओडीआर) विनियम 2015 के तहत लाभांश वितरण नीति

https://d3u7ubx0okog7j.cloudfront.net/documents/Dividend_Distribution_policy_of_Coal_India_Limited_25102017_QwCV1sY.pdf

8. वर्ष 2022-23 के लिए वार्षिक रिटर्न।

अधिनियम की धारा 134(3)(क) के साथ पठित धारा 92(3) के अनुसार, 31 मार्च 2023 तक का वार्षिक रिटर्न कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

<https://d3u7ubx0okog7j.cloudfront.net/documents/MGT-7.pdf>

46. कंपनी निम्नलिखित बिंदुओं की पुष्टि करती है: -

1. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 164 के अनुसार कोई भी निदेशक नियुक्ति के लिए अयोग्य नहीं है।
2. कंपनी ने विभेदक वोटिंग अधिकार, स्वेट इकिटी शेयर और ईएसओपी के साथ कोई इकिटी शेयर जारी नहीं किया है।
3. वर्ष 2015-16 के लिए 1,61,82,451/- रुपये की अनक्लोस्ट अंतरिम लाभांश राशि 4 अप्रैल, 2023 को आईईपीएफ खाते में स्थानांतरित कर दी गई थी। इसके अलावा, 32,520 शेयर, जिनके संबंध में लाभांश पिछले 7 वर्षों से बिना दावे के रह गया था, को भी 28.04.2023 को आईईपीएफ खाते में स्थानांतरित कर दिया गया था। इसका ब्यौरा सीआईएल की वेबसाइट पर उपलब्ध है।
4. वर्ष 2022-23 के दौरान किसी भी वैधानिक, सचिवीय और लागत लेखा परीक्षकों ने इस्तीफा नहीं दिया था।
5. किसी निदेशक के किसी रिश्तेदार को लाभ के स्थान पर नियुक्त नहीं किया गया।
6. सेबी (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकता) विनियम, 2015 के विनियम 32(4) के अनुसार सार्वजनिक निर्गम की आय का विचलन कंपनी पर लागू नहीं है।
7. कंपनी अधिनियम 2013 के अध्याय V के अंतर्गत कोई जमा राशि शामिल नहीं है।
8. ऐसी कोई जमा राशि नहीं है, जो कंपनी अधिनियम 2013 के अध्याय V के अनुपालन के अंतर्गत नहीं है।
9. व्यवसाय की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता है।
10. किसी भी निदेशक को उन सहायक कंपनियों से कोई कमीशन प्राप्त नहीं होता है जिनमें वह निदेशक है।
11. कंपनी द्वारा क्रमशः 'निदेशक मंडल की बैठकों' और 'सामान्य बैठकों' से संबंधित लागू सचिवीय मानकों, यानी एसएस-1 और एसएस-2 का विधिवत पालन किया गया है।
12. वित्तीय वर्ष 2022-23 के अंत से इस बोर्ड रिपोर्ट की तारीख तक कंपनी के कारोबार में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं हुआ है।
13. वित्त वर्ष 2022-23 के लिए, वर्ष के दौरान दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 (2016 का 31) के तहत कोई आवेदन नहीं किया गया है या कोई कार्यवाही लंबित नहीं है।
14. एकमुश्त निपटान के समय किए गए मूल्यांकन की राशि और बैंकों या वित्तीय संस्थानों से ऋण लेते समय किए गए मूल्यांकन के बीच अंतर का विवरण और इसके कारण - वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए सीआईएल में लागू नहीं है।

47. अतिरिक्त जानकारी

1. केंद्र सरकार को रिपोर्ट करने योग्य धोखाधड़ी के अलावा धारा 143(12) के तहत लेखा परीक्षकों द्वारा रिपोर्ट की गई धोखाधड़ी के संबंध में विवरण: -

स्टैंडअलोन और समेकित खातों की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार धोखाधड़ी की ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

2. वित्तीय वर्ष के अंत और रिपोर्ट की तारीख के बीच कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले भौतिक परिवर्तन और प्रतिबद्धताएं, यदि कोई हों,:-

वित्तीय वर्ष के अंत और रिपोर्ट की तारीख के बीच ऐसा कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन और प्रतिबद्धता नहीं हुई जो कंपनी की स्टैंडअलोन और समेकित वित्तीय स्थिति को प्रभावित कर सकती हो।

3. उन कंपनियों के नाम जो वर्ष के दौरान इसकी सहायक, संयुक्त उद्यम या सहयोगी कंपनियां बन गईं या बदं हो गईं।

वर्ष के दौरान कोई नया निगमन या मौजूदा सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों या सहयोगी कंपनियों की कोई समाप्ति नहीं हुई।

48. परिशिष्ट

निम्नलिखित संलग्न हैं:-

- i) 2021-22 की तुलना में 2022-23 के लिए सीआईएल और उसकी सहायक कंपनियों का लाभ (अनुलग्नक 1)
- ii) सीआईएल स्टैंडअलोन की लाभांश आय का सहायक-कंपनीवार विवरण (अनुलग्नक 2)।
- iii) कोल इंडिया लिमिटेड के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ (अनुलग्नक 3)
- iv) कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट सहित 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट अनुलग्नक 3(क)
- v) कोल इंडिया लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरण पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ (अनुलग्नक 4)
- vi) कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट सहित 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट अनुलग्नक 4(क)
- vii) सहायक कंपनीवार कोयले की कुल खरीद। (अनुलग्नक 5)
- viii) कोयला एवं कोयला उत्पादों का क्षेत्रवार प्रेषण। (अनुलग्नक 6)
- ix) कोयले के स्टॉक का सहायक कंपनीवार विवरण। (अनुलग्नक 7)
- x) व्यापार प्राप्तियों का सहायक कंपनीवार विवरण। (अनुलग्नक 8)
- xi) 2022-23 के दौरान सहायक कंपनीवार से सांविधिक शुल्कों का भुगतान किया गया। (अनुलग्नक 9)
- xii) सहायक कंपनीवार कोर्किंग और गैर-कोर्किंग उत्पादन, भूमिगत और खुली खदानों से उत्पादन। (अनुलग्नक 10)

- xiii) सहायक कंपनीवार धुला हुआ कोयला (कोकिंग) उत्पादन (अनुलग्नक 10क)
- xiv) सहायक कंपनीवार ओवरबर्डन हटाना। (अनुलग्नक 10ख)
- xv) उपकरण की संख्या (अनुलग्नक 11)
- xvi) पूँजीगत व्यय का सहायक कंपनीवार विवरण। (अनुलग्नक 12)
- xvii) परियोजना कार्यान्वयन की स्थिति (अनुलग्नक 13)
- xviii) सुरक्षा प्रदर्शन (अनुलग्नक 14)
- xix) सहायक कंपनीवार श्रमशक्ति (अनुलग्नक 15)
- xx) कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 186(4) के तहत कंपनी द्वारा दिए गए क्रृपालय और अग्रिम, गारंटी, निवेश (अनुलग्नक 16)
- xxi) 31 मार्च, 2023 तक कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 5 के साथ पठित धारा 129 की उप-धारा (3) के पहले प्रावधान के अनुसार विवरण। (अनुलग्नक 17)
- xxii) कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 204 के तहत सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट और सामग्री सहायक कंपनियों की सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट और प्रबंधन स्पष्टीकरण (अनुलग्नक 18)
- xxiii) कंपनी (लेखा) नियम 2014 के नियम 8 के तहत विदेशी मुद्रा आय और व्यय (अनुलग्नक 19)
- xxiv) कंपनी के प्रौद्योगिकी अवशोषण और अनुसंधान एवं विकास के बारे में विवरण (अनुलग्नक 20)

xxv) कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पर कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के अनुसार प्रकटीकरण (अनुलग्नक 21)

xxvi) नियामकों या न्यायालयों आदि द्वारा पारित महत्वपूर्ण और भौतिक आदेश (अनुलग्नक 22)

xxvii) कॉर्पोरेट प्रशासन रिपोर्ट (अनुलग्नक 23)

49. अभिस्वीकृति:

आपकी कंपनी का निदेशक मंडल कंपनी के कर्मचारियों और ट्रेड यूनियनों द्वारा किए गए ईमानदार प्रयासों के लिए अपनी गहरी सराहना दर्ज करना चाहता है। आपके निदेशक राज्य सरकारों के अलावा सामान्य तौर पर भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विशेष रूप से कोयला मंत्रालय द्वारा कंपनी को दिए गए सहयोग, समर्थन और मार्गदर्शन के लिए भी कृतज्ञतापूर्वक आभार व्यक्त करते हैं। आपके निदेशक सांविधिक लेखा परीक्षकों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कंपनी रजिस्ट्रार, पश्चिम बंगाल, सचिवीय लेखा परीक्षक और लागत लेखा परीक्षक द्वारा प्रदान की गई सहायता और मार्गदर्शन को भी धन्यवाद देते हैं और उपभोक्ताओं को उनके निरंतर संरक्षण के लिए हार्दिक धन्यवाद देना चाहते हैं।

कृते निदेशक मंडल

ह/-

पी. एम. प्रसाद

अध्यक्ष

दिनांक: 18-07-23

स्थान: कोलकाता

(डिआईएन-08073913)

अनुलग्नक 1

2021-22 की तुलना में 2022-23 के लिए सीआईएल और सहायक कंपनियों का लाभ

(₹ करोड़ में)

कंपनी	वि.व 2022-23	वि.व 2021-22	वृद्धि/(कमी)
ईसीएल	793.95	(1,437.37)	2,231.32
बीसीसीएल	502.88	191.31	311.57
सीसीएल (समेकित)	3,751.74	2,097.76	1,653.98
एनसीएल	9,357.46	6,937.64	2,419.82
डबल्यूसीएल	626.19	1,259.73	(633.54)
एसईसीएल (समेकित)	3,301.09	2,123.67	1,177.42
एमसीएल (समेकित)	18,481.06	11,431.01	7,050.05
सीएमपीडीआईएल	366.95	366.04	0.91
सीआईएल (स्टैंडलोन)	15,093.51	11,356.84	3,736.67
सीआईएल और अन्य समायोजन	(0.17)	(0.18)	0.01
उप-कुल	52,274.66	34,326.45	17,948.21
घटाव: सहायक कंपनियों से लाभांश	14,265.71	10,701.58	3,564.13
संयुक्त उद्यम लाभ/(हानि) का हिस्सा	(8.14)	(8.59)	0.45
कर से पहले लाभ	38,000.81	23,616.28	14,384.53
घटाव: पीबीटी पर कर	9,875.87	6,237.86	3,638.01
वर्ष के लिए लाभ	28,124.94	17,378.42	10,746.52
जोड़ें: अन्य व्यापक आय (ओसीआई) कर का जाल	264.63	51.31	213.32
कुल व्यापक आय	28,389.57	17,429.73	10,959.84

अनुलग्नक 2

सीआईएल स्टैंडअलोन की लाभांश आय का सहायक कंपनीवार विवरण

(₹ करोड़ में)

कंपनी (भुगतान करने वाली सहायक कंपनियाँ)

सीआईएल स्टैंडअलोन की लाभांश आय

	वि.व. 2022-23	वि.व. 2021-22
सीसीएल	1023.66	782.08
एनसीएल	3659.46	3596.36
एसईसीएल	1063.54	432.23
एमसीएल	8425.00	5800.00
सीएमपीडीआईएल	94.05	90.91
कुल	14265.71	10701.58

अनुलग्नक 3

कोल इंडिया लिमिटेड के स्थानीय वित्तीय विवरणों पर भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

No.:178/ DGA(C)/Kol/LA-I/Accounts Audit /CIL. SFS/2022-23/2023-24



सत्यमेव जयते

संख्या

No:

भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग
 INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT
 कार्यालय, महानिदेशक लेखापरीक्षा (कोल)
 OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF AUDIT (COAL)
 कोलकाता / KOLKATA

दिनांक /Dated - 06 जुलाई 2023

गोपनीय

सेवा में

अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक
 कोल इंडिया लिमिटेड,
 प्लॉट नं. एएफ-III, एक्शन एरिया 1ए,
 न्यू टाउन, राजरहाट, कोलकाता-700156

विषय: 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए कोल इंडिया लिमिटेड के स्टैंडअलोन लेखों पर, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(बी) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ:

महोदय,

मैं इसके साथ 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए कोल इंडिया लिमिटेड के स्टैंडअलोन लेखों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(बी) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ प्रेषित करता हूँ।

कृपया इस पत्र के प्राप्ति की पावती भेजी जाएं।

अनुलग्नक: यथा उपर्युक्त।

स्थान: कोलकाता

दिनांक: 06 जुलाई, 2023

भवदीय
Abul Prakash
 (अबुल प्रकाश)

प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (कोल)
 कोलकाता

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए कोल इंडिया लिमिटेड के स्टैंडअलोन वित्तीय कथनों पर, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (बी) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां:

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली के अनुसार 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए कोल इंडिया लिमिटेड के वित्तीय विवरण तैयार करना कंपनी प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। अधिनियम की धारा 139 (5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त वैधानिक लेखा परीक्षक अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्धारित ऑडिटिंग मानकों के अनुसार स्वतंत्र ऑडिट के आधार पर अधिनियम की धारा 143 के तहत वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी है। उक्त उनके द्वारा दिनांक 07 मई 2023 को प्रस्तुत ऑडिट रिपोर्ट द्वारा वर्णित किया गया है।

मैंने भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए कोल इंडिया लिमिटेड के वित्तीय विवरणों को अधिनियम की धारा 143 (6) (ए) के अंतर्गत अनुपूरक लेखापरीक्षा कार्य किया। यह अनुपूरक लेखापरीक्षा कार्य वैधानिक कामकाजी कागजात तक पहुंच के बिना स्वतंत्र रूप से किया गया है तथा सांविधिक लेखापरीक्षक एवं कंपनी के कार्मिकों से की गई पूछताछ और कुछ लेखा रिकॉर्डों के चयनात्मक परीक्षण तक सीमित है।

मेरे अनुपूरक लेखापरीक्षा अवलोकनों के परिणामस्वरूप, अधिनियम की धारा 143 (6) (बी) के तहत वैधानिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर प्रस्ताव देने या पूरक करने के लिए मेरे पास कोई और टिप्पणी नहीं है।

कृते एवं भारत के नियंत्रक
एवं महालेखापरीक्षक की ओर से



(अतुल प्रकाश)

प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (कोल)
कोलकाता

स्थान: कोलकाता
दिनांक: 06 जुलाई 2023

अनुलग्नक 3(क)

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट जिसमें कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट शामिल है।

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

कोल इंडिया लिमिटेड के सदस्यों के लिए
स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट
राय

हमने कोल इंडिया लिमिटेड ("कंपनी") के साथ स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों का लेखापरीक्षा किया है, जिसमें 31 मार्च, 2023 तक बैलेंस शीट, लाभ और हानि का विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), इक्टी में परिवर्तन का विवरण और समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का विवरण और स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के नोट शामिल हैं। जिसमें उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक नोट्स का सारांश शामिल है (इसके बाद "स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण" के रूप में जाना जाता है)।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उपरोक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") द्वारा अपेक्षित तरीके से आवश्यक और सही सही जानकारी देते हैं और 31 मार्च, 2023 को कंपनी के मामलों की स्थिति, और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए इसका लाभ और अन्य व्यापक आय, इक्टी में परिवर्तन और इसके नकदी प्रवाह समय-समय पर संबोधित कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्धारित भारतीय लेखा मानकों ("इंड एएस") और भारत में आम तौर पर स्वीकृत अन्य लेखा सिद्धांतों के अनुरूप निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करते हैं।

राय का आधार

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के तहत निर्दिष्ट लेखापरीक्षा (एसए) पर मानकों के अनुसार अपना लेखापरीक्षा किया। उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों को आगे हमारी रिपोर्ट के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण अनुभाग के लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारियों में वर्णित किया गया है। हम कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके तहत नियमों के प्रावधानों के तहत स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के हमारे लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक नीतिक आवश्यकताओं के साथ-साथ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं और हमने इन आवश्यकताओं और आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नीतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है।

मुख्य लेखा परीक्षा मामले

प्रावधानों और आकस्मिक देनदारियों का मूल्यांकन:

कंपनी के खिलाफ विभिन्न मंचों के समक्ष प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों, विभिन्न दावों आदि सहित कई मुकदमे लंबित हैं और प्रदान की जाने वाली राशि का अनुमान लगाने और/या आकस्मिक दायित्व के रूप में प्रकट करने के लिए प्रबंधन के निर्णय की आवश्यकता है। हमने इसे एक महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा मामले के रूप में पहचाना क्योंकि इनके संबंध में अनुमान और मूल्यांकन में प्रबंधन के निर्णय, व्याख्याओं की एक महत्वपूर्ण डिग्री शामिल है, और इसलिए आवश्यक निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पर्याप्त ध्यान देने की आवश्यकता हो सकती है। (नोट संख्या 38 (1) (ए) को स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में देखें, जिसे महत्वपूर्ण लेखा नीति संख्या 2.21 के साथ पढ़ा जाए)

मुख्य लेखा परीक्षा मामलों का संबोधन

हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रियाएँ, जिनके आधार पर हम आकस्मिक दायित्व के प्रकटीकरण और प्रावधानों की मान्यता के औचित्य के बारे में निष्कर्ष पर पहुंचे हैं, उनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- हमने आकस्मिक देनदारियों के आकलन, मूल्यांकन और प्रकटीकरण के संबंध में कंपनी के आंतरिक निर्देशों और प्रक्रियाओं की समझ प्राप्त की है;
- लंबित मुकदमेबाजी मामलों के लिए सभी प्रासंगिक जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रबंधन द्वारा स्थापित नियंत्रणों के डिजाइन और परिचालन प्रभावशीलता को समझा और परीक्षण किया गया;

मुख्य लेखा परीक्षा मामले

मुख्य लेखा परीक्षा मामलों का संबोधन

- किसी भी भौतिक विकास और कानूनी मामलों की नवीनतम स्थिति के बारे में प्रबंधन के साथ चर्चा की गई;
- इसमें शामिल मुकदमों से संबंधित विभिन्न पत्राचार और संबंधित दस्तावेजों को पढ़ें और प्रबंधन द्वारा प्राप्त प्रासंगिक बाहरी कानूनी राय और आकस्मिक देनदारियों के प्रकटीकरण का समर्थन करने वाले आकलन पर ठोस प्रक्रियाओं का प्रदर्शन किया गया;
- प्रावधानों की आवश्यकता है या नहीं, इस संबंध में प्रबंधन के निर्णयों और आकलनों की जांच की गई;
- उन मामलों के प्रबंधन के आकलन की समीक्षा की जिन्हें आकस्मिक देयता के रूप में प्रदान नहीं किया गया है या प्रकट नहीं किया गया है क्योंकि सामग्री बहिर्वाह की संभावना को दूरस्थ माना गया है;
- प्रकटीकरण की पर्याप्तता और पूर्णता की समीक्षा की गई; निष्पादित उपर्युक्त प्रक्रियाओं के आधार पर, आकस्मिक देयताओं के लिए प्रावधान और प्रकटीकरण का अनुमान पर्याप्त और उचित माना गया है।

सहायक कंपनियों में निवेश की हानि:

31 मार्च, 2023 तक, कंपनी ने ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ईसीएल) और भारत कुर्किंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल) में क्रमशः 4,269.42 करोड़ रुपये और 4,657.00 करोड़ रुपये की बहन राशि के साथ निवेश किया। ये निवेश कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में लागत पर किए जाते हैं। पिछले वर्षों में सहायक कंपनियों द्वारा किए गए घाटे के संचय के परिणामस्वरूप, इन कंपनियों का निवल मूल्य उस सीमा तक कम हो गया है। ये पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों में निवेश हैं और प्रकृति में दीर्घकालिक और रणनीतिक हैं और इस प्रकार प्रबंधन द्वारा उनके मूल्य में कोई हानि नहीं मानी गई है। हमने इसे एक प्रमुख लेखापरीक्षा मामला माना है क्योंकि निवेश की राशि महत्वपूर्ण है और यदि निवेश का मूल्य कम और लुप्त हो जाता है तो इसे भारतीय लेखा मानक 36 "संपत्ति की हानि" के संदर्भ में वित्तीय विवरणों में प्रभावी करने की आवश्यकता होती है। 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के दौरान मामले को पूर्ववर्ती लेखापरीक्षक द्वारा मामले पर जोर देने वाले पैराग्राफ के तहत रिपोर्टिंग के लिए भी प्रासंगिक माना गया है। (स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लिए नोट संख्या 7(1) देखें।)

हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाएँ जिनके आधार पर हम हानि की तर्कसंगतता के बारे में निष्कर्ष पर पहुंचे, उनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- किए गए उपायों के परिणाम के अनुसरण में औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआईएफआर) से बाहर आने के बाद सहायक कंपनियों के कार्य-निष्पादन में काफी सुधार हुआ है। इन कंपनियों के प्रदर्शन में लगातार सकारात्मक प्रवृत्ति रही है और संचित घाटे में धीरे-धीरे कमी आई है। बीसीसीएल और ईसीएल का संचित घाटा क्रमशः 4,106.03 करोड़ रुपये और 2,716.00 करोड़ रुपये से घटकर क्रमशः 872.87 करोड़ रुपये और 1,725.55 करोड़ रुपये हो गया है;
- संवेदनशीलता विश्लेषण और मूल्यांकन क्या धारणा में कोई यथोचित निकट परिवर्तन हानि का कारण बन सकता है;
- इसके अलावा, हाल के समय में ऐसी कोई महत्वपूर्ण घटना नहीं हुई है या परिस्थितियाँ बदल गई हैं जिससे यह संभावना हो सकती है कि इन कंपनियों की बहन राशि वर्तमान से कम होगी;
- भविष्य के प्रदर्शन की व्यापक समीक्षा, आंतरिक और बाहरी कारकों की हमारी समझ के आधार पर स्थिरता की संभावनाएँ बढ़े ऐमाने पर व्यवसाय की अपेक्षित मात्रा और लाभ की स्थिरता के संबंध में प्रबंधन की धारणा पर निर्भरता रखती हैं;
- हमने स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण में किए गए प्रकटीकरण की पर्याप्तता का मूल्यांकन किया है;
- भविष्य की संभावनाओं, वर्तमान क्षमता के विस्तार, व्यवसाय की अपेक्षित मात्रा और लाभप्रदता की स्थिरता और नकदी प्रवाह के लिए प्रबंधन की धारणा पर भरोसा किया जा सकता है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर हमारी राय में अन्य जानकारी शामिल नहीं है और हम उस पर किसी भी प्रकार का आश्वासन निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के हमारे लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी ज़िम्मेदारी ऊपर पहचानी गई अन्य जानकारी को पढ़ना है जब यह उपलब्ध हो जाती है, और, ऐसा करने में, विचार करें कि क्या अन्य जानकारी स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के साथ भौतिक रूप से असंगत है, या हमारे लेखापरीक्षा के दौरान प्राप्त हमारा ज्ञान या अन्यथा भौतिक रूप से गलत प्रतीत होता है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण और लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी

कंपनी के निदेशक मंडल अन्य जानकारी के लिए जिम्मेदारी रखता है। अन्य जानकारी में वार्षिक रिपोर्ट में शामिल जानकारी शामिल है, लेकिन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण और उस पर हमारे लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट शामिल नहीं है। जैसा कि ऊपर बताया गया है, अन्य जानकारी इस लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट की तारीख के बाद हमें उपलब्ध कराए जाने की उम्मीद है।

जब हम ऊपर बताई गई अन्य जानकारी को पढ़ते हैं और यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि उसमें कोई महत्वपूर्ण गलत विवरण प्रस्तुत है, तो हमें इस मामले को उन लोगों को सूचित करने की आवश्यकता होती हो जो शासन के प्रभारी हैं और लागू कानूनों और विनियमों के अनुसार आवश्यक कार्रवाइयों का वर्णन करना होगा।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन और आधिकारिक प्रभारियों की जिम्मेदारियाँ

कंपनी का निदेशक मंडल इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 134 (5) में बताए गए मामलों की जिम्मेदारी रखता है जो भारत में आम तौर पर स्वीकार किए जाने वाले लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी के मामलों की स्थिति (वित्तीय स्थिति), लाभ या हानि (अन्य व्यापक आय सहित वित्तीय प्रदर्शन), इकिटी और नकदी प्रवाह में परिवर्तन का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं इसके अतिरिक्त अधिनियम की धारा 133 के तहत विनिर्दिष्ट भारतीय लेखा मानकों को संबंधित नियमों के साथ संशोधित रूप में पढ़ा जाता है।

इस जिम्मेदारी में कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्यास लेखा रिकॉर्ड का रखरखाव भी शामिल है; उपयुक्त लेखा नीतियों का चयन और अनुप्रयोग; निर्णय और अनुमान लगाना जो उचित और विवेकपूर्ण हैं; और पर्यास आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव, जो लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक हैं जो एक सच्चा और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं और गलत विवरण से मुक्त हैं, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण तैयार करने में प्रबंधन कंपनी की क्षमता का आकलन करने के लिए जिम्मेदार है, जैसा कि लागू हो, कंपनी से संबंधित मामलों का खुलासा करना और लेखांकन के चल रहे मामलों के आधार का उपयोग करना जब तक कि प्रबंधन या तो कंपनी को समाप्त करने या संचालन बंद करने का इरादा नहीं रखता है, या ऐसा करने के अलावा कोई यथार्थवादी विकल्प न हो।

निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी जिम्मेदारी रखता है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारियाँ

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण और लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट जारी करना जिसमें हमारी राय शामिल हो, समग्र रूप से गलत विवरण से मुक्त है। उचित आश्वासन एक उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह कोई गरंटी नहीं है कि एसएएस के अनुसार आयोजित लेखापरीक्षा में गलतबयानी मौजूद होने पर भी वह हमेशा उसका का पता लगाएगा। गलत कथन धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकते हैं और उन्हें महत्वपूर्ण माना जाता है, यदि व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, उन्हें इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की उम्मीद की जा सकती है।

एसए के अनुसार लेखापरीक्षा के हिस्से के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरे लेखापरीक्षा में पेशेवर संदेह बनाए रखते हैं :

- स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में गलत विवरण के जोखिमों की पहचान करें और उनका आकलन करें, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण, उन

जोखिमों के प्रति उत्तरदायी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन और निष्पादित करें, और लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करें जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्यास और उपयुक्त हैं। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप एक गलत विवरण का पता नहीं लगाने का जोखिम त्रुटि के परिणामस्वरूप एक की तुलना में अधिक है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत प्रतिनिधित्व, या आंतरिक नियंत्रण का ओवरराइड शामिल हो सकता है;

- परिस्थितियों में उपयुक्त लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने हेतु लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की समझ प्राप्त करें। अधिनियम की धारा 143 (3) (ज़) के तहत, हम इस बात पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास पर्यास आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता क्या है;
- उपयोग की जाने वाली लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित प्रकटीकरण की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करें;
- लेखांकन के चल रहे मामलों के आधार पर प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालें और, प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर, क्या घटनाओं या स्थितियों से संबंधित एक भौतिक अनिश्चितता मौजूद है जो कंपनी की चल रही सोच के रूप में जारी रखने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह डाल सकती है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि एक भौतिक अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपने लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरण पर ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता है या, यदि ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त हैं, तो हमारी राय को संशोधित करने के लिए। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं। हालांकि, भविष्य की घटनाओं या स्थितियों के कारण कंपनी एक सतत विचार के रूप में जारी रहना बंद कर सकती है; और
- प्रकटीकरण सहित स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करें, और क्या स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं का प्रतिनिधित्व इस तरह से करते हैं जो निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त करता है।

भौतिकता स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में गलत विवरणों का परिमाण है, जो व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, यह संभव बनाता है कि स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के यथोचित जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम मात्रात्मक भौतिकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं (i) हमारे लेखा परीक्षा कार्य के दायरे की योजना बनाने और हमारे काम के परिणामों का मूल्यांकन करने में; और (ii) स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में किसी भी पहचाने गए गलत विवरणों के प्रभाव का मूल्यांकन करने में।

हम अन्य मामलों के अलावा, लेखापरीक्षा के नियोजित दायरे और समय और महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों के बारे में शासन के प्रभारियों के साथ संवाद करते हैं, जिसमें आंतरिक नियंत्रण में कोई महत्वपूर्ण कमी शामिल है जिसे हम अपने लेखापरीक्षा के दौरान पहचानते हैं।

हम उन लोगों को भी विवरण प्रदान करते हैं जो आधिकारिक प्रभारी हैं कि हमने स्वतंत्रता के बारे में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, और उनके साथ उन सभी रिसोर्सों और अन्य मामलों को संवाद करने के लिए जो यथोचित रूप से संबंधित सुरक्षा उपाय जहाँ लागू हो वहाँ हमारी स्वतंत्रता पर सहन करने के लिए सोचा जा सकता है।

आधिकारिक प्रभारियों के साथ संचाद किए गए मामलों से, हम उन मामलों को निर्धारित करते हैं जो वर्तमान अवधि के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे और इसलिए मख्य लेखापरीक्षा मामले हैं। हम अपने लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में इन मामलों का वर्णन करते हैं जब तक कि कानून या विनियमन मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण को रोकता है या जब, अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि किसी मामले को हमारी रिपोर्ट में सूचित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के प्रतिकूल परिणामों से यथोचित रूप से इस तरह के संचार के सार्वजनिक हित लाभों से अधिक होने की उम्मीद की जाएगी।

अन्य मामले

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी की तुलनात्मक वित्तीय जानकारी भारतीय लेखा मानक स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण में शामिल है, जो 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए पूर्ववर्ती लेखा परीक्षक, मेसर्स रे और रे द्वारा लेखापरीक्षा किए गए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर आधारित है। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की एक स्वतंत्र फर्म, जिसकी 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष की रिपोर्ट दिनांक 13 जुलाई, 2022 को उन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर असंशोधित राय व्यक्त की गई। इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों और हमारे द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के प्रयोजन के लिए हमारे द्वारा उक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण और उसके बाद जारी की गई रिपोर्ट पर भरोसा किया गया है।

उपरोक्त मामले के संबंध में हमारी राय संशोधित नहीं है।

अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

- 1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप-धारा (11) के संदर्भ में भारत सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश, 2020 (“आदेश”) के अनुसार, हम “अनुलग्नक -क” में, आदेश के पैराग्राफ 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों पर एक विवरण देते हैं।
 - 2) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के तहत आवश्यकतानुसार, हम “अनुलग्नक -ख” में, लेखापरीक्षा की उनकी सुझाई गई पद्धति का अनुपालन करने के बाद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा जारी किए गए निर्देशों पर एक विवरण, उस पर की गई कार्रवाई और कंपनी के खातों और स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर इसके प्रभाव;
 - 3) अधिनियम की धारा 143 (3) द्वारा अपेक्षित उपरोक्त पैराग्राफ में उल्लिखित अनुलग्नक में हमारी टिप्पणियों के अलावा, हम रिपोर्ट करते हैं कि:
 - क) हमने उन सभी सूचनाओं और स्पष्टीकरणों की माँग की है और प्राप्त की है जो हमारे ज्ञान और विश्वास के अनुसार हमारे लेखापरीक्षा के उद्देश्यों के लिए आवश्यक थे;
 - ख) हमारी राय में, जहां तक उन बहियों की हमारी जांच से ऐसा प्रतीत होता है, कंपनी द्वारा कानून द्वारा अपेक्षित उचित खाते की किताबें रखी गई हैं;
 - ग) तुलन पत्र, लाभ और हानि का विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), इकिटी में परिवर्तन का विवरण और इस रिपोर्ट द्वारा निपटाए गए नकदी प्रवाह का विवरण बही-खातों के अनुरूप हैं;
 - घ) हमारी राय में, उपरोक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट भारतीय लेखा मानकों का अनुपालन करते हैं, जिसे कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015
- के नियम 7 के साथ पढ़ा जाता है, जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया गया है;
- ड) अधिसूचना संख्या के संदर्भ में जी.एस.आर. कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी 463 (ई) दिनांक 05 जून 2015, निदेशकों की अयोग्यता के संबंध में अधिनियम की धारा 164 (2) के प्रावधान लागू नहीं हैं क्योंकि यह एक सरकारी कंपनी है; और
 - च) कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता के संदर्भ में, “अनुलग्नक ग” में हमारी अलग रिपोर्ट देखें। हमारी रिपोर्ट स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में कंपनी के आंतरिक नियंत्रण की पर्याप्तता और परिचालन प्रभावशीलता पर एक अपरिवर्तित राय व्यक्त करती है।
 - 4) कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) संशोधन नियम, 2021 के नियम 11 के अनुसार लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार:
 - क. कंपनी ने अपने स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव का खुलासा किया है - स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के नोट 38 (1) (क) को देखें;
 - ख. कंपनी को व्युत्पन्न अनुबंधों सहित दीर्घकालिक अनुबंधों के खिलाफ कोई भौतिक नुकसान नहीं हुआ था और इस प्रकार इस संबंध में प्रावधान करने की आवश्यकता कंपनी पर लागू नहीं होती है;
 - ग. ऐसी कोई राशि नहीं थी जिसे कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में स्थानांतरित करने की आवश्यकता थी;
 - घ. (i) प्रबंधन ने दर्शाया है कि, अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, जैसा कि स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 38(7) (थ) में बताया गया है, कोई भी धनराशि उत्तर या उधार या निवेश नहीं की गई है (या तो उधार ली गई धनराशि या प्रतिभूतियों के प्रीमियम से) या कंपनी द्वारा किसी अन्य व्यक्ति(यों) या इकाई(ओं) को, जिसमें विदेशी संस्थाएं (“मध्यस्थ”) शामिल हैं, को इस समझ के साथ, चाहे वह लिखित रूप में या अन्यथा दर्ज किया गया हो, या किसी अन्य स्रोत या धन के प्रकार) कंपनी “अंतिम लाभार्थियों” द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार देगा या निवेश करेगा या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या ऐसी ही कोई चीज़ प्रदान करेगा;
 - (ii) प्रबंधन ने प्रतिनिधित्व किया है, कि, अपने ज्ञान और विश्वास के अनुसार, जैसा कि स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में नोट नंबर 38 (7) (थ) में बताया गया है, कंपनी द्वारा विदेशी संस्थाओं (“फंडिंग पार्टियों”) सहित किसी भी व्यक्ति या संस्था (ओं) से कोई धन प्राप्त नहीं किया गया है, इस समझ के साथ, चाहे वह लिखित रूप में दर्ज हो या अन्यथा, कि कंपनी करेगी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, फंडिंग पार्टियों (“अंतिम लाभार्थियों”) द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में उधार देना या निवेश करना या अंतिम

- लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की कोई चीज प्रदान करना; और
- (iii) ऐसी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर हमें परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त माना गया है, हमारे ध्यान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें विश्वास हो कि नियम 11 (ई) के उप-खंड (i) और (ii) के तहत अभ्यावेदन, जैसा कि ऊपर (क) और (ख) के तहत प्रदान किया गया है, में कोई सामग्री गलत बयानी है।
- 5) कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान घोषित या भुगतान किया गया लाभांश अधिनियम की धारा 123 के अनुपालन में है;
- 6) लेखा सॉफ्टवेयर का उपयोग करके लेखा पुस्तकों को बनाए रखने के लिए कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 3 (1) का परंतुक, जिसमें लेखापरीक्षा ट्रेल (लॉग संपादित करना) सुविधा रिकॉर्ड करने की सुविधा है, 1 अप्रैल, 2023 से कंपनी पर लागू होता है, जो भारत में निगमित कंपनी है, और तदनुसार, कंपनी (लेखापरीक्षा और

लेखापरीक्षक) 2014 के नियम 11 (छ) के तहत रिपोर्टिंग 31 मार्च, 2023 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए लागू नहीं है; और

- 7) कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 5 जून, 2015 की अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 463 (ड) के अनुसार, प्रबंधकीय पारिश्रमिक के संबंध में अधिनियम की धारा 197 कंपनी पर लागू नहीं है, क्योंकि यह एक सरकारी कंपनी है।

कृते लोढ़ा एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट

फर्म का आईसीएआई पंजीकरण नंबर: 301051ई

आर. पी. सिंह

स्थान :कोलकाता (सहयोगी) सदस्यता संख्या 052438
दिनांक: 7 मई, 2023 यूडीआईएन : 23052438BGXSBT1343

उक्त तारीख की लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक “क”:

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर कोल इंडिया लिमिटेड के सदस्यों को सम तारीख की हमारी रिपोर्ट के मान्य कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्टक शीर्षक के साथ पैराग्राफ 1 में संदर्भित विवरण इस प्रकार रिपोर्ट करते हैं कि:

- i) क) कंपनी ने संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त संपत्तियों की मात्रात्मक विवरण और स्थिति सहित पूर्ण विवरण दिखाने वाले उचित रिकॉर्ड बनाए रखे हैं;
- ख) वर्ष के दौरान, संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों को प्रबंधन द्वारा सत्यापन के एक नियमित कार्यक्रम के अनुसार भौतिक रूप से सत्यापित किया गया है, जो हमारी राय में, कंपनी के आकार और इसकी संपत्ति की प्रकृति के संबंध में उचित है। हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, इस तरह के सत्यापन पर कोई भौतिक विसंगतियां नहीं देखी गईं;
- ग) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में प्रकट की गई सभी अचल संपत्तियों के शीर्षक विलेखों की हमारी जांच के आधार पर, उन्हें बैलेंस शीट की तारीख पर कंपनी के नाम पर रखा जाता है, सिवाय निम्नलिखित को छोड़कर जहां शीर्षक विलेख कंपनी के नाम पर नहीं हैं:

(रुपय करोड़ में)

संपत्ति का विवरण	सकल वहन मूल्य	शीर्षक विलेख के नाम पर रखा गया	क्या शीर्षक विलेख धारक प्रमोटर, निदेशक या प्रमोटर/निदेशक का रिश्तेदार या प्रमोटर/निदेशक का कर्मचारी है	संपत्ति किस तिथि से कब तक धारित है	कंपनी के नाम पर न होने का कारण
ज़बादिया और भद्रमाली सौर परियोजना	13.43	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है	31-03-2022	स्वामित्व विलेख प्राप्त नहीं हुआ।
आईआईसीएम भूमि	0.42	उपलब्ध नहीं है	नहीं	25-07-2012	अधिकारियों द्वारा उक्त भूमि के संबंध में आवंटन पत्र सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड के नाम से दिया गया है।
दानकुनी कोयला परिसर	3.75	भूमि की मांग एवं अधिग्रहण का विवरण प्राप्त हुआ। (पहचानने में असमर्थ)	उपलब्ध नहीं है	01-04-1994	उक्त संपत्ति के संबंध में आवंटन पत्र अधिकारियों द्वारा दिया जाता है
नई दिल्ली में स्कोप कॉम्प्लेक्स और स्कोप मीनार	8.59	शीर्षक विलेख उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है	क्रमशः 01-12-2004 और 30-09-1989	इमारतों को सार्वजनिक उद्यमों की स्थायी समिति (स्कोप) द्वारा प्रचारित किया जाता है और सीआईएल के पास केवल स्वामित्व के प्रमाण के रूप में आवंटन पत्र होते हैं।
किंदवर्ड नगर, नई दिल्ली में गेस्ट हाउस	13.80	शीर्षक विलेख उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है	01-05-2019	इमारतों को एनबीसीसी द्वारा प्रचारित किया जाता है और सीआईएल के पास केवल स्वामित्व के प्रमाण के रूप में आवंटन पत्र होता है।
किंदवर्ड नगर, नई दिल्ली में कार्यालय भवन	60.69	शीर्षक विलेख उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है	23-03-2021	इमारतों को एनबीसीसी द्वारा प्रचारित किया जाता है और सीआईएल के पास केवल स्वामित्व के प्रमाण के रूप में आवंटन पत्र होता है।
पेडर रोड, मुंबई में आवासीय फ्लैट	0.03	बेस्टन कोलफील्ड्स लिमिटेड	नहीं	01-04-1978	टाइटल डीड कंपनी की सहायक कंपनी के नाम पर है और टाइटल का हस्तांतरण लंबित है।

संपत्ति का विवरण	सकल वहन मूल्य	शीर्षक विलेख के नाम पर रखा गया	व्या शीर्षक विलेख धारक प्रमोटर, निदेशक या प्रमोटर/निदेशक का रिश्तेदार या प्रमोटर/निदेशक का कर्मचारी है	संपत्ति किस तिथि से कब तक धारित है	कंपनी के नाम पर न होने का कारण
32.45 हे. सिमसांग (मेघालय) में फ्रीहोल्ड भूमि	0.23	शीर्षक विलेख उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है	04-01-1992	हम समझते हैं कि भूमि मेघालय राज्य में स्थित है जो भारतीय संविधान की छठी अनुसूची के अंतर्गत है, उत्तर पूर्वी कोयला क्षेत्रों के पक्ष में स्वामित्व विलेख जारी नहीं किया जा रहा है।
5.60 हेक्टर तुरा डाकोप्रे (मेघालय) में फ्रीहोल्ड भूमि	0.03	शीर्षक विलेख उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है	08-01-1994	हम समझते हैं कि भूमि मेघालय राज्य में स्थित है जो भारतीय संविधान की छठी अनुसूची के अंतर्गत है, उत्तर पूर्वी कोयला क्षेत्रों के पक्ष में स्वामित्व विलेख जारी नहीं किया जा रहा है।
11.47 हेक्टर टिपोंग कोलियरी (टिपोंगपानी नतुन गांव)	0.01	कोयला खदान प्राधिकरण लिमिटेड	नहीं	09-01-1975	उक्त कोलियरी कोल माइंस अथॉरिटी लिमिटेड (कंपनी का पूर्व नाम) के नाम पर है। टाइटल डीड में इसे अपडेट नहीं किया गया है. यह जमीन कंपनी की इकाई नॉर्थ ईस्टर्न कोलफील्ड्स के कब्जे में है।
10.97 हेक्ट. दिल्ली-जयपुर कोलियरी में फ्रीहोल्ड भूमि	*	एम/एस दिल्ली कोलियरी	नहीं	11-03-1997	यह जमीन कंपनी की इकाई नॉर्थ ईस्टर्न कोलफील्ड्स के कब्जे में है।
105.34 हेक्टर मार्गेरिटा टाउन में फ्रीहोल्ड भूमि।	*	असम रेलवे और ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड	नहीं	1973 के बाद से	कोयला खदान राष्ट्रीयकरण अधिनियम, 1973 के आधार पर भूमि अधिग्रहण कर ली गई या कंपनी के कब्जे में आ गई।
9.16 हेक्टर अनुदान संख्या 277(एफ) एनएलआर, नामदांग में भूमि को फ्री होल्ड करें।	*	असम रेलवे और ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड	नहीं	1973 के बाद से	कोयला खदान राष्ट्रीयकरण अधिनियम, 1973 के आधार पर भूमि अधिग्रहण कर ली गई या कंपनी के कब्जे में आ गई।
15.95 हेक्टर डब्ल्यू. एल.आवेदन संख्या 11 (भाग/उत्तर) पर भूमि को फ्री होल्ड करें।	*	असम रेलवे और ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड	नहीं	1973 के बाद से	कोयला खदान राष्ट्रीयकरण अधिनियम, 1973 के आधार पर भूमि अधिग्रहण कर ली गई या कंपनी के कब्जे में आ गई।
17.27 हेक्टर डब्ल्यू. एल.आवेदन क्रमांक 85/1923.24 पर भूमि को फ्री होल्ड करें।	*	असम रेलवे और ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड	नहीं	1973 के बाद से	कोयला खदान राष्ट्रीयकरण अधिनियम, 1973 के आधार पर भूमि अधिग्रहण कर ली गई या कंपनी के कब्जे में आ गई।
3.61 हेक्टर अनुदान संख्या 277(सी) एनएलआर, नामदांग में फ्रीहोल्ड भूमि	*	असम रेलवे और ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड	नहीं	1973 के बाद से	कोयला खदान राष्ट्रीयकरण अधिनियम, 1973 के आधार पर भूमि अधिग्रहण कर ली गई या कंपनी के कब्जे में आ गई।

संपत्ति का विवरण	सकल वहन मूल्य	शीर्षक विलेख के नाम पर रखा गया	क्या शीर्षक विलेख धारक प्रमोटर, निदेशक या प्रमोटर/निदेशक का रिश्तेदार या प्रमोटर/निदेशक का कर्मचारी है	संपत्ति किस तिथि से कब तक धारित है	कंपनी के नाम पर न होने का कारण
369.01 हेक्टर लेडो-टिकक एनएलआर ग्रांट नंबर 2 पर फ्री होल्ड भूमि।	*	असम रेलवे और ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड	नहीं	1973 के बाद से	कोयला खदान राष्ट्रीयकरण अधिनियम, 1973 के आधार पर भूमि अधिग्रहण कर ली गई या कंपनी के कब्जे में आ गई।
4.43 हेक्टर नामदांग बहबरी में फ्रीहोल्ड भूमि।	*	असम रेलवे और ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड	नहीं	1973 के बाद से	कोयला खदान राष्ट्रीयकरण अधिनियम, 1973 के आधार पर भूमि अधिग्रहण कर ली गई या कंपनी के कब्जे में आ गई।
21.90 हे. 1923-24 के डब्ल्यू.एल.आवेदन संख्या 20 पर भूमि को फ्री होल्ड करें।	*	असम रेलवे और ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड	नहीं	1973 के बाद से	कोयला खदान राष्ट्रीयकरण अधिनियम, 1973 के आधार पर भूमि अधिग्रहण कर ली गई या कंपनी के कब्जे में आ गई।
2.10 हेक्टर टिपोंगपानी स्टेशन स्थल पर भूमि को फ्री होल्ड करें।	*	असम रेलवे और ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड	नहीं	1973 के बाद से	कोयला खदान राष्ट्रीयकरण अधिनियम, 1973 के आधार पर भूमि अधिग्रहण कर ली गई या कंपनी के कब्जे में आ गई।
58.64 हे. नंबर 1 बारागोलाई गांव में भूमि को फ्री होल्ड करें।	*	असम रेलवे और ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड	नहीं	1973 के बाद से	कोयला खदान राष्ट्रीयकरण अधिनियम, 1973 के आधार पर कंपनी द्वारा भूमि का अधिग्रहण या कब्जा कर लिया गया था।
3.85 हेक्टर नंबर 2 बारागोलाई गांव में भूमि को फ्री होल्ड करें।	*	असम रेलवे और ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड	नहीं	1973 के बाद से	कोयला खदान राष्ट्रीयकरण अधिनियम, 1973 के आधार पर भूमि अधिग्रहण कर ली गई या कंपनी के कब्जे में आ गई।
61.77 हेक्टर 11 नंबर ग्रांट बारागोलाई में फ्रीहोल्ड भूमि।	*	असम रेलवे और ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड	नहीं	1973 के बाद से	कोयला खदान राष्ट्रीयकरण अधिनियम, 1973 के आधार पर भूमि अधिग्रहण कर ली गई या कंपनी के कब्जे में आ गई।
11.12 हेक्टर लेडो कोलपारा में फ्रीहोल्ड भूमि।	*	असम रेलवे और ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड	नहीं	1973 के बाद से	कोयला खदान राष्ट्रीयकरण अधिनियम, 1973 के आधार पर भूमि अधिग्रहण कर ली गई या कंपनी के कब्जे में आ गई।
7.89 हेक्टर 6 नंबर ग्रांट लेखापानी में फ्रीहोल्ड भूमि।	*	असम रेलवे और ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड	नहीं	1973 के बाद से	कोयला खदान राष्ट्रीयकरण अधिनियम, 1973 के आधार पर भूमि अधिग्रहण कर ली गई या कंपनी के कब्जे में आ गई।
145.46 हेक्टर लीडो शहर में फ्रीहोल्ड भूमि।	*	असम रेलवे और ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड	नहीं	1973 के बाद से	कोयला खदान राष्ट्रीयकरण अधिनियम, 1973 के आधार पर भूमि अधिग्रहण कर ली गई या कंपनी के कब्जे में आ गई।

संपत्ति का विवरण	सकल वहन मूल्य	शीर्षक विलेख के नाम पर रखा गया	व्या शीर्षक विलेख धारक प्रमोटर, निदेशक या प्रमोटर/निदेशक का रिश्तेदार या प्रमोटर/निदेशक का कर्मचारी है	संपत्ति किस तिथि से कब तक धारित है	कंपनी के नाम पर न होने का कारण
13.85 हेक्टर लेखापानी कोलियरी लाइन (नेपाली गांव) में भूमि को फ्री होल्ड करें।	*	असम रेलवे और ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड	नहीं	1973 के बाद से	कोयला खदान राष्ट्रीयकरण अधिनियम, 1973 के आधार पर भूमि अधिग्रहण कर ली गई या कंपनी के कब्जे में आ गई।
11.38 हेक्टर टिपोंग पानी वार्ड में फ्रीहोल्ड भूमि।	*	असम रेलवे और ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड	नहीं	1973 के बाद से	कोयला खदान राष्ट्रीयकरण अधिनियम, 1973 के आधार पर भूमि अधिग्रहण कर ली गई या कंपनी के कब्जे में आ गई।
10.24 हेक्टर नामदांग विशेष पट्टा में फ्रीहोल्ड भूमि।	*	असम रेलवे और ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड	नहीं	1973 के बाद से	कोयला खदान राष्ट्रीयकरण अधिनियम, 1973 के आधार पर भूमि अधिग्रहण कर ली गई या कंपनी के कब्जे में आ गई।
0.92 हेक्टर तुरा कार्यालय, मेघालय में फ्रीहोल्ड भूमि	*	शीर्षक विलेख उपलब्ध नहीं हैं	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है	हम समझते हैं कि भूमि मेघालय राज्य में स्थित है जो भारतीय संविधान की छठी अनुसूची के अंतर्गत है, उत्तर पूर्वी कोयला क्षेत्रों के पक्ष में स्वामित्व विलेख जारी नहीं किया जा रहा है।
टिकक के लिए 98.59 हेक्टेयर बन भूमि का डायवर्जन।	43.25	शीर्षक विलेख उपलब्ध नहीं हैं	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है	राज्य सरकार द्वारा पत्र संख्या ईसीएफ 202385 / 2022 / 134 दिनांक 10.05.2022 और ईसीएफ संख्या 202389 / 2022 / 22 दिनांक 10.05.2022 के माध्यम से नॉर्थ ईस्टन कोलफील्ड्स को 89.36 हेक्टेयर भूमि पहले ही आवंटित की जा चुकी है। हालाँकि, कोल इंडिया लिमिटेड के नाम पर स्वामित्व विलेख अभी तक जारी नहीं किया गया है क्योंकि राज्य सरकार को भुगतान नहीं किया गया है।

*अलग और विशिष्ट सकल वहन मूल्य उपलब्ध नहीं है

घ) कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी किसी भी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त परिसंपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है। तदनुसार, आदेश के पैराग्राफ 3 (i) (घ) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है; और

ड) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और प्रबंधन द्वारा प्रतिनिधित्व के अनुसार, बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (1988 का 45) और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत किसी भी बेनामी संपत्ति रखने के लिए कंपनी के खिलाफ वर्ष के दौरान कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है या 31 मार्च,

2023 तक लंबित नहीं है। तदनुसार, आदेश के पैरा 3 (i) (ड) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।

ii) क) कंपनी की इन्वेंट्री को वर्ष के दौरान उचित अंतराल पर प्रबंधन द्वारा भौतिक रूप से सत्यापित किया गया है और हमारी राय में प्रबंधन द्वारा इस तरह के सत्यापन की कवरेज और प्रक्रिया कंपनी के आकार और इसकी इन्वेंट्री की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए उचित है। इन्वेंट्री के भौतिक सत्यापन पर पाई गई विसंगतियां इन्वेंट्री के प्रत्येक वर्ग के लिए कुल मिलाकर 10% या उससे अधिक नहीं थीं और खातों की पुस्तकों में ठीक से निपटा गया है; और

- ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जाँच के आधार पर, कंपनी को वर्तमान परिसंपत्तियों की सुरक्षा के आधार पर वर्ष के दौरान बैंकों के संघ से 430 करोड़ रुपये की कार्यशील पूँजी सीमा स्वीकृत की गई है। वर्ष के दौरान ऐसी मंजूरी के लिए कोई कार्यशील पूँजी ऋण नहीं लिया गया है और इसका उपयोग नहीं किया गया है और इस प्रकार, ऐसे बैंकों के साथ कंपनी द्वारा दायर तिमाही रिटर्न या विवरणों में व्यापार प्राप्ति, इन्वेंट्री और अन्य वर्तमान परिसंपत्तियों का विवरण शामिल नहीं है और तदनुसार आदेश के खंड 3 (ii) (I) के तहत रिपोर्टिंग आवश्यकता कंपनी पर लागू नहीं होती है।
- iii) कंपनी ने वर्ष के दौरान म्यूचुअल फंड और संयुक्त उद्यमों के शेयरों में निवेश किया है। इसके अलावा, हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जाँच के आधार पर, कंपनी ने कोई निवेश नहीं किया है, कोई वर्ष के दौरान फर्म, सीमित देयता साझेदारी या कोई अन्य पक्ष को सुरक्षित और असुरक्षित ऋण प्रदान नहीं किया है, कोई गारंटी या सुरक्षा प्रदान नहीं की है या कंपनियों को सुरक्षित या असुरक्षित ऋण की प्रकृति में कोई अग्रिम राशि प्रदान नहीं किया है।
- क) जैसा कि ऊपर कहा गया है, कंपनी ने वर्ष के दौरान कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता साझेदारी या किसी अन्य पक्षों को कोई सुरक्षित या असुरक्षित ऋण प्रदान नहीं किया है या कोई गारंटी या सुरक्षा प्रदान नहीं की है या ऋण की प्रकृति में कोई अग्रिम राशि प्रदान नहीं किया है और इसलिए आदेश के पैराग्राफ 3 (iii) (क) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है;
- ख) वर्ष के दौरान संयुक्त उद्यम में किए गए निवेशों के संबंध में, जो प्रकृति में दीर्घकालिक रणनीतिक है, इसके नियम और शर्तें प्रथम दृष्टया कंपनी के हित के लिए प्रतिकूल नहीं हैं;
- ग) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जाँच के आधार पर, पिछले वर्ष के दौरान दिए गए ऋण और कर्मचारियों को दिए गए ऋण की प्रकृति में अग्रिम के संबंध में, मूलधन और ब्याज के पुनर्भुगतान के लिए नियम और शर्तें निर्धारित की गई हैं और उनका पुनर्भुगतान आम तौर पर शर्तों के अनुसार नियमित रूप से किया गया है;
- घ) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जाँच के आधार पर, ऋण की शर्तों या ऋण की प्रकृति में अग्रिमों के संबंध में दिए गए ऋणों के संबंध में नब्बे दिनों से अधिक समय तक कोई अतिदेय राशि नहीं है, जिसमें ब्याज भी शामिल है;
- इ) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जाँच के आधार पर, वर्ष के दौरान देय होने वाले ऋणों की प्रकृति में कोई ऋण या अग्रिम नहीं था, जिसे नवीनीकृत या विस्तारित किया गया है या मौजूदा ऋणों के अतिदेय को निपटाने के लिए नए ऋण दिए गए हैं या समान पार्टियों को दिए गए ऋणों की प्रकृति में अग्रिम दिए गए हैं; और
- ज) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जाँच के आधार पर, कंपनी ने मांग पर या पुनर्भुगतान की किसी भी शर्तों या अवधि को निर्दिष्ट किए बिना ऋण की प्रकृति में कोई ऋण या अग्रिम प्रदान नहीं किया है।
- iv) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने ऋण देने, निवेश करने और गारंटी और प्रतिभूतियां प्रदान करने के संबंध में अधिनियम की धारा 185 और 186 के प्रावधानों का अनुपालन किया है;
- v) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के बही-खातों और अभिलेखों की हमारी जाँच के आधार पर, कंपनी ने धारा 73 से 76 या अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के किसी अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के तहत कवर की गई जनता से कोई जमा राशि या कोई भी राशि स्वीकार नहीं की है। तदनुसार आदेश के पैराग्राफ 3 (v) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है;
- vi) हमने कंपनी के उत्पादों के संबंध में अधिनियम की धारा 148 (1) के तहत लागत रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार कंपनी द्वारा बनाए गए बही-खातों की व्यापक रूप से समीक्षा की है और हमारी राय है कि प्रथम दृष्टया, निर्धारित रिकॉर्ड रखे गए हैं। हालांकि, हमने यह निर्धारित करने के लिए उक्त रिकॉर्ड की विस्तृत जाँच नहीं की है कि वे सटीक हैं या पूर्ण;
- vii) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और खातों की पुस्तकों की हमारी जाँच के आधार पर:
- क) वर्ष के दौरान, कंपनी आम तौर पर माल और सेवा कर, भविष्य निधि, आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर, उप-कर और उस पर लागू किसी भी अन्य सांविधिक देय सहित अविवादित सांविधिक देय राशियों को उचित प्राधिकारियों के पास जमा करने में नियमित रही है। हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, इनके संबंध में कोई निर्विवाद राशि देय नहीं है जो 31 मार्च, 2023 तक देय होने की तारीख से छह महीने से अधिक की अवधि के लिए बकाया थी। जैसा कि हमें सूचित किया गया है, कर्मचारी राज्य बीमा कंपनी पर लागू नहीं है;

ख) उपर्युक्त उपखंड (vii) (क) में उल्लिखित सांविधिक देय राशियों, जिन्हें किसी विवाद के कारण जमा नहीं किया गया है, का ब्यौरा निम्नानुसार है- (रूपय करोड़ में)

अधिनियम का नाम	देय राशि की प्रकृति	विवादाधीन सकल राशि	वह अवधि जिससे राशि संबंधित है	फोरम जहां विवाद लंबित है	अस्वीकार रूप में जमा की गई राशि	राशि जमा नहीं की गयी
आयकर अधिनियम	आयकर	78.07	नि.व. 2011-12	आईटीएटी	20.00	58.07
		81.58	नि.व. 2012-13	आईटीएटी	0.00	81.58
		90.30	नि.व. 2013-14	आईटीएटी	0.00	90.30
		29.09	नि.व. 2018-19	सीआईटी(ए)	0.00	29.09
कुल		279.04			20.00	259.0
केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944	केंद्रीय उत्पाद शुल्क	4.45	वि.व. 2010-11 से वि.व. 2014-15	सीईएसटीएटी	0.17	4.28

viii) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर और जैसा कि प्रबंधन द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया है, हमें न तो उन लेनदेन के बारे में पता चला है और न ही सूचित किया गया है जो पहले बही-खातों में दर्ज नहीं किए गए थे और जिन्हें आयकर अधिनियम के तहत कर निर्धारण में वर्ष के दौरान आय के रूप में आत्मसमर्पण या खुलासा किया गया है तदनुसार 1961 आदेश के पैराग्राफ 3 (viii) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है;

ix) हमारी राय में और प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर, कंपनी ने बैंकों, वित्तीय संस्थानों या किसी अन्य ऋणदाता से कोई ऋण नहीं लिया है और तदनुसार, आदेश का खंड 3 (ix) कंपनी पर लागू नहीं होता है;

x) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के लेखा-खातों की हमारी जाँच के आधार पर:

क) कंपनी ने प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव या आगे सार्वजनिक पेशकश (ऋण लिखतों सहित) या सावधि ऋण के माध्यम से धन नहीं जुटाया है और इसलिए आदेश के पैराग्राफ 3 (x) (क) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है; और

ख) कंपनी ने वर्ष के दौरान शेयरों या परिवर्तनीय डिबेंचरों (आंशिक रूप से, पूरी तरह से या वैकल्पिक रूप से) का कोई अधिमान्य आवंटन या निजी प्लेसमेंट नहीं किया है और तदनुसार, आदेश के पैराग्राफ 3 (x) (l) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।

xi) क) भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखा परीक्षा प्रथाओं के अनुसार की गई कंपनी की पुस्तकों और अभिलेखों की हमारी जाँच के दौरान, और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, हमें न तो कंपनी द्वारा धोखाधड़ी का कोई उदाहरण मिला है या कंपनी पर वर्ष के दौरान देखा या रिपोर्ट किया गया है, न ही प्रबंधन द्वारा ऐसे किसी भी मामले के बारे में सूचित किया गया है;

ख) कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 13 के तहत निर्धारित फॉर्म एडीटी -4 में अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (12) के तहत कोई रिपोर्ट वर्ष के दौरान और इस रिपोर्ट की तारीख तक केंद्र सरकार के पास दायर नहीं की गई है; और

ग) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के बही-खातों की जाँच के आधार पर कंपनी को वर्ष के दौरान व्हिसल ब्लोअर की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। तदनुसार, आदेश के पैराग्राफ 3 (xi) (ग) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

xii) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है और तदनुसार निधि नियम, 2014 उस पर लागू नहीं होता है, इसलिए आदेश के पैराग्राफ 3 (xii) (क, ख और ग) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है;

xiii) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जाँच के आधार पर, संबंधित पार्टियों के साथ लेनदेन अधिनियम की धारा 177 और 188 के प्रावधानों के अनुपालन में हैं, जहाँ भी लागू होता है और ऐसे लेनदेन के विवरण को स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में प्रकट किया गया है जैसा कि लागू लेखा मानकों द्वारा आवश्यक है;

xiv) कंपनी ने कंपनी की आंतरिक लेखा परीक्षा करने के लिए चार्टर्ड एकाउंटेंट्स की एक फर्म नियुक्त की है। हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली अपने व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप है। हमने अपनी लेखापरीक्षा के दौरान, वर्ष के दौरान और अब तक कंपनी को जारी की गई लेखापरीक्षा की अवधि के लिए आंतरिक लेखापरीक्षक की रिपोर्टों पर विचार किया है ताकि ऐसे 610 में प्रदान किए गए मार्गदर्शन के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं की प्रकृति, समय और सीमा का निर्धारण किया जा सके। मुंबई क्षेत्रीय बिक्री कार्यालय के मामले में, जहाँ परिचालन की मात्रा ऐसी सामग्री के रूप में नहीं है, हमें कोई आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट उपलब्ध नहीं कराई गई है;

xv) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और जैसा कि प्रबंधन द्वारा हमें प्रतिनिधित्व दिया गया है और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जाँच के आधार पर, कंपनी ने निदेशकों या उससे जुड़े व्यक्तियों के साथ गैर-नकद लेनदेन नहीं किया है। तदनुसार, आदेश का पैराग्राफ 3 (xv) लागू नहीं होता है;

xvi) क) हमारी राय में, कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए के तहत पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए, आदेश के खंड 3 (xvi) (क) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है;

- ख) कंपनी ने भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के तहत आवश्यक पंजीकरण के वैध प्रमाण पत्र के बिना कोई गैर-बैंकिंग वित्तीय या आवास वित्त गतिविधियों का संचालन नहीं किया है। इसलिए, आदेश के खंड 3 (xvi) (I) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है;
- ग) कंपनी एक कोर निवेश कंपनी (सीआईसी) नहीं है जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बनाए गए नियमों में परिभाषित किया गया है। इसलिए, आदेश के खंड 3 (xvi) (II) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है; और
- घ) हमारी राय में और प्रबंधन से हमें प्राप्त अभ्यावेदन के आधार पर, समूह के भीतर कोई कोर निवेश कंपनी नहीं है (जैसा कि कोर निवेश कंपनियों (रिजर्व बैंक) निदेश, 2016 में परिभाषित किया गया है) और तदनुसार आदेश के खंड 3 (xvi) (घ) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।
- xvii) लेखा-खातों की जाँच के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी ने हमारे लेखापरीक्षा द्वारा कवर किए गए न तो वर्तमान वित्तीय वर्ष में न ही पिछले वित्तीय वर्ष नकद नुकसान उठाया है ;
- xviii) वर्ष के दौरान कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों का कोई त्यागपत्र नहीं आया है और इसलिए आदेश के पैरा 3(xviii) के अंतर्गत रिपोर्ट करना लागू नहीं होता है;
- xix) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और वित्तीय अनुपातों के आधार पर (स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए नोट संख्या 38 (7) (ड) देखें), वित्तीय परिसंपत्तियों की प्राप्ति और वित्तीय देनदारियों के भुगतान की आयु और अपेक्षित तिथियाँ, स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के साथ अन्य जानकारी, निदेशक मंडल और प्रबंधन योजनाओं के बारे में हमारा ज्ञान और मान्यताओं का समर्थन करने वाले सबूतों की हमारी जाँच के आधार पर, हमारे ध्यान में कुछ भी
- नहीं आया है, जिससे हमें विश्वास हो सके कि लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तारीख को कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है कि कंपनी बैलेंस शीट की तारीख पर मौजूद अपनी देनदारियों को पूरा करने में सक्षम नहीं है, जब भी वे बैलेंस शीट की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय होते हैं। हम आगे कहते हैं कि हमारी रिपोर्टिंग लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तारीख तक के तथ्यों पर आधारित है और हम न तो कोई गारंटी देते हैं और न ही कोई आश्वासन देते हैं कि बैलेंस शीट की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर आने वाली सभी देनदारियों को कंपनी द्वारा विर्वहन किया जाएगा। और
- xx) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और जैसा कि प्रबंधन द्वारा हमें प्रस्तुत किया गया है और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जाँच के आधार पर, अधिनियम की धारा 135 के तहत परिकलित वर्तमान परियोजनाओं के अलावा अन्य पर कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) के कारण कोई अप्रयुक्त राशि नहीं थी और इसलिए, आदेश के पैरा 3 (xx) (क) और (II) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है;
- xxi) आदेश के पैरा 3(xx) के अंतर्गत की गई रिपोर्टिंग स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के संबंध में लागू नहीं है।

कृते लोढ़ा एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट

फर्म का आईसीएआई पंजीकरण नंबर: 301051ए

ह/-
आर. पी. सिंह

स्थान :कोलकाता (सहयोगी) सदस्यता संख्या 052438
दिनांक: 7 मई, 2023 यूडीआईएन : 23052438BGXSBT1343

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों के रिपोर्ट का **अनुलग्नक-“ख”**

(हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के “अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट” अनुभाग के पैराग्राफ 2 में संदर्भित)

भाग 1 – निर्देश

क्रम. सं.	निर्देश	निर्देशों पर की गई कार्रवाई पर लेखापरीक्षकों का जवाब
1.	क्या कंपनी के पास आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए प्रणाली है? यदि हाँ, तो आईटी प्रणाली के बाहर लेखा लेनदेन के प्रसंस्करण के प्रभावों के साथ-साथ वित्तीय निहितार्थ, यदि कोई हों, बताए जा सकते हैं।	कंपनी ने हेड ऑफिस कोलकाता, दिल्ली कार्यालय, मुंबई और चेन्नई क्षेत्रीय बिक्री कार्यालय (आरएसओ) के मामले में 01 अप्रैल, 2021 से और नॉर्थ इस्टर्न कोलफ़िल्ड के मामले में 01 अगस्त, 2021 से एक नया ईआरपी सॉफ्टवेयर (एसएपी) लागू किया है। कार्यान्वयन की तारिखों पर सभी जानकारी पुराने लेखा सॉफ्टवेयर कोलनेट से एसएपी में स्थानांतरित कर दी गई है। एसएपी के कार्यान्वयन के पश्चात् अस्पताल की सूची और पूर्वोत्तर कोलफ़िल्ड में कोयले के समापन स्टॉक के मूल्यांकन को छोड़कर सभी लेन-देनों का लेखा-जोखा एसएपी के माध्यम से संसाधित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, वृद्धावस्था विश्लेषण सहित विभिन्न सूचनाएं, जिनका अधिनियम के अनुसार वित्तीय विवरणों में खुलासा किया जाना अपेक्षित है, भी प्रबंधन द्वारा मैन्युअल रूप से तैयार की जाती हैं। हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, 31 मार्च 2022 को स्थिरीकरण चरण के पूरा होने के बाद, सिस्टम एएमसी चरण में है। ऐसे लेन-देनों के प्रसंस्करण के निहितार्थों, संबंधित वित्तीय निहितार्थों सहित खातों की अखंडता पर कोई परिणामी प्रभाव आदि को शामिल करते हुए कोई प्रणाली लेखा परीक्षा और प्रवासन लेखा परीक्षा नहीं की जाती है। किया गया है।
2.	क्या किसी मौजूदा ऋण का पुनर्गठन किया गया है अथवा कर्च/ऋण/ब्याज आदि की छूट/बट्टे खाते में डालने के मामले हैं। ऋण चुकाने में कंपनी की अक्षमता के कारण एक ऋणदाता द्वारा कंपनी को क्या किया गया है? यदि हाँ, तो वित्तीय प्रभाव के बारे में बताया जा सकता है। क्या ऐसे मामलों का सही हिसाब रखा जाता है? (यदि ऋणदाता एक सरकारी कंपनी है, तो यह निर्देश ऋणदाता कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षक के लिए भी लागू होता है।)	प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी द्वारा किसी भी ऋणदाता से कोई ऋण नहीं लिया गया है।
3.	क्या केंद्र/राज्य सरकार या एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्त निधियों (अनुदान/अनृत्ति आदि) का उसके निवंधन और शर्तों के अनुसार उचित रूप से लेखा-जोखा/उपयोग किया गया था? विचलन के मामलों को सूचीबद्ध करें।	हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के अभिलेखों की हमारी जाँच के आधार पर, वर्ष के दौरान कोई अनुदान/निधियां प्राप्त/लेखा-जोखा नहीं किया गया। इसके अलावा, वित्त वर्ष 2019-20 में केंद्र सरकार से पूर्वोत्तर कोलफ़िल्ड द्वारा प्राप्त 1.72 करोड़ रुपये की रेलवे साइडिंग के लिए अनुदान को नियम और शर्तों के अनुसार उचित रूप से हिसाब दिया गया था।

भाग 2 – अतिरिक्त निर्देश:

क्रम. सं.	उप- निर्देश	निर्देशों पर की गई कार्रवाई पर लेखापरीक्षकों का उत्तर
1.	क्या येलो बुक के आधार पर कोयले के स्टॉक का माप किया गया था? क्या भौतिक स्टॉक माप रिपोर्ट सभी मामलों में समोच्च मानचित्र के साथ हैं? क्या वर्ष के दौरान सृजित किए गए नए ढेर, यदि कोई हों, के लिए सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त किया गया था।	हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जाँच के आधार पर, येलो बुक को ध्यान में रखते हुए कोयले के स्टॉक का माप किया जाता है। नॉर्थ ईस्टन कोलफिल्ड्स में 31 मार्च, 2023 तक कोयले के स्टॉक की भौतिक स्टॉक माप रिपोर्ट को समोच्च मानचित्रों के साथ जोड़ा गया है। वित्तीय वर्ष के दौरान पूर्वोत्तर कोलफिल्ड्स की किसी भी खान में कोई नया ढेर नहीं बनाया गया था।
2.	क्या कंपनी ने किसी क्षेत्र के विलय/विभाजन/पुनर्गठन के समय परिसंपत्तियों और संपत्तियों का भौतिक सत्यापन किया है। यदि हाँ, तो क्या संबंधित सहायक कंपनी ने अपेक्षित प्रक्रिया का पालन किया है।	प्रबंधन द्वारा दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान किसी भी क्षेत्र का ऐसा कोई विलय/विभाजन/पुनर्गठन नहीं हुआ है।
3.	क्या सीआईएल और इसकी सहायक कंपनियों में प्रत्येक खान के लिए अलग-अलग एस्क्रो खाते रखे गए हैं। खाते की निधि के उपयोग की भी जाँच करें।	कोल इंडिया लिमिटेड की उत्पादन इकाई नॉर्थ ईस्ट कोलफिल्ड्स (एनईसी) की प्रत्येक खदान (टीकाक एक्सटेंशन, लेखापानी ओसीपी, टिपोंग, लेडो ओसीपी, टीकाक ओसीपी और तिरप ओसीपी) के लिए अलग-अलग एस्क्रो खाता रखा गया है। वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा बताई गई ऐसी कोई निधि वापस नहीं ली गई है।
4.	क्या माननीय उच्चतम न्यायालय/राष्ट्रीय हरित अधिकरण/राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अवैध खनन के लिए लगाए गए जुर्माने के प्रभाव पर विधिवत विचार किया गया है और उसका हिसाब रखा गया है?	हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान कंपनी पर माननीय उच्चतम न्यायालय/राष्ट्रीय हरित अधिकरण/राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अवैध खनन के लिए कोई जुर्माना नहीं लगाया गया है।
5.	क्या कोलनेट पोर्टल से एसएपी में डाटा की माझ्गेशन प्रक्रिया के संबंध में कोई स्वतंत्र मूल्यांकन/प्रमाणन किया गया है।	वर्ष के दौरान कोलनेट पोर्टल से एसएपी में आंकड़ों की माझ्गेशन प्रक्रिया के संबंध में कोई स्वतंत्र मूल्यांकन/प्रमाणन नहीं किया गया है।

कृते लोढ़ा एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट

फर्म का आईसीएआई पंजीकरण नंबर: 301051ए

ह/-

आर. पी. सिंह

(सहयोगी) सदस्यता संख्या 052438

यूटीआईएन : 23052438BGXSBT1343

स्थान :कोलकाता

दिनांक: 7 मई, 2023

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक “ग”

(उक्त तारीख की हमारी रिपोर्ट के मअन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्टफके तहत पैराग्राफ 3 (एफ) में संदर्भित)

हमने 31 मार्च, 2023 तक कोल इंडिया लिमिटेड के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों (इसके बाद ‘कंपनी’ के रूप में संदर्भित) के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का लेखापरीक्षा किया है, जो उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के हमारे लेखापरीक्षा के साथ संयोजन में है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी का प्रबंधन भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा पर मार्गदर्शन नोट (मार्गदर्शन नोटफ) में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय विवरण मानदंडों के संदर्भ में आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो कंपनी की नीतियों के पालन, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाने, लेखा रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता और विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी सहित अपने व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, जैसा कि अधिनियम के तहत अपेक्षित है।

लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी हमारे लेखापरीक्षा के आधार पर स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर एक राय व्यक्त करना है। हमने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी मार्गदर्शन नोट और अधिनियम की धारा 143 (10) के तहत निर्धारित लेखा परीक्षा के मानकों के अनुसार वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा पर लागू सीमा तक अपनी लेखापरीक्षा आयोजित की। उन मानकों और मार्गदर्शन नोट के लिए आवश्यक है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का पालन करें और योजना बनाएं और लेखापरीक्षा करें ताकि इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त किया जा सके कि स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाए रखा गया था और क्या ऐसे नियंत्रण सभी भौतिक मामलों में प्रभावी ढंग से संचालित होते हैं।

हमारे लेखापरीक्षा में स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों और उनकी परिचालन प्रभावशीलता के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाएँ निष्पादित करना शामिल है। स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, भौतिक कमज़ोरी मौजूद होने के जोखिम का आकलन करना और आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन और परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल है। मूल्यांकन किए गए जोखिम पर चयनित प्रक्रियाएँ लेखा परीक्षकों के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के भौतिक गलत विवरण के जोखिमों का आकलन भी शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो।

हमारा मानना है कि हमने जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में एक कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और आमतौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाहरी उद्देश्यों के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की तैयारी के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में एक कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियाँ और प्रक्रियाएँ शामिल हैं जो (1) रिकॉर्ड के रखरखाव से संबंधित हैं, जो उचित विस्तार से, कंपनी की परिसंपत्तियों के लेनदेन और स्वभाव को सटीक और निष्पक्ष रूप से दर्शाती हैं; (2) उचित आश्वासन प्रदान करें कि लेनदेन को आमतौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की तैयारी की अनुमति देने के लिए आवश्यक रूप से दर्ज किया जाता है, और यह कि कंपनी की प्राप्तियाँ और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरणों के अनुसार किए जा रहे हैं; और (3) कंपनी की परिसंपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या निपटान की रोकथाम या समय पर पता लगाने के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करना जो स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर भौतिक प्रभाव डाल सकता है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाएं

वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, जिसमें मिलीभगत या नियंत्रण के अनुचित प्रबंधन ओवरराइड की संभावना शामिल है, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण सामग्री गलत विवरण हो सकते हैं और पता नहीं लगाया जा सकता है। इसके अलावा, भविष्य की अवधि के वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान इस जोखिम के अधीन हैं कि वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शर्तों में बदलाव के कारण अपर्याप्त हो सकता है, या नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की डिग्री बिगड़ सकती है।

राय

हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी “वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट” में आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों का उल्लेख किया गया है, हमारी राय में, कंपनी ने आम तौर पर, सभी भौतिक मामलों में, वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण बनाए रखा है और वित्तीय विवरणों के संदर्भ में ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण आमतौर पर 31 मार्च, 2023 तक कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय विवरण मानदंडों के संदर्भ में आंतरिक नियंत्रण के आधार पर प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे।

तथापि, निम्नलिखित के संबंध में और सुधार किए जाने की आवश्यकता है-

- i) जोखिम मूल्यांकन प्रक्रिया, विभिन्न कार्यात्मक क्षेत्रों के जोखिम विश्लेषण और जोखिम न्यूनीकरण सहित विभागीय स्तर पर प्रक्रिया प्रवाह को शामिल करने के संबंध में कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का दस्तावेज़ीकरण; और
- ii) कंपनी में ट्रेड रिसीवेबल, अन्य वर्तमान और गैर-चालू परिसंपत्तियों, व्यापार देय, अन्य वित्तीय देनदारियों और अन्य वर्तमान और गैर-वर्तमान देनदारियों सहित कुछ डेबिट/क्रेडिट शेष के बारे में नोट संख्या 38 (7) (जी) स्वतंत्र पुष्टि और परिणामी मिलान के लिए लंबित है।

उपरोक्त मामलों के संबंध में हमारी राय में संशोधन नहीं किया गया है।

कृते लोढ़ा एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट

फर्म का आईसीएआई पंजीकरण नंबर: 301051ए

ह/-

आर. पी. सिंह

स्थान :कोलकाता (सहयोगी) सदस्यता संख्या 052438
दिनांक: 7 मई, 2023 यूडीआइएन : 23052438BGXSBT1343

अनुलग्नक 4

कोल इंडिया लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरण पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ

No.:181/ DGA(C)/Kol/LA-I/Accounts Audit /CIL. SFS/2022-23/2023-24



सत्यमेव जयते

संख्या

No:

भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग
 INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT
 कार्यालय, महानिदेशक लेखापरीक्षा (कोल)
 OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF AUDIT (COAL)
 कोलकाता / KOLKATA

दिनांक /Dated - 07 जुलाई 2023

गोपनीय

सेवा में

अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक
 कोल इंडिया लिमिटेड,
 प्लॉट नं. एएफ-III, एक्शन एरिया 1ए,
 न्यू टाउन, राजरहाट, कोलकाता-700156

विषय: 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए कोल इंडिया लिमिटेड के
 समेकित वित्तीय विवरण पर, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(4) के साथ पठित धारा
 143(6)(बी) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ:

महोदय,

मैं इसके साथ 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए कोल इंडिया लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरण पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 143(6)(बी) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ प्रेषित करता हूँ।

कृपया इस पत्र के प्राप्ति की पावती भेजी जाएं।

अनुलग्नक: यथा उपर्युक्त।

स्थान: कोलकाता

दिनांक: 07 जुलाई, 2023

भवदीय
Amit Prakash
 (अमित प्रकाश)

प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (कोल)
 कोलकाता

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए कोल इंडिया लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरण पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 143(6)(बी) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली के अनुसार 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए कोल इंडिया लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरण तैयार करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 139 (5) के साथ पठित धारा 129 (4) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त वैधानिक लेखा परीक्षक अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्धारित ऑडिटिंग मानकों के अनुसार स्वतंत्र ऑडिट के आधार पर अधिनियम की धारा 129 (4) के साथ पठित धारा 143 के तहत वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार है। उक्त उनके द्वारा दिनांक 07 मई 2023 को प्रस्तुत ऑडिट रिपोर्ट द्वारा वर्णित किया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से, अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 143(6)(ए) के तहत 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए कोल इंडिया लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों का अनुपूरक लेखापरीक्षा किया गया है। हमने अनुबंध-1 में सूचीबद्ध कोल इंडिया लिमिटेड और उसकी सहायक कंपनियों/संयुक्त उद्यम कंपनियों के वित्तीय विवरणों का एक पूरक लेखापरीक्षा किया, परंतु उक्त तिथि को समाप्त वर्ष के लिए अनुलग्नक-2 में सूचीबद्ध अनुषंगी कंपनियों/संयुक्त उद्यम कंपनियों के वित्तीय विवरणों का अनुपूरक लेखापरीक्षा नहीं किया। इसके अलावा, कोल इंडिया अफ्रिकाना लिमिटेड (सीआईएल), एक विदेशी सहायक कंपनी पर संबंधित कानूनों के अंतर्गत विदेश में समावृष्ट होने के कारण उनके सांविधिक लेखापरीक्षक नियुक्त करने के लिए और अनुपूरक लेखापरीक्षा आयोजित करने के लिए अधिनियम की धारा 139 (5) और 143 (6)(ए) लागू नहीं होते हैं। तदनुसार, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने न तो वैधानिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति की है और न ही इस कंपनी का अनुपूरक लेखा परीक्षण किया है। यह अनुपूरक लेखापरीक्षा कार्य वैधानिक कामकाजी कागजात तक पहुंच के बिना स्वतंत्र रूप से किया गया है तथा सांविधिक लेखापरीक्षक एवं कंपनी के कार्मिकों से की गई पूछताछ और कुछ लेखा रिकॉर्डों के चयनात्मक परीक्षण तक सीमित है।

मेरे अनुपूरक लेखापरीक्षा के आधार पर, मैं अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पठनीय धारा 143(6)(बी) के तहत निम्नलिखित महत्वपूर्ण मामलों पर प्रकाश डालना चाहूँगा जो मेरे ध्यान में आए हैं और जो मेरे विचार से वित्तीय विवरणों और संबंधित ऑडिट रिपोर्ट की बेहतर समझ को सक्षम करने के लिए आवश्यक हैं।

क. वित्तीय स्थिति पर टिप्पणी

क.1 बैलेंस शीट परिसंपत्तियाँ

वर्तमान परिसंपत्तियाँ

व्यापार प्राप्य (नोट-13): रु. 13060.48 करोड़

उपरोक्त मद में सितंबर 2017 (एनसीएल और ईसीएल में) फरवरी 2018 (एमसीएल में) से 02 अगस्त 2020 तक की अवधि के लिए ईस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड (ईसीएल), नॉर्दर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड (एनसीएल), और महानदी कोलफिल्ड्स लिमिटेड (एमसीएल) द्वारा एनटीपीसी से 0-3 किमी की लीड दूरी पर कोयले की आपूर्ति के लिए भूतल परिवहन शुल्क (एसटीसी) से प्राप्य धनराशि 416.38¹ करोड़ सम्मिलित है।

सितंबर 2017 / फरवरी 2018 से पूर्व, एनटीपीसी के साथ समझौते में 0-3 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर स्थित एनटीपीसी संयंत्रों को कोयले की आपूर्ति के लिए एसटीसी चार्ज करने की अनुमति दी गई थी। हालाँकि, ईसीएल और एनसीएल ने सितंबर 2017 से 0-3 किलोमीटर के लिए और एमसीएल ने फरवरी 2018 से एकतरफा एसटीसी लगाना शुरू कर दिया।

¹ ईसीएल: 132.30 करोड़ रुपये, एनसीएल: 221.79 करोड़ रुपये और एमसीएल: 62.29 करोड़ रुपये।

इन तीन सहायक कंपनियों द्वारा एनटीपीसी के साथ 0-3 किमी की दूरी के लिए एसटीसी चार्ज करने का एक समझौता अगस्त 2020 में ही किया गया था, जिसमें कहा गया है कि संशोधन हस्ताक्षर की तारीख यानी अगस्त 2020 से लागू होगा। एनटीपीसी ने अगस्त 2020 से पहले की अवधि से संबंधित 0-3 किलोमीटर के दावे को स्वीकार करने से इनकार कर दिया।

सितंबर 2017/फरवरी 2018 और 2 अगस्त 2020 के बीच की अवधि के लिए 0-3 किलोमीटर के लिए एसटीसी चार्ज करने के लिए किसी समझौते के अभाव में, रु. 416.38 करोड़ की वसूली की संभावना बहुत कम है और उपयुक्त प्रावधान बनाया जाना चाहिए था। इस प्रकार, प्रावधानों का निर्माण न करने के परिणामस्वरूप अधिक व्यापार प्राप्तियों (निकृष्ट तथा संदिग्ध क्रौण्डों के लिए भत्ते का शुद्ध) का विवरण और उस सीमा तक वर्ष के लिए आधिक्य लाभ का विवरण हुआ है।

वर्ष 2021-22 के लिए समेकित वित्तीय विवरणों में इस मुद्दे पर टिप्पणी की गई है, जिसमें एमसीएल को छोड़कर साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल) द्वारा रु. 63.33 करोड़ की प्राप्य राशि शामिल है क्योंकि एमसीएल ने वर्ष 2020-21 में पहले ही एक लेखा प्रावधान बना लिया था। हालाँकि 2022-23 में, जब एमसीएल ने प्रावधान की राशि को परिवर्तित कर दिया, एसईसीएल ने प्रावधान के रूप में एसटीसी के लिए संपूर्ण प्राप्य राशि लेखांकित की, जिससे सीआईएल सहायक कंपनियों द्वारा अपनाई जाने वाली विविध लेखांकन प्रथाओं का प्रकटीकरण हुआ। इसके अलावा, वर्ष 2020-21 और 2021-22 के वित्तीय विवरणों पर बार-बार टिप्पणियों के बावजूद ईसीएल और एनसीएल के प्रबंधन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

ख. लाभप्रदता पर टिप्पणी

ख.1 लाभ एवं हानि व्यय का विवरण

व्यय

प्रावधान (नोट-33):रु. 374.93 करोड़

इसमें राजमहल क्षेत्र के संबंध में मेसर्स एनटीपीसी द्वारा दायर रिफंड दावे के लिए किया गया रु. 214.52 करोड़ का प्रावधान शामिल नहीं है। यह दावा कोयले में अतिरिक्त सतह नमी की मात्रा के कारण दायर किया गया था जो वर्ष 2016-17 से 2021-22 के लिए ईंधन आपूर्ति समझौते के निर्धारित मानदंडों² से परे है। कुल दावा राशि रु. 258.72³ करोड़ के मुकाबले लेखा में केवल रु. 44.20 करोड़ का प्रावधान किया गया।

“प्रावधान, आकस्मिक देनदारियां तथा आकस्मिक संपत्ति” पर इंड एएस-37 के पैरा 14 का संदर्भ लिया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि किसी प्रावधान को तब मान्यता दी जाएगी जब किसी इकाई पर पिछली घटना के परिणामस्वरूप वर्तमान दायित्व (कानूनी या रचनात्मक) हो; यह संभव है कि दायित्व को निपटाने के लिए आर्थिक लाभ से जुड़े संसाधनों के बहिर्प्रवाह की आवश्यकता होगी: और दायित्व की राशि का एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है।

सतही नमी के संबंध में एनटीपीसी के रिफंड दावों के कम प्रावधान के परिणामस्वरूप प्रावधान को कम बताया गया और वर्ष के लिए रु. 214.52 करोड़ रुपये का लाभ आधिक्य बताया गया है।

² सतह पर नमी की मात्रा 16.60 प्रतिशत से 18.70 प्रतिशत के बीच है, जबकि एफएसए में निर्धारित मानक 7 प्रतिशत से 9 प्रतिशत के बीच है।

³ एनटीपीसी फरवरी द्वारा नवंबर 2016 से मार्च 2019 तक की अवधि के लिए 44.20 करोड़ रुपये और वर्ष 2020-21 और 2021-22 के लिए 38.91 करोड़ रुपये और एनटीपीसी कहलगांव द्वारा वर्ष 2017-21 के लिए 175.61 करोड़ रुपये।

ग. प्रकटीकरण पर टिप्पणी

ग.1 बैलेंस शीट

देयताएं

प्रावधान

स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन (नोट-21): रु. 56476.01 करोड़

इंड एएस-01 के अनुसार, किसी इकाई को ऐसी जानकारी प्रदान करनी होती है जो वित्तीय विवरणों में कहीं और प्रस्तुत नहीं की जाती है लेकिन उनमें से किसी समझ के लिए प्रासंगिक है। इसके आगे यह कहा गया है कि जब कोई इकाई इंड एएस की आवश्यकता से हटती है तो उसे यह प्रकट करना होता है कि उसने लागू इंड एएस का अनुपालन किया है, सिवाय इसके कि वह एक सत्य तथा निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए एक विशेष आवश्यकता से हट गई है।

इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएमएआई) ने 2017 में, उचित सटीकता के साथ ओवरबर्डन रिमूवल कॉस्ट (ओबीआर) को निर्धारित करने और आवंटित करने के सिद्धांतों, तरीकों में एकरूपता, स्थिरता लाने के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 23 (सीएएस-23) जारी किया। सीएएस-23 ओबीआर मूल्यांकन के विभिन्न प्रमुख घटकों को परिभाषित करते समय एडवांस स्ट्रिपिंग के लिए कार्यप्रणाली को भी परिभाषित करता है।

साथ ही, इंड एएस 16 में कहा गया है कि स्ट्रिपिंग गतिविधि को परिसंपत्ति के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए और अपेक्षित उपयोगी जीवन पर व्यवस्थित आधार पर मूल्यहास या परिशोधन किया जाना चाहिए।

स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन से संबंधित कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) और उसकी सहायक कंपनियों की लेखा नीति यह निर्धारित करती है कि दस लाख टन प्रति वर्ष और उससे अधिक की रेटेड क्षमता वाली खदानों में, स्ट्रिपिंग की लागत प्रत्येक खदान पर तकनीकी रूप से मूल्यांकित औसत स्ट्रिपिंग अनुपात (ओबी: कोयला) पर ली जाती है, जिसमें खदानों को राजस्व में लाने के बाद स्ट्रिपिंग गतिविधि परिसंपत्तियों और अनुपात भिन्नता खाते के लिए उचित समायोजन होता है। बैलेंस शीट की तिथि में स्ट्रिपिंग गतिविधि परिसंपत्ति के शेष और अनुपात भिन्नता के शुद्ध को गैर-वर्तमान प्रावधान/अन्य गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों, जैसा भी मामला हो, के तहत स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन के रूप में दिखाया गया है।

सीआईएल और उसकी सहायक कंपनियों द्वारा अपनाई गई ओबीआर पर उपरोक्त नीति इंड एएस 16 (परिशिष्ट ख) के प्रावधानों के अनुपालन में नहीं है। इसके अलावा, सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल) की परियोजनाओं ने एडवांस स्ट्रिपिंग की गणना करते समय विभिन्न तरीकों को अपनाया, जो सीएएस-23 के प्रावधानों का गैर-अनुपालन है।

सीआईएल ने इंड एएस-16 के साथ-साथ सीएएस-23 के प्रावधानों के संदर्भ में उपरोक्त लेखांकन नीति की कभी समीक्षा नहीं की थी। इसके अलावा, ओबीआर मूल्यांकन की वर्तमान प्रणाली को जारी रखने का स्पष्टीकरण सीएएस-23 और इंड एएस 16 के प्रावधानों का विचलन है और उन खातों में इसका खुलासा नहीं किया गया है जो इंड एएस-01 का गैर-अनुपालन है।

कृते एवं भारत के नियंत्रक
एवं महालेखापरीक्षक की ओर से



(अनुल प्रकाश)
प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (कोल)
कोलकाता

स्थान: कोलकाता

दिनांक: 07 जुलाई 2023

अनुलग्नक-1

सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यम कंपनियों का नाम जिनके लिए लेखापरीक्षा आयोजित की गई
सहायक कंपनियाँ
नॉर्दर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड (एनसीएल)
महानदी कोलफिल्ड्स लिमिटेड (एमसीएल)
ईस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड (ईसीएल)
भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल)
सेंट्रल कोलफिल्ड्स लिमिटेड (सीसीएल)
सेंट्रल माइन प्लारिंग एंड डिज़ाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड (सीएमपीडीआईएल)
साउथ ईस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल)
वेस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड (डब्ल्यूसीएल)
संयुक्त उद्यम कंपनियाँ
हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड (एचयूआरएल)
तालचेर फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (टीएफएल)

अनुलग्नक-2

सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यम कंपनियों का नाम जिनके लिए लेखापरीक्षा नहीं की गई
सहायक कंपनियाँ
सीआईएल नवकरणीय ऊर्जा (प्रा.) लिमिटेड
सीआईएल सोलर पीवी लिमिटेड
संयुक्त उद्यम कंपनियाँ
कोल लिग्राइट ऊर्जा विकास प्राइवेट लिमिटेड (सीएलयूवीएल)
सीआईएल एनटीपीसी ऊर्जा प्राइवेट लिमिटेड
इंटरनेशनल कोल वैंचर्स प्राइवेट लिमिटेड (आईसीवीएल)

उप निदेशक (कोल)

वित्त वर्ष 2022-23 के अनुपूरक लेखापरीक्षा में समेकित वित्तीय विवरणों पर नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षा की टिप्पणियों पर प्रबंधन का जवाब

क्र. सं.	नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का अवलोकन	प्रबंधन का जवाब
1.	<p>वित्तीय स्थिति पर टिप्पणी क.1 बैलेंस शीट परिसंपत्तियाँ चालू संपत्ति व्यापार प्राप्त (नोट-13): रु. 13060.48 करोड़</p> <p>उपरोक्त मद में सितंबर 2017 (एनसीएल और ईसीएल में) फरवरी 2018 (एमसीएल में) से 02 अगस्त 2020 तक की अवधि के लिए ईस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड (ईसीएल), नॉर्डर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड (एनसीएल), और महानदी कोलफिल्ड्स लिमिटेड (एमसीएल) द्वारा एनटीपीसी से 0-3 किमी की लीड दूरी पर कोयले की आपूर्ति के लिए भूतल परिवहन शुल्क (एसटीसी) से प्राप्त धनराशि रु. 416.38 करोड़ सम्मिलित है।</p> <p>सितंबर 2017 / फरवरी 2018 से पूर्व, एनटीपीसी के साथ समझौते में 3 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर स्थित एनटीपीसी संबंधितों को कोयले की आपूर्ति के लिए एसटीसी चार्ज करने की अनुमति दी गई थी। हालाँकि, ईसीएल और एनसीएल ने सितंबर 2017 से 0-3 किलोमीटर के लिए और एमसीएल ने फरवरी 2018 से एकतरफा एसटीसी लगाना शुरू कर दिया।</p> <p>इन तीन सहायक कंपनियों द्वारा एनटीपीसी के साथ 0-3 किमी की दूरी के लिए एसटीसी चार्ज करने का एक समझौता अगस्त 2020 में ही किया गया था, जिसमें कहा गया है कि संशोधन हस्ताक्षर की तारीख यानी अगस्त 2020 से लागू होगा। एनटीपीसी ने अगस्त 2020 से पहले की अवधि से संबंधित 0-3 किलोमीटर के दावे को स्वीकार करने से इनकार कर दिया।</p> <p>सितंबर 2017/फरवरी 2018 और 2 अगस्त 2020 के बीच की अवधि के लिए 0-3 किलोमीटर के लिए एसटीसी चार्ज करने के लिए किसी समझौते के अभाव में, रु. 416.38 करोड़ की वसूली की संभावना बहुत कम है और उपयुक्त प्रावधान बनाया जाना चाहिए था। इस प्रकार, प्रावधानों का निर्माण न करने के परिणामस्वरूप अधिक व्यापार प्राप्तियों (निकृष्ट तथा संबंधित क्रांतियों के लिए भर्ते का शुद्ध) का विवरण और उस सीमा तक वर्ष के लिए आधिक्य लाभ का विवरण हुआ है।</p> <p>वर्ष 2021-22 के लिए समेकित वित्तीय विवरणों में इस मुद्दे पर टिप्पणी की गई है, जिसमें एमसीएल को छोड़कर साउथ ईस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल) द्वारा रु. 63.33 करोड़ की प्राप्त राशि शामिल है क्योंकि एमसीएल ने वर्ष 2020-21 में पहले ही एक लेखा प्रावधान बना लिया था। हालाँकि 2022-23 में, जब एमसीएल ने प्रावधान की राशि को परिवर्तित कर दिया, एसईसीएल ने प्रावधान के रूप में एसटीसी के लिए संपूर्ण प्राप्त राशि लेखांकित की, जिससे सीआईएल सहायक कंपनियों द्वारा अपनाई जाने वाली विविध लेखांकन प्रथाओं का प्रकटीकरण हुआ। इसके अलावा, वर्ष 2020-21 और 2021-22 के वित्तीय विवरणों पर बार-बार टिप्पणियों के बावजूद ईसीएल और एनसीएल के प्रबंधन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है।</p> <p>क. लाभप्रदता पर टिप्पणी</p> <p>ख.1 लाभ एवं हानि व्यवहार का विवरण - व्यय</p> <p>प्रावधान (नोट-33) रु. 374.93 करोड़</p> <p>इसमें राजमहल क्षेत्र के संबंध में मेसर्स एनटीपीसी द्वारा दायर रिफंड दावे के लिए किया गया 214.52 करोड़ का प्रावधान शामिल नहीं है। यह दावा कोयले में अतिरिक्त सतह नमी की मात्रा के कारण दायर किया गया था जो वर्ष 2016-17 से 2021-22 के लिए ईंधन आपूर्ति समझौते के निर्धारित मानदंडों से परे है। कुल दावा राशि रु. 258.72 करोड़ के मुकाबले लेखा में केवल रु. 44.20 करोड़ का प्रावधान किया गया।</p> <p>‘प्रावधान, आकस्मिक देनदारियाँ तथा आकस्मिक संपत्ति’ पर इंड एप्स-37 के पैरा 14 का संदर्भ लिया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि किसी प्रावधान को तब मान्यता दी जाएगी जब किसी इकाई पर पिछली घटना के परिणामस्वरूप वर्तमान दायित्व (कानूनी या रचनात्मक) हो; यह संभव है कि दायित्व को निपटाने के लिए आर्थिक लाभ से जुड़े संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी: और दायित्व की राशि का एक विशेषतायी अनुमान लगाया जा सकता है।</p> <p>सतही नमी के संबंध में एनटीपीसी के रिफंड दावों के कम प्रावधान के परिणामस्वरूप प्रावधान को कम बताया गया और वर्ष के लिए रु. 214.52 करोड़ रुपये का लाभ आधिक्य बताया गया है।</p>	<p>0-3 किलोमीटर की दूरी पर कोयले की आपूर्ति के लिए भूतल परिवहन शुल्क (एसटीसी) के कारण सितंबर 2017 से 02 अगस्त 2020 की अवधि के लिए एनटीपीसी से प्राप्तियों का मामला एमआरसीडी (सार्वजनिक उद्यम विभाग के तहत तंत्र) में निर्णय हेतु लंबित है। जिसमें प्रबंधन को अनुकूल परिणाम की उमीद है।</p> <p>इसके अलावा, इंड एप्स 109, वित्तीय साधन के अनुसार व्यापार प्राप्तियों के लिए सरलीकृत दृष्टिकोण का उपयोग करके अपेक्षित क्रेडिट हानि की मान्यता का पालन करता है। चूंकि मामला एमआरसीडी में निर्णय के लिए लंबित है और क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि का कोई संकेत नहीं है। इसलिए, कोई क्रेडिट हानि मान्य नहीं है।</p> <p>लेखापरीक्षा अवलोकन में यह निष्कर्ष शामिल है कि एनटीपीसी से वसूली की संभावना बहुत कम है। हालाँकि, यह पहले से ही ज्ञात है कि इस विषय पर एनटीपीसी और सीआईएल के बीच विवाद का निर्णय एमआरसीडी में लंबित है।</p> <p>अनुपूरक ऑडिट में अवलोकन की वैधता अनिश्चित है, ऐसा प्रतीत होता है कि यह एमआरसीडी द्वारा विचार किए जा रहे मामले की मौजूदा स्थिति, इंड एप्स 109 में उल्लिखित आवश्यकताओं की अनदेखी करता है। प्रबंधन का आकलन है कि इस मामले में अनुकूल समाधान संभव है।</p> <p>समूह इंड एप्स 109 के अनुसार व्यापार प्राप्तियों के लिए उपर्युक्त सरलीकृत दृष्टिकोण का अनुपालन करता है। समूह की किसी भी कंपनी के भीतर इस संबंध में देखी गई व्यविध प्रथाओं की भविष्य में एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए गहन समीक्षा की जाएगी।</p> <p>सीएसआईआर-एनएमएल जमशेतपुर, आईआईटी-बीएचयू और सीएमपीडीआईएल के अध्ययनों के साथ राजमहल और सीमी की भूवैज्ञानिक रिपोर्ट और मानचित्रण एक जलीय प्रणाली की उपस्थिति की पुष्टि करता है, जिससे टीएम% में अपरिहार्य वृद्धि होती है।</p> <p>भूर्भीय और मौसम संबंधी स्थितियों के कारण, राजमहल कोयला ब्लॉक के लिए मौजूदा एफएसए में निर्दिष्ट वर्तमान सतह नमी सीमा को प्राप्त करना चुनौतीपूर्ण है। खान व्यवहार्यता और सीमी विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए, राजमहल परियोजना के लिए एफएसए में सतही नमी सीमा को बढ़ाने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।</p> <p>एनटीपीसी फरक्का द्वारा सतही नमी की अधिकता के लिए रु. 44.20 करोड़ का बकाया स्वीकार किया गया है, जबकि</p>
2.	<p>क. लाभप्रदता पर टिप्पणी</p> <p>ख.1 लाभ एवं हानि व्यवहार का विवरण - व्यय</p> <p>प्रावधान (नोट-33) रु. 374.93 करोड़</p>	<p>सीएसआईआर-एनएमएल जमशेतपुर, आईआईटी-बीएचयू और सीएमपीडीआईएल के अध्ययनों के साथ राजमहल और सीमी की भूवैज्ञानिक रिपोर्ट और मानचित्रण एक जलीय प्रणाली की उपस्थिति की पुष्टि करता है, जिससे टीएम% में अपरिहार्य वृद्धि होती है।</p> <p>भूर्भीय और मौसम संबंधी स्थितियों के कारण, राजमहल कोयला ब्लॉक के लिए मौजूदा एफएसए में निर्दिष्ट वर्तमान सतह नमी सीमा को प्राप्त करना चुनौतीपूर्ण है। खान व्यवहार्यता और सीमी विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए, राजमहल परियोजना के लिए एफएसए में सतही नमी सीमा को बढ़ाने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।</p> <p>एनटीपीसी फरक्का द्वारा सतही नमी की अधिकता के लिए रु. 44.20 करोड़ का बकाया स्वीकार किया गया है, जबकि</p>

क्र. सं.	नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का अवलोकन	प्रबंधन का जवाब
		<p>एनटीपीसी फरक्का द्वारा रु. 38.91 करोड़ और एनटीपीसी कहलगांव द्वारा रु. 175.61 करोड़ का दावा किया गया है।</p> <p>इस संबंध में जैसा कि ऊपर बताया गया है, अपेक्षित बहिर्वाह के संबंध में आवश्यक प्रावधान किया गया है। एफएसए के संशोधन के लंबित रहने तक, इस स्तर पर किसी और प्रावधान की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इस संबंध में वर्तमान अनुमान के अनुसार संसाधन बहिर्वाह की संभावना बहुत कम है।</p>
3.	<p>प्रकटीकरण पर टिप्पणी</p> <p>ग.1 बैलेंस शीट देयताएं प्रावधान स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन (नोट-21): रु. 56476.01 करोड़</p> <p>इंड एस-01 के अनुसार, किसी इकाई को ऐसी जानकारी प्रदान करनी होती है जो वित्तीय विवरणों में कहीं और प्रस्तुत नहीं की जाती है लेकिन उनमें से किसी समझ के लिए प्रासंगिक है। इसके आगे यह कहा गया है कि जब कोई इकाई इंड एस की आवश्यकता से हटती है तो उसे यह प्रकटीकरण करना होता है कि उसने लागू इंड एस का अनुपालन किया है, सिवाय इसके कि वह एक सत्य तथा निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए एक विशेष आवश्यकता से हट गई है।</p> <p>इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएमएआई) ने 2017 में, उचित सटीकता के साथ ओवरबर्डन रिमूवल कॉस्ट (ओबीआर) को निर्धारित करने और आवंटित करने के सिद्धांतों, तरीकों में एकरूपता, स्थिरता लाने के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 23 (सीएस-23) जारी किया। सीएस-23 ओबीआर मूल्यांकन के विभिन्न प्रमुख घटकों को परिभाषित करते समय एडवांस स्ट्रिपिंग के लिए कार्यप्रणाली को भी परिभाषित करता है।</p> <p>साथ ही, इंडस्ट्रीज़ एस 16 में कहा गया है कि स्ट्रिपिंग गतिविधि को परिसंपत्ति के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए और अपेक्षित उपयोगी जीवन पर व्यवस्थित आधार पर मूल्यहास या परिशोधन किया जाना चाहिए।</p> <p>स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन से संबंधित कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) और उसकी सहायक कंपनियों की लेखा नीति यह निर्धारित करती है कि दस लाख टन प्रति वर्ष और उससे अधिक की रेटेड क्षमता वाली खदानों में, स्ट्रिपिंग की लागत प्रत्येक खदान पर तकनीकी रूप से मूल्यांकित औसत स्ट्रिपिंग अनुपात (ओबी: कोयला) पर ली जाती है, जिसमें खदानों को राजस्व में लाने के बाद स्ट्रिपिंग गतिविधि परिसंपत्तियों और अनुपात भिन्नता खाते के लिए उचित समायोजन होता है। बैलेंस शीट की तिथि में स्ट्रिपिंग गतिविधि परिसंपत्ति के शेष और अनुपात भिन्नता के शुद्ध को गैर-वर्तमान प्रावधान/अन्य गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों, जैसा भी मामला हो, के तहत स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन के रूप में दिखाया गया है।</p> <p>सीआईएल और उसकी सहायक कंपनियों द्वारा अपनाई गई ओबीआर पर उपरोक्त नीति इंड एस 16 (परिशिष्ट ख) के प्रावधानों के अनुपालन में नहीं है। इसके अलावा, सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल) की परियोजनाओं ने एडवांस स्ट्रिपिंग की गणना करते समय विभिन्न तरीकों को अपनाया, जो सीएस-23 के प्रावधानों का गैर-अनुपालन है।</p> <p>सीआईएल ने इंड एस-16 के साथ-साथ सीएस-23 के प्रावधानों के संदर्भ में उपरोक्त लेखांकन नीति की कभी समीक्षा नहीं की थी। इसके अलावा, ओबीआर मूल्यांकन की वर्तमान प्रणाली को जारी रखने का स्पष्टीकरण सीएस-23 और इंड एस 16 के प्रावधानों का विचलन है और उन खातों में इसका खुलासा नहीं किया गया है जो इंड एस-01 का गैर-अनुपालन है।</p>	

अनुलग्नक 4(क)

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट जिसमें कंपनी अधिनियम, 2013 (“अधिनियम”) की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट शामिल है।

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

कोल इंडिया लिमिटेड के सदस्यों के लिए

समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

राय

हमने कोल इंडिया लिमिटेड (इसके बाद ‘होल्डिंग कंपनी’ के रूप में संदर्भित), और इसकी सहायक कंपनियों (होल्डिंग कंपनी और इसकी सहायक कंपनियों को एक साथ “समूह” के रूप में जाना जाता है) और संयुक्त में इसके लाभ के हिस्से के साथ जुड़े समेकित वित्तीय विवरणों का लेखापरीक्षा किया है, जिसमें 31 मार्च, 2023 तक समेकित बैलेंस शीट, लाभ और हानि का समेकित विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), इक्विटी में परिवर्तन का समेकित विवरण और वर्ष के लिए समेकित नकदी प्रवाह विवरण शामिल है। समेकित वित्तीय विवरण, जिसमें उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और अन्य व्याख्यातामक नोट्स का सारांश शामिल है (इसके बाद इसे “समेकित वित्तीय विवरण” के रूप में संदर्भित किया गया है)।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार और अलग-अलग वित्तीय विवरणों और सहायक कंपनियों की अन्य वित्तीय जानकारी पर अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों पर विचार करने के आधार पर, उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 (“अधिनियम”) द्वारा अपेक्षित तरीके से आवश्यक जानकारी देते हैं और भारतीय लेखा मानकों के अनुरूप एक सच्चा और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं। अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्धारित मानकों, जिसे कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के साथ पढ़ा जाता है, जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया गया है (“इंड एएस”) और अन्य लेखा सिद्धांतों को भारत में आम तौर पर स्वीकार किया जाता है, 31 मार्च, 2023 को समेकित लाभ, इक्विटी में समेकित परिवर्तन और वर्ष के लिए इसके समेकित नकदी प्रवाह सहित समूह के मामलों की समेकित स्थिति की स्थिति।

राय का आधार

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के तहत निर्दिष्ट लेखापरीक्षा (एसए) पर मानकों के अनुसार अपना लेखापरीक्षा किया। उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों को हमारी रिपोर्ट के समेकित वित्तीय विवरण अनुभाग के लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारियों में आगे वर्णित किया गया है। हम आईसीएआई द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार समूह और इसके संयुक्त उद्यमों से स्वतंत्र हैं और हमने कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य और अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा नीचे दिए गए मन्त्र विवरणों के संदर्भ में प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

मामले का महत्व

हम समेकित वित्तीय विवरणों से संबंधित निम्नलिखित मामलों पर ध्यान आकर्षित करते हैं:

- क. नोट संख्या 11(5), आउटपुट पर जीएसटी के विरुद्ध उपयोग के लिए उपलब्ध इनपुट सामग्री / सेवाओं पर भुगतान किए गए जीएसटी पर इनपुट टैक्स क्रेडिट को आगे बढ़ाने के संबंध में। कोयले पर जीएसटी देनदारी 5% है, जबकि इनपुट पर 18% कर लगाया जा रहा है और जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट 11,589.85 करोड़ रुपये की संचित राशि है और 31 मार्च, 2023 (31 मार्च, 2022: 8,899.75 करोड़ रुपये) तक बकाया है जो कि मोटे तौर पर इस तरह के विपरीत शुल्क संरचना से संबंधित है। इस संबंध में जारी अधिसूचना के अनुसार राशि वापसी योग्य नहीं है और इसलिए यह केवल आउटपुट पर शुल्क के खिलाफ उपयोग के लिए उपलब्ध है। परिणामी समायोजन और राशि का निर्धारण लंबित होने तक उसके प्रभाव पर हमारे द्वारा टिप्पणी नहीं की जा सकती है।
- ख. नोट संख्या 13(4), व्यापार प्राप्तियों के संबंध में जिसमें कुछ सहायक कंपनियों अर्थात् □ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ईसीएल), नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एनसीएल) और महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल) के संबंध में अगस्त 2020 से पहले की अवधि के लिए परिवहन शुल्क के रूप में 416.38 करोड़ रुपये शामिल हैं, जिसका अर्थ है कि 0-3 किलोमीटर की लीड रेंज के हिस्से के लिए कोयले की आपूर्ति के लिए एनटीपीसी का यह मामला विवादित और लंबित है। एएआरसीडी (लोक उद्यम विभाग के अधीन तंत्र) के समक्ष उनके निर्णय, उसके परिणाम और इस संबंध में परिणामी प्रभाव का वर्तमान में पता नहीं लगाया जा सकता है।
- ग. सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 की अनुसूची-2 के साथ पढ़े गए विनियम 17 में स्वतंत्र महिला निदेशक की अनिवार्य आवश्यकता से संबंधित है, जिसका होल्डिंग कंपनी द्वारा अनुपालन किया जाना अभी बाकी है।

इन मामलों से संबंधित हमारी राय में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

मुख्य लेखापरीक्षा मामले

मुख्य लेखापरीक्षा मामले वे मामले हैं, जो हमारे पेशेवर निर्णय में, वर्तमान वर्ष के समेकित वित्तीय विवरणों के हमारे लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को समग्र रूप से समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में संबोधित किया गया था, और उस पर अपनी राय बनाने में, हम इन मामलों पर एक अलग राय प्रदान नहीं करते हैं। भौतिकता सहित मअन्य लेखापरीक्षक के कार्य का उपयोगफल पर मानक लेखापरीक्षा (एसए 600) की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, नीचे प्रमुख लेखापरीक्षा मामलों को होल्डिंग कंपनी और सहायक कंपनियों के

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट से पुनः प्रस्तुत किया गया है जिनके वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की गई है। कंपनियों के मामलों में जहाँ उनके स्वतंत्र लेखापरीक्षकों ने अपनी स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में नीचे उल्लिखित प्रमुख लेखापरीक्षा मामले पैराग्राफ में से किसी को भी शामिल नहीं किया

है और नीचे दिए गए मामले के संबंध में अपनी राय के बोय नहीं हैं, यह माना गया है कि ऐसे पैराग्राफ के संबंध में सभी नीतियों और आवश्यक प्रक्रियाओं का पालन किया गया है और यह नीचे वर्णित हमारी मान्यताओं और निर्णयों के अनुरूप है। हमने अपनी रिपोर्ट में शामिल करने के लिए नीचे वर्णित मामलों को मुख्य लेखापरीक्षा मामलों के रूप में निर्धारित किया है।

मुख्य लेखापरीक्षा मामले	मुख्य लेखापरीक्षा मामले का संबोधन
व्यय / समायोजन गतिविधि को अलग करना: <p>खुली खदानों के मामले में, कोयले और उसके निष्कर्षण तक पहुंच प्राप्त करने के लिए खदान अपशिष्ट सामग्री ("ओवरबर्डन") जिसमें कोयला की तह के शीर्ष पर मिट्टी और चट्टान शामिल है, जिसे हटाना आवश्यक है इस अपशिष्ट को हटाने की प्रक्रिया को 'स्ट्रिपिंग' के रूप में जाना जाता है। खुली खदानों में, समूह को खदान के जीवनकाल में (तकनीकी रूप से अनुमान के अनुसार) इस तरह के खर्च उठाने पड़ते हैं।</p> <p>इसलिए, समूह द्वारा अपनाई गई नीति के अनुसार, एक मिलियन टन प्रति वर्ष और उससे अधिक की रेटेड क्षमता वाली खदानों के संबंध में, स्ट्रिपिंग की लागत प्रत्येक खदान पर तकनीकी रूप से मूल्यांकित औसत स्ट्रिपिंग अनुपात (ओबी: सीओएएल) पर ली जाती है, जिसमें खदानों को राजस्व में लाने के बाद स्ट्रिपिंग गतिविधि और अनुपात-विचरण खाते के लिए उचित समायोजन किया जाता है।</p> <p>बैलेंस शीट की तारीख पर स्ट्रिपिंग गतिविधि और अनुपात भिन्नता के कारण समायोजन की शेष राशि को गैर-वर्तमान प्रावधान / अन्य गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों, जैसा भी मामला हो, शीर्ष के तहत स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन के रूप में दिखाया गया है।</p> <p>उपर्युक्त के प्रयोजनार्थ, ओबीआर लेखांकन के अनुपात की गणना करते समय रिकॉर्ड के अनुसार अतिभार की सूचित मात्रा पर विचार किया जाता है, जहाँ सूचित मात्रा और मापी गई मात्रा के बीच का अंतर अनुमेय सीमाओं के भीतर होता है, तथापि, जहाँ भिन्नता अनुमेय सीमा से अधिक होती है, वहाँ मापी गई मात्रा पर विचार किया जाता है।</p> <p>हमने इसे एक मुख्य लेखापरीक्षा मामले के रूप में माना क्योंकि लेखा-खातों की तैयारी के लिए मान्यताओं, अनुमान, आदि पर विचार करने वाली ऐसी गतिविधि खनन संचालन के लिए अनोखी और महत्वपूर्ण है।</p> <p>भारतीय लेखा मानक 115 "ग्राहकों के साथ अनुबंध से प्राप्त राजस्व": <p>कोयला गुणवत्ता भिन्नताओं के लिए राजस्व मान्यता और समायोजन में महत्वपूर्ण अनुमान शामिल हैं।</p> <p>किसी विशेष अनुबंध में समूह द्वारा मान्यता प्राप्त राजस्व संबंधित ग्राहक के लिए ई-नीलामी में बिक्री समझौते / आवंटन पर निर्भर है।</p> <p>कोयले की बिक्री से प्राप्त राजस्व को कोयले के घोषित श्रेणी पर समेकित वित्तीय विवरणों में मान्यता दी जाती है। हस्तांतरित कोयले के श्रेणी बेमेल/फिसलन के कारण लेनदेन मूल्य में बाद में समायोजन किया जाता है। यदि अनुबंध के पक्षों के बीच अनुबंध की कीराय में भिन्नता को पारस्परिक रूप से तय नहीं किया जाता है, तो इसे तीसरे पक्ष के परीक्षण और ऐसे विवाद के निपटान तक राजस्व मान्यता के लिए आवश्यक समायोजन के लिए संदर्भित किया जाता है।</p> </p>	<p>हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाएँ, जिनके आधार पर हम स्ट्रिपिंग गतिविधियों के समायोजन की तर्कसंगतता के संबंध में निष्कर्ष पर पहुंचे, उनमें निम्नलिखित शामिल हैं:</p> <ul style="list-style-type: none"> स्ट्रिपिंग समायोजन के कामकाजी आंकड़े प्राप्त किए गए और उसकी जांच की गई जिसमें यह पाया गया कि इस वर्ष के दौरान किए गए कुल व्यय को कोयला उत्पादन और ओवरबर्डन के बीच आवंटित किया गया है। अनुपात की गणना में विचार किए जाने वाले खर्चों की सटीकता और पूर्णता के बारे में सुनिश्चित किया गया; जांच की गई कि अनुपात भिन्नता की गणना ओवरबर्डन के लिए आवंटित राशि और वर्ष के दौरान निकाली गई ओबी मात्रा के आधार पर सही ढंग से की गई है; स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन गणना पर विचार किए जाने वाले खर्चों की तर्कसंगतता के लिए विश्लेषणात्मक प्रक्रियाएँ और विवरण का परीक्षण किया गया; जांच की गई कि लागू लेखांकन नीति और स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन के लिए उपयोग किए गए प्रबंधन के निर्णय उपयुक्त हैं; रुद्धिवाद और स्थिरता के बुनियादी सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए अपनाए गए लेखांकन मानकों और प्रथाओं की आवश्यकता की समीक्षा की गई; और ओबीआर अनुपात की तुलना में विभिन्न मापदंडों के संबंध में, अपेक्षित खनन उत्पादन और रिजर्व तकनीकी प्रकृति के होने के कारण, हमारे द्वारा उसी पर निर्भरता रखी गई है। <p>निष्पादित प्रक्रियाओं के आधार पर, हमने स्ट्रिपिंग व्यय/समायोजन गतिविधि के संबंध में स्वयं को संतुष्ट कर लिया है।</p> <p>हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रियाएँ, जिनके आधार पर हम राजस्व मान्यता की तर्कसंगतता के बारे में निष्कर्ष पर पहुंचे, उनमें निम्नलिखित शामिल हैं:</p> <ul style="list-style-type: none"> समूह की राजस्व मान्यता और प्रक्रिया में अनुमानित समायोजन की उपयुक्तता के संबंध में भारतीय लेखा मानक 115 के प्रावधानों के आवेदन का आकलन किया गया; पारस्परिक रूप से सहराय गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला या रेफरी गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला से परीक्षण के परिणाम के आधार पर तैयार किए गए पिछले परिणामों की प्रवृत्ति प्राप्त और मूल्यांकन की गई; ग्रेड स्लिपेज प्रावधान की गणना और कार्यप्रणाली प्राप्त की गयी और उसका मूल्यांकन किया गया; समेकित वित्तीय विवरणों में अनुमान, मान्यता और प्रकटीकरण के लिए लगाए गयें नियंत्रणों का मूल्यांकन किया गया;

मुख्य लेखापरीक्षा मामले

राजस्व में इस प्रकार के समायोजन ऐतिहासिक प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए अनुमानित आधार पर किए जाते हैं।

राजस्व मान्यता एक महत्वपूर्ण मामला है जिसमें श्रेणी स्लिपेज के लिए सामग्री समायोजन की आवश्यकता होती है, जिसमें पिछले रुझान आदि के लिए निर्णय और अनुमान की आवश्यकता होती है, इसे एक प्रमुख लेखापरीक्षा मामला माना गया है।

कर्मचारियों के लिए निर्धारित लाभ दायित्व का मूल्यांकन:

परिभाषित लाभ योजनाओं के लिए लेखांकन बीमांकिक मान्यताओं पर आधारित है, जिसके लिए दायित्व को मापने, योजना परिसंपत्तियों का मूल्यांकन करने और संबंधित बीमांकिक लाभ या हानि की गणना करने की आवश्यकता होती है, भविष्य के सभी नकदी प्रवाह को दायित्व तक पहुंचने के लिए वर्तमान मूल्य पर छूट दी जाती है।

छूट दरों, मुद्रास्फीति दरों और वेतन में अपेक्षित वृद्धि, समय-समय पर किए गए पुरस्कार और संशोधन और मृत्यु दर सहित महत्वपूर्ण अनुमान समूह के परिभाषित लाभ दायित्वों का मूल्यांकन करने में किए जाते समूह उचित मान्यताओं का चयन करने और दायित्वों की गणना करने में सहायता के लिए बाहरी बीमांकिक विशेषज्ञों को नियुक्त करता है। परिभाषित लाभ दायित्वों के मूल्यांकन के लिए महत्वपूर्ण मान्यताओं के आधार पर उच्च स्तर के अनुमान की आवश्यकता होती है और इसलिए लेखा परीक्षा के दौरान इस संबंध में पर्याप्त ध्यान दिए जाने की आवश्यकता होती है।

मुख्य लेखापरीक्षा मामले का संबोधन

- नमूना आधार पर चयनित लेनदेन की जांच करना और अनुबंध की शर्तों के संबंध में ग्रेड ब्रेमेल/स्लिपेज से संबंधित विवादों से जुड़े अनुबंधों की पहचान के लिए परीक्षण करना, लेनदेन मूल्य में भिन्नता के कारण राजस्व में समायोजन की जाँच करते हुए प्रदर्शन दायित्व की संतुष्टि का मूल्यांकन करना;
- ग्राहकों के साथ समझौते की समीक्षा की और उसके नियमों और शर्तों पर विचार करते हुए चालान बनाए गए;
- हमने विचार के आकलन के आधार को स्थापित करने के लिए परीक्षण किए हैं और क्या ऐसे अनुमान समूह की लेखा नीति के अनुसार हैं;
- भारतीय लेखा मानक 115 के अनुसार प्रकटीकरण की पर्याप्तता की समीक्षा की गई;
- गुणवत्ता मापदंडों और मूल्यांकन के लिए तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती है और इसलिए इस संबंध में तकनीकी निष्कर्षों और रिपोर्टों पर भरोसा किया गया है।

हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाएँ, जिनके आधार पर हम कर्मचारियों के लिए परिभाषित लाभ दायित्व के मूल्यांकन की तर्कसंगतता के संबंध में निष्कर्ष पर पहुंचे हैं, उनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- लागू मार्गदर्शन नोट के अनुसार लागू प्रमुख मान्यताओं (छूट दर, मुद्रास्फीति दर, मृत्यु दर) का मूल्यांकन किया गया;
- बीमांकिक विशेषज्ञों की योग्यता, स्वतंत्रता और सत्यनिष्ठा का आकलन किया गया;
- बीमांकिक मान्यताओं की समीक्षा और अनुमोदन पर नियंत्रण, बाहरी बीमांक को प्रदान किए गए आंकड़े की पूर्णता और सटीकता, और विशेषज्ञ की गणना में उपयोग किए गए आंकड़े के मिलान का परीक्षण किया गया;
- परिभाषित लाभ योजना के कारण अर्जित होने वाली देनदारी के संबंध में प्रबंधन के साथ चर्चा की गई और यह समझने के लिए कि क्या मान्यताओं में कोई असंगतता है या नहीं;
- नोटों में भारतीय लेखा मानक 19 के अनुसार समूह के प्रकटीकरण की पर्याप्तता सत्यापित की गई है;
- स्वतंत्र बीमांकिक विशेषज्ञों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों पर भरोसा करते हुए, जिसमें विभिन्न बीमांकिक मान्यताओं को शामिल किया गया है और जिसमें छूट दर, मुद्रास्फीति दर, वेतन में वृद्धि और मृत्यु दर आदि शामिल हैं।

इसमें शामिल लेखापरीक्षा के आधार पर, हमने देखा कि मूल्यांकन के संबंध में प्रबंधन द्वारा बनाई गई धारणाएँ उपलब्ध साक्षों द्वारा समर्थित थीं।

मुख्य लेखापरीक्षा मामले	मुख्य लेखापरीक्षा मामले का संबोधन
प्रावधानों और आकस्मिक देनदारियों का मूल्यांकन: <p>कंपनी के खिलाफ विभिन्न मंचों के समक्ष प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर्त्ता, विभिन्न दावों आदि सहित कई मुकदमे लंबित हैं और प्रदान की जाने वाली राशि का अनुमान लगाने और/ या आकस्मिक देयता के रूप में प्रकट करने के लिए प्रबंधन के निर्णय की आवश्यकता होती है।</p> <p>हमने इसे एक महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा मामले के रूप में पहचाना है क्योंकि इनके संबंध में अनुमान और मूल्यांकन में प्रबंधन के निर्णय, व्याख्याओं की एक महत्वपूर्ण डिग्री शामिल है और इसलिए आवश्यक निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए पर्याप्त ध्यान देने की आवश्यकता हो सकती है।</p> <p>(समेकित वित्तीय विवरणों के लिए नोट संख्या 38 (1) (क) देखें, जिसे लेखा नीति संख्या 2.22 के साथ पढ़ा जाए)</p>	<p>हमारी लेखापरीक्षा, जिनके आधार पर हम आकस्मिक दायित्व के प्रकटीकरण और प्रावधानों की मान्यता के औचित्य के बारे में निष्कर्ष पर पहुंचे हैं, उनमें निम्नलिखित शामिल हैं:</p> <ul style="list-style-type: none"> हमने आकस्मिक देनदारियों के आकलन, मूल्यांकन और प्रकटीकरण के संबंध में कंपनी के आंतरिक निर्देशों और प्रक्रियाओं की समझ प्राप्त की है; लंबित मुकदमेबाजी मामलों के लिए सभी प्रासंगिक जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रबंधन द्वारा स्थापित नियंत्रणों के डिजाइन और परिचालन प्रभावशीलता को समझा और परीक्षण किया गया; किसी भी भौतिक विकास और कानूनी मामलों की नवीनतम स्थिति के बारे में प्रबंधन के साथ चर्चा की गयी है; इसमें शामिल मुकदमों से संबंधित विभिन्न पत्राचार और संबंधित दस्तावेजों को पढ़ें और प्रबंधन द्वारा प्राप्त प्रासंगिक बाहरी कानूनी राय और आकस्मिक देनदारियों के प्रकटीकरण का समर्थन करने वाले आकलन पर ठोस प्रक्रियाओं का प्रदर्शन किया गया है; प्रावधानों की आवश्यकता है या नहीं, इस संबंध में प्रबंधन के निर्णयों और आकलनों की जाँच की गयी है; उन मामलों में प्रबंधन ने आकलन की समीक्षा की जिन्हें आकस्मिक देयता के रूप में प्रदान नहीं किया गया है या प्रकट नहीं किया गया क्योंकि सामग्री बहिर्वाह की संभावना को दूरस्थ माना गया है; प्रकटीकरण की पर्याप्तता और पूर्णता की समीक्षा की गयी। निष्पादित उपर्युक्त प्रक्रियाओं के आधार पर, आकस्मिक देयताओं के लिए प्रावधान और प्रकटीकरण का अनुमान पर्याप्त और उचित माना गया है।
अन्वेषण और मूल्यांकित संपत्ति: <p>अन्वेषण और मूल्यांकित परिसंपत्तियों में पूंजीकृत लागत शामिल होती है जो कोयले और संबंधित संसाधनों की खोज, तकनीकी व्यवहार्यता और वाणिज्यिक व्यवहार्यता के निर्धारण/मूल्यांकन के लंबित होने के कारण होती है।</p> <p>इसका मूल्यांकन लागत पर किया जाता है और हानि परीक्षण करने के बाद हानि के नुकसान के लिए समायोजित किया जाता है।</p> <p>ऐसे व्यय की वसूली भविष्य के नकदी अंतर्वहाँ अर्थात् □ चालू परियोजना के विकास पर भी निर्भर करती है।</p> <p>भारतीय लेखा मानक 36 परिसंपत्तियों की क्षति की आवश्यकता के अनुसार, समय-समय पर हानि संकेतकों के लिए परिसंपत्तियों का परीक्षण किया जाना अपेक्षित है।</p> <p>हानि प्रावधान और अन्वेषण और मूल्यांकित परिसंपत्तियों के मूल्यांकन में चल रही परियोजनाओं की तकनीकी व्यवहार्यता और वाणिज्यिक व्यवहार्यता के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय शामिल हैं।</p> <p>यह खनन संचालन से संबंधित एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है इसलिए इसे हमारे लेखापरीक्षा के उद्देश्य से मुख्य लेखापरीक्षा मामले के रूप में माना जाता है।</p>	<p>हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाएँ, जिनके आधार पर हम अन्वेषण और मूल्यांकित परिसंपत्तियों की हानि की तर्कसंगतता के बारे में निष्कर्ष पर पहुंचे, उनमें निम्नलिखित शामिल हैं:</p> <ul style="list-style-type: none"> अन्वेषण और मूल्यांकित संपत्ति में पूंजीकृत व्यय की प्रकृति के बारे में प्रबंधन से जानकारी प्राप्त करना और समझना; उत्पादन और योजना विभाग (पी एंड पी) से चल रही परियोजना पर किए गए व्यय की आयु और चल रही परियोजनाओं की प्रगति रिपोर्ट प्राप्त करना; समेकित वित्तीय विवरणों में अन्वेषण और मूल्यांकन परिसंपत्तियों की मान्यता और प्रकटीकरण के लिए लगाए गए नियंत्रणों का मूल्यांकन करना; हानि संकेतकों की पहचान, हानि प्रभार की रिकॉर्डिंग और प्रकटीकरण और प्रत्यावर्तन के संबंध में नीतियों, प्रक्रियाओं और कार्यप्रणाली को ग्रहण किया गया और पढ़ा भी गया है। चयनित नियंत्रणों के लिए हमने नियंत्रणों का परीक्षण किया हैं; खोजपूर्ण परिसंपत्तियों के मूल्य और व्यवहार्यता को प्रभावित करने वाले आंतरिक और बाहरी कारकों का विश्लेषण किया और मूल्यांकन किया कि क्या भारतीय लेखा मानक 36 के अनुरूप हानि के कोई संकेतक हैं या नहीं;

मुख्य लेखापरीक्षा मामले

मुख्य लेखापरीक्षा मामले का संबोधन

- भंडार और संसाधनों और अपनाई गई नीतियों और प्रक्रियाओं के आकलन की समीक्षा की गयी और इस संबंध में बाहरी विशेषज्ञों और आंतरिक और बाहरी तीसरे पक्ष के निष्कर्षों सहित प्रबंधन के भंडार द्वारा प्रदान की गई रिपोर्टों को पढ़ा गया+;
- प्रबंधन के अनुमोदित भंडार और संसाधनों के अनुमानों के साथ हानि परीक्षण के लिए उपयोग किए जाने वाले उत्पादन पूर्वानुमानों की तुलना की गई;
- रिलायंस को अन्वेषणात्मक परिसंपत्तियों की तकनीकी व्यवहार्यता के तकनीकी मूल्यांकन, मापदंडों और प्रबंधन के आकलन और पूरा होने पर संभावित आर्थिक मूल्य के अनुमान पर रखा गया है।

हमारी प्रक्रियाओं ने किसी भी भौतिक अपवाद की पहचान नहीं की है।

समेकित वित्तीय विवरणों और उस पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी

होल्डिंग कंपनी के निदेशक मंडल अन्य जानकारी की तैयारी के लिए जिम्मेदार है। अन्य जानकारी में वार्षिक रिपोर्ट में शामिल जानकारी शामिल है, लेकिन इसमें समेकित वित्तीय विवरण, स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण और उस पर हमारे लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट शामिल नहीं है। जैसा कि ऊपर बताया गया है, अन्य जानकारी इस लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की तारीख के बाद हमें उपलब्ध कराए जाने की उम्मीद है।

समेकित वित्तीय विवरण पर हमारी राय अन्य जानकारी को कवर नहीं करती है और हम उस पर किसी भी प्रकार का आश्वासन निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी इसे पढ़ना है ऊपर पहचानी गई अन्य जानकारी उपलब्ध होने पर, अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरणों या प्रबंधन द्वारा विधिवत प्रमाणित गैर-लेखापरीक्षित सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यम के वित्तीय विवरणों के साथ तुलना करें, जिस हद तक यह इन संस्थाओं से संबंधित है और ऐसा करने में, अन्य लेखापरीक्षकों / प्रबंधन प्रमाणन के काम पर भरोसा करें और विचार करें कि क्या अन्य जानकारी समेकित वित्तीय विवरणों या हमारे ज्ञान के साथ भौतिक रूप से असंगत है। हमारे लेखापरीक्षा के दौरान प्राप्त या अन्यथा भौतिक रूप से गलत बताया गया प्रतीत होता है। अन्य जानकारी जहाँ तक यह सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों से संबंधित है, अन्य लेखा परीक्षकों या प्रमाणित प्रबंधन द्वारा लेखापरीक्षा किए गए उनके वित्तीय विवरणों से पता लगाया जाता है।

जब हम ऊपर बताई गई अन्य जानकारी को पढ़ते हैं और यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि उसमें कोई गलत बयानी है, तो हमें इस मामले को उन लोगों को सूचित करने की आवश्यकता होती है जो शासन के प्रभारी हैं और लागू कानूनों और विनियमों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई का वर्णन करते हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन और शासन के प्रभारियों की जिम्मेदारियाँ

होल्डिंग कंपनी का निदेशक मंडल कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की आवश्यकताओं के संदर्भ में इन समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (5) में बताए गए मामलों के लिए जिम्मेदार है जो लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार अपने संयुक्त उद्यमों सहित समूह की समेकित वित्तीय स्थिति, समेकित वित्तीय प्रदर्शन और समेकित नकदी प्रवाह का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं। अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट गणना मानकों सहित भारत में आम तौर पर स्वीकार किया जाता है। समूह और इसके संयुक्त उद्यमों में शामिल कंपनियों के संबंधित निदेशक मंडल समूह और संयुक्त उद्यमों की परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा रिकॉर्ड के रखरखाव और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और पता लगाने के लिए जिम्मेदार हैं; उपयुक्त लेखा नीतियों का चयन और अनुप्रयोग; निर्णय और अनुमान लगाना जो उचित और विवेकपूर्ण हैं; और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव, जो लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक थे, जो एक सच्चा और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं और गलत बयानी से मुक्त हैं, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण, जिसका उपयोग होल्डिंग निदेशकों द्वारा समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने के उद्देश्य से किया गया है, जैसा कि पूर्वोक्त है।

समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए समूह में शामिल कंपनियों और इसके संयुक्त उद्यमों के संबंधित निदेशक मंडल संबंधित संस्थाओं की क्षमता का आकलन करने, जारी रखने की क्षमता का आकलन करने, जारी रखने से संबंधित मामलों का खुलासा करने और लेखांकन के चल रहे विचार के आधार का उपयोग करने के लिए जिम्मेदार हैं जब तक कि प्रबंधन या तो अपनी संबंधित संस्थाओं को समाप्त करने या परिचालन बंद करने का इरादा नहीं रखता है या ऐसा करने के अलावा कोई व्यार्थवादी विकल्प मौजूद न हो।

समूह और इसके संयुक्त उद्यमों में शामिल कंपनियों के संबंधित निदेशक मंडल, समूह और इसके संयुक्त उद्यमों की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी जिम्मेदार हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारियाँ

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि समग्र रूप से समेकित वित्तीय विवरण गलतबयानी से मुक्त हैं, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, और एक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट जारी करना है जिसमें हमारी राय शामिल है। उचित आश्वासन एक उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह कोई गारंटी नहीं है कि एसएएस के अनुसार आयोजित लेखापरीक्षा हमेशा होने वाले एक गलतबयानी का पता लगाएगा। गलतबयानी, धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती है और उन्हें महत्वपूर्ण माना जाता है यदि, व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से, उनसे इन समेकित वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की उम्मीद की जा सकती है।

एसए के अनुसार एक लेखापरीक्षा के हिस्से के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरे लेखापरीक्षा के दौरान पेशेवर संदेह बनाए रखते हैं :

- समेकित वित्तीय विवरणों के भौतिक गलत अनुमान के जोखिमों की पहचान करें और उनका आकलन करें, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, उन जोखिमों के प्रति उत्तरदायी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन और निष्पादित करके लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करें जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करें जो हमारे लिए पर्याप्त और उपयुक्त हो।

परिणामस्वरूप किसी महत्वपूर्ण गलतबयानी का पता न चल पाने का जोखिम धोखाधड़ी से होने वाली हानि त्रुटि से उत्पन्न होने वाले से अधिक है, जैसे धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलतबयानी, या आंतरिक नियंत्रण का अतिक्रमण शामिल हो सकती है।

- परिस्थितियों में उपयुक्त लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की समझ प्राप्त करें। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (3) (i) के तहत, हम इस बात पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या होलिंडग कंपनी, इसकी सहायक कंपनियों और भारत में निर्गमित संयुक्त उद्यमों के पास समेकित वित्तीय विवरणों और ऐसे नियंत्रणों की प्रभावशीलता से परिचालन के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण हैं।
- उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित खुलासों की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करें।
- लेखांकन के चल रहे विचारों के आधार पर प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालें और, प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य के आधार पर, क्या घटनाओं या स्थितियों से संबंधित समग्रियों की एक अनिश्चितता मौजूद है जो समूह और उसके संयुक्त उद्यमों की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह पैदा कर सकती है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपने लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में समेकित वित्तीय विवरणों में संबंधित

खुलासों पर ध्यान आकर्षित करना होगा या, यदि ऐसे खुलासे अपर्याप्त हैं, तो अपनी राय को संशोधित करना होगा। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं। हालाँकि, भविष्य की घटनाओं या स्थितियों के कारण समूह और उसके संयुक्त उद्यम एक चालू संस्था के रूप में जारी रहना बंद कर सकते हैं।

- प्रकटीकरणों सहित समेकित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करें, और क्या समेकित वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं का इस तरह से प्रतिनिधित्व करते हैं जिससे निष्कर्ष प्रस्तुति प्राप्त हो सके।
- समेकित वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए समूह और उसके संयुक्त उद्यमों के भीतर संस्थाओं या व्यावसायिक गतिविधियों की वित्तीय जानकारी के संबंध में पर्याप्त उचित लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करें। हम समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल होलिंडग कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लेखापरीक्षा के निर्देशन, पर्यवेक्षण और प्रदर्शन के लिए जिम्मेदार हैं, जिसके हम स्वतंत्र लेखा परीक्षक हैं। समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल अन्य संस्थाओं के लिए, जिनका लेखापरीक्षा अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा किया गया है, ऐसे अन्य लेखा परीक्षक उनके द्वारा किए गए लेखापरीक्षा के निर्देशन, पर्यवेक्षण और प्रदर्शन के लिए जिम्मेदार रहते हैं।

मेट्रेलिटी समेकित वित्तीय विवरणों में गलत बयानों की भयावहता है, जो व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से, यह संभावित बनाती है कि समेकित वित्तीय विवरणों के एक उचित जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम अपने लेखापरीक्षा कार्य के दायरे की (i) योजना बनाने और अपने कार्य के परिणामों का मूल्यांकन करने में मात्रात्मक मेट्रेलिटी और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं; और (ii) समेकित वित्तीय विवरणों में पहचाने गए किसी भी गलत विवरण के प्रभाव का मूल्यांकन करते हैं।

हम अन्य मामलों के अलावा, लेखापरीक्षा के नियोजित दायरे और समय और महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों के संबंध में, आंतरिक नियंत्रण में किसी भी महत्वपूर्ण कमियों सहित, जिन्हें हम अपने लेखापरीक्षा के दौरान पहचानते हैं, उस संबंध में शासन के प्रभारी लोगों के साथ संवाद करते हैं।

हम उन लोगों को भी एक बयान प्रदान करते हैं जो शासन के प्रभारी हैं कि हमने स्वतंत्रता के बारे में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, और उनके साथ उन सभी रिश्तों और अन्य मामलों को संवाद करने के लिए जो यथोचित रूप से हमारी स्वतंत्रता पर सहन करने के लिए सोचा जा सकता है, और जहां संबंधित सुरक्षा उपाय लागू हो।

होलिंडग कंपनी के शासन के प्रभारियों के साथ सूचित मामलों से, हम उन मामलों को निर्धारित करते हैं जो वर्तमान अवधि के समेकित वित्तीय विवरणों के लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे। हम अपने लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में इन मामलों का वर्णन करते हैं जब तक कि कानून या विनियमन मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण को रोकता है या जब, अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में हम यह निर्धारित करते हैं कि किसी मामले को हमारी रिपोर्ट में सूचित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के प्रतिकूल परिणामों से यथोचित रूप से इस तरह के संचार के सार्वजनिक हित लाभों से अधिक होने की उम्मीद की जाएगी।

अन्य मामले

- भारतीय लेखा मानक समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए समूह और इसके संयुक्त उद्यमों की तुलनात्मक वित्तीय जानकारी, 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर आधारित है, जो पूर्ववर्ती लेखा परीक्षक, मैसर्स रे और चार्टर्ड एकाउंटेंट्स की एक स्वतंत्र फर्म रे एंड रे द्वारा लेखापरीक्षा किए गए हैं, जिनकी रिपोर्ट 31 मार्च को समाप्त वर्ष के लिए है जो कि दिनांक 15 जुलाई, 2022 के परिपत्र में उन समेकित वित्तीय विवरणों पर अपरिवर्तित राय व्यक्त की गई है। इन समेकित वित्तीय विवरणों और हमारे द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के प्रयोजनार्थ उक्त समेकित वित्तीय विवरणों और उन पर जारी की गई रिपोर्ट पर हमारे द्वारा रिलायंस को स्थान दिया गया है।
- हमने 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल आठ सहायक कंपनियों (स्टेप डाउन सहायक कंपनियों सहित) के वित्तीय विवरणों/वित्तीय जानकारी का लेखापरीक्षा नहीं किया, जिनके वित्तीय विवरण 2,00,027.02 करोड़ रुपये की कुल संपत्ति और 31 मार्च, 2023 तक 52,048.00 करोड़ रुपये की कुल शुद्ध संपत्ति, 1,44,994.01 करोड़ रुपये के कुल राजस्व को दर्शाते हैं समेकित वित्तीय विवरणों में विचार के अनुसार उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कर के बाद कुल शुद्ध लाभ/(हानि) 27,596.65 करोड़ रुपये, कुल व्यापक आय 27,986.53 करोड़ रुपये और (307.90) करोड़ रुपये का शुद्ध नकदी प्रवाह/(बहिर्वाह) है। इन वित्तीय विवरणों और अन्य वित्तीय जानकारी को अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षा किया गया है, जिनकी रिपोर्ट प्रबंधन द्वारा हमें प्रस्तुत की गई है और हमारी राय पूरी तरह से अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है।
- समेकित वित्तीय विवरणों में 31 मार्च, 2023 तक 0.61 करोड़ रुपये की कुल परिसंपत्तियाँ और (53.59) करोड़ रुपये की कुल शुद्ध संपत्ति, शून्य करोड़ रुपये का कुल राजस्व, कर के बाद कुल शुद्ध लाभ/(हानि) (0.17) करोड़ रुपये, कुल व्यापक आय (0.03) करोड़ रुपये और 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए 0.03 करोड़ रुपये का शुद्ध नकदी प्रवाह/(बहिर्वाह) शामिल है, जिनके वित्तीय विवरणों का हमारे द्वारा लेखापरीक्षा नहीं किया गया है। समेकित वित्तीय विवरणों में चार संयुक्त उद्यमों के संबंध में समेकित वित्तीय विवरणों में विचार के अनुसार उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कर के बाद कुल शुद्ध लाभ/(हानि) का समूह का हिस्सा (8.14) करोड़ रुपये और (8.11) करोड़ रुपये की कुल व्यापक आय भी शामिल है। ये वित्तीय विवरण/सूचना लेखापरीक्षित नहीं हैं और प्रबंधन द्वारा प्रमाणित किए गए हैं और समेकित वित्तीय विवरण पर हमारी राय, जहाँ तक यह इन सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों के संबंध में शामिल राशियों और प्रकटीकरण से संबंधित है, पूरी तरह से ऐसे अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों पर आधारित है। हमारी राय में और निदेशक मंडल द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, ये वित्तीय विवरण समूह के लिए महत्वपूर्ण नहीं हैं।
- एक संयुक्त उद्यम (इंटरनेशनल कॉल वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड) के मामले में, लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण 31 मार्च, 2022 तक उपलब्ध थे और समेकित वित्तीय विवरणों के उद्देश्य से इस पर विचार किया गया है।

5. विदेशी सहायक कंपनी कॉल इंडिया अफ्रीकाना लिमिटेड के 31 मार्च, 2023 को समाप्त अवधि के वित्तीय विवरण मोजाम्बिक में छोटी संस्थाओं (पीजीसी-पीई) के लिए सामान्य लेखा योजना के अनुसार तैयार किए गए हैं और तदनुसार समेकन के लिए विचार किया गया है। मोजाम्बिक में छोटी संस्थाओं के लिए सामान्य लेखा योजना (पीजीसी-पीई) और भारतीय आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों (जीएपी) के अनुसार तैयार किए गए ऐसे वित्तीय विवरणों के बीच अंतर के लिए कोई समायोजन नहीं किया गया है।

जैसा कि प्रबंधन ने दर्शाया है जिस पर हमने भरोसा किया है, उपरोक्त (3) से (5) के संबंध में प्रभाव महत्वपूर्ण नहीं हैं।

6. नोट संख्या 38 (8) (ज) व्यापार प्राप्तियों, अन्य चालू और गैर-चालू परिसंपत्तियों, व्यापार देय, अन्य वित्तीय देनदारियों और समूह में अन्य चालू और गैर-चालू देनदारियों सहित कुछ डेबिट / क्रेडिट शेष के बारे में पुष्टि और परिणामी सुलह के अधीन हैं।

7. नोट संख्या 3(7), महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल), एक सहायक कंपनी के मामले में, 102.36 एकड़ फ्रीहोल्ड भूमि है और अधिकारों का रिकॉर्ड (आरओआर) भले ही कंपनी के नाम पर उपलब्ध कराए गए शीर्षक विलेखों के अनुसार, 31 मार्च, 2023 तक पुस्तकों और रिकॉर्ड के साथ मिलान के अधीन था।

अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के तहत आवश्यकतानुसार, हम “अनुलग्नक-क” में भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा जारी निर्देशों और अतिरिक्त निर्देशों में निर्दिष्ट मामलों पर एक बयान देते हैं, जो संबंधित सहायक कंपनियों के स्वतंत्र लेखापरीक्षकों द्वारा प्रस्तुत लेखापरीक्षा रिपोर्टों के आधार पर जारी किए गए हैं। जैसा कि नोट संख्या 38 (4) में कहा गया है, तीन सहायक कंपनियों और चार संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरण अलेखापरीक्षित हैं और एक संयुक्त उद्यम के मामले में 31 मार्च 2022 तक लेखापरीक्षित आंकड़े उपलब्ध हैं (इसके बाद सामूहिक रूप से अलेखापरीक्षित कहा जाता है) और इस संबंध में कोई रिपोर्ट हमारे विचार के लिए हमें प्रदान नहीं की गई है।

2. अधिनियम की धारा 143(3) के अनुसार, हम लागू सीमा तक रिपोर्ट करते हैं कि:

क) हमने उन सभी सूचनाओं और स्पष्टीकरणों की माँग की है जो हमारे ज्ञान और विश्वास के अनुसार उपरोक्त समेकित वित्तीय विवरणों के हमारे लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए आवश्यक थे;

ख) हमारी राय में, उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी से संबंधित कानून द्वारा अपेक्षित उचित लेखा-खाते समूह और संयुक्त उद्यमों द्वारा रखे गए हैं, जहाँ तक कि उन पुस्तकों की हमारी जाँच और अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों से प्रतीत होता है;

ग) समेकित तुलन पत्र, अन्य व्यापक आय सहित लाभ और हानि का समेकित विवरण और इस रिपोर्ट द्वारा निपटाया गया समेकित नकदी प्रवाह विवरण समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने के उद्देश्य से रखे गए संबंधित बही-खातों के अनुरूप हैं;

- घ) हमारी राय में, उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरण वेस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड (डब्ल्यूसीएल) के मामले को छोड़कर अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट भारतीय लेखा मानकों के अनुरूप हैं, जहां उनके स्वतंत्र लेखा परीक्षक द्वारा डब्ल्यूसीएल के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों में यह सूचित किया गया है कि:
- 'राष्ट्रीयकरण पर ली गई संपत्ति' को संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के उचित शीर्षों में वर्गीकृत नहीं किया गया है;
 - कोयला खदान श्रमिक कल्याण संगठन से कंपनी द्वारा ली गई कुछ संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की खरीद पर विचार को अंतिम रूप देना अभी भी लंबित है। इसका प्रभाव ऐसी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के बहन मूल्य और रखी गई आय के रिपोर्ट किए गए आंकड़ों और संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की प्रस्तुति पर भी पड़ता है। हालाँकि, प्रभाव का पता नहीं लगाया जा सकता है और इसे डब्ल्यूसीएल की पुस्तकों में आकस्मिक देयता के रूप में दिखाया गया है; और
 - यह निष्कर्ष निकालने के लिए हानि मूल्यांकन कि क्या परिस्थितियाँ और तथ्य यह सुझाव देते हैं कि खनिज संसाधनों के अन्वेषण और मूल्यांकन पर भारतीय लेखा मानक 106 के अनुसार अन्वेषण और मूल्यांकन परिसंपत्तियों की बहन राशि वसूली योग्य राशि से अधिक है या नहीं;
- ड) कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 5 जून, 2015 की अधिसूचना सं. जीएसआर 463 (ई) के अनुसरण में, निदेशकों की अयोग्यता से संबंधित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 (2) सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं है; और
- च) समूह और इसके संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरणों और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्यासिता के संबंध में, "अनुलग्नक - ख" में हमारी अलग रिपोर्ट देखें;
- 3) कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी 5 जून, 2015 की अधिसूचना संख्या जीएसआर 463ई के अनुसार, प्रबंधकीय पारिश्रमिक के संबंध में अधिनियम की धारा 197 समूह और सरकारी कंपनियों के रूप में इसके संयुक्त उद्यमों पर लागू नहीं होता है;
- 4) कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) संशोधन नियम, 2021 के नियम 11 के अनुसार लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार और सहायक कंपनियों के अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों पर विचार करने के आधार इस प्रकार है:
- समूह ने समूह की समेकित वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव का खुलासा किया है – समेकित वित्तीय विवरणों के लिए नोट 38 (1) (क) देखें;
 - डब्ल्यूसीएल, महानदी कोलफिल्ड्स लिमिटेड (एमसीएल), सेंट्रल कोलफिल्ड्स लिमिटेड (सीसीएल) और सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड (सीएमपीडीआईएल) को छोड़कर समूह के पास डेरिवेटिव अनुबंधों सहित कोई दीर्घकालिक अनुबंध नहीं था, जिसके लिए कोई मेट्रियल का नुकसान हुआ था।

- डब्ल्यूसीएल, साउथ ईस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल), एमसीएल, सीसीएल और सीएमपीडीआईएल के मामले में, जैसा कि इन सहायक कंपनियों के लेखापरीक्षकों द्वारा कहा गया है, उन्होंने डेरिवेटिव अनुबंधों सहित दीर्घकालिक संविदाओं पर होने वाली सामग्री के लिए आवश्यक प्रावधान किए हैं, जैसा कि लागू कानून या लेखा मानकों के तहत अपेक्षित है;
- (iii) एसईसीएल और एमसीएल को छोड़कर होल्डिंग कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में स्थानांतरित करने के लिए कोई राशि की आवश्यकता नहीं थी। एसईसीएल के मामले में निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में स्थानांतरित की जाने वाली आवश्यक राशि को स्थानांतरित करने में कोई देरी नहीं हुई है। एमसीएल के मामले में, जैसा कि उस कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक द्वारा कहा गया है, उनके विचार के अनुसार कुल 1.76 करोड़ रुपये की कुछ राशि जमा के तहत आती है, जो वर्ष 2022-2023 में वापस लिखी गई थी और 17.37 करोड़ रुपये की पुरानी लावारिस ईएमडी, एसडी, ग्राहक से अग्रिम आदि थी जो कंपनी (जमा की स्वीकृति) नियम, 2014 के तहत परिपक्व जमा की परिभाषा के अंतर्गत भी आता है क्योंकि यह उक्त नियमों के पैरा 2 (सी) (बारहवीं) (सी) के तहत निर्दिष्ट व्यवसाय के दौरान या उद्देश्य के लिए नहीं है। इन राशियों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 125 (2) के तहत आवश्यक निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष (आईईपीएफ) में स्थानांतरित नहीं किया गया था;
- (iv) (क) होल्डिंग कंपनी और इसकी आठ सहायक कंपनियों अर्थात् भारत कोर्किंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल), ईसीएल, एमसीएल, एसईसीएल, डब्ल्यूसीएल, सीसीएल, सीएमपीडीआईएल और एनसीएल के मामले में, संबंधित प्रबंधनों ने प्रतिनिधित्व किया है कि, उनकी जानकारी और विश्वास के अनुसार, खातों में नोटों में दिये गए जानकारी के अलावा, (या तो उधार ली गई निधियों या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या प्रकार की निधियों से) कंपनी द्वारा या विदेशी संस्थाओं ("मध्यस्थी") सहित किसी अन्य व्यक्ति या संस्था (ओं) में कोई भी धनराशि अग्रिम या उधार या निवेश नहीं की गई है, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, मध्यस्थ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी ("अंतिम लाभार्थियों") द्वारा या उसकी ओर से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में उधार देगा या निवेश करेगा या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह प्रदान करेगा;
- (ख) होल्डिंग कंपनी और इसकी आठ सहायक कंपनियों अर्थात् बीसीसीएल, ईसीएल, एमसीएल, एसईसीएल, डब्ल्यूसीएल, सीसीएल, सीएमपीडीआईएल और एनसीएल के मामले में, संबंधित प्रबंधनों ने प्रतिनिधित्व किया है कि, खातों में नोटों के अलावा, उनकी जानकारी और विश्वास के अनुसार, कंपनी को किसी भी व्यक्ति या संस्था से विदेशी संस्थाओं ("फंडिंग पार्टीयों") को शामिल करते हुए, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, फंडिंग पार्टी ("अंतिम लाभार्थी") द्वारा कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुई है या उसकी ओर से किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में उधार या निवेश करेगी या अंतिम

लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह प्रदान करेगी; और

- (ग) होलिंडग कंपनी और इसकी आठ सहायक कंपनियों अर्थात् बीसीसीएल, ईसीएल, एमसीएल, एसईसीएल, डब्ल्यूसीएल, सीसीएल, सीएमपीडीआईएल और एनसीएल के मामले में, ऐसी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, जिन्हें संबंधित लेखापरीक्षकों ने परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त माना है, उनके संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे उन्हें यह विश्वास हो कि उप-खंड (क) और (ख) के तहत अभ्यावेदनों में कोई गलत विवरण दर्ज है;
- (व) होलिंडग कंपनी और इसकी पाँच सहायक कंपनियों नामतः एनसीएल, सीसीएल, एमसीएल, सीएमपीडीआईएल और एसईसीएल के मामले में, संबंधित कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान घोषित या भुगतान किया गया लाभांश कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 123 के अनुपालन में है। तीन सहायक कंपनियों नामतः बीसीसीएल, ईसीएल, डब्ल्यूसीएल के मामले में, वर्ष के दौरान कोई लाभांश घोषित या भुगतान नहीं किया गया है और इसलिए
- कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 123 के संबंध में अनुपालन उक्त तीन सहायक कंपनियों पर लागू नहीं होता है।
- 5) लेखा सॉफ्टवेयर का उपयोग करके लेखा-खाते को बनाए रखने के लिए कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 3 (1) के प्रावधान, के अनुसार इसमें लेखापरीक्षा ट्रेल (लॉग संपादित करें) करने की सुविधा, रिकॉर्ड करने की सुविधा है उपलब्ध है जो 1 अप्रैल, 2023 से समूह पर लागू है और यह संयुक्त उद्यम हैं, जो भारत में निगमित कंपनियां हैं, और तदनुसार, कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षख) नियम, 2014 के नियम 11 (छ) के तहत रिपोर्टिंग 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लागू नहीं है।
- 6) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (11) के संदर्भ में भारत सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखा परीक्षक रिपोर्ट) आदेश, 2020 के पैराग्राफ 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों पर सहायक कंपनियों के संबंधित लेखा परीक्षकों द्वारा योग्यता या प्रतिकूल टिप्पणी, आदेश के खंड 3(xxii) की आवश्यकता के अनुसार लागू सीमा तक 2013 (“आदेश”) नीचे दिए गए प्रारूप में प्रदान किए गए हैं।

क्रम संख्या	नाम	सीआईएन	होलिंडग कंपनी/ सहायक कंपनी / हटाए गए सहायक कंपनी	सीएआरओ रिपोर्ट की खंड संख्या जो योग्य या प्रतिकूल है
1	कोल इंडिया लिमिटेड	L23109WB1973GOI028844	होलिंडग कंपनी	3(i)(c)
2	ईस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड (ईसीएल)	U10101WB1975GOI030295	सहायक कंपनी	3(i)(c), 3(vii)(a), 3(xx)(b)
3	भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल)	U10101JH1972GOI000918	सहायक कंपनी	3(i)(c), 3(xi)(a), 3(xx)(b)
4	सेंट्रल कोलफिल्ड्स लिमिटेड (सीसीएल)	U10200JH1956GOI000581	सहायक कंपनी	3(i)(c), 3(ii)(a), 3(xx)(b)
5	नॉर्दर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड (एनसीएल)	U10102MP1985GOI003160	सहायक कंपनी	3(i)(a), 3(i)(b), 3(i)(c), 3(ii)(a)
6	वेस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड (डब्ल्यूसीएल)	U10100MH1975GOI018626	सहायक कंपनी	3(i)(c), 3(ii)(a)
7	साउथ ईस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल)	U10102CT1985GOI003161	सहायक कंपनी	3(i)(c), 3(iii)(c), 3(iii)(d), 3(iii)(f)
8	छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड	U45203CT2013GOI000729	हटाई गई सहायक कंपनी	3(iii)(a), 3(iii)(c), 3(x)(b)
9	छत्तीसगढ़ ईस्ट-वेस्ट रेलवे लिमिटेड	U45203CT2013GOI000768	हटाई गई सहायक कंपनी	3(i)(c), 3(xi)(c)
10	महानदी कोलफिल्ड्स लिमिटेड (एमसीएल)	U10102OR1992GOI003038	सहायक कंपनी	3(i)(a)(A), 3(i)(b), 3(i)(c), 3(ii)(a), 3(vii)(a), 3(xi)(a)
11	सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड (सीएमपीडीआईएल)	U14292JH1975GOI001223	सहायक कंपनी	3(i)(c)

कृते लोढ़ा एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट

फर्म का आईसीएआई पंजीकरण नंबर: 301051ए

ह/-
आर. पी. सिंह

(सहयोगी) सदस्यता संख्या 052438

यूटीआईएन : 23052438BGXSBU2597

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक-क

(हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के “अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट” अनुभाग के पैराग्राफ 1 में संदर्भित)

भाग ।

क्र. सं.	निर्देश	निर्देशों पर की गई कार्रवाई पर लेखापरीक्षकों का जवाब
(i)	<p>क्या कंपनी के पास आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए प्रणाली है? यदि हाँ, तो आईटी प्रणाली के बाहर लेखा लेन-देनों के प्रसंस्करण से खातों की सत्यनिष्ठा पर पड़ने वाले प्रभावों के साथ-साथ वित्तीय निहितार्थ, यदि कोई हो, के बारे में बताया जा सकता है।</p>	<p>होलिंग कंपनी द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और सहायक कंपनियों के लेखापरीक्षकों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, समूह ने एक नया ईआरपी सॉफ्टवेयर (एसएपी) लागू किया है और इसे नीचे दी गई विभिन्न तिथियों से पुराने लेखा सॉफ्टवेयर कोलेनेट से स्थानांतरित कर दिया गया है।</p> <ul style="list-style-type: none"> ● होलिंग कंपनी - एचओ, दिल्ली कार्यालय, मुंबई और चेन्नई आरएसओ 01 अप्रैल, 2021 से और एनईसी 01 अगस्त, 2021 से प्रभावित ● एमसीएल - 01 अप्रैल, 2021 से प्रभावित ● एसईसीएल, ईसीएल और बीसीसीएल - 01 अगस्त, 2021 से ● डब्ल्यूसीएल, सीसीएल, एनसीएल और सीएमपीडीआईएल - 01 अक्टूबर, 2021 से प्रभावित <p>क) होलिंग कंपनी के मामले में, एसएपी के कार्यान्वयन के बाद, अस्पताल की सूची और पूर्वोत्तर कोलफिल्ड में कोयले के समापन स्टॉक के मूल्यांकन को छोड़कर सभी लेनदेनों का लेखा-जोखा एसएपी के माध्यम से संसाधित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, वृद्धावस्था विश्लेषण सहित विभिन्न सूचनाएँ, जिनका अधिनियम के अनुसार वित्तीय विवरणों में खुलासा किया जाना अपेक्षित है उसे मैन्युअल रूप में ही तैयार की जाती हैं।</p> <p>हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, 31 मार्च 2022 को स्थिरीकरण चरण के पूरा होने के बाद, सिस्टम एमसी चरण में है।</p> <p>ऐसे लेन-देनों के प्रसंस्करण के निहितार्थों, संबंधित वित्तीय निहितार्थों के साथ-साथ खातों की सत्यनिष्ठा पर परिणामी प्रभाव आदि को शामिल करते हुए कोई प्रणाली लेखा परीक्षा और प्रवासन लेखा परीक्षा नहीं की गई है।</p> <p>ख) एनसीएल के मामले में, जैसा कि उक्त सहायक कंपनी के लेखा परीक्षक द्वारा सूचित किया गया है, आईटी प्रणाली के बाहर कोई लेखा लेनदेन संसाधित नहीं किया गया था।</p> <p>ग) बीसीसीएल और ईसीएल के मामले में, जैसा कि उक्त सहायक कंपनी के लेखा परीक्षक द्वारा सूचित किया गया है, यह आवेदन कंपनी की गहन आवश्यकता को पूरा करने के लिए व्यावसायिक प्रक्रिया को सुचारू रूप से और कुशलता से चलाने के लिए ज्यादातर सभी कार्यात्मकताओं को शामिल करता है।</p> <p>घ) डब्ल्यूसीएल के मामले में, जैसा कि उक्त सहायक कंपनी के लेखा परीक्षक द्वारा सूचित किया गया है, कंपनी लेनदेन के लेखांकन के लिए एसएपी सॉफ्टवेयर का उपयोग कर रही है। हालांकि, उन्होंने पाया कि कोयला और ओबीआर का मूल्यांकन अभी भी एसएपी के माध्यम से नहीं किया गया है और एक्सेल उपयोगिता का उपयोग करके किया गया है और बाद में एसएपी में प्रासंगिक लेखा प्रविष्टियां पारित की जाती हैं। इसके अलावा बायोमीट्रिक मशीनों में उपस्थिति को ईआरपी प्रणाली के साथ एकीकृत नहीं किया गया है। लेखापरीक्षा के दौरान सत्यनिष्ठा संबंधी कोई समस्या नहीं पाई गई।</p>

क्र. सं.	निर्देश	निर्देशों पर की गई कार्रवाई पर लेखापरीक्षकों का जवाब
		<p>ड) एमसीएल के मामले में, जैसा कि उक्त सहायक कंपनी के लेखा परीक्षक द्वारा सूचित किया गया है, कंपनी ने खातों की पुस्तकों को बनाए रखने के लिए एसएपी लागू किया है। निष्पादन आय, क्षतिपूत आय और विलंबित भुगतान पर व्याज आय की गणना की प्रक्रिया को छोड़कर वित्तीय लेन-देन एसएपी के माध्यम से दर्ज किए जाते हैं। हालांकि, इसका खातों की अखंडता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। एमसीआरएल को छोड़कर एमसीएल की सभी स्टेप-डाउन सहायक कंपनियों के मामले में, लेखा लेनदेन अन्य आईटी प्रणाली के माध्यम से संसाधित किए जाते हैं और एमसीआरएल के लिए कोई आईटी प्रणाली नहीं है और यह खातों की अखंडता को प्रभावित नहीं करेगा।</p> <p>च) सीसीएल के मामले में, जैसा कि उक्त सहायक कंपनी के लेखा परीक्षक द्वारा सूचित किया गया है, एसएपी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखा लेनदेन को संसाधित करने के लिए एक प्रणाली है। एसएपी प्रणाली के कुछ मॉड्यूल अभी पूरी तरह कार्यात्मक नहीं किए गए हैं।</p> <p>छ) सीएमपीडीआईएल के मामले में, जैसा कि उक्त सहायक कंपनी के लेखा परीक्षक द्वारा सूचित किया गया है, सभी सामग्री लेखाकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए एक प्रणाली है और सभी अंतर्निहित व्यावसायिक लेनदेन की रिकॉर्डिंग इसके एसएपी-ईआरपी सॉफ्टवेयर में की जाती है। तदनुसार, खातों की अखंडता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वित्तीय लेखांकन और नियंत्रण (एफआईसीओ), बिक्री और वितरण (एस एंड डी), सामग्री प्रबंधन (एमएम), मानव पूंजी प्रबंधन (एचसीएम), उत्पादन योजना (पीपी), परियोजना प्रणाली (पीएस) और संयंत्र रखरखाव (पीएम) जैसी प्रक्रियाओं के लिए एसएपी के तहत स्वचालन के माध्यम से विभिन्न मॉड्यूलों से सूचना/डेटा प्राप्त किया जाता है।</p> <p>हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, 31 मार्च 2022 को स्थिरीकरण चरण के पूरा होने के बाद, सिस्टम एमसी चरण में है।</p> <p>लेखा परीक्षा के दौरान, यह देखा गया कि, एसएपी के बाहर निम्नलिखित गतिविधियां की गईं:</p> <p>बायोमेट्रिक उपस्थिति का एसएपी एकीकरण उपलब्ध है लेकिन एनआईसी के साथ एकीकरण के मुद्दे के कारण, वर्तमान में उपस्थिति को मैन्युअल रूप से या बायोमेट्रिक प्रणाली के माध्यम से बनाए रखा गया है जो स्रोत डेटा के रूप में कार्य करता है जिसे अंततः एसएपी में कैप्चर किया जाता है।</p> <p>एसएपी के बाहर की गई गतिविधियों के संबंध में, जैसा कि ऊपर बताया गया है, कोई भौतिक वित्तीय निहितार्थ नहीं है।</p> <p>ज) एसईसीएल के मामले में, जैसा कि उक्त सहायक कंपनी के लेखापरीक्षक द्वारा सूचित किया गया है, सहायक कंपनी के पास आईटी सिस्टम के माध्यम से बिक्री, इन्वेंट्री, पेरोल, फिक्स्ड एसेट रजिस्टर सहित सभी लेखा लेनदेन को संसाधित करने के लिए एक प्रणाली है जो एसएपी सिस्टम है। तथापि, स्प्रेडशीटों पर की गई गणना के आधार पर लेखा प्रणाली में कोयला गुणवत्ता विचरण के प्रावधान, समापन स्टॉक के मूल्यांकन और ओवर बर्डन रिमूल के प्रावधान से संबंधित लेखांकन प्रविष्टियां मैन्युअल रूप से पारित की जाती हैं। सहायक कंपनियां - सीईआरएल और सीईडब्ल्यूआरएल सभी लेखांकन लेनदेन को रिकॉर्ड करने के लिए अपने लेखांकन सॉफ्टवेयर के रूप में टैली। ईआरपी 9 का उपयोग करती हैं।</p> <p>एसएपी के बाहर की गई गतिविधियों के लिए वित्तीय स्थिति पर कोई भौतिक प्रभाव नहीं है।</p>

क्र. सं.	निर्देश	निर्देशों पर की गई कार्रवाई पर लेखापरीक्षकों का जवाब
(ii)	क्या मौजूदा क्रण का कोई पुनर्गठन किया गया है या कर्ज/क्रण/व्याज आदि की क्रण/बट्टे खाते में डालने के मामले हैं, जो कंपनी द्वारा क्रण चुकाने में असमर्थता के कारण कंपनी को दिए गए हैं? यदि हाँ, तो वित्तीय प्रभाव के बारे में बताया जा सकता है। क्या ऐसे मामलों का सही हिसाब रखा जाता है? (यदि क्रणदाता एक सरकारी कंपनी है, तो यह निर्देश क्रणदाता कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षक के लिए भी लागू होता है)	<p>होलिंडग कंपनी के प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, होलिंडग कंपनी द्वारा किसी भी क्रणदाता से कोई क्रण नहीं लिया गया है।</p> <p>सहायक कंपनियों के मामले में, जैसा कि संबंधित सहायक कंपनियों के लेखा परीक्षकों द्वारा सूचित किया गया है, वर्ष के दौरान क्रण का पुनर्गठन नहीं किया गया है या क्रणदाता द्वारा सहायक कंपनियों को दिए गए क्रण/क्रण/व्याज आदि की छूट/बट्टे खाते में डालने के मामले निम्नलिखित को छोड़कर नहीं हैं-</p> <p>सीईआरएल (एसईसीएल की सहायक कंपनी) के मामले में, इंडियन बैंक के नेतृत्व वाले कंसोर्टियम ने छल फ़िडर लाइन प्राधिकरण तिथि लेते हुए 23 जुलाई, 2022 को वाणिज्यिक संचालन तिथि के रूप में घोषित किया गया है। अन्य बैंकों की स्वीकृतियां प्रक्रिया में हैं। अधिस्थगन अवधि 23 जुलाई, 2022 से 23 जुलाई, 2024 तक होगी और तिमाही पुनर्भुगतान अवधि 23 अक्टूबर, 2024 से शुरू होगी और 23 जुलाई, 2038 को समाप्त होगी।</p>
(iii)	क्या केंद्र/राज्य सरकार या एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्त निधियों (अनुदान/अनुवृत्ति आदि) का उसके निबंधन और शर्तों के अनुसार उचित रूप से लेखा-जोखा/उपयोग किया गया था? विचलन के मामलों को सूचीबद्ध करें।	<p>होलिंडग कंपनी द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और सहायक कंपनियों के लेखा परीक्षकों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, वर्ष के दौरान केंद्रीय/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए निम्नलिखित निधियां और अनुदान प्राप्त/प्राप्त थे:</p> <p>क) होलिंडग कंपनी के मामले में, हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, वर्ष के दौरान कोई अनुदान / धन प्राप्त नहीं किया गया था। इसके अलावा, वित्त वर्ष 2019-20 में केंद्र सरकार से पूर्वोत्तर कोलफिल्ड द्वारा प्राप्त 1.72 करोड़ रुपये की रेलवे साइंडिंग के लिए अनुदान को नियम और शर्तों के अनुसार उचित रूप से हिसाब दिया गया था।</p> <p>ख) सीसीएल के मामले में विचलन का ऐसा कोई मामला नहीं है।</p> <p>ग) ईसीएल और डब्ल्यूसीएल के मामले में, उक्त सहायक कंपनियों को वर्ष के दौरान रेत की कटाई और सुरक्षात्मक कार्यों के लिए केंद्र/राज्य सरकार या एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए क्रमशः 1.53 करोड़ रुपये और 0.40 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं। इस राशि का उसके नियमों और शर्तों के अनुसार समुचित उपयोग किया गया था।</p> <p>घ) एसईसीएल और एनसीएल के मामले में वर्ष के दौरान केन्द्रीय/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट स्कीम के लिए कोई निधि प्राप्त नहीं हुई/प्राप्त नहीं थी।</p> <p>ड) बीसीसीएल के मामले में, उक्त सहायक कंपनी को कोल इंडिया लिमिटेड से जेआरडीए के तहत 1.75 करोड़ रुपये के लिए वर्ष के दौरान केंद्र/राज्य सरकार या एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए धन प्राप्त नहीं हुआ है। राशि का इसके नियमों और शर्तों के अनुसार उचित उपयोग किया गया था।</p> <p>च) एमसीएल के मामले में, वर्ष के दौरान सड़कों और रेल अवसंरचना कार्यों के लिए सहायता के लिए कोयला मंत्रालय, भारत सरकार से पूंजीगत अनुदान के रूप में कोई सीसीडीए अनुदान प्राप्त नहीं हुआ था। 31.03.2023 तक बकाया राशि ₹ 139.05 करोड़ है। उपर्युक्त में से 125.15 करोड़ रुपए आस्थगित आय के अंतर्गत दर्शाए गए हैं और 13.90 करोड़ रुपए के वर्तमान भाग को अन्य चालू देयताओं के अंतर्गत दर्शाया गया है।</p> <p>छ) सीएमपीडीआईएल के मामले में, विस्तृत और संवर्धनात्मक ड्रिलिंग, आर एंड डी और एस एंड टी और एनएमईटी के लिए प्राप्त राशि का इसके नियमों और शर्तों के अनुसार उचित उपयोग किया गया था।</p>

भाग II – अतिरिक्त निर्देशः –

क्र. सं	अतिरिक्त निर्देशक	निर्देशों पर की गई कार्रवाई पर लेखापरीक्षकों का जवाब
(i)	क्या येलो बुक के आधार पर कोयले के स्टॉक का माप किया गया था? क्या प्रकृतिक स्टॉक माप रिपोर्ट सभी मामलों में समोच्च मानचित्र के साथ हैं? क्या वर्ष के दौरान सृजित किए गए नए ढेर, यदि कोई हो, के लिए सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त किया गया था।	<p>हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और होलिंग कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जाँच के आधार पर और सहायक कंपनियों के लेखापरीक्षकों द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार (सीएमपीडीआईएल को छोड़कर जो लागू नहीं है), संबंधित क्षेत्रों में कोयले के स्टॉक का माप येलो बुक को ध्यान में रखते हुए किया जाता है।</p> <p>होलिंग कंपनी द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और सहायक कंपनियों के लेखापरीक्षकों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार (सीएमपीडीआईएल को छोड़कर जो लागू नहीं है), कोयले के स्टॉक का माप संबंधित क्षेत्रों में कंट्रू मैप (एमसीएल, कंट्रू मैप / 3डी टीएलएस के मामले में) के साथ किया गया था, सिवाय निम्नलिखित सहायक कंपनियों के संबंध में:</p> <p>बीसीसीएल के मामले में, जैसा कि उक्त सहायक कंपनी के लेखापरीक्षक द्वारा सूचित किया गया है, स्पष्टीकरण और दी गई जानकारी के अनुसार, ढेरों के कोयला स्टॉक माप येलो बुक के अनुसार किए जा रहे हैं। कोयला खानों द्वारा पूर्वयोजित स्थानों पर कोयला स्टॉक डंप बनाए जा रहे हैं जिनके लिए कंट्रू योजनाएँ तैयार की जाती हैं और सक्षम प्राधिकारी द्वारा अग्रिम रूप से अनुमोदित की जाती हैं, अर्थात् कोयले की डंपिंग शुरू करने से पहले। हालांकि, कुछ मामलों में, छोटे स्टॉक जिनका ज्यामितीय आकार बोझिल है और कंट्रू प्लान / लेवल सेक्शन का उपयोग करके माप के लिए उपयुक्त नहीं है, जसे पारंपरिक विधि से मापा जा रहा है, भले ही ऐसे स्टॉक में समोच्च योजनाएँ हों। स्टॉक माप रिपोर्ट कंट्रू योजनाओं के साथ हैं।</p> <p>वॉशरी के लिए स्लरी, रिजेक्ट और मिडलिंग का स्टॉक वॉशरी की स्थापना के बाद से, यानी बीसीसीएल द्वारा अधिग्रहण से पहले से बढ़ रहा था। विशेष रूप से रिजेक्ट, स्लरी, मिडलिंग आदि के ढेर आकार और साइज़ में बहुत बड़े होते हैं और इनमें समोच्च योजना नहीं होती है, इसलिए इन्हें पारंपरिक विधि से मापा जाता है।</p> <p>होलिंग कंपनी के मामले में वित्तीय वर्ष के दौरान ईस्टर्न कोलफील्ड्स की किसी भी खान में कोई नया ढेर नहीं बनाया गया था। सहायक कंपनियों से संबंधित लेखापरीक्षकों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, वर्ष के दौरान सृजित किए गए नए ढेरों के लिए सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त किया गया था।</p>
(ii)	क्या कंपनी ने किसी क्षेत्र के विलय/विभाजन/पुनर्गठन के समय परिसंपत्तियों और संपत्तियों का भौतिक सत्यापन किया है। यदि हाँ, तो क्या संबंधित सहायक कंपनी ने अपेक्षित प्रक्रिया का पालन किया है।	<p>होलिंग कंपनी द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और सहायक कंपनियों के लेखा परीक्षकों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार (सीएमपीडीआईएल को छोड़कर जो लागू नहीं है), वर्ष के दौरान किसी क्षेत्र के विलय/विभाजन/पुनर्गठन का कोई मामला नहीं है और इसलिए एमसीएल के मामले को छोड़कर परिसंपत्तियों और संपत्तियों के किसी भौतिक सत्यापन की आवश्यकता नहीं है जहां भुवनेश्वरी क्षेत्र को जगत्राथ क्षेत्र में मिला दिया गया है। विलय की तारीख पर भुवनेश्वरी क्षेत्र से हस्तांतरित परिसंपत्तियों के भौतिक सत्यापन के लिए प्रबंधन द्वारा लेखापरीक्षा किया गया है।</p>
(iii)	क्या सीआईएल और इसकी सहायक कंपनियों में प्रत्येक खान के लिए अलग-अलग एस्क्रो खाते रखे गए हैं। खाते की निधि के उपयोग की भी जाँच करें।	<p>क) होलिंग कंपनी द्वारा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार और सहायक कंपनियों के लेखा परीक्षकों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, सीसीएल के मामले को छोड़कर, जहां अनुमोदित पीआर और एमसीपी की अनुपलब्धता के कारण पिंडरा औसी खानों के संबंध में एस्क्रो खाता अभी तक नहीं खोला गया है, सीआईएल और इसकी सहायक कंपनियों में प्रत्येक खान के लिए अलग-अलग एस्क्रो खाते रखे गए हैं।</p> <p>ख) होलिंग कंपनी के मामले में, वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा बताई गई ऐसी कोई निधि वापस नहीं ली गई है।</p> <p>ग) एमसीएल के मामले में, सहायक कंपनी ने कोयला नियंत्रक कार्यालय से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद खदान बंद करने के खर्च के लिए प्रतिपूर्ति के रूप में 11.56 करोड़ रुपये की निकासी की थी।</p> <p>घ) एसईसीएल के मामले में, एस्क्रो खातों की निधि के उपयोग के लिए प्रस्ताव शुरू किया गया है।</p>

क्र. सं	अतिरिक्त निदेशक	निर्देशों पर की गई कार्रवाई पर लेखापरीक्षकों का जवाब
		<p>ड) डब्ल्यूसीएल के मामले में, सीसीओ प्रमाणन के आधार पर एस्क्रो खातों में निर्धारित निधियों में से वर्ष के दौरान 12.04 करोड़ रुपये की राशि का उपयोग किया जाता है।</p> <p>च) बीसीसीएल और ईसीएल के मामले में, वर्ष के दौरान एस्क्रो खाते से कोई राशि नहीं निकाली गई है।</p> <p>छ) एनसीएल के मामले में, जैसा कि उक्त सहायक कंपनी के लेखा परीक्षक द्वारा सूचित किया गया है, एस्क्रो खातों के माध्यम से किए गए समायोजन के बजाय, इस संबंध में किए गए कुछ खर्चों को लाभ और हानि के विवरण में लगाया गया है।</p> <p>ज) सीसीएल के मामले में, 66 खानों के लिए एस्क्रो खातों का रखरखाव किया गया है और वर्ष के दौरान सीसीएल को कोयला नियंत्रक कार्यालय से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद खान बंद करने की गतिविधियों के लिए 5.50 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष - 35.30 करोड़ रुपये) प्राप्त हुए हैं।</p>
(iv)	क्या माननीय उच्चतम न्यायालय/राष्ट्रीय हरित अधिकरण/राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अवैध खनन के लिए लगाए गए जुर्माने के प्रभाव पर विधिवत विचार किया गया है और उसका हिसाब रखा गया है?	<p>हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और सहायक कंपनियों के लेखापरीक्षकों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार (सीएमपीडीआईएल को छोड़कर जो लागू नहीं है), माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा होल्डिंग कंपनी, एनसीएल और डब्ल्यूसीएल पर वर्ष के दौरान अवैध खनन के लिए कोई जुर्माना नहीं लगाया गया है। अवैध खनन के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित सहायक कंपनियों के लिए जुर्माना लगाया गया है।</p> <p>क) सीसीएल के मामले में, भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसरण में, झारखंड के जिला खनन कार्यालयों ने 42 खानों में पर्यावरणीय मंजूरी सीमा से अधिक खनन के लिए 13,568.50 करोड़ रुपये (पीवाई: 13,568.50 करोड़ रुपये) की माँग की थी। उक्त माँग के विरुद्ध सीसीएल ने एमएमडीआर अधिनियम के तहत निर्णयक प्राधिकारी माननीय कोयला अधिकरण, कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के समक्ष एक पुनरीक्षण याचिका दायर की है। पुनरीक्षण प्राधिकरण ने 16 जनवरी, 2018 के अपने अंतरिम आदेश के तहत अगले आदेश तक माँग के निष्पादन पर रोक लगा दी है। पुनरीक्षण प्राधिकरण, कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश को ध्यान में रखते हुए इसी तरह के माँग नोटिस में दामोदर घाटी निगम (डीवीसी) को अपने दिनांक 21/12/2021 के आदेश के माध्यम से, उक्त माँग को क्रूण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है और आकस्मिक देयता के तहत शामिल किया गया है।</p> <p>ख) ईसीएल के मामले में, झारखंड सरकार द्वारा 2017 में संबंधित सहायक खनन अधिकारी/जिला खनन अधिकारियों द्वारा राजमहल, मुगमा और एसपी खान क्षेत्र को 11 माँग नोटिस जारी किए गए थे, जो कथित या गैरकानूनी खनन खनिज के लिए दंड के रूप में खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 के तहत 2,178.14 करोड़ रुपये थे। इस संबंध में ईसीएल के संबंधित क्षेत्रों ने पुनरीक्षण प्राधिकरण, कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के समक्ष माँग नोटिसों को चुनौती देते हुए 11 पुनरीक्षण आवेदन दायर किए हैं।</p> <p>पुनरीक्षण प्राधिकरण, माननीय कोयला अधिकरण, कोयला मंत्रालय ने दिनांक 22.01.2018 के आदेश के तहत माँग नोटिस पर अगले आदेश तक रोक लगा दी थी। इसके अलावा, पुनरीक्षण प्राधिकरण ने यह भी निर्देश दिया है कि आक्षेपित माँग नोटिस के अनुसरण में प्रतिवादी द्वारा आवेदक के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी।</p> <p>पुनरीक्षण प्राधिकरण, माननीय कोयला अधिकरण, कोयला मंत्रालय ने दिनांक 29.06.2022 के आदेश द्वारा झारखंड राज्य द्वारा पारित आदेश को रद्द कर दिया है।</p> <p>ग) एमसीएल के मामले में, उप निदेशक खान कार्यालय ने अनुमोदित पर्यावरण मंजूरी सीमा से अधिक कोयले के उत्पादन के लिए मुआवजे का भुगतान करने के लिए क्षेत्रों को नोटिस जारी किए। एमसीएल पर यह दावा 11,212.73 करोड़ रुपये का है। एमसीएल ने ऐसे दावों के खिलाफ पुनरीक्षण प्राधिकरण, कोयला मंत्रालय में पुनरीक्षण आवेदन दायर किए हैं। पुनरीक्षण प्राधिकरण ने 8,297.77 करोड़ रुपये के दावे को खारिज कर दिया है।</p>

क्र. सं	अतिरिक्त निदेशक	निर्देशों पर की गई कार्रवाई पर लेखापरीक्षकों का जवाब
		<p>घ) एसईसीएल के मामले में वर्ष 2018-19 से संबंधित कारण बताओ नोटिस में उल्लिखित 10,182.64 करोड़ रुपये की राशि का खुलासा सहायक कंपनी के बही-खातों में किया गया है।</p> <p>ड) बीसीसीएल के मामले में भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 02 अगस्त, 2017 के निर्णय के अनुसरण में राज्य सरकार द्वारा कंपनी की 47 परियोजनाओं/ खानों/कोलियरियों के संबंध में 17,344.46 करोड़ रुपये की राशि के मांग नोटिस जारी किए गए हैं। पुनरीक्षण प्राधिकरण, एमओसी से प्राप्त निर्णय और कानूनी राय के आधार पर, उपरोक्त मांग को खाली कर दिया गया है।</p>
(v)	क्या कोलनेट पोर्टल से एसएपी में डाटा की माझग्रेशन प्रक्रिया के संबंध में कोई स्वतंत्र मूल्यांकन/प्रमाणन किया गया है।	<p>होलिंडग कंपनी, बीसीसीएल, एनसीएल, डब्ल्यूसीएल, सीसीएल, ईसीएल, एसईसीएल और सीएमपीडीआईएल के मामले में वर्ष के दौरान कोलनेट पोर्टल से एसएपी में डेटा की माझग्रेशन प्रक्रिया के संबंध में कोई स्वतंत्र मूल्यांकन/प्रमाणन नहीं किया गया है।</p> <p>एमसीएल के मामले में, वित्त मॉड्यूल के लिए कोलनेट से एसएपी में डेटा के स्थानांतरण के लिए स्वतंत्र मूल्यांकन किया गया है। इसके अलावा, कोलनेट से एसएपी में वेंडर मास्टर की माझग्रेशन लेखापरीक्षा के लिए एक आंतरिक लेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है, जो प्रक्रियाधीन है और एसएपी में अन्य मॉड्यूल की माझग्रेशन प्रक्रिया का मूल्यांकन अभी किया जाना है।</p>
(vi)	क्या समझौता ज्ञापन के अनुपालन में ब्लॉकों का अन्वेषण पूरा किया गया था और विस्तृत और संवर्धनात्मक ड्रिलिंग के लिए प्राप्त अनुदान का उपयोग किया गया था और उचित रूप से हिसाब लगाया गया था। विचलन के मामले को सूचीबद्ध करें। (केवल सहायक कंपनी सीएमपीडीआईएल के लिए लागू)	<p>सीएमपीडीआईएल के मामले में सीएमपीडीआईएल और एमओसी/ सीआईएल/ एनएमईटी के बीच कोई समझौता ज्ञापन नहीं है। सीएमपीडीआईएल देश में कोयले और लिग्राइट की खोज से संबंधित सभी सूचनाओं के लिए नोडल एंजेंसी है। सीएमपीडीआईएल एमओसी/ सीआईएल/ एनएमईटी द्वारा स्वीकृत/ अनुमोदित परियोजनाओं/ ब्लॉकों के अनुसार या तो स्वयं या एमईसीएल और निजी पार्ट्यों के माध्यम से समझौता ज्ञापन और निविदाओं के माध्यम से विस्तृत और संवर्धनात्मक ड्रिलिंग की गतिविधियां करता है। परीक्षण जांच के आधार पर नमूनों की जांच के आधार पर यह पाया गया कि समझौता ज्ञापन के अनुपालन में ब्लॉकों का अन्वेषण पूरा कर लिया गया था और विस्तृत और संवर्धनात्मक ड्रिलिंग के लिए प्राप्त अनुदान का उपयोग किया जा रहा है और उचित रूप से हिसाब रखा जा रहा है।</p>
(vii)	क्या आर एंड डी और एस एंड टी के लिए प्राप्त निधियों का नियमों और शर्तों के अनुसार उचित रूप से लेखा-जोखा/उपयोग किया गया था। विचलन के मामलों को सूचीबद्ध करें। (केवल सहायक कंपनी सीएमपीडीआईएल के लिए लागू)	<p>सीएमपीडीआईएल के मामले में, आर एंड डी और एस एंड टी परियोजनाओं को कार्यान्वयन एंजेंसी/ संस्थान द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर कतिपय निबंधन और शर्तों के साथ एमओसी/ सीआईएल की तकनीकी समिति द्वारा अनुमोदित/ स्वीकृत किया जाता है। सीएमपीडीआई सभी चालू या नई आर एंड डी/एस एंड टी परियोजनाओं के लिए धन की आवश्यकता का अनुमान लगाता है और एमओसी/ सीआईएल से समेकित मांग करता है। एक बार निधि प्राप्त हो जाने के बाद, सीएमपीडीआई परियोजनाओं की प्रगति के आधार पर विभिन्न किस्तों में कार्यान्वयन एंजेंसी/ संस्थान को निधि वितरित करता है। एक बार परियोजना पूरी हो जाने और तकनीकी समिति द्वारा परियोजना पूर्णता रिपोर्ट अनुमोदित किए जाने के बाद, कार्यान्वयन एंजेंसी / संस्थान सीएमपीडीआई को उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करते हैं और उन निधियों पर अर्जित ब्याज के साथ सीएमपीडीआई को ऐसी परियोजनाओं पर प्राप्त निधि की अप्रयुक्त राशि वापस कर देते हैं।</p> <p>यह देखा गया कि अनुसंधान एवं विकास और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लिए प्राप्त निधियों का निबंधन एवं शर्तों के अनुसार समुचित लेखा-जोखा/उपयोग किया गया।</p>

कृते लोढा एंड कंपनी
 चार्टर्ड अकाउंटेंट
 फर्म का आईसीएआई पंजीकरण नंबर: 301051ए

ह/-

आर. पी. सिंह

(सहयोगी) सदस्यता संख्या 052438

यूडीआईएन : 23052438BGXSBU2597

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक-ख

कंपनी अधिनियम, 2013 (“अधिनियम”) की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के समेकित वित्तीय विवरणों के हमारे लेखापरीक्षा के साथ, हमने कोल इंडिया लिमिटेड (इसके बाद “होल्डिंग कंपनी” के रूप में संदर्भित) और इसकी सहायक कंपनियों (होल्डिंग कंपनी और इसकी सहायक कंपनियों को एक साथ “समूह” के रूप में जाना जाता है) के वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का लेखापरीक्षा किया गया है और संयुक्त उद्यम और हमने उस तारीख तक इसकी सहायक कंपनियों, जो भारत में निगमित कंपनियों के लेखा परीक्षकों की ऐसी समान रिपोर्टों पर विचार किया है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

होल्डिंग कंपनी के संबंधित निदेशक मंडल, इसकी सहायक कंपनियाँ और भारत में निगमित संयुक्त उद्यम संबंधित कंपनियों द्वारा स्थापित समेकित वित्तीय विवरण मानदंडों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार हैं, जो वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हैं जो कि (“मार्गदर्शन नोट”) इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी है। जैसा कि अधिनियम के तहत अपेक्षित है इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो कंपनी की नीतियों के पालन, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाने, लेखा रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता और विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी सहित अपने व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे।

लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी हमारे लेखापरीक्षा के आधार पर भारत में शामिल समूह और इसके संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर एक राय व्यक्त करना है। हमने आईसीएआई द्वारा जारी वित्तीय विवरणों (“मार्गदर्शन नोट”) और लेखापरीक्षा पर मानकों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा पर मार्गदर्शन नोट के अनुसार अपना लेखापरीक्षा किया और आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा पर लागू सीमा तक कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के तहत निर्धारित माना गया। दोनों इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी किए गए हैं। उन मानकों और मार्गदर्शन नोट के लिए आवश्यक है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का पालन करें और योजना बनाएं और लेखापरीक्षा करें ताकि इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त किया जा सके कि क्या वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाए रखा गया था और यदि ऐसे नियंत्रण सभी भौतिक मामलों में प्रभावी ढंग से संचालित होते हैं।

हमारे लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों और उनकी परिचालन प्रभावशीलता के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाएँ शामिल हैं। वित्तीय विवरणों

के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, जोखिम का आकलन करना कि एक भौतिक कमजोरी मौजूद है, और मूल्यांकन किए गए जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन और परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल है। चयनित प्रक्रियाएँ लेखा परीक्षकों के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें समेकित वित्तीय विवरणों के चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण भौतिक गलत विवरण के जोखिमों का मूल्यांकन शामिल है।

हमारा मानना है कि हमने जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं और नीचे दिए गए “अन्य मामलों” पैराग्राफ में संदर्भित उनकी रिपोर्टों के संदर्भ में अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा साक्ष्य, वित्तीय विवरणों के संदर्भ में समूह और इसके संयुक्त उद्यमों की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखा परीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय विवरणों के संदर्भ में एक कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक प्रक्रिया है जिसे वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरणों की तैयारी के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। वित्तीय विवरणों के संदर्भ में एक कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियाँ और प्रक्रियाएँ शामिल हैं जो (1) रिकॉर्ड के रखरखाव से संबंधित हैं, जो उचित विस्तार से, कंपनी की परिसंपत्तियों के लेनदेन और स्वभाव को सटीक और निष्पक्ष रूप से दर्शाती हैं; (2) उचित आश्वासन प्रदान करें कि लेनदेन को आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों की तैयारी की अनुमति देने के लिए आवश्यक रूप से दर्ज किया जाता है, और यह कि कंपनी की प्राप्तियाँ और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरणों के अनुसार किए जा रहे हैं; और (3) कंपनी की परिसंपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या निपटान की रोकथाम या समय पर पता लगाने के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करें जो वित्तीय विवरणों पर भौतिक प्रभाव डाल सकते हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाएँ

वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, जिसमें मिलीभगत या नियंत्रण के अनुचित प्रबंधन ओवरराइड की संभावना शामिल है, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण सामग्री के गलत विवरण हो सकते हैं और जिसका पता भी नहीं लगाया जा सकता है। इसके अलावा, भविष्य की अवधि के वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान इस जोखिम के अधीन हैं कि वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शर्तों में बदलाव के कारण अपर्याप्त हो सकता है, या नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की डिग्री बिगड़ सकती है।

राय

हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, और हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर, समूह और इसके संयुक्त उद्यम, जो भारत में निगमित कंपनियां हैं, हमारी राय में, आम तौर पर, सभी भौतिक मामलों में, वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण बनाए रखते हैं और वित्तीय विवरणों के संदर्भ में ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण आम तौर पर 31 मार्च तक प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी “वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा पर मार्गदर्शन नोट” में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए समूह और इसके संयुक्त उद्यमों द्वारा स्थापित वित्तीय विवरण मानदंडों के संदर्भ में आंतरिक नियंत्रण के आधार पर 2023 का प्रावधान किया गया है।

निम्नलिखित के संबंध में और सुधार की आवश्यकता है:

- क) अपनी जोखिम मूल्यांकन प्रक्रिया के संबंध में कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का प्रलेखन, विभिन्न कार्यात्मक क्षेत्रों का जोखिम विश्लेषण और जोखिम शमन सहित विभागीय स्तरों पर प्रक्रिया प्रवाह को शामिल करना; और
- ख) कंपनी में व्यापार प्राप्तियों, अन्य चालू और गैर-चालू परिसंपत्तियों, व्यापार देय, अन्य वित्तीय देनदारियों और अन्य वर्तमान और गैर-वर्तमान देनदारियों सहित कुछ डेबिट/क्रेडिट शेष राशियों के संबंध में नोट 38 (8) (जे) स्वतंत्र पुष्टि और परिणामी मिलान के लिए लंबित हैं।

सीसीएल के मामले में, निम्नलिखित के संबंध में और सुधार की आवश्यकता है:

- क) एसएपी (ईआरपी) के माध्यम से पीस रेट श्रमिकों के वेतन की प्रक्रिया करें;
- ख) एमएसएमई अधिनियम 2006 की अनुपालन की आवश्यकता के लिए एसएपी में एमएसएमई विक्रेता का मानचित्रण करें; और
- ग) असुरक्षित नेटवर्क/कनेक्शन के माध्यम से एसएपी (ईआरपी) तक पहुंचने पर प्रतिबंध लगाएँ।

सीएपीडीआईएल के मामले में, निम्नलिखित के संबंध में और सुधार की आवश्यकता है:

जोखिम मूल्यांकन प्रक्रिया के संबंध में कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का प्रलेखन, विभिन्न कार्यात्मक क्षेत्रों का जोखिम विश्लेषण और बीमा कवरेज के संबंध में जोखिम शमन सहित विभागीय स्तरों पर प्रक्रिया प्रवाह को शामिल करना,

- क) विविध खर्चों के संबंध में नियंत्रणों की निगरानी को मजबूत करना,
- ख) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों, अन्य वर्तमान और गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों, व्यापार देय और प्राप्त, अन्य वित्तीय देनदारियों और अन्य वर्तमान और गैर-वर्तमान देनदारियों की पुष्टि/समाधान/समायोजन करें।
- ग) कर्मचारियों की उपस्थिति को कैप्चर करने और रिकॉर्ड करने पर नियंत्रण।

इसके अलावा, एसईसीएल के मामले में, निम्नलिखित सुधार की आवश्यकता है:

- क) वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे में परिवर्तन को अपनाने का तरीका जैसे लेखांकन मानकों(इंड एस के लिए) में परिवर्तन से है;
- ख) इसकी जोखिम मूल्यांकन प्रक्रिया के संबंध में प्रलेखन; और
- ग) विभिन्न कार्यात्मक क्षेत्रों का जोखिम विश्लेषण और विस्तृत जोखिम नियंत्रण मैट्रिक्स और प्रक्रिया प्रवाह को शामिल करना जिसमें अचल संपत्ति लेखांकन सहित व्यय, आय, संपत्ति और देनदारियों के महत्वपूर्ण खाता संतुलन की पहचान करना, उस प्रक्रिया प्रवाह को शामिल करना शामिल है जिसके द्वारा उपरोक्त लेनदेन शुरू किए जाते हैं, अधिकृत, संसाधित, रिकॉर्ड किए जाते हैं और विभागीय स्तर पर रिपोर्ट किए जाते हैं।

हमारी राय उपरोक्त मामलों के संबंध में योग्य नहीं है।

कृते लोढ़ा एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म का आईसीएआई पंजीकरण नंबर: 301051ए

ह/-
आर. पी. सिंह

स्थान :कोलकाता (सहयोगी) सदस्यता संख्या 052438
दिनांक: 7 मई, 2023 यूडीआईएन : 23052438BGXSBU2597

अनुलग्नक 5

सहायक कंपनीवार कोयले की कुल खरीद

2022-23 और 2021-22 के लिए वास्तविक कोयले की खरीद की तुलना में कंपनी-वार लक्ष्य निम्नवत प्रस्तुत है:

(आंकड़े: मि.ट में)

कंपनी	2022-23			2021-22		पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि	
	लक्ष्य	उपलब्धि	% लक्ष्य	लक्ष्य	अली.	%	
ईसीएल	50.00	35.51	71.01	36.10	-0.59	-1.63	
बीसीसीएल	32.00	35.53	111.03	32.25	3.28	10.16	
सीसीएल	76.00	75.02	98.72	71.82	3.21	4.47	
एनसीएल	122.00	133.51	109.44	125.66	7.85	6.25	
डब्ल्यूसीएल	62.00	62.15	100.24	64.17	-2.02	-3.14	
एसईसीएल	182.00	160.03	87.93	155.52	4.51	2.90	
एमसीएल	176.00	192.75	109.52	176.37	16.38	9.29	
एनईसी	0.00	0.18	-	0.00	0.18	-	
सीआईएल	700.00	694.68	99.24	661.89	32.79	4.95	

अनुलग्नक 6

कोयला और कोयला उत्पादों का क्षेत्रवार प्रेषण

(आंकड़े: मि.टी में)

वर्ष	2022-23			2021-22		पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि	
	सेक्टर	लक्ष्य	प्रेषण	% सेट	वास्तविक	एव्स.	%
पावर (उपयोग)	565.00	586.58	103.82	540.57	46.00	8.51	
स्टील *	4.49	3.28	73.19	2.39	0.89	37.24	
सीमेंट	5.03	3.49	69.41	3.35	0.15	4.36	
उर्वरक	1.41	0.66	46.61	1.11	-0.45	-40.84	
अन्य	124.07	101.12	81.50	115.15	-14.03	-12.18	
प्रेषण **	700.00	695.13	99.30	662.57	32.56	4.91	

पावर हाउस डिस्पैच में पावर को विशेष फॉर्म्वर्ड ई-नीलामी के तहत प्रेषण शामिल हैं।

* स्टील प्लांट को धुले हुए कोकिंग कोयले और कच्चे कोकिंग कोयले का प्रेषण

अनुलग्नक - 7

कोयले के स्टॉक का सहायक कंपनीवार विवरण

कंपनी	31 मार्च, 2023 तक स्टॉक का शुद्ध मूल्य (₹ करोड़ में)	31 मार्च, 2022 तक स्टॉक का शुद्ध मूल्य (₹ करोड़ में)	महीनों की संख्या के संदर्भ में स्टॉक शुद्ध बिक्री	31 मार्च, 2023 तक		31 मार्च, 2022 तक	
				31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2022 तक	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2022 तक
ईसीएल	313.76	339.63	0.25	0.25	0.40	0.25	0.40
बीसीसीएल	934.46	898.10	0.91	0.91	1.14	0.91	1.14
सीसीएल	965.24	881.21	0.76	0.76	0.86	0.76	0.86
एनसीएल	432.45	536.12	0.24	0.24	0.37	0.24	0.37
डब्ल्यूसीएल	1525.31	1158.23	1.30	1.30	1.08	1.30	1.08
एसईसीएल	1157.03	780.87	0.66	0.66	0.50	0.66	0.50
एमसीएल	757.55	806.98	0.33	0.33	0.51	0.33	0.51
सीआईएल (समेकित)	6105.11	5412.88	0.57	0.57	0.65	0.57	0.65

व्यापार प्राप्तियों का सहायक कंपनी-वार विवरण

(₹ करोड़ में)

कंपनी	व्यापार प्राप्तियां		व्यापार प्राप्तियां	
	31 मार्च, 2023 तक		31 मार्च, 2022 तक	
	सकल राशि	भत्ते का शुद्ध राशि	सकल राशि	भत्ते का शुद्ध राशि
ईसीएल	1930.34	1564.50	2867.59	2504.20
बीसीसीएल	1613.55	1251.15	1415.58	1037.01
सीसीएल	3381.56	3001.17	2437.91	2149.65
एनसीएल	2567.58	2471.34	1406.18	1309.70
डब्ल्यूसीएल	3307.35	3089.80	3018.86	2947.89
एसईसीएल	1287.77	42.03	1568.76	375.97
एमसीएल	1679.72	1636.92	1063.80	1040.90
सीआईएल स्टैंडअलोन	14.74	3.57	13.53	2.36
कुल	15782.61	13060.48	13792.21	11367.68

अनुलम्बक 9

2022-23 के दौरान सहायक कंपनीवार वैधानिक लेवी का भुगतान

(₹ करोड़ में)

कंपनी	विवरण	राज्य								2022-23
		मध्य प्रदेश	छत्तीसगढ़	पश्चिम बंगाल	झारखण्ड	महाराष्ट्र	उत्तर प्रदेश	ओडिशा	असम	
ईसीएल	रॉयलटी	-	-	16.30	294.92	-	-	-	-	311.22
	एमएमडीआर अधिनियम के तहत अतिरिक्त रॉयलटी	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- डीएमएफ	-	-	4.89	94.71	-	-	-	-	99.60
	- एनएमईटी	-	-	0.32	6.04	-	-	-	-	6.36
	वस्तु एवं सेवा कर:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- सीजीएसटी	-	-	28.13	36.04	-	-	-	-	64.17
	- एसजीएसटी	-	-	28.13	36.04	-	-	-	-	64.17
	- आईजीएसटी	-	-	180.41	0.35	-	-	-	-	180.76
	जीएसटी मुआवजा उपकर	-	-	1,082.01	325.06	-	-	-	-	1,407.07
	कोयले पर उपकर	-	-	1,715.28	8.25	-	-	-	-	1,723.53
	राज्य बिक्री कर/वैट	-	-	-	0.10	-	-	-	-	0.10
	केंद्रीय बिक्री कर	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	अन्य	-	-	-	5.41	-	-	-	-	5.41
	कुल			3,055.47	806.92					3,862.39
बीसीसीएल	रॉयलटी	-	-	-	1,413.76	-	-	-	-	1,413.76
	एमएमडीआर अधिनियम के तहत अतिरिक्त रॉयलटी	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- डीएमएफ	-	-	-	400.83	-	-	-	-	400.83
	- एनएमईटी	-	-	-	27.74	-	-	-	-	27.74
	वस्तु एवं सेवा कर:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- सीजीएसटी	-	-	0.05	227.20	-	-	-	-	227.25
	- एसजीएसटी	-	-	0.05	227.20	-	-	-	-	227.25
	- आईजीएसटी	-	-	0.01	11.70	-	-	-	-	11.71
	जीएसटी मुआवजा उपकर	-	-	5.39	1,301.39	-	-	-	-	1,306.78
	कोयले पर उपकर	-	-	33.06	-	-	-	-	-	33.06
	राज्य बिक्री कर/वैट	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	केंद्रीय बिक्री कर	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	अन्य	-	-	-	90.42	-	-	-	-	90.42
	कुल			38.56	3,700.24					3,738.80

कंपनी	विवरण	राज्य								(₹ करोड़ में)
		मध्य प्रदेश	छत्तीसगढ़	पश्चिम बंगाल	झारखण्ड	महाराष्ट्र	उत्तर प्रदेश	ओडिशा	असम	
2022-23										
सीसीएल	रॉयलटी	-	-	-	2,102.58	-	-	-	-	2,102.58
	एमएमडीआर अधिनियम के तहत अतिरिक्त रॉयलटी	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- डीएमएफ	-	-	-	625.03	-	-	-	-	625.03
	- एनएमईटी	-	-	-	45.31	-	-	-	-	45.31
	वस्तु एवं सेवा कर:	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- सीजीएसटी	-	-	-	316.13	-	-	-	-	316.13
	- एसजीएसटी	-	-	-	316.13	-	-	-	-	316.13
	- आईजीएसटी	-	-	-	0.02	-	-	-	-	0.02
	जीएसटी मुआवजा उपकर	-	-	-	3,011.06	-	-	-	-	3,011.06
	कोयले पर उपकर	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	राज्य बिक्री कर/वैट	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	केंद्रीय बिक्री कर	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	अन्य	-	-	-	485.94	-	-	-	-	485.94
	कुल				6,902.20					6,902.20
एनसीएल	रॉयलटी	2,143.79	-	-	-	-	583.87	-	-	2,727.66
	एमएमडीआर अधिनियम के तहत अतिरिक्त रॉयलटी	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- डीएमएफ	646.14	-	-	-	-	177.42	-	-	823.56
	- एनएमईटी	43.29	-	-	-	-	11.62	-	-	54.91
	वस्तु एवं सेवा कर:	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- सीजीएसटी	264.74	-	-	-	-	73.93	-	-	338.67
	- एसजीएसटी	264.74	-	-	-	-	73.93	-	-	338.67
	- आईजीएसटी	0.40	-	-	-	-	3.92	-	-	4.32
	जीएसटी मुआवजा उपकर	4,434.50	-	-	-	-	911.49	-	-	5,345.99
	कोयले पर उपकर	-	-	-	-	-	17.51	-	-	17.51
	राज्य बिक्री कर/वैट	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	केंद्रीय बिक्री कर	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	अन्य	934.44	-	-	-	-	71.15	-	-	1,005.59
	कुल	8,732.04					1,924.84			10,656.88
डब्ल्यूसीएल	रॉयलटी	106.92	-	-	-	1,847.39	-	-	-	1,954.31
	एमएमडीआर अधिनियम के तहत अतिरिक्त रॉयलटी	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- डीएमएफ	32.08	-	-	-	554.22	-	-	-	586.30
	- एनएमईटी	2.14	-	-	-	36.95	-	-	-	39.09
	वस्तु एवं सेवा कर:	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- सीजीएसटी	17.64	-	-	-	227.21	-	-	-	244.85
	- एसजीएसटी	17.64	-	-	-	227.21	-	-	-	244.85
	- आईजीएसटी	0.22	-	-	-	0.57	-	-	-	0.79
	जीएसटी मुआवजा उपकर	123.77	-	-	-	2,342.42	-	-	-	2,466.19
	कोयले पर उपकर	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	राज्य बिक्री कर/वैट	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	केंद्रीय बिक्री कर	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	अन्य	56.03	-	-	-	-	-	-	-	56.03
	कुल	356.44				5,235.97				5,592.41
एसईसीएल	रॉयलटी	337.15	2,921.37	-	-	-	-	-	-	3,258.52
	एमएमडीआर अधिनियम के तहत अतिरिक्त रॉयलटी	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- डीएमएफ	101.75	804.76	-	-	-	-	-	-	906.51
	- एनएमईटी	6.78	53.61	-	-	-	-	-	-	60.39
	वस्तु एवं सेवा कर:	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- सीजीएसटी	48.04	330.48	0.51	-	-	-	-	-	379.03
	- एसजीएसटी	48.04	330.48	0.51	-	-	-	-	-	379.03

(₹ करोड़ में)

कंपनी	विवरण	राज्य								2022-23
		मध्य प्रदेश	छत्तीसगढ़	पश्चिम बंगाल	झारखण्ड	महाराष्ट्र	उत्तर प्रदेश	ओडिशा	असम	
	- आईजीएसटी	0.17	0.77	0.08	-	-	-	-	-	1.02
	जीएसटी मुआवजा उपकर	398.36	5,981.21	0.05	-	-	-	-	-	6,379.62
	कोयले पर उपकर	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	राज्य बिक्री कर/वैट	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	केंद्रीय बिक्री कर	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	अन्य	118.72	474.19	-	-	-	-	-	-	592.91
	कुल	1,059.01	10,896.87	1.15						11,957.03
एमसीएल	रॉयल्टी	-	-	-	-	-	-	3,607.86	-	3,607.86
	एमएमडीआर अधिनियम के तहत अतिरिक्त रॉयल्टी	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- डीएमएफ	-	-	-	-	-	-	1,086.25	-	1,086.25
	- एनएमईटी	-	-	-	-	-	-	71.68	-	71.68
	वस्तु एवं सेवा कर:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- सीजीएसटी	-	-	-	-	-	-	427.22	-	427.22
	- एसजीएसटी	-	-	-	-	-	-	427.22	-	427.22
	- आईजीएसटी	-	-	-	-	-	-	0.83	-	0.83
	जीएसटी मुआवजा उपकर	-	-	-	-	-	-	7,675.51	-	7,675.51
	कोयले पर उपकर	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	राज्य बिक्री कर/वैट	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	केंद्रीय बिक्री कर	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	कुल							13,296.58		13,296.58
सीएसपीडीआईएल	रॉयल्टी	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	एमएमडीआर अधिनियम के तहत अतिरिक्त रॉयल्टी	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- डीएमएफ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- एनएमईटी	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	वस्तु एवं सेवा कर:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- सीजीएसटी	16.23	18.11	9.80	19.84	11.73	-	9.31	-	85.02
	- एसजीएसटी	16.23	18.89	9.90	21.02	11.73	-	9.66	-	87.43
	- आईजीएसटी	6.63	3.54	2.67	21.02	4.26	-	1.11	-	39.23
	जीएसटी मुआवजा उपकर	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	कोयले पर उपकर	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	राज्य बिक्री कर/वैट	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	केंद्रीय बिक्री कर	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	कुल	39.09	40.53	22.37	61.88	27.72	-	20.08	-	211.68
सीआईएल	रॉयल्टी	-	-	-	-	-	-	-	25.39	25.39
	एमएमडीआर अधिनियम के तहत अतिरिक्त रॉयल्टी	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- डीएमएफ	-	-	-	-	-	-	-	7.38	7.38
	- एनएमईटी	-	-	-	-	-	-	-	0.51	0.51
	वस्तु एवं सेवा कर:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- सीजीएसटी	-	-	5.14	-	-	-	-	4.50	0.36
	- एसजीएसटी	-	-	5.14	-	-	-	-	4.50	0.36
	- आईजीएसटी	-	-	239.48	-	-	-	-	4.80	0.33
	जीएसटी मुआवजा उपकर	-	-	-	-	-	-	-	7.25	7.25
	कोयले पर उपकर	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	राज्य बिक्री कर/वैट	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	केंद्रीय बिक्री कर	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	अन्य	-	-	-	-	-	-	-	1.00	1.00
	कुल	-	-	249.76	-	-	-	-	55.33	306.14

कंपनी	विवरण	राज्य								(₹ करोड़ में)	2022-23
		मध्य प्रदेश	छत्तीसगढ़	पश्चिम बंगाल	झारखण्ड	महाराष्ट्र	उत्तर प्रदेश	ओडिशा	असम		
कुल मिलाकर	रॉयलटी	2,587.86	2,921.37	16.30	3,811.26	1,847.39	583.87	3,607.86	25.39	-	15,401.30
	एमएमडीआर अधिनियम के तहत अतिरिक्त रॉयलटी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- डीएमएफ	779.97	804.76	4.89	1,120.57	554.22	177.42	1,086.25	7.38	-	4,535.46
	- एनएमईटी	52.21	53.61	0.32	79.09	36.95	11.62	71.68	0.51	-	305.99
	वस्तु एवं सेवा कर:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- सीजीएसटी	346.65	348.59	43.63	599.21	238.94	73.93	436.53	4.50	0.36	2,092.35
	- एसजीएसटी	346.65	349.37	43.73	600.39	238.94	73.93	436.88	4.50	0.36	2,094.75
	- आईजीएसटी	7.42	4.31	422.65	33.09	4.83	3.92	1.94	4.80	0.33	483.29
	जीएसटी मुआवजा उपकर	4,956.63	5,981.21	1,087.45	4,637.51	2,342.42	911.49	7,675.51	7.25	-	27,599.47
	कोयले पर उपकर	-	-	1,748.34	8.25	-	17.51	-	-	-	1,774.10
	राज्य बिक्री कर/वैट	-	-	-	0.10	-	-	-	-	-	0.10
	केंद्रीय बिक्री कर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	अन्य	1,109.19	474.19	-	581.77	-	71.15	-	1.00	-	2,237.30
	कुल	10,186.58	10,937.40	3,367.31	11,471.24	5,263.69	1,924.84	13,316.66	55.33	1.05	56,524.11

अनुलग्न 10

सहायक कंपनी-वार, कोकिंग और गैर-कोकिंग कोयला उत्पादन

(मिलियन टन)

कंपनी	कोकिंग		गैर कोकिंग		कुल	
	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22
ईसीएल	0.007	0.014	35.011	32.415	35.018	32.429
बीसीसीएल	33.716	29.041	2.463	1.470	36.179	30.511
सीसीएल	20.554	17.164	55.534	51.682	76.087	68.846
एनसीएल	0.000	0.000	131.169	122.431	131.169	122.431
डब्ल्यूसीएल	0.094	0.158	64.189	57.551	64.283	57.708
एसईसीएल	0.247	0.225	166.759	142.289	167.006	142.514
एमसीएल	0.000	0.000	193.262	168.167	193.262	168.167
एनईसी	0.000	0.000	0.200	0.028	0.200	0.028
सीआईएल	54.618	46.602	648.586	576.032	703.204	622.634

* इसमें गारे पालमा खत/23 जउ से उत्पादन शामिल है जिसके लिए कोल इंडिया लिमिटेड को एक नामित संरक्षक (एसईसीएल के माध्यम से) नियुक्त किया गया था।

भूमिगत एवं खुली खदानों से उत्पादन

(मिलियन टन में)

कंपनी	भूमिगत		खुली खदान		कुल	
	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22
ईसीएल	8.968	8.996	26.050	23.433	35.018	32.429
बीसीसीएल	0.686	0.806	35.493	29.705	36.179	30.511
सीसीएल	0.863	0.755	75.225	68.091	76.087	68.846
एनसीएल	0.000	0.000	131.169	122.431	131.169	122.431
डब्ल्यूसीएल	2.887	3.041	61.396	54.667	64.283	57.708
एसईसीएल	11.642	11.527	155.364	130.987	167.006	142.514
एमसीएल	0.441	0.500	192.820	167.667	193.262	168.167
एनईसी	0.000	0.000	0.200	0.028	0.200	0.028
सीआईएल	25.487	25.624	677.717	597.010	703.204	622.634

अनुलग्नक 10क

सहायक कंपनी-वार धुले हुए कोयले (कोकिंग) का उत्पादन

(लाख टन)

कंपनी	धुले हुए कोकिंग कोल	
	2022-23	2021-22
बीसीसीएल	14.34	12.09
सीसीएल	7.22	4.00
सीआईएल	21.55	16.09

अनुलग्नक 10ख

सहायक कंपनी-वार ओवरबर्डन रिमूवल

(मि.सीयुएम)

कंपनी	2022-23	2021-22
ईसीएल	133.128	118.989
बीसीसीएल	114.474	105.374
सीसीएल	106.581	100.066
एनसीएल	467.533	362.650
डब्ल्यूसीएल	325.613	273.236
एसईसीएल	263.389	195.216
एमसीएल	245.964	206.173
एनईसी	1.946	0.355
सीआईएल	1658.627	1362.060

अनुलग्नक 11

उपकरणों की संख्या

उपकरण	उपकरण की संख्या		सीआईएल मानदंड के % के रूप में दर्शाया गया है			
	1.4.2023 तक	1.4.2022 तक	उपलब्धता		उपयोग	
			2022-23	2021-22	2022-23	2021-22
ड्रैगलाइन	27	28	97	89	103	92
बेलचा	625	600	97	96	69	68
डम्पर	2514	2589	116	115	65	69
डोजर	937	965	107	103	48	48
ड्रिल	586	604	109	108	49	50

01.04.2023 तक सहायक कंपनी के अनुसार प्रमुख एचईएमएम की संख्या

उपकरण	ईसीएल	बीसीसीएल	सीसीएल	एनसीएल	डब्ल्यूसीएल	एसईसीएल	एमसीएल	सीआईएल
ड्रैगलाइन	1	1	-	23	-	2	-	27
बेलचा	53	90	99	107	117	83	76	625
डम्पर	190	318	337	502	323	517	327	2514
डोजर	78	95	178	162	142	142	140	937
ड्रिल	49	80	108	130	69	85	65	586
कुल	371	584	722	924	651	829	608	4689

अनुलग्नक 12

पूँजीगत व्यय का सहायक कंपनीवार विवरण

(₹ करोड़ में)

कंपनी	विव 2022-23		विव 2021-22	
	बीई	वास्तविक	बीई	वास्तविक
ईसीएल	1220.00	1132.84	1180.00	1227.99
बीसीसीएल	900.00	999.18	850.00	864.50
सीसीएल	1925.00	2443.27	1850.00	1863.30
एनसीएल	1900.00	2222.94	1410.00	1891.16
डब्ल्यूसीएल	900.00	1067.88	875.00	994.64
एसईसीएल	4650.00	4856.58	3500.00	2949.11
एमसीएल	3800.00	3932.78	3700.00	3882.20
सीएमपीडीआईएल	40.00	42.97	33.00	42.60
सीआईएल स्टैंडअलोन*	1165.00	1920.83	1287.00	1685.46
कुल	16500.00	18619.27	14685.00	15400.96

* इसमें वित्तीय वर्ष 2022-23 में जेवी के कैपेक्स में सीआईएल की हिस्सेदारी के लिए 1796.72 करोड़ रुपये शामिल हैं।

परियोजना कार्यान्वयन की स्थिति

क) वर्ष 2022-23 के दौरान पूर्ण की गई परियोजनाएँ

क्र. सं.	सहायक कंपनियाँ	परियोजनाओं का नाम	प्रकार	स्वीकृत क्षमता (एमटीवाई)	स्वीकृत पूँजी (करोड़ रुपये)	समापन पूँजी (करोड़ रुपये)
1	ईसीएल	खोटाडीह एक्सपेंशन ओसीपी	ओसी	1.60	302.57	302.57
2	ईसीएल	कुमारडीह-बी सीएम	यूजी	1.02	117.09	117.09
3	एसईसीएल	सरयपाली ओसीपी आरसीई	ओसी	1.40	143.63	164.73
कुल				4.02	563.29	584.39

ख) वर्ष 2022-23 के दौरान परियोजनाओं का उत्पादन शुरू हुआ

क्र.सं.	सहायक कंपनियाँ	परियोजनाओं का नाम	प्रकार	स्वीकृत क्षमता (एमटीवाई)	स्वीकृत पूँजी (रुपये करोड़)	उत्पादन (मि.ट.)
1	ईसीएल	नकरकोंडा कुमारडीह बी ओसी	ओसी	3.00	502.67	0.444
2	ईसीएल	हुरा सी ओसीपी	ओसी	3.00	859.41	0.239
3	सीसीएल	सयाल डी ओसीपी	ओसी	1.00	48.35	0.168
4	एसईसीएल	केतकी यूजी एक्सप.	यूजी	0.87	134.34	0.00009
5	एसईसीएल	रामपुर बटुरा ओसी	ओसी	4.00	1248.93	0.000005
6	डब्ल्यूसीएल	धूपतला ओसी (सस्ती यूजी से ओसी)	ओसी	2.50	720.87	0.7005

क) वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान सीआईएल बोर्ड द्वारा स्वीकृत खनन परियोजनाएँ

क्र. सं.	स. कं	परियोजना	वर्ग	अनुमोदन की तारिख	स्वीकृत क्षमता (एमटीवाई)	स्वीकृत पूँजी (करोड़ रुपये)
1	ईसीएल	हुरा सी ओसीपी	ओसी	10.08.2022	3.00	859.41
2	ईसीएल	तिलबोनी यूजी का यूसीई	यूजी	31.01.2023	1.86	749.07
3	ईसीएल	परासिया बेलबैड यूजी का यूसीई	यूजी	31.01.2023	2.07	389.1
4	बीसीसीएल	एनटीएसटी कुजामा ओसीपी	ओसी	04.01.2023	8.50	4011.85
5	एनईसी	तिराप ओसीपी की आरसीई	ओसी	28.11.2022	0.60	310.86
6	एनईसी	टिकक एक्सटेंशन ओसीपी की आरसीई	ओसी	05.07.2022	0.20	177.71
7	एमसीएल	हिंगुला एक्सपेंशन ओसीपी पीएच-III का आरपीआर	ओसी	07.11.2022	15.00	2264.86
8	एमसीएल	भुवनेश्वरी एमडीओ के पीआर	ओसी	04.01.2023	50.00	4563.51
उप कुल (क)				81.23	13326.37	

ख) वित्त वर्ष-2022-23 के दौरान सहायक कंपनी बोर्डों द्वारा स्वीकृत खनन परियोजनाएँ

क्र. सं.	स. कं	परियोजना	वर्ग	अनुमोदन की तारिख	स्वीकृत क्षमता (एमटीवाई)	स्वीकृत पूँजी (करोड़ रुपये)
1	सीसीएल	स्वांग पिपराडीह ओसीपी	ओसी	14.05.2022	2.00	363.32
2	एसईसीएल	कटकोना यूजी के पीआर	स्नातकीय	29.01.2023	1.74	329.22
3	एसईसीएल	पेल्मा ओसीपी	ओसी	14.10.2022	15.00	1725.04
4	एसईसीएल	मदननगर ओसीपी	ओसी	14.10.2022	12.00	1802.29
5	डब्ल्यूसीएल	सिंघोरी डीप ओसीपी के पीआर	ओसी	05.05.2022	2.00	421.84
6	डब्ल्यूसीएल	मकाधोकरा का पीआर-ख विस्तार ओसी	ओसी	14.06.2022	4.90	497.06
7	डब्ल्यूसीएल	शारदा यूजी का आरपीआर	यूजी	29.07.2022	0.51	200.16
8	डब्ल्यूसीएल	उर्धन ओसी एक्सप्लान	ओसी	29.07.2022	1.00	228.42
9	डब्ल्यूसीएल	भानेगांव ओसीपी के आर.पी.आर	ओसी	19.09.2022	1.15	494.60
10	डब्ल्यूसीएल	समामेलित धनकसा जमुनिया यूजी	यूजी	19.09.2022	1.84	497.01

11	डब्ल्यूसीएल	आरपीआर विष्णुपुरी यूजी से ओसी	ओसी	04.11.2022	1.50	227.65
12	डब्ल्यूसीएल	बल्लारपुर एनडब्ल्यू रीकास्ट	ओसी	16.12.2022	1.50	360.81
13	डब्ल्यूसीएल	कोलगांव एक्सप्रेशन डीप ओसी	ओसी	28.01.2023	0.80	206.19
14	डब्ल्यूसीएल	गाडेगांव ओसी	ओसी	28.01.2023	3.00	488.58
15	डब्ल्यूसीएल	आरपीआर पौनी विस्तार ओसी	ओसी	25.03.2023	4.875	464.45
16	डब्ल्यूसीएल	आरपीआर गौरी पौनी एक्सप्रेस ओसी	ओसी	25.03.2023	5.25	497.22
उप कुल (ख) - 16 संख्या					59.07	8803.85
कुल (क+ख) - 24 संख्या					140.30	22130.22

सीआईएल और सहायक कंपनी बोर्ड द्वारा स्वीकृत गैर-खनन परियोजनाएँ 2022-23

क्र. सं.	स.कं.	परियोजना	अनुमोदन की तारिख	स्वीकृत पूँजी (करोड़ रुपये)
क. सीआईएल बोर्ड द्वारा स्वीकृत गैर-खनन परियोजनाएँ - 2022-23				
शून्य				
ख. सहायक कंपनी बोर्ड द्वारा स्वीकृत गैर-खनन परियोजनाएँ - 2022-23				
1	बीसीसीएल	2.5 एमटीपीए मुनीडीह कोकिंग कोल वाशरी	30.07.2022	454.30
2	बीसीसीएल	भोजूडीह वाशरी, बीसीसीएल में 25 मेगावाट की ग्राउंड माउंटेड सौर ऊर्जा परियोजना	24.09.2022	163.00
3	बीसीसीएल	दुधा वाशरी, बीसीसीएल में 22 मेगावाट की ग्राउंड माउंटेड सौर ऊर्जा परियोजना	05.01.2023	150.15
4	एसईसीएल	एसईसीएल के जोहिला और हसदेव क्षेत्र में एसईसीएल की अपनी भूमि पर प्रथम चरण में 40 मेगावाट के ग्राउंड माउंटेड ग्रिड कनेक्टेड सौर ऊर्जा प्लांट की स्थापना।	18.07.2022	275.83
उप कुल (ख)				
कुल (क+ख) - गैर खनन - 4 संख्या				
1043.28				
1043.28				

अनुलग्नक 14

सुरक्षा प्रदर्शन:

तालिका: 1 - सन 1975 से 5 वार्षिक औसत के सीआईएल के तुलनात्मक दुर्घटना आँकड़े

निर्धारित समय - सीमा	औसत घातक दुर्घटनाएँ		औसत गंभीर दुर्घटनाएँ		औसत मृत्यु दर		औसत गंभीर घायल दर	
	दुर्घटनाएँ	मृत्यु दर	दुर्घटनाएँ	घायल	प्रति मि. ट.	प्रति 3 लाख मैनशिफ्ट	प्रति मि. ट.	प्रति 3 लाख मैनशिफ्ट
1975-79	157	196	1224	1278	2.18	0.44	14.24	2.89
1980-84	122	143	1018	1065	1.29	0.30	9.75	2.26
1985-89	133	150	550	571	0.98	0.30	3.70	1.15
1990-94	120	145	525	558	0.694	0.30	2.70	1.19
1995-99	98	124	481	513	0.50	0.29	2.06	1.14
2000-04	68	82	499	526	0.28	0.22	1.80	1.47
2005-09	60	80	328	339	0.22	0.25	0.92	1.04
2010-14	56	62	219	228	0.138	0.23	0.49	0.80
2015-19	33	43	107	112	0.08	0.18	0.19	0.47
2020	29	30	73	80	0.05	0.14	0.13	0.37
2021	27	29	57	61	0.05	0.13	0.10	0.28
2022	18	20	61	65	0.03	0.08	0.09	0.26

नोट: डीजीएमएस के साथ सामंजस्य के अधीन और दुर्घटना सांख्यिकी को डीजीएमएस अभ्यास के अनुरूप कैलेंडर वर्ष-वार बनाए रखा जाता है।

तालिका-2: वर्ष 2022 के लिए सीआईएल की सहायक कंपनी-वार दुर्घटना सांख्यिकी

कंपनी	घातक दुर्घटनाएँ	मृत्यु	गंभीर दुर्घटनाएँ	गंभीर घायल	मृत्यु दर		गंभीर घायल दर	
					प्रति मिल. ह.	प्रति 3 लाख मैनशिफ्ट	प्रति मिल. ह.	प्रति 3 लाख मैनशिफ्ट
ईसीएल	2	2	9	9	0.06	0.05	0.26	0.22
बीसीसीएल	4	5	2	3	0.14	0.20	0.08	0.12
सीसीएल	2	2	3	3	0.03	0.08	0.04	0.12
एनसीएल	1	1	8	8	0.01	0.04	0.06	0.31
वेकोलि	1	2	10	12	0.03	0.03	0.19	0.20
एसईसीएल	8	8	25	26	0.05	0.24	0.17	0.78
एमसीएल	0	0	4	4	0.00	0.00	0.02	0.13
एनईसी	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
सीआईएल	18	20	61	65	0.03	0.08	0.09	0.26

नोट: दुर्घटना सांख्यिकी को डीजीएमएस अभ्यास के अनुरूप कैलेंडर वर्षवार बनाए रखा जाता है और आंकड़े डीजीएमएस के साथ मिलान के अधीन होते हैं।

तालिका-3: वर्ष 2022 के लिए सीआईएल में कारण-वार मृत्यु

कारण	ईसीएल	बीसीसीएल	सीसीएल	एनसीएल	डब्ल्यूसीएल	एमईसीएल	एमसीएल	कुल
व्यक्ति की क्षति	0	0	0	1	0	1	0	2
वस्तु की क्षति	0	1	0	0	0	1	0	2
गैर-परिवहन एम/सी	0	0	0	0	0	2	0	2
डंपर	0	1	0	0	0	0	0	1
टिपर	0	0	1	0	0	1	0	2
छत/साइड फॉल	2	0	0	0	2	1	0	5
गैस, धूल, आग	0	3	1	0	0	2	0	6
कुल	2	5	2	1	2	8	0	20

तालिका-4: वर्ष 2022 के लिए सीआईएल में स्थान-वार मृत्यु दर

कंपनी	यूजी	ओसी	सतह	कुल
ईसीएल	2	0	0	2
बीसीसीएल	0	5	0	5
सीसीएल	0	1	1	2
एनसीएल	0	0	1	1
वेकोलि	2	0	0	2
एसईसीएल	2	4	2	8
एमसीएल	0	0	0	0
सीआईएल	6	10	4	20

तालिका-5: वर्ष 2022 के लिए सीआईएल में कारण-वार गंभीर रूप से घायल

	ईसीएल	बीसीसीएल	सीसीएल	एनसीएल	डब्ल्यूसीएल	एमईसीएल	एमसीएल	कुल
व्यक्ति की क्षति	4	0	1	1	5	8	1	20
वस्तु की क्षति	4	2	0	4	1	5	0	16
गैर-परिवहन एम/सी	0	0	0	1	1	3	1	6
दुलाई	1	0	0	0	0	1	0	2
कवेयर	0	1	1	0	1	0	0	3
विविध	0	0	0	0	4	2	0	6
टिपर	0	0	1	1	0	2	2	6
छत/साइड फॉल	0	0	0	0	0	5	0	5
विस्फोटक	0	0	0	1	0	0	0	1
कुल	9	3	3	8	12	26	4	65

तालिका-6: वर्ष 2022 के लिए सीआईएल में स्थानवार गंभीर रूप से घायल

कंपनी	यूजी	ओसी	सतह	कुल
ईसीएल	7	2	0	9
बीसीसीएल	0	2	1	3
सीसीएल	0	2	1	3
एनसीएल	0	6	2	8
वेकोलि	3	6	3	12
एसईसीएल	13	8	5	26
एमसीएल	0	3	1	4
सीआईएल	23	29	13	65

अनुलग्नक 15

सहायक कंपनिवार श्रमशक्ति

(संच्चाओं में आकड़े)

कंपनी	दिनांक 01.04.23 तक श्रमशक्ति की संख्या	दिनांक 01.04.22 तक श्रमशक्ति की संख्या
ईसीएल	51074	52935
बीसीसीएल	37037	38915
सीसीएल	34975	35861
डब्ल्यूसीएल	34390	35741
एसईसीएल	41832	44405
एमसीएल	21827	21863
एनसीएल	13753	14228
एनईसी	667	774
सीएमपीडीआई	2855	2948
डीसीसी	133	173
सीआईएल(मुख्यालय)	667	707
कुल (संपूर्ण सीआईएल)	2,39,210	2,48,550

अनुलग्नक 16

कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा ऋण और अग्रिम, गारंटी, निवेश

(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186(4) के अनुसार प्रकटीकरण)

(₹ करोड़ में)

	सीआईएल स्टैंडअलोन दिनांक 31.03.2023 तक	सीआईएल समेकित दिनांक 31.03.2023 तक	उद्देश्य
क. गैर-चालू ऋण और अग्रिम			
कॉपरेट निकाय और कर्मचारियों को ऋण			
- सुरक्षित, अच्छा माना जाता है	0.02	12.91	कर्मचारी लाभ उपाय के एक भाग के रूप में
- असुरक्षित, अच्छा माना जाता है	-	86.81	एसईसीएल की सहायक कंपनी सीईआरएल द्वारा रेल विभाग को ऋण
- क्रेडिट इम्प्रेयर्ड	1.87	2.15	
	1.89	101.87	
घटाव: संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ता	1.87	0.02	2.15
गैर ब्याज अग्रिम पर आस्थित परिसंपत्ति			99.72
कुल (क)		0.02	272.49
ख. अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ			
गैर चालू			372.21

	सीआईएल स्टैंडअलोन दिनांक 31.03.2023 तक	सीआईएल समेकित दिनांक 31.03.2023 तक	उद्देश्य
प्रतिभूति जमाराशि	3.48	503.49	पी एंड टी, बिजली आदि के लिए प्रतिभूति जमाराशि
घटाव : संदिग्ध प्रतिभूति जमाराशि के लिए भत्ता 12 महीने से अधिक की परिपक्ता अवधि वाला बैंक जमाराशि	- 3.48	22.05 481.44	
खान बंदी योजना के तहत बैंक में जमाराशि	0.14	309.29	अधिशेष निधि का जमाराशि
स्थानांतरण एवं पुनर्वास निधि योजना के अंतर्गत बैंक में जमाराशि	75.32	10,120.99	कोयला मंत्रालय द्वारा जारी खान बंद करने संबंधी दिशा-निर्देशों की आवश्यकता के अनुसार खान बंदी एस्क्रो निधि में जमाराशि
अन्य जमाराशि और प्राप्तियां	5,320.15	5,320.15	स्थानांतरण और पुनर्वास निधि में जमाराशि
घटाव : संदिग्ध जमाराशि और प्राप्तियों के लिए भत्ता	35.37	72.18	बाहरी व्यक्तियों से प्राप्त किए जाने वाले दावे इत्यादि।
कुल (ख)	5,434.46	16,300.29	
ग. अन्य गैर-चालू संपत्तियां			
अग्रिम पूँजी	44.23	5,271.43	कंपनी के लिए परिसंपत्तियों की खरीद के लिए
घटाव : संदिग्ध अग्रिमों के लिए भत्ता	1.43	42.80	5.76 5,262.67
(ii) अग्रिम पूँजी के अलावा अन्य अग्रिम			
अन्य जमाराशि एवं अग्रिम	-	98.82	दिन-प्रतिदिन की सेवाएं प्राप्त करने और विविध वस्तुओं और अन्य सेवाओं आदि की खरीद के लिए सुरक्षा जमाराशि।
कम : संदिग्ध अन्य जमाराशि और अग्रिमों के लिए भत्ता	-	5.57	93.25
प्रगतिशील खदान बंद करने का व्यय	-	4,250.23	प्रगतिशील खदान बंद करने की गतिविधियों पर किए गए व्यय के लिए एस्क्रो फंड से प्राप्त राशि
कुल (ग)	42.80	9,606.15	
कुल (क+ख+ग)	5,477.28	26,278.65	

कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा क्रण और अग्रिम, गारंटी, निवेश

(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186(4) के अनुसार प्रकटीकरण)

(₹ करोड़)

	सीआईएल स्टैंडअलोन दिनांक 31.03.2023 तक	सीआईएल समेकित दिनांक 31.03.2023 तक	उद्देश्य
ख. चालू क्रण और अग्रिम			
क. क्रण			
निकाय, कॉर्पोरेट और कर्मचारियों को क्रण	-	1.17	कर्मचारी लाभ उपाय के एक भाग के रूप में
- सुरक्षित, अच्छा माना जाता है		19.62	
- असुरक्षित, अच्छा माना जाता है	-	20.79	
कुल (क)			
ख. अन्य वित्तीय संपत्तियाँ			
चालू संपत्ति			
प्रतिभूति जमाराशि	0.34	23.61	
सहायक कंपनियों के साथ चालू खाता	757.92	-	शीर्ष शुल्क, पुनर्वास शुल्क और अन्य लेनदेन से संबंधित सहायक कंपनियों के साथ लेनदेन के लिए
घटाव : सहायक कंपनियों के साथ संदिग्ध शेष राशि के लिए भत्ता	53.83	704.09	-
आईआईसीएम के साथ शेषराशि		5.83	5.41 आईआईसीएम प्रशिक्षण संस्थान के साथ लेन-देन के लिए।
अर्जित ब्याज	246.21	716.92	निवेश, बैंक जमाराशि आदि पर प्राप्त ब्याज।
अन्य जमाराशि और प्राप्तियाँ	19.70	2,024.18	इसमें मुख्य रूप से ग्राहकों से प्राप्त दावा, वसूली योग्य आयकर रिफंड, ठेकेदारों, ग्राहकों और आपूर्तिकर्ताओं से वसूली योग्य राशि, स्थानांतरण और पुनर्वास निधि पर प्राप्त ब्याज आदि शामिल हैं।
घटाव : संदिग्ध जमाराशि और प्राप्तियों के लिए भत्ता	3.47	16.23	53.16 1,971.02
कुल (ख)		972.70	2,716.96
ग. अन्य वर्तमान परिसंपत्तियाँ			
सांविधिक देय राशियों का अग्रिम भुगतान	-	1,387.59	विभिन्न वैधानिक अधिनियमों की आवश्यकता के अनुसार
घटाव : संदिग्ध सांविधिक देय राशियों के लिए भत्ता	-	-	1,387.59
संबंधित पक्षों को अग्रिम (सीएमपीडीआईएल के साथ आर एंड डी)		67.27	आर एंड डी और अन्य निधि के लिए सीएमपीडीआईएल को अग्रिम कर्मचारियों को वसूली योग्य अग्रिम, विभिन्न विविध खर्चों के लिए अग्रिम, आयकर, वाणिज्यिक कर आदि से संबंधित में भुगतान।
अन्य अग्रिम और जमाराशि	252.84	17,837.68	
घटाव : संदिग्ध अन्य जमाराशि और अग्रिमों के लिए भत्ता	2.27	250.57	55.39 17,782.29
प्रगतिशील खदान बंद करने का व्यय		0.40	675.20 प्रगतिशील खदान बंद करने की गतिविधियों पर किए गए व्यय के लिए एस्क्रो फंड से प्राप्त।
इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त		76.81	11,589.85 इनपुट टैक्स क्रेडिट का उपयोग किया जाना है।
कुल (ग)		395.05	31,434.93
कुल (क+ख+ग)		1,367.75	34,172.68

(₹ करोड़)

	सीआईएल स्टैंडअलोन दिनांक 31.03.2023 तक	सीआईएल समेकित दिनांक 31.03.2023 तक
ग. गारंटी		
क. सहायक कंपनियों ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड और महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड का निर्यात विकास निगम, कनाडा और नैटिक्सिस बैंक को दिए गए ऋण (मूलधन और ब्याज) के तहत उनके दायित्वों की सीमा तक बकाया शेषराशि दिनांक 31.03.2023 तक इस प्रकार है:		
निर्यात विकास निगम, कनाडा	163.73	163.73
नैटिक्सिस बैंक, पेरिस	4.58	4.58
ख. बैंक गारंटी	0.00	4058.96
कुल (ग)	168.31	4227.27

(₹ करोड़)

	सीआईएल स्टैंडअलोन दिनांक 31.03.2023 तक	सीआईएल समेकित दिनांक 31.03.2023 तक	उद्देश्य
घ. निवेश			
1. गैर चालू निवेश (अनकोट)			
क. सहकारी शेयरों में निवेश (अनकोट)			प्रबंधन की भागीदारी
कोयला खान अधिकारी सहकारी ऋण समिति लिमिटेड में “बी” श्रेणी के शेयर।	-	0.05	
दिशेरगढ़ कॉली वर्कर के सेंट्रल को-ऑप्ट स्टोर लिमिटेड में “डी” श्रेणी के शेयर।	-	0.01	
मुमा कोलफील्ड कॉली वर्कर्स सेंट्रल को-ऑप्ट स्टोर लिमिटेड	-	0.01	
सोदपुर कॉली एम्प्लॉइ को-ऑप्ट क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड में “बी” श्रेणी के शेयर।	-	0.005	
धेनोमैन कॉली एम्प्लॉइज को-ऑप्ट क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड में “बी” श्रेणी के शेयर।	-	0.005	
कुल (क)	-	0.08	
इकिटी उपकरणों में निवेश			
(ख) सहायक कंपनियों में इकिटी शेयर			पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी में महत्वपूर्ण निवेश
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (सेंक्टोरिया, पश्चिम बंगाल)	4269.42	-	
सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (रांची, झारखण्ड)	940.00	-	
भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (धनबाद, झारखण्ड)	4657.00	-	
वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (नागपुर, महाराष्ट्र)	297.10	-	
सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड (रांची, झारखण्ड)	19.04	-	
नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (सिंगरौली, मध्य प्रदेश)	126.19	-	
साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (बिलासपुर, छत्तीसगढ़)	278.36	-	
महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (संबलपुर, उडीसा)	132.37	-	
कोल इंडिया अप्रीकाना लिमिटेड (मोआटाइज़, मोज़ाम्बिक)	0.53	-	
सीआईएल सोलर पीवी लिमिटेड (कोलकाता, पश्चिम बंगाल)	0.05	-	
सीआईएल नविकर्णीय ऊर्जा लिमिटेड (कोलकाता, पश्चिम बंगाल)	0.05	-	
कुल (ख)	10,720.11	-	

	सीआईएल स्टैंडअलोन दिनांक 31.03.2023 तक	सीआईएल समेकित दिनांक 31.03.2023 तक	उद्देश्य
(ग) संयुक्त उद्यम कंपनियों में इकिटी शेयर (अनकोटेड)			
इंटरनेशनल कोल वैंचर प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली	2.80	7.75	विदेश में कोर्किंग कोयला संपत्तियों के अधिग्रहण के लिए संयुक्त उद्यम
सीआईएल एनटीपीसी ऊर्जा प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली	0.08	0.08	कोयले के खनन के साथ-साथ संयुक्त एकीकृत बिजली प्लांट स्थापित करने के लिए संयुक्त उद्यम
तालचर फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, भुवनेश्वर, उड़ीसा	805.48	809.30	एफसीआईएल की तालचर इकाई के पुनरुद्धार के लिए संयुक्त उद्यम
हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड, कोलकाता	2295.96	2266.86	एफसीआईएल की सिंदरी, गोरखपुर उर्वरक इकाई और एचएफसीएल की बरौनी इकाई के पुनरुद्धार के लिए संयुक्त उद्यम।
कोल लिग्राइट ऊर्जा विकास प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली	0.01	1.33	मुख्य रूप से नवीकरणीय स्रोतों के माध्यम से बिजली उत्पादन के लिए संयुक्त उद्यम।
कुल (ग)	3,104.33	3,085.32	
कुल योग (क+ख+ग) (1)	13,824.44	3,085.40	
2. चालू म्यूचुअल फंड निवेश			विभिन्न प्रतिभूतियों में अधिशेष निधि का निवेश
एसबीआई म्यूचुअल फंड - ओवरनाइट	-	660.32	
एसबीआई म्यूचुअल फंड - अल्ट्रा मैग्नम	-	2,083.32	
एसबीआई म्यूचुअल फंड - लिकिड फंड	38.21	1,046.97	
केनरा रोबेको म्यूचुअल फंड	-	66.04	
यूनियन केबीसी म्यूचुअल फंड	0.01	40.27	
बैंक ऑफ बड़ौदा म्यूचुअल फंड	0.01	157.09	
सुरक्षित बांड में निवेश (कोटेड)	-	-	
कुल (2)	38.23	4,054.01	
कुल (1 + 2)	13,862.67	7,139.41	

31 मार्च, 2023 तक कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 5 के साथ पठित धारा 129 की उप-धारा (3) के अनुसार मैं विवरण

फार्म एओसी 1

(कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 5 के साथ पठित धारा 129 की उप-धारा (3) के पहले प्रावधान के अनुसार)

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरण में सहायक कंपनियों/सहयोगी कंपनियों/संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरण की मुख्य विशेषताओं वाला विवरण

भाग "क": सहायक कंपनियाँ

क्र. सं.	सहायक कंपनी का नाम	सहायक कंपनी का अधिगृहण करने की तारीख।	शेयर पूँजी	आरक्षित एवं अधिकार	कुल संपत्ति	कुल देवतायां	निवेश	टर्नओवर	कराधान से पहले लाभ	कराधान के लिए प्रावधान	अल्पसंबंधकों का शेयर	कराधान के बाद लाभ आदि	अन्य व्यापक आय (कर का शुद्धांश)	कुल व्यापक आय	शेयरधारिता का %
भारतीय सहायक कंपनियाँ															
1	ईस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड	01-11-1975	4269.42	(1725.55)	17172.90	17172.90	0.08	19351.00	793.95	177.53	-	616.42	113.74	730.16	100.00
2	भारत कोर्पिका कोल लिमिटेड	01-01-1972	4657.00	(872.87)	13316.76	13316.76	79.72	16337.56	502.88	(142.13)	-	645.01	(134.65)	510.36	100.00
3	सेंट्रल कोलफिल्ड्स लिमिटेड	05-09-1956	940.00	9384.15	25834.59	25834.59	718.59	22720.19	3751.74	994.66	1.94	2757.08	177.59	2934.67	100.00
4	नॉर्ड कोलफिल्ड्स लिमिटेड	28-11-1985	630.94	10545.53	29117.76	29117.76	600.71	32965.11	9357.46	2383.47	-	6973.99	(9.41)	6964.58	100.00
5	वेस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड	29-10-1975	297.10	1793.83	19469.67	19469.67	591.08	20987.76	626.19	159.73	-	466.46	118.65	585.11	100.00
6	साथु ईस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड	28-11-1985	668.06	6221.56	44426.47	44426.47	955.80	3321.84	3301.09	923.25	(42.40)	2377.84	59.28	2437.12	100.00
7	महानदी कोलफिल्ड्स लिमिटेड	03-04-1992	661.84	12568.53	48647.52	48647.52	1069.88	41918.77	18481.06	5011.78	0.21	1363.19	45.26	13508.45	100.00
8	सेंट्रल माइन एवासिंग एंड डिजाइन इस्टर्न्स लिमिटेड	01-11-1975	142.80	1094.98	1919.53	1919.53	-	1637.76	366.95	70.29	-	296.66	19.42	316.08	100.00
9	सीआईएल नविकारी ऊर्जा लिमिटेड	16-04-2021	0.05	-	0.05	0.05	-	-	-	-	-	-	-	100.00	100.00
10	सीआईएल सोलर ऐंटर्प्रायज लिमिटेड	16-04-2021	0.05	-	0.05	0.05	-	-	-	-	-	-	-	100.00	100.00
विदेशी सहायक कंपनी															
11	कोल इंडिया अफ्रीकाना लिमिटेड ^{2 और 3} (मोजाक्विक) (रिपोर्टिंग मुद्रा - एमजेडएस) (₹ लाख में)	10-08-2009	53.13	(5422.47)	51.00	51.00	-	-	(17.05)	-	-	(17.05)	14.35	(2.70)	100.00

नोट:

- सहायक कंपनियों के निगमन की तिथि पर विचार किया गया है
- दिनांक 31.03.2023 को विनियम दर: 1 एमजेडएस = ₹ 1,30004888
- कोल इंडिया अफ्रीकाना लिमिटेड (मोजाक्विक) और सीआईएल सोलर ऐंटर्प्रायज ने अभी तक परिचालन शुरू नहीं किया है

हस्त / -

(सुनील कुमार मेहता)
(बी पी ट्रुबे)

कार्यकारी निदेशक (वित्त)-सीएसओ
कंपनी सचिव

हस्त / -

(प्रमोद अग्रवाल)
(देवाशीष नंदा)

निदेशक (बीडी/वित्त-अतिरिक्त प्रभार)
डीआईएन- 09015566

हस्त / -

(प्रमोद अग्रवाल)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
डीआईएन-00279727

भाग “ख”: सहयोगी और संयुक्त उद्यम

सहयोगी कंपनियों और संयुक्त उद्यमों से संबंधित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 (3) के अनुसार में विवरण

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरण।

(₹ करोड़ में)

संयुक्त उद्यमों का नाम	सीआईएल एनटीपीसी ऊर्जा प्राइवेट लिमिटेड	इंटरनेशनल कोल वैंचर्स प्राइवेट लिमिटेड ¹	तालचर फर्टिलाइजर्स लिमिटेड ¹	हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड	कोल लिग्नाइट ऊर्जा विकास प्राइवेट लिमिटेड
1. नवीनतम लेखापरीक्षित बैलेंस शीट की तारीख	31.03.2022	31.03.2022	31.03.2022	31.03.2022	31.03.2022
2. संयुक्त उद्यम संबद्ध या अधिग्रहित करने की तारीख	27-04-2010	20-05-2009	13-11-2015	15-06-2016	10-11-2020
3. वर्ष के अंत में कंपनी द्वारा आयोजित संयुक्त उद्यमों के शेयर					
संख्या	76900	2800000	805480826	2295955000	10000
एसोसिएट्स/संयुक्त उद्यम में निवेश की राशि	0.08	2.80	805.48	2295.96	0.01
होलिंग की सीमा%	50.00	0.19	33.33	33.33	50.00
4. महत्वपूर्ण प्रभाव का विवरण	समझौते के आधार पर	समझौते के आधार पर	समझौते के आधार पर	समझौते के आधार पर	समझौते के आधार पर
5. संयुक्त उद्यम समेकित नहीं होने का कारण	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
6. नवीनतम लेखापरीक्षित बैलेंस शीट के अनुसार शेयरधारिता के अनुसार नेटवर्थ	0.01	4.52	798.02	1785.27	0.39
7. वर्ष के लिए लाभ/(हानि)।					
i. समेकन ² में विचार किया गया	0.06	-	11.21	(20.35)	0.94
ii. समेकन में विचार नहीं किया गया	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

नोट – 1. तालचर फर्टिलाइजर्स लिमिटेड ने अभी तक परिचालन शुरू नहीं किया है।

2. वित्त वर्ष 2022-23 के लिए वित्तीय विवरण तैयार करने में, उपरोक्त संयुक्त उद्यमों के वित्त वर्ष 2022-23 के लिए प्रबंधन-प्रमाणित वित्तीय विवरणों पर विचार किया गया है, इंटरनेशनल कोल वैंचर्स प्राइवेट लिमिटेड को छोड़कर, जिसके लिए वित्त वर्ष 2021-22 के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों पर विचार किया गया है।

हस्त /-

(प्रमोद अग्रवाल)

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

डीआईएन-00279727

हस्त /-

(देवशीष नंदा)

निदेशक (बीडी/वित्त-अतिरिक्त प्रभार)

डीआईएन- 09015566

हस्त/-

(सुनील कुमार मेहता)

कार्यकारी निदेशक (वित्त)/सीएफओ

हस्त /-

(बी पी दुबे)

कंपनी सचिव

कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट और सामग्री सहायक कंपनियों की सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट और प्रबंधन स्पष्टीकरण।

पारिख एंड एसोसिएट्स

कंपनी सचिव

दूरभाष-022-26301232/1233

कार्यालय

111, 11वीं मंजिल, साई द्वारा सीएचएस लिमिटेड

सब टीवी लेन, लक्ष्मी इंडस्ट्रियल एस्टेट के पीछे, Road,

ऑफ लिंक रोड, शबरी रेस्तरां के ऊपर,

अधेरी (पश्चिम), मुंबई: 400053

Email: cs@parikhassociates.com

parikh.associates@rediffmail.com

फार्म संख्या एमआर-3

सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट

31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 (1) और कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम संख्या 9 के अनुसार)

सेवा में,

सदस्यगण,

कोल इंडिया लिमिटेड

कोलकाता

हमने कोल इंडिया लिमिटेड (नामित 'कंपनी') द्वारा लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन और अच्छी कॉर्पोरेट प्रथाओं के अनुपालन की सचिवीय लेखा परीक्षा की है। सचिवीय लेखापरीक्षा इस तरीके से किया गया जिससे हमें कॉर्पोरेट आचरण/वैधानिक अनुपालन का मूल्यांकन करने और उस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए उचित आधार मिला।

सचिवीय लेखापरीक्षा के संचालन के दौरान कंपनी, उसके अधिकारियों, एजेंटों और अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा प्रदान की गई जानकारी की सीमा तक, कंपनी की पुस्तकों, कागजात, मिनट बुक, दाखिल किए गए फॉर्म और रिटर्न और कंपनी द्वारा रखे गए अन्य रिकॉर्ड के हमारे सत्यापन के आधार पर, हमें दिए गए स्पष्ट विवरण और स्पष्टीकरण और प्रबंधन द्वारा दिए गए अभ्यावेदन और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय और भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा कोविड-19 महामारी के प्रसार के कारण दी गई छूट पर विचार करते हुए, हम एतद्वारा रिपोर्ट करते हैं कि हमारे राय में कंपनी ने 31 मार्च, 2023 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष को कवर करने वाली लेखा परीक्षा अवधि के दौरान, आम तौर पर यहां सूचीबद्ध वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और यह भी कि कंपनी के पास उचित बोर्ड प्रक्रियाएं और अनुपालन तंत्र हैं, इसके बाद की गई रिपोर्टिंग के तरीके और विषय इस प्रकार है :

हमने इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की जांच की है जिसमें किताबें, कागजात, मिनट बुक, दाखिल किए गए फॉर्म और रिटर्न और अन्य रिकॉर्ड शामिल हैं जो हमें उपलब्ध कराए गए हैं और 31 मार्च, 2023 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी द्वारा बनाए गए हैं :

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और उसके तहत बनाए गए नियम;

(ii) प्रतिभूति अनुबंध (विनियम) अधिनियम, 1956 ('एससीआरए') और उसके तहत बनाए गए नियम;

(iii) डिपॉजिटरी अधिनियम, 1996 और उसके तहत बनाए गए विनियम और उपनियम;

(iv) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और उसके तहत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और बाहरी वाणिज्यिक उधार की सीमा तक बनाए गए नियम और विनियम;

(v) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 ('सेबी अधिनियम') के तहत निर्धारित निम्नलिखित विनियम और दिशानिर्देश

(क) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) विनियम, 2011;

(ख) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियम, 2015;

(ग) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूँजी और प्रकटीकरण आवश्यकताओं का मुद्दा) विनियम, 2018 और समय-समय पर संशोधन; (लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं)

(घ) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ और स्वेट इकिटी) विनियम, 2021; (लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं)

(ङ) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (गैर-परिवर्तनीय प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीकरण) विनियम, 2021; (लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं)

(च) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (इश्यू और शेयर ट्रांसफर एजेंटों के रजिस्ट्रार) विनियम, 1993 कंपनी अधिनियम और ग्राहक के साथ व्यवहार के संबंध में; (लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं);

- (छ) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (इकिटी शेयरों की डीलिस्टिंग) विनियम, 2021; (लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं) रपब्र
- (ज) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद) विनियम, 2018; (लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं)
- (vi) सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा अपने कार्यालय ज्ञापन संख्या 18(8)/2005-जीएम दिनांक 14 मई, 2010 के माध्यम से कॉर्पोरेट प्रशासन दिशानिर्देश जारी किया गया।

(vii) कंपनी के लिए विशेष रूप से लागू अन्य कानून :

1. कोयला खान अधिनियम, 1952
2. भारतीय विस्फोटक अधिनियम, 1884
3. कोलियरी नियंत्रण आदेश, 2000 और कोलियरी नियंत्रण नियम, 2004
4. कोयला खान विनियम, 2017
5. वेतन भुगतान (खान) नियम, 1956
6. कोयला खान पेंशन योजना, 1998
7. कोयला खान संरक्षण एवं विकास अधिनियम, 1974
8. खान व्यावसायिक प्रशिक्षण नियम, 1966
9. खान क्रेच नियम, 1961
10. खान बचाव नियम, 1985
11. कोयला खदान पिथेड बाथ नियम, 1946
12. मातृत्व लाभ (खान एवं सर्कस) नियम, 1963
13. विस्फोटक नियम, 2008
14. खनिज रियायत नियम, 1960
15. कोयला खान भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1948
16. खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957
17. अवितरित मजदूरी का भुगतान (खान) नियम, 1989
18. भारतीय विद्युत अधिनियम, 2003 और भारतीय विद्युत नियम, 1956
19. पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 और पर्यावरण संरक्षण नियम, 1986
20. खतरनाक और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमापार संचलन) नियम, 2016
21. जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और उसके तहत बनाये गये नियम
22. वायु (प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981

(viii) कंपनी द्वारा दिए गए अभ्यावेदन के अनुसार कंपनी पर लागू सीमा तक अन्य कानून;

हमने निम्नलिखित लागू खंडों के अनुपालन का भी जांच किया है:

- (i) बोर्ड और आम बैठकों के संबंध में भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानक.

(ii) कंपनी द्वारा बीएसई लिमिटेड के साथ सूचीबद्धता समझौता किया गया और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ पठीत सेबी (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 (सेबी एलओडीआर, 2015)।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, कंपनी ने आम तौर पर ऊपर उल्लिखित अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के प्रावधानों का अनुपालन किया है।

हम आगे यह रिपोर्ट करते हैं कि:

कंपनी के निदेशक मंडल का गठन कार्यकारी निदेशकों, गैर-कार्यकारी निदेशकों और स्वतंत्र निदेशकों के संतुलन के साथ किया गया है, सिवाय इसके कि बोर्ड में एक स्वतंत्र महिला निदेशक शामिल नहीं है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में जो परिवर्तन हुए हैं, वे उपरोक्त प्रावधानों का अनुपालन करते हुए किए गए हैं।

बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड ने महिला स्वतंत्र निदेशक की उपर्युक्त गैर-नियुक्ति के संबंध में कंपनी पर जुर्माना लगाया है और कंपनी ने ऐसे दंडों को माफ करने का अनुरोध किया है। स्टॉक एक्सचेंजों के उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है।

सभी निदेशकों को बोर्ड की बैठकों को निर्धारित करने के लिए पर्याप्त सूचना दिया गया था, कार्यसूची और कार्यसूची पर विस्तृत नोट कम से कम सात दिन पहले भेज दिए गए थे, सिवाय इसके कि बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी, तथापि तत्काल कार्य निपटाने के लिए अल्प सूचना पर और बैठक से पहले कार्यसूची मद्दों पर अधिक जानकारी और स्पष्टीकरण मांगने और प्राप्त करने और बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए एक प्रणाली पहले से मौजूद है।

बोर्ड बैठक में निर्णय सर्वसम्मति से लिये गये।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी के आकार और संचालन के अनुरूप कंपनी में पर्याप्त प्रणालियां और प्रक्रियाएँ हैं जो लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों की निगरानी और अनुपालन सुनिश्चित करती हैं।

हम आगे यह भी रिपोर्ट करते हैं कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान ऐसी कोई घटना नहीं घटी जिसके ऊपर उल्लिखित कानूनों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के अनुसरण में कंपनी के मामलों पर कोई बड़ा प्रभाव पड़ा हो।

पारिख एंड एसेसिएट्स के लिए
कंपनी सचिव

हस्ताक्षर:

पी. एन. पारिख

सहभागी

एफसीएस संख्या: 327 सीपी संख्या: 1228

यूडीआईएन:F000327E000539591

पीआर संख्या : 1129/2021

इस रिपोर्ट को हमारे सम तिथि के पत्र के साथ पढ़ा जाना है जो अनुलग्नक ए के रूप में संलग्न है और इस रिपोर्ट का एक अभिन्न अंग है।

सेवा में,

सदस्य

कोल इंडिया लिमिटेड,

कोलकाता

उक्त तिथि की हमारी रिपोर्ट इस पत्र के साथ पढ़ी जाएगी।

- सचिवीय रिकॉर्ड का रखरखाव कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी हमारे लेखापरीक्षा के आधार पर इन सचिवीय रिकॉर्ड पर एक राय व्यक्त करना है।
- हमने सचिवीय रिकॉर्ड की सामग्री की शुद्धता के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त लेखापरीक्षा प्रथाओं और प्रक्रिया का पालन किया है। सत्यापन परीक्षण के आधार पर किया गया था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सचिवीय रिकॉर्ड में सही तथ्य प्रतिबिंబित हों। हमारा मानना है कि हमने जिस प्रक्रिया और प्रथाओं का पालन किया है, वह हमारी राय के लिए एक उचित आधार प्रदान करती है।
- हमने कंपनी के वित्तीय रिकॉर्ड और लेखा पुस्तकों की शुद्धता और उपयुक्तता का सत्यापन नहीं किया है।
- जहां भी आवश्यक हो, हमने कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुपालन और घटनाओं के हाने आदि के बारे में प्रबंधन प्रतिनिधित्व प्राप्त किया है।

5. कॉर्पोरेट और अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधन का दायित्व है। हमारी जाँच परीक्षण के आधार पर प्रक्रिया के सत्यापन तक ही सीमित थी।

6. सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता का आश्वासन है और न ही उस प्रभावकारिता या प्रभावशीलता का आश्वासन है जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है।

पारिख एंड एसोसिएट्स के लिए
कंपनी सचिव

हस्ताक्षर:

पी. एन. पारिख

सहभागी

एफसीएस संख्या: 327 सीपी संख्या: 1228

यूडीआईएन:F000327E000539591

पीआर संख्या : 1129/2021

स्थान: मुंबई

तिथि: 03.07.2023

सचिवीय लेखा परीक्षक एवं प्रबंधन स्पष्टीकरण का अवलोकन

क्र. सं.	सचिवीय लेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ	प्रबंधन स्पष्टीकरण
1	बोर्ड में कोई स्वतंत्र महिला निदेशक शामिल नहीं थी	कंपनी एसोसिएशन के अनुच्छेदों के अनुसार, कोल इंडिया एक सीपीएसई होने के नाते, इनके निदेशक नियुक्त करने की शक्ति भारत सरकार के पास निहित है। कंपनी में भर्ती आने से पहले ही और भर्ती होने के बाद सेबी (एलओडीआर) विनियम 2015 का पालन करने के लिए एक महिला स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति की व्यवस्था करने के लिए कोयला मंत्रालय, प्रशासनिक मंत्रालय के साथ इस मामले को उठाया था।
2	बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड ने महिला स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति न करने के संबंध में कंपनी पर जुर्माना लगाया है।	कंपनी ने बीएसई और एनएसई से इस तरह के दंड की छूट के लिए अनुरोध किया है क्योंकि सीपीएसई में निदेशक नियुक्त करने की शक्ति भारत सरकार के पास है।

मेहता एंड मेहता
कंपनी सचिव

इंफिनिटी बैंचमार्क, 18वी मंजिल, कक्ष सं.105,
स्ट्रीट सं.25, जीपी ब्लॉक, सेक्टर-5,
बिधाननगर, कोलकाता- 700091
टेलिफोन.: +91 9867771580
ईमेल: raveena@mehta-mehta.com
हमसे मिलें : www.mehta-mehta.com

फार्म सं.- एमआर-3
31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए
सचिवीय लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) और कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति एवं पारितोषिक)
नियम, 2014 के नियम 09 के अनुसरण में

सेवा में,
सदस्यगण,
ईस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक का कार्यालय,
सांकेतोड़िया, पोस्ट- डिसेरगढ़,
जिला - पश्चिम बर्द्धमान
पिन - 713333, पश्चिम बंगाल

हमने ईस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड (इसमें इसके पश्चात कंपनी कहा जाएगा) को प्रवृत्त सांविधिक प्रावधानों के अनुरूप होने और के द्वारा सर्वश्रेष्ठ निगमित प्रथाओं से अनुषक्ति के लिए सचिवालयिक लेखापरीक्षा किया गया है। सचिवालयिक लेखापरीक्षा इस रीति से आयोजित की गई थी जिसने हमें निगमित आचार/सांविधिक अनुपालनों का मूल्यांकन करने एवं उसपर अपना मत व्यक्त करने के लिए युक्तियुक्त आधार उपबंधित किया।

सचिवालयिक लेखापरीक्षा के दौरान कंपनी द्वारा अनुरक्षित कंपनी के बहियों, कागज पत्रों, कार्यवृत्त बहियों, प्रपत्रों एवं दाखिल विवरणी व अन्य अभिलेखों के मेरे सत्यापन और कंपनी, उसके अधिकारियों, अभिकर्ताओं एवं प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा प्रदत्त सूचनाओं के आधार पर, हम, एतदद्वारा प्रतिवेदित करते हैं कि मेरी राय में, कंपनी ने, 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष को प्रावरण लेखापरीक्षा काल के दौरान, इसके नीचे सूचीबद्ध सांविधिक प्रावधानों का अनुवर्तन किया है और यह भी कि कंपनी के पास विस्तार तक, रीति से तथा इसमें इसके पश्चात निर्मित प्रतिवेदिति के अधीन उचित बोर्ड-प्रक्रिया एवं अनुपालनात्मक कार्यविधि है:

मैंने 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए ईस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड (कंपनी) के बहियों, कागज-पत्रों, कार्यवृत्त-बहियों, प्रपत्रों एवं दाखिल विवरणियों तथा अन्य अभिलेखों का परीक्षण निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार की गई है :

- (i) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) तथा इसके तहत निर्मित नियम;
- (ii) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (एससीआरए) तथा इसके तहत निर्मित नियम (पुनर्विलोकन अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं);

- (iii) निक्षेपागार अधिनियम, 1996 और इसके अध्यधीन निर्मित विनियम तथा उपविधियाँ (पुनर्विलोकन अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं);
- (iv) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 तथा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के विस्तार के अध्यधीन निर्मित नियम एवं विनियम;
- (v) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (सेबी अधिनियम) के अधीन विहित निम्नलिखित विनियम एवं दिशानिर्देश :-
- (अ) भारतीय प्रतिभूतियों एवं विनियम बोर्ड (शेरों का पर्याप्त अर्जन एवं अधिग्रहण) विनियम, 2011 (पुनर्विलोकन अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं);
- (आ) भारतीय प्रतिभूतियों एवं विनियम बोर्ड (भेदिया व्यापार प्रतिषेध) विनियम, 2015;
- (इ) भारतीय प्रतिभूतियों एवं विनियम बोर्ड (पूँजी निर्गम और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2018 (पुनर्विलोकन अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं);
- (ई) भारतीय प्रतिभूतियों एवं विनियम बोर्ड (अपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचियन) विनियम, 2021 (पुनर्विलोकन अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं);
- (उ) भारतीय प्रतिभूतियों एवं विनियम बोर्ड (शेर आधारित कर्मचारी प्रसुविधाएँ और श्रमजन्य इकिटी) विनियम, 2021 (पुनर्विलोकन अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं);
- (ऊ) कंपनी अधिनियम एवं ग्राहकों से संव्यवहार के संबंध में भारतीय प्रतिभूतियों एवं विनियम बोर्ड (निर्गम रजिस्ट्रार और शेर अंतरण अभिकर्ता) विनियम, 1993 (पुनर्विलोकन अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं);
- (ऋ) भारतीय प्रतिभूतियों एवं विनियम बोर्ड (इकिटी शेरों का असूचीबद्धता) विनियम, 2021 (पुनर्विलोकन अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं);
- (ऌ) भारतीय प्रतिभूतियों एवं विनियम बोर्ड (प्रतिभूतियों की वापसी-खरीद) विनियम, 2018 (पुनर्विलोकन अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं);

हमने निम्नलिखित के लागू उपबंधों के अनुपालन की जाँच की है :

- (i) भारतीय कंपनी सचिव संस्था द्वारा यथा निर्गत सचिवीय मानक ;
- (ii) भारतीय प्रतिभूतियों एवं विनियम बोर्ड (सूचिबद्ध बाध्यताएँ और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 (पुनर्विलोकन अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं);
- (iii) कंपनी पर विशिष्ट्या लागू अन्य विधियाँ नामतः -
 ए) कोयला खान अधिनियम, 1952
 बी) भारतीय विस्फोटक अधिनियम, 1884
 सी) कोलियरी नियंत्रण आदेश, 2000 तथा कोलियरी नियंत्रण आदेश, 2004
 डी) कोयला खान विनियम, 2017
 ई) वेतन भुगतान (खान) नियम, 1956
 एफ) कोयला खान पेंशन योजना, 1998
 जी) कोयला खान (संरक्षण एवं विकास) अधिनियम, 1974
 एच) खान व्यावसायिक प्रशिक्षण नियम, 1966
 आई) खान क्रेच रूल्स, 1961
 जे) खान बचाव नियम, 1985
 के) कोयला खान पिटहेड बाथ नियम, 1946
 एल) मातृत्व लाभ (खान एवं सर्कस) नियम, 1963
 एम) विस्फोटक नियम, 2008
 एन) खनिज रियायत नियम, 1960
 ओ) कोयला खान भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1948
 पी) खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957
 क्यू) असंवितरित मजदूरी (खान) भुगतान नियम, 1989
 आर) भारतीय विद्युत अधिनियम, 2003 तथा भारतीय विद्युत नियम, 1956
 एस) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा पर्यावरण संरक्षण नियम, 1986
 टी) परिसंकटमय एवं अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन एवं सीमापार संचलन) नियम, 2016
 यू) जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा इसके अधीन निर्मित नियम
 भी) वायु (प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981
 डब्लू) लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 तथा इसके अधीन निर्मित नियम

लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, कंपनी ने अधिनियमों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों इत्यादि के प्रावधानों का सामान्यतः अनुपालन किया है।

हम आगे प्रतिवेदित करते हैं कि

लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, कंपनी ने निम्न उल्लिखित सीमा को छोड़कर उपरि उल्लिखित अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों आदि के प्रावधानों का अनुपालन किया है।

1. कंपनी के निदेशक मंडल की संरचना

पुनर्विलोकन अवधि के दौरान लोक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा निर्गत केन्द्रीय सार्वजनिक उद्यम (सीपीएसई) के लिए निगमित सुशासन संबंधी डीपीई दिशानिर्देशों के खंड 3.1.2, अधिनियम की धारा 149(4) में यथा विचार के अनुसार स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या कंपनी के निदेशक मंडल में नहीं थी।

हम आगे प्रतिवेदित करते हैं कि उपर्युक्त को छोड़कर लेखापरीक्षा अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में सभी परिवर्तन सीपीएसआई के लिए निगमित सुशासन पर अधिनियम और डीपीई दिशानिर्देशों के नानाविध प्रावधानों के उचित अनुपालन में किए गए थे।

सभी निदेशकों को निदेशक मंडलीय / समिति बैठकों के नियत होने का यथायोग्य सूचना दिए जाते हैं, कार्यसूची एवं कार्यसूची की विस्तृत टिप्पणियाँ अग्रिम रूप से न्यूनातिन्यून सात दिवस पूर्व प्रेषित किए जाते हैं और अतिरिक्त सूचना व बैठक में प्रस्तुत कार्यसूची मद पर स्पष्टीकरण चाहने वाले एवं की अभिप्राप्ति के लिए तथा बैठक में बोधगम्य सहभागिता के लिए एक प्रणाली विद्यमान है।

बहुमत का विनिश्चय लिया जाता है, जबकि असहमति रखने वाले सदस्यों के विचारों को अभिग्रहण किया जाता है और कार्यवृत्त में यथा अंश दर्ज किया जाता है।

हम आगे यह भी प्रतिवेदित करते हैं कि प्रवृत्त विधियों, नियमों, विनियमों एवं मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुश्रवण एवं अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के क्षेत्र एवं संचालन के अनुरूप कंपनी में यथायोग्य प्रणाली एवं प्रक्रियाएँ विद्यमान हैं।

हम आगे यह भी प्रतिवेदित करते हैं कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी के पास उपर्युक्त संदर्भित विधियाँ, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के अनुसरण में कंपनी के मामलों पर प्रमुख प्रभाव डालने वाली निम्नलिखित विनिर्दिष्ट घटनाएँ / कार्रवाई थे।

मेहता एवं मेहता के लिए
कंपनी सचिव

(आईसीएसआई यूनिक कोड P1996MH007500)

ह/-
अतुल मेहता
साझेदार

एफसीएस सं. 5782
सीपी सं. 2486

स्थान: मुम्बई

दिनांक: 22.06.2023

यूटीआईएन : F011993E000662381

टिप्पणी : इस प्रतिवेदन को सम तिथि के हमारे पत्र के साथ पढ़ा जाना है जिसे 'उपबंध क' के रूप में संलग्न किया गया है और यह इस प्रतिवेदन का एक अभिन्न अंग है।

अनुलग्नक - क

सेवा में,
सदस्यगण,
ईस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक का कार्यालय,
सांकतोड़िया, पोस्ट- डिसेरगढ़,
जिला - पश्चिम बर्धमान
पिन - 713333, पश्चिम बंगाल

समतिथि की हमारी रिपोर्ट इस पत्र के साथ पढ़ी जाना चाहिए।

कंपनी के प्रबंधन का उत्तरदायित्व निम्नवत है :

1. सचिवालयिक अभिलेखों के अनुरक्षण का उत्तरदायित्व कंपनी प्रबंधन की है। हमारे लेखापरीक्षा के आधार पर इन सचिवालयिक अभिलेखों पर एक अभिमत व्यक्त करना हमारा दायित्व है।
2. हमने लेखापरीक्षण पद्धतियों एवं प्रक्रियाओं का अनुगमन किया है जो सचिवालयिक अभिलेखों के अंतर्वस्तु की शुद्धता के बारे युक्तियुक्त आश्वासन प्राप्त करने के लिए विनियोजित था। जांच आधारित सुनिश्चित करने के लिए सत्यापन किया गया कि सही तथ्य सचिवालयिक अभिलेखों में प्रतिबिंबित होता है। हम विश्वास करते हैं कि प्रक्रियाएँ और पद्धतियाँ, हमने अनुगमन किया, हमारे अभिमत के लिए युक्तियुक्त आधार प्रदान किया।
3. हमने बहियों एवं कागजातों के अलावा कंपनी के वित्तीय अभिलेखों और लेखा-बहियों की सत्यता एवं उपयुक्तता की पुष्टि नहीं की है।
4. जहाँ कहीं आवश्यक हुई, हमने विधियों, नियमों, विनियमों और घटनाओं के अनुपालन आदि के संबंध में प्रबंधन का अभ्यावेदन प्राप्त किया है।
5. कारपोरेट विधियों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों इत्यादि के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। हमारा परीक्षण जाँच आधारित प्रक्रिया के सत्यापन तक सीमित थी।
6. जहाँ तक फार्म एमआर-3 में हमारी सचिवालयिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में उल्लिखित प्रावधानों के अंतर्गत कंपनी द्वारा दायर बहियों, कागज पत्रों, प्रपत्रों, प्रतिवेदनों और विवरणियों का संबंध है, उक्त विनियमों की अपेक्षाओं की अनुषक्ति और अनुपालन प्रबंधन का दायित्व है। हमारी परीक्षा विभिन्न प्रपत्रों, प्रतिवेदन, विवरणियों और दस्तावेजों को दाखिल करने के निष्पादन और समयबद्धता की जाँच करने तक सीमित थी, जिन्हें कंपनी द्वारा उक्त नियमों के तहत विभिन्न प्राधिकरणों के साथ दायर करने की आवश्यकता है। हमने ऐसे प्रपत्रों, प्रतिवेदनों, विवरणियों और दस्तावेजों की सामग्री की शुद्धता और आवृत्त की पुष्टि नहीं की है।
7. सचिवालयिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट न तो कंपनी के भविष्यगत व्यवहार्यता के लिए एक आश्वासन है और न ही प्रभावकारिता या क्रियाशीलता का जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी मामलात को संचालित किया है।

मेहता एवं मेहता के लिए
कंपनी सचिव

(आईसीएसआई यूनिक कोड P1996MH007500)

अनुलग्नक

साझेदार

एफसीएस सं. 5782

सीपी सं. 2486

यूडीआईएन : F011993E000662381

ईसीएल की सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट-2022-23 का प्रबंधन स्पष्टीकरण

क्र.	सचिवीय लेखा परीक्षक द्वारा अवलोकन	प्रबंधन के जवाब
1.	कंपनी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या नहीं थी, जैसा कि अधिनियम की धारा 149(4), विभाग द्वारा जारी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसई) के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन पर डीपीई दिशानिर्देशों के खंड 3.1.2 में दर्शाया गया है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान सार्वजनिक उद्यम (डीपीई)।	यह तथ्य का बयान है। ईसीएल में निदेशकों की नियुक्ति कोयला मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा की जा रही है।

सतीश कुमार एन्ड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

कार्यालय क्रमांक 603, 6वीं मंजिल, समृद्धि स्कायर,
किशोर गंज चौक, रांची- 834001

फोन:-09334606570/09135009905/0651-2212943

ई-मेल:cossatish26@gmail.com/skaranchi2@gmail.com

पैन:-ADGFS8830H

प्रपत्र सं. एमआर -3

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 (1) और कंपनी (नियुक्ति और पारिश्रमिक कार्मिक)
नियम, 2014 के नियम संख्या 9 के अनुसार

सचिवीय लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (31 मार्च, 2023को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए)

सेवा में,
सदस्यगण,
सेंट्रल कोलफिल्ड्स लिमिटेड,
रांची

हमनें सेंट्रल कोलफिल्ड्स लिमिटेड (इसके पश्चात ‘कंपनीफ़’ के रूप में संदर्भित) के लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन तथा अच्छी कारपोरेट प्रथाओं के अनुपालन की सचिवीय अंकेक्षण किया है। सचिवीय अंकेक्षण इस तरह से आयोजित की गई थी जिससे हमें कारपोरेट आचरण /वैधानिक अनुपालन का मूल्यांकन करने के लिए और उस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए उचित आधार मिला।

अप्रैल 2022 से मार्च 2023 तक कीलेखा अवधि के दौरान कंपनी की पुस्तकों, कागजात, मिनट बुक्स,, फॉर्म और दाखिल किए गए रिटर्न व कंपनी द्वारा बनाए गए अन्य अभिलेखों के हमारे सत्यापन के आधार पर तथा कंपनी, कंपनी के अधिकारियों, एजेंटों एवं प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा प्रदत्त सूचना एवं अन्य यथा प्रासंगिक दस्तावेजों/ फाइलिंग सहित, जिनपर निम्नलिखित प्रावधानों के अनुपालन सापेक्ष 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु भरोसा किया गया है:

1. कंपनी अधिनियम, 2013 तथा उक्त के अधीन बनाए गए नियम;
2. भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानक
3. निक्षेपागार अधिनियम, 1996 एवं इसके तहत बनाए गए विनियम और उपनियम
4. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम 2015
5. सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा उनके दिनांक 14 मई, 2010 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 18(8)/2005-जीएम के तहत जारी किए गए केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए कारपोरेट प्रशासन पर दिशानिर्देश
6. अनुबंध श्रम (नियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970
7. महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013)
8. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए अन्य पर्यावरण कानून और नियम।
9. सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए कारपोरेट प्रशासन पर दिशानिर्देश जारी किए गए।

10. कोयला मंत्रालय के पत्र संख्या 21/35/2005-एसओ (बी) दिनांक 6 जून, 2008 में विनिर्दिष्ट कंपनी के निदेशक मंडल का गठन।

11. सेंट्रल कोलफिल्ड्स लिमिटेड (कंपनी) पर लागू विशिष्ट कानूनों का अनुपालन की जिम्मेदारी कंपनी के प्रबंधन की है। हमारी प्रतिवेदन प्रबंधन और उसके अधिकारियों द्वारा प्रदान किए गए अनुपालन प्रमाणपत्रों की सीमा तक सीमित है। तथापि, उत्पादन इकाई/क्षेत्र पर विशेष रूप से लागू अन्य कानूनों के अंतर्गत दाखिल किए जाने वाले सांविधिक विवरणियों के अनुपालन के आश्वासन/विश्वसनीयता को संबंधित विभागाध्यक्ष या कंपनी के अधिकारियों से प्राप्त प्रमाणपत्रों पर भरोसा किया गया है (अनुलग्नक-बी1 देखें)।

ख. हमारे मत में, हमारे द्वारा किए गए परीक्षण के आधार पर, कंपनी तथा अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत जानकारी तथा हमें प्रस्तुत अभिलेखों के सत्यापन के अनुसार, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 (“अधिनियम”) के प्रावधानों तथा अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों का, कंपनी के मेमोरेंडम और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का, विशेषकर यहां उल्लिखित प्रावधानों अनुपालन किया है; तथा यह भी कि कंपनी के पास उचित बोर्ड-प्रक्रियाएं और अनुपालन तंत्र एक सीमा तक, प्रकार्य से तथा रिपोर्टिंग व प्रेक्षण के अनुरूप है (अनुलग्नक-बी1 में देखें):

1. भाग ख के तहत निर्धारित बैलेंस शीट का फॉर्म, भाग I के तहत विहित लाभ और हानि का विवरण तथा इसे तैयार करने के लिए सामान्य निर्देश, जैसा कि अधिनियम की अनुसूची III में निर्धारित है।
2. सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा दिनांक 14 मई, 2010 के उनके ओएम सं 18(8)/2005-जीएम द्वारा जारी केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए कारपोरेट प्रशासन संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुसरण में कंपनी के निदेशक मंडल के पास कार्यकारी, गैर-कार्यकारी और स्वतंत्र निदेशक का पर्याप्त संतुलन नहीं है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 (1) के प्रावधान (कंपनी निदेशकों की नियुक्ति) नियम, 2014 के नियम 3 के साथ और कोयला मंत्रालय द्वारा विशेष रूप से महिला निदेशक और स्वतंत्र निदेशक के संबंध में जारी किए गए निर्देश।
3. कंपनी के नाम एवं पंजीकृत कार्यालय का प्रकाशन।
4. झारखंड कंपनी रजिस्ट्रार के समक्षउक्त अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत निर्धारित समय के भीतर अपेक्षित फॉर्म और रिटर्न दाखिल करना।

5. निदेशक मंडलों और उसकी समितियों की बैठकें बुलाना और आयोजित करना।
6. 04 अगस्त, 2022 गुरुवार, को सदस्यों की 66वीं वार्षिक आम बैठकें बुलाना और आयोजित करना।
7. वार्षिक आम बैठक, असाधारण बैठक, बोर्ड बैठक और बोर्ड की समितियों की बैठकों की कार्यवाही के कार्यवृत्त का रखरखाव खुले पत्रोंमें व्यवस्थित रूप अभिलेखित किया जाता है, जिसे नियमित अंतराल पर सजिल्द पुस्तक रूप में रखाजा रहा है।
8. निदेशकों को पारिश्रमिक भुगतान।
9. सांविधिक लेखा परीक्षकों, आंतरिक लेखा परीक्षकों और लागत लेखा परीक्षकों की नियुक्ति तथा पारिश्रमिक।
10. लेखा परीक्षण समिति तथा नामांकन व पारिश्रमिक समिति की संरचना एवं संदर्भ की शर्तें।
11. कंपनी के सदस्यों और लेखा परीक्षकों पर कंपनी द्वारा दस्तावेजों की सर्विस।

हम आगे प्रतिवेदित करे हैं कि

1. निदेशकों ने यथा आवश्यकतानुसार अन्य कंपनियों में अपनी शेयरधारिता और निदेशकीय पदतथा अन्य संस्थाओं में अपने सरोकार को प्रकटकिया है और उनके सरोकारों को बोर्ड द्वारा नोट और दर्ज किया गया है।
2. निदेशकों ने अपनी नियुक्ति की पात्रता, उनके स्वतंत्र होने और निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों की आचार संहिता के अनुपालन के संबंध में प्रकटीकरण की आवश्यकताओं का अनुपालन किया है।

सेवा में,
सेंट्रल कोलफिल्ड्स लिमिटेड
रांची

समतिथि के हमारे प्रतिवेदन को इस पत्र के साथ पढ़ा जाए।

प्रबंधन की जिम्मेदारी

1. सचिवीय अभिलेख के रख-रखाव की जिम्मेदारी कंपनी प्रबंधन की है। हमारी जिम्मेदारी इन सचिवीय अभिलेखों के अंकेक्षण के आधार पर अभिमत व्यक्त करना है।
2. हमने सचिवीय अभिलेखों के तथ्यों के सत्यता के बारे में संगत आश्वासन उपलब्ध कराने के लिए हमने उपयुक्त अंकेक्षण कार्यों एवं विधियों का अनुसरण किया है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सचिवीय अभिलेखों में सही तथ्य परिलक्षित होते हैं, परीक्षण के आधार पर सत्यापन किया गया था। हम मानते हैं कि हमारे द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रियाएं और प्रथाएं हमारी राय बनाने के लिए एक उचित आधार प्रदान करती हैं।
3. कारपोरेट शासन के प्रावधानों तथा लागू अन्य सभी विधियों, नियमों व अधिनियमों, मानकोंका अनुपालन प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। हमारा परीक्षण टेस्ट बेसिस के आधार पर विधियों की जांच के कार्य तक सीमित था।

3. समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी, अपने किसी निदेशक तथा अधिकारी पर अभियोग, जुर्माना या दंड नहीं लगाया गया।
4. कंपनी द्वारा स्थापित अनुपालन-तंत्र तथा कंपनी सचिव, कंपनी के अनुपालन अधिकारी और कंपनी के अन्य विभागीय प्रमुखों द्वारा जारी किए गए अनुपालन प्रमाण-पत्र(त्रों) और अन्य प्रमाण-पत्रों के आधार पर कंपनी का किसी प्रकार का कोई अनुपालन लंबित नहीं है।
5. हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि ऑडिट के दौरान, कंपनी ने कोई भी विशिष्ट घटना/कार्रवाई नहीं की है जिसका उपरोक्त संदर्भित कानूनों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के अनुसरण में कंपनी के मामलों पर बड़ा असर हो सकता है।

कृते सतीश कुमार एन्ड एसोसिएट्स

ह/-

(सतीश कुमार)

कंपनी सचिव

एफसीईस सं.: 8423

सीपी सं.: 9788

नोट: - इस प्रतिवेदन को हमारे कार्यक्रम की तारीख के पत्र के साथ पढ़ा जाना है जो “अनुलग्नक-ए”, “अनुलग्नक-बी” और अनुलग्नक-बी 1 के रूप में संलग्न है जो इस प्रतिवेदन का एक अभिन्न अंग है।

अनुलग्नक -क

4. सचिवीय अंकेक्षण प्रतिवेदन न तो कंपनी की भावी सुगमता का आश्वासन है और न ही प्रभावकारिता या प्रभावशीलता का, जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के कार्यों का संपादन किया है।
5. हमलोगों ने कंपनी के वित्तीय आंकड़े एवं लेखा पुस्तकों, जीएसटी और टीडीएस रिटर्न आदि की सत्यता एवं उपयुक्ता का सत्यापन नहीं किया है।
6. कंपनी ने “अनुलग्नक-बी” में निर्दिष्ट मामलों को छोड़कर प्रावधानों, विनियमों, परिपत्रों का अनुपालन किया है।

कृते सतीश कुमार एन्ड एसोसिएट्स

ह/-

(सतीश कुमार)

कंपनी सचिव

एफसीईस सं.: 8423

सीपी सं.: 9788

स्थान: रांची

तिथि: 11 जुलाई, 2023

यूडीआईएन: F008423E000589124

क्र स	प्रेक्षण	प्रबंधन का उत्तर
1.	कंपनी विशेष रूप से बोर्ड में महिला निदेशक की नियुक्ति के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 (1) तथा (कंपनी निदेशकों की नियुक्ति) नियम, 2014 के नियम 3 के प्रावधान के अनुपालन में नहीं थी।	कंपनी कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक सरकारी कंपनी है एवं कोल इंडिया लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। निदेशकों की नियुक्ति कोयला मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा की जाती है जिसमें कंपनी की कोई भूमिका नहीं होती है। तथापि, कंपनी के निदेशक मंडल में महिला निदेशक की रिक्तियों को भरने के लिए प्रशासन मंत्रालय को अभ्यावेदन दिया गया है।
2.	सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा अपने ओएम नंबर 18(8)2005-जीएम दिनांक 14 मई, 2010 के तहत जारी किया, केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए कारपोरेट अभिशासन संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यकारी निदेशकों, गैर-कार्यकारी निदेशकों और स्वतंत्र निदेशकों के उचित संतुलन के साथ कंपनी के निदेशक मंडल का विधिवत गठन नहीं किया गया है। क्योंकि बोर्ड में ऊपर उल्लिखित दिशानिर्देशों के अनुसार पांच स्वतंत्र निदेशकों की कुल आवश्यकता की तुलना में केवल एक स्वतंत्र निदेशक है।	कंपनी कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक सरकारी कंपनी है और कोल इंडिया लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। निदेशकों की नियुक्ति कोयला मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा की जाती है जिसमें कंपनी की कोई भूमिका नहीं होती है। तथापि, कंपनी के निदेशक मंडल में गैर-सरकारी अंशकालिक (स्वतंत्र) निदेशकों की रिक्तियों को भरने के लिए प्रशासन मंत्रालय को अभ्यावेदन दिया गया है।

अनुलग्नक - ख 1

कंपनी पर लागू निम्नलिखित विशिष्ट विधियों के संबंध में अनुपालन पूर्ण रूप से कंपनीप्रबंधन तथा उसके अधिकारियों से प्राप्त अनुपालन प्रमाण-पत्रों पर आधारित हैं (यहरिपोर्ट का एक अभिन्न अंग है)

1. खान अधिनियम, 1952;
2. भारतीय विस्फोटक अधिनियम, 1884;
3. कोलियरी नियंत्रण आदेश, 2000 और कोलियरी नियंत्रण नियम, 2004;
4. कोयला खान विनियम, 2017;
5. वेतन भुगतान (खान) नियम 1956;
6. कोयला खान पेशन योजना, 1998;
7. कोयला खान (संरक्षण एवं विकास) अधिनियम 1974;
8. खान व्यावसायिक प्रशिक्षण नियम, 1966;
9. खान क्रेच नियम, 1961;
10. खान बचाव नियम, 1985;
11. कोयला खदान पिथेड बाथ नियम, 1946
12. प्रसूति प्रसुविधा नियम 1963;
13. विस्फोटक नियम, 2008;
14. खान रियायत नियम, 1960;
15. कोयला खान भविष्यानिधि (प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम, 1948;
16. खान और खनिज (विकास और विनियम) अधिनियम, 1957;
17. अवितरित मजदूरी का भुगतान (खान) नियम, 1989;
18. भारतीय विद्युत नियमावली, 1956, भारतीय विद्युत अधिनियम, 2003;
19. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986; (पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और पर्यावरणसंरक्षणनियम, 1986)
20. खतरनाक अपशिष्ट और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन संचालन और सीमा-पार संचलन) नियम, 2016;
21. जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974; और उसके तहत बनाए गए नियम
22. वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981;
23. सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 और उसके तहत बनाये गये नियम।

जे.के.दास और सहभागी
कंपनी सचिव

प्लॉट नं.883, बिजन कान्न
बांसड़ोनी, कोलकाता-700096,
फ़ोन:24102892/93
(एम):9831204082
ईमेल:jkdascsc@gmail.com
वेब:www.jkdassociates.com

प्रपत्र सं. एमआर- 3

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) और कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति और पारिश्रमिक)
नियम, 2014 के नियमावली संख्या 9 के अनुसार]

सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट 31 मार्च 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

प्रति,
सदस्यगण,
महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड,
जागृति विहार, बुर्ला,
संबलपुर-768020
ओडिशा, भारत

हमने मेसर्स महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड
(CIN:U10102OR1992GOI003038) (तत्पश्चात इसे कंपनी कहा
गया)। द्वारा लागू वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन और अच्छे कॉर्पोरेट
कार्यों के पालन का सचिवीय ऑडिट किया है। सचिवीय ऑडिट भारतीय
कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) द्वारा सचिवीय ऑडिट पर जारी
सीएसएस-4-ऑडिटिंग मानक के अनुसार किया गया था, जिसने मुझे
कॉर्पोरेट आचरण/वैधानिक अनुपालन का मूल्यांकन करने और उस पर
अपनी राय व्यक्त करने के लिए एक उचित आधार प्रदान किया।

कंपनी द्वारा रखी गई पुस्तकों, कागजातों, सूक्ष्म पुस्तकों, प्रपत्रों और
रिटर्न और अन्य अभिलेखों के मेरे सत्यापन और सचिवीय लेखा परीक्षा
के संचालन के दौरान कंपनी, उसके अधिकारियों, एजेंटों और अधिकृत
प्रतिनिधियों द्वारा प्रदान की गई जानकारी, मुझे दिए गए स्पष्टीकरण और
स्पष्टीकरण और प्रबंधन द्वारा किए गए अभ्यावेदन के आधार पर, हम यह
रिपोर्ट करते हैं कि मेरी राय में, कंपनी ने 31 मार्च, 2023 को समाप्त
वित्तीय वर्ष को कवर करने वाली लेखा परीक्षा अवधि के दौरान, यहां
सूचीबद्ध वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और यह भी कि इसके
पश्चात बाद की गई रिपोर्टिंग के अधीन कंपनी के पास उचित बोर्ड-
प्रक्रियाएं और अनुपालन-तंत्र हैं:

हमने 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी द्वारा दर्ज
की गई पुस्तकों, कागजात, कार्यवृत्त पुस्तकों, प्रपत्रों और दाखिल रिटर्न
और अन्य अभिलेखों की जांच की निम्न प्रावधानों के अनुसार की है:

- (i) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और उसके तहत बनाए गए
नियम;
- (ii) प्रतिभूति अनुबंध (विनियम) अधिनियम, 1956 (मएससीआरफ)
और उसके तहत बनाए गए नियम;
- (iii) डिपॉजिटरी एक्ट, 1996 और उसके तहत बनाए गए विनियम और
उपनियम;

(iv) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और उसके तहत बनाए गए
नियम और विनियम, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश
और बाह्य वाणिज्यिक उधार नियम बने हैं;

(v) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (मसेबी
अधिनियम) के तहत निर्धारित विनियम और दिशानिर्देश: -

(क) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध
विनियम) 2015, यथा संशोधित;

(ख) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीकरण दायित्व और
प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015;

(vi) सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी कॉर्पोरेट गवर्नेंस दिशानिर्देश को
ओएम सं. 18(8)/2005-जीएम दिनांक 14 मई, 2010 में दी
गई है:

हम रिपोर्ट करते हैं कि, कंपनी में प्रचलित अनुपालन प्रणाली को
ध्यान में रखते हुए और प्रासंगिक दस्तावेजों और उसके अनुसरण में
अभिलेखों की जांच के आधार पर, नमूना-जांच के आधार पर और
सभी लागू की गई नियमों पर एक तिमाही अनुपालन रिपोर्ट नियमित
रूप से एमसीएल बोर्ड के समक्ष रखी जाती है। कंपनी ने विशेष रूप
से कंपनी पर लागू निम्नलिखित कानूनों का अनुपालन किया है:

1. कोयला खान अधिनियम, 1952
2. भारतीय विस्फोटक अधिनियम, 1884
3. कोलियरी नियंत्रण आदेश, 2000 और कोलियरी नियंत्रण नियम,
2004
4. कोयला खान विनियम, 2017
5. मजदूरी भुगतान (खान) नियम, 1956
6. कोयला खान पेंशन योजना, 1998
7. कोयला खान संरक्षण और विकास अधिनियम, 1974
8. खान व्यावसायिक प्रशिक्षण नियम, 1966
9. खान क्रेच नियम, 1961

10. खान बचाव नियम, 1985
11. कोयला खान पिट हेड बाथ नियम, 1946
12. मातृत्व लाभ (खान और सर्कस) नियम, 1963
13. विस्फोटक नियम, 2008
14. खनिज परिहार नियम, 1960
15. कोयला खान भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1948
16. खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957
17. असंवितरित मजदूरी (खान) नियम, 1989 का भुगतान
18. भारतीय विद्युत अधिनियम, 2003 और भारतीय विद्युत नियम, 1956
19. पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 और पर्यावरण संरक्षण नियम, 1986
20. खतरनाक और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमा पार आंदोलन) नियम, 2016
21. जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और उसके तहत बनाए गए नियम
22. वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981
23. सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 और उसके अधीन बनाए गए नियम।

लेखा परीक्षा अवधि के दौरान, कंपनी ने आम तौर पर अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों आदि के प्रावधानों का अनुपालन किया है। कारपोरेट गवर्नेंस प्रावधानों के संबंध में, कंपनी एक केन्द्रीय पीएमयू होने के नाते, सरकारी कंपनियों के लिए लागू डीपीई कॉरपोरेट गवर्नेंस के अनुपालन के लिए, निदेशकों की नियुक्ति, मूल्यांकन और उत्तराधिकार से संबंधित मामलों के संबंध में सीधीएसई की तिमाही/वार्षिक ग्रेडिंग का अनुपालन सुनिश्चित हो इसके लिए डिजाइन किया गया है। वार्षिक के आधार पर डीपीई दिशानिर्देशों के अनुपालन सुनिश्चित किया गया।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि:-

क. बोर्ड की संरचना:

समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान, कंपनी के निदेशक मंडल का गठन अनुबंध बी में निर्दिष्ट टिप्पणियों और योग्यताओं के आधार पर किया गया है। समीक्षा के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में हुए परिवर्तनों को विधिवत दर्ज किया गया और कंपनी द्वावारा अधिनियम और उसके तहत नियमों के प्रावधानों की अनुपालन में उचित प्रक्रिया का पालन किया गया।

(ख) बोर्ड और उनकी समिति की बैठकों का आयोजन:

समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान, बोर्ड की बैठकों के लिए सभी निदेशकों को सूचना प्रेषित किया गया था। कार्यसूची और कार्यसूची पर विस्तृत नोट पहले भेजे जा चुके थे। बैठकों में सार्थक भागीदारी के लिए बैठकों से पहले रखी गई मदों की कार्यसूची पर अधिक जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए एक प्रणाली मौजूद है। बोर्ड की

बैठकों और समिति की बैठकों में सभी निर्णय अपेक्षित बहुमत के साथ किए गए और अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कार्यवृत्त दर्ज की गई।

(ग) वार्षिक आम बैठक का आयोजन:

समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान, वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए कंपनी की 30वीं वार्षिक आम बैठक दिनांक 25.07.2022 को आयोजित की गई।

वार्षिक आम बैठक को अल्प समय के नोटिस पर आयोजित किया गया था और कंपनी के सभी सदस्यों की सहमति अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार प्राप्त की गई थी। बैठक से पहले कार्यसूची मदों पर और जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त करने और बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए एक प्रणाली मौजूद है।

(घ) सांविधिक रजिस्टरों और अभिलेखों का रखरखाव

समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान, कंपनी अधिनियम, 2013, डिपोजिटरी अधिनियम, 1996 और उसके तहत बनाए गए नियमों के विभिन्न प्रावधानों के तहत निर्धारित सभी वैधानिक रजिस्टर, रिकॉर्ड और अन्य रजिस्टरों में की गई सभी आवश्यक प्रविष्टियों के साथ बनाया गया था।

(ङ) कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार सांविधिक प्रपत्र और विवरणी दाखिल करना

समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान, कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार विभिन्न फॉर्म और रिटर्न एम्सीए/रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास निर्धारित समय सीमा के भीतर या अपेक्षित शुल्क के साथ विस्तारित समय में विधिवत दाखिल किए गए थे।

(च) लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों का अनुपालन

वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी के प्रबंधन द्वारा की गई समीक्षा और स्पष्टीकरण के आधार पर लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों की निगरानी और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, इसके आकार और संचालन के अनुरूप पर्याप्त प्रणालियां मौजूद हैं। कानून और विधियों के अनुपालन पर ट्रैमासिक रिपोर्ट नियमित रूप से समीक्षा के लिए कंपनी के बोर्ड को प्रस्तुत की जाती है।

(छ) बोर्ड के निर्णयों की लेखापरीक्षा और प्रमाणन:

बोर्ड की बैठकों में लिए गए निर्णयों की भी तिमाही आधार पर लेखा परीक्षा की जाती है और इस आशय का प्रमाण पत्र निहित डीओपी के दायरे में बोर्ड द्वारा लिए गए निर्णय के साथ तिमाही आधार पर प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव से प्राप्त किया जाता है।

(ज) लाभांश की घोषणा:

समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान, कंपनी ने वित्त वर्ष 2022-2022 के संबंध में जून 2022 तक चालू वर्ष के कर पश्चात लाभ में से कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) (होल्डिंग कंपनी) को 1,000/- रुपये के इकीटी शेयरों के 66,18,363 इकीटी शेयरों पर 5000 करोड़ रुपये (यानी 7,554.74 रुपये प्रति इकीटी शेयर) की राशि का पहला अंतरिम लाभांश घोषित और भुगतान किया है।

कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के संबंध में सितंबर 2022 तक चालू वर्ष के कर पश्चात लाभ में से कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) (होल्डिंग कंपनी) को 1,000/- रुपये के इकट्ठी शेयरों के 66,18,363 नंबर पर 2400.00 करोड़ रुपये (यानी 3,626.27 रुपये प्रति इकट्ठी शेयर) की राशि का दूसरा अंतरिम लाभांश घोषित और भुगतान किया है।

कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत बनाए गए नियमों का अनुपालन किया है।

(झ) एमसीएल बोर्ड की उप-समितियों का पुनर्गठन।

कंपनी के पास बोर्ड की निम्नलिखित सांविधिक समितियां हैं।

- i. लेखा परीक्षा समिति
- ii. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और स्थायित्व विकास (उडलडऊ) उप-समिति
- iii. नामांकन और पारिश्रमिक उप समिति-
- iv. जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी)

समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान, लेखा परीक्षा समिति और सीएसआर एंड एसडी उप-समिति का पुनर्गठन किया गया था और लेखा परीक्षा समिति में स्वतंत्र निदेशक की आवश्यकता कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 के अनुसार नहीं है।

पुनर्गठित समिति के निहित कार्य और अधिकार का दायरा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 के प्रावधान के अनुसार है, जिसे कंपनी (बोर्ड की बैठक और उसकी शक्ति) नियमावली, 2014, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 के प्रावधानों के साथ डीपीई दिशानिर्देशों और क्रमशः उसके तहत बनाए गए नियमों के साथ पढ़े जाते हैं।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर और कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा संबंधित विभाग की तिमाही अनुपालन रिपोर्ट की समीक्षा पर, हमारी राय में, पर्याप्त प्रणाली और प्रक्रियाएं और लागू सामान्य कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों की निगरानी और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, आकार और संचालन के अनुरूप नियंत्रण तंत्र मौजूद हैं।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि जैसा कि सूचित किया गया है, कंपनी ने जहां भी आवश्यक हो, सुधारात्मक उपायों के लिए कार्रवाई शुरू करने सहित विभिन्न सांविधिक/नियामक प्राधिकरणों से प्राप्त नोटिसों का उचित रूप से जवाब दिया है।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि मेरे द्वारा प्राप्त और भरोसा किए गए स्पष्टीकरण और प्रबंधन अभ्यावेदन के अनुसार, लेखा परीक्षा अवधि के दौरान कंपनी के मामलों पर प्रमुख प्रभाव डालने वाली ऐसी कोई विशिष्ट घटना / कार्य नहीं हुई थी।

कृते **जे.के.दास और सहभागी**
कंपनी सचिव

ह. / -

सीएस जे.के. दास,
सी. पी. संख्या 4250

सदस्यता संख्या- एफसीएस 7268

यूडीआईएन: F007268E000381532

स्थान: कोलकाता

सहकर्मी समीक्षा प्रमाणपत्र सं. 1748/2022

दिनांक: 20 मई, 2022

“अनुलग्नक क”

प्रति

सदस्यगण

महानदी कोलफिल्ड्स लिमिटेड

जागृति विहार, बुला

संबलपुर-768020

ओडिशा, भारत

महोदय,

इस तिथि की हमारी रिपोर्ट को इस पत्र के साथ पढ़ा जाना है:

प्रबंधन की जिम्मेदारी:

कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारियां निम्नानुसार हैं:

1. सचिवीय रिकॉर्ड का रखरखाव कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर इन सचिवीय रिकॉर्ड पर राय व्यक्त करना है।
2. हमने सचिवीय रिकॉर्ड की सामग्री की शुद्धता के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त लेखा परीक्षा पद्धतियों और प्रक्रियाओं का पालन किया है। सत्यापन परीक्षण यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया कि सचिवीय रिकॉर्ड में सही तथ्य परिलक्षित होते हैं। हम मानते हैं कि जिन पद्धतियाँ और प्रक्रियाएँ जिनका हमने अनुसरण किया है, वे हमारी राय को एक उचित आधार प्रदान करते हैं।
3. हमने कंपनी के वित्तीय रिकॉर्ड और लेखा पुस्तकों की शुद्धता और औचित्य का सत्यापन नहीं किया है। या पुस्तकों और लेखापुस्तकों के अलावा किसी भी किताबों, सूचना या बयानों की जांच नहीं की है।
4. हमने उपरोक्त वर्णित विवरणों के अलावा किसी अन्य विशिष्ट कानून की जांच नहीं की है।
5. जहां भी आवश्यक हो, हमने उपरोक्त कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों, दिशानिर्देशों और घटनाओं के होने आदि के अनुपालन के बारे में प्रबंधन का प्रतिनिधित्व प्राप्त किया है।
6. कॉर्पोरेट कानूनों और अन्य लागू नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी परीक्षा परीक्षण के आधार पर प्रक्रिया के सत्यापन तक सीमित थी।
7. सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता का और न ही प्रभावकारिता या प्रभावशीलता के बारे में आश्वासन है, जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है।

कृते **जे.के.दास और सहभागी**
कंपनी सचिव

ह./-

सीएस जे.के. दास,

सी. पी. संख्या 4250

सदस्यता संख्या- एफसीएस 7268

यूडीआईएन: F007268E000381522

सहकर्मी समीक्षा प्रमाणपत्र सं. 1748/2022

स्थान: कोलकाता

दिनांक: 20 मई, 2022

सचिवीय लेखा परीक्षक एवं प्रबंधन स्पष्टीकरण का अवलोकन

क्र. सं.	अधिनियम के प्रावधान	अवलोकन	प्रबंधन स्पष्टीकरण
1.	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 के प्रावधानों और डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार, कंपनी के स्वतंत्र निदेशकों की कुल संख्या का कम से कम 1/3 होनी चाहिए।	प्रारंभिक वित्तीय वर्ष में, बोर्ड में केवल दो (2) स्वतंत्र निदेशक के साथ बोर्ड के कुल सदस्यों की संख्या आठ (8) थी। वित्तीय वर्ष के अंत में, बोर्ड में एक (01) स्वतंत्र निदेशकों के साथ बोर्ड के कुल सदस्यों की कुल संख्या सात (7) थी। तदनुसार, बोर्ड की संरचना डीपीई दिशानिर्देशों और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 के प्रावधानों के अनुपालन में नहीं थी।	क्रमांक का उत्तर दें. नंबर 1 और 2 एमसीएल सीआईएल की एक असूचीबद्ध पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 और धारा 177 के प्रावधान, कंपनी (नियुक्ति और योग्यता) नियम, 2014 के नियम 4 और कंपनी (बोर्ड की बैठक और इसकी शक्तियों) के नियम 6 के साथ पढ़े जाते हैं।) कंपनी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति और ऑडिट समिति के गठन के मामले में नियम, 2014 इस पर लागू नहीं होते हैं। इसलिए “निदेशक मंडल की संरचना“ पर डीपीई दिशानिर्देशों के संबंध में अनुपालन किया गया। हालांकि बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक के रिक्त पद को भरने के लिए मंत्रालय को पत्र भेज दिया गया है।
2.	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 के प्रावधानों के अनुसार।	लेखापरीक्षा समिति में स्वतंत्र निदेशक की आवश्यकता कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 के अनुरूप नहीं है।	

कृते **जे.के.दास और सहभागी**
कंपनी सचिव

ह./-

सीएस जे.के. दास,

सी. पी. संख्या 4250

सदस्यता संख्या- एफसीएस 7268

यूडीआईएन: F007268E000381532

सहकर्मी समीक्षा प्रमाणपत्र सं. 1748/2022

स्थान: कोलकाता

दिनांक: 20 मई, 2023

के. के. पटेल एवं एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

508,5वीं मंजिल, स्काईलाइन बिल्डिंग, सेक्टर-11.
गांधीनगर 382 011.
Ph: (0) 079-35612644.
Email: cskiranpatel@gmail.com

फॉर्म नंबर एमआर-3

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 204 (1) और कंपनी (नियुक्ति तथा पारिश्रमिक कार्मिक)
नियम 2014 के नियम संख्या 9 के अनुसरण में)

सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट

31 मार्च 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

सेवा में,
सदस्यगण
नार्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड,
पोस्ट-सिंगरौली कोलियरी,
सिंगरौली (म.प्र.) **486889**

हमने नार्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (इसके बाद “कंपनी” कहा जाता है) द्वारा लागू वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन और अच्छी कॉर्पोरेट प्रथाओं के पालन का सचिवीय ऑडिट किया है। सचिवीय ऑडिट इस तरीके से आयोजित किया गया था जिसने हमें कॉर्पोरेट आचरणों/सांचिकीय अनुपालनों का मूल्यांकन करने और उस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए एक उचित आधार प्रदान किया।

कंपनी की बहियों, कागजातों, मिनट बुक्स, फाइल किए गए प्रपत्रों और रिटर्नों तथा कंपनी द्वारा अनुरक्षित अन्य अभिलेखों के हमारे सत्यापन के आधार पर और कंपनी, इसके अधिकारियों, एजेंटों और अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा सचिवीय लेखापरीक्षा के संचालन के दौरान प्रदान की गई जानकारी के आधार पर, हम इसके द्वारा रिपोर्ट करें कि हमारी राय में, कंपनी ने 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष को कवर करने वाली लेखापरीक्षा अवधि के दौरान यहां सूचीबद्ध वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और यह भी कि कंपनी के पास उचित बोर्ड-प्रक्रियाएं और अनुपालन-तंत्र इस हद तक है, तरीके से और इसके बाद की गई रिपोर्टिंग के अधीन है।

हमने 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी द्वारा बनाये गये पुस्तकों, प्रपत्रों, रिटर्न और अन्य अभिलेखों की जाँच निम्नलिखित प्रावधानों के तहत की:-

- (i) कंपनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) तथा इसके अंतर्गत बनाए गए नियम।
- (ii) प्रतिभूति अनुबंध (विनियम) अधिनियम 1956(एससीआरएफ) और इसके तहत बनाए गए नियम (अंकेक्षण के समय कंपनी में लागू नहीं)
- (iii) डिपॉजिटरी अधिनियम, 1996 और उसके तहत बनाए गए विनियमों और उपनियमों का लागू सीमा तक अनुपालन किया जाता है इसके अलावा, एमसीए ने अधिसूचना दिनांक 22 जनवरी, 2019 द्वारा सरकारी कंपनियों को शेयरों के डीमैटरियलाइजेशन से छूट दी और इसलिए यह कंपनी पर लागू नहीं है। हालांकि, समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी ने स्वेच्छा से अपने शेयरों को डीमैटरियलाइज किया है।
- (iv) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और बाहरी वाणिज्यिक उधार की सीमा तक उसके तहत बनाए गए नियम और विनियम; (ऑडिट अवधि के दौरान ऐसी कोई कार्रवाई/घटना नहीं)
- (v) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 ('सेबी अधिनियम') के तहत निर्धारित निम्नलिखित विनियम और दिशानिर्देश
- (vi) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड शेयरों और अधिग्रहणों का पर्याप्त अधिग्रहण विनियम, 2011; (लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं)
- (vii) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियम, 2015
- (viii) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूँजी का मुद्दा और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2018; (लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं)
- (ix) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना और कर्मचारी स्टॉक खरीद योजना) दिशानिर्देश, 1999; (लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं)
- (x) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गमन और सूचीकरण) विनियम, 2008; (लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं)
- (xi) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयर हस्तांतरण एजेंटों के रजिस्ट्रार) विनियम, 1993 कंपनी अधिनियम और ग्राहक के साथ व्यवहार के संबंध में; (लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं)
- (xii) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (इक्विटी शेयरों की असूचीबद्धता) विनियम 2009; (लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं)
- (xiii) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूतियों की पुनः खरीद) विनियम, 2018 (अवधि के दौरान कंपनी में लागू नहीं)

- (v) लोक उद्यम विभाग द्वारा दिनांक 14 मई, 2010 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 18(8)/2005-जीएम द्वारा जारी कॉरपोरेट गवर्नेंस दिशानिर्देश
- (vi) इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया द्वारा जारी सचिवीय मानक।
- (vii) कोयला मंत्रालय में निर्दिष्ट कंपनी के निदेशक मंडल का गठन पत्र सं. 21/35/2005-एएसओ (vi) दिनांक 06 जून, 2008

हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी में प्रचलित अनुपालन प्रणाली के संबंध में और उसके अनुसरण में दस्तावेजों और अभिलेखों की जांच के आधार पर, नमूना जांच के आधार पर, कंपनी ने सामान्य रूप से कंपनी पर लागू कानूनों के प्रावधानों और निम्नलिखित कानूनों का अनुपालन किया है विशेष रूप से नीचे दिए गए पर्यावरण कानूनों सहित

- खान अधिनियम, 1952:1) खान नियम, 1955 एवं 2) खान व्यावसायिक प्रशिक्षण नियम, 1966
- कोयला खान विनियम, 2017
- खदान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम 1957.
- खनिज (संरक्षण और विकास) नियम 2017
- खदान क्रेच नियम, 1966
- कोयला खदान पिटहैड बाथ नियम, 1946
- भारतीय विस्फोटक अधिनियम, 1884 एवं भारतीय विस्फोटक नियम, 2008
- कोयला खदान (संरक्षण और विकास) अधिनियम, 1974
- खनिज रियायत नियम 1960
- कोलियरी नियंत्रण आदेश, 2000 एवं कोलियरी नियंत्रण नियम, 2004
- मजदूरी का भुगतान(खानों) नियम, 1956
- मातृत्व लाभ(खान एवं सर्कस) नियम, 1963
- अनिर्दिष्ट वेतन (खानों) नियमों का भुगतान, 1989
- कोयला खदान भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम 1948
- कोयला खदान पेंशन योजना 1998
- वेतन भुगतान अधिनियम 1936
- कोयला धारक क्षेत्र(अधिग्रहण और विकास) अधिनियम, 1957
- भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापण में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 और नियम 2014
- पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 एवं पर्यावरण संरक्षण नियम 1986
- जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और नियम, 1975
- जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) उपकर अधिनियम, 1977

और उसके अधीन बनाए गए नियम

- वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 और वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) नियम, 1982
- भारत बन अधिनियम 1957
- पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006
- खतरनाक अपशिष्ट रखरखाव एवं प्रबंधन अधिनियम 1989
- खतरनाक और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और ट्रांस सीमा परिचालन) नियम, 2016
- ई-कचरा प्रबंधन नियम 2016
- जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन और रखरखाव नियम, 1998 और 2016
- प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016
- निर्माण और विध्वंश अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016
- बिजली अधिनियम 2003 और बिजली नियम 2005
- सार्वजनिक देयता बीमा अधिनियम, 1991 एवं इसके तहत बनाए गए नियम।
- इंडियन बियूरो ऑफ माइन्स (सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट (सर्वे) जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट (सर्वे) एंड जूनियर टेक्निकल भर्ती (सर्वे) नियम, 1990
- भारतीय ब्यूरो ऑफ माइंस (बिजली पर्यवेक्षक एवं इलेक्ट्रीशियन) भर्ती नियम 1990

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि

- कंपनी के निदेशक मंडल में अपेक्षित संख्या में गैर-आधिकारिक अंशकालिक/स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति को छोड़कर कंपनी के निदेशक मंडल का विधिवत गठन कार्यकारी निदेशकों, गैर-कार्यकारी निदेशकों और स्वतंत्र निदेशकों के उचित संतुलन के साथ किया गया है, निदेशक मंडल और लेखा परीक्षा समिति की संरचना को पूरा करने के लिए कोयला मंत्रालय पत्र सं. 21/35/2005-एएसओ(vi) दिनांक 06 जून, 2008 को कॉर्पोरेट प्रशासन पर डीपीई दिशानिर्देशों के अनुरूप में निर्दिष्ट निदेशक मंडल के गठन के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा 04 स्वतंत्र निदेशकों के रिक्त पदों को भरा जाना बाकी है। 31.03.2023 तक, कंपनी के बोर्ड में केवल एक स्वतंत्र निदेशक था क्योंकि एक स्वतंत्र निदेशक दिनांक 13.11.2022 को इस्टीफे के कारण और एक अन्य स्वतंत्र निदेशक की मृत्यु के कारण 09.02.2023 को पद खाली हुआ।

हालाँकि, कुछ कॉर्पोरेट प्रशासन प्रावधानों के संबंध में, कंपनी एक केंद्रीय पीएसयू होने के नाते, सरकारी कंपनियों पर लागू होने वाले नियामक ढांचे को निदेशकों की नियुक्ति, पारिश्रमिक, मूल्यांकन और उत्तराधिकार आदि से संबंधित मामलों के संबंध में अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

- समीक्षाधीन अवधि के दौरान हुए निदेशक मंडल की संरचना में परिवर्तन कानून के प्रावधानों के अनुपालन के तहत ही किया गया है।
- विषम परिस्थितियों को छोड़कर निदेशक मण्डल की सभी बैठकों की सुचना, एजेंडा और एजेंडा पर विस्तृत नोट कम से कम सात दिन पूर्व भेजा जाता है एवं बैठक में सार्थक भागीदारी हेतु एजेंडा आइटम पर बैठक से पूर्व अतिरिक्त जानकारी और स्पष्टिकरण प्राप्त करने हेतु प्रणाली प्रभावी है।
- मुख्यतः सभी फैसले सर्व सहमति से लिए जाते हैं परंतु अलग मत रखने वाले सदस्यों के मतों को लिखा और कार्यवृत्त के भाग के रूप में अभिलेखित किया जाता है।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि समीक्षाधीन अवधि के दौरान, कंपनी ने उपरोक्त टिप्पणियों के अधीन अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के प्रावधानों का अनुपालन किया है।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों के अनुपालन की निगरानी करने और सुनिश्चित करने के

लिए कंपनी के आकार और प्रचलनों के अनुरूप कंपनी में उपयुक्त तंत्र और प्रक्रिया है।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी ने कोई विशिष्ट कार्य नहीं किया है जिसका प्रभाव उपरोक्त कानून, नियम, अधिनियम, दिशानिर्देशों, मानकों इत्यादि के अनुसरण में कंपनी के कार्यकलापों पर पड़े।

इस रिपोर्ट को हमारे समान तिथि पत्र के साथ पढ़ा जाना है जो “अनुलग्नक ए” के रूप में संलग्न है और इस रिपोर्ट का एक अभिन्न अंग है।

कृते केकेपटेल आर एंड ऐसोसियट
कंपनी सचिव

ह./-

किरण कुमार पटेल

सीपीसंख्या:6352 एफसीएस:6384
यूडीआईएन: F006384E000329597

‘अनुलग्नक क’

सेवा में,

सदस्यगण

नार्दन कोलफील्ड्स लिमिटेड,

पोस्ट-सिंगरौली कोलियरी,

सिंगरौली (म.प्र.)**486889**

इस पत्र को समान तिथि की हमारी रिपोर्ट के साथ पढ़ा जाय:

- सचिवीय लेखों का रखरखाओं कंपनी प्रबंधन की ज़िम्मेदारी है। हमारी ज़िम्मेदारी हमारे अंकेक्षण के आधार पर इन सचिवीय लेखों पर राय व्यक्त करना है।
- हमने अंकेक्षण प्रथाओं और प्रक्रियाओं का पालन किया है, जो सचिवीय लेखों की सत्यता के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त थे। नमूना जांच के आधार पर सत्यापन किया गया ताकि यह सुनिश्चित हो सके की सही तथ्य सचिवीय लेखों में परिलक्षित होते हैं। हम मानते हैं कि हमारे द्वारा की जाने वाली प्रक्रियाएँ और व्यवहार हमारी राय बनाने के लिए एक उचित आधार प्रदान करते हैं।
- हमने कंपनी की वित्तीय रिकॉर्ड और पुस्तकों के लेखों की सत्यता और उपयुक्तता का सत्यापन नहीं किया है। हमने कंपनी अधिनियम, 2013 और उससे संबंधित नियम के तहत कंपनी द्वारा बनाए गए लेखों, कागजातों के रखरखाओं और इस वित्त वर्ष के वित्तीय विवरण जो कंपनी के मामलों की स्थिति के बारे में सही और निषपक्ष दृस्टिकोण प्रदान करते हैं पर सांविधिक लेखों परिक्षकों द्वारा जारी रिपोर्ट पर भरोसा किया है।

4. जहाँ भी आवश्यक हो, हमने कानूनों, नियमों और विनियमों और घटनाओं आदि के अनुपालन के बारे में प्रबंधन अभ्यावेदन प्राप्त किया है।

5. निर्गमित और अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधन की ज़िम्मेदारी है। हमारा परिक्षण नमूना जांच के आधार पर प्रक्रियाओं के सत्यापन तक सीमित है।

6. सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट न तो कंपनी की भविष्य की व्यव्हार्यता के लिए और न ही प्रबंधन द्वारा कंपनी मामलों में प्रभावकारिता या प्रभावशीलता के साथ संचालन का आश्वासन है।

कृते केकेपटेल आर एंड ऐसोसियट
कंपनी सचिव

ह./-

किरण कुमार पटेल

सीपीसंख्या:6352 एफसीएस:6384
यूडीआईएन: F006384E000329597

स्थान:गांधीनगर
दिनांक:18 मई, 2023

सचिवीय लेखा परीक्षक द्वारा अवलोकन	प्रबंधन के जवाब
<p>कंपनी के निदेशक मंडल में अपेक्षित संख्या में गैर-आधिकारिक अंशकालिक/स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति को छोड़कर कंपनी के निदेशक मंडल का विधिवत गठन कार्यकारी निदेशकों, गैर-कार्यकारी निदेशकों और स्वतंत्र निदेशकों के उचित संतुलन के साथ किया गया है, निदेशक मंडल और लेखा परीक्षा समिति की संरचना को पूरा करने के लिए कोयला मंत्रालय पत्र सं. 21/35/2005-एसओ(vi) दिनांक 06 जून, 2008 को कॉर्पोरेट प्रशासन पर डीपीई दिशानिर्देशों के अनुरूप में निर्दिष्ट निदेशक मंडल के गठन के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा 04 स्वतंत्र निदेशकों के रिक्त पदों को भरा जाना बाकी है। 31.03.2023 तक, कंपनी के बोर्ड में केवल एक स्वतंत्र निदेशक था क्योंकि एक स्वतंत्र निदेशक दिनांक 13.11.2022 को इस्टीफे के कारण और एक अन्य स्वतंत्र निदेशक की मृत्यु के कारण 09.02.2023 को पद खाली हुआ।</p>	<p>यह एक तथ्यात्मक का बयान है।</p> <p>निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार के कोयला मंत्रालय द्वारा की जाती है जिसमें कंपनी की कोई भूमिका नहीं होती है। तथापि, कंपनी के निदेशक मंडल में गैर-सरकारी अंशकालिक (स्वतंत्र) निदेशकों की रिक्तियों को जल्द से जल्द भरने के लिए भी अभ्यावेदन दिया जाता है।</p>

आर एंड ए एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

टी-202, टेक्नोपोलिस, 1-10-74/बी अबव
रत्नदीप सुपर मार्केट चिकोटी गार्डन,
बेगमपेट हैदरगाबाद-500016, भारत।
टेलीफोन: +91 40-4003 2244
ईमेल: adminrna-cs.com | www.rna-cs.com

फॉर्म नंबर एमआर-3

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 204(1) के तथा कंपनी
(प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक नियम 2014) के नियम 9 के तहत

सचिकीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट

31 मार्च 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

प्रति

सदस्यगण,
साउथ ईस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड

हमने, साउथ ईस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड, (मिनी रत्न सार्वजनिक उपक्रम), जिसका सीआईएन-U10102CT1985GOI003161 एवं पंजीकृत कार्यालय-सीपीपट रोड, बिलासपुर (छत्तीसगढ़)-495006 में है, (जिसे आगे “कंपनी” संदर्भित किया गया है) द्वारा प्रयोज्य सांचिकीय प्रावधानों के अनुपालन तथा बेहतर निगमित प्रक्रियाओं के अनुसमर्थन में सचिकीय लेखा परीक्षा की गयी है। सचिकीय लेखा परीक्षा इस रीति से किया गया, जिससे मुझे निगमित व्यवहार/सांचिकीय अनुपालन के मूल्यांकन के लिए समुचित आधार व उस पर औचित्यपूर्ण राय देने का आधार प्राप्त हुआ।

कंपनी द्वारा बनाए गए कम्पनी-बहियों, कागजातों, कार्यवृत्त बहियों, भेरे गए फॉर्म और विवरणी तथा अन्य अभिलेख, जिसे इलेक्ट्रॉनिक रूप से हमें शेयर किया गया था, हमारे द्वारा की गई जांच तथा सचिकीय लेखा परीक्षा करने के दौरान कम्पनी, उनके अधिकारियों, अभिकर्ताओं तथा अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना, पुष्टिकरण, स्पष्टीकरण के आधार पर, हम एतद् द्वारा यह रिपोर्ट देते हैं कि हमारी राय में, कम्पनी ने 31 मार्च, 2023 (जिसे आगे “लेखा परीक्षा अवधि” संदर्भित किया गया है) को समाप्त वित्तीय वर्ष में शामिल लेखा परीक्षा अवधि के दौरान, उसके अधीन सूचीबद्ध सांचिकीय प्रावधानों का अनुपालन किया है तथा यह भी कि कम्पनी के अपनी समुचित बोर्ड-प्रक्रियाएं एवं अनुपालन प्रक्रिया/विधान उस सीमा तक और उसी प्रकार से प्रवृत्त है, जैसा कि इसके आगे रिपोर्टिंग की गई है।

हमने, सिमलिखित प्रावधानों के अनुसार 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कम्पनी द्वारा बनाए व रखे गए बहियों, कागजातों, कार्यवृत्त बहियों, जमा किए गए फॉर्म और विवरणी तथा अन्य अभिलेखों की जांच-पड़ताल की है:

- (i) कम्पनी अधिनियम, 2013 (“अधिनियम”) तथा उसके अधीन बनाए गए नियम;
- (ii) प्रतिभूति अनुबंध (विनियम) अधिनियम, 1956 (“एससीआरए”) तथा उसके अधीन बनाए गए नियम; (लेखा परीक्षा अवधि के दौरान कम्पनी में प्रयोज्य नहीं)
- (iii) निपेक्षागार अधिनियम, 1996 तथा उसके अधीन बनाए गए विनियम एवं उप-नियम;
- (iv) विदेशी विनियम प्रबंधन अधिनियम, 1999 तथा विदेशी प्रत्यक्ष निवेष, समुद्रपार प्रत्यक्ष निवेष तथा बाह्य वाणिज्यिक क्रण-उधार की सीमा के अधीन बनाए गए नियम और नियमन; (लेखा परीक्षा अवधि के दौरान कम्पनी में प्रयोज्य नहीं)
- (v) नियमित विभाग अधिनियम, 1996 तथा उसके अधीन बनाए गए विनियम एवं उप-नियम;
- (vi) लोक उद्यम विभाग, भारत सरकार द्वारा, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों पर, उनके कार्यालय ज्ञापन सं.-18(8)/2005-जीएम दिनांक 14 मई, 2010 के तहत जारी कर्पोरेट गवर्नेंस दिशानिर्देश (जिसे आगे “कर्पोरेट गवर्नेंस पर जारी सीपीएसई दिशानिर्देश” संदर्भित किया गया है)।

(vii) साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड पर लागू निम्नलिखित विशिष्ट कानूनों का अनुपालन कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी रिपोर्ट प्रबंधन और उसके अधिकारियों द्वारा प्रदान किए गए अनुपालन प्रमाणपत्र पर आधारित है:

- क. खान अधिनियम, 1952
- ख. भारतीय विस्फोटक अधिनियम, 1884
- ग. कालरी नियंत्रण आदेष, 2000 एवं कालरी नियंत्रण नियम, 2004
- घ. कोयला खान नियमन, 2017
- ड. मजदूरी भुगतान (खान) नियम, 1956
- च. कोयला खान पेंशन योजना, 1998
- छ. कोयला खान संरक्षण एवं विकास अधिनियम, 1974
- ज. खान व्यावसायिक प्रशिक्षण नियम, 1966
- झ. खान क्रेच (शिशुगृह) नियम, 1961
- ट. खान बचाव नियम, 1985
- ठ. कोयला खान पिटहेड बाथ नियम, 1946
- ड. मातृत्व लाभ (खान एवं सर्कस) नियम, 1963
- ढ. विस्फोटक नियम, 2008
- त. खनिज रियायत नियम, 1960
- थ. कोयला खान भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1948
- द. खान एवं खनिज (विकास एवं नियमन) अधिनियम, 1957
- ध. असंचितरित मजदूरी भुगतान (खान) नियम, 1989
- प. भारतीय विद्युत अधिनियम, 2003 एवं भारतीय विद्युत नियम, 1956
- फ. पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं पर्यावरण संरक्षण नियम, 1986
- ब. खतरनाक एवं अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन एवं ट्रांसबाउंडरी मूवमेंट) नियम, 2016
- भ. जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं उसके अधीन बनाए गए नियम
- म. वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981
- य. लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 एवं उसके अधीन बनाए गए नियम

हमने निम्नलिखित प्रयोज्य धाराओं (क्लाज) के अनुपालन की भी जांच-पड़ताल की है :

(1) इंस्टीट्यूट ऑफ कम्पनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया द्वारा जारी सचिवीय मानक :

(2) स्टॉक एक्सचेंज के साथ कंपनी द्वारा निष्पादित सूचीबद्ध अनुबंध (लेखा परीक्षा अवधि के दौरान कम्पनी में प्रयोज्य नहीं)

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, कम्पनी ने ऊपर दर्शित अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशा-निर्देशों, मानकों आदि के प्रावधानों का अनुपालन निम्नलिखित टिप्पणियों के अधीन किया है:

(i) लेखा परीक्षा समिति का गठन लोक उद्यम विभाग, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन सं.-18(8)/2005-जीएम दिनांक 14.05.2010 के द्वारा केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों हेतु निगमित शासन प्रणाली पर जारी निर्देशों की पैरा 4.1.1 के अनुसार नहीं है।

हम आगे यह रिपोर्ट करते हैं कि :

(अ) बोर्ड का गठन

कंपनी के निदेशक मंडल का गठन कार्यकारी निदेशकों और गैर-कार्यकारी निदेशकों तथा स्वतंत्र निदेशकों के उचित संतुलन के साथ किया गया है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान, निदेशक मण्डल के संयोजन-संघटन में जो परिवर्तन हुए, उसे अधिनियम तथा कंपोर्ट गवर्नेंस पर जारी सीपीएसई दिशानिर्देश के अनुपालन में कार्यान्वित किया गया। कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसेसिएशन के निबंधन में बोर्ड में सभी नियुक्तियां भारत सरकार द्वारा की गईं।

(ब) बोर्ड की बैठकें

सभी निदेशकों को बोर्ड बैठकों के अनुसूची की समुचित सूचना उपलब्ध कराई गई है। कार्यसूची व कार्यसूची पर विस्तृत नोट्स कम से कम सात दिन पहले भेजे गए हैं तथा कार्यसूची के मद्दों के संबंध में और अधिक जानकारी व स्पष्टीकरण बैठक से पूर्व मांगने/प्राप्त करन की व्यवस्था है, ताकि बैठक में अर्थपूर्ण सहभागिता हो सके।

निर्णय बहुमत से लिए जाते हैं, सदस्यों की असहमति/मतभेद, यदि कोई हो तो, उसे अभिग्रहित करके कार्यवृत्त में अभिलेखित किया जाता है।

(स) प्रयोज्य कानूनों, नियमों, विनियमों और मार्गनिर्देशों के अनुपालन हेतु प्रणाली एवं प्रक्रिया

हम आगे यह रिपोर्ट करते हैं कि कम्पनी में समुचित प्रणाली व कार्य-विधि है जो प्रयोज्य कानूनों, नियमों, विनियमों और मार्गनिर्देशों का अनुपालन व प्रबोधन सुनिश्चित करने के लिए कम्पनी के आकार व कार्य-संचालन के अनुरूप है।

हम आगे यह भी रिपोर्ट करते हैं कि लेखा परीक्षा अवधि के दौरान, उपर्युक्त के संदर्भ में कंपनी में कोई विशेष घटना/कार्रवाईयां नहीं हुई, जिसका उपर्युक्त संदर्भित कानूनों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों इत्यादि के अनुसरण में कंपनी के मामलों पर कोई व्यापक भार पड़ता हो।

: इस रिपोर्ट को हमारे उसी तारीख के पत्र के साथ पढ़ा जाए जो “अनुलग्नक-क” के रूप में संलग्न है और जो इस रिपोर्ट का एक अभिन्न अंग है।

कृते, आर. एंड ए. एसोसिएट्स
कम्पनी सचिव
(सहकर्मी समीक्षित)

हस्ता. /-
(आर. रामाकृष्ण गुप्ता)

वरिष्ठ भागीदार

एफसीएस नम्बर: 5523

सीपी नम्बर: 6696

आईसीएसआई यूटीआईएन :

F005523E000539672

दिनांक: 04.07.2023

स्थान: हैदराबाद

प्रति

सदस्य,

साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड,

सीपत रोड, बिलासपुर, छत्तीसगढ़ - 495006

हमारी उस तारीख की रिपोर्ट को इस पत्र के साथ पढ़ा जाए,

- सचिवीय अभिलेखों के रख-रखाव की जवाबदेही साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (इसके बाद इसे झकंपनीके रूप में संबोधित किया जाएगा) के प्रबंधन की है। हमारी जवाबदेही, हमारे लेखा परीक्षा पर आधारित इन सचिवीय अभिलेखों पर अपनी राय/ मत व्यक्त करना है।
- सचिवीय अभिलेखों में निहित विषयवस्तु की सत्यता सुनिश्चित करने हेतु हमने लेखा परीक्षा कार्य-विधि एवं कार्य-प्रक्रिया का अनुपालन किया है। सचिवीय अभिलेखों में सही तथ्य परिलक्षित होना सुनिश्चित करने के लिए जांच-परीक्षण के आधार पर सत्यापन किया गया था। हम मानते हैं कि जिन प्रक्रियाओं और प्रथाओं का हमने पालन किया, वे हमारी राय के लिए समुचित आधार प्रदान करते हैं।
- हमने कम्पनी के वित्तीय अभिलेखों और लेखा-बहियों की सत्यता व उपयुक्ता-औचित्यता की जांच/सत्यापन नहीं किया है।
- जहां भी आवश्यक हुआ, हमने कानूनों, नियमों व नियमनों एवं घटित घटनाओं के अनुपालन के बारे में प्रबंधन का प्रतिनिधित्व प्राप्त किया।
- कॉर्पोरेट और अन्य प्रयोज्य कानूनों, नियमों, नियमनों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन करना प्रबंधन की जवाबदेही है। हमारी जांच-पड़ताल, जांच-परीक्षा आधार पर (टेस्ट बेसिस) कार्य-प्रक्रियाओं के सत्यापन तक सीमित था। हमारा प्रतिवेदन प्रबंधन द्वारा प्रदत्त जटिल प्रमाणपत्र पर आधारित है।
- सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट न तो कंपनी के भविष्य-व्यवहार के विषय को सुनिश्चित करता है और न ही कार्यदक्षता या प्रभावशीलता को सुनिश्चित करता है, जिसके साथ प्रबंधन ने कम्पनी के कार्य मामले संचालित-निष्पादित किये हैं।
- 25 जुलाई, 2023 को आयोजित बैठक अल्प सुचना पर बुलाई गई थी। जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 173 (3) के तहत अवाश्यक है, कोई भी स्वतंत्र निदेशक इस बैठक में शामिल नहीं हुए और न ही वहां लिए गए निर्णयों की स्वतंत्र निदेशकों द्वारा पुष्टि की गई। हालांकि 10 जनवरी, 2023 को आयोजित असाधारण सामान्य बैठक में इसकी पुष्टि की गई है।

कृते, आर. एंड ए. एसोसिएट्स
 कम्पनी सचिव
 (सहकर्मी समीक्षित)

हस्ता./-

(आर. रामाकृष्णा गुप्ता)

वरिष्ठ भागीदार

एफसीएस नम्बर: 5523

सीपी नम्बर: 6696

आईसीएसआई यूडीआईएन : F005523E000539672

दिनांक: 04.07.2023

स्थान: हैदराबाद

क्र. सं.	टिप्पणियों	प्रबंधन स्पष्टीकरण
1.	ऑडिट समिति की संरचना भारत सरकार, सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा अपने ओएम के माध्यम से जारी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन पर दिशानिर्देशों के पैरा 4.1.1 के अनुरूप नहीं है। क्रमांक 18(8)/2005-जीएम दिनांक 14 मई 2010।	लेखा परीक्षा अवधि के दौरान, ऑडिट समिति की संरचना कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर डीपीई दिशानिर्देशों के पैरा 4.1.1 के अनुसार नहीं है। यह इस तथ्य के कारण है कि 04 (चार) स्वतंत्र निदेशकों की आवश्यकता में से, वर्ष के अधिकांश भाग के लिए, यानी 25.07 से, एसईसीएल के बोर्ड में केवल 02 (दो) स्वतंत्र निदेशक थे। 2022 से 28.02.2023 तक। इसके अलावा, वर्तमान में भी, बोर्ड में केवल 02 (दो) स्वतंत्र निदेशक हैं और कोयला मंत्रालय (एमओसी) से 02 (दो) और स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति अभी भी प्रतीक्षित है।

रामानुज असावा

बी.कॉम., एफ.सी.एस.
(कंपनी सचिव)

#205, दूसरी मंजिल, “हिमालय एन्कलेब”

1, शिवाजीनगर, गांधीनगर स्केयर,

लाड कॉलेज के सामने, उत्तरी अंबाज़ारी रोड, नागपुर 440010.

मोबाइल: 9423880361, 9422095636, 9422803662

फ़ोन नंबर 0712-2221217

ई-मेल: asawaramanuj@gmail.comramanuj.asawa@gmail.com**फॉर्म नंबर एमआर-3**

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 204(1) के तथा कंपनी

(प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक नियम 2014) के नियम 9 के तहत

सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट

31 मार्च 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

प्रति,
सदस्यगण,
वेस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड,
कोल इस्टेट,
नागपुर-440001

हमने वेस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड, मिनीरत्न कैट-1 कंपनी सार्वजनिक उपक्रम, (यहां इसे कंपनी कहा के गया है) के उत्तम निगमित कार्यप्रणालियों के अनुवर्तन तथा इसे लागू वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन के लिए सचिवीय अंकेक्षण किया है। सचिवीय अंकेक्षण इस पद्धति से किया गया है कि उससे हमें युक्तिसंगत आधार प्राप्त हो जिससे निगमित व्यवहार/वैधानिक अनुपालनों का मूल्यांकन किया जा सके तथा उस पर हम अपने विचार व्यक्त कर सकें।

कंपनी द्वारा रखी गई पुस्तकों, कामकाज, कार्यवृत्त पुस्तकों, प्रपत्रों, फाइल किए गए रिटर्न्स, अन्य अभिलेखों एवं कंपनी तथा उसके अधिकारीगण, एजेंट्स, अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा हमें उपलब्ध कराई गई जानकारियों की इस सचिवीय अंकेक्षण के दौरान मेरे द्वारा जांच की गई। इन सबके आधार पर मैं यह व्यक्त करता हूं कि 31 मार्च 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष (अंकेक्षण अवधि) के अंकेक्षण के दौरान कंपनी ने वैधानिक प्रावधानों जो कि नीचे दर्शाए गए हैं, का अनुपालन किया है तथा कंपनी ने उचित बोर्ड-प्रोसेस एवं अनुपालन मैकेनिज्म रखा है। अतएव नीचे दिए अनुसार रिपोर्टिंग की जाती है:-

हमने निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार 31 मार्च 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी द्वारा बनाए रखे गए पुस्तकों, कागजातों, मिनट बुक्स, फॉर्म एवं भरी गई रिटर्न तथा अन्य रिकार्डों की जांच की है:-

- कंपनी अधिनियम 2013 (“अधिनियम”) तथा उसके तहत बनाए गए नियम
- सिक्यूरिटीज कॉन्ट्रैक्ट्स (रेग्यूलेशन) अधिनियम 1956(एससीआरए) एवं इसके अधीन बनाए गए अन्य नियम (अंकेक्षण की अवधि के दौरान कंपनी को लागू नहीं);
- जमाकर्ता अधिनियम 1996 एवं इसके अंतर्गत निर्मित विनियम एवं उपनियम

iv) विदेशी विनियम प्रबंध अधिनियम 1999 तथा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा तक इसके अधीन बनाए गए अन्य नियम एवं विनियम/प्रत्यक्ष समुद्रपार निवेश एवं विदेशी व्यावसायिक क्रृष्ण

(अंकेक्षण अवधि के दौरान कंपनी को लागू नहीं)

v) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 के तहत निर्धारित निम्नलिखित विनियम और दिशानिर्देश:

ए) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015: (अंकेक्षण अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं है)

बी) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (इनसाइडर ट्रेडिंग निषेध) विनियम, 2015;

vi) सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई), भारत सरकार द्वारा जारी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसईएस) के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन दिशानिर्देश;

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि, कंपनी मैं प्रचलित अनुपालन प्रणाली के संबंध में और परीक्षण के आधार पर संबंधित दस्तावेजों और अभिलेखों की जांच के आधार पर, कंपनी ने विशेष रूप से पहचाने और पुष्टि किए गए प्रबंधन के रूप में कंपनी के लिए लागू कानूनों का अनुपालन निम्नानुसार किया है:

- दा माइंस एक्ट, 1952 एवं दा माइंस रूल्स, 1955
- इंडियन एक्स्प्लोरेशन एक्ट, 1884
- दा एक्स्प्लोरेशन रूल्स, 2008
- कॉलरी कंट्रोल आर्डर, 2000 एंड कॉलरी कंट्रोल रूल्स, 2004
- दा कोल माइंस रेग्यूलेशन, 2017
- दा पेमेंट ऑफ वैजेस (माइंस) रूल्स, 1956
- कोल माइंस पेंशन स्कीम 1998
- कोल माइंस कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 1974

9. माइंस वोकेशनल ट्रेनिंग रूल्स 1966
10. दा माइन्स क्रेचे रूल्स, 1966
11. दा माइन्स रेस्क्यू रूल्स, 1985
12. कॉल माइंस पिथहेड रूल्स, 1959
13. मेटरनिटी बेनिफिट (माइंस एंड सर्कस) रूल्स, 1963
14. मिनरल कंसेशन रूल्स, 1960
15. कॉल माइन्स प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट, 1948
16. माइंस एंड मिनरल्स (डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन) एक्ट, 1957
17. माइंस एंड मिनरल्स कन्वर्सेशन एंड डेवलपमेंट रूल्स, 2017
18. दा पेमेंट ऑफ अन डिसबर्ड वेजेस (माइंस) रूल्स, 1989
19. इंडियन इलेक्ट्रिस्टी एक्ट, 2003 एंड दा इंडियन इलेक्ट्रिस्टी रूल्स, 1956
20. पर्यावरण प्रोटेक्शन एक्ट, 1986 एंवं पर्यावरण प्रोटेक्शन रूल्स, 1986
21. दा हेजर्डअस एंड अदर वेस्टेज (मैनेजमेंट एंड ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट) रूल्स, 2016
22. दा वॉटर (प्रीवेंशन एंड कंट्रोल आफ पॉल्यूशन) एक्ट, 1974 और इसके तहत बनाए गए नियम
23. दा एयर (प्रीवेंशन एंड कंट्रोल आफ पॉल्यूशन) एक्ट, 1981
24. दा कॉल बैरिंग एरियाज (अधिग्रहण एंवं विकास) अधिनियम, 1957
25. भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894
26. वन संरक्षण अधिनियम, 1980
27. भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्वास अधिनियम, 2013 और नियम, 2014 में उचित मुआवजे और पारदर्शिता का अधिकार
28. भारतीय वन अधिनियम, 1957
29. पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006
30. भारतीय खान व्यूरो (विद्युत पर्यवेक्षक और इलेक्ट्रीशियन) भर्ती नियम, 1990
31. प्राणिक्षु अधिनियम, 1961
32. कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013
33. ग्रेच्युटी का भुगतान अधिनियम, 1972
34. बोनस भुगतान अधिनियम, 1965
35. औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947
36. औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946
37. कारखाना अधिनियम, 1948
38. मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961
39. कर्मचारी मुआवजा अधिनियम, 1923
40. मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936
41. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948
42. समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976
43. ठेका श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970

हमने निम्नलिखित लागू अधिनियमों के अनुपालन की भी जांच की है:-

- इंस्टीच्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरिज ऑफ इंडिया द्वारा बोर्ड तथा सामान्य बैठकों के संबंध में जारी क्रमशः सचिवीय मानक-1 और सचिवीय मानक-2

रिपोर्ट के तहत लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी ने “बोर्ड की संरचना” में नीचे निर्दिष्ट हमारी टिप्पणियों के अधीन ऊपर उल्लेखित और कंपनी पर लागू अधिनियमों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, सचिवीय मानकों आदि के प्रावधानों का अनुपालन किया है।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि:

बोर्ड की संरचना

कंपनी अधिनियम, 2013 धारा 149 (1) के दूसरे प्रावधान के अनुसार कंपनी के निदेशक मंडल (बोर्ड) का विधिवत गठन कंपनी के बोर्ड पर एक महिला निदेशक की नियुक्ति को छोड़कर कार्यकारी निदेशकों, गैर-कार्यकारी निदेशकों और स्वतंत्र निदेशकों के उचित संतुलन के साथ किया जाता है।

कंपनी द्वारा बताया गया कि नियुक्ति की अवधि पूरी होने के परिणामस्वरूप, डॉ. दर्शना सी देशमुख 24.07.2022 को सेवानिवृत्त हो गई, भारत सरकार से एक महिला निदेशक की नई नियुक्ति की प्रतीक्षा है। रिपोर्ट के तहत ऑडिट अवधि के दौरान बोर्ड की संरचना में जो बदलाव हुए, वे अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में किए गए और संबंधित बोर्ड बैठक में विधिवत दर्ज किए गए।

केएमपी की नियुक्ति

रिपोर्ट के तहत ऑडिट अवधि के दौरान, श्री रामेहर ने 06.10.2022 को अपनी नियुक्ति की अवधि पूरी होने पर कंपनी सचिव का कार्यभार छोड़ दिया और 19 सितंबर, 2022 को आयोजित 345वीं बैठक में बोर्ड द्वारा श्रीमती ऋतु वार्ष्णेय को 07 अक्टूबर, 2022 से कंपनी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया।

बोर्ड और समितियों की बैठकें आयोजित करना

रिपोर्ट के तहत लेखापरीक्षा अवधि के दौरान सभी निदेशकों को बोर्ड की बैठकों को शेड्यूल करने के लिए पर्याप्त नोटिस दिए गए थे। बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए एजेंडा विषय पर विस्तृत नोट्स कम से कम सात दिन पहले भेजे गए थे और एजेंडा पर आगे की जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए एक प्रणाली मैजूद है।

बोर्ड और समितियों की बैठकों में सभी निर्णय सर्वसम्मति से किए जाते हैं।

वार्षिक आम बैठक का आयोजन

रिपोर्ट के तहत ऑडिट अवधि के दौरान कंपनी की 47वीं वार्षिक आम बैठक 25 जुलाई, 2022 को कम समय के नोटिस पर आयोजित की गई थी। अधिनियम के प्रावधान के अनुसार कंपनी के सभी सदस्यों की सहमति प्राप्त की गई थी।

सांविधिक रजिस्टरों और अभिलेखों का रखरखाव

प्रतिवेदन के तहत लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के विभिन्न प्रावधानों के तहत निर्धारित सभी वैधानिक रजिस्टरों और अभिलेखों को उसमें की गई सभी आवश्यक प्रविष्टियों के साथ ठीक से रखा और बनाए रखा गया था।

सांविधिक प्रपत्रों और विवरणियों को भरना

रिपोर्ट के तहत लेखापरीक्षा अवधि के दौरान अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार विभिन्न प्रपत्रों और विवरणियों को निर्धारित समय सीमा के भीतर या विस्तारित समय में आवश्यक शुल्क के साथ एमसीए/कंपनियों के रजिस्ट्रार के पास विधिवत दाखिल किया गया।

बोर्ड के निर्णयों का ऑडिट और प्रमाणन

बोर्ड की बैठकों में लिए गए निर्णयों की त्रैमासिक आधार पर ऑडिट किया जाता है और इस आशय के प्रमाण पत्र पेशेवर कंपनी सचिव से प्राप्त किए जाते हैं कि लिए गए निर्णय बोर्ड के पास निहित शक्ति के प्रत्यायोजन (डीओपी) के दायरे में हैं और सचिवीय मानकों और अन्य नियमों के अनुसार मिनट तैयार किए जाते हैं।

लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों के अनुपालन पर प्रबंधन रिपोर्टिंग

रिपोर्ट के तहत लेखापरीक्षा अवधि के दौरान लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों की निगरानी एवं अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के आकार और संचालन के अनुरूप पर्याप्त प्रणालियां हैं। कानून और विधियों के अनुपालन पर त्रैमासिक रिपोर्ट नियमित रूप से समीक्षा के लिए बोर्ड को प्रस्तुत की जाती है।

डीपीई दिशानिर्देशों का अनुपालन

रिपोर्ट के तहत ऑडिट अवधि के दौरान, कंपनी ने सीपीएसई के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए डीपीई द्वारा जारी लागू दिशानिर्देशों का अनुपालन किया है।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी ने कोई विशिष्ट घटना/कार्य नहीं किया है जिसका उपरोक्त संदर्भित कानूनों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के अनुसरण में कंपनी के मामलों पर प्रमुख प्रभाव पड़ता है।

हस्ताक्षर

रामानुज असावा

(कंपनी सचिव)

एफ.सी.एस नंबर 3107

सी.पी. नंबर 1872

स्थान: नागपुर

आईसीएसआई युडीआईएन:

F00310E000478153

नोट: इस रिपोर्ट को सम तारीख के मेरे पत्र के साथ पढ़ा जाए, जो कि “अनुलग्नक ए” के रूप में संलग्न है और इस रिपोर्ट का अभिन्न हिस्सा है।

प्रति,
 सदस्यगण,
वेस्टन कोलफिल्ड्स लिमिटेड,
 कोल इस्टेट,
 नागपुर-440001

हमारी सम तारीख की रिपोर्ट को इस पत्र के साथ पढ़ा जाए:-

- क) सचिविय रिकार्डों का रखरखाव करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। मेरी लेखा परीक्षा के आधार पर इन सचिविय रिकार्डों पर अपनी राय व्यक्त करना मेरी जिम्मेदारी है।
- ख) हमने लेखा परीक्षा की प्रथाओं एवं प्रक्रियाओं का पालन किया है, जो सचिविय रिकार्ड की विषयवस्तु के सही होने के बारे में उचित विश्वास प्राप्त करने के लिए उपयुक्त है। सचिविय रिकार्डों में सही तथ्यों को दर्शाना सुनिश्चित करने के लिए परीक्षण आधार पर सत्यापन किया गया। मेरा विश्वास है कि मैंने जिन प्रक्रियाओं एवं प्रथाओं का पालन किया है, हमारी राय के लिए उचित आधार हैं।
- ग) हमने वित्तीय रिकार्डों तथा कंपनी की खाता पुस्तकों की सत्यता एवं उपयुक्तता का सत्यापन नहीं किया है। हमने कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके तहत बनाए गए नियमों के संबंध में सांविधिक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर भरोसा किया है, जो संबंधित वित्तीय वर्ष के खातों, कागजात और वित्तीय विवरणों के रखरखाव से संबंधित है, जो कंपनी के मामलों का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देता है।
- घ) जहां भी आवश्यकता हुई, हमने अनुपालन, कानून, नियम एवं विनियम तथा घटित हुई घटनाओं आदि के बारे में प्रबंधन का अभ्यावेदन प्राप्त किया है।
- ङ) कापोरेट के प्रावधानों तथा लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों का अनुपालन करना कंपनी की जिम्मेदारी है। हमारी जांच परीक्षण आधार पर कार्यपद्धतियों के सत्यापन तक ही सीमित थी।
- च) सचिविय लेखा परीक्षा रिपोर्ट न तो कंपनी की भावी व्यवहार्यता के संबंध में और न ही कार्यकुशलता या प्रभावशीलता से प्रबंधन द्वारा दिए गए कंपनी के कार्यों के बारे में आश्वासन नहीं है।

हस्ताक्षर

रामानुज असावा

(कंपनी सचिव)

एफ.सी.एस नंबर 3107

सी.पी. नंबर 1872

आईसीएसआई युडीआईएन:F00310E000478153

स्थान: नागपुर

दिनांक: 12/06/2023

सचिवीय लेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ और प्रबंधन का उस पर उत्तर

क्रम	सचिवीय लेखा परीक्षक की टिप्पणी	प्रबंधन का जवाब
1	कंपनी के निदेशक मंडल (बोर्ड) का विधिवत गठन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(1) के दूसरे प्रावधान के अनुसार कंपनी के बोर्ड पर एक महिला निदेशक की नियुक्ति को छोड़कर कार्यकारी निदेशकों, गैर,-कार्यकारी निदेशकों और स्वतंत्र निदेशकों के उचित संतुलन के साथ किया जाता है।	नियुक्ति की अवधि पूरी होने के परिणामस्वरूप, डॉ. दर्शना सी देशमुख 24.07.2022 को सेवानिवृत्त हो गई, भारत सरकार से एक महिला निदेशक की नई नियुक्ति की प्रतीक्षा है।

अनुलग्नक 19

कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8 के तहत विदेशी मुद्रा आय और व्यय

कोल इंडिया लिमिटेड (स्टैंडअलोन)

विदेशी मुद्रा में व्यय/आय

विवरण	वि.व 2022-23 (₹ करोड़ में)	वि.व 2021-22 (₹ करोड़ में)
व्यय		
i) यात्रा व्यय	0.81	शून्य
ii) प्रशिक्षण व्यय	शून्य	शून्य
iii) अन्य	शून्य	0.12
आय	शून्य	शून्य

कोल इंडिया लिमिटेड (समेकित)

विदेशी मुद्रा में व्यय/आय

विवरण	वि.व 2022-23 (₹ करोड़ में)	वि.व 2021-22 (₹ करोड़ में)
व्यय		
i) यात्रा व्यय	1.04	शून्य
ii) प्रशिक्षण व्यय	शून्य	शून्य
iii) परामर्श शुल्क	शून्य	शून्य
iv) ब्याज	0.04	0.05
v) अन्य	422.03	784.34
आय	9.41	शून्य

कंपनी के प्रौद्योगिकी अवशोषण और अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी) का विवरण

1. विशिष्ट क्षेत्र जिसमें अनुसंधान और विकास किया गया

भारत सरकार अपनी कोयला विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (एसएंडडी) योजना और कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) के माध्यम से अपने अनुसंधान एवं विकास बोर्ड के माध्यम से भूमिगत खनन और ओपनकास्ट खनन से उत्पादन और उत्पादकता में सुधार, सुरक्षा को बढ़ावा, स्वास्थ्य और पर्यावरण, अपशिष्ट से धन का निर्माण, कोयला और स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकी का वैकल्पिक उपयोग, कोयला लाभ और उपयोग, अन्वेषण, नवाचार और स्वदेशीकरण (मेक इन इंडिया अवधारणा के तहत) और संबद्ध क्षेत्रों में सुधार के लिए कोयला और लियाइट क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास गतिविधियों को बढ़ावा दे रही है। उपरोक्त विषयों पर शोध कार्य करने के लिए कोयला मंत्रालय और सीआईएल आरएंडडी बोर्ड द्वारा प्रतिवर्ष पर्याप्त धनराशि निर्धारित की जा रही है।

2. कोयला और तिनियाइट क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों से प्राप्त लाभ

- कोयला अन्वेषण तकनीकों में अनुसंधान एवं विकास प्रयासों के माध्यम से उल्लेखनीय प्रगति हुई है।
- एसईसीएल में मोटे सीमों और शॉर्टवॉल खनन में कोयले की वसूली के लिए “ब्लास्टिंग गैलरी और केबल बोल्टिंग” जैसी खनन विधियों की शुरूआत।
- ओपनकास्ट खानों में सतह संरचनाओं से 50 मीटर के करीब सफलतापूर्वक ओवरबर्डन चट्टानों और कोयले को हटाने के लिए “नियंत्रित ब्लास्टिंग” का प्रयोग।
- अनुसंधान एवं विकास के अंतर्गत विकसित रॉक मास रेटिंग (आरएमआर) का उपयोग अब भूमिगत खानों में समर्थन डिजाइन करने के लिए किया जा रहा है।
- ओबी माप के लिए एयरबोर्न लेजर टेरेन मैपर और ग्राउंड आधारित स्थलीय लेजर स्कैनर (टीएलएस) का उपयोग करके नई तकनीक लागू करना।
- ओपनकास्ट खानों में सुरक्षा सुनिश्चित करने और उपकरणों के नुकसान की रक्षा के लिए, डंपर कोलिजन अवॉइंडेंस सिस्टम (डीसीएस) को स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है और सेन्ट्रल कोलफिल्ड्स लिमिटेड (सीसीएल) की केडीएच ओपनकास्ट खान में सफलतापूर्वक शुभारंभ किया गया है।
- स्व-उन्नत गोफ एज (मोबाइल) चॉक टाइप सपोर्ट को स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है और उनका फ़िल्ड परीक्षण बीसीसीएल (कोयला छत में) और एससीसीएल की आरके - 7 खदान (शेल/सैंड स्टोन रूफ) की बस्ताकोला खदान में सफलतापूर्वक फ़िल्ड परीक्षण किया गया है।
- पुराने अगम्य जल जमाव का पता लगाने के लिए ग्राउंड ऐनेट्रेटिंग रडार जैसी आधुनिक तकनीक का परिचय।
- सीएमपीडीआई कार्यालय भवनों की छतों पर सौर फोटोवोल्टिक संयंत्र स्थापित और चालू किया गया है। संयंत्र की कुल स्थापित क्षमता 190 किलोवाट है। यह परियोजना कार्बन पदचिह्न को कम करती है और नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली को अधिक से अधिक करती है।
- पाउडर फैक्टर (पीएफ), विस्फोट पश्चात विश्लेषण आदि के संदर्भ में अन्य परम्परागत विस्फोटकों की तुलना में सीआईएल खानों में कम घनत्व, छिद्रपूर्ण, ऊपरी रूप से स्थिर, प्रिल्ड अमोनियम नाइट्रेट के साथ एनएफओ विस्फोटकों के लिए तकनीकी-आर्थिक प्रभावकारिता के अंतर्गत स्थापित किया गया है। उपरोक्त अध्ययन से, यह पाया गया कि एनएफओ का उपयोग करके विखंडन शुष्क स्थिति में अन्य विस्फोटकों की तुलना में बेहतर और लागत प्रभावी है।
- “बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रौद्योगिकी के लिए खान में हवा की आवश्यकता” परियोजना के तहत निरंतर खनिक संचालित खानों और लॉन्गवाल खानों में और सीएम पैनलों में तैयार न्यूट्रटम हवा की मात्रा से संबंधित मानदंडों के विश्लेषण के आधार पर पूर्ण वैंटिलेशन अध्ययन किए गए थे, जैसा कि सीएमआर-2017 के विनियम 153.2 {(ए)} के अनुसार बड़े पैमाने पर उत्पादन पैनलों में अंतिम वैंटिलेशन कनेक्शन (एलवीसी) में निर्धारित हवा की मात्रा प्रदान करना व्यावहारिक नहीं है।
- भारतीय कोकिंग और नॉन-कोकिंग कोयले की बेहतर धूलाई दक्षता के लिए लागत प्रभावी प्रक्रिया फ्लोशीट का डिजाइन। प्रस्तावित फ्लो शीट (-4.0 + 0.50 मिमी मोटे कोयले के लिए जिंगिंग और -0.50 महीन कोयले के लिए प्लावनशीलता और जल-केवल चक्रवात) के आधार पर डब्ल्यू-IV, डब्ल्यू-V और डब्ल्यू-VI के कोकिंग कोयले के लिए राख को 32% से 33% तक कम करना संभव है। इसलिए, पहले से ही कोकिंग कोल के रूप में घोषित कोयले को बेहतर कम राख वाले कोयले के साथ समिश्रित करके लाभप्रद रूप से उपयोग किया जा सकता है।
- ड्रैगलाइन डंप के ऊपर फावड़ा-डम्पर डंप के सभी स्तरों के डिजाइन के लिए दिशा-निर्देशों का विकास, पूरे वर्ष ड्रैगलाइन डंप के भीतर, फ्रेटिक सतह के परिसीमन के साथ और कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) की दो ड्रैगलाइन खानों पर अध्ययन के सत्यापन के लिए। अध्ययन के आधार पर, अधिकतम ऊर्चाई, ड्रैगलाइन की ढलान और फावड़ा डंपर डंप से संबंधित एक सामान्य दिशानिर्देश विकसित किया गया है।
- “डिगबोई वन संभाग के माकुम कोलफिल्ड्स क्षेत्रों के आर्किड वनसम्पत्तियों का पुनरुद्धार” परियोजना के अंतर्गत डिगबोई वन प्रभाग के माकुम कोलफिल्ड क्षेत्रों के आर्किड वनसम्पत्तियों की बहाली”, पंद्रह सौ पौधों को रोपा गया है और व्यापक देखभाल के साथ पुनः खनन किए गए स्थलों, पास के वन स्थल और आरएफआरआई वनस्पति उद्यान में लगाया गया है। आरएफआरआई वनस्पति उद्यान और टिक्कक कोलियरी में आर्किड प्रजातियों का संरक्षण और रखरखाव किया गया।

- वाशरी ग्रेड कोकिंगकोल और हाई ऐश नॉन-कोकिंगकोल से तेल संचय के माध्यम से राख तत्व (खनिज पदार्थ) को कम करने पर बेंच स्तर पर अध्ययन। कोयले की राख की मात्रा को कम करने के लिए एनएमएल प्रयोगशाला, जमशेदपुर में तीन प्रकार के तेलों यथा, सूरजमुखी तेल, अरंडी तेल और पाइन तेल का उपयोग करके कोयला-तेल समूह इकाई निर्मित, स्थापित और चालू किया गया। सूरजमुखी तेल के साथ कोकिंग कोयला उत्साहजनक परिणाम (टोपा कोयला: राख प्रतिशत 84% उपज के साथ 21% से घटकर 9% हो गई, राजरप्पा कोयला: राख प्रतिशत 80% उपज के साथ 34% से घटकर 20% हो गई) दिखाता है।
 - भारत में ओपनकास्ट कोयला खानों में ओवरबर्डन डंप की ऊँचाई बढ़ाने के लिए दिशानिर्देशों का विकास। ओपनकास्ट कोयला खानों से ओबी डंप नमूना प्रतिनिधि के परीक्षण हेतु सीएमपीडीआई में एक बड़े स्कैल पर डायरेक्ट शीयर टेस्टिंग मशीन डिजाइन और विकसित किया गया है। वर्तमान कोयला खान विनियम 2017 की तुलना में ओबी सामग्री के शक्ति गुणों के आधार पर 40 डिग्री तक खड़ी बेंच कोण और 120 मीटर तक बाहरी डंप ऊँचाई को सुरक्षित माना जा सकता है, जो व्यक्तिगत बेंच कोण को 37.5 डिग्री और बाहरी डंप ऊँचाई को 90 मीटर तक सीमित करता है।
 - सीआईएल नियंत्रण क्षेत्रों के भीतर सीएमएम संसाधन के निष्कर्षण के लिए क्षमता निर्माण (सीएमपीडीआई एवं सीएसआईआरओ, आस्ट्रेलिया)। सीएमपीडीआई ने गैरपरंपरागत गैस संसाधनों के निष्कर्षण में सहायता के लिए भारत में सीबीएम/सीएमएम संसाधनों को समझने के लिए एक अत्याधुनिक प्रयोगशाला की सुविधा विकसित की है। सीआईएल और अन्य लीजहोल्ड क्षेत्रों में परियोजना के परिणाम सीबीएम/सीएमएम के विकास में सहायक होंगे।
- 3. वर्ष 2022-23 के दौरान निम्नलिखित नौ शोध परियोजनाओं को पूरा किया गया है:**
- सीआईएल नियंत्रण क्षेत्रों के भीतर सीएमएम संसाधन के निष्कर्षण के लिए क्षमता निर्माण।
 - कनवल्शनल न्यूरल नेटवर्क और हाइपर स्पेक्ट्रल इमेज पर आधारित कोयला गुणवत्ता अन्वेषण तकनीक का विकास।
 - उच्च राख वाले भारतीय कोयले के लिए अप्रत्यक्ष कोयला गैसीकरण रिएक्टर का मॉडलिंग और डिजाइन।
 - कोयला खदान कार्यकलापों में विभिन्न खनन विधियों के लिए स्तंभों/स्वर्भों के व्यूह की स्थिरता और डिजाइन।
 - भारत में ओपनकास्ट कोयला खानों में ओवरबर्डन डंप की ऊँचाई बढ़ाने के लिए दिशानिर्देशों का विकास।
 - वाशरी ग्रेड कोकिंग कोल और हाई ऐश नॉन-कोकिंग कोल से तेल संचय के माध्यम से राख तत्व (खनिज पदार्थ) को कम करने पर बेंच स्तर पर अध्ययन।
 - गतिशील मशीनरी के लागत प्रभावी सुरक्षित संचालन के लिए रीयल-टाइम प्रोग्रेसिसमिस्टम (आरटीपीएस) का विकास और अपनाना: डम्पर बेड़े का शोकेस प्रदर्शन।
- viii. सुरक्षा के साथ बंद कोयला खंभों को निकालने वाली ओपन कास्ट खदानों में आग लगने की पूर्वसूचना के लिए आर्टिफिशियल इंटलिजेंस (एआई) आधारित मशीन लर्निंग समाधान विकसित करना।
 - ix. सैटेलाइट डेटा और ग्राउंड ऑब्जर्वेशन का उपयोग करके कोलफील्ड क्षेत्र में क्षेत्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी के लिए एक कार्यप्रणाली का विकास।
- 4. कार्यान्वयन के तहत चल रही अनुसंधान और विकास परियोजनाएं:**
- (अनुलग्न-अ के रूप में एमडीएआर रिपोर्ट में विवरण को शामिल किया गया है।)
- 5. अनुसंधान एवं विकास पर व्यय (आरएंडडी) (एमओसी के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सहित):**
- अनुसंधान परियोजनाओं पर विगत 5 वर्षों (2018-19 से 2022-23) के दौरान किया गया :
- | वर्ष | कुल अनुसंधान एवं विकास पर व्यय (₹ करोड़ में) |
|------------|--|
| 2018-19 | 37.80 |
| 2019-20 | 39.27 |
| 2020-21 | 22.26 |
| 2021-22 | 38.74 |
| 2022-23 | 74.86 |
| कुल | 212.93 |
- 6. अनुसंधान और विकास:**
- सीएमपीडीआईएल कोयला क्षेत्र में विज्ञान और प्रौद्योगिकी परियोजनाओं के साथ-साथ सीआईएल की अनुसंधान और विकास परियोजनाओं के सम्बन्धन और निगरानी के लिए नोडल एजेंसी है।
- 7. प्रौद्योगिकी अवशोषण:**
- सीआईएल ने अपनी कुल परिचालन गतिविधियों में विभिन्न क्षेत्रों में कई तकनीकी पहल की है।
- भूमिगत खनन में, कई खानों में बड़े पैमाने पर उत्पादन तकनीक की शुरुआत की गई है। अब तक सीआईएल के 18 खदानों में कंटीन्यूअल माइनर टेक्नोलॉजी (26 नंबर) शुरू की जा चुकी है, जो प्रचालन में है। बीसीसीएल के मुनीडीह यूजी और ईसीएल के झांझरा यूजी में लंबी दीवार का खनन चल रहा है।
 - ईसीएल की झांजरा और कोट्टाडीह यूजी खानों और सीसीएल की चूरी भूमिगत खानों में पुरुषों और सामग्रियों के परिवहन के लिए निशुल्क स्टीयर वाहन शुरू किए गए हैं।
 - सीआईएल की 41 भूमिगत खानों में 52 मैन राइंडिंग सिस्टम परिचालन में हैं और 3 एमआरएस की स्थापना की जा रही है। सीआईएल की अन्य 12 भूमिगत खानों के लिए मैन राइंडिंग सिस्टम तैयार किया जा चुका है।

- बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रौद्योगिकी के साथ प्रस्तावित कुछ भूमिगत खानों के लिए, पुरुषों और सामानों के लिए ट्रैकलेस परिवहन प्रणाली प्रस्तावित है। झांजरा भूमिगत खान में तीन फ्री-स्टीयर्ड वाहन (डीजल संचालित) और खोटाईह भूमिगत खान में दो फ्री-स्टीयर्ड वाहन (बैटरी संचालित) वर्तमान में ईसीएल में परिचालन में हैं।
 - एसईसीएल की शारदा खान में 0.85 एमटीवाई की कुल क्षमता वाली हाईवॉल खानों के दो सेट प्रचालनरत हैं। सीआईएल की लगभग 2.0 एमटीवाई की कुल क्षमता वाली 4 हाईवॉल खनिक परियोजनाओं के लिए एलओए जारी किया गया है।
 - माइन प्लानिंग के लिए जियोविया माइनेक्स, डेटा माइन, वल्कन, कार्लसन सॉफ्टवेयर का नवीनतम संस्करण पेश किया गया है। यह पिट डिजाइन, पिट आप्टिमाइजेशन, संसाधनों और डंप आदि के शेड्यूलिंग के माध्यम से सर्वोत्तम संसाधन नियोजन प्रदान करता है। इसके अलावा, चट्टान और मिट्टी की ढलानों की स्थिरता का विश्लेषण करने के लिए रॉकसाइंस इंक से भू-प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर/उपकरण खरीदे गए हैं।
 - अनुसंधान एवं विकास परियोजना के माध्यम से 2500 केएस सामान्य कतरनी भार क्षमता (आईआईटी दिल्ली के सहयोग से डिजाइन की गई) के साथ बड़ी प्रत्यक्ष कतरनी मशीन (भारत में सबसे बड़ी) को चालू करना और भू-तकनीकी प्रयोगशाला की स्थापना करना।
 - सीआईएल की कई खुली खदानों में ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग को खत्म करने और चुनिंदा खनन की सुविधा के लिए 40 विभागीय भूतूल खनिक काम कर रहे हैं।
 - ओपनकास्ट खानों में विब्रो रिपर के उपयोग पर हाल ही में एक अध्ययन किया गया है। इस अध्ययन में देखा गया है कि विब्रो रिपर उन जगहों पर उपयुक्त है, जहां पर्यावरण सुरक्षा या अन्य कारणों से ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग की अनुमति नहीं है। वांछित है। वर्तमान में वे एमसीएल में कनिहा और हिंगुला खानों और एसईसीएल में गेवरा में तैनात हैं।
 - कोयले की चोरी रोकने के लिए कोयला परिवहन वाहनों में जीपीएस/जीपीआरएस आधारित वाहन ट्रैकिंग सिस्टम (वीटीएस) शुरू किया गया है।
 - आरएफआईडी, सीसीटीवी और ब्रूम कैरियर आधारित वजन निगरानी और नियंत्रण प्रणाली शुरू की गई है। इसने केन्द्रीय सर्वर को कोयला वजन डेटा का रीयल टाइम ट्रांसमिशन सुनिश्चित किया है। इससे प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ी है और साथ ही पारगमन के दौरान कोयले की चोरी को कम करने में मदद मिली है।
 - ऑपरेटर इंडिपेंडेंस ट्रक डिस्पैच सिस्टम (ओआईटीडीएस) - वास्तविक समय वाहन स्वास्थ्य निगरानी प्रणाली, वीआईएमएस और ईंधन प्रबंधन प्रणाली (एफएमएस) के साथ अधिकांश खानों में चक्र समय और लागत को कम करने के लिए परिवहन के ट्रैकिंग के बदले वर्तमान में फावड़ियों को स्वचालित डंपरों का आवंटन किया जा रहा है।
 - ओपन कास्ट खानों में धूल दमन के लिए निश्चित प्रकार की स्वचालित स्प्रिंकलर प्रणाली - अनुसंधान एवं विकास प्रयासों के माध्यम से पंप ड्राइव यथा, स्टार्ट, स्टॉप, ट्रिप आदि की निरंतर निगरानी शुरू की गई है।
 - पीसीडी बिट्स के साथ हाइड्रोस्टैटिक ड्रिल खोजपूर्ण ड्रिलों की उत्पादकता बढ़ाने हेतु लायी गई है।
 - सीएमपीडीआई ने आईएसपी, 2022 की शर्तों के अनुसार अनुकूलित ड्रिलिंग कार्य के साथ-साथ अत्याधुनिक सिस्मोग्राफ और आधुनिक भूकंपीय स्रोतों (जैसे वाइब्रेटर/एक्सप्लोसिव आदि) का उपयोग करते हुए कोयला अन्वेषण कार्य करने के लिए व्यापक पैमाने पर हाल ही में 2डी / 3डी भूकंपीय सर्वेक्षण शुरू किया है।
 - सीएमपीडीआई भूकंपीय डेटा के प्रसंस्करण और व्याख्यायित हेतु इन-हाउस विकसित सॉफ्टवेयर "एसपीई" सहित अत्याधुनिक प्रतिमान सॉफ्टवेयर का उपयोग कर रहा है, जो इमेर्जिंग प्रौद्योगिकी द्वारा उप-सतह की बेहतर संरचनात्मक जानकारी प्रदान करता है।
 - न्यूमेरिकल मॉडलिंग सॉफ्टवेयर (एफएलएसी 3डी) को अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं के तहत खरीदा/उन्नत किया गया था जिसका नियमित रूप से वैज्ञानिक अध्ययनों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है जिसमें स्ट्रैट कंट्रोल शामिल है। भूमिगत खानों में वेंटिलेशन योजना के लिए वेंटसिम सॉफ्टवेयर पेश किया गया है। उपरोक्त सॉफ्टवेयर के प्रयोग से इन-हाउस जॉब/कौशल का सृजन हुआ है।
 - सीएमपीडीआई सीआईएल लीजहोल्ड क्षेत्रों यथा, बीसीसीएल, ईसीएल और एसईसीएल में सीबीएम के विकास के लिए प्रधान कार्यान्वयन एजेंसी (पीआईए) है। राजस्व बंटवारे के आधार पर सीबीएम निकालने के लिए मेसर्स प्रभा एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड को झारिया ब्लॉक-। (बीसीसीएल लीजहोल्ड एरिया) नामक एक सीबीएम ब्लॉक प्रदान किया गया है।
 - सीएमपीडीआई सीआईएल और इसकी सहायक कंपनियों में कोयला गैसीकरण परियोजनाओं के लिए प्रधान कार्यान्वयन एजेंसी (पीआईए) भी है।
- प्रारंभ में निम्नलिखित कोयला गैसीकरण परियोजनाएं शुरू की गई हैं:
- एसईसीएल (महामाया) एससीजी परियोजना: साउथ ईस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल) ने अमोनिया के उत्पादन के लिए बुनियादी कच्चे माल के रूप में कोयले का उपयोग करने के लिए 2200 एमटीपीडी की क्षमता के साथ महामाया, छत्तीसगढ़ में कोयला से अमोनिया संयंत्र स्थापित करने की योजना बनाई है। दिनांक 12.10.2022 को एसईसीएल में कोयला से डीएमई गैसीकरण परियोजना के लिए सीआईएल और आईओसीएल के बीच समझौता ज्ञापन निष्पादित किया गया है। दिनांक 24.11.2022 को कार्यान्वयन के एलएसटीके मोड पर एसईसीएल में कोल-टू-डीएमई संयंत्र की स्थापना हेतु पीएफआर की तैयारी के लिए पीडीआईएल को कार्य आदेश जारी किया गया है।

- ईसीएल (शिल्पांचल परियोजना) एससीजी परियोजना: ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ईसीएल) ने मेथनॉल के उत्पादन के लिए बुनियादी कच्चे माल के रूप में कोयले का उपयोग करने के लिए 2000 एमटीपीडी की क्षमता के साथ बहादुरपुर - रानीगंज, पश्चिम बर्धमान (पश्चिम बंगाल) में जमीनी स्तर कोयले से मेथनॉल संयंत्र स्थापित करने की योजना बनाई है। बीओओ प्रोसेसर के चयन के लिए निविदा दिनांक 31 जनवरी, 2022 को जारी की गई है। बोली दिनांक 5 मई 2022 को खोली गई और कोई बोली प्राप्त नहीं हुई है। गेल के साथ दिनांक 12 अक्टूबर, 2022 को समझौता ज्ञापन (सीआईएल-गेल जेवी: ईसीएल में कोयला-टू-एसएनजी) पर हस्ताक्षर किया गया है। दिनांक 24.11.2022 को कार्यान्वयन के लिए एलएसटीके मोड पर ईसीएल में कोयला-से-एसएनजी संयंत्र की स्थापना हेतु पीएफआर की तैयारी के लिए पीडीआईएल को कार्य आदेश जारी किया गया है।
- डब्ल्यूसीएल (उत्कर्ष एससीजी परियोजना) : वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (डब्ल्यूसीएल) ने अमोनियम नाइट्रेट के उत्पादन के लिए बुनियादी कच्चे माल के रूप में कोयले का उपयोग करने के लिए 2000 एमटीपीडी की क्षमता के साथ महाराष्ट्र के डब्ल्यूसीएल के माजरी क्षेत्र के जूना कुनाडा ओपनकास्ट खान और चारगांव ओसी खान (परित्यक्त गड्ढे) में कोयला-से-अमोनियम-नाइट्रेट (मेल्ट) संयंत्र स्थापित करने की योजना बनाई है। दिनांक 3 अगस्त, 2022 को डब्ल्यूसीएल कोयला गैसीकरण परियोजना के लिए बीओओ प्रोसेसर के चयन के लिए निविदा को जारी की गई है। कोई बोली प्राप्त नहीं हुई। दिनांक 06 मार्च 2023 को डब्ल्यूसीएल एससीजी परियोजना के लिए बीओओ प्रोसेसर के चयन के लिए निविदा जारी की गई है। बोली खोलने की तारीख दिनांक 14 सितंबर, 2023 है। संभावित बोलीदाताओं के साथ बोली-पूर्व बैठक 27 मार्च, 2023 को ईआईएल, दिल्ली में आयोजित की गई थी।

8. शुरू की गई तकनीकी पहलों से प्राप्त लाभ :

एचईएमएम के अधिकांश इष्टतम आकारों को ओपनकास्ट परियोजनाओं के लिए प्रावधान किया जा रहा है जो विश्व प्रौद्योगिकी के बराबर है। पिछले वर्षों के दौरान 42 कम और डम्प के इलेक्ट्रिक रोप (ईआर) फावड़ों और 240 टी के डंप ट्रंकों की तैनाती के कारण बड़ी ओपनकास्ट खानों से उच्च उत्पादन लक्ष्य प्राप्त करना संभव था, जो भारत में प्रस्तावित आकारों में अब तक सबसे अधिक हैं। सरफेस माइनर्स का उपयोग ओपनकास्ट परियोजनाओं में ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग कार्यों को समाप्त करता है और इस तरह, ब्लास्टिंग कंपन के उन्मूलन के कारण बसे हुए क्षेत्रों के बहुत करीब काम करने की समस्या को सुलझा लिया गया है। इसके अलावा, संभावित चुनिंदा खनन के कारण, उत्पादित कोयले के बाहरी सामग्रियों से दूषित होने की संभावना भी कम हो गई है।

9. आयातित प्रौद्योगिकी पर प्रयासों का विवरण:

कोल इंडिया ने निम्नलिखित दृष्टि से विदेशी सहयोग की परिकल्पना की है:

- यूजी और ओसी खानों, कोयला तैयारी, कोयला अन्वेषण और अन्य गतिविधियों से अधिकतम संसाधनों का दोहन करने के लिए सिद्ध और उत्तम प्रौद्योगिकियों और प्रबंधन कौशल में लाना।
- कोल बेड, परित्यक्त खदान, हवादार हवा, शेल गैस, कोयला गैसीकरण आदि से मीथेन का अन्वेषण और दोहन।
- भारत का लक्ष्य 2030 तक 100 मीट्रिक टन कोयले का गैसीकरण करना है। उपरोक्त के अनुसरण में, ईसीएल, एसईसीएल और डब्ल्यूसीएल की खानों के लिए निविदाएं जारी की गई हैं। विदेशी कंपनियां उक्त निविदाओं में भाग ले सकती हैं।

प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में नवीनतम और उच्च उत्पादक भूमिगत खनन/ओपनकास्ट खनन प्रौद्योगिकीयों का अधिग्रहण, कठिन भूर्भाँय परिस्थितियों में भूमिगत कार्य में सुधार शामिल है।

पर्यावरणीय स्थिरता, ऊर्जा प्रबंधन और डिजिटलीकरण, थीन कोयला प्रौद्योगिकियों, कार्बन उत्सर्जन में कमी, नवीकरणीय ऊर्जा, एआई और आईओटी के उपयोग, अपशिष्ट से धन सृजन, अन्वेषण में नई तकनीकों का परिनियोजन आदि के क्षेत्र में नई परियोजनाएं शुरू करके अनुसंधान और विकास पहलों के विविधीकरण पर भी जोर दिया जा रहा है।

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पर कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के अनुसार प्रकटीकरण

1. कंपनी की सीएसआर नीति की संक्षिप्त रूपरेखा

सीआईएल की सीएसआर नीति कंपनी अधिनियम 2013 की विशेषताओं को शामिल करने के बाद तैयार की गई है जिसमें संशोधन और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) और सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) समय-समय पर भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचनाएं शामिल हैं।

सीआईएल की सीएसआर गतिविधियों के लिए बजट तत्काल पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों के लिए सीआईएल (स्टैंडअलोन) के औसत शुद्ध लाभ के 2% के आधार पर या सीआईएल की उन सहायक कंपनियों के तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के कुल कोयला उत्पादन के 2.00 प्रति टन के आधार पर आवंटित किया जाता है, जिन्हें तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में हानि नहीं हुई थी, जो भी अधिक हो।

सीआईएल (मुख्यालय) अनुषंगियों द्वारा कवर किए गए क्षेत्रों सहित पूरे भारत में सीएसआर गतिविधियों का संचालन करता है। सीएसआर गतिविधियां कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची VII में निर्दिष्ट विषयों में की जाती हैं।

सीआईएल की सीएसआर नीति में सीएसआर गतिविधियों के कार्यान्वयन, निगरानी और रिपोर्टिंग के संबंध में व्यापक दिशानिर्देश भी शामिल हैं। यह नीति कंपनी अधिनियम, 2013 या किसी अन्य अधिनियम, जिसे लागू किया जा सकता है, सरकार के दिशा-निर्देशों और समय-समय पर लागू होने वाले किसी भी अन्य सरकारी निर्देशों के प्रावधानों द्वारा नियंत्रिक होती है।

वित्त वर्ष 2022-23 में शुरू की गई प्रमुख सीएसआर परियोजनाएं इस प्रकार हैं:

1. अनुसूची VII का मद सं. - I - स्वास्थ्य, स्वच्छता और पोषण

क. सीआईएल की प्रमुख परियोजना थैलेसीमिया बाल सेवा योजना (टीबीएसवाई) का दूसरा चरण वित्त वर्ष 2022-23 में संपन्न हुआ, जिसमें पात्र रोगियों के थैलेसीमिया और अप्लास्टिक एनीमिया के बेहतर प्रबंधन और इलाज पर वर्ष के दौरान 9.40 करोड़ रुपये की कुल सीएसआर निधि का उपयोग किया गया। योजना के तहत योजना के कवरेज को बढ़ाने के लिए एक और अस्पताल को सूचीबद्ध किया गया।

ख. राष्ट्रीय कैंसर अस्पताल, नागपुर की सातवीं मंजिल के निर्माण के लिए ₹. 4.00 करोड़ रुपये राशि का उपयोग किया गया है।

ग. पश्चिम बंगाल के 3 सरकारी अस्पतालों में आक्सीजन संयंत्र स्थापित करने हेतु ₹. 2.78 करोड़ रुपये की राशि का उपयोग किया गया।

घ. सीआईएल ने शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में 38 ग्राम पंचायतों में जिम

उपकरणों की खरीदारी करवाया। इस परियोजना के लिए ₹.1.16 करोड़ रुपये की राशि का उपयोग किया गया।

ड. टाटा मेडिकल सेंटर, कोलकाता जो पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत के रोगियों के लिए एक प्रमुख कैंसर अस्पताल है, में एक डिजिटल मैमोग्राफी मशीन की खरीदारी के लिए ₹. 1 करोड़ रुपये की राशि का उपयोग किया गया था।

च. असम के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जरूरतमंद व्यक्तियों को भोजन वितरण के लिए ₹.63 लाख रुपये की राशि का उपयोग किया गया।

छ. पश्चिम बंगाल के मायापुर में हरित, ओपेक्स-अनुकूलन मृदा जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग करके सीवेज ट्रीटमेंट संयंत्र को चालू करने के लिए ₹.78.28 लाख रुपये की राशि का उपयोग किया गया था।

2. अनुसूची VII का मद सं. - II - शिक्षा और आजीविका

क. मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के गोविंदनगर स्थित विद्या भारती स्कूल में छात्रावास की सुविधा के निर्माण के लिए ₹.1.05 करोड़ रुपये की राशि का उपयोग किया गया।

ख. भक्ति वेदांत नेशनल स्कूल, मायापुर, पश्चिम बंगाल की क्षमता बृद्धि के लिए अतिरिक्त भवन के निर्माण हेतु ₹.1.84 करोड़ रुपये की राशि का उपयोग किया गया।

ग. जोका, कोलकाता में 1,000 वंचित/आदिवासी छात्रों की क्षमता बाले आवासीय विद्यालय के लिए छात्रावास भवन की पहली और दूसरी मंजिल के निर्माण के लिए 1.39 करोड़ रुपये का उपयोग किया गया।

घ. सर्वेक्षण किए गए 300 से अधिक कंप्यूटरों की मरम्मत की गई है और विभिन्न धर्मार्थ / सरकारी स्कूलों में डिजिटल साक्षरता को सक्षम करने के लिए वितरित किया गया।

ड. पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में महिलाओं के लिए एक प्राकृतिक फाइबर विविध उत्पाद प्रशिक्षण केंद्र के निर्माण के लिए 83 लाख रुपये का उपयोग किया गया।

3. अनुसूची VII का मद सं. - IV - पर्यावरणीय स्थिरता

क. सटिक वैज्ञानिक ज्ञान के आधार पर अभिनव समाधानों के माध्यम से जैव-विविधता की चुनौतियों को हल करने के लिए भारतीय बन्यजीव संस्थान (डब्ल्यूआईआई), देहरादून में ₹.1.40 करोड़ रुपये की राशि योगदान के रूप में उपयोग किया गया।

4. अनुसूची VII का मद सं. - X - ग्रामीण विकास

क. चमोली, उत्तराखण्ड में एक सीमा सड़क के निर्माण हेतु ₹.2.28 करोड़ रुपये की राशि का उपयोग किया गया।

5. अनुसूची VII की अन्य मर्दें

- क. कोविड-19 से प्रभावित कलाकारों की आजीविका हेतु 'भारत के कलाधर्म' परियोजना के लिए 28.24 लाख रुपये का उपयोग किया गया।
- ख. झारखंड के खूंटी में रहने वाली 'धुकू' आदिवासी महिलाओं के कानूनी विवाह और कौशल प्रशिक्षण हेतु 10.67 लाख रुपये का उपयोग किया गया।

2. सीएसआर समिति की संरचना

क्र. सं.	निदेशक का नाम	पदनाम/निदेशक पद की प्रकृति	वर्ष के दौरान आयोजित सीएसआर समिति की बैठकों की संख्या	वर्ष के दौरान सीएसआर समिति की संख्या
1	श्री बी. राजेशचंद्र	स्वतंत्र निदेशक और समिति के अध्यक्ष		5
2	श्री पूनमभाई कालाभाई मकवाना	स्वतंत्र निदेशक		5
3	श्रीमती निरुपमा कोतरु	सरकार नामित निदेशक		4
4	श्री विनय रंजन	निदेशक (कार्मिक एवं औद्योगिक संबंध)		5

3. वेब-लिंक जहां कंपनी की वेबसाइट पर सीएसआर समिति की संरचना, सीएसआर नीति और बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर परियोजनाओं का खुलासा किया जाता है।

सीएसआर समिति की संरचना के लिए वेब-लिंक:

<<https://www.coalindia.in/departments/csr/csr-committee/>

सीएसआर नीति के लिए वेब-लिंक:

<<https://www.coalindia.in/departments/csr/csr-policy/>

सीएसआर परियोजनाओं के लिए वेब-लिंक:

<<https://www.coalindia.in/departments/csr/csr-activities/>

4. नियम (8) के उप-नियम (3) के अनुसरण में किए गए सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव मूल्यांकन के वेब-लिंक के साथ कार्यकारी सारांश, यदि लागू हो

कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के नियम (8) के उप-नियम (3) के अनुसार प्रभाव मूल्यांकन के लिए छह परियोजनाओं को चिह्नित किया गया था। प्रभाव मूल्यांकन का कार्य भारतीय बन प्रबंधन संस्थान, भोपाल को आवंटित किया गया था। आईआईएफएम ने मसौदा रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है जिसकी समीक्षा की जा रही है। इसे अंतिम रूप दिए जाने पर, रिपोर्ट को सक्षम प्राधिकारी के समक्ष रखा जाएगा और सीआईएल की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा।

5. (क) धारा 135 की उप-धारा (5) के अनुसार कंपनी का औसत शुद्ध लाभ

₹ 354.96 करोड़

(ख) धारा 135 की उप-धारा (5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत

₹ 7.10 करोड़

(ग) पिछले वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष

शून्य

(घ) वित्त वर्ष के लिए समायोजित करने हेतु आवश्यक राशि, यदि कोई हो

शून्य

(ङ) वित्त वर्ष के लिए कुल सीएसआर दायित्व (ख)+(ग)-(घ)

₹ 7.10 करोड़

6. (क) सीएसआर परियोजनाओं पर खर्च की गई राशि (चालू परियोजना और चालू परियोजना के अलावा दोनों)

₹ 41.17 करोड़

(ख) प्रशासनिक उपरिव्यय में खर्च की गई राशि

₹ 0.27 करोड़

(ग) प्रभावी मूल्यांकन पर खर्च की गई राशि, यदि लागू हो

₹ 0.06 करोड़

(घ) वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि (क)+(ख)+(ग)

₹ 42.04 करोड़

(ङ). वित्तीय वर्ष हेतु व्ययित या अव्ययित सीएसआर राशि:

वित्तीय वर्ष हेतु खर्च की गई कुल राशि (रु. करोड़ में)	अव्ययित राशि (रु. करोड़ में)			
	धारा 135(6) के तहत अव्ययित सीएसआर खाते में अंतरित राशि	धारा 135(5) के अनुसार अनुसूची VII के तहत निर्दिष्ट किसी भी फंड को हस्तांतरित राशि	राशि	स्थानांतरण की तिथि
42.04	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	शून्य

(च) समायोजन के लिए अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो

क्र. सं.	विवरण	राशि (₹ करोड़ में)
(i)	धारा 135(5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत	7.10
(ii)	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि	42.04
(iii)	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई अधिक राशि [(ii) – (i)]	34.94
(iv)	सीएसआर परियोजनाओं या पिछले वित्तीय वर्षों के कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष, यदि कोई हो	0.00
(v)	आगामी वित्तीय वर्षों में समायोजन के लिए उपलब्ध राशि [(iii) – (iv)]	शून्य (कोई राशि निर्धारित नहीं कि गई है।)

7. पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए अव्ययित सीएसआर राशि का विवरण:

क्र. सं.	पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष	धारा 135(6) के तहत अव्ययित सीएसआर खाते में अंतरित राशि (₹ करोड़ में)	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (₹ करोड़ में)	धारा 135(6) के अनुसार अनुसूची VII के तहत निर्दिष्ट किसी भी फंड को हस्तांतरित राशि, यदि कोई हो			आगामी वित्तीय वर्षों में व्यय की जाने वाली शेष राशि (₹ करोड़ में)
				फंड का नाम	राशि (₹ करोड़ में)	स्थानांतरण की तिथि	
1	2019-20	0.00	0.00	लागू नहीं	0.00	लागू नहीं	0.00
2	2020-21	0.00	0.00	लागू नहीं	0.00	लागू नहीं	0.00
3	2021-22	0.00	0.00	लागू नहीं	0.00	लागू नहीं	0.00
	कुल	0.00	0.00		0.00		0.00

8. क्या वित्तीय वर्ष में खर्च की गई कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) राशि के माध्यम से कोई पूँजीगत संपत्ति बनाई या अधिग्रहित की गई है:

जी हाँ।

यदि हाँ, तो बनाई गई / अधिग्रहित पूँजीगत परिसंपत्तियों की संख्या दर्ज करें।

13

वित्तीय वर्ष में खर्च की गई सीएसआर राशि के माध्यम से इस प्रकार बनाई या अर्जित की गई संपत्तियों से संबंधित विवरण प्रस्तुत करें:

अनुलग्नक “क” के रूप में संलग्न।

9. कारण निर्दिष्ट करें, यदि कंपनी धारा 135(5) के अनुसार औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत खर्च करने में विफल रही है।

लागू नहीं

हस्त/-

प्रमोद अग्रवाल

(मुख्य कार्यकारी अधिकारी या प्रबंध निदेशक या निदेशक)

(डीआईएन: 00279727)

तारीख: 20.06.2023

हस्त/-

बी. राजेशचदर

(अध्यक्ष, सीएसआर समिति)

(डीआईएन: 02065422)

तारीख: 20.06.2023

अनुलग्नक “क” में वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु निदेशकों की रिपोर्ट(सीएसआर):वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान सीएसआर निधि से पूँजीगत संपत्ति के निर्माण या अधिग्रहण का विवरण

क्र. सं.	संपत्ति या आस्तियों का संक्षिप्त विवरण संपत्ति का पूरा पता और स्थान सहित	संपत्ति या आस्ति का पिनकोड	निर्माण की तिथि	सीएसआर में खर्च की गई राशि(रु.)	इकाई/ प्राधिकरण / लाभार्थी का विवरण जिसके नाम पर संपत्ति पंजीकृत है		
					पंजीकरण सं., यदि लागू हो तो	नाम	पंजीकृत पता
1	2	3	4	5	पंजीकरण सं., यदि लागू हो तो	नाम	पंजीकृत पता
1	विद्यालय भवन भक्तिवेदांत नेशनल स्कूल, भक्तिसिद्धांत सरस्वती मार्ग, मायापुर, पश्चिम बंगाल - 741302	741302	27.03.2023	23962178.00	सीएसआर 00005241	कृष्ण चेतना के लिए अंतर्राष्ट्रीय सोसाइटी (इस्कॉन)	इस्कॉन, हरे कृष्णा लैंड, जुहू, मुंबई-400 049, मध्यप्रदेश
2	विद्यालय भवन एवं फर्नीचर सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूल, मुंडेरी, कन्नूर, केरल - 670592	670592	05.07.2022	7894000.00	लागू नहीं	सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूल, मुंडेरी	सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूल, मुंडेरी, कन्नूर, केरल 670592
3	चिकित्सकीय संसाधन टाटा मेडिकल सेंटर, 14 एमएआर (ई-डब्ल्यू), न्यू टाउन, राजारहाट, कोलकाता, पश्चिम बंगाल - 700160	700160	22.07.2022	20000000.00	सीएसआर 00002920	टाटा मेडिकल सेंटर ट्रस्ट	एक्षन एरिया II, न्यूटाउन, कदमपुकूर, पश्चिम बंगाल 700135
4	क्लासरूम हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्स, सी/ओ एसईसीएमओएल हाउसिंग कॉलोनी, पीओ बॉक्स नंबर 4, लेह, लद्दाख - 194101	194101	10.08.2022	3000000.00	सीएसआर 00008854	हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्स, लद्दाख	सी/ओ एसईसीएमओएल, हाउसिंग कॉलोनी, लेह - 194101
5	जैविक खेती अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान का निर्माण कौजलगी, तालुक गोकक, बेलगावी - 591227, कर्नाटक	591227	11.10.2022	15690890.00	लागू नहीं	सैवैयव कृषि परिवार	कृषि निवास, कुरुवल्ली तीर्थहल्ली, शिमोगा, कर्नाटक 577432
6	पशु चिकित्सालय भवन तालुका मुख्यालय कुंडागाळ, धारवाड - 581113, कर्नाटक	581113	08.12.2022	9870000.00	लागू नहीं	जिला प्रशासन, धारवाड	यूबी हिल्स रोड हिंदी प्रचार सभा सर्कल के नजदीक, मालमड्डी, धारवाड, कर्नाटक-580001
7	कृषक प्रशिक्षण हेतु संसाधन व्यक्तियों के आवास हेतु भवन, कृषि विकास केंद्र, तुनिकी गांव, कौडिपल्ली मंडल, मेडक जिला, तेलंगाना - 502316	502316	15.12.2022	15729081.00	लागू नहीं	एकलव्य फाउंडेशन	1-8-522/7, गली नं. 14, चिक्कडपल्ली, हैदराबाद, तेलंगाना - 500020

क्र. सं.	संपत्ति या आस्तियों का संक्षिप्त विवरण संपत्ति का पूरा पता और स्थान सहित	संपत्ति या आस्ति का पिनकोड	निर्माण की तिथि	सीएसआर में खर्च की गई राशि(रु.)	इकाई/ प्राधिकरण/ लाभार्थी का विवरण जिसके नाम पर संपत्ति पंजीकृत है		
					6	सीएसआर पंजीकरण सं., यदि लागू हो तो	नाम
1	2	3	4	5	सीएसआर पंजीकरण सं., यदि लागू हो तो	नाम	पंजीकृत पता
8	जिम उपकरण 38 ग्राम पंचायत, मंडी जिला, हिमाचल प्रदेश	175001	09.01.2023	11611860.00	लागू नहीं	संबंधित ग्राम पंचायत, मंडी जिला, हिमाचल प्रदेश	बांगला मुहल्ला, भगवान मुहल्ला, समखेतर, मंडी, हिमाचल प्रदेश - 175001
9	अस्पताल भवन की एक मंजिल खसरा सं. 25, आउटर हिंगना रिंग रोड, मौजा-जामथा, नागपुर - 441108, महाराष्ट्र	441108	03.03.2023	300000000.00	सीएसआर 00012471	डॉ. आबाजी थट्टे सेवा और अनुसंधान संस्था	293 सीताराम स्मृति डब्ल्यूएचसी रोड, धर्मपीठ, नागपुर - 440010, महाराष्ट्र
10	चिकित्सकीय उपकरण, बिहार और झारखंड में अलग-अलग स्थानों पर कुल 10 केंद्र	800006 (कार्यान्वयन एजेंसी कार्यालय का पिन कोड)	16.01.2023	12652840.00	सीएसआर 00020020	बिरसा सेवा प्रकल्प	हनुमंत आश्रम, सुमति पथ, रानीघाट, महेंद्र, पटना - 800006, बिहार
11	अस्पताल का भवन एवं फर्नीचर, सेक्टर 8, फरीदाबाद - 121006, हरियाणा	121006	29.03.2023	20000000.00	सीएसआर 00001000	भारत विकास परिषद् सामाजिक जनकल्याण न्यास	नशा मुक्ति केंद्र, कंपाउंड, सेक्टर-14, फरीदाबाद, हरियाणा - 121007
12	विद्यालय में उपकरण एवं भवन नवीनीकरण, रामकृष्ण मिशन आश्रम परिसर, रामकृष्ण पुरी, थाटीपुर, ग्वालियर - 474011, मध्य प्रदेश	474011	22.12.2022	3521189.00	सीएसआर 00006101	रामकृष्ण मिशन आश्रम, ग्वालियर	रामकृष्ण पुरी, थाटीपुर, ग्वालियर, मध्य प्रदेश - 474011
13	ब्रेलर एम्बॉसर लाल बिहारी शाह ब्रेल एकेडेमिया, विद्यापत्ती, मालंचा माही नगर, कोलकाता, पश्चिम बंगाल 700145	700145	28.03.2023	3151220.00	सीएसआर 00003994	ब्लाइंड पर्सन्स एसोसिएशन	ब्लाइंड पर्सन्स एसोसिएशन, 6बी, पंचानंदतला रोड, कोलकाता-700 029, पश्चिम बंगाल

नियामकों और न्यायालयों आदि द्वारा पारित महत्वपूर्ण और आवश्यक आदेश

1. 2017 का सी.ए नंबर 2845, सीआईएल और एनआर. बनाम सीसीआई और साई वर्धा पावर लिमिटेड और टी.पी. (सिविल) 2019 के 2008-2013, सीआईएल बनाम सीसीआई

क. न्यायालय / न्यायाधिकरण का नाम : भारत का सर्वोच्च न्यायलय

ख. मुख्य मुद्दा शामिल: सीआईएल और डब्ल्यूसीएल द्वारा उनके लागत प्लस ईंधन आपूर्ति अनुबंध और मुख्बिर (बिजली उत्पादक) के साथ कार्यों के संबंध में प्रभुत्व के दुरुपयोग और अनुचित एवं भेदभावपूर्ण आचरण का आरोप। यह कथित तौर पर निम्नलिखित द्वारा किया गया था: (i) ईंधन आपूर्ति समझौतों के निष्पादन में विलम्ब करना; और (ii) मुख्बिर को एकतरफा प्रतिस्पर्धा-विरोधी लागत प्लस ईंधन बिक्री समझौते में प्रवेश करने के लिए मजबूर करना।

यह मामला संवैधानिक महत्व के सवाल भी उठाता है जो सीआईएल और उसकी सहायक कंपनियों से जुड़े सभी प्रतिस्पर्धा कानून मामलों को प्रभावित करता है। इसी के संदर्भ में, संवैधानिक मुद्दे को निर्धारित करने के लिए एनसीएलएटी के समक्ष सीआईएल और उसकी सहायक कंपनियों से जुड़े सभी प्रतिस्पर्धा कानून मामलों को सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरित करते हुए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक स्थानांतरण याचिका दायर की गई थी।

ग. मामले का अवलोकन: साई वर्धा पावर लिमिटेड (एसडब्ल्यूपीएल) द्वारा 11 नवम्बर 2013 को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) के समक्ष एक सुचना दायर की गई थी, जिसमें भारत यथा, प्रासंगिक बाजार में ताप विद्युत उत्पादकों को गैर-कोरिंग कोयले के उत्पादन और आपूर्ति के संबंध में प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (अधिनियम) की धारा 4 का उल्लंघन करते हुए सीआईएल और डब्ल्यूसीएल की ओर से अनुचित और भेदभावपूर्ण आचरण का आरोप लगाया था।

सीसीआई ने माना कि राष्ट्रीयकरण अधिनियम और नीति योजना के आधार पर सीआईएल और उसकी सहायक कंपनियां तत्कालीन बाजार में प्रभावी थीं।

प्रभुत्व के दुरुपयोग के आरोप के संबंध में, सीसीआई ने पाया कि (i) सीआईएल ने अपनी बाजार शक्ति के कारण एसडब्ल्यूपीएल के साथ एफएसए के निष्पादन में देरी की; (ii) सीआईएल और विभिन्न विद्युत उत्पादकों के बीच किए गए एलओए के निबंधन और शर्तें अनुचित और/ या भेदभावपूर्ण थीं क्योंकि उनमें सीआईएल पर कोई पारस्परिक दायित्वों के बिना विद्युत उत्पादकों (मील का पत्थर पूरा करने और और प्रतिबद्धता गारंटी से संबंधित) पर दायित्व शामिल थे; (iii) सीआईएल पारस्परिक द्विपक्षीय प्रक्रिया के माध्यम से एफएसए के नियमों और शर्तों को विकसित करने में विफल रहा; (iv) एफएसए में निहित मूल्य निर्धारण फार्मूला न केवल अनुचित था बल्कि गैर पारदर्शी भी था; (v) अतिरिक्त वित्तीय योग्यिता बैंक गारंटी की मांग मनमानी और अनुचित थी; (vi) प्रदर्शन प्रोत्साहन से संबंधित एफएसए में प्रावधान अनुचित हैं और लागत प्लस व्यवस्था की प्रकृति के कारण बिना किसी तर्क के हैं; और (vii) लागत प्लस उपभोक्ताओं के लिए लागत की गणना करते समय लागत प्लस खदानों से कोयले की ई-नीलामी से प्राप्त राजस्व के शामिल करने में सीआईएल की विफलता अनुचित थी। सीसीआई ने सीआईएल को इन प्रावधानों में संशोधन करने और इसे अधीन में लेकर दायर करने का निर्देश दिया।

सीआईएल ने आयोग के निर्देश पर रोक लगाने के लिए एक वार्ताकार आवेदन के साथ 5 दिसम्बर, 2014 को पूर्ववर्ती एलडी, प्रतिस्पर्धा अपीलीय न्यायाधिकरण (सीओएमपीएटी) के समक्ष एक अपील दायर की। सीओएमपीएटी ने मार्च 2015 और अक्टूबर/ नवम्बर 2015 के दौरान विभिन्न तिथियों पर मामले की सुनवाई की और अपना फैसला सुरक्षित रखा। सीओएमपीएटी ने अंततः 9 दिसम्बर 2016 को अपना आदेश सुनाया (मामले में सुनवाई की अंतिम तारीख से 12 महीने से अधिक की अवधि के बाद) यानी 17 मई 2016 को फैसले के बाद और सीआईएल / डब्ल्यूसीएल के तर्कों को संबोधित किए बिना सीसीआई के आदेश को बरकरार रखा। इसलिए, सीआईएल और डब्ल्यूसीएल ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष सीओएमपीएटी के आदेश के बिलाफ अपील की है।

घ. वर्तमान स्थिति

सीआईएल / डब्ल्यूसीएल ने 3 अगस्त 2017 और 6 नवम्बर 2017 से सर्वोच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश के अनुसार एसडब्ल्यूपीएल को कोयले की आपूर्ति जारी रखी। अगस्त 2017 में, सीआईएल / डब्ल्यूसीएल ने सीआईएल और इसकी सहायक कंपनियों को प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2022 की प्रयोज्यता के संबंध में अतिरिक्त आधार जुटाने के लिए एक वार्ताकार आवेदन (आईए) दायर किया। सीसीआई और एसडब्ल्यूपीएल ने इस आवेदन पर अपना जवाब दाखिल कर दिया है। सीआईएल / डब्ल्यूसीएल ने दोनों जवाबों पर प्रत्युत्तर दाखिल किया है।

10 अप्रैल 2018 को, सीआईएल / डब्ल्यूसीएल ने सर्वोच्च न्यायालय को राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) के समक्ष एसडब्ल्यूपीएल द्वारा दायर निष्पादन आवेदन से अवगत कराया। सुप्रीम कोर्ट ने विशेष रूप से निर्देश दिया कि एसडब्ल्यूपीएल पूर्ववर्ती सीओएमपीएटी द्वारा पारित आदेशों के लागू करने के लिए कोई कदम नहीं उठाएगा।

इस मामले में अंतिम बहस 9 अप्रैल 2019 को शुरू हुई और 24 अप्रैल 2019 को कुछ समय तक जारी रही। इसके बाद, 24 जुलाई 2019 को एजी ने संविधान कानून के पहलू के संबंध में विस्तृत प्रस्तुतियाँ दीं और श्री मनिंदर सिंह (पूर्व एसजी) ने गुण-दोष के आधार पर बहस शुरू की। मामले की सुनवाई 25 जुलाई 2019 को आंशिक सुनवाई के रूप में स्थगित कर दी गई।

इस सुनवाई के दौरान, सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने यह उल्लेख किया कि सीआईएल से जुड़ी विभिन्न अपीलें राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) के समक्ष लंबित हैं और इसमें इसी तरह के मुद्दे शामिल हैं जैसे कि इस अपील को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुनाई जा रही है। तदनुसार, पीठ ने मौखिक रूप से सीआईएल को एक स्थानांतरण याचिका दायर करने का निर्देश दिया, जिसमें एनसीएलएटी अपीलों को सर्वोच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने की मांग की गई थी।

पीठ के मौखिक निर्देशों के आधार पर हमने सर्वोच्च न्यायालय पंचीयन में स्थानांतरण याचिका दायर की है।

स्थानांतरण याचिका को 16 अगस्त 2019 को सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था। इस सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय

ने सूचना जारी कर दस्ती सेवा की अनुमति दी और मामले को 2 सप्ताह के बाद सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया। उन्होंने स्थानांतरित किए जाने वाले मामले के संबंध में एनसीएलएटी की कार्यवाही पर भी रोक लगा दी।

स्थानांतरण याचिका को रजिस्ट्रार के समक्ष 13 जनवरी 2020 को सूचीबद्ध किया गया था। उत्तरदाताओं को अपने प्रत्युत्तर दायर करने के लिए चार सप्ताह का अंतिम अवसर दिया गया था।

इसके बाद, सिविल अपील को 20 सितम्बर 2021 को सूचीबद्ध किया गया, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने 27 सितम्बर 2021 को निर्देश के लिए मामलों (सिविल अपील और स्थानांतरण याचिका) को सूचीबद्ध करने का निर्णय लिया, जिसके दौरान वे मामलों की अंतिम सुनवाई के लिए कोई एक तिथि निश्चित कर सकते हैं।

इसके बाद मामला 2 न्यायाधीशों की नई पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया, जिसमें न्यायमूर्ति गवर्नर भी शामिल हैं। इसे आखिरी बार 16 सितंबर 2022 को सूचीबद्ध किया गया था। पीठ ने निर्देश दिया कि मामले को अगली बार 3-न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाए।

यह मामला 22 मार्च 2023 को 3 न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था, जिन्होंने स्थानांतरण याचिका की अनुमति दी और आदेश दिया कि एनसीएलएटी के समक्ष मामलों को सर्वोच्च न्यायालय में स्थानांतरित किया जाए।

यह मामला आखिरी बार 12 अप्रैल 2023 को सूचीबद्ध किया गया था लेकिन समय की कमी के कारण इसे उठाया नहीं जा सका।

अतिरिक्त आधारों के लिए एलए में सुनवाई 26 अप्रैल 2023 को शुरू हुई और अप्रैल और मई 2023 तक जारी रही।

सीआईएल की ओर से श्री के.के. वेणुगोपाल (पूर्व-एजी) ने 3-न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष तर्क दिया कि प्रतिस्पर्धा अधिनियम सीआईएल और उसकी सहायक कंपनियों पर लागू नहीं होता है। श्री वेणुगोपाल ने पीठ को अवगत कराया कि सीआईएल राष्ट्रीयकरण अधिनियम द्वारा शासित है, और इसकी स्थापना कोयले का वितरण करने के लिए की गई थी। भारत के संविधान के अनुच्छेद 39 (बी) में निहित राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार सामान्य भलाई के लिए। श्री वेणुगोपाल ने तर्क दिया कि सीआईएल सरकार की नीतियों और राष्ट्रपति के निर्देशों के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य है और सीआईएल पर प्रतिस्पर्धा अधिनियम लागू करने से आम भलाई को आगे बढ़ाने के लिए काम करने की इसकी क्षमता बाधित होगी।

श्री एन वेंकटरमन (एएसजी) ने सीसीआई की ओर से तर्क दिया और श्री रंजीत कुमार ने एसडब्ल्यूपीएल की ओर से तर्क दिया कि प्रतिस्पर्धा अधिनियम को सीआईएल और उसकी सहायक कंपनियों पर लागू किया जाना चाहिए क्योंकि सीआईएल एक सरकारी कंपनी है, और अनिवार्य रूप से एक “उद्यम” है। प्रतियोगिता का अर्थ कार्यवाही करना। प्रतिस्पर्धा अधिनियम के तहत सीआईएल के लिए कोई स्पष्ट बहिष्करण नहीं था – उसी संसद ने जिसने राष्ट्रीयकरण अधिनियम का मसौदा तैयार किया था, उसने प्रतिस्पर्धा अधिनियम का भी मसौदा तैयार किया था, जो एक बाद का कानून है, यदि हमें सीआईएल के लिए प्रतिस्पर्धा अधिनियम के दायरे से बाहर रखा जाता है, तो उन्हें स्पष्ट रूप से बहिष्कार किया।

15 जून 2023 के अपने फैसले के माध्यम से, सुप्रीम कोर्ट ने (अतिरिक्त आधार और स्थानांतरण याचिका के लिए) का निपटारा कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि प्रतिस्पर्धा अधिनियम सीआईएल और सहायक कंपनियों पर लागू होता है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सीआईएल हकदार होगी कानून के तहत उपलब्ध किसी भी बचाव को प्रदर्शित करने के लिए कि उसने अपनी प्रमुख स्थिति का दुरुपयोग नहीं किया है। संक्षेप में, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सीसीआई को प्रभुत्व के दुरुपयोग का आकलन करते समय सीएलएल द्वारा स्थापित सुरक्षा को ध्यान में रखना चाहिए, जैसे कि सीआईएल को सरकारी नीतियों के साथ समन्वय में मुख्य संचालन के आधार पर अपने आचरण को उचित ठहराने की अनुमति देना, राष्ट्रपति डिविटिव्स एसी ने बताया। इसके बाद, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि एसडब्ल्यूएल में सी की अपील पर उचित समय पर निर्णय लिया जाएगा।

उसी फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने लंबित आईएएस (सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेशों के तहत एसडब्ल्यूपीएल को कोयले की आपूर्ति के संबंध में) को जुलाई 2023 के दूसरे सप्ताह में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर उपलब्ध कंप्यूटर जनित तारीख के अनुसार। मामला 12 जुलाई 2023 को सूचीबद्ध होने की संभावना है। एसडब्ल्यूपीएल द्वारा दायर अवमानना याचिका। यह आरोप भी उसी तारीख को लग सकता है कि सीआईएल और डब्ल्यूसीएल ने सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेशों का अनुपालन नहीं किया है। सुनवाई की अगली तारीख की पुष्टि की प्रतीक्षा है।

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरित किए गए सभी मामले (स्थानांतरण याचिका के माध्यम से) एनसीएलएटी को उनकी योग्यता के आधार पर निर्णय लेने के लिए वापस भेजे जाएंगे।

2. 2017 का सीए नंबर 5697, सीआईएल बनाम सीसीआई और विजय पोद्दार

क. न्यायालय/न्यायाधिकरण का नाम: सर्वोच्च न्यायालय, भारत

ख. मुख्य मुद्दा शामिल: सीआईएल के खिलाफ उसकी ‘स्पॉट ई-नीलामी’ योजना के नियमों और शर्तों के संबंध में प्रभुत्व के दुरुपयोग का आरोप, जिसके माध्यम से बोली लगाने वाले गैर-कोकिंग कोयला खरीद सकते थे। सफल बोली लगाने वाले जो कोयला की खरीद करने में विफल रहे, उनपर गैर पारस्परिक बयाना राशि विषय के आरोप के संबंध में दुरुपयोग का आरोप है। यह आरोप लगाया गया था कि नीलामी योजना मनमानी थी क्योंकि इसमें उन बोलीदाताओं पर जुर्माना लगाया गया था जो सफल बोली का पूरा या आंशिक हिस्सा देने में विफल रहे, लेकिन कोयले की आपूर्ति करने में विफल रहने पर सीआईएल पर जुर्माना नहीं लगाया गया।

ग. मामले का अवलोकन:

सीआईएल के खिलाफ एक सूचना दायर की गई थी जिसमें कहा गया था कि इसकी “स्पॉट ई-नीलामी” योजना के नियम और शर्तें, जिसके माध्यम से बोलीदाता गैर-कोकिंग कोयला खरीद सकते थे वे मनमाने ढंग के थे क्योंकि उन्होंने उन बोलीदाताओं पर जुर्माना लगाया था जो सफल बोली का पूरा या कोई भी हिस्सा देने में विफल रहे थे, लेकिन सीआईएल पर कोई जुर्माना नहीं लगाया गया था अपितु वे कोयले की आपूर्ति करने में विफल रही। सीसीआई ने सीआईएल के खिलाफ एक आदेश पारित किया जिसमें कहा गया है कि भारत में स्पॉट ई-नीलामी के तहत बोलीदाताओं को गैर-कोकिंग कोयले की बिक्री

की गई है जो सीआईएल द्वारा संबंधित बाजार में अपनी प्रमुख स्थिति का दुरुपयोग करने के बराबर है।

सीआईएल ने पूर्ववर्ती सीओएमपीएटी के समक्ष सीसीआई के आदेश के खिलाफ अपील दायर की थी।

20 मार्च 2017 के आदेश के तहत, तत्कालीन सीओएमपीएटी ने सीआईएल द्वारा 27 अक्टूबर 2014 के सीसीआई के आदेश के खिलाफ दायर 2014 की अपील संख्या 81 को खारिज कर दिया, जिसमें सीआईएल और उसकी सहायक कंपनियों को उनकी कथित प्रमुख पद का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया था। सीआईएल को आदेश में अपने निष्कर्षों के आलोक में स्पॉट ई-नीलामी योजना 2007 की शर्तों को संशोधित करने का निर्देश दिया गया था।

सीआईएल ने सीओएमपीएटी के आदेश के खिलाफ भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपील दायर की थी।

घ. विवरण और वर्तमान स्थिति:

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश दिनांक 5 मई 2017 के माध्यम से सीओएमपीएटी के आदेश पर रोक लगा दी।

उत्तरदाताओं ने अपील पर अपना प्रत्युत्तर दाखिल किया। सीआईएल ने उस पर अपना प्रत्युत्तर दाखिल किया।

इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ने 18 फरवरी 2019 को उठाया था। श्री पी.एस नरसिंहा सीआईएल की ओर से पेश हुए थे और पीठ को सूचित किया कि संवैधानिक महत्व के कुछ मुद्दे सिविल अपील संख्या 2845/2017(साई वर्धा मामला) में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित हैं और उसी के परिणाम स्वरूप इस मामले को भी प्रभावित होगा।

इस दलील को देखते हुए पीठ ने मामले को स्थगित कर दिया।

इस मामले को 17 अगस्त 2020 के सपाह के लिए सर्वोच्च न्यायालय के लिए साप्ताहिक सूची में सूचीबद्ध किया गया था। हालांकि, यह देखते हुए कि सीआईएल ने न्यायालय के फिर से खुलने पर भौतिक सुनवाई के माध्यम से मामले को सूचीबद्ध करने का विकल्प चुना, यह मामला अंतिम कारण सूची में दिखाई नहीं दिया।

जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने साई वर्धा मामले (2017 की सिविल अपील संख्या 2845) में संवैधानिक मुद्दे का फैसला करते हुए कहा है कि प्रतिस्पर्धा अधिनियम सीआईएल और उसकी सहायक कंपनियों पर लागू होगा, सुप्रीम कोर्ट उचित समय पर इस अपील पर सुनवाई शुरू कर सकता है। सुनवाई की अगली तारीख का इंतजार है।

3. प्रतिस्पर्धा अपील(एटी) 2017 की संख्या 1-3 (सीसीआई के समक्ष 2012 का मामला संख्या 3,11, और 59) सीआईएल और अन्य बनाम सीसीआई, महाराष्ट्र राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड और गुजरात राज्य विद्युत निगम लिमिटेड

क. न्यायालय/ न्यायाधिकरण का नाम: राष्ट्रीय कंपनी निधि अपीलीय न्यायाधिकरण

ख. मुख्य मुद्दा शामिल: बिजली उत्पादकों के साथ सीआईएल द्वारा किए गए ईंधन आपूर्ति अनुबंध के संबंध में अनुचित/भेदभावपूर्ण शर्तें लगाने का आरोप। यह आरोप लगाया गया कि अनुबंध के नियम और शर्तें बिना किसी द्विपक्षीय चर्चा के बिजली उत्पादकों पर थोप दी गई।

ग. मामले का अवलोकन:

यह संयुक्त मामला महाराष्ट्र स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (महाजेनको - 3 में से 2 सूचनाएं) और गुजरात स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (जीएसईसीएल) द्वारा सीआईएल और उसकी कुछ सहायक कंपनियों के खिलाफ दायर की गई 3 अलग-अलग सूचनाओं से उत्पन्न हुआ, जिसमें दुरुपयोग का आरोप लगाया गया था, के संबंध में: (i) एफएसए का मसौदा तैयार करना और उसे अंतिम रूप देना; (ii) भेदभावपूर्ण ग्रेड स्पिलेज प्रावधान; (iii) नमूना प्रावधानों में क्रेता का कोई दखल नहीं है; (iv) अवर्गीकृत कोयले की आपूर्ति के संबंध में दायित्व; (v) पत्थरों और बड़े कोयले के लिए विभिन्न मुआवजे के लिए प्रावधान; (vi) नवीनीकरण और समाप्ति प्रावधानों में अंतर; और (vii) विभिन्न अप्रत्याशित घटना प्रावधान।

सीसीआई ने सीआईएल के खिलाफ इस मामले का फैसला किया और 9 दिसंबर 2013 को एक आदेश पारित किया। सीआईएल पर 1773 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया था। सीआईएल ने इस फैसले के खिलाफ तत्कालीन सीओएमपीएटी के समक्ष अपील दायर की थी। सीआईएल की यह दलील थी कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का पालन नहीं किया गया था, और जिन सीसीआई सदस्यों ने इस मामले का फैसला किया था, वे उन लोगों के समान नहीं थे जिन्होंने दलील को सुना हो। इस आधार पर मामले को रिमांड पर लिया गया और 17 मई 2016 को सीसीआई के समक्ष पुनः सुनवाई हुई।

सीसीआई ने 24 मार्च 2017 को एक नया आदेश पारित किया और 9 दिसंबर 2013 के पुराने आदेश के अनुसार समान निष्कर्षों के साथ वापस लौटा आया। सीसीआई ने नमूनों और अन्य खंडों में किए गए परिवर्तनों और सीआईएल पर विभिन्न मंत्रालयों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों जैसी परिस्थितियों को कम करने पर विचार किया गया और तदनुसार दंड को 1773 करोड़ रुपये से घटाकर 591 करोड़ कर दिया गया।

सीआईएल ने एनसीएलएटी के समक्ष सीसीआई के नए आदेश के खिलाफ अपील दायर की थी।

घ. विवरण और वर्तमान स्थिति

आदेश के संचालन पर रोक लगा दी गई है।

विपक्ष पार्टियों ने अपील का जवाब दाखिल किया गया है और सीआईएल द्वारा प्रत्युत्तर दाखिल किया गया है।

सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित स्थानांतरण याचिका के परिणामस्वरूप, इन कार्यवाही पर उच्चतम न्यायालय द्वारा रोक लगाने का आदेश दिया गया है।

हमने एनसीएलएटी पीठ को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई स्थगन प्रस्ताव के बारे में सूचित कर दिया है।

मामला आखिरी बार 11 मई 2023 को सूचीबद्ध किया गया था। सुनवाई की अगली तारीख का इंतजार है।

मामले को अंतिम बार 21 मार्च 2023 को सूचीबद्ध किया गया था। सुनवाई की अगली तारीख 11 मई 2023 को निर्धारित की गई है, और सर्वोच्च न्यायालय का अंतरिम आदेश परिचालन के लिए जारी है।

जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने 15 जून 2023 के अपने फैसले में निर्देश दिया है कि मामले को गुण-दोष के आधार पर तय करने के लिए

एनसीएलएटी को वापस स्थानांतरीत कर दिया जाए, एनसीएलएटी पर सुनवाई शुरू कर सकता है। सुनवाई की अगली तारीख का इंतजार है।

4. 2017 की प्रतिस्पर्धा अपील (एटी) संख्या 12 (सीसीआई के समक्ष 2013 का मामला संख्या 5 और 7, 37 और 44) और 2017 की प्रतिस्पर्धा अपील (एटी) संख्या 11 (सीसीआई के समक्ष 2014 का मामला संख्या 8), सीआईएल और अन्य बनाम सीसीआई, मध्य प्रदेश पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड, वेस्ट बंगाल पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, और स्पंज आयरन मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन और सीआईएल और अन्य बनाम सीसीआई और जीएचसीएल

क. न्यायालय / न्यायाधिकरण का नाम: राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण

ख. मुख्य मुद्दा शामिल: विभिन्न ग्राहकों के साथ ईंधन आपूर्ति अनुबंध में अनुचित और भेदभावपूर्ण शर्तों के आरोप। यह विशेष रूप से आरोप लगाया गया था कि सीआईएल ईंधन आपूर्ति अनुबंध के नियमों और शर्तों को अंतिम रूप देने के लिए द्विपक्षीय चर्चा में शामिल नहीं हुई थी।

ग. मामले का अवलोकन:

यह संयुक्त मामला मध्य प्रदेश जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड (एमपीजीसीएल - 4 में से 2 सूचना(ओं), पश्चिम बंगाल पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (डब्ल्यूबीपीडीसीएल) और स्पंज आयरन मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन (एसआईएमए-प्राइवेट प्लेयर) सीआईएल और उसकी सहायक कंपनियों के खिलाफ (सभी 7 सहायक कंपनियां इस मामले में शामिल हैं) द्वारा दायर की गई है, जो अलग-अलग सूचनाओं से उत्पन्न हुई है।

सीसीआई ने सीआईए के खिलाफ यह पाते हुए इस मामले का फैसला किया है कि उसने सीआईएल के संबंध में अपनी प्रमुख स्थिति का दुरुपयोग किया है: (i) एफएसए का मसौदा तैयार करना और उसे अंतिम रूप देना; (ii) वर्गीकृत घोषणा और वर्गीकृत समीक्षा; (iii) समझौता ज्ञापनों के माध्यम से आपूर्ति; और (iv) डीडीक्यू और अवर्गीकृत कोयले की आपूर्ति।

महाजेनको मामले में पहले से ही लगाए जाने के बाद कोई जुर्माना नहीं लगाया गया था। सीआईएल ने इस फैसले के खिलाफ तत्कालीन सीओएमपीएटी के समक्ष अपील दायर की थी। इस मामले को महाजेनको अपील के साथ टैग करके रिमांड पर लिया गया था और 2016 में सीसीआई के समक्ष पुनः सुनवाई हुई थी।

अप्रैल 2017 में, सीसीआई ने अपने पिछले निष्कर्षों और टिप्पणियों को फिर से दोहराते हुए अपना नया आदेश पारित किया, जिसमें सीसीआई ने इस मामले का फैसला करते समय महाजेनको आदेश पर बहुत अधिक भरोसा किया। इस आदेश में कोई जुर्माना भी नहीं लगाया गया।

इस निर्णय के खिलाफ एक अपील भी दायर की गई थी और यह एनसीएलएटी के समक्ष लंबित है।

मामला संख्या 8, 2014 के संबंध में, गुजरात हेवी केमिकल्स लिमिटेड (निजी क्षेत्र के खिलाफी) द्वारा सीआईएल और डब्ल्यूसीएल के खिलाफ एक सूचना दायर की गई थी। इस मामले में प्रमुख स्थिति के दुरुपयोग पर सीसीआई के निष्कर्ष निम्नलिखित के संबंध में थे: (i) एलओए के नियम और शर्तें; (ii) एफएसए का मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया; (iii) समझौता ज्ञापन के माध्यम से एसीक्यू में कमी; (iv)

समझौता ज्ञापन और एफएसए के परिशिष्ट का संचयी प्रभाव; (v) प्रतिबद्धता गारंटी के विस्तार के संबंध में अनुस्मारक; (vi) प्रतिभूति जमा के संबंध में उपबंध; (vii) कोयले का नमूना; (viii) वर्गीकृत समीक्षा; और (ix) समझौता ज्ञापन में डीडीक्यू खंड।

महाजेनको मामले में पहले से ही लगाए जाने के बाद से कोई जुर्माना नहीं लगाया गया था। सीआईएल ने इस फैसले के खिलाफ तत्कालीन सीओएमपीएटी के समक्ष अपील दायर की थी। इस मामले को महाजेनको अपील के साथ टैग करके रिमांड पर लिया गया था और 2016 में सीसीआई के समक्ष पुनः सुनवाई हुई थी।

अप्रैल 2017 में, सीसीआई ने अपने पिछले निष्कर्षों और टिप्पणियों को फिर से दोहराते हुए अपना नया आदेश पारित किया, जिसमें सीसीआई ने इस मामले का फैसला करते समय महाजेनको आदेश पर बहुत अधिक भरोसा किया। इस आदेश में कोई जुर्माना भी नहीं लगाया गया।

इस निर्णय के खिलाफ एक अपील दायर की गई थी जो एनसीएलएटी के समक्ष लंबित है।

घ. विवरण और वर्तमान स्थिति:

सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित स्थानांतरण याचिका के परिणामस्वरूप, इन कार्यवाही पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रोक लगाने का आदेश दिया गया है।

हमने एनसीएलएटी पीठ को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई स्थगन प्रस्ताव के बारे में सूचित कर दिया गया है।

मामले को अंतिम बार 21 मार्च 2023 को सूचीबद्ध किया गया था। सुनवाई की अगली तारीख 11 मई 2023 निर्धारित की गई है, और सर्वोच्च न्यायालय का अंतरिम आदेश जारी है।

मामला 11 मई 2023 को सामने नहीं आया। चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने 15 जून 2023 के अपने फैसले में निर्देश दिया है कि मामले को गुण-दोष के आधार पर एनसीएलएटी में वापस स्थानांतरित कर दिया जाए, एनसीएलएटी अपील पर सुनवाई शुरू कर सकता है उचित समय पर। सुनवाई की अगली तारीख का इंतजार है।

5. 2017 का मामला संख्या 11, कर्नाटक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा सीआईए, एमसीएल और डब्ल्यूसीएल के खिलाफ दायर की गई सूचना, अब 2018 की प्रतिस्पर्धा अपील (एटी) 36 के पीसीएल द्वारा सीसीआई के आदेश दिनांक 16 मार्च 2018 के खिलाफ दायर की गई अपील।

क. न्यायालय / न्यायाधिकरण का नाम: राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण

ख. मुख्य मुद्दा शामिल: ईंधन आपूर्ति अनुबंध का मसौदा तैयार करने में वार्ता का अभाव, सैम्परिंग प्रक्रिया से संबंधित कोयले की गुणवत्ता और मात्रा से संबंधित मुद्रे, ग्रेड स्लिपेज / ग्रेड की गलत घोषणा, अवास्तविक वितरण, कोयला खनन और बुनियादी ढांचे को संभालने में निवेश की कमी सहित सीआईएल के खिलाफ प्रभुत्व के दुरुपयोग का आरोप।

ग. मामले का अवलोकन:

कर्नाटक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (केपीसीएल) द्वारा 2017 (एफएसए पर हस्ताक्षर करने के 8 साल बाद), सीआईएल, महानदी

कोलफाल्डस लिमिटेड (एमसीएल) और डब्ल्यूसीएल के खिलाफ 27 मार्च, 2017 को एक सूचना दायर की गई थी, जिसमें कुछ मुद्दे उठाए गए थे, जो सभी महाजेनको मामले में सीसीआई द्वारा निपटाए गए थे। ये मुद्दे के संबंध में थे: (i) अनुचित एफएसए; (ii) कोयले की गुणवत्ता (ग्रेड स्लिपेज, बिल और रसीद के साथ सकल कैलोरिफिक मूल्य, बोल्डर और पथरों की आपूर्ति, गीला और कीचड़युक्त कोयला जैसे मुद्दे सहित) (iii) नमूना; और (iv) मूल्य।

सीसीआई ने 22 अगस्त 2017 को दोनों पक्षों को प्रारंभिक सुनवाई के लिए आमंत्रित किया।

सीआईएल द्वारा 12 सितम्बर 2017 को स्थिति रिपोर्ट दर्ज की गई थी।

सीआईएल की ओर से प्रारंभिक दलीले सुनने के बाद, सीसीआई ने केपीएसएल को निर्देश दिया कि वह (i) सीसीओ द्वारा कोयले की फिर से घोषणा; और (ii) रेलवे कंपनियों द्वारा कोयले का ओवरलोडिंग के दो सीमित बिंदुओं पर लिखित प्रस्तुतियां दायर करें। केपीसीएल ने अपनी दलीलें दाखिल की हैं और सीआईएल ने अपना प्रत्युत्तर दाखिल किया है।

8 फरवरी 2018 को, सीसीआई ने केपीसीएल को ओवरलोडिंग और उसके द्वारा भुगतान किए गए शुल्क के बारे में जानकारी प्रस्तुत करने का निर्देश देते हुए एक आदेश पारित किया। केपीसीएल ने 23 फरवरी को अतिरिक्त जानकारी दाखिल की और हमने 6 मार्च 2018 को इस अतिरिक्त जानकारी का प्रत्युत्तर दाखिल किया।

16 मार्च 2018 को, सीसीआई ने अपना आदेश पारित किया और केपीसीएल द्वारा दायर शिकायत को खारिज कर दिया। सीसीआई ने यह कहते हुए मामले को बंद कर दिया कि चंकि केपीसीएल द्वारा उठाए गए मुद्दों को पहले ही पिछले मामलों में निपटाया जा चुका था, और इस जानकारी के संबंध में आगे की जांच करने या आगे के आदेशों को पारित करने की आवश्यकता के लिए कोई नया मुद्दा नहीं उठाया गया था।

विशेष रूप से सीसीआई ने दो अतिरिक्त मुद्दों का अनुपालन किया: (i) कोयला नियंत्रण के मुद्दे को पहले ही निपटाया जा चुका था और इस आरोप में कोई दम नहीं था कि कोयला नियंत्रक का कार्यालय स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर रहा था; और (ii) ओवरलोडिंग मुद्दों के मामले में मुख्यबिर को विपरित पक्षों को सूचित करना चाहिए और विपरित पक्षों को एफएसए के अनुसार उसी के संबंध में उपचारात्मक कार्रवाई करनी चाहिए।

केपीसीएल ने सीसीआई के फैसले के खिलाफ अपील दायर की। यह अपील एनसीएलएटी के समक्ष लंबित है।

घ. विवरण और वर्तमान स्थिति:

सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित स्थानांतरण याचिका के परिणामस्वरूप, इन कार्यावाही पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रोक लगाने का आदेश दिया गया है।

हमने एनसीएलएटी पीठ को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई रोक के बारे में सूचित कर दिया है।

मामला आखरी बार 30 मई 2022 को सूचीबद्ध किया गया था। मामले को सुनवाई की अगली तारीख तय किए बिना स्थगित कर दिया गया था, और एनसीएलएटी ने निर्देश दिया की मामले स्थानांतरण

याचिका के निपटारे के बाद या सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित किसी अन्य आदेश के अनुसार सूचीबद्ध किया जाए। इस बीच सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश जारी रहेगा। एनसीएलएटी ने ऐसे मामले में पार्टियों को एनसीएलएटी के समक्ष मामले का उल्लेख करने की स्वतंत्रता भी दी।

चंकि सुप्रीम कोर्ट ने 15 जून 2023 के अपने फैसले में निर्देश दिया है की मामले को गुण-दोष के आधार पर तय करने के लिए एनसीएलएटी को वापस स्थानांतरित कर दिया जाए, एनसीएलएटी उचित समय पर अपील पर सुनवाई शुरू कर सकता है। सुनवाई की अगली तारीख का इंतजार है।

6. 2015 का सीए, संख्या 2 एसडब्ल्यूपीएल बनाम सीआईएल और अन्य

क. न्यायालय / न्यायाधिकरण का नाम: राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण

ख. मुख्य मुद्दा शामिल: सीआईएल के विरुद्ध प्रभुत्व के दुरुपयोग से संबंधित सीओएमपीएटी के आदेश और सीसीआई के आदेश से प्राप्त डब्ल्यूसीएल/सीआईएल के विरुद्ध मुआवजे के दावे की याचिका दायर की गई जिनके कारण निम्न हैं: (i) ईंधन आपूर्ति समझौते के निष्पादन में विलम्ब, (ii) दोषपूर्ण मूल्य निर्धारण प्रणाली, (iii) आपूर्ति किए गए कोयले की निम्न गुणवत्ता, (iv) बैंक गरांटी से संबंधित लागत, और (v) सीआईएल को भुगतान किए गए कार्य-निष्पादन प्रोत्साहन राशि की वापसी।

ग. मामले का अवलोकन:

अप्रैल 2015 में, एसडब्ल्यूपीएल ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम की धारा 53एन के तहत एक आवेदन दायर किया, जिसमें 908 करोड़ रु. के मुआवजे का दावा किया गया था। इसके बाद, 30 जनवरी, 2017 को एसडब्ल्यूपीएल ने दावे की राशि को 1500 करोड़ रुपये बढ़ाते हुए एक आईए दायर किया।

7 मार्च 2017 को सीआईएल और डब्ल्यूसीएल ने आईए को अपना प्रत्युत्तर दाखिल किया। 20 मार्च 2017 को, तत्कालीन सीओएमपीएटी ने अप्रैल 2015 में दायर मुख्य आवेदन के सापेक्ष नोटिस जारी किया। सरकारी अधिसूचना के आधार पर न्यायाधिकरणों के विलय के बाद यह मामला एनसीएलएटी को स्थानांतरित कर दिया गया था। एनसीएलएटी ने अभी तक गुण-दोष के आधार पर मामले की सुनवाई शुरू नहीं की है।

सीआईएल ने 11 सितम्बर 2017 को मुख्य मुआवजे के आवेदन का जवाब दाखिल किया और एसडब्ल्यूपीएल ने इस पर अपना प्रत्युत्तर दाखिल किया। सीआईएल ने एसडब्ल्यूपीएल द्वारा अपने प्रत्युत्तर में उठाए गए नए मुद्दों को संबोधित करने के लिए अतिरिक्त प्रस्तुतिकरण भी दायर किया है।

घ. विवरण और वर्तमान स्थिति:

28 नवम्बर, 2017 से एनसीएलएटी इस मामले को स्थगित कर रहा है क्योंकि मुख्य अपील सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है।

9 अप्रैल 2018 को, एसडब्ल्यूपीएल ने सीओएमपीएटी द्वारा पारित आदेश के निष्पादन की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया। 10 अप्रैल 2018 को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश पर विचार करते हुए एनसीएलएटी पीठ ने कहा कि मुआवजे के मामले और निष्पादन आवेदन को सुप्रीम कोर्ट के फैसले की प्रतीक्षा करना चाहिए।

इस मामले की अंतिम सुनवाई 2 मार्च 2023 को हुई थी। सुनवाई की अगली तारीख सुप्रीम कोर्ट के समक्ष स्थानांतरण याचिका के विकासक्रम के आधार पर तय की जाएगी और इस बीच सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश जारी है।

जैसा की सुप्रीम कोर्ट ने 15 जून 2023 के अपने फैसले के माध्यम से निर्देश दिया है की एनसीएलएटी के समक्ष लंबित अपीलों को योग्यता के आधार पर निर्णय लेने के लिए एनसीएलएटी में वापस स्थानांतरीत कर दिया जाए, एनसीएलएटी उचित समय पर मुआवजे आवेदन पर सुनवाई भी शुरू कर सकता है। सुनवाई की अगली तारीख का इंतजार है।

7. 2022 का मामला संख्या 02, सीसीआई के समक्ष सीआईएल, ईसीएल और एमसीएल के विस्तृत तमिलनाडु उत्पादन और वितरण निगम द्वारा दायर मामला

क. न्यायालय / न्यायाधिकरण का नाम: सीसीआई

ख. मुख्य मुद्दा शामिल:

तमिलनाडु उत्पादन और वितरण निगम(टीएनजीईडीसीओ) द्वारा सीआईएल के खिलाफ संबंधित आरोप (i)सीआईएल द्वारा आपूर्ति किए गए कोयले की गुणवत्ता/ग्रेड में कमी, (ii) विवादों के मामले में कोयले की गुणवत्ता/ग्रेड की पुष्टि के लिए उपयोग किए जाने वाले रेफरी नमूनों में छेड़छाड़, (iii) कोयले की आपूर्ति न करना और कोयले के लिंकेज को सीआईएल की एक सहायक कंपनी से दूसरी सहायक कंपनी में स्थानांतरित करने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए मनमाने ढंग से अनुरोध करना।

ग. मामले का अवलोकन:

टीएनजीईडीसीओ द्वारा 6 जनवरी 2022 को सीआईएल, ईस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड (ईसीएल) और एमसीएल के खिलाफ एक मामला दायर की गई थी, जिसमें भारत यानी प्रासंगिक बाजार में ग्राहकों (थर्मल पावर जनरेटर) को गैर-कोंकिंग कोयले की आपूर्ति के संबंध में अधिनियम की धारा 4 के उल्लंघन का आरोप लगाया गया था।

अधिनियम की धारा 4 के तहत प्रभुत्व के दुरुपयोग के संबंध में आरोप इस प्रकार हैं:

ग्रेड स्लिपेज: यह आरोप लगाया गया है कि ईसीएल द्वारा टीएनजीईडीसीओ को आपूर्ति किए गए कोयले में विशेष और समानरूप से ग्रेड स्लिपेज हुआ है। बदले में, यह आरोप है कि सीआईएल और उसकी सहायक कंपनियों ने घोषित ग्रेड के कोयले की आपूर्ति करने से इनकार कर दिया, जो कि सीआईएमएफआर द्वारा किए गए परीक्षणों द्वारा स्थापित किया गया है। यह आरोप लगाया गया है कि घोषित ग्रेड के कोयले की आपूर्ति करने में प्रमुख उद्यम की लगातार विफलता भारत में थर्मल पावर उत्पादकों को गैर-कोंकिंग कोयले की आपूर्ति में अधिनियम की धारा 4(2) के प्रावधानों के उल्लंघन में एक अनुचित स्थिति है।

नमूनों से छेड़छाड़ :

यह आरोप लगाया गया है कि टीपीएस अनुबंध के तहत रेफरी के नमूने सीआईएल की संबंधित सहायक कंपनी के परिसर के भीतर रखा गया है। बदले में, यह कोयला आपूर्तिकर्ताओं द्वारा सैंपल को हेराफेरी और छेड़छाड़ द्वारा असुरक्षित बनाता है। यह आरोप लगाया गया है कि सीआईएल और उसकी सहायक कंपनियां अपनी सैंपर्लिंग नीति और आचरण के संबंध में अपनी प्रभावशाली स्थिति के दुरुपयोग करने का दोषी है विशेषकर तब से जब सीसीआई ने उन्हें अतीत में इसी के लिए दोषी पाया है। उन्हें ऐसी नीति अपनानी चाहिए जो प्रतिस्पर्धा अधिनियम और सीसीआई के पहले के आदेश के अनुरूप हो। आश्रित उपभोक्ताओं पर ऐसी दोषपूर्ण और त्रुटिग्रस्त सैंपर्लिंग और परीक्षण नीति लागू करने के साथ-साथ रेफरी सैंपल में छेड़छाड़, अधिनियम 4(2) (ए)(i) का उल्लंघन है। यह आरोप लगाया गया है कि ईसीएल का आचरण और सैंपर्लिंग संविदा का उपयुक्त प्रावधान किसी भी तर्कसंगत मानक का अनुपालन नहीं करता है और निःसंदेह, अधिनियम की धारा 4(2)(ए)(i) के तहत दिए गए दायित्व के उल्लंघन के साथ अपनी प्रभावशाली स्थिति का घोर दुरुपयोग है।

इसके साथ ही, यह आरोप लगाया गया है कि सीआईएल और उसकी सहायक कंपनियों की अनुचित सैंपर्लिंग और परीक्षण नीति, और एक समान ग्रेड स्लिपेज के कारण बिजली उत्पादकों को ऊंचे दाम पर निचले ग्रेड के कोयला लेने के लिए वाध्य किया गया। सीआईएल और उसकी सहायक कंपनियों द्वारा अनुचित मूल्य की राशि वसूलने का आरोप है जो अधिनियम की धारा 4(2)(ए)(ii) का उल्लंघन है।

अनापत्ति प्रमाणपत्र नहीं होने के कारण कोयले की आपूर्ति न होना: यह आरोप है कि अनापत्ति प्रमाणपत्र नहीं होने के कारण मुख्यिक कोयले की आपूर्ति नहीं हुई जिससे बिजली उत्पादन कम हा और अन्य स्रोतों से बहुत अधिक लागत पर बिजली खरीदी गई, जिसके परिणामस्वरूप राज्य को भारी नुकसान हुआ। यह आरोप लगाया गया है कि ग्रेड स्लिपेज विवाद को हल किए बिना, बकाया वसूली के लिए हस्तांतरित मात्रा की आपूर्ति करने से इनकार करना भी अधिनियम की धारा 4(2)(ए)(i) के उल्लंघन में एक अनुचित शर्त है। आरोपित है कि ईसीएल से हस्तांतरित मात्रा की आपूर्ति को प्रतिबंधित करने में एमसीएल और सीआईएल का आचरण, अनुपूरक दायित्व को इंगित करता है जिसका टीएनजीईडीसीओ और एमसीएल के बीच अनुबंध की विषयवस्तु से कोई संबंध नहीं है। इस तरह, अधिनियम की धारा 4(2)(डी) के तहत सीआईएल और एमसीएल का आचरण निषिद्ध है।

घ. वर्तमान स्थिति

सीसीआई ने 30 जून 2022 को एक आदेश के माध्यम से अधिनियम की धारा 26 के तहत सीआईएल, एमसीएल और ईसीएल के खिलाफ आरोपों को खारिज कर दिया। टीएनजीईडीसीओ द्वारा सीसीआई के आदेश के खिलाफ कोई अपील दायर नहीं की गई है।

कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट

1. शासन संहिता पर कंपनी का विचार:

निदेशकों ने सेबी (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 (“लिस्टिंग विनियम”) की अनुसूची V के साथ पठित विनियमन 34 (3) के संदर्भ में 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी की कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट प्रस्तुत की। कॉर्पोरेट गवर्नेंस कानूनों, नियमों और दिशानिर्देशों के अनुसार मूल्यों, नैतिक व्यावसायिक आचरण, पारदर्शिता, प्रकटीकरण सुनिश्चित करने के लिए है। सीआईएल अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सभी स्तरों पर कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रथाओं का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है।

2. निदेशक मंडल:

2.1 बोर्ड का आकार

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) के तहत कोल इंडिया लिमिटेड एक सरकारी कंपनी है। कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अनुसार, निदेशकों की नियुक्ति की शक्ति भारत के राष्ट्रपति के पास निहित है। अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी और उसकी नियुक्ति के नियम और शर्तें राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाएंगी। अध्यक्ष के अलावा, राष्ट्रपति अध्यक्ष के परामर्श से प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक कार्यात्मक निदेशक और अन्य निदेशकों की भी नियुक्ति करेगा। कार्यात्मक निदेशक और सरकार द्वारा नामित निदेशक रोटेशन के आधार पर सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी हैं। अध्यक्ष और स्वतंत्र निदेशक रोटेशन के आधार पर सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी नहीं हैं। कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अनुसार, कंपनी के निदेशकों की संख्या तीन से कम नहीं होगी। ये निदेशक या तो पूर्णकालिक कार्यात्मक निदेशक या अंशकालिक निदेशक हो सकते हैं।

2.2 बोर्ड की संरचना

31 मार्च, 2023 तक, निदेशक मंडल में एक अध्यक्ष, 4 कार्यात्मक निदेशक, निदेशक (तकनीकी) निदेशक वित्त और 2 गैर-कार्यकारी

निदेशक (सरकारी नामित) और 7 स्वतंत्र निदेशकों का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे हैं। इसके अलावा, बोर्ड में 3 स्थायी आमंत्रित सदस्य हैं। सीआईएल ने कोयला मंत्रालय, भारत सरकार से सेबी एलओडीआर’ 2015 के अनुपालन के लिए एक महिला स्वतंत्र निदेशक नियुक्त करने का अनुरोध किया था।

2.3 निदेशकों की आयु सीमा और कार्यकाल

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और अन्य पूर्णकालिक कार्यात्मक निदेशकों की आयु सीमा 60 वर्ष है। अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक और अन्य पूर्णकालिक कार्यात्मक निदेशकों को कार्यभार संभालने की तारीख से पाँच साल की अवधि के लिए या पदधारी की सेवानिवृत्ति की तारीख तक या भारत सरकार के अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त किया जाता है। बोर्ड में कोई भी निदेशक दस से अधिक सार्वजनिक कंपनियों में निदेशक पद पर नहीं है। इसके अलावा, उनमें से कोई भी उन सभी सार्वजनिक कंपनियों में सात से अधिक समितियों का सदस्य या पाँच से अधिक समितियों का अध्यक्ष नहीं है, जिनमें वह निदेशक हैं। 31 मार्च, 2023 तक अन्य सार्वजनिक कंपनियों में समिति के पदों के संबंध में आवश्यक खुलासे निदेशकों द्वारा किए गए हैं। कोयला मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने वाले सरकारी नामित निदेशक, कोयला मंत्रालय के अधिकारी नहीं रहने पर या भारत सरकार के अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, बोर्ड से सेवानिवृत्त हो जाते हैं।

स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है। स्वतंत्र निदेशकों ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(6) और लिस्टिंग विनियम, 2015 के विनियम 16(बी) में निर्दिष्ट स्वतंत्रता की शर्तों को पूरा किया है।

2.4 बोर्ड की बैठकें

वर्ष 2022-23 में कुल घ्यारह (11) बोर्ड की बैठकें दिनांक 07.04.22, 29.04.22, 25.05.22, 02.06.22, 15.06.22, 08.07.22, 10.08.22, 21.10.22, 07.11.22, 04.01.23 और 31.01.23 को आयोजित की गई थीं।

वर्ष 2022-23 के दौरान निदेशकों और स्थायी आमंत्रितों द्वारा भाग ली गई बोर्ड बैठकों की संख्या, जिसमें पिछली वार्षिक आम बैठक में उपस्थिति, अन्य निदेशक पद की संख्या आदि शामिल थे, जो इस प्रकार है:

क्र. सं.	नाम	दिनांक 31.03.2023 की अवधि तक	पदनाम	22-23 के दौरान उपस्थित बोर्ड बैठकों की संख्या	30.08.22 को आयोजित पिछली एजीएम में भाग लिया	31.3.2023 तक सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनियों में अन्य निदेशक पद की संख्या
1	श्री प्रमोद अग्रवाल	02.01.20 से 31.03.23 तक	अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक	11	हाँ	शून्य
2	श्री प्रमोद अग्रवाल	29.12.21 से 28.12.22 तक	निदेशक (वित्त) - अतिरिक्त प्रभार	9	लागू नहीं	शून्य

क्र. सं.	नाम	दिनांक 31.03.2023 की अवधि तक	पदनाम	22-23 के दैरान उपस्थित बोर्ड बैठकों की संख्या	30.08.22 को आयोजित पिछली एजीएम में भाग लिया	31.3.2023 तक सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनियों में अन्य निदेशक पद की संख्या
3	श्री एस.एन.तिवारी	01.12.19 से 30.04.22 तक	निदेशक (विपणन)	1	लागू नहीं	शून्य
4	श्री विनय रंजन	28.07.21 से 31.03.23 तक	निदेशक (कार्मिक)	11	हाँ	शून्य
5	डॉ बी वीरा रेड्डी	01.02.22 से 31.03.23 तक	निदेशक (तकनीकी)	11	हाँ	शून्य
6	डॉ बी वीरा रेड्डी	29.12.22 से 31.03.23 तक	निदेशक (वित्त) - अतिरिक्त प्रभार	2	लागू नहीं	शून्य
7	डॉ बी वीरा रेड्डी	01.05.22 से 22.12.22 तक	निदेशक (विपणन) - अतिरिक्त प्रभार	7	लागू नहीं	शून्य
8	श्री देबाशीष नंदा	11.07.22 से 31.03.23 तक	निदेशक (व्यवसाय विकास)	5	हाँ	शून्य
9	श्री मुकेश चौधरी	23.12.22 से 31.03.23 तक	निदेशक (विपणन)	2	लागू नहीं	शून्य
10	श्री वी.के.तिवारी	29.11.19 से 21.02.23 तक	अंशकालिक आधिकारिक निदेशक	8	हाँ	शून्य
11	श्री नागराजू मद्दीराला	22.02.23 से 31.03.23 तक	अंशकालिक आधिकारिक निदेशक	-	लागू नहीं	शून्य
12	श्रीमती निरुपमा कोटरू	15.06.21 से 31.03.23 तक	अंशकालिक आधिकारिक निदेशक	6	नहीं	1
13	प्रो. जी. नागेश्वर राव	01.11.21 से 31.03.23 तक	स्वतंत्र निदेशक	11	हाँ	शून्य
14	डॉ अरुण कुमार उराँव	05.11.21 से 31.03.23 तक	स्वतंत्र निदेशक	11	हाँ	शून्य
15	सीए कामेश कांत आचार्य	02.11.21 से 31.03.23 तक	स्वतंत्र निदेशक	11	हाँ	शून्य
16	सीए दिनेश सिंह	01.11.21 से 31.03.23 तक	स्वतंत्र निदेशक	11	हाँ	शून्य
17	श्री पुनमभाई कलाभाई मकवाणा	02.11.21 से 31.03.23 तक	स्वतंत्र निदेशक	11	हाँ	शून्य
18	श्री बी. राजेशचंद्र	01.11.21 से 31.03.23 तक	स्वतंत्र निदेशक	11	हाँ	शून्य
19	कैप्टन घनश्याम सिंह राठौड़	01.03.23 से 31.03.23 तक	स्वतंत्र निदेशक	-	लागू नहीं	शून्य

क्रमांक-2: 28.12.22 से निदेशक (वित्त) - अतिरिक्त प्रभार समाप्त।

क्रमांक-3: 30.04.22 से निदेशक (विपणन) का पद समाप्त।

क्रमांक-6: निदेशक (विपणन) - अतिरिक्त, प्रभार (01.05.22 से
22.12.22 तक)।

क्रमांक-7: निदेशक (वित्त) - 29.12.22 से अतिरिक्त प्रभार।

क्रमांक-8: 11.07.22 से निदेशक (व्यवसाय विकास) के रूप में
नियुक्त।

क्रमांक-9: 23.12.22 से निदेशक (विपणन) के रूप में नियुक्त।

क्रमांक-10: 21.02.23 से सरकार द्वारा नामित निदेशक नहीं रहे।

क्रमांक-11: 22.02.23 से सरकार द्वारा नामित निदेशक के रूप में
नियुक्त।

क्रमांक-19: 01.03.23 से स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त।

2.5 निदेशक मंडल के समक्ष रखी गई सूचना:

कंपनी सूचीकरण विनियम, 2015 की अनुसूची II के भाग ए में उल्लिखित विनियम 17 (7) में निर्धारित जानकारी बोर्ड को उस सीमा तक प्रदान करती है जहाँ तक यह लागू और प्रासंगिक है। बोर्ड के पास कंपनी के भीतर किसी भी जानकारी तक पूरी पहुंच है। बोर्ड को नियमित रूप से प्रदान की जाने वाली सूचना में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित तथ्य शामिल हैं:

क) वार्षिक परिचालन योजनाएं और बजट एवं अन्य अपडेट।

ख) पूँजी बजट एवं अन्य बजट।

ग) कंपनी और उसके परिचालन प्रभागों या व्यावसायिक खंडों के तिमाही वित्तीय परिणाम।

- घ) लेखापरीक्षा समिति और बोर्ड की अन्य समितियों की बैठकों का कार्यवृत्।
- ङ) मुख्य वित्तीय अधिकारी और कंपनी सचिव की नियुक्ति या निष्कासन सहित निदेशक मंडल के स्तर से ठीक नीचे के वरिष्ठ अधिकारियों की भर्ती और पारिश्रमिक पर जानकारी, यदि कोई हो।
- च) कारण बताओ, मांग, अभियोजन नोटिस और दंड नोटिस जो भौतिक रूप से महत्वपूर्ण हैं।
- छ) घातक या गंभीर दुर्घटनाएँ, खतरनाक घटनाएँ, कोई भी सामग्री प्रवाह या प्रदूषण समस्याएँ।
- ज) कंपनी के प्रति और उसके द्वारा वित्तीय दायित्वों में कोई महत्वपूर्ण चूक, या कंपनी द्वारा बेची गई वस्तुओं के लिए पर्याप्त गैर-भुगतान।
- झ) कोई भी मुद्रा, जिसमें महत्वपूर्ण प्रकृति के संभावित सार्वजनिक या उत्पाद दायित्व दावे शामिल हों, जिसमें कोई निर्णय या आदेश शामिल हो, जिसने सूचीबद्ध इकाई के आचरण पर सख्ती बरती हो या किसी अन्य उद्यम के संबंध में प्रतिकूल दृष्टिकोण अपनाया हो, जिसका सूचीबद्ध इकाई पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।
- ज) किसी संयुक्त उद्यम या सहयोग समझौते का विवरण।
- ट) ऐसे लेनदेन जिनमें सद्व्यवहार, ब्रांड इकिटी या बौद्धिक संपदा के लिए पर्याप्त भुगतान शामिल है।
- ठ) महत्वपूर्ण श्रमिक समस्याएँ और उनके प्रस्तावित समाधान। मानव संसाधन/आवृद्धीगिक संबंध के मोर्चे पर कोई महत्वपूर्ण विकास जैसे वेतन समझौते पर हस्ताक्षर, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का कार्यान्वयन आदि।
- ड) निवेश, यदि कोई हो, सहायक कंपनियों की बिक्री, ऐसी परिसंपत्तियाँ जो भौतिक प्रकृति की हों तथा व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम में न हों।
- ढ) विदेशी मुद्रा एक्सपोज़र का ट्रैमासिक विवरण और प्रतिकूल विनियम दर उतार-चढ़ाव के जोखिमों को सीमित करने के लिए प्रबंधन द्वारा उठाए गए कदम, यदि आवश्यक हो।
- ण) किसी भी नियामक, वैधानिक या लिस्टिंग आवश्यकताओं और शेयरधारकों की सेवा जैसे लाभांश का भुगतान न करना, शेयर हस्तांतरण में विलंब आदि का अनुपालन न करना।

2.6 निदेशक मंडल की समितियाँ

बोर्ड ने सेबी (एलओडीआर) विनियम 2015 और कंपनी अधिनियम 2013 के तहत आवश्यकतानुसार निम्नलिखित वैधानिक समितियों का गठन किया था :-

- लेखापरीक्षा समिति।
- नामांकन और पारिश्रमिक समिति।
- हितधारक संबंध समिति।
- जोखिम प्रबंधन समिति।
- कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति।
- स्वतंत्र निदेशक समिति।
- शेयर स्थानांतरण समिति।

इसके अलावा, सीआईएल की निम्नलिखित दो गैर-वैधानिक समितियाँ हैं

- शेयर स्थानांतरण समिति।
- परियोजनाओं के मूल्यांकन, मूल्यांकन और अनुमोदन के लिए अधिकार प्राप्त उप-समिति।

अन्य बिंदुएँ:

- सुश्री निरुपमा कोटुर दिनांक 26.07.2021 से सूचीबद्ध कंपनी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में सरकार द्वारा नामित निदेशक पद पर कार्यरत है। इसके अलावा वे वेदांता लिमिटेड की सहायक कंपनी बीएलसीओ लिमिटेड में भी नामित निदेशक है।
- जैसा कि कंपनी अधिनियम 13 की धारा 149(7) और सेबी (एलओडीआर) विनियम 2015 के विनियम 25(8) के तहत आवश्यक है, 7 स्वतंत्र निदेशकों ने घोषणा प्रस्तुत की थी कि वे विनियम 16(1) के खंड (बी) में प्रदान किए गए स्वतंत्रता मानदंड को पूरा करते हैं और वे किसी भी परिस्थिति या स्थिति से अवगत नहीं हैं, जो मौजूद है या उचित रूप से प्रत्याशित हो सकता है जो उद्देश्यपूर्ण स्वतंत्र निर्णय के साथ और बिना किसी बाहरी प्रभाव के अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने की उनकी क्षमता को ख़राब या प्रभावित कर सकता है।
- जैसा कि संशोधित एलओडीआर 2015 के विनियम 25(9) के तहत आवश्यक है, कंपनी के निदेशक मंडल ने विनियम 25(8) के तहत स्वतंत्र निदेशकों द्वारा प्रस्तुत घोषणा और पुष्टि की सत्यता का उचित मूल्यांकन करने के बाद इसे रिकॉर्ड में ले लिया। निदेशक मंडल ने 19 अप्रैल 2023 को आयोजित अपनी 450वीं बोर्ड बैठक में स्वतंत्र निदेशकों द्वारा प्रस्तुत घोषणा की सत्यता का उचित मूल्यांकन करने के बाद इसे रिकॉर्ड में लिया। सीआईएल बोर्ड ने यह भी पुष्टि की है कि उसकी राय में, स्वतंत्र निदेशक सेबी (एलओडीआर) नियमों में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करते हैं और प्रबंधन से स्वतंत्र हैं।
- कंपनी में कोई भी निदेशक एक-दूसरे से संबंधित नहीं है।
- कोल इंडिया लिमिटेड के कोई इकिटी शेयर गैर-कार्यकारी निदेशकों के पास नहीं हैं। इसके अलावा, कंपनी ने कोई परिवर्तनीय लिखत-पत्र जारी नहीं किया है।
- कंपनी के किसी भी स्वतंत्र निदेशक ने अपने कार्यकाल की समाप्ति से पहले इस्तीफा नहीं दिया है।
- जैसा कि सेबी (एलओडीआर) विनियम 2015 द्वारा निर्धारित किया गया है, प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए अपने व्यवसाय और क्षेत्र के संदर्भ में आवश्यक निदेशक मंडल द्वारा पहचाने गए निदेशक मंडल के मुख्य कौशल/विशेषज्ञता/क्षमता की सूची और जो वास्तव में उपलब्ध हैं बोर्ड इस प्रकार है:-

 - कार्यकारी नेतृत्व
 - प्रशासनिक अनुभव
 - वित्तीय कौशल
 - क्षेत्रीय/डोमेन ज्ञान
 - विपणन ज्ञान
 - मानव संसाधन प्रबंधन
 - परियोजना निर्माण और प्रबंधन
 - कार्यनीति/जोखिम प्रबंधन
 - व्यावसायिक स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण

इसे 6 जुलाई 2019 को आयोजित 386वीं बैठक में बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया था। इसके अलावा 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष से, उन निदेशकों के नामों का खुलासा किया जाना है जिनके पास आवश्यक कौशल/विशेषज्ञता/क्षमता है। कंपनी बोर्ड ने 19 अप्रैल 2023 को आयोजित अपनी 450वीं बैठक में वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए इसे नियमित घोषित किया है:

निदेशक का नाम	कौशल/विशेषज्ञता/क्षमता						रणनीति/ जारीबन्ध प्रबंधन	परियोजना निर्माण एवं प्रबंधन	मानव संसाधन प्रबंधन	विषयान ज्ञान	क्षेत्रीय कृशग्रामा डोमेन ज्ञान	शासन का अनुभव	कार्यपालक नेतृत्व
	कार्यपालक नेतृत्व	शासन का अनुभव	वित्तीय कृशग्रामा	क्षेत्रीय डोमेन ज्ञान	विषयान ज्ञान	मानव संसाधन प्रबंधन							
श्री प्रमोद अग्रवाल	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	
श्री ची क तिवारी (तक 22.02.23)	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✓	
श्रीमती निश्चया कोट्ट	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✗	
श्री एस एन तिवारी (तक 30.04.22)	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	
श्री विनय रंजन	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	
डॉ बी. वीरा रेण्टी	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✓	
प्रो. नगेश्वर राव गोलापल्ली	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
सीए दिनेश सिंह	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	
श्री भोजराजन राजेश चंद्र	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	
सीए कामेश कांत आचार्य	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	
श्री पुनमभाई कालाभाई मकवाना	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	
डॉ अरुण कुमार औरांव	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
श्री देवाशीष नंदा (से 11.07. 22)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
श्री मुकेश चौधरी (23.12.22 से)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	
श्री नागराजू मद्दिगला (से 22.02.23)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
श्री घनश्याम सिंह गढ़ेड (से 01.03.23)	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

3. लेखा परीक्षा समिति

(क) संदर्भित शर्तों का संक्षिप्त विवरण

कॉर्पोरेट प्रशासन में उत्कृष्टता के अनुसरण में सीआईएल ने 20 जुलाई, 2001 से अपने निदेशक मंडल की एक लेखा परीक्षा समिति का गठन किया और 12 नवंबर, 2021 को आयोजित अपनी 433वीं बैठक में बोर्ड द्वारा लेखा परीक्षा समिति का पुनर्गठन किया गया, जिसमें 4 स्वतंत्र निदेशक, एक सरकारी नामित निदेशक, एक पूर्णकालिक निदेशक (तकनीकी निदेशक) और एक स्थायी आमंत्रित (वित्त निदेशक) शामिल थे। संरचना, कोरम, शक्तियां, भूमिका और दायरा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और सेबी (एलओडीआर) 2015 के विनियम 18 के प्रावधानों के अनुसार हैं।

निदेशक (वित्त), ई.डी. (वित्त)/सीएफओ, जी.एम. (आंतरिक लेखापरीक्षा) और वैधानिक लेखापरीक्षकों जहाँ भी अनिवार्य हो को लेखापरीक्षा समिति की बैठक में आमंत्रित किया जाता है। लिस्टिंग विनियमों के विनियम 18(1)(ई) के अनुसार कंपनी सचिव समिति का सचिव है। आवश्यकता पड़ने पर समिति को आवश्यक स्पष्टीकरण प्रदान करने के लिए वरिष्ठ कार्यात्मक अधिकारियों को भी आमंत्रित किया जाता है। आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग लेखापरीक्षा समिति की बैठक आयोजित करने और संचालित करने के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करता है।

ख) लेखापरीक्षा समिति की संरचना, बैठकें और उपस्थिति।

वर्ष 2022-23 के दौरान नौ (9) लेखा परीक्षा समिति की बैठकें दिनांक 17.05.22, 25.05.22, 05.07.22, 10.08.22, 22.09.22, 07.11.22, 21.12.22, 31.01.23 और 17.03.23 को आयोजित की गई। विवरण निम्नानुसार है:

क्र. सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	पद-स्थिति	उपस्थित बैठकों की संख्या
1	सीए कामेश कांत आचार्य	स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष	9
2	सीए दिनेश सिंह	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	9
3	श्री भोजराजन राजेश चंद्र	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	8
4	प्रोफेसर नागेश्वर राव गोलापली	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	9
5	श्रीमती निरुपमा कोटरू	सरकार द्वारा नामित निदेशक	सदस्य	6
6	श्री बी वीरा रेड्डी	निदेशक (तकनीकी)	सदस्य (01.02.22 से)	8

(ग) लेखा परीक्षा समिति का कार्यक्षेत्रः -

लेखा परीक्षा समिति की भूमिका में निम्नलिखित शामिल होंगे:

- 1) सूचीबद्ध इकाई की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की निगरानी और इसकी वित्तीय जानकारी का प्रकटीकरण यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया कि वित्तीय विवरण सही, पर्याप्त और विश्वसनीय है;
- 2) सूचीबद्ध इकाई के लेखा परीक्षकों की नियुक्ति, पारिश्रमिक और नियुक्ति की शर्तों के लिए सिफारिश;
- 3) वैधानिक लेखापरीक्षकों द्वारा प्रदान की गई किसी अन्य सेवा के लिए वैधानिक लेखापरीक्षकों को भुगतान की मंजूरी;
- 4) अनुमोदन के लिए बोर्ड को प्रस्तुत करने से पहले, विशेष संदर्भ में, प्रबंधन के साथ वार्षिक वित्तीय विवरण और उस पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करना:
 - क) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 की उप-धारा (3) के खंड (सी) के संदर्भ में निदेशक के उत्तरदायित्व विवरण में शामिल किए जाने वाले मामलों को बोर्ड की रिपोर्ट में शामिल किया जाना आवश्यक है;
 - ख) लेखांकन नीतियों और प्रथाओं और उनके कारणों में परिवर्तन, यदि कोई हो,;
 - ग) प्रबंधन द्वारा निर्णय के अभ्यास के आधार पर अनुमानों को शामिल करने वाली प्रमुख लेखा प्रविष्टियाँ;
 - घ) लेखा परीक्षा निष्कर्षों से उत्पन्न वित्तीय विवरणों में किए गए महत्वपूर्ण समायोजन;
 - ड) वित्तीय विवरणों से संबंधित लिस्टिंग और अन्य कानूनी आवश्यकताओं का अनुपालन;
 - च) किसी भी संबंधित पक्ष के लेनदेन का प्रकटीकरण;
 - छ) मसौदा लेखा परीक्षा रिपोर्ट में संशोधित राय;
- 5) अनुमोदन के लिए बोर्ड को प्रस्तुत करने से पहले प्रबंधन के साथ तिमाही वित्तीय विवरणों की समीक्षा करना;
- 6) प्रबंधन के साथ किसी मुद्दे (सार्वजनिक मुद्दा, अधिकारिक मुद्दा, अधिमान्य मुद्दा आदि) के माध्यम से जुटाई गई निधियों के उपयोग/आवेदन का विवरण, प्रस्ताव दस्तावेज/विवरण-पुस्तिका/सूचना में उल्लिखित उद्देश्यों के अलावा अन्य प्रयोजनों के लिए उपयोग की गई निधियों का विवरण और किसी सार्वजनिक मुद्दा की आय के उपयोग की निगरानी करने वाली निगरानी एजेंसी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की समीक्षा करना, और इस मामले में कदम उठाने के लिए बोर्ड को उचित सिफारिशें करना;
- 7) लेखा परीक्षक की स्वतंत्रता और प्रदर्शन, और लेखा परीक्षा प्रक्रिया की प्रभावशीलता की समीक्षा और निगरानी;

- 8) संबंधित पक्षों के साथ सूचीबद्ध इकाई के लेनदेन का अनुमोदन या बाद में कोई संशोधन;
- 9) अंतर-कॉर्पोरेट ऋणों और निवेशों की जाँच;
- 10) सूचीबद्ध इकाई के उपक्रमों या परिसंपत्तियों का मूल्यांकन, जहाँ भी आवश्यक हो;
- 11) आंतरिक वित्तीय नियंत्रण और जोखिम प्रबंधन प्रणालियों का मूल्यांकन;
- 12) प्रबंधन, वैधानिक और आंतरिक लेखा परीक्षकों के प्रदर्शन के साथ, आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की पर्याप्तता की समीक्षा;
- 13) आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य की पर्याप्तता की समीक्षा करना, यदि कोई हो, जिसमें आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग की संरचना, स्टार्फिंग और विभाग का नेतृत्व करने वाले अधिकारी की वरिष्ठता, रिपोर्टिंग संरचना कवरेज और आंतरिक लेखापरीक्षा की आवृत्ति शामिल है ;
- 14) किसी भी महत्वपूर्ण निष्कर्ष पर आंतरिक लेखा परीक्षकों के साथ चर्चा करना और उस पर अनुवर्ती कार्रवाई करना;
- 15) ऐसे मामलों में आंतरिक लेखा परीक्षकों द्वारा किसी भी आंतरिक जांच के निष्कर्षों की समीक्षा करना जहाँ संदिग्ध धोखाधड़ी या अनियमितता या भौतिक प्रकृति की आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की विफलता है और बोर्ड को मामले की रिपोर्ट करना;
- 16) लेखा परीक्षा शुरू होने से पहले सांविधिक लेखा परीक्षा के साथ लेखा परीक्षा की प्रकृति और दायरे के बारे में चर्चा के साथ-साथ मामले के किसी भी क्षेत्र का पता लगाने के लिए लेखा परीक्षा के बाद की चर्चा;
- 17) जमाकर्ताओं, डिबेंचर धारकों, शेयरधारकों (घोषित लाभांश का भुगतान न करने के मामले में) और लेनदारों को भुगतान में पर्याप्त चूक के कारणों की जांच करना;
- 18) क्विसिल ब्लोअर मशीन की कार्यप्रणाली की समीक्षा करना;
- 19) उम्मीदवार की योग्यता, अनुभव और पृष्ठभूमि आदि का आकलन करने के बाद मुख्य वित्तीय अधिकारी की नियुक्ति को मंजूरी दी जाती है;
- 20) लेखापरीक्षा समिति के संदर्भ की शर्तों में उल्लिखित कोई अन्य कार्य करना.
- 21) इस प्रावधान के लागू होने की तारीख तक मौजूदा ऋणों/अग्रिमों/निवेशों सहित 100 करोड़ रुपये या सहायक कंपनी के परिसंपत्ति आकार के 10 प्रतिशत, जो भी कम हो, से अधिक के ऋण और/या अग्रिम/निवेश के उपयोग की समीक्षा करना।
- 22) सूचीबद्ध इकाई और उसके शेयरधारकों पर विलय, विघटन, समाप्तेन आदि से जुड़ी योजनाओं के औचित्य, लागत-लाभ और प्रभाव पर विचार करना और टिप्पणी करना।
- 23) नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा की गई लेखा परीक्षा टिप्पणियों पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा करना;
- 24) संसद की सार्वजनिक उपक्रम समिति (सीओपीयू) की सिफारिशों पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा;

- 25) सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरण की समीक्षा;
- 26) इनसाइडर ट्रेडिंग कोड के निषेध के अनुपालन की समीक्षा करें;
- 27) सीईओ/सीएफओ द्वारा वित्तीय विवरणों की घोषणा की समीक्षा करना

(घ) लेखा परीक्षा समिति की सूचना की समीक्षा:

लेखा परीक्षा समिति अनिवार्य रूप से निम्नलिखित सूचनाओं की समीक्षा करेगी:

- (1) प्रबंधन चर्चा और वित्तीय स्थिति और संचालन के परिणामों का विश्लेषण;
- (2) वैधानिक लेखापरीक्षकों द्वारा जारी प्रबंधन पत्र/आंतरिक नियंत्रण कमजोरियों के पत्र;
- (3) आंतरिक नियंत्रण कमजोरियों से संबंधित आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट; और
- (4) मुख्य आंतरिक लेखा परीक्षक की नियुक्ति, निष्कासन और पारिश्रमिक की शर्तें लेखा परीक्षा समिति द्वारा समीक्षा के अधीन होंगी।
- (5) विचलन का विवरण:
 - क) यदि लागू हो तो जाँच एंजेंसी की रिपोर्ट सहित विचलन(ओं) का त्रैमासिक विवरण, विनियम 32(1) के अनुसार स्टॉक एक्सचेंज को प्रस्तुत किया गया।
 - ख) विनियम 32(7) के अनुसार प्रस्ताव दस्तावेज/विवरण-पुस्तिका/सूचना में उल्लिखित उद्देश्यों के अलावा अन्य प्रयोजनों के लिए उपयोग की गई निधियों का वार्षिक विवरण।

4. नामांकन और पारिश्रमिक समिति

(क) संदर्भित शर्तों का संक्षिप्त विवरण

सीआईएल एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम होने के नाते, कार्यात्मक निदेशकों की नियुक्ति और कार्यकाल भारत सरकार द्वारा किया जाता है। इनका पारिश्रमिक भी भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। सीआईएल निदेशक मंडल द्वारा 10 अप्रैल, 2009 को आयोजित अपनी 249वीं बैठक में एक पारिश्रमिक समिति का गठन किया गया था। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 के अनुपालन में, बोर्ड ने 14 जुलाई, 2014 को आयोजित अपनी 303 वीं बैठक में “पारिश्रमिक समिति” का नाम बदलकर “नामांकन और पारिश्रमिक समिति” कर दिया था। इस समिति को पिछली बार 12 नवंबर, 2021 को आयोजित 433 वें बोर्ड में फिर से गठित किया गया था, जिसमें तीन स्वतंत्र निदेशक और एक स्थायी आमंत्रित (निदेशक, पी एंड आईआर) शामिल थे;.

(ख) संरचना, सदस्यों और अध्यक्ष का नाम और बैठक का विवरण

नामांकन और पारिश्रमिक समिति की संरचना कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 और सेबी एलओडीआर 2015 के विनियम 19 के प्रावधानों के अनुसार है।

वर्ष 2022-23 के दौरान, एक (1) नामांकन और पारिश्रमिक बैठक दिनांक 27.07.22 को आयोजित की गई थी। विवरण निम्नानुसार हैं:

क्र.सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	पद-स्थिति	उपस्थित बैठकें
1.	प्रो. जी नागेश्वर राव	स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष	1
2.	सीए कमेश कांत आचार्य	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	1
3.	डॉ. अरुण कुमार उराँव	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	1
4.	श्री विनय रंजन	निदेशक (पी एंड आईआर), सीआईएल	स्थायी आमंत्रित सदस्य	1

(ग) नामांकन और पारिश्रमिक समिति की भूमिका:

समिति की भूमिका में, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित शामिल होंगे:

1. एक निदेशक की योग्यता, सकारात्मक गुण और स्वतंत्रता का निर्धारण करने के लिए मानदंड तैयार करना और निदेशक मंडल को निदेशकों, प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों और अन्य कर्मचारियों के पारिश्रमिक से संबंधित एक नीति की सिफारिश करना।;
13. एक स्वतंत्र निदेशक की प्रत्येक नियुक्ति के लिए, नामांकन और पारिश्रमिक समिति बोर्ड में कौशल, ज्ञान और अनुभव के संतुलन का मूल्यांकन करेगी और इस तरह के मूल्यांकन के आधार पर, एक स्वतंत्र निदेशक के लिए आवश्यक भूमिका और क्षमताओं का विवरण तैयार करेगी। स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए बोर्ड को अनुशंसित व्यक्ति के पास ऐसे विवरण में पहचानी गई क्षमताएं होंगी। समिति उपयुक्त उम्मीदवारों की पहचान करने के उद्देश्य से निम्नांकित बातों पर ध्यान देगी:
 - र) यदि आवश्यक हो तो बाहरी एजेंसियों की सेवाओं का उपयोग करें;
 - ल) विविधता को उचित सम्मान देते हुए विभिन्न पृष्ठभूमियों के उम्मीदवारों पर विचार करें; और
 - ल) उम्मीदवारों की समय प्रतिबद्धताओं पर विचार करें.
2. स्वतंत्र निदेशकों और निदेशक मंडल के प्रदर्शन के मूल्यांकन के लिए मानदंड तैयार करना;
3. निदेशक मंडल की विविधता पर एक नीति तैयार करना;
4. ऐसे व्यक्तियों की पहचान करना जो निदेशक बनने के लिए योग्य हैं और जिन्हें निर्धारित मानदंडों के अनुसार वरिष्ठ प्रबंधन में नियुक्त किया जा सकता है, और निदेशक मंडल को उनकी नियुक्ति और हटाने की सिफारिश करना।
5. स्वतंत्र निदेशकों के प्रदर्शन मूल्यांकन की रिपोर्ट के आधार पर स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति की अवधि बढ़ाई जाए या जारी रखी जाए।
6. वरिष्ठ प्रबंधन को देय सभी पारिश्रमिक, चाहे किसी भी रूप में हों, बोर्ड को सिफारिश करें.

(घ) स्वतंत्र निदेशकों के लिए प्रदर्शन मूल्यांकन मानदंड:

एमसीए ने दिनांक 5 जुलाई 2017 की अधिसूचना के जरिए सरकारी कंपनियों को इससे छूट दी है

5 हितधारक संबंध समिति।

(क) संदर्भित शर्तों का संक्षिप्त विवरण

दिनांक 05-08-2010 को आयोजित 258वीं बैठक में लिस्टिंग समझौते के अनुसरण में सीआईएल निदेशक मंडल द्वारा शेयरधारकों/निवेशकों की शिकायत समिति का गठन किया गया था। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178(5) और लिस्टिंग समझौते के प्रावधानों के अनुपालन में, बोर्ड ने 29 मई 2014 को आयोजित अपनी 307वीं बोर्ड बैठक में “शेयरधारकों/निवेशकों की शिकायत समिति” का नाम बदलकर “हितधारक संबंध समिति” कर दिया था।

दिनांक 12 नवंबर 2021 को आयोजित 433वीं बोर्ड बैठक में समिति का पुनर्गठन किया गया, जिसमें 1 स्वतंत्र निदेशक और दो कार्यात्मक निदेशक शामिल थे। सीआईएल बोर्ड में निदेशक (व्यवसाय विकास) के रूप में श्री देबाशीष नंदा की नियुक्ति के बाद दिनांक 10 अगस्त 2022 को आयोजित 445वीं बोर्ड बैठक में समिति का फिर से गठन किया गया।

हितधारक संबंध समिति का गठन कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 178(5) की पठित सेबी लिस्टिंग विनियमों के विनियम 20 के प्रावधानों के अनुरूप किया गया है।

(ख) हितधारक संबंध समिति की भूमिका में निम्नलिखित बिंदुएँ शामिल हैं:

- (1) सूचीबद्ध इकाई के सुरक्षा धारकों की शिकायतों का समाधान करना, जिसमें शेयरों के हस्तांतरण/संचरण, वार्षिक रिपोर्ट न मिलना, घोषित लाभांश न मिलना, नए/डुप्लिकेट प्रमाणपत्र जारी करना, सामान्य बैठकें आदि से संबंधित शिकायतें शामिल हैं।
- (2) शेयरधारकों द्वारा मताधिकार के प्रभावी प्रयोग के लिए किए गए उपायों की समीक्षा।
- (3) रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट द्वारा प्रदान की जा रही विभिन्न सेवाओं के संबंध में सूचीबद्ध इकाई द्वारा अपनाए गए सेवा मानकों के पालन की समीक्षा।
- (4) अस्वीकृत लाभांश की मात्रा को कम करने और कंपनी के शेयरधारकों द्वारा लाभांश वारंट/वार्षिक रिपोर्ट/सांविधिक नोटिसों की समय पर प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए सूचीबद्ध इकाई द्वारा किए गए विभिन्न उपायों और पहलों की समीक्षा।

(ग) संरचना, समिति का नेतृत्व करने वाले गैर-कार्यकारी निदेशक का नाम और बैठक का विवरण

वर्ष 2022-23 के दौरान, एक (1) हितधारक संबंध समिति की बैठक दिनांक 22.08.22 को आयोजित की गई थी।

इस समिति में निम्नलिखित निदेशक शामिल थे और उनकी उपस्थिति निम्नानुसार थी:

क्र. सं.	निदेशक का नाम और दिनांक	पदनाम	सदस्य-पद	उपस्थित बैठकों की संख्या
1.	सीए. दिनेस सिंह	स्वतंत्र निदेशक और गैर कार्यकारी	अध्यक्ष	1
2.	श्री विनय रंजन	निदेशक (पी एंड आईआर)	सदस्य	1
3.	श्री प्रमोद अग्रवाल	निदेशक (वित्त) अतिरिक्त प्रभार 9 अगस्त, 2023 तक	सदस्य	0
4.	श्री देवाशीष नंदा	निदेशक (व्यवसाय विकास) - 10 अगस्त 22 से	सदस्य	1

(घ) अनुपालन अधिकारी का नाम एवं पदनाम:

श्री एम. विश्वनाथन 30 सितंबर, 2022 तक अनुपालन अधिकारी के पद पर कार्यरत थे। श्री बी.पी. दुबे को दिनांक 01 अक्टूबर, 2022 से अनुपालन अधिकारी के पद पर नियुक्त किये गए।

(ङ) निवेशकों की शिकायतों का निवारण:

कंपनी निवेशकों की सभी शिकायतों और शिकायतों को शीघ्रता से संबोधित करती है और तथ्यों या अन्य कानूनी बाधाओं पर विवाद के मामले को छोड़कर आमतौर पर 7 दिनों के भीतर समस्या का समाधान करती है। शिकायतों पर कंपनी/आरटीए द्वारा विधिवत कार्रवाई की गई।

(च) शिकायतों का निपटान

निवेशक नीचे बताए गए तरीके से अपनी शिकायतें दर्ज कर सकते हैं: -

क्र.सं.	शिकायत की प्रकृति	संपर्क अधिकारी
1	वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2022-23 तक लाभांश और भौतिक मोड में रखे गए शेयर भौतिक शेयरों के लिए: पता, स्थिति, बैंक खाता, ईसीएस अधिदेश आदि में परिवर्तन।	मैसर्स अलंकित असाइनमेंट लिमिटेड 205-208 अनारकली कॉम्प्लेक्स झंडेवालान एक्सटेंशन नई दिल्ली - 110 055 फ़ोन नंबर: 011-4254-1234/2354-1234 फैक्स नंबर: 011-4154-3474 ई-मेल आईडी: rta@alankit.com टोल फ्री नंबर-1860-121-2155 वेबसाइट- www.alankit.com
2	शेयरों के डीमैट के लिए: - पता, स्थिति, बैंक खाता, ईसीएस जनादेश आदि में परिवर्तन।	संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागी (डीपी) जहां शेयरधारक अपना खाता बनाए हुए हैं
3	क्र.सं. 1 और 2 को छोड़कर सभी शिकायतें	कंपनी सचिव, कोल इंडिया लिमिटेड, कोयला भवन, तीसरी मंजिल, कोर-2, न्यूटाउन राजारहाट, कोलकाता-700156 फोन नंबर-0332324-5555 / 033-7110-4286 ईमेल- complianceofficer.cil@coalindia.in CIN-L23109WB1973GOI028844

(छ) निवेशक संबंध कक्ष

वैश्विक प्रथाओं के अनुरूप, कंपनी और उसके शेयरधारकों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए कॉर्पोरेट शासन के उच्चतम मानकों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। निवेशकों और विश्लेषकों द्वारा नित्य आवश्यक जानकारी कंपनी की कॉर्पोरेट वेबसाइट पर www.coalindia.in "निवेशक केंद्र" के तहत उपलब्ध है। यह वेबसाइट निवेशक-संबंधित घटनाओं और प्रस्तुतियों, लाभांश की जानकारी और शेयरधारिता पैटर्न आदि पर अपडेट प्रदान करती है। वित्तीय विवरण और वार्षिक रिपोर्ट पर अपडेट मप्रदर्शन/वित्तीयफ टैब के अंतर्गत उपलब्ध हैं। कंपनी हितधारकों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए आवश्यक अन्य कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

(ज) 31.03.2023 को दावा न किए गए लाभांश की स्थिति और आईपीएफ में स्थानांतरण की देय तिथि: -

विवरण	राशि (रुपये में)	आईपीएफ में स्थानांतरण की नियत तिथि
प्रथम अंतरिम 2016-17	15646122.50	05.04.2024
द्वितीय अंतरिम 2016-17	1927920.50	25.04.2024
अंतरिम लाभांश 2017-18	9268427.00	09.04.2025
प्रथम अंतरिम लाभांश 2018-19	9501395.00	19.01.2026
द्वितीय अंतरिम लाभांश 2018-19	7643960.00	13.04.2026
अंतरिम लाभांश 2019-2020	14993089.00	11.04.2027
प्रथम अंतरिम लाभांश 2020-21	9844375.00	10.12.2027
द्वितीय अंतरिम लाभांश 2020-21	8303210.00	04.04.2028
अंतिम लाभांश 2020-21	6545192.00	14.10.2028
प्रथम अंतरिम लाभांश 2021-22	12712692.00	28.12.2028
द्वितीय अंतरिम लाभांश 2021-22	9830726.00	13.03.2029
अंतिम लाभांश 2021-22	6094441.00	29.09.2029
प्रथम अंतरिम लाभांश 2022-23	18644700.00	06.12.2029
द्वितीय अंतरिम लाभांश 2022-23	11307581.00	02.03.2030

वर्ष 2015-16 के लिए अंतरिम लाभांश राशि रु. 1,61,82,451/- रुपये 17 अप्रैल 2023 को आईपीएफ खाते में स्थानांतरित किए गए। इसके अतिरिक्त, 32520 शेयर जिनके संबंध में लाभांश पिछले 7 वर्षों से दावा नहीं किया गया था, उन्हें भी दिनांक 28.04.23 को आईपीएफ खाते में स्थानांतरित कर दिया गया था। इसका विवरण सीआईएल वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। कंपनी ने संबंधित शेयरधारकों को निर्धारित समय के भीतर कंपनी/आरटीए के साथ अपने दावे दर्ज करने के लिए समय-समय पर सूचना भेजी थी अन्यथा शेयरों के साथ दावा न किए गए लाभांश को कंपनी अधिनियम 2013 के तहत आईपीएफ खाते में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

I) 2022-23 तक शिकायतों की स्थिति (तिमाहीवार):

तिमाही	प्रारम्भ	प्राप्त	हल किया	लंबित
पहली तिमाही	0	2	2	0
दूसरी तिमाही	0	4	4	0
तीसरी तिमाही	0	7	7	0
चौथी तिमाही	0	7	7	0

उपभोक्ता फोरम के मामले

वर्ष	प्रारम्भ	प्राप्त	हल किया	लंबित
2022-23	1	0	0	1*

*एटीआर उपयुक्त प्राधिकारियों के पास दायर किया गया था। उपभोक्ता अदालत के अंतिम आदेश का इंतजार है। ये सभी मामले 2010 में जारी आईपीओ से जुड़े हैं।

5क जोखिम प्रबंधन समिति.

(क) संदर्भित शर्तों का संक्षिप्त विवरण

सीआईएल निदेशक मंडल द्वारा दिनांक 20.09.2011 को आयोजित 273वीं बैठक में जोखिम मूल्यांकन और न्यूनीकरण प्रक्रिया समिति सहित कारपोरेट शासन समिति का गठन किया गया था। 29 मई 2014 को आयोजित अपनी 307वीं बैठक में सीआईएल बोर्ड द्वारा इस समिति का नाम बदलकर जोखिम प्रबंधन समिति कर दिया गया और यह सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 के विनियमन 21 के अनुरूप है। 25 मई 2022 को आयोजित 441वीं बोर्ड बैठक में 2 स्वतंत्र निदेशकों, 2 कार्यात्मक निदेशकों और 2 वरिष्ठ अधिकारियों (सीएफओ और सीआरओ) के साथ इस समिति का पुनर्गठन किया गया था।

समिति की भूमिका में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित बिंदुएँ शामिल होंगे:

- विस्तृत जोखिम प्रबंधन नीति तैयार करना जिसमें निम्नलिखित बिंदुएँ शामिल होंगे:
- सूचीबद्ध इकाई द्वारा विशेष रूप से सामना किए जाने वाले अंतरिक्त और बाहरी जोखिमों की पहचान के लिए एक

रूपरेखा, जिसमें विशेष रूप से वित्तीय, परिचालन, क्षेत्रीय, स्थिरता (विशेष रूप से, ईएसजी से संबंधित जोखिम), सूचना, साइबर सुरक्षा जोखिम या समिति द्वारा निर्धारित कोई अन्य जोखिम शामिल है।

- पहचाने गए जोखिमों के आंतरिक नियंत्रण के लिए सिस्टम और प्रक्रियाओं सहित जोखिम न्यूनीकरण के उपाय।
- व्यापार निरंतरता योजना।
- यह सुनिश्चित करना कि कंपनी के व्यवसाय से जुड़े जोखिमों की निगरानी और मूल्यांकन करने के लिए उचित कार्यप्रणाली, प्रक्रियाएं और प्रणालियां मौजूद हैं;
- जोखिम प्रबंधन प्रणालियों की पर्याप्तता का मूल्यांकन करने सहित जोखिम प्रबंधन नीति के कार्यान्वयन की निगरानी और देख-रेख करना;
- जोखिम प्रबंधन नीति की समय-समय पर समीक्षा करना, कम से कम दो वर्ष में एक बार, जिसमें उद्योग की बदलती गतिशीलता और उभरती जटिलता पर विचार करना शामिल है।

- v. निदेशक मंडल को इसकी चर्चाओं, सिफारिशों और की जाने वाली कार्रवाइयों की प्रकृति और सामग्री के बारे में सूचित करना;
- vi. मुख्य जोखिम अधिकारी की नियुक्ति, निष्कासन और पारिश्रमिक की शर्तें (यदि कोई हो) जोखिम प्रबंधन समिति द्वारा समीक्षा के अधीन होंगी
- (ख) संरचना, सदस्यों और अध्यक्ष का नाम और बैठक का विवरण

वर्ष 2022-23 के दौरान दिनांक 06.09.22 और 01.03.23 को दो (2) बैठकें आयोजित की गई, जिनमें निदेशकों की उपस्थिति निम्नानुसार थी:

क्र.सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	संबंधित पद	उपस्थित बैठकों की संख्या
1.	डॉ. अरुण कुमार उराँच	स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष	2
2.	श्री पुनमभाई कलाभाई मकवाणा	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	2
3.	श्री एस.एन. तिवारी (30.04.22 तक)	निदेशक (पी एंड आईआर)	सदस्य	-
4.	डॉ बी वीरा रेड्डी	निदेशक (तकनीकी)	सदस्य	2
5.	श्री विनय रंजन (25.05.22 से सदस्य)	निदेशक (पी एंड आईआर)	सदस्य	1
6.	श्री अंजनी कुमार	सीआरओ/जीएम (एनआई), सीआईएल	सदस्य	2
7.	श्री एस.के. मेहता	ईडी (वित्त)/सीएफओ, सीआईएल	सदस्य	2

५. शेयर स्थानांतरण समिति

22-11-2010 को आयोजित 262वीं बैठक में सीआईएल निदेशक मंडल द्वारा एक शेयर स्थानांतरण समिति का गठन किया गया था। श्री एस.एन. तिवारी निदेशक (विषयन) की सेवानिवृत्ति के बाद 25 मई 2022 को आयोजित 441वीं बोर्ड बैठक में समिति का पुनर्गठन किया गया। इस समिति को 10 अगस्त 2022 को आयोजित 445 वीं बोर्ड बैठक में 3 कार्यात्मक निदेशकों के साथ पुनर्गठित किया गया था। शेयर हस्तांतरण समिति निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार करती है -

क) शेयरों का स्थानांतरण या हस्तांतरण और

ख) विभाजन/समेकन/नवीनीकरण/डीमैट से रीमैट आदि पर डुप्लिकेट प्रमाणपत्र और नए प्रमाणपत्र जारी करना।

वर्ष 2022-23 के दौरान समिति की एक (1) बैठक दिनांक 22.12.2022 को आयोजित की गई।

शेयर ट्रांसफर समिति में निम्नलिखित निदेशक शामिल थे और उनकी उपस्थिति इस प्रकार थी :

क्र.सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	संबंधित पद	उपस्थित बैठकों की संख्या
1	श्री एस.एन. तिवारी	निदेशक (एम.के.जी.)	अध्यक्ष (01.02.2022 से 30.04.2022 तक)	-
2	श्री विनय रंजन	निदेशक (पी एंड आईआर)	अध्यक्ष (10.08.2022 से)	1
3	डॉ बी वीरा रेड्डी	निदेशक (तकनीकी)	सदस्य	1
4	श्री देवाशीष नंदा	निदेशक (व्यवसाय विकास)	सदस्य (10.08.2022 से)	1

५. ग कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति।

सीआईएल निदेशक मंडल द्वारा दिनांक 16-04-2012 को आयोजित अपनी 282वीं बैठक में सीएसआर सहित सतत विकास समिति का गठन किया गया था। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 और कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व) नियम, 2014 के अनुसरण में इस समिति का नाम बदलकर सीएसआर समिति कर दिया गया। इस समिति का पुनर्गठन 12 नवंबर 2021 को किया गया था जिसमें 2 स्वतंत्र निदेशक, 1 सरकार द्वारा नामित निदेशक और 1 कार्यात्मक निदेशक शामिल थे।

वर्ष 2022-23 के दौरान समिति की पाँच (5) बैठकें दिनांक 25.05.22, 29.07.22, 08.09.22, 08.12.22 और 17.03.23 को आयोजित की गई थी। कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल थे और उनकी उपस्थिति इस प्रकार थी :

क्र.सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	संबंधित पद	उपस्थित बैठकों की संख्या
1	श्री बी. राजेश चंद्र	स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष	5
2	श्रीमती निरुपमा कोटरू	सरकार द्वारा नामित निदेशक	सदस्य	4
3	श्री पुनमभाई कलाभाई मकवाणा	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	5
4	श्री विनय रंजन	निदेशक (पी एंड आईआर)	सदस्य	5

5घ परियोजनाओं के मूल्यांकन, समीक्षा और स्वीकृति के लिए अधिकार प्राप्त उप-समिति:

परियोजनाओं के मूल्यांकन, मूल्यांकन और अनुमोदन के लिए सीआईएल बोर्ड द्वारा परियोजनाओं के मूल्यांकन, मूल्यांकन और अनुमोदन के लिए एक अधिकार प्राप्त उप-समिति का गठन किया गया था। इस समिति का समय-समय पर पुनर्गठन किया गया और अंतिम पुनर्गठन 29 नवंबर 2021 को आयोजित 434वीं बोर्ड बैठक में किया गया था। यह कंपनी अधिनियम 13 या सूचीकरण विनियमों के अनुसार एक सांविधिक समिति नहीं है, बल्कि परियोजना रिपोर्ट को बोर्ड के समक्ष रखे जाने से पहले उसका मूल्यांकन करने में बोर्ड की सहायता करने के लिए गठित की गई है। वर्ष 2022-23 के दौरान, चार (4) उप-समिति बैठकें 22.06.22, 29.09.22, 28.11.22 और 15.02.23 को आयोजित की गईं।

5ड स्वतंत्र निदेशकों की अलग बैठक.

कंपनी अधिनियम, 2013 और सेबी लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकता 2015 के विनियम 25(3) और (4) के अनुसार, स्वतंत्र निदेशकों को एक वर्ष में कम से कम एक बैठक आयोजित करने की आवश्यकता होती है।

वित्तीय वर्ष 2022-23 में, एक स्वतंत्र निदेशक की बैठक 17 मई 2022 को आयोजित की गई थी। सभी छह स्वतंत्र निदेशकों ने बैठक में भाग लिया था।

6. निदेशकों का पारिश्रमिक:

कार्यात्मक निदेशकों का पारिश्रमिक भारत सरकार द्वारा जारी डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार तय किया जाता है।

क. वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान कंपनी के कार्यात्मक निदेशकों को भुगतान किए गए पारिश्रमिक का विवरण इस प्रकार था:

क्र. सं.	निदेशक का नाम	वेतन	लाभ*	कुल	टिप्पणियाँ
1	श्री प्रमोद अग्रवाल	6076551.84	1155506.39	7232058.23	
2	श्री विनय रंजन	5241756.04	848534.52	6090290.56	
3	डॉ बी वीरा रेण्ही	5895169.23	867359.30	6762528.53	
4	श्री एस एन तिवारी	6467619.12*	443967.02	6911586.14	30.04.22 को सेवानिवृत्त
5	श्री देबाशीष नंदा	3537889.51	71,044.41	3608933.92	11.07.22 को कार्यभार ग्रहण
6	श्री मुकेश चौधरी	908825.49	0.00	908825.49	23.12.22 को कार्यभार ग्रहण

नोट :

* श्री एस एन तिवारी के वेतन में ग्रेचुरी राशि 20,00,000/- रुपये, अवकाश नकटीकरण राशि 17,60,759/- रुपये और पीआरपी राशि 855597.72 रुपये (वित्त वर्ष 2020-21 की) उन्हें सेवानिवृत्ति पर भुगतान की गई।

इसके अलावा लाभ में प्रदर्शन से जुड़े प्रोत्साहन, अन्य भत्ते और अनुलाभ शामिल हैं। हालाँकि, कंपनी निदेशक को कोई स्टॉक विकल्प प्रदान नहीं करती है।

(ख) गैर-कार्यकारी निदेशकों (स्वतंत्र निदेशकों) को भुगतान करने का मानदंड

सरकार द्वारा नामित निदेशकों को बैठक में भाग लेने के लिए कोई शुल्क/वेतन नहीं दिया जाता है। स्वतंत्र निदेशकों को देय बैठक शुल्क डीपीई दिशानिर्देशों और कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसरण में सीआईएल के निदेशक मंडल द्वारा निर्धारित किया जाता है। तदनुसार, बोर्ड ने 28 मई 2016 को आयोजित अपनी 327वीं बैठक में बोर्ड और बोर्ड की समिति की प्रत्येक बैठक के लिए प्रत्येक स्वतंत्र निदेशक को क्रमशः 40,000/- रुपये और 30,000/- रुपये की दर से भुगतान करने का निर्णय लिया था।

स्वतंत्र निदेशकों का कंपनी के साथ कोई आर्थिक संबंध या लेन-देन नहीं है। वर्ष 2022-23 के दौरान स्वतंत्र निदेशकों को भुगतान की गई बैठक शुल्क का विवरण नीचे दिया गया है:

स्वतंत्र निदेशक का नाम	बोर्ड बैठक के लिए बैठक शुल्क	समिति की बैठकों के लिए बैठक शुल्क	कुल (रुपया में)
प्रो. जी. नागेश्वर राव	4,40,000	4,50,000	8,90,000
डॉ अरुण कुमार उराँच	4,40,000	2,40,000	6,80,000
सीए कामेश कांत आचार्य	4,40,000	4,50,000	8,90,000
सीए दिनेश सिंह	4,40,000	3,30,000	7,70,000
श्री पुनमभाई कलाभाई मकवाणा	4,40,000	2,40,000	6,80,000
श्री बी. राजेश चंद्र	4,40,000	5,40,000	9,80,000
श्री घनश्याम सिंह राठोड़	-	-	-

7. आम सभा की बैठकें

क. स्थान और समय, जहां पिछली तीन वार्षिक आम बैठकें आयोजित की गईं

वित्तीय वर्ष	दिनांक	समय	स्थान
2021-22	30.08.2022	11:00 एम	कोल इंडिया लिमिटेड बोर्ड रूम, 5वीं मंजिल, कोयला भवन, कोलकाता-700156 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/ओवीएएम के माध्यम से
2020-21	15.09.2021	11.00 एम	कोल इंडिया लिमिटेड बोर्ड रूम, 5वीं मंजिल, कोयला भवन, कोलकाता-700156 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/ओवीएएम के माध्यम से
2019-20	23.09.2020	10.30 एम	कोल इंडिया लिमिटेड बोर्ड रूम, 5वीं मंजिल, कोयला भवन, कोलकाता-700156 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/ओवीएएम के माध्यम से

ख. पिछली तीन एजीएम में पारित विशेष प्रस्तावों का विवरण:

एजीएम	वर्ष	समय	विशेष संकल्प का विवरण
48 ^{वीं}	30.08.2022	11:00 एम	मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के लेखों में परिवर्तन
47 ^{वीं}	15.09.2021	11.00 एम	शून्य
46 ^{वीं}	23.09.2020	10.30 एम	सीआईएल में निदेशक (व्यवसाय विकास) का बोर्ड स्तरीय पद सृजित करना।

क. पोस्टल बैलेट के माध्यम से पारित विशेष संकल्प का विवरण और 2022-23 में मतदान पैटर्न का विवरण:

i) 13 अप्रैल 22 को ईजीएम में रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से पोस्टल बैलेट के माध्यम से आवश्यक बहुमत के साथ सदस्यों द्वारा निम्नलिखित सात प्रस्तावों को मंजूरी दी गई : -

1. सीए दिनेश सिंह [डीआईएन: 08038875] को उनके कार्यकाल की शेष अवधि के लिए एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त की गई - विशेष संकल्प
2. श्री नागेश्वर राव गोलापल्ली [डीआईएन: 08461461] पल्ली को उनके कार्यकाल की शेष अवधि के लिए एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया - विशेष संकल्प
3. श्री भोजराजन राजेश चंद्र, [डीआईएन: 02065422] को उनके कार्यकाल की शेष अवधि के लिए एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया । - विशेष संकल्प
4. श्री पुनमभाई कलाभाई मकवाना, [डीआईएन: 09385881] को उनके कार्यकाल की शेष अवधि के लिए एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया । - विशेष संकल्प
5. सीए कामेश कांत आचार्य, [डीआईएन: 09386642] को उनके कार्यकाल की शेष अवधि के लिए एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया । - विशेष संकल्प
6. डॉ. अरुण कुमार ओराँव, [डीआईएन: 09388744] को उनके कार्यकाल की शेष अवधि के लिए एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया । - विशेष संकल्प
7. डॉ. बी. वीरा रेण्ही, [डीआईएन- 08679590] को निदेशक (तकनीकी), सीआईएल के रूप में कार्य करने के लिए पूर्णकालिक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया- साधारण संकल्प

ii) एक प्रस्ताव को 14 फरवरी 23 को पोस्टल बैलेट के माध्यम से रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से ईजीएम में अपेक्षित बहुमत के साथ सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया गया था। :-

1. श्री मुकेश चौधरी [डीआईएन: 07532479] को सीआईएल में पूर्णकालिक निदेशक (विपणन), के रूप में नियुक्त किया गया- साधारण संकल्प

ख. 2022-23 में पोस्टल बैलेट अभ्यास आयोजित करने वाले व्यक्ति: - मेसर्स राखी दासगुप्ता एंड एसोसिएट्स, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, कोलकाता की सीएस राखी दासगुप्ता को उपरोक्त दोनों गतिविधियों के लिए पोस्टल बैलेट के माध्यम से ईजीएम के लिए ई-वोटिंग के लिए संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था।

ग. क्या कोई विशेष प्रस्ताव ई-वोटिंग के माध्यम से कराया जाना प्रस्तावित है - नहीं।

घ. पोस्टल बैलेट ई-वोटिंग गतिविधि के लिए विस्तृत प्रक्रिया - कोल इंडिया वेबसाइट के मनिवेशक केंद्र, कार्यक्रम और घोषणाफैब्रैब के अंतर्गत उपलब्ध है।

8. संचार के साधन:

क) तिमाही परिणाम और समाचार पत्र प्रकाशन :

कंपनी अपनी वार्षिक रिपोर्ट, आम बैठकों और वेबसाइट के जरिए से प्रकटीकरण के माध्यम से अपने शेयरधारकों के साथ संवाद करती है। कंपनी अपने संस्थागत शेयरधारकों के साथ विश्लेषक ब्रीफिंग, ऑडियो/वीडियो कॉन्फ्रेंस कॉल, व्यक्तिगत चर्चा और समय-समय पर निवेशक सम्मेलनों में भागीदारी के माध्यम से भी संवाद करती है। तिमाही वित्तीय परिणाम स्टॉक एक्सचेंजों को भी बताए गए और नीचे दिए गए विवरण के अनुसार समाचार पत्रों में प्रकाशित किए गए। कंपनी के संबंध में जानकारी और नवीनतम अपडेट और घोषणाएं कंपनी की वेबसाइट पर “निवेशक केंद्र, कार्यक्रम और घोषणाएं” टैब के अंतर्गत देखी जा सकती हैं।

तिमाही	अंग्रेजी समाचार पत्र	वर्नाक्यूलर समाचार पत्र
जून' 22	द टाइम्स ऑफ इंडिया	आजकल
सितंबर' 22	बिजनेस स्टैंडर्ड	आजकल
दिसंबर' 22	मिंट	वर्तमान
मार्च' 23	द हिंदू बिजनेस लाइन	ई समय

क) आधिकारिक विज्ञप्ति और प्रस्तुतियाँ:

कंपनी की उपलब्धियों के बारे में आम जनता को जागरूक करने के लिए, स्टॉक एक्सचेंजों को सूचित किए जाने के बाद हितधारकों की जानकारी के लिए कंपनी के प्रदर्शन की मुख्य विशेषताएं प्रेस को दी जाती हैं।

ख) संस्थागत निवेशकों और विश्लेषकों के समक्ष प्रस्तुतीकरण: -

वित्तीय परिणामों की मुख्य विशेषताएं स्टॉक एक्सचेंजों को सूचित किए जाने के बाद संस्थागत निवेशकों, विश्लेषकों और आम जनता की जानकारी कंपनी की वेबसाइट द्वारा प्राप्त की जा सकती है।

9. सामान्य शेयरधारकों की सूचना :

क) वार्षिक आम बैठक.

दिनांक: 23 अगस्त, 23

दिन: बुधवार

समय: 11 एम

स्थान: कोयला भवन, परिसर 04-मार्च, एक्शन एरिया 1ए, न्यूटाउन राजारहाट कोलकाता-700156 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) / अन्य ऑडियो विजुअल माध्यम (ओएवीएम) के माध्यम से

ख) वित्त वर्ष 2023-24 के लिए वित्तीय कैलेंडर:

विवरण	तिथि
लेखा अवधि	1 अप्रैल, 2023 से 31 मार्च, 2024 तक
पहली तीन तिमाहियों के लिए अनआॅडिटेड वित्तीय परिणाम	तिमाही की समाप्ति से 45 दिनों के भीतर
चौथी तिमाही के परिणाम	30 मई, 2024 को या उससे पहले लेखापरीक्षित खातों की घोषणा।
एजीएम (आगामी वर्ष)	अगस्त'2024

ग) सिकोर्ड तिथि

कंपनी ने पात्र शेयरधारकों का निर्धारण करने के लिए अंतिम लाभांश प्राप्त करने की तिथि 18 अगस्त, 2023 तय की है।

घ) लाभांश का भुगतान ।

सीआईएल के शेयरधारकों ने 30 अगस्त 2022 को आयोजित अपनी वार्षिक आम बैठक में वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए इक्विटी शेयरों पर 3.00 रुपये प्रति शेयर (30%) की दर से अंतिम लाभांश के भुगतान को मंजूरी दी थी और इसका भुगतान 7 सितंबर 2022 से किया गया था। सीआईएल बोर्ड ने 7 नवंबर, 22 को आयोजित अपनी बैठक में शेयरधारकों को पहले अंतिम लाभांश ₹ 15 रुपये प्रति शेयर (पेड-अप शेयर पूंजी पर 150%) के भुगतान को मंजूरी दी थी और इसका भुगतान 6 दिसंबर, 2022 तक किया गया था। सीआईएल बोर्ड ने 31 जनवरी 2023 को आयोजित अपनी बैठक में शेयरधारकों को दूसरे अंतिम लाभांश ₹ 5.25 रुपये प्रति शेयर (चुकता शेयर पूंजी पर 52.5%) के भुगतान को मंजूरी दी थी और इसका भुगतान 2 मार्च, 2023 तक किया गया था। 7 मई, 23 को आयोजित 451 वीं बोर्ड बैठक में, बोर्ड ने 2022-23 के लिए अंतिम लाभांश ₹ 4.00 प्रति शेयर के भुगतान की सिफारिश की थी और आगामी एजीएम में शेयरधारकों द्वारा अनुमोदित होने पर इसका भुगतान किया जाएगा।

ग) विगत लाभांश।

वर्ष	कुल पेड-प शेयर पूँजी (रुपये करोड़ में)	भुगतान की गई लाभांश की कुल राशि (रुपये करोड़ में)	एजीएम की तारीख जिसमें लाभांश घोषित किया गया था	लाभांश की दर
2010-11	6316.36	2463.38	20-09-2011	39
2011-12	6316.36	6316.36	18-09-2012	100
2012-13	6316.36	8842.91	18-09-2013	140
2013-14	6316.36	18317.46	10-09-2014	290
2014-15	6316.36	13074.88	23-09-2015	207
2015-16	6316.36	17306.84	21-09-2016	274
2016-17	6207.40	12352.76	14-09-2017	199
2017-18	6207.40	10242.23	12-09-2018	165
2018-19	6162.73	8105.58	21-08-2019	131
2019-20	6162.73	7395.27	23-09-2020	120
2020-21	6162.73	9860.40	15-09-2021	160
2021-22	6162.73	10476.64	30-08-2022	170
2022-23	6162.73	14944.66	2022-23 के लिए दो अंतरिम लाभांश और अंतिम लाभांश प्रस्तावित	242.5

क) स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टिंग

सीआईएल इकिटी शेयर निम्नलिखित स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध हैं:

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड. स्क्रिप कोड: कोल बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड. स्क्रिप कोड: 533278.
इंडिया स्टॉक कोड: आईएसआईएन: आईएनई522एफओ1014.

i) वर्ष 2022-23 के लिए वार्षिक लिस्टिंग शुल्क का भुगतान दोनों स्टॉक एक्सचेंजों को पहले ही किया जा चुका है।


ii) सीआईएल की किसी भी प्रतिभूति को बीएसई और एनएसई में कारोबार से निलंबित नहीं किया गया

क) बाजार मूल्य डेटा- बीएसई:

महीना	उच्च (रुपये में)	निम्न (रुपये में)	समाप्त (रुपये में)
अप्रैल-22	209.00	182.00	183.10
मई-22	195.20	164.75	193.05
जून-22	201.95	174.60	185.50
जुलाई-22	212.35	176.80	211.35
अगस्त-22	235.40	205.50	234.85
सितम्बर-22	241.85	207.90	212.30
अक्टूबर-22	247.85	212.25	245.90
नवम्बर-22	263.30	226.15	227.30
दिसम्बर-22	234.30	214.20	225.15
जनवरी-23	231.35	211.25	224.90
फरवरी-23	228.80	209.45	215.15
मार्च-23	227.00	207.70	213.65

सेंसेक्स की तुलना में कोल इंडिया का स्टॉक प्रदर्शन (समाप्त मूल्य के आधार पर)

सीआईएल और बीएसई




क) बाजार मूल्य डेटा - एनएसई:

महीना	उच्च (रुपये में)	निम्न (रुपये में)	समाप्त (रुपये में)
अप्रैल-22	209.00	181.90	182.85
मई-22	195.25	164.65	192.90
जून-22	201.95	174.75	185.60
जुलाई-22	212.45	176.60	211.25
आगस्त-22	235.50	205.75	234.80
सितंबर-22	240.50	207.85	212.25
अक्टूबर-22	247.80	212.30	245.95
नवंबर-22	263.40	226.35	227.25
दिसंबर-22	234.45	214.20	225.05
जनवरी-23	232.00	211.10	224.85
फरवरी-23	228.00	209.15	215.40
मार्च-23	226.95	207.60	213.65

एनआईएफटीवाई की तुलना में कोल इंडिया का स्टॉक प्रदर्शन (समाप्त मूल्य के आधार पर)

सीआईएल और एनएसई



i) ट्रांसफर एजेंट जारी करने और साझा करने के लिए रजिस्ट्रार

पंजीकृत पता:

मैसर्स अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड

205-208 अनारकली कॉम्प्लेक्स, झांडेवालान एक्सटेंशन, नई दिल्ली - 110 055

फोन नंबर: 011-4254-1234/4254-1934

ई-मेल आईडी: rta@alankit.com, lalitap@alankit.com

टोल फ्री नंबर-1860-121-2155

वेबसाइट-www.alankit.com

स्थानीय पता:

अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड

3बी, ग्राउंड फ्लॉर लाल बाजार स्ट्रीट,
कोलकाता-700001, भारत।

ई-मेल आईडी:-rta@alankit.com

फोन नंबर-033-4401-4100/4200

टोल फ्री नंबर: 1860-121-2155

वेबसाइट-www.alankit.com

क) शेयर स्थानांतरण प्रणाली

सेबी लिस्टिंग विनियमों के विनियम 40(1) के अनुसार, संशोधित, प्रतिभूतियों को 1 अप्रैल 2019 से केवल डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म में स्थानांतरित किया जा सकता है। भौतिक रूप में इकट्ठी शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपनी हिस्सेदारी को डीमटेरियलाइज्ड रूप में परिवर्तित करने पर विचार करें। इलेक्ट्रॉनिक रूप में इकट्ठी शेयरों का हस्तांतरण कंपनी की किसी भी भागीदारी के बिना डिपॉजिटरी के माध्यम से किया जाता है।

ख) शेयरधारिता का वितरण

31 मार्च, 2023 तक विभिन्न श्रेणियों के शेयरधारकों द्वारा धारित शेयर और होल्डिंग का आकार निम्नवत है :

i) 31 मार्च, 2023 तक शेयरधारिता पैटर्न

श्रेणी	शेयरधारकों की संख्या	शेयरों की संख्या	इकट्ठी का %
प्रमोटरों	1	4075634553	66.13
बीमा कंपनी	86	738688222	11.98
म्यूचुअल फंड	152	536657210	8.70
विदेशी पोर्टफोलियो - कॉर्प	554	482947531	7.80
व्यक्तियों	1318805	237699309	3.85
घोरलू कंपनियाँ	2677	39803995	0.64
राष्ट्रीयकृत बैंक	6	9521631	0.15
एचयूएफ	18518	8808538	0.14
वित्तीय संस्थानों	15	7899062	0.12
एनआरआई प्रतिनिधि	9920	7111835	0.11
केंद्र सरकार	3	5817032	0.09
एनआरआई गैर प्रतिनिधि	7041	5751309	0.09
वैकल्पिक निवेश निधि	30	3436791	0.05
समाशोधन सदस्य	156	1277657	0.02
ट्रस्ट	82	995967	0.01
अन्य बैंक	9	527413	0.00
निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि	1	117614	0.00
विदेशी संस्थागत निवेशक	1	21000	0.00
विदेशी पोर्टफोलियो - इंडस्ट्रीज़।	2	7600	0.00
विदेशी नागरिक/इकाई	3	3013	0.00
अन्य	1	1000	0.00
विदेशी कॉर्पोरेट निकाय	1	45	0.00
कुल	1358064	6162728327	100.00

ii) 31 मार्च 2023 तक शीर्ष दस शेयरधारक:

क्र. सं.	नाम/ पता	धारित शेयर	कुल पूँजी का %
1	भारत के राष्ट्रपति	4075634553	66.13
2	भारतीय जीवन बीमा निगम	602028957	9.76
3	सीपीएसई एक्सचेंज ट्रेडेड योजना (सीपीएसई ईटीएफ)	159174997	2.58
4	एचडीएफसी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड ए/सी एचडीएफसी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड	98170711	1.59
5	भारतीय जीवन बीमा निगम - पी एंड जीएस फंड	75694235	1.22
6	पराग पारिख फ्लेक्सी कैप फंड	68459428	1.11
7	एसबीआई एनआईएफटीवाई 50 ईटीएफ	39018848	0.63
8	जीक्यूजी ने उभरते बाजारों के इकट्ठी फंड के साथ साझेदारी की है	36716564	0.59
9	एचडीएफसी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड ए/सी एचडीएफसी टॉप 100 फंड	27557721	0.44
10	वैनगार्ड टोटल इंटरनेशनल स्टॉक इंडेक्स फंड	27146626	0.44
	कुल योग	5209602640	84.53

iii) 31 मार्च, 2023 तक आकार, % के अनुसार शेयरधारिता का वितरण:

श्रेणी (शेयर)	मामलों की संख्या	मामलों का %	कुल शेयर	राशि	राशि का %
1-5000	1352827	99.6144	195133011	1951330110	3.1663
5001-10000	2724	0.2006	19875579	198755790	0.3225
10001-20000	1117	0.0822	15853705	158537050	0.2572
20001-30000	327	0.0241	8050930	80509300	0.1306
30001-40000	176	0.0130	6170483	61704830	0.1001
40001-50000	123	0.0091	5707047	57070470	0.0926
50001-100000	224	0.0165	15837866	158378660	0.2569
100000 से ऊपर	546	0.0402	5896099706	58960997060	95.6735
कुल	1358064	100	6162728327	61627283270	100

iv) प्रमुख शेयरधारक: -

31 मार्च, 2023 तक कंपनी की 10% से अधिक पेड-अप पूँजी रखने वाले शेयरधारकों का विवरण नीचे दिया गया है:

शेयरधारक का नाम	शेयरधारक की संख्या	पेड-अप पूँजी का %	श्रेणी
भारत के राष्ट्रपति	4075634553	66.134	पीओआई

क) शेयरों और तरलता का डिमटेरियलाइज़ेशन

जनता के लिए जारी किए गए कंपनी के शेयर डिमटेरियलाइज़ेट सेगमेंट में हैं और नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) में ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध हैं। इसमें सीपीएसई ईटीएफ और भारत 22 ईटीएफ शामिल हैं जिनका स्टॉक एक्सचेंजों में व्यापार किया जा सकता है। भारत सरकार के पास मौजूद शेयर भी डीमैट फॉर्म में हैं।

31 मार्च 23 को डीमैटरियलाइज़ेट और फिजिकल मोड में रखे गए शेयरों की संख्या:

धारित प्रणाली	शेयर	% इक्विटी
सीडीएसएल डिमटेरियलाइज़ेट फॉर्म में धारित	275696161	4.47
एनएसडीएल डिमटेरियलाइज़ेट फॉर्म में धारित	5887028628	95.50
फिजिकल	3538	0.03
कुल	6162728327	100

क) शेयर पूँजी लेखापरीक्षा का समाधान

भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) की आवश्यकता के अनुसार, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) और भौतिक रूप में, जारी और सूचीबद्ध पूँजी के साथ कुल शेयर पूँजी का मिलान करने की वृष्टि से शेयर पूँजी के मिलान का त्रैमासिक आँडिट एक सहकर्मी-समीक्षा अभ्यास कंपनी सचिव द्वारा किया जा रहा है। शेयर पूँजी के समाधान के लिए सचिवीय आँडिट रिपोर्ट प्रत्येक तिमाही के लिए निर्धारित समय के भीतर बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड को प्रस्तुत की जाती है।

ख) बकाया वैश्विक डिपॉजिटरी रसीदें या अमेरिकी डिपॉजिटरी रसीदें या वारंट या कोई परिवर्तनीय उपकरण, रूपांतरण तिथि और इक्विटी पर संभावित प्रभाव

कंपनी ने कोई एडीआर या जीडीआर या वारंट या कोई परिवर्तनीय उपकरण जारी नहीं किया है,

ग) कमोडिटी मूल्य जोखिम या विदेशी मुद्रा जोखिम और हेजिंग गतिविधियों का प्रकटीकरण

कंपनी वर्तमान में विदेशी मुद्रा जोखिम और कमोडिटी मूल्य जोखिम से अद्यता रही है। सीआईएल मुख्य रूप से भारत के भीतर ही कोयले का उत्पादन और बिक्री करती है। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान, सीआईएल ने एमओसी के मार्गदर्शन और ग्राहकों के अनुरोध के

अनुसार कोयले का आयात किया है। अंतर्राष्ट्रीय कोयले की कीमतों और विदेशी मुद्रा में उत्तर-चढ़ाव उपभोक्ताओं द्वारा बहन किया गया था और इसलिए सीआईएल सीधे कमोडिटी मूल्य जोखिम या विदेशी मुद्रा जोखिम के संपर्क में नहीं थी। हालाँकि, सीआईएल ने आयातित कोयले की बिक्री पर सुविधा शुल्क लिया, जिसका अंतर्राष्ट्रीय कोयले की कीमतों और विदेशी मुद्रा पर अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। हालाँकि, वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान सुविधा शुल्क की मात्रा नगण्य मानी जाती है। घरेलू परिचालन के मामले में, यह देखा गया है कि जब भारत में अंतर्राष्ट्रीय कोयले की लागत अधिक होती है तो सीआईएल बेहतर ई-नीलामी प्रीमियम अर्जित करती है।

घ) डिपॉजिटरी के नाम और पते इस प्रकार हैं:

- नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड**
ट्रेड वर्ल्ड, चौथी मंजिल,
कमला मिल्स कंपाउंड,
सेनापति बापट मार्ग,
लोअर परेल, मुंबई-400 013
- सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड**
फिरोज़ जीजीभोय टावर्स,
17वीं मंजिल, दलाल स्ट्रीट फोर्ट, मुंबई - 400 001

इ) कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनियाँ और उसके प्लांट स्थान का विवरण :-

वर्तमान में, कोल इंडिया लिमिटेड की ग्यारह पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियाँ हैं। विवरण इस प्रकार हैः-

सहायक कंपनी का नाम	स्थान
(क) कोयला उत्पादक कंपनियाँ:	
(i) ईस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड (ईसीएल)	सैंकटोरिया, दिशेगढ़, पश्चिम बंगाल
(ii) भारत कोिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल)	धनबाद, झारखण्ड।
(iii) सेंट्रल कोलफिल्ड्स लिमिटेड (सीसीएल)	रांची, झारखण्ड।
(iv) वेस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड (डब्ल्यूसीएल)	नागपुर, महाराष्ट्र।
(v) साउथ ईस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल)	बिलासपुर, छत्तीसगढ़।
(vi) नॉर्दर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड (एनसीएल)	सिंगरौली, मध्य प्रदेश।
(vii) महानदी कोलफिल्ड्स लिमिटेड (एमसीएल)	संबलपुर, ओडिशा
(ख) सेवा उन्मुख कंपनी:	
(viii) सी.एम.पी.डी.आई.एल.	रांची, झारखण्ड
(ग) विदेशी सहायक कंपनी:	
(ix) कोल इंडिया अफ्रीकाना लिमिटेड (सीआईएएल)	टेटे, मोजाम्बिक
(घ) नवीकरणीय ऊर्जा कंपनियाँ:	
(x) सीआईएल नविकरणीय ऊर्जा लिमिटेड (सीएनयूएल)	कोलकाता, पश्चिम बंगाल
(xi) सीआईएल सोलर पीवी लिमिटेड (सीएसपीएल)	कोलकाता, पश्चिम बंगाल

(इ) सीआईएल की संयुक्त उद्यम कंपनियाँ:

- (i) हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड (एचयूआरएल)
- (ii) तालचर फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (टीएफएल)
- (iii) कोल लिग्राइट ऊर्जा विकास प्राइवेट लिमिटेड (सीएलयूपीएल)
- (iv) सीआईएल एनटीपीसी ऊर्जा प्राइवेट लिमिटेड (सीएनयूपीएल)
- (v) इंटरनेशनल कोल वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड (आईसीवीएल)

च) पत्राचार के लिए पता.

कोल भवन
परिसर संख्या 04-एमएआर.प्लॉट नं-एएफ-III
एक्षन एरिया -1 ए, न्यूटाउन, राजरहाट
कोलकाता- 700156
फोन- 033-2324 5555
ई-मेल: complianceofficer.cil@coalindia.in.
CIN-L23109WB1973GOI028844

छ) क्रेडिट रेटिंग

कोल इंडिया लिमिटेड ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए सीआरआईएसआईएल से निम्नलिखित क्रेडिट रेटिंग प्राप्त की हैः

कुल बैंक क्रूण	9550 करोड़ रुपये (5550 करोड़ रुपये से बढ़ाया गया)
दीर्घकालिक रेटिंग	सीआरआईएसआईएल एए/स्टेबल (पुनः पुष्टि)
अल्पकालिक रेटिंग	सीआरआईएसआईएल ए1+ (पुनः पुष्टि)
कॉर्पोरेट क्रेडिट रेटिंग	सीसीआर एए/स्टेबल

10. अन्य बिन्दुएँ

क) वास्तविक रूप से महत्वपूर्ण संबंधित पक्ष लेनदेन पर प्रकटीकरण जिसका बड़े पैमाने पर सूचीबद्ध इकाई के हितों के साथ संभावित टकराव हो सकता है

वर्ष के दौरान, संबंधित पक्षों के साथ भौतिक प्रकृति का कोई लेन-देन नहीं हुआ जिसका कंपनी के हितों के साथ संभावित टकराव हो। जैसा कि सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 23(1) के तहत आवश्यक है, कंपनी ने संबंधित पार्टी के साथ व्यवहार पर एक संशोधित नीति तैयार की है।

छ) पिछले 3 वर्षों में बीएसई और एनएसई द्वारा गैर-अनुपालन और लगाए गए जुर्माने का विवरण

कंपनी ने पूंजी बाजार पर नियामक प्राधिकरणों की आवश्यकताओं का अनुपालन किया था और पिछले तीन वर्षों में स्टॉक एक्सचेंज या सेबी या किसी अन्य वैधानिक प्राधिकरण द्वारा इसके खिलाफ कोई जुर्माना/सख्ती नहीं लगाई गई थी। हालांकि, बीएसई और एनएसई द्वारा कैलेंडर वर्ष 2020, 2021 और 2022 के लिए सभी चार तिमाहियों के लिए जुर्माना लगाया गया है। यह जुर्माना एक महिला स्वतंत्र निदेशक सहित आवश्यक संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति, बोर्ड की बैठकों में कोरम की अनुपस्थिति और 6 सितंबर, 2020 से 31 अक्टूबर, 2021 तक लेखापरीक्षा समिति, नामांकन और पारिश्रमिक समिति, कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी समिति और हितधारक संबंध समिति के पुनर्नायन के संबंध में एलओडीआर के कुछ प्रावधानों का पालन नहीं करने के लिए लगाया गया था। 1 नवम्बर, 21 से 5 नवम्बर, 21 तक सीआईएल बोर्ड में 6 स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की गई। इसलिए, 12 नवंबर'2021 को, बोर्ड की सभी वैधानिक समितियों को एलओडीआर 2015 और कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार पुर्णांगित किया गया था। कंपनी ने दोनों एक्सचेंजों को यह भी सूचित किया है कि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी होने के नाते, निदेशक की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के पास है और कंपनी ने एक महिला स्वतंत्र निदेशक सहित आवश्यक संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के अनुरोध के साथ भर्ती निकलने से पहले और भर्ती होने के बाद भी कोयला मंत्रालय, उसके प्रशासनिक मंत्रालय के साथ मामला उठाया और स्टॉक एक्सचेंजों से लगाए गए जुर्माने को माफ करने का अनुरोध किया। बीएसई लिमिटेड ने 19 अप्रैल 2021 को ईमेल के जरिए सितंबर 2020 और दिसंबर 2020 तिमाहियों के लिए कंपनी पर लगाया गया जुर्माना माफ कर दिया। एनएसई ने 10 नवंबर 2022 को अपने ईमेल के जरिए विभिन्न जुर्माने माफ कर दिए। कंपनी ने कैलेंडर वर्ष 2020, 2021 और 2022 की शेष तिमाहियों के लिए लगाए गए जुर्माने को माफ करने के लिए बीएसई और एनएसई के साथ मामला उठाया है।

ग) सतर्कता तंत्र की स्थापना का विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177(9) और (10) और सेबी एलओडीआर विनियम 2015 के विनियम 22 के अनुसार, कंपनी ने व्यक्तिगत कर्मचारियों को कंपनी में अवैध और अनैतिक प्रथाओं के बारे में मामलों को स्वतंत्र रूप से संप्रेषित करने में सक्षम बनाने के लिए व्हिसल ब्लोअर नीति तैयार की थी। इस नीति को 12 अगस्त, 2011 को आयोजित 222वीं बोर्ड बैठक में अनुमोदित किया गया था और यह सीआईएल और उसकी सहायक कंपनियों पर लागू है।

सीआईएल ने निदेशकों और कर्मचारियों को व्हिसल ब्लोअर (निदेशक और कर्मचारी जो स्वेच्छा से और गोपनीय रूप से संगठन में अनैतिक प्रथाओं, वास्तविक या संदिग्ध धोखाधड़ी लेनदेन को संगठन और राष्ट्र के व्यापक हित के लिए सक्षम प्राधिकारी के ध्यान में लाना चाहते हैं) बनने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान किए थे। इसने उन्हें (व्हिसल ब्लोअर) किसी भी तरह के नुकसान से बचाने के लिए ढांचे के भीतर एक बहुत मजबूत तंत्र भी सुनिश्चित किया है। यह पुष्टि की जाती है कि किसी भी कार्मिक को लेखा परीक्षा समिति तक पहुंच से बचित नहीं किया गया है।

घ) अनिवार्य आवश्यकताओं के अनुपालन और गैर-अनिवार्य आवश्यकताओं को अपनाने का विवरण

कंपनी ने कॉर्पोरेट गवर्नेंस की सभी अनिवार्य आवश्यकताओं का अनुपालन किया है। गैर-अनिवार्य आवश्यकताओं का विवरण अनुबंध-ख में उल्लिखित है

ड) वेब लिंक जहां मसामग्रीफसहायक कंपनियों के निर्धारण के लिए नीति का खुलासा किया जाता है

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल) एक सामग्री सहायक कंपनी बन गई क्योंकि 31 मार्च 2023 को इसकी आय या शुद्ध संपत्ति सीआईएल (समेकित) आय या शुद्ध संपत्ति के 20% से अधिक हो गई है। कोल इंडिया लिमिटेड और इसकी सहायक कंपनियों के समेकित वित्तीय विवरण तिमाही आधार पर लेखा परीक्षा समिति और बोर्ड की बैठकों में प्रस्तुत किए जाते हैं। गैर-सूचीबद्ध सहायक कंपनी बन गई है। कोल इंडिया लिमिटेड और इसकी सहायक कंपनियों के समेकित वित्तीय विवरण तिमाही आधार पर लेखा परीक्षा समिति और बोर्ड की बैठकों में प्रस्तुत किए जाते हैं। गैर-सूचीबद्ध सहायक कंपनी बन गई है। पॉलिसी का विवरण कंपनी की वेबसाइट पर “निवेशक केंद्र, कार्यक्रम और घोषणाएँ” टैब के अंतर्गत प्रकट किया गया था।

https://d3u7ubx0okog7j.cloudfront.net/documents/POLICY_FOR_DETERMINING_MATERIAL_SUBSIDIARIES_21032015.pdf

च) वेब लिंक जहां संबंधित पक्ष के लेनदेन से जुड़े पॉलिसी का विवरण है संबंधित पक्ष के लेनदेन से जुड़े पॉलिसी का विवरण कंपनी की वेबसाइट में “निवेशक केंद्र, घटना और घोषणाएँ” टैब के तहत प्रस्तुत किया गया था।

https://d3u7ubx0okog7j.cloudfront.net/documents/Related_Party_cOumNP8.pdf

छ) विनियम 32 (7ए) के तहत निर्दिष्ट तरजीही/अधिमान्य आवंटन या योग्य संस्थान प्लेसमेंट के माध्यम से जुटाए गए धन के उपयोग का विवरण।

कंपनी ने तरजीही आवंटन या योग्य संस्थानों के माध्यम से कोई फंड नहीं जुटाया है

ज) कंपनी सचिव द्वारा एक प्रमाण पत्र जारी किया गया, जिसमें यह कहा गया कि कंपनी के बोर्ड के किसी भी निदेशक को बोर्ड/कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय या ऐसे किसी वैधानिक प्राधिकरण द्वारा कंपनियों के निदेशक के रूप में नियुक्त होने या बने रहने से रोका या अयोग्य नहीं ठहराया गया है।

कंपनी ने मैसर्स एस बसु एंड एसोसिएट्स से एक प्रमाण पत्र प्राप्त किया है और इसे अनुबंध खत के रूप में संलग्न किया गया है।

झ) जहां बोर्ड ने संबंधित वित्तीय वर्ष में बोर्ड की किसी भी समिति की किसी भी सिफारिश को स्वीकार नहीं किया है जो अनिवार्य रूप से आवश्यक है, उसे उसके कारणों सहित प्रकट किया जाना चाहिए।

सीआईएल बोर्ड ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बोर्ड की सभी उप-समितियों की सभी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है।

ज) सूचीबद्ध इकाई और उसकी सहायक कंपनियों द्वारा समेकित आधार पर सांविधिक लेखा परीक्षक और नेटवर्क फर्म/नेटवर्क इकाई की सभी संस्थाओं को भुगतान की जाने वाली सभी सेवाओं के लिए कुल शुल्क, जिसका सांविधिक लेखा परीक्षक एक भाग है।

सांविधिक लेखा परीक्षकों को भुगतान की गई कुल शुल्क का विवरण कंपनी के समेकित खातों में दिया गया है और निम्नानुसार है:-

सेवा का प्रकार	(₹ लाखों में)	
	वित्तीय वर्ष 2023	वित्तीय वर्ष 2022
लेखा परीक्षा शुल्क	266	271
कर शुल्क	29	24
अन्य	131	135
कुल	426	430

ट) कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के संबंध में प्रकटीकरण

दर्ज की गई शिकायतों की संख्या	निपटाई गई शिकायतों की संख्या	लंबित शिकायतों की संख्या
1	1	शून्य

ठ) सूचीबद्ध इकाई और उसकी सहायक कंपनियों द्वारा मफर्मों/कंपनियों को दिए गए क्रमों और अग्रिमों की प्रकृति का प्रकटीकरण, जिसमें निदेशक रुचि रखते हैं, नाम और राशि के अनुसार

कंपनी ने किसी भी फर्म/कंपनियों को कोई क्रम या अग्रिम प्रदान नहीं किया है जिसमें निदेशकों की रुचि हो

ड) सूचीबद्ध इकाई की भौतिक सहायक कंपनियों का विवरण; जिसमें निगमन की तारीख और स्थान और ऐसी सहायक कंपनियों के वैधानिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति का नाम और तारीख शामिल है।

क) 31 मार्च 2023 को सामग्री सहायक कंपनी की आय या शुद्ध संपत्ति सीआईएल (समेकित) आय या सुदूर संपत्ति के 20% से अधिक हो गई।

सामग्री सहायक कंपनियों का नाम	संस्थापन की तिथि	संस्थापन का स्थान	प्रधान सांविधिक लेखा परीक्षक का नाम	सांविधिक लेखा परीक्षक की नियुक्ति की तिथि	फीस का भुगतान (लाख में)
महानदी कोलफिल्ड्स लिमिटेड	03.04.1992	संबलपुर	मैसर्स लाल दास एंड सीओ	30.08.2022	29.46

ख) 31 मार्च 2023 को सामग्री सहायक कंपनी की आय या शुद्ध संपत्ति सीआईएल (समेकित) आय या निवल संपत्ति के 10% से अधिक हो गई।

सामग्री सहायक कंपनियों का नाम	स्थापन की तिथि	संस्थापन का स्थान	प्रधान सांविधिक लेखा परीक्षक का नाम	सांविधिक लेखा परीक्षक की नियुक्ति की तिथि	भुगतान की गई राशि (लाख में)
ईस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड	01.11.1975	सैंकटोरिया, पश्चिम बंगाल	मैसर्स एन सी बनर्जी एंड कंपनी	22.09.2022	8.03
सेंट्रल कोलफिल्ड्स लिमिटेड	05.09.1956	रांची (झारखंड)	मैसर्स स्पैन एंड एसोसिएट्स	26.08.2022	18.53
नॉर्दर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड	28.11.1985	सिंगरौली, मध्य प्रदेश	मैसर्स जेएन शर्मा एंड कंपनी	30.08.2022	18.08
वेस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड	29.10.1985	नागपुर, महाराष्ट्र	मैसर्स रोडी दबीर एंड कंपनी	29.08.2022	11.04
साउथ ईस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड	28.11.1985	बिलासपुर, छत्तीसगढ़	मैसर्स एसपी टोटला एंड कंपनी	25.09.2019	23.25

द) सीईओ/सीएफओ प्रमाणन: सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के तहत आवश्यकतानुसार, श्री प्रमोद अग्रवाल अध्यक्ष/सीईओ, श्री एसके मेहता सीएफओ द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र को 7 मई, 23 को आयोजित अपनी 451 वीं बोर्ड बैठक में निदेशक मंडल के समक्ष रखा गया था और इसे अनुबंध II के रूप में कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट के साथ संलग्न किया गया है।

ए) व्यापार आचार संहिता।

कंपनी ने बोर्ड के सदस्यों के साथ-साथ वरिष्ठ प्रबंधन के लिए लागू व्यापार आचार संहिता लागू की है, जिसे कंपनी अधिनियम 2013, लिस्टिंग विनियम 2015 के अनुरूप 29-03-2015 को आयोजित इसकी 311 वीं बोर्ड बैठक में संशोधित किया गया था और इसे कंपनी की बेबसाइट पर अपलोड किया गया है। इसके अलावा, कोल इंडिया लिमिटेड के सभी बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों ने 31 मार्च, 2023 तक आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है।

त) सेबी (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियमन 26 (3) के तहत आवश्यक घोषणा

बोर्ड के सभी सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक ने 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है।

हस्ताक्षर

कोलकाता

दिनांक : 24.04.2023

(प्रमोद अग्रवाल)

अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक

डीआईएन-00279727

थ) इनसाइडर ट्रेडिंग की रोकथाम के लिए आंतरिक प्रक्रियाओं और आचरण संहिता।

सेबी (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियम 2015 के विनियमन 9(1) के अनुसरण में सीआईएल ने अप्रकाशित मूल्य संबेदनशील जानकारी के आधार पर किसी इनसाइडर सूत्र द्वारा कंपनी के शेयर की खरीद और/या बिक्री को रोकने के उद्देश्य से कोल इंडिया लिमिटेड की प्रतिभूतियों में इनसाइडर ट्रेडिंग की रोकथाम के लिए आंतरिक प्रक्रियाओं और आचरण संहिता को अपनाया था। जैसा कि नियमों के तहत आवश्यक है, कंपनी नामित व्यक्तियों और उनके रिश्तेदारों का आंतरिक रूप से एक संरचित डिजिटल डेटाबेस एसडीडी बनाए रख रही है। सेबी (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) (संशोधन) विनियमन 2018 और 2019 के अनुसार कंपनी ने 13 अगस्त, 2019 को आयोजित अपनी 390वीं बैठक में बोर्ड की मंजूरी के साथ इनसाइडर ट्रेडिंग निषेध संहिता में संशोधन किया था।

द) स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति का औपचारिक पत्र: सीआईएल बोर्ड ने अपनी 308वीं बैठक में स्वतंत्र निदेशकों को उनकी नियुक्ति पर नियुक्ति पत्र जारी करने की मंजूरी दे दी थी और इसे कंपनी की वेबसाइट पर भी अपलोड किया गया। यह कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची खत और लिस्टिंग विनियम 2015 के विनियम 46(2) के अनुसार है। तदनुसार, सभी स्वतंत्र निदेशकों को नियुक्ति के समय नियुक्ति पत्र जारी किया गया है।

ध) स्वतंत्र निदेशकों के लिए परिचय कार्यक्रम: स्वतंत्र निदेशकों संहित निदेशक मंडल को कंपनी के सभी व्यवसाय-संबंधित मामलों, संबंधित जोखिम, नई पहल आदि के बारे में पूरी जानकारी दी जाती है। निदेशक मंडल को कंपनी अधिनियम 2013, सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 और सीआईएल के इनसाइडर ट्रेडिंग कोड की रोकथाम आदि के प्रावधानों के बारे में भी जानकारी दी गई। जब भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर मान्यता प्राप्त संस्थानों द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, तो कंपनी उन्हें प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने और हाल के विकास से परिचित कराने के लिए प्रायोजित करती है। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए स्वतंत्र निदेशकों द्वारा भाग लिए गए प्रशिक्षण कार्यक्रम का विवरण कंपनी की वेबसाइट पर “निवेशक केंद्र, कार्यक्रम और घोषणाएँ” टैब के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया था।

<https://d3u7ubx0okog7j.cloudfront.net/documents/FamiliarizationProgrammesIDs.pdf>

11. कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट की किसी भी आवश्यकता का अनुपालन न करना

कॉर्पोरेट गवर्नेंस की सभी आवश्यकताओं का विधिवत अनुपालन किया गया है।

12. कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन के संबंध में कॉर्पोरेट गवर्नेंस सर्टिफिकेट

जैसा कि सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा दिनांक 14.05.2010 के कार्यालय ज्ञापन 18(8)/2005-जीएम और रेलिवेंट सेबी (एलओडीआर) विनियम 2015 के तहत जारी सीपीएसई के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर दिशानिर्देशों में वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए एक सहकर्मी-समीक्षा अभ्यास कंपनी सचिव से कॉर्पोरेट गवर्नेंस दिशानिर्देशों के अनुपालन पर एक प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया है।

13. डीमैट स्स्पेंस अकाउंट/अनक्लोम्ड स्स्पेंस अकाउंट के संबंध में प्रकटीकरण

सीआईएल के डीमैट स्स्पेंस अकाउंट/अनक्लोम्ड स्स्पेंस अकाउंट में कोई शेयर नहीं पड़ा है।

अनुलग्नक- ।

गैर-अनिवार्य आवश्यकताएँ।

पूर्ववर्ती पृष्ठों में उल्लिखित अनिवार्य आवश्यकताओं के अलावा, सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के रेग 27(1) की गैर-अनिवार्य आवश्यकताओं के अनुपालन की स्थिति, अनुसूची-II के भाग ई के साथ पठित है, नीचे प्रस्तुत की गई है :

1. **बोर्ड:** कंपनी का नेतृत्व कार्यकारी अध्यक्ष द्वारा किया जाता है।
2. **शेयरधारक अधिकार:** कंपनी के तिमाही वित्तीय परिणाम प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित होते हैं और कंपनी की वेबसाइट (www.coalindia.in) पर भी पोस्ट किए जाते हैं। ये परिणाम शेयरधारकों को अलग से प्रसारित नहीं किए जाते हैं।
3. **लेखापरीक्षा योग्यता / लेखापरीक्षा रिपोर्ट में संशोधित राय:** कंपनी का हमेशा यह प्रयास रहता है कि वह एक अयोग्य वित्तीय विवरण प्रस्तुत करे। वैधानिक लेखा परीक्षक और सी एंड एजी की रिपोर्ट उनके अवलोकनों और प्रबंधन उत्तरों के साथ इस वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा है।
4. **आंतरिक लेखापरीक्षक की रिपोर्टिंग:** महाप्रबंधक आंतरिक लेखापरीक्षा सीधे कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को रिपोर्ट करता है। कंपनी द्वारा नियुक्त बाहरी/आंतरिक लेखापरीक्षक अपनी रिपोर्ट उन स्थानों पर संबंधित जीएम को सौंपते हैं जहां वे ऑडिट कर रहे हैं। इन रिपोर्टों की समीक्षा लेखापरीक्षा समिति द्वारा की जाती है।
5. **अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक की भूमिका का विभाजन:** - सेबी ने कंपनियों के लिए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक की भूमिकाओं को विभाजित करने को समान स्वैच्छिक बना दिया है।

अनुलग्नक - ॥

सीईओ और सीएफओ प्रमाणन (स्टैंडअलोन)

सेवा में

निदेशक मंडल

कोल इंडिया लिमिटेड

31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए सीआईएल (स्टैंडअलोन) के वित्तीय विवरण निदेशक मंडल के समक्ष उनके विचार और अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किए गए।

उपर्युक्त के संदर्भ में, हम, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक और सीईओ प्रमोद अग्रवाल और सुनील कुमार मेहता, कार्यकारी निदेशक (वित्त)/कोल इंडिया लिमिटेड के सीएफओ वित्त कार्य के दायित्व का निर्वाहन करते हुए यह प्रमाणित करते हैं कि :

क. हमने 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों की समीक्षा की है और यह हमारी सर्वोत्तम जानकारी और मत के अनुसार है:

- इन विवरणों में कोई भी वास्तविक रूप से असत्य विवरण शामिल नहीं है या किसी भी महत्वपूर्ण तथ्य को भ्रमित करने वाला विवरण को इसमें शामिल नहीं किया गया है;
- ये विवरण एक साथ कंपनी के मामलों का एक सत्य और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है और मौजूदा लेखांकन मानकों यानी भारतीय लेखा मानक के कानूनों और विनियमों का अनुपालन करता है।

ख. हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा किया गया कोई भी लेनदेन धोखाधड़ी, अवैध या कंपनी की आचार संहिता का उल्लंघन नहीं करता है।

ग. हम वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने का दायित्व स्वीकार करते हैं और हमने वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित कंपनी के आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया है और हमने लेखा परीक्षकों को ऐसे आंतरिक नियंत्रणों के डिजाइन या संचालन में कमियों, यदि कोई हो, का खुलासा किया है, जिसके बारे में वे जानते हैं और इन कमियों को दूर करने के लिए उन्होंने क्या कदम उठाए हैं या उठाने का प्रस्ताव है।

घ. हमने लेखा परीक्षकों को यह सूचित किया है कि:

- संदर्भाधीन अवधि के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है;
- इस अवधि के दौरान लेखांकन नीतियों में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है;
- हमें वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रबंधन या किसी कर्मचारी की भागीदारी के साथ महत्वपूर्ण धोखाधड़ी के किसी भी उदाहरण की जानकारी नहीं है।

ह./-

कार्यकारी निदेशक (वित्त)/सीएफओ

ह./-

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

डीआईएन-00279727

तिथि: 7 मई, 2023

स्थान: शिलांग

सीईओ और सीएफओ प्रमाणन (समेकित)

सेवा में

निदेशक मंडल

कोल इंडिया लिमिटेड

31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए सीआईएल (समेकित) के वित्तीय विवरण निदेशक मंडल के समक्ष उनके विचार और अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।

कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनियों के लिए उपर्युक्त अवधि के लिए वित्तीय विवरण संबंधित सहायक कंपनियों द्वारा तैयार किए गए हैं और उनके संबंधित बोर्डों द्वारा अनुमोदित किए गए हैं, हालांकि, सहायक कंपनियों जैसे सीआईएल सोलर पीवी लिमिटेड, सीआईएल नविकर्णिय ऊर्जा लिमिटेड और कोल इंडिया अपरिकाना लिमिटेड के लिए प्रबंधन द्वारा प्रमाणित वित्तीय विवरणों पर विचार किया गया। उक्त अवधि के लिए अन्य सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरणों पर संबंधित बोर्ड को प्रस्तुत किए गए संबंधित सीईओ/सीएफओ प्रमाणन को भी अवलोकन के लिए प्रस्तुत किया गया है। यह सीईओ/सीएफओ (समेकित) प्रमाणन इन व्यक्तिगत सहायक कंपनियों के सीईओ/सीएफओ प्रमाणन पर आधारित है।

उपरोक्त अवधि के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण भी उपरोक्त समेकित वित्तीय विवरणों का एक भाग है।

उपर्युक्त के संदर्भ में, हम, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक और सीईओ प्रमोद अग्रवाल और सुनील कुमार मेहता, कार्यकारी निदेशक (वित्त)/कोल इंडिया लिमिटेड के सीएफओ वित्त कार्य के दायित्व का निर्वाहन करते हुए यह प्रमाणित करते हैं कि:

क) हमने 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों की समीक्षा की है और यह हमारी सर्वोत्तम जानकारी और मत के अनुसार है:

- इन विवरणों में कोई भी वास्तविक रूप से असत्य विवरण शामिल नहीं है या किसी भी महत्वपूर्ण तथ्य को भ्रमित करने वाला विवरण को इसमें शामिल नहीं किया गया है;
 - ये विवरण एक साथ कंपनी के मामलों का एक सत्य और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है और मौजूदा लेखांकन मानकों यानी भारतीय लेखा मानक के कानूनों और विनियमों का अनुपालन करता है।
2. हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा किया गया कोई भी लेनदेन धोखाधड़ी, अवैध या कंपनी की आचार संहिता का उल्लंघन नहीं करता है।

ह./-

कार्यकारी निदेशक (वित्त)/सीएफओ

तिथि: 7 मई, 2023

स्थान: शिलांग

ह./-

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
डीआईएन-00279727

- हम वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने का दायित्व स्वीकार करते हैं और हमने वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित कंपनी के आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया है और हमने लेखा परीक्षकों को ऐसे आंतरिक नियंत्रणों के डिजाइन या संचालन में कमियों, यदि कोई हो, का खुलासा किया है, जिसके बारे में वे जानते हैं और इन कमियों को दूर करने के लिए उन्होंने क्या कदम उठाए हैं या उठाने का प्रस्ताव है।
- हमने लेखा परीक्षकों को यह सूचित किया है कि:
 - संदर्भाधीन अवधि के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है;
 - इस अवधि के दौरान लेखांकन नीतियों में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है;
 - बीसीसीएल के मामले को छोड़कर, वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रबंधन या किसी कर्मचारी की भागीदारी के साथ महत्वपूर्ण धोखाधड़ी के किसी भी उदाहरण के बारे में पता नहीं चला है, जो नीचे दिया गया है: -
 - लोदना क्षेत्र के निविदा में एल-1 निविदकर्ता के पक्ष में कार्य देने की निविदा समिति सदस्य की अनुशंसा के बाद भी बीसी और एफसी को मनमाने ढंग से निरस्त करने में अनियमितता बरती गई। सतर्कता मामला संख्या सीबी/01/2022 दिनांक 26.05.2022. को पंजीकृत किया गया।
 - ईजे एरिया में बीसीसीएल के कार्टर के हैंडओवर और टेकओवर में अनियमितताओं का पता चला। सतर्कता मामला संख्या सीबी/02/2022 दिनांक 17.06.2022 को पंजीकृत किया गया।
 - तीन निजी कोयला ट्रांसपोर्टों द्वारा जनवरी 2021 से मई 2021 की अवधि के दौरान कुआ ओसीपी के विभिन्न कोयला डंप से फीडर ब्रेकर के माध्यम से सीके साइर्डिंग तक कोयला परिवहन के कार्य में अनियमितताएं बरती गई। सतर्कता संख्या सीबी/04/2022 दिनांक 22.09.2022 को पंजीकृत किया गया।
 - अनुबंध के नियम और शर्तों के उल्लंघन और ईपीएफ की सही राशि जमा न करने का आरोप लगाया गया। सतर्कता संख्या सीए/01/2022 दिनांक 07.12.2022. को पंजीकृत किया गया।

सौरभ बसु

एसीएस, एसीएमए, एमबीए (वित्त)
त्रैक्टिंग कंपनी सेक्टरी
इन्सॉल्वेंसी प्रोफेशनल
एम-9830063501

एस बसु एंड एसोसिएट्स

कंपनी सचिव
कोड नंबर- S2017W8456500
10/6/2 राजा राममोहन राय रोड,
तीसरी मंजिल, कोलकाता - 700008
ईमेल-pcs.saurabhbasu@gmail.com

कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर प्रमाण पत्र

[भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ)
विनियम, 2015 की अनुसूची V के खंड ई के अनुसार]

सेवा में**सदस्यगण**

कोल इंडिया लिमिटेड,
कोयला भवन, परिसर संख्या 04-एमएआर,
प्लॉट-एफ-3, एक्शन एरिया-1ए,
न्यू टाउन राजरहाट, कोलकाता-700156

1. हमने 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए कोल इंडिया लिमिटेड ("कंपनी") द्वारा विनियमन 17 से 27 और विनियमन 46(2) के खंड (बी) से (आई) में निर्धारित कॉर्पोरेट प्रशासन की शर्तों के अनुपालन की जांच की है। और समय-समय पर संशोधित भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियमन, 2015 ("सेबी एलओडीआर") और इसके अन्य लागू नियमों और दिशानिर्देशों की अनुसूची त के पैरा सी, डी, और ई सार्वजनिक उद्यम विभाग, भारत सरकार द्वारा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर दिनांक 14 मई, 2010 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 18(8)/2005-जीएम के तहत जारी किया गया।

प्रबंधन का दायित्व

- कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट तैयार करना कंपनी के प्रबंधन का दायित्व है जिसमें सभी प्रासंगिक सहायक रिकॉर्ड और दस्तावेजों की तैयारी और रखरखाव शामिल है। इस दायित्व में कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट की तैयारी और प्रस्तुति से संबंधित आंतरिक नियंत्रण का डिज़ाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव भी शामिल है।
- निदेशक मंडल के साथ प्रबंधन यह सुनिश्चित करने के लिए भी जिम्मेदार है कि कंपनी भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा जारी सेबी एलओडीआर में निर्धारित कॉर्पोरेट प्रशासन की शर्तों के साथ-साथ डीपीई द्वारा जारी दिशानिर्देशों का अनुपालन करती है।

त्रैक्टिंग कंपनी सचिव का दायित्व

- हमारी जांच कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया और उसके कार्यान्वयन तक सीमित थी।
- सेबी एलओडीआर की आवश्यकताओं के अनुसार, यह उचित आश्वासन प्रदान करना हमारा दायित्व है कि कंपनी ने 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए सेबी एलओडीआर में निर्धारित कॉर्पोरेट प्रशासन की शर्तों का अनुपालन किया है या नहीं।

6. प्रक्रियाओं में सचिवीय रिकॉर्ड और कंपनी की अन्य जानकारी का सत्यापन शामिल है, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है।

7. प्रक्रियाओं में परीक्षण के आधार पर कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में विवरण का समर्थन करने वाले साक्ष्य की जांच करना भी शामिल है।

राय

8. हमारी राय में और हमारी जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, हम प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने सभी भौतिक मामलों में, 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए सेबी एलओडीआर के विनियम 17 से 27, विनियम 46 (2) के खंड (बी) से (आई) और अनुसूची V के भाग सी और डी में निर्धारित कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों का अनुपालन किया है, साथ ही निम्नलिखित को छोड़कर डीपीई द्वारा दिशानिर्देश जारी किया गया :

I. सेबी एलओडीआर के विनियम 17(1) (ए) के अनुसार बोर्ड में 01.04.2022 से 31.03.2023 की अवधि में एक भी स्वतंत्र महिला निदेशक शामिल नहीं थी।

II. सूचीबद्ध इकाई के निदेशक मंडल में कम से कम एक स्वतंत्र निदेशक होने की आवश्यकता के संबंध में सेबी एलओडीआर का विनियम 24(1), एक असूचीबद्ध समाग्री सहायक कंपनी अर्थात् महानदी कोलफाल्ड्स लिमिटेड के निदेशक मंडल में एक निदेशक होगा।

हालाँकि, इस संबंध में प्रबंधन द्वारा हमें सूचित किया गया है कि निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा अपने प्रशासनिक मंत्रालय के माध्यम से की जाती है और स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के लिए प्रशासनिक मंत्रालय को नियमित अभ्यावेदन दिया गया है।

9. कंपनी ने कानूनों के अनुपालन की समीक्षा के लिए कदम उठाए हैं। कॉर्पोरेट और परिचालन उद्देश्यों के साथ जोखिम प्रबंधन के एकीकरण और सरेखण के लिए एक विस्तृत प्रणाली मौजूद है।

अन्य मामले और उपयोग पर प्रतिबंध

10. हम आगे कहते हैं कि इस तरह का अनुपालन न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता का आश्वासन है और न ही उस दक्षता या प्रभावशीलता का आश्वासन है जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है।
11. प्रमाणपत्र केवल सेबी एलओडीआर की आवश्यकता के अनुपालन के उद्देश्य से कंपनी के सदस्यों को संबोधित और प्रदान किया जाता है, और इसका उपयोग किसी अन्य व्यक्ति द्वारा या किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाना चाहिए। तदनुसार, हम किसी अन्य उद्देश्य के लिए या किसी अन्य व्यक्ति के प्रति, जिसे यह रिपोर्ट दिखाई गई है या जिसके हाथों में यह हमारी लिखित पूर्व सहमति के बिना आ सकती है, देखभाल के किसी भी दायित्व या कर्तव्य को स्वीकार या स्वीकार नहीं करते हैं।

एस बसु एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

फर्म पंजीकरण संख्या : S2017WB456500

ह./-

सौरभ बसु

प्रोपराइटर

एसीएस: 18686 ; सी.पी.: 14347

सहकर्मी समीक्षा संख्या: 1017/2020

यूडीआईएन :-ए018686ई000552428

स्थान: कोलकाता

दिनांक: 5 जुलाई 2023

सौरभ बसु

एसीएस, एसीएमए, एमबीए (वित्त)
प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी
इन्सॉल्वेंसी प्रोफेशनल
एम-9830063501

एस बसु एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव
कोड नंबर- S2017W8456500
10/6/2 राजा राममोहन राय रोड,
तीसरी मंजिल, कोलकाता - 700008
ईमेल-pcs.saurabhbasu@gmail.com

निदेशकों की गैर-अयोग्यता का प्रमाण पत्र

(सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम,
2015 के विनियम 34 (3) और अनुसूची V पैरा सी खंड (10) (आई) के अनुसरण में)

सेवा में

सदस्यगण

कोल इंडिया लिमिटेड,

कोयला भवन, परिसर संख्या 04-एमएआर,
प्लॉट-एफ-3, एक्शन एरिया-1ए,
न्यू टाउन राजरहाट, कोलकाता-700156

मैं निदेशक, कोल इंडिया लिमिटेड, सीआईएन : L23109WB1973GOI028844, पंजीकृत कार्यालय कोयला भवन, परिसर संख्या 04-मार्च, प्लॉट-एफ-III, एक्शन एरिया-1ए न्यू टाउन, राजरहाट कोलकाता-700156 से प्राप्त प्रासंगिक रजिस्टरें, अभिलेखों, प्रपत्रों, रिटर्न और प्रकटीकरणों का जाँच किया है (बाद में कंपनी के रूप में संदर्भित) जो भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमों की अनुसूची V पैरा-सी उप खंड 10 (i) के साथ पढ़े गए विनियम 34 (3) के अनुसार इस प्रमाण पत्र को जारी करने के उद्देश्य से कंपनी द्वारा मेरे समक्ष प्रस्तुत किए गए है।

मेरी राय में और मेरी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और आवश्यक समझे गए सत्यापन पोर्टल www.mca.gov.in पर निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन) स्थिति सहित) और कंपनी और उसके अधिकारियों द्वारा मुझे दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार,

मैं यह प्रमाणित करता हूं कि **31 मार्च, 2023** को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के बोर्ड में किसी भी निदेशक को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय या किसी अन्य वैधानिक प्राधिकरण द्वारा कंपनियों के निदेशक के रूप में नियुक्त होने या जारी रखने से वंचित या अयोग्य घोषित नहीं किया गया है।

क्र.सं.	निदेशक का नाम	डीआईएन	कंपनी में नियुक्ति की मूल तिथि
1.	श्री प्रमोद अग्रवाल	00279727	01/02/2020
2.	श्री नागराजू मद्दीराला, आईएएस	06852727	22/02/2023
3.	श्रीमती निरुपमा कोटरू, आईआरएस	09204338	15/06/2021
4.	श्री विनय रंजन	03636743	28/07/2021
5.	डॉ. वीरा रेण्डी बृथुकुरु,	08679590	01/02/2022
6.	श्री देबाशीष नंदा	09015566	11/07/2022
7.	श्री मुकेश चौधरी	07532479	23/12/2022
8.	सीए दिनेश सिंह	08038875	01/11/2021
9.	श्री नागेश्वर राव गोलापल्ली	08461461	01/11/2021
10.	श्री भोजराजन राजेश चंद्र	02065422	01/11/2021
11.	सीए कामेश कांत आचार्य	09386642	02/11/2021
12.	श्री पुनमभाई कलाभाई मकवाणा	09385881	02/11/2021
13.	डॉ. अरुण कुमार उराँव	09388744	05/11/2021
14.	कैप्टन (सेवानिवृत्त)घनश्याम सिंह राठौड़	09615384	01/03/2023

बोर्ड में प्रत्येक निदेशक की नियुक्ति / निरंतरता के लिए पात्रता सुनिश्चित करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने सत्यापन के आधार पर इन पर राय व्यक्त करूं। यह प्रमाणपत्र न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता का आश्वासन है और न ही उस दक्षता या प्रभावशीलता का आश्वासन है जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है।

एस बसु एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव
फर्म पंजीकरण संख्या: एस2017डब्ल्यूबी456500

ह./-

सौरभ बसु

प्रोपराइटर

सदस्यता संख्या- एसीएस18686सीपी संख्या:14347

सहकर्मी समीक्षा संख्या: 1017/2020

यूडीआईएन:-ए018686ई000552329

प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट

1.0 उद्योग की संरचना एवं विकास

भारत में कोयला एवं कोल इंडिया लिमिटेड की स्थिति

देश में कोयला मुख्य रूप से स्वदेशी ऊर्जा स्रोत बना हुआ है। प्राकृतिक तौर पर प्रचुरता से उपलब्ध, सस्ता एवं भरोसेमंद ईंधन, कोयले के निपुण एवं प्रभावी प्रयोग से राष्ट्र की ऊर्जा सुरक्षा एवं इसकी समृद्धि अभिन्नतापूर्वक जुड़ी हुई है।

कोयले पर निर्भरता का अनुमान इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि भारत की स्थापित बिजली क्षमता का लगभग 49.3%* कोयला (लिग्राइट को छोड़कर) आधारित है। सीआईएल भारत के कुल कोयला उत्पादन का लगभग 79% भारत में उत्पादित करता है और यह अकेले ही 40% प्राथमिक वाणिज्यिक ऊर्जा आवश्यकता की आपूर्ति करता है। चूँकि भारत का लक्ष्य आने वाले वर्षों में अपनी बिजली उत्पादन क्षमता को बढ़ाना है, इसलिए क्षमता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा कोयले से ही आने की उम्मीद है।

“भारत में कोयले की मांग – 2030 और इसका परिदृश्य“ विषय नीति आयोग की रिपोर्ट पर मसौदा (नवंबर'21) के अनुसार, भारत में बिजली उत्पादन में कोयले की मांग बनी रहेगी और निकट भविष्य में पूर्ण अवधि में वृद्धिशील प्रवृत्ति हासिल करेगी। प्रतिशत के संदर्भ में, कुल ऊर्जा मिश्रण में नवीकरणीय ऊर्जा की गहरी पैठ के कारण, ऊर्जा मिश्रण में कोयले की हिस्सेदारी वर्तमान स्तर 72% से घटकर 2030 तक 52%, 2035 तक 43% और 2040 तक 34% होने की संभावना है।

2.0 स्वॉट विश्लेषण



शक्तियाँ

- वृहद स्तर पर परिचालन के कारण उत्पादन लागत में कमी
- विशाल कोयला संसाधन आधार
- भारत में कार्य के भूगौलिक विस्तार के कारण बड़े एवं विविध ग्राहकों तक पहुँच
- सशक्त आर्थिक स्थिति
- कुशल, अत्यंत अनुभवी एवं विविध कार्य-दल
- भारत में बड़ी मांग की आपूर्ति हेतु अत्यंत सक्षम
- विकास एवं वित्तीय निष्पादन का निरंतर एवं सशक्त इतिहास
- गवेषणा, खान योजनाकरण, एवं संचालन की शक्तिशाली क्षमता
- कोयले का न्यूनतम विक्रय मूल्य/ऊर्जा का सबसे सस्ता स्रोत।

उपलब्धता की दृष्टि से कोयला भारत में उपलब्ध सबसे प्रचुर जीवाश्म ईंधन है। भारत में कोयले के भूवैज्ञानिक संसाधन 361 बिलियन टन (01.04.22 तक) से अधिक हैं। उत्पादन की वर्तमान दर पर, मांग को पूरा करने के लिए भंडार पर्याप्त हैं।

भारत सरकार का लक्ष्य देश की पूरी आबादी को स्वच्छ, सस्ती और सतत बिजली उपलब्ध कराना है। यद्यपि पिछले कुछ वर्षों में गैर-कोयला स्रोतों, विशेषकर नवीकरणीय स्रोतों का अनुपात बढ़ा है, फिर भी निकट भविष्य में भी भारत में बिजली उत्पादन के लिए कोयला प्रमुख ईंधन स्रोत बना रहेगा।

आज, भारत दुनिया में कोयले का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, जिसका 2022-23 में लगभग 893.08 मिलियन टन (एमटी) (प्रो.) कोयले का उत्पादन रहा है। भारत में कोयला क्षेत्र में कोल इंडिया लिमिटेड और सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड सहित राज्य उत्पादकों का वर्चस्व है। कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल), अपनी सात पूर्ण स्वामित्व वाली कोयला उत्पादक अनुषंगी कंपनियों और एक खान योजना और परामर्श कंपनी के साथ, दुनिया की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कंपनी है, जिसका कुल उत्पादन वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान लगभग 703.20 मिलियन टन रहा है, जो देश में उत्पादित कुल कोयला उत्पादन का लगभग 79% है।

*एमओपी साइट के अनुसार



कर्मियाँ

- भूमिगत (पुरानी) खदानों में उत्पादन की उच्च लागत।
- भूमि, वैधानिक मंजूरी और कानून एवं व्यवस्था के मुद्दों के कारण कुछ क्षेत्रों में निकासी के बुनियादी ढांचे में बाधा।
- राख की मात्रा अधिक होने के कारण स्वदेशी कोयले की अंतर्निहित निम्न गुणवत्ता।
- भूमि अधिग्रहण में अड़चनें।
- उच्च श्रम लागत।
- स्वदेशी विनिर्माण समर्थन का अभाव।



आशंकाएँ

- जीवाशम ईंधन के उपयोग पर अंकुश लगाने के लिए जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते और ग्लासगो में सीओपी26 का पालन करने के लिए संयुक्त राष्ट्र जैसी अंतरराष्ट्रीय संस्था का दबाव।
- वाणिज्यिक खनन का प्रभाव
- कम लागत वाले आयातित कोयले की उपलब्धता की संभावना स्वदेशी उत्पादन के भविष्य को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकती है।
- भविष्य में ऊर्जा मिश्रण में नवीकरणीय ऊर्जा के अनुपात में वृद्धि और मांग में स्थिरता।
- भूमि के बंटवारे का विरोध, भूमि पर कब्ज़ा और पुनर्वास में समस्याएँ पैदा करना; भूमि की कीमत में तेजी से बढ़ोतरी।



अवसर

- भारत में उपलब्ध वैकल्पिक स्रोतों की तुलना में ऊर्जा का सस्ता स्रोत होने के कारण, कोयला मुख्य प्राथमिक ऊर्जा स्रोत बना रहेगा।
- गैर-कोयला क्षेत्र में विविधीकरण।
- पंचामृत और आत्मनिर्भर भारत की प्रतिबद्धताएँ।
- भारत में मजबूत आर्थिक विकास और इसके परिणामस्वरूप ऊर्जा की मांग, विशेष रूप से ऊर्जा स्रोत के रूप में कोयला।
- बड़े पैमाने पर ग्रामीण विद्युतीकरण और सबके लिए विद्युत उदय योजना।
- पड़ोसी देशों में निर्यात के अवसर।
- स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकी में विविधता लाकर वैकल्पिक ऊर्जा अपनाने का अवसर।
- भारत के समग्र ऊर्जा मिश्रण में महत्वपूर्ण उपस्थिति के लिए सौर क्षेत्र में अपने संचालन में विविधता लाने का अवसर।
- इलेक्ट्रिक वाहनों के बढ़ते उपयोग के कारण बिजली की मांग में वृद्धि।

3.0 वर्ग-वार-निष्पादन

उत्पादन, ऑफ-टेक एवं ओबीआर निष्पादन का विवरण निदेशकों के प्रतिवेदन में उपलब्ध हैं।

4.0 दृष्टिकोणः

सीआईएल ने 2023-24 में विगत वर्ष की तुलना में लगभग 11% वृद्धि के साथ 780 मिलियन टन कोयला आपूर्ति के लक्ष्य की परिकल्पना की थी। इसमें मैं से 80% अंश की खपत ऊर्जा क्षेत्र ही कर लेगा। भविष्य के लिए सीआईएल की विकास योजना देश के सभी घरों में 24x7 बिजली आपूर्ति के लिए सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के अनुरूप है, जिसके लिए 2025-26 तक 1 बीटी कोयला उत्पादन हासिल करने का रोडमैप तैयार किया गया है।

पर्यावरणीय प्रभाव के न्यूनीकरण जैसे प्रमुख मुद्रे के साथ-साथ ऐसे विकास की गति को बनाए रखने के लिए, चुनिंदा खनन, रासायनिक प्रस्तरण एवं सम्मिश्र द्वारा कोयला उत्पादन में गुणवत्ता-वृद्धि करना तथा स्वच्छ कोयला तकनीकी की ओर विविधिकरण की ओर जोर दिया जा रहा है।

नवीन रेलवे बुनियादी ढांचे का निर्माण करने के अलावा, गैर-विनियमित क्षेत्र के लिए स्रोत युक्तिकरण की आंतरिक प्रणाली के माध्यम से लिंकेज नीलामी योजना के माध्यम से मौजूदा क्षमता का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित किया जा रहा है। इसके अलावा, यह गैर-मार्ग साधन जैसे कवेयर, एमजीआर / रेल आदि के माध्यम से उपभोक्ता को “प्रथम मील कनेक्टिविटी” (एफएमसी) सुनिश्चिती परिकल्पित की गई है।

सीआईएल ‘कोयला से रसायन’ व्यवसाय (सीटीएल, एससीजी आदि) में विविधता लाने के अवसर भी तलाश रही है। इसका उद्देश्य अधिक मूल्यवर्धन सुनिश्चित करना है, जिससे कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन में सुधार होगा और दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित होगी।

सीआईएल ने 2023-24 से अपनी मात्रात्मक वृद्धि को बनाए रखने के लिए 16,600 करोड़ रुपये के पूँजी निवेश की योजना बनाई है। इसके अलावा, कंपनी ने 2023-24 में विभिन्न योजनाओं जैसे रेलवे बुनियादी ढांचा परियोजना का विकास, सौर ऊर्जा, थर्मल पावर प्लाट, सतही कोयला गैसीकरण, कोल बेड मीथेन (सीबीएम), उर्वरक संयंत्रों का पुनरुद्धार आदि में पर्याप्त राशि निवेश करने की भी परिकल्पना की है।

विषयन दृष्टिकोणः

मांग परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए, वर्ष 2022-23 का लक्ष्य 700 मिलियन टन के स्तर पर निर्धारित किया गया था।

अनुमानित उत्पादन की निर्बाध निकासी प्रणाली बनाने के लिए, अनुंयानी कंपनियों की मौजूदा, चालू और भविष्य की परियोजनाओं के लिए कोयला निकासी के बुनियादी ढांचे को बढ़ाने और मजबूत करने की एक कार्य योजना बनाई गई है। रेल बुनियादी ढांचे का निर्माण ‘जमा आधार’ के साथ-साथ रेल सार्वजनिक उपक्रमों और संबंधित राज्य सरकार के साथ एसपीवी बनाकर किया जा रहा है। लगभग 21,250 करोड़ रुपये के निवेश का विवरण इस प्रकार है:

- तोरी-शिवपुर नई बीजी डबल लाइन (43.70 किमी) लगभग 65 एमटीपीए निकासी के लिए सीआईएल द्वारा वित्त पोषित की गई थी और दिसंबर 2019 में चालू की गई। तीसरी लाइन का निर्माण कार्य चल रहा है और इसे दिसंबर 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इससे सीसीएल, झारखंड के उत्तरी

करनपुरा कोयला क्षेत्र से लगभग 100 एमटीपीए कोयला निकासी की क्षमता बढ़ जाएगी।

- झारसुगुडा-बारपाली-सारदेगा नई बीजी लाइन (52.41 किलोमीटर) को ओडिशा में ग्रीनफिल्ड बसुंधरा कोयला क्षेत्र से लगभग 35 एमटीपीए निकासी के लिए सीआईएल द्वारा वित्त पोषित किया गया था और अप्रैल 2018 में चालू किया गया था। इसकी निकासी क्षमता को लगभग 65 एमटीपीए तक बढ़ाने के लिए बारपाली में बल्ब लोड करने और झारसुगुडा में फ्लाईओवर कॉम्प्लेक्स के साथ इस रेल लाइन के दोहरीकरण का निर्माण कार्य चल रहा है। (दोहरीकरण कार्य दिसंबर 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य है)।
- एमसीएल के तालचेर कोलफील्ड्स में लगभग 4.5 किलोमीटर की देउलबेड़ा साइडिंग के साथ लिंगराज साइलो की रेल कनेक्टिविटी मई 21 में शुरू की गई थी। इससे रेलवे नेटवर्क में लगभग 5 एमटीपीए निकासी क्षमता जुड़ गई है।
- महानदी कोल रेलवे लिमिटेड (एमसीआरएल), एमसीएल की एक एसपीवी ने ओडिशा के तालचेर कोयला क्षेत्र में अंगुल-बलराम रेल लिंक (14.22 किमी) का निर्माण किया है। यह नई रेलवे लाइन नवंबर 22 में चालू की गई थी और इससे लगभग 15 एमटीपीए अतिरिक्त कोयला निकासी की सुविधा मिलेगी।
- छत्तीसगढ़ ईस्ट रेल लिमिटेड (सीईआरएल), एसईसीएल का एक एसपीवी जो छत्तीसगढ़ राज्य में ईस्ट रेल कॉरिडोर विकसित कर रहा है। पहले चरण में, खरसिया से धरमजयगढ़ (0-74 किमी) के बीच मुख्य कॉरिडोर चालू कर दिया गया है और कोयले की निकासी हो रही है। छाल एवं बड़ौदा फीडर लाइन का वाणिज्यिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। शेष कार्य प्रगति पर है एवं यह परियोजना मांड-रायगढ़ कोयला क्षेत्र से लगभग 65 एमटीपीए कोयला की निकासी करेगी तथा दिसंबर 2023 तक चालू होने का अनुमान है। दूसरे चरण में, धरमजयगढ़ और कोबा (62.5 किलोमीटर) के बीच नई रेलवे लाइन का निर्माण किया जाएगा। वर्तमान में भूमि अधिग्रहण कार्य प्रगति पर हैं और मार्च 2026 तक चालू होने की उम्मीद है। इससे रेलवे नेटवर्क में लगभग 25 एमटीपीए निकासी क्षमता जुड़ जाएगी।
- छत्तीसगढ़ ईस्ट वेस्ट रेल लिमिटेड (सीईडब्ल्यूआरएल), एसईसीएल का एक एसपीवी, जो छत्तीसगढ़ में कोबा कोयला क्षेत्र से लगभग 65 एमटीपीए कोयला निकालने के लिए गेवरा रोड से पेंड्रा रोड (135 किमी) तक ईस्ट-वेस्ट रेल कॉरिडोर विकसित कर रहा है। निर्माण कार्य प्रगति पर हैं और नई रेलवे लाइन दिसंबर 2024 तक शुरू होने की उम्मीद है।
- झारखंड कोल रेलवे लिमिटेड (जेसीआरएल), सीसीएल का एक एसपीवी जो झारखंड राज्य में शिवपुर - कठौतिया रेल कनेक्टिविटी (49.08 किलोमीटर) का निर्माण कर रहा है। इस लाइन के माध्यम से सीसीएल की खदानों से लगभग 25 एमटीपीए कोयला निकासी की योजना है। कार्य प्रगति पर है और मार्च 2025 तक नई रेलवे लाइन चालू होने की उम्मीद है।

ये सभी नई रेल परियोजनाएं पूरी तरह चालू होने पर भारतीय रेलवे नेटवर्क में लगभग 415 एमटीपीए कोयला निकासी क्षमता जोड़ देंगी। इस 415 एमटीपीए क्षमता में से, लगभग 170 एमटीपीए क्षमता पहले ही भारतीय रेलवे नेटवर्क में जोड़ दी गई है और शेष क्षमता बढ़ाने के लिए निर्माण कार्य प्रगति पर है और दिसंबर 26 तक पूरा होने की उम्मीद है।

उपरोक्त के अलावा, सीआईएल लगभग 7000 करोड़ रुपये के पूँजी निवेश के साथ नई एफएमसी रेल कनेक्टिविटी और रेलवे साइडिंग भी विकसित कर रहा है।

यंत्रीकृत और कम्प्यूटरीकृत लोडिंग

जुलाई 2019 तक सीआईएल की 151 एमटीपीए रैपिड लोडिंग क्षमता के अलावा, सीआईएल ने लगभग 24,250 करोड़ रुपये के अनुमति पूँजी निवेश पर तीन चरणों में 'फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी' परियोजनाओं के तहत मशीनीकृत कोयला परिवहन और लोडिंग सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए भी कदम उठाए हैं।

कोयला निकासी बुनियादी ढांचे के उन्नयन और विस्तार की दिशा में सीआईएल के प्रयासों को मजबूत करने के लिए 763.5 एमटीपीए की 61 फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी (एफएमसी) परियोजनाएं लागू की जा रही हैं।

सीआईएल ने पहले ही 92 एमटीपीए क्षमता की 7 एफएमसी परियोजनाएं शुरू कर दी हैं। वर्तमान वित्त वर्ष 23-24 में 17 एफएमसी परियोजनाएं पूरी होने की उम्मीद है। सीआईएल ने वित्त वर्ष 28-29 तक चरण- I, चरण- II और चरण- III की सभी परियोजनाओं को चालू करने की योजना बनाई है, जिससे संचयी रैपिड लोडिंग क्षमता 914.5 एमटीपीए हो जाएगी।

समग्र रूप से, सीआईएल अपने कमांड क्षेत्रों में मशीनीकृत निकासी बुनियादी ढांचे को विकसित करने में लगभग 52,500 करोड़ रुपये का निवेश कर रहा है।

31.3.2023 तक सीआईएल के पास पूर्व से ही पावर और गैर-पावर क्षेत्रों से लगभग 665 एमटीपीए का दीर्घकालिक लिंकेज मौजूद है। विभिन्न ई-नीलामी योजनाओं के माध्यम से भी इसकी बिक्री प्रस्तावों की लागतार मांग है। सीआईएल के पास अपने परिकल्पित उत्पादन की सुनिश्चित मांग है, चूंकि 'शक्ति' नीति जिसे बिजली क्षेत्र को कोयला लिंकेज प्रदान करने तथा गैर-विनियमित क्षेत्र के उपभोक्ताओं के लिए लिंकेज की नीलामी को आगे के चरणों के माध्यम से सीआईएल द्वारा नियमित आधार पर आयोजित करने के लिए सरकार द्वारा 22.5.2017 को शुरू की गई है, जिससे विद्युत क्षेत्र के उपभोक्ताओं के विभिन्न खंडों को लिंकेज आवंटन की चल रही प्रक्रिया के तहत और अधिक मजबूती प्राप्त होगी।

सीआईएल के लिए व्यावसायिक परिचालन में गुणवत्ता आश्वासन और पारदर्शिता के माध्यम से ग्राहक संतुष्टि प्राप्तिक्रिया बाले क्षेत्र रहे हैं। उपभोक्ताओं का विश्वास और संतुष्टि बढ़ाने के लिए की गई पहल जिसमें बिजली क्षेत्र के उपभोक्ताओं को एफएसए प्रावधान के अनुसार केवल आकार के कोयले की आपूर्ति, पैनल में शामिल तृतीय पक्ष एजेंसियों की संलग्नता के माध्यम से सभी योजनाओं के तहत सभी क्षेत्रों के उपभोक्ताओं के लिए तृतीय पक्ष नमूनाकरण सुविधा का विस्तार, कोलफिल्ड क्षेत्रों में उपभोक्ता की पसंद के अनुसार ऑन लाइन ऐस एवं ऊर्जा विश्लेषक की स्थापना, ग्रेड स्लिपेज पर प्रतिबंध, एफएसए आदि के द्वाये में गुणवत्ता के आधार पर समय पर क्रेडिट/डेबिट नोट जारी करना, प्रमुख क्षेत्र स्तरीय प्रयोगशालाओं को एनएबीएल से मान्यता देना और उन्हें कोयले के कैलोरी मान का पता लगाने और सरफेस माइनर्स के माध्यम से उत्पादन बढ़ाने के लिए स्वचालित 'बम कैलोरीमीटर' से युक्त करना शामिल है। सीआईएल द्वारा लॉन्च किए गए विभिन्न सरल मैनू संचालित ऐप जैसे बिजली उपभोक्ताओं के लिए सेवा (सरल ईंधन वितरण एप्लीकेशन), ग्राहक सड़क कोयला वितरण, उत्तम (खनित कोयले के तीसरे पक्ष के मूल्यांकन द्वारा पारदर्शिता को लागू करना) और राज्य नामांकित एजेंसियों के माध्यम से कोयले के

वितरण के लिए सीएएमएस (कोयला आवंटन निगरानी प्रणाली), जिसके माध्यम से उपभोक्ताओं और अन्य संबंधित हितधारकों को आवंटन, प्रेषण, प्रेषण के तीसरे पक्ष के गुणवत्ता मूल्यांकन आदि के बारे में जानकारी प्राप्त होने आदि की मदद से पारदर्शिता का उद्देश्य भी हासिल किया जाता है।

साथ ही, नियमित आधार पर कोयला बिलों के निपटान में तेजी लाने और सुविधा प्रदान करने के लिए, कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा एक ऑनलाइन समाधान पोर्टल विकसित किया गया है। उपभोक्ताओं के साथ-साथ सहायक कंपनियों को पंजीकरण के बाद ऑनलाइन बिल-टू-बिल समाधान करने और पोर्टल के सुचारू कामकाज के लिए विभिन्न गतिविधियों को निष्पादित करने की सलाह दी गई है। अधिकांश बिजली उपभोक्ता पोर्टल पर जुड़ चुके हैं। इस पोर्टल के माध्यम से उपभोक्ताओं का ऑनलाइन समाधान किया जा रहा है।

प्रचालन दृष्टिकोण:

20 करोड़ रुपये से अधिक लागत की 117 प्रगतिशील परियोजनाएँ, जिनकी कुल क्षमता लगभग 929 एमटीवाई और स्वीकृत पूँजी लगभग 139436 करोड़ रुपये है, कार्यान्वयन (01.04.2023 तक) के विभिन्न चरणों के अधीन हैं। 2023-24 में उत्पादन लक्ष्य प्राप्त करने हेतु, लगभग 33 एमटीवाई की वृद्धिशील क्षमता बाले 13 प्रस्ताव ईसी अनुमोदन के विभिन्न चरणों में हैं। वित्त वर्ष 2023-24 में, कोयला उत्पादन लक्ष्य हासिल करने के लिए 3068.887 हेक्टेयर बन भूमि से जुड़े 15 प्रस्ताव में चरण- II एफसी की आवश्यकता है। साथ ही, लक्ष्य हासिल करने के लिए सीआईएल की अनुषंगी कंपनियों के पास कुल 2090.87 हेक्टेयर भूमि होने का अनुमान लगाया गया है।

विस्तार कार्यक्रम को आईटी सक्षम समाधानों की मदद से संरचित विधि से प्रबंधित किया जाएगा। प्रचालन, रखरखाव और सहायक कार्यों में पारदर्शिता लाने के लिए ईआरपी प्रणाली का कार्यान्वयन पहले से ही चल रहा है और इसे एनईसी सहित सभी अनुषंगी कंपनियों और सीआईएल मुख्यालय में शुरू किया गया है। पीएस मॉड्यूल के माध्यम से महत्वपूर्ण खानों के परियोजना कार्यान्वयन की निगरानी की जा रही है। सीआईएल ने परिचालन दक्षता में सुधार के लिए खदानों के डिजिटलीकरण के कार्यान्वयन के लिए पहल की है जिसे एनसीएल और एसईसीएल की सात (7) खदानों में लागू किया गया है।

कम्पनी ने बड़ी संख्या में खानों के मशीनीकरण तथा स्वचलन स्तर से संबंधित प्रब्लेम्स सलाहकार द्वारा तैयार किए गए दो प्रतिवेदनों का अध्ययन कर लिया है। इसका लक्ष्य है, खान योजनाकरण, गवेषणा, सर्वेक्षण, प्रचालन एवं अनुरक्षण कार्यों में अवसरों को चिह्नित करना।

निजी क्षेत्र की अत्याधुनिक तकनीक और दक्षता को बढ़ावा देने के लिए, एमडीओ मार्ग के माध्यम से नई खदानों/ब्लॉकों के विकास और संचालन के लिए पहल की गई है। इसके अलावा, सीआईएल ने एमडीओ मार्ग के माध्यम से संचालन के लिए अब तक 37 बंद/परित्यक्त/बंद भूमिगत खदानों की पहचान की है। इसमें से 10 खदानों के लिए एलओए जारी किया जा चुका है।

पर्यावरण और सामाजिक रूप से अनुकूल तरीके से कोयला निकालने की दृष्टि से, सीआईएल अब भूमिगत खदान से अपना उत्पादन बढ़ाने पर विचार कर रही है। चूंकि खुले खदान से प्राप्त कोयला निकट भविष्य में समाप्त होने की संभावना है और उच्च क्षमता बाली अत्याधुनिक भूमिगत खदानों निम्नलिखित के लिए तैयार की जाएंगी:

- 250 मीटर से कम गहराई और पर्यावरणीय बाधा वाले स्थानों पर वृहद उच्च क्षमता बाली अत्याधुनिक भूमिगत खदानों को चिह्नित करना तथा योजना बनाना।

- बड़ी संख्या में पुरानी/बंद/परित्यक संभावित ओसी खदानों जो अब बेकार पड़ी हैं, उन्हें हाईवॉल खनन के माध्यम से शुरू करने के लिए चिन्हित किया जा रहा है। अब तक हाईवॉल खनन के लिए ऐसी 23 खदानों की पहचान की गई है, जिनमें से दो खदानों में परिचालन शुरू कर दिया गया है और तीन अन्य के लिए एलओए जारी किया गया है।
- वन भूमि के नीचे नव सीमों और खंभों के रूप में खड़ी सीमों से कोयला निकालने/निष्कर्षण की सुविधा के लिए अधिदेश में छूट प्राप्त करने के लिए एक कार्यप्रणाली शुरू की गई है।

स्थायी आधार पर उत्पादन वृद्धि में सहायता हेतु, अन्वेषण में सहक्रियाशील विकास की भी परिकल्पना की गई है। अन्वेषण में उच्च दर प्राप्त करने के लिए पीसीडी बिट्स और 3डी भूकंपीय सर्वेक्षण प्रौद्योगिकी के साथ हाइड्रोस्टैटिक ड्रिलिंग के बढ़ते उपयोग की योजना बनाई गई है। सीआईएल भारत में अपना रिजर्व आधार बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करता रहेगा।

सीआईएल आईआईसीएम सहित अनुषंगी कंपनियों में प्रशिक्षण संस्थानों की क्षमता बढ़ाने की प्रक्रिया में भी है। मानव संसाधन क्षमता निर्माण के लिए देश के भीतर और यहां तक कि विदेशों में भी अपने-अपने क्षेत्रों में प्रतिष्ठित संस्थानों के सहयोग से कई अन्य कार्यों पर विचार किया जा रहा है।

सतत विकास के लिए दृष्टिकोण:

कोल इंडिया और इसकी अनुषंगी कंपनियों की संचयी बिजली अनुबंध मांग लगभग 1100 एमवीए है और वार्षिक ऊर्जा खपत लगभग

2025-26 तक नेट जीरो एनर्जी कंपनी बनने के लिए सौर ऊर्जा के विकास के लिए सीआईएल की कार्य योजना इस प्रकार है:-

वर्ष	वर्ष 2022-23 तक वर्तमान स्थापना	वर्ष 2022-23 तक			कुल
		2023-24	2024-25	2025-26	
क्षमता (मेगावाट)	11.05	398.82	1443	1158	3000

क) सीआईएल द्वारा अपने आरपीओ दायित्व को पूरा करने के लिए सौर ऊर्जा खरीद हेतु जीयूवीएनएल द्वारा आयोजित ई-रिवर्स नीलामी के तहत 26/4/21 को 100 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना प्रदान की गई। सीआईएल 25 वर्षों की अवधि के लिए जीयूवीएनएल को सौर ऊर्जा की आपूर्ति करने के लिए गुजरात में सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित कर रही है।

ख) सीआईएल ने आरवीयूएनएल के 2000 मेगावाट के सौर पार्क में 1190 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए 13 अक्टूबर 2022 को राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (आरवीयूएनएल) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया।

ग) 200 मेगावाट (एनसीएल-50 मेगावाट, एमसीएल-50 मेगावाट, सीसीएल-20 मेगावाट, बीसीसीएल-25 मेगावाट, डब्ल्यूसीएल-15 मेगावाट और एसईसीएल-40 मेगावाट) सौर परियोजनाएं सीआईएल की अनुषंगी कंपनियों को सौंपी गई हैं जो 2023-24 के दौरान चालू की जाएंगी।

घ) 55 मेगावाट (बीसीसीएल-20 मेगावाट और ईसीएल-35 मेगावाट) की क्षमता के लिए निविदा आवंटन चरण के अधीन।

इ) परियोजना डीपीआर अनुमोदन चरण के अंतर्गत- 115 मेगावाट (55 मेगावाट-डब्ल्यूसीएल, एसईसीएल-40 मेगावाट, एमसीएल-50 मेगावाट)।

4600 मिलियन है। कोल इंडिया लिमिटेड अपनी विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करने के लिए स्वच्छ ऊर्जा को अपनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। 2022-23 के दौरान इसकी स्थापित आरई इकाइयों के माध्यम से उत्पन्न कुल सौर ऊर्जा लगभग 68.36 लाख यूनिट थी जो पिछले वर्ष की तुलना में 70% अधिक है।

इस प्रयास में, सीआईएल ने वर्तमान जीवाश्म ईंधन-आधारित बिजली आवश्यकता को पूरा करने के लिए 3000 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करके एक नेट-शून्य ऊर्जा कंपनी बनने की योजना बनाई है। सीआईएल ने नई और नवीकरणीय ऊर्जा (गैर-पारंपरिक) क्षेत्रों के नए व्यावसायिक क्षेत्रों में उद्यम करने के लिए 'सीआईएल नवकरणीय ऊर्जा लिमिटेड (सीएनयूएल)' नाम से एक अनुषंगी कंपनी भी गठित की है।

सीआईएल ने 3000 मेगावाट लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए त्रि-स्तरीय कार्यनीति की परिकल्पना की है-

- जहां भी संभव हो, सीआईएल की अनुषंगी कंपनियों में उपलब्ध भूमि खंडों और छत पर सौर परियोजनाओं का विकास।
- उच्च क्षमता वाले राज्यों जैसे राजस्थान और गुजरात आदि में सौर परियोजनाओं का विकास
- एसईसीआई/डिस्कॉम/पावर एक्सचेंज आदि के सौर निविदाओं में भाग लेकर सौर परियोजनाओं का विकास करना।

च) लगभग 20 मेगावाट की छत सौर ऊर्जा परियोजनाएं अनुषंगी कंपनियों में कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। बिजली लागत को कम करने के लिए सहायक कंपनियों के आवासीय/वाणिज्यिक भार को पूरा करने के लिए अधिक छतों की पहचान की जा रही है।

छ) सीआईएल की अनुषंगी कंपनियों ने ओपन एक्सेस एंव ग्रिड कनेक्टिविटी पर राज्य के नियमों के अनुसार कैप्टिव आवश्यकता के लिए लगभग 725 मेगावाट सौर परियोजनाओं की स्थापना के लिए भूमि चिन्हित की गई है।

ज) सीआईएल परित्यक खदानों और बड़े जलाशयों पर पंप भंडारण संयंत्र (पीएसपी) और फ्लोटिंग सौर परियोजनाएं स्थापित करने के लिए उपयुक्त स्थलों की खोज कर रहा है। सौर परियोजनाओं को स्थापित करने के लिए स्थिर ओबी डंप की खोज की जा रही है।

शोध एंव विकास:

सीएमपीडीआईएल कोयला क्षेत्र में एस एंड टी परियोजनाओं के साथ-साथ सीआईएल की आर एंड डी परियोजनाओं के सम्बन्ध और निगरानी के लिए नोडल एजेंसी है। सीआईएल की ओर से सीएमपीडीआई द्वारा शुरू की गई एसएंडटी और आरएंडडी परियोजनाओं का विवरण अनुलग्नक-क में संलग्न है।

5.0 जोखिम तथा समस्याएँ

सीआईएल में एक व्यापक जोखिम प्रबंधन ढांचा विद्यमान है जिसमें निम्न शामिल हैं:-

- (क) प्राथमिकता वाले जोखिमों/आरटीएम (प्रमुख जोखिम) की पहचान करने, प्राथमिकता देने और शमन योजनाएं बनाने की प्रक्रिया तथा
- (ख) जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया के निर्वहन में विभिन्न अधिकारियों, समिति और बोर्ड की भूमिका तथा जिम्मेदारियों की रूपरेखा बनाना।

निरंतर जोखिम मूल्यांकन और शमन सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक जोखिम और उसके अनुरूप शमन योजनाओं के लिए जोखिम निवारकों तथा शमन योजना निवारणकर्ताओं की पहचान की गई है। सेबी (एलओडीआर) विनियम 2015 के अनुपालन में निदेशक मंडल की एक उप-समिति अर्थात् जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) का गठन किया गया है। आरएमसी जोखिम प्रबंधन ढांचे की प्रभावशीलता को दिशा प्रदान करता है और उसका मूल्यांकन करता है।

सीआईएल की जोखिम प्रबंधन समिति के निर्देशन में सीआईएल के मुख्य जोखिम अधिकारी (सीआरओ) और उनकी टीम कंपनी के जोखिम का आकलन करती है और प्राथमिकता वाले जोखिमों के लिए जोखिम शमन योजना तैयार करती है और इसके कार्यान्वयन की सुविधा प्रदान करती है।

जोखिम प्रबंधन समिति के निर्णय के अनुसार, आरटीएम में साइबर सुरक्षा से संबंधित जोखिम को शामिल किया गया है। सीआईएल निरंतर आधार पर शमन उपायों की निगरानी और कार्यान्वयन कर रहा है।

6.0 आंतरिक नियंत्रण प्रणालियाँ और उनकी पर्याप्तता

कॉल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) में व्यवसाय के सुचारू एवं कुशल संचालन के लिए एक मजबूत आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और प्रक्रियाएँ हैं जो प्रासंगिक कानूनों और विनियमों का अनुपालन करती है। सुचारू रूप से निर्णय लेने के लिए शक्तियों का एक व्यापक प्रतिनिधिमंडल मौजूद है। समान अनुपालन के लिए खातों को तैयार करने के लिए विस्तृत दिशानिर्देशों का पालन किया जाता है। इसके अलावा, सभी प्रमुख कार्यात्मक क्षेत्र संबंधित ऑपरेटिंग मैनुअल द्वारा शासित होते हैं। यह सुनिश्चित करते के लिए कि सभी जांच और संतुलन ठीक हैं और सभी आंतरिक नियंत्रण प्रणालियाँ क्रम में हैं, कंपनी के आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग के साथ निकट समन्वय में लेखाकारों की अनुभवी फर्मों द्वारा नियमित और संपूर्ण आंतरिक लेखा परीक्षा आयोजित की जाती है।

कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की समीक्षा नियुक्त आंतरिक लेखा परीक्षकों द्वारा की गई। उनके अनुसार, “कंपनी ने सभी भौतिक मामलों में, आंतरिक वित्तीय नियंत्रण (परिचालन नियंत्रण सहित) निर्धारित किए हैं और ऐसे नियंत्रण पर्याप्त हैं और 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के दौरान प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे।”

7.0 परिचालन निष्पादन के संबंध में वित्तीय निष्पादन पर चर्चा

वित्तीय चर्चा एवं विश्लेषण

कंपनी ने वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान रिकॉर्ड उत्पादन और प्रेषण के कारण अभूतपूर्व लाभप्रदता हासिल की। सीआईएल ने वित्त वर्ष 22-23 में ₹ 38,000.81 करोड़ का कर पूर्व लाभ (पीबीटी) और

₹ 28,124.94 करोड़ का कर पश्चात लाभ (पीएटी) दर्ज किया। विगत वर्ष की तुलना में पीबीटी में 61% की वृद्धि तथा पीएटी में विगत वर्ष की तुलना में 62% की वृद्धि दर्ज की गई। इस वर्ष लाभ ने वित्तीय वर्ष 2018-19 में ₹ 27,126.87 करोड़ के उच्चतम पीबीटी और ₹ 17,464.42 करोड़ के पीएटी के पिछले रिकॉर्ड को पार कर लिया है।

लाभ में उल्लेखनीय वृद्धि का श्रेय मुख्य रूप से 694.69 मिलि. टन (32.80 मिलि. टन अर्थात् 5% की वृद्धि) प्रति टन औसत प्राप्ति में वृद्धि के साथ, रिकॉर्ड उठान के कारण बिक्री (शुद्ध) में ₹ 27,064.90 करोड़ की उल्लेखनीय वृद्धि को दिया जा सकता है।

होल्डिंग कंपनी के निदेशक मंडल ने आगामी एजीएम में अनुमोदन के अधीन, प्रति इक्कीटी शेयर ₹ 4 के अंतिम लाभांश की सिफारिश की है। यह अंतिम लाभांश ₹ 20.25 इक्कीटी शेयरों के अंकित मूल्य (प्रत्येक ₹ 10) का 202.50% के अंतरिम लाभांश से अधिक है जो चालू वर्ष के दौरान अपने शेयरधारकों को भुगतान किया गया था। कंपनी ने ₹ 14 प्रति शेयर के अंतरिम लाभांश का भुगतान किया जो कि इक्कीटी शेयर के अंकित मूल्य का 140% था, साथ ही विगत वर्ष के लिए ₹ 3 प्रति इक्कीटी शेयर के अंतिम लाभांश का भुगतान किया।

1. कुल आय:

बिक्री को सकल बिक्री (वित्तीय विवरणों के नोट्स में) और विभिन्न वैधानिक लेवी (लाभ और हानि के विवरण में) के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें रॉयल्टी, जीएसटी, जीएसटी मुआवजा उपकर, कोयले पर उपकर, राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट (एनएपर्फीटी), जिला खनिज फाउंडेशन (डीएमएफ) और अन्य शुल्क आदि को भुगतान शामिल है। कोयले की बिक्री से होने वाली आय मुख्य रूप से कोयले के मूल्य निर्धारण, उत्पादन और वितरण पर निर्भर करती है।

वित्त वर्ष 2022-23 में सीआईएल ने रिकॉर्ड उठाव के साथ अब तक की सबसे अधिक बिक्री दर्ज की। वर्ष के दौरान कोयले की मांग में वृद्धि के कारण ₹-नीलामी प्राप्ति में तीव्र वृद्धि हुई। कंपनी ने वर्ष के दौरान, विगत वर्ष के 661.89 मिलियन टन के मुकाबले 694.69 मिलियन टन का उठाव हासिल किया, जो 5% की वृद्धि दर्शाता है। मात्रात्मक वृद्धि तथा प्रति टन औसत प्राप्ति में वृद्धि के कारण बिक्री राजस्व में वृद्धि हुई। मुख्य रूप से ₹-नीलामी बिक्री में बेहतर प्रीमियम के कारण प्रति टन औसत प्राप्ति में वृद्धि हुई। उठाव में वृद्धि के साथ, कंपनी ग्राहकों के उठाव लक्ष्य हासिल कर सकी और इसके परिणामस्वरूप वित्त वर्ष 22-23 के दौरान विगत वर्ष की तुलना में उच्च प्रदर्शन प्रोत्साहन प्राप्त हुआ। उपरोक्त के अलावा, विगत वर्ष के दौरान कुछ शर्तों के तहत पावर सेक्टर एफएसए उपभोक्ताओं के लिए प्रदर्शन प्रोत्साहन को माफ कर दिया गया था।

विगत वर्ष की शुद्ध बिक्री की तुलना में वर्ष के दौरान प्रतिवेदित शुद्ध बिक्री (अर्थात् लेवी का शुद्ध) में 26.91% की वृद्धि हुई। आंकड़े में, पिछले वर्ष के दौरान शुद्ध बिक्री ₹ 1,00,562.57 करोड़ के मुकाबले चालू वर्ष में ₹ 1,27,627.47 करोड़ रही।

अन्य परिचालन राजस्व का एक प्रमुख तत्व ग्राहकों से प्राप्त परिवहन शुल्क है। कंपनी दूरी और संबंधित दरों के विभिन्न स्लैब के तहत प्रेषण बिंदुओं तक कोयले के परिवहन के लिए परिवहन लागत वसूलती है। वर्ष के दौरान वसूल किए गए लोडिंग और परिवहन शुल्क (लेवी का शुद्ध) पिछले वर्ष के 5,236.39 करोड़ रूपये के मुकाबले 6,138.57 करोड़ रूपये रहा, जो मुख्य

रूप से वर्ष के दौरान ऑफटेक में वृद्धि और सतह परिवहन शुल्क में संशोधन के कारण था।

ग्राहकों को सभी प्रेषणों पर निकासी सुविधा शुल्क का बिल दिया जाता है। 01.08.2021 से निकासी सुविधा शुल्क में 60 रुपये प्रति टन की बढ़ोतरी के साथ-साथ ऑफटेक में वृद्धि ने निकासी सुविधा शुल्क (लेवी का शुद्ध) को पिछले वर्ष के ₹ 3,632.07 करोड़ से बढ़ाकर चालू वर्ष में ₹ 4,161.38 करोड़ करने में योगदान दिया।

सेवाओं से प्राप्त राजस्व में मुख्य रूप से कंपनी के बाहर की पार्टियों को सीआईएल की अनुषंगी कंपनी सीएमपीडीआईएल द्वारा प्रदान की जाने वाली परामर्श और अन्य सेवाएं तथा सीआईएल की अनुषंगी कंपनी एसईसीएल की अनुषंगी कंपनी द्वारा रेल परिचालन से माल ढुलाई आय शामिल है। चालू वर्ष के दौरान, एसईसीएल की अनुषंगी कंपनी द्वारा रेल परिचालन से माल ढुलाई आय में पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 24.59 करोड़ की वृद्धि हुई। वित्त वर्ष 2022-23 में सेवाओं से राजस्व ₹ 321.11 करोड़ (लेवी का शुद्ध) रहा, जबकि वित्त वर्ष 2021-22 में यह ₹ 282.93 करोड़ (लेवी का शुद्ध) था।

अन्य आय में बैंकों के पास जमा से ब्याज आय, म्यूचुअल फंड की बिक्री पर लाभ, किराये की आय, प्रावधानों और देनदारियों का राइट-बैंक, अन्य विविध आय आदि शामिल हैं। वर्ष के दौरान, वित्त वर्ष 2021-22 में अन्य आय 68.77% की वृद्धि के साथ ₹ 3,881.41 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2022-23 में ₹ 6,550.66 करोड़ हुई।

वर्ष के दौरान औसत ब्याज दरों और निवेश में वृद्धि के साथ ब्याज आय में ₹ 1,456.54 करोड़ की वृद्धि हुई। व्यापार प्राप्तियों से बकाया राशि पर ₹ 377 करोड़ के ब्याज को भी मान्य किया गया और ₹ 616.92 करोड़ की अतिरिक्त आय को मुख्य रूप से ग्राहक और ठेकेदार से वसूले गए जुमर्ने, ईएमडी/एसडी की जब्ती के कारण मान्यता दी गई।

2. व्यय

कर्मचारी लाभ व्यय में वेतन, मजदूरी और भत्ते, भविष्य निधि में योगदान, पेंशन और ग्रेच्युटी, कर्मचारी कल्याण व्यय, औवरटाइम भुगतान, अवकाश नकदीकरण, उपस्थिति बोनस, उत्पादकता और प्रदर्शन से जुड़े बोनस और अन्य प्रोत्साहन, और अन्य कर्मचारी लाभ शामिल हैं।

कुल व्यय का लगभग 46% कर्मचारी लाभ व्यय कंपनी का सबसे महत्वपूर्ण व्यय है। चालू वर्ष के दौरान कर्मचारी लाभ व्यय ₹ 49,409.16 करोड़ रहा जो वित्त वर्ष के व्यय ₹ 40,473.21 करोड़ की तुलना में 22% अधिक है।

हालाँकि चालू वर्ष के दौरान श्रमशक्ति में 9340 कर्मचारियों की शुद्ध कमी हुई है, कर्मचारी लाभ व्यय में तीव्र वृद्धि का उल्लेखनीय कारण, 01.07.2021 से कंपनी के गैर-अधिकारी कर्मचारियों के वेतन में संशोधन के लिए राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौते दख्ख की चालू वार्ता पर अद्यतन जानकारी के साथ चालू वर्ष के दौरान व्यय के रूप में लगभग ₹ 8152.75 करोड़ का प्रावधान करना रहा। तुलनात्मक रूप से वित्त अवधि में प्रावधान केवल ₹ 1080.97 करोड़ था।

इसके अतिरिक्त, प्रारंभ में धनराशि जमा करने में देरी पर प्रतिपूरक ब्याज के रूप में कार्यकारी परिभाषित अंशदान पेंशन योजना निधि को चालू वर्ष के दौरान ₹ 456 करोड़ का भुगतान किया गया था।

उपभोग्य सामग्री की लागत कोयला खनन और प्रसंस्करण कार्यों में उपयोग की जाने वाली सामग्री और भंडार की वस्तुओं जो मुख्य रूप से तेल और स्नेहक (डीजल सहित), विस्फोटक, एचडीएमएम स्प्रेयर और लकड़ी से संबंधित है। कोयला खनन कार्यों में उपयोग की जाने वाली अन्य उपभोग्य सामग्रियों में टायर, अन्य संयंत्रों के लिए स्प्रेयर और कोयला हैंडलिंग संयंत्रों और लाभकारी सुविधाओं से संबंधित मशीनरी, और अन्य विविध भंडार और स्प्रेयर शामिल हैं।

वित्त वर्ष की तुलना में मौजूदा अवधि के दौरान उच्च समग्र उत्पादन के साथ-साथ डीजल और विस्फोटकों की कीमतों में वृद्धि के कारण वित्त वर्ष 2022-23 में उपभोग्य सामग्री की लागत 4,113.49 करोड़ रुपये अर्थात् 43.56% बढ़ गई।

सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों और कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के पालन में, कंपनी ने अपनी सीएसआर नीति विकसित की है। नीति के अनुसार, कंपनी, कंपनी अधिनियम की अनुसूची-VII में सूचीबद्ध विषयों के आधार पर सीएसआर गतिविधियां संचालित करती है।

कोल इंडिया लिमिटेड ने अपने अलग वित्तीय विवरण में, सीएसआर व्यय के रूप में ₹ 86.89 करोड़ को मान्य किया है, जिसे कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 से अग्रिम के तहत अतिरिक्त सीएसआर के रूप में लिया गया था।

उपरोक्त सहित, कंपनी ने चालू वर्ष के दौरान ₹ 586.50 करोड़ खर्च किए, जो पिछले वर्ष के दौरान किए गए ₹ 548.98 करोड़ के सीएसआर खर्च की तुलना में 6.83% अधिक है।

संविदात्मक व्यय जिसमें मुख्य रूप से कोयला, रेत और थर्ड पार्टी संविदा के माध्यम से किए गए सामग्रियों के परिवहन शुल्क, वैगन लोडिंग परिचालन से संबंधित संविदा खर्च, कोयला निष्कर्षण तथा ओवरबर्डन हटाव की गतिविधियों की लागत के अनुरूप हेवी अर्थ मूर्बिंग मशीनरी के लिए किराया शुल्क तथा खदानों में सड़क रखरखाव एवं अस्थायी प्रकाश व्यवस्था आदि के लिए थर्ड पार्टी संविदा के माध्यम से किए गए अन्य विविध कार्य शामिल होते हैं।

वर्ष के दौरान अनुबंध के माध्यम से कोयला उत्पादन और ओवरबर्डन हटाव की मात्रा में वृद्धि हुई, जिसके कारण पिछले वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के दौरान अनुबंध व्यय 23% अधिक रह।

वित्त लागत में छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड (एसईसीएल की एक अनुषंगी कंपनी) में ब्याज व्यय शामिल है, जिसे वित्त वर्ष 22-23 में वाणिज्यिक संचालन प्राप्त करने पर चालू वर्ष के दौरान लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी गई थी।

वित्त वर्ष 2022-23 में संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर उच्च पूँजीगत व्यय मूल्यहास, परिशोधन में 5.57%, अर्थात् ₹ 246.60 करोड़ की वृद्धि हुई।

वित्त वर्ष 2022-23 में खुली खदानों में ओवरबर्डन को हटाने के लिए स्ट्राइपिंग गतिविधि समायोजन व्यय में मुख्य रूप से ओबीआर लेखांकन के तहत नई ओसी खानों को शामिल करने और कंपनी की लेखांकन नीति के अनुसार कुछ खानों में मानक अनुपात में संशोधन के कारण ₹ 48.25 करोड़ की वृद्धि हुई।

अन्य खर्चों में ₹ 859 करोड़ की वृद्धि हुई, जिसमें मुख्य रूप से विभिन्न परिचालन और प्रशासनिक व्यय, अंडर-लोडिंग व्यय, पुनर्वास व्यय, दरें और कर, विज्ञापन और प्रचार-संबंधी व्यय, दान, पुरस्कार और अनुदान और अन्य विविध खर्च शामिल हैं।

3. नकदी प्रवाह का सार

कंपनी ने आयकर भुगतान के पश्चात परिचालन गतिविधि से ₹ 35,686 करोड़ अर्जित किए। उपरोक्त अर्जित नकदी प्रवाह में से, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की खरीद पर खर्च की गई नकदी और नकदी समतुल्य राशि तथा अन्वेषण और मूल्यांकन परिसंपत्तियों पर खर्च ₹ 15,313 करोड़ रहा। बैंक में जमा के रूप में निवेश ₹ 12978 करोड़, जबकि म्यूचुअल फंड और व्याज से प्राप्त आय ₹ 5428 करोड़ रहा। इसके अलावा कंपनी के शेयरधारकों को 14,328 करोड़ रुपये का लाभांश दिया गया।

4. कोल इंडिया की वित्तीय स्थिति से संबंधित विभिन्न अनुपातः-

विवरण	अप्रैल से मार्च '23	अप्रैल से मार्च '22	विचरण
शुद्ध लाभ (% शुद्ध बिक्री के रूप में) ¹	22.04	17.28	27.55
परिचालन से राजस्व के % के रूप में परिचालन लाभ ¹	24.08	19.16	25.68
देनदार टर्नओवर ²	12.68	8.49	49.35
इन्वेंटरी टर्नओवर ³	17.34	12.84	35.09
औसत निवल मूल्य पर रिटर्न (%) ⁴	56	44	28.41
तरलता अनुपात			
वर्तमान अनुपात	1.57	1.62	-3.09
बिक्री के दिनों की संख्या के रूप में व्यापार प्राप्त	30.73	32.99	-6.85
उत्पादन के दिनों की संख्या के अनुसार कोयले के स्टाक (मात्रा)	35.99	35.70	0.81
ब्याज कवरेज अनुपात ⁵	56.53	44.61	26.72
संरचनात्मक अनुपात			
दीर्घकालिक ऋण: इकिटी पूँजी	0.67	0.54	24.07
नेट वर्थ: इकिटी कैपिटल ⁶	9.29	7.00	32.71

- सीआईएल द्वारा वित्त वर्ष 22-23 में अब तक का सर्वाधिक लाभ दर्ज करने के परिणामस्वरूप शुद्ध लाभ (शुद्ध बिक्री के % के रूप में) और संचालन से राजस्व के % के रूप में परिचालन लाभ में वृद्धि हुई है।
- देनदार टर्नओवर औसत सकल देनदारों की सकल बिक्री का अनुपात है। सीआईएल द्वारा दर्ज की गई उच्च सकल बिक्री और औसत सकल देनदारों में कमी के कारण देनदार टर्नओवर अनुपात में वृद्धि हुई है।
- औसत इन्वेंटरी में कमी के कारण इन्वेंटरी टर्नओवर अनुपात में वृद्धि हुई है।
- औसत शुद्ध संपत्ति पर रिटर्न वृद्धि के कारण कर पश्चात लाभ 62% बढ़ा। जबकि केवल चालू वर्ष के दौरान उच्च लाभांश के भुगतान के कारण औसत निवल मूल्य में 26% की वृद्धि हुई।
- ब्याज कवरेज अनुपात उपलब्ध आय के साथ वित्त लागत के कवरेज को इंगित करता है। लाभ में पर्याप्त वृद्धि के कारण, वित्त वर्ष 2022-23 में ब्याज कवरेज अनुपात में वृद्धि हुई है।
- नेट वर्थ: क्लोजिंग नेट वर्थ में 33% की वृद्धि के कारण इकिटी कैपिटल में वृद्धि हुई है।

8.0 मानव संसाधन/ओद्योगिक संबंध के क्षेत्र में भौतिक विकास, जिसमें नियोजित लोगों की संख्या भी शामिल है।

I. श्रमशक्ति:-

विगत वर्ष की तुलना में 1.04.2023 तक कंपनी की श्रमशक्ति निम्नानुसार थी:

(आंकड़े संख्या में)

वर्ष	अधिकारी	गैर- अधिकारी	कुल
01.04.2023	16,305	2,22,905	2,39,210
01.04.2022	15,694	2,32,856	2,48,550

2022-23 के दौरान जनशक्ति की संख्या में 9,340 की कमी आई है।

II. प्रतिभा अधिग्रहण: -

सीआईएल ने 1424 नए अधिकारी कैडर में कर्मचारियों की भर्ती की है यानी प्रबंधन पशिक्षुओं और चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती ओपन विज्ञापन के माध्यम से और वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान उत्तराधिकार योजना के लिए कार्यकारी जनशक्ति को बढ़ाने और सीआईएल के उत्पादन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए 1103 गैर-कार्यकारी कर्मचारियों को कार्यकारी संवर्ग में आंतरिक रूप से पदोन्नत/नियुक्त किया गया।

उन्हें कंपनी में अनुभवी वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन और सलाह के तहत नौकरी के साथ-साथ ऑन-द-जॉब प्रशिक्षण हस्तक्षेप के माध्यम से आने वाले समय में जिम्मेदार, वरिष्ठ अधिकारियों की भूमिका निभाने के लिए तैयार किया जा रहा है। यह प्रक्रिया संगठन और उसकी संस्कृति के अगले स्तर में उनके आसान अनुकूलन की सुविधा प्रदान करती है।

III. ओद्योगिक संबंध: -

निम्नलिखित सक्रिय और रणनीतिक ओद्योगिक संबंध (आईआर) दृष्टिकोण और प्रथाओं ने कंपनी में सौहार्दपूर्ण और सतत ओद्योगिक संबंध सुनिश्चित किए हैं: -

क) प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी:-

कर्मचारियों की सेवा शर्तों, कल्याण, सुरक्षा आदि से संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए सुरक्षा समिति, आवास समिति, कल्याण समिति, कैटीन समिति आदि जैसे कई द्विपक्षीय मंच कार्यरत हैं।

ख) संविदा श्रमिक प्रकोष्ठ एवं संविदा श्रमिक सूचना पोर्टल (सीएलआईपी):-

01.04.2023 तक, कंपनी की विभिन्न गतिविधियों में पंजीकृत ठेकेदारों द्वारा 1,02,719 ठेका श्रमिकों को तैनात किया गया था। सीआईएल के पास कॉन्ट्रैक्ट लेबर इंफॉर्मेशन पोर्टल (सीएलआईपी) नाम का एक पोर्टल है जिसमें सभी ठेकेदारों और उनके श्रमिकों यानी ठेकेदारों के श्रमिकों का डेटाबेस रखा जाता है।

ग) अरक्षण:-

सीआईएल एससी /एसटी /ओबीसी /पीडब्ल्यूडी /ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण पर राष्ट्रपति के निर्देशों के तहत जारी परिपत्रों के अनुसार प्रावधानों का अनुपालन करता है।

घ) विविधता प्रबंधन: -

सीआईएल देश भर से अपने कर्मचारियों की भर्ती अखिल भारतीय आधारित खुले चयन के साथ-साथ कैपस चयन प्रक्रियाओं के

माध्यम से करता है जिसमें एससी, एसटी, ओबीसी समुदायों को लागू आरक्षण प्रदान किया जाता है।

1.01.2023 तक सीआईएल की श्रमशक्ति में एससी का 19.11%, एसटी का 14.51% और ओबीसी का 23.41% शामिल है।

सीआईएल की कुल श्रमशक्ति में महिला कर्मचारी 8.27% हैं।

ड.) गैर-भेदभाव:-

सीआईएल/अनुरंगी कंपनियों में धर्म, जाति, क्षेत्र, संप्रदाय, लिंग, भाषा आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता है।

च) कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम: -

आचरण, अनुशासन और अपील नियमों के अनुसार अधिकारी संवर्ग के कर्मचारियों के साथ-साथ गैर- अधिकारी संवर्ग के कर्मचारियों के लिए प्रमाणित स्थायी आदेशों के अनुसार किसी भी प्रकार का यौन उत्पीड़न एक कदाचार है।

छ) संगठन की स्वतंत्रता:-

कर्मचारी किसी भी पंजीकृत ट्रेड यूनियन / कर्मचारी एसोसिएशन का हिस्सा बनने के लिए स्वतंत्र हैं। ट्रेड यूनियनों/एसोसिएशनों के माध्यम से द्विपक्षीय निकायों में कर्मचारियों के प्रतिनिधित्व की अनुमति है।

ज) कर्मचारी कल्याण: -

सीआईएल अपने कर्मचारियों के प्रति “संपूर्ण सुरक्षा दृष्टिकोण” का पालन करता है। कर्मचारी कल्याण कार्यक्रम न केवल कर्मचारियों बल्कि उनके परिवारों की आवास, मनोरंजन, खेल, स्वास्थ्य, बच्चों की शिक्षा आदि की जरूरतों को भी इंगित करते हैं। कंपनी ने अपने सभी परिचालन क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाएं भी विकसित की हैं। इसमें कर्मचारियों और उनके परिवारों को चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए 4362 बिस्तरों, 366 औषधालयों, 564 एम्बुलेंस और विशेषज्ञों सहित 1044 डॉक्टरों के साथ 70 पूरी तरह सुसज्जित अस्पतालों का एक मजबूत नेटवर्क है। इसके अलावा, विशेष उपचार के लिए, देश भर के प्रतिष्ठित पैनलबद्ध अस्पतालों में सुविधाएं उपलब्ध हैं। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए ढांचागत सहयोग के साथ कंपनी द्वारा पूरी तरह/कभी-कभी वित्तपोषित 134 स्कूल हैं। कंपनी मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करती है और सरकारी इंजीनियरिंग कर्मचारियों के बच्चों की उच्च शिक्षा में सहायता करती है।

झ) सेवानिवृत्ति उपरात चिकित्सा सहायता:-

सीआईएल/अनुषंगी कंपनियों के अधिकारियों और गैर अधिकारी संघर्ग के कर्मचारियों के लिए अंशदायी पोस्ट रिटायरमेंट मेडिकेयर योजनाएं तैयार की गई हैं, जिसमें न्यूनतम योगदान पर निम्न उल्लिखित लाभ दिए जाते हैं: -

सेवानिवृत्ति पश्चात अंशदायी चिकित्सा योजनाओं के तहत लाभ	सेवानिवृत्ति अधिकारी तथा पर्टी/पत्नी	सेवानिवृत्ति गैर-अधिकारी, पति/पत्नी एवं दिव्यांग बच्चे
सामान्य रोग	रु. 25 लाख	सेवानिवृत्ति कर्मचारी तथा पति/पत्नी के लिए 8 लाख रु दिव्यांग बच्चे के लिए 2.5 लाख रु
निर्दिष्ट गंभीर बीमारियाँ		असीमित
ओपीडी/घरेलू व्यय की वार्षिक प्रतिपूर्ति	रु. 36,000	शून्य

च) सामाजिक सुरक्षा:-

सीआईएल और इसकी अनुषंगी कंपनियों/ठेकेदारों के सभी कर्मचारी नीचे दी गई सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत आते हैं: -

(क) सीआईएल तथा इसकी अनुषंगी कंपनियों के कर्मचारियों के लिए:

1. कर्मचारी मुआवजा अधिनियम, 1923 के तहत मुआवजा
2. ग्रैच्युटी: ग्रैच्युटी भुगतान (संशोधन) अधिनियम, 2018 के अनुसार 20 लाख तक
3. कोयला खदान भविष्य निधि (सीएमपीएफ): - सीआईएल/सहायक कंपनियों के सभी कर्मचारी कोयला खदान भविष्य निधि योजना के अंतर्गत आते हैं, जिसमें दोनों (अर्थात् कर्मचारियों और नियोक्ता द्वारा) के बराबर योगदान होता है।
4. कोयला खदान पेंशन योजना (सीएमपीएस): - सभी कर्मचारी कोयला खदान पेंशन योजना के अंतर्गत आते हैं, जिसके द्वारा सेवानिवृत्ति पर, उन्हें मासिक पेंशन के रूप में उनकी कुल परिलब्धियों का 25% तक प्राप्त होता है।
5. लाईफ कवर स्कीम: - लाईफ कवर स्कीम के अंतर्गत ₹ 1,25,000/- तक की राशि का भुगतान किया जाता है।
6. अनुग्रह राशि: - घातक खदान दुर्घटना या कोविड - 19 के कारण मृत्यु के मामले में मृत कर्मचारी के निकटतम परिशेदार को ₹ 15 लाख का अनुग्रह मुआवजा दिया जाता है।

सीआईएल/अनुषंगी कंपनियों के गैर-अधिकारी संघर्ग के कर्मचारियों की मृत्यु या स्थायी पूर्ण विकलांगता के मामले में, पात्र आश्रितों को कर्मचारी मुआवजा अधिनियम, 1923 के अलावा, अनुग्रह राशि के रूप में ₹ 90,000 की अतिरिक्त राशि का भुगतान किया जाता है।

7. रोजगार/रोजगार के बदले मासिक आर्थिक मुआवजा:- सेवा के दौरान मृत्यु होने पर कर्मचारी के एक आश्रित को नौकरी देने का प्रावधान है। सेवा के दौरान मृत कर्मचारियों की महिला आश्रितों को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने या मृत्यु होने तक, जो भी पहले हो, रोजगार के बदले मासिक मौद्रिक मुआवजा प्रदान किया जाता है।
8. परिभाषित अंशदान सेवानिवृत्ति पेंशन योजना (डीसीएसपीएस): - सीआईएल ने सेवानिवृत्ति के बाद वार्षिकी सेवा प्रदाता के माध्यम से वार्षिकी के रूप में

सेवानिवृत्ति लाभ प्रदान करने के लिए बोर्ड स्तर और बोर्ड स्तर से नीचे के अधिकारियों को कवर करने वाले डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार अधिकारियों के लिए एक डीसीएसपीएस तैयार किया है।

(ख) पंजीकृत ठेकेदारों द्वारा सीआईएल और इसकी अनुषंगी कंपनियों में संलग्न ठेका श्रमिकों के लिए।

1. कर्मचारी मुआवजा अधिनियम, 1923 के तहत मुआवजा
2. घातक खदान दुर्घटना या सीओवीआईडी -19 के कारण मृत्यु के मामले में ठेकेदार के श्रमिक के निकटतम परिजन को ₹ 15 लाख की अनुग्रह राशि का भुगतान किया जाता है।
3. मृत ठेकेदारों के कर्मियों के नामित व्यक्ति ईपीएफ/सीएमपीएफ के तहत संचित राशि के भुगतान के लिए पात्र हैं

मानव संसाधन विकास

मानव संसाधन विकास कंपनी की प्रमुख गतिविधियों में से एक है जिसका लक्ष्य तकनीकी प्रगति और उत्पादन लक्ष्य को पूरा करने के लिए क्षमताओं की मांग के साथ-साथ सहयोगी और गैर-सहयोगी क्षेत्रों में व्यापार व्यवधान की चुनौतियों का सामना करने के लिए मौजूदा मानव संसाधन का विकास करना है।

समग्र निष्पादन

वित्त वर्ष 22-23 के दौरान अधिकारियों और गैर-अधिकारियों (अनुबंध श्रमिकों को छोड़कर) सहित कर्मचारियों के लिए 583984 प्रशिक्षण मानव-दिवस प्राप्त किए गए।

वित्त वर्ष 2022-23 में सीआईएल तथा इसकी अनुषंगी कंपनियों में कुल 95635 कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया है, जिनमें से 23345 अधिकारी और 72290 गैर-का अधिकारी थे, जो कुल जनशक्ति का 39.86% है।

प्रशिक्षण

क) आंतरिक प्रशिक्षण

2022-23 के दौरान अनुषंगी मुख्यालय, प्रशिक्षण केंद्रों, व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र (वीटीसी) और सीआईएल के अपने आंतरिक प्रशिक्षण इकाई भारतीय कोयला प्रबंधन संस्थान रांची (आईआईसीएम) में विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। ये प्रशिक्षण कार्यक्रम अनुषंगी कंपनी के भीतर संबंधित श्रेणी के कर्मचारियों की प्रशिक्षण आवश्यकताओं के अनुरूप आयोजित किए गए थे।

आंतरिक प्रशिक्षण कार्यक्रम का विवरण निम्नवत है:

विवरण	दीर्घावधि प्रशिक्षण	अल्पावधि प्रशिक्षण*	कार्यशाला/संगोष्ठी	कुल
अधिकारी	4781	9808	2815	17404
गैर-अधिकारी	37098	22765	11901	71764
कुल	41879	32573	14716	89168

*5 दिन से कम

II) कंपनी के बाहर प्रशिक्षण (देश के भीतर)

आंतरिक प्रशिक्षण के अतिरिक्त, कर्मचारियों को आंतरिक प्रशिक्षण प्रयासों के पूरक के रूप में देश के प्रतिष्ठित प्रशिक्षण संस्थानों में उनके संचालन के संबंधित क्षेत्र में प्रशिक्षित किया गया, जिसका विवरण निम्नवत है:

विवरण	दीर्घावधि प्रशिक्षण	अल्पावधि प्रशिक्षण*	कार्यशाला/संगोष्ठी	कुल
अधिकारी	2703	2374	818	5895
गैर-अधिकारी	394	125	1	520
कुल	3097	2499	819	6415

*5 दिन से कम

III) विदेश में प्रशिक्षण

इस वित्तीय वर्ष में 52 अधिकारियों ने देश के बाहर कार्यशालाओं/सम्मेलनों/प्रशिक्षण/दौरों में भाग लिया।

9.0 पर्यावरण संरक्षण एवं सुरक्षा

पर्यावरण की प्रमुख भौतिक विशेषताएँ जैसे हवा और पानी की गुणवत्ता, जल विज्ञान, शोर स्तर और भूमि संसाधनों के स्वीकार्य स्तर को बनाए रखने के लिए खनन क्षेत्रों के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण के उपाय भी किए जाते हैं। सड़कों, वाशारी, फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी (एफएमसी) परियोजनाओं, सीएचपी, फीडर ब्रेकर, क्रशर, कोयला स्थानांतरण बिंदुओं और कोयला स्टॉक क्षेत्रों में उड़ती धूल को रोकने के लिए उपयुक्त जल छिड़काव प्रणाली स्थापित की गई है।

खनन क्षेत्रों और उसके आस-पास बड़े पैमाने पर वक्षारोपण किया जा रहा है तथा वायु और ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए सीआईएल की खदानों में आधुनिक खनन तकनीकों का प्रयोग किया जा रहा है। विंग 5 वर्षों में सीआईएल ने खदान पट्टा क्षेत्र के अंदर 4,697 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर 110.74 लाख से अधिक पौधे लगाए हैं तथा समान अवधि में सीआईएल ने खदान पट्टा क्षेत्र के बाहर 1019 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर 12.28 लाख पौधे लगाए हैं। खदान पट्टा क्षेत्र के अंदर पिछले 5 वर्षों में निर्मित कार्बन सिंक क्षमता लगभग 2.35 लाख टन/वर्ष है।

सीआईएल ने वित्त वर्ष 2022-23 में खदान पट्टा क्षेत्र के भीतर तथा बाहर लगभग 1,613.39 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करते हुए 30.01 लाख पौधे लगाए।

सीआईएल के कई खनन क्षेत्रों और कमांड क्षेत्रों जैसे ईसीएल में मधुवन बाटिका, बीसीसीएल में गोवर्धन इको-पार्क, एसईसीएल में बिश्रामपुर पर्यटन स्थल, एनसीएल में निगाही इको पार्क, डब्ल्यूसीएल में बालगंगाधर तिलक इको-पार्क, सीसीएल में कायाकल्प बाटिका, एमसीएल में चंद्र शेखर आजाद इको-पार्क आदि में इको पार्क विकसित किए गए हैं। सीआईएल ने वित्त वर्ष 2022-23 तक 30 इको-पार्क और माइन ट्रॉिंग और इको-रेस्टोरेशन साइट स्थापित की हैं।

खदान, वर्कशॉप और सीएचपी अपशिष्टों के लिए अपशिष्ट उपचार सुविधाएँ जैसे तेल और ग्रीस जमाव, अवसादन तालाब और उपचारित

पानी के भंडारण और उसके पुनः उपयोग की सुविधाएँ सभी प्रमुख परियोजनाओं में प्रदान की गई हैं। घरेलू अपशिष्टों के उपचार के लिए घरेलू सीवेज उपचार संयंत्र भी स्थापित किए गए हैं। खदान परियोजने के साथ-साथ आस-पास के गांवों में भी वर्षा जल संचयन, तालाबों की खुदाई/लैगून के विकास और मौजूदा तालाबों/टैंकों से गाद निकालने आदि के माध्यम से भूजल का पुनर्भरण किया जाता है। 2022-23 में, 837 गांवों में सिंचाई और घरेलू उपयोग के लिए खदान से निकले पानी का उपयोग किया गया, जिससे 11.10 लाख से अधिक ग्रामीणों को लाभ हुआ।

10. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

कोल इंडिया लिमिटेड, कोलकाता द्वारा वित्त वर्ष 22-23 के दौरान सीएसआर गतिविधियों के लिए वार्षिक कार्य योजना में आवंटित बजट 118.04 करोड़ रुपये था, जो न्यूनतम वैधानिक प्रावधानों के अनुसार गणना की राशि यानी 7.10 करोड़ रुपये से कहीं अधिक है। सीआईएल वित्त वर्ष के दौरान सीएसआर के लिए 42.04 करोड़ रुपये (ऑडिट के अधीन) का उपयोग करने में सक्षम रही, जो कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार वैधानिक दायित्व से अधिक था।

डीपीई के दिशानिर्देशों के अनुसार, वर्ष के दौरान प्राथमिकता विषय 'स्वास्थ्य देखभाल और पोषण' रखा गया था जिसमें कुल व्यय का 61% किया गया था। इस विषय पर शुरू की गई परियोजनाएँ कोलकाता, रांची और सूरत में धर्मार्थ अस्पतालों को महंगे चिकित्सा उपकरणों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने और सिलचर में अस्पताल के बुनियादी ढांचे को बढ़ाने पर केंद्रित थीं। ये पहल इन अस्पतालों को समाज के वंचित वर्गों को सस्ती कीमत पर उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करने में सक्षम बनाएगी।

वर्ष के दौरान जिन अन्य विषयों पर बल दिया गया उनमें शिक्षा और आजीविका, ग्रामीण विकास, पर्यावरणीय स्थिरता और महिला सशक्तिकरण शामिल थे। वर्ष के दौरान कई उच्च निवेश, उच्च प्रभाव वाली सीएसआर परियोजनाएँ जैसे थैलेसीमिया बाल सेवा योजना (टीबीएसवाई) जिसने वर्ष के दौरान 300 अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण के मील के पत्थर को पार किया, नागपुर में कैंसर अस्पताल के बुनियादी ढांचे का उन्नयन, उत्तराखण्ड में सीमा सड़क निर्माण और विभिन्न रोजगार-उन्मुख व्यापारों में कौशल विकास जारी रहीं।

सीआईएल और सीसीएल ने संयुक्त रूप से 6 और 7 मई 2022 को रांची में एक 'सीएसआर एंड सस्टेनेबिलिटी कॉन्कलेव' का आयोजन

किया, जहां 12 विचारकों/डोमेन विशेषज्ञों ने 250+ प्रतिभागियों के साथ अपने विचार साझा किए, जिसमें सीएसआर में रत अधिकारी, स्थानीय शैक्षणिक संस्थानों के छात्र और सीआईएल एवं अनुषंगी कंपनियाँ के प्रबंधन शामिल थे।

कोविड-19 के दौरान कोल इंडियास के प्रयासों का संकलन करने के लिए, सीआईएल ने एक कॉफी टेबल बुक “सीआईएल विंस ओवर कोविड-19” प्रकाशित की। पुस्तक में राष्ट्र को निर्बाध कोयला आपूर्ति सुनिश्चित करने, व्यापार करने में आसानी के प्रयासों और समुदाय के लिए उच्च गुणवत्ता वाले उपचार सुनिश्चित करने के लिए की गई पहलों में सीआईएल कर्मियों के अथक प्रयासों पर प्रकाश डाला गया है। पुस्तक का अनावरण 27 जून 2022 को नई दिल्ली में माननीय मंत्री (कोयला) द्वारा किया गया।

समाज के विकास के प्रति सीआईएल की अटूट प्रतिबद्धता को अगस्त 2022 में आयोजित ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन (एआईएमए) के 9वें बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी समिट और प्रोजेक्ट कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सराहना मिली। सीआईएल की थैलेसीमिया बाल सेवा योजना सभी सीपीएसई के बीच उपविजेता रही।

सीआईएल (मुख्यालय) के लिए वित्त वर्ष 22-23 में सीएसआर बजट की तुलना में व्यय

क्र. सं.	मद	राशि (करोड़ रुपये)
1	न्यूनतम वैधानिक प्रावधानों के अनुसार सीएसआर बजट	7.10
2	सीआईएल की सीएसआर नीति के अनुसार सीएसआर बजट (कैरीओवर सहित)	118.04
3	व्ययित खर्च	42.04

सीआईएल (मुख्यालय) द्वारा वित्त वर्ष 22-23 के दौरान थीम वार व्यय

क्र. सं.	विषयगत क्षेत्र	वित्तीय वर्ष 2022-23 में व्यय (करोड़ रुपये) (ऑडिट के अधीन)	वित्त वर्ष 2022-23 में कुल सीएसआर व्यय के % के रूप में
1	स्वास्थ्य सेवा, पोषण और स्वच्छता	25.64	60.99%
2	शिक्षा एवं आजीविका	9.76	23.21%
3	ग्रामीण विकास	2.71	6.45%
4	पर्यावरणीय स्थिरता	1.82	4.35%
5	महिला सशक्तिकरण	1.50	3.57%
6	कला एवं संस्कृति का प्रचार-प्रसार	0.28	0.67%
7	प्रशासनिक व्यय और प्रभाव आकलन	0.33	0.78%
कुल (ऑडिट के अधीन)		42.04	100.00%

वित्त वर्ष 22-23 में सीआईएल (मुख्यालय) द्वारा संचालित प्रमुख परियोजनाएँ जिनके लिए सीएसआर निधि का उपयोग किया गया।

स्वास्थ्य सेवा

- क) सीआईएल की प्रमुख परियोजना थैलेसीमिया बाल सेवा योजना (टीबीएसवाई) का दूसरा चरण वित्त वर्ष 2022-23 में संपन्न हुआ, जिसमें पात्र रोगियों के थैलेसीमिया और अप्लास्टिक एनीमिया के इलाज और बेहतर प्रबंधन पर वर्ष के दौरान 9.40 करोड़ रुपये के कुल सीएसआर फंड का उपयोग किया गया। योजना का कवरेज बढ़ाने के लिए एक और अस्पताल को योजना के तहत सूचीबद्ध किया गया था।
- ख) नेशनल कैंसर हॉस्पिटल, नागपुर की 7वीं मंजिल के निर्माण पर 4.00 करोड़ रुपये की राशि का उपयोग किया गया है।
- ग) पश्चिम बंगाल के तीन सरकारी अस्पतालों में तीन ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित करने के लिए 2.78 करोड़ रुपये की राशि का उपयोग किया गया।
- घ) सीआईएल ने शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में 38 ग्राम पंचायतों में जिम उपकरणों की खरीद में सहायता की। इस परियोजना के लिए 1.16 करोड़ रुपये की राशि का उपयोग किया गया।
- झ) टाटा मेडिकल सेंटर, कोलकाता में एक डिजिटल मैमोग्राफी मशीन की खरीद के लिए 1 करोड़ रुपये का उपयोग किया गया था, जो पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत के रोगियों की सेवा करने वाला एक प्रमुख कैंसर अस्पताल है।

शिक्षा

- क) विद्या भारती स्कूल, गोविंदनगर, होशंगाबाद, मध्य प्रदेश में छात्रावास सुविधा के निर्माण के लिए 1.05 करोड़ रुपये का उपयोग किया गया।
- ख) भक्ति वेदांत नेशनल स्कूल, मायापुर, पश्चिम बंगाल की क्षमता वृद्धि के लिए अतिरिक्त भवन के निर्माण के लिए 1.84 करोड़ रुपये का उपयोग किया गया।
- ग) कोलकाता के जोका में 1,000 वंचित/आदिवासी छात्रों की क्षमता वाले आगामी आवासीय विद्यालय के लिए छात्रावास भवन की पहली और दूसरी मंजिल के निर्माण के लिए 1.39 करोड़ रुपये का उपयोग किया गया था।
- घ) 300 से अधिक बंद कंप्यूटरों की मरम्मत की गई तथा इन स्कूलों में डिजिटल साक्षरता सक्षम करने के लिए विभिन्न धर्मार्थ/सरकारी स्कूलों में वितरित किया गया।

ग्रामीण विकास

- क. उत्तराखण्ड के चमोली में सीमा सड़क के निर्माण के लिए 2.28 करोड़ रुपये की राशि का उपयोग किया गया।

पर्यावरणीय स्थिरता

- क. रिओरस साईटिफिक नॉलेज पर आधारित नवीन समाधानों के माध्यम से जैव-विविधता चुनौतियों को हल करने के लिए भारतीय बन्यजीव संस्थान (डब्ल्यूआईआई), देहरादून को सहयोग के रूप में 1.40 करोड़ रुपये की राशि का उपयोग किया गया।

अन्य थीम

- क) कौशल विकास – पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में महिलाओं के लिए प्राकृतिक फाइबर विविध उत्पाद प्रशिक्षण केंद्र के निर्माण के लिए 83 लाख रुपये का उपयोग किया गया।
- ख) स्वच्छता – मायापुर, पश्चिम बंगाल में हरित, ओपेक्स-अनुकूलन मिट्टी जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग करके सीवेज उपचार संयंत्र को चालू करने के लिए 78.28 लाख रुपये का उपयोग किया गया।
- ग) पोषण – असम के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जरूरतमंद व्यक्तियों को भोजन वितरण के लिए 63 लाख रुपये का उपयोग किया गया।
- घ) कला और संस्कृति का संरक्षण – कोविड-19 से प्रभावित प्रदर्शन करने वाले कलाकारों की आजीविका का समर्थन करने के लिए 'भारत के कलाधर्मो' परियोजना के लिए 28.24 लाख रुपये का उपयोग किया गया।
- ड) महिला सशक्तीकरण – खूंटी, झारखंड में लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाली 'दुकु' आदिवासी महिलाओं के कानूनी विवाह और कौशल प्रशिक्षण के लिए 10.67 लाख रुपये का उपयोग किया गया।

2022-23 के दौरान कोयला मंत्रालय की एस एंड टी परियोजनाएँ

क्र. स.	परियोजना का शीर्षक	कार्यान्वयन एजेंसी	टिप्पणी
1.	“ओपनकास्ट खानों में अवरोधों/ढलान अस्थिरताओं का आकलन के लिए प्रारंभिक चेतावनी रुदार प्रणाली का स्वदेशी विकास” [प्रोजेक्ट कोड: एमटी-169]	एप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और अनुसंधान हेतु सोसायटी (समीर), एआरडीई, पुणे; सीएसआरई; आईआईटी-बी, मुंबई और सीएमपीडीआई, रांची	चालू
2.	“सतत खनिकों (चरण-III) के साथ उपयोग के लिए 500 टन क्षमता सेज-III का विकास और फ़िल्ड परीक्षण” [प्रोजेक्ट कोड: एमटी-171]	आईआईटी-आईएसएम, धनबाद, एसईसीएल, बिलासपुर, मैसर्स ऑंड्र प्रदेश हेवी मशीनरी एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड (एपीएचएमईएल), विजयवाडा और मेसर्स जय भारत इकिपमेंट प्राइवेट लिमिटेड (जेबीईपीएल), हैदराबाद	चालू
3.	सुरक्षा और उत्पादकता में सुधार के लिए लॉन्चावॉल शील्ड दबावों की निगरानी, विश्लेषण और व्याख्या के लिए आईओटी सक्षम प्रौद्योगिकी का स्वदेशी विकास [प्रोजेक्ट कोड: एमटी-172]	सीएमपीडीआई, रांची, आईआईटी, खड़गपुर और ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ईसीएल), सैंक्टोरिया	चालू
4.	कोयला और गैर-कोयला स्टार्टा में दुर्लभ पृथ्वी तत्वों (आरई) और अन्य आर्थिक संसाधनों का आकलन तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र (एनईआर) कोलफील्ड से एसिडमाइनड्रेनेज और इसके प्रदूषण नियंत्रण का निरूपण [प्रोजेक्ट कोड: एमटी-51]	पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़, सीएमपीडीआई, रांची और ड्यूक विश्वविद्यालय, यूएसए	चालू
5.	भू-भौतिकीय तकनीक का उपयोग करते हुए भूमिगत कोयला खदानों में दुर्गम पुराने कार्यस्थल में खनन से बनी उप-सतही गुहाओं तथा जलभाव वाले क्षेत्रों के खतरों का अध्ययन प्रोजेक्ट कोड: एमटी-173	आईआईटी-आईएसएम, धनबाद और ईसीएल, सैंक्टोरिया	चालू
6.	बंद लूप बाहनी अर्गेनिक रैकिन साइकिल प्रक्रिया प्रौद्योगिकी पर आधारित एससीसीएल कमांड क्षेत्र के मनुगुरु क्षेत्र में भू-तापीय ऊर्जा (20 किलोवाट कैप) बिजली उत्पादन पायलट परियोजना की स्थापना [परियोजना कोड: सीई-33]	सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड, कोठागुड़ेम और शिराम इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल रिसर्च, नई दिल्ली	चालू
7.	ऊर्जा भंडारण के लिए उच्च गुणवत्ता वाले ग्राफीन और कार्बन नैनो-कणों के उत्पादन के लिए निम्न श्रेणी के कोयले का उपयोग [प्रोजेक्ट कोड: सीयू-59]	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (बीएचयू), वाराणसी, भारतीय पेट्रोलियम और ऊर्जा संस्थान, विशाखापत्तनम, सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, रांची	चालू
8.	कोयले के डीसलफराइजेशन के लिए अल्ट्रासोनिक धुलाई [प्रोजेक्ट कोड: सीपी-51]	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गुवाहाटी, गुवाहाटी, अविनाशीलिंगम इंस्टीट्यूट फॉर होम साइंस एंड हायर एजुकेशन फॉर वुमेन (एआईएचएसएचईडब्ल्यू), कोयंबटूर, तमिलनाडु, कुवेम्पु विश्वविद्यालय, ज्ञानसङ्घाद्रि, शंकरगट्टा, तुमकुर विश्वविद्यालय, वेंकटेश राव कॉलेजी, तुमकुर और एनईसी, मार्गिरिटा	चालू
9.	बकेट व्हील उत्खनन में उपयोग किए जाने वाले बॉटम रोलर्स की असामिक खराबी को रोकना और उनके जीवन को बढ़ाना। [प्रोजेक्ट कोड: एमटी-175]	सेंटर फॉर एप्लाइड रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एनएलसीआईएल, नेवेली, एनआईटी, त्रिची और आईआईएससी, बैंगलुरु	चालू
10.	भारत में कोयले के उपयोग को चरणबद्ध ढंग से कम करने के लिए इष्टतम रणनीति पर अध्ययन [प्रोजेक्ट कोड: एमटी-176]	स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज (एसआईएस), जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू), नई दिल्ली	चालू
11.	कोयला खदान मीथेन (सीएमएम) के संबंद्हनशील और चयनात्मक रूप से पता लगाने के लिए मल्टीवॉल्ड कार्बन नैनोट्यूब (एमडब्ल्यूसीएनटी) का इलेक्ट्रोस्टैटिक जमाव और कार्यात्मककरण [प्रोजेक्ट कोड: एमटी-177]	एमटी इंस्टीट्यूट फॉर इडवांस्ड रिसर्च एंड स्टडीज (मटेरियल्स एंड डिवाइसेस), नोएडा	चालू
12.	युटिसाईजेशन ऑफ कोल गेंग टू डेवलप पोरस एब्जर्बेंट्स फॉर सीओटू कैचर [प्रोजेक्ट कोड: सीयू-60]	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर और बीसीसीएल, धनबाद	चालू
13.	सुरक्षा और उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से भूमिगत खदानों के खतरे की निगरानी के लिए एक उपकरण के रूप में सूक्ष्म-भूकंपीयता का उपयोग [प्रोजेक्ट कोड: एमटी-178]	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर, सीएमपीडीआई, रांची और ईसीएल, सैंक्टोरिया	चालू

क्र. स.	परियोजना का शीर्षक	कार्यान्वयन एजेंसी	टिप्पणी
14.	कोयले का बायोमेथेनाइजेशन [प्रोजेक्ट कोड- सीई-36]	विज्ञान संस्थान, बी.एच.यू., वाराणसी	चालू
15.	वृद्धिशील कोलबेड मीथेन रिकवरी और कार्बन पृथक्करण की संभावनाओं के लिए कोयला भंडार का जलाशय लक्षण वर्णन और संख्यात्मक मॉडलिंग [प्रोजेक्ट कोड- सीई-35]	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बॉम्बे और सीएमपीडीआई, रांची	चालू

2022-23 के दौरान सीआईएल की अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएँ

क्र. स.	परियोजना का शीर्षक	कार्यान्वयन एजेंसी	टिप्पणी
1.	जोखिम मूल्यांकन और जोखिम आधारित खदान आपातकालीन निकासी और पुनः प्रवेश प्रोटोकॉल को शामिल करते हुए भारतीय कोयला की विस्फोटकता के निर्धारण द्वारा विस्फोट के खतरों की रोकथाम और शमन के लिए दिशानिर्देशों का विकास [प्रोजेक्ट कोड: सीआईएल/आरएंडडी/1/60/2016]	सीआईएमएफआर, धनबाद, आईआईटी-आईएसएम, धनबाद, एस एंड आरडिवीजन, सीआईएल (मुख्यालय), कोलकाता और सिमटार्स, ऑस्ट्रेलिया	चालू
2.	कोयला खानों में सुरक्षा और उत्पादकता में सुधार के लिए वर्चुअल रियलिटी माइन सिम्युलेटर (वीआरएमएस) का विकास [परियोजना कोड: सीआईएल/आर एंड डी/1/67/2017]	आईआईटी-आईएसएम, धनबाद, यूएमडी, सीएमपीडीआई, रांची, बीसीसीएल, एनसीएल और यूक्यूएसएमआई- जेके टेक प्राइवेट लिमिटेड, ऑस्ट्रेलिया	चालू
3.	इन-द-होल वेलोनिटी ऑफ डेटानेशन [वीओडी] को मापने के लिए एक स्वदेशी ऑप्टिकल फाइबर आधारित उपकरण का विकास और क्षेत्र की स्थिति में विस्फोटक के प्रदर्शन का विश्लेषण करना। [परियोजना कोड: सीआईएल/आर एंड डी/01/72/2021]	इनोवेशन सेल, सीएमपीडीआई माइन इलेक्ट्रॉनिक्स डिवीजन, सीएमपीडीआई (मुख्यालय), रांची और ब्लास्टिंग डिवीजन, सीएमपीडीआई के सहयोग से	चालू
4.	ओपनकास्टमाइनिंग पर ब्लास्टिंग का प्रभाव और ब्लास्ट प्रेरित कंपन और डंप डिजाइन के बीच संबंध का विकास। [परियोजना कोड: सीआईएल/आर एंड डी/01/73/2021]	ब्लास्टिंग डिवीजन, सीएमपीडीआई; बीआईटी, मेसरा और आईआईटी-आईएसएम- धनबाद	चालू
5.	भूमिगत कोयला खानों में प्रयुक्त पिट बॉटम बफर के लिए ड्रॉपटेस्ट सुविधा का डिजाइन और विकास। [परियोजना कोड: सीआईएल/आर एंड डी/01/74/2021]	सीएमईआरआई, दुर्गापुर और ईसीएल, सैंक्टोरिया	चालू
6.	विस्तृत प्रकृति की नींव मिट्टी को स्थिर करने और इष्टतम ओवर बर्डन डंप ऊंचाई को बनाए रखने उपयुक्त जमीन सुधार प्रौद्योगिकी को लागू करने के लिए भू-तकनीकी पहलुओं से संबंधित फोरेंसिक जांच। [परियोजना कोड: सीआईएल/आर एंड डी/04/11/2021]	सिविल इंजीनियरिंग डिवीजन, सीएमपीडीआई (मुख्यालय), रांची और आरआई-खत, सीएमपीडीआई, नागपुर; बीएनआई, नागपुर और डब्ल्यूसीएल, नागपुर	चालू
7.	भूमिगत कोयला खानों में विद्युत ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत के रूप में वेंटिलेशन फैन विंड पावर रिकवरी सिस्टम का डिजाइन और परिनियोजना [परियोजना कोड: सीआईएल/आर एंड डी/04/12/2021]	आईआईटी-आईएसएम, धनबाद और ईसीएल, सैंक्टोरिया	चालू
8.	भूमिगत कोयला खानों में वृद्ध जल शीर्ष के विरुद्ध सुरक्षात्मक अवरोध स्तंभ का डिजाइन। [परियोजना कोड: सीआईएल/आर एंड डी/01/75/2021]	आईआईटी (बीएचयू), वाराणसी और ईसीएल, सैंक्टोरिया	चालू
9.	सिंगरौली कोयला खानों में आर्टिफिशियल न्यूरूल नेटवर्क [एएनएन], प्रोबेबिलिस्टिक न्यूरूल नेटवर्क [पीएनएन] और क्लासिफिकेशन एंड रिप्रेशनट्री कार्ट मॉडल के माध्यम से पार्टिकुलेटमैटर और गैसीयप्रौद्यूकों की सघनता की पूर्वसूचना और सीएलपीयूएफ और एईआरएमओडी के साथ तुलना करना [परियोजना कोड: सीआईएल/आर एंड डी/05/02/2021]	बीआईटी, मेसरा; पर्यावरण विभाग, सीएमपीडीआई और एनसीएल	चालू
10.	सिंगरौली कोयला क्षेत्र में तत्वों की खोज और आरईसी संदर्भ के लिए गोंडवाना तलछट (कोयला, मिट्टी, शेल, बलुआ पत्थर) का मूल्यांकन। [परियोजना कोड: सीआईएल/आर एंड डी/04/13/2021]	अन्वेषण प्रभाग, सीएमपीडीआई (मुख्यालय), रांची और एनसीएल	चालू
11.	मॉडलिंग और सिमुलेशन विश्लेषण के माध्यम से कोल इंडिया लिमिटेड की कोकिंग कोलवाशी के निष्पादन सुधार पर अध्ययन। [परियोजना कोड: सीआईएल/आर एंड डी/02/10/2021]	एनएमएल, जमशेदपुर; सीएमपीडीवीजन, सीएमपीडीआई (मुख्यालय), रांची और बीसीसीएल, धनबाद	चालू

क्र. स.	परियोजना का शीर्षक	कार्यान्वयन एजेंसी	टिप्पणी
12.	कार्बन गुणों की प्राप्ति के लिए कोकिंग कोलवाशरी के मध्यकों और फाइन्स का प्रभावी उपयोग। [परियोजना कोड: सीआईएल/आर एंड डी/02/11/2021]	एनएमएल, जमशेदपुर; सीएमपीडीआई (मुख्यालय), रांची; बीसीसीएल, धनबाद	चालू
13.	500 किग्रा सीओ2/दिन क्षमता के साथ सीओ2 के रूपांतरण को मेथनॉल और अन्य मूल्य वर्धित रसायनों में बदलना [परियोजना कोड: सीआईएल/आर एंड डी/04/14/2021]	जवाहरलाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र (जेनसीएसआर), ज़कुर, बैंगलोर; सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल) कोठागुडम; और ब्रीद एप्लाइड साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड, बैंगलोर	चालू
14.	प्रिंटिंग द्वारा मोनोलिथिक पेरोक्स्काइट मॉड्यूल निर्माण का स्वदेशी विकास। [परियोजना कोड: सीआईएल/आर एंड डी/04/15/2021]	आईआईटी बॉम्बे; सीआईएल, कोलकाता और माइन इलेक्ट्रॉनिक्स डिवीजन, सीएमपीडीआई	चालू
15.	भौतिक और रासायनिक बेनीफिकेशन के माध्यम से उच्च राख भारतीय कोयले का उत्पादन। [परियोजना कोड: सीआईएल/आर एंड डी/02/12/2021]	आईआईटी-खड़गपुर; सीएमपीडीआई; बीसीसीएल; सीसीएल और एमसीएल	चालू
16.	खनिकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा में सुधार के लिए नी और स्पाइनल स्मार्ट प्रोटेक्टिव डिवाइसेस का डिजाइन और विकास। [परियोजना कोड: सीआईएल/आर एंड डी/01/76/2021]	आईआईटी-आईएसएम, धनबाद और बीसीसीएल	चालू
17.	खनन क्षेत्रों में पानी की जरूरतों को पूरा करने के लिए जल संकटप्रस्त क्षेत्र के परिसीमन और पर्यावरण के अनुकूल जल भंडारण संरचना के डिजाइन के लिए दिशा-निर्देशों का विकास। [परियोजना कोड: सीआईएल/आर एंड डी/04/16/2022]	आईआईटी-आईएसएम, धनबाद और सीसीएल	चालू
18.	माइन स्लोप हेल्थ मॉनिटरिंग के लिए रीयल-टाइम एनर्जी एफिशिएंट साइबर-फिजिकल इंटेलिजेंट सिस्टम। [परियोजना कोड: सीआईएल/आर एंड डी/01/77/2022]	आईआईटी-आईएसएम, धनबाद और बीसीसीएल	चालू
19.	उच्च राख कोयला गैसीकरण तथा इससे संबंधित अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम प्रक्रियाएं (कोयला से रसायन-सीटीसी) [परियोजना कोड: सीआईएल/आर एंड डी/03/03/2017]	आईआईटी-आईएसएम, धनबाद, आईआईटी, रूड़की, सीएमपीडीआई, रांची, एमसीएल, संबलपुर, ईसीएल, सैंक्टोरिया और सीसीएल, रांची।	चालू
20.	बायो-कायूलांट का उपयोग करके कोयला वाशरी के अपशिष्टों से बारीक करणे को अलग करना और पुनर्प्राप्ति करना। (परियोजना कोड: सीआईएल/आर एंड डी/02/13/2022)	आईआईटी-आईएसएम, धनबाद और बीसीसीएल, धनबाद	चालू
21.	हाईवॉल खनन व्यवहार्यता मूल्यांकन और लेआउट डिजाइन। (परियोजना कोड: सीआईएल/आर एंड डी/01/78/2022)	भूमिगत खनन प्रभाग (यूएमडी), सीएमपीडीआई (मुख्यालय), रांची; राष्ट्रमंडल वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान संगठन (सीआईएसआरओ), ऑस्ट्रेलिया और सीआईएल (मुख्यालय), कोलकाता	चालू
22.	कोयला खनन, वाशरी और प्रसंस्करण अपशिष्टों से सिरेमिक सामग्री के उत्पादन के लिए उपयोगी प्रौद्योगिकी का विकास। (परियोजना कोड: सीआईएल/आर एंड डी/04/17/2022)	केमिकल इंजीनियरिंग विभाग, बिडला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (बीआईटी), मेसरा, रांची और सेंट्रल कोलफाईल्ड्स लिमिटेड (सीसीएल), रांची	चालू
23.	खानों में सुरक्षा तथा बचाव बढ़ाने के लिए मानव एवं मशीन की निगरानी और नियंत्रण के लिए एक एकीकृत प्रणाली का डिजाइन और विकास। [परियोजना कोड: सीआईएल/आर एंड डी/1/52/2012]	सीआईएमएफआर, धनबाद; आर्यन आईटी सॉल्यूशंस (एआईटीएस), धनबाद और सीसीएल, रांची	चालू
24.	तनु पतले कोयले की बेहतर प्राप्ति के लिए मल्टीपल लेयर ट्रायल ब्लास्टिंग। (परियोजना कोड: सीआईएल/आर एंड डी/01/61/2016)	आईआईटी-आईएसएम, धनबाद और ब्लास्टिंग डिवीजन, सीएमपीडीआई (मुख्यालय), रांची	चालू
25.	मुम्पा क्षेत्र, ईसीएल के श्यामपुर बी कोलियरी के लिए सतत खनिक (सीएम) की तैनाती द्वारा पेस्ट फिल प्रौद्योगिकी और निष्कर्षण पद्धति के लिए अग्रानुक्रम दृष्टिकोण का विकास करना। [परियोजना कोड: सीआईएल/आर एंड डी/04/18/2022]	ईसीएल, सैंक्टोरिया और सीआईएमएफआर, धनबाद	चालू
26.	तनु आवरण के नीचे स्तंभों से निष्कर्षण के लिए सुरक्षित विभाजन मोटाई और इष्टतम गोफ एज के सपोर्ट की आवश्यकता का आकलन। [परियोजना कोड: सीआईएल/आर एंड डी/01/79/2022]	आईआईटी (बीएचयू), वाराणसी, ईसीएल, सैंक्टोरिया, सीसीएल, रांची, और एसईसीएल, बिलासपुर	चालू

व्यावसायिक उत्तरदायित्व एवं स्थायित्व रिपोर्ट

खंड क: सामान्य प्रकटीकरण

I. सूचीबद्ध इकाई का विवरण

1.	कंपनी की कॉर्पोरेट पहचान संख्या (सीआईएन)।	L23109WB1973GOI028844
2.	कंपनी का नाम	कोल इंडिया लिमिटेड
3.	निगमन का वर्ष	1973
4.	पंजीकृत कार्यालय का पता	कोल भवन, परिसर 04- एम.ए.आर., एक्शन एरिया 1ए, न्यूटाउन राजरहाट कोलकाता-700156
5.	कॉर्पोरेट पता	कोल भवन, परिसर 04- एम.ए.आर., एक्शन एरिया 1ए, न्यूटाउन राजरहाट कोलकाता-700156
6.	ईमेल आईडी	cgmenv.cil@coalindia.in
7.	टेलीफोन	033-23245555
8.	वेबसाइट	www.coalindia.in
9.	वित्त वर्ष जिसकी सूचना दी जा रही है	वित्त वर्ष 2022-23
10.	स्टॉक एक्सचेंज का नाम जहां शेयर सूचीबद्ध हैं	बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज
11.	प्रदत्त पूँजी (रुपयों में)	6162.72 करोड़
12.	उस व्यक्ति का नाम एवं संपर्क विवरण (टेलीफोन, ईमेल पता) जिन्हें बीआरएसआर रिपोर्ट पर किसी प्रश्न के मामले में संपर्क किया जा सकता है।	श्री सी जयदेव, महाप्रबंधक (पर्यावरण) cgmenv.cil@coalindia.in 033-23245555
13.	रिपोर्टिंग सीमा- क्या इस रिपोर्ट के अंतर्गत प्रकटीकरण स्टैंडअलोन आधार पर किए गए हैं (अर्थात केवल इकाई के लिए) या समेकित आधार पर (अर्थात इकाई और सभी संस्थाओं के लिए जो इसके समेकित वित्तीय विवरणों का हिस्सा हैं, एक साथ समाहित किया गया है)।	समेकित आधार

II. उत्पाद/सेवाएँ

14. व्यावसायिक गतिविधियों का विवरण (व्यवसाय का 90% के लिए लेखांकन)

क्र. सं.	मुख्य गतिविधि का वर्णन	व्यावसायिक गतिविधि का विवरण	कंपनी के व्यवसाय का %
	कोयला एवं कोयला उत्पादों का उत्पादन एवं बिक्री	कोयला एवं कोयला उत्पादों का उत्पादन एवं बिक्री	100

15. कंपनी द्वारा विक्रय किए जाने वाले उत्पाद/सेवाएँ (व्यवसाय का 90% हिस्सा)

क्र.सं.	उत्पाद/सेवाएँ	एनआईसी कोड	कुल कंपनी के व्यवसाय का %
	कोयला एवं कोयला उत्पाद	0510	100

III. परिचालन

16. उन स्थानों की संख्या जहां कंपनी के संयंत्र और/या परिचालन/कार्यालय स्थित हैं:

स्थान	संयंत्रों की संख्या*	कार्यालयों की संख्या**	कुल
राष्ट्रीय	322	11	333
अंतरराष्ट्रीय	0	1	1

**अनुषंगी कंपनियों तथा होल्डिंग कंपनियों के कार्यालय शामिल हैं।

*खानों की संख्या

17. कंपनी द्वारा संचालित बाजार

क. स्थान की संख्या

स्थान	संख्या
राष्ट्रीय (राज्यों की संख्या)	सकल भारतीय
अंतर्राष्ट्रीय (देशों की संख्या)	1

ख. कंपनी के कुल व्यवसाय में निर्यात का योगदान प्रतिशत के रूप में कितना है?

0.0045%

ग. ग्राहकों के प्रकार

सीआईएल के ग्राहकों को व्यापक रूप से दो प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है:

बिजली क्षेत्र के ग्राहक: इन ग्राहकों में बिजली उत्पादन कंपनियां, राज्य बिजली बोर्ड और कैप्टिव बिजली संयंत्र शामिल हैं। वे सीआईएल द्वारा उत्पादित कोयले के सबसे बड़े उपभोक्ता हैं। ये ग्राहक बिजली पैदा करने के लिए कोयले का उपयोग ईंधन के रूप में करते हैं।

गैर-बिजली क्षेत्र के ग्राहक: इन ग्राहकों में सीमेंट, स्टील, एल्यूमीनियम और अन्य विनिर्माण इकाइयाँ जैसे उद्योग शामिल हैं। वे अपने परिचालन के लिए ईंधन के रूप में या कच्चे माल के रूप में कोयले का उपयोग करते हैं।

IV. कर्मचारी

18. वित्त वर्ष के अंत अर्थात् 31 मार्च, 2023 तक का विवरण:

क. कर्मचारी एवं श्रमिक (दिव्यांगों सहित):

क्र. सं.	विवरण	कुल (क)	पुरुष		महिला	
			सं. (ख)	% (ख/क)	सं. (ग)	% (ग/क)
कर्मचारी						
1.	स्थायी (घ)	16,305	15,083	93	1,222	7
2.	**स्थायी के अलावा अन्य (ड.)					
3.	कुल कर्मचारी (घ+ड.)	16,305	15,083	93	1222	7
श्रमिक						
4.	स्थायी (च)	2,22,905	2,04,333	92	18,572	8
5.	*स्थायी के अलावा अन्य (छ.)	1,02,719	1,00,175	98	2,544	2
6.	कुल कर्मचारी (च+छ.)	3,25,624	3,04,508	94	21,116	6

*सीआईएल सीधे तौर पर ठेका मजदूरों को नियुक्त नहीं करता है

**स्थायी श्रमिक के अलावा अन्य को ठेका श्रमिक कहा जाता है। इसलिए बिंदु सं. 2 रिक्त है।

ख. दिव्यांग कर्मचारी एवं श्रमिक:

क्र. सं.	विवरण	कुल (क)	पुरुष		महिला	
			सं. (ख)	% (ख/क)	सं. (ग)	% (ग/क)
दिव्यांग कर्मचारी						
1.	स्थायी (घ)	178	149	84	29	16
2.	स्थायी के अलावा अन्य (ड.)					
3.	कुल दिव्यांग कर्मचारी (घ+ड.)	178	149	84	29	16
दिव्यांग श्रमिक						
4.	स्थायी (च)	605	557	92	48	8
5.	स्थायी के अलावा अन्य (छ.)	एन.ए	एन.ए	एन.ए	एन.ए	एन.ए
6.	कुल दिव्यांग कर्मचारी (च+छ.)	605	557	92	48	8

**स्थायी श्रमिक के अलावा अन्य को ठेकेदार श्रमिक कहा जाता है। इसलिए बिंदु सं. 2 रिक्त है।

19. महिलाओं की भागीदारी/समावेशन/प्रतिनिधित्व

क्र. सं.	कुल (क)	महिलाओं की संख्या एवं प्रतिशत	
		सं. (ख)	% (ख/क)
निदेशक मंडल	84	6	7
प्रमुख प्रबंधन कार्मिक	33	1	3

20. स्थायी कर्मचारियों और श्रमिकों के लिए व्यवसाय दर (विगत 3 वर्षों की प्रवृत्तियों का प्रकटन करें)

	वित्त वर्ष 2023			वित्त वर्ष 2022			वित्त वर्ष 2021		
	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल
स्थायी कर्मचारी	95%	5%	100%	95%	5%	100%	95%	5%	100%
स्थायी श्रमिक	95%	5%	100%	96%	4%	100%		*	

*वित्त वर्ष 2021 में कुल व्यवसाय 17532 था। इस वर्ष के लिए अलग से गैर-निर्वासित पुरुष महिला आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

V. होलिंडग, अनुषंगी तथा सहयोगी कंपनियां (संयुक्त उद्यम सहित)

21. होलिंडग/अनुषंगी/सहयोगी कंपनियों/संयुक्त उद्यम का नाम

क्र. सं.	होलिंडग/ अनुषंगी /सहयोगी कंपनियों/संयुक्त उद्यमों का नाम (क)	इंगित करें कि क्या होलिंडग/ अनुषंगी / सहयोगी/संयुक्त उद्यम है	कंपनी द्वारा धारित शेयरों का %	क्या कॉलम ए में इंगित इकाई कंपनी की व्यावसायिक उत्तदायित्व पहल में भाग लेती है (हाँ/नहीं)
1.	कोल इंडिया लिमिटेड	होलिंडग कंपनी		
2.	ईस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड (ईसीएल)	अनुषंगी	100	हाँ
3.	भारत कोर्किंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल)	अनुषंगी	100	हाँ
4.	सेंट्रल कोलफिल्ड्स लिमिटेड (सीसीएल)	अनुषंगी	100	हाँ
5.	वेस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड (डब्ल्यूसीएल)	अनुषंगी	100	हाँ
6.	साउथ ईस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड	अनुषंगी	100	हाँ
7.	नॉर्दर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड (एनसीएल)	अनुषंगी	100	हाँ
8.	महानदी कोलफिल्ड्स लिमिटेड (एमसीएल)	अनुषंगी	100	हाँ
9.	सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिज़ाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड (सीएमपीडीआईएल)	अनुषंगी	100	हाँ
10.	सीआईएल नवकरणीय ऊर्जा लिमिटेड	अनुषंगी	100	हाँ
11.	सीआईएल सोलर पीवी लिमिटेड	अनुषंगी	100	हाँ
12.	कोल इंडिया अप्रीकाना लिमिटेड (सीआईएएल)	अनुषंगी	100	हाँ
13.	इंटरनेशनल कोल वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड	संयुक्त उद्यम	0.19	हाँ
14.	हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड	संयुक्त उद्यम	33.33	हाँ
15.	तालचर फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	संयुक्त उद्यम	33.33	हाँ
16.	सीआईएल एनटीपीसी ऊर्जा प्राइवेट लिमिटेड	संयुक्त उद्यम	50	हाँ
17.	कोयला लिग्राइट ऊर्जा विकास प्राइवेट लिमिटेड	संयुक्त उद्यम	50	हाँ

VI. सीएसआर विवरण

22. (i) क्या सीएसआर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार लागू है: (हाँ/नहीं) हाँ

(ii) व्यवसाय (रुपये में) 187455.57

(iii) शुद्ध संपत्ति (रुपये में) 57224.76

VII. पारदर्शिता एवं प्रकटीकरण अनुपालन

23. उत्तदायी व्यवसाय आचरण पर राष्ट्रीय दिशानिर्देशों के तहत किसी भी सिद्धांत (सिद्धांत 1 से 9) पर शिकायतें/शिकायतें:

हितधारक समूह जिनसे अनुपालन प्राप्त हुआ है	शिकायत निवारण तंत्र मौजूद है (हाँ/नहीं) (यदि हाँ, तो शिकायत निवारण नीति के लिए वेबलिंक प्रदान करें)	वित्त वर्ष 2023			वित्त वर्ष 2022		
		वर्ष के दौरान दर्ज शिकायतों की संख्या	वर्ष के अंत में समाधान के लिए लंबित शिकायतों की संख्या	टिप्पणी	वर्ष के दौरान दर्ज की गई शिकायतों की संख्या	वर्ष के अंत में समाधान हेतु लंबित शिकायतों की संख्या	टिप्पणी
समुदाय	हाँ https://pgportal.gov.in/	0	0	-	2	0	-
निवेशक (शेयरधारकों के अलावा)	हाँ https://www.coalindia.in/departments/	0	0	-	0	0	-
शेयरधारक	company-secretary/rta-details/	20	0	-	26	0	-
कर्मचारी एवं श्रमिक	हाँ https://d3u7ubx0okog7j.cloudfront.net/documents/whistle-blower-policy_TYEsLJw.pdf	224	5	-	332	13	-
ग्राहक	हाँ https://pgportal.gov.in/	48	0	-	50	0	-
मूल्य शृंखला भागीदार	हाँ https://pgportal.gov.in/	17	0	-	19	1	-
अन्य(कृपया निर्दिष्ट करें)		91	3	-	94	4	-

24. पर्यावरण और सामाजिक मामलों से संबंधित कंपनी के व्यवसाय आचरण का अवलोकन, जो कंपनी के व्यवसाय के लिए जोखिम या अवसर प्रस्तुत करता है, उसकी पहचान करने का औचित्य, निम्नलिखित प्रारूप के अनुसार, इसके वित्तीय निहितार्थों के साथ जोखिम को अनुकूलित करने या कम करने का उपाय:

क्र. सं.	चिन्हित भौतिक मुद्दे	इंगित करें कि जोखिम या अवसर प्राप्त करें (आर/ओ)	जोखिम/अवसर की पहचान करने का औचित्य	जोखिम के मामले में, अनुकूलन या कम करने का दृष्टिकोण	जोखिम या अवसर के वित्तीय निहितार्थ (सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव इंगित करें)
1	जल प्रबंधन (उपभोग और निर्वहन)	जोखिम	सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करना अत्यावश्यक है और जल संसाधनों का संरक्षण अत्यधिक महत्वपूर्ण है।	सीआईएल का उद्देश्य औद्योगिक और सामुदायिक उद्देश्यों के लिए उपचारित खदान जल का अधिकतम उपयोग करना है। सीआईएल ने स्थानीय तालाबों और बंद खुली खदानों को मछलीपालन केंद्रों में बदलने के लिए उन्नत मछलीपालन तकनीकों को अपनाया है जो स्थानीय आबादी के लिए आय जनरेटर के रूप में कार्य करते हैं।	नकारात्मक

क्र. सं.	चिन्हित भौतिक मुद्दे	इंगित करें कि जोखिम या अवसर प्राप्त करें (आर/ओ)	जोखिम/अवसर की पहचान करने का औचित्य	जोखिम के मामले में, अनुकूलन या कम करने का दृष्टिकोण	जोखिम या अवसर के वित्तीय निहितार्थ (सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव इंगित करें)
2.	ऊर्जा दक्षता/ ऊर्जा प्रबंधन	अवसर	कोयला खनन परिचालन स्वाभाविक रूप से ऊर्जा-गहन है, जिसके लिए महत्वपूर्ण ईंधन और बिजली की खपत की आवश्यकता होती है, कंपनी सक्रिय रूप से ऊर्जा दक्षता बढ़ाने के अवसरों की तलाश करती है। यह प्रतिबद्धता न केवल लागत में कमी के प्रयासों को आगे बढ़ाती है, बल्कि कंपनी को पर्यावरण के अनुकूल हरित ऊर्जा विकल्पों को अपनाने की राह पर भी ले जाती है। ऊर्जा दक्षता में सुधार के उपायों की खोज और कार्यान्वयन करके, कंपनी का लक्ष्य उद्योग के भीतर टिकाऊ प्रथाओं को बढ़ावा देते हुए अपने संचालन को अनुकूलित करना है।	-	सकारात्मक
3.	नवीकरणीय ऊर्जा एवं स्वच्छ ऊर्जा	जोखिम	इसकी प्रचुरता, पहुंच और सामर्थ्य को देखते हुए, कोयला भारत में ऊर्जा का एक पसंदीदा स्रोत बना हुआ है। हालाँकि, ऊर्जा संसाधन के रूप में कोयले का भविष्य चुनौतियाँ पेश करता रहा है। जैसा कि सीओपी27 में कहा गया है, शुद्ध-शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने की भारत की प्रतिबद्धता के अनुरूप, देश को अपने ऊर्जा क्षेत्र को अधिक सतत विकल्पों में बदलने के कार्य का सामना करना पड़ रहा है। वर्तमान ऊर्जा परिदृश्य में कोयले के महत्व को स्वीकार करते हुए, पर्यावरणीय चिंताओं को दूर करने और दीर्घकालिक स्थिरता लक्ष्यों को पूरा करने के लिए स्वच्छ ऊर्जा विकल्पों का पता लगाने की आवश्यकता की मान्यता बढ़ रही है।	-	नकारात्मक
4.	अपशिष्ट प्रबंधन	अवसर	पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रभावी अपशिष्ट प्रबंधन आवश्यक है और सीआईएल खतरनाक और गैर-खतरनाक अपशिष्ट को कम करने और प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए प्रतिबद्ध है।	-	सकारात्मक
5.	जीएचजी उत्सर्जन / जलवायु परिवर्तन	जोखिम	पिछले कुछ वर्षों में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव की आवृत्ति और गंभीरता में वृद्धि हुई है और यह एक उभरता हुआ वैश्विक जोखिम बन गया है।	कंपनी उपयुक्त पर्यावरण अनुकूल तकनीकों का चयन करके जीएचजी कटौती और ऊर्जा के प्रभावी उपयोग के महत्व पर ध्यान केंद्रित करती है।	नकारात्मक
6.	वायु उत्सर्जन	जोखिम	एसओएक्स, एनओएक्स, एसपीएम और पार्टिकुलेट मैटर का उत्सर्जन पूरे भारत में गंभीर स्वास्थ्य समस्या बन गया है।	- कंपनी एसओएक्स, एनओएक्स, और सबसे मुख्य रूप से एसपीएम उत्सर्जन की निगरानी करती है। कंपनी के पास वायुमंडल में उत्सर्जित वायु प्रदूषकों को नियंत्रित करने और लागू कानूनों और विनियमों का अनुपालन करने के लिए प्रणालियाँ हैं।	नकारात्मक

क्र. सं.	चिन्हित भौतिक मुद्दे	इंगित करें कि जोखिम या अवसर प्राप्त करें (आर/ओ)	जोखिम/अवसर की पहचान करने का औचित्य	जोखिम के मामले में, अनुकूलन या कम करने का दृष्टिकोण	जोखिम या अवसर के वित्तीय निहितार्थ (सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव इंगित करें)
7.	जैव विविधता एवं भूमि प्रबंधन	जोखिम	हमारी जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए महत्वपूर्ण है।	कंपनी बनस्पतियों और जीवों पर प्रभाव को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है और इसने जैव विविधता प्रबंधन और पारिस्थितिक बहाली को कार्य योजनाओं में एकीकृत किया है।	नकारात्मक
8.	परिवहन, पैकेजिंग और डिस्पैच के दौरान पर्यावरणीय प्रभावों को कम करना	जोखिम	कोयले के परिवहन में सड़क मार्गों का उपयोग पर्यावरण पर प्रभाव डालता है।	सीआईएल ने परिवहन के पसंदीदा साधन के रूप में अपने रेल पोर्टफोलियो को काफ़ी हद तक बढ़ाया है। हमारा अधिकांश कोयला गैर-सड़क मार्ग से परिवहन किया जाता है। सीआईएल ने एफएमसी परियोजनाओं को भी कार्यान्वित किया है।	नकारात्मक
9.	कर्मचारी समावेशन एवं विविधता	अवसर	कंपनी का मानना है कि विविध कार्यस्थल उसके विकास के लिए आवश्यक है क्योंकि यह व्यक्तिगत ताकत और कौशल को स्वीकार करता है जो वे कार्यस्थल में लाते हैं।	-	सकारात्मक
10.	कर्मचारी विकास एवं कल्याण/प्रशिक्षण एवं शिक्षा	अवसर	कंपनी समझती है कि नौकरियों के लिए उद्योग के ज्ञान और कौशल से लैस कर्मचारियों की आवश्यकता संगठन के दीर्घकालिक अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए, कंपनी कर्मचारियों के कौशल को विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास करती है जिससे पेशेवर और व्यक्तिगत विकास होता है।	-	सकारात्मक
11.	व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा	अवसर	कर्मचारियों को सुरक्षित कार्यस्थल उपलब्ध कराना एक अहम जिम्मेदारी है। कंपनी अपने परिचालन स्थानों पर सुरक्षित परिसर, मशीनरी, सिस्टम और प्रक्रियाएं प्रदान करने और बनाए रखने के लिए लगातार प्रयास करती है और इस प्रकार इसे एक आकर्षक कार्य वातावरण बनाती है।	-	सकारात्मक

क्र. सं.	चिन्हित भौतिक मुद्दे	इंगित करें कि जोखिम या अवसर प्राप्त करें (आर/ओ)	जोखिम/अवसर की पहचान करने का औचित्य	जोखिम के मामले में, अनुकूलन या कम करने का दृष्टिकोण	जोखिम या अवसर के वित्तीय निहितार्थ (सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव इंगित करें)
12.	श्रम की स्थितियाँ / मानवाधिकार मूल्यांकन	अवसर	सीआईएल मानव अधिकारों पर वैश्विक सिद्धांतों और चार्टरों के लिए प्रतिबद्ध है और भेदभाव मुक्त कार्यस्थल के महत्व को स्वीकार करता है। सीआईएल सभी कर्मचारियों को स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है और कोई भी बाल श्रम या जबरन/अनिवार्य श्रम का समर्थन नहीं करता है। इससे संगठन का मूल्य बढ़ता है।	-	सकारात्मक
13.	सामुदायिक सहभागिता	अवसर	स्थानीय समुदाय का कल्याण कंपनी के लिए महत्वपूर्ण है और यह सुनिश्चित करता है कि उनकी समस्याओं, विचारों और अपेक्षाओं को निर्णय लेने की प्रक्रिया में एकीकृत किया जाए। कंपनी का सामाजिक निवेश प्रभावी प्रतिबद्धताओं के परिणाम और उनकी सबसे जरूरी जरूरतों की गहन समझ के अनुरूप है।	-	सकारात्मक
14.	सामाजिक-आर्थिक अनुपालन (समान और उचित वेतन प्रदान करना)	अवसर	सामाजिक-आर्थिक अनुपालन से ब्रांड मूल्य में वृद्धि होती है।	-	सकारात्मक
15.	विनियापक अनुपालन/भ्रष्टाचार विरोधी	जोखिम	गैर-अनुपालन संगठन को प्रभावित कर सकता है	कंपनी रिश्वतग्रोती और भ्रष्टाचार को बर्दाशत नहीं करती है। इसने संगठन में पारदर्शिता और विश्वास की संस्कृति को बनाने और मजबूत करने और कर्मचारियों को भ्रष्ट गतिविधीयों की जिम्मेदार और सुरक्षित रिपोर्टिंग के लिए एक रूपरेखा/प्रक्रिया प्रदान करने के लिए एक व्हिसल नीति ब्लॉअर स्थापित की है।	नकारात्मक
16.	व्यवसाय जोखिम प्रबंधन	जोखिम	व्यवसाय के जोखिम संगठन पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं।	कंपनी ने एक मजबूत जोखिम प्रबंधन प्रणाली स्थापित की है जिसमें जोखिमों को परिभाषित करने, प्राथमिकता देने और आकस्मिक घटनाओं को तैयार करने के लिए एक तंत्र शामिल है।	नकारात्मक

क्र. सं.	चिह्नित भौतिक मुद्दे	इंगित करें कि जोखिम या अवसर प्राप्त करें (आर/ओ)	जोखिम/अवसर की पहचान करने का औचित्य	जोखिम के मामले में, अनुकूलन या कम करने का दृष्टिकोण	जोखिम या अवसर के वित्तीय निहितार्थ (सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव इंगित करें)
17.	शिकायत निवारण प्रबंधन प्रणाली	अवसर	हितधारकों के लिए मूल्य सृजन और प्रत्येक हितधारक समूह के अलग-अलग दृष्टिकोण को समझना और कई मार्गों के माध्यम से सभी हितधारकों के बीच संचार का एक खुला माध्यम सुनिश्चित करना।	कंपनी केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) में भाग लेती है, जो सार्वजनिक शिकायतों को हल करने के लिए भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा संचालित एक वेब-आधारित समाधान है। सीपीजीआरएएमएस का उपयोग करके कर्मचारियों, ग्राहकों और अन्य हितधारकों की सभी शिकायतों का समाधान किया जाता है।	नकारात्मक

खंड खः प्रबंधन एवं प्रक्रिया प्रकटीकरण

इस अनुभाग का उद्देश्य व्यवसायों को एनजीआरबीसी सिद्धांतों और मूल तत्वों को अपनाने के लिए बनाई गई संरचनाओं, नीतियों और प्रक्रियाओं को प्रदर्शित करने में मदद करना है।

शासन, नेतृत्व एवं निरीक्षण

7.	<p>व्यावसायिक उत्तरदायित्व रिपोर्ट के लिए उत्तरदायी निदेशक का वक्तव्य, जिसमें ईएसजी से संबंधित चुनौतियों, लक्ष्यों और उपलब्धियों पर प्रकाश डाला गया है। कोल इंडिया लिमिटेड भारत के इच्छित राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (आईएनडीसी) का समर्थन करने के लिए गंभीरता पूर्वक प्रतिबद्ध है। इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य के अनुरूप, कंपनी सक्रिय रूप से 3 गीगावॉट की क्षमता वाली सौर परियोजनाओं को आगे बढ़ाने में लगी हुई है, जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के दोहन के लिए अपनी मजबूत प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करती है। कार्बन उत्सर्जन को न्यूनतम करने की तत्काल आवश्यकता को मानते हुए, कोल इंडिया ने पर्यावरण के अनुकूल परिवहन पहलों विशेष रूप से प्रथम-मील कनेक्टिविटी परियोजनाओं के माध्यम को प्राथमिकता दी है। इन पहलों को कार्यान्वित करके, कंपनी का लक्ष्य अपने समग्र पर्यावरणीय प्रभाव को कम करते हुए अपने परिचालन की दक्षता और स्थिरता को बढ़ाना है। सौर परियोजनाओं को आगे बढ़ाने और पर्यावरण के अनुकूल परिवहन समाधानों को अपनाने से स्थिरता की दिशा में कोल इंडिया की यात्रा में महत्वपूर्ण प्रगति परिलक्षित होती है। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को अपनाकर और नवोन्वेषी परिवहन पहलों को लागू करके, कंपनी खुद को भारत के जलवायु लक्ष्यों के साथ जोड़ रही है और देश के व्यापक स्थिरता उद्देश्यों में योगदान दे रही है। समग्र रूप से, नवीकरणीय ऊर्जा और पर्यावरण-अनुकूल परिवहन पहलों पर कोल इंडिया का ध्यान स्थिरता के प्रति इसकी प्रतिबद्धता और भारत के जलवायु लक्ष्यों में योगदान देने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को पुनः स्थापित करता है।</p>
8.	<p>व्यावसायिक उत्तरदायित्व नीति (नीतियों) के कार्यान्वयन और निरीक्षण के लिए जिम्मेदार सर्वोच्च प्राधिकारी का विवरण।</p>

9. क्या कंपनी के पास स्थिरता संबंधी मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार बोर्ड/निदेशक की एक निर्दिष्ट समिति है? (हाँ/नहीं)। यदि हाँ, तो विवरण प्रदान करें।

सीआईएल के निदेशक और वरिष्ठ प्रबंधन निरंतर आधार पर कंपनी के सामाजिक, पर्यावरण, प्रशासन तथा आर्थिक जिम्मेदारियों के विभिन्न पहलुओं की निगरानी करते हैं।

सीआईएल में निम्नलिखित समितियाँ स्थापित हैं:

- (i) कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति
- (ii) जोखिम प्रबंधन समिति

10. कंपनी द्वारा एनजीआरबीसी की समीक्षा का विवरण:

समीक्षा का विषय	इंगित करें कि क्या नीचे दी गई समीक्षा बोर्ड के निदेशक /समिति /किसी अन्य समिति द्वारा ली गई है	आवृत्ति (वार्षिक/अर्धवार्षिक/त्रैमासिक/कोई अन्य – कृपया निर्दिष्ट करें)																		
	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>पी 1</td><td>पी 2</td><td>पी 3</td><td>पी 4</td><td>पी 5</td><td>पी 6</td><td>पी 7</td><td>पी 8</td><td>पी 9</td> </tr> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td> </tr> </table>	पी 1	पी 2	पी 3	पी 4	पी 5	पी 6	पी 7	पी 8	पी 9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
पी 1	पी 2	पी 3	पी 4	पी 5	पी 6	पी 7	पी 8	पी 9												
1	2	3	4	5	6	7	8	9												

उपरोक्त नीतियों के विरुद्ध प्रदर्शन और अनुवर्ती कार्रवाई	हाँ	वार्षिक रूप से
सिद्धांतों की प्रासंगिकता की वैधानिक आवश्यकताओं का अनुपालन, और किसी भी गैर-अनुपालन का सुधार	हाँ	वार्षिक रूप से

11. क्या इकाई ने किसी बाहरी एजेंसी द्वारा अपनी नीतियों के कार्यान्वयन का स्वतंत्र मूल्यांकन/मूल्यांकन कराया है? (हाँ/नहीं)। यदि हाँ, तो एजेंसी का नाम बतायें।

पी 1 पी 2 पी 3 पी 4 पी 5 पी 6 पी 7 पी 8 पी 9

नहीं

12. यदि उपरोक्त प्रश्न (1) का उत्तर 'नहीं' है यानी सभी सिद्धांत किसी पॉलिसी में शामिल नहीं हैं, तो कारण बताया जाय:

प्रश्न	पी 1 पी 2 पी 3 पी 4 पी 5 पी 6 पी 7 पी 8 पी 9
क्या संस्था इस सिद्धांत को अपने व्यवसाय के लिए महत्वपूर्ण नहीं मानती (हाँ/नहीं)	
क्या इकाई उस स्तर पर नहीं है जहाँ वह निर्दिष्ट सिद्धांतों पर नीतियाँ बनाने और कार्यान्वित करने की स्थिति में है (हाँ/नहीं)	
क्या इकाई के पास इस कार्य के लिए वित्तीय या/मानवीय और तकनीकी संसाधन उपलब्ध नहीं हैं (हाँ/नहीं)	एनए
क्या इसे अगले वित्तीय वर्ष में किये जाने की योजना है (हाँ/नहीं)	
कोई अन्य कारण (कृपया निर्दिष्ट करें)	

खंड ग: सिद्धांतवार निष्पादन प्रकटीकरण



सिद्धांत 1:

व्यवसायों को ईमानदारी के साथ और नैतिक, पारदर्शी और जवाबदेह तरीके से संचालन और प्रशासन करना चाहिए।

आवश्यक संकेतक

- वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी सिद्धांत पर प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रमों द्वारा प्रतिशत कवरेज़:

श्रेणी	आयोजित प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों की कुल संख्या	प्रशिक्षण के अंतर्गत शामिल विषय/सिद्धांत और उसका प्रभाव	जागरूकता कार्यक्रमों द्वारा कवर की गई संबंधित श्रेणी के व्यक्तियों की % आयु
निदेशक मंडल	3	परिचितीकरण कार्यक्रम	100
मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	34	पर्यावरण, सामाजिक एवं प्रशासन	-
निदेशक मंडल और केएमपी को छोड़कर अन्य कर्मचारी	1339	कर्मचारियों की आवश्यकता के अनुसार तकनीकी/प्रबंधकीय/व्यवहारिक/कार्यात्मक दक्षताएँ	142.90*
श्रमिक	1780	एमवीटी नियम 1966 और विशेष कौशल विकास प्रशिक्षण के अनुसार	32.43

*ऐसे कर्मचारी जो एक वित्त वर्ष में कई प्रशिक्षण कार्यक्रम से गुजरे हैं।

- वित्त वर्ष में नियामकों/कानून प्रवर्तन एजेंसियों/न्यायिक संस्थानों के साथ कार्यवाही (इकाई द्वारा या निदेशकों/केएमपी द्वारा) में भुगतान किए गए जुर्माना/दंड/दंड/पुरस्कार/शमन शुल्क/निपटान राशि का विवरणः

(नोट: इकाई सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियमन 30 में निर्दिष्ट तथा इकाई की वेबसाइट पर बताए गए अनुसार भौतिकता के आधार पर प्रकटीकरण होगी)

मौद्रिक					
एनजीआरबीसी सिद्धांत	विनियामक/प्रवर्तन एजेंसियों/न्यायिक संस्थानों का नाम	राशि (रुपये में) मामले का संक्षिप्त विवरण	मामले का संक्षिप्त विवरण	क्या कोई अपील दायर की गई है? (हाँ/ नहीं)	
दंड/जुर्माना	शून्य	एनएसई और बीएसई	19517200 सेबी एलओडीआर विनियम 2015 के विनियमन 17(1), 17(2ए), 18(1), 19(1), 19(2), 20(2/2ए) और 21(2) के तहत जुर्माना	हाँ	
निपटान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
समझौता शुल्क	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	

गैर-मौद्रिक					
एनजीआरबीसी सिद्धांत	विनियामक/प्रवर्तन एजेंसियों/न्यायिक संस्थानों का नाम	मामले का संक्षिप्त विवरण	क्या कोई अपील दायर की गई है? (हाँ/ नहीं)		
कारावास	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
सजा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	

3. उपरोक्त प्रश्न 2 में बताए गए उदाहरणों में से, उन मामलों में अपील/पुनरीक्षण का विवरण जहां मौद्रिक या गैर-मौद्रिक कार्रवाई की अपील की गई है।

मामले का विवरण	विनियामक/प्रवर्तन एजेंसियों/न्यायिक संस्थानों का नाम
सेबी एलओडीआर विनियम 2015 के विनियम 17(1), 17(2ए), 18(1), 19(1), 19(2), 20(2/2ए) और 21(2) के तहत जुमाना - स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति न करना और सेबी एलओडीआर 2015 में निर्दिष्ट विभिन्न वैधानिक समितियों की गैर-रचना।	कंपनी ने स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या की नियुक्ति के लिए अपने अनुरोध किया है। कंपनी ने नियमित अंतराल पर स्टॉक एक्सचेंज द्वारा लगाए गए जुमाने के विवरण के बारे में अपने बोर्ड और एमओसी को सूचित किया है।

4. क्या कंपनी के पास भ्रष्टाचार-रोधी या रिश्वत-विरोधी नीति है? यदि हां, तो संक्षिप्त विवरण प्रदान करें और यदि उपलब्ध हो, तो पॉलिसी का एक वेब-लिंक प्रदान करें।

जी हां, कंपनी ने विभिन्न नीतियां और तंत्र लागू किए हैं, जिनमें आचार संहिता, सतर्कता (भ्रष्टाचार-विरोधी) उपाय, एक व्हिसल ब्लॉअर नीति और अधिकारियों के लिए सीडीए नियम शामिल हैं। ये तंत्र कंपनी के भीतर नैतिक और पारदर्शी निर्णय लेने, कार्यों और आचरण को बढ़ावा देने का कार्य करते हैं। इन मानकों को कायम रखते हुए, कंपनी जिम्मेदार तरीके से व्यवसाय चलाने के प्रति अपने समर्पण को मजबूत करती है, जिससे दीर्घकालिक स्थिरता को बढ़ावा मिलता है। ये पॉलिसीयां कंपनी की वेबसाइट <https://www.coalindia.in/policies/> पर उपलब्ध हैं।

5. ऐसे निदेशकों/केएमपी/कर्मचारियों/कर्मचारियों की संख्या जिनके विरुद्ध रिश्वतखोरी/भ्रष्टाचार के आरोप में किसी कानून प्रवर्तन एजेंसी द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई:

निदेशक	वित्त वर्ष 2022-23		वित्त वर्ष 2021-22	
	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
के.एम.पी	3	9		
कर्मचारी	9	4		
श्रमिक	शून्य	शून्य		

6. हित टकराव के संबंध में शिकायतों का व्यौरा

	वित्त वर्ष 2022-23		वित्त वर्ष 2021-22	
	संख्या	टिप्पणियाँ	संख्या	टिप्पणियाँ
निदेशक के हित टकराव के मुद्दों के संबंध में प्राप्त शिकायतों की संख्या	शून्य	-	शून्य	-
केएमपी के हित टकराव के मुद्दों के संबंध में प्राप्त शिकायतों की संख्या	शून्य	-	शून्य	-

7. भ्रष्टाचार और हितों के टकराव के मामलों पर नियमकों/कानून प्रवर्तन एजेंसियों/न्यायिक संस्थानों द्वारा जुमानि/दंड/कार्रवाई से संबंधित मुद्दों पर की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।

लागू नहीं

नेतृत्व संकेतक

1. वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी सिद्धांत पर मूल्य शृंखला भागीदारों के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए:

आयोजित जागरूकता कार्यक्रमों की कुल संख्या	प्रशिक्षण के अंतर्गत शामिल विषय/सिद्धांत	जागरूकता कार्यक्रमों के तहत कवर किए गए मूल्य शृंखला भागीदारों की आयु का % (ऐसे भागीदारों के साथ किए गए व्यवसाय के मूल्य के अनुसार)।
46	अनुबंध के नियमों और शर्तों के बारे में जागरूकता, निविदा प्रक्रिया, पात्रता मानदंड, के बारे में जागरूकता, जीईएम पोर्टल की मुख्य विशेषताएं, श्रेणी प्रबंधन, राजस्व नीति और खनन निविदाओं का जेम पोर्टल पर स्थानांतरण, विभिन्न सीएमसी ठेकेदारों के लिए ऑनलाइन बोलियां दाखिल करते समय सावधानियों पर कार्यशाला, एचओई और परिवहन ठेकेदारों के प्रदर्शन और मुद्दों के समाधान पर कार्यशाला।	100

2. क्या इकाई के पास बोर्ड के सदस्यों से जुड़े हित टकराव से बचने/प्रबंधन के लिए प्रक्रियाएं मौजूद हैं? (हां/नहीं) यदि हां, तो उसका विवरण प्रदान करें।

जी हां, निदेशक मंडल (बीओडी) और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए आचरण दिशानिर्देशों और सिद्धांतों का एक सेट है जो किसी कंपनी के भीतर नेतृत्व पदों पर व्यक्तियों के लिए अपेक्षित व्यवहार और नैतिक मानकों की रूपरेखा तैयार करता है। यह कोड निर्णय लेने, पेशेवर आचरण और जवाबदेही के लिए एक रूपरेखा के रूप में कार्य करता है, जिससे पारदर्शिता, अखंडता और जिम्मेदार शासन को बढ़ावा देने में मदद मिलती है। लिंक- https://d3u7ubx0okog7j.cloudfront.net/documents/Code_of_Conduct_for_Board_Members_and_Senior_Management_Personnel_23022015_ZX00oJI.PDF.



सिद्धांत 2:

व्यवसाय को वस्तुएँ एवं सेवाएँ इस तरह से प्रदान करनी चाहिए कि जो सतत तथा सुरक्षित हो

आवश्यक संकेतक

- इकाई द्वारा व्ययित कुल अनुसंधान एवं विकास तथा पूँजीगत व्यय पर उत्पादों और प्रक्रियाओं के पर्यावरणीय तथा सामाजिक प्रभावों में सुधार करने के लिए विशिष्ट प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान एवं विकास और पूँजीगत व्यय (कैपेक्स) निवेश का प्रतिशत।

2. क. क्या इकाई के पास स्थायी सोर्सिंग के लिए प्रक्रियाएँ हैं? (हाँ/ नहीं)

ख. यदि हाँ, तो कितने प्रतिशत इनपुट स्थायी रूप से प्राप्त किए गए थे?

जी हाँ। कंपनी ने अपनी ईएसजी रणनीति को क्रियान्वित करने के लिए बोर्ड-अनुमोदित पर्यावरण और स्थिरता नीतियों के एक व्यापक समूह को अपनाया है, जिसका कार्यान्वयन पूरे संगठन में किया जा रहा है। ये नीतियां सीआईएल के लक्ष्यों को स्थिरता प्रदर्शन के साथ सेरेखित करने, महत्वपूर्ण स्थिरता समस्याओं की पहचान करने और संपूर्ण मूल्य शृंखला में निगरानी और शमन उपायों को बढ़ाने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांतों के रूप में कार्य करती हैं।

इसके अलावा, कंपनी मानती है कि कोयला खनन एक अत्यधिक ऊर्जा-गहन प्रक्रिया है जिसमें पर्याप्त ईंधन और बिजली की खपत की आवश्यकता होती है। ईंधन के अधिकांश उपयोग का श्रेय भारी अर्थ मूर्खिंग मशीनों (एचईएमएम), परिवहन, वेंटिलेशन और पर्सिंग गतिविधियों को दिया जाता है, जबकि एक छोटा हिस्सा डीजी सेट को आवंटित किया जाता है। अपने परिचालन क्षेत्र के भीतर कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए, सीआईएल सक्रिय रूप से ऊर्जा दक्षता उपायों को प्राथमिकता दे रहा है और विभिन्न कार्बन-ऑफसेटिंग पहलों को सक्रिय रूप से आगे बढ़ा रहा है।

3. (क) प्लास्टिक (पैकेजिंग सहित) (ख) ई-कचरा (ग) घातक अपशिष्ट और (घ) अन्य अपशिष्ट के लिए अपने उत्पादों को पुनः उपयोग, पुनर्चक्रण और समापन पर निपटान हेतु सुरक्षित रूप से पुनर्प्राप्त करने की प्रक्रियाओं का वर्णन करें।

घातक अपशिष्ट एवं अन्य अपशिष्ट: कंपनी पर्यावरण की सुरक्षा में कुशल अपशिष्ट प्रबंधन के महत्व को स्वीकार करती है। यह सुनिश्चित करता है कि इसके खतरनाक कचरे को अधिकृत विक्रेताओं

तक पहुंचाया जाए, जो लागू कानूनों और विनियमों का अनुपालन करने वाले उचित तरीकों का उपयोग करके कचरे का निपटान करते हैं। कंपनी अनिवार्य दस्तावेज राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी) को भी अनिवार्य रूप से जमा करती है। खतरनाक और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट) नियम, 2015 का परिश्रमपूर्वक पालन करके, कंपनी जिम्मेदार अपशिष्ट प्रबंधन प्रथाओं के प्रति अपने समर्पण को प्रदर्शित करती है।

इसके अतिरिक्त, कंपनी ने अपने कैप्टिव ताप विद्युत संयंत्रों में उत्पादित फ्लाई ऐश को प्रभावी ढंग से संभालने के लिए दिशानिर्देश विकसित किए हैं। फ्लाई ऐश प्रबंधन के दिशा-निर्देश इस लिंक के माध्यम से प्राप्त किए जा सकते हैं:

https://d3u7ubx0okog7j.cloudfront.net/documents/CIL_Fly_ash_guidelines_2019.pdf

ई-अपशिष्ट: कंपनी ई-अपशिष्ट निपटान के महत्व को मानती है और ई-अपशिष्ट के कुशल और पर्यावरण के अनुकूल प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए एक समर्पित ई-अपशिष्ट नीति लागू की है। कंपनी की ई-अपशिष्ट निपटान नीति निम्नलिखित लिंक पर देखी जा सकती है:

https://d3u7ubx0okog7j.cloudfront.net/documents/CIL_Corporate_E- Waste Policy_tFQLJHH.pdf

4. क्या विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व (ईपीआर) इकाई की गतिविधियों पर लागू है (हाँ/नहीं)? यदि हाँ, तो क्या अपशिष्ट संग्रहण योजना प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को प्रस्तुत विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) योजना के अनुरूप है? यदि नहीं, तो इसके समाधान के लिए उठाए गए कदम बताएं।

लागू नहीं

नेतृत्व संकेतक -

1. क्या इकाई ने अपने किसी भी उत्पाद (विनिर्माण उद्योग के लिए) या अपनी सेवाओं (सेवा उद्योग के लिए) के लिए जीवन चक्र परिप्रेक्ष्य / मूल्यांकन (एलसीए) आयोजित किया है? यदि हाँ, तो निम्नलिखित प्रारूप में विवरण प्रदान करें?

एनआईसी कोड	उत्पाद/सेवा का नाम	कुल टर्नओवर का % योगदान दिया	वह सीमा जिसके लिए जीवन चक्र परिप्रेक्ष्य/आकलन आयोजित किया गया था	क्या स्वतंत्र बाह्य एजेंसी द्वारा संचालित किया गया है (हाँ/ नहीं)	परिणाम सार्वजनिक डोमेन में संप्रेषित किए गए (हाँ/नहीं) यदि हाँ, तो वेब-लिंक प्रदान करें
------------	--------------------	------------------------------	--	---	---

लागू नहीं

2. क्या आपके उत्पादों/सेवाओं के उत्पादन या निपटान से उत्पन्न होने वाली कोई महत्वपूर्ण सापाजिक या पर्यावरणीय समस्याएँ और/या जोखिम, जैसा कि जीवन चक्र परिप्रेक्ष्य/आकलन (एलसीए) या किसी अन्य माध्यम से माना गया है, इसका संक्षेप में वर्णन करें और साथ ही इसे कम करने के लिए की गई कार्रवाई भी बताएं।

उत्पाद/सेवा का नाम	जोखिम/समस्या का विवरण	कृत कार्रवाई
--------------------	-----------------------	--------------

लागू नहीं

3. उत्पादन (विनिर्माण उद्योग के लिए) या सेवाएं प्रदान करने (सेवा उद्योग के लिए) में उपयोग की जाने वाली कुल सामग्री (मूल्य के अनुसार) में पुनर्नवीनीकरण या पुनः उपयोग की गई इनपुट सामग्री का प्रतिशत।

इनपुट सामग्री	कुल सामग्री में पुनर्नवीनीकरण या पुनः उपयोग की गई इनपुट सामग्री वित्त वर्ष 2023	वित्त वर्ष 2022
लागू नहीं		

4. उत्पादों के जीवन के अंत में पुनः प्राप्त किए गए उत्पादों और पैकेजिंग की, मात्रा (मीट्रिक टन में) निम्नलिखित प्रारूप के अनुसार पुनः उपयोग, पुनर्नवीनीकरण और सुरक्षित रूप से निपटान किया गया:

	वित्त वर्ष 2023			वित्त वर्ष 2022		
	पुनर्उपयोग	पुनर्चक्रित क*	सुरक्षित निपटान	पुनर्उपयोग	पुनर्चक्रित	सुरक्षित निपटान
प्लास्टिक (पैकेजिंग सहित)						
ई - अपशिष्ट	272 पीसी	108	-	-	-	-
घातक अपशिष्ट	-	जला तेल - 1204 टन	-	-	-	448.55 लीटर अपशिष्ट तेल
अन्य अपशिष्ट			1644.292 एम3 अधिभार	22,287 एम3 उत्पन्न रेत	55,719 एम3 अधिभार	1362 एम3 अधिभार

क* डिब्बे में रखा गया और निपटान के लिए नगरपालिका को भेजा गया

5. प्रत्येक उत्पाद श्रेणी के लिए पुनर्प्राप्त उत्पाद और उनकी पैकेजिंग सामग्री (बेचे गए उत्पादों के प्रतिशत के रूप में)।

उत्पाद श्रेणी	पुनर्प्राप्त उत्पाद और उनकी पैकेजिंग सामग्री संबंधित श्रेणी में बेचे गए कुल उत्पादों के % के रूप में
	एन.ए



सिद्धांत 3

व्यवसाय को अपने मूल्य शृंखला में शामिल सभी कर्मचारियों सहित सभी कर्मचारियों की भलाई का सम्मान करना चाहिए और उन्हें बढ़ावा देना चाहिए

आवश्यक संकेतक:

1. क. कर्मचारियों के कल्याण हेतु उपायों का विवरण:

वर्ग	कुल (ए)	कवर कर्मचारियों का %									
		स्वास्थ्य बीमा		*दुर्घटना बीमा		*मातृत्व लाभ		पितृत्व लाभ		डे केयर सुविधाएं	
		संख्या (ख)	% (ख/क)	संख्या (ग)	% (ग/क)	संख्या (घ)	% (घ/क)	संख्या (ड.)	% (ड./क)	संख्या (च)	% (च/क)
स्थायी कर्मचारी											
पुरुष	15083	15083	100	15083	100	एन.ए	एन.ए	15083	100	15083	100
महिला	1222	1222	100	1222	100	1222	100	एन.ए	एन.ए	1222	100
कुल	16305	16305	100	16305	100	1222	7	15083	93	16305	100

स्थायी कर्मचारियों के अलावा अन्य

पुरुष	
महिला	एन.ए
कुल	

- *1. सीआईएल के सभी स्थायी कर्मचारी कंपनी के अस्पताल तथा सीआईएल एवं इसकी अनुषंगी कंपनियों के सूचीबद्ध अस्पतालों में मुफ्त इलाज का लाभ उठा रहे हैं। सेवानिवृत्त कर्मचारी निर्दिष्ट योजनाओं के अंतर्गत आते हैं, जहां वे 25 लाख तक का इलाज करा सकते हैं। यह स्वास्थ्य बीमा के एवज में है।

2. कंपनी कर्मचारी मुआवजा अधिनियम में उल्लिखित घटकों के अलावा मृत कर्मचारी के निकटतम परिजन को अनुग्रह राशि के रूप में अतिरिक्त एच 90,000 और घातक खदान दुर्घटना के मामले में एच 15 लाख का मुआवजा प्रदान करती है। इसके अलावा, कर्मचारी की मृत्यु के मामले में अनुकंपा रोजगार / मासिक मौद्रिक मुआवजा सीआईएल द्वारा प्रदान किया जाता है।

ख. श्रमिकों के कल्याण के उपायों का विवरण:

वर्ग	कुल (क)	कवर कर्मचारियों का %									
		*स्वास्थ्य बीमा		*दुर्घटना बीमा		*मातृत्व लाभ		पितृत्व लाभ		डे केयर सुविधाएं	
		संख्या	%	संख्या	%	संख्या	%	संख्या	%	संख्या	%
स्थायी कर्मचारी											
पुरुष	2,04,333	2,04,333	100	2,04,333	100	एन.ए	एन.ए	एन.ए	एन.ए	2,04,333	100
महिला	18,572	18,572	100	18,572	100	18,572	100	एन.ए	एन.ए	18,572	100
कुल	2,22,905	2,22,905	100	2,22,905	100	18,572	8	एन.ए	एन.ए	2,22,905	100
*स्थायी कर्मचारियों के अलावा अन्य											
पुरुष	1,00,175	1,00,175	100	1,00,175	100	एन.ए	एन.ए	एन.ए	एन.ए	एन.ए	एन.ए
महिला	2,544	2,544	100	2,544	100	2,544	100	एन.ए	एन.ए	2,544	100
कुल	1,02,719	1,02,719	100	1,02,719	100	2,544	2	एन.ए	एन.ए	2,544	2

*सीआईएल के सभी स्थायी कर्मचारी कंपनी के अस्पताल तथा सीआईएल एवं इसकी अनुबंधी कंपनियों के पैनल में शामिल अस्पतालों में मुफ्त इलाज का लाभ उठा रहे हैं। सेवानिवृत्त श्रमिकों को निर्दिष्ट योजनाओं के तहत कवर किया जाता है जहां वे 8 लाख तक के इलाज का लाभ उठा सकते हैं। यह स्वास्थ्य बीमा के एवज में है। 2. कंपनी कर्मचारी मुआवजा अधिनियम में उल्लिखित घटकों के अलावा मृत श्रमिक के निकटतम परिजन को अनुग्रह राशि के रूप में अतिरिक्त ₹ 90,000 और घातक खदान दुर्घटना के मामले में ₹ 15 लाख का मुआवजा प्रदान करती है। इसके अलावा, किसी कर्मचारी की मृत्यु के मामले में अनुकंपा रोजगार/मासिक मौद्रिक मुआवजा। घातक खदान दुर्घटना के मामले में कर्मचारी के निकटतम रिश्तेदार को ₹ 15 लाख (₹ 5 लाख से बढ़ाकर) की राशि का भुगतान किया जाता है।

2. चालू वित्त वर्ष तथा वित्त वर्ष के लिए सेवानिवृत्त लाभों का विवरण।

लाभ	वित्त वर्ष 2023			वित्त वर्ष 2022		
	कुल कर्मचारियों के % के रूप में शामिल कर्मचारियों की संख्या	कुल श्रमिकों के % के रूप में शामिल श्रमिकों की संख्या	कटौती कर प्राधिकारण के पास जमा की गई (हाँ/ना /एन.ए.)	कुल कर्मचारियों के % के रूप में शामिल कर्मचारियों की संख्या	कुल श्रमिकों के % के रूप में शामिल श्रमिकों की संख्या	कटौती कर प्राधिकारण के पास जमा की गई (हाँ/ना /एन.ए.)
पीएफ	100	100	हाँ	100	100	हाँ
ग्रेच्युटी	100	100	हाँ	100	100	हाँ
ईएसआई		एन.ए			एन.ए	
अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें		एन.ए			एन.ए	

इसके अलावा समूह ग्रेच्युटी योजना भी प्रचलन में है जिसमें किसी कर्मचारी / कर्मचारी की मृत्यु होने पर सेवानिवृत्त तक ग्रेच्युटी की गणना की जाती है।

3. कार्यस्थलों तक पहुंच

क्या विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 की आवश्यकताओं के अनुसार, कंपनी के परिसर/कार्यालय विकलांग कर्मचारियों और श्रमिकों के लिए सुलभ हैं? यदि नहीं, तो क्या कंपनी द्वारा इस संबंध में कोई कदम उठाया जा रहा है?

जी हाँ, कंपनी ऐसे कार्यस्थलों को डिज़ाइन और रखरखाव करके एक समावेशी और सहायक कार्य वातावरण बनाने के लिए प्रतिबद्ध है जो विकलांग व्यक्तियों के लिए पहुंच और आवास को प्राथमिकता देता है। यह समर्पण कंपनी के सभी कार्यालयों में सुलभ शैक्षालय और रैंप जैसी आवश्यक सुविधाओं के समावेश के माध्यम से प्रदर्शित होता है।

4. क्या कंपनी के पास विकलांग व्यक्ति अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुसार समान अवसर नीति है? यदि हाँ, तो नीति का एक वेब-लिंक प्रदान करें।

सीआईएल कार्यस्थल में विविधता और समावेशिता को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है जहां सभी का सम्मान किया जाता है और उनके विशिष्ट दृष्टिकोण, कौशल और अनुभव की सराहना की जाती है और पर्याप्त रूप से पुरुस्कृत किया जाता है। सीआईएल किसी भी कर्मचारी के खिलाफ नस्ल, रंग, राष्ट्रीय या जातीय मूल, उम्र, धर्म, विकलांगता, लिंग, यौन अभिविन्यास, लिंग पहचान और अभिव्यक्ति के आधार पर भेदभाव और उत्पीड़न नहीं करता है। इसके अलावा, कंपनी के पास समान अवसर नीति है जिसे कंपनी की वेबसाइट पर देखा जा सकता है। नीति के लिए वेबलिंक:

https://d3u7ubx0okog7j.cloudfront.net/documents/CIL_Equal_Opportunity_Policy_AN8EiDe.pdf

5. स्थायी कर्मचारियों तथा पेरेंटल लिव लेने वाले श्रमिकों की कार्य पर वापसी तथा प्रतिधारण दर।

लिंग	स्थायी कर्मचारी		स्थायी श्रमिक	
	कार्य पर वापसी की दर	अवधारण दर	कार्य पर वापसी की दर	अवधारण दर
पुरुष	100	100	एन.ए	एन.ए
महिला	100	100	एन.ए	एन.ए
कुल	100	100	एन.ए	एन.ए

श्रमिकों के लिए पितृ अवकाश का कोई प्रावधान नहीं है।

6. क्या निम्नलिखित श्रेणियों के कर्मचारियों और श्रमिकों के लिए शिकायतें प्राप्त करने और उनका समाधान करने के लिए कोई तंत्र उपलब्ध है? यदि हाँ, तो तंत्र का संक्षिप्त विवरण दें।

स्थायी श्रमिक	हाँ / नहीं (यदि हाँ, तो तंत्र का संक्षिप्त विवरण दें)
स्थायी श्रमिक के अलावा अन्य	हाँ, कंपनी सीपीजीआरएमएस पोर्टल और समाधान सेल के माध्यम से कर्मचारियों, ग्राहकों और अन्य हितधारकों की सभी शिकायतों को दर्ज करती है और उनका समाधान करती है। पोर्टल में दर्ज शिकायतों का समाधान निर्धारित समय-सीमा के अनुसार किया जाता है।
स्थायी कर्मचारी	
स्थायी कर्मचारियों के अलावा अन्य	

7. सूचीबद्ध संस्था द्वारा मान्यता प्राप्त संघों या यूनियनों में कर्मचारियों और श्रमिकों की सदस्यता:

वर्ग	वित्त वर्ष 2023			वित्त वर्ष 2022		
	संबंधित श्रेणी में कुल कर्मचारी/ श्रमिक (क)	संबंधित श्रेणी के कर्मचारियों/ श्रमिकों की संख्या, जो संघ या संघ का हिस्सा हैं (ख)	% (ख/क)	संबंधित श्रेणी में कुल कर्मचारी/ श्रमिक (ग)	संबंधित श्रेणी के कर्मचारियों/ श्रमिकों की संख्या, जो संघ या संघ का हिस्सा हैं (घ)	% (ग/घ)
कुल स्थायी कर्मचारी	16305	16305	100	15694	15694	100
- पुरुष	15083	15083	100	14536	14536	100
- महिला	1222	1222	100	1158	1158	100
कुल स्थायी श्रमिक	222905	222905	100	232856	232856	100
- पुरुष	204333	204333	100	214396	214396	100
- महिला	18572	18572	100	18460	18460	100

8. कर्मचारियों एवं श्रमिकों को दिये गये प्रशिक्षण का विवरण:

वर्ग	वित्त वर्ष 2023				वित्त वर्ष 2022			
	कुल (क)	स्वास्थ्य और सुरक्षा उपायों पर		कौशल उन्नयन पर		कुल (घ)	स्वास्थ्य और सुरक्षा उपायों पर	
		संख्या (ख)	% (ख/क)	संख्या (ग)	% (ग/क)		संख्या (ड.)	% (ड./घ)
कर्मचारी								
पुरुष	15083	4045	26.82	12411	82.28	14536	2277	15.66
महिला	1222	633	51.80	1801	147.38**	1158	279	24.09
कुल	16305	4678	28.69	13320	81.69	15694	2556	16.29
श्रमिक								
पुरुष	204333	15079	7.38	42775	20.93	214396	14280	6.66
महिला	18572	1443	7.77	3082	16.59	18460	708	3.84
कुल	222905	16522	7.41	45857	20.57	232856	14988	6.44
10604 67.57 33724 14.48								

* श्रमिक का तात्पर्य स्थायी श्रमिक से है

**एक कर्मचारी एक वित्त वर्ष में कई प्रशिक्षण कार्यक्रमों से गुजरता है

9. कर्मचारियों और श्रमिकों के प्रदर्शन और कैरियर विकास समीक्षाओं का विवरण:

वर्ग	वित्त वर्ष 2023			वित्त वर्ष 2022		
	कुल (क)	संख्या (ख)	% (ख/क)	कुल (ग)	संख्या (घ)	% (ग/घ)
पुरुष	कर्मचारियों के लिए एक संरचित निष्पादन मूल्यांकन प्रणाली मौजूद है। संबंधित विषयों की कैडर योजनाओं के आधार पर पदोन्नति भी समय पर दी जाती है। ई-6 तक पदोन्नति वरिष्ठता-सह-योग्यता पर आधारित है और ई-7 और उससे ऊपर तक पदोन्नति योग्यता-सह-वरिष्ठता पर आधारित है।					
महिला						
कुल						
श्रमिक						
पुरुष	कर्मचारियों के लिए एक संरचित निष्पादन मूल्यांकन प्रणाली मौजूद है। कैडर स्कीम के आधार पर समय पर प्रमोशन भी दिया जाता है।					
महिला						
कुल						

10. स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली:

क. क्या इकाई द्वारा व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली कार्यान्वयित की गई है? (हाँ/नहीं)। यदि हाँ, तो ऐसी प्रणाली का दावरा बताए?

जी हाँ, कंपनी अपने कर्मचारियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। यह कर्मचारियों को किसी भी संभावित खतरे की तुरंत रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित करते हुए सुरक्षा नियमों और प्रथाओं के पालन को सक्रिय रूप से बढ़ावा देता है। सर्वोपरि लक्ष्य दुर्घटनाओं, चोटों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के जोखिम को कम करते हुए उत्पादक कार्य वातावरण को बढ़ावा देना है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, कंपनी ने एक व्यापक सुरक्षा नीति विकसित की है और अपनी सभी अनुषंगी कंपनियों के भीतर आंतरिक सुरक्षा संगठन स्थापित किए हैं। सुरक्षा प्रमुख के नेतृत्व में ये संगठन नियमित रूप से कार्यस्थल सुरक्षा नीतियों और प्रक्रियाओं की समीक्षा करते हैं, घटनाओं (लगभग चूक सहित) को ट्रैक और मॉनिटर करते हैं, स्वास्थ्य और सुरक्षा मानकों को पूरा करने के लिए सुधारात्मक और निवारक कार्रवाइयां लागू करते हैं। कंपनी महत्वपूर्ण स्थानों पर एक समर्पित बचाव दल भी रखती है, जो आपात स्थिति से तुरंत निपटने के लिए चौबीसों घंटे उपलब्ध रहते हैं। ये टीमें सुरक्षा स्थितियों का आकलन करने और उत्पन्न होने वाली किसी भी समस्याओं का समाधान करने के लिए नियमित आधार पर बैठक करती हैं। कंपनी ने स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधी घटनाओं की पहचान करने, आवश्यक कार्रवाई करने और जागरूकता प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए संस्थागत तंत्र लागू किया है। इन ठोस प्रयासों के माध्यम से, कंपनी एक सुरक्षित कार्य वातावरण बनाए रखने और स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रथाओं में लगातार सुधार करने की अपनी प्रतिबद्धता पर दृढ़ है।

ख. कार्य-संबंधी खतरों को चिन्हित करने और इकाई द्वारा नियमित और गैर-नियमित आधार पर जोखिमों का आकलन करने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रक्रियाएं क्या हैं?

कंपनी ने एक सुस्पष्ट परिभाषित सुरक्षा नीति विकसित की है। कार्यस्थल सुरक्षा नीतियों और प्रथाओं की नियमित समीक्षा सुरक्षा प्रमुख द्वारा की जाती है। प्रत्येक परिचालन इकाई बड़ी

और छोटी घटनाओं की निगरानी करने और स्वास्थ्य और सुरक्षा के संबंध में सुधारात्मक और निवारक कार्रवाई करने के लिए जिम्मेदार है, जिसमें निकट-चूक भी शामिल है। कर्मचारियों की सुरक्षा के बारे में जागरूकता और आपात स्थिति पर प्रतिक्रिया करने की उनकी क्षमता बढ़ाने के लिए, परिचालन क्षेत्रों के भीतर प्रारंभिक और आवधिक आग की रोकथाम और प्रबंधन प्रशिक्षण और अभ्यास आयोजित किए जाते हैं। कंपनी विभिन्न सहायक कंपनियों में महत्वपूर्ण स्थानों पर एक सुस्थापित बचाव दल रखती है, जो 24x7 आपातकालीन प्रतिक्रिया सेवाएं प्रदान करती है।

ग. क्या आपके पास श्रमिकों के लिए कार्य से संबंधित खतरों की रिपोर्ट करने और खुद को ऐसे जोखिमों से दूर करने की प्रक्रियाएं हैं? (हाँ/नहीं)

जी हाँ, कंपनी ने प्रत्येक खदान में सुरक्षा समितियाँ स्थापित की हैं, जिनमें प्रबंधन और श्रमिक दोनों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। ये समितियाँ कार्यस्थल पर होने वाली चोटों और बीमारियों के जोखिम को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। सुरक्षा स्थिति और कार्य स्थितियों का आकलन करने के लिए सुरक्षा समिति द्वारा नियमित बैठकें आयोजित की जाती हैं। इसके अतिरिक्त, कंपनी ने स्वास्थ्य और सुरक्षा से संबंधित घटनाओं की पहचान करने, आवश्यक सुधारात्मक और निवारक कार्रवाई लागू करने और व्यापक स्वास्थ्य और सुरक्षा जागरूकता प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए संस्थागत तंत्र विकसित किया है।

घ. क्या इकाई के कर्मचारियों/श्रमिकों को गैर-व्यावसायिक चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हैं? (हाँ/नहीं)

जी हाँ। कोल इंडिया लिमिटेड तथा इसकी अनुषंगी कंपनियाँ विभिन्न चिकित्सा प्रतिष्ठानों के माध्यम से कर्मचारियों और उनके परिवारों को चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करती हैं। कंपनी के अस्पतालों/औषधालयों में ओपीडी और इनडोर उपचार की चिकित्सा सुविधाएं ठेकेदारों द्वारा नियुक्त श्रमिकों को भी प्रदान की जाती हैं। इसके अलावा, कंपनी व्यावसायिक स्वास्थ्य पर विशेष जोर देती है और अपने कर्मचारियों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए एचआईवी/एड्स जागरूकता कार्यक्रम चलाती है।

11. सुरक्षा संबंधी घटनाओं का विवरण निम्न प्रारूप में प्रदान करें:

सुरक्षा चूक/संख्या	वर्ग	वित्त वर्ष 2023	वित्त वर्ष 2022
लोस्ट टाईम इंजूरी फ्रिक्वेंसी रेट (एलटीआईएफआर) (प्रति दस लाख-व्यक्ति घंटे काम)	कर्मचारी	0.27	0.44
कुल रिकॉर्ड करने योग्य कार्य-संबंधी चोटें	श्रमिक	0.2	0.30
मृतकों की संख्या	कर्मचारी	67	152
उच्च परिणाम कार्य-संबंधी चोट या अस्वस्थता (मृत्यु को छोड़कर)	श्रमिक	10	20
	कर्मचारी	11	14
	श्रमिक	10	10
	कर्मचारी	52	47
	श्रमिक	8	10

ध्यान दें: रिकॉर्ड करने योग्य कार्य-संबंधित चोटों को मामूली और रिपोर्ट करने योग्य चोटों के रूप में लिया जाता है; उच्च परिणाम वाली कार्य-संबंधी चोटें गंभीर चोटों के रूप में ली जाती हैं।

12. सुरक्षित और स्वस्थ कार्यस्थल सुनिश्चित करने के लिए संस्था द्वारा उठाए गए उपायों का वर्णन करें।

कंपनी सुरक्षा को प्राथमिकता देती है और प्रत्येक जीवन के मूल्य को समझती है, सुरक्षित कार्य वातावरण सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय कदम उठाती है। सुरक्षा उल्लंघनों की पहचान करने और सीखे गए मूल्यवान सबक को प्रस्तुत करने के लिए प्रत्येक घटना की गहन जांच की जाती है। 'जीरो हार्म पोर्टेशियल' (जेडेएचपी) की अवधारणा को वास्तविकता में बदलने के लक्ष्य के साथ सभी स्तरों पर कई पहल लगातार लागू की जा रही हैं। सुरक्षा प्रोटोकॉल को सुदृढ़ करने और जागरूकता बढ़ाने के लिए सुरक्षा समितियों के सदस्यों और संविदा श्रमिकों सहित सभी कर्मचारियों के लिए नियमित संवेदीकरण सत्र आयोजित किए जाते हैं।

सीआईएल ने बहु-विषयक अंतर क्षेत्रीय सुरक्षा ऑडिट टीमों का उपयोग करके अपनी खदानों का गहन सुरक्षा ऑडिट किया। इसके अलावा, एक अंतर सहायक टीम द्वारा सीआईएल की 10% खदानों के लिए चेक ऑडिट के माध्यम से लेखा परीक्षकों द्वारा किए गए ऑडिट का पुनर्मूल्यांकन किया गया था। सीआईएल ने प्रभावी सुरक्षा प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए एसएमपी और पीएचएमपी में नियंत्रण उपायों की समीक्षा की और उनका अनुपालन किया।

मानकीकृत और सुरक्षित प्रथाओं को बढ़ावा देते हुए, सभी खनन कार्यों में एसओपी का परिश्रमपूर्वक पालन किया गया। कंपनी ने बहुमूल्य जानकारी हासिल करने और सुरक्षा उपायों को बढ़ाने के लिए भूमिगत खदानों में ओबी डंप, बैंच और एससीएएमपी पर वैज्ञानिक अध्ययन भी किया।

संचालन शुरू करने से पहले सुरक्षा खतरों का प्रभावी ढंग से आकलन करने के लिए टूलबॉक्स सुरक्षा वार्ता और प्री-शिफ्ट सुरक्षा ब्रीफिंग आयोजित की जाती है। सीआईएल ने सुरक्षा जागरूकता बढ़ाने और कर्मचारियों को संभावित जोखिमों के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए व्यक्तिगत सुरक्षा परामर्श और कर्मचारी सहायक कार्यक्रम शुरू किया है। सुरक्षा प्रथाओं में सुधार करने और कर्मचारियों के बीच सुरक्षा जागरूकता बढ़ाने के लिए विशेष सुरक्षा अभियान आयोजित किए गए।

13. कर्मचारियों और श्रमिकों द्वारा की गई निम्नलिखित शिकायतों की संख्या:

	वित्त वर्ष 2023			वित्त वर्ष 2022		
	वर्ष के दौरान दायर	वर्ष के अंत में लंबित समाधान	टिप्पणी	वर्ष के दौरान दायर	वर्ष के अंत में लंबित समाधान	टिप्पणी
कार्य करने की स्थिति	0	0	-	0	0	-
स्वास्थ्य एवं सुरक्षा	0	0	-	0	0	-

नोट: केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) पर आधारित

खानों के अलावा, खानों की सुरक्षा स्थिति का आकलन करने और प्रभावी सुरक्षा प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण और सुरक्षा अधिकारियों (आईएसओ) के साथ नियमित समन्वय बैठकें आयोजित की गईं। कंपनी ने धूल को नियंत्रित करने और आग के खतरों को प्रभावी ढंग से संबोधित करने के लिए खुली खदानों में धुंध-प्रकार की स्थिर और ट्रक-माउंटेड वॉटर कैनन भी पेश की।

कर्मचारियों को विभिन्न खान सुरक्षा प्रक्रियाओं, परिचालन क्या करें और क्या न करें, और पिछली खान दुर्घटनाओं से सीखे गए सबक के बारे में शिक्षित करने के लिए लघु वीडियो क्लिप और एनीमेशन फ़िल्में बनाई गईं। सीआईएल ने कर्मचारियों के बीच सुरक्षा संस्कृति को बढ़ावा देने और सुरक्षा को बढ़ावा देने में उनकी सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए सुरक्षा मित्र मंडली/सर्कल की अवधारणा को शुरू किया।

मानसून के दौरान जोखिम को कम करने के लिए एहतियाती उपाय किए गए। मानसून के मौसम के दौरान खान सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सूक्ष्म और वृहद स्तर की कार्य योजनाएं विकसित और कार्यान्वित की गईं। सीआईएल ने खान सुरक्षा पर अपने कौशल और ज्ञान को बढ़ाने के लिए एचईएमएम ऑपरेटरों के लिए प्रारंभिक और पुनर्शर्चर्या प्रशिक्षण कार्यक्रम, ऑन-द-जॉब प्रशिक्षण और सिम्युलेटर प्रशिक्षण आयोजित किया।

इसके अलावा, सीआईएल ने तत्काल अधिसूचना, खतरे से व्यक्तियों की सुरक्षित निकासी, बचाव अभियान, प्राथमिक चिकित्सा और चिकित्सा उपचार का प्रावधान, और महत्वपूर्ण संचालन और खदान आपात स्थितियों पर प्रशिक्षण के लिए व्यापक प्रक्रियाएं विकसित कीं। साथ ही, आपातकालीन प्रतिक्रिया और निकासी योजना की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के लिए नियमित मॉक रिहर्सल भी आयोजित की गईं। भूमिगत खदानों में आपातकालीन निकास मार्गों का सीमांकन किया गया, और संकट के दौरान कुशल संचार के लिए एक फ्लो चार्ट तैयार किया गया।

14. वर्ष के लिए मूल्यांकन:

	मूल्यांकन किए गए संयंत्रों और कार्यालयों का % (इकाई या वैधानिक प्राधिकारियों या तीसरे पक्ष द्वारा)
स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रणालियाँ कार्य करने की स्थितियाँ	बहु-विषयक अंतर-क्षेत्रीय टीमों द्वारा सीआईएल की 298 खदानों में सुरक्षा ऑडिट पूरा किया गया। उक्त लेखापरीक्षा के दौरान खानों की सुरक्षा स्थिति का आकलन डिजाइन प्रारूप के अनुसार किया गया।

15. सुरक्षा-संबंधी घटनाओं (यदि कोई हो) तथा स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रक्रियाओं और कार्य स्थल परिस्थितियों के आकलन से उत्पन्न महत्वपूर्ण जोखिमों/समस्याओं के समाधान के लिए की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।

जी हाँ, कंपनी ने 2022-23 के दौरान आयोजित खान सुरक्षा ऑडिट की टिप्पणियों और सिफारिशों के अनुसार सुधारात्मक कार्रवाई की है।

नेतृत्व संकेतक -

1. क्या इकाई किसी (क) कर्मचारी (हाँ/नहीं) (ख) श्रमिक (हाँ/नहीं) की मृत्यु की स्थिति में कोई जीवन बीमा या कोई मुआवजा पैकेज प्रदान करती है।

कर्मचारी - हाँ

श्रमिक - हाँ

कंपनी किसी कर्मचारी की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु की स्थिति में अनुकंपा रोजगार तथा मासिक मौद्रिक मुआवजा प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त, घातक खदान दुर्घटना के मामले में मृत कर्मचारी के निकटतम परिजन को 15 लाख का मुआवजा दिया जाता है। यह मुआवजा भी कर्मचारी मुआवजा अधिनियम, 1923 के अनुसार वितरित किया जाता है।

2. मूल्य शृंखला भागीदारों द्वारा वैधानिक देय का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए इकाई द्वारा किए गए उपाय प्रदान करें।

एक जिम्मेदार नियोक्ता के रूप में, इसे सुनिश्चित करने के लिए भूमि के सभी अधिनियमों और प्रावधानों का पालन किया जाता है।

3. ऐसे कर्मचारियों/श्रमिकों की संख्या प्रदान करें जिन्हें कार्य-संबंधी चोट/बीमार स्वास्थ्य/मृत्यु (जैसा कि ऊपर आवश्यक संकेतकों के Q11 में रिपोर्ट किया गया है) के कारण गंभीर परिणाम भुगतने पड़े हैं, रोजगार या जिनके परिवार के सदस्यों को उपयुक्त रोजगार में रखा गया है:

	प्रभावित कर्मचारियों/श्रमिकों की कुल संख्या		उन कर्मचारियों/श्रमिकों की संख्या जिनका पुनर्वास किया गया है और उन्हें उपयुक्त रोजगार में रखा गया है या जिनके परिवार के सदस्यों को उपयुक्त रोजगार दिया गया है	
	वित्त वर्ष 2023		वित्त वर्ष 2023	
	कर्मचारी	11	श्रमिक	10
	वित्त वर्ष 2022	14	वित्त वर्ष 2022	14

नोट: विभाग के मृत कर्मचारियों के निकटतम परिजन को नौकरी प्रदान की गई, संविदा कर्मचारी पात्र नहीं हैं। हालांकि, मुआवजे का भुगतान क्रान्ति के अनुसार किया जाता है और खदान में मृत्यु के प्रत्येक मामले में ₹ 15 लाख की अतिरिक्त विशेष मौद्रिक राहत भी प्रदान की जा रही है।

4. क्या इकाई निरंतर रोजगार की सुविधा और सेवानिवृत्ति या रोजगार की समाप्ति के परिणामस्वरूप समाप्त हुए करियर के प्रबंधन के लिए संक्रमण सहायता कार्यक्रम प्रदान करती है? (हाँ / नहीं)

जी हाँ, कंपनी कोयला खान पेंशन योजना (सीएमपीएस) सहित कई कर्मचारी लाभ योजनाएं प्रदान करती है, जो सभी कर्मचारियों को कवरेज प्रदान करती है। सेवानिवृत्ति चरण पर पहुंचने पर, कर्मचारी अपनी कुल परिलब्धियों का 25% तक मासिक पेंशन प्राप्त करने के पात्र होते हैं।

इसके अलावा, कंपनी ने डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार, बोर्ड स्तर और उससे नीचे के अधिकारियों सहित अधिकारियों के लिए परिभाषित अंशदान सेवानिवृत्ति पेंशन योजना (डीसीएसपीएस) लागू की है। इस योजना का उद्देश्य सेवानिवृत्ति के बाद सेवानिवृत्ति लाभ वार्षिकी के रूप में प्रदान करना है, जिसे वार्षिकी सेवा प्रदाता के माध्यम से सुविधा प्रदान की जाती है।

5. मूल्य शृंखला साझेदारों के मूल्यांकन पर विवरण:

	मूल्य शृंखला भागीदारों का % (ऐसे भागीदारों के साथ किए गए व्यापार के मूल्य के आधार पर) जिनका मूल्यांकन किया गया
स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रक्रियाएँ कार्य करने की स्थितियाँ	ठेकेदार के एचओई पैच अनुबंध के तहत निर्मित लागू कानूनों और प्रावधानों की आवश्यकता के अनुसार सुरक्षा प्रक्रियाओं का पालन किया जाता है।

6. मूल्य श्रृंखला भागीदारों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रक्रियाओं तथा कार्य करने की स्थितियाँ के आकलन से उत्पन्न महत्वपूर्ण जोखिमों/समस्याओं को दूर करने के लिए की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।

कंपनी “शून्य क्षति क्षमता (जेडएचपी)” के दृष्टिकोण को वास्तविकता में बदलने के लिए सभी स्तरों पर लगातार कई पहलें लागू कर रही है। कार्यस्थल पर, कंपनी ने सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई उपाय लागू किए हैं। इन उपायों में एचईएमएम ऑपरेटरों, रखरखाव क्रू और अन्य के लिए एक अभ्यास संहिता, संबंधित जोखिमों को कम करने के लिए विस्फोट-मुक्त खनन के लिए पर्यावरण-अनुकूल सतह खनिकों का उपयोग, एक स्वचालित अग्नि जाँच और दमन प्रणाली (एफडीएसएस) की स्थापना, खदानों और ओबी डंपों में ढलान खिसकने की प्रारंभिक चेतावनी प्रदान करने के लिए स्वदेशी सौर ऊर्जा संचालित वास्तविक समय डंप निगरानी उपकरणों और ढलान स्थिरता रडार की तैनाती का विकास शामिल है। इसके अलावा, कंपनी ने खुली खदानों के अंदर एचईएमएम के परिवहन पर नज़र रखने के लिए बड़े ओसीपी में जीपीएस-आधारित ऑपरेटर इंडिपेंडेंट ट्रक डिस्पैच सिस्टम (ओआईटीडीएस) लागू किया है।

इन प्रमुख पहलों के अलावा, कंपनी दुर्घटनाओं, कार्य-संबंधी बीमारियों और व्यावसायिक बीमारियों को रोकने के लिए विभिन्न उपाय करती है। सुरक्षा कार्यक्रम में दुर्घटना की जाँच, आपातकालीन प्रतिक्रिया, एरोनॉमिक्स, खतरे की पहचान और जोखिम मूल्यांकन, कल्याण पहल और नियमित कार्यस्थल निरीक्षण शामिल हैं। संपूर्ण रिपोर्टिंग अवधि के दौरान, अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए परिचालन स्थानों पर बाहरी और आंतरिक दोनों सुरक्षा ऑडिट किए गए। कंपनी ने सुरक्षा को प्राथमिकता देने और यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त धनराशि आवंटित की है कि संसाधनों की कमी के कारण इससे समझौता नहीं किया जाए।



सिद्धांत 4

व्यवसाय को अपने सभी हितधारकों के हितों का सम्मान करना चाहिए और उनके प्रति उत्तरदायी होना चाहिए

- कंपनी के प्रमुख हितधारक समूहों की पहचान करने की प्रक्रियाओं का वर्णन करें।

सीआईएल अपने हितधारकों के साथ जुड़ने और उनके विचार को महत्व देने में एक सक्रिय दृष्टिकोण प्रदर्शित करता है, जो बदले में वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सहयोग को बढ़ावा देने और पारस्परिक रूप से लाभकारी परिणाम प्राप्त करने के व्यापक लक्ष्य के साथ, हितधारकों की पहचान समावेशन, भौतिकता और जवाबदेही के प्रमुख सिद्धांतों का उपयोग करके की जाती है। समावेशन के सिद्धांत को अपनाकर, सीआईएल यह सुनिश्चित करता है कि विभिन्न प्रकार के हितधारकों पर विचार किया जाए और उनकी निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में उन्हें शामिल किया जाए। इसमें कर्मचारी, ग्राहक, शेयरधारक, आपूर्तिकर्ता, स्थानीय समुदाय और नियामक संस्थाएं शामिल हैं, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है। यह स्वीकार करते हुए कि प्रत्येक हितधारक समूह अद्वितीय अंतर्दृष्टि और रुचि रखता है, सीआईएल सक्रिय रूप से उनका इनपुट मांगता है और सक्रिय रूप से उनकी समस्याओं तथा अपेक्षाओं को सुनता है।

- कंपनी के लिए महत्वपूर्ण हितधारक समूहों की सूची बनाएं और प्रत्येक हितधारक समूह के साथ जुड़ाव की आवृत्ति बतलाएं।

हितधारक समूह	क्या पिछड़े और सीमांत समूहों के रूप में माना गया है (हाँ/नहीं)	संचार के माध्यम (ईमेल, एसएमएस, समाचार पत्र, पैम्फलेट, विज्ञापन, सामुदायिक बैठकें, नेटिस बोर्ड, वेबसाइट, अन्य)	संलग्नता की आवृत्ति (वार्षिक, अर्धवार्षिक, त्रैमासिक/अन्य-कृपया निर्दिष्ट करें)	सहभागिता का उद्देश्य और दायरा, जिसमें ऐसी सहभागिता के दौरान उठाए गए प्रमुख विषय और समस्याएँ शामिल हैं
शेयरधारक	नहीं	अर्निंग कॉल, मीटिंग, निवेशक, सम्मेलन, एजीएम, वेबसाइट, ईमेल, एसएमएस, समाचार पत्र,	सतत प्रक्रिया	नियामक अनुपालन
ग्राहकों	नहीं	क्षेत्रीय कोयला उपभोक्ता परिषद की ग्राहकों के साथ बैठकें, ग्राहकों और विषयन टीम के बीच बैठक, शिकायतों की ऑनलाइन फाइलिंग और समाधान	सतत प्रक्रिया	ग्राहकों की संतुष्टि और शिकायतों का समय पर समाधान

हितधारक समूह	क्या पिछड़े और सीमांत समूहों के रूप में माना गया है (हाँ/नहीं)	संचार के माध्यम (ईमेल, एसएमएस, समाचार पत्र, पैम्फलेट, विज्ञापन, सामुदायिक बैठकें, नोटिस बोर्ड, वेबसाइट, अन्य)	(ईमेल, संलग्नता की आवृत्ति (वार्षिक, अर्धवार्षिक, त्रैमासिक/अन्य- कृपया निर्दिष्ट करें)	सहभागिता का उद्देश्य और दायरा, जिसमें ऐसी सहभागिता के दौरान उठाए गए प्रमुख विषय और समस्याएँ शामिल हैं
भू-परित्यक्त	नहीं	वैधानिक अनुपालन के एक भाग के रूप में जन सुनवाई,	जब भी आवश्यकता हो	पुनर्वास और पुनःस्थापन (आर एंड आर)/पर्यावरण मंजूरी, बन भूमि मंजूरी
कर्मचारी	नहीं	यूनियन नेताओं के साथ कॉर्पोरेट स्तर की औद्योगिक संबंध बैठकें, प्रशिक्षण और सेमिनार, सुरक्षा परखवाड़ा, सर्तकता जागरूकता समाह	सतत प्रक्रिया	नौकरी संतुष्टता, वेतन एवं कल्याण, शिक्षण और विकास, स्वास्थ्य और कल्याण
आपूर्तिकर्ता एवं ठेकेदार	नहीं	निविदाओं, विक्रेता बैठकों के दौरान संबंध बैठकें और सत्र	जब भी आवश्यकता हो	निविदाएं आमंत्रित करने हेतु सूचना
नॉलेज पार्टनर और आर एंड डी सहयोगी	नहीं	प्रशिक्षण	सतत प्रक्रिया	नई प्रौद्योगिकी का अनुसंधान एवं विकास
सरकारी/वैधानिक एवं विनियामक निकाय	नहीं	निष्पादन रिपोर्ट, बोर्ड बैठकें अनुपालन रिपोर्ट, निरीक्षण	वार्षिक एवं त्रैमासिक	विनियामक अनुपालन
मिडिया	नहीं	प्रेस विज्ञप्तियां और साक्षात्कार	जब भी आवश्यकता हो	कंपनी की उपलब्धि, प्रदर्शन, प्रगति
स्थानीय ग्रामीण/समुदाय	नहीं	सतत विकास पहल, सीएसआर गतिविधियाँ	सतत प्रक्रिया	आजीविका के विकल्प और नौकरी के अवसर
एनजीओ	नहीं	प्रत्यक्ष सहभागिता, सार्वजनिक मंच जैसे पैनल चर्चा आदि।	जब भी आवश्यकता हो	सीएसआर गतिविधियाँ स्थानीय समुदाय पर खनन गतिविधियों का प्रभाव

नेतृत्व संकेतक -

1. आर्थिक, पर्यावरण और सामाजिक विषयों पर हितधारकों और बोर्ड के बीच परामर्श के लिए क्या प्रक्रियाएँ हैं प्रदान करें या यदि परामर्श सौंपा गया है, तो बोर्ड को ऐसे परामर्शों से फीडबैक कैसे प्रदान किया जाता है।

हितधारकों के साथ निरंतर जुड़ाव और संवाद कंपनी को हितधारकों की जरूरतों और विचारों को समझने में सक्षम बनाता है। इसे सुविधाजनक बनाने के लिए कंपनी, समावेशिता, भौतिकता और प्रतिक्रिया के सिद्धांतों का उपयोग करके हितधारकों को चार समूहों में पहचानती है और वर्गीकृत करती है। इसके अलावा, कंपनी प्रत्येक हितधारक समूह के साथ वार्ता करती है और उनकी समस्याओं और महत्वपूर्ण अपेक्षाओं को समझने का प्रयास करती है।

कंपनी विभिन्न माध्यमों से हितधारकों के साथ उनकी समस्याओं और अपेक्षाओं को समझने के लिए नियमित रूप से उनसे वार्ता करती है। इसमें सर्वेक्षण, फोकस समूह, बैठकें, कार्यशालाएं और अन्य संचार चैनल शामिल होते हैं और व्यवसाय और हितधारकों दोनों के लिए प्रासंगिक स्थिरता चुनौतियों और अवसरों की पहचान करने के लिए भौतिकता मूल्यांकन अभ्यास भी आयोजित किया जाता है। यह मूल्यांकन भौतिक विषयों को प्राथमिकता देने में मदद करता है। कंपनी के भीतर विभिन्न विभागों, जैसे विधि, क्रय, स्थिरता, विपणन, कॉर्पोरेट प्रशासन और मानव संसाधन विभागों के आंतरिक हितधारक,

पहचाने गए भौतिक विषयों पर अपने इनपुट प्रदान करते हैं। आंतरिक हितधारकों से एकत्र किए गए इनपुट का उपयोग महत्वपूर्ण विषयों को उनकी गंभीरता के आधार पर प्रमुख, महत्वपूर्ण और मध्यम जैसी श्रेणियों में प्राथमिकता देने के लिए किया जाता है। स्थिरता टीम और वरिष्ठ प्रबंधन हितधारकों और संगठन की सफलता के लिए उनकी प्रासंगिकता और महत्व के आधार पर सामग्री विषयों की समीक्षा करते हैं और उन्हें अंतिम रूप देते हैं और अंत में कंपनी हितधारकों के परामर्श से बोर्ड को फीडबैक प्रदान करती है। इस फीडबैक में पहचाने गए सामग्री विषय, हितधारकों की समस्याएं और अपेक्षाएं, और प्रत्येक सामग्री विषय के लिए संगठन की दृष्टि, रणनीति, कार्य योजनाएं, लक्ष्य और प्रदर्शन शामिल हैं।

2. क्या पर्यावरण और सामाजिक विषयों की पहचान और प्रबंधन की सहायता के लिए हितधारक परामर्श का उपयोग किया जाता है (हाँ/नहीं)। यदि हाँ, तो उदाहरण प्रदान करें कि इन विषयों पर हितधारकों से प्राप्त इनपुट को इकाई की नीतियों और गतिविधियों में कैसे शामिल किया गया है।

जी हाँ। हितधारक परामर्श का उपयोग पर्यावरण और सामाजिक विषयों की पहचान और प्रबंधन में सहायता के लिए किया जाता है। कंपनी हितधारकों की जरूरतों, समस्याओं और अपेक्षाओं को समझने के

लिए सक्रिय रूप से उनके साथ जुड़ती है। हितधारकों से प्राप्त इस इनपुट को कंपनी के व्यावसायिक निर्णयों और रणनीतियों में एकीकृत किया जाता है। हितधारकों के साथ नियमित बार्ता के माध्यम से, कंपनी पर्यावरण और सामाजिक विषयों से संबंधित उनकी समस्याओं और उम्मीदों को समझने का प्रयास करती है। इन इनपुटों पर भौतिकता मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान विचार किया जाता है, जो व्यवसाय और हितधारकों दोनों के लिए प्रासंगिक स्थिरता चुनौतियों और अवसरों की पहचान करने में मदद करता है।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, कंपनी ने उद्योग दिशानिर्देशों और विभिन्न विभागों के आंतरिक हितधारकों से मिले इनपुट के आधार पर व्यापक भौतिकता मूल्यांकन किया। विधि, क्रय, स्थिरता, विपणन, कॉर्पोरेट प्रशासन और मानव संसाधन विभागों सहित हितधारकों से प्राप्त इनपुट को पहचाने गए विषयों की गंभीरता के आधार पर एकत्र किया गया और प्राथमिकता दी गई।

इसके बाद स्थिरता टीम और वरिष्ठ प्रबंधन सामग्री विषयों की समीक्षा करते हैं और उन्हें अंतिम रूप देते हैं। यह दर्शाता है कि कंपनी की नीतियों, गतिविधियों और रिपोर्टिंग में हितधारकों के इनपुट को कैसे शामिल किया जाता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में उनके दृष्टिकोण पर विचार किया जाता है।

- पिछड़े/सीमांत हितधारक समूहों की समस्याओं को दूर करने के लिए उनके साथ जुड़ाव के उदाहरणों और की गई कार्रवाइयों का विवरण प्रदान करें।

कंपनी पिछड़े तथा सीमांत समूहों की पहचान करती है और सार्थक सामाजिक, नैतिक और पर्यावरणीय परिवर्तन लाने का प्रयास करती है। अपनी इकाइयों तथा व्यवसाय संचालन के आसपास के क्षेत्रों में, कंपनी कंपनी पिछड़े तथा सीमांत समूहों लोगों के विकास में सहायता करती है। प्रत्येक वर्ष, कंपनी समुदायों की आवश्यकताओं को निर्धारित करने के लिए मूल्यांकन करती है।



सिद्धांत 5:

व्यवसाय को मानव अधिकारों का सम्मान करना चाहिए और आवश्यक संकेतकों को बढ़ावा देना चाहिए

आवश्यक संकेतक

- ऐसे कर्मचारियों और श्रमिकों को जिन्हें मानवाधिकार मुद्दों और इकाई की नीतियों पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया है, वे निम्नानुसार हैं:

वर्ग	वित्त वर्ष 2023			वित्त वर्ष 2022		
	कुल (क)	कवर किए गए कर्मचारियों/ श्रमिकों की संख्या (ख)	% (ख/क)	कुल (ग)	कवर किए गए कर्मचारियों/ श्रमिकों की संख्या (घ)	% (घ/ग)
कर्मचारी						
स्थायी	16,305	784	4.81	15,694	745	4.75
स्थायी के अलावा अन्य**		स्थायी श्रमिकों के अलावा अन्य को ठेका श्रमिकों के रूप में है।				
कुल कर्मचारी	16,305	784	4.81	15,694	745	4.75
श्रमिक						
स्थायी	222905	924	0.41	232856	665	0.29
स्थायी के अलावा अन्य*	102719	0	0	91175	8	0.00
कुल कर्मचारी	325624	924	0.28	324031	673	0.21

*सीआईएल सीधे तौर पर ठेका मजदूरों को नियुक्त नहीं करता है

**अन्य अनुषंगी कंपनियों के आंकड़े प्राप्त होने की प्रक्रिया में

2. कर्मचारियों एवं श्रमिकों को भुगतान की गई न्यूनतम मजदूरी का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में है:

वर्ग	वित्त वर्ष 2023				वित्त वर्ष 2022					
	कुल (क)	न्यूनतम वेतन के बराबर		न्यूनतम वेतन से भी अधिक		कुल (घ)	न्यूनतम वेतन के बराबर		न्यूनतम वेतन से भी अधिक	
		संख्या (ख)	% (ख/क)	संख्या (ग)	% (ग/क)		संख्या (ड.)	% (ड./घ)	संख्या (च)	% (च/घ)
कर्मचारी										
स्थायी	16,305	-	-	16,305	100	-	-	15694	100	-
पुरुष	15,083	-	-	15083	100	-	-	14536	100	-
महिला	1,222	-	-	1222	100	-	-	1158	100	-
स्थायी के अलावा अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
पुरुष	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
महिला	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
श्रमिक										
स्थायी	222905	-	-	222905	100	232856	-	-	232856	100
पुरुष	204333	-	-	204333	100	214396	-	-	214396	100
महिला	18572	-	-	18572	100	18460	-	-	18460	100
स्थायी के अलावा अन्य	102719	42688	42	60031	58	91175	-	-	-	-
पुरुष	100175	41000	41	59175	59	-	-	-	-	-
महिला	2544	1688	66	856	34	-	-	-	-	-

- अधिकारी (कर्मचारी) - डीपीई द्वारा अनुशंसित वेतनमान का भुगतान सीआईएल बोर्ड की मंजूरी और संबंधित मंत्रालय द्वारा राष्ट्रपति के निर्देश जारी करने के बाद किया जाता है।
- गैर-अधिकारी (कर्मचारी) - गैर-अधिकारी (कर्मचारी) - कर्मचारियों को कोयला उद्योग के लिए गठित संयुक्त द्विपक्षीय समिति (जेबीसीसीआई) में हुई वार्ता के अनुसार प्रबंधन और कामगार प्रतिनिधि के बीच द्विपक्षीय समझौते के अनुसार वेतन का भुगतान किया जाता है और उक्त समझौते को अधिकारीय कोयला वेतन समझौता (एनसीडब्ल्यूए) / सीआईएल और एससीसीएल के वेतन समझौता के रूप में जाना जाता है।

3. निम्नलिखित प्रारूप में पारिश्रमिक/वेतन/मजदूरी का विवरण:

	पुरुष		महिला	
	संख्या	संबंधित श्रेणी का औसत पारिश्रमिक/वेतन/मजदूरी	संख्या	संबंधित श्रेणी का औसत पारिश्रमिक/वेतन/मजदूरी
निदेशक मंडल (बीओडी)	5	6090290.56	0	0
प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी)	7	6,000,525.99	0	0
बीओडी और केएमपी के अलावा अन्य कर्मचारी	340	2,580,537.49	83	2247053.01
कर्मचारी	798	1546732.74	128	1373234.42

- केवल सीआईएल स्टैंडअलोन पर विचार किया गया है।
- गैर-अधिकारी कर्मचारियों को श्रमिक श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है
- औसत पारिश्रमिक की गणना में वार्षिक सकल वेतन लिया गया है
- क्या आपके पास व्यवसाय द्वारा उत्पन्न या योगदान किए गए मानवाधिकार प्रभावों या मुद्दों के समाधान के लिए जिम्मेदार कोई केंद्र बिंदु (व्यक्ति/समिति) है? (हाँ/नहीं)

हाँ, कंपनी मानव अधिकारों से संबंधित मुद्दों सहित विभिन्न मुद्दों को प्रभावी ढंग से संबोधित करने के लिए अपनी सहायक कंपनियों में संचालन समिति, जेबीसी, कल्याण समिति जैसी समितियों के कामकाज को सुनिश्चित करती है। ये समितियाँ द्विदलीय मंच के रूप में कार्य करती हैं, जिसमें कोयला उद्योग में कार्यरत केंद्रीय ट्रेड यूनियनों से संबद्ध प्रबंधन और ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं।

5. मानवाधिकार मुद्दों से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए मौजूद आंतरिक तंत्र का वर्णन करें।

कंपनी अपने परिचालन के दौरान मानव अधिकारों को बनाए रखने के लिए अपनी पूर्ण प्रतिबद्धता प्रदर्शित करती है, हितधारकों के साथ जुड़ने के अपने जिम्मेदार दृष्टिकोण पर जोर देती है। लागू श्रम कानूनों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए, कंपनी अपने सभी आपूर्तिकर्ताओं, संविदाकारों और सेवाएं प्रदान करने वाले विक्रेताओं के साथ व्यापक औपचारिक समझौते करती है। इन समझौतों में विशिष्ट प्रावधान और शर्तें शामिल हैं जो अपने

संबंधित कर्मचारियों और श्रमिकों से संबंधित विभिन्न श्रम नियमों का पालन करना अनिवार्य करते हैं। इसके अलावा, सभी कर्मचारियों की शिकायतों का निवारण सीपीजीआरएएमएस/पीजी पोर्टल के माध्यम से किया जाता है, जो शिकायत निवारण के लिए एक ऑनलाइन मंच है। इन उपायों को लागू करके, कंपनी सक्रिय रूप से नैतिक श्रम प्रथाओं को बढ़ावा देती है और अपनी आपूर्ति श्रृंखला में मानवाधिकारों की रक्षा और सम्मान के प्रति अपने समर्पण को रेखांकित करती है।

6. कर्मचारियों और श्रमिकों द्वारा निम्नलिखित पर की गई शिकायतों की संख्या:

	वित्त वर्ष 2023			वित्त वर्ष 2022		
	वर्ष के दौरान दायर	वर्ष के अंत में समाधान हेतु लंबित	टिप्पणियाँ	वर्ष के दौरान दायर	वर्ष के अंत में समाधान हेतु लंबित	टिप्पणियाँ
यौन उत्पीड़न	1	0	दोषियों पर जुर्माना लगाया गया है।	0	0	-
कार्य स्थल पर भेदभाव	3180	0	सीपीजीआरएएमएस के माध्यम से प्राप्त सभी शिकायतों का यथासंभव कम समय में निवारण किया जाता है और शिकायत के विषय में कोई भेदभाव नहीं किया जाता है।	3172	0	सीपीजीआरएएमएस के माध्यम से प्राप्त सभी शिकायतों का निवारण कम समय में किया जाता है और शिकायत के विषय में कोई भेदभाव नहीं किया जाता है।
बाल श्रम						
बलपूर्वक श्रम/अनैच्छिक श्रम						
वेतन						
मानवाधिकार से संबंधित अन्य मुद्दे						

7. भेदभाव और उत्पीड़न के मामलों में शिकायतकर्ता पर प्रतिकूल परिणामों को रोकने के लिए तंत्र।

कंपनी द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए कि उसके निर्णय, कार्य और आचरण उसके नैतिक मानकों को बनाए रखा जाय, आचार संहिता और व्हिसलब्लोअर नीति सहित विभिन्न नीतियों और तंत्रों को लागू किया है। इसके अलावा, कंपनी ने एकीकृत केंद्रीकृत सार्वजनिक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) लागू की है, जो भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा प्रशासित एक वेब-आधारित समाधान है। यह प्रणाली सीपीजीआरएएमएस पोर्टल के माध्यम से कर्मचारियों, ग्राहकों और अन्य हितधारकों की शिकायतों को प्राप्त कर तथा इसे समक्ष रखकर सार्वजनिक शिकायतों के समाधान को सक्षम बनाती है।

8. क्या मानवाधिकार संबंधी आवश्यकताएं आपके व्यावसायिक समझौतों और अनुबंधों का हिस्सा हैं? (हां/नहीं)

हाँ

9. वर्ष का आकलन:

	कंपनी के संयंत्रों और कार्यालयों का % जिनका मूल्यांकन (कंपनी या वैधानिक प्राधिकारियों या तृतीय पक्ष द्वारा) किया गया
बाल श्रम	नियमित आधार पर तृतीय पक्ष द्वारा ऑडिट आयोजित किए जाते हैं
बलपूर्वक श्रम/अनैच्छिक श्रम	नियमित आधार पर तृतीय पक्ष द्वारा ऑडिट आयोजित किए जाते हैं
यौन उत्पीड़न	नियमित आधार पर तृतीय पक्ष द्वारा ऑडिट आयोजित किए जाते हैं
कार्य स्थल पर भेदभाव	नियमित आधार पर तृतीय पक्ष द्वारा ऑडिट आयोजित किए जाते हैं
वेतन	नियमित आधार पर तृतीय पक्ष द्वारा ऑडिट आयोजित किए जाते हैं
अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)	नियमित आधार पर तृतीय पक्ष द्वारा ऑडिट आयोजित किए जाते हैं

नोट: आंतरिक और बाह्य लेखा परीक्षक लेखा परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार मूल्यांकन करते हैं। संबंधित सरकारी प्राधिकारियों द्वारा भी मूल्यांकन किया जाता है और कंपनी को कोई गैर-अनुपालन प्रमाणन प्राप्त नहीं हुआ है।

नोट: एक जिम्मेदार नियोक्ता के रूप में, भूमि के सभी लागू अधिनियमों और प्रावधानों का पालन करते हुए, यह सुनिश्चित किया जाता है कि कोई भी ऐसा कार्य न किया जाए जो अधिनियम का उल्लंघन करता हो।

10. उपरोक्त प्रश्न 9 में मूल्यांकन से उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण जोखिमों/चिंताओं को दूर करने के लिए की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।

एन.ए

नेतृत्व संकेतक -

- मानवाधिकार शिकायतों/समस्याओं के समाधान के परिणामस्वरूप संशोधित/शुरू की गई व्यावसायिक प्रक्रिया का विवरण।
कंपनी ने किसी भी प्रक्रिया में संशोधन नहीं किया है।
- आयोजित किसी भी मानवाधिकार संबंधी परिश्रम के दायरे और कवरेज का विवरण।
कंपनी ने मानवाधिकार संबंधी कोई भी जांच नहीं की है।
- क्या विकलांग व्यक्तियों का अधिकार अधिनियम, 2016 की आवश्यकताओं के अनुसार इकाई के परिसर/कार्यालय विकलांग आगंतुकों के लिए सुलभ है?
हाँ, कंपनी यह सुनिश्चित करती है कि उसके सभी कार्यस्थलों (कार्यालयों) को विकलांगता-अनुकूल बातावरण के अनुसार डिजाइन और रखरखाव किया जाए। यह आसान आवाजाही और अन्य आवश्यक आवासों के लिए रैंप की स्थापना सुनिश्चित करता है।
- मूल्य शृंखला साझेदारों के मूल्यांकन पर विवरण:

	मूल्य शृंखला साझेदारों का % (ऐसे साझेदारों के साथ किए गए व्यापार के मूल्य के अनुसार) जिनका मूल्यांकन किया गया था
यौन उत्पीड़न	
कार्यस्थल पर भेदभाव	
बाल श्रम	
बलपूर्वक श्रम/अनैच्छिक श्रम	कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई भी आकलन नहीं किया है।
वेतन	
अन्य - कृपया निर्दिष्ट करें	

ध्यान दें: चूंकि इकाई के सभी मूल्य शृंखला भागीदारों को देश के कानून के सभी प्रावधानों का पालन करना आवश्यक होता है, इसलिए यह सुनिश्चित किया जाता है कि कोई उल्लंघन न हो।

- उपरोक्त प्रश्न 4 में मूल्यांकन से उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण जोखिमों/चिंताओं को दूर करने के लिए की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।

एन.ए



सिद्धांत 6:

व्यवसाय को पर्यावरण का सम्मान तथा उसकी सुरक्षा और उसे बहाल करने के प्रयास करने चाहिए

आवश्यक संकेतक

- निम्नलिखित प्रारूप में कुल ऊर्जा खपत (जूल या गुणकों में) तथा ऊर्जा तीव्रता का विवरण:

पैरामीटर	वित्त वर्ष 2022-23	वित्त वर्ष 2021-22
कुल बिजली खपत (क)	165844908×10^8	$166372782.624 \times 10^8$
कुल ईंधन खपत (ख)	166096608.82×10^8	168494560.06×10^8
अन्य स्रोतों के माध्यम से ऊर्जा की खपत (ग)	246107.412×10^8	141635.808×10^8
कुल ऊर्जा खपत (क+ख+ग)	332187624.2×10^8	335008978.5×10^8
प्रति रुपये के टर्नओवर पर ऊर्जा तीव्रता (कुल ऊर्जा खपत/टर्नओवर रुपये में)	17720.87243 $(332187624.2 \times 10^8 / 18745.557 \times 10^8)$	21952.93145 $(335008978.5 \times 10^8 / 15260.330 \times 10^8)$

ऊर्जा तीव्रता (वैकल्पिक) - कंपनी द्वारा संबंधित मापदंड का चयन किया जा सकता है

नोट: क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र मूल्यांकन/आश्वासन दिया गया है? (हाँ/नहीं) यदि हाँ, तो बाहरी एजेंसी का नाम बतलाए।

जी हाँ। सीआईएल अनुषंगी कंपनियों की 25 इमारतों का निवेश ग्रेड एनर्जी ऑडिट (आईजीईए) अध्ययन ऊर्जा दक्षता व्यूरो के माध्यम से किया गया है।

2. क्या कंपनी के पास भारत सरकार की प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार (पीएटी) योजना के तहत नामित उपभोक्ताओं (डीसी) के रूप में चिह्नित कोई साइट/सुविधाएं हैं? (हाँ/नहीं) यदि हाँ, तो बताएं कि क्या पीएटी योजना के तहत निर्धारित लक्ष्य हासिल किए गए हैं। यदि लक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं, तो की गई उपचारात्मक कार्रवाई, यदि कोई हो, विवरण दें।

लागू नहीं। कंपनी पीएटी योजना के दायरे में नहीं आती है।

- 3 जल से संबंधित निम्नलिखित प्रकटीकरण का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में प्रदान करें:

पैरामीटर	वित्त वर्ष 2023	वित्त वर्ष 2022
स्रोत द्वारा पानी की निकासी (किलोमीटर में)		
(i) सतही जल*	318.45	332. 07
(ii) भूजल	शून्य	शून्य
(iii) तृतीय पक्ष जल	शून्य	शून्य
(iv) समुद्री जल / अलवणीकृत जल	शून्य	शून्य
(v) अन्य	6102.16	6066.52
*जल निकासी की कुल मात्रा (किलोलीटर में) (i + ii + iii + iv + v)	6420.61	6398.59
पानी की खपत की कुल मात्रा (किलोलीटर में)	5841.37	5750.74
प्रति रुपये टर्नओवर में जल की तीव्रता (पानी की खपत / टर्नओवर)	0.031	0.037
जल की तीव्रता (वैकल्पिक) - प्रासंगिक मीट्रिक का चयन इकाई द्वारा किया जा सकता है		

नोट: क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र मूल्यांकन/मूल्यांकन/आश्वासन दिया गया है? (हाँ/नहीं) यदि हाँ, तो बाहरी एजेंसी का नाम बतलाए। जी हाँ। एनओसी केंद्रीय भूजल प्राधिकरण (सीजीडब्ल्यूए) द्वारा जारी किया जाता है।

*आंशिक प्रकटीकरण.

4. क्या कंपनी ने शून्य तरल निर्वहन के लिए एक तंत्र लागू किया है? यदि हाँ, तो इसके कवरेज और कार्यान्वयन का विवरण प्रदान करें।

कंपनी एक मूल्यवान संसाधन के रूप में पानी के महत्व को मानती है और शून्य तरल निर्वहन दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, कंपनी ने विभिन्न पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग कार्यक्रमों के माध्यम से पानी की खपत को अनुकूलित करने और अपशिष्ट जल उत्पादन को कम करने के उद्देश्य से पहले से ही कई पहल लागू की हैं। अपने प्रयासों के तहत, कंपनी ने वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान एक सीधे उपचार संयंत्र (एसटीपी) के निर्माण की योजना बनाई है। इसके अतिरिक्त, कंपनी ने जल प्रबंधन प्रथाओं को और बेहतर बनाने के लिए एक एफ्लुएंट्रीटमेंट प्लांट (ईटीपी) और एक वर्षा जल संचयन प्रणाली स्थापित की है।

5. कृपया कंपनी द्वारा वायु उत्सर्जन (जीएचजी उत्सर्जन के अलावा) का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में प्रदान करें:

पैरामीटर	यूनिट	वित्त वर्ष 2023	वित्त वर्ष 2022
एनओएक्स	माइक्रोग्राम/एम3	21.8	22.2
एसओएक्स	माइक्रोग्राम/एम3	21.5	18.60
पार्टिकुलेट मैटर (पीएम)	माइक्रोग्राम/एम3	125.8	115.8
लगातार जैविक प्रदूषक (पीओपी)	एन.ए	लागू नहीं	लागू नहीं
वाष्पशील कार्बनिक यौगिक (वीओसी)	एन.ए	लागू नहीं	लागू नहीं
घातक वायु प्रदूषक (एचएपी)	एन.ए	लागू नहीं	लागू नहीं
अन्य-कृपया निर्दिष्ट करें	एन.ए	लागू नहीं	लागू नहीं

नोट: बताएं कि क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र मूल्यांकन/मूल्यांकन/आश्वासन दिया गया है? (हाँ/नहीं) यदि हाँ, तो बाहरी एजेंसी का नाम।

जी हाँ। सभी मूल्यांकन सीएमपीडीआई द्वारा किए जाते हैं।

6. निम्नलिखित प्रारूप में ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन (स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन) और इसकी तीव्रता का विवरण प्रदान करें:

पैरामीटर	यूनिट	वित्त वर्ष 2023	वित्त वर्ष 2022
कुल स्कोप 1 उत्सर्जन (जीएचजी का सीओ2, सीएच4, एन2ओ, एचएफसी, पीएफसी, एसएफ, एनएफ में विभाजन, यदि उपलब्ध हो)	सीओ2 के समतुल्य मीट्रिक टन	24006330.00	21257230.00
कुल स्कोप 2 उत्सर्जन (जीएचजी का सीओ2, सीएच4, एन2ओ, एचएफसी, पीएफसी, एसएफ, एनएफ में विभाजन, यदि उपलब्ध हो)	सीओ2 के समतुल्य मीट्रिक टन	7495920.00	6637520.00
कुल स्कोप 1 और स्कोप 2, प्रति रुपये टर्नओवर उत्सर्जन	मीट्रिक टन सीओ2 के समतुल्य	168.05	182.70
कुल स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन तीव्रता (वैकल्पिक) - संबंधित मीट्रिक का चयन इकाई द्वारा किया जा सकता है।		-	-

नोट: क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र मूल्यांकन/मूल्यांकन/आश्वासन दिया गया है? (हां/नहीं) यदि हां, तो बाहरी एजेंसी का नाम बताए। जी हाँ। सभी मूल्यांकन सीएमपीडीआई द्वारा किया जाता है।

उपरोक्त मूल्यांकन सीएमपीडीआई की रिपोर्ट मसीआईएल के कार्बन पदचिह्न विश्लेषण और कार्बन तटस्थिता 2020-21 के लिए रोडमैपफ पर आधारित है।

7. क्या कंपनी के पास ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम करने से संबंधित कोई परियोजना है? यदि हाँ, तो विवरण प्रदान करें।

कंपनी स्वीकार करती है कि कोयला खनन एक ऊर्जा-गहन प्रक्रिया है जिसमें ईंधन और बिजली का उपयोग शामिल है, जो ग्रीनहाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन हेतु उत्तरदायी है। जीएचजी के पर्यावरणीय प्रभाव को समझते हुए, कंपनी न्यूतम कार्बन पदचिह्न के साथ किफायती ऊर्जा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसे प्राप्त करने के लिए, कंपनी का लक्ष्य ऊर्जा की खपत को कम करना और आधुनिक तकनीकों को लागू करना है जो जीएचजी उत्सर्जन को प्रभावी ढंग से कम करते हैं। कई पहलों को अपनाते हुए, कंपनी ने अपनी अनुषंगी कंपनियों के साथ मिलकर कार्बन कटौती पर केंद्रित विभिन्न परियोजनाएं शुरू की हैं। विशेष रूप से, कंपनी ने जीएचजी उत्सर्जन को कम करने में अपने प्रयासों का समर्थन करने के लिए अपनी साइटों पर एक विकेन्ड्रीकृत सौर कार्यक्रम लागू किया है, जिसमें छत और जमीन पर स्थापित सौर स्थापनाएं शामिल हैं।

नवीकरणीय ऊर्जा पहल: कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) अपनी विद्युत ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों को अपनाने के लिए रणनीतिक रूप से तैयार है। वित्त वर्ष 2022-23 में, कंपनी ने सौर ऊर्जा उत्पादन में महत्वपूर्ण प्रगति हासिल की, अपनी नवीकरणीय ऊर्जा (आरई) इकाइयों के माध्यम से कुल लगभग 68.36 लाख इकाइयों का उत्पादन किया, जो विगत वर्ष की तुलना में 70% की उछुखनीय वृद्धि है।

स्थिरता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के भाग के रूप में, सीआईएल ने नेट-जीरो ऊर्जा कंपनी में बदलने के लिए एक व्यापक योजना तैयार की है। इसमें जीवाशम ईंधन आधारित बिजली पर अपनी वर्तमान निर्भरता को कम करने के लिए 3000 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना शामिल है। इस पहल को आगे बढ़ाने के लिए, सीआईएल ने नवकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में नए व्यापार के अवसरों का पता लगाने के लिए मसीआईएल नवकरणीय ऊर्जा लिमिटेड (सीएनयूएल) का नामक एक सहायक कंपनी की स्थापना की है।

सीआईएल ने अपने 3000 मेगावाट सौर ऊर्जा लक्ष्य को पूरा करने के लिए तीन-आयामी कार्यनीति तैयार की है:

- जहां भी संभव हो, अपनी अनुषंगी कंपनियों में उपलब्ध भूमि भूखंडों और छतों पर सौर परियोजनाओं का विकास।
- उच्च सौर क्षमता वाले राज्यों, जैसे राजस्थान और गुजरात में सौर परियोजनाओं का कार्यान्वयन।
- एसईसीआई (भारतीय सौर ऊर्जा निगम), डिस्कॉम (वितरण कंपनियों), पावर एक्सचेंजों और अन्य संबंधित संस्थाओं द्वारा आयोजित सौर निविदाओं में भागीदारी।

इस कार्यनीति के अनुरूप, सीआईएल ने आरवीयूएनएल के 2000 मेगावाट सौर पार्क में 1190 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना के लिए 13 अक्टूबर, 2022 को राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (आरवीयूएनएल) के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अतिरिक्त, कुल 115 मेगावाट क्षमता के लिए परियोजना डीपीआर (विस्तृत परियोजना रिपोर्ट) वर्तमान में अनुमोदन चरण में हैं, जिसमें डब्ल्यूसीएल (वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड) से 55 मेगावाट, एसईसीएल (साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड) से 40 मेगावाट और एमसीएल (महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड) से 50 मेगावाट का आवंटन शामिल है।

इसके अलावा, सीआईएल अपनी सहायक कंपनियों में विभिन्न चरणों में लगभग 20 मेगावाट की छत और ऊर्जा परियोजनाओं को सक्रिय रूप से कार्यान्वित कर रही है। कंपनी अपनी अनुषंगी कंपनियों की आवासीय और वाणिज्यिक बिजली मांगों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त छतों की भी चिन्हित कर रही है, जिससे कुल बिजली लागत में कमी आएगी।

अपनी कैपिटिव आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, सीआईएल की अनुषंगी कंपनियों ने ओपन एक्सेस और ग्रिड कनेक्टिविटी पर राज्य के नियमों का अनुपालन करते हुए, लगभग 725 मेगावाट की सौर परियोजनाओं की स्थापना के लिए भूमि पार्सल की पहचान कर ली है। वित्त वर्ष 22-23 में डब्ल्यूसीएल ने नवकरणीय स्रोतों (सौर ऊर्जा) का उपयोग करके 940 टन सीओ2 उत्सर्जन कम किया है।

एफएमसी- एफएमसी परियोजनाओं में कोयले को पिथेड से लोडिंग पॉइंट तक ले जाने के लिए पाइप कनेक्टर बेल्ट की स्थापना शामिल है, जहां रेलवे रेक में कोयला लोड करने के लिए एक तीव्र लोडिंग प्रणाली कार्यरत है। कोयले की सड़क परिवहन की आवश्यकता को समाप्त करने और तीव्र लोडिंग सिस्टम को एकीकृत करने से कई लाभ प्राप्त होते हैं।

इसमें शामिल है:

1. कोयला क्षेत्र से रेलवे साइडिंग तक परिवहन लागत में कमी।
2. पे-लोडर संचालन के लिए डीजल की खपत और लागत में कमी।
3. ट्रक संचालन के लिए डीजल की खपत और लागत में कमी।
4. ट्रक परिवहन यात्राओं और कोयला रिसाव को कम करने के लिए सड़क रखरखाव लागत में कमी।

ऊर्जा संरक्षण के उपाय: इसके लिए एक व्यापक ऊर्जा संरक्षण पहल के परिणामस्वरूप 1679 ऊर्जा-कुशल एसी के प्रतिस्थापन/स्थापना, 18,626 ऊर्जा-कुशल सुपर पंखे, 71 ई-वाहनों की तैनाती, 169 पुराने मोटरों को ऊर्जा-कुशल मोटरों से बदलना, 1016 ऑटो टाइमर की स्थापना, और 54,690 केवीएआर कैपेसिटर बैंकों की खरीद/स्थापना हुई है।

वृक्षारोपण के माध्यम से कार्बन सिंक: कंपनी ने 1613 हेक्टेयर भूमि क्षेत्र में प्रतिवर्ष 80,908 टन सीओ2 के बराबर कार्बन सिंक क्षमता वाले 31.01 लाख पौधे भी लगाए।

8. कंपनी द्वारा अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित विवरण निम्नलिखित प्रारूप में प्रदान करें:

पैरामीटर	वित्त वर्ष 2023	वित्त वर्ष 2022
कुल उत्पन्न अपशिष्ट (मीट्रिक टन में)	-	-
प्लास्टिक अपशिष्ट (क)	380 नं. पीसी 0.156 एमटी	121 नं. बचाव उपकरण का 0.230 मीट्रिक टन
ई-अपशिष्ट (ख)	8.918एमटी	4.592एमटी
जैव-चिकित्सीय अपशिष्ट (ग)	शून्य	शून्य
निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट (घ)	2093 कि.ग्रा	955 कि.ग्रा
बैटरी अपशिष्ट (ड)	एन.ए	एन.ए
रेडियोधर्मी अपशिष्ट (च)	1036एमटी	949एमटी
अन्य खतरनाक अपशिष्ट कृपया निर्दिष्ट करें, यदि कोई हो। (छ)	362 नं. अपशिष्ट टायर 1644.292 मिलियन घन मीटर ओवरबर्डन	1362.06 मिलियन घन मीटर ओवरबर्डन
कुल (क + ख + ग + घ + ड. + च + छ + ज)		

उत्पन्न अपशिष्ट की प्रत्येक श्रेणी के लिए, पुनर्चक्कण, पुनः उपयोग या अन्य पुनर्प्राप्ति कार्यों के माध्यम से पुनर्प्राप्त कुल अपशिष्ट (मीट्रिक टन में)

अपशिष्ट की श्रेणी		
(i) पुनर्वानीकरण	360 नं. बैटरियां	292 बैटरियां
(ii) पुनः उपयोग किया गया	1644.292 मिलियन घनमीटर	1362.06 मिलियन घन मीटर
(iii) अन्य पुनर्प्राप्ति परिचालन	190.12एमटी	448.55एमटी
कुल		

उत्पन्न अपशिष्ट की प्रत्येक श्रेणी के लिए, निपटान विधि के माध्यम से निपटान किया गया कुल अपशिष्ट (मीट्रिक टन में)

अपशिष्ट की श्रेणी		
(i) भस्मीकरण	*सामान्य बायोमेडिकल अपशिष्ट उपचार सुविधा	सामान्य अपशिष्ट उपचार सुविधा
(ii) भूमि भराव	सामान्य अपशिष्ट उपचार सुविधा	सामान्य अपशिष्ट उपचार सुविधा
(iii) अन्य निपटान परिचालन	प्रयुक्त तेल को अधिकृत पुनर्विक्रेताओं को नीलाम किया जाता है। स्क्रैप की नीलामी निविदाओं के माध्यम से की जाती है। लेड एसिड बैटरियों को उनकी समाप्ति के बाद निर्माता द्वारा वापस ले लिया जाता है।	प्रयुक्त तेल को अधिकृत पुनर्विक्रेताओं को नीलाम किया जाता है। स्क्रैप की नीलामी निविदाओं के माध्यम से की जाती है। लेड एसिड बैटरियों को उनकी समाप्ति के बाद निर्माता द्वारा वापस ले लिया जाता है।
कुल		

नोट: क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र मूल्यांकन/मूल्यांकन/आश्वासन दिया गया है? (हाँ/नहीं) यदि हाँ, तो बाहरी एजेंसी का नाम बतलाए। जी हाँ, मूल्यांकन अनुषंगी स्तर पर और तीसरी पार्टी एजेंसी द्वारा किया गया है जिसने अनुषंगी कंपनियों से अपशिष्ट एकत्र किया है।

*आंशिक प्रकटीकरण

9. आपके प्रतिष्ठान में अपनाई गई अपशिष्ट प्रबंधन पद्धतियों का संक्षेप में वर्णन करें। आपके उत्पादों और प्रक्रियाओं में घातक और विषाक्त रसायनों के उपयोग को कम करने के लिए आपकी कंपनी द्वारा अपनाई गई रणनीति और ऐसे कचरे के प्रबंधन के लिए अपनाई गई प्रक्रियाओं का वर्णन करें।

कंपनी अपशिष्ट प्रबंधन के महत्व को स्वीकार करती है और जिम्मेदारी से कचरे को कम करने और पुनः उपयोग करने के लिए नवीन दृष्टिकोण खोजने के लिए प्रतिबद्ध है। कंपनी के संचालन से उत्पन्न एक उल्लेखनीय अपशिष्ट धारा में ओवरबर्डन शामिल है, जिसमें खदान का पानी, प्रक्रिया से अपशिष्ट, प्रयुक्त तेल और कीचड़ शामिल हैं। कंपनी ने इस संसाधन का प्रभावी ढंग से उपयोग करते हुए, ओवरबर्डन से रेत निकालने के लिए विभिन्न तरीके तैयार किए हैं। इसके अलावा, कंपनी ने खदान के पानी, जिसे परंपरागत रूप से अपशिष्ट माना जाता है, को औद्योगिक और घेरेलू उद्देश्यों के लिए पुनः उपयोग करने की रणनीतियों को लागू किया है, जिससे आंतरिक खपत और आसपास के समुदायों को पाने और सिंचाई की जरूरतों के लिए लाभ मिलता है।

गैर-घातक अपशिष्ट के संदर्भ में, कंपनी उच्च-घनत्व पॉलीथीन (एचडीपीई) ड्रम, धातु स्क्रैप, प्लास्टिक बैरल और अन्य प्रक्रिया अपशिष्ट जैसी सामग्रियों का निपटान करती है। संपूर्ण रिपोर्टिंग अवधि के दौरान, सभी खतरनाक और गैर-घातक कचरे का खतरनाक और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमा पार आंदोलन) नियम, 2015 में उल्लिखित नियमों का पालन करते हुए, अधिकृत विक्रेताओं के माध्यम से उचित रूप से निपटान किया गया है। घातक कचरे को अधिकृत विक्रेताओं के पास ले जाया जाता है, जहां कानून के अनुसार उपयुक्त तरीकों का उपयोग करके इसका निपटान किया जाता है, जबकि नियामक दिशानिर्देशों के अनुसार आवश्यक दस्तावेज राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी) को जमा किए जाते हैं।

इसके अलावा, जिम्मेदार पूर्ण ई-कचरा निपटान के महत्व को मानते हुए, कंपनी ने 2019 में एक समर्पित ई-कचरा नीति तैयार की है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कचरे के निपटान के लिए कुशल और पर्यावरण-अनुकूल तरीकों की रूपरेखा तैयार की गई है। संपूर्ण ई-अपशिष्ट निपटान नीति को निम्नलिखित लिंक के माध्यम से एकसेस किया जा सकता है: https://d3u7ubx0okog7j.cloudfront.net/documents/CIL_Corporate_E-Waste_Policy_tFQLJHH.pdf

10. क्या इकाई के पास पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों (जैसे गाढ़ीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, बायोस्फीयर रिजर्व, आर्द्रभूमि, जैव विविधता हॉटस्पॉट, वन, तटीय विनियमन क्षेत्र इत्यादि) में/के आसपास परिचालन/कार्यालय हैं जहां पर्यावरणीय अनुमोदन/अनुमति की आवश्यकता है, कृपया निम्नलिखित प्रारूप में विवरण निर्दिष्ट करें:

क्र. सं.	संचालन/कार्यालयों का स्थान	संचालन का प्रकार	क्या पर्यावरण अनुमोदन/अनुमति की शर्तों का पालन किया जा रहा है? (हाँ/नहीं) यदि नहीं, तो उसके कारण और यदि कोई हो तो की गई सुधारात्मक कार्रवाई।
1	मुरापार यूजी	खनन कार्य	हाँ (मुरापर यूजी ताडोबा टाइगर रिजर्व के पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र (ईप्सजेड) के अंतर्गत है, पश्चिम ओसी और दुर्गापुर ओसी ताडोबा टाइगर रिजर्व के ईप्सजेड के निकट हैं।)
2	पद्मपुर ओसी	खनन कार्य	हाँ
3	दुर्गापुर ओसी	खनन कार्य	हाँ

11. वर्तमान वित्तीय वर्ष में लागू कानूनों के आधार पर इकाई द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं के पर्यावरणीय प्रभाव आकलन का विवरण:

परियोजना का नाम एवं संक्षिप्त विवरण	ईआईए अधिसूचना संख्या	दिनांक	क्या स्वतंत्र बाहरी एजेंसी द्वारा संचालित किया गया है (हाँ/नहीं)	परिणाम सार्वजनिक डोमेन में संप्रेषित (हाँ / नहीं)	संबंधित वेब लिंक
1	मोहनपुर ओसी	ईआईए अधिसूचना, 2006	10-05-2022	हाँ	https://environmentclearance.nic.in/onlinesearchnewrk.aspx?autoid=40328&proposal_no=IA/WB/CMIN/10820/2007&typep=EC
2	क्लस्टर 10 (संशोधन)	ईआईए अधिसूचना, 2006	30-05-2022	हाँ	https://environmentclearance.nic.in/onlinesearchnewrk.aspx?autoid=320&proposal_no=IA/WB/CMIN/7663/2011&typep=EC
3	भुरकुंडा ओसी	ईआईए अधिसूचना, 2006	13-07-2022	हाँ	https://environmentclearance.nic.in/onlinesearchnewrk.aspx?autoid=41471&proposal_no=IA/JH/CMIN/74128/2018&typep=EC
4	कथारा ओसी	ईआईए अधिसूचना, 2006	18-10-2022	हाँ	https://environmentclearance.nic.in/onlinesearchnewrk.aspx?autoid=41682&proposal_no=IA/JH/CMIN/179534/2020&typep=EC

परियोजना का नाम एवं संक्षिप्त विवरण	ईआईए अधिसूचना संख्या	दिनांक	क्या स्वतंत्र बाहरी एजेंसी द्वारा संचालित किया गया है (हाँ/नहीं)	परिणाम सार्वजनिक डोमेन में संप्रेषित (हाँ / नहीं)	संबंधित वेब लिंक
5	ढोरी लोअर ओसी का चयन किया गया	ईआईए अधिसूचना, 2006	08-02-2023	हाँ	https://parivesh.nic.in/newupgrade/#/department/ec-proposal-detail/2394549
6	कब्रीबाद ओसी	ईआईए अधिसूचना, 2006	08-02-2023	हाँ	https://environmentclearance.nic.in/TrackState_proposal.aspx?type=EC&status=EC_new&statename=Jharkhand&pno=SIA/JH/CMIN/76338/2018&pid=202741
7	उत्तर उरीमारी ओसी	ईआईए अधिसूचना, 2006	13-02-2023	हाँ	https://parivesh.nic.in/newupgrade/#/report/ec-part-c?id=2332083&projectId=293713&caf=2293938
8	गिद्धी ए ओसी	ईआईए अधिसूचना, 2006	24-03-2023	हाँ	https://environmentclearance.nic.in/onlinesearchnewrk.aspx?autoid=41301&proposal_no=IA/JH/CMIN/74323/2018&typep=EC
9	निगाही ओसी	ईआईए अधिसूचना, 2006	26-07-2022	हाँ	https://parivesh.nic.in/newupgrade/#/department/ec-proposal-detail/2359585
10	कृष्णशिला ओसी	ईआईए अधिसूचना, 2006	26-07-2022	हाँ	https://parivesh.nic.in/newupgrade/#/department/ec-proposal-detail/2694337
11	अमलोहरी ओसी	ईआईए अधिसूचना, 2006	26-07-2022	हाँ	https://parivesh.nic.in/newupgrade/#/department/ec-proposal-detail/2702024
12	खड़िया ओसी	ईआईए अधिसूचना, 2006	27-07-2022	हाँ	https://parivesh.nic.in/newupgrade/#/department/ec-proposal-detail/2396954
13	बीना ओसी	ईआईए अधिसूचना, 2006	29-07-2022	हाँ	https://environmentclearance.nic.in/auth/ECGeneral_Report.aspx?pid=40441
14	जयन्त ओसी	ईआईए अधिसूचना, 2006	20.02.2023	हाँ	https://parivesh.nic.in/newupgrade/#/department/ec-proposal-detail/2334102
15	सियारमल ओसी	ईआईए अधिसूचना, 2006	05-05-2022	हाँ	https://environmentclearance.nic.in/onlinesearchnewrk.aspx?autoid=13885&proposal_no=IA/OR/CMIN/24164/2014&typep=EC
16	कुलदा ओसी	ईआईए अधिसूचना, 2006	24-05-2022	हाँ	https://parivesh.nic.in/newupgrade/#/department/ec-proposal-detail/2800917
17	लखनपुर ओसी	ईआईए अधिसूचना, 2006	30-05-2022	हाँ	https://parivesh.nic.in/newupgrade/#/department/ec-proposal-detail/1784858
18	भुवनेश्वरी ओसी	ईआईए अधिसूचना, 2006	26-07-2022	हाँ	https://parivesh.nic.in/newupgrade/#/department/ec-proposal-detail/2761380
19	गर्जनबहाल ओसी	ईआईए अधिसूचना, 2006	09-03-2023	हाँ	https://environmentclearance.nic.in/onlinesearchnewrk.aspx?autoid=42077&proposal_no=IA/OR/CMIN/272126/2022&typep=EC
20	मानिकपुर ओसी	ईआईए अधिसूचना, 2006	26-05-2022	हाँ	https://parivesh.nic.in/newupgrade/#/department/ec-proposal-detail/3461320
21	छल ओसी	ईआईए अधिसूचना, 2006	02-08-2022	हाँ	https://environmentclearance.nic.in/onlinesearchnewrk.aspx?autoid=40505&proposal_no=IA/CG/CMIN/11029/2007&typep=EC
22	दीपका ओसी	ईआईए अधिसूचना, 2006	06-09-2022	हाँ	https://parivesh.nic.in/newupgrade/#/department/ec-proposal-detail/3430191
23	गेवरा ओसी	ईआईए अधिसूचना, 2006	06-09-2022	हाँ	https://parivesh.nic.in/newupgrade/#/department/ec-proposal-detail/3347079

परियोजना का नाम एवं संक्षिप्त विवरण	ईआईए अधिसूचना संख्या	दिनांक	क्या स्वतंत्र बाहरी एजेंसी द्वारा संचालित किया गया है (हाँ/नहीं)	परिणाम सार्वजनिक डोमेन में संप्रेषित (हाँ / नहीं)	संबंधित वेब लिंक
24 खैरहा यूजी	ईआईए अधिसूचना, 2006	13-12-2022	हाँ		https://parivesh.nic.in/newupgrade/#/department/ec-proposal-detail/1389039
25 सरायपल्ली ओसी	ईआईए अधिसूचना, 2006	23-03-2023	हाँ		https://164.100.213.216/E-Sign/Esign/ECLSEIAA_215550_5458Y7_SIA_CG_CMIN_415356_2023.pdf
26 सिंधोरी ओसी	ईआईए अधिसूचना, 2006	23-05-2022	हाँ		https://parivesh.nic.in/newupgrade/#/department/ec-proposal-detail/2044376
27 दिनेश ओसी	ईआईए अधिसूचना, 2006	26-05-2022	हाँ		https://parivesh.nic.in/newupgrade/#/department/ec-proposal-detail/2254345
28 गौरी पौनी ओसी	ईआईए अधिसूचना, 2006	27-12-2022	हाँ		https://environmentclearance.nic.in/onlinesearchnewrk.aspx?autoid=42400&proposal_no=IA/MH/CMIN/284193/2021&typep=EC

12. क्या इकाई भारत में लागू पर्यावरण कानून/विनियमों/दिशानिर्देशों का अनुपालन करती है; जैसे कि जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम और उसके तहत नियम (हाँ/नहीं)।

यदि नहीं, तो ऐसे सभी गैर-अनुपालनों का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में प्रदान करें:

क्र.सं.	उस कानून/विनियम / दिशानिर्देशों को निर्दिष्ट प्रदान करें करें जिनका अनुपालन नहीं किया गया था	गैर-अनुपालन का विवरण	नियामक एजेंसियों जैसे प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या अदालतों द्वारा किया गया कोई भी जुर्माना/दंड/कार्रवाई	सुधारात्मक कार्रवाई, यदि कोई हो तो
---------	--	----------------------	--	------------------------------------

नेतृत्व संकेतक -

1. निम्नलिखित प्रारूप में नवीकरणीय और गैर-नवीकरणीय स्रोतों से खपत की गई कुल ऊर्जा (जूल या गुणकों में) का विवरण प्रदान करें:

पैरामीटर	वित्त वर्ष 2023	वित्त वर्ष 2022
नवीकरणीय स्रोतों से		
कुल बिजली खपत (क)	6836317	3934328
कुल ईंधन खपत (ख)	-	-
अन्य स्रोतों से ऊर्जा की खपत (ग)	-	-
नवीकरणीय स्रोतों से खपत कुल ऊर्जा (क+ख+ग)	6836317	3934328
गैर-नवीकरणीय स्रोतों से		
कुल बिजली खपत (घ)	4606803000	4621466184
कुल ईंधन खपत (ड.)	437096339	443406737
अन्य स्रोतों से ऊर्जा की खपत (च)	-	-
गैर-नवीकरणीय स्रोतों से खपत कुल ऊर्जा (घ+ड.+च)	-	-

नोट: क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र मूल्यांकन/मूल्यांकन/आश्वासन दिया गया है? (हाँ/नहीं) यदि हाँ, तो बाहरी एजेंसी का नाम बताएं।

जी हाँ। सीआईएल अनुंगी कंपनियों की 25 इमारतों का निवेश ग्रेड एनर्जी ऑडिट (आईजीई) अध्ययन ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के माध्यम से किया गया है।

2. निस्तारित जल से संबंधित निम्नलिखित विवरण उपलब्ध कराएः:

पैरामीटर	वित्त वर्ष 2023	वित्त वर्ष 2022
गंतव्य और उपचार के स्तर के अनुसार जल निर्वहन (किलोलीटर में)		
(i) सतह जल के लिए	-	-
- कोई उपचार नहीं	-	-
- उपचार के साथ - कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें	-	-
(ii) भूजल के लिए	-	-
- कोई उपचार नहीं	-	-
- उपचार के साथ - कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें	-	-
(iii) समुद्री जल के लिए		
- कोई उपचार नहीं	-	-
- उपचार के साथ - कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें	-	-
(iv) तृतीय पक्षों को भेजा गया		
- कोई उपचार नहीं	-	-
- उपचार के साथ - कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें	3,715.60	3,697.33
(v) अन्य		
- कोई उपचार नहीं		
- उपचार के साथ - कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें	3,283.06	3,220.28
डिस्चार्ज किया गया कुल पानी (किलोमीटर में)	6,998.66	6,917.61

नोट: क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र मूल्यांकन/मूल्यांकन/आश्वासन दिया गया है? (हाँ/नहीं) यदि हाँ, तो बाहरी एजेंसी का नाम बताएँ। नहीं, हालाँकि, आंतरिक मूल्यांकन सहायक स्तर पर किया गया है।

3. पानी की कमी वाले क्षेत्रों में पानी की निकासी, खपत और निर्वहन (किलोलीटर में):

सीआईएल में पानी का कोई संकट नहीं है। अतः तालिका लागू नहीं है।

जल संकट वाले क्षेत्रों में स्थित प्रत्येक सुविधा/संयंत्र के लिए, निम्नलिखित जानकारी प्रदान करें:

- (i) क्षेत्र का नाम
- (ii) संचालन की प्रकृति
- (iii) निम्नलिखित प्रारूप में जल निकासी, खपत और निर्वहन:

पैरामीटर	वित्त वर्ष 2023	वित्त वर्ष 2022
स्रोत द्वारा जल निकासी (किलोलीटर में)		
(i) सतही जल		
(ii) भूजल		
(iii) तृतीय पक्ष जल		
(iv) समुद्री जल/अलवणीकृत पानी		
(v) अन्य		
जल निकासी की कुल मात्रा (किलोलीटर में)		
जल उपभोग की कुल मात्रा (किलोलीटर में)		
प्रति रुपये टर्नओवर में जल की तीव्रता (पानी की खपत / टर्नओवर)		
जल की तीव्रता (वैकल्पिक) - संबंधित मीट्रिक का चयन संस्था द्वारा किया जा सकता है		
गंतव्य और उपचार के स्तर के अनुसार जल निर्वहन (किलोलीटर में)		

ए.ए

- i) सतही जल में
 - कोई उपचार नहीं
 - उपचार के साथ - कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें
- (ii) भूमिगत जल में
 - कोई उपचार नहीं
 - उपचार के साथ - कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें
- (iii) समुद्री जल में
 - कोई उपचार नहीं
 - उपचार के साथ - कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें
- (iv) तीसरे पक्ष को भेजा गया
 - कोई उपचार नहीं
 - उपचार के साथ - कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें
- (v) अन्य
 - कोई उपचार नहीं
 - उपचार के साथ - कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें
- डिस्चार्ज किया गया कुल पानी (किलोमीटर में)**

एन.ए

नोट: क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र मूल्यांकन/मूल्यांकन/आश्वासन दिया गया है? (हाँ/नहीं) यदि हाँ, तो बाहरी एजेंसी का नाम बताएं।

जी हाँ। यह सीएमपीडीआई द्वारा किया गया।

4. कृपया निम्नलिखित प्रारूप में कुल स्कोर 3 उत्सर्जन और इसकी तीव्रता का विवरण प्रदान करें:

पैरामीटर	इकाई	वित्त वर्ष 2023	वित्त वर्ष 2022
कुल दायरा 3 उत्सर्जन (जीएचजी को सीओ2, सीएच4, एन2ओ, एचएफसी, पीएफसी, एसएफ, एनएफ में विभाजित करना, यदि उपलब्ध हो)	सीओ2 के समतुल्य मीट्रिक टन	807750.00	715250.00
प्रति रुपये टर्नओवर पर कुल दायरा 3 उत्सर्जन	सीओ2 के समतुल्य मीट्रिक टन	807750.00	715250.00
कुल दायरा 3 उत्सर्जन तीव्रता (वैकल्पिक) - संबंधित मीट्रिक का चयन इकाई द्वारा किया जा सकता है	किलोग्राम सीओ2 समतुल्य/ टर्नओवर का एच 1000	0.63	0.71

*आंशिक प्रकटीकरण

नोट: क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र मूल्यांकन/मूल्यांकन/आश्वासन दिया गया है? (हाँ/नहीं) यदि हाँ, तो बाहरी एजेंसी का नाम बताएं।

जी हाँ। यह सीएमपीडीआई द्वारा किया गया।

5. उपरोक्त आवश्यक संकेतकों के प्रश्न 10 में बताए गए पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों के संबंध में, रोकथाम और उपचार गतिविधियों के साथ-साथ ऐसे क्षेत्रों में जैव विविधता पर इकाई के महत्वपूर्ण प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव का विवरण प्रदान करें।

पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों के करीब खनन कार्य के कारण, वायु, जल और शोर सहित प्रदूषण के स्तर में संभावित वृद्धि हो सकती है। इन चिंताओं को रोकने और उनका समाधान करने के लिए निम्नलिखित रोकथाम और उपचारात्मक गतिविधियाँ प्रस्तावित की गई हैं:

- पूरे खनन क्षेत्र को न्यूनतम 10 फीट की ऊँचाई तक सौर/विद्युत पल्स निगरानी वाली बाड़ से घेरना।
- वाहन परिवहन को कम करना और परिवहन उद्देश्यों के लिए एक बंद कन्वेयर प्रणाली लागू करना।
- खनन गतिविधियों के प्रभाव को कम करने के लिए नियंत्रित विस्फोट तकनीकों को लागू करना।
- प्रदूषकों के फैलाव को कम करने के लिए वायु अवरोधक स्थापित करना।
- धूल प्रदूषण को प्रभावी ढंग से कम करने और नियंत्रित करने के लिए 30-40 मीटर की चौड़ाई के साथ एक मोटी हरित पट्टी की स्थापना करना।
- समग्र हरित आवरण को बढ़ाने के लिए त्रि-स्तरीय एवन्यू वृक्षारोपण कार्यक्रम लागू करना।
- प्रारंभिक पारिस्थितिक स्थितियों का आकलन करने के लिए पौधों और जानवरों का आधारभूत जैव विविधता सर्वेक्षण करना।
- रात के समय विशेष रूप से टीएटीआर (ताडोबा-अंधारी टाइगर रिजर्व) के जंगली या दायरे वाले क्षेत्रों में परिवहन वाहनों की आवाजाही को प्रतिबंधित करना।

6. क्या नीचे दी गई इकाई ने संसाधन दक्षता में सुधार करने, या उत्सर्जन / अपशिष्ट निवहन / उत्पन्न अपशिष्ट के कारण प्रभाव को कम करने के लिए कोई विशिष्ट पहल की है या नवीन प्रौद्योगिकी या समाधान का उपयोग किया है, कृपया निम्नलिखित प्रारूप के अनुसार, इसके साथ-साथ ऐसी पहलों के परिणाम का विवरण प्रदान करें:

क्र. सं.	की गयी पहल	पहल का विवरण (वेब-लिंक, यदि कोई हो, सारांश के साथ प्रदान किया जाए)	पहल का परिणाम
1	इको पार्क का निर्माण।	पुनर्निर्मित खनन क्षेत्र के लिए तीन इको पार्क विकसित किए गए हैं। राज्य के इको-पार्कों एवं इको-पर्यटन स्थलों को पर्यटन सर्किट से जोड़ने की पहल की गई है।	जनता के मनोरंजन का केन्द्र, एवं आसपास के क्षेत्र का समग्र विकास। सीआईएल द्वारा विकसित 30 इको पार्कों में 4.02 लाख से अधिक लोगों की संख्या दर्ज की गई है।
2	ओबी डंप का लाभदायक उपयोग	गोंडेगांव ओसी, एनसीएल के डब्ल्यूसीएल अमलोरी के भानेगांव ओसी और ईसीएल के कजोरा और क्षेत्र में चार रेत पृथक्करण संयंत्र विकसित किए गए हैं।	आसपास के क्षेत्रों में सस्ती रेत की उपलब्धता हुई लेकिन रेत खनन के कारण पर्यावरण प्रदूषण पर समग्र प्रभाव कम हो गया। साथ ही, ये रेत पृथक्करण संयंत्र नदी के पारिस्थितिकी तंत्र, प्रवाह, भूजल पुनर्भरण क्षमता और अपने पाठ्यक्रम में पानी की गुणवत्ता में सुधार करेंगे।
3	एफ.एम.सी	सीआईएल ने 'फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी' परियोजनाओं के तहत मशीनीकृत कोयला परिवहन और लोडिंग सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए कदम उठाए हैं। 151 एमटीवाई क्षमता की मौजूदा 13 एफएमसी परियोजनाओं के अलावा, सीआईएल पहले ही 92 एमटीपीए क्षमता की 7 एफएमसी परियोजनाएं शुरू कर चुकी हैं। कोयला निकासी बुनियादी ढांचे के उन्नयन और विस्तार की दिशा में सीआईएल के प्रयासों को मजबूत करने के लिए 763.5 एमटीपीए की 61 फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी (एफएमसी) परियोजनाएं तीन चरणों में कार्यान्वित की जा रही हैं। सीआईएल ने वित्त वर्ष 28-29 तक चरण- I, चरण- II और चरण- III की सभी परियोजनाओं को चालू करने की योजना बनाई है, जिससे 914.5 एमटीपीए की संचयी मशीनीकृत रैपिड लोडिंग क्षमता होगी। समुदाय के लिए 2691.57 लाख किलोलीटर खदान जल का आपूर्तिकर्ता	सड़क परिवहन और उसके परिणामस्वरूप होने वाले वायु प्रदूषण से बचाव, प्रेषित कोयले की गुणवत्ता में सुधार अपने खनन क्षेत्रों के आसपास के समुदायों को पानी उपलब्ध कराने के सीआईएल के प्रयास से 2022-23 में 11.1 लाख से अधिक लोगों को लाभ हुआ। 7271.32 एकड़ भूमि क्षेत्र में सिंचाई की गयी
4	ऊर्जा दक्षता	1,57,216 एलईडी लाइटें, 1679 ऊर्जा कुशल प्रयर कंडीशनर, 18,626 ऊर्जा कुशल सुपर पंखे, 71 ई-वाहन लगाए गए हैं और 169 पुरानी मोटरों को ऊर्जा कुशल मोटरों से बदल दिया गया है। इसके अलावा, सीआईएल ने 1016 ऑटो टाइमर स्थापित किए हैं और 54,690 केवीएआर कैपेसिटर बैंक खरीदे और स्थापित किए गए हैं।	52.10 मिलियन यूनिट विद्युत ऊर्जा की बचत, 42,725 टन प्रति वर्ष सीओ2 उत्सर्जन कम
5	आधुनिक खनन तकनीक या कोयला उत्पादन जैसे सरफेस माइनर, हार्डवॉल माइनिंग, कंटीन्यूअस माइनर, लॉनावॉल माइनिंग का कार्यान्वयन	विस्फोट मुक्त कोयला उत्पादन	वित्त वर्ष 2022-23 में सीआईएल के कोयला उत्पादन का लगभग 54% (378 मिलि. टन) सतत खनिकों द्वारा हासिल किया गया था। विस्फोट मुक्त तरीकों से यूजी खदानों से 12.4 मिलि.टन कोयले का उत्पादन किया गया।
6	धूल दमन के लिए फॉग कैनन की तैनाती	धूल दमन के लिए सीआईएल की खदानों में 269 फॉग कैनन का उपयोग किया जाता है।	प्रभावी धूल दमन के पारंपरिक तरीके की तुलना में कम पानी की खपत।

7. क्या इकाई के पास व्यवसाय निरंतरता और आपदा प्रबंधन योजना है? 100 शब्दों/वेब लिंक में विवरण दें।

कंपनी ने कंपनी के व्यवसाय संचालन से जुड़े जोखिमों की निगरानी और मूल्यांकन के लिए उपयुक्त कार्यप्रणाली, प्रक्रियाओं और प्रणालियों की उपस्थिति की देखरेख और सुनिश्चित करने के लिए एक समर्पित जोखिम प्रबंधन समिति की स्थापना की है। इसके अतिरिक्त, कंपनी ने एक व्यापक जोखिम प्रबंधन नीति तैयार की है। इस नीति में कंपनी के लिए विशिष्ट आंतरिक और बाहरी जोखिमों की पहचान करने के लिए एक रूपरेखा, आंतरिक नियंत्रण के लिए उपयुक्त प्रणालियों और प्रक्रियाओं के कार्यान्वयन के माध्यम से जोखिमों को कम करने के उपाय और एक व्यवसाय निरंतरता योजना का विकास शामिल है। जोखिम प्रबंधन नीति हेतु वेबलिंक: https://d3u7ubx0okog7j.cloudfront.net/documents/Risk_Management_Policy_Idunvff.pdf

8. इकाई की मूल्य शृंखला से उत्पन्न पर्यावरण पर किसी भी महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव का खुलासा करें। इस संबंध में इकाई द्वारा क्या शमन

या अनुकूलन उपाय किए गए हैं?

सीआईएल द्वारा उत्पादित कोयले का उपयोग मुख्य रूप से टीपीपी द्वारा थर्मल पावर उत्पादन के लिए किया जाता है। थर्मल पावर उत्पादन वायु प्रदूषण और फ्लाई ऐश उत्पादन से जुड़ा हुआ है। वायु प्रदूषण को कम करने के लिए टीपीपी ने ईएसपी और एफजीडी इकाइयाँ स्थापित की हैं। उत्पन्न फ्लाई ऐश की आपूर्ति सीमेंट संयंत्रों, ईंट उद्योगों और खाली जगहों को भरने और सड़क निर्माण आदि के लिए की जाती है।

9. मूल्य शृंखला भागीदारों का प्रतिशत (ऐसे भागीदारों के साथ किए गए व्यापार के मूल्य के आधार पर) जिनका पर्यावरणीय प्रभावों के लिए मूल्यांकन किया गया था।
- कंपनी अपने मूल्य शृंखला भागीदारों का मूल्यांकन करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाती है।



सिद्धांत 7:

व्यवसाय, जब सार्वजनिक और विनियामक नीति को प्रभावित करने में संलग्न हों, तब उन्हें कार्य जिम्मेदार और पारदर्शी तरीके से करना चाहिए।

आवश्यक संकेतक

- क. व्यापार और उद्योग चैम्बरों/संघों के साथ संबद्धताओं की संख्या।

6

ख. शीर्ष 10 व्यापार और उद्योग मंडलों/संघों की सूची बनाएं (ऐसे निकाय के कुल सदस्यों के आधार पर निर्धारित) जिनकी कंपनी सदस्य है/ संबद्ध है।

क्र. सं.	व्यापार तथा उद्योग चैम्बरों/संघों का नाम	व्यापार और उद्योग चैम्बरों/संघों की उपलब्धता (राज्य/राष्ट्रीय)
1.	बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स	राष्ट्रीय
2.	इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स	राष्ट्रीय
3.	स्कोप	राष्ट्रीय
4.	फिक्टी	राष्ट्रीय
5.	एसोचैम	राष्ट्रीय
6.	एमजीएमआई इंडिया	राष्ट्रीय

- नियामक प्राधिकारियों के प्रतिकूल आदेशों के आधार पर कंपनी द्वारा प्रतिस्पर्धा-विरोधी आचरण से संबंधित किसी भी मुद्दे पर की गई या की जा रही सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।

प्राधिकरण का नाम	मामले का संक्षिप्त विवरण	की गई सुधारात्मक कार्रवाई

* विवरण निदेशकों की रिपोर्ट के अनुलग्न 22 में दिया गया है।

नेतृत्व संकेतक -

- कंपनी द्वारा समर्थित सार्वजनिक नीति पदों का विवरण:

क्र.सं.	समर्थित सार्वजनिक नीति	ऐसे समर्थन के लिए विधि का सहारा	क्या जानकारी सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है? (हां नहीं)	बोर्ड द्वारा समीक्षा की आवृत्ति (वार्षिक / अर्धवार्षिक / त्रैमासिक / अन्य - कृपया निर्दिष्ट करें)	वेब लिंक, यदि उपलब्ध हो

प्रभावी सार्वजनिक नीति के समर्थन के लिए विभिन्न ट्रेड यूनियनों और वाणिज्य मंडलों के साथ जुड़ना महत्वपूर्ण है। इस तरह की भागीदारी विचारों, दृष्टिकोणों और विशेषज्ञता के आदान-प्रदान की अनुमति देती है, जिससे उद्योग और कार्यबल दोनों की जरूरतों को पूरा करने वाली अच्छी तरह से सूचित नीतियों के विकास को सक्षम किया जा सके। इन हितधारकों के साथ सहयोग निष्पक्ष श्रम प्रथाओं को बढ़ावा देने, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और एक सामंजस्यपूर्ण कारोबारी माहौल प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

**सिद्धांत 8:**

व्यवसायों को समावेशी विकास और न्यायसंगत विकास को बढ़ावा देना चाहिए

आवश्यक संकेतक

- चालू वित्तीय वर्ष में लागू कानूनों के आधार पर कंपनी द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं के सामाजिक प्रभाव आकलन (एसआईए) का विवरण।

परियोजना का नाम एवं संक्षिप्त विवरण	एसआईए अधिसूचना संख्या	अधिसूचना की तिथि	क्या स्वतंत्र बाहरी एजेंसी द्वारा संचालित किया गया है (हाँ/नहीं)	परिणाम सार्वजनिक डोमेन में संप्रेषित किए गए (हाँ/नहीं)	प्रासंगिक वेब लिंक
पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में विभिन्न विकास कार्य	लागू नहीं (एनए)	एन.ए	हाँ	रिपोर्ट फाइल होने के बाद सूचित किया जाएगा	रिपोर्ट फाइल होते ही अपलोड कर दी जाएगी
इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोसाइंसेज कोलकाता (आईएनके) में न्यूरोसर्जरी संबंधी उपकरण उपलब्ध कराना	एन.ए	एन.ए	हाँ	रिपोर्ट फाइल होने के बाद सूचित किया जाएगा	रिपोर्ट फाइल होते ही अपलोड कर दी जाएगी
असम के माजुली में 2 जल एम्बुलेंस की खरीद के लिए वित्तीय सहायता	एन.ए	एन.ए	हाँ	रिपोर्ट फाइल होने के बाद सूचित किया जाएगा	रिपोर्ट फाइल होते ही अपलोड कर दी जाएगी
2000 युवाओं को प्लास्टिक इंजीनियरिंग ट्रेडों में कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करना	एन.ए	एन.ए	हाँ	रिपोर्ट फाइल होने के बाद सूचित किया जाएगा	रिपोर्ट फाइल होते ही अपलोड कर दी जाएगी
निवेदिता शिक्षा सदन बालिका इंटर कॉलेज, वाराणसी में लैब, लाइब्रेरी, कक्षाओं और छात्रावास सुविधा का निर्माण	एन.ए	एन.ए	हाँ	रिपोर्ट फाइल होने के बाद सूचित किया जाएगा	रिपोर्ट फाइल होते ही अपलोड कर दी जाएगी
कर्नाटक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (केआईएमएस), हुबली, कर्नाटक में 100 बिस्तरों को आईसीयू बिस्तरों में परिवर्तित किया जा रहा है	एन.ए	एन.ए	हाँ	रिपोर्ट फाइल होने के बाद सूचित किया जाएगा	रिपोर्ट फाइल होते ही अपलोड कर दी जाएगी

नोट: प्रभाव आकलन अध्ययन कंपनी अधिनियम 2013 के तहत कंपनी (सीएसआर नीति) नियम 2014 के अनुसार किया गया है। विवरण सीआईएल (स्टैंडअलोन) के लिए हैं। सहायक कंपनियाँ अपनी वार्षिक रिपोर्ट/वेबसाइटों में अपने प्रभाव मूल्यांकन विवरण की रिपोर्ट करती हैं।

- निम्नलिखित प्रारूप में उन परियोजनाओं पर जानकारी प्रदान करें जिनके लिए कंपनी द्वारा चल रहे पुनर्वास और पुनर्स्थापन (आर एंड आर) किया जा रहा है:

क्र. सं.	परियोजना का नाम जिसके लिए आर एंड आर जारी है	राज्य	ज़िला	परियोजना से प्रभावित परिवारों (पीएफ) की संख्या	आर एंड आर द्वारा कवर किए गए पीएफ का %	वित्त वर्ष में पीएफ को भुगतान की गई राशि (भारतीय रुपये में)
1.	कतरास, एकेडल्यूएमसी, तेतुलमुरी पैच	झारखण्ड	धनबाद	1	100	466526
2.	बरोग, लेफ्ट आउट पैच-बी	झारखण्ड	धनबाद	31	100	12759600
3.	दुर्गापुर डीप एक्सटेंशन.ओसी	महाराष्ट्र	चंद्रपुर	140	1	56470000
4.	अमल गोंडेगांव घटोरोहण ओसी	महाराष्ट्र	नागपुर	71	1	7870000

क्र. सं.	परियोजना का नाम जिसके लिए आर एंड आर जारी है	राज्य	ज़िला	परियोजना से प्रभावित परिवारों (पीएफ) की संख्या	आर एंड आर द्वारा कवर किए गए पीएफ का %	वित्त वर्ष में पीएफ को भुगतान की गई राशि (भारतीय रुपये में)
5.	कोलारपिम्परी एक्सटेंशन.	महाराष्ट्र ओसी	यवतमाल	11	1	5380000
6.	गेवरा ओसीपी	छत्तीसगढ़	कोरबा	26	100	7600000
7.	जामपाली ओसीपी	छत्तीसगढ़	रायगढ़	12	100	3800000
8.	अमादंड ओसीपी	मध्य प्रदेश	अनुपपुर	176	100	65000000
9.	विध्य यूजी	मध्य प्रदेश	उमरिया	29	100	9900000
10	जगन्नाथपुर ओसीपी	छत्तीसगढ़	सूरजपुर	18	100	5400000
11.	कुरजा यूजी	मध्य प्रदेश	अनुपपुर	2	100	60000
12.	राजमहल एक्स. ओसीपी	झारखंड	गोड्डा	5892	100	408876000
13	हुरा-सी	झारखंड	गोड्डा	925	100	28628200
14	खोटाडीह ओसीपी	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बर्धमान	809	100	11184000
15	सोनपुर बाजारी परियोजना	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बर्धमान	4427	100	15235000
16	बोन्जेमेहारी (विस्तार)	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बर्धमान	137	100	वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान कोई भुगतान नहीं किया गया है।
17	मोहनपुर 2.5 एमटीवाई	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बर्धमान	257	100	31702380
18	इटापारा	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बर्धमान	312	100	वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान कोई भुगतान नहीं किया गया है।
19	गौरांगडीह (विस्तार)	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बर्धमान	460	100	वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान कोई भुगतान नहीं किया गया है।
20	गौरांगडीह-बेगुनिया	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बर्धमान	280	100	88826368
21	चित्रा इस्ट ओसीपी	झारखंड	देवघर	632	100	2400000
22	ब्लॉक-बी परियोजना	मध्य प्रदेश	सिंगरौली	10	1	2900000
23	दुधीचुआ परियोजना	मध्य प्रदेश	सिंगरौली	61	1	50030000
24	जयन्त परियोजना	मध्य प्रदेश	सिंगरौली	360	1	288350000
25	आप्रपाली ओसीपी	झारखंड	चतरा	2	100	780216
26	परेज ओ.सी.पी	झारखंड	हजारीबाग	47	100	14344212
27	मगध ओसीपी	झारखंड	चतरा और लातेहार	109	100	29728840
28	पुरनाडीह ओसीपी	झारखंड	चतरा	156	100	31520000
29	केडीएच ओसीपी	झारखंड	रांची	3	100	900000
30	अशोक ओसीपी	झारखंड	चतरा	5	100	1500000
31	बलराम ओसीपी	ओडिशा	अंगुल	40	1	78260000
32	हिंगुला ओसीपी	ओडिशा	अंगुल	45	1	57520000
33	लिंगराज ओसीपी	ओडिशा	अंगुल	2	1	60000
34	भरतपुर ओ.सी.पी	ओडिशा	अंगुल	8	1	37020000
35	जगन्नाथ ओसीपी	ओडिशा	अंगुल	2	1	3340000
36	अनंता ओ.सी.पी	ओडिशा	अंगुल	55	1	86050000
37	भुवनेश्वरी ओ.सी.पी	ओडिशा	अंगुल	1	1	0
38	कनिहा ओसीपी	ओडिशा	अंगुल	174	1	415570000
39	आईबी-घाटी क्षेत्र	ओडिशा	झारसुगुडा	21	1	88520000
40	लखनपुर क्षेत्र	ओडिशा	झारसुगुडा	115	1	71440000
41	बसुंधरा क्षेत्र	ओडिशा	सुंदरगढ़	6	1	24490000
42	महालक्ष्मी क्षेत्र	ओडिशा	सुंदरगढ़	25	1	132450000

3. समुदाय की शिकायतें प्राप्त करने और उनके निवारण के तंत्र का वर्णन करें।

कंपनी ने एकीकृत केंद्रीकृत सार्वजनिक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएमएस) लागू की है, जो भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा प्रशासित एक वेब-आधारित समाधान है। यह प्रणाली सीपीजीआरएमएस पोर्टल के माध्यम से कर्मचारियों, ग्राहकों और अन्य हितधारकों द्वारा उठाई गई सार्वजनिक शिकायतों के समाधान को सक्षम बनाती है। समय पर समाधान सुनिश्चित करने के लिए शिकायतों को तत्परता से उठाया जाता है और उनका समाधान किया जाता है।

इसके अलावा, कंपनी समुदाय के सदस्यों को संगठन के भीतर नामित विभाग प्रमुख (सीएसआर) से संपर्क करके सहायता लेने या पूछताछ करने के लिए प्रोत्साहित करती है।

4. आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त इनपुट सामग्री का प्रतिशत (मूल्य के आधार पर कुल इनपुट):

	वित्त वर्ष 2023	वित्त वर्ष 2022
एमएसएमई/छोटे उत्पादकों से सीधे स्रोत	16.69	13.71
सीधे जिले और पड़ोसी जिलों के भीतर से प्राप्त किया गया	-	-

* सीधे जिले के भीतर और पड़ोसी जिलों से प्राप्त - सीआईएल तथा इसकी अनुबंधी कंपनियां इस आकड़े को हासिल करने की प्रक्रिया में हैं। सीआईएल ने एमएसई के दायरे/क्षमता से परे वस्तुओं के लिए एमएसएमई मंत्रालय की समीक्षा समिति से 25% (पच्चीस प्रतिशत) खरीद लक्ष्य में छूट प्राप्त की है। सीआईएल को वित्त वर्ष 2022-23 के बाद से सभी गैर-छूट वाली वस्तुओं के लिए एमएसई से न्यूनतम 35% खरीद का लक्ष्य हासिल करना है। तदनुसार, वित्त वर्ष 2023 के लिए गैर-छूट वाली वस्तुओं के लिए एमएसई से खरीद का प्रतिशत 71.09% है।

नेतृत्व संकेतक -

1. सामाजिक प्रभाव आकलन में मान्य किए गए किसी भी नकारात्मक सामाजिक प्रभाव को कम करने के लिए की गई कार्रवाइयों का विवरण प्रदान करें (संदर्भ: उपरोक्त आवश्यक संकेतकों में से प्रश्न 1):

शून्य

मान्य नकारात्मक सामाजिक प्रभाव का विवरण	की गई सुधारात्मक कार्रवाई

2. सरकारी निकायों द्वारा चिन्हित नामित आकांक्षी जिलों में कंपनी द्वारा शुरू की गई सीएसआर परियोजनाओं पर निम्नलिखित जानकारी प्रदान करें:

क्र. सं.	राज्य	आकांक्षी जिला	खर्च की गई राशि (भारतीय रुपये में)
1.	छत्तीसगढ़ एवं झारखण्ड	नारायणपुर (छत्तीसगढ़) पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सिमडेगा (झारखण्ड)	1559398.00
2.	झारखण्ड	खूंटी एवं सिमडेगा	422856.00
3.	झारखण्ड	चतरा एवं लातेहार	4201855.00
4.	झारखण्ड	राँची	10717400.00

यह जानकारी सीआईएल (स्टैडअलोन) से संबंधित है। इसके अलावा, डब्ल्यूसीएल और सीएमडीपीआई को छोड़कर सहायक कंपनियों ने भी अपने सीएसआर फंड को उन्हें आबंटित आकांक्षी जिलों में खर्च किया।

3. (क) क्या आपके पास कोई अधिमान्य खरीद नीति है जहां आप पिछड़े/कमज़ोर समूहों वाले आपूर्तिकर्ताओं से खरीदारी को प्राथमिकता देते हैं? (हां नहीं)

(ख) आप किन पिछड़े/कमज़ोर समूहों से खरीदारी करते हैं?

भारत सरकार की पीपीपी - एमएसई 2012 नीति है जो एमएसई से 25% खरीद निर्धारित करती है, जिसमें से क्रमशः 4% और 3% एससी/एसटी स्वामित्व वाली और महिला उद्यमियों से होती है। ये पिछड़े/कमज़ोर समूह हो सकते हैं।

(ग) यह कुल खरीद का कितना प्रतिशत है (मूल्य के अनुसार)?

विवरण

	वित्त वर्ष 2023 (करोड़ रुपए में)	वित्त वर्ष 2022 (करोड़ रुपये में)
सीआईएल एवं इसकी सहायक कंपनियों का समेकित खरीद मूल्य	10,676.93	9400.68
एससी/एसटी के स्वामित्व वाले एमएसई से खरीद का मूल्य	8.04	8.17
कुल खरीद मूल्य में एससी/एसटी के स्वामित्व वाले एमएसई से % खरीद।	0.075%	0.09%
महिला उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई से खरीद का मूल्य	80.63	35.22
कुल खरीद मूल्य में महिला उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई से % खरीद	0.75%	0.37%

4. आपकी इकाई (चालू वित्तीय वर्ष में) के द्वारा परंपरागत ज्ञान के आधार पर स्वामित्व या अर्जित बौद्धिक संपदा से प्राप्त और साझा किए गए लाभों का विवरण दें:

क्र. सं.	परंपरागत ज्ञान पर आधारित बौद्धिक संपदा	स्वामित्व/अधिगृहीत (हाँ/नहीं)	साझाकृत लाभ (हाँ/नहीं)	लाभ अंश की गणना का आधार
	एन.ए			
	एन.ए			

5. बौद्धिक संपदा से संबंधित विवादों में किसी भी प्रतिकूल आदेश के आधार पर की गई या चल रही सुधारात्मक कार्यवाइयों का विवरण, जिसमें पारंपरिक ज्ञान का उपयोग शामिल है।

प्राधिकरण का नाम	मामले का संक्षिप्त विवरण	की गई सुधारात्मक कार्यवाही
एन.ए		
एन.ए		

6. सीएसआर परियोजनाओं के लाभार्थियों का विवरण:

क्र. सं.	सीएसआर परियोजना	सीएसआर परियोजनाओं से लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या	कमजोर और सीमांत समूहों से लाभार्थियों का %
1.	जनरल ड्यूटी अटेंडेंट (नर्सिंग) पर 120 युवाओं (महिला) को कौशल विकास प्रशिक्षण - उन्नत पाठ्यक्रम (बीसीसीएल)	120	100
2.	गोविंदपुर धनबाद (बीसीसीएल) में कुष्ठ रोग केंद्र के परिसर में पानी की टंकी का निर्माण	1000	100
3.	लालमणि वृद्ध सेवा आश्रम, धनबाद (बीसीसीएल) में बुनियादी ढांचागत कार्य	36	100
4.	खेल अकादमी - खेलगांव, रांची, झारखण्ड (सीसीएल)	437	96
5.	लातेहार और चतरा जिलों में टीबी रोगियों के कल्याण के लिए पोषण टोकरी और सहायता प्रदान करना (सीसीएल)	1400	100
6.	नेत्र सहायक पाठ्यक्रम में दो वर्षीय डिप्लोमा (सीएमपीडीआई)	20	100
7.	दिव्यांगों की आजीविका में वृद्धि सहायता और उपकरण प्रदान करने वाले व्यक्ति (सीएमपीडीआई)	450	100
8.	आदिवासी महिलाओं के लिए लघु धारक मुर्मांपालन परियोजना (एनसीएल)	750	100
9.	सिंगरौली (एनसीएल) में दिव्यांग विद्यालय सह छात्रावास का निर्माण एवं संचालन	100	100
10.	सिंगरौली और सोनभद्र जिले (एनसीएल) के दिव्यांगों को सहायता और उपकरण प्रदान करने के लिए डीडीआरसी (जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र) को अपनाना	2000	100
11.	पेंच टाइगर रिजर्व, महाराष्ट्र के बफर क्षेत्र में फैले ग्रामीणों के एसएचजी को चावल, आटा और दाल मिलें उपलब्ध कराने के लिए वित्तीय सहायता, जो स्थानीय परिवेश की जरूरतों को पूरा करने के साथ-साथ स्थानीय आजीविका (डब्ल्यूसीएल) का अतिरिक्त राजस्व भी पैदा कर सकती है।	1300	100
12.	थैलेसीमिया बाल सेवा योजना (सीआईएल)	600	100

नोट: सीएसआर परियोजनाओं में, कमजोर और हाशिए पर रहने वाले समूहों जैसे परियोजना प्रभावित व्यक्तियों, एससी/एसटी, महिलाओं, वरिकों, नागरिकों, विकलांग व्यक्तियों, बच्चों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों आदि को प्राथमिकता दी जाती है। इसलिए, इन सभी परियोजनाओं में अधिकांश लाभार्थी वे लोग हैं जो सामाजिक या आर्थिक रूप से कमजोर/हाशिए पर हैं।

**सिद्धांत 9:**

व्यवसायों का अपने उपभोक्ताओं के साथ जिम्मेदार तरीके से जुड़ाव होना चाहिए और उन्हें इसका मूल्य प्रदान करना चाहिए।

आवश्यक संकेतक

- उपभोक्ताओं की शिकायतों और फीडबैक को प्राप्त करने तथा उनका जवाब देने के लिए मौजूद तंत्र का वर्णन करें।

कंपनी उपभोक्ता संतुष्टि सुनिश्चित करने के लिए गुणवत्ता प्रबंधन और उपभोक्ता शिकायतों के शीघ्र समाधान पर महत्वपूर्ण महत्व देती है। इसे प्राप्त करने के लिए, कंपनी ने सीआईएल के भीतर उपभोक्ता शिकायतों के लिए ऑनलाइन फाइलिंग और निवारण तंत्र लागू किया है। एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रदान करके, कंपनी उपभोक्ताओं को एक सुव्यवस्थित और कुशल प्रक्रिया सुनिश्चित करते हुए, अपनी शिकायतें और चिंताएँ आसानी से प्रस्तुत करने में सक्षम बनाती है। ग्राहक ऑफलाइन मोड से भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। यह दृष्टिकोण तेज़ संचार और समाधान, प्रतिक्रिया समय को कम करने और ग्राहक अनुभव को बढ़ाने की अनुमति देता है।

- उन सभी उत्पादों/सेवाओं के टर्नओवर के प्रतिशत के रूप में उत्पादों और/सेवाओं का टर्नओवर, जो इसके संबंध में जानकारी प्रदान करता है:

कुल टर्नओवर के प्रतिशत के रूप में	
उत्पाद से संबंधित पर्यावरणीय और सामाजिक मानदंड	लागू नहीं क्योंकि कोयला प्राथमिक उत्पाद है
सुरक्षित एवं जिम्मेदार उपयोग	
रीसाइकिंग और/या सुरक्षित निपटान	

- निम्नलिखित के संबंध में उपभोक्ताओं की शिकायतों की संख्या:

	वित्त वर्ष 2023			वित्त वर्ष 2022		
	वर्ष के दौरान प्राप्त	वर्ष के अंत में लंबित समाधान	टिप्पणियां	वर्ष के दौरान प्राप्त	वर्ष के अंत में लंबित समाधान	टिप्पणियां
डाटा प्राइवेसी	-	-		-	-	-
विज्ञापन	-	-		-	-	-
साइबर - सुरक्षा	1	0		1	0	-
आवश्यक सेवाओं का वितरण	-	-		-	-	-
आवश्यक सेवाओं का वितरण	-	-		-	-	-
प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रथाएं	36	0	-	28	0	-
अनुचित व्यापार आचरण	-	-		-	-	-
अन्य (उत्पाद संबंधी)	-	-		-	-	-

- सुरक्षा मुद्दों के कारण उत्पाद वापस मंगाए जाने के उदाहरणों का विवरण:

संख्या	वापसी का कारण
एन.ए	एन.ए
एन.ए	एन.ए

- क्या कंपनी के पास साइबर सुरक्षा और डेटा गोपनीयता से जुड़े जोखिमों पर कोई रूपरेखा/नीति है? (हां/नहीं) यदि उपलब्ध हो, तो पॉलिसी का वेब-लिंक प्रदान करें।

कंपनी ने एक समर्पित जोखिम प्रबंधन समिति का गठन किया है जो साइबर सुरक्षा और डेटा गोपनीयता से जुड़े जोखिमों सहित आंतरिक और बाहरी जोखिमों की पहचान करने के लिए उत्तरदायी है। समिति इन जोखिमों का लगातार मूल्यांकन करती है और उपयुक्त शमन रणनीति विकसित करने के लिए विचार-विमर्श करती है।

- विज्ञापन, और आवश्यक सेवाओं की डिलीवरी; ग्राहकों की साइबर सुरक्षा और डेटा गोपनीयता; उत्पाद वापसी की घटनाओं की पुनरावृत्ति; उत्पादों/सेवाओं की सुरक्षा पर नियामक अधिकारियों द्वारा जुर्माना/कार्रवाई से संबंधित मुद्दों पर की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।

एन.ए

नेतृत्व संकेतक –

1. साधन/प्लेटफॉर्म जहां कंपनी के उत्पादों और सेवाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है (यदि उपलब्ध हो तो वेब-लिंक प्रदान करें)।

कंपनी के उत्पादों और सेवाओं की जानकारी कंपनी की वेबसाइट <https://www.coalindia.in/> पर देखी जा सकती है।

ट्विटर	https://twitter.com/CoallIndiaHQ
इंस्टाग्राम	https://www.instagram.com/coalindia.in/
फेसबुक	https://www.facebook.com/coalindiaHQ
लिंकडइन	https://www.linkedin.com/company/coalindialtd/

2. कंपनी की उपस्थिति कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देखी जा सकती है

कंपनी उपभोक्ताओं को अपने उत्पादों और सेवाओं के सुरक्षित और जिम्मेदारीपूर्ण उपयोग के बारे में शिक्षित करने के लिए नियमित बैठकें आयोजित करती है। ये बैठकें उपभोक्ताओं को बहुमूल्य जानकारी और मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए मंच के रूप में काम करती हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि वे समझें कि कंपनी की पेशकशों का उपयोग सुरक्षा और जिम्मेदारी को प्राथमिकता देने वाले तरीके से कैसे किया जाए। इन शैक्षणिक सत्रों का संचालन करके, कंपनी का लक्ष्य सूचित उपभोक्ता व्यवहार की संस्कृति को बढ़ावा देना और अपने उत्पादों और सेवाओं के इष्टतम उपयोग को बढ़ावा देना है।

3. उपभोक्ताओं को आवश्यक सेवाओं में व्यवधान/रुकावट होने के किसी भी जोखिम के बारे में सूचित करने के लिए क्या तंत्र मौजूद हैं।

4. क्या इकाई उत्पाद से संबंधित जानकारी के अतिरिक्त स्थानीय कानूनों के अनुसार क्या अनिवार्य है इसकी जानकारी प्रदर्शित करती है? (हां/नहीं/लागू नहीं) यदि हां, तो संक्षेप में विवरण प्रदान करें। क्या आपकी इकाई ने इकाई के प्रमुख उत्पादों/सेवाओं, इकाई के संचालन के महत्वपूर्ण स्थानों या संपूर्ण इकाई से संबंधित उपभोक्ता संतुष्टि के संबंध में कोई सर्वेक्षण किया है? (हां नहीं)

प्रेषण के समय ग्राहक को प्रदान किए गए चालान में कोयले की विशिष्टताओं का उल्लेख किया जाता है।

जी हाँ

5. डेटा उल्लंघन से संबंधित निम्नलिखित जानकारी प्रदान करें:

क. प्रभाव सहित डेटा उल्लंघनों के मामलों की संख्या

शून्य

ख. ग्राहक की व्यक्तिगत पहचान योग्य जानकारी से जुड़े डेटा उल्लंघनों का प्रतिशत

शून्य

स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरण

तुलन-पत्र – एकल

		टिप्पण सं.	31-03-2023	31-03-2022	(₹ करोड़ में)
परिसंपत्ति					
गैर चालू परिसंपत्तियाँ					
(क) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण		03	440.98	420.74	
(ख) पूर्जीगत चालू कार्य		04	108.73	53.02	
(ग) अन्वेषण और मूल्यांकन परिसंपत्तियाँ		05	-	2.56	
(घ) अमूर्त संपत्ति		6.1	112.76	2.14	
(ङ) विकास के दौर में अमूर्त संपत्ति		6.2	-	105.14	
(च) वित्तीय परिसंपत्ति	(i) निवेश	07	13,824.44	13,157.90	
	(ii) ऋण	08	0.02	0.03	
	(iii) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	09	5,434.46	5,147.08	
(छ) अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियाँ		10	42.80	46.80	
कुल गैर-चालू परिसंपत्ति (ए)			19,964.19	18,935.41	
चालू संपत्ति					
(क) सूची		12	20.55	13.16	
(ख) वित्तीय संपत्ति	(i) निवेश	07	38.23	247.36	
	(ii) व्यापार प्राप्य	13	3.57	2.36	
	(iii) नकद और नकद समकक्ष	14	167.09	631.32	
	(iv) अन्य बैंक शेष	15	1,007.80	158.15	
	(v) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	09	972.70	1,032.88	
(ग) चालू कर संपत्ति (शुद्ध)			861.50	1,081.90	
(घ) अन्य चालू संपत्ति		11	395.05	337.76	
कुल चालू संपत्ति (बी)			3,466.49	3,504.89	
कुल संपत्ति (ए+बी)			23,430.68	22,440.30	
इकिटी और देयता					
हिस्सेदारी					
(क) इकिटी शेयर पूँजी		16	6,162.73	6,162.73	
(ख) अन्य इकिटी		17	10,543.72	10,195.22	
कुल इकिटी (ए)			16,706.45	16,357.95	
देयताएं					
गैर चालू देनदारियाँ					
(क) वित्तीय देनदारियाँ	(i) ऋण	18	-	-	
	(ii) अन्य वित्तीय देनदारियाँ	20	41.42	55.77	
(ख) प्रावधान		21	197.21	226.22	
(ग) आस्थगित कर देनदारियाँ			29.94	24.52	
(घ) अन्य गैर-चालू देनदारियाँ		22	5,772.86	5,402.48	
कुल गैर-चालू देनदारियाँ (बी)			6,041.43	5,708.99	
चालू देनदारियाँ					
(क) वित्तीय देनदारियाँ	(i) उधार	18	-	-	
	(ii) व्यापार देय	19			
	(I) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की कुल बकाया; और		0.29	-	
	(II) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों का कुल बकाया		64.91	70.63	
	(iii) अन्य वित्तीय देनदारियाँ	20	273.12	106.83	
(ख) अन्य चालू देनदारियाँ		23	189.76	102.25	
(ग) प्रावधान		21	154.72	93.65	
कुल चालू देनदारियाँ (सी)			682.80	373.36	
कुल इकिटी और देनदारियाँ (ए+बी+सी)			23,430.68	22,440.30	

संलग्न टिप्पण संख्या 1 से 38 तक एकल वित्तीय विवरण का एक अभिन्न अंग है।

बोर्ड की ओर से संलग्न हमारी रिपोर्ट के अनुसार

लोढ़ा एंड कंपनी के लिए

चार्टर्ड अकाउंटेंट

फर्म पंजीकरण संख्या 301051ई

आरपी सिंह

साझेदार

सदस्यता संख्या 052438

दिनांक: 07 मई, 2023

स्थान: शिलांग

(प्रमोद अग्रवाल)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
डीआईएन- 00279727

(सुनील कुमार मेहता)
कार्यकारी निदेशक (वित्त)/सीएफओ

(देवाशीष नंदा)
निदेशक (व्यवसाय विकास/वित्त)
डीआईएन- 09015566

(बीपी दुबे)
कंपनी सचिव

लाभ और हानि का विवरण – एकल

(₹ करोड़ में)

	टिप्पणी सं.	31-03-2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31-03-2022 को समाप्त वर्ष के लिए
संचालन से राजस्व (लेवी का शुद्ध)			
क.	बिक्री	24	659.27 0.84
ख.	अन्य परिचालन राजस्व		1291.24 1131.08
(I)	संचालन से राजस्व (लेवी का शुद्ध) (ए+बी)		1950.51 1131.92
(II)	अन्य कमाई	25	14552.63 10935.62
(III)	कुल आय (I+II)		16,503.14 12,067.54
	खर्च		
	प्रयुक्त सामग्री की लागत	26	4.87 1.19
	स्टॉक-इन-ट्रेड की खरीद		469.74 -
	तैयार माल की सूची में परिवर्तन, स्टॉक-इन-ट्रेड और वर्क-इन-प्रोग्रेस	27	(7.32) (11.99)
	कर्मचारी लाभ व्यय	28	421.48 438.84
	बिजली व्यय		7.40 8.42
	कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय	29	128.93 77.64
	मरम्मत	30	17.94 18.14
	संविदात्मक व्यय	31	47.29 7.64
	वित्त लागत	32	1.92 1.50
	मूल्यहास, परिशोधन और हानि व्यय	35.2	42.94 20.83
	प्रावधानों	33	1.43 -
	राइट ऑफ / खारिज करना	34	- 0.03
	अन्य खर्च	35.1	273.01 148.46
(IV)	कुल खर्च		1,409.63 710.70
(V)	कर पूर्व लाभ (III-IV)		15,093.51 11,356.84
(VI)	कर व्यय	36	
	चालू कर		285.78 158.31
	आस्थगित कर		5.42 (3.04)
	कुल कर व्यय		291.20 155.27
(VII)	वर्ष के लिए लाभ (V-VI)		14,802.31 11,201.57
(VIII)	अन्य व्यापक आय		
	(i) वे मर्दे जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा	37	(167.60) 60.23
	(ii) उन मर्दों से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		42.18 (15.16)
	कुल अन्य व्यापक आय		(125.42) 45.07
(IX)	कुल व्यापक आय (VII+VIII) (वर्ष के लिए लाभ और अन्य व्यापक आय मिलाकर)		14,676.89 11,246.64
(X)	प्रति इक्विटी शेयर आय (अंकित मूल्य य 10 प्रत्येक)		
	(1) बुनियादी		24.02 18.18
	(2) मंदित		24.02 18.18

ईपीएस की गणना के लिए टिप्पण 38(7)(सी) देखें

संलग्न टिप्पण संख्या 1 से 38 तक एकल वित्तीय विवरण का एक अभिन्न अंग है।

बोर्ड की ओर से संलग्न हमारी रिपोर्ट के अनुसार

लोढ़ा एंड कंपनी के लिए

चार्टर्ड अकाउंटेंट

फर्म पंजीकरण संख्या 301051

आरपी सिंह

साझेदार

सदस्यता संख्या 052438

दिनांक: 07 मई, 2023

स्थान: शिलांग

(प्रमोद अग्रवाल)

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

डीआईएन- 00279727

(सुनील कुमार मेहता)

कार्यकारी निदेशक (वित्त)/सीएफओ

(देवाशीष नंदा)

निदेशक (व्यवसाय विकास/वित्त)

डीआईएन- 09015566

(बीपी दुबे)

कंपनी सचिव

इकिटी के परिवर्तनों का कथन

ए. इकिटी शेयर पूँजी

31-03-2023 तक

विवरण	पर के रूप में संतुलन 01-04-2022	वर्तमान अवधि के दौरान इकिटी शेयर पूँजी में परिवर्तन	(₹ करोड़ में) पर के रूप में संतुलन 31-03- 2023 तक
	6,16,27,28,327 इकिटी शेयर, प्रत्येक ₹10/-	6162.73	-

31-03-2022 तक

विवरण	पर के रूप में संतुलन 01-04-2021	वर्तमान अवधि के दौरान इकिटी शेयर पूँजी में परिवर्तन	(₹ करोड़ में) पर के रूप में संतुलन 31-03- 2022 तक
	6,16,27,28,327 इकिटी शेयर, प्रत्येक ₹10/-	6,162.73	-

बी. अन्य इकिटी

विवरण	आरक्षित और अधिशेष				कुल
	पूँजी मोचन आरक्षित	सामान्य रिजर्व	प्रतिधारित कर्माई	परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्माप (कर का शुद्ध) - (ओसीआई)	
01-04-2022 तक शेष राशि	1,057.81	4,276.95	4,841.93	18.53	10,195.22
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	-	-	14,802.31	(125.42)	14,676.89
अंतरिम लाभांश	-	-	(12479.57)	-	(12479.57)
अंतिम लाभांश	-	-	(1848.82)	-	(1848.82)
जनरल रिजर्व में/से स्थानांतरण	-	26.80	(26.80)	-	0.00
31-03-2023 तक शेष राशि	1,057.81	4,303.76	5,289.05	(106.89)	10,543.72

इक्विटी के परिवर्तनों का कथन

बी. अन्य इक्विटी (जारी...)

(₹ करोड़ में)

विवरण	आरक्षित और अधिशेष				कुल
	पूंजी मोचन आरक्षित	सामान्य रिजर्व	प्रतिधारित कमाई	परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्माप (कर का शुद्ध) – (ओसीआई)	
01-04-2021 तक शेष राशि	1,057.81	4,257.61	5,300.10	(26.54)	10,588.98
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	-	-	11,201.57	45.07	11,246.64
अंतरिम लाभांश	-	-	(8627.82)	-	(8627.82)
अंतिम लाभांश	-	-	(2156.97)	-	(2156.97)
जनरल रिजर्व में/से स्थानांतरण	-	19.34	(19.34)	-	-
वर्ष के दौरान समायोजन	-	-	(855.61)	-	(855.61)
31-03-2022 तक शेष राशि	1,057.81	4,276.95	4,841.93	18.53	10,195.22

लाभांश और आरक्षित एवं अधिशेष की प्रकृति और उद्देश्य के लिए नोट 17 देखें।

संलग्न टिप्पणि संख्या 1 से 38 तक एकल वित्तीय विवरण का एक अभिन्न अंग है।

बोर्ड की ओर से संलग्न हमारी रिपोर्ट के अनुसार

लोढ़ा एंड कंपनी के लिए

चार्टर्ड अकाउंटेंट

फर्म पंजीकरण संख्या 301051ई

आरपी सिंह

साझेदार

सदस्यता संख्या 052438

दिनांक: 07 मई, 2023

स्थान: शिलांग

(प्रमोद अग्रवाल)

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

डीआईएन- 00279727

(देवाशीष नंदा)

निदेशक (व्यवसाय विकास/वित्त)

डीआईएन- 09015566

(बीपी दुबे)

कंपनी सचिव

(सुनील कुमार मेहता)

कार्यकारी निदेशक (वित्त)/सीएफओ

नकदी प्रवाह का विवरण – एकल

	(₹ करोड़ में)	
	31-03-2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31-03-2022 को समाप्त वर्ष के लिए
प्रचालनीय गतिविधियों से प्राप्त नकद प्रवाह		
कर पूर्व लाभ	15093.51	11356.84
निम्न के लिए समायोजन:		
मूल्यहास, परिशोधन और हानि व्यय	42.94	20.83
निवेश से आय	(144.62)	(37.08)
लाभांश आय	(14265.71)	(10701.58)
उचित मूल्य परिवर्तन	0.50	(113.11)
अनुषंगी कंपनियों में निवेश की बिक्री पर आय	0.00	-
वित्त लागत	1.92	1.50
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की बिक्री पर हानि	0.18	8.09
देयता/प्रावधान बट्टे खाते में डाला गया (शुद्ध)	(0.25)	(52.42)
राइट ऑफ	-	0.03
व्यापार प्राप्त और अग्रिम के लिए भत्ता	1.43	-
कार्यशील पूँजी में परिवर्तन से पहले परिचालन लाभ	729.90	483.10
निम्न के लिए समायोजन:		
व्यापार प्राप्तियां	(1.21)	9.63
इन्वेंट्री	(7.39)	(12.16)
ऋण और अग्रिम तथा अन्य परिसंपत्तियाँ	46.04	1,620.50
वित्तीय और अन्य देनदारियाँ	472.30	538.58
व्यापार देनदारियां	(5.43)	(30.96)
संचालन से सृजित नकदी	1,234.21	2,608.69
आयकर (भुगतान)	(23.20)	(378.69)
परिचालन गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह	(ए)	1,211.01
निवेशगत गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की खरीद	(119.66)	(186.48)
संपत्ति संयंत्र और उपकरण की बिक्री से आय	0.24	0.02
अन्वेषण और मूल्यांकन परिसंपत्ति में वृद्धि	0.00	-
बैंक जमा में (निवेश) / आय।	(1136.74)	(655.77)
म्यूचुअल फंड में (निवेश) / आय।	222.55	(163.61)
अनुषंगी कंपनियों में (निवेश) / आय।	-	(0.62)
संयुक्त उद्यम में इकिटी में निवेश के लिए भुगतान	(666.54)	(767.65)
निवेश से प्राप्त ब्याज	87.27	25.06
म्यूचुअल फंड से आय	0.00	-
अनुषंगी कंपनियों से प्राप्त लाभांश	14265.71	10,701.58
निवेशगत गतिविधियों से शुद्ध नकदी	(बी)	12652.83
वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
इकिटी शेयरों पर लाभांश का भुगतान	(14328.07)	(10783.37)
वित्तीय गतिविधियों में उपयोग की जाने वाली शुद्ध नकदी	(सी)	(14328.07)
नकद और नकद समतुल्य में शुद्ध वृद्धि/(कमी) (ए+बी+सी)	(464.23)	399.16
वर्ष की शुरुआत में नकद और नकद समतुल्य	631.32	232.16
वर्ष के अंत में नकद और नकद समतुल्य (टिप्पण 14 देखें)	167.09	631.32

नकदी प्रवाह का विवरण – एकल

(₹ करोड़ में)

नकद और नकद समकक्षों के घटक

	31-03-2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31-03-2022 को समाप्त वर्ष के लिए
बैंक में शेष राशि		
- जमा खातों में	142.50	462.84
- ब्याज वहन (सीएलटीडी खाता आदि)	11.00	3.98
- गैर ब्याज वहन	2.07	2.50
- नकद ऋण खातों में	0.69	0.96
प्राथमिक डीलरों के पास आईसीडी	-	159.78
अन्यई-प्रोक्योरमेंट खाता/जीईएम खाता/अग्रिम शेष	10.83	1.26
कुल	167.09	631.32

- नकदी प्रवाह का उपरोक्त विवरण इंडस्ट्रीज़ 7 – मनकदी प्रवाह का विवरणफ में निर्धारित अप्रत्यक्ष विधि के अनुसार तैयार किया गया है।
- कंपनी ने 31-03-2023 को समाप्त वर्ष के दौरान कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय (सीएसआर) मद में ₹42.04 करोड़ (टिप्पण संख्या 29 देखें) खर्च किए हैं (पिछले वर्ष ₹ 77.64 करोड़)
- ऐसी कोई अनाहरित उधार सुविधा नहीं है जो भविष्य की परिचालन गतिविधियों के लिए और पूंजीगत प्रतिबद्धताओं को निपटाने के लिए उपलब्ध हो, जो इन सुविधाओं के उपयोग पर किसी भी प्रतिबंध का संकेत देती है।

संलग्न टिप्पण संख्या 1 से 38 तक एकल वित्तीय विवरण का एक अभिन्न अंग है।

बोर्ड की ओर से संलग्न हमारी रिपोर्ट के अनुसार

लोढ़ा एंड कंपनी के लिए

चार्टर्ड अकाउंटेंट

फर्म पंजीकरण संख्या 301051ई

आरपी सिंह

साझेदार

सदस्यता संख्या 052438

(प्रमोद अग्रवाल)

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

डीआईएन- 00279727

(देवाशीष नंदा)

निदेशक (व्यवसाय विकास/वित्त)

डीआईएन- 09015566

दिनांक: 07 मई, 2023

स्थान: शिलांग

(सुनील कुमार मेहता)

कार्यकारी निदेशक (वित्त)/सीएफओ

(बीपी दुबे)

कंपनी सचिव

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ (स्टैंडअलोन)

क. कॉर्पोरेट जानकारी

कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) ("कंपनी") भारत में स्थित तथा शेरों द्वारा सीमित एक महारत्न कंपनी है। कंपनी के शेयर भारत में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड (बीएसई) पर सूचीबद्ध तथा ट्रेड किए जाते हैं। कंपनी के पंजीकृत कार्यालय का पता- कोल भवन, परिसर संख्या 04 एमएआर, प्लॉट संख्या-एफ-III, एक्शन एरिया-1ए, न्यू टाउन, राजरहाट, कोलकाता- 700156 है।

कंपनी मुख्य रूप से कोयला खनन तथा उत्पादन कार्य में संलग्न है, तथा कोयला वॉशरीज भी संचालित करती है। कंपनी के प्रमुख उपभोक्ता बिजली और इस्पात क्षेत्र हैं। अन्य क्षेत्रों के उपभोक्ताओं में सीमेंट, उर्वरक, ईंट भट्टियां इत्यादि शामिल हैं।

भारत में कोल इंडिया लिमिटेड की दस पूर्ण स्वामित्व वाली अनुबंधी कंपनियां तथा सात स्टेप-डाउन अनुबंधी कंपनियां हैं जिनमें से सात अनुबंधी कंपनियां कोयला उत्पादन कर रही हैं, एक अनुबंधी कंपनी खान योजना, डिजाइन एवं संबंधित परामर्श सेवाओं में संलग्न है और दो अनुबंधी कंपनियां सौर मूल्य श्रृंखला (इंगोट-वेफर-सेल मॉड्यूल) और नवकरणीय ऊर्जा व्यवसाय के निर्माण में रत हैं। सीआईएल की मोजाम्बिक में एक पूर्ण स्वामित्व वाली खनन कंपनी भी है, जिसका नाम मकोल इंडिया अफ्रीकाना लिमिटेड अफ्रीका है, जिसका संचालन अभी शुरू होना शेष है। कंपनी संयुक्त उद्यम व्यवस्था के माध्यम से कुछ उद्यमों में भी संलग्न है।

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण को कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा 07 मई, 2023 को जारी करने के लिए अनुमोदित किया गया।

ख. अनुपालन विवरण तथा मौजूदा लेखांकन घोषणाएँ

i) अनुपालन का विवरण

ये स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण को कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 133 के साथ पठित कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 (संशोधित) के तहत अधिसूचित भारतीय लेखा मानक ("इंड एएस" के रूप में संदर्भित) के अनुसार तैयार किए गए हैं। वित्तीय विवरण अधिकृत होने तक इंड एएस को जारी, अधिसूचित और प्रभावी बनाया गया है तथा इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने के उद्देश्य से इनका उपयोग किया गया है।

इन लेखांकन नीतियों को निरंतर प्रयुक्त किया जाता है, सिवाय इसके कि जहां नवीन जारी किए गए लेखांकन मानक को प्रारंभ में अपनाया जाता है या मौजूदा लेखांकन मानक में संशोधन के लिए अब तक उपयोग में आने वाली लेखांकन नीति में बदलाव की आवश्यकता होती है।

ii) नये एवं संशोधित मानकों का अनुप्रयोग:

01 अप्रैल, 2022 से प्रभावी, कंपनी ने मौजूदा इंड एएस में संशोधन को अधिसूचित करते हुए कंपनी (भारतीय लेखा मानक) संशोधन नियम, 2022 के माध्यम से संशोधन को लागू किया है। कंपनी के परिचालन से संबंधित सीमा तक ये संशोधन इंड एएस 16 "संपत्ति, संयंत्र और उपकरण" से संबंधित थे जो स्पष्ट

करते हैं कि परीक्षण की लागत से अधिक उत्पादित वस्तुओं की शुद्ध बिक्री आय की अधिकता, यदि कोई हो, को लाभ या हानि में मान्यता नहीं दी जाएगी लेकिन संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की किसी वस्तु की लागत के हिस्से के रूप में मान्य की जाने वाली प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी लागतों जो इंड एएस 37 "प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक संपत्ति" से कटौती की जाएगी जो निर्दिष्ट करते हैं कि एक अनुबंध को मपूरा करने की लागतफ में मलागतफ शामिल है जो सीधे अनुबंध से संबंधित हैफ़ा किसी अनुबंध को पूरा करने (उदाहरण प्रत्यक्ष श्रम, सामग्री होंगे) की वृद्धिशील लागत हो सकती हैं या अन्य लागतों का आवंटन जो सीधे अनुबंधों (उदाहरण के तौर पर अनुबंध को पूरा करने में उपयोग की जाने वाली संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की किसी वस्तु के लिए मूल्यहास शुल्क का आवंटन होगा) को पूरा करने से संबंधित हैं।

इसके साथ ही इंड एएस 101 "भारतीय लेखा मानकों को प्रथम बार अपनाना", इंड एएस 103 "व्यावसायिक संयोजन", इंड एएस 109 "वित्तीय साधन", और इंड एएस 41 "कृषि" सहित विभिन्न मानकों में अन्य संशोधन भी किये गये जिन्हें यहां ऊपर सूचीबद्ध नहीं किया गया है वे कंपनी के लिए प्रासंगिक नहीं हैं।

इन मानकों में संशोधन से वर्ष के लिए लाभ/हानि और प्रति शेयर कमाई पर कोई भौतिक प्रभाव नहीं पड़ा।

iii) मौजूदा लेखांकन घोषणाएँ

31 मार्च, 2023 को कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) ने कंपनी (भारतीय लेखा मानक) संशोधन नियम, 2023 के माध्यम से मौजूदा इंड एएस में कुछ संशोधन किए हैं। इन संशोधनों में कंपनी के परिचालन से संबंधित सीमा तक इंड एएस 1 "वित्तीय विवरणों का प्रकटीकरण" में संशोधन शामिल है, जिसमें संस्थाओं को अपनी महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के अलावा भौतिक लेखांकन नीतियों का प्रकटीकरण आवश्यक है, इंड एएस 8 "लेखा नीतियां, लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन और त्रुटियां" जिसने मलेखा अनुमानफ की एक परिभाषा पेश की है और इसमें संस्थाओं को लेखांकन नीतियों में परिवर्तन को लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन से अलग करने में मदद करने के लिए संशोधन शामिल हैं। तत्पश्चात भौतिक लेखांकन नीतियों की अवधारणा में, इंड एएस 107 "वित्तीय उपकरण: प्रकटीकरण" तथा इंड एएस 34 "अंतरिम वित्तीय रिपोर्टिंग" में भी परिणामी संशोधन किए गए।

इसके अलावा विभिन्न मानकों में अन्य संशोधन जैसे इंड एएस 101 "भारतीय लेखा मानकों को पहली बार अपनाना", इंड एएस 103 "व्यावसायिक संयोजन", इंड एएस 109 "वित्तीय उपकरण", इंड एएस 115 "ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व" तथा इंड एएस 12 "आय कर" भी शामिल हैं, जिसने प्रारंभिक मान्यता छूट के दायरे को सीमित कर दिया है ताकि यह उन लेनदेन पर लागू न हो जो समान और अस्थायी अंतर को दूर करते हैं तथा इंडस्ट्रीज 102 "शेयर-आधारित भुगतान" को जन्म देते हैं जिन्हें यहां ऊपर सूचीबद्ध नहीं किया गया है क्योंकि ये कंपनी के लिए प्रासंगिक नहीं हैं।

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ (स्टैंडअलोन)

हालांकि कंपनी उपरोक्त के प्रभाव का मूल्यांकन करेगी, इनमें से कोई भी संशोधन महत्वपूर्ण प्रकार के नहीं है और इसका कंपनी के वित्तीय विवरणों पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।

नोट 2: महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ

2.1 वित्तीय विवरणों की तैयारी का आधार

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण कुछ वित्तीय उपकरणों को छोड़कर उपार्जन आधार पर ऐतिहासिक लागत समापेलन के तहत तैयार किए गए हैं, जिन्हें प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में परिशोधन लागत या उचित मूल्य पर प्रासंगिक इंड एएस के संदर्भ में मापा जाता है।

ऐतिहासिक लागत समापेलन आम तौर पर वस्तुओं और सेवाओं के बदले दिए गए प्रतिफल के उचित मूल्य पर आधारित होता है।

कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा उस प्राथमिक आर्थिक वातावरण की मुद्रा के रूप में निर्धारित की जाती है जिसमें वह संचालित होती है। स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण भारतीय रूपये में प्रस्तुत किए गए हैं तथा सभी मूल्यों को दो दशमलव अंक तक मकरोड़ रूपये में फ़तक पूर्णांकित किया गया है।

2.2 चालू तथा गैर-चालू वर्गीकरण

तुलन पत्र में कंपनी की वर्तमान परिसंपत्तियाँ एवं देयताएं चालू/गैर-चालू वर्गीकरण पर आधारित हैं। परिसंपत्ति को कंपनी द्वारा चालू के रूप में तभी माना जाता है जब :

- (क) अपने सामान्य परिचालन आवर्तन में संपत्ति प्राप्ति की उम्मीद हो, या इसे बेचने या उपभोग करने की अपेक्षा रखता हो;
- (ख) प्राथमिक रूप से व्यापार उद्देश्य के लिए संपत्ति रखी गई है;
- (ग) रिपोर्टिंग अवधि के बाद बारह महीनों के भीतर परिसंपत्ति के प्राप्त होने की उम्मीद है; या
- (घ) परिसंपत्ति नकद या नकदी समतुल्य है (जैसा कि भारतीय लेखा मानक 07 में परिभाषित) जब तक कि रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम बारह महीनों के लिए परिसंपत्ति के आदान-प्रदान या दायित्व तय करना प्रतिबंधित हो। अन्य सभी परिसंपत्तियों को गैर-चालू के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

देयताओं को कंपनी द्वारा चालू के रूप में माना जाता है जब:

- (क) देयता को सामान्य परिचालन चक्र में निपटान करने की उम्मीद हो;
- (ख) देयता को मुख्य रूप से व्यापार के प्रयोजन हेतु रखा गया है;
- (ग) रिपोर्टिंग अवधि के बाद बारह महीनों के भीतर देयता व्यवस्थित किए जाने की उम्मीद हो; या
- (ঢী) देयता का निपटान रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम बारह महीने के लिए स्थगित करने का शर्तविहीन अधिकार ना हो (प्रतिपक्ष के विकल्प पर, देयता की शर्तों को एकटी इन्स्ट्रूमेंट्स के परिणाम से निपटान इसके वर्गीकरण को प्रभावित नहीं कर सकते।

अन्य सभी देनदारियों को गैर-चालू के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

कंपनी द्वारा किए जा रहे व्यवसाय की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, कंपनी ने परिसंपत्तियों और देनदारियों के चालू और गैर-चालू वर्गीकरण के उद्देश्य से अपने परिचालन चक्र को बारह महीने के रूप में सुनिश्चित किया है।

2.3 राजस्व मान्यता

ग्राहकों से अनुबंध द्वारा राजस्व

ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व को तब मान्य किया जाता है जब वस्तु या सेवाओं का नियंत्रण ग्राहक को ऐसी राशि पर हस्तांतरित किया जाता है जो उस प्रतिफल को दर्शाता है जिस पर कंपनी को उन वस्तुओं या सेवाओं के बदले में स्वत्वाधिकारी होने की उम्मीद है। कंपनी का आम तौर पर यह निष्कर्ष है कि यह राजस्व प्रबंध का सिद्धांत है, क्योंकि यह वस्तु या सेवाओं को ग्राहक को हस्तांतरित करने से पूर्व नियंत्रित करता है।

राजस्व को ग्राहक के साथ अनुबंध में निर्दिष्ट प्रतिफल के आधार पर मापा जाता है जिसमें तृतीय पक्ष की ओर से एकत्र की गई राशि को शामिल नहीं किया जाता है। विक्रय से प्राप्त राजस्व को तब मान्यता दी जाती है जब किसी उत्पाद या सेवा पर नियंत्रण स्थानांतरित कर दिया जाता है और/या उत्पादों/सेवाओं को ग्राहकों तक पहुंचाया/प्रदान किया जाता है। आपूर्ति तब मान्य की जाती है जब उत्पाद को विशिष्ट स्थान पर भेज दिया गया हो या वितरित कर दिया गया हो, जैसा भी मामला हो और ग्राहक ने या तो अनुबंध के अनुसार उत्पादों को स्वीकार कर लिया है या कंपनी के पास पर्याप्त सबूत है कि स्वीकृति के लिए सभी मानदंड संतुष्ट हैं। एकत्र किए गए रिटर्न, बटृटा तथा छूट, यदि कोई हों, तो विक्रय से काट लिए जाते हैं।

इंड एएस 115 में सिद्धांतों को निम्नलिखित पांच चरणों का उपयोग करके लागू किया जाता है:

चरण 1: अनुबंध की पहचान:

कंपनी ग्राहक के साथ अनुबंध केवल तभी करती है जब निम्नलिखित सभी मानदंडों को पूरा किया जाता है:

- क) अनुबंध के पक्षकारों ने अनुबंध को मंजूरी दे दी है और इससे संबंधित दायित्वों को निभाने के लिए प्रतिबद्ध हैं;
- ख) कंपनी हस्तांतरित किए जाने वाले वस्तु या सेवाओं के विषय में प्रत्येक पक्षों के अधिकारों को स्पष्ट कर सकती है;
- ग) कंपनी को हस्तांतरित की जाने वाली वस्तुओं या सेवाओं के लिए भुगतान की शर्तों को स्पष्ट कर सकती है;
- घ) अनुबंध में वाणिज्यिक तत्व (जैसे जोखिम, समयावधि या कंपनी के भविष्य के नकदी प्रवाह की राशि अनुबंध के परिणामस्वरूप बदलने की उम्मीद है); तथा
- ঢ.) यह संभव है कि कंपनी ग्राहक को हस्तांतरित की जाने वाली वस्तुओं या सेवाओं के बदले प्रतिफल को ध्यान में रखेगी जिसके लिए वह हकदार होगा। प्रतिफल की वह राशि जिस पर कंपनी का हक होगा, यदि प्रतिफल परिवर्तनशील है तो वह

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ (स्टैंडअलोन)

अनुबंध में बताई गई कीमत से कम हो सकता है क्योंकि कंपनी ग्राहक को मूल्य रियायत, छूट, बट्टा, धनवापसी, क्रेडिट या प्रोत्साहन, निष्पादन बोनस या इसी तरह की वस्तुओं की पेशकश कर सकती है।

संविदा का संयोजन

कंपनी दो या दो से अधिक अनुबंधों का संयोजन एक ही ग्राहक के साथ एक ही समय में (या ग्राहक के संबंधित पक्ष) में करती है जब अनुबंध में एकल अनुबंध के लिए निम्नलिखित एक या अधिक मानदंडों को प्राप्त किया जाता है:

क) अनुबंधों को एक एकल वाणिज्यिक उद्देश्य के साथ एक पैकेज के रूप में तय किया गया है;

ख) एक अनुबंध में भुगतान की जाने वाली प्रतिफल की राशि की मात्रा दूसरे अनुबंध की कीमत या निष्पादन पर निर्भर करती है; या

ग) अनुबंधों में स्वीकार्य वस्तु या सेवाएं (या प्रत्येक अनुबंध में स्वीकार्य कुछ वस्तु या सेवाएं) एक एकल निष्पादन दायित्व हैं।

अनुबंध संशोधन

कंपनी एक अलग अनुबंध के रूप में एक अनुबंध संशोधन तब करती है जब निम्नलिखित दोनों स्थितियां मौजूद हैं:

क)- विशिष्ट स्वीकार्य वस्तुओं और सेवाओं के जुड़ाव के कारण अनुबंध के क्षेत्र में वृद्धि होने तथा

ख)- प्रतिफल की मात्रा से अनुबंध की कीमत में वृद्धि कंपनी की अतिरिक्त स्वीकार्य कीमतों और सेवाओं की एकल बिक्री के मूल्यों को दर्शाती है तथा विशेष अनुबंध की परिस्थितियों को प्रकट कर उस मूल्य हेतु उपयुक्त समायोजन करती है।

चरण 2: निष्पादन दायित्वों की स्पष्टता:

अनुबंध के प्रारंभ में, कंपनी ग्राहक के साथ अनुबंध में स्वीकार्य वस्तुओं या सेवाओं का आकलन करती है तथा इनमें से ग्राहक को हस्तांतरित प्रत्येक स्वीकार्यता/वादा को एक निष्पादन दायित्व के रूप में स्पष्ट करती है जिसमें:

क) एक वस्तु या सेवा (या वस्तुओं या सेवाओं का एक समूह) जो विशिष्ट है;

ख) विशिष्ट वस्तुओं या सेवाओं की एक श्रृंखला जो काफी हद तक एक समान है तथा जिसमें ग्राहक को स्थानांतरण की समान श्रृंखला होती है।

चरण 3: लेन-देन मूल्य का निर्धारण

कंपनी लेन-देन की कीमत निर्धारित करने हेतु अनुबंध की शर्तों और उसके प्रथागत व्यवसाय प्रथाओं पर विचार करती है। लेन-देन की कीमत वह प्रतिफल राशि है, जिसमें कंपनी को उम्मीद है कि ग्राहक को स्वीकार्य वस्तुओं या सेवाओं को हस्तांतरित करने के बदले में, तीसरे पक्ष की ओर से एकत्र की गई राशियों को छोड़कर हकदार होगा। ग्राहक के साथ अनुबंध में स्वीकार्य प्रतिफल में निश्चित राशियाँ,

चर राशियाँ या दोनों शामिल हो सकते हैं।

लेनदेन मूल्य निर्धारित करते समय, कंपनी निम्नलिखित में से सभी प्रभावों पर विचार करती है:

- चर प्रतिफल;
- चर प्रतिफल के बाधित अनुमान;
- महत्वपूर्ण वित्तीय तत्वों का समावेश;
- गैर - नकद प्रतिफल;
- ग्राहक को देय प्रतिफल।

बट्टा, छूट, रिफंड, क्रेडिट, मूल्य रियायतें, प्रोत्साहन, निष्पादन बोनस, या अन्य समान वस्तुओं के कारण प्रतिफल की राशि भिन्न हो सकती है। यदि कंपनी के हक में प्रतिफल भविष्य की घटना या गैर-घटना के कारण आकस्मिक है तब भी स्वीकार्य प्रतिफल भिन्न हो सकता है।

कुछ अनुबंधों में, जुर्माना निर्दिष्ट है। ऐसे मामलों में, अनुबंध के तत्व के अनुसार जुर्माना की गणना की जाती है। जहां लेनदेन मूल्य के निर्धारण में जुर्माना निहित है, यह चर प्रतिफल का हिस्सा बनता है।

कंपनी लेन-देन मूल्य में कुछ या सभी अनुमानित चर प्रतिफल की राशि को केवल उस हद तक शामिल करती है जब यह अत्यधिक संभावना है कि मान्य संचयी राजस्व की राशि में तब तक कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं होगा जब तक कि चर प्रतिबंध से जुड़ी अनिश्चितता हल नहीं हो जाती।

अनुबंध के प्रारंभ पर, यदि उम्मीद है कि, कंपनी प्रतिफल की स्वीकार्य राशि को महत्वपूर्ण वित्तीय तत्व के प्रभावों हेतु समायोजित नहीं करती है, तब वह किसी ग्राहक को स्वीकार्य वस्तु या सेवा के स्थानांतरण तथा जब ग्राहक उस वस्तु या सेवा के लिए भुगतान करता है तो उस बीच की अवधि एक वर्ष या उससे कम होगी।

यदि कंपनी ग्राहक से प्रतिफल प्राप्त करती है और ग्राहक को उस प्रतिफल का कुछ या सभी को वापस करने की अपेक्षा करती है, तब कंपनी वापसी दायित्व को स्वीकार करती है। धनवापसी दायित्व को प्राप्त (या प्राप्त) प्रतिफल की मात्रा पर मापा जाता है जिसके लिए कंपनी को हकदार होने की उम्मीद नहीं है (जोकि वह राशि जो लेनदेन मूल्य में शामिल नहीं है)। वापसी दायित्व (तथा तदनुरूप लेनदेन की कीमत में परिवर्तन, एवं इसलिए, अनुबंध देशता) को परिस्थितियों में परिवर्तन के लिए प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अपडेट किया जाता है।

अनुबंध के प्रारंभ के बाद, लेन-देन की कीमत विभिन्न कारणों से बदल सकती है, जिसमें अनिश्चित घटनाओं के समाधान या परिस्थितियों में अन्य परिवर्तन शामिल हैं जो उस प्रतिफल की राशि को बदलती हैं, जो कंपनी को स्वीकार्य वस्तु या सेवाओं के बदले में हकदार होने की उम्मीद है।

चरण 4: लेनदेन की कीमत का निर्धारण:

लेन-देन का मूल्य निर्धारण करते समय कंपनी का उद्देश्य प्रत्येक निष्पादन दायित्व हेतु लेनदेन मूल्य निर्धारण करने (या विशिष्ट वस्तु

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ (स्टैंडअलोन)

या सेवा) के लिए उस प्रतिफल राशि से होता है, जिसे कंपनी ग्राहक को स्वीकार्य वस्तु या सेवाओं को स्थानांतरित करने के बदले में प्राप्त किए जाने की अपेक्षा रखती है।

प्रत्येक निष्पादन दायित्व के लेनदेन मूल्य का निर्धारण, संबंधित एकल विक्रय मूल्य आधार पर करने हेतु, कंपनी अनुबंध के प्रारंभ में प्रत्येक निष्पादन दायित्व को अंतर्निहित करते हुए विशिष्ट वस्तु या सेवा का एकल विक्रय मूल्य का निर्धारण करती है तथा उन एकल विक्रय मूल्यों के अनुपात में लेनदेन मूल्य का निर्धारण करती है।

चरण 5: राजस्व मान्यता :

कंपनी जब (या के रूप में) ग्राहक को स्वीकार्य वस्तु या सेवा का हस्तांतरण के निष्पादन दायित्व पूर्ण करती है तब कंपनी राजस्व तब मान्य करती है। वस्तु या सेवा तब हस्तांतरित होती है जब (या के रूप में) ग्राहक उस वस्तु या सेवा पर नियंत्रण प्राप्त करता है।

कंपनी वस्तु या सेवा का नियंत्रण अधिसमय में स्थानांतरित करती है, और निष्पादन दायित्व पूर्ण कर तथा अधिसमय में राजस्व तब मान्य करती है, जब निम्नलिखित मानदंडों को पूरा किया जाता है:

- क) कंपनी निष्पादन के रूप में, साथ ही कंपनी निष्पादनों द्वारा ग्राहक लाभों को प्राप्त करता है और उपभोग करता है;
- ख) कंपनी का निष्पादन परिसंपत्ति सृजित या वृद्धि करती है जिसे ग्राहक सृजित या वृद्धि संपत्ति के रूप में नियंत्रित करता है;
- ग) कंपनी के वैकल्पिक उपयोग के तौर पर कंपनी का निष्पादन संपत्ति नहीं बनाता है तथा तब तक के पूर्ण निष्पादन हेतु कंपनी को भुगतान लागू करने योग्य अधिकार है।

कंपनी अधिसमय में पूर्ण प्रत्येक निष्पादन दायित्व की प्रगति को मापने के लिए एक एकल पद्धति लागू करती है और कंपनी उस पद्धति को समान निष्पादन दायित्वों और समान परिस्थितियों में लगातार लागू करती है। प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में, कंपनी अधिसमय में तुष्ट निष्पादन दायित्व की पूर्ण संतुष्टि की दिशा में अपनी प्रगति को फिर से मापती है।

कंपनी अनुबंध के तहत स्वीकार्य शेष वस्तु या सेवाओं के सापेक्ष उक्त तिथी पर ग्राहक को स्थानांतरित वस्तुओं या सेवाओं के मूल्य के प्रत्यक्ष माप के आधार पर राजस्व मान्यता हेतु उत्पाद पद्धति लागू करती है। उत्पाद पद्धति में निष्पादन के सर्वेक्षण से लेकर आज तक पूर्ण किए गए परिणाम, प्राप्त परिणामों के मूल्यांकन, प्राप्त उपलब्धियां, समय समापन तथा उत्पादित इकाइयाँ या प्रेषित इकाइयाँ शामिल हैं।

अधिसमय में जब परिस्थिती परिवर्तित होती है, कंपनी निष्पादन दायित्व के परिणाम में किसी भी परिवर्तन को दर्शाने के लिए प्रगति माप को अद्यतन करती है। कंपनी की प्रगति के माप में इस तरह के बदलावों को भारतीय लेखा मानक 8, लेखांकन नीतियों, लेखांकन अनुमानों और त्रुटियों में परिवर्तन के अनुसार लेखांकन अनुमान में परिवर्तन के रूप में जाना जाता है।

कंपनी अधिसमय में पूर्ण निष्पादन दायित्व के लिए राजस्व को केवल तभी मान्य करती है, यदि कंपनी ने निष्पादन दायित्व की पूर्णता की दिशा में अपनी प्रगति की माप यथोचित रूप से की है। जब (या में) एक निष्पादन दायित्व पूर्ण होता है, जब कंपनी लेनदेन मूल्य की राशि

को राजस्व के रूप में मान्य करती है (जिसमें चर दायित्व के अनुमानों को शामिल नहीं किया जाता है जो उस निष्पादन दायित्व के लिए आवंटित होता है।

यदि कोई निष्पादन दायित्व अधिसमय में पूर्ण नहीं होता है, तो कंपनी एक समय बिंदु में निष्पादन दायित्व को पूर्ण करती है। उस समय बिंदु को निर्धारित करने जिस पर एक ग्राहक एक वस्तु या सेवा का नियंत्रण प्राप्त करता है तथा कंपनी प्रदर्शन दायित्व को पूर्ण करती है, कंपनी नियंत्रण हस्तांतरण के संकेतकों पर विचार करती है, जिसमें शामिल हैं, लेकिन निम्नलिखित तक सीमित नहीं हैं:

- क) कंपनी को वस्तु या सेवा के भुगतान का वर्तमान अधिकार है;
- ख) ग्राहक को वस्तु या सेवा प्राप्ती के लिए कानूनी हक है;
- ग) कंपनी ने वस्तु या सेवा के भौतिक कब्जे को स्थानांतरित कर दिया है;
- घ) ग्राहकों को वस्तु या सेवा के स्वामित्व हेतु महत्वपूर्ण जोखिम और पुरस्कार हैं;
- ड.) ग्राहक ने वस्तु या सेवा को स्वीकार कर लिया है।

जब अनुबंध की प्रत्येक पक्ष ने निष्पादन किया हो, जिसे कंपनी ने अनुबंध को बैलेंस शीट में अनुबंध संपत्ति या अनुबंध देयता के रूप में प्रस्तुत किया है, जोकि कंपनी के निष्पादन तथा ग्राहक के भुगतान के बीच संबंध पर निर्भर करता है। कंपनी अन्य प्राप्य के रूप में स्वीकार करने के लिए कोई शर्तरहित अधिकार प्रस्तुत करती है।

अनुबंध संपत्ति:

अनुबंध संपत्ति एक ऐसे प्रतिफल का अधिकार है, जो ग्राहक से वस्तुओं या सेवाओं के हस्तांतरण के बदले में प्राप्त होता है। यदि कंपनी ग्राहक से प्रतिफल या भुगतान देय के पहले वस्तु या सेवाओं को ग्राहक को हस्तांतरित करता है, तो अनुबंध परिसंपत्ति अर्जित विचार के लिए मान्यता प्राप्त है।

व्यापार प्राप्तियाँ:

प्राप्तियाँ कंपनी के उस प्रतिफल राशि के अधिकार को प्रस्तुत करता है जो शर्तविहिन है (जिसमें, देय प्रतिफल का भुगतान से पूर्व केवल समय व्यतीत होना आवश्यक है)।

अनुबंध देयताएं:

अनुबंध देयता एक ऐसा कर्तव्य है जो ग्राहक को वस्तु या सेवाओं को स्थानांतरित करना है जिसके लिए कंपनी को ग्राहक से प्रतिफल (या प्रतिफल राशि देय है) प्राप्त हुआ है। यदि कोई ग्राहक कंपनी को वस्तु या सेवाओं को हस्तांतरित करने से पूर्व प्रतिफल भुगतान करता है, तब अनुबंध देयता को मान्यता दी जाती है जब भुगतान किया गया है या देय है (इनमें से जो भी पहले हो)। अनुबंध देनदारियों को राजस्व के रूप में मान्यता दी जाती है जब कंपनी अनुबंध के तहत निष्पादन करती है।

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ (स्टैंडअलोन)

ब्याज

किसी वित्तीय परिसंपत्ति से ब्याज आय को तब मान्यता दी जाती है जब यह संभव हो कि आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त होंगे और आय की मात्रा को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है। ब्याज आय समय के आधार पर, बकाया मूलधन के संदर्भ में और लागू प्रभावी ब्याज दर पर अर्जित की जाती है जो वह दर है जो वित्तीय परिसंपत्ति के अपेक्षित जीवन के माध्यम से अनुमानित भविष्य की नकद प्राप्तियों को प्रारंभिक मान्यता पर उस परिसंपत्ति की शुद्ध वहन राशि से बिल्कुल छूट देती है।

लाभांश

निवेशों से लाभांश आय को मान्यता तब दी जाती है। जब भुगतान प्राप्त करने के अधिकार स्थापित हो जाता है।

अन्य दावों

अन्य दावों से प्राप्त (ग्राहकों से देरी से प्राप्त होने पर ब्याज सहित) को भी हिसाब में रखा जाता है, जहाँ इनकी प्राप्ति निश्चित हो तथा इसको समुचित मापा जा सकता है।

2.4 सरकार से अनुदान

सरकारी अनुदानों को तब तक मान्यता नहीं दी जाती है, जब तक कि इन्हाँ आश्वासन नहीं मिल जाए कि कंपनी इनसे जुड़ी शर्तों का पालन करेगी और इन्हाँ निश्चित रहे कि अनुदान अवश्य मिलेगा।

सरकारी अनुदानों को लाभ एवं हानि विवरण में व्यवस्थित तरीके से उन अवधियों के लिए किया जाता है, जिनके दौरान कंपनी संबंधित लागत को व्यय के तौर पर मानती है, जिनके अनुपूरण के लिए अनुदान दिया गया हो।

परिसंपत्तियों से जुड़े सरकारी अनुदानों को तुलन-पत्र में अनुदान को स्थिरित आय के तौर पर प्रस्तुत किया जाता है तथा लाभ एवं हानि विवरण में परिसंपत्ति के जीवनकाल में व्यवस्थित तरीके से प्रदर्शित किया जाता है।

आय से जुड़े अनुदानों (अर्थात् - परिसंपत्ति के अलावा अन्य अनुदान) को लाभ एवं हानि विवरण के अंश में झ़अन्य आयफ के मद में प्रस्तुत किया जाता है।

कोई सरकारी अनुदान / सहायता, जो कि व्ययों अथवा हानियों के अनुपूरण के तौर पर कंपनी को दी जा रही तात्कालिक वित्तीय सहायता के तौर पर हो, जिससे भविष्य में कोई भी लागत जुड़ी नहीं हो, उसे लाभ एवं हानि विवरण में उस अवधि के लिए स्वीकृति दी जाती है, जब यह प्राप्त हो जाए।

प्रोमोटर के अंशदान के तौर पर प्राप्त सरकारी अनुदान या अनुदान को सीधे झ़पूंजी कोषफ में प्रदर्शित किया जाता है, जो कि “शेयरधारकों के कोषफ का एक अंश होता है।

2.5 पट्टे

कोई अनुबंध, या शामिल, ऐसा पट्टा जिसमें अनुबंध यदि प्रतिफल प्राप्ति हेतु किसी समयावधी के लिए विनिमय पर चिन्हित परिसंपत्ति के उपयोग को नियंत्रित करने के अधिकार को प्रदर्शित करता है।

2.5.1 पट्टेदार के रूप में कंपनी

अनुबंध की शुरुआत में कंपनी यह आकलन करती है कि अनुबंध में पट्टा शामिल है या नहीं। कोई अनुबंध, या शामिल, ऐसा पट्टा जिसमें अनुबंध यदि प्रतिफल प्राप्ति हेतु किसी समयावधी के लिए विनिमय पर चिन्हित परिसंपत्ति के उपयोग को नियंत्रित करने के अधिकार को प्रदर्शित करता है। यह मूल्यांकन करने के लिए कि क्या कोई अनुबंध किसी चिन्हित परिसंपत्ति के उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार देता है, कंपनी मूल्यांकन करती है कि क्या:

- (i) अनुबंध में चिन्हित परिसंपत्ति का उपयोग शामिल है
- (ii) कंपनी को पट्टे की अवधि के दौरान परिसंपत्ति के उपयोग से सभी आर्थिक लाभ प्राप्त हुए हैं
- (iii) कंपनी को परिसंपत्ति के उपयोग को निर्देशित करने का अधिकार है।

आरंभ की तिथि पर, एक पट्टाग्राही लागत पर परिसंपत्ति के उपयोग के अधिकार को मान्यता देगा तथा पट्टा भुगतान के वर्तमान मूल्य पर एक पट्टा देयता जिसे सभी पट्टों के लिए उस तिथि पर भुगतान नहीं किया गया है यद्यपि लीज अवधि 12 महीने या उससे कम या अंतर्निहित परिसंपत्ति कम मूल्य की है।

तदुपरांत, परिसंपत्ति के उपयोग के अधिकार को लागत मॉडल का उपयोग कर मापा जाता है, जहाँ, लीज देनदारी पर ब्याज को प्रकट कर, वहन राशि को बढ़ाकर पट्टा देयता को मापा जाता है, प्रदत्त पट्टे के भुगतान को प्रकट करने के लिए वहन राशि को कम कर तथा किसी भी पुनर्मूल्यांकन या पट्टे संशोधनों को प्रकट करने के लिए वहन राशि का पुनः मापन किया जाता है।

पट्टा दायित्व को प्रारंभ में भावी पट्टा भुगतान के वर्तमान मूल्य पर, परिशोधन लागत पर मापा जाता है। पट्टे के भुगतान में पट्टे में निहित ब्याज दर का उपयोग करके या, यदि आसानी से निर्धारित नहीं किया जा सकता है, तो इन पट्टों की वृद्धिशील ऋण दरों का उपयोग करके छूट दी जाती है। यदि कंपनी अपने मूल्यांकन में बदलाव करती है कि वह विस्तार या समाप्ति विकल्प का प्रयोग करेगी तो पट्टे की देनदारियों को संपत्ति के उपयोग के संबंधित अधिकार के अनुरूप समायोजन के साथ पहले से मापा जाता है। लीज देनदारी और आरओयू परिसंपत्ति को बैलेंस शीट में अलग से प्रस्तुत किया जाता है और लीज भुगतान को वित्तीय नकदी प्रवाह के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। पट्टा देयता दायित्वों को “वित्तीय देयताएं” शीर्षक के अंतर्गत अलग से प्रस्तुत किया गया है।

वित्त प्रभार को लाभ और हानि विवरण में वित्त लागतों में मान्य किया जाता है, यद्यपि अन्य लागू मानकों को प्रयुक्त कर लागतों को अन्य परिसंपत्ति की वहन राशि में शामिल किया जाता है।

संपत्ति के उपयोगी जीवन परिसंपत्ति उपयोग का अधिकार मूल्यहास है, पट्टा अवधि के अंत परयदि पट्टादाता परिसंपत्ति के स्वामित्व को पट्टेदार को हस्तांतरित करता है यदि परिसंपत्ति उपयोग के अधिकार लागत को दर्शाता है तब पट्टेदार खरीद विकल्प का प्रयोग करेगा। अन्यथा, पट्टेदार परिसंपत्ति का उपयोग करने की

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ (स्टैंडअलोन)

प्रारंभ तिथि से संपत्ति के उपयोग अधिकार के जीवन के अंत से पहले या पट्टे की अवधि के अंत तक के लिए मूल्यहास करेगा।

2.5.2 पटादाता के रूप में कम्पनी

परिसंपत्तियों को वित्त पट्टे या परिचालन पट्टे के रूप में पट्टे पर दिया जाता है।

वित्त पट्टा: एक पट्टे को वित्त पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि यह अंतर्निहित परिसंपत्ति के स्वामित्व के लिए प्रासंगिक सभी जोखिमों और पुरस्कारों को पर्याप्त रूप से स्थानांतरित करता है। प्रारंभ में, वित्त पट्टे के अधीन रखी गई संपत्ति को बैलेंस शीट में मान्यता दी जाती है और पट्टे में शुद्ध निवेश के बराबर राशि पर प्राप्त के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। पट्टे में कंपनी के शुद्ध निवेश पर रिटर्न की निरंतर आवधिक दर को प्रतिबिंबित करने वाले पैटर्न के आधार पर, वित्त आय को पट्टे की अवधि में मान्य किया जाता है।

परिचालन पट्टा: ऐसा पट्टा जिसे वित्त पट्टे के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है वह एक परिचालन पट्टा है। कंपनी परिचालन पट्टों पर दी गई संपत्तियों के मामले में पट्टे के भुगतान को सीधी रेखा के आधार पर आय के रूप में मान्यता देती है।

2.6 बिक्री के लिए धारित गैर-चालू परिसम्पत्तियाँ

कम्पनी द्वारा गैर-चालू परिसम्पत्तियों और (या निपटान समूहों) में वर्गीकृत है, जो कि बिक्री के लिए रखे गए हों, यदि उन पर धारणीय रकमें मूल तौर पर उपयोग करते रहने के स्थान पर बिक्री के माध्यम से प्राप्त हो सकें। बिक्री को पूरा करने के लिए कार्यों से पता चलना चाहिए कि बिक्री में महत्वपूर्ण बदलाव होंगे या फिर बिक्री करने के निर्णय को वापस लिया जाता है। प्रबंधन को श्रेणीकरण के एक वर्ष के भीतर ही अपेक्षित बिक्री के लिए संकलिप्त होना चाहिए।

इन उद्देश्यों के लिए, जब विनिमय में वाणिज्यिक तत्व होता हो, तो बिक्री संबंधी लेनदेन में चिह्नित गैर-चालू परिसम्पत्तियों की अन्य गैर-चालू परिसम्पत्तियों से अदला-बदली को भी शामिल किया जाता है। बिक्री के लिए रखी गई शर्तों की पूर्ति तभी होती है, जबकि परिसम्पत्ति और (या निपटान समूहों) की उसी स्थिति में बिक्री के लिए तत्काल उपलब्ध हो, जिसके लिए शर्त वैसी ही हों, जैसी कि सामान्यतया हुआ करती हैं और ऐसी स्थिति में बिक्री की सम्भावना अधिक होती है और बिक्री अवश्य होगी, रद्द नहीं होगी। कम्पनी द्वारा परिसम्पत्ति या निपटारे-योग्य समूह की सम्भावना को अधिक तभी माना जाता है, जब:

- Ø प्रबंधन का समुचित स्तर परिसम्पत्ति या (निपटारे-योग्य समूह) की बिक्री की योजना के प्रति संकलिप्त हो,
- Ø किसी क्रेता को चिह्नित करने तथा योजना को पूरा करने हेतु सक्रिय योजना प्रारम्भ की गई हो,
- Ø परिसम्पत्ति या (निपटारे-योग्य समूह) की बिक्री सक्रियतापूर्वक ऐसे मूल्य पर की जा रही हो, जो कि इसके वर्तमान मूल्य की तुलना में उचित है,
- Ø श्रेणीकरण की तिथि से एक वर्ष के अंदर ही बिक्री की प्रक्रिया को पूर्ण होने हेतु की मान्यता मिल जाएगी, तथा

- Ø योजना को पूरा करने हेतु आवश्यक कार्य यह दर्शाते हों कि योजना में महत्वपूर्ण परिवर्तन या फिर योजना को रद्द करने की सम्भावनाएँ नहीं हैं।

विक्रय हेतु धारित वर्गीकृत गैर-चालू परिसंपत्ति या निपटान समूहों को विक्रय लागत घटाकर बहन राशि और उचित मूल्य के न्यूनतम भाग पर मापा जाता है।

2.7 सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण (पीपीई)

पीपीई मद को एक परिसंपत्ति के रूप में मान्यता दी जाती है यदि यह संभावना है कि उस वस्तु से जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त होंगे और वस्तु की लागत को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है।

पीपीई को प्रारंभ में जहां भी आवश्यक हो, डिकमीशनिंग या पुनर्स्थापन लागत सहित अधिग्रहण/निर्माण की लागत पर मापा जाता है। भूमि की लागत में वे व्यय शामिल होते हैं जो सीधे तौर पर भूमि के अधिग्रहण जैसे पुनर्वास व्यय, पुनर्वास लागत और संबंधित विस्थापित व्यक्तियों के लिए रोजगार के बदले में मुआवजा आदि से जुड़े होते हैं।

चिह्नित किए जाने के बाद, अन्य सभी सम्पत्ति, संयंत्र या उपकरण में से कोई एक मद के लिए कॉस्ट मॉडल के अनुसार इस पर लगे मूल्यहास एवं एकत्रित हानि को घटा कर इसकी लागत का निर्धारण किया जाता है। सम्पत्ति, संयंत्र या उपकरण के किसी मद की लागत हेतु विचारणीय होते हैं:

(क) इसका क्रय मूल्य, आयात शुल्क व गैर-वापसी योग्य क्रय शुल्क सहित, ट्रेड डिस्काउन्ट एवं छूट को घटाने के बाद।

(ख) परिसम्पत्ति को वर्तमान स्थल तक प्रबंधन की मंशानुसार उपयुक्त चालानीय स्थिति में लाने से संबंधित कोई भी सीधा व्यय।

(ग) इसके पहले के स्थान से खोलने एवं हटाने तथा वर्तमान स्थल पर लाकर पुनर्स्थापित करने से संबंधित प्राथमिक आंकलन, जिसके लिए कम्पनी व्यय-भार को क्रय के समय या फिर किसी अवधि विशेष में, भण्डार उत्पादन के अलावा, उपयोग करने के लिए बहन करती है।

(घ) अर्हक परिसंपत्तियों के निर्माण के वित्तपोषण के लिए उपयोग की गई उधार राशि पर व्याज को परिसंपत्ति की लागत के हिस्से के रूप में तब तक पूँजीकृत किया जाता है जब तक कि परिसंपत्ति अपने इच्छित उपयोग के लिए अनुकूल न हो जाए।

सम्पत्ति, संयंत्र या उपकरण के किसी मद के प्रत्येक विशेष अंश, जिसकी लागत उस मद से अलग तौर पर विशेष प्रकार से मूल्यहासित होती है। फिर भी, पीपीई के किसी मद के विशेष अंशों को, यदि उनकी उपयोगी जीवनावधि बराबर ही हो, तो उन्हें मूल्यहास शुल्क के आंकलन हेतु एकीकृत किया जाता है।

दैनिक सेवाएँ, जैसे कि - मरम्मत एवं अनुरक्षण के लिए हुए व्ययों को लाभ एवं हानि विवरण में उनके घटने की अवधि के अनुसार ही दर्शाया जाता है।

किसी सम्पत्ति, संयंत्र या उपकरण के किसी मद के पुर्जों के बदलाव के कारण कुल लागत पर पड़े विशेष प्रभाव को उस मद पर धारित रकम

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ (स्टैंडअलोन)

के तौर पर स्वीकृति दी जाती है, यदि इस मद से संबंधित भविष्य के आर्थिक लाभ कम्पनी को प्राप्त हों और मद की लागत को सही तरह से आंका जा सके। बदले गए इन पुर्जों (पार्ट्स) की अग्रेषित रकम को कम्पनी की निम्नलिखित अस्वीकरण नीति के अनुसार अस्वीकृत किया जाता है।

जब प्रमुख जाँच की जाती है, तो किसी मद के लिए धारित रकम को सम्पत्ति, संयंत्र या उपकरण के लिए बदलाव के मद में स्वीकृत किया जाता है, यदि इस मद से संबंधित भविष्य के लाभ कम्पनी को प्राप्त हों और इस मद की लागत को सही तरह से आंका जा सके। पहले की जाँच के अनुसार बकाया किसी अन्य अग्रेषित लागत की रकम (भौतिक पुर्जों से अलग) को अस्वीकृत किया जाता है।

सम्पत्ति, संयंत्र या उपकरण के किसी मद को निपटारे के बाद तब अस्वीकृत किया जाता है जबकि इन परिसम्पत्तियों के निरंतर प्रयोग से कम्पनी को किसी आर्थिक लाभ की प्राप्ति की आशा नहीं हो। सम्पत्ति, संयंत्र या उपकरण के किसी आइटम की ऐसी अस्वीकृति से उत्पन्न किसी लाभ या हानि को लाभ एवं हानि के विवरण में प्रदर्शित किया जाता है।

फ्रीहोल्ड भूमि को छोड़कर संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर मूल्यहास, संपत्ति के अनुमानित उपयोगी जीवन पर सीधी रेखा के आधार पर लागत मॉडल के अनुसार प्रदान किया जाता है:

अन्य भूमि

(लीजहोल्ड भूमि सहित) : परियोजना का जीवन या लीज अवधि, जो भी कम हो

बिलिंग	: 3-60 वर्ष
सड़कें	: 3-10 वर्ष
दूरसंचार	: 3-9 वर्ष
रेलवे साइडिंग	: 15 वर्ष
संयंत्र एवं उपकरण	: 5-30 वर्ष
कंप्यूटर और लैपटॉप	: 3 वर्ष
कार्यालय उपकरण	: 3-6 वर्ष
फर्नीचर और फिक्सचर	: 10 वर्ष
वाहन	: 8-10 वर्ष

तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर प्रबंधन मानता है कि उपरोक्त जीवनकाल उस अवधि का सर्वश्रेष्ठ चित्रण करता है, जिसके दौरान प्रबंधन उन परिसम्पत्तियों का उपयोग करने की आशा करता है। अतः, परिसम्पत्तियों का उपयोगी जीवनकाल कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची खख के पार्ट ग से भिन्न भी हो सकता है।

प्रत्येक वित्त वर्ष के अंत में परिसम्पत्तियों के उपयोगी जीवनकाल की समीक्षा की जाती है।

सम्पत्ति, संयंत्र या उपकरण का शेष मूल्य उसके मूल मूल्य के 5% के बराबर माना जाता है। कोल टब, वाइंडिंग रोप्स, स्टोरिंग पाइप्स एवं सेप्टी लैप्सों आदि, जिनके जीवनकाल का आंकलन तकनीकी तौर पर उपयोगिता के लिए केवल एक वर्ष और शेष मूल्य शून्य माना जाता है।

वर्ष के दौरान जोड़ी गई / निपटाई गई परिसम्पत्ति पर मूल्यहास को यथानुपात (प्रो-राटा) आधार पर जोड़े जाने / निपटाए जाने के महीने

के अनुसार प्रावधानित किया जाता है।

कोयला धारक क्षेत्र (अधिग्रहण एवं विकास) (सीबीए) अधिनियम, 1957, भूमि अधिनियम, 1994, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना में उचित मुआवज़ा एवं पारदर्शिता (आरएफसीटीएलएआर) अधिनियम, 2013, सरकारी भूमि के दीर्घावधि स्थानांतरण आदि के तहत “अन्य भूमिका मूल्य, जो कि शेष जीवनकाल के साथ-साथ घटता रहे; तथा पट्टे की भूमि के मामले में ऋण-शोधनसे हुई मूल्य में इस प्रकार की कमी, पट्टे की अवधि या शेष जीवनकाल, जो भी कम हो, के आधार पर आंका जाता है।

पूर्णतया ऋण-शोधित परिसम्पत्तियाँ, जिन्हें सक्रिय उपयोग से सेवानिवृत्त किया गया हो, उनका खुलासा अलग से सर्वेक्षण की गई परिसम्पत्तियों के तौर पर किया जाता है, क्योंकि इनके शेष मूल्य का सम्पत्ति, संयंत्र या उपकरण के मद में विच्छेद किए जाने हेतु परीक्षण किया जाता है।

कुछ परिसम्पत्तियों के निर्माण / विकास हेतु किए गए पूंजीगत व्यय, जो कि उत्पादन, सामग्रियों की आपूर्ति या कम्पनी की किसी परिसम्पत्ति तक पहुँच के लिए आवश्यक हों, उन्हें सम्पत्ति, संयंत्र या उपकरण के तहत सशक्तिकारक परिसम्पत्ति के तौर पर चिह्नित किया जाता है।

इंड एस्स में रूपांतरण

कम्पनी ने कॉस्ट मॉडल के अनुसार मूल्य अग्रेषण (अपने वित्तीय विवरणों में, विगत जीएएपी के अनुसार नापे गए स्वीकृत सम्पत्ति, संयंत्र या उपकरण के लिए इंड एस्स में रूपांतरण की तिथि तक) करना स्वीकार किया था।

2.8 खान बंदी, स्थल पुनर्स्थापना एवं कार्यच्युतीकरण दायित्व

भूमि पुनर्प्राप्ति एवं संरचनाओं के कार्यच्युतीकरण (डीकमीशनिंग) के लिए खान मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से प्राप्त दिशानिर्देशों के अनुसार खुली एवं भूमिगत खदानों के लिए व्यय करना कम्पनी के दायित्वों में है। कम्पनी द्वारा खान बंदी, स्थल पुनर्स्थापना एवं कार्यच्युतीकरण के लिए अपने दायित्व का अनुमान, भविष्य में होने वाले आवश्यक कार्य के लिए नकद रकम एवं समय के व्यय लिए किए गए गहन गणना एवं तकनीकी आंकलन के द्वारा किया जाता है। खान बंदी के कार्य हेतु व्यय का प्रावधान अनुमोदित खान-बंदी योजना के अनुसार किया जाता है। व्ययों के अनुमानमें मूल्यवृद्धि के अनुसार वृद्धि की जाती है और फिर उसमें काम के समय मुद्रा के मूल्य एवं जोखिमों के अनुसार बाजारी दरों को प्रदर्शित स्थिति के अनुसार छूट आदि पर विचार किया जाता है, जो कि उन दायित्वों के निपटारे के लिए आवश्यक हों। अंतिम पुनर्प्राप्ति एवं खानबंदी के दायित्व के लिए कम्पनी संबंधित परिसम्पत्ति को चिह्नित कर रिकॉर्ड कर लेती है। यह दायित्व एवं संबंधित परिसम्पत्ति, उस दायित्व के रहने की अवधि के लिए चिह्नित किए जाते हैं। कुल स्थल पुनर्स्थापना व्यय (सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इंस्टिट्यूट लिमिटेड द्वारा अनुमानित) के अनुसार की परिसम्पत्ति को खान बंदी योजना के अनुसार एक अलग पीपीई मद के रूप में चिह्नित किया जाता है और इसे परियोजना / खान के जीवनकाल में क्रमानुसार मूल्यहासित किया जाता है।

प्रावधान के मूल्य को समय के साथ-साथ बढ़ाया जाता है, क्योंकि छूट का प्रभाव होने लगता है; जिससे वित्तीय व्ययों के रूप में व्यय का सूजन होता है।

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ (स्टैंडअलोन)

इसके अलावा, अनुमोदित खानबंदी योजना के अनुसार, इसके लिए एक अलग इस्को खाता रखा जाता है।

सकल खानबंदी के दायित्व के एक अंश के तौर पर, प्रगतिशील खानबंदी हेतु हुए वर्षावर व्यय को तौर पर इस्को खाते से प्राप्य माना जाता है और फिर उस वर्ष में हुए व्यय के लिए निकाली गई रकम को प्रमाणीकरण एंजेंसी द्वारा सत्यापन किए जाने के बाद इसका समायोजन किया जाता है।

2.9 अन्वेषण एवं मूल्यांकन परिसम्पत्तियाँ

अन्वेषण एवं मूल्यांकन परिसम्पत्तियों में वो पूँजीकृत मूल्य होते हैं, जो कि कोयले एवं संबंधित संसाधनों के लिए चिह्नित संसाधनों के लिए की गई खोज के लिए किए गए होते हैं, जिनके तकनीकी औचित्य एवं वाणिज्यिक लाभकारिता का आंकलन बाकी हो। इनमें निम्न के अलावा शामिल हैं :

- अन्वेषण के अधिकार का अधिग्रहण ;
- ऐतिहासिक अन्वेषण के आंकड़ों पर अनुसंधान एवं विश्लेषण;
- स्थालाकृति, भू-रासायनिक एवं भूभौतिकी अध्ययनों के माध्यम से गवेषणा के आंकड़ों को एकत्रित करना;
- अन्वेषणात्मक ड्रिलिंग, खाई बनाना (ट्रेनिंग) एवं नमूनाकरण;
- संसाधन के आयतन एवं वर्ग का निर्धारण एवं परीक्षण;
- परिवहन एवं आधारभूत संरचनाओं संबंधी आवश्यकताओं का सर्वेक्षण;
- विपणन एवं वित्त संबंधी अध्ययन करना।

उपरोक्त में कर्मचारियों के पारिश्रमिक, सामग्रियों एवं प्रयोग किए गए ईंधन का मूल्य, ठेकेदारों को भुगतान आदि शामिल हैं।

चूंकि भविष्य के उपयोग हेतु कुल अपेक्षित स्पर्शनीय हुए व्यय एवं उससे प्राप्ति की तुलना में, अस्पर्शनीय मूल्य का अंश नगण्य / अविवेच्य है, ऐसे व्ययों को अन्य पूँजीगत अन्वेषण व्ययों के साथ अन्वेषण एवं मूल्यांकन परिसम्पत्ति के मद में लेखांकित किया जाता है।

तकनीकी व्यवहार्यता का निर्धारण लंबित होने तक परियोजना द्वारा अन्वेषण और मूल्यांकन लागत को परियोजना के आधार पर पूँजीकृत किया जाता है और परियोजना की वाणिज्यिक व्यवहार्यता और गैर-चालू परिसंपत्तियों के तहत एक अलग लाइन आइटम के रूप में प्रकट किया गया है। उन्हें बाद में लागत से घटाकर संचित हानि/प्रावधान पर मापा जाता है।

जब प्रमाणित भण्डारों का निर्धारण हो जाता है तथा खान/परियोजना के विकास के लिए अनुमति दे दी जाती है, अन्वेषण एवं मूल्यांकन परिसम्पत्तियों को चालू पूँजीगत कार्य के तहत “विकासफल मद में स्थानांतरित कर दिया जाता है। पर, यदि प्रमाणित भण्डार का निर्धारण नहीं किया गया हो, तो अन्वेषण एवं मूल्यांकन परिसम्पत्तियों को अस्वीकृत कर दिया जाता है।

2.10 विकास व्यय

जब प्रमाणित भण्डारों का निर्धारण हो जाता है तथा खान/परियोजना के विकास के लिए अनुमति दे दी जाती है, पूँजीकृत अन्वेषण एवं मूल्यांकन व्यय को निर्माणाधीन परिसम्पत्ति के तौर पर चिह्नित किया जाता है तथा चालू पूँजीगत कार्य के तहत एक अंश के तौर पर “विकासफल के मद में प्रदर्शित किया जाता है। अगले सभी विकास संबंधी व्ययों को भी पूँजीकृत किया जाता है। पूँजीकृत किया गया विकास व्यय विकास के दौरान प्राप्त कोयले की बिक्री से प्राप्त रकम से निवल होता है।

वाणिज्यिक प्रचालन

परियोजनाओं/खानों को राजस्व प्राप्ति के योग्य बनाया जाता है; जब किसी परियोजना/खान की वाणिज्यिक निष्पादन लगातार उत्पादन करने हेतु, परियोजना की रिपोर्ट में विशेष तौर पर उल्लिखित शर्तों के अनुसार या निम्नलिखित मापदंडों के अनुसार स्थापित होता है:

(क) अनुमोदित परियोजना रिपोर्ट में निर्धारित क्षमता के अनुसार, जब परियोजना द्वारा भौतिक उत्पादन के 25% स्तर को प्राप्त किया गया हो, उसके बाद प्रारम्भ होने वाले वित्त वर्ष के प्रारम्भ से, अथवा

(ख) कोयले तक पहुंचने के 2 वर्षों के अंदर, अथवा

(ग) वित्तीय वर्ष की शुरुआत से जिसमें उत्पादन का मूल्य कुल, खर्चों से अधिक है।

इनमें से जो भी पहले घट जाय;

राजस्व उत्पत्ति पर, पूँजीगत चालू कार्य के तहत परिसम्पत्तियों का सम्पत्ति, संयंत्र या उपकरण के एक अंश के रूप में “अन्य खनन मूल आधारभूत संरचनाएँकर के शीर्षक के तहत पुनर्वर्गीकरण किया जाता है। अन्य खनन मूल आधारभूत संरचनाओं का क्रण-शोधन उस खान के राजस्वीकरण से 20 वर्षों तक या फिर खान के जीवनकाल, इसमें से जो भी कम हो, के लिए किया जाता है।

2.11 अस्पर्शनीय परिसम्पत्तियाँ

प्रारंभिक लागत मान्यता पर अलग से अधिग्रहित अस्पर्शनीय परिसम्पत्तियों को मापा जाता है। लागत में परिसंपत्तियों को उसके इच्छित उपयोग के लिए तैयार करने के लिए आवश्यक प्रत्यक्ष रूप से लगा व्यय शामिल होता है। प्रारंभिक स्वीकृति के बाद, अमूर्त संपत्तियों को किसी भी संचित परिशोधन और संचित हानि से कम किमत पर ले जाया जाता है।

अमूर्त परिसंपत्ति के किसी मद को निपटान पर या उसके उपयोग या निपटान से भविष्य में कोई आर्थिक लाभ की उमीद नहीं होने पर अमान्य कर दिया जाता है। किसी अमूर्त संपत्ति की मान्यता अमान्य करने से होने वाले लाभ या हानि को शुद्ध निपटान आय और संपत्ति की बहन राशि के बीच अंतर के रूप में मापा जाता है और संपत्ति की मान्यता अमान्य होने पर लाभ और हानि के विवरण में दर्शाया जाता है।

आंतरिक स्तर पर उत्पादित अस्पर्शनीयों को, पूँजी विकास मूल्यों के अलावा, पूँजीकृत नहीं किया जाता है। इसके बदले में, संबंधित व्ययों

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ (स्टैंडअलोन)

को लाभ एवं हानि के विवरण तथा अन्य व्यापक आय के मद में व्यय होने की अवधि के रूप में प्रदर्शित किया जाता है।

अस्पर्शनीय परिसम्पत्तियों के उपयोगी जीवन का आंकलन या तो निश्चित या अनिश्चित के रूप में किया जाता है। निश्चित जीवनकाल वाली अस्पर्शनीय परिसम्पत्तियों की ऋणमुक्ति उनके उपयोगी जीवनकाल के लिए किया जाता है और यदि उसमें कहीं किसी प्रकार की हानि हुई हो, तो हानि का आंकलन किया जाता है। निश्चित जीवनकाल वाली उपयोगी अस्पर्शनीय परिसम्पत्तियोंकी ऋणमुक्ति अवधि एवं ऋणमुक्ति विधि की कम से कम प्रत्येक प्रतिवेदन की अवधि के अंत में समीक्षा की जाती है। यह माना जाता है कि अपेक्षित उपयोगी जीवनकाल में परिवर्तन या परिसम्पत्ति में निहित भविष्य के आर्थिक लाभ के खपत के अपेक्षित पैटर्न को ऋणमुक्ति की अवधि या विधि को परिवर्तित करते हैं, तथा इन्हें खातालेखन अनुपानों में परिवर्तन माना जाता है। सीमित जीवनकाल वाली अस्पर्शनीय परिसम्पत्तियों पर किए गए ऋणमुक्ति व्यय को लाभ एवं हानि खाते में प्रदर्शित किया जाता है।

असीमित जीवनकाल वाली अस्पर्शनीय परिसम्पत्तियों पर ऋणमुक्ति नहीं की जाती है, बल्कि इसे प्रत्येक प्रतिवेदन की तिथि पर हानि के लिए जाँचा जाता है।

बाहरी एजेंसियों (अर्थात् सीआईएल के लिए चिह्नित नहीं किए गए ब्लॉक के लिए) को बिक्री किए जाने के लिए चिह्नित समूह के तौर पर रखी गई गवेषणा एवं मूल्यांकन परिसम्पत्तियों को, अस्पर्शनीय परिसम्पत्ति के तौर पर वर्गीकृत किया जाता है तथा इनका निपटारे के लिए परीक्षण किया जाता है।

शोध पर होने वाले व्यय को उसके होने पर व्यय में शामिल किया जाता है। विकास पर व्यय को केवल तभी पूँजीकृत किया जाता है यदि व्यय को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है, उत्पाद या प्रक्रिया तकनीकी और व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य है, भविष्य में आर्थिक लाभ संभावित हैं और कंपनी विकास को पूरा करने और परिसंपत्ति का उपयोग करने या विक्रय के लिए पर्याप्त संसाधन चाहती है।

2.12 परिसम्पत्तियों की हानि (वित्तीय परिसम्पत्तियों के अलावा)

प्रत्येक प्रतिवेदन की अवधि के बाद कम्पनी आंकलन करती है कि क्या कोई ऐसा इंगित है कि किसी परिसम्पत्ति में कोई हानि हुई है या नहीं। यदि ऐसा कोई इंगित मिलता है, तो कम्पनी उस परिसम्पत्ति से बिक्री से उगाही-योग्य रकम का आंकलन करती है। यदि उस परिसम्पत्ति से बिक्री से उगाही-योग्य रकम के बारे में उस राजस्व-अर्जन करने की क्षमता से अधिक हो और बिक्री के समय व्ययों के बाद भी सही मूल्य प्राप्त हो, जब तक कि वह परिसम्पत्ति अन्य परिसम्पत्तियों एवं समूहों से अलग, स्वतंत्र तरीके से पर्याप्त राजस्व अर्जन नहीं करे, जिसके लिए उगाही-योग्य रकम के बारे में उस राजस्व-अर्जन करने वाली इकाई के बारे में विचार किया जाता है, जिसकी वो परिसम्पत्ति हो। हानि के परीक्षण के मामले में कम्पनी प्रत्येक खान को अलग-अलग राजस्व-अर्जन इकाई मानती है।

यदि किसी परिसम्पत्ति की उगाही योग्य रकम धारीत रकम से कम आकलित हो, तो उगाही-योग्य रकम को कम कर धारीत रकम के बराबर कर दिया जाता है तथा हानि को लाभ एवं हानि विवरण में प्रदर्शित किया जाता है।

2.13 सम्पत्ति निवेश

ऐसी सम्पत्ति (भूमि या भवन या फिर भवन का एक अंश या दोनों), जिसे किराया अर्जित करने या पूँजी में वृद्धि करने के लिए रखा गया हो, या फिर दोनों वजह से, ना कि उत्पादन करने या सामग्री की आपूर्ति करने या फिर प्रशासनिक उपयोग के लिए; या फिर सामान्य व्यवसाय के क्रम में बिक्री किए जाने के लिए, उसे निवेश सम्पत्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

सम्पत्ति निवेश को प्राथमिक स्तर पर इसके मूल्य, संबंधित लेनदेन के व्ययों सहित व जहाँ भी प्रयोग्य हो, ऋण मूल्यों सहित मूल्यांकन किया जाता है।

सम्पत्तियों के निवेश पर मूल्यहास उनके उपयोगी जीवनकाल हेतु सीधी-रेखा विधि से किया जाता है।

2.14 वित्तीय साधन

कोई वित्तीय साधन एक ऐसा अनुबंध होता है जो कि एक और किसी एक वित्तीय परिसम्पत्ति को जन्म देता है तथा दूसरी ओर दूसरे एक वित्तीय दायित्व या इकिटी प्रतिभूति की भी सृष्टि करता है।

2.14.1 वित्तीय परिसम्पत्तियाँ

2.14.1 प्रारम्भिक स्वीकृति एवं माप

सभी वित्तीय परिसम्पत्तियों को सर्वप्रथम उचित मूल्य पर स्वीकृति दी जाती है, विशेष कर उन मामलों में जहाँ वित्तीय परिसम्पत्तियों को लाभ या हानि, साथ में उसके अधिग्रहण के क्रम में लेनदेन के लिए किए गए मूल्यों सहित, उचित मूल्य पर नहीं लिखा गया हो। जिन मामलों में बाजार में (नियमित व्यापारिक तरीके से) निर्धारित प्रथा या नियम के अनुसार किसी निर्धारित अवधि में परिसम्पत्ति की डिलीवरी की जानी हो, उसके लिए वित्तीय सम्पत्ति के क्रय या विक्रय को व्यापार की तिथि पर स्वीकृति देती है, यथा – वह तिथि जब कम्पनी उस सम्पत्ति को क्रय या विक्रय करने का बचन देती है। हालाँकि, जिन व्यापार प्राप्त में कोई महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक नहीं होता है उन्हें लेनदेन मूल्य पर मापा जाता है।

2.14.2 आगामी माप

आगामी माप के लिए, वित्तीय परिसम्पत्तियों को चार वर्गों में वर्गीकृत किया गया है :

- ऋणमुक्ति मूल्य पर ऋण प्रतिभूतियाँ
- अन्य व्यापक आय (एफवीटीओसीआई) के माध्यम से उचित मूल्य पर ऋण प्रतिभूतियाँ
- लाभ या हानि (एफवीटीपीएल) के माध्यम से उचित मूल्य पर ऋण प्रतिभूतियाँ, डेराइवेटिव्स एवं इकिटी प्रतिभूतियाँ
- अन्य व्यापक आय (एफवीटीओसीआई) के अलावा उचित मूल्य पर नापी गई ऋण प्रतिभूतियाँ

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ (स्टैंडअलोन)

2.14.2.1 ऋणमुक्ति मूल्य पर ऋण प्रतिभूतियाँ

किसी ऋण प्रतिभूतिको ऋणमुक्ति मूल्य पर तब मापा जाता है, जब निम्नलिखित दोनों शर्तों की पूर्ति हो:

- क) उस परिसम्पत्ति को एक व्यावसायिक मॉडल में रखा गया हो, जिसका उद्देश्य अनुबंधीय नकद प्रवाह को एकत्रित करना है, तथा
- ख) परिसम्पत्तीय की अनुबंधीय शर्तें निर्दिष्ट तिथियों पर लागू होती हों, जो कि केवल बकाया मूलधन के भुगतान हेतु आंशिक मूल एवं ब्याज के भुगतान (एसपीआई) से संबंधित हों।

प्रारम्भिक नाप के बाद, ऐसी वित्तीय परिसम्पत्तियों को इसके बाद ऋणमुक्त मूल्य पर प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) विधि से नापा जाता है। ऋणमुक्त मूल्य की गणना अधिग्रहण हेतु प्राप्त किसी छूट या प्रियमियम एवं ईआईएल के अटूट अंग के तौर पर प्रयोग्य शुल्क या मूल्य को ध्यान में रख कर किया जाता है। ईआईआर ऋणमुक्ति को लाभ एवं हानि विवरण में वित्तीय आय में जोड़ा जाता है। अलगाव से होने वाली हानि को लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृति दी जाती है।

2.14.2.2 एफवीटीओसीआई पर ऋण प्रतिभूति

एफवीटीओसीआई पर किसी ऋण प्रतिभूतिको तब वर्गीकृत किया जाता है, जबकि निम्नलिखित दोनों शर्तों की पूर्ति हो :

- क) व्यावसायिक मॉडल की पूर्ति, अनुबंधीय नकद प्रवाह एकत्रीकरण तथा वित्तीय परिसम्पत्ति की बिक्री, दोनों द्वारा होती हो, तथा
- ख) परिसम्पत्ति का अनुबंधीय नकद प्रवाह एसपीआई का प्रतिनिधित्व करता हो।

एफवीटीओसीआई वर्ग में शामिल ऋण प्रतिभूतियों की नाप प्रारम्भ में तथा प्रत्येक प्रतिवेदन तिथि पर उचित मूल्य पर की जाती है। उचित मूल्यों का चलन अन्य व्यापक आयों (ओसीआई) में स्वीकृत होता है। पर, कम्पनी ब्याज की आय, विलगन हानि एवं वापसी तथा विदेशी मुद्रा विनियम से हुए लाभ या हानि को लाभ एवं हानि विवरण में दर्शाती है। परिसम्पत्ति की अस्वीकृति होने पर, अन्य व्यापक आयों में पहले स्वीकृत एकत्रित लाभ या हानि को लाभ एवं हानि विवरण में पुनः श्रेणीकृत किया जाता है। एफवीटीओसीआई ऋण प्रतिभूति रखने के कारण अर्जित ब्याज को ईआईआर विधि के प्रयोग के द्वारा ब्याज की आय के रूप में प्रदर्शित किया जाता है।

2.14.2.3 एफवीटीपीएल में ऋण प्रतिभूति

एफवीटीपीएलऋण प्रतिभूतियों का अंतर्शेष वर्ग है। कोई भी ऋण प्रतिभूति, जो कि श्रेणीकरण की शर्तों को ऋणमुक्त मूल्य या एफवीटीओसीआई के रूप में पूरा नहीं करती हो, उसे एफवीटीपीएलमें श्रेणीकृत किया जाता है।

इसके साथ ही, कम्पनी किसी ऋण प्रतिभूति को, जो कि ऋणमुक्त मूल्य या एफवीटीओसीआई होने की शर्तों के अनुसार

हों, उन्हें एफवीटीपीएल में होने की निर्धारित करने का चुनाव कर सकती है। पर, ऐसे चुनाव की स्वीकृति तभी दी जाती है, जबकि ऐसा करने से किसी नाप या स्वीकृति में विसंगति (जिसे खाता लेखन में बेमेल कहा जाता है) को कम या समाप्त किया जा सके। कम्पनी ने किसी ऋण प्रतिभूति को एफवीटीपीएल में निर्धारित नहीं किया है।

एफवीटीपीएल श्रेणी में समाहित ऋण प्रतिभूतियों की माप लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृत सभी शुल्कों सहित उचित मूल्य पर की जाती है।

2.14.2.4 अनुबंधियों, सहयोगियों एवं संयुक्त उद्यमों में इकिटी निवेश

इण्ड एएसआई 101 (इण्ड एएसआई की प्रथम बार स्वीकृति) के अनुपालनानुसार, इन निवेशों की अग्रेषित रकमों को पहले के जीएपी के अनुसार, बदलाव की तिथि पर समझी गई लागत माना जाता था। इसी तरह से अनुबंधियों, सहयोगियों एवं संयुक्त उद्यमों में इकिटी निवेश को लागत पर नापा जाता है।

समेकित वित्तीय विवरण के मामले में, एसोसिएट्स और संयुक्त उद्यमों में इकिटी निवेश का लेखा इकिटी पद्धति के अनुसार लेखांकित किया जाता है, जैसा कि इण्ड एएसआई 28 के पैरा 10 में निर्धारित है।

2.14.2.5 अन्य इकिटी निवेश

इण्ड एएसआई 109 के दायरे में अन्य इकिटी निवेश की नाप को लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर किया जाता है।

अन्य सभी इकिटी प्रतिभूतियों के लिए, कंपनी उचित मूल्य में अन्य व्यापक आय के परिवर्तनों में पेश करने के लिए एक अपरिवर्तनीय चुनाव कर सकती है। कम्पनी किसी प्रतिभूति पर ऐसे चुनाव प्रतिभूति-दर-प्रतिभूति आधर पर करती है। ऐसा श्रेणीकरण प्रारम्भिक स्वीकृति होने पर किया जाता है एवं अपरिवर्तनीय होता है।

एफवीटीओसीआई में वर्गीकृत इकिटी उपकरण के सभी उचित मूल्य परिवर्तन ओसीआई में मान्यता प्राप्त हैं। लाभ और हानि के विवरण में उचित मूल्य लाभ और हानि का बाद में कोई पुनर्वर्गीकरण नहीं किया गया है। हालांकि, कंपनी संचयी लाभ या हानि को इकिटी में हस्तांतरित कर सकती है। ऐसे निवेशों से प्राप्त लाभांश को लाभ और हानि विवरण में “अन्य आय” के रूप में मान्यता दी जाती है जब कंपनी का भुगतान प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो जाता है।

एफवीटीपीएल श्रेणी में शामिल इकिटी उपकरणों को पी एंड एल में मान्यता प्राप्त सभी परिवर्तनों के साथ उचित मूल्य पर मापा जाता है।

2.14.2.6 अस्वीकृति

कोई वित्तीय परिसम्पत्ति (या, जहाँ भी प्रयोग्य हो, वित्तीय परिसम्पत्ति का एक भाग या इसी प्रकार की वित्तीय परिसम्पत्ति के समूह का एक अंश) प्राथमिक रूप से तब अस्वीकृत होता है (यानि - तुलन-पत्र से हटाया जाता है) जब -

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ (स्टैंडअलोन)

- परिसम्पत्तियों से नकद प्रवाह का अधिकार समाप्त हो गया हो, अथवा
- कम्पनी ने परिसम्पत्तियों से नकद प्रवाह का अधिकार हस्तांतरित कर दिया हो अथवा इससे प्राप्त नकद प्रवाह को किसी थर्ड पार्टी को “पास-थू” व्यवस्था के तहत देने का दायित्व ग्रहण किया हो तथा या फिर (क) कम्पनी ने बड़ी मात्रा में इस परिसम्पत्ति से संबंधित सभी जोखिमों एवं लाभ को हस्तांतरित किया हो, या (ख) कम्पनी ने ना तो बड़ी मात्रा में इस परिसम्पत्ति से संबंधित सभी जोखिमों एवं लाभ को हस्तांतरित किया हो, पर परिसम्पत्ति पर नियंत्रण को हस्तांतरित कर दिया हो।

जब कम्पनी ने किसी परिसम्पत्ति से नकद प्रवाह के अधिकार को हस्तांतरित किया है अथवा झपास-थूफ्फ व्यवस्था पर सहमत होती है, तो यह इस तथ्य का आंकलन करती है कि किस हद तक इसने स्वामित्व के जोखिमों एवं लाभ को पास रखा जाय। जब कम्पनी ने ना तो बड़ी मात्रा में इस परिसम्पत्ति से संबंधित सभी जोखिमों एवं लाभ को हस्तांतरित किया हो, तथा ना ही इस पर नियंत्रण को हस्तांतरित किया हो, कम्पनी इस हस्तांतरित परिसम्पत्ति को इसके साथ संबंध होने तक स्वीकृति देती रहती है। ऐसे मामले में कम्पनी इससे जुड़े दायित्व को भी स्वीकृति देती है। हस्तांतरित परिसम्पत्ति तथा संबंधित दायित्व का आंकलन ऐसे आधार पर किया जाता है जो कि कम्पनी के अधिकारों एवं दायित्व को दर्शाता है। हस्तांतरित परिसम्पत्ति से संबंध बनाए रखने से गारंटी का प्रारूप तैयार हो जाता है, जिसका आंकलन परिसम्पत्ति का मूल अग्रेषित रकम की निम्न मात्रा तथा अधिकतम राशि जो कम्पनी द्वारा प्रदेय हो, उसके अनुसार होता है।

2.14.2.7 वित्तीय परिसम्पत्तियों में क्षति (उचित मूल्य के अलावा)

- वित्तीय परिसम्पत्तियाँ, जो कि ऋण विलेख हैं, तथा परिशोधित लागत पर आंकी जाती हैं, जैसे कि - ऋण, ऋण प्रतिभूतियाँ, जमा, व्यावसायिक प्राप्य एवं बैंकशेष।
- वित्तीय परिसम्पत्तियाँ, जो कि ऋण विलेख हैं तथा एफवीटीओसीआई के तौर पर आंके जाते हैं।
- इण्ड एएस 116 के तहत प्राप्य पट्टे।
- नकद अथवा अन्य वित्तीय परिसम्पत्ति प्राप्ति हेतु व्यावसायिक प्राप्य अथवा कोई अन्य संविदात्मक अधिकार, जो कि इण्ड एएस 115 के तहत लेनदेन के द्वारा फलित होते हों।

कम्पनी द्वारा क्षति हानि की स्वीकृति हेतु निम्नलिखित झफ्सहज पद्धतियाँ अपनाई जाती है :

- व्यावसायिक प्राप्य अथवा संविदात्मक राजस्व प्राप्य; तथा
- इण्ड एएस 116 के तहत लेनदेन से जनित सभी प्राप्य पट्टे।

सहज पद्धति का प्रयोग करने हेतु कम्पनी को क्रेडिट जोखिम के लिए तरीका बदलना नहीं पड़ता है। बल्कि, यह जीवन भर के ईसीएलों पर आधारित क्षति से हानि के प्रावधान को स्वीकृति प्रत्येक प्रतिवेदन तिथि पर, इसके प्राथमिक स्वीकृति से ही दिया करती है।

2.14.3 आर्थिक देयताएं

2.14.3.1 प्रारंभिक मान्यता और माप

कम्पनी की आर्थिक देयताओं में व्यावसायिक तथा अन्य देय, ऋण तथा बैंक ओवरड्राफ्ट सहित उधारी होती है।

सभी आर्थिक देयताओं को प्रारंभिक स्तर पर उचित मूल्य पर तथा, ऋण एवं उधारी तथा देय के मामलों में, प्रत्यक्ष देय लेनदेन की लागतों को घटा कर नापा जाता है।

2.14.3.2 अनुवर्ती माप

आर्थिक देयताओं की माप इसके वर्गीकरण पर निर्भर होती है, जैसा कि नीचे वर्णित है :

2.14.3.3 लाभ एवं हानि द्वारा उचित मूल्य पर आर्थिक देयताएं

लाभ एवं हानि द्वारा उचित मूल्य पर आर्थिक देयताओं के तहत वो आर्थिक देयताएं भी होती हैं जिन्हें व्यापार करने हेतु रखा जाता है तथा लाभ अथवा हानि के द्वारा उचित मूल्य पर प्राथमिक स्वीकृति के बाद रखी गई आर्थिक देयताएं होती हैं। आर्थिक देयताओं को इस प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है कि उनकी प्रकृति ऐसी होती है कि उन्हें तात्कालिक भविष्य में पुनः क्रय के लिए रखा जाता है। इस वर्ग में कम्पनी द्वारा लिए गए व्युत्पन्न वित्तीय साधन होते हैं, जिन्हें एएस 109 द्वारा परिभाषित हेंजिंग (बचाव उपाय) के संबंधों में हेंजिंग साधन के तौर पर नहीं स्वीकृत होते हैं। अलग किए गए अंतर्निहित व्युत्पन्नों को भी व्यापार के लिए वर्गीकृत किया जाता है, यदि वे प्रभावी हेंजिंग साधन के तौर पर परिभाषित ना हों तो।

व्यापार के लिए रखी गई देयताओं से लाभ या हानि को लाभ या हानि के तौर पर स्वीकृत किया जाता है।

2.14.3.4 परिशोधित लागत पर आर्थिक देयताएं

प्रारंभिक स्वीकृति के बाद, इन्हें परिशोधित लागत पर प्रभावी व्याज दर विधि से नापा जाता है। लाभ एवं हानियों को लाभ अथवा हानि के तौर पर तभी माना जाता है, जब देयताओं को अस्वीकृत कर दिया जाता है, साथ ही में प्रभावी व्याज दर परिशोधन विधि का प्रयोग भी किया जाता है। परिशोधित लागत का आंकलन अधिग्रहण के समय लगे किसी डिस्काउंट अथवा प्रीमियम एवं शुल्कों व लागतों, जो कि प्रभावी व्याज दर के अभिन्न अंग हैं, पर भी विचार किया जाता है। प्रभावी व्याज दर परिशोधन को वित्तीय लागत के तौर पर लाभ एवं हानि के विवरण में समाहित किया जाता है। यह वर्ग सामान्यतया उधारी पर लागू होती है।

2.14.3.5 अस्वीकृति

कोई आर्थिक देयता तभी अस्वीकृत होती है, जब देयता के तहत दायित्व पूरा हो जाए अथवा खारिज हो जाए या फिर इसकी अवधि समाप्त हो जाए। जब कोई वर्तमान आर्थिक देयता किसी दूसरे रूप में उसे क्रणदाता से बहुत अलग प्रकार की शर्तों पर पुनः लागू हो, या फिर वर्तमान की देयता की शर्तें बहुत रूप से संशोधित हो जाएं, तो इस प्रकार के बदलाव या संशोधन को

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ (स्टैंडअलोन)

मूल देयता की अस्वीकृति तथा नई देयता की स्वीकृति माना जाएगा। किसी आर्थिक देयता (अथवा आर्थिक देयता के एक अंश) की समाप्ति अथवा किसी दूसरे को हस्तांतरित किए जाने के बाद तथा इसकी एवज में भुगतान की प्राप्ति के बाद, किसी भी गैर-नकद परिसम्पत्ति के हस्तांतरण अथवा अधिगृहीत देयताओं सहित, इसकी अप्रेषित रकम व प्राप्ति की रकम के बीच के अंतर को लाभ अथवा हानि में माना जाएगा।

2.14.4 वित्तीय परिसंपत्तियों का पुनःवर्गीकरण

प्रारंभिक स्वीकृति के समय कम्पनी वित्तीय परिसम्पत्तियों व देयताओं के वर्गीकरण को निर्धारित करती है। प्रारंभिक स्वीकृति के बाद, इकट्ठी विलेख एवं आर्थिक देयता के प्रकार की किसी वित्तीय परिसम्पत्तियों का पुनः वर्गीकरण नहीं किया जाता है। क्रठ विलेख प्रकार की वित्तीय परिसम्पत्तिया के लिए, पुनः पुनः वर्गीकरण तभी किया जाता है जब इन परिसम्पत्तियों के प्रबंधन के

लिए व्यावसायिक माडल में परिवर्तन हो। व्यावसायिक माडल में परिवर्तन बहुत कम बार किए जाने की आशा की जाती है। कंपनी का वरिष्ठ प्रबंधन, कम्पनी की प्रचालन गतिविधियों में बड़े स्तर पर प्रभाव डालने वाले किसी आंतरिक अथवा बाहरी परिवर्तन के कारण व्यावसायिक माडल में परिवर्तन का निर्धारण करता है। ऐसे परिवर्तन बाहरी पार्टियों को दिखाई देते हैं। व्यावसायिक माडल में परिवर्तन तभी होता है जबकि कोई कंपनी प्रारम्भ हो अथवा अपना कोई ऐसी गतिविधि बंद करे, जिसका उसके निष्पादन पर बड़ा प्रभाव पड़ता हो। यदि कम्पनी अपनी परिसम्पत्तियों का पुनः वर्गीकरण करे, तो यह पुनःवर्गीकरण उसी तिथि से प्रभावी होगा जब पुनःवर्गीकरण किया गया था, जो कि व्यावसायिक माडल में परिवर्तन के ठीक बाद की प्रतिवेदन अवधि का पहला दिन होगा। कम्पनी किसी भी पहले स्वीकृत लाभ, हानि (क्षति के कारण हुए लाभ अथवा हानि सहित) अथवा ब्याज का पुनःविवरण नहीं देती है।

निम्नलिखित सारणी में विभिन्न प्रकार के पुनःवर्गीकरण तथा उन्हें लेखाबद्ध करने के कारण दर्शाए गए हैं-

मूल वर्गीकरण	पुनःवर्गीकरण	लेखांकन उपचार
परिशोधित लागत	एफवीटीपीएल	पुनःवर्गीकरण की तिथि पर उचित मूल्य नापा जाता है। पूर्व परिशोधन लागत तथा उचित मूल्य के बीच के अंतर को लाभ एवं हानि में स्वीकृत किया जाता है।
एफवीटीपीएल	परिशोधित लागत	पुनःवर्गीकरण की तिथि पर इसका उचित मूल्य इसकी कुल अप्रेषित रकम बन जाती है। ईआईआर की गणना नई कुल वहन राशि के आधार पर की जाती है।
परिशोधित लागत	एफवीटीओसीआई	पुनःवर्गीकरण की तिथि पर सही मूल्यनापा जाता है। पूर्व परिशोधन लागत तथा सही मूल्य के बीच के अंतर को ओसीआई में स्वीकृत किया जाता है। पुनःवर्गीकरण के कारण ईआईआर में कोई परिवर्तन होता है।
एफवीटीओसीआई	परिशोधित लागत	पुनःवर्गीकरण की तिथि पर इसका उचित मूल्य इसकी कुल वहन राशि बन जाती है। पर, ओसीआई में एकत्रित लाभ अथवा हानि को उचित मूल्य के साथ समायोजित किया जाता है। इसके फलस्वरूप, परिसम्पत्ति का आंकलन इस प्रकार किया जाता है कि इसे सदैव परिशोधित लागतपर ही आंका गया था।
एफवीटीपीएल	एफवीटीओसीआई	पुनःवर्गीकरण की तिथि पर इसका उचित मूल्य इसकी कुल वहन राशि बन जाती है। कोई अन्य समायोजन आवश्यक नहीं।
एफवीटीओसीआई	एफवीटीपीएल	परिसम्पत्तियों को उचित मूल्य पर आंका जाता है। ओसीआई में पहले स्वीकृत एकत्रित हानि अथवा लाभ को पुनःवर्गीकरण की तिथि पर लाभ एवं हानि विवरण में पुनःवर्गीकृत किया जाता है।

2.14.5 वित्तीय साधनों की पूर्ति (ऑफसेटिंग)

वित्तीय परिसम्पत्तियों एवं वित्तीय दायित्वों को पूरा किया जाता है तथा शुद्ध रकम को समेकित तुलन-पत्र में प्रतिवेदित किया जाता है, यदि कोई इस प्रकार का प्रभावी कानूनी अधिकार हो जिससे स्वीकृत रकमों को पूरा किया जा सके तथा इसे शुद्ध आधार पर निपटान करने की आशा हो, ताकि एक साथ परिसम्पत्तियों की प्राप्ति व देयताओं का निपटान किया जा सके।

2.14.6 नकद और नकद समतुल्य

तुलन पत्र में नकदी और नकद समकक्ष में बैंकों तथा हाथों की नकदी एवं तीन महीने या उससे कम की मूल परिपक्ता वाले अल्पकालिक जमा शामिल हैं, जो मूल्य में परिवर्तन के महत्वहीन जोखिम के अधीन हैं। नकद प्रवाह के समेकित विवरण के प्रयोजन हेतु, नकद और नकद समकक्षों में ऊपर परिभाषित अनुसार नकदी और अल्पकालिक जमा शामिल हैं, शुद्ध बकाया

बैंक ओवरड्राफ्ट, इन्हें कंपनी के नकद प्रबंधन का एक अभिन्न हिस्सा माना जाता है।

2.15. उधार लागत

उधारी की लागत को तब और उसी तरह से दर्शाया जाता है जब वो होते हैं, मगर तब नहीं जब कि वे किसी स्वीकृत योग्य परिसम्पत्ति के अधिग्रहण, निर्माण अथवा उत्पादन से सीधे संबंधित हों, जैसे कि - वो परिसम्पत्तियाँ जिन्हें उनके प्रयोग के उद्देश्य के अनुसार निर्मित होने में अत्यधिक समय लगे। ऐसे मामलों में उन्हें प्रयोग होने लायक तैयार हो जाने की तिथि पर उन स्वीकृत-योग्य परिसम्पत्तियों की लागत के मंशानुसार पूंजीगत किया जाता है।

2.16 कर-प्रणाली

आयकर व्यय, वर्तमान में देय कर और आस्थगित कर के योग को प्रदर्शित करता है।

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ (स्टैंडअलोन)

वर्तमान कर आयकर की वह देय राशि (पुनर्पाय) है, जो कि किसी अवधि हेतु कर-योग्य लाभ (कर हानि) होता है। कर-योग्य लाभ लाभ एवं हानि विवरण तथा अन्य समेकित आय में प्रतिवेदित “कर पूर्व लाभफक्स से अलग प्रकार का होता है, क्योंकि इसके तहत वो आय अथवा व्यय के मद नहीं होते हैं, जो पहले के वर्षों में कर-योग्य अथवा काटे जाने लायक थे, तथा इनके साथ ही वो मद भी होते हैं जो कि कभी भी कर-योग्य अथवा कटौती योग्य राशि होते हैं। वर्तमान कर-देयता के प्रति कम्पनी की देयता का आंकलन उन कर-दरों के प्रयोग द्वारा किया जाता है, जिन्हें प्रतिवेदन के समापन अवधि के दौरान क्रियान्वित अथवा बड़े अंश में क्रियान्वित किया गया हो।

आस्थगित कर देयताएँ सामान्यतया सभी कर-योग्य अस्थाई असमानता के तौर पर मान्य होती हैं। आस्थगित कर परिसम्पत्तियाँ सामान्यतया उन सभी कटौती योग्य अस्थाई असमानता पर तब तक चिह्नित होती हैं, जब तक कि उन सम्भाव्य कर-योग्य लाभों में हो जिससे उन कटौती योग्य अस्थाई असमानताओं से लाभ लिया जा सके। ऐसी परिसम्पत्तियाँ एवं देयताएँ तब तक नहीं मान्य होती हैं, जब तक कि अस्थाई असमानता, जो कि किसी अन्य परिसम्पत्तियों एवं देयताओं के किसी ऐसे लेनदेन से संबंधित हों, जिससे ना तो कर-योग्य लाभ अथवा खातालेखन लाभ होता हो, तथा इनके द्वारा साख अथवा प्रारम्भिक स्वीकृति (किसी व्यावसायिक मिश्रण के अलावा) से उत्पन्न हो।

आस्थगित कर-देयताएँ अनुषंगियों तथा सहायकों में निवेश से संबंधित कर-योग्य अस्थाई असमानताओं के तौर पर चिह्नित होती हैं, केवल तब नहीं जबकि कम्पनी अस्थाई असमानता को पलटने लायक नियंत्रण की स्थिति में हो तथा यह सम्भाव्य हो कि अस्थाई असमानता निकट भविष्य में पलटेगी नहीं। ऐसे निवेशों एवं ब्याज से संबंधित काटे जाने लायक अस्थाई असमानताओं से उत्पन्न आस्थगित कर परिसम्पत्तियाँ केवल उसी हद तक स्वीकृत होती हैं, जबकि यह सम्भावना हो कि पर्याप्त कर-योग्य लाभ होंगे जो अस्थाई असमानताओं के समायोजन हेतु लाभकारी होंगे।

आस्थगित कर परिसम्पत्तियों की वहन राशि पर प्रत्येक प्रतिवेदन अवधि के अंत में समीक्षा की जाती है तथा इसे इस हद तक घटाया जाता है कि यह सम्भव नहीं हो कि किसी परिसम्पत्ति की पूर्ण अथवा आंशिक प्राप्ति हेतु पर्याप्त कर-योग्य लाभ उपलब्ध हों। प्रत्येक प्रतिवेदन वर्ष के अंत में अस्वीकृत आस्थगित कर परिसम्पत्तियों का पुनर्आंकलन होता है तथा उन्हें उस हद तक स्वीकृत किया जाता है। कि यह सम्भावना हो जाए कि आस्थगित कर परिसम्पत्ति की पूर्ण अथवा आंशिक प्राप्ति हेतु पर्याप्त कर-योग्य लाभ उपलब्ध हों।

आस्थगित कर परिसम्पत्तियों एवं देयताओं का आंकलन उस अवधि में सम्भावित प्रयोग कर-दर पर, कर-दर (तथा कर के कानूनों), जो कि प्रतिवेदन की अवधि के अंत तक लागू अथवा काफी हद तक लागू किए गए हों, के अनुसार किया जाता है, जिसके दौरान उस देयता का समाधान अथवा परिसम्पत्ति की पुनर्प्राप्ति होती है।

आस्थगित कर परिसम्पत्तियों एवं देयताओं का आंकलन उन करों के परिणामों को प्रदर्शित करता है, जो कि प्रतिवेदन की अवधि के अंत में कम्पनी की आशानुसार तरीके से हुए हों, ताकि परिसम्पत्तियों एवं देयताओं की वहन राशि का समायोजन किया जा सके।

लाभ या हानि में वर्तमान एवं आस्थगित कर को मान्य किया जाता है, केवल तब नहीं जबकि वे उन मदों से संबंधित हों जो कि अन्य

समेकित आय अथवा सीधे इकिटी से संबंधित हों, ऐसे मामलों में वर्तमान एवं आस्थगित कर भी अन्य समेकित आय अथवा इकिटी में यथानुसार प्रदर्शित किए जाते हैं। जब वर्तमान कर अथवा आस्थगित कर किसी व्यावसायिक मिश्रण के प्रारम्भिक खाता लेखन से उत्पन्न हों, तो कर का प्रभाव व्यावसायिक मिश्रण के खातालेखन में समाहित किया जाता है।

आस्थगित आयकर परिसंपत्तियों और देनदारियों की भरपाई तब की जाती है जब वर्तमान कर देनदारियों के विरुद्ध, वर्तमान कर परिसंपत्तियों की भरपाई करने का कानूनी रूप से लागू करने का योग्य अधिकार प्राप्त होता है, और जब आस्थगित आयकर परिसंपत्तियाँ और देनदारियाँ एक ही कराधान प्राधिकरण द्वारा कर योग्य इकाई या विभिन्न कर योग्य संस्थाओं पर लगाए गए आयकर से संबंधित होती हैं, जहां शुद्ध आधार पर शेष राशि का निपटान करने की मंशा होती है।

2.17 कर्मचारी हितलाभ

2.17.1 अल्पावधि हितलाभ

अल्पकालिक कर्मचारी लाभ ऐसे कर्मचारी लाभ (समाप्त लाभों के अलावा) हैं जिनके वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के अंत के बारह महीने पूर्व, पूर्ण रूप से निपटान की उम्मीद है जिसमें कर्मचारी संबंधित सेवा प्रदान करते हैं।

सभी अल्पकालिक कर्मचारी लाभों को उस अवधि में स्वीकृत दी जाती है जिसमें कर्मचारियों द्वारा सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

2.17.2 सेवानिवृत्ति उपरान्त हित लाभ तथा अन्य दीर्घावधि कर्मचारी हितलाभ

2.17.2.1 परिभाषित अंशदान योजनाएँ

एक परिभाषित अंशदान योजना एक सेवानिवृत्ति उपरान्त हितलाभ योजना है, जिसके तहत कंपनी एक अलग निकाय द्वारा बनाए गए फंड में निश्चित योगदान का भुगतान करती है तथा कम्पनी के लिए कोई कानूनी अथवा सृजनात्मक बाध्यता (ऑफिलोगेशन) नहीं होगी। परिभाषित अंशदान योजनाओं में अंशदान की बाध्यताओं को कर्मचारी हितलाभ व्यय के तौर पर लाभ एवं हानि विवरण में उस अवधि के लिए दर्शाया जाता है जब कर्मचारी द्वारा सेवाएं प्रदान की गई हो।

2.17.2.2 परिभाषित हितलाभ योजनाएँ

परिभाषित हितलाभ योजनाएँ एक सेवानिवृत्ति उपरान्त हितलाभ योजना है, जो परिभाषित अंशदान योजना के अलावा है। परिभाषित अंशदान योजनाओं के मामले में कम्पनी की शुद्ध बाध्यता का आंकलन कर्मचारी द्वारा वर्तमान एवं पूर्वावधि में प्रदान की गई सेवाओं के बदले में भविष्य में अर्जित हितलाभ के लिए किया जाता है। इस हितलाभ को इसके वर्तमान मूल्य को जानने के लिए डिस्काउन्ट किया जाता है तथा नियोजित परिसम्पत्तियों के सही मूल्य, यदि कोई हो तो, में से घटाया जाता है। डिस्काउन्ट की दरें प्रतिवेदन की तिथि पर भारत सरकार की

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ (स्टैंडअलोन)

प्रतिभूतियों की बाजारी दरों पर आधारित होती है, क्योंकि उक्त रिपोर्टिंग तिथि में परिषक्ता तिथि होती है जो कंपनी के दायित्वों के अनुसार होती है और इसे उसी मुद्रा में दर्शाया जाता है जिसमें लाभ का भुगतान करने की उम्मीद की जाती है।

बीमांकिक मूल्यांकन के प्रयोग में डिस्काउन्ट दर, परिसम्पत्तियों पर वापसी की अपेक्षित दरें, भविष्य में वेतन वृद्धि, मृत्यु आदि के बारे में कल्पनाएँ की जाती हैं। इन योजना के दीर्घावधि प्रकार के होने के कारण, ऐसी कल्पना में कुछ अनिश्चितता रहती है। यह गणना प्रत्येक तुलनपत्र पर एक जीवनांकक द्वारा इकाई क्रेडिट विधि द्वारा की जाती है। जब इस गणना का परिणाम कम्पनी के हित में हो, तो स्वीकृत परिसम्पत्ति उपलब्ध आर्थिक लाभों तक ही सीमित रहती है, जो कि इस योजना से भविष्य में किसी प्रकार के ग्राप्य अथवा योजना अशादान में कमी के तौर पर हों। कम्पनी को आर्थिक लाभ जब होता है, यदि वह योजना की अवधि के दौरान प्राप्त हो सके, अथवा योजना की देयताओं का निपटान किया जा सके।

शुद्ध हितलाभ देयता का पुनर्आंकलन, जिसके तहत नियोजित परिसम्पत्ति (ब्याज के अलावा) से लाभ तथा परिसम्पत्ति सीमा तथा परिसम्पत्ति सीमा (यदि हो, ब्याज के अलावा) के प्रभाव को बीमांकित लाभ आय को तत्काल अन्य समेकित आय के तहत स्वीकृत किया जाता है। कम्पनी द्वारा डिस्काउन्ट प्रयोग से शुद्ध परिभाषित बाध्यता के आंकलन हेतु वार्षिक अवधि के प्रारम्भ में तत्कालीन शुद्ध परिभाषित हितलाभ देयता (परिसम्पत्ति) के अनुसार, अवधि के लिए शुद्ध परिभाषित हितलाभ देयता (परिसम्पत्ति) के अनुसार, इस अवधि में इस मद में अंशदान तथा हितलाभों के भुगतान के कारण हुए किसी भी प्रकार के परिवर्तन के आधार पर शुद्ध ब्याज व्यय (आय) को निर्धारित किया जाता है। परिभाषित हितलाभ योजनाओं से संबंधित शुद्ध ब्याज व्यय को लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृत किया जाता है।

जब योजना के हितलाभ में सुधार होते हैं, तो कर्मचारी की पूर्व-सेवा से संबंधित हितलाभ का अंश तत्काल व्यय के तौर पर लाभ एवं हानि के विवरण में मान्य किया जाता है।

2.17.3 अन्य दीर्घावधि कर्मचारी लाभ

अल्पकालिक कर्मचारी लाभ, सेवानिवृत्ति पश्चात लाभ तथा टर्मिनेशन लाभों के अलावा सभी कर्मचारी लाभ अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ हैं।

अन्य दीर्घावधि कर्मचारी लाभों में वे मदें शामिल हैं जिनके वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक बाहर महीने से पहले पूरी तरह से निपटान की उम्मीद नहीं है जिसमें कर्मचारी संबंधित सेवा प्रदान करते हैं।

अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभों के लिए, निम्नलिखित राशियों के कुल योग को लाभ या हानि के विवरण में स्वीकृती दी गई है:

- (क) सेवा लागत
- (ख) शुद्ध परिभाषित लाभ देयता (परिसम्पत्ति) पर शुद्ध ब्याज
- (ग) शुद्ध परिभाषित लाभ देयता (परिसम्पत्ति) पर पुनर्माप

2.18 विदेशी मुद्रा

विदेशी मुद्राओं में लेनदेन को उस तिथि की प्रचलित विनिमय दर के अनुसार कंपनी की प्रतिवेदित मुद्रा में परिवर्तित किया जाता है। रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बकाया विदेशी मुद्रा में मौद्रिक संपत्ति और देनदारियां विदेशी मुद्राओं में परिवर्तित मौद्रिक परिसम्पत्तियों एवं प्रतिवेदन की अवधि के अंत में प्रचलित परिवर्तन दरों के अनुसार लेनदेन किया जाता है। मौद्रिक परिसम्पत्तियों एवं देयताओं के समाधान करने अथवा अवधि के दौरान प्राथमिक स्वीकृति अथवा पूर्वावधि पर दरों के बीच के अंतर को लाभ एवं हानि के तहत उनके घटने की अवधि में प्रदर्शित किया जाता है।

विदेशी मुद्रा में गैर-मौद्रिक मदों का मूल्यांकन लेनदेन की तिथि पर प्रचलित विनिमय दर के अनुसार किया जाता है।

2.19 स्ट्रिपिंग गतिविधि व्यय / समायोजन

खुले खनन के मामलों में, खान की अपशिष्ट सामग्री (ओवरबर्डन), जिसमें कोयले की तह पर की मिट्टी व चट्टानें होती हैं, उन्हें हटा कर ही कोयले को निकाला जा सकता है इस प्रकार की अपशिष्ट निकासी को स्ट्रिपिंग कहा जाता है। खुली खदानों में, कम्पनी को खान की पूर्ण आयु (तकनीकी आंकलन के अनुसार) होने तक इस प्रकार के व्यय करने पड़ते हैं।

अतः एक नीति के तौर पर, एक मिलियन टन तथा इससे अधिक वार्षिक क्षमता वाली खानों में, स्ट्रिपिंग की लागत को प्रत्येक खान में तकनीकी तौर पर मूल्यांकित स्ट्रिपिंग अनुपात (कोयला:ओबी), स्ट्रिपिंग गतिविधि के लिए समुचित समायोजन सहित तथा अनुपात-विचलन खाते में खान के राजस्वीकृत होने के बाद आंकलित किया जाता है।

तुलन-पत्र की तिथि पर स्ट्रिपिंग गतिविधि परिसम्पत्ति तथा अनुपात विचलन से शुद्ध अंतशेषों, को स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन के रूप में गैर-वर्तमान प्रावधान / अन्य गैर-वर्तमान परिसम्पत्ति के मद में, मामले के अनुसार प्रदर्शित किया जाता है।

ओवरबर्डन की प्रतिवेदित मात्रा को खातों के अनुसार ओबीआर के अनुपात की गणना के लिए लेखांकित किया जाता है, जहाँ प्रतिवेदित मात्रा एवं नापी गई मात्रा के बीच के अंतर को, इन दोनों वैकल्पिक अनुमत सीमाओं के भीतर मान्य किया जाता है, जो निम्नवत है -

खान की वार्षिक ओबीआर मात्रा	अंतर की अनुमत सीमा (%)
1 मिलियन क्यू. मीटर से कम	+/- 5%
1 व 5 मिलियन क्यू. मीटर के बीच	+/- 3%
5 मिलियन क्यू. मीटर से अधिक	+/- 2%

पर, जहाँ अंतर उपरोक्त अनुमत सीमाओं से अधिक हो, तो नापी गई मात्रा मानी जाती है।

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ (स्टैंडअलोन)

एक मिलियन टन से कम दर पर आंकी गई खानों के मामले में, उपरोक्त नीति नहीं प्रयुक्त होती है तथा वर्ष के दौरान लगी स्ट्रिंगिंग गतिविधि की लागत को लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृत किया जाता है।

2.20 भण्डार-सूची

2.20.1 कोयले का भण्डार

कोयला /कोल भण्डार को कम लागत तथा शुद्ध प्राप्य मूल्य पर प्रदर्शित किया जाता है। भण्डार की लागत की गणना भारित औसत विधि का उपयोग करके की जाती है। शुद्ध प्राप्य मूल्य से भण्डार के आंकलित विक्रय मूल्य में से सभी अनुमानित लागत तथा विक्रय से संबंधित आवश्यक लागत को घटा कर पाए गए मूल्य का तात्पर्य होता है।

कोयले के खातानुसार भण्डार को खातों में तब माना जाता है जबकि खातानुसार भण्डार व नापे गए भण्डार के बीच +/- 5% का अंतर हो तथा जिन मामलों में अंतर +/- 5% से अधिक हो, तो नापी गई मात्रा ही मानी जाती है। ऐसे भण्डारों का मूल्यांकन उनके शुद्ध प्राप्य मूल्य अथवा लागत, जो भी कम हो, उसके अनुसार माना जाता है। कोक को कोयले के भण्डार का ही एक अंश माना जाता है।

कोयला एवं कोक के फाइन्स का मूल्यांकन उनके शुद्ध प्राप्य मूल्य अथवा लागत, जो भी कम हो, के अनुसार किया जाता है तथा कोक को कोयले के भण्डार का ही एक अंश माना जाता है।

स्लरी (कुकिंग/सेमी-कुकिंग), वाशरियों की मिडलिंग तथा सह-उत्पादों का मूल्यांकन शुद्ध प्राप्य मूल्य के अनुसार किया जाता है तथा इसे कोयले के भण्डारका ही एक अंश माना जाता है।

2.20.2 भण्डार एवं पुर्जे

केन्द्रीय एवं क्षेत्रीय भण्डारों में सामग्री एवं पुर्जों के भण्डार (जिनमें खुदरा औजार भी होते हैं) पर उनके मूल्यांकित भण्डार के खातों के अंतर्शेष के अनुसार माना जाता है तथा उनका मूल्यांकन लागत पर भारित औसत विधि से किया जाता है। कोलियरियों/उप-भण्डारों/ड्रिलिंग कैम्पों/खपत केन्द्रों के सामग्री एवं पुर्जा भण्डारों को वर्ष के अंत में ही उनके भौतिक परीक्षित भण्डार के अनुसार माना व लागत पर मूल्यांकित किया जाता है।

5 वर्षों तक अप्रचालित सामग्रियों एवं पुर्जों के अनुपयोगी, क्षतिग्रस्त तथा अप्रचलित भण्डारों के लिए 100% की दर पर व पुर्जों पर 50% की दर पर प्रावधान किए जाते हैं।

2.20.3 अन्य भण्डार

कर्मशाला के भण्डारों को चालू-कार्य सहित लागत पर मूल्यांकित किया जाता है। छपाई की सामग्रियों (चालू कार्य सहित) तथा प्रेस की स्टेशनरी तथा केन्द्रीय अस्पताल की दवाओं का मूल्यांकन उनकी लागत के अनुसार किया जाता है।

परंतु, स्टेशनरी के भण्डार (प्रेस में पड़ी हुई के अलावा ईंटों, बालु, दवा (केन्द्रीय अस्पताल में पड़ी हुई के अलावा), हवाइ जहाज के पुर्जों तथा स्क्रैप को भण्डारों के तहत नहीं माना जाता है, क्योंकि उनका मूल्य अधिक नहीं होता है।

2.21. प्रावधान, आकस्मिक देयताएँ एवं आकस्मिक परिसम्पत्तियाँ

प्रावधान तभी स्वीकृत होते हैं जब कम्पनी के समक्ष वर्तमान देयता (कानूनी अथवा सृजनात्मक) किसी पहले की घटना के कारण उपस्थित हो, तथा इसकी सम्भावना हो कि इसके समाधान के लिए कुछ आर्थिक लाभों की आवश्यकता होगी तथा ऐसी आर्थिक व्यवस्था का उचित आंकलन किया जा सकता है। जिन मामलों में संपत्ति का समय महत्व भौतिक हो, वहाँ उस देयता के समाधान हेतु प्रावधानों को अपेक्षित व्यय के वर्तमान मूल्य को दर्शाया जाता है।

सभी प्रावधानों की तुलन-पत्र की तिथि पर समीक्षा की जाती है तथा उन्हें वर्तमान के सर्वोत्तम आंकलन को प्रदर्शित करने हेतु समायोजित किया जाता है।

जिन मामलों में आर्थिक लाभ निकलना सम्भव नहीं हो, अथवा राशि का आंकलन करना सम्भव नहीं हो, उस देयता को आकस्मिक देयता माना जाता है, तब तक कि उससे आर्थिक व्यय की सम्भावना दूरस्थ न हो। सम्भावित देयताएँ, जिनके अस्तित्व के बारे में एक या अधिक कम्पनी के पूर्ण नियंत्रणाधीन नहीं होने वाली भविष्य की घटना के होने या नहीं होने से से पुष्टिकरण होगा, उनके आकस्मिक देयता के तौर पर माना जाएगा, इनको आकस्मिक देयता माना जाएगा, तब तक कि आर्थिक लाभ की सम्भावना दूरस्थ न हो।

आकस्मिक संपत्तियाँ संभावित संपत्तियाँ हैं जो पिछली घटनाओं से उत्पन्न होती हैं और जिनके अस्तित्व की पुष्टि केवल एक या एक से अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाओं के घटित होने या न होने से होती है जो पूरी तरह से कंपनी के नियंत्रण में नहीं हैं। वित्तीय विवरणों में आकस्मिक संपत्तियों का प्रकटीकरण तब किया जाता है जब प्रबंधन के निर्णय के आधार पर आर्थिक लाभ का प्रवाह संभावित हो। यह सुनिश्चित करने के लिए लगातार मूल्यांकन किया जाता है कि विकास वित्तीय विवरणों में उचित रूप से परिलक्षित हो।

2.22 प्रति शेयर आय

मूल प्रति शेयर आय की गणना अवधि के दौरान करोपरान्त शुद्ध लाभ को बकाया इकट्ठी शेयरों के भारित से विभाजित करके की जाती है। प्रति शेयर घटी (डाइल्यूटेड) आय की गणना करोपरान्त शुद्ध लाभ को प्रति शेयर आय के हकदार इकट्ठी शेयरों के भारित औसत से भाग करके की जाती है तथा उन इकट्ठी शेयरों के भारित औसत से भी जो कि हासित संभावित शेयरों के परिवर्तन द्वारा जारी किए जा सकते थे।

2.23 निर्णय, आंकलन एवं धारणाएँ

इण्ड एस के अनुसार वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति के लिए प्रबंधन को ऐसे निर्णय, आंकलन एवं धारणाएँ करनी होती हैं जो कि वित्तीय विवरणों की तिथि तक की खातालेखन नीतियों तथा परिसम्पत्तियों व देयताओं की प्रतिवेदित रकमों, आकस्मिक परिसम्पत्तियों व देयताओं के खुलासों तथा प्रतिवेदित अवधि के दौरान राजस्व एवं व्ययों की पुष्टि करें। जटिल एवं अधिकरण संबंधी निर्णयों का प्रयोग तथा इन वित्तीय विवरणों में मान्यताओं का प्रयोग स्पष्ट किया जाना चाहिए।

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ (स्टैंडअलोन)

अवधि के अनुसार खातालेखन आंकलन में परिवर्तन हो सकता है।

वास्तविक परिणाम उन आंकलनों से भिन्न हो सकते हैं। आंकलन तथा उनके तहत की मान्यताओं की समीक्षा निरंतर की जाती है। खातालेखन आंकलन में संशोधनों को आंकलन किए जाने की अवधि में स्वीकृति दी जाती है तथा जब सामग्रिक हो, तो इनके प्रभाव को वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में प्रकाशित किया जाता है।

2.23.1 निर्णय

कम्पनी की खातालेखन नीतियों के क्रियान्वयन के दौरान, प्रबंधन ने निम्नलिखित निर्णय किए हैं, जिन्होंने वित्तीय विवरणों में चिह्नित राशियों पर सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव किया है:

2.23.1.1 खातालेखन नीति की रचना

खातालेखन नीति की रचना इस प्रकार से की जाती है कि इनके परिणामस्वरूप वित्तीय विवरणों में सभी लेनदेन, अन्य घटनाओं तथा परिस्थितियों के बारे में महत्वपूर्ण व विश्वसनीय सूचना दी जा सके। इन नीतियों का उन मामलों में प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए जहाँ इनके प्रयोग का प्रभाव सारहीन हो।

यदि किसी लेनदेन, अन्य घटना अथवा परिस्थिति के लिए कोई निर्दिष्ट प्रभावी एण्ड एएस उपलब्ध नहीं हो, तो प्रबंधन ने अपने निर्णयानुसार एक खातालेखन नीति विकसित तथा प्रयोग की है जिससे निम्नलिखित सूचनाएँ प्राप्त होती हैं:

क) प्रयोगकर्ताओं की आर्थिक निर्णय-करने की आवश्यकताओं से संबंधित, तथा

ख) उन वित्तीय विवरणों में विश्वसनीय: तथा

(i) कम्पनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन एवं नकद प्रवाह का निष्पार्वक चित्रण; (ii) लेनदेन के आर्थिक तत्व, अन्य घटनाओं एवं परिस्थितियों को दर्शाना, ना कि केवल इनके कानूनी रूप को; (iii) निष्पक्ष हों, यानि - पक्षपात से रहीत; (iv) विवेकपूर्ण हों; तथा (v) सामग्रिक तौर पर सभी प्रकार से निरंतरतापूर्वक पूर्ण हों।

निर्णय लेते समय प्रबंधन अवरोही क्रम में, निम्नलिखित स्रोतों से संदर्भ तथा इनकी उपयोगित के बारे में विचार करता है :-

(क) समान एवं संबंधित मामलों पर कार्रवाई हेतु इण्ड एएस की आवश्यकताएँ; तथा

(ख) संरचना में परिसम्पत्तियों, देयताओं, आय एवं व्ययों की परिभाषाएँ, स्वीकृति की शर्तें तथा नाप के सिद्धांत।

निर्णय करते समय, प्रबंधन अंतर्राष्ट्रीय खातालेखन मानदण्ड परिषद के वर्तमान की व्याख्यों पर विचार करता है, जिनके अभाव में इसी प्रकार की मान्यताओं के आधार पर अन्य खातालेखन मानदण्ड स्थापित करने वाली संस्थाओं, अन्य खातालेखन साहित्य तथा उद्योग में मान्य पद्धतियों पर भी इस प्रकार से विचार किया जाता है जिनसे उपरोक्त पैराग्राफ में उद्धृत स्रोतों से किसी प्रकार का मतभेद ना हो।

कम्पनी का प्रचालन खनन क्षेत्र में है (एक ऐसा क्षेत्र, जिसमें खोज, मूल्यांकन, उत्पादन चरणों को विकसित करना विभिन्न स्थालाकृत एवं भूखनन क्षेत्र में है, जो कि दशकों तक चलने वाले पट्टों तथा निरंतर परिवर्तनों पर आधारित होता है), यहाँ खातालेखन नीति उद्योग की निर्दिष्ट पद्धतियों के अनुसार विकसित हुई है, जिसे अनुसंधान समितियों से सहायता मिली है तथा कई दशकों से इनके निरंतर प्रयोग किए जाने के कारण विभिन्न नियंत्रकों से अनुमोदन प्राप्त हुए हैं। कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में विशिष्ट लेखांकन साहित्य, मार्गदर्शन और मानकों के अभाव में जो विकास की प्रक्रिया मैं हैं। कम्पनी अपनी खातालेखन नीतियों को खातालेखन साहित्य के विकास के अनुरूप विकसित करने का प्रयास कर रही है तथा इसमें किसी भी प्रकार के विकास को यथानुसार इण्ड एएस 8 में वर्णित पद्धतिनुसार लेखाबद्ध किया जाएगा।

2.23.1.2 सामग्रिकता

इण्ड आईएएस उन सभी वस्तुओं पर लागू होता है जो सामग्री प्रकार के होते हैं। प्रबंधन इस बात पर विचार कर वित्तीय विवरणों में कौन से एकल आइटम अथवा वस्तुओं के समूहों को सामग्री माना जाएगा। सामग्रिकता पर निर्णय वस्तु के आकार अथवा प्रकृति के अनुसार लिया जाता है। इसमें निर्णय लेने का कारक यह होता है कि क्या चूक अथवा गलत बयानी से एकल अथवा सामूहिक रूप से उन अर्थिक निर्णयों पर प्रभाव पड़ेगा जिनको उपयोगकर्ता वित्तीय विवरणों के आधार पर प्रयोग करते हैं। प्रबंधन इण्ड आईएस की अनुपालन आवश्यकताओं को निर्धारित करने हेतु सामग्रिकता के निर्णय का प्रयोग करता है। विशेष परिस्थितियों में किसी एकल वस्तु अथवा वस्तुओं के समूह की प्रकृति अथवा अर्थवा निर्णयकारी कारक सिद्ध होते हैं। इसके अलावा, कम्पनी को जब भी कानूनी आवश्यकता हो, असामग्रिक मदों को अलग से प्रस्तुत करने की आवश्यकता हो सकती है।

01.04.2019 से प्रभावी, पूर्व अवधि से संबंधित चालू वर्ष में पाई गई त्रुटियों / चूक को असामग्रिक तथा वर्तमान वर्ष के दौरान समायोजित किया गया है, यदि कुल मिलाकर ऐसी सभी त्रुटियां और चूक सीआईएल समेकित के अंतिम ऑडिट किए गए वित्तीय विवरण के अनुसार परिचालन (वैधानिक शुल्क का निवल) से कुल राजस्व का 1% से अधिक नहीं हैं।

2.23.1.3 प्रचालनगत पट्टा

कम्पनी द्वारा पट्टा व्यवस्था को अपनाया गया है। कम्पनी ने, शर्तों के मूल्यांकन के आधार पर तथा व्यवस्था की स्थितियों के अनुसार, जैसे कि पट्टे की अवधि उस व्यावसायिक सम्पत्ति के आर्थिक जीवनकाल से अधिक नहीं है तथा उस परिसम्पत्ति का उचित मूल्य, तथा यह भी इसके स्वामित्व से सम्भाव्य सभी महत्वपूर्ण जोखिम एवं लाभ तथा प्रचालन पट्टे के करार के खातों पर भी भलीभांति निर्धारण किया है।

2.23.2 आंकलन एवं धारणाएँ

प्रतिवेदन की तिथि पर भविष्य तथा अनुमानित अनिश्चितता के अन्य प्रमुख स्रोतों से संबंधित प्रमुख धारणाएँ, जिनके द्वारा अगले वर्ष तक

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ (स्टैंडअलोन)

परिसम्पत्ति एवं दायित्वों के सामग्रिक समायोजन को अग्रेषित करने में बड़ा जोखिम हो, उनका निम्नलिखित वर्णन है। कम्पनी ने अपनी धारणाएँ तथा आंकलन को उपलब्ध मानकों के अनुसार तैयार किया है, जो कि समेकित वित्तीय विवरण की प्रस्तुति के समय उपलब्ध थे। वर्तमान परिस्थितियाँ तथा भविष्य की घटनाओं के बारे में धारणाएँ, मगर, बाजारी परिवर्तनों अथवा कम्पनी के नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों के कारण परिवर्तित हो सकती हैं। ऐसे परिवर्तनों को उनके होने पर धारणाओं में प्रदर्शित किया जाता है।

अनुमान, निर्णय और संबंधित धारणाएँ ऐतिहासिक अनुभव और अन्य कारकों पर आधारित होती हैं जिन्हें प्रासंगिक माना जाता है। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं।

लेखांकन नीतियों के अनुप्रयोग के लिए जटिल और व्यक्तिपरक निर्णयों से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णयों और लेखांकन अनुमानों की आवश्यकता होती है और इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में मान्यताओं के उपयोग का प्रकटीकरण यहां नीचे किया गया है:

2.23.2.1 गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों की क्षति

क्षति इंगित तब होती है, जब किसी परिसम्पत्ति या नकद उत्पन्न करने वाली इकाई का मूल्य उससे प्राप्त रकम से अधिक हो जाए, जो कि इसके उचित मूल्य में से इसके निपटारे के मूल्य को घटाने तथा इसके उपयोग के मूल्य से अधिक हो। क्षति आंकलन हेतु कम्पनी एकल खानों को अलग-अलग नकद उत्पन्न करने वाली इकाई मानती है। मूल्यांकन के लिए डीसीएफ मॉडल का प्रयोग किया जाता है नकद प्रवाह की गणना अगले पाँच वर्षों के बजट से ग्राप्ट होती है तथा इसमें वो पुनःसंरचनात्मक गतिविधियाँ नहीं होती हैं जिनके प्रति कम्पनी प्रतिबद्ध ना हो अथवा वो भविष्य के निवेश जो परिसम्पत्ति के परीक्षित सीजीयू के निष्पादन में वृद्धि करते हों। प्राप्त राशि डीसीएफ मॉडल के लिए उपयोग की जाने वाली छूट दर के साथ-साथ भविष्य की अपेक्षित नकदी-प्रवाह और बाह्य गणना प्रयोजनों के लिए उपयोग की जाने वाली वृद्धि दर के प्रति संबोदनशील होता है। ये आंकलन अन्य खनन मौलिक संरचनाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होते हैं। विभिन्न सीजीयू की प्राप्त रकम के निर्धारण के लिए प्रयोग्य प्रमुख धारणाओं का प्रकटीकरण किया गया है तथा आगे भी संबंधित टिप्पणियों में वे वर्णित हैं।

2.23.2.2 - कर

आस्थगित करों को को बिना प्रयोग की गई कर-हानि को उस हद तक स्वीकृत किया जाता है कि कर-योग्य लाभ उपलब्ध होगा जिसके एवज में हानि का उपयोग किया जा सकेगा। स्वीकृति-योग्य आस्थगित कर परिसंपत्तियों की राशि के निर्धारण के लिए प्रबंधन को महत्वपूर्ण निर्णय की आवश्यकता होती है, जो कि सही समय तथा भविष्य के कर-योग्य लाभों के साथ-साथ भविष्य की कर-योजना कार्यनीति पर आधारित होती है।

2.23.2.3 परिभाषित हितलाभ योजनाएँ

परिभाषित हितलाभ अनुतोषिक योजना एवं अन्य सेवानिवृत्ति-उपरान्त चिकित्सा हितलाभों की लागत तथा देयता के वर्तमान मूल्य का निर्धारण बीमांकित मूल्यांकन पद्धति से किया जाता है। किसी बीमांकित मूल्यांकन कार्य में विभिन्न प्रकार की धारणाओं

का प्रयोग करना पड़ता है, जो कि भविष्य की वास्तविक घटनाओं से भिन्न हो सकती है। इनके तहत डिस्काउण्ट दर, भविष्य की बेतन-वृद्धि तथा मृत्यु दर पर भी विचार करना पड़ता है।

मूल्यांकन से संबंधित जटिलताओं तथा इसकी दीर्घकालिक प्रकृति के कारण, परिभाषित हितलाभ देयता इन धारणाओं में परिवर्तन के प्रति अति-संबोदनशील होती है। सभी धारणाओं पर प्रत्येक प्रतिवेदन की तिथि पर समीक्षा की जाती है। सबसे अधिक परिवर्तित होने वाला प्राचल डिस्काउण्ट-दर है। भारत में प्रचलित योजनाओं के लिए उचित डिस्काउण्ट-दर का निर्धारण करने हेतु, प्रबंधन भारत सरकार की मुद्राओं की प्रतिभूतियों पर विचार करती है जो कि सेवानिवृत्ति हितलाभ देयता की मुद्राओं के अनुकूल हों।

मृत्यु-दर के तथ्य देश में सार्वजनिक स्तर पर उपलब्ध आंकड़े पर आधारित होते हैं। ये मृत्यु-दर के आंकड़े केवल अंतरालों पर जनसांख्यिकीय परिवर्तनों के कारण परिवर्तित होते हैं।

2.23.2.4 वित्तीय साधनों का उचित मूल्य पर आंकलन

उचित मूल्य वह कीमत है जो किसी परिसंपत्ति को विक्रय कर प्राप्त की जाएगी या मौजूदा बाजार स्थितियों के तहत माप तिथि पर बाजार सहभागियों के बीच एक व्यवस्थित लेनदेन में देनदारी को स्थानांतरित कर भुगतान किया जाएगा।

कंपनी उचित मूल्य पर मापी गई परिसंपत्तियों और देनदारियों को ऐसे माप के लिए नियोजित इनपुट का निरीक्षण करने की क्षमता के आधार पर तीन स्तरों में से एक में वर्गीकृत करती है:

(क) स्तर 1: इनपुट समान परिसंपत्तियों या देनदारियों के लिए सक्रिय बाजारों में उद्धृत कीमतें (असमायोजित) हैं।

(ख) स्तर 2: उद्धृत कीमतों के अलावा अन्य इनपुट स्तर 1 के भीतर शामिल हैं जो परिसंपत्ति या दायित्व के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से देखने योग्य हैं।

(ग) स्तर 3: परिसंपत्ति या देनदारी के लिए इनपुट जो अवलोकनीय बाजार डेटा (अवलोकन योग्य इनपुट) पर आधारित नहीं हैं।

कंपनी में उचित मूल्यों के माप के संबंध में एक स्थापित नियंत्रण ढांचा है। इसमें एक वित्त टीम शामिल है जिसके पास सभी महत्वपूर्ण उचित मूल्य मापों की देखरेख करने की समग्र जिम्मेदारी है जो नियमित रूप से महत्वपूर्ण अप्राप्य इनपुट, मूल्यांकन समायोजन और उचित मूल्य पदानुक्रम की समीक्षा करते हैं जिसके तहत मूल्यांकन को वर्गीकृत किया जाना चाहिए।

2.23.2.5 विकासाधीन अस्पर्शनीय परिसम्पत्ति

खातालेखन नीति के अनुसार कम्पनी किसी परियोजना के अधीन विकासाधीन अस्पर्शनीय परिसम्पत्तियों को पूँजीगत करती है। लागतों का प्रारम्भिक पूँजीकरण प्रबंधन के इस निर्णय पर निर्भर करता है कि इसका तकनीकी तथा आर्थिक औचित्य का पुष्टिकरण हुआ है, सामान्यतया तब जब कि परियोजना का प्रतिवेदन बनाया एवं अनुमोदित किया जाता है।

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ (स्टैंडअलोन)

2.23.2.6 खान-बंदी, साइट बहाली तथा बंदी संबंधी दायित्व निर्वहन हेतु प्रावधान

खान-बंदी, साइट बहाली तथा बंदी संबंधी दायित्व हेतु प्रावधान के उचित मूल्यांकन के समय, डिस्काउन्ट दरों, साइट बहाली तथा संरचनाओं को हटा कर अलग करने हेतु अपेक्षित व्यय एवं इनके लिए लगने वाले समय आदि की लागत के बारे में धारणाएँ एवं आंकलन किए जाते हैं। कम्पनी द्वारा प्रावधानों का आंकलन डीसीएफ विधि से परियोजना/खान के जीवनकाल निम्नलिखित आधार पर किया जाता है -

- Ø कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रति हेक्टेयर की आंकलित लागत।
- Ø डिस्काउन्ट दर (कर पूर्व दर) जो कि रकम के समय मूल्य तथा निर्दिष्ट देयता से संबंधित जोखिम के वर्तमान बाजार आंकलन मूल्य को दर्शाती हो।

2.23.2.7 स्ट्रिपिंग गतिविधि

खदान के औसत स्ट्रिपिंग अनुपात (मानक अनुपात) की तुलना में ओबी और कोयले के वर्तमान अनुपात के आधार पर रेशियो वेरिएंस रिजर्व को मान्य या रिवर्स किया जाता है। परियोजना रिपोर्ट के अनुसार मानक अनुपात खदान के कोयला भंडार और खदान के जीवन के दौरान हटाए गए ओबरबर्डन पर आधारित होती हैं। परियोजना की भू-खनन स्थितियों में परिवर्तन के परिणामस्वरूप आमतौर पर अनुपात में परिवर्तन होता है, अनुपात में ऐसे परिवर्तनों को संभावित रूप से ध्यान में रखा जाता है।

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ (स्टैंडअलोन)

2.24 प्रयुक्त शब्द-संक्षेप:

ए.	सीजीयू	नकदी बनाने वाली इकाई	एल.	ईसीएल	ईस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड
बी.	डीसीएफ	डिस्काउंट कैश फ्लो	एम.	बीसीसीएल	भारत कोरिंग कोल लिमिटेड
सी.	एफवीटीओसीआई	अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य	एन.	सीसीएल	सेंट्रल कोलफिल्ड्स लिमिटेड
डी.	एफवीटीपीएल	लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य	ओ.	एसईसीएल	साउथ ईस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड
इ.	जीएपी	आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांत	पी.	एमसीएल	महानदी कोलफिल्ड्स लिमिटेड
एफ.	इंडस्ट्रीज एएस	भारतीय लेखा मानक	प्र.	एनसीएल	नॉर्दन कोलफिल्ड्स लिमिटेड
जी.	ओसीआई	अन्य व्यापक आय	आर.	डब्ल्यूसीएल	वेस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड
एच.	पी एंड एल	लाभ और हानि	एस.	सीएमपीडीआईएल	केंद्रीय खान योजना एवं डिजाइन संस्थान लिमिटेड
मैं.	पीपीई	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	टी.	एनईसी	उत्तर पूर्वी कोयला क्षेत्र
जे.	एसपीपीआई	केवल मूलधन और व्याज का भुगतान	यू.	आईआईसीएम	भारतीय कोयला प्रबंधन संस्थान
क.	ईआईआर	प्रभावी व्याज दर बनाम	वी.	सीआईएल	कोल इंडिया लिमिटेड

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणीयाँ (स्टैंडअलोन)

टिप्पण 3: संपत्ति, संचय और उपकरण

(₹ करोड़ में)

	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	अन्य भूमि	भूमि सुधार/ स्थल पुनर्स्थापन लागत ³	भवन (जल आपूर्ति, सड़क और पुलिया सहित)	संयंत्र एवं उत्करण ²	फ्रैनिचर व पिक्सचर	वाहनों उपकरण	कार्यालय दर संचार	रेलवे साइडिंग्स	हवाई जहाज	अन्य खनन	संपत्तियों का सर्वेक्षण	कुल	
सकल बहन राशि:														
1 अप्रैल, 2021 तक	12.07	44.17	11.20	296.59	73.50	18.80	2.35	15.38	3.96	3.87	0.58	0.18	0.15	482.80
परिवर्धन	83.37	-	-	3.24	1.31	0.32	-	3.17	0.02	0.00	-	-	-	91.43
विलोपन/समायोजन	0.01	-	-	0.12	(3.94)	(0.13)	(0.91)	(5.60)	2.05	0.95	(0.58)	-	0.05	(7.98)
31 मार्च, 2022 तक	95.45	44.17	11.20	299.95	70.87	18.99	1.44	12.95	6.03	4.82	0.00	0.18	0.20	566.25
1 अप्रैल, 2022 तक	95.45	44.17	11.20	299.95	70.87	18.99	1.44	12.95	6.03	4.82	-	0.18	0.20	566.25
परिवर्धन	6.02	-	3.17	4.16	0.40	0.76	2.05	8.23	0.43	-	-	20.40	0.04	45.66
विलोपन/समायोजन	-	-	-	(0.06)	(2.37)	(0.31)	(0.12)	(1.04)	(0.04)	-	-	(3.10)	-	(7.04)
31 मार्च, 2023 तक	101.47	44.17	14.37	304.05	68.90	19.44	3.37	20.14	6.42	4.82	-	17.48	0.24	604.87
सचित मूल्यहास और हानि														
1 अप्रैल, 2021 तक	-	39.19	5.67	31.86	32.98	10.01	1.29	10.60	1.98	0.19	-	0.12	0.04	133.93
वर्ष के लिए मूल्यहास	-	2.37	0.23	7.25	6.16	1.74	0.15	1.64	0.41	0.28	-	0.02	-	20.25
विलोपन/समायोजन	-	0.02	-	0.04	(4.97)	(0.07)	(0.89)	(4.66)	1.88	-	-	0.02	(0.04)	(8.67)
31 मार्च, 2022 तक	-	41.58	5.90	39.15	34.17	11.68	0.55	7.58	4.27	0.47	-	0.16	-	145.51
1 अप्रैल, 2022 तक	-	41.58	5.90	39.15	34.17	11.68	0.55	7.58	4.27	0.47	-	0.16	-	145.51
वर्ष के लिए मूल्यहास	-	1.77	0.35	7.06	5.96	1.72	0.26	3.35	0.27	0.28	-	0.84	-	21.86
विलोपन/समायोजन	-	-	-	(0.01)	(2.29)	(0.14)	(0.11)	(0.90)	(0.03)	-	-	-	-	(3.48)
31 मार्च, 2023 तक	-	43.35	6.25	46.20	37.84	13.26	0.70	10.03	4.51	0.75	-	1.00	0.00	163.89
शुद्ध बहन राशि														
31 मार्च, 2023 तक	101.47	0.82	8.12	257.85	31.06	6.18	2.67	10.11	1.91	4.07	-	16.48	0.24	440.98
31 मार्च, 2022 तक	95.45	2.59	5.30	260.80	36.70	7.31	0.89	5.37	1.76	4.35	-	0.02	0.20	420.74

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ (स्टैंडअलोन)

टिप्पण 3: संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (जारी..)

1. अचल संपत्तियों का स्वामित्व विलेख कंपनी के नाम पर नहीं है

संपत्ति का विवरण	सकल वहन मूल्य (₹ करोड़ में)	के नाम पर स्वामित्व विलेख	क्या टाइटल डीड धारक प्रमोटर, निदेशक या प्रमोटर/निदेशक का रिश्तेदार या प्रमोटर/निदेशक का कर्मचारी है	संपत्ति किस तिथि से कब तक धारित है	कंपनी के नाम पर न होने का कारण
पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	0.03	असम रेलवे और ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड/एमएस दिल्ली कोलियरी/स्वामित्व विलेख उपलब्ध नहीं हैं	नहीं	अलग-अलग तारीखें	राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया में कंपनी द्वारा 934.45 हेक्टेयर फ्री होल्ड भूमि का अधिग्रहण किया गया था, जिसके लिए पुस्तकों में शून्य मूल्य दर्ज किया गया था। राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया में कंपनी द्वारा 10.97 हेक्टेयर फ्री होल्ड भूमि का अधिग्रहण किया गया था, जिसके लिए पुस्तकों में शून्य मूल्य दर्ज किया गया था। कंपनी द्वारा 0.92 हेक्टेयर फ्री होल्ड भूमि का अधिग्रहण किया गया था, जिसका स्वामित्व विलेख उपलब्ध नहीं था, जिसका मूल्य पुस्तकों में शून्य दर्ज किया गया था। राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया में कंपनी द्वारा 5.60 हेक्टेयर फ्री होल्ड भूमि का अधिग्रहण किया गया था, जिसका मूल्य ₹ 0.03 करोड़ किताबों में दर्ज किया गया था। अधिग्रहित भूमि के अन्य सभी स्वामित्व विलेख कब्जे में हैं और फ्रीहोल्ड भूमि के कुछ मामलों को छोड़कर कंपनी के पक्ष में परिवर्तित हो गए हैं, जहां कानूनी औपचारिकताओं के लंबित रहने तक यह प्रगति पर है।
अन्य भूमि	-	स्वामित्व विलेख उपलब्ध नहीं है	लागू नहीं	अलग-अलग तारीखें	4489.82 हेक्टेयर भूमि अन्य भूमि की श्रेणी में है जिसे कंपनी द्वारा राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया में अधिग्रहित किया गया था, जिसके लिए पुस्तकों में शून्य मूल्य दर्ज किया गया था। कोयला खदान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम 1973 के अनुसरण में अर्जित भूमि, कोयला धारक क्षेत्र (अधिग्रहण और विकास) अधिनियम, 1957 और भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के तहत अर्जित भूमि के लिए संबंधित भूमि के लिए अलग से स्वामित्व विलेख की आवश्यकता नहीं होती है।
इमारत	82.88	स्वामित्व विलेख उपलब्ध नहीं है	नहीं	अलग-अलग तारीखें	इमारतों को शहरी विकास मंत्रालय (भारत सरकार) की ओर से सार्वजनिक उद्यमों की स्थायी समिति और एनबीसीसी द्वारा प्रचारित किया जाता है और सीआईएल के पास स्वामित्व के प्रमाण के रूप में केवल आवंटन पत्र हैं।

2. दानकुनी कोयला परिसर / भारतीय कोयला प्रबंधन संस्थान:

- संपत्ति, संयंत्र और उपकरण जिसमें संयंत्र और उपकरण और संबंधित भवन और अन्य परिसंपत्तियां शामिल हैं, जिनका लिखित मूल्य 31.03.2023 को ₹9.28 करोड़ (31.03.2022 को ₹9.53 करोड़) है, को रद्द करने योग्य परिचालन पट्टा समझौते के तहत प्रति वर्ष ₹1.80 करोड़ के किराये पर साउथ ईस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड को पट्टा पर दिया जाना जारी रहेगा।
- संपत्ति, संयंत्र और उपकरण जिसमें संयंत्र और उपकरण और संबंधित भवन और अन्य परिसंपत्तियां शामिल हैं, जिनका लिखित मूल्य 31.03.2023 तक ₹ 11.06 करोड़ (31.03.2022 तक ₹11.49 करोड़) था, को, सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत सोसायटी, भारतीय कोयला प्रबंधन संस्थान को रद्द करने योग्य परिचालन पट्टा समझौते के तहत ₹0.01 करोड़ के वार्षिक पट्टा किराए पर दे दिया गया है।
- भूमि पुनर्ग्रहण/साइट पुनर्स्थापन लागत में खदान बंद होने के चरण में होने वाली अनुमानित लागत शामिल होती है जिसे मुद्रास्फीति (5% प्रति वर्ष) के लिए विधिवत बढ़ाया जाता है और फिर 8% छूट दर पर छूट दी जाती है जो उचित मूल्य की वर्तमान बाजार दर और जोखिम को दर्शाती है।
- कंपनी ने चालू वर्ष या पिछले वर्ष के दौरान अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।
- हानि में बदलाव की स्थिति के लिए टिप्पणी - 38 (7) (ए) देखें

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ (स्टैंडअलोन)

टिप्पण 4: पूँजीगत कार्य प्रगतिरत

(₹ करोड़ में)

	भवन (जल आपूर्ति, सड़क और पुलिया सहित)	संयंत्र एवं उपकरण	रेलवे साइडिंग्स	अन्य खनन अवसंरचना/विकास	सौर परियोजना	कुल
सकल वहन राशि:						
1 अप्रैल, 2021 तक	1.63	0.29	0.95	84.05	-	86.92
परिवर्धन	4.29	0.08	-	17.80	11.82	33.99
पूँजीकरण/समायोजन	(0.49)	(0.08)	(0.95)	(64.28)	-	(65.80)
31 मार्च, 2022 तक	5.43	0.29	-	37.57	11.82	55.11
1 अप्रैल, 2022 तक	5.43	0.29	-	37.57	11.82	55.11
परिवर्धन	4.83	-	-	32.63	42.74	80.20
पूँजीकरण/समायोजन	(3.96)	(0.11)	-	(20.40)	(0.02)	(24.49)
31 मार्च, 2023 तक	6.30	0.18	-	49.80	54.54	110.82
संचित क्षति						
1 अप्रैल, 2021 तक	-	0.20	-	1.48	-	1.68
विलोपन/समायोजन	-	(0.02)	-	0.43	-	0.41
31 मार्च, 2022 तक	-	0.18	-	1.91	-	2.09
1 अप्रैल, 2022 तक	-	0.18	-	1.91	-	2.09
वर्ष के लिए हानि	-	-	-	-	-	-
विलोपन/समायोजन	-	-	-	-	-	-
31 मार्च, 2023 तक	-	0.18	-	1.91	-	2.09
शुद्ध वहन राशि						
31 मार्च, 2023 तक	6.30	-	-	47.89	54.54	108.73
31 मार्च, 2022 तक	5.43	0.11	-	35.66	11.82	53.02

टिप्पणी:

- पूँजीगत कार्य प्रगतिरत (सकल) का एंजिंग शेड्यूल:

	31-03-2023 तक पूँजीगत कार्य प्रगति पर है				
	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 साल	3 वर्ष से अधिक	कुल
प्रगतिरत परियोजनाएँ:					
भवन (जल आपूर्ति, सड़क और पुलिया सहित)	5.40	-	-	0.90	6.30
संयंत्र और उपकरण	0.06	-	-	0.12	0.18
अन्य खनन अवसंरचना/विकास	1.43	-	0.95	47.42	49.80
सौर परियोजना	-	54.54	-	-	54.54
कुल	6.89	54.54	0.95	48.44	110.82

	31-03-2022 तक पूँजीगत कार्य प्रगति पर है				
	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 साल	3 वर्ष से अधिक	कुल
प्रगतिरत परियोजनाएँ:					
भवन (जल आपूर्ति, सड़क और पुलिया सहित)	4.28	0.98	0.12	0.05	5.43
संयंत्र और उपकरण	0.06	0.03	-	0.20	0.29
अन्य खनन अवसंरचना/विकास	1.38	0.36	14.37	21.46	37.57
सौर परियोजना	11.82	-	-	-	11.82
कुल	17.54	1.37	14.49	21.71	55.11

किसी भी प्रगतिरत परियोजना के लिए वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि को पुराने कार्यक्रम के प्रयोजन के लिए परियोजना आरंभ होने के वर्ष में किए गए व्यय के रूप में माना जाता है।

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ (स्टैंडअलोन)

टिप्पणी 5: अन्वेषण और मूल्यांकन संपत्ति

(₹ करोड़ में)

	अन्वेषण और मूल्यांकन लागत
सकल वहन राशि:	
1 अप्रैल, 2021 तक	11.82
परिवर्धन	-
प्रगतिरत पूँजीगत कार्य में स्थानांतरण/विलोपन	-
31 मार्च, 2022 तक	11.82
1 अप्रैल, 2022 तक	11.82
परिवर्धन	-
प्रगतिरत पूँजीगत कार्य में स्थानांतरण/विलोपन	(2.56)
31 मार्च, 2023 तक	9.26
संचित हानि	
1 अप्रैल, 2021 तक	9.26
वर्ष के लिए हानि	-
विलोपन/समायोजन	-
31 मार्च, 2022 तक	9.26
1 अप्रैल, 2022 तक	9.26
वर्ष के लिए हानि	-
विलोपन/समायोजन	-
31 मार्च, 2023 तक	9.26
शुद्ध वहन राशि	
31 मार्च, 2023 तक	-
31 मार्च, 2022 तक	2.56

1. अन्वेषण और मूल्यांकन के लिए आयु निर्धारण अनुसूची (सकल):

	31-03-2023 तक अन्वेषण और मूल्यांकन में राशि				
	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 साल	3 वर्ष से अधिक	कुल
प्रगतिरत परियोजनाएँ:					
अन्वेषण और मूल्यांकन					
अस्थायी रूप से परियोजनाएँ निलंबित:					
अन्वेषण और मूल्यांकन	-	-	0.03	9.23	9.26
कुल	-	-	0.03	9.23	9.26

	31-03-2022 तक अन्वेषण और मूल्यांकन में राशि				
	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 साल	3 वर्ष से अधिक	कुल
प्रगतिरत परियोजनाएँ:					
अन्वेषण और मूल्यांकन					
अस्थायी रूप से परियोजनाएँ निलंबित:					
अन्वेषण और मूल्यांकन	-	0.03	2.66	9.13	11.82
कुल	-	0.03	2.66	9.13	11.82

किसी भी चल रही परियोजना के लिए वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि को पुराने कार्यक्रम के प्रयोजन के लिए परियोजना आरंभ के वर्ष में किए गए व्यय के रूप में माना जाता है।

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ (स्टैंडअलोन)

टिप्पणि 6.1: अमूर्त संपत्ति

(₹ करोड़ में)

	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	कुल
सकल बहन राशि:		
1 अप्रैल, 2021 तक	2.70	2.70
परिवर्धन	1.50	1.50
विलोपन/समायोजन	(0.13)	(0.13)
31 मार्च, 2022 तक	4.07	4.07
1 अप्रैल, 2022 तक	4.07	4.07
परिवर्धन	131.70	131.70
विलोपन/समायोजन	-	-
31 मार्च, 2023 तक	135.77	135.77
संचित परिशोधन		
1 अप्रैल, 2021 तक	1.35	1.35
वर्ष के लिए परिशोधन	0.58	0.58
31 मार्च, 2022 तक	1.93	1.93
1 अप्रैल, 2022 तक	1.93	1.93
वर्ष के लिए परिशोधन	21.08	21.08
31 मार्च, 2023 तक	23.01	23.01
शुद्ध बहन राशि		
31 मार्च, 2023 तक	112.76	112.76
31 मार्च, 2022 तक	2.14	2.14

टिप्पणी 6.2: विकासरत अमूर्त संपत्तियाँ

विकास के तहत ईआरपी

बहन राशि:		
1 अप्रैल, 2021 तक	86.17	
परिवर्धन	18.97	
पूंजीकरण/विलोपन	-	
31 मार्च, 2022 तक	105.14	
1 अप्रैल, 2022 तक	105.14	
परिवर्धन	7.03	
पूंजीकरण/विलोपन	(112.17)	
31 मार्च, 2023 तक		-

- विकासरत अमूर्त संपत्तियों के लिए एंजिंग शेड्यूल (सकल)

	31-03-2023 तक विकासाधीन अमूर्त संपत्तियों की राशि				
	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 साल	3 वर्ष से अधिक	कुल
प्रगतिरत परियोजनाएँ:	-	-	-	-	-
विकास के तहत ईआरपी	-	-	-	-	-
अस्थायी रूप से परियोजनाएँ निर्लंबित:					
परियोजना का नाम					
कुल	-	-	-	-	-

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ (स्टैंडअलोन)

टिप्पणी 6.2: विकासरत अमूर्त संपत्तियाँ (जारी..)

	31-03-2022 तक विकासाधीन अमूर्त संपत्तियों की राशि				
	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 साल	3 वर्ष से अधिक	कुल
प्रगतिरत परियोजनाएँ:					
विकासाधीन ईआरपी	-	-	105.14	-	105.14
अस्थायी रूप से परियोजनाएँ निलंबित:					
परियोजना का नाम					
कुल	-	-	105.14	-	105.14

किसी भी चल रही परियोजना के लिए वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि को पुराने कार्यक्रम के प्रयोजन के लिए परियोजना आरंभ के वर्ष में किए गए व्यय के रूप में माना जाता है।

टिप्पणी – 07: निवेश (गैर-चालू)

	होलिंग का %	(₹ करोड़ में)	
		31-03-2023 तक	31-03-2022 तक
अनुषंगी कंपनी में इकिटी शेयरों में निवेश (अनउद्धृत)			
ईस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड (सैंकटोरिया, पश्चिम बंगाल) ¹	100% (100%)	4,269.42	4,269.42
प्रत्येक ₹ 1000 का पूर्ण भुगतानित 42694200 इकिटी शेयर (विगत वर्ष प्रत्येक ₹ 1000 का पूर्ण भुगतानित 42694200 इकिटी शेयर)			
सेंट्रल कोलफिल्ड्स लिमिटेड (रांची, झारखंड)	100% (100%)	940.00	940.00
प्रत्येक ₹ 1000 का पूर्ण भुगतानित 9400000 इकिटी शेयर (विगत वर्ष प्रत्येक ₹ 1000 का पूर्ण भुगतानित 9400000 इकिटी शेयर)			
भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (धनबाद, झारखंड) ¹	100% (100%)	4,657.00	4,657.00
प्रत्येक ₹ 1000 का पूर्ण भुगतानित 46570000 इकिटी शेयर (विगत वर्ष प्रत्येक ₹ 1000 का पूर्ण भुगतानित 46570000 इकिटी शेयर)			
वेस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड (नागपुर, महाराष्ट्र)	100% (100%)	297.10	297.10
प्रत्येक ₹ 1000 का पूर्ण भुगतानित 2971000 इकिटी शेयर (विगत वर्ष प्रत्येक ₹ 1000 का पूर्ण भुगतानित 2971000 इकिटी शेयर)			
सेंट्रल माइन प्लार्निं एंड डिज़ाइन इंस्टीचूट लिमिटेड (रांची, झारखंड)	100% (100%)	19.04	19.04
प्रत्येक ₹ 1000 का पूर्ण भुगतानित 1428000 इकिटी शेयर (विगत वर्ष प्रत्येक ₹ 1000 का पूर्ण भुगतानित 1428000 इकिटी शेयर)			
नॉर्दर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड (सिंगरौली, मध्य प्रदेश)	100% (100%)	126.19	126.19
प्रत्येक ₹ 1000 का पूर्ण भुगतानित 6309405 इकिटी शेयर (विगत वर्ष ₹ 1000 प्रत्येक पूर्ण भुगतानित 6309405 इकिटी शेयर)			
साउथ ईस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड (बिलासपुर, छत्तीसगढ़)	100% (100%)	278.36	278.36
प्रत्येक ₹ 1000 का पूर्ण भुगतानित 6680561 इकिटी शेयर (विगत वर्ष प्रत्येक ₹ 1000 का पूर्ण भुगतानित 6680561 इकिटी शेयर)			
महानदी कोलफिल्ड्स लिमिटेड (सबलपुर, उडीसा)	100% (100%)	132.37	132.37
प्रत्येक ₹ 1000 का पूर्ण भुगतानित 6618363 इकिटी शेयर (विगत वर्ष प्रत्येक ₹ 1000 का पूर्ण भुगतानित 6618363 इकिटी शेयर)			
कोल इंडिया अफ्रीकाना लिमिटेड (मोटीज़, मोज़ाम्बिक) ²	कोटा पूँजी	0.53	0.53
सीआईएल सोलर पीवी लिमिटेड (कोलकाता, पश्चिम बंगाल)	100% (100%)	0.05	0.05
प्रत्येक ₹ 10 का पूर्ण भुगतानित 50000 इकिटी शेयर (विगत वर्ष प्रत्येक ₹ 10 का पूर्ण भुगतानित 50000 इकिटी शेयर)			

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ (स्टैंडअलोन)

	होल्डिंग का %	31-03-2023 तक	31-03-2022 तक
सीआईएल नवीकरणीय ऊर्जा लिमिटेड (कोलकाता, पश्चिम बंगाल) प्रत्येक ₹ 10 का पूर्ण भुगतानित 50000 इकीटी शेयर (विगत वर्ष प्रत्येक ₹ 10 मूल्य वाले पूर्ण भुगतानित 50000 इकीटी शेयर)	100% (100%)	0.05	0.05
		10,720.11	10,720.11
संयुक्त उद्यमों में इकीटी शेयर (अनउद्धृत)			
इंटरनेशनल कोल वेंचर प्राइवेट लिमिटेड (नई दिल्ली) ³ प्रत्येक ₹ 10 का पूर्ण भुगतानित 2800000 इकीटी शेयर (विगत वर्ष प्रत्येक ₹ 10 का पूर्ण भुगतानित 2800000 इकीटी शेयर)	0.19% (0.19%)	2.80	2.80
सीआईएल एनटीपीसी ऊर्जा प्राइवेट लिमिटेड (नई दिल्ली) ⁴ प्रत्येक ₹ 10 का पूर्ण भुगतानित 76900 इकीटी शेयर (विगत वर्ष प्रत्येक ₹ 10 का पूर्ण भुगतानित 76900 इकीटी शेयर)	50% (50%)	0.08	0.08
तालचर फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (भुवनेश्वर, उड़ीसा) ⁵ प्रत्येक ₹ 10 का पूर्ण भुगतानित 805480826 इकीटी शेयर (विगत वर्ष प्रत्येक ₹ 10 का पूर्ण भुगतानित 805480826 इकीटी शेयर)	33.33% (33.33%)	805.48	805.48
हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड (नई दिल्ली) ⁶ प्रत्येक ₹ 10 का पूर्ण भुगतानित 2295955000 इकीटी शेयर (विगत वर्ष प्रत्येक ₹ 10 का पूर्ण भुगतानित 1629415000 इकीटी शेयर)	33.33% (33.33%)	2,295.96	1,629.42
कोल लिमाइट ऊर्जा विकास प्राइवेट लिमिटेड (कोलकाता, पश्चिम बंगाल) ⁷ प्रत्येक ₹ 10 का पूर्ण भुगतानित 10000 इकीटी शेयर (विगत वर्ष प्रत्येक ₹ 10 का पूर्ण भुगतानित 10000 इकीटी शेयर)	50% (50%)	0.01	0.01
		3,104.33	2,437.79
कुल		13,824.44	13,157.90
गैर-उद्धृत निवेश की कुल राशि:		13,824.44	13,157.90

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ (स्टैंडअलोन)

टिप्पणी - 07: निवेश (गैर-चालू)

1. ईस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड (ईसीएल) और भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल) में निवेश

क) पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी बीसीसीएल के इकिटी शेयरों में निवेश दीर्घकालिक और रणनीतिक प्रकृति का है। बीसीसीएल में निवेश का बुक वैल्यू ₹4657 करोड़ (विगत वर्ष ₹4657 करोड़) है, जिसके मुकाबले संचित घाटा ₹872.87 करोड़ (विगत वर्ष ₹1383.23 करोड़) है। 31.03.2013 को (अर्थात् उस वर्ष का अंत जिसमें यह बीआईएफआर से बाहर आया था) संचित घाटा ₹4106.03 करोड़ से कम होकर ₹872.87 करोड़ हो गया है।

इसी प्रकार, पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी ईसीएल के इकिटी शेयरों में निवेश भी दीर्घकालिक और रणनीतिक प्रकृति का है। ईसीएल में निवेश का बुक वैल्यू ₹4269.42 करोड़ (विगत वर्ष ₹4269.42 करोड़) है, जिसके मुकाबले संचित घाटा ₹1725.55 करोड़ (विगत वर्ष ₹2455.71 करोड़) है। 31.03.2015 को (अर्थात् उस वर्ष का अंत जिसमें यह बीआईएफआर से बाहर आया था) संचित घाटा ₹2716.00 करोड़ से घटकर ₹2455.71 करोड़ हो गया है। इन कंपनियों में बदलाव को देखते हुए और इन कंपनियों में निवेश दीर्घकालिक और रणनीतिक प्रकृति का है, निवेश के बुक वैल्यू पर विचार किया गया है।

2. कोल इंडिया अफ्रीकाना लिमिटेड (सीआइएएल) में निवेश -

कोल इंडिया लिमिटेड ने मोज़ाम्बिक में गैर-कोकिंग कोयला संपत्तियों का पता लगाने के लिए मोज़ाम्बिक गणराज्य में 100% स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी का गठन किया है, जिसका नाम “कोल इंडिया अफ्रीकाना लिमिटेड” है। प्रारंभिक भुगतान की गई पूँजी (जिसे “कोटा कैपिटल” कहा जाता है) ₹ 0.53 करोड़ है। सीआईएल द्वारा सीआईएएल में निवेश रणनीतिक और दीर्घकालिक प्रकृति के हैं। सीआईएल द्वारा सीआईएएल को दी गई अग्रिम पूरी तरह से चालू खाते के तहत प्रदान की गई है, क्योंकि अब तक किए गए खर्च कोयला ब्लॉकों के लिए हैं, जिन्हें व्यवहार्य परियोजनाओं में नहीं बदला जा सकता है। सीआईएल बोर्ड के निर्देशों के अनुसार, भारत सरकार के माध्यम से एक नए संभावित कोयला ब्लॉक के आवंटन के लिए अनुरोध किया गया था, जिसके लिए मोज़ाम्बिक सरकार से प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा है। उपरोक्त के मद्देनजर, निवेश में हानि के कोई संकेत नहीं है और जैसा कि मूल्य की गणना लागत पर की गई है।

3. इंटरनेशनल कोल वैंचर्स प्राइवेट लिमिटेड में निवेश - विदेश में कोकिंग कोयला संपत्ति के अधिग्रहण हेतु सीआईएल / एसआईएल / आरआईएनएल / एनटीपीसी और एनएमडीसी के संयुक्त उपक्रम के माध्यम से विशेष उद्देश्य वाहन (एसपीवी) के गठन के संबंध में एक समझौता ज्ञापन (24 नवंबर, 2007 को आयोजित 237 वीं बैठक में अपने बोर्ड से अनुमोदन के माध्यम से) में प्रवेश किया है। एसपीवी के गठन को भारत सरकार ने 8 नवंबर, 2007 को मंजूरी दी थी।

उपरोक्त एसपीवी अर्थात् इंटरनेशनल कोल वैंचर्स प्रा. लिमिटेड को कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत 20 मई, 2009 को शुरू में ₹ 1.00 करोड़ की अधिकृत पूँजी के साथ और ₹ 0.70 करोड़ की भुगतान पूँजी के साथ निगमित किया गया था। 31.03.2023 को अधिकृत पूँजी और भुगतान की गई पूँजी क्रमशः ₹ 3500.00 करोड़ और ₹ 1460.29 करोड़ थी। उपरोक्त पेड अप कैपिटल में से, कोल इंडिया लिमिटेड के पास 0.19% शेयर यानी ₹ 2.80 करोड़ के अंकित मूल्य के इकिटी शेयरों का स्वामित्व है।

4. सीआईएल एनटीपीसी ऊर्जा प्राइवेट लिमिटेड में निवेश

सीआईएल एनटीपीसी ऊर्जा प्राइवेट लिमिटेड एक 50:50 संयुक्त उद्यम कंपनी है जिसका गठन 27 अप्रैल, 2010 को सीआईएल और एनटीपीसी के बीच कोयले के खनन के साथ-साथ संयुक्त एकीकृत बिजली संयंत्रों की स्थापना के लिए किया गया था। वर्तमान में संयुक्त उद्यम कंपनी में कोल इंडिया लिमिटेड के पास ₹0.08 करोड़ के अंकित मूल्य के 50% इकिटी शेयर हैं।

5. तालचर फर्टिलाइजर्स लिमिटेड में निवेश

एक संयुक्त उद्यम कंपनी “तालचर फर्टिलाइजर्स लिमिटेड” (जिसे पहले राष्ट्रीय कोल गैस उर्वरक लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) को 27 अक्टूबर, 2015 के एक संयुक्त उद्यम समझौते के तहत 13 नवंबर, 2015 को कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत राष्ट्रीय रसायन और उर्वरक लिमिटेड, गेल (इंडिया) लिमिटेड, फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और कोल इंडिया लिमिटेड (उखड़) के बीच ₹4200.00 करोड़ की अधिकृत शेयर पूँजी के साथ निगमित किया गया। वर्तमान में कोल इंडिया लिमिटेड ने 31.03.2023 तक संयुक्त उद्यम कंपनी में ₹805.48 करोड़ (यानी 33.33%) का निवेश किया है।

6. हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड में निवेश

सीआईएल और एनटीपीसी लिमिटेड के बीच 16 मई, 2016 को हुए समझौते के आधार पर, हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड (एचयूआरएल) नामक एक संयुक्त उद्यम कंपनी का गठन किया गया था। इसके बाद, आईओसीएल, एफसीआईएल और एचएफसीएल को संयुक्त उद्यम भागीदार के रूप में शामिल करने के लिए 31 अक्टूबर, 2016 को संयुक्त उद्यम समझौते को संशोधित किया गया है। कंपनी की अधिकृत शेयर पूँजी ₹ 5300.00 करोड़ है। वर्तमान में कोल इंडिया लिमिटेड ने 31-03-2023 तक संयुक्त उद्यम कंपनी में ₹2295.96 करोड़ (यानी 33.33%) का निवेश किया है।

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ (स्टैंडअलोन)

टिप्पणी - 07: निवेश (गैर-चालू)

7. कोल लिग्राइट ऊर्जा विकास प्राइवेट लिमिटेड में निवेश

सीआईएल और एनएलसीआईएल के बीच 08 अक्टूबर, 2020 को हुए समझौते के आधार पर कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत 10 नवंबर, 2020 को 'कोल लिग्राइट ऊर्जा विकास प्राइवेट लिमिटेड' नामक एक संयुक्त उद्यम कंपनी की संस्थापना की गई। कंपनी की अधिकृत शेयर पूँजी ₹0.10 करोड़ है। वर्तमान में कोल इंडिया लिमिटेड ने 31-03-2023 तक संयुक्त उद्यम कंपनी में ₹ 0.01 करोड़ (यानी 50%) का निवेश किया है।

8. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186(4) के अनुसार आवश्यक निवेश के विवरण का खुलासा उपरोक्त टिप्पण संख्या 7 के तहत किया गया है।

टिप्पणी - 07 : निवेश (चालू)

(₹ करोड़ में)

	इकाइयों	एनएवी (₹)	31-03-2023 तक	31-03-2022 तक
म्यूचुअल फंड में निवेश (अनउद्धृत)				
एसबीआई म्यूचुअल फंड (लिकिड फंड डायरेक्ट ग्रोथ)	108442.820 (पीवाई 689232.986)	3523.3030 (पीवाई 3333.0896)	38.21	229.73
केनरा रोबेको म्यूचुअल फंड ¹	13.6370 (पीवाई 30.785)	2696.7127 (पीवाई 2548.8729)	-	0.01
यूनियन केबीसी म्यूचुअल फंड	36.85 (पीवाई 17.34)	2169.4479 (पीवाई 2043.5589)	0.01	-
बैंक ऑफ बड़ौदा म्यूचुअल फंड	36.638 (पीवाई 71818.861)	2595.4687 (पीवाई 2452.9344)	0.01	17.62
कुल			38.23	247.36
अनउद्धृत निवेश की कुल राशि:			38.23	247.36

1. उपरोक्त राशि 31-03-2023 तक ₹0.0036 करोड़ दर्शाती है।

उचित मूल्य माप के लिए टिप्पणी-38 4(ए) देखें

2. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186(4) के अनुसार आवश्यक निवेश के विवरण का खुलासा उपरोक्त टिप्पण संख्या 7 के तहत किया गया है।

टिप्पणी - 08 : ऋण

(₹ करोड़ में)

	31-03-2023 तक	31-03-2022 तक
गैर चालू		
कॉर्पोरेट निकाय और कर्मचारियों को ऋण		
- सुरक्षित, अच्छा माना जाता है	0.02	0.03
- ऋण हानि	1.87	1.87
घटाव: संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ता ¹	1.89	1.90
कुल	0.02	0.03

1. प्रावधान में बदलाव के विवरण के लिए - टिप्पण 38(7)(ए) देखें

2. संबंधित पक्षों को कोई ऋण नहीं है।

टिप्पणी - 09 : अन्य वित्तीय संपत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

	31-03-2023 तक	31-03-2022 तक
गैर चालू		
सुरक्षा जमा	3.48	3.60
12 महीने से अधिक की परिपक्ता अवधि वाली बैंक जमा	0.14	200.96
खदान बंद करने की योजना के तहत बैंक में जमा ¹	75.32	69.28
स्थानांतरण एवं पुनर्वास निधि योजना के अंतर्गत बैंक में जमा ^{2अंग 4}	5,320.15	4,838.28
अन्य जमा एवं प्राप्त ^{3अंग 5}	35.37	34.96
कुल	5,434.46	5,147.08

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ (स्टैंडअलोन)

टिप्पण - 09 : अन्य वित्तीय संपत्तियाँ (जारी..)

1. खदान बंद करने की योजना के तहत बैंक में जमा

खदान बंदी योजना की तैयारी के लिए भारत सरकार के कोयला मंत्रालय से प्राप्त दिशा-निर्देशों के बाद, एक एस्क्रो खाता खोला गया है। इस तरह के एस्क्रो अकाउंट पर वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज / अर्जित ₹ 3.58 करोड़ (₹ 2.13 करोड़) को टिप्पणी -25 में उद्धारित बैंकों में जमा से अर्जित ब्याज आय में शामिल किया गया है। एस्क्रो खाते में अर्जित ब्याज सहित कुल जमा राशि का 50% तक हर पांच साल बाद दिशानिर्देशों के अनुसार बंदी योजना की आवधिक परीक्षा के अनुरूप जारी किया जा सकता है। (साइट बहाली / खान बंदी के लिए प्रावधान की टिप्पणी- 21 देखें)।

	(₹ करोड़ में)	
	31-03-2023 तक	31-03-2022 तक
एस्क्रो खाता शेष		
एस्क्रो खाते में प्रारंभिक शेष राशि	69.28	64.21
जोड़: वर्ष के दौरान जमा की गई राशि	2.83	3.15
जोड़: वर्ष के दौरान जमा किया गया ब्याज (टीडीएस का शुद्ध)	3.21	1.92
समाप्त तिथि पर एस्क्रो खाते में शेष राशि	75.32	69.28

2. स्थानांतरण एवं पुनर्वास निधि योजना के अंतर्गत बैंक में जमा

कोयला मंत्रालय के निर्देश के बाद कंपनी ने ईस्टर्न कोल फिल्ड्स लिमिटेड और भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के अस्थिर क्षेत्रों में आग और अस्थिरीकरण से निपटने के लिए कार्य योजना के कार्यान्वयन के लिए एक कोष की स्थापना की है। फंड का उपयोग (ईसीएल और बीसीसीएल द्वारा किया जाता है) इस संबंध में अनुमोदित परियोजनाओं के कार्यान्वयन पर आधारित है। सीआईएल की कोयला उत्पादक अनुषंगी कंपनियाँ इस कोष में प्रति वर्ष उनके द्वारा प्रेषित कोयले के रूपये 6/- प्रति टन की दर से अपना योगदान दे रही हैं, जो संबंधित परियोजनाओं को लागू करने वाली अनुषंगी / एजेंसियों द्वारा जब तक उनका वितरण / उपयोग नहीं किया जाता है, सीआईएल की हिरासत में रहता है।

- कोल इंडिया लिमिटेड ने मेसर्स बीईएमएल लिमिटेड और मैसर्स दामोदर वैली कॉर्पोरेशन (डीवीसी) के साथ 08.06.2010 को मैसर्स माइनिंग एंड एलाइड मशीनरी कॉर्पोरेशन (परिसमाप्त के तहत) की विशिष्ट संपत्तियों को हासिल करने के लिए एक कंसर्टियम समझौते किया। समझौते के तहत बीईएमएल, सीआईएल और डीवीसी के बीच क्रमशः 48:26:26 के शेयरधारिता पैटर्न के साथ एक संयुक्त उद्यम कंपनी का गठन किया गया। सीआईएल ने माननीय उच्च न्यायालय, कोलकाता द्वारा पारित आदेश के आधार पर उक्त अधिग्रहण के लिए 100 करोड़ रुपये की बोली के अपने आनुपातिक हिस्से को भुगतान किया है। 31 मार्च 2020 तक 35.34 करोड़ रुपये (रूपये 34.96 करोड़) की राशि का भुगतान बोली विचार और अन्य विविध व्यवहार में किया गया था। तत्पश्चात् एमएएमसी इंडस्ट्रीज लिमिटेड (एमआइएल) के नाम से एक कंपनी का गठन किया गया है और इसे संयुक्त उपक्रम के गठन के उद्देश्य से बीईएमएल की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में 25 अगस्त 2010 को शामिल किया गया है। कंसर्टियम समझौते की नियम और शर्तों के अनुसार, एक शेयरधारकों के समझौते और संयुक्त उद्यम समझौते को निष्पादित किया जाना था। हालांकि शेयरधारकों के समझौते और संयुक्त उद्यम समझौते को अभी तक निष्पादित नहीं किया गया है।
- उपरोक्त में एस्क्रो से जारी किए जाने वाले ₹300 करोड़ और कंपनी के फंड में स्थानांतरण शामिल है, जो कंपनी द्वारा चुकाई गई देनदारी के बराबर राशि है।

5. प्रावधान में बदलाव के लिए - टिप्पण 38(7)(ए) देखें

	(₹ करोड़ में)	
	31-03-2023 तक	31-03-2022 तक
चालु		
प्रतिभूति जमा	0.34	0.28
होल्डिंग कंपनी/अनुषंगी कंपनियों के चालू खाता में शेष राशि	757.92	872.78
घटाव: अनुषंगी कंपनियों के पास संदिग्ध शेष के लिए भत्ता ²	53.83	53.83
	704.09	818.95
आइआइसीएम के पास शेष राशि	5.83	5.91
अर्जित ब्याज	246.21	124.01
अन्य जमा एवं प्राप्य ¹	19.70	87.20
घटाव: संदिग्ध जमा और प्राप्य के लिए भत्ता ²	3.47	3.47
	16.23	83.73
कुल	972.70	1,032.88

- निदेशकों से बकाया के लिए - टिप्पण 38(2)(viii) देखें
- प्रावधान में बदलाव के लिए - टिप्पण 38(7)(ए) देखें

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ (स्टैंडअलोन)

टिप्पण - 10 : अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

	31-03-2023 तक	31-03-2022 तक
पूंजीगत अग्रिम ¹	44.23	46.80
घटाव: संदिग्ध अग्रिमों के लिए भत्ता ²	1.43	-
कुल	42.80	46.80

- निदेशकों से बकाया के लिए - टिप्पण 38(2)(viii) देखें
- प्रावधान में बदलाव के लिए - टिप्पण 38(7)(ए) देखें

टिप्पण - 11 : अन्य चालू परिसंपत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

	31-03-2023 तक	31-03-2022 तक
पूंजीगत अग्रिमों के अलावा अन्य अग्रिम		
संबंधित पक्षों को अग्रिम	67.27	77.61
वैधानिक देय राशि का अग्रिम भुगतान	-	0.27
अन्य जमा एवं अग्रिम ^{1, 3} और ⁵	252.84	202.36
घटाव: संदिग्ध अन्य जमाराशियों और अग्रिमों के लिए भत्ता ² और ⁶	2.27	2.27
	250.57	200.09
प्रगतिशील खदान बंद करने का व्यय	0.40	-
इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त ⁴	76.81	59.79
कुल	395.05	337.76

- अन्य जमा और अग्रिम में विरोध के तहत भुगतान किए गए आयकर के ₹ 20 करोड़ (विगत वर्ष ₹ 20 करोड़) शामिल हैं।
- मार्गेरिटा ट्रेजरी की हिरासत में जब्त कोयला स्टॉक की बिक्री से प्राप्त आय को जमा करने के एवज में ₹ 2.27 करोड़ (विगत वर्ष ₹ 2.27 करोड़) के प्रावधानों का प्रतिनिधित्व करता है। (देखें टिप्पण-38(7)(पी))
- अन्य जमा और प्राप्त में ग्रेच्युटी फंड के लिए ₹98.86 करोड़ ((विगत वर्ष ₹ 57.9 करोड़) और देनदारियों का शुद्ध अवकाश फंड शामिल है।
- इसमें आउटपुट पर जीएसटी के एवज में उपयोग के लिए उपलब्ध इनपुट सामग्री / सेवाओं पर भुगतान किए गए जीएसटी से संबंधित इनपुट टैक्स क्रेडिट के ₹ 76.81 करोड़ (पीवाई ₹ 59.79 करोड़) शामिल है। इसमें काफी हद तक रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म (आरसीएम) के तहत 18% की दर से भुगतान किए गए खनन संचालन रॉयल्टी पर देय जीएसटी शामिल है, जिसकी वसूली, कोयले पर देय शुल्क की दर 5% तक ही सीमित है। विपरीत कर संरचना के कारण जमा होने वाली राशि, भले ही इस संबंध में जारी अधिसूचना के अनुसार वापसी योग्य नहीं है, को इस बात को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ाया जाता है कि इसका उपयोग करने के लिए कोई समय सीमा नहीं है।
- निदेशकों से बकाया के लिए - टिप्पण 38(2)(viii) देखें
- प्रावधान में बदलाव के लिए - टिप्पण 38(7)(ए) देखें

टिप्पण - 12: माल

(₹ करोड़ में)

	31-03-2023 तक	31-03-2022 तक
कोयले का स्टॉक (तैयार माल)	19.31	11.99
भंडार और पुर्जों का स्टॉक (शुद्ध) ¹	1.18	1.09
केंद्रीय अस्पताल में दवा का भंडार	0.06	0.08
कुल	20.55	13.16

- स्टोर और पुर्जों के भंडार में कुछ धीमी गति से चलने वाली, स्थूल और अप्रचलित वस्तुएं शामिल हैं। इस तरह के चल, अचल और अप्रचलित मदों के लिए अप्रचलन के लिए ₹0.40 करोड़ (विगत वर्ष ₹0.47) का हानि भत्ता बहियों में रखा जाता है और कंपनी की नीति के अनुसार यह पर्याप्त है और आगे हानि भत्ता की आवश्यकता नहीं है।
- मूल्यांकन की विधि: टिप्पण संख्या 2.20 देखें - "इन्वेंट्री" पर महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ
- प्रावधान में बदलाव के लिए - टिप्पण 38(7)(ए) देखें

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ (स्टैंडअलोन)

टिप्पण - 13: व्यापार प्रासियाँ

(₹ करोड़ में)

	31-03-2023 तक	31-03-2022 तक
अमुक्त, अच्छा समझा गया	3.57	2.36
ऋण हानि	11.17	11.17
	14.74	13.53
घटाव: अशोध्य और संदिध्य ऋणों के लिए भत्ता ³	11.17	11.17
कुल	3.57	2.36

- निदेशकों से बकाया के लिए - टिप्पण 38(2)(viii) देखें
- इसमें संयुक्त उद्यम कंपनियों का बकाया शामिल है (टिप्पण संख्या 38(2)(बी)(ii) देखें)
- प्रावधान में बदलाव के लिए - नोट 38(7)(ए) देखें
- व्यापार प्राप्य समयावधि अनुसूची

31-03-2023 तक

विवरण	लेन-देन की तारीख से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया					कुल
	6 महीने से कम	6 महीने 1 साल	1-2 वर्ष	2-3 साल	3 वर्ष से अधिक	
(i) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - अच्छा माना गया	3.57	-	-	-	-	3.57
(ii) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - जिनमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	-	-	-	-	-
(iii) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - साख हानि	-	-	-	-	7.47	7.47
(iv) विवादित व्यापार प्राप्य - अच्छा माना गया	-	-	-	-	-	-
(v) विवादित व्यापार प्राप्य - जिनमें साख जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	-	-	-	-	-
(vi) विवादित व्यापार प्राप्य - साख हानि	-	-	-	-	3.70	3.70
कुल	3.57	-	-	-	11.17	14.74
वो बकाया जिनका बिल नहीं किया गया है	-	-	-	-	-	-
अशोध्य और संदिध्य ऋणों के लिए भत्ता	-	-	-	-	11.17	11.17
अपेक्षित साख हानि (हानि भत्ता प्रावधान) - %	0%	0%	0%	0%	100%	76%

31-03-2022 तक

विवरण	लेन-देन की तारीख से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया					कुल
	6 महीने से कम	6 महीने 1 साल	1-2 वर्ष	2-3 साल	3 वर्ष से अधिक	
(i) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - अच्छा माना गया	2.36	-	-	-	-	2.36
(ii) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - जिनमें ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	-	-	-	-	-
(iii) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - ऋण हानि	-	-	-	-	7.47	7.47
(iv) विवादित व्यापार प्राप्य - अच्छा माना गया	-	-	-	-	-	-
(v) विवादित व्यापार प्राप्य - जिनमें ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	-	-	-	-	-
(vi) विवादित व्यापार प्राप्य - ऋण हानि	-	-	-	-	3.70	3.70

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ (स्टैंडअलोन)

विवरण	लेन-देन की तारीख से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया					कुल
	6 महीने से कम	6 महीने 1 साल	1-2 वर्ष	2-3 साल	3 वर्ष से अधिक	
कुल	2.36	-	-	-	11.17	13.53
बो बकाया जिनका बिल नहीं किया गया है	-	-	-	-	-	-
अशोध्य और संदिध्य ऋणों के लिए भत्ता	-	-	-	-	11.17	11.17
अपेक्षित साख हानि (हानि भत्ता प्रावधान) - %	0%	0%	0%	0%	100%	83%

टिप्पणी - 14: नकद और नकद समकक्ष

(₹ करोड़ में)

	31-03-2023 तक	31-03-2022 तक
(क) बैंकों में शेष राशि		
- जमा खातों में ³	142.50	462.84
- ब्याज वहन (सीएलटीडी खाता आदि)	11.00	3.98
- गैर ब्याज वहन	2.07	2.50
- नकद ऋण खातों में	0.69	0.96
(ख) प्राथमिक डीलरों के साथ आईसीडी ¹	-	159.78
(ग) अन्य इ-प्रोक्योरमेट खाता/जीईएम खाता/अधिक शेष	10.83	1.26
कुल	167.09	631.32

- प्राथमिक व्यापारियों के साथ आईसीडी प्राथमिक व्यापारियों द्वारा स्वीकार की जाने वाली अंतर-कॉर्पोरेट जमाराशियाँ हैं जिनकी मूल परिपक्तता अवधि निवेश की तारीख से 7 से 15 दिनों के बीच होती है।
- नकद और नकद समतुल्य में बैंक में नकदी, स्वीप खाते और तीन महीने या उससे कम की मूल परिपक्तता वाले बैंकों में रखी गई सावधि जमा शामिल हैं।
- टिप्पण 9 'अन्य वित्तीय संपत्ति' का फुटनोट 4 देखें

टिप्पण - 15 : अन्य बैंक शेष

(₹ करोड़ में)

	31-03-2023 तक	31-03-2022 तक
बैंकों के पास शेष राशि		
जमा खाते 1	987.57	79.01
जमा खाते (विशिष्ट उद्देश्यों के लिए) ¹ और ²	4.73	4.16
अभुगतानित लाभांश खाते	15.50	12.78
लाभांश खाते	-	62.20
कुल	1,007.80	158.15

- अन्य बैंक शेष में विशिष्ट उद्देश्यों के लिए जमा राशि और बैंक जमा शामिल हैं जिनकी रिपोर्टिंग तिथि के बाद 12 महीनों के भीतर नकद में वसूली की उम्मीद है।
- विशिष्ट उद्देश्यों के लिए जमा अदालत के आदेश के अनुसार और अन्य विशिष्ट उद्देश्यों के लिए ग्रहणाधिकार/निर्धारित बैंक जमा हैं।

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ (स्टैंडअलोन)

टिप्पणि - 16 : इकिटी शेयर पूँजी

(₹ करोड़ में)

	31-03-2023 तक	31-03-2022 तक
अधिकृत शेयर पूँजी		
प्रत्येक ₹10/- के 8,00,00,00,000 इकिटी शेयर (प्रत्येक ₹10/- के 8,00,00,00,000 इकिटी शेयर)	8,000.00	8,000.00
निर्गत, अंशदानित और प्रदत्त शेयर पूँजी		
प्रत्येक ₹10/- के पूर्ण भुगतानित 6,16,27,28,327 इकिटी शेयर प्रत्येक ₹10/- के पूर्ण भुगतानित (6,16,27,28,327) इकिटी शेयर	6,162.73	6,162.73
कुल	6,162.73	6,162.73

1. कंपनी में प्रत्येक शेयरधारकों द्वारा धारित 5% से अधिक शेयर

शेयरधारकों का नाम	धारित शेयरों की संख्या	कुल शेयरों का %	वर्ष के दौरान परिवर्तन का %
भारत के माननीय राष्ट्रपति (प्रवर्तक)	31-03-2023 4075634553.00	66.13	0.00%
	31-03-2022 4075634553.00	66.13	
भारतीय जीवन बीमा निगम	31-03-2023 678015625.00	11.00	0.00%
	31-03-2022 678015625.00	11.00	

2. रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत और अंत में बकाया इकिटी शेयरों का पुनर्गठन:-

विवरण	शेयर की संख्या	परिमाण
01.04.2018 को शेष	6,20,74,09,177	6207.41
घटाव: वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान कंपनी द्वारा वापस खरीदे गए शेयर	4,46,80,850	44.68
31.03.2019 को शेष	6,16,27,28,327	6162.73
वर्ष के दौरान परिवर्तन	-	-
31.03.2020 को शेष	6,16,27,28,327	6162.73
वर्ष के दौरान परिवर्तन	-	-
31.03.2021 को शेष	6,16,27,28,327	6162.73
अवधि के दौरान परिवर्तन	-	-
31.03.2022 को शेष	6,16,27,28,327	6162.73
अवधि के दौरान परिवर्तन	-	-
31-03-2023 को शेष	6,16,27,28,327	6162.73

3. स्टॉक एक्सचेंज में कोल इंडिया लिमिटेड के शेयरों की लिस्टिंग -

कोल इंडिया लिमिटेड के शेयर भारत के दो प्रमुख स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध हैं, जैसे 4 नवंबर, 2010 से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध है।

भारत सरकार द्वारा शेयरों के विनिवेश / बायबैक का विवरण नीचे दिया गया है:

विनिवेश का वित्तीय वर्ष	विनिवेशित शेयरों का %	विनिवेशित शेयरों की संख्या	विधि
2010-11	10.00%	631636440.00	आईपीओ
2013-14	0.35%	22037834.00	सीपीएसई-ईटीएफ
2014-15	10.00%	631636440.00	ओएफएस
2015-16	0.001%	83104.00	सीपीएसई-ईटीएफ
2016-17	1.25%	78842816.00	वापस खरीदे
2016-17	0.92%	57156437.00	सीपीएसई-ईटीएफ

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ (स्टैंडअलोन)

विनिवेश का वित्तीय वर्ष	विनिवेशित शेयरों का %	विनिवेशित शेयरों की संख्या	विधि
2017-18	0.31%	19299613.00	भारत 22-ईटीएफ
2018-19	0.23%	13991488.00	भारत 22-ईटीएफ
2018-19	3.19%	198003931.00	ओएफएस
2018-19	2.21%	137311943.00	सीपीएसई-ईटीएफ
2018-19	0.01%	681840.00	ओएफएस
2018-19	0.38%	23779267.00	भारत 22-ईटीएफ
2018-19	1.37%	84592894.00	सीपीएसई-ईटीएफ
2018-19	0.19%	44293572.00	वापस खरीदे
2019-20	1.70%	104977641.00	सीपीएसई ईटीएफ एफएफओ5
2019-20	0.21%	12835528.00	भारत 22 ईटीएफ
2019-20	2.91%	179569059.00	सीपीएसई ईटीएफ एफएफओ6
		2240729847.00	

इसलिए, 31-03-2023 तक भारत सरकार के पास मौजूद शेयरों की संख्या 4075634553 थी, यानी कुल बकाया शेयरों की संख्या 6162728327 का 66.13%।

4. कंपनी के पास इकिटी शेयरों की केवल एक श्रेणी है जिसका अंकित मूल्य ₹10/- प्रति शेयर है। इकिटी शेयरों के धारक समय-समय पर घोषित लाभांश प्राप्त करने के हकदार हैं और शेयरधारकों की बैठक में अपने शेयर होल्डिंग के अनुपात में मतदान के अधिकार के हकदार हैं। निदेशक मंडल द्वारा प्रस्तावित लाभांश वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन है। परिसमाप्ति की स्थिति में, इकिटी शेयरधारक अपनी शेयरधारिता के अनुपात में सभी तरीजीही राशि के भुगतान के बाद कंपनी की शेष संपत्ति प्राप्त करने के पात्र हैं।

टिप्पणी 17 : अन्य इकिटी

(₹ करोड़ में)

विवरण	आरक्षित और अधिशेष				कुल
	कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व1	सामान्य रिजर्व2	प्रतिधारित आय3	परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्माप (कर का शुद्ध) - (ओसीआई)4	
01-04-2022 तक शेष राशि	1057.81	4276.95	4841.93	18.53	10195.22
वर्ष में कुल व्यापक आय			14,802.31	(125.42)	14676.89
अंतरिम लाभांश			(12479.57)		(12479.57)
अंतिम लाभांश			(1848.82)		(1848.82)
सामान्य रिजर्व में/से स्थानांतरण		26.80	(26.80)		-
31-03-2023 तक शेष राशि	1057.81	4303.76	5289.05	(106.89)	10543.72

विवरण	आरक्षित और अधिशेष				कुल
	कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व1	सामान्य रिजर्व2	प्रतिधारित आय3	परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्माप (कर का शुद्ध) - (ओसीआई)4	
01-04-2021 तक शेष राशि	1057.81	4257.61	5300.10	(26.54)	10588.98
वर्ष में कुल व्यापक आय			11201.57	45.07	11246.64
अंतरिम लाभांश			(8627.82)		(8627.82)
अंतिम लाभांश			(2156.97)		(2156.97)
सामान्य रिजर्व में/से स्थानांतरण		19.34	(19.34)		-
वर्ष के दौरान समायोजन			(855.61)		(855.61)
31-03-2022 तक शेष राशि	1057.81	4276.95	4841.93	18.53	10195.22

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ (स्टैंडअलोन)

1. **कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व:**- कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व तब बनाया जाता है जब कंपनी फ्री रिजर्व या सिक्योरिटीज प्रीमियम से अपना हिस्सा खरीदती है, इसलिए खरीदे गए शेयरों के नाममात्र मूल्य के बराबर राशि को कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में स्थानांतरित कर दिया जाता है। रिजर्व का उपयोग कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 69 के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है।

पूँजी मोचन रिजर्व का विवरण

विवरण	राशि (₹ करोड़ में)	वर्ष
गैर-संचयी 10% प्रतिदेय वरीयता शेयर पूँजी मोचन	904.18	वित्तीय वर्ष 2000-01 तक
इकिटी शेयर का बायबैक	108.95	वित्तीय वर्ष 2016-17
इकिटी शेयर का बायबैक	44.68	वित्तीय वर्ष 2018-19
कुल	1057.81	

2. **सामान्य भंडार (जनरल रिजर्व):-** विनियोग उद्देश्यों के लिए प्रतिधारित आय से लाभ को स्थानांतरित करने के लिए समय-समय पर सामान्य भंडार का उपयोग किया जाता है।
3. **प्रतिधारित आय:-** प्रतिधारित आय, विनियोजन के बाद आज तक अर्जित समूह का लाभ है। प्रतिधारित आय में म्यूचुअल फंड में निवेश में उचित मूल्य परिवर्तन शामिल है जो प्रकृति में काल्पनिक/अवास्तविक है और लाभांश के वितरण के लिए उपलब्ध नहीं है। 31-03-2023 को ₹ (0.50) करोड़ और 31-03-2022 को ₹ 1.14 करोड़ का शेष।
4. **अन्य व्यापक आय:-** ग्रेच्युटी के बीमांकिक लाभ और सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ के उचित मूल्य में परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करता है।
5. **लाभांश**

कंपनी के निदेशक मंडल ने कंपनी की आगामी वार्षिक आम बैठक में अनुमोदन के अधीन प्रति इकिटी शेयर ₹ 4 (40%) के अंतिम लाभांश की सिफारिश की है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए क्रमशः 31 जनवरी 2023 और 07 नवंबर 2022 को ₹ 5.25 (52.50%) प्रति इकिटी शेयर का दूसरा अंतरिम लाभांश और ₹ 15.00 (150%) प्रति इकिटी शेयर का पहला अंतरिम लाभांश घोषित किया गया था।

कंपनी ने पिछले वित्तीय वर्ष के लिए प्रति इकिटी शेयर ₹ 3.00 (30%) का अंतिम लाभांश और प्रति इकिटी शेयर ₹ 14 (140%) का अंतरिम लाभांश घोषित किया था।

टिप्पणी-18 : ऋण

(₹ करोड़ में)

	31-03-2023 तक	31-03-2022 तक
गैर चालू		
सावधि ऋण	-	-
सुरक्षित		
असुरक्षित		
चालू		
बैंक से	-	-
सुरक्षित		
असुरक्षित		

चालू परिसंपत्तियों पर सुरक्षा के मामले में:

तैयार माल की भौतिक मात्रा और कार्य-प्रगति का पता उत्पादन और अन्य अभिलेखों से लगाया जाता है और समूह द्वारा इस संबंध में पालन किए जाने के आधार पर प्रत्येक तिमाही में इसका मूल्यांकन किया जाता है। चालू संपत्तियों के लिए बैंकों को प्रस्तुत त्रैमासिक विवरणी/विवरण में ये सूची और बहियों और अभिलेखों से ली गई और अनुपालन की गई अन्य चालू संपत्तियों के आंकड़े शामिल हैं और इस प्रकार वे इससे सहमत हैं।

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ (स्टैंडअलोन)

टिप्पण - 19: व्यापार देय

(₹ करोड़ में)

	31-03-2023 तक	31-03-2022 तक
चालू		
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का कुल बकाया ²	0.29	-
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को अलावा अन्य लेनदारों का कुल बकाया	64.91	70.63
कुल	65.20	70.63

1. साख अवधि:- क्रय आदेश के अनुबंध के नियमों और शर्तों के अनुसार व्यापार देय के लिए भुगतान किया जाता है।

2. व्यापार देय - सूक्ष्म और लघु उद्यमों का कुल बकाया

व्यापार देय के तहत विविध लेनदारों का खुलासा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (अधिनियम) के तहत परिभाषित आपूर्तिकर्ताओं की प्रकृति के संबंध में कंपनी के पास उपलब्ध जानकारी पर आधारित है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 22 के तहत प्रकटीकरण की आवश्यकता नीचे दी गई है:

	31-03-2023 तक	31-03-2022 तक
क) मूलधन और ब्याज की राशि का भुगतान नहीं किया गया है लेकिन अवधि के अंत में देय है।	0.29	-
ख) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 16 के अनुसार कंपनी द्वारा ब्याज के साथ ही अवधि के दौरान नियत दिन के बाद आपूर्तिकर्ता को किए गए भुगतान की राशि का भुगतान किया गया।	-	-
ग) भुगतान करने में देरी की अवधि के लिए देय ब्याज (जिसका भुगतान वर्ष के दौरान नियत दिन के बाद किया गया हो) लेकिन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत निर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना।	-	-
घ) अर्जित ब्याज और अवधि के अंत तक भुगतान न किया गया शेष	-	-
ई) ब्याज देय बकाया आगामी वर्षों में भी देय रहेगा, जब तक कि ऊपर बताए गए ब्याज का भुगतान वास्तव में छोटे उद्यम को नहीं कर दिया जाता है।	-	-

3. व्यापार देय एंजिंग शेड्यूल

31-03-2023 तक

विवरण	लेन-देन की तारीख से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया				
	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 साल	3 वर्ष से अधिक	कुल
i) एमएसएमई	0.29	-	-	-	0.29
ii) अन्य	55.22	8.90	0.60	0.19	64.91
iii) विवादित बकाया -एमएसएमई	-	-	-	-	-
iv) विवादित बकाया - अन्य	-	-	-	-	-
बिना बिल का बकाया	-	-	-	-	-

31-03-2022 तक

विवरण	लेन-देन की तारीख से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया				
	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 साल	3 वर्ष से अधिक	कुल
i) एमएसएमई	-	-	-	-	-
ii) अन्य	39.51	30.76	0.07	0.29	70.63
iii) विवादित बकाया -एमएसएमई	-	-	-	-	-
iv) विवादित बकाया - अन्य	-	-	-	-	-
बिना बिल का बकाया	-	-	-	-	-

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ (स्टैंडअलोन)

टिप्पणि - 20 : अन्य वित्तीय देनदारियाँ

(₹ करोड़ में)

	31-03-2023 तक	31-03-2022 तक
गैर चालू		
प्रतिभूति जमा	41.4	55.77
कुल	41.42	55.77
चालू		
अभुगतानित लाभांश ¹	15.50	15.18
प्रतिभूति जमा	91.75	0.30
अग्रिम धन	17.19	0.70
पूंजीगत व्यय के लिए देय	-	-
ए. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का कुल बकाया ²	66.87	46.08
बी. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों का कुल बकाया	36.84	43.07
कर्मचारी लाभ के लिए देयता	44.97	1.50
अन्य	273.12	106.83
कुल		

- वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान, वित्त वर्ष 2014-15 के अंतिम लाभांश से संबंधी रशून्य (विगत वर्ष ₹0.71 करोड़) करोड़ की राशि को निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष (आईईपीएफ) में स्थानांतरित कर दिया गया है क्योंकि यह अभुगतानित लाभांश खाते में स्थानांतरित होने की तारीख से सात साल की अवधि के लिए अभुगतानित और गैर-दावा था।

- पूंजीगत व्यय के लिए देय - सूक्ष्म और लघु उद्यमों का कुल बकाया

पूंजीगत व्यय के लिए देय का खुलासा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (अधिनियम) के तहत परिभाषित आपूर्तिकर्ताओं की प्रकृति के संबंध में कंपनी के पास उपलब्ध जानकारी पर आधारित है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 22 के तहत प्रकटीकरण की आवश्यकता नीचे दी गई है:

	31-03-2023 तक	31-03-2022 तक
क) मूलधन और ब्याज की राशि का भुगतान नहीं किया गया है लेकिन अवधि के अंत में देय है	-	-
ख) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 16 के अनुसार कंपनी द्वारा भुगतान किया गया ब्याज, साथ ही अवधि के दौरान नियत दिन के बाद आपूर्तिकर्ता को किए गए भुगतान की राशि।	-	-
ग) भुगतान करने में देरी की अवधि के लिए देय ब्याज (जिसका भुगतान वर्ष के दौरान नियत दिन के बाद किया गया हो) लेकिन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत निर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना।	-	-
घ) अर्जित ब्याज और अवधि के अंत तक भुगतान न किया गया शेष	-	-
ड.) आगे भी ब्याज बकाया रहेगा और आगामी वर्षों में भी देय रहेगा, जब तक कि ऊपर बताए गए ब्याज का भुगतान वास्तव में छोटे उद्यम को नहीं कर दिया जाता है।	-	-

टिप्पणि - 21 : प्रावधान

(₹ करोड़ में)

	31-03-2023 तक	31-03-2022 तक
गैर चालू		
कर्मचारी लाभ	-	-
ग्रैच्यूटी	-	-
अवकाश नकदीकरण	-	-
सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ	145.47	174.71
अन्य कर्मचारी लाभ	2.97	3.33
अन्य प्रावधान	148.44	178.04

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ (स्टैंडअलोन)

साइट का पुनरुद्धार/खदान बंदी ²	48.77	48.18
कुल	197.21	226.22
चालू		
कर्मचारी लाभ		
सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ	31.55	16.92
अनुग्रह राशि	4.37	8.26
प्रदर्शन से संबंधित भुगतान	76.06	58.38
अन्य कर्मचारी लाभ ¹	42.02	9.97
	154.00	93.53
अन्य प्रावधान		
अन्य	0.72	0.12
कुल	154.72	93.65

1. वेतन और मजदूरी के सभी तत्वों में वृद्धि के कुल प्रभाव पर विचार करते हुए, गैर-कार्यपालकों के लिए राष्ट्रीय कोयला मजदूरी समझौते (एनसीडब्ल्यूए- XI) को अंतिम रूप देने के लिए ₹41.14 करोड़ का अनुमानित प्रावधान (पिछले वर्षों से अप्रेषित किए गए ₹9.09 करोड़ शामिल हैं) एनसीडब्ल्यूए रु. 19,100/- प्रति कर्मचारी (गैर-कार्यकारी) प्रति माह 01.07.2021 से 31.03.2023 (पीवाई ₹ 9.09 करोड़) की अवधि के लिए मान्यता प्राप्त है। गैर-कार्यपालकों के दीर्घकालिक लाभों के बीमांकिक मूल्यांकन में वित्तीय धारणा योजना की औपचारिक शर्तों में निर्धारित सभी लाभों के लिए वेतन में 6.25% प्रति वर्ष की वृद्धि पर विचार करती है, इसमें एनसीडब्ल्यूए भी शामिल है। टिप्पणी 28 कर्मचारी लाभ व्यय का फुटनोट 1 देखें।

2. साइट बहाली/खदान बंद करने का प्रावधान

कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार कंपनी का दायित्व भूमि पुनरुद्धार और अवसंरचनाओं को हटाने के लिए व्यय में सतह के ऊपर और भूमिगत खानें - दोनों शामिल हैं। खान बंदी, स्थल पुस्तापनाएं अवसंरचना को हटाने के लिए दायित्व का अनुमान भविष्य में कार्यों की आवश्यकतानुरूप किया जाने वाले व्यय का समय और विस्तृत गणना तथा तकनीकी मूल्यांकन के अनुसार होने वाले व्यय पर आधारित है। खान बंदी व्यय अनुमोदित खान बंद योजना के अनुसार प्रदान किया जाता है। मुद्रास्फीति के लिए खर्चों का अनुमान बढ़ा है, और फिर रियायती दर (प्रति 8%) पर छूट दी जाती है जो धन के समय मूल्य के वर्तमान बाजार मूल्यांकन और जोखिम को दर्शाती है, इस प्रकार प्रावधान की राशि अपेक्षित व्यय के वर्तमान मूल्य को दर्शाती है जिसके दायित्व को निपटाने के लिए आवश्यकता होती है। छूट के प्रभाव के कारण प्रावधान का मूल्य समय के साथ बढ़ता जा रहा है; जो वित्तीय व्यय के रूप में मान्यता प्राप्त व्यय का निर्माम करता है। खान बंदी योजना के कार्यान्वयन के लिए उपरोक्त दिशा-निर्देशों के संदर्भ में, एक एस्क्रो खाता खोला गया है। (टिप्पणी देखें - 9)

साइट बहाली/खदान बंद करने का समाधान:

	31-03-2023 तक	31-03-2022 तक
शुरूआती तारीख पर साइट बहाली का प्रावधान	48.18	46.68
जोड़: वर्ष के लिए प्रभारित प्रावधान को समाप्त करना	1.92	1.50
घटाव: वर्ष के दौरान निकासी	(1.33)	-
खदान बंद करने का प्रावधान	48.77	48.18

3. प्रावधान में बदलाव के लिए - टिप्पण 38(7)(ए) देखें

टिप्पण - 22 : अन्य गैर चालू देनदारियाँ

(₹ करोड़ में)

	31-03-2023 तक	31-03-2022 तक
स्थानांतरण एवं पुनर्वास निधि ^{1,2} और ³	5,771.41	5,401.11
आस्थगित आय (सरकारी अनुदान)	1.25	1.37
कुल	5,772.86	5,402.48

- टिप्पण-9 का फुटनोट 2 देखें
- इस फंड के लिए निर्धारित बैंक जमा पर अर्जित व्याज इस फंड में जमा किया जाता है।
- उपरोक्त में स्थानांतरण और पुनर्वास निधि के विरुद्ध जमा पर अर्जित व्याज पर टीडीएस के ₹ 60.98 करोड़ ((विगत वर्ष ₹ 109.36 करोड़) शामिल हैं।

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ (स्टैंडअलोन)

टिप्पण - 23: अन्य चालू देनदारियाँ

(₹ करोड़ में)

	31-03-2023 तक	31-03-2022 तक
वैधानिक बकाया	55.00	100.60
ग्राहकों और अन्य लोगों से अग्रिम	134.12	0.78
अन्य देनदारियाँ ¹	0.64	0.87
कुल	189.76	102.25

- उपरोक्त में सरकारी अनुदान के लिए ₹0.11 करोड़ (विगत वर्ष 0.11 करोड़) शामिल हैं।

टिप्पण - 24: संचालन से राजस्व

(₹ करोड़ में)

	31-03-2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31-03-2022 को समाप्त वर्ष के लिए
बिक्री		
बिक्री	753.34	0.87
कम: वैधानिक शुल्क	94.07	0.03
बिक्री (शुद्ध) (ए)¹	659.27	0.84
अन्य संचालनगत राजस्व		
रेत भराई और सुरक्षात्मक कार्यों के लिए सब्सिडी	-	0.40
लदाई और अतिरिक्त परिवहन शुल्क	1.08	-
घटाव : सांविधिक शुल्क	0.05	-
	1.03	-
निकासी सुविधा शुल्क	1.14	-
घटाव : सांविधिक शुल्क	0.05	-
	1.09	-
सेवाओं से राजस्व ²	1,521.16	1,334.20
घटाव : सांविधिक शुल्क	232.04	203.52
अन्य संचालनगत राजस्व (शुद्ध) (बी)	1,289.12	1,130.68
संचालन से राजस्व (ए+बी)	1,291.24	1,131.08
संचालन से राजस्व (ए+बी)	1,950.51	1,131.92

- उपरोक्त में आयातित कोयले की मात्रा 357006.5 टन की बिक्री शामिल है, जिसकी राशि ₹ 469.74 करोड़ (विगत वर्ष ₹ शून्य) है।
- सेवाओं से राजस्व (करों का शुद्ध) में आयात पर सुविधा शुल्क ₹13.93 करोड़ (विगत वर्ष ₹ शून्य) शामिल है।
- टिप्पण 38(7)(ओ) देखें।

टिप्पण - 25 : अन्य आय

(₹ करोड़ में)

	31-03-2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31-03-2022 को समाप्त वर्ष के लिए
ब्याज आय ¹	174.64	26.57
अनुषंगी कंपनियों में निवेश से लाभांश आय	14,265.71	10,701.58
अन्य गैर-परिचालन आय (ऐसी आय से सीधे तौर पर जुड़े व्यय का शुद्ध)		
विदेशी मुद्रा लेनदेन पर लाभ	0.01	-
प्लॉचुअल फंड की बिक्री पर लाभ	13.92	10.51
पट्टा किराया ²	2.98	2.38
देयता/प्रावधान रिटेन बैंक (शुद्ध)	0.25	52.42
उचित मूल्य परिवर्तन (शुद्ध)	(0.50)	113.11
विविध आय	95.62	29.05
कुल	14,552.63	10,935.62

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ (स्टैंडअलोन)

- ₹ 43.94 करोड़ (विगत वर्ष ₹ शून्य) के आयकर रिफंड पर ब्याज शामिल है।
- पट्टा किराया के लिए - पट्टेदार के रूप में (टिप्पण देखें - 38 (7) (डी) (ii))

टिप्पण - 26 : खपत की गई सामग्री की लागत

(₹ करोड़ में)

	31-03-2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31-03-2022 को समाप्त वर्ष के लिए
विस्फोटक	2.47	-
लकड़ी	0.05	-
तेल और स्नेहक	1.83	0.32
एचईएमएम स्पेयर्स	0.04	0.03
अन्य उपभोग्य भंडार और पुर्जे	0.48	0.84
कुल	4.87	1.19

टिप्पण - 27: परिष्कृत सामान भंडार, चालू कार्य एवं ट्रेड शेयर के सूची में बदलाव

(₹ करोड़ में)

	31-03-2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31-03-2022 को समाप्त वर्ष के लिए
कोयले की सूची में परिवर्तन		
कोयले का अथ भंडार	11.99	-
कोयले का अंत भंडार	19.31	11.99
कोयले के भंडार में परिवर्तन	(7.32)	(11.99)
कुल	(7.32)	(11.99)

टिप्पण - 28 : कर्मचारी लाभ संबंधी व्यय

(₹ करोड़ में)

	31-03-2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31-03-2022 को समाप्त वर्ष के लिए
वेतन और मजदूरी (भत्ते और बोनस आदि सहित) ¹	329.69	305.20
भविष्य निधि और अन्य निधियों में योगदान	68.06	114.98
कर्मचारी कल्याण व्यय	23.73	18.66
कुल	421.48	438.84

- एनसीडब्ल्यूए-XI प्रावधान में वेतन और मजदूरी का ₹ 32.05 करोड़ (विगत वर्ष ₹ 9.09 करोड़) शामिल है। टिप्पण-21 का फुटनोट 1 देखें।

टिप्पण - 29 : कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) व्यय

(₹ करोड़ में)

	31-03-2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31-03-2022 को समाप्त वर्ष के लिए
सीएसआर व्यय	128.93	77.64
कुल	128.93	77.64

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के अनुसरण में, ₹7.10 करोड़ की राशि (आसन्न विगत तीन वित्तीय वर्षों के कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का 2% है - संबंधित वर्षों के ऑडिट किए गए वित्तीय विवरणों से माना जाता है) को सीएसआर गतिविधियों के लिए 2022-23 के दौरान खर्च करने की आवश्यकता थी। कंपनी ने वर्ष 2022-23 के दौरान ₹42.04 करोड़ नकद खर्च किए हैं। इसके अलावा, 31-03-2022 तक अप्रयुक्त अग्रिम के रूप में आगे बढ़ाए गए ₹ 86.89 करोड़ के अतिरिक्त सीएसआर व्यय को वर्ष के दौरान हटा दिया गया है।

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ (स्टैंडअलोन)

ए. सीएसआर व्यय का गतिविधिवार विवरण (नकद में किया गया):

विवरण	31-03-2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31-03-2022 को समाप्त वर्ष के लिए
भूख, गरीबी और कुपोषण उन्मूलन	25.64	59.56
विशेष शिक्षा और रोजगारोनुभुव्यावसायिक कौशल सहित शिक्षा को बढ़ावा देना	9.76	14.12
लैंगिक समानता और सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े समूहों द्वारा सामना की जाने वाली असमानताओं को कम करने के उपाय	1.50	0.76
पर्यावरणीय स्थिरता	1.82	-
राष्ट्रीय विरासत, कला एवं संस्कृति का संरक्षण	0.28	-
सशस्त्र बलों के दिग्गजों, युद्ध विधवाओं और उनके आश्रितों को लाभ	-	-
ग्रामीण खेलों, राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त खेलों, पैरालंपिक खेलों और ओलंपिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण	-	-
सामाजिक आर्थिक विकास के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित निधि में योगदान	-	2.50
इन्क्यूबेटरों या अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं में योगदान	-	-
विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों में योगदान	-	-
ग्रामीण विकास परियोजनाएँ	2.71	0.60
स्लम क्षेत्र विकास	-	-
आपदा प्रबंधन, जिसमें राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण गतिविधियाँ शामिल हैं	-	0.10
प्रशासनिक व्यय और प्रभाव आकलन	0.33	-
कुल	42.04	77.64

बी. आवश्यक सीएसआर व्यय और सीएसआर व्यय का व्यौरा

विवरण	31-03-2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31-03-2022 को समाप्त वर्ष के लिए
(क) वर्ष के दौरान खर्च की जाने वाली आवश्यक राशि	7.10	6.81
(ख) वर्ष के दौरान खर्च की जाने वाली बोर्ड द्वारा अनुमोदित राशि	118.04	105.31
(ग) वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि:		
(i) किसी संपत्ति का निर्माण/अधिग्रहण	27.85	72.38
(ii) उपरोक्त (i) के अलावा अन्य उद्देश्यों पर	14.19	5.26
कुल	42.04	77.64

सी. अधिक राशि व्यय [धारा 135(5)]

वर्षवार विवरण	प्रारंभिक राशि	वर्ष के दौरान व्यय की जाने वाली आवश्यक राशि	वर्ष के दौरान व्यचित राशि	जमा शेष
वर्ष 2020-21 में आगे बढ़ाया गया	-	8.47	95.36	86.89
वर्ष के दौरान चार्ज किया गया शुल्क अब आगे नहीं बढ़ाया जा सकता				(86.89)
अधिक राशि खर्च की गई और आगे बढ़ा दी गई				-

टिप्पणि-11 - अन्य चालू परिसंपत्तियों के तहत अन्य अग्रिम और जमा के लिए फुटनोट देखें

टिप्पणि - 30 : मरम्मत

	31-03-2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31-03-2022 को समाप्त वर्ष के लिए
इमारत	16.13	16.53
संयंत्र एवं उपकरण	0.07	0.13
अन्य	1.74	1.48
कुल	17.94	18.14

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ (स्टैंडअलोन)

टिप्पण - 31 : अनुबंध व्यय

(₹ करोड़ में)

	31-03-2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31-03-2022 को समाप्त वर्ष के लिए
संयंत्र एवं उपकरणों को किराये पर लेना	46.81	7.01
अन्य अनुबंधात्मक कार्य	0.48	0.63
कुल	47.29	7.64

टिप्पण - 32: वित्त लागत

(₹ करोड़ में)

	31-03-2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31-03-2022 को समाप्त वर्ष के लिए
ब्याज खर्च		
छूट की समाप्ति	1.92	1.50
कुल	1.92	1.50

टिप्पण - 33 : प्रावधान

(₹ करोड़ में)

	31-03-2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31-03-2022 को समाप्त वर्ष के लिए
संदिग्ध अग्रिम	1.43	-
कुल	1.43	-

टिप्पण - 34 : बट्टे खाते में डालना (पिछले प्रावधानों का शुद्ध)

(₹ करोड़ में)

	31-03-2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31-03-2022 को समाप्त वर्ष के लिए
संदिग्ध अग्रिम	-	3.97
घटाव :- पूर्व में पदत्त	-	(3.94)
कुल	-	0.03

टिप्पण - 35.1 : अन्य व्यय

(₹ करोड़ में)

	31-03-2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31-03-2022 को समाप्त वर्ष के लिए
यात्रा खर्च	10.98	5.06
प्रशिक्षण व्यय	8.69	2.23
टेलीफोन और इंटरनेट	4.59	1.26
विज्ञापन एवं प्रचार	5.89	6.77
माल भाड़ा प्रभार	-	0.01
सुरक्षा व्यय	12.19	11.11
सीएमपीडीआईएल को परामर्श शुल्क	0.81	0.36
विधि संबंधी व्यय	4.24	3.80
परामर्श शुल्क	25.23	25.68
अंडर लोडिंग शुल्क	0.32	-
परिसंपत्तियों की बिक्री/त्याग/सर्वेक्षण पर हानि	0.18	8.09
लेखापरीक्षक का पारिश्रमिक और व्यय		
लेखापरीक्षा शुल्क के लिए	0.30	0.30
कराधान मामलों के लिए	0.04	-

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ (स्टैंडअलोन)

	31-03-2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31-03-2022 को समाप्त वर्ष के लिए
अन्य सेवाओं के लिए	0.38	0.44
व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए	-	0.26
आंतरिक और अन्य लेखापरीक्षा व्यय	0.82	0.97
पट्रा किराया और हायरिंग चार्ज1	25.22	22.96
दरें और कर	1.63	1.64
बीमा	0.17	0.18
विनियम दर भिन्नता पर हानि	-	0.02
अन्य बचाव/सुरक्षा व्यय	0.01	0.40
साइंडिंग रखरखाव शुल्क	0.01	0.04
अनुसंधान, विकास और सर्वेक्षण व्यय	127.72	31.22
पर्यावरण एवं वृक्षारोपण व्यय	0.75	0.53
दान, पुरस्कार और अनुदान	15.48	3.28
विविध व्यय	27.36	21.85
कुल	273.01	148.46

1. पट्रा किराया के लिए – पट्रादाता के रूप में (टिप्पण देखें – 38 (7) (डी) (ळ)

टिप्पण - 35.2 : मूल्यहास/परिशोधन/हानि

(₹ करोड़ में)

	31-03-2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31-03-2022 को समाप्त वर्ष के लिए
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर मूल्यहास	21.86	20.25
अमूर्त संपत्ति पर परिशोधन	21.08	0.58
कुल	42.94	20.83

टिप्पण - 36 : कर व्यय

(₹ करोड़ में)

	31-03-2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31-03-2022 को समाप्त वर्ष के लिए
चालू वर्ष	244.66	158.31
विगत वर्षों	41.12	-
कुल चालू कर	285.78	158.31
आस्थगित कर	5.42	(3.04)
कुल	291.20	155.27

कर व्यय का समाधान

	31-03-2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31-03-2022 को समाप्त वर्ष के लिए
कर पूर्व लाभ	15093.51	11356.84
25.168% की आयकर दर पर (31.03.2021: 25.168%)	3,798.73	2,858.29
घटाव: आय पर कर (लाभांश भुगतान के साथ समायोजित)	(3590.39)	(2693.37)
जोड़: गैर-कटौती योग्य खर्चों पर कर / (कर उद्देश्य के लिए अतिरिक्त खर्चों की अनुमति)	41.74	(9.65)
पिछले वर्ष के कर के लिए समायोजन	41.12	-
लाभ और हानि के विवरण में दर्ज किए गए आयकर व्यय	291.20	155.27
प्रभावी आयकर दर :	1.93%	1.37%

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ (स्टैंडअलोन)

आस्थगित कर परिसंपत्तियों और आस्थगित कर देनदारियों का समाधान

	31-03-2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31-03-2022 को समाप्त वर्ष के लिए
आस्थगित कर देयता:		
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त संपत्ति से संबंधित	29.94	24.52
अन्य	-	-
कुल	(29.94)	(24.52)

टिप्पणी:- आस्थगित कर परिसंपत्तियों को खाते बही में मान्यता नहीं दी जाती है।

गैर-मान्यता प्राप्त आस्थगित कर परिसंपत्तियों को आगे ले जाने की राशि ₹66.34 करोड़ है (विगत वर्ष ₹28.56 करोड़)।

टिप्पण - 37 : अन्य व्यापक आय

(₹ करोड़ में)

	31-03-2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31-03-2022 को समाप्त वर्ष के लिए
वे मद्दें जिन्हें लाभ या हानि में पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		
परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्मापन ¹	(167.60)	60.23
उन मद्दों से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा	(167.60)	60.23
परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्मापन	42.18	(15.16)
कुल	(125.42)	45.07

- ग्रेच्युटी के ₹ 0.19 करोड़ (विगत वर्ष ₹ 11.80 करोड़) और सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ ₹ -167.79 करोड़ (झाध 48.43 करोड़) के आंकड़े दर्शाये गये हैं।

टिप्पण - 38: 31-03-2023 को समाप्त वर्ष के लिए एकल वित्तीय विवरण के लिए अतिरिक्त टिप्पण

1. अज्ञात मद्दें

क) आकस्मिक देयता और आकस्मिक संपत्तियाँ

- कंपनी के विरुद्ध दावों को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया (जिस सीमा तक प्रावधान नहीं किया गया है) (₹ करोड़ में)

विवरण	केंद्र सरकार	राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकरण	केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम	अन्य	कुल
01-04-2022 को अथ शेष	247.64	4.00	0.15	600.64	852.43
अवधि के दौरान जोड़	116.33	2.02	-	1.11	119.46
इस अवधि के दौरान निपटाया गया दावा					
क. अथ शेष से	-	-	-	-	-
ख. अवधि के दौरान वृद्धि से बाहर	-	-	-	-	-
31-03-2023 को अंत शेष	363.97	6.02	0.15	601.75	971.89

(₹ करोड़ में)

विवरण	केंद्र सरकार	राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकरण	केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम	अन्य	कुल
01-04-2021 को अथ शेष	247.64	4.00	0.15	600.67	852.46
अवधि के दौरान जोड़	-	-	-	0.07	0.07
इस अवधि के दौरान निपटाया गया दावा					
क. अथ शेष से	-	-	-	0.10	0.10
ख. अवधि के दौरान वृद्धि से बाहर	-	-	-	-	-
31-03-2022 को अंत शेष	247.64	4.00	0.15	600.64	852.43

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ (स्टैंडअलोन)

क्र. सं.	विवरण	आकस्मिक देशता		(₹ करोड़ में)
		31-03-2023 तक	31-03-2022 तक	
1	केंद्र सरकार			
	आयकर	359.52	243.19	
	केंद्रीय उत्पाद शुल्क	4.45	4.45	
	कुल	363.97	247.64	
2	राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकारी			
	अन्य	6.02	4.00	
	कुल	6.02	4.00	
3	केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम			
	कंपनी के खिलाफ मुकदमा	0.15	0.15	
	कुल	0.15	0.15	
4	अन्य: (यदि कोई हो)			
	विविध - भूमि एवं अन्य	601.75	600.64	
	कुल	601.75	600.64	
	कुल योग	971.89	852.43	

कंपनी के लंबित मुकदमे में समूह के खिलाफ दावा और लंबित कर/सांविधिक/सरकारी प्राधिकरणों की कार्यवाही शामिल है। कंपनी ने अपने सभी लंबित मुकदमों और कार्यवाहियों की समीक्षा की है और पर्याप्त प्रावधान किए हैं, और अपने समेकित वित्तीय विवरणों में, जहां लागू हो, आकस्मिक देनदारियों का खुलासा किया है। समूह को उम्मीद नहीं है कि इन कार्यवाहियों के परिणाम का उसकी वित्तीय स्थिति पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। उपरोक्त के संबंध में भावी नकदी बहिर्प्रवाह निर्णयों/निर्णयों के परिणाम पर निर्भर हैं।

आकस्मिक संपत्ति: एक आकस्मिक संपत्ति एक संभावित संपत्ति है जो पिछली घटनाओं से उत्पन्न होती है और जिसका अस्तित्व केवल एक या एक से अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाओं की घटने या ना-घटने पर निर्भर करता है जो पूरी तरह से इकाई के नियंत्रण में नहीं है। व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम के दौरान, कई अनसुलझे दावे चालू में बकाया हैं। इस तरह के दावों के संबंध में आर्थिक लाभों के प्रवाह को संबंधित घटनाओं और परिस्थितियों से जुड़ी अनिश्चितताओं के कारण मापा नहीं जा सकता है।

ii. गारंटी

कंपनी ने ईस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड और महानदी कोलफिल्ड्स लिमिटेड नामक सहायक कंपनियों की ओर से एक्सपोर्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, कनाडा और नेटेक्सिस बैंक (लिबर्हर्फ़ फ्रांस से मशीनरी की खरीद के लिए) को दिए गए क्रण (मूलधन और ब्याज) के तहत उनके दायित्वों की सीमा तक गारंटी दी है। 31-03-2023 को बकाया राशि क्रमशः ₹ 163.73 करोड़ (₹158.22 करोड़) और ₹ 4.58 करोड़ (₹4.93 करोड़) थी।

(ख) प्रतिबद्धताएं

पूँजी खाते पर निष्पादित किए जाने वाले शेष अनुबंधों की अनुमानित राशि ₹ 17.28 करोड़ (विगत वर्ष ₹ 10.39 करोड़) (पूँजीगत अग्रिम का शुद्ध ₹ 44.23 करोड़ (विगत वर्ष ₹ 46.80 करोड़)) है।

अन्य प्रतिबद्धता: ₹ 235.58 करोड़ (विगत वर्ष ₹ 87.45 करोड़)

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ (स्टैंडअलोन)

2 संबंधित पार्टी की जानकारी

क) समूह संबंधी विवरण

i) अनुषंगी कंपनियाँ

क्र. सं.	नाम	मुख्य गतिविधियाँ	इसके निगमन का देश	% इकिटी व्याज	
				31-03- 2023	31-03- 2022
1	ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ईसीएल)	कोयला खनन	भारत	100%	100%
2	भारत कोर्किंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल)	कोयला खनन	भारत	100%	100%
3	सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल)	कोयला खनन	भारत	100%	100%
4	नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एनसीएल)	कोयला खनन	भारत	100%	100%
5	वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (डब्ल्यूसीएल)	कोयला खनन	भारत	100%	100%
6	साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (डेएड)	कोयला खनन	भारत	100%	100%
7	महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल)	कोयला खनन	भारत	100%	100%
8	सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीर्यूट लिमिटेड (सीएमपीडीआईएल)	कोयला और खनिज अन्वेषण में परामर्शी सहायता	भारत	100%	100%
9	कोल इंडिया अफ्रीकाना लिमिटेड, मोजाम्बिक (सीआईएएल)	कोयला खनन	मोजाम्बिक	कोटा पूंजी	कोटा पूंजी
10	सीआईएल सोलर प्राइवेट लिमिटेड (सीएसपीएल)	सौर ऊर्जा	भारत	100%	100%
11	सीआईएल नवीकरणीय ऊर्जा लिमिटेड (सीएनयूएल)	नवीकरणीय ऊर्जा	भारत	100%	100%

ii) संयुक्त उद्यम कंपनियाँ

क्र. सं.	नाम	मुख्य गतिविधियाँ	इसके निगमन का देश	% इकिटी व्याज	
				31-03- 2023	31-03- 2022
1	इंटरनेशनल कोल वैंचर प्राइवेट लिमिटेड (आईसीवीएल)	कोयला	भारत	0.19%	0.19%
2	सीआईएल एनटीपीसी ऊर्जा प्राइवेट लिमिटेड (सीएनयूपीएल)	ऊर्जा	भारत	50.00%	50.00%
3	तालचेर फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (टीएफएल)	उर्वरक	भारत	33.33%	33.33%
4	हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड (एचयूआरएल)	उर्वरक	भारत	33.33%	33.33%
5	कोल लिग्राइट ऊर्जा विकास प्राइवेट लिमिटेड (सीएलयूवीपीएल)	ऊर्जा	भारत	50.00%	50.00%

iii) पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट फंड्स और अन्य

क्र. सं.	नाम	प्रकृति	इसके निगमन का देश
1	कोल इंडिया कर्मचारी ग्रेचुरी फंड	न्यास	भारत
2	कोयला खान भविष्य निधि (सीएमपीएफ)	कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के नियंत्रण में वैधानिक निकाय	भारत
3	कोल इंडिया सुपरएनुएशन बेनिफिट फंड ट्रस्ट	न्यास	भारत
4	कर्मचारियों के लिए अंशदायी पोस्ट रिटायरमेंट मेडिकेयर योजना संशोधित	न्यास	भारत
5	सीआईएल अधिकारी परिभाषित अंशदान पैंशन ट्रस्ट	न्यास	भारत
6	भारतीय कोयला प्रबंधन संस्थान (आईआईसीएम)	पंजीकृत सोसायटी	भारत
7	कोल इंडिया स्पोर्ट्स प्रमोशन एसोसिएशन (उखड़ाउ)	पंजीकृत सोसायटी	भारत

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ (स्टैंडअलोन)

(iv) प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

नाम	पद	इस तिथि से
श्री प्रमोद अग्रवाल	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक	01.02.2020
	निदेशक (वित्त) - अतिरिक्त प्रभार	29.12.2021 से 28.12.2022 तक
श्री बी. वीरा रेड्डी	निदेशक (तकनीकी)	01.02.2022
	निदेशक (विपणन)-अतिरिक्त प्रभार	01.05.2022 से 22.12.2022
	निदेशक (वित्त) - अतिरिक्त प्रभार	29.12.2022
श्री एस.एन. तिवारी	निदेशक (विपणन)	01.12.2019 से 30.04.2022 तक
श्री विनय रंजन	निदेशक (कार्मिक)	28.07.2021
श्री मुकेश चौधरी	निदेशक (विपणन)	23.12.2022
श्री देवाशीष नंदा	निदेशक (व्यवसाय विकास)	11.07.2022
प्रो. जी. नागेश्वर राव	स्वतंत्र निदेशक	01.11.2021
डॉ. अरुण कुमार उरांव	स्वतंत्र निदेशक	05.11.2021
श्री कामेश कांत आचार्य	स्वतंत्र निदेशक	02.11.2021
श्री दिनेश सिंह	स्वतंत्र निदेशक	01.11.2021
श्री पुनमभाई कलाभाई मकवाणा	स्वतंत्र निदेशक	02.11.2021
श्री बी. राजेशचंद्र	स्वतंत्र निदेशक	01.11.2021
कैप्टन घनश्याम सिंह राठोड़	स्वतंत्र निदेशक	01.03.2023
श्री वीके तिवारी	सरकार द्वारा नामांकित निदेशक	29.11.2019 से 21.02.2023 तक
श्री नागराजू मद्दीराला	सरकार द्वारा नामांकित निदेशक	22.02.2023
सुश्री निरुपमा कोटरू	सरकार द्वारा नामांकित निदेशक	15.06.2021
श्री एस के मेहता	सीएफओ	01.01.2022
श्री बी.पी.दुबे	कंपनी सचिव	21.10.2022
श्री एम विश्वनाथन	कंपनी सचिव	14.12.2011 से 30.09.2022 तक

(v) प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	सीएमडी, पूर्णकालिक निदेशकों और कंपनी सचिव को भुगतान	31-03-2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31-03-2022 को समाप्त वर्ष के लिए
i)	अल्पावधि कर्मचारी लाभ	3.66	2.89
ii)	रोजगार के बाद के लाभ	0.97	0.75
	कुल	4.63	3.64

टिप्पणी:

31-03-2023 को ग्रेच्युटी, अवकाश नकदीकरण और रोजगार के बाद चिकित्सा लाभ का बीमांकिक मूल्यांकन ₹ 1.47 करोड़ है (वर्ष 31-03-2022 के दौरान ₹ 1.07 करोड़)।

उपरोक्त के अलावा, पूर्णकालिक निदेशकों को सेवा शर्तों के अनुसार प्रति माह ₹2000 के भुगतान पर 1000 किलोमीटर की अधिकतम सीमा तक निजी यात्रा के लिए कारों के उपयोग की अनुमति दी गई है।

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ (स्टैंडअलोन)

(vi) स्वतंत्र निदेशकों को भुगतान

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	स्वतंत्र निदेशकों को भुगतान	31-03-2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31-03-2022 को समाप्त वर्ष के लिए
i)	बैठक शुल्क	0.49	0.28

(vii) प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों के पास बकाया राशि

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31-03-2023	31-03-2022
i)	देय राशि	शून्य	शून्य
ii)	प्राप्य राशि	शून्य	शून्य

(viii) कंपनी के निदेशकों या अन्य अधिकारियों से अलग-अलग या किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से कोई व्यापार या अन्य प्राप्य देय नहीं है। न ही कोई व्यापार या अन्य प्राप्य क्रमशः उन फर्मों या निजी कंपनियों से देय है जिनमें कोई निदेशक भागीदार, निदेशक या सदस्य है।

ख. समूह के भीतर संबंधित पार्टी से लेनदेन

कोल इंडिया लिमिटेड ने अपनी अनुषंदी कंपनियों के साथ लेनदेन किया है जिसमें शीर्ष शुल्क, पुनर्वास शुल्क, पट्टा किराया, अनुषंगी कंपनियों द्वारा रखे गए फंड पर व्याज और चालू खाते के माध्यम से अन्य अनुषंगी कंपनियों द्वारा या उनकी ओर से किए गए अन्य व्यय शामिल हैं।

इंड एस 24 के अनुसार, महत्वपूर्ण लेनदेन की प्रकृति और राशि के संबंध में खुलासे निम्नलिखित हैं।

i) अनुषंगी कंपनियाँ

31-03-2023 को बकाया शेष राशि और उक्त तिथि को समाप्त अवधि के लिए लेनदेन

(₹ करोड़ में)

संबंधित पक्षों का नाम	शीर्ष शुल्क	पुनर्वास शुल्क	लाभांश प्राप्त हुआ	पट्टा किराया आय	सीएमपीडीआईएल को परामर्श शुल्क	चालू खाता शेष (देय)/प्राप्य	बकाया शेष (देय)/प्राप्य
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	35.02	21.29	-	-		139.33	
भारत कोर्किंग कोल लिमिटेड	36.18	21.34	-	-		395.46	
सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड	152.18	45.02	1,023.66	-		12.47	
वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	64.28	37.30	-	-		189.59	
साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	334.02	96.03	1,063.55	1.80		(19.07)	
नॉर्दन कोलफील्ड्स लिमिटेड	262.34	80.11	3,659.45	-		24.43	
महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड	386.52	115.63	8,425.00	-		19.73	
सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिज़ाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड	-	-	94.05	-	0.81	(57.85)	67.27
कोल इंडिया अफ्रीकाना लिमिटेड	-	-	-	-			53.83
कुल	1,270.54	416.72	14,265.71	1.80	0.81	757.92	67.27

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ (स्टैंडअलोन)

31-03-2022 तक बकाया शेष राशि और उक्त तिथि को समाप्त वर्ष के लिए लेनदेन

(₹ करोड़ में)

संबंधित पक्षों का नाम	शीर्ष शुल्क	पुनर्वास शुल्क	लाभांश प्राप्त हुआ	पट्टा किराया आय	सीएमपीडीआईएल को परामर्श शुल्क	चालू खाता शेष (देय)/प्राप्त	बकाया शेष (देय)/प्राप्त
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	32.43	21.61	-	-		191.54	
भारत कोर्किंग कोल लिमिटेड	30.51	19.39	-	-		371.01	
सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड	137.70	43.12	782.08	-		57.66	
वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	57.71	38.50	-	-		236.95	
साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	285.02	93.43	432.23	1.80		(18.42)	
नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	244.86	75.40	3,596.36	-		34.64	
महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड	336.34	105.70	5,800.00	-		(0.83)	
सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड	-	-	90.91	-	0.36	(53.63)	77.61
कोल इंडिया अफ्रीकाना लिमिटेड	-	-	-	-		53.83	
कुल	1,124.57	397.14	10,701.58	1.80	0.36	872.75	77.61

ii) संयुक्त उद्यम कंपनियाँ

31-03-2023 को बकाया शेष राशि और उक्त तिथि को समाप्त अवधि के लिए लेनदेन

(₹ करोड़ में)

संबंधित पक्षों का नाम	इकिटी योगदान	श्रमशक्ति की प्रतिनियुक्ति से आय	खाते में शेष राशि	
			प्राप्त	देय
हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड (एचयूआरएल)	666.54	3.56	0.66	-
तालचेर फर्टिलाइजर लिमिटेड (टीएफएल)	-	0.97	2.21	-
कोल लिग्राइट ऊर्जा विकास प्राइवेट लिमिटेड (सीएलयूवीपीएल)	-	-	-	-
इंटरनेशनल कोल वैंचर प्राइवेट लिमिटेड (आईसीवीपीएल)	-	-	-	-
सीआईएल एनटीपीसी ऊर्जा प्राइवेट लिमिटेड	-	-	-	-
कुल	666.54	4.53	2.87	-

31-03-2023 को बकाया शेष राशि और उक्त तिथि को समाप्त अवधि के लिए लेनदेन

(₹ करोड़ में)

संबंधित पक्षों का नाम	इकिटी योगदान	श्रमशक्ति की प्रतिनियुक्ति से आय	खाते में शेष राशि	
			प्राप्त	देय
हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड (एचयूआरएल)	497.65	3.28	0.90	-
तालचेर फर्टिलाइजर लिमिटेड (टीएफएल)	270.00	2.71	1.09	-
कोल लिग्राइट ऊर्जा विकास प्राइवेट लिमिटेड (सीएलयूवीपीएल)	-	-	-	-
इंटरनेशनल कोल वैंचर प्राइवेट लिमिटेड (आईसीवीपीएल)	-	-	-	-
सीआईएल एनटीपीसी ऊर्जा प्राइवेट लिमिटेड	-	-	-	-
कुल	767.65	5.99	1.99	-

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ (स्टैंडअलोन)

संबंधित पक्षों के साथ लेनदेन के नियम और शर्तें

संबंधित पक्षों से सभी लेन-देन अमुषंगी के लेन-देन की शर्तों पर किए जाते हैं। वर्ष के अंत में बकाया राशि असुरक्षित और व्याज मुक्त होती है और इनका निपटान नकद में होता है। कंपनी ने संबंधित पक्षों पर बकाया राशि से संबंधित प्राप्तियों के संबंध में कोई हानि भत्ता दर्ज नहीं किया है। इसका उपयोग प्रत्येक वित्तीय वर्ष में संबंधित पार्टी की वित्तीय स्थिति और बाजार की स्थिति जिसमें संबंधित पार्टीयां काम करती हैं, की जांच करके किए गए मूल्यांकन पर किया जाता है।

3 विविध जानकारी

- क. टिप्पण - 1 और 2 क्रमशः कॉर्पोरेट जानकारी और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, टिप्पण 3 से 23 31-03-2023 की श्रुतिन त्रुति का हिस्सा हैं और 24 से 37 उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि के विवरण का हिस्सा हैं। टिप्पण - 38 वित्तीय विवरण के अतिरिक्त टिप्पणियों का प्रतिनिधित्व करता है।
- ख. बंद की गई कंपनियों के साथ लेनदेन का पता लगाने और उसकी व्यापक सूची उपलब्ध कराने की कोई प्रणाली नहीं है। हालाँकि, कंपनी के पास उपलब्ध जानकारी के आधार पर, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 के तहत हटाई गई कंपनियों के साथ कोई लेनदेन नहीं हुआ था।
- ग. एकल वित्तीय विवरण को कंपनी के निदेशक मंडल ने 07 मई, 2023 को अपनी बैठक में शेयरधारकों की स्वीकृति के लिए जारी करने के लिए मंजूरी दे दी है।

4. उचित मूल्य मापन

(क) श्रेणी के अनुसार वित्तीय साधन

(₹ करोड़ में)

	31-03-2023	31-03-2022		
	एफवीटीपीएल	परिशोधित लागत	एफवीटीपीएल	परिशोधित लागत
वित्तीय पूँजी				
निवेश* :				
प्रक्रिया के कर्ता - धर्ता				
- इकिटी घटक		-		-
- ऋण घटक		-		-
म्युचुअल फंड/आईसीडी	38.23	-	247.36	-
ऋण		0.02		0.03
जमा एवं प्राप्त		6,407.16		6,179.96
व्यापार प्राप्तियां**:		3.57		2.36
नकद और नकद समतुल्य		167.09		631.32
अन्य बैंक शेष		1,007.80		158.15
वित्तीय देनदारियाँ				
उधार और पट्टे की देनदारियाँ		-		-
व्यापार देनदारियाँ		65.20		70.63
प्रतिभूति जमा और बयाना राशि		150.36		56.77
अन्य वित्तीय देनदारियाँ		164.18		105.83

* अनुषंगी कंपनियों और संयुक्त उद्यमों में इकिटी शेयरों में निवेश को लागत पर मापा जाता है जो 31-03-2023 को ₹ 13824.44 करोड़ (₹ 13157.90 करोड़ 31-03-2022) है, जिसे ऊपर नहीं माना गया है।

** व्यापार प्राप्त से घटाए गए कोयले की गुणवत्ता भिन्नता के लिए भत्ता।

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ (स्टैंडअलोन)

(ख) उचित मूल्य पदानुक्रम

नीचे दी गई तालिका वित्तीय साधनों के उचित मूल्यों को निर्धारित करने में लिए गए निर्णयों और अनुमानों को दर्शाती है जो (ए) मान्यता प्राप्त और उचित मूल्य पर मापा जाता है और (बी) परिशोधन लागत पर मापा जाता है और जिसके लिए वित्तीय विवरणों में उचित मूल्यों का खुलासा किया जाता है। उचित मूल्य के निर्धारण में प्रयुक्त निविष्टियों की विश्वसनीयता के बारे में एक संकेत प्रदान करने के लिए, समूह ने अपने वित्तीय साधनों को लेखांकन मानक के तहत निर्धारित तीन स्तरों में वर्गीकृत किया है।

(₹ करोड़ में)

उचित मूल्य पर मापी गई वित्तीय आस्तियाँ और देनदारियाँ	31-03-2023		31-03-2022	
	स्तर 1	स्तर 3	स्तर 1	स्तर 3
एफवीटीपीएल की वित्तीय परिसंपत्तियाँ				
निवेश :				
स्थूचुअल फंड/आईसीडी	38.23	-	247.36	-

(₹ करोड़ में)

परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय संपत्तियाँ और देनदारियों जिसके लिए उचित मूल्य का खुलासा किया गया है	31-03-2023		31-03-2022	
	स्तर 1	स्तर 3	स्तर 1	स्तर 3
वित्तीय परिसंपत्तियाँ				
निवेश:				
प्रेफरेंस शेयर्स				
-इक्विटी घटक		-		-
-क्रूण घटक		-		-
क्रूण		0.02		0.03
जमा एवं प्राप्त		6,407.16		6,179.96
व्यापार प्राप्तियाँ		3.57		2.36
नकद और नकद समतुल्य		167.09		631.32
अन्य बैंक शेष		1,007.80		158.15
वित्तीय देनदारियों				
उधार और पट्रो की देनदारियाँ		-		-
व्यापार देनदारियाँ		65.20		70.63
प्रतिभूति जमा और बयाना राशि		150.36		56.77
अन्य देनदारियाँ		164.18		105.83

प्रत्येक स्तर का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है।

स्तर 1: स्तर 1 पदानुक्रम में उद्धृत कीमतों का उपयोग करके मापे गए वित्तीय साधन शामिल हैं। इसमें स्थूचुअल फंड शामिल है जिसका मूल्यांकन रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार क्लोजिंग नेट एसेट वैल्यू (एनएवी) का उपयोग करके किया जाता है।

स्तर 2: एक सक्रिय बाजार में कारोबार नहीं करने वाले वित्तीय साधनों का उचित मूल्य मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है जो अवलोकन योग्य बाजार डेटा के उपयोग को अधिकतम करते हैं और इकाई-विशिष्ट अनुमानों पर जितना संभव हो उतना कम भरोसा करते हैं। यदि किसी लिखत के उचित मूल्य के लिए आवश्यक सभी महत्वपूर्ण निविष्टियाँ प्रेक्षणीय हैं, तो लिखत को स्तर 2 में शामिल किया जाता है।

स्तर 3 यदि एक या अधिक महत्वपूर्ण इनपुट अवलोकन योग्य बाजार डेटा पर आधारित नहीं हैं, तो उपकरण को स्तर 3 में शामिल किया गया है। यह स्तर 3 में शामिल निवेश, सुरक्षा जमा और अन्य देनदारियों के मामले में है।

(ग) उचित मूल्य निर्धारित करने में प्रयुक्त मूल्यांकन तकनीक

वित्तीय साधनों के मूल्य निर्धारण के लिए उपयोग की जाने वाली मूल्यांकन तकनीकों में स्थूचुअल फंड में निवेश के संबंध में उपकरणों के उद्धृत बाजार मूल्य (एनएवी) का उपयोग शामिल है।

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ (स्टैंडअलोन)

(घ) महत्वपूर्ण अप्राप्य इनपुट का उपयोग करके उचित मूल्य माप

वर्तमान में महत्वपूर्ण अप्राप्य इनपुट का उपयोग करके कोई उचित मूल्य माप नहीं है।

(ङ) परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय संपत्तियों और देनदारियों का उचित मूल्य

व्यापार प्राप्य, अल्पावधि जमा, नकद और नकद समकक्ष, व्यापार देय की अग्रणी राशि को उनकी अल्पकालिक प्रकृति के कारण उनके उचित मूल्यों के समान माना जाता है।

समूह मानता है कि प्रतिभूति जमा में महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक शामिल नहीं है। प्रतिभूति जमा कंपनी के प्रदर्शन के साथ मेल खाते हैं और अनुबंध को वित्त के प्रावधान के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए राशि को बचाए रखने की आवश्यकता होती है। प्रत्येक महत्वपूर्ण भुगतान के एक निर्दिष्ट प्रतिशत की रोक समूह के हित की रक्षा करने के लिए है, जबसे ठेकेदार अनुबंध के तहत अपने दायित्वों को पर्याप्त रूप से पूरा करने में विफल होता है। तदनुसार, प्रतिभूति जमा की लेनदेन लागत को प्रारंभिक स्वीकृति पर उचित मूल्य के रूप में माना जाता है और बाद में परिशोधन लागत पर मापा जाता है।

महत्वपूर्ण अनुमान : सक्रिय बाजार में कारोबार नहीं किए जाने वाले वित्तीय साधनों का उचित मूल्य मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है। कंपनी एक विधि का चयन करने के लिए अपने निर्णय का उपयोग करती है और प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उपयुक्त धारणाएँ बनाती है।

5. वित्तीय जोखिम प्रबंधन

वित्तीय जोखिम प्रबंधन के उद्देश्य और नीतियाँ

कंपनी की प्रमुख वित्तीय देनदारियों में व्यापार और अन्य देनदारियों शामिल हैं। इन वित्तीय देनदारियों का मुख्य उद्देश्य कंपनी के संचालन को वित्तपोषित करना और इसके संचालन का समर्थन करने के लिए गरांटी प्रदान करना है। कंपनी की प्रमुख वित्तीय संपत्तियों में क्रण, व्यापार और अन्य प्राप्य, और नकद और नकद समकक्ष शामिल हैं जो सीधे इसके संचालन से प्राप्त होते हैं।

कंपनी बाजार जोखिम, क्रण जोखिम और तरलता जोखिम के संपर्क में है। कंपनी का वरिष्ठ प्रबंधन इन जोखिमों के प्रबंधन की देखरेख करता है। कंपनी का वरिष्ठ प्रबंधन एक जोखिम समिति द्वारा समर्थित है जो अन्य बातों के साथ-साथ वित्तीय जोखिमों और कंपनी के लिए उचित वित्तीय जोखिम प्रशासन ढांचे पर सलाह देती है। जोखिम समिति निदेशक मंडल को आश्वासन देती है कि कंपनी की वित्तीय जोखिम गतिविधियाँ उचित नीतियों और प्रक्रियाओं द्वारा शासित होती हैं और वित्तीय जोखिमों की पहचान, माप और प्रबंधन कंपनी की नीतियों और जोखिम उद्देश्यों के अनुसार किया जाता है। निदेशक मंडल इनमें से प्रत्येक जोखिम के प्रबंधन के लिए नीतियों की समीक्षा करता है और उन पर सहमति व्यक्त करता है, जिनका सारांश नीचे दिया गया है।

यह टिप्पणी इकाई के संपर्क में आने वाले जोखिम के स्रोतों और इकाई वित्तीय विवरणों में जोखिम का प्रबंधन कैसे करती है, इसकी व्याख्या करता है।

जोखिम	से उत्पन्न होने वाला एक्सपोज़र	माप	प्रबंध
क्रण जोखिम	परिशोधित लागत पर मापी गई नकद और नकद समकक्ष, व्यापार प्राप्य वित्तीय संपत्ति	उग्र बढ़ने का विश्लेषण / क्रेडिट रेटिंग	सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई दिशानिर्देश), बैंक जमाराशियों की क्रेडिट सीमा और अन्य प्रतिभूतियों का विविधीकरण
तरलता जोखिम	उधार और अन्य देनदारियाँ	आवधिक नकदी प्रवाह	प्रतिबद्ध क्रेडिट लाइनों और उधार लेने की सुविधाओं की उपलब्धता
बाजार जोखिम-विदेशी मुद्रा	भविष्य के वाणिज्यिक लेनदेन, मान्यता प्राप्त वित्तीय संपत्तियाँ और देनदारियाँ भारतीय रूपये में अंकित नहीं हैं	नकदी प्रवाह पूर्वानुमान संवेदनशीलता विश्लेषण	वरिष्ठ प्रबंधन और लेखापरीक्षा समिति द्वारा नियमित निगरानी और समीक्षा।
बाजार जोखिम-व्याज दर	नकद और नकद समकक्ष, बैंक जमा और म्यूचुअल फंड	नकदी प्रवाह पूर्वानुमान संवेदनशीलता विश्लेषण	सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई दिशानिर्देश), वरिष्ठ प्रबंधन और लेखापरीक्षा समिति द्वारा नियमित निगरानी और समीक्षा।

भारत सरकार द्वारा जारी डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार निदेशक मंडल द्वारा समूह जोखिम प्रबंधन किया जाता है। बोर्ड समग्र जोखिम प्रबंधन के साथ-साथ अतिरिक्त तरलता के निवेश को कवर करने वाली नीतियों के लिए लिखित सिद्धांत प्रदान करता है।

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ (स्टैंडअलोन)

क. क्रण जोखिम:

क्रण जोखिम प्रबंधन:

प्राप्तियां मुख्य रूप से कोयले की बिक्री से उत्पन्न होती हैं। कोयले की बिक्री को मोटे तौर पर ईंधन आपूर्ति समझौतों (एफएसए) और ई-नीलामी के माध्यम से बिक्री के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

मैक्रो-आर्थिक जानकारी (जैसे विनियामक परिवर्तन) को ईंधन आपूर्ति समझौतों (एफएसए) और ई-नीलामी शर्तों के हिस्से के रूप में शामिल किया गया है।

ईंधन आपूर्ति समझौते (एफएसए)

जैसा कि नई कोयला वितरण नीति (एनसीडीपी) की परिकल्पना और शर्तों के अनुसार, समूह ग्राहकों के साथ या राज्य नामित एजेंसियों के साथ कानूनी रूप से लागू करने योग्य एफएसए में प्रवेश करता है जो बदले में अंतिम ग्राहकों के साथ उचित वितरण व्यवस्था में प्रवेश करता है। एफएसए को मोटे तौर पर इसमें वर्गीकृत किया जा सकता है:

- राज्य बिजली उपयोगिताओं, निजी बिजली सहित बिजली उपयोगिता क्षेत्र में ग्राहकों के साथ एफएसए उपयोगिताएँ (“पीपीयू”) और स्वतंत्र बिजली उत्पादक (“आईपीपी”);
- गैर-विद्युत उद्योगों में ग्राहकों के साथ एफएसए (कैप्टिव पावर प्लांट (“सीपीपी”) सहित); और
- राज्य द्वारा नामांकित एजेंसियों के साथ एफएसए।

ई-नीलामी योजना

कोयले की ई-नीलामी योजना उन ग्राहकों के लिए कोयले तक पहुंच प्रदान करने के लिए शुरू की गई है, जो विभिन्न कारणों से एनसीडीपी के तहत उपलब्ध संस्थागत तंत्र के माध्यम से अपनी कोयले की आवश्यकता को पूरा करने में सक्षम नहीं थे, उदाहरण के लिए, एनसीडीपी के तहत उनकी मानक आवश्यकताओं को पूर्ण आवंटन से कम होना, उनकी कोयले की मौसमी आवश्यकताएँ और कोयले की सीमित आवश्यकता जो दीर्घकालिक लिंकेज की गारंटी नहीं देती है। ई-नीलामी के तहत पेश किए जाने वाले कोयले की मात्रा की कोयला मंत्रालय द्वारा समय-समय पर समीक्षा की जाती है।

क्रण जोखिम तब उत्पन्न होता है जब एक प्रतिपक्ष संविदात्मक दायित्वों पर चूक करता है जिसके परिणामस्वरूप समूह को वित्तीय नुकसान होता है।

प्रत्याशित क्रण हानि के लिए प्रावधान: कंपनी संदिग्ध/क्रण बाधित आस्तियों के लिए जीवन भर प्रत्याशित क्रण हानि (सरलीकृत दृष्टिकोण) द्वारा अपेक्षित क्रण जोखिम हानि प्रदान करता है। संदर्भ टिप्पण - 13, व्यापार प्राप्य देखें।

वित्तीय आस्तियों की क्षति के लिए महत्वपूर्ण अनुमान और निर्णय

ऊपर बताए गए वित्तीय आस्तियों के लिए हानि प्रावधान डिफॉल्ट के जोखिम और संभावित हानि दरों के बारे में धारणाओं पर आधारित हैं। कंपनी इन धारणाओं को बनाने और हानि गणना के लिए इनपुट का चयन करने में निर्णय का उपयोग करती है, जो कंपनी के विछले इतिहास, मौजूदा बाजार स्थितियों के साथ-साथ प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में भविष्योन्मुखी अनुमानों पर आधारित होती है।

ख. तरलता जोखिम

विवेकपूर्ण चलनिधि जोखिम प्रबंधन का अर्थ है, पर्याप्त नकदी और विपणन योग्य प्रतिभूतियों को बनाए रखना और देय होने पर दायित्वों को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में प्रतिबद्ध क्रण सुविधाओं के माध्यम से धन की उपलब्धता। अंतर्निहित व्यवसायों की गतिशील प्रकृति के कारण, समूह कोषागार प्रतिबद्ध क्रेडिट लाइनों के तहत उपलब्धता बनाए रखते हुए वित्त पोषण में लचीलापन बनाए रखता है।

प्रबंधन अपेक्षित नकदी प्रवाह के आधार पर कंपनी की तरलता स्थिति (अनाहरित उधार सुविधाओं सहित) और नकदी और नकदी समकक्षों के पूर्वानुमानों की निगरानी करता है। यह आम तौर पर कंपनी द्वारा निर्धारित अभ्यास और सीमाओं के अनुसार स्थानीय स्तर पर किया जाता है। कोल इंडिया लिमिटेड की बैंक उधारी को बैंकों के संघ के भीतर कोयले के स्टॉक, भंडार और स्पेयर पार्ट्स और सीआईएल और इसकी



वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ (स्टैंडअलोन)

अनुषंगी कंपनियों के बही क्रणों के विरुद्ध चार्ज बनाकर सुरक्षित किया गया है। सीआईएल के लिए उपलब्ध कुल कार्यशील पूँजी क्रण सीमा ₹430.00 करोड़ है, जिसमें से फनिधि आधारित सीमा ₹140.00 करोड़ है और गैर-फनिधि आधारित सीमा ₹290.00 करोड़ है। इसके अलावा, एचईएमएम के आयत को सुविधाजनक बनाने के लिए ₹1000.00 करोड़ को फंड आधारित सीमा के रूप में और ₹5190.00 करोड़ (विगत वर्ष ₹5000.00 करोड़) को कंसोर्टियम के बाहर गैर-फनिधि आधारित सीमा के रूप में स्थापित किया गया था। कोल इंडिया लिमिटेड उस सीमा तक आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है जिस हद तक अनुषंगी कंपनियों द्वारा वास्तव में ऐसी सुविधा का उपयोग किया जाता है।

ग. बाजार जोखिम

क) विदेशी मुद्रा जोखिम

विदेशी मुद्रा जोखिम भविष्य के वाणिज्यिक लेनदेन और स्वीकृति प्राप्त परिसंपत्तियों या मुद्रा में मूल्यवर्गीकृत की गई देनदारियों से उत्पन्न होती है, जो कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा नहीं है (आईएनआर)। कंपनी विदेशी मुद्रा लेनदेन से उत्पन्न विदेशी मुद्रा जोखिम के संपर्क में रहता है। विदेशी ऑपरेशन के संबंध में विदेशी मुद्रा विनियम जोखिम को महत्वहीन माना जाता है। कंपनी आयात भी करती है और जोखिम नियमित अनुकर्त्ता द्वारा प्रबंधित किया जाता है। समूह की एक नीति है जिसे विदेशी मुद्रा जोखिम महत्वपूर्ण होने पर लागू किया जाता है।

ख) नकदी प्रवाह और उचित मूल्य ब्याज दर जोखिम

कंपनी का मुख्य ब्याज दर जोखिम बैंक जमा से उत्पन्न होता है, ब्याज दर में परिवर्तन समूह को नकदी प्रवाह ब्याज दर जोखिम के लिए उत्तराग करता है। समूह की नीति अपनी अधिकांश जमाओं को निश्चित दर पर बनाए रखना है।

कंपनी बैंक जमा, क्रेडिट सीमा और अन्य प्रतिभूतियों के विविधीकरण पर सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी दिशानिर्देशों का उपयोग करके जोखिम का प्रबंधन करती है।

पंजी प्रबंधन

कंपनी एक सरकारी इकाई होने के नाते वित्त मंत्रालय के तहत निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार अपनी पूँजी का प्रबंधन करती है।

कंपनी की पूँजी संरचना इस प्रकार है:

(₹ करोड़ में)

	31-03-2023	31-03-2022
इकिटी शेयर पूंजी	6162.73	6162.73
दीर्घकालिक क्रुण	-	-

6 कर्मचारी लाभः मान्यता और मापन (इंड एएस-19)

(I) परिभाषित लाभ योजनाएं

क) ग्रेच्युटी

कंपनी, रोजगार के बाद परिभाषित लाभ योजना ("ग्रेच्युटी योजना") के तहत पात्र कर्मचारियों को कवर करते हुए ग्रेच्युटी प्रदान करती है। ग्रेच्युटी योजना पूरी तरह से भारतीय जीवन बीमा निगम के ट्रस्ट के माध्यम से वित्त पोषित है, जिसमें नियोक्ता का योगदान मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 2.01% है। प्रत्येक कर्मचारी जिसने 5 वर्ष या उससे अधिक की निरंतर सेवा प्रदान की है, सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 15 दिनों के वेतन के बराबर ग्रेच्युटी राशि प्राप्त करने का हकदार है (महीने में 15 दिन/26 दिन* अंतिम आहरित वेतन और महंगाई भत्ता**) सेवा के पूर्ण वर्ष) ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 के संशोधित प्रावधानों पर विचार करते हुए कंपनी से अलग होने के समय अधिकतम 0.20 करोड़ रुपये की सीमा के अधीन प्राप्त करने का हकदार है। ग्रेच्युटी योजना के संबंध में बैलेंस शीट में मान्यता प्राप्त देयता या परिसंपत्ति रिपोर्टिंग वर्ष के अंत में परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य है, जिसमें से योजना संपत्ति का उचित मूल्य घटा दिया जाता है। परिभाषित लाभ दायित्व की गणना प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके बीमांकिकों द्वारा की जाती है। अनुभव समायोजन और बीमांकिक मान्यताओं में परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले पुनः माप लाभ और हानियों को उस वर्ष में मान्यता दी जाती है जिसमें वे सीधे अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में होते हैं।

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ (स्टैंडअलोन)

ख) सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ – अधिकारी (सीपीआरएमएसई)

कंपनी में सेवानिवृत्ति के बाद की चिकित्सा लाभ योजना है जिसे सीआईएल और उसकी सहायक कंपनियों के अधिकारी के लिए अंशदायी सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा योजना (उझठचड़े) के रूप में जाना जाता है, जो कंपनी अस्पताल / पैनलबद्ध अस्पतालों या आउट पेशेंट / केवल भारत में अधिवास में अधिकारियों और उनके जीवनसाथी को अधिकतम सीमा के अन्तर्गत मेडिकेयर प्रदान करती है, बशर्ते कि अधिकारी निम्न शर्तों के तहत सेवानिवृत्ति हुए हों - सेवा सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्ति के कारण या चिकित्सा आधार पर कंपनी द्वारा सेवामुक्त किये जाने या सामान्य कोयला संवर्ग के तहत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना या समय-समय पर तैयार और लागू स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के तहत। सीआईएल और उसकी सहायक कंपनियों की सेवाओं से इस्तीफा देने वाले अधिकारियों को सदस्यता नहीं दी जाती है। बिना किसी ऊपरी सीमा के निर्दिष्ट बीमारियों को छोड़कर, संयुक्त रूप से या अलग-अलग साथ में लिए गए सेवानिवृत्ति अधिकारियों और पति या पत्नी के लिए पूरे जीवन के दौरान प्रतिपूर्ति योग्य अधिकतम राशि 25 लाख रुपये है। यह योजना भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा संचालित ट्रस्ट फॉर ग्रुप के माध्यम से वित्त पोषित है। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर किए गए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर योजना के लिए देयता की पहचान की जाती है।

ग) सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ – गैर अधिकारी (सीपीआरएमएस-एनई)

वेतन समझौते के तहत सामाजिक सुरक्षा योजना के एक भाग के रूप में, कंपनी गैर-अधिकारियों को सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्ति के कारण या चिकित्सा आधार पर कंपनी द्वारा सेवामुक्त किये जाने पर या समय-समय पर लागू स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के तहत सेवानिवृत्ति या कंपनी से 57 वर्ष या उससे अधिक की आयु में कंपनी से इस्तीफा देने की स्थिति में गैर-अधिकारियों और उनके पति या पत्नी और दिव्यांग बच्चे (बच्चों) या मृत्यु होने पर जीवनसाथी और दिव्यांग बच्चे (बच्चों) को गैर-अधिकारियों के लिए अंशदायी सेवा उपरांत स्वास्थ्य देखभाल योजना (सीपीआरएमएसई-एनई) की अधिकतम सीमा के अधीन केवल भारत में अधिवास के दौरान कंपनी अस्पताल / पैनलबद्ध अस्पताल या आउट पेशेंट में चिकित्सा देखभाल प्रदान कर रही है। निर्दिष्ट बीमारियों के लिए बगैर किसी ऊपरी सीमा के, सेवानिवृत्ति गैर-कार्यकारियों, पति या पत्नी और दिव्यांग बच्चे (बच्चों) के लिए पूरे जीवन के दौरान प्रतिपूर्ति योग्य अधिकतम राशि संयुक्त रूप से या अलग-अलग 8 लाख रुपये है। यह योजना भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा संचालित ट्रस्ट फॉर ग्रुप के माध्यम से वित्त पोषित है। योजना के लिए दायित्व प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर किए गए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर पहचाना जाता है।

(II) परिभाषित योगदान योजनाएँ

क) भविष्य निधि और पेंशन

कंपनी पात्र कर्मचारी के वेतन के एक निश्चित प्रतिशत के आधार पर भविष्य निधि और पेंशन निधि के लिए पूर्व निर्धारित दरों पर निश्चित अंशदान अर्थात् मूल वेतन और महंगाई भत्ता का 12% और 7% क्रमशः भविष्य निधि और पेंशन निधि के लिए भुगतान करती है। इन निधियों को कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के नियंत्रण में एक अलग वैधानिक निकाय द्वारा संचालित किया जाता है, जिसका नाम कोयला खान भविष्य निधि संगठन (उच्चञ्चल) है। इस अवधि के लिए निधि के योगदान को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी गई है।

ख) सीआईएल अधिकारी परिभाषित अंशदान पेंशन योजना (एनपीएस)

कंपनी, कंपनी के अधिकारियों को रोजगार के बाद अंशदायी पेंशन योजना प्रदान करती है जिसे “सीआईएल अधिकारी परिभाषित अंशदान पेंशन योजना -2007” (एनपीएस) के रूप में जाना जाता है। यह योजना भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा संचालित ट्रस्ट फॉर ग्रुप के माध्यम से वित्त पोषित है। कंपनी का दायित्व भविष्य निधि, ग्रेच्युटी, सेवानिवृत्ति के बाद के चिकित्सा लाभों के लिए नियोक्ता का योगदान -कार्यकारी यानी सीपीआरएमएसई या कोई अन्य सेवानिवृत्ति लाभ को मूल वेतन और महंगाई भत्ते के अधिकतम 30% में से घटाने के बाद शेष राशि का ट्रस्ट में योगदान करना है। मूल और महंगाई भत्ते के 6.99% के वर्तमान नियोक्ता योगदान को लाभ और हानि के विवरण के लिए प्रभारित किया जा रहा है।

(III) अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ

क) अवकाश नकदीकरण

कंपनी के अधिकारियों को कंपनी 30 दिनों की कुल अर्जित छुट्टी (ईएल) और 20 दिनों के अर्ध-वैतनिक छुट्टी (एचपीएल) का लाभ प्रदान करती है, जो हर साल जनवरी और जुलाई के पहले दिन अर्धवार्षिक आधार पर आनुपातिक रूप से अर्जित और जमा किया जाता

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ (स्टैंडअलोन)

है। सेवा के दौरान प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में एक बार कुल जमा ईएल की 75% का नकदीकरण किया जा सकता है, जो अधिकतम 60 दिनों के ईएल नकदीकरण की सीमा के अधीन है। संचित एचपीएल को सेवा की अवधि के दौरान नकदीकरण की अनुमति नहीं है। सेवानिवृत्ति पर, ईएल और एचपीएल दोनों को एक साथ नकदीकरण के लिए मान्य है, जो एचपीएल के योग के बिना 300 दिनों की समग्र सीमा के अधीन है। गैर-अधिकारियों के मामले में, छुट्टी नकदीकरण राष्ट्रीय कोयला मजदूरी समझौते (एनसीडब्ल्यूए) द्वारा शासित है और वर्तमान में कामगार प्रति वर्ष 15 दिनों की दर से अर्जित अवकाश का नकदीकरण पाने के हकदार हैं और मृत्यु, सेवानिवृत्ति, सेवावकाश और बीआरएस के कारण सेवा समाप्त होने पर, शेष अवकाश या 150 दिन जो भी कम हो, नकदीकरण के लिए मान्य है। इसलिए, अर्जित छुट्टी के लिए देनदारियों को सेवा के दौरान और साथ ही कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के बाद निपटाने की उमीद है। इसलिए उन्हें अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक कर्मचारियों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के संबंध में अपेक्षित भविष्य के भुगतान के वर्तमान मूल्य के रूप में मापा जाता है। रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बाजार प्रतिफल का उपयोग करके लाभों में छूट दी जाती है, जिसमें संबंधित दायित्व की शर्तों के अनुसार शर्तें होती हैं। यह योजना भारतीय जीवन बीमा निगम की योग्य बीमा पॉलिसियों द्वारा वित्त पोषित है। योजना के तहत देयता प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार कंपनी द्वारा वहन की जाती है।

ख) जीवन बीमा योजना (एलसीएस)

सामाजिक सुरक्षा योजना के एक भाग के रूप में, कंपनी की एक जीवन बीमा योजना है जिसे “कोल इंडिया लिमिटेड की जीवन बीमा योजना” (डउड) के रूप में जाना जाता है, जिसमें सभी अधिकारी और गैर-अधिकारी संवर्ग के कर्मचारी शामिल हैं। सेवा के दौरान मृत्यु के मामले में, योजना के तहत नामितों को 01.10.2017 से 1,25,000 रुपये की राशि का भुगतान किया जाता है। लाभ की अपेक्षित लागत को तब पहचाना जाता है जब कोई घटना होती है जो योजना के तहत देय लाभ का कारण बनती है।

ग) निपटान भत्ते

वेतन समझौते के हिस्से के रूप में, एनसीडब्ल्यूए के तहत शासित सभी गैर-अधिकारी संवर्ग के कर्मचारियों को 31.10.2010 को या उसके बाद सेवानिवृत्ति भत्ते के रूप में 12000/- रुपये की एकमुश्त राशि का भुगतान किया जाता है। योजना के तहत देयता प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार कंपनी द्वारा वहन की जाती है।

घ) समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा (जीपीएआईएस)

कंपनी ने यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से कंपनी के अधिकारियों को व्यक्तिगत दुर्घटना के खिलाफ कवर करने के लिए “कोल इंडिया एकजीक्यूटिव्स ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम” (जीपीएआईएस) नामक समूह बीमा योजना ली है। जीपीएआईएस दुनिया भर में 24 घंटे के आधार पर सभी प्रकार की दुर्घटनाओं को कवर करता है। योजना का प्रीमियम कंपनी द्वारा वहन किया जाता है।

इ) अवकाश यात्रा रियायत (एलटीसी)

वेतन समझौते के एक भाग के रूप में, गैर-अधिकारी कर्मचारी 4 साल के ब्लॉक में एक बार अपने गृह नगर और “भारत भ्रमण” के लिए यात्रा सहायता के हकदार हैं। गृह नगर और “भारत भ्रमण” का दौरा करने के लिए क्रमशः 8000 / - और 12000 / - रुपये की एकमुश्त राशि का भुगतान किया जाता है। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर योजना के लिए देयता की पहचान की जाती है।

च) खान दुर्घटना लाभ पर आश्रितों को मुआवजा

वेतन समझौते के तहत सामाजिक सुरक्षा योजना के एक हिस्से के रूप में, कंपनी कर्मचारी मुआवजा अधिनियम, 1923 के तहत स्वीकार्य लाभ प्रदान करती है। घातक खदान दुर्घटना के मामले में एक कर्मचारी के परिजनों को 07.11.0219 से 15 लाख रुपये की राशि का भुगतान किया जाता है। लाभ की अपेक्षित लागत को तब शामिल किया जाता है जब कोई घटना घटित होती है जो योजना के तहत देय लाभ का कारण बनती है।

परिभाषित लाभ योजनाओं और अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ योजनाओं की वित्तीय स्थिति इस प्रकार है:

(i) वित्तपोषित

- o ग्रेच्युटी
- o अवकाश नकदीकरण
- o सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ - अधिकारी (सीपीआरएमएसई)
- o सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ - गैर-अधिकारी (सीपीआरएमएस-एनई)

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ (स्टैंडअलोन)

(ii) वर्तरहित

- जीवन बीमा योजना
- निपटान भत्ता
- समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा
- अवकाश यात्रा रियायत
- खान दुर्घटना लाभ के तहत आश्रितों को मुआवजा

बीमांकिक द्वारा किए गए मूल्यांकन के आधार पर 31-03-2023 तक बीमांकिक प्रावधान ₹ 569.47 करोड़ है, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

विवरण	प्रारंभिक बीमांकिक देयता 01-04-2021	अवधि के दौरान वृद्धिशील दायित्व/ (समायोजन)।	प्रारंभिक बीमांकिक देयता 01-04-2022	अवधि के दौरान वृद्धिशील दायित्व/ (समायोजन)।	अंत में बीमांकिक देयता 31-03-2023
ग्रेचुटी	188.99	(22.28)	166.71	(21.98)	144.73
छट्टी	75.28	0.66	75.94	(2.52)	73.42
निपटान भत्ता	2.15	1.07	3.22	(0.32)	2.90
अवकाश यात्रा रियायत	1.59	(0.64)	0.95	(0.03)	0.92
सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ	238.12	(38.26)	199.86	147.64	347.50
कुल	506.13	(59.45)	446.68	122.79	569.47

बीमांकिक प्रमाणपत्र के अनुसार प्रकटीकरण

ग्रेचुटी (वित पोषित) और अवकाश नकदीकरण (वित पोषित) जैसे कर्मचारी लाभों के लिए बीमांकिक प्रमाणपत्र के अनुसार खुलासे नीचे दिए गए हैं:-

31-03-2023 तक ग्रेचुटी का बीमांकिक मूल्यांकन 19 भारतीय मानक के अनुसार प्रमाण पत्र

31-03-2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए परिभाषित लाभ लागत का प्रकटीकरण

क	लाभ और हानि	31-03-2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31-03-2022 को समाप्त वर्ष के लिए
1	चालू सेवा लागत	1.61	10.59
2	पिछली सेवा लागत - योजना संशोधन	-	-
3	कटौती लागत / (क्रेडिट)	-	-
4	निपटान लागत / (क्रेडिट)	-	-
5	सेवा लागत	1.61	10.59
6	शुद्ध परिभाषित लाभ देयता / (संपत्ति) पर शुद्ध ब्याज	(4.69)	(2.55)
7	(लाभ)/नुकसान की तत्काल मान्यता- अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ	-	-
8	लाभ और हानि में मान्यता दी गई लागत	(3.08)	8.04

ख	अन्य व्यापक आय (ओसीआई)	31-03-2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31-03-2022 को समाप्त वर्ष के लिए
1	डीबीओ अनुभव के कारण बीमांकिक (लाभ)/हानि	3.09	(11.09)
2	डीबीओ धारणा परिवर्तन के कारण बीमांकिक (लाभ)/हानि	(3.95)	0.44
3	अवधि के दौरान उत्पन्न बीमांकिक (लाभ)/हानि	(0.86)	(10.65)
4	योजना आस्तियों पर प्रतिलाभ (अधिक)/छूट दर से कम	0.67	(1.15)
5	बीमांकिक (लाभ)/हानि ओसीआई में मान्यता प्राप्त	(0.19)	(11.80)

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ (स्टैंडअलोन)

(₹ करोड़ में)

ग	परिभाषित लाभ लागत	31-03-2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31-03-2022 को समाप्त वर्ष के लिए
1	सेवा लागत	1.61	10.59
2	नेट डिफ पर शुद्ध ब्याज	(4.69)	(2.55)
3	बीमांकित (लाभ)/हानि	(0.19)	(11.80)
4	तत्काल मान्यता	-	-
5	परिभाषित लाभ लागत	(3.27)	(3.76)

(₹ करोड़ में)

घ	मान्यताएँ	31-03-2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31-03-2022 को समाप्त वर्ष के लिए
1	छूट की दर	7.30%	6.80%
2	बेतन वृद्धि की दर	कार्यकारी: 9%; गैर कार्यकारी: 6.25%	कार्यकारी: 9%; गैर कार्यकारी: 6.25%
3	निकासी दर	0.30%	0.30%
4	मृत्यु दर	इंडियन एश्योर्ड लाइव्स मोर्टेलिटी (2006-08) अल्टीमेट	इंडियन एश्योर्ड लाइव्स मोर्टेलिटी (2006-08) अल्टीमेट

नमूना मृत्यु दर

आयु	दरें	आयु	दरें
20	0.000888	45	0.002874
25	0.000984	50	0.004946
30	0.001056	55	0.007888
35	0.001282	60	0.011534
40	0.001803	65	0.017009

31-03-2023 को शुद्ध तुलन-पत्र की स्थिति

(₹ करोड़ में)

क	शुद्ध तुलन पत्र की स्थिति का विकास	31-03-2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31-03-2022 को समाप्त वर्ष के लिए
1	परिभाषित लाभ दायित्व (डीबीओ)	(144.73)	(166.72)
2	योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य (एफवीए)	231.78	220.75
3	वित्तपोषित स्थिति अधिशेष/(घाटा)	87.05	54.03
4	परिसंपत्ति सीमा का प्रभाव	-	0.00
5	शुद्ध परिभाषित लाभ परिसंपत्ति/ (देयता)	87.05	54.03

(₹ करोड़ में)

ख	शुद्ध तुलन पत्र की स्थिति का समाधान	31-03-2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31-03-2022 को समाप्त वर्ष के लिए
1	पूर्व अवधि के अंत में शुद्ध परिभाषित लाभ परिसंपत्ति/ (देयता)।	54.03	24.21
2	सेवा लागत	-1.61	(10.59)
3	शुद्ध परिभाषित लाभ देयता/(संपत्ति) पर शुद्ध ब्याज	4.69	2.55
4	ओसीआई में मान्यता प्राप्त राशि	0.19	11.80
5	नियोक्ता का योगदान	29.75	26.06
6	कंपनी द्वारा संघेभुगतान किया गया लाभ	-	-
7	अधिग्रहण क्रेडिट/ (लागत)	-	-
8	डाइवोस्टीचर	-	-
9	समाप्ति लाभ की लागत	-	-
10	वर्तमान अवधि के अंत में शुद्ध परिभाषित लाभ परिसंपत्ति/ (देयता)।	87.05	54.03

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ (स्टैंडअलोन)

31-03-2023 को समाप्त वर्ष के दौरान लाभ दायित्वों और संपत्तियों में परिवर्तन

(₹ करोड़ में)

क्र	परिभाषित लाभ दायित्व (डीबीओ) में परिवर्तन	31-03-2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31-03-2022 को समाप्त वर्ष के लिए
1	पूर्व अवधि के अंत में डीबीओ	166.72	189.00
2	चालू सेवा लागत	1.61	10.59
3	डीबीओ पर ब्याज लागत	10.22	11.78
4	कटौती (क्रेडिट)/लागत	-	-
5	निपटान (क्रेडिट)/ लागत	-	-
6	पिछली सेवा लागत - योजना संशोधन	-	-
7	अधिग्रहण (क्रेडिट)/ लागत	-	-
8	बीमांकिक (लाभ)/हानि - अनुभव	3.09	(11.09)
9	बीमांकिक (लाभ)/हानि - जनसांख्यिकीय अनुमान	-	-
10	बीमांकिक (लाभ)/हानि - वित्तीय अनुमान	(3.95)	0.44
11	कंपनी द्वारा सीधे भुगतान किए गए लाभ	-	-
12	योजना संपत्तियों से भुगतान किए गए लाभ	(32.95)	(34.00)
13	वर्तमान अवधि के अंत में डी.बी.ओ	144.74	166.72

(₹ करोड़ में)

ख्र	संपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन	31-03-2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31-03-2022 को समाप्त वर्ष के लिए
1	पूर्व अवधि के अंत में परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	220.75	213.21
2	अधिग्रहण समायोजन	-	-
3	योजना परिसंपत्तियों पर ब्याज आय	14.91	14.33
4	नियोक्ता का योगदान	29.74	26.06
5	छूट दर से अधिक / (कम) योजनाबद्ध संपत्ति पर वापसी	(0.67)	1.15
6	भुगतान किए गए लाभ	(32.95)	(34.00)
7	वर्तमान अवधि के अंत में परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	231.78	220.75

अतिरिक्त प्रकटीकरण सूचना

(₹ करोड़ में)

क्र	समाप्त होने वाले वर्ष के लिए अपेक्षित लाभ भुगतान	
1	31 मार्च 2024	26.03
2	31 मार्च 2025	17.57
3	31 मार्च 2026	19.21
4	31 मार्च 2027	14.93
5	31 मार्च 2028	16.19
6	31 मार्च 2029 से 31 मार्च 2033 तक	66.96
7	10 वर्ष से अधिक	86.39
ख्र	31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए अपेक्षित नियोक्ता योगदान	1.22
ग	परिभाषित लाभ दायित्व की भारित औसत अवधि	6 साल
घ	31 मार्च 2023 को उपार्जित लाभ दायित्व	126.32

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ (स्टैंडअलोन)

(₹ करोड़ में)

इ	31 मार्च 2023 तक योजना संपत्ति की जानकारी	को %
	भारत सरकार की प्रतिभूतियाँ (केंद्रीय और राज्य)	0%
	उच्च गुणवत्ता वाले कॉर्पोरेट बांड (सार्वजनिक क्षेत्र के बांड सहित)	0%
	सूचीबद्ध कंपनियों के इकिटी शेयर	0%
	संपत्ति	0%
	नकद (विशेष जमा सहित)	0%
	बीमा की योजनाएँ - पारंपरिक उत्पाद	100%
	बीमा की योजनाएँ - यूलिप उत्पाद	0%
	अन्य	0%
	कुल	100%

(₹ करोड़ में)

च	चालू और गैर-चालू देयता का व्यौरा	31-03-2023
1	चालू दायित्व	25.13
2	गैर चालू दायित्व	119.60
3	31 मार्च 2023 तक देयता	144.73

संवेदनशीलता का विश्लेषण

क	छूट की दर	31 मार्च 2023 की आधार मान्यताओं पर डीबीओ	144.73
	31 मार्च 2023 तक छूट दर		7.30%
1	छूट दर में 0.5% की वृद्धि के कारण डीबीओ पर प्रभाव	(3.72)	
	प्रतिशत प्रभाव		-3%
2	छूट दर में 0.5% की कमी से डीबीओ पर असर	3.95	
	प्रतिशत प्रभाव		3%

ख	वेतन वृद्धि दर	
	31 मार्च 2023 तक वेतन वृद्धि दर	कार्यकारी: 9%; गैर कार्यकारी: 6.25%
1	वेतन वृद्धि में 0.5% की बढ़ोतरी से डीबीओ पर असर	0.53
	प्रतिशत प्रभाव	0%
2	वेतन वृद्धि में 0.5% की कमी से डीबीओ पर असर	(0.58)
	प्रतिशत प्रभाव	0%

31-03-2023 को अवकाश लाभ का बीमांकिक मूल्यांकन, भारतीय मानक 19 के अनुसार प्रमाण पत्र

31-03-2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए परिभाषित लाभ लागत का प्रकटीकरण

(₹ करोड़ में)

क	लाभ और हानि	31-03-2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31-03-2022 को समाप्त वर्ष के लिए
1	चालू सेवा लागत	9.74	10.37
2	पिछली सेवा लागत - योजना संशोधन	-	-
3	कटौती लागत / (क्रेडिट)	-	-
4	निपटान लागत / (क्रेडिट)	-	-
5	सेवा लागत	9.74	10.37
6	शुद्ध परिभाषित लाभ देयता / (संपत्ति) पर शुद्ध व्याज	(0.78)	0.10
7	(लाभ)/नुकसान की तत्काल पहचान - अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ	(1.67)	3.19
8	लाभ और हानि में मान्यता प्राप्त लागत	7.29	13.66

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ (स्टैंडअलोन)

ख	परिभाषित लाभ लागत	(₹ करोड़ में)	
		31-03-2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31-03-2022 को समाप्त वर्ष के लिए
1	सेवा लागत	9.74	10.37
2	नेट डिफ पर शुद्ध ब्याज	(0.78)	0.10
3	बीमांकिक (लाभ)/हानि	-	-
4	तत्काल मान्यता	(1.67)	3.19
5	परिभाषित लाभ लागत	7.29	13.66

ग	मान्यताएँ	(₹ करोड़ में)	
		31-03-2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31-03-2022 को समाप्त वर्ष के लिए
1	दूर की दर	7.30%	6.80%
2	बेतन वृद्धि की दर	कार्यकारी: 9% ; गैर कार्यकारी: 6.25%	कार्यकारी: 9% ; गैर कार्यकारी: 6.25%
3	निकासी दर	0.30%	0.30%
4	मृत्यु दर	इंडियन एश्योर्ड लाइफ्स मोर्टेलिटी (2006-08)	इंडियन एश्योर्ड लाइफ्स मोर्टेलिटी (2006-08)
		अल्टीमेट	अल्टीमेट

नमूना मृत्यु दर

आयु	दरें	आयु	दरें
20	0.000888	45	0.002874
25	0.000984	50	0.004946
30	0.001056	55	0.007888
35	0.001282	60	0.011534
40	0.001803	65	0.017009

31-03-2023 को शुद्ध तुलन पत्र की स्थिति

क	शुद्ध तुलन पत्र की स्थिति का विकास	(₹ करोड़ में)	
		31-03-2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31-03-2022 को समाप्त वर्ष के लिए
1	परिभाषित लाभ दायित्व (डीबीओ)	(73.42)	(75.94)
2	योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य (एफवीए)	85.23	79.80
3	वित्तपोषित स्थिति [अधिशेष/(घाटा)]	11.81	3.86
4	परिसंपत्ति सीमा का प्रभाव	-	-
5	शुद्ध परिभाषित लाभ परिसंपत्ति/ (देयता)	11.81	3.86

ख	शुद्ध तुलन पत्र की स्थिति का समाधान	(₹ करोड़ में)	
		31-03-2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31-03-2022 को समाप्त वर्ष के लिए
1	पूर्व अवधि के अंत में शुद्ध परिभाषित लाभ परिसंपत्ति/ (देयता)।	3.86	(20.56)
2	सेवा लागत	(9.74)	(10.37)
3	शुद्ध परिभाषित लाभ देयता/(परिसंपत्ति) पर शुद्ध ब्याज	0.78	(0.10)
4	बीमांकिक (नुकसान)/लाभ	1.67	(3.19)
5	नियोक्ता का योगदान	15.23	38.08
6	कंपनी द्वारा सीधे भुगतान किया गया लाभ	-	-
7	अधिग्रहण क्रेडिट/ (लागत)	-	-
8	अनावरण	-	-
9	समाप्त लाभों की लागत	-	-
10	वर्तमान अवधि के अंत में शुद्ध परिभाषित लाभ परिसंपत्ति/ (देयता)।	11.80	3.86

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ (स्टैंडअलोन)

31-03-2023 को समाप्त वर्ष के दौरान लाभ दायित्वों और संपत्तियों में परिवर्तन

(₹ करोड़ में)

क्र.	परिभाषित लाभ दायित्व (डीबीओ) में परिवर्तन	31-03-2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31-03-2022 को समाप्त वर्ष के लिए
1	पूर्व अवधि के अंत में डीबीओ	75.94	75.28
2	चालू सेवा लागत	9.74	10.37
3	डीबीओ पर ब्याज लागत	4.63	4.54
4	कटौती (क्रेडिट)/लागत	-	-
5	निपटान (क्रेडिट)/लागत	-	-
6	पिछली सेवा लागत - योजना संशोधन	-	-
7	अधिग्रहण (क्रेडिट)/लागत	-	-
8	बीमांकिक (लाभ)/हानि - अनुभव	1.91	3.24
9	बीमांकिक (लाभ)/हानि - जनसांख्यिकीय अनुमान	-	-
10	बीमांकिक (लाभ)/हानि - वित्तीय अनुमान	(3.23)	0.33
11	कंपनी द्वारा सीधे भुगतान किए गए लाभ	-	-
12	योजना परिसंपत्तियों से भुगतान किये गये लाभ	(15.57)	(17.82)
13	वर्तमान अवधि के अंत में डी.बी.ओ	73.42	75.94

(₹ करोड़ में)

ख्र.	आस्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन	31-03-2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31-03-2022 को समाप्त वर्ष के लिए
1	पूर्व अवधि के अंत में आसितों का उचित मूल्य	79.80	54.72
2	अधिग्रहण समायोजन	-	-
3	योजना परिसंपत्तियों पर ब्याज आय	5.41	4.44
4	नियोक्ता का योगदान	15.24	38.08
5	योजना परिसंपत्तियों पर छूट दर से अधिक/(कम) रिटर्न	0.35	0.38
6	भुगतान किए गए लाभ	(15.57)	(17.82)
7	वर्तमान अवधि के अंत में परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	85.23	79.80

अतिरिक्त प्रकटीकरण सूचना

क्र.	समाप्त होने वाले वर्ष के लिए अपेक्षित लाभ भुगतान	
1	31 मार्च 2024	9.52
2	31 मार्च 2025	8.28
3	31 मार्च 2026	8.12
4	31 मार्च 2027	6.36
5	31 मार्च 2028	7.21
6	31 मार्च 2029 से 31 मार्च 2033 तक	30.95
7	10 वर्ष से अधिक	107.93
ख्र.	31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए अपेक्षित नियोक्ता योगदान	9.37
ग	परिभाषित लाभ दायित्व की भारित औसत अवधि	9 वर्ष
घ	31 मार्च 2023 को उपार्जित लाभ दायित्व	43.72

इ	31 मार्च 2023 तक योजना संपत्ति की जानकारी	प्रतिशत
	भारत सरकार की प्रतिभूतियाँ (केंद्रीय और राज्य)	0%
	उच्च गुणवत्ता वाले कॉर्पोरेट बांड (सार्वजनिक क्षेत्र के बांड सहित)	0%
	सूचीबद्ध कंपनियों के इकिटी शेयर	0%
	संपत्ति	0%
	नकद (विशेष जमा सहित)	0%
	बीमा की योजनाएँ - पारंपरिक उत्पाद	100%
	बीमा की योजनाएँ - यूलिप उत्पाद	0%
	अन्य	0%
	कुल	100%

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ (स्टैंडअलोन)

च	चालू और गैर-चालू देयता का ब्यौरा	31-03-2023
1	चालू दायित्व	9.19
2	गैर चालू दायित्व	64.23
3	31 मार्च 2023 को देयता	73.42

संवेदनशीलता का विश्लेषण		
	31 मार्च 2023 की आधार मान्यताओं पर डीबीओ	73.42
क	छूट की दर	
	31 मार्च 2023 के अनुसार छूट दर	7.30%
1	छूट दर में 0.5% की बढ़ोतरी से डीबीओ पर असर प्रतिशत प्रभाव	(2.96) -4%
2	छूट दर में 0.5% की कमी से डीबीओ पर असर प्रतिशत प्रभाव	3.23 4%

ख	वेतन वृद्धि दर	
	31 मार्च 2023 तक वेतन वृद्धि दर	कार्यकारी: 9% ; गैर कार्यकारी: 6.25%
1	वेतन वृद्धि में 0.5% की बढ़ोतरी से डीबीओ पर असर प्रतिशत प्रभाव	3.18 4%
2	वेतन वृद्धि में 0.5% की कमी से डीबीओ पर असर प्रतिशत प्रभाव	(2.94) -4%

31-03-2023 को सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ का बीमांकिक मूल्यांकन, इंड एस 19 के अनुसार प्रमाण पत्र

31-03-2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए परिभाषित लाभ लागत काप्रकटीकरण

क	लाभ और हानि (पी एंड एल)	31-03-2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31-03-2022 को समाप्त वर्ष के लिए	(₹ करोड़ में)
1	चालू सेवा लागत	1.17	1.09	
2	विगत सेवा लागत - योजना संशोधन	-	16.64	
3	कटौती लागत / (क्रेडिट)	-	-	
4	निपटान लागत / (क्रेडिट)	-	-	
5	सेवा लागत	1.17	17.72	
6	शुद्ध परिभाषित लाभ दायित्व / (संपत्ति) पर शुद्ध ब्याज	6.56	16.25	
7	(लाभ)/नुकसान की तत्काल मान्यता - अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ	-	-	
8	लाभ और हानि में मान्यता लागत	7.73	33.98	

ख	अन्य व्यापक आय (ओसीआई)	31-03-2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31-03-2022 को समाप्त वर्ष के लिए	(₹ करोड़ में)
1	डीबीओ अनुभव के कारण बीमांकिक (लाभ)/हानि	192.55	(63.16)	
2	डीबीओ धारणा परिवर्तन के कारण बीमांकिक (लाभ)/हानि	(14.55)	13.44	
3	अवधि के दौरान उत्पन्न बीमांकिक (लाभ)/हानि	178.00	(49.72)	
4	योजना परिसंपत्तियों पर प्रतिलाभ (अधिक)/छूट दर से कम	(10.20)	1.28	
5	ओसीआई में मान्यता प्राप्त बीमांकिक (लाभ)/हानि	167.80	(48.43)	

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ (स्टैंडअलोन)

(₹ करोड़ में)

ग	परिभाषित लाभ लागत	31-03-2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31-03-2022 को समाप्त वर्ष के लिए
1	सेवा लागत	1.16	17.72
2	नेट डिफ पर शुद्ध ब्याज	6.56	16.25
3	बीमांकिक (लाभ)/हानि	167.79	(48.43)
4	तत्काल मान्यता	-	-
5	परिभाषित लाभ लागत	175.51	-14.46

घ	मान्यताएँ	31-03-2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31-03-2022 को समाप्त वर्ष के लिए
1	छूट की दर	7.30%	6.80%
2	चिकित्सा मुद्रास्फीति दर	0.00%	0.00%
3	निकासी दर	0.30%	0.30%
4	मृत्यु दर - सेवाकालीन	इंडियन एश्योर्ड लाइस्य मोर्टेलिटी (2006-08) अल्टीमेट	इंडियन एश्योर्ड लाइस्य मोर्टेलिटी (2006-08) अल्टीमेट
5	मृत्यु दर - सेवानिवृत्ति के बाद	इंडियन एश्योर्ड लाइस्य मोर्टेलिटी (2012-15) अल्टीमेट	इंडियन एश्योर्ड लाइस्य मोर्टेलिटी (2012-15) अल्टीमेट
6	औसत चिकित्सा लागत (₹)	अधिकारी: अधिवास लाभ - ₹36,000 प्रति वर्ष। अस्पताल में भर्ती लाभ - ₹ 35,000 प्रति वर्ष। कर्मचारी: अधिवास लाभ + अस्पताल में भर्ती लाभ संयुक्त - ₹18,000 प्रति वर्ष।	अधिकारी: अधिवास लाभ - ₹36,000 प्रति वर्ष। अस्पताल में भर्ती लाभ - ₹ 35,000 प्रति वर्ष। कर्मचारी: अधिवास लाभ + अस्पताल में भर्ती लाभ संयुक्त - ₹18,000 प्रति वर्ष।
7	जीवनसाथी की उम्र में अंतर	पति/पत्नी सदस्य से 5 वर्ष छोटा है	पति/पत्नी सदस्य से 5 वर्ष छोटा है

नमूना मृत्यु दर: भारतीय सुनिश्चित जीवन मृत्यु दर (2006-08) अंतिम तालिका

आयु	दरें	आयु	दरें
20	0.000888	45	0.002874
25	0.000984	50	0.004946
30	0.001056	55	0.007888
35	0.001282	60	0.011534
40	0.001803	65	0.017009

नमूना मृत्यु दर: भारतीय व्यक्तिगत वार्षिक वार्षिकी मृत्यु दर तालिका (2012-15)

आयु	दरें
60	0.006349
65	0.01007
70	0.016393
75	0.027379
80	0.04673

31-03-2023 को शुद्ध तुलन पत्र की स्थिति

क	शुद्ध तुलन पत्र की स्थिति का विकास	31-03-2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31-03-2022 को समाप्त वर्ष के लिए
1	परिभाषित लाभ दायित्व (डीबीओ)	(347.49)	(199.86)
2	योजनाबद्ध परिसंपत्तियों का उचित मूल्य (एफवीए)	17.05	8.31
3	वित्तपेषित स्थिति [अधिशेष/(घाटा)]	(177.02)	(191.55)
4	परिसंपत्ति सीमा का प्रभाव	-	-
5	शुद्ध परिभाषित लाभ परिसंपत्ति/ (देयता)	(177.02)	(191.55)

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ (स्टैंडअलोन)

ख	शुद्ध तुलन पत्र की स्थिति का समाधान	(₹ करोड़ में)	
		31-03-2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31-03-2022 को समाप्त वर्ष के लिए
1	पूर्व अवधि के अंत में शुद्ध परिभाषित लाभ परिसंपत्ति / (देयता)।	(191.55)	(243.61)
2	सेवा लागत	(1.17)	(17.72)
3	शुद्ध परिभाषित लाभ देयता / (संपत्ति) पर शुद्ध ब्याज	(6.56)	(16.25)
4	ओसीआई में मान्यता प्राप्त राशि	(16.78)	48.43
5	नियोक्ता का योगदान	19.05	37.61
6	कंपनी द्वारा सीधे भुगतान किया गया लाभ	-	-
7	अधिग्रहण क्रेडिट / (लागत)	-	-
8	डाइवोस्टीचर	-	-
9	सेवा समाप्ति लाभों की लागत	-	-
10	वर्तमान अवधि के अंत में शुद्ध परिभाषित लाभ परिसंपत्ति / (देयता)।	(177.01)	(191.55)

31-03-2023 को समाप्त वर्ष के दौरान लाभ दायित्वों और संपत्तियों में परिवर्तन

क	परिभाषित लाभ दायित्व (डीबीओ) में परिवर्तन	(₹ करोड़ में)	
		31-03-2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31-03-2022 को समाप्त वर्ष के लिए
1	पूर्व अवधि के अंत में डीबीओ	199.86	238.13
2	चालू सेवा लागत	1.17	1.09
3	डीबीओ पर ब्याज लागत	12.10	16.39
4	कटौती (क्रेडिट)/लागत	-	-
5	निपटान (क्रेडिट)/ लागत	-	-
6	पिछली सेवा लागत - योजना संशोधन	-	16.64
7	अधिग्रहण (क्रेडिट) / लागत	-	-
8	बीमांकिक (लाभ)/हानि - अनुभव	192.55	(63.16)
9	बीमांकिक (लाभ)/हानि - जनसांख्यिकीय अनुमान	-	12.60
10	बीमांकिक (लाभ)/हानि - वित्तीय अनुमान	(14.55)	0.84
11	कंपनी द्वारा सीधे भुगतान किया गया लाभ	-	-
12	योजना परिसंपत्तियों से भुगतान किया गया लाभ	(43.64)	(22.66)
13	वर्तमान अवधि के अंत में डी.बी.ओ	347.49	199.86

ख	अस्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन	(₹ करोड़ में)	
		31-03-2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31-03-2022 को समाप्त वर्ष के लिए
1	पूर्व अवधि के अंत में परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	8.33	(5.49)
2	अधिग्रहण समायोजन	-	-
3	योजना परिसंपत्तियों पर ब्याज आय	5.54	0.14
4	नियोक्ता का योगदान	190.05	37.61
5	योजना परिसंपत्तियों पर छूट दर से अधिक/(कम) रिटर्न	10.20	(1.28)
6	भुगतान किया गया लाभ	(43.64)	(22.66)
7	वर्तमान अवधि के अंत में परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	170.48	8.31

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ (स्टैंडअलोन)

आतिरिक्त प्रकटीकरण सूचना

क	समाप्त होने वाले वर्ष के लिए अपेक्षित लाभ भुगतान	
1	31 मार्च 2024	32.68
2	31 मार्च 2025	32.57
3	31 मार्च 2026	32.34
4	31 मार्च 2027	32.09
5	31 मार्च 2028	31.73
6	31 मार्च 2029 से 31 मार्च 2033 तक	151.73
7	10 वर्ष से अधिक	431.27
ख	परिभाषित लाभ दायित्व की भारित औसत अवधि	9 वर्ष
ग	31 मार्च 2023 को उपार्जित लाभ दायित्व	347.49

संवेदनशीलता का विश्लेषण

31 मार्च 2023 की आधार मान्यताओं पर डीबीओ	347.49
क्षृत की दर	
31 मार्च 2023 तक छूट दर	7.30%
1 छूट दर में 0.5% की बढ़ोतारी से डीबीओ पर असर	(13.51)
प्रतिशत प्रभाव	-4%
2 छूट दर में 0.5% की कमी से डीबीओ पर असर	14.55
प्रतिशत प्रभाव	4%

7 अन्य सूचना

क) प्रावधानों

31-03-2023 को समाप्त वर्ष के लिए बीमांकित रूप से मूल्यांकित कर्मचारी लाभों से संबंधित प्रावधानों को छोड़कर इंडस्ट्रीज़ एएस-37 के अनुसार विभिन्न प्रावधानों की स्थिति और संचलन नीचे दिया गया है:

(₹ करोड़ में)

प्रावधानों	01.04.2021 को प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान जोड़	अवधि के दौरान राइट बैक/समायोजन/भुगतान	01-04-2022 को प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान जोड़	वर्ष के दौरान वापस लिखें/समायोजन/भुगतान करें	31-03-2023 को समाप्त शेष
टिप्पण 3:- संपत्ति, संयंत्र और उपकरण:							
संपत्ति की विनिष्ठीकरण	0.10		21.64	21.74	-	-	21.74
टिप्पण 4:- पूँजीगत कार्य प्रगति पर :							
सीडब्ल्यूआईपी के खिलाफ	1.68		0.41	2.09	-	-	2.09
टिप्पण 5:- अन्वेषण और मूल्यांकन परिसंपत्तियाँ:							
प्रावधान और क्षति	9.26		-	9.26	-	-	9.26
टिप्पण 8:- क्रण :							
अन्य क्रण - गैर चालू	1.87		-	1.87	-	-	1.87
टिप्पण 9:- अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ:							
चालू							
अनुषंगी कंपनियों के साथ चालू खाता	53.83		-	53.83	-	-	53.83
अन्य जमा एवं प्राप्त	7.41		(3.94)	3.47	-	-	3.47
टिप्पण 10:- अन्य गैर चालू परिसंपत्तियाँ:							
पूँजीगत अग्रिम	-		-	-	1.43	-	1.43

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ (स्टैंडअलोन)

प्रावधानों	01.04.2021 को प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान जोड़	अवधि के दौरान गढ़ बैक/ समायोजन /भुगतान	01-04-2022 को प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान जोड़	वर्ष के दौरान वापस लिखें/ समायोजन/ भुगतान करें	31-03-2023 को समाप्त शेष
टिप्पण 11:- अन्य चालू परिसंपत्तियाँ:							
अन्य जमा एवं अग्रिम	2.27		-	2.27		-	2.27
टिप्पण 12:- सूची							
भंडार और पुर्जों के लिए प्रावधान	0		0.47	0.47		(0.07)	0.40
टिप्पण 13:-व्यापार प्राप्त:							
अशोध्य एवं संदिधि क्रमों के लिए प्रावधान	11.17		-	11.17		-	11.17
टिप्पण 21:-गैर-चालू							
कर्मचारी लाभ							
अन्य कर्मचारी लाभ	21.06		(17.73)	3.33	(2.80)	2.44	2.97
अन्य प्रावधान							
साइट का पुनरुद्धार/खदान बंद करना	46.68	1.50	-	48.18	1.92	(1.33)	48.77
चालू							
कर्मचारी लाभ							
ग्रेचुरी	9.33		(1.07)	8.26	(15.81)	11.92	4.37
प्रदर्शन से संबंधित भुगतान	52.00	6.38	-	58.38	17.68	-	76.06
अन्य कर्मचारी लाभ	2.05	7.92	-	9.97	32.05	-	42.02
अन्य प्रावधान							
अन्य	0.12		-	0.12	0.60	-	0.72

(ख) अधिकृत वरीयता शेयर पूँजी

(₹ करोड़ में)

विवरण

31-03-2023 तक

31-03-2022 तक

प्रत्येक ₹10/- के 90,41,800 गैर-संचयी 10% प्रतिदेय वरीयता शेयर

904.18

904.18

(ग) प्रति शेयर आय

क्र. सं.	विवरण	31-03-2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31-03-2022 को समाप्त वर्ष के लिए
i)	इकिटी शेयर धारकों को कर पश्चात शुद्ध लाभ ₹ करोड़ में	14802.31	11201.57
ii)	इकिटी शेयरों का बकाया भारित औसत संख्या	6162728327	6162728327
iii)	प्रति शेयर मूल और मंदित आय रूपये में (अंकित मूल्य ₹10/- प्रति शेयर)	₹ 24.02	₹ 18.18

(घ) i) पट्टा - पट्टेदार के रूप में

सीआईएल ने जुलाई'2021 से मई'2022 की अवधि के लिए ₹ 0.02 करोड़ के मासिक किराए पर अल्पावधि पट्टे पर हैली रोड, नई दिल्ली में एक गेस्ट हाउस लिया है। अवधि के लिए पट्टे से जुड़े मासिक पट्टा भुगतान को लाभ और हानि के विवरण में व्यय के रूप में शामिल किया गया है।

ii) पट्टा - पट्टेदार के रूप में

(क) सीआईएल ने दानकुनी कोल कॉम्प्लेक्स की संपत्ति यानी भूमि, भवन, संरचनाएं, फर्नीचर और फिक्स्चर और अन्य संपत्तियाँ साउथ इस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड को पट्टे पर दे दी हैं। एसईसीएल द्वारा सीआईएल को देय लीज किराया ₹ 0.15 करोड़ प्रति माह है।

(ख) सीआईएल ने संपत्तियाँ यानी भूमि, भवन, संरचनाएं, फर्नीचर और फिक्स्चर और अन्य संपत्तियाँ आईआईसीएम, रांची (झारखंड) को पट्टे पर दे दी हैं। आईआईसीएम द्वारा 01.04.2020 से सीआईएल को देय लीज किराया 0.001 करोड़ रूपये प्रति माह है।

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ (स्टैंडअलोन)

- (ग) सीआईएल ने 01.11.2021 से दिल्ली में कार्यालय परिसर को कोयला नियंत्रक संगठन (सीसीओ) को ₹ 0.08 करोड़ प्रति माह पर पट्टे पर दिया है। हर साल किराया 5% बढ़ाया जाता है।
- (घ) सीआईएल (नॉर्थ ईस्टर्न कोलफिल्ड्स) ने असम में प्रति वर्ष ₹ 0.0002 करोड़ के मामूली किराए पर जमीन पट्टे पर दी है।

(इ) संयुक्त संचालन:

सीआईएल और ओएनजीसी ने हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय (डीजीएच) के तत्वावधान में भारत सरकार की सीबीएम नीति के अनुसार संयुक्त संचालन के रूप में झारिया और रानीगंज उत्तरी सीबीएम ब्लॉक में सीबीएम विकास और संचालन के लिए समझौता किया है।

1. झारिया सीबीएम ब्लॉक (चरण-ख) की विकास योजना पहले से ही सीआईएल और ओएनजीसी द्वारा अनुमोदित है, हालांकि विकास चरण की स्वीकार्य शुरुआत तिथि डीजीएच के क्लीयरेंस के अधीन है। 31.03.2022 तक सीआईएल का पार्टिसिपेटिंग इंटरेस्ट (पीआई) 26% है।
2. रानीगंज उत्तरी सीबीएम ब्लॉक में सीबीएम विकास और संचालन परियोजना सीआईएल और ओएनजीसी प्रबंधन के विचाराधीन है।
3. वित्त वर्ष 2020-21 के लिए सीबीएम झारिया ब्लॉक के प्रबंधन द्वारा प्रमाणित अनंतिम बिलिंग विवरण पर विचार किया गया है।

(च) सौर व्यवसाय के लिए निगमित अनुषंगी कंपनियाँ

कोल इंडिया ने 16 अप्रैल, 2021 को दो पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनियों को निगमित किया है। सौर मूल्य शृंखला (इनगॉट-वेफर-सेल मॉड्यूल) के निर्माण के लिए सीआईएल सोलर पीवी लिमिटेड और नवीकरणीय ऊर्जा के लिए सीआईएल नवीकरणीय ऊर्जा लिमिटेड।

(छ) अनुषंगी कंपनियों के लिए कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा खरीदा गया सामान

मौजूदा प्रथा के अनुसार, अनुषंगी कंपनियों के लिए कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा खरीदे गए माल का हिसाब सीधे संबंधित अनुषंगी कंपनियों की बही में किया जाता है।

(ज) बीमा और वृद्धि दावे

बीमा और वृद्धि दावों का हिसाब प्रवेश/अंतिम निपटान के आधार पर किया जाता है।

(झ) खातों में किए गए प्रावधान

धीमी गति से चलने वाली/स्थूल/अप्रचलित भंडारों, प्राप्य दावों, अग्रिमों, संदिग्ध ऋणों आदि के विरुद्ध खातों में किए गए प्रावधान संभावित नुकसान को कवर करने के लिए पर्याप्त माने जाते हैं।

(ञ) चालू संपत्ति, ऋण और अग्रिम आदि।

प्रबंधन की राय में और उनके ज्ञान और विश्वास के अनुसार, व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम में चालू परिसंपत्तियों, ऋणों और अग्रिमों पर वसूली का मूल्य उस राशि से कम नहीं होगा जिस पर वे बैलेंस शीट में बताए गए हैं। पार्टियों के डेबिट/क्रेडिट शेष पुष्टि और वसूली के अधीन हैं।

(ट) चालू देनदारियाँ

जहां वास्तविक देनदारी को मापा नहीं जा सकता, वहां अनुमानित देनदारी प्रदान की गई है।

(ठ) अलग-अलग राजस्व जानकारी:

नीचे दी गई तालिका इंडस्ट्रीज एएस 115: ग्राहक के साथ अनुबंध से राजस्व की आवश्यकता के अनुसार ग्राहकों की जानकारी के साथ अनुबंध से अलग-अलग राजस्व प्रस्तुत करती है,

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ (स्टैंडअलोन)

अलग-अलग राजस्व जानकारी:	31-03-2023 को समाप्त वर्ष के लिए	(₹ करोड़ में)	31-03-2022 को समाप्त वर्ष के लिए
वस्तु या सेवा के प्रकार			
- कोयला	659.27	0.84	
- अन्य	-	-	
कोयले और अन्य की बिक्री से कुल राजस्व	659.27	0.84	
ग्राहकों के प्रकार			
- विद्युत क्षेत्र	469.74	-	
- गैर-विद्युत क्षेत्र	189.53	0.84	
कोयले और अन्य की बिक्री से कुल राजस्व	659.27	0.84	
अनुबंध के प्रकार			
- एफएसए	-	-	
- ई नीलामी	189.53	0.84	
- आयात और बिक्री	469.74	-	
कोयले और अन्य की बिक्री से कुल राजस्व	659.27	0.84	
वस्तु या सेवा का समय			
- एक समय पर माल हस्तांतरित किया गया	659.27	0.84	
कोयले और अन्य की बिक्री से कुल राजस्व	659.27	0.84	

(एम) अनुपात

विवरण	31-03-2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31-03-2022 को समाप्त वर्ष के लिए	झगड़ा
(क) चालू अनुपात: चालू अनुपात कंपनी की समग्र तरलता स्थिति को दर्शाता है। बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों को कार्यशील पूँजी ऋण को आगे बढ़ाने के संबंध में निर्णय लेने में इसका व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। चालू अनुपात की गणना चालू परिसंपत्तियों को चालू देनदारियों से विभाजित करके की गई है।	5.08	9.39	-46%
भिन्नता का कारण: मुख्य रूप से वर्ष के दौरान वर्तमान देनदारियों में 88% की वृद्धि के कारण	-	-	0%
(ख) ऋण-इकिटी अनुपात: ऋण-से-इकिटी अनुपात कंपनी के कुल ऋण की तुलना शेयरधारकों की इकिटी से करता है। ये दोनों नंबर कंपनी की बैलेंस शीट में पाए जा सकते हैं। ऋण-इकिटी अनुपात की गणना कुल ऋण को शेयरधारक की इकिटी से विभाजित करके की गई है।	-	-	0%
(ग) ऋण सेवा कवरेज अनुपात: ऋण सेवा कवरेज अनुपात का उपयोग कंपनी की चालू ब्याज और किश्तों का भुगतान करने की क्षमता का विश्लेषण करने के लिए किया जाता है। ऋण सेवा कवरेज अनुपात की गणना ऋण सेवा के लिए उपलब्ध आय को ऋण सेवा से विभाजित करके की जाती है। ऋण सेवा के लिए कमाई = करों के बाद शुद्ध लाभ + गैर-नकद परिचालन व्यय जैसे मूल्यहास और अन्य परिशोधन + ब्याज + अन्य समायोजन जैसे अचल संपत्तियों की बिक्री पर हानि आदि। ऋण सेवा = ब्याज और पट्टा भुगतान + मूल भुगतान “कर के बाद शुद्ध लाभ” इसका अर्थ है “अवधि के लिए लाभ/ (हानि)” की रिपोर्ट की गई राशि और इसमें अन्य व्यापक आय की वस्तुएं शामिल नहीं हैं।	-	-	0%
(घ) इकिटी अनुपात पर प्रतिलाभ: यह कंपनी में निवेश किए गए इकिटी फंड की लाभप्रदता को मापता है। अनुपात से पता चलता है कि कंपनी द्वारा इकिटी धारकों के फंड की लाभप्रदता का उपयोग कैसे किया गया है। यह इकिटी-धारकों को उत्पन्न प्रतिशत रिटर्न को भी मापता है। अनुपात की गणना इस प्रकार की जाती है: (करों के बाद शुद्ध लाभ कम वरीयता लाभांश (यदि कोई हो)) को औसत शेयरधारक की इकिटी से विभाजित किया जाता है।	0.90	0.68	32%
भिन्नता का कारण: मुख्य रूप से वर्ष के दौरान सहायक कंपनियों से प्राप्त 33% अधिक लाभांश के कारण।			

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ (स्टैंडअलोन)

विवरण	31-03-2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31-03-2022 को समाप्त वर्ष के लिए	झगड़ा
(इ) इन्वेंटरी टर्नओवर अनुपात: इस अनुपात को स्टॉक टर्नओवर अनुपात के रूप में भी जाना जाता है और यह अवधि के दौरान बेची गई वस्तुओं की लागत या अवधि के दौरान बिक्री और अवधि के दौरान रखी गई औसत इन्वेंट्री के बीच संबंध स्थापित करता है। यह उस दक्षता को मापता है जिसके साथ कोई कंपनी अपनी इन्वेंट्री का उपयोग या प्रबंधन करती है। इन्वेंटरी टर्नओवर अनुपात की गणना बेची गई वस्तुओं की लागत या शुद्ध बिक्री को औसत इन्वेंटरी से विभाजित करके की जाती है। औसत इन्वेंट्री है (ओपरिंग + क्लोजिंग बैलेंस / 2) जब इन्वेंट्री के ओपरिंग और क्लोजिंग बैलेंस की जानकारी उपलब्ध नहीं होती है तो अनुपात की गणना इन्वेंटरी के क्लोजिंग बैलेंस द्वारा सीओजीएस या बिक्री को विभाजित करके की जा सकती है। तदनुसार कुल बिक्री को अनुपात में माना गया है। भिन्नता का कारण: मुख्य रूप से वर्ष के दौरान बिक्री में वृद्धि के कारण, क्योंकि पिछले वर्ष गतिविधियों के निलंबन के कारण एनईसी (सीआईएल की एक इकाई) में कोई प्रेषण नहीं हुआ था।	39.11	0.12	32868%
(च) व्यापार प्राप्य टर्नओवर अनुपात: यह उस दक्षता को मापता है जिस पर फर्म प्राप्य का प्रबंधन कर रही है। व्यापार प्राप्य टर्नओवर अनुपात = शुद्ध क्रेडिट बिक्री / औसत। प्राप्य खाते शुद्ध क्रेडिट बिक्री में सकल क्रेडिट बिक्री घटाकर बिक्री रिटर्न शामिल होता है। व्यापार प्राप्य में विविध देनदार और बिल प्राप्य शामिल हैं। औसत व्यापार देनदार = (प्रारंभिक + समापन शेष / 2) जब व्यापार देनदारों की क्रेडिट बिक्री, प्रारंभिक और समापन शेष के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है, तो अनुपात की गणना व्यापार प्राप्य के अंतिम शेष द्वारा कुल बिक्री को विभाजित करके की जा सकती है। तदनुसार कुल बिक्री को अनुपात में माना गया है। भिन्नता का कारण: मुख्य रूप से वर्ष के दौरान बिक्री में वृद्धि के कारण, क्योंकि गतिविधियों के निलंबन के दौरान एनईसी (सीआईएल की एक इकाई) में कोई प्रेषण नहीं हुआ था।	184.67	0.36	51783%
(छ) व्यापार देय टर्नओवर अनुपात: यह इंगित करता है कि एक अवधि के दौरान विविध लेनदारों को कितनी बार भुगतान किया गया है। इसकी गणना विविध लेनदारों को भुगतान करने के लिए नकदी की आवश्यकताओं का आकलन करने के लिए की जाती है। इसकी गणना शुद्ध क्रण खरीद को औसत लेनदारों द्वारा विभाजित करके की जाती है। व्यापार देय टर्नओवर अनुपात = शुद्ध क्रेडिट खरीद / औसत व्यापार देय शुद्ध क्रेडिट खरीद में सकल क्रेडिट खरीद माइनस खरीद रिटर्न शामिल होता है जब क्रेडिट खरीद, व्यापार लेनदारों के शुरुआती और समापन शेष के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं होती है, तो अनुपात की गणना कुल खरीद को विभाजित करके की जाती है। व्यापार लेनदारों का समापन शेष। कुल खरीद की गणना उपभोग की गई सामग्री की लागत, व्यापार में स्टॉक की खरीद, बिजली व्यय, मरम्मत, सर्विदात्मक व्यय और अन्य खर्चों के योग के रूप में की गई है। भिन्नता का कारण: मुख्य रूप से वर्ष के दौरान खरीद लागत में 277% की वृद्धि के कारण।	12.58	2.60	383%
(ज) शुद्ध पूँजी कारोबार अनुपात: यह अपनी कार्यशील पूँजी के उपयोग में कंपनी की प्रभावशीलता को इंगित करता है। कार्यशील पूँजी कारोबार अनुपात की गणना निम्नानुसार की जाती है: शुद्ध बिक्री को उसी अवधि के दौरान कार्यशील पूँजी की औसत मात्रा से विभाजित किया जाता है। शुद्ध पूँजी कारोबार अनुपात = शुद्ध बिक्री / कार्यशील पूँजी शुद्ध बिक्री की गणना कुल बिक्री घटा बिक्री रिटर्न के रूप में की जाएगी। कार्यशील पूँजी की गणना वर्तमान परिसंपत्तियों को घटाकर वर्तमान देनदारियों के रूप में की जाएगी। भिन्नता का कारण: मुख्य रूप से वर्ष के दौरान बिक्री में वृद्धि के कारण, क्योंकि पिछले वर्ष गतिविधियों के निलंबन के कारण एनईसी (सीआईएल की एक इकाई) में कोई प्रेषण नहीं हुआ था।	0.22	0.00	90552%
(झ) शुद्ध लाभ अनुपात: यह व्यवसाय के शुद्ध लाभ और बिक्री के बीच संबंध को मापता है। शुद्ध लाभ अनुपात = शुद्ध लाभ / शुद्ध बिक्री शुद्ध लाभ कर के बाद होगा। शुद्ध बिक्री की गणना कुल बिक्री घटा बिक्री रिटर्न के रूप में की जाएगी।	22.45	13,335.20	-100%

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ (स्टैंडअलोन)

विवरण	31-03-2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31-03-2022 को समाप्त वर्ष के लिए	झगड़ा
भिन्नता का कारण: मुख्य रूप से वर्ष के दौरान बिक्री में वृद्धि के कारण, क्योंकि पिछले वर्ष गतिविधियों के निलंबन के कारण एनईसी (सीआईएल की एक इकाई) में कोई प्रेषण नहीं हुआ था।			
(झ) नियोजित पूँजी पर रिटर्न: नियोजित पूँजी पर रिटर्न कंपनी के प्रबंधन की क्रण धारकों और इकट्ठी धारकों दोनों के लिए रिटर्न उत्पन्न करने की क्षमता को इंगित करता है। अनुपात जितना अधिक होगा, कंपनी द्वारा रिटर्न उत्पन्न करने के लिए उतनी ही अधिक कुशलता से पूँजी का उपयोग किया जाएगा। आरओसीई = ब्याज और करों से पहले की कमाई / नियोजित पूँजी = नियोजित पूँजी = मूर्त निवल मूल्य + कुल क्रण + आस्थगित कर देयता	90.81%	69.79%	30%
भिन्नता का कारण: मुख्य रूप से वर्ष के दौरान अनुषंगी कंपनियों से प्राप्त 33% अधिक लाभांश के कारण।			
(ञ) निवेश पर रिटर्न: निवेश पर रिटर्न (आरओआई) एक वित्तीय अनुपात है जिसका उपयोग कंपनी द्वारा उसकी निवेश लागत के संबंध में प्राप्त लाभ की गणना करने के लिए किया जाता है। अनुपात जितना अधिक होगा, अर्जित लाभ उतना ही अधिक होगा।			
(i) गैर-सूचीबद्ध अनुषंगी कंपनियों में इकट्ठी निवेश पर आरओआई: सब्सक्रिप्शन की इकट्ठी में लाभांश/औसत निवेश।	133.07%	110.39%	21%
(ii) संयुक्त उद्यमों में इकट्ठी निवेश पर आरओआई: आरओआई = प्राप्त लाभांश/जेरी की इकट्ठी में औसत निवेश	0.00%	0.00%	0%
(iii) निश्चित आय निवेश (बॉन्ड/डिबेंचर आदि) पर आरओआई = ब्याज आय/ औसत निवेश	0	0	0%
(iv) म्यूचुअल फंड पर आरओआई = लाभांश+पूँजीगत लाभ+उचित मूल्य लाभ(हानि)/औसत निवेश	9.40%	77.29%	-88%
भिन्नता का कारण: मुख्य रूप से वर्ष के दौरान उचित मूल्य लाभ में 89% की कमी के कारण।			
(v) जमा पर आरओआई (बैंकों, वित्तीय संस्थानों के साथ आईसीडी सहित) = ब्याज आय/ औसत निवेश	18.50%	4.69%	294%
भिन्नता का कारण: मुख्यतः 67% अधिक औसत निवेश के कारण।			

(एन) वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान निजी लाभ के लिए कंपनी के फंड के दुरुपयोग का मामला प्रबंधन के संज्ञान में आया था। मामले की जांच विभिन्न एजेंसियों द्वारा की गई है और वसूली के लिए उचित कार्रवाई चल रही है। कोल इंडिया लिमिटेड के आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग के अनुमान के अनुसार, इसमें शामिल राशि लगभग ₹1.17 करोड़ है।

(ओ) खदानों का निलंबन

खानों का निलंबन कोल इंडिया लिमिटेड के कार्यात्मक निदेशक ने दिनांक 05 जून, 2020 की अपनी 229वीं बैठक के माध्यम से एनईसी (टिक्क, टिपोंग और तिरप कोलियरी में) में खनन कार्य को 03 जून, 2020 से बानिकी और अन्य वैधानिक मंजूरी प्राप्त होने तक अस्थायी रूप से निलंबित करने के निर्णय की पुष्टि की है। स्वीकृतियां प्राप्त कर ली गई हैं और खानों को चालू कर दिया गया है। प्रधान मुख्य वन संरक्षक और वन बल के प्रमुख, असम कार्यालय ने वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 से 24.10.2019 से प्रभावी, के तहत केंद्र सरकार से अंतिम अनुमोदन (स्टेज- II क्लीयरेंस) लंबित होने के कारण टिकोक ओसीपी में कोयला खनन या अन्य गतिविधि नहीं करने का निर्देश दिया है। हालांकि 10 फरवरी, 2022 से टिक्क एक्सटेंशन ओसीपी खानों में खनन कार्य शुरू कर दिया गया है।

(पी) कोयले का स्टॉक जब्त

उप निदेशक, वन, क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, शिलांग द्वारा 24 अक्टूबर, 2019 को दिये गये निर्देशानुसार टीकाक कोलियरी में पड़े 4810.76 टन कोयले को जब्त कर लिया और टीकाक कोलियरी में कोई भी खनन कार्य नहीं करने का निर्देश दिया। एनईसी ने टीकाक कोलियरी में कोयले की जब्ती का विरोध किया और एसडीजेएम, मार्गेरिटा की अदालत में मामला दायर किया। माननीय न्यायालय ने मामले का संज्ञान लिया है और मामला आज तक लंबित है। माननीय न्यायालय के आदेश के आधार पर, डिविजनल वन अधिकारी, डिग्बोई डिवीजन ने कोयला बेचने और पैसे को मार्गेरिटा ट्रेजरी की हिरासत में जमा करने का निर्देश दिया है।

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ (स्टैंडअलोन)

उपरोक्त आदेश के आधार पर, एनईसी ने वित्त वर्ष 2020-21 में ₹ 0.37 करोड़ की राशि का 906.46 टन कोयला और वित्त वर्ष 2019-20 में ₹ 1.93 करोड़ की राशि का 3904.30 टन कोयला बेचा और कोयले की बिक्री से वित्त वर्ष 2020-21 में ₹ 0.04 करोड़ और वित्तीय वर्ष 2019-20 में ₹ 0.25 करोड़ की रायलटी एकत्र की (टिप्पणि-23)। वित्त वर्ष 2019-20 की भंडार में ₹ 0.32 करोड़ मूल्य का 906.46 टन जब्त कोयले का स्टॉक शामिल है (टिप्पणि -12)।

इसके अलावा, प्रभागीय बन अधिकारी, डिग्बोर्ड डिवीजन के निदेश पर एनईसी ने मार्गेरिटा ट्रेजरी की हिरासत में ₹ 2.26 करोड़ की राशि जमा की है। प्रबंधन ने वित्तीय विवरण में ऐसी जमा राशि के विरुद्ध प्रावधान को भी मान्यता दी है (टिप्पणि 20 देखें)।

(क्यू) विदेशी संस्थाओं ("मध्यस्थों") सहित किसी भी अन्य व्यक्ति (व्यक्तियों) या इकाई (ओं) को या उनमें कोई, इस समझ के साथ कि चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कि मध्यस्थ समूह (अंतिम लाभार्थियों) द्वारा या उसकी ओर से पहचानी गई पार्टी को उधार देगा या निवेश करेगा, समूह द्वारा कोई धनराशि (या तो उधार ली गई धनराशि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या किसी प्रकार के फंड से) अग्रिम या उधार या निवेश नहीं की गई है। समूह को किसी भी पार्टी (फंडिंग पार्टी) से कोई फंड प्राप्त नहीं हुआ है, इस समझ के साथ कि समूह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से फंडिंग पार्टी द्वारा या उसकी ओर से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को उधार देगा या निवेश करेगा ("अंतिम लाभार्थी") या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या ऐसी ही कोई चीज़ प्रदान करें।

(आर) कंपनी का मुख्य व्यवसाय कोयला खनन है। कंपनी की अन्य सभी गतिविधियाँ मुख्य व्यवसाय के इर्द-गिर्द घूमती हैं। इस प्रकार, कंपनी के लिए कोई अलग रिपोर्ट करने योग्य खंड नहीं हैं।

(एम) कंपनी के पास उपलब्ध जानकारी के आधार पर, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 के तहत बंद की गई कंपनियों के साथ कोई लेनदेन नहीं हुआ।

(टी) तुलनात्मक अध्ययन के लिए जहाँ भी आवश्यक हो, पिछले वर्ष के आँकड़ों को दर्शाया गया है।

(यू) एकल वित्तीय विवरण की लेखापरीक्षा समिति द्वारा समीक्षा और अनुशंसा की गई है और उसके बाद 07 मई, 2023 को आयोजित उनकी संबंधित बैठक में बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है। जैसा कि भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड विनियम, 2015, (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) के विनियम 33 के तहत आवश्यक है, वैधानिक लेखा परीक्षकों ने 31-03-2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण का ऑडिट किया है।

टिप्पणि 1 से 38 तक हस्ताक्षर।

हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

लोढ़ा एंड कंपनी के लिए

चार्टर्ड अकाउंटेंट

फर्म पंजीकरण संख्या 301051ई

बोर्ड की ओर से

ह./-

आरपी सिंह

साझेदार

सदस्यता संख्या 052438

ह./-

(प्रमोद अग्रवाल)

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

डीआईएन- 00279727

ह./-

(देवाशीष नंदा)

निदेशक (व्यवसाय विकास/वित्त)

डीआईएन- 09015566

दिनांक: 07 मई, 2023

स्थान: शिलांग

ह./-

(सुनील कुमार मेहता)

कार्यकारी निदेशक (वित्त)/सीएफओ

ह./-

(बीपी दुबे)

कंपनी सचिव



समेकित वित्तीय विवरण



समेकित तुलन-पत्र

(₹ करोड़ में)

	टिप्पण सं.	31 मार्च, 2023 की स्थिति	31 मार्च, 2022 की स्थिति
परिसंपत्ति			
गैर चालु परिसंपत्तियाँ			
(क) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	03	44,447.97	42,697.79
(ख) यूंजीगत चालु कार्य	04	15,262.62	12,713.73
(ग) अवैषण और मूल्यांकन परिसंपत्तियाँ	05	4,924.85	3,873.55
(घ) अमूर्त संपत्ति	06.1	2,588.11	105.62
(ड) विकास के दौर में अमूर्त संपत्ति	06.2	2,359.35	183.41
(च) वित्तीय परिसंपत्ति	(i) निवेश	07	3,085.40
	(ii) क्रण	08	372.21
	(iii) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	09	16,300.29
(छ) आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ (शुद्ध)	38(8)(ल)	4,177.00	4,128.42
(ज) अन्य गैर-चालु संपत्तियाँ	10	9,606.15	6,407.94
कुल गैर-चालु परिसंपत्ति (ए)		1,03,123.95	87,391.69
चालू संपत्ति			
(क) माल सूची	12	8,154.68	7,075.68
(ख) वित्तीय संपत्ति	(i) निवेश	07	4,054.01
	(ii) व्यापार प्राप्य	13	13,060.48
	(iii) नकद और नकद समकक्ष	14	5,665.38
	(iv) अन्य बैंक शेष	15	34,256.47
	(v) क्रण	08	20.79
	(vi) अन्य वित्तीय संपत्तियाँ	09	2,716.96
(ग) चालू कर संपत्ति (शुद्ध)		8,719.00	8,423.19
(घ) अन्य चालू संपत्ति	11	31,434.93	26,899.35
कुल चालु संपत्ति (बी)		1,08,082.70	92,845.99
कुल संपत्ति (ए+बी)		2,11,206.65	1,80,237.68
इकिटी और देवता			
इकिटी			
(क) इकिटी शेयर पूँजी	16	6,162.73	6,162.73
(ख) अन्य इकिटी	17	51,082.16	36,980.31
कंपनी के इकिटीधारकों के कारण इकिटी		57,244.89	43,143.04
गैर नियंत्रित व्याज		770.68	673.79
कुल इकिटी (ए)		58,015.57	43,816.83
देवता			
गैर चालु देनदारियाँ			
(क) वित्तीय देनदारियाँ	(i) क्रण	18	4,106.25
	(ia) पछ्या देयताएं		157.00
	(ii) अन्य वित्तीय देनदारियाँ	20	3,207.57
(ख) ग्रावधान		21	68,827.95
(ग) आस्थगित कर देयताएं (शुद्ध)	38(8)(ल)	1,330.68	801.35
(घ) अन्य गैर-चालु देनदारियाँ	22	6,826.99	6,527.71
कुल गैर-चालु देनदारियाँ (बी)		84,456.44	79,212.34
चालू देनदारियाँ			
(क) वित्तीय देनदारियाँ	(i) क्रण	18	8.48
	(ia) पछ्या देयताएं		59.69
	(ii) व्यापार देय	19	
	(I) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की कुल बकाया राशि; और		53.90
	(II) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के अलावा लेनदारों का कुल बकाया		8,495.28
	(III) अन्य वित्तीय देनदारियाँ	20	12,815.19
(ख) अन्य चालू देनदारियाँ		23	32,313.94
(ग) ग्रावधान		21	14,963.38
(घ) चालू कर देनदारियाँ (शुद्ध)			24.78
कुल चालू देनदारियाँ (सी)		68,734.64	57,208.51
कुल इकिटी और देयताएं (ए+बी+सी)		2,11,206.65	1,80,237.68

संलग्न टिप्पण संख्या 1 से 38 समेकित वित्तीय विवरणों का एक अभिन्न अंग है।

हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

बोर्ड की ओर से

लोडा एंड कंपनी के लिए

चार्टर्ड अकाउंटेंट

फर्म पंजीकरण संख्या 301051ई

हो।-

(आरपी सिंह)

साझेदार

सदस्यता संख्या 052438

हो।-

(प्रमोद अग्रवाल)

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक और सीईओ

डीआईएन- 00279727

हो।-

(देवशीष नंदा)

निदेशक (व्यवसाय विकास/वित्त)

डीआईएन- 09015566

दिनांक : 7 मई, 2023

स्थान : शिलांग

हो।-

(सुनील कुमार मेहता)

कार्यकारी निदेशक (वित्त)/सीएफओ

हो।-

(बीपी दुबे)

कंपनी सचिव

समेकित लाभ और हानि का विवरण

(₹ करोड़ में)

	टिप्पणी सं.	31-03-2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31-03-2022 को समाप्त वर्ष के लिए
संचालन से राजस्व (लेवी का शुद्ध)			
क. बिक्री	24	1,27,627.47	1,00,562.57
ख. अन्य परिचालन राजस्व		10,624.44	9,152.85
(I) संचालन से राजस्व (लेवी का शुद्ध) (ए+बी)		1,38,251.91	1,09,715.42
(II) अन्य कमाई	25	6,550.66	3,881.41
(III) कुल आय (I+II)		1,44,802.57	1,13,596.83
खर्च			
प्रयुक्त सामग्री की लागत	26	13,557.00	9,443.51
स्टॉक-इन-ट्रेड की खरीद		469.74	103.56
तैयार माल की सूची में परिवर्तन, स्टॉक-इन-ट्रेड और वर्क-इन-प्रोग्रेस	27	(678.12)	2,308.49
कर्मचारी लाभ व्यय	28	49,409.16	40,473.21
बिजली खर्च		2,759.89	2,638.46
कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय	29	586.50	548.98
मरम्मत	30	1,772.28	1,632.33
संविदात्मक व्यय	31	23,289.21	18,875.16
वित्त लागत	32	684.31	541.49
मूल्यहास/परिशोधन/हानि		4,675.27	4,428.67
प्रावधानों	33	374.93	172.77
राइट ऑफ / खारिज करना	34	192.60	11.56
स्ट्रिंगिं गतिविधि समायोजन		3,809.11	3,760.86
अन्य खर्च	35	5,891.74	5,032.91
(IV) कुल खर्च		1,06,793.62	89,971.96
(V) संयुक्त उद्यम लाभ/(हानि) के हिस्से से पहले लाभ (III-IV)		38,008.95	23,624.87
(VI) संयुक्त उद्यम लाभ/(हानि) का हिस्सा		(8.14)	(8.59)
(VII) कर पूर्व लाभ (IV+VI)		38,000.81	23,616.28
कर व्यय	36		
चालू कर		9,389.75	6,257.12
आस्थागित कर		486.12	(19.26)
(VIII) कुल कर व्यय		9,875.87	6,237.86
(IX) वर्ष के लिए लाभ (VII-VIII)		28,124.94	17,378.42
अन्य व्यापक आय			
क (i) मद्दे जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा	37	353.40	90.28
(ii) उन मद्दों से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		(88.94)	(39.19)
ख (i) मद्दे जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा		0.17	0.22
(ii) उन मद्दों से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा		-	-
(X) कुल अन्य व्यापक आय		264.63	51.31
(XI) कुल व्यापक आय (IX+X) (वर्ष के लिए लाभ और अन्य व्यापक आय मिलाकर)		28,389.57	17,429.73
लाभ के कारण:			
कंपनी का स्वामित्व		28,165.19	17,358.10
अनियंत्रित व्याज		(40.25)	20.32
अन्य व्यापक आय के कारण:		28,124.94	17,378.42
कंपनी का स्वामित्व		264.63	51.31
अनियंत्रित व्याज		-	-
कुल व्यापक आय के कारण:		264.63	51.31
कंपनी का स्वामित्व		28,429.82	17,409.41
अनियंत्रित व्याज		(40.25)	20.32
(XII) प्रति इकिटी शेयर आय (अंकित मूल्य ₹ 10 प्रत्येक):		28,389.57	17,429.73
(1) बुनियादी		45.70	28.17
(2) मंदित		45.70	28.17

ईपीएस की गणना के लिए नोट 38 (8) (डी) देखें

संलग्न नोट संख्या 1 से 38 समेकित वित्तीय विवरणों का एक अभिन्न अंग है।

संलग्न टिप्पणी संख्या 1 से 38 समेकित वित्तीय विवरणों का एक अभिन्न अंग है।

हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

लोडा एंड कंपनी के लिए

चार्टर्ड अकाउंटेंट

फर्म पंजीकरण संख्या 30105।इ

बोर्ड की ओर से

ह0।-

(प्रोफेसर अग्रवाल)

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक और सीईओ
डीआईएन- 00279727

ह0।-

(सुनील कुमार मेहता)

कार्यकारी निदेशक (वित्त)/सीएफओ

ह0।-

(देवाशीष नंदा)

निदेशक (व्यवसाय विकास/वित्त)
डीआईएन- 09015566

ह0।-

(बीपी तुबे)

कंपनी सचिव

दिनांक : 7 मई, 2023

स्थान : शिलांग

इकिटी में परिवर्तन का समेकित विवरण

क.) इकिटी शेयर पूँजी

31-03-2023 तक

विवरण	01-04-2022 तक शेष	चालू वर्ष के दौरान इकिटी शेयर पूँजी में परिवर्तन	31-03-2023 तक शेष	(₹ करोड़ में)
		-		6,162.73
₹10/- के 6,16,27,28,327 इकिटी शेयर		6,162.73	-	6,162.73

31-03-2022 तक

विवरण	01- 04-2021 तक शेष	चालू वर्ष के दौरान इकिटी शेयर पूँजी में परिवर्तन	31-03-2022 तक शेष	(₹ करोड़ में)
		-		6,162.73
₹10/- के 6,16,27,28,327 इकिटी शेयर		-		6,162.73

बी) अन्य इकिटी

विवरण	आरक्षित और अधिशेष					ओसीआई - एक विदेशी सहायक कंपनी के वित्तीय विवरणों के अनुवाद में विनिमय अंतर	कुल
	कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व	संपत्ति कोष	सामान्य रिजर्व	प्रतिधारित कमाई	ओसीआई - परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्माप (कर का शुद्ध)		
01.04.2022 को शेष	1,202.96	1,566.57	17,641.59	17,451.80	(883.33)	0.72	36,980.31
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	-	-	-	28,165.19	264.46	0.17	28,429.82
अंतरिम लाभांश	-	-	-	(12,479.57)	-	-	(12,479.57)
अंतिम लाभांश	-	-	-	(1,848.82)	-	-	(1,848.82)
वर्ष के दौरान जोड़	-	2.63	-	-	-	-	2.63
वर्ष के दौरान समायोजन	-	(1.40)	-	(22.80)	21.99	-	(2.21)
सामान्य रिजर्व से / में स्थानांतरण	-	-	1,326.83	(1,326.83)	-	-	-
31.03.2023 को शेष	1,202.96	1,567.80	18,968.42	29,938.97	(596.88)	0.89	51,082.16

इक्विटी में परिवर्तन का समेकित विवरण

बी) अन्य इक्विटी (जारी.)

(₹ करोड़ में)

विवरण	आरक्षित और अधिशेष					ओसीआई - एक विदेशी सहायक कंपनी के वित्तीय विवरणों के अनुवाद में विनिमय अंतर	कुल
	कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व	संपत्ति कोष	सामान्य रिजर्व	प्रतिधारित कमाई	ओसीआई - परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्माप (कर का शुद्ध)		
01.04.2021 को शेष	1,202.96	1,565.45	16,779.18	11,740.96	(934.42)	0.50	30,354.63
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	-	-	-	17,358.10	51.09	0.22	17,409.41
अंतिम लाभांश	-	-	-	(8,627.82)	-	-	(8,627.82)
अंतिम लाभांश	-	-	-	(2,156.97)	-	-	(2,156.97)
वर्ष के दौरान जोड़ा गया	-	2.20	-	-	-	-	2.20
वर्ष के दौरान समायोजन	-	(1.08)	-	(0.06)	-	-	(1.14)
सामान्य रिजर्व से / में स्थानांतरण	-	-	862.41	(862.41)	-	-	-
31.03.2022 तक शेष	1,202.96	1,566.57	17,641.59	17,451.80	(883.33)	0.72	36,980.31

लाभांश और भंडार और अधिशेष की प्रकृति और उद्देश्य के लिए नोट 17 देखें।

संलग्न नोट संख्या 1 से 38 समेकित वित्तीय विवरणों का एक अभिन्न अंग है।

हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
लोढ़ा एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण संख्या 301051ई

बोर्ड की ओर से

ह01-
(आरपी सिंह)
साझेदार
सदस्यता संख्या 052438

ह01-
(प्रमोद अग्रवाल)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक और सीईओ
डीआईएन- 00279727

ह01-
(देवाशीष नंदा)
निदेशक (व्यवसाय विकास/वित्त)
डीआईएन- 09015566

दिनांक : 7 मई, 2023
स्थान : शिलांग

ह01-
(सुनील कुमार मेहता)
कार्यकारी निदेशक (वित्त)/सीएफओ

ह01-
(बीपी दुबे)
कंपनी सचिव

नकदी प्रवाह का विवरण – समेकित

(₹ करोड़ में)

	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष
प्रचालनीय गतिविधियों से प्राप्त नकद प्रवाह		
कर पूर्व लाभ	38,000.81	23,616.28
निम्न के लिए समायोजन:		
संयुक्त उद्यम का शेयर	8.14	8.59
मूल्यहास, परिशोधन और हानि व्यय	4,675.27	4,428.67
ब्याज और लाभांश आय	(3,190.65)	(1,425.00)
वित्त लागत	684.31	541.49
(लाभ)/संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की बिक्री पर हानि	(28.13)	15.48
देयता और प्रावधान को बढ़े खाते में डाला गया (शुद्ध)	(1,699.19)	(1,186.15)
व्यापार प्राप्तियों के लिए भत्ता	334.23	106.74
अन्य भत्ते और राइट ऑफ	233.30	77.59
स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन	3,809.11	3,760.86
कार्यशील पूँजी में परिवर्तन से पहले परिचालन लाभ	42,827.20	29,944.55
निम्न के लिए समायोजन:		
व्यापार प्राप्तियां	(2,027.03)	8,148.70
इन्वेंट्री	(1,079.00)	1,871.79
ऋण और अग्रिम और अन्य परिसंपत्तियां	(6,648.50)	(4,187.99)
वित्तीय और अन्य देनदारियां	12,417.61	10,757.45
व्यापार देनदारियां	(54.35)	130.39
संचालन से सृजित नकद	45,435.93	46,664.89
आयकर (भुगतान)	(9,749.72)	(5,558.12)
प्रचालनीय गतिविधियों से सृजित शुद्ध नकद प्रवाह	(ए)	35,686.21
निवेशगत गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की खरीद	(14,209.48)	(11,679.27)
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की बिक्री से आय	106.79	27.61
अन्वेषण और मूल्यांकन संपत्ति में वृद्धि	(1,104.08)	(344.43)
आय / बैंक में जमा (निवेश)	(12,978.30)	(12,085.78)
म्युचुअल फंड, शेरर आदि से आय/(निवेश)	2,744.54	(1,963.60)
संयुक्त उद्यम में इक्विटी के लिए भुगतान	(666.54)	(767.65)
निवेश से ब्याज	2,684.08	1,087.60
म्युचुअल फंड से प्राप्त ब्याज/लाभांश	-	11.01
निवेश गतिविधियों में उपयोग किया गया कुल नकद	(बी)	(23,422.99)
		(25,714.51)

नकदी प्रवाह का विवरण – समेकित

(₹ करोड़ में)

	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष
वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
(पुनर्भुगतान)/उधार में वृद्धि	805.15	(2,573.19)
ब्याज और वित्त लागत	(138.22)	(84.68)
इकिटी शेयरों पर लाभांश का भुगतान	(14,328.07)	(10,783.37)
वित्तीय गतिविधियों में व्यवहत शुद्ध नकदी	(सी)	(13,661.14)
नकद और नकद समकक्ष में शुद्ध वृद्धि / (कमी) (ए+बी+सी)	(1,397.92)	1,951.02
वर्ष की शुरुआत में नकद और नकद समतुल्य	7,063.30	5,112.28
वर्ष के अंत में नकद और नकद समतुल्य	5,665.38	7,063.30
नकद और नकद समतुल्यों का समाधान (टिप्पणी 14 देखें)		
नकद और नकद समकक्ष (बैंक ओवरड्राफ्ट का शुद्ध)	5,665.38	7,063.30
नकद और नकद समतुल्यों के घटक		
(क) बैंकों में शेष राशि		
– जमा खातों में	2,148.66	2,837.43
– ब्याज वहन (सीएलटीडी ए/सी, आदि)	2,148.26	1,951.55
– गैर ब्याज वहन	623.11	1,396.16
– कैश क्रेडिट खातों में	34.39	0.96
(ख) भारत के बाहर बैंक बैलेंस	0.12	0.09
(ग) प्राथमिक व्यापारियों के साथ आईसीडी	520.00	785.78
(घी) हाथ में चेक, ड्राफ्ट और स्टांप	0.09	0.02
(ड) हाथ में नकदी	0.01	0.02
(च) बैंक ओवरड्राफ्ट	–	(0.18)
(छ) अन्यई-प्रोक्रेसमेंट खाता/जेम खाता/अदायगी राशि	190.74	91.47
कुल(नकदी और नकद समतुल्य के घटकों के लिए नोट 14 और नोट 18 देखें)	5,665.38	7,063.30

- नकदी प्रवाह के उपरोक्त विवरण इंडस्ट्रीज एएस 7 – नकदी प्रवाह का विवरण में निर्धारित अप्रत्यक्ष विधि के अनुसार तैयार किया गया है।
- समूह ने 31.03.2023 को समाप्त वर्ष के दौरान कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) व्यय के मद में ₹ 501.87 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 586.21 करोड़ रुपये) (नोट संख्या 29 देखें) खर्च किए हैं।

संलग्न टिप्पण संख्या 1 से 38 समेकित वित्तीय विवरणों का एक अभिन्न अंग है।

हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

लोढ़ा एंड कंपनी के लिए

चार्टर्ड अकाउंटेंट

फर्म पंजीकरण संख्या 301051ई

बोर्ड की ओर से

ह01-

(आरपी सिंह)

साझेदार

सदस्यता संख्या 052438

ह01-

(प्रमोद अग्रवाल)

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक और सीईओ

डीआईएन- 00279727

ह01-

(देबाशीष नंदा)

निदेशक (व्यवसाय विकास/वित्त)

डीआईएन- 09015566

ह01-

(सुनील कुमार मेहता)

कार्यकारी निदेशक (वित्त)/सीएफओ

ह01-

(बीपी दुबे)

कंपनी सचिव

दिनांक : 7 मई, 2023

स्थान : शिलांग

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 1

क. निगमित जानकारी

कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) (“कंपनी”) भारत में स्थित तथा शेयरों द्वारा सीमित एक महारत्न कंपनी है। कंपनी के शेयर भारत में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड (बीएसई) पर सूचीबद्ध तथा ट्रेड किए जाते हैं। कंपनी के पंजीकृत कार्यालय का पता - कोल भवन, परिसर संख्या 04 एमएआर, प्लॉट संख्या-एफ-III, एक्शन एरिया-1ए, न्यू टाउन, राजरहाट, कोलकाता- 700156 है।

इन समेकित वित्तीय विवरणों में कंपनी तथा इसकी अनुषंगी कंपनियों (सामूहिक रूप से समूह के रूप में संदर्भित) एवं इसके संयुक्त उद्यमों में समूहों के हित के वित्तीय विवरण शामिल हैं।

कंपनी मुख्य रूप से कोयला खनन तथा उत्पादन कार्य में संलग्न है, तथा कोयला वॉशरीज भी संचालित करती है। अन्य सहायक गतिविधियाँ जिनमें समूह शामिल हैं जिनमें खदान योजना, डिजाइन और संबंधित परामर्श सेवाएँ, सहित बिजली एवं नवीकरण ऊर्जा का उत्पादन शामिल है।

कंपनी के प्रमुख उपभोक्ता बिजली और इस्पात क्षेत्र हैं। अन्य क्षेत्रों के उपभोक्ताओं में सीमेंट, उर्वरक, ईंट भट्टियां इत्यादि शामिल हैं।

भारत में कोल इंडिया लिमिटेड की दस पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनियां तथा सात स्टेप-डाउन अनुषंगी कंपनियां हैं जिनमें से सात अनुषंगी कंपनियां कोयला उत्पादन कर रही हैं, एक अनुषंगी कंपनी खान योजना, डिजाइन एवं संबंधित परामर्श सेवाओं में संलग्न है और दो अनुषंगी कंपनियां सौर मूल्य शृंखला (इंगोट-वेफर-सेल मॉड्यूल) और नवकरणीय ऊर्जा व्यवसाय के निर्माण में रत हैं। सीआईएल की मोजाम्बिक में एक पूर्ण स्वामित्व वाली खनन कंपनी भी है, जिसका नाम मकोल इंडिया अफ्रीकाना लिमिटेड है, जिसका संचालन अभी शुरू होना शेष है। कंपनी संयुक्त उद्यम व्यवस्था के माध्यम से कुछ उद्यमों में भी संलग्न है।

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरण को कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा 07 मई, 2023 को जारी करने के लिए अनुमोदित किया गया।

ख. अनुपालन विवरण तथा मौजूदा लेखांकन घोषणाएँ

i) अनुपालन का विवरण

ये समेकित वित्तीय विवरण को कंपनी अधिनियम, 2013 (“अधिनियम”) की धारा 133 के साथ पठित कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 (संशोधित) के तहत अधिसूचित भारतीय लेखा मानक (“इंड एएस” के रूप में संदर्भित) के अनुसार तैयार किए गए हैं। वित्तीय विवरण अधिकृत होने तक इंड एएस को जारी, अधिसूचित और प्रभावी बनाया गया है तथा इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने के उद्देश्य से इनका उपयोग किया गया है।

इन लेखांकन नीतियों को निरंतर प्रयुक्त किया जाता है, सिवाय इसके कि जहां नवीन जारी किए गए लेखांकन मानक को प्रारंभ में अपनाया जाता है या मौजूदा लेखांकन मानक में संशोधन के लिए अब तक उपयोग में आने वाली लेखांकन नीति में बदलाव की आवश्यकता होती है।

ii) नये एवं संशोधित मानकों का अनुप्रयोग:

01 अप्रैल, 2022 से प्रभावी, समूह ने मौजूदा इंड एएस में संशोधन को अधिसूचित करते हुए कंपनी (भारतीय लेखा मानक) संशोधन नियम, 2022 के माध्यम से संशोधन को लागू किया है। समूह के परिचालन से संबंधित सीमा तक ये संशोधन इंड एएस 16 “संपत्ति, संयंत्र और उपकरण” से संबंधित थे जो स्पष्ट करते हैं कि परीक्षण की लागत से अधिक उत्पादित वस्तुओं की शुद्ध बिक्री आय की अधिकता, यदि कोई हो, को लाभ या हानि में मान्यता नहीं दी जाएगी लेकिन संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की किसी वस्तु की लागत के हिस्से के रूप में मान्य की जाने वाली प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी लागतों जो इंड एएस 37 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक संपत्ति से कटौती की जाएगी जो निर्दिष्ट करते हैं कि एक अनुबंध को मपूरा करने की लागतफ में मलागतफ शामिल है जो सीधे अनुबंध से संबंधित है। किसी अनुबंध से सीधे संबंधित लागतें या तो उस अनुबंध को पूरा करने (उदाहरण प्रत्यक्ष श्रम, सामग्री होंगे) की वृद्धिशील लागत हो सकती हैं या अन्य लागतों का आवंटन जो सीधे अनुबंधों (उदाहरण के तौर पर अनुबंध को पूरा करने में उपयोग की जाने वाली संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की किसी वस्तु के लिए मूल्यहास शुल्क का आवंटन होगा) को पूरा करने से संबंधित हैं।

इसके साथ ही इंड एएस 101 “भारतीय लेखा मानकों को प्रथम बार अपनाना”, इंड एएस 103 “व्यावसायिक संयोजन”, इंड एएस 109 “वित्तीय साधन”, और इंड एएस 41 “कृषि” सहित विभिन्न मानकों में अन्य संशोधन भी किये गये जिन्हें यहां ऊपर सूचीबद्ध नहीं किया गया है वे कंपनी के लिए प्रासंगिक नहीं हैं।

इन मानकों में संशोधन से वर्ष के लिए लाभ/हानि और प्रति शेयर कमाई पर कोई भौतिक प्रभाव नहीं पड़ा।

iii) मौजूदा लेखांकन घोषणाएँ

31 मार्च, 2023 को कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) ने कंपनी (भारतीय लेखा मानक) संशोधन नियम, 2023 के माध्यम से मौजूदा इंड एएस में कुछ संशोधन किए हैं। इन संशोधनों में समूह के परिचालन से संबंधित सीमा तक इंड एएस 1 “वित्तीय विवरणों का प्रकटीकरण” में संशोधन शामिल है, जिसमें संस्थाओं को अपनी महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के अलावा भौतिक लेखांकन नीतियों का प्रकटीकरण आवश्यक है, इंड एएस 8 “लेखा नीतियां, लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन और त्रुटियां” जिसने मलेखा अनुमानफ की एक परिभाषा पेश की है और इसमें संस्थाओं को लेखांकन नीतियों में परिवर्तन को लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन से अलग करने में मदद करने के लिए संशोधन शामिल हैं। तत्पश्चात भौतिक लेखांकन

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नीतियों की अवधारणा में”, इंड एएस 107 ‘‘वित्तीय उपकरण: प्रकटीकरण” तथा इंड एएस 34 “अंतरिम वित्तीय रिपोर्टिंग” में भी परिणामी संशोधन किए गए।

इसके अलावा विभिन्न मानकों में अन्य संशोधन जैसे इंड एएस 101 “भारतीय लेखा मानकों को पहली बार अपनाना”, इंड एएस 103 “व्यावसायिक संयोजन, इंड एएस 109 “वित्तीय उपकरण”, इंड एएस 115 “ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व” तथा इंड एएस 12 “आय कर” भी शामिल हैं, जिसने प्रारंभिक मान्यता छूट के दायरे को सीमित कर दिया है ताकि यह उन लेनदेन पर लागू न हो जो समान और अस्थायी अंतर को दूर करते हैं तथा इंडस्ट्रीज़ 102 “शेयर-आधारित भुगतान” को जन्म देते हैं जिन्हें यहां ऊपर सूचीबद्ध नहीं किया गया है क्योंकि ये समूह के लिए प्रासंगिक नहीं हैं।

हालांकि समूह उपरोक्त के प्रभाव का मूल्यांकन करेगा, इनमें से कोई भी संशोधन महत्वपूर्ण प्रकार के नहीं है और इसका समूह के वित्तीय विवरणों पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।

नोट 2: महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ

2.1 वित्तीय विवरणों की तैयारी का आधार

समेकित वित्तीय विवरण कुछ वित्तीय उपकरणों को छोड़कर उपार्जन आधार पर ऐतिहासिक लागत समामेलन के तहत तैयार किए गए हैं, जिन्हें प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में परिशोधन लागत या उचित मूल्य पर प्रासंगिक इंड एएस के संदर्भ में मापा जाता है।

ऐतिहासिक लागत समामेलन आम तौर पर वस्तुओं और सेवाओं के बदले दिए गए प्रतिफल के उचित मूल्य पर आधारित होता है।

समूह की कार्यात्मक मुद्रा उस प्राथमिक आर्थिक वातावरण की मुद्रा के रूप में निर्धारित की जाती है जिसमें वह संचालित होती है। समेकित वित्तीय विवरण भारतीय रूपये में प्रस्तुत किए गए हैं तथा सभी मूल्यों को दो दशमलव अंक तक मकरोड़ रूपये मेंक तक पूर्णकित किया गया है।

2.2 समेकन का आधार

2.2.1 अनुषंगी कंपनियाँ

- अनुषंगी कंपनियाँ वे संस्थाएं हैं जिन पर समूह का नियंत्रण होता है तथा नियंत्रण तब प्राप्त होता है जब समूह का अस्तित्व या उसके पास निवेशिती के साथ अपनी भागीदारी से परिवर्तनीय रिटर्न का अधिकार हो और उसके माध्यम से उन रिटर्न को प्रभावित करने की क्षमता हो जिनमें:
 - निवेशिती पर अधिकार;
 - निवेशिती के साथ अपनी भागीदारी से परिवर्तनीय रिटर्न का एक्सपोजर या अधिकार;
 - निवेशिती पर अपनी शक्ति का उपयोग करके उसके रिटर्न को प्रभावित करने की क्षमता।

अनुषंगी कंपनियों पर नियंत्रण प्राप्त होने की तिथि से अनुषंगी कंपनियों को समेकित किया जाता है और नियंत्रण की समाप्ति की तिथि से वे विद्युतित हो जाते हैं।

- समूह संबंधित वित्तीय विवरणों के अनुसार परिसंपत्तियों और देनदारियों, राजस्व और व्यय की समान वस्तुओं के बुक बैल्यू को एक साथ जोड़कर लाइन-दर-लाइन समेकन के आधार पर होल्डिंग तथी अपनी अनुषंगी कंपनियों के वित्तीय विवरणों को जोड़ता है। इंट्रा-ग्रुप बैलेंस, इंट्रा-ग्रुप ट्रान्जेक्शन और इंट्रा-ग्रुप ट्रान्जेक्शन से उत्पन्न शेरयों पर अप्राप्त लाभ को समाप्त कर दिया गया है।
- समेकित वित्तीय विवरण समान सामग्री लेनदेन और समान परिस्थितियों में अन्यथा जैसा कि अन्यत्र बताया गया है अन्य घटनाओं के लिए समान लेखांकन नीतियों का उपयोग करके तैयार किए गए हैं।
- अनुषंगी कंपनियों में शेरयों के अधिग्रहण के समय निवल संपत्ति पर अनुषंगी कंपनियों में निवेश की लागत के बीच के अंतर को समेकित वित्तीय विवरणों में गुडविल या पूँजी आरक्षित के रूप में मान्यता दी जाती है। उक्त गुडविल का परिशोधन नहीं किया जाता है, तथापि, प्रत्येक बैलेंस शीट तिथि पर हानि के लिए इसका परीक्षण किया जाता है, और हानि क्षति, यदि कोई हो, को समेकित वित्तीय विवरणों में मान्य किया जाता है।
- वर्ष के लिए अनुषंगी कंपनियों के निवल लाभ में गैर-नियंत्रित ब्याज की हिस्सेदारी की पहचान की जाती है तथा होल्डिंग कंपनी के मालिकों को देय शुद्ध राजस्व प्राप्त करने के लिए समूह के राजस्व के विरुद्ध समायोजित किया जाता है। गैर-नियंत्रित ब्याज पर वर्ष के लिए हानि की अधिकता को मालिक के लाभ में समायोजित किया जाता है।
- अनुषंगी कंपनियों की निवल संपत्ति में गैर-नियंत्रित ब्याज की हिस्सेदारी की पहचान की जाती है और उसे होल्डिंग कंपनी के शेयरधारकों की देनदारियों और इक्विटी से अलग समेकित बैलेंस शीट में प्रस्तुत किया जाता है।
- किसी अनुषंगी कंपनी के स्वामित्व हित में परिवर्तन जिसके परिणामस्वरूप नियंत्रण की हानि नहीं होती है, जिसे इक्विटी लेनदेन के रूप में माना जाता है।
- यदि समूह किसी अनुषंगी कंपनी पर नियंत्रण खो देता है, तो यह परिसंपत्तियों, देनदारियों, किसी भी गैर-नियंत्रित हितों की वहन राशि और इक्विटी में दर्ज संचयी अनुवाद अंतर को अमान्य कर देता है। पूर्व अनुषंगी कंपनी में रखे गए किसी भी ब्याज को नियंत्रण खोने की तारीख पर उचित मूल्य पर मापा जाता है, जिसके परिणामस्वरूप लाभ/हानि को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

व्यावसायिक संयोजन तथा साख

ऐसा समूह जो समूह संस्थाओं के संयोजन को छोड़कर सामान्य नियंत्रण में हैं, जो व्यावसायिक संयोजनों के लिए लेखांकन में अधिग्रहण पद्धति अपनाता है। किसी अनुषंगी कंपनी पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए समूह द्वारा स्थानांतरित किया गया प्रतिफल अधिग्रहण-तिथि के अनुसार हस्तांतरित संपत्तियों, देनदारियों और समूह द्वारा जारी इकिटी हितों के उचित मूल्यों के योग के रूप में गणना की जाती है, जिसमें आकस्मिक प्रतिफल व्यवस्था से उत्पन्न किसी भी संपत्ति या देनदारी का उचित मूल्य शामिल होता है। अधिग्रहण लागत व्यय के अनुसार खर्च की जाती है। अर्जित संपत्ति और ग्रहण की गई देनदारियों को आम तौर पर उनकी अधिग्रहण तिथि के उचित मूल्यों पर मापा जाता है।

नियंत्रणाधीन संस्थाओं के संयोजन के मामले में, व्यापार संयोजन को ब्याज की पूलिंग विधि के तहत लेखांकित किया जाता है जिससे संपत्तियों और देनदारियों को अप्रापीत राशि पर संयोजित किया जाता है और उनके उचित मूल्यों को प्रदर्शित करने या किसी नई संपत्ति या देनदारियों के ज्ञात को समायोजन नहीं किया जाता है।

प्रारंभिक मान्यता के बाद, साख को किसी भी संचित क्षति हानि से घटाकर लागत पर मापा जाता है। हानि परीक्षण के प्रयोजन के लिए, व्यवसाय संयोजन में अर्जित की गई साख, संयोजन तिथि से, समूह की प्रत्येक नकदी अर्जित करने वाली इकाइयों को आवंटित की जाती है, जिनसे संयोजन से लाभ होने की उम्मीद होती है, भले ही अधिग्रहण की अन्य संपत्तियां या देनदारियां उन इकाइयों को सौंपी गई हों।

2.2.2 एसोसिएट्स

वे सभी संस्थाएं एसोसिएट्स हैं जिन पर कंपनी का महत्वपूर्ण प्रभाव है लेकिन कोई नियंत्रण या संयुक्त नियंत्रण नहीं है। यह आम तौर पर यह ऐसा मामला है जहां कंपनी अपना मताधिकार 20% से 50% के बीच रखती है।

प्रारंभ में लागत पर मान्यता प्राप्त होने के बाद, लेखांकन की इकिटी पद्धति का उपयोग करने के लिए एसोसिएट्स के निवेश का विवरण दिया जाता है, सिवाय इसके कि जब निवेश, या उसके हिस्से को बिक्री के लिए आयोजित के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, इस स्थिति में इसे भारतीय लेखा मानक 105 के अनुसार गणना की जाती है।

समूह वस्तुनिष्ठ साक्ष्य के आधार पर सहयोगियों में अपना शुद्ध निवेश करता है।

2.2.3 संयुक्त व्यवस्था

संयुक्त व्यवस्था वे व्यवस्थाएं हैं जहां समूह एक या अधिक अन्य पक्षों के साथ संयुक्त नियंत्रण करता है।

संयुक्त नियंत्रण व्यवस्था के नियंत्रण का अनुबंधित रूप से सहमत साझाकरण है जो तभी मौजूद होता है जब संबंधित गतिविधियों के बारे में निर्णय लेने के लिए नियंत्रण साझा करने वाले पक्षों की सर्वसम्मत सहमति की आवश्यकता होती है।

संयुक्त व्यवस्था को या तो संयुक्त संचालन या संयुक्त उद्यम के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। वर्गीकरण संयुक्त व्यवस्था के कानूनी ढांचे के बजाय प्रत्येक निवेशक के संविदात्मक अधिकारों और दायित्वों पर निर्भर करता है।

2.2.4 संयुक्त संचालन

संयुक्त संचालन एक संयुक्त व्यवस्था है जिसके तहत व्यवस्था पर संयुक्त नियंत्रण रखने वाले पक्षों के पास व्यवस्था से संबंधित परिसंपत्तियों के अधिकार और देनदारियों के लिए दायित्व होते हैं। संयुक्त नियंत्रण एक व्यवस्था के नियंत्रण को साझा करने के लिए संविदात्मक रूप से सहमत है, जो तभी मौजूद होता है जब प्रासंगिक गतिविधियों के बारे में निर्णय के लिए नियंत्रण साझा करने वाले पक्षों की सर्वसम्मत सहमति की आवश्यकता होती है।

समूह संयुक्त संचालन की परिसंपत्तियों, देनदारियों, राजस्व और व्ययों पर अपना प्रत्यक्ष अधिकार और किसी भी संयुक्त रूप से धारित या खर्च की गई परिसंपत्तियों, देनदारियों, राजस्व और व्ययों में अपनी हिस्सेदारी को मान्य करता है। इन्हें समेकित वित्तीय विवरणों में समान मद्दों के साथ या अन्यथा खातों के उचित शीर्षों के तहत लाइन दर लाइन आधार पर वित्तीय विवरणों में शामिल किया गया है।

2.2.5 संयुक्त उद्यम

- i) संयुक्त उद्यम एक संयुक्त व्यवस्था है जिसके तहत व्यवस्था पर संयुक्त नियंत्रण रखने वाले पक्षों में व्यवस्था की शुद्ध संपत्ति पर अधिकार निहित होता है। संयुक्त उद्यमों में हितों को शुरू में लागत पर मान्य किया जाता है और उसके बाद इकिटी पद्धति का उपयोग करके लेखांकित किया जाता है।
- ii) प्रारंभ में लागत पर मान्यता प्राप्त होने के बाद, लेखांकन की इकिटी पद्धति का उपयोग करने के लिए एसोसिएट्स के निवेश का विवरण दिया जाता है, सिवाय इसके कि जब निवेश, या उसके हिस्से को बिक्री के लिए आयोजित के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, इस स्थिति में इसे भारतीय लेखा मानक 105 के अनुसार गणना की जाती है।
- iii) समूह वस्तुनिष्ठ साक्ष्य के आधार पर संयुक्त उद्यम में अपने शुद्ध निवेश को तब घटाता है, जब किसी संयुक्त उद्यम में समूह के घाटे का हिस्सा किसी अन्य असुरक्षित दीर्घकालिक प्राप्य सहित इकाई में उसके निवेश के बराबर या उससे अधिक न हो जाय, समूह आगे के नुकसान को तब तक नहीं मान्य करता है, जब तक कि उसने संयुक्त उद्यम की ओर से कोई दायित्व न उठाया हो या भुगतान न किया हो।
- iv) समूह तथा उसके संयुक्त उद्यमों के बीच लेनदेन पर अवास्तविक लाभ इन संस्थाओं में समूह के हित की सीमा तक अमान्य किए जाते हैं। समूह और उसके संयुक्त उद्यमों के बीच लेन-देन पर अवास्तविक हानि को भी इन संस्थाओं में समूह के हित की सीमा तक तब अमान्य किए जाते हैं, जब तक कि लेन-देन हस्तांतरित संपत्ति की

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

हानि का प्रमाण नहीं हो जाता है। जहां संयुक्त उद्यमों की लेखांकन नीतियां समूह से भिन्न होती हैं, वहां समूह द्वारा अपनाई गई नीतियों के अनुरूपता सुनिश्चित करने के लिए समान परिस्थितियों में समान लेनदेन और घटनाओं के लिए उचित समायोजन किया जाता है।

- v) संयुक्त उद्यम में न्यून हिस्सेदारी से उत्पन्न होने वाले किसी भी लाभ या हानि, लेकिन फिर भी संयुक्त नियंत्रण बरकरार रखते हुए, लाभ और हानि के विवरण में मान्य किए जाते हैं।
- vi) जब निवेश एक संयुक्त उद्यम नहीं रह जाता है और जमा व्याज एक वित्तीय परिसंपत्ति बन जाता है, तब समूह लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त वहन राशि में परिवर्तन के साथ उचित मूल्य पर जमा व्याज की गणना करता है। वित्तीय परिसंपत्ति के रूप में जमा व्याज के लेखांकन के उद्देश्य से व्याज का उचित मूल्य प्रारंभिक वहन राशि बन जाता है। उस संयुक्त उद्यम के संबंध में अन्य व्यापक आय में पहले से मान्य की गई कोई भी राशि लाभ तथा हानि के विवरण में पुनः वर्गीकृत की जाती है।

2.2.6 इक्कीटी विधि

लेखांकन की इक्कीटी पद्धति के तहत, शुरू में निवेश को लागत एवं समायोजित पर मान्यता प्रदान की जाती है, इसके बाद लाभ और हानि में निवेशक के कंपनी के शेरों के अधिग्रहण में लाभ या हानि तथा अन्य व्यापक आय में निवेशक की अन्य व्यापक आय में कंपनी का हिस्सा को स्वीकार किया जाता है। एसोसिएट्वों और संयुक्त उद्यमों से प्राप्त या प्राप्त होने वाले लाभांश को निवेश की मात्रा में कमी के रूप में मान्य किया जाता है।

जब इक्कीटी-लेखा निवेश में कंपनी के हिस्से का नुकसान, किसी अन्य असुरक्षित लंबी अवधि के ग्राहियों सहित, इकाई में अपनी व्याज के बराबर या उससे अधिक है, कंपनी आगे हानि नहीं होने देती है, जब तक कि इसके दायित्वों का भुगतान नहीं किया जाता है या अन्य संस्था की ओर से भुगतान नहीं किया जाता है।

2.2.7 स्वामित्व हितों में परिवर्तन

समूह गैर-नियंत्रण वाले हितों के साथ लेन-देन का व्यवहार करती है, जिसके परिणामस्वरूप समूह के इक्कीटी स्वामियों के साथ लेनदेन के रूप में नियंत्रण से नुकसान में नहीं होती है। अनुषंगियों में अपने सापेक्ष हितों को प्रदर्शित करने के लिए, स्वामित्व हित में परिवर्तन नियंत्रण और गैर-नियंत्रित हितों के ले जाने की मात्रा के बीच समायोजन होता है। गैर-नियंत्रित हितों के समायोजन की राशि और भुगतान या प्राप्त किए गए किसी भी उचित मूल्य के बीच कोई अंतर इक्कीटी के भीतर मान्य किए जाते हैं।

जब नियंत्रण, संयुक्त नियंत्रण या महत्वपूर्ण प्रभाव के कारण नुकसान होने पर, समूह निवेश के लिए समेकित या इक्कीटी खाते

का समाप्तन कर देती है, लाभ या हानि में मान्य वहन राशि में परिवर्तन के साथ उचित मूल्य के लिए किसी भी इकाई में व्याज का पुर्णमापन किया जाता है। यह उचित मूल्य सहकारी, संयुक्त उद्यम या वित्तीय परिसंपत्ति के रूप में बाद में व्याज लेखांकन के प्रयोजनों के लिए प्रारंभिक मात्रा बन जाता है। इसके अलावा, उस इकाई के संबंध में पहले से अन्य व्यापक आय में चिह्नित किसी भी राशि का विवरण दिया जाता है जैसे कि समूह ने संबंधित संपत्ति या देनदारियों का सीधे निपटारा किया है। इसका मतलब यह हो सकता है कि पहले से अन्य व्यापक आय में चिह्नित रकम को लाभ या हानि के लिए पुर्ववर्गीकृत किया जाता है।

यदि किसी संयुक्त उद्यम या सहयोगी में स्वामित्व हित कम हो जाता है लेकिन संयुक्त नियंत्रण या महत्वपूर्ण प्रभाव बना रहता है, तो पहले से ही अन्य व्यापक आय के रूप में चिह्नित राशि का एक आनुपातिक हिस्सा लाभ या हानि के लिए फिर से जहां उपयुक्त हो, वर्गीकृत किया जाता है।

2.3 चालू तथा गैर-चालू वर्गीकरण

कंपनी वर्तमान/गैर-वर्तमान वर्गीकरण के आधार पर परिसंपत्तियों और देनदारियों को बैलेंस शीट में प्रस्तुत करती है। किसी परिसंपत्ति को कंपनी द्वारा चालू माना जाता है जब:

- (क) अपने सामान्य परिचालन आवर्तन में संपत्तिप्राप्ति की उम्मीद हो, या इसे बेचने या उपभोग करने की अपेक्षा रखता हो;
- (ख) प्राथमिक रूप से व्यापार उद्देश्य के लिए संपत्ति रखी गई है;
- (ग) रिपोर्टिंग अवधि के बाद बारह महीनों के भीतर परिसंपत्ति के प्राप्त होने की उम्मीद है; या
- (घ) परिसंपत्ति नकद या नकदी समतुल्य है (जैसा कि भारतीय लेखा मानक 07 में परिभाषित किया गया है) जब तक कि रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम बारह महीनों के लिए परिसंपत्ति के आदान-प्रदान या दायित्व तय करना प्रतिबंधित हो। अन्य सभी परिसंपत्तियों को गैर-चालू के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

देयताओं को कंपनी द्वारा चालू के रूप में माना जाता है जब:

- (क) देयता को सामान्य परिचालन चक्र में निपटान की उम्मीद हो;
- (ख) मुख्य रूप से व्यापार के प्रयोजनहेतु देयता रखी गई है;
- (ग) देयता रिपोर्टिंग अवधि के बाद बारह महीनों के भीतर व्यवस्थित किए जाने की उम्मीद हो; या
- (घ) देयता का निपटान रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम बारह महीने के लिए स्थगित करने का शर्तवाहीन अधिकार ना हो। प्रतिपक्ष के विकल्प पर, देयता की शर्तों को इक्कीटी इन्स्ट्रमेंट्स के परिणाम से निपटान इसके वर्गीकरण को प्रभावित नहीं कर सकते।

अन्य सभी देनदारियों को गैर-चालू के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

समूह द्वारा किए जा रहे व्यवसाय की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, समूह ने परिसंपत्तियों और देनदारियों के वर्तमान और गैर-वर्तमान वर्गीकरण के उद्देश्य से अपने परिचालन चक्र को बारह महीने के रूप में सुनिश्चित किया है।

2.4 राजस्व की मान्यता

ग्राहकों से अनुबंध द्वारा राजस्व

ग्राहकों के साथ अनुबंध से होने वाले राजस्व को तब मान्यता दी जाती है जब वस्तुओं या सेवाओं का नियंत्रण स्थानांतरित किया जाता है और/या उत्पादों/सेवाओं को ग्राहकों को उस राशि पर वितरित/प्रदान किया जाता है जो उस राशि को प्रदर्शित करती है जिसके लिए समूह उन वस्तुओं या सेवाओं के बदले में हकदार होने की उम्मीद करता है। समूह का आम तौर पर यह निष्कर्ष है कि यह राजस्व व्यवस्था का सिद्धांत है जो आम तौर पर ग्राहक को हस्तांतरित करने से पहले वस्तुओं या सेवाओं को नियंत्रित करता है।

राजस्व को ग्राहक के साथ अनुबंध में निर्दिष्ट विचारों के आधार पर मापा जाता है और इसमें तीसरे पक्ष की ओर से एकत्र की गई राशि शामिल नहीं होती है। बिक्री से राजस्व तब पहचाना जाता है जब किसी उत्पाद या सेवा पर नियंत्रण स्थानांतरित क्र दिया जाता है और /या उत्पादों /सेवाओं को ग्राहकों को वितरित /प्रदान किया जाता है। डिलीवरी तब होती है जब उत्पाद को विशिष्ट स्थान पर भेजा गया हो या वितरित कर दिया गया हो , जैसा भी मामला हो और ग्राहक ने या तो अनुबंध के अनुसार उत्पादों को स्वीकार कर लिया है या कंपनी के पास पर्याप्त सबूत है की स्वीकृति के लिए सभी मानदंड संतुष्ट हैं। एकत्र किए गए रिटर्न, छूट यदि कोई हो, बिक्री से काट ली जाती है।

भारतीय लेखा मानक 115 में सिद्धांतों को निम्नलिखित पांच चरणों का उपयोग करके लागू किया जाता है:

चरण 1: अनुबंध की पहचान:

समूह ग्राहक के साथ अनुबंध केवल तभी करती है जब निम्नलिखित सभी मानदंडों को पूरा किया जाता है:

- क) अनुबंध के पक्षकारों ने अनुबंध को मंजूरी दे दी है और इससे संबंधित दायित्वों को निभाने के लिए प्रतिबद्ध हैं;
- ख) कंपनी हस्तांतरित किए जाने वाले वस्तु या सेवाओं के विषय में प्रत्येक पक्षों के अधिकारों को स्पष्ट कर सकती है;
- ग) कंपनी को हस्तांतरित की जाने वाली वस्तुओं या सेवाओं के लिए भुगतान की शर्तों को स्पष्ट कर सकती है;
- घ) अनुबंध में वाणिज्यिक तत्व (जैसे जोखिम, समयावधि या कंपनी के भविष्य के नकदी प्रवाह की राशि अनुबंध के परिणामस्वरूप बदलने की उम्मीद है); तथा

ड.) यह संभव है कि कंपनी ग्राहक को हस्तांतरित की जाने वाली वस्तुओं या सेवाओं के बदले प्रतिफल को ध्यान में रखेगी जिसके लिए वह हकदार होगा। प्रतिफल की वह राशि जिस पर कंपनी का हक होगा, यदि प्रतिफल परिवर्तनशील है तो वह अनुबंध में बताइ गई कीमत से कम हो सकता है क्योंकि कंपनी ग्राहक को मूल्य रियायत, छूट, बट्टा, धनवापसी, क्रेडिट या प्रोत्साहन, निष्पादन बोनस या इसी तरह की वस्तुओं की पेशकश कर सकती है।

संविदा का संयोजन

समूह दो या दो से अधिक अनुबंधों का संयोजन एक ही ग्राहक के साथ एक ही समय में (या ग्राहक के संबंधित पक्ष) में करता है जब अनुबंध में एकल अनुबंध के लिए निम्नलिखित एक या अधिक मानदंडों को प्राप्त किया जाता है:

- क) अनुबंधों को एक एकल वाणिज्यिक उद्देश्य के साथ एक पैकेज के रूप में तय किया गया है;
- ख) एक अनुबंध में भुगतान की जाने वाली प्रतिफल की राशि की मात्रा दूसरे अनुबंध की कीमत या निष्पादन पर निर्भर करती है; या
- ग) अनुबंधों में स्वीकार्य वस्तु या सेवाएं (या प्रत्येक अनुबंध में स्वीकार्य कुछ वस्तु या सेवाएं) एक एकल निष्पादन दायित्व हैं।

अनुबंध में संशोधन

समूह एक अलग अनुबंध के रूप में अनुबंध संशोधन तब करता है जब निम्नलिखित दोनों स्थितियां मौजूद हैं:

- क) विशिष्ट स्वीकार्य वस्तुओं और सेवाओं के जुड़ाव के कारण अनुबंध के क्षेत्र में वृद्धि होने तथा
- ख) प्रतिफल की मात्रा से अनुबंध की कीमत में वृद्धि समूह की अतिरिक्त स्वीकार्य कीमतों और सेवाओं की एकल बिक्री के मूल्यों को दर्शाता है तथा विशेष अनुबंध की परिस्थितियों को प्रकट कर उस मूल्य हेतु उपयुक्त समायोजन करती है।

चरण 2: निष्पादन दायित्वों की पहचान:

अनुबंध के प्रारंभ पर, समूह ग्राहक के साथ अनुबंध में स्वीकार्य वस्तुओं या सेवाओं का आकलन करता है तथा इनमें से ग्राहक को हस्तांतरित प्रत्येक स्वीकार्यता को एक निष्पादन दायित्व के रूप में पहचान करता है जिसमें:

- क) एक वस्तु या सेवा (या वस्तुओं या सेवाओं का एक समूह) जो विशिष्ट है; या
- ख) विशिष्ट वस्तुओं या सेवाओं की एक श्रृंखला जो काफी हद तक एक समान है तथा जिसमें ग्राहक को स्थानांतरण की समान श्रृंखला होती है।

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

चरण 3: लेन-देन मूल्य का निर्धारण

समूह लेन-देन की कीमत निर्धारित करने हेतु अनुबंध की शर्तों और उसके प्रथागत व्यवसाय प्रथाओं पर विचार करता है। लेन-देन की कीमत वह प्रतिफल राशि है, जिसमें समूह को उम्मीद है कि ग्राहक को स्वीकार्य वस्तुओं या सेवाओं को हस्तांतरित करने के बदले में, तीसरे पक्ष की ओर से एकत्र की गई राशियों को छोड़कर हकदार होगा। ग्राहक के साथ अनुबंध में स्वीकार्य प्रतिफल में निश्चित राशियाँ, चर राशियाँ या दोनों शामिल हो सकते हैं।

लेनदेन मूल्य निर्धारित करते समय, समूह निम्नलिखित में से सभी प्रभावों पर विचार करता है:

- चर प्रतिफल;
- चर प्रतिफल के बाधित अनुमान;
- महत्वपूर्ण वित्तीय तत्वों का समावेश;
- गैर - नकद प्रतिफल;
- ग्राहक को देय प्रतिफल।

बट्टा, छूट, रिफंड, क्रेडिट, मूल्य रियायतें, प्रोत्साहन, निष्पादन बोनस, या अन्य समान वस्तुओं के कारण प्रतिफल की राशि भिन्न हो सकती है। यदि समूह के हक में प्रतिफल भविष्य की घटना या गैर-घटना के कारण आकस्मिक है तब भी स्वीकार्य प्रतिफल भिन्न हो सकता है।

कुछ अनुबंधों में, जुर्माना निर्दिष्ट है। ऐसे मामलों में, अनुबंध के तत्व के अनुसार जुर्माना की गणना की जाती है। जहां लेनदेन मूल्य के निर्धारण में जुर्माना निहित है, यह चर प्रतिफल का हिस्सा है।

समूह लेन-देन मूल्य में कुछ या सभी अनुमानित चर प्रतिफल की राशि को केवल उस हद तक शामिल करती है जब यह अत्यधिक संभावना है कि मान्य संचयी राजस्व की राशि में तब तक कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं होगा जब तक कि चर प्रतिबंध से जुड़ी अनिश्चितता हल नहीं हो जाती।

अनुबंध के प्रारंभ पर, यदि उम्मीद है कि, समूह प्रतिफल की स्वीकार्य राशि को महत्वपूर्ण वित्तीय तत्व के प्रभावों हेतु समयोचित नहीं करता है, तब वह किसी ग्राहक को स्वीकार्य वस्तु या सेवा के स्थानांतरण तथा जब ग्राहक उस वस्तु या सेवा के लिए भुगतान करता है तो उस बीच की अवधि एक वर्ष या उससे कम होगी।

यदि समूह ग्राहक से प्रतिफल प्राप्त करता है तथा ग्राहक को उस प्रतिफल का कुछ या सभी वापस करने की अपेक्षा है, तब समूह वापसी दायित्व को स्वीकार करता है। धनवापसी दायित्व को प्राप्त (या प्राप्त) प्रतिफल की मात्रा पर मापा जाता है जिसके लिए समूह को हकदार होने की उम्मीद नहीं है (जो कि वह राशि जो लेनदेन मूल्य में शामिल नहीं है)। वापसी दायित्व (तथा तदनुरूप लेनदेन की कीमत में परिवर्तन, एवं इसलिए, अनुबंध देयता) को परिस्थितियों में परिवर्तन के लिए प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अद्यतन किया जाता है।

अनुबंध के प्रारंभ के बाद, लेन-देन की कीमत विभिन्न कारणों से बदल सकती है, जिसमें अनिश्चित घटनाओं के समाधान या परिस्थितियों में अन्य परिवर्तन शामिल हैं जो वह प्रतिफल की राशि को बदलती हैं, जो समूह को स्वीकार्य वस्तु या सेवाओं के बदले में हकदार होने की उम्मीद है।

चरण 4: लेन-देन के मूल्य का निर्धारण:

लेन-देन का मूल्य निर्धारण करते समय समूह का उद्देश्य प्रत्येक निष्पादन दायित्व हेतु लेनदेन मूल्य निर्धारण करने (या विशिष्ट वस्तु या सेवा) के लिए उस प्रतिफल राशि से होता है, जिसे समूह ग्राहक को स्वीकार्य वस्तु या सेवाओं को स्थानांतरित करने के बदले में प्राप्त किए जाने की अपेक्षा रखती है।

प्रत्येक निष्पादन दायित्व के लेनदेन मूल्य का निर्धारण, संबंधित एकल विक्रय मूल्य आधार पर करने हेतु, अनुबंध के प्रारंभ में प्रत्येक निष्पादन दायित्व को अंतर्निहित करते हुए विशिष्ट वस्तु या सेवा का एकल विक्रय मूल्य का निर्धारण करती है तथा उन एकल विक्रय मूल्यों के अनुपात में लेनदेन मूल्य का निर्धारण करती है।

चरण 5: राजस्व मान्यता :

समूह जब (या के रूप में) ग्राहक को स्वीकार्य वस्तु या सेवा का हस्तांतरण कर निष्पादन दायित्व पूर्ण करता है तब समूह राजस्व मान्य करता है। वस्तु या सेवा तब हस्तांतरित होती है जब (या के रूप में) ग्राहक उस वस्तु या सेवा पर नियंत्रण प्राप्त करता है।

समूह वस्तु या सेवा का नियंत्रण अधिसमय में स्थानांतरित करता है, और निष्पादन दायित्व पूर्ण कर तथा अधिसमय में राजस्व तब मान्य करता है, जब निम्नलिखित मानदंडों को पूरा किया जाता है:

- क) समूह निष्पादन के रूप में, साथ ही कंपनी निष्पादनों द्वारा ग्राहक लाभों को प्राप्त करता है और उपयोग करता है;
- ख) समूह का निष्पादन परिसंपत्ति सृजित या वृद्धि करती है जिसे ग्राहक सृजित या वृद्धि संपत्ति के रूप में नियंत्रित करता है;
- ग) समूह का निष्पादन समूह के वैकल्पिक उपयोग के तौर पर परिसंपत्ति नहीं बनाता है तथा तब तक के पूर्ण निष्पादन हेतु समूह को भुगतान लागू करने योग्य अधिकार प्राप्त है।

अधिसमय में पूर्ण प्रत्येक निष्पादन दायित्व के लिए, समूह उस निष्पादन दायित्व की पूर्ण तुष्टि की दिशा में प्रगति को मापकर अधिसमय में राजस्व को मान्य करता है।

समूह अधिसमय में पूर्ण प्रत्येक निष्पादन दायित्व की प्रगति को मापने के लिए एक एकल पद्धति लागू करता है और समूह उस पद्धति को समान निष्पादन दायित्वों और समान परिस्थितियों में लगातार लागू करता है। प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में, समूह अधिसमय में तुष्टि निष्पादन दायित्व की पूर्ण संतुष्टि की दिशा में अपनी प्रगति का पुनर्माप करता है।

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

समूह अनुबंध के तहत स्वीकार्य शेष वस्तु या सेवाओं के सापेक्ष उक्त तिथि पर ग्राहक को स्थानांतरित वस्तुओं या सेवाओं के मूल्य के प्रत्यक्ष माप के आधार पर राजस्व मान्यता हेतु उत्पाद पद्धति लागू करता है। उत्पाद पद्धति में निष्पादन के सर्वेक्षण से लेकर आज तक पूर्ण किए गए परिणाम, प्राप्त परिणामों के मूल्यांकन, प्राप्त उपलब्धियां, समय समापन तथा उत्पादित इकाइयाँ या प्रेषित इकाइयाँ शामिल हैं।

आउटपुट विधियों में आज तक पूरे किये गए प्रदर्शन के सर्वेक्षण, प्राप्त परिणामों का मूल्यांकन, प्राप्त मील के पत्थर बिता हुआ समय और उत्पादित या वितरित इकाइयों का सर्वेक्षण जैसी विधियाँ शामिल हैं।

अधिसमय में जब परिस्थिति परिवर्तित होती है, समूह निष्पादन दायित्व के परिणाम में किसी भी परिवर्तन को दर्शाने के लिए प्रगति माप को अद्यतन करता है। समूह की प्रगति के माप में इस तरह के बदलावों को भारतीय लेखा मानक 8, लेखांकन नीतियों, लेखांकन अनुमानों और त्रुटियों में परिवर्तन के अनुसार लेखांकन अनुमान में परिवर्तन के रूप में जाना जाता है।

समूह अधिसमय में पूर्ण निष्पादन दायित्व के लिए राजस्व को केवल तभी मान्य करता है, जब समूह ने निष्पादन दायित्व की पूर्णता की दिशा में अपनी प्रगति की माप यथोचित रूप से की है। जब (या में) एक निष्पादन दायित्व पूर्ण होता है, जब समूह लेनदेन मूल्य की राशि को राजस्व के रूप में मान्य करती है (जिसमें चर दायित्व के अनुमानों को शामिल नहीं किया जाता है जो उस निष्पादन दायित्व के लिए आवंटित होता है।

यदि कोई निष्पादन दायित्व अधिसमय में पूर्ण नहीं होता है, तो समूह एक समय बिंदु में निष्पादन दायित्व को पूर्ण करती है। उस समय बिंदु को निर्धारित करने जिस पर एक ग्राहक एक वस्तु या सेवा का नियंत्रण प्राप्त करता है तथा समूह प्रदर्शन दायित्व को पूर्ण करती है, समूह नियंत्रण हस्तांतरण के संकेतकों पर विचार करती है, जिसमें शामिल हैं, लेकिन निम्नलिखित तक सीमित नहीं हैं:

- क) समूह को वस्तु या सेवा के भुगतान का वर्तमान अधिकार है;
- ख) ग्राहक को वस्तु या सेवा प्राप्ति के लिए कानूनी हक है;
- ग) समूह ने वस्तु या सेवा के भौतिक कब्जे को स्थानांतरित कर दिया है;
- घ) ग्राहकों को वस्तु या सेवा के स्वामित्व हेतु महत्वपूर्ण जोखिम और पुरस्कार हैं;
- ड.) ग्राहक ने वस्तु या सेवा को स्वीकार कर लिया है।

जब अनुबंध की प्रत्येक पार्टी ने निष्पादन किया हो, जिसे समूह ने अनुबंध को तुलन पत्र में अनुबंध संपत्ति या अनुबंध देयता के रूप में प्रस्तुत किया है, जो कि समूह के निष्पादन तथा ग्राहक के भुगतान के बीच संबंध पर निर्भर करता है। समूह अन्य प्राप्ति के रूप में स्वीकार करने के लिए कोई शर्तरहित अधिकार प्रस्तुत करता है।

अनुबंध संपत्ति:

अनुबंध संपत्ति एक ऐसे प्रतिफल का अधिकार है, जो ग्राहक से वस्तुओं या सेवाओं के हस्तांतरण के बदले में प्राप्त होता है। यदि समूह ग्राहक से प्रतिफल या भुगतान देय के पहले वस्तु या सेवाओं को ग्राहक को हस्तांतरित करता है, तो अनुबंध परिसंपत्ति अर्जित विचार के लिए मान्यता प्राप्त है जो सशर्त है।

व्यापार प्राप्तियाँ:

प्राप्तियाँ समूह के उस प्रतिफल राशि के अधिकार को प्रस्तुत करता है जो शर्तविहिन है (जिसमें, प्रतिफल भुगतान से पूर्व केवल समय व्यतीत होना आवश्यक है)।

अनुबंध देयताएं:

अनुबंध देयता एक ऐसा कर्तव्य है जो ग्राहक को वस्तु या सेवाओं को स्थानांतरित करना है जिसके लिए समूह को ग्राहक से प्रतिफल (या प्रतिफल राशि देय है) प्राप्त हुआ है। यदि कोई ग्राहक समूह को वस्तु या सेवाओं को हस्तांतरित करने से पूर्व प्रतिफल भुगतान करता है, तब अनुबंध देयता को मान्यता दी जाती है जब भुगतान किया गया है या देय है (इनमें से जो भी पहले हो)। अनुबंध देनदारियों को राजस्व के रूप में मान्यता दी जाती है जब समूह अनुबंध के तहत निष्पादन करता है।

ब्याज

किसी वित्तीय परिसंपत्ति से ब्याज आय को तब मान्यता दी जाती है जब यह संभव हो कि आर्थिक लाभ समूह में प्रवाहित होंगे और आय की मात्रा को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है। ब्याज आय एक समय के आधार पर अर्जित होती है, बकाया मूलधन और लागू प्रभावी ब्याज दर के संदर्भ में, जो वह दर है जो वित्तीय परिसंपत्ति के अपेक्षित जीवन के माध्यम से अनुमानित भविष्य की नकद प्राप्तियों को प्रारंभिक मान्यता पर उस परिसंपत्ति की शुद्ध वहन राशि से तत्काल छूट देती है।

लाभांश

निवेशों से लाभांश आय को मान्यता तब दी जाती है। जब भुगतान प्राप्त करने के अधिकार स्थापित हो जाता है।

अन्य दावों

राजस्व अन्य दावों के संबंध में (ग्राहकों से विलंबित वसूली पर ब्याज सहित) को केवल तभी मान्यता दी जाती है जब अंतिम संग्रह के बारे में उचित निश्चितता हो और राशि को विश्वसनीय रूप से मापा जा सके।

2.5 सरकार से अनुदान

सरकारी अनुदान को तब तक मान्यता नहीं मिलती, जब तक कि यह अच्छी तरह से सुनिश्चित ना हो कि समूह इनसे संबंधित शर्तों का अनुपालन करेगा और यह भी कि इनके प्राप्त होने की पर्याप्त सुनिश्चितता है।

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

सरकारी अनुदानों को लाभ एवं हानि के विवरणों में चरणबद्ध आधार पर अवधियों के दौरान समूह द्वारा उन संबंधित लागतों हेतु व्यय के तौर पर प्रदर्शित किया जाता है।

परिसंपत्तियों से संबंधित सरकारी अनुदान को तुलन पत्र में आस्थगित आय के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं तथा लाभ और हानि के विवरण में परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन काल में चरणबद्ध रूप से प्रदर्शित किया जाता है।

आय से संबंधित अनुदान (अर्थात् परिसंपत्तियों के अलावा अन्य मदों के अनुदान) को लाभ और हानि विवरण के भाग में मअन्य आयफके मद में प्रदर्शित किए गए हैं।

एक सरकारी अनुदान / सहायता जो पूर्व में किए गए खर्च या नुकसान के मुआवजे के रूप में प्राप्त हो जाती है या भविष्य में संबंधित लागतों के साथ समूह को तत्काल वित्तीय सहायता देने के उद्देश्य से, उस अवधि के लाभ या हानि में मान्य किए जाते हैं जिसमें यह प्राप्त होता है।

सरकारी अनुदान या ऐसे अनुदान जो प्रमोटरों के योगदान की प्रकृति के हैं उन्हें सीधे “कैपिटल रिजर्व” में मान्य किए जाना चाहिए जो “शेयरधारकों के फंड” का हिस्सा है।

2.6 पट्टे

एक अनुबंध, या पट्टा तब कहलाता है, जब अनुबंध प्रतिफल प्राप्ति के लिए किसी चिह्नित संपत्ति के उपयोग को एक निश्चित अवधि के लिए नियंत्रित करने का अधिकार देता है।

2.6.1 पट्टाधारी के तौर पर कंपनी

किसी अनुबंध की शुरुआत में समूह यह आकलन करता है कि अनुबंध में कोई पट्टा शामिल है या नहीं। एक अनुबंध, या पट्टा तब कहलाता है, जब अनुबंध प्रतिफल प्राप्ति के लिए किसी चिह्नित संपत्ति के उपयोग को एक निश्चित अवधि के लिए नियंत्रित करने का अधिकार देता है। यह आकलन करने के लिए कि क्या कोई अनुबंध किसी चिह्नित गई संपत्ति के उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार देता है, समूह यह आकलन करता है कि: (i) अनुबंध में चिह्नित परिसंपत्ति का उपयोग शामिल है (ii) समूह को पट्टे की अवधि के दौरान परिसंपत्ति के उपयोग से सभी आर्थिक लाभ प्राप्त हुए हैं (iii) समूह को संपत्ति के उपयोग को निर्देशित करने का अधिकार है।

आरंभ तिथि पर, एक पट्टेदार लागत पर उपयोग के अधिकार वाली संपत्ति को मान्य करता है तथा पट्टा भुगतान के वर्तमान मूल्य पर एक पट्टा दायित्व जो सभी पट्टों के लिए उस तिथि पर भुगतान नहीं किया जाता है जब तक कि पट्टे की अवधि 12 महीने या उससे कम न हो या अंतर्निहित परिसंपत्ति कम मूल्य की न हो।

तदुपरांत, संपत्ति उपयोग के अधिकार को लागत मॉडल का उपयोग करके मापा जाता है, जबकि, लीज देयता पर व्याज प्रभाविता के लिए वहन राशि को बढ़ाकर लीज देयता को मापा जाता है, पट्टे के भुगतान को दर्शने के लिए वहन राशि को न्यून करके तथा किसी भी पुनर्मूल्यांकन या पट्टा संशोधनों को दर्शने के लिए वहन राशि का पुनर्मापन किया जाता है।

लीज देयता को शुरू में भविष्य के लीज भुगतानों के वर्तमान मूल्य पर परिशोधित लागत पर मापा जाता है। पट्टे के भुगतान में पट्टे में निहित व्याज दर का उपयोग करके छूट दी जाती है, या यदि आसानी से निर्धारित नहीं किया जा सकता है, तो इन पट्टों की वृद्धिशील ऋण दरों का उपयोग करके छूट दी जाती है। यदि समूह अपने मूल्यांकन में परिवर्तन करता है कि क्या वह विस्तार या समाप्ति विकल्प का उपयोग करेगा, तो पट्टे की देनदारियों को संपत्ति के उपयोग के संबंधित अधिकार के अनुरूप समायोजन के साथ पहले से मापा जाता है। लीज देनदारी और आरओयू परिसंपत्ति को बैलेंस शीट में अलग से प्रस्तुत किया जाता है और लीज भुगतान को वित्तपोषण नकदी प्रवाह के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। लीज देयता दायित्वों को वित्तीय देयताएँ शीर्षक के तहत अलग से प्रस्तुत किया गया है।

वित्त प्रभारों को लाभ और हानि के विवरण में वित्त लागत में मान्यता दी जाती है, जब तक कि लागत अन्य लागू मानकों को लागू करने वाली किसी अन्य परिसंपत्ति की वहन राशि में शामिल न हो।

उपयोग के अधिकार वाली संपत्ति का मूल्यहास संपत्ति के उपयोगी जीवन पर होता है, यदि पट्टाधारी, पट्टा अवधि के अंत तक परिसंपत्ति का स्वामित्व पट्टेदार को हस्तांतरित कर देता है या यदि उपयोग के अधिकार वाली संपत्ति की लागत को दर्शाता है तो पट्टेदार खरीद विकल्प का प्रयोग करता है। अन्यथा, पट्टेदार उपयोग के अधिकार वाली संपत्ति का आरंभ तिथि से उपयोग के अधिकार वाली संपत्ति के उपयोगी जीवन के अंत या पट्टे की अवधि के अंत तक मूल्यहास करेगा।

2.6.2 एक पट्टादाता के रूप में समूह

परिसंपत्तियों को वित्त पट्टे या परिचालन पट्टे के रूप में पट्टे पर दिया जाता है।

वित्त पट्टा: एक पट्टे को वित्त पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि यह अंतर्निहित परिसंपत्ति के स्वामित्व के लिए प्रासंगिक सभी जोखिमों और पुरस्कारों को पूर्ण रूप से स्थानांतरित करता है। प्रारंभ में, वित्त पट्टे के तहत खरीद विकल्प का प्रयोग करता है। प्रारंभ में, वित्त पट्टे के तहत खरीद संपत्ति को तुलन पत्रक में मान्यता दी जाती है और पट्टे में शुद्ध निवेश के बराबर राशि पर प्राप्त के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। पट्टे में समूह के शुद्ध निवेश पर रिटर्न की निरंतर आवधिक दर को दर्शने वाले पैटर्न के आधार पर, पट्टे की अवधि के दौरान वित्त आय को मान्य किया जाता है।

परिचालन पट्टा: एक पट्टा जिसे वित्त पट्टे के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है वह एक परिचालन पट्टा है। समूह परिचालन पट्टों पर दी गई संपत्तियों के मामले में पट्टा भुगतान को सीधी रेखा के आधार पर आय के रूप में मान्यता देता है।

2.7 बिक्री के लिए रखी गई गैर-चालू परिसंपत्तियाँ

समूह गैर-चालू परिसंपत्तियों तथा (या निपटारे लायक समूह) को बिक्री के लिए रोक रखती है, यदि उनकी बिक्री से प्राप्त रकम पूँजीगत तौर पर उनके निरंतर प्रयोग के बजाय प्राप्त हो सके। बिक्री को पूरा करने के लिए गतिविधियों को यह दर्शना

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

होगा कि बिक्री करने में कोई बड़ा फेरबदल नहीं होने वाला है, अन्यथा बिक्री करने का निर्णय वापस ले लिया जाएगा। प्रबंधन को अपेक्षित बिक्री को इस मद में वर्गीकरण के एक वर्ष के अंदर ही करने के निर्णय पर दृढ़ होना होगा।

इसके उद्देश्य के लिए, बिक्री लेनदेन में यदि गैर-चालू परिसंपत्तियों के बदले में अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियोंकी प्राप्ति भी शामिल है, यदि उसका कोई वाणिज्यिक तत्व हो। बिक्री के लिए रोक रखी गई का वर्गीकरण का मानदंड तभी लागू होगा, जब ऐसी सम्पत्तियाँ अथवा समूह तत्काल बिक्री करने हेतु वर्तमान स्थिति में उपलब्ध हों, बशर्ते ऐसी सम्पत्तियों(या निपटारे हेतु समूहों) की बिक्री की शर्तें सामान्य तथा परम्परागत हों, तभी इनकी बिक्री की सम्भावना अधिक होती है; तथा वास्तव में बिक्री होगी, ना कि खारिज हो जाए। कम्पनी ऐसी सम्पत्तियाँ अथवा निपटारे हेतु समूह की बिक्री की सम्भावना को अधिक तभी मानती है जबकि:

- प्रबंधन का समुचित स्तर इस संपत्ति (या निपटारे हेतु समूहों) की बिक्री के प्रति दृढ़-प्रतिज्ञ हो,
- किसी क्रेता की पहचान करने एवं बिक्री पूरी करने की योजना सक्रियतापूर्वक प्रारम्भ की गई हो,
- सम्पत्ति (यानिपटारे हेतु समूहों) की बिक्री का कार्य सक्रियतापूर्वक ऐसे दर पर किया जा रहा हो, जो कि इसके वर्तमान मूल्य कि मूल्य की तुलना में औचित्यपूर्ण हो,
- वर्गीकरण की तिथि से एक वर्ष के अंदर ही बिक्री पूरी हो जाने की मान्यता की सम्भावना हो, तथा
- बिक्री को पूरा करने के लिए गतिविधियों को यह दर्शाना होगा कि बिक्री करने में कोई बड़ा फेर बदल नहीं होनेवाला है, अन्यथा बिक्री करने का निर्णय वापस ले लिया जाएगा।

बिक्री हेतु धारीत के रूप में वर्गीकृत गैर-चालू परिसंपत्ति या निपटान समूहों को विक्रय की लागत घटाकर वहन राशि और उचित मूल्य के निम्नतम स्तर पर मापा जाता है।

2.8 संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण (पीपीई) एवं मूल्यहास

पीपीई की किसी मद को एक परिसंपत्ति के रूप में मान्यता दी जाती है यदि यह संभावना है कि मद से जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ समूह को प्रवाहित होंगे और मद की लागत को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है।

पीपीई को शुरू में अधिग्रहण/निर्माण की लागत पर मापा जाता है, जिसमें जहां भी आवश्यक हो, डिक्मीशनिंग या बहाली की लागत शामिल है। भूमि की लागत में वे व्यय शामिल हैं जो सीधे तौर पर भूमि के अधिग्रहण से जुड़े हैं जैसे पुनर्वास व्यय, पुनर्वास लागत और संबंधित विस्थापित व्यक्तियों के लिए रोजगार के बदले में मुआवजा आदि।

मान्यता के बाद, अन्य सभी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की एक वस्तु को लागत मॉडल के तहत किसी भी संचित मूल्यहास और किसी भी

संचित हानि क्षति को घटाकर उसकी लागत पर ले जाया जाता है। किसी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की लागत में शामिल हैं:

- (क) इसका क्रय मूल्य, आयात शुल्क तथा व्यापारिक डिस्काउन्ट तथा छूट को घटा कर उस पर लगे गैर-वापसी योग्य क्रय-कर सहित।
- (ख) उस वस्तु को लोकेशन पर लाने तथा इसे प्रबंधन की मंशा के अनुरूप प्रचालनगत स्थिति में लाने से संबंधित लगा कोई अन्य सीधा व्यय।
- (ग) इसके पहले के स्थान से खोले एवं हटाना तथा वर्तमान स्थल पर लाकर पुनर्स्थापित करने से संबंधित प्राथमिक आंकलन, जिसके लिए कम्पनी व्यय-भार को क्रय के समय या फिर किसी अवधि विशेष में, भण्डार उत्पादन के अलावा, उपयोग करने के लिए वहन करती है।
- (घ) अर्हक परिसंपत्तियों के निर्माण के वित्तपोषण के लिए उपयोग किए गए उधार पर व्याज को परिसंपत्ति की लागत के हिस्से के रूप में पूँजीकृत किया जाता है जब तक कि परिसंपत्ति अपने इच्छित उपयोग के लिए तैयार न हो जाए।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की किसी मद का प्रत्येक भाग जिसकी लागत उस वस्तु की कुल लागत के संबंध में महत्वपूर्ण है, उसका अलग से मूल्यहास किया जाता है। हालाँकि, समान उपयोगी जीवन और मूल्यहास पद्धति वाले पीपीई के किसी मद के महत्वपूर्ण भाग का मूल्यहास शुल्क निर्धारित करते समय एक साथ समूहीकृत किया जाता है।

दैनिक सेवाएँ, जैसे कि - मरम्मत एवं अनुरक्षण के लिए हुए व्ययों को लाभ एवं हानि विवरण में उनके होने की अवधि के अनुसार ही दर्शाया जाता है।

किसी सम्पत्ति, संयंत्र या उपकरण के किसी मद के पुर्जों के बदलाव के कारण कुल लागत पर पड़े विशेष प्रभाव को उस मद पर धारित रकम के तौर पर स्वीकृति दी जाती है, यदि इस मद से संबंधित भविष्य के आर्थिक लाभ कम्पनी को प्राप्त होंगे; तथा मद की लागत को सही तरह से आंका जा सके। बदले गए इन पुर्जों (पर्ट्स) की अग्रेषित रकम को कम्पनी की निम्नलिखित अस्वीकृत नीति के अनुसार अस्वीकृत किया जाता है।

जब प्रमुख जाँच की जाती है, तो किसी मद के लिए धारित रकम को सम्पत्ति, संयंत्र या उपकरण के लिए बदलाव के मद में स्वीकृत किया जाता है, यदि इस मद से संबंधित भविष्य के लाभ कम्पनी को प्राप्त हों और इस मद की लागत को सही तरह से आंका जा सके। पहले की जाँच के अनुसार बकाया किसी अन्य अग्रेषित लागत की रकम (भौतिक पुर्जों से अलग) को अस्वीकृत किया जाता है।

सम्पत्ति, संयंत्र या उपकरण केकिसी मद को निपटारे के बाद अस्वीकृत किया जाता है जबकि इन परिसंपत्तियों के निरंतर प्रयोग से कम्पनी को भविष्य में किसी आर्थिक लाभ की प्राप्ति की आशा नहीं हो। सम्पत्ति, संयंत्र या उपकरण केकिसी मद की ऐसी अस्वीकृति से उत्पन्न किसी लाभ या हानि को लाभ एवं हानि के विवरण में प्रदर्शित किया जाता है।

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

पूर्ण स्वामित्व की भूमि के अलावा, सम्पत्ति, संयंत्र या उपकरण पर मूल्यहास को सीधी रेखा मॉडल के अनुसार परिसम्पत्ति के आंकलित उपयोगी जीवनावधि के लिए प्रावधान निम्नानुसार किया जाता है :

अन्य भूमि	परियोजना का जीवनकाल या पट्टे की अवधि, जो भी कम हो
(पट्टाधीन भूमि सहित) :	
भवन	3-60 वर्ष
सड़कें	3-10 वर्ष
दूरसंचार	3-9 वर्ष
रेलवे साइंडिंग	15 वर्ष
संयंत्र एवं उपकरण	5-30 वर्ष
कम्प्यूटर एवं लैपटॉप	3 वर्ष
कार्यालय उपकरण	3-6 वर्ष
फर्नीचर्स एवं फिक्सचर्स	10 वर्ष
गाड़ियाँ	8-10 वर्ष

तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर प्रबंधन मानता है कि उपरोक्त जीवनकाल उस अवधि का सर्वश्रेष्ठ चित्रण करता है, जिसके दौरान प्रबंधन उन परिसम्पत्तियों का उपयोग करने की आशा करता है। अतः, परिसम्पत्तियों का उपयोगी जीवनकालकम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-॥ के भाग ग से भिन्न भी हो सकता है।

प्रत्येक वित्त वर्ष के अंत में परिसम्पत्तियों के उपयोगी जीवनकाल की समीक्षा की जाती है।

सम्पत्ति, संयंत्र या उपकरण का शेष मूल्य (रेसिड्युअलवैल्यू) उसके मूल मूल्य के 5% के बराबर माना जाता है। कोल टब, वाइंडिंग रोप्स, स्टोर्किंग पाइप्स एवं सेफटी लैम्पों आदि, जिनके जीवनकाल का आंकलन तकनीकी तौर पर उपयोगिता के लिए केवल एक वर्ष और शेष मूल्य शून्य माना जाता है।

वर्ष के दौरान जोड़ी गई / निपटाई गई परिसम्पत्ति पर मूल्यहास को यथानुपात (प्रो-राटा) आधार पर जोड़े जाने / निपटाए जाने के महीने के अनुसार प्रावधानित किया जाता है।

कोयला धारक क्षेत्र (अधिग्रहण एवं विकास) (सीबीए) अधिनियम 1957, भूमि अधिनियम, 1894, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना में उचित मुआवज़ा एवं पारदर्शिता (आरएफसीटीएलएएआर) अधिनियम, 2013, सरकारी भूमि के दीर्घावधि स्थानांतरण आदि के तहतझूझ अन्य भूमिक का मूल्य, जो कि शेष जीवनकाल के साथ-साथ घटता रहे; तथा पट्टे की भूमि के मामले में ऋण-शोधनसे हुई मूल्य में इस प्रकार की कमी, पट्टे की अवधि या शेष जीवनकाल, जो भी कम हो, के आधार पर आंका जाता है।

पूर्णतया ऋण-शोधित परिसम्पत्तियाँ, जिन्हें सक्रिय उपयोग से सेवानिवृत्त किया गया हो, उनका प्रकटीकरण अलग से सर्वेक्षण की गई परिसम्पत्तियों के तौर पर किया जाता है, क्योंकि इनके शेष मूल्य का सम्पत्ति, संयंत्र या उपकरण के मद में विच्छेद किए जाने हेतु परीक्षण किया जाता है।

कुछ परिसम्पत्तियों के निर्माण / विकास हेतु किए गए पूंजीगत व्यय, जो कि उत्पादन, सामग्रियों की आपूर्ति या समूह के किसी परिसम्पत्ति तक पहुँच के लिए आवश्यक हों, उन्हें सम्पत्ति, संयंत्र या उपकरण के तहत सशक्तिकारक परिसम्पत्ति के तौर पर चिह्नित किया जाता है।

आई एण्डएस में रूपांतरण

कम्पनी ने कॉस्ट मॉडल के अनुसार मूल्य अग्रेषण (अपने वित्तीय विवरणों में, पहले के जीएपी के अनुसार मापे गए स्वीकृत सम्पत्ति, संयंत्र या उपकरण के लिए आई एण्डएसएस में रूपांतरण की तिथि तक) करना स्वीकार किया था।

2.9 खान बंदी, स्थल पुनर्स्थापना एवं कार्यच्युतीकरण दायित्व

भूमि पुनर्प्राप्ति एवं संरचनाओं के कार्यच्युतीकरण (डीकमीशनिंग) के लिए कोयला मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से प्राप्त दिशानिर्देशों के अनुसार खुली एवं भूमिगत खदानों के लिए व्यय करना समूह के दायित्वों में है। समूह द्वारा खान बंदी, स्थल पुनर्स्थापना एवं कार्यच्युतीकरण के लिए अपने दायित्व का अनुमान, भविष्य में होने वाले कार्य के लिए नकद रकम एवं समय के व्यय लिए किए गए गहन गणना एवं तकनीकी आंकलन के द्वारा किया जाता है। खान बंदी के कार्य हेतु व्यय का प्रावधान अनुमोदित खान-बंदी योजना के अनुसार किया जाता है। व्ययों के अनुमानमें मूल्यवृद्धि के अनुसार वृद्धि की जाती है और फिर उसमें काम के समय मुद्रा के मूल्य एवं जोखिमों के अनुसार बाजारी दरों को प्रदर्शित स्थिति के अनुसार छूट आदि पर विचार किया जाता है, जो कि उन दायित्वों के निपटारे के लिए आवश्यक हों। अंतिम पुनर्प्राप्ति एवं खानबंदी के दायित्व के लिए समूह संबंधित परिसम्पत्ति को चिह्नित कर रिकॉर्ड कर लेती है। यह दायित्व एवं संबंधित परिसम्पत्ति, उस दायित्व के रहने की अवधि के लिए चिह्नित किए जाते हैं। कुल स्थल पुनर्स्थापनाव्यय (सेन्ट्रल माइनप्लानिंगएण्ड डिज़ाइन इंस्टिट्यूट लिमिटेड द्वारा अनुमानित) के अनुसार की परिसम्पत्ति को खान बंदी योजना के अनुसार एक अलग पीपीई मद के रूप में चिह्नित किया जाता है और इसे परियोजना / खान के जीवनकाल में क्रमानुसार मूल्यहासित किया जाता है।

प्रावधान के मूल्य को समय के साथ-साथ बढ़ाया जाता है, क्योंकि छूट का प्रभाव होने लगता है; जिससे वित्तीय व्ययों में एक और व्यय का सृजन होता है।

इसके अलावा, अनुमोदित खानबंदी योजना के अनुसार, इसके लिए एक अलग इस्को खाता रखा जाता है।

कुल खानबंदी के दायित्व के एक अंश के तौर पर, खानबंदी हेतु हुए वर्षावार व्यय को तौर पर इस्को खाते से प्राप्त माना जाता है और फिर उस वर्ष में हुए व्यय के लिए निकाली गई रकम को प्रमाणीकरण एंजेसी द्वारा सत्यापन किए जाने के बाद इसका समायोजन किया जाता है।

2.10 अन्वेषण एवं मूल्यांकन परिसम्पत्तियाँ

अन्वेषण एवं मूल्यांकन परिसम्पत्तियों में वो पूंजीकृत मूल्य होते हैं, जो कि कोयले एवं संबंधित संसाधनों के लिए चिह्नित संसाधनों के लिए की गई खोज के लिए किए गए होते हैं, जिनके तकनीकी औचित्य एवं वाणिज्यिक लाभकारिता का आंकलन बाकी हो। इनमें निम्न के साथ-साथ शामिल हैं :

- अन्वेषण के अधिकार का अधिग्रहण ;
- ऐतिहासिक अन्वेषण के आंकड़ों पर अनुसंधान एवं विश्लेषण ;
- स्थालाकृति, भू-रासायनिक एवं भू-भौतिकी अध्ययनों के माध्यम से गवेषणा के आंकड़ों को एकत्रित करना ;

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

- अन्वेषणात्मक ड्रिलिंग, खाई बनाना (ट्रेनिंग) एवं नमूनाकरण;
- संसाधन के आयतन एवं वर्ग का निर्धारण एवं परीक्षण;
- परिवहन एवं आधारभूत संरचनाओं संबंधी आवश्यकताओं का सर्वेक्षण;
- विषयन एवं वित्त संबंधी अध्ययन करना।

उपरोक्त में कर्मचारियों के पारिश्रमिक, सामग्रियों एवं प्रयोग किए गए ईंधन का मूल्य, ठेकेदारों को भुगतान आदि शामिल हैं।

चूंकि भविष्य के उपयोग हेतु कुल अपेक्षित स्पर्शनीय हुए व्यय एवं उससे प्राप्ति की तुलना में, अस्पर्शनीय मूल्य का अंश नगण्य / अविवेच्य है, ऐसे व्ययों को अन्य पूँजीगत अन्वेषण व्ययों के साथ अन्वेषण एवं मूल्यांकन परिसम्पत्ति के मद में लिखा जाता है।

अन्वेषण एवं मूल्यांकन व्ययों को परियोजना दर परियोजना आधार पर पूँजीकृत किया जाता है, जिनके तकनीकी औचित्य एवं वाणिज्यिकलाभकारिता का आंकलन बाकी रहता है तथा गैर-चालू परिसम्पत्तियों के मद में एक अलग पंक्ति में इसका विवरण रहता है। इसके बाद इनका आंकलन एकत्रित हानि/प्रावधान को घटा कर आंका जाता है।

जब प्रमाणित भण्डारों का निर्धारण हो जाता है तथा खान/परियोजना के विकास के लिए अनुमति दे दी जाती है, अन्वेषण एवं मूल्यांकन परिसम्पत्तियों को चालू पूँजीगत कार्य के तहत विकास मद में स्थानांतरित कर दिया जाता है। पर, यदि प्रमाणित भण्डार का निर्धारण नहीं किया गया हो, तो अन्वेषण एवं मूल्यांकन परिसम्पत्तियों को अस्वीकृत कर दिया जाता है।

2.11 विकास व्यय

जब प्रमाणित भण्डारों का निर्धारण हो जाता है तथा खान/परियोजना के विकास के लिए अनुमति दे दी जाती है, पूँजीकृत अन्वेषण एवं मूल्यांकन व्यय को निर्माणाधीन परिसम्पत्ति के तौर पर चिह्नित किया जाता है तथा चालू पूँजीगत कार्य के तहत एक अंश के तौर पर विकास के मद में प्रदर्शित किया जाता है। अगले सभी विकास संबंधी व्ययों को भी पूँजीकृत किया जाता है। पूँजीकृत किया गया विकास व्यय विकास के दौरान प्राप्त कोयले की बिक्री से प्राप्त रकम से निवल होता है।

वाणिज्यिक प्रचालन

परियोजनाओं/खानों को राजस्व उत्पादन के योग्य बनाया जाता है; जब किसी परियोजना/खान की वाणिज्यिक निष्पादन लगातार उत्पादन करने हेतु, परियोजना की रिपोर्ट में विशेष तौर पर उल्लिखित शर्तों के अनुसार या निम्नलिखित शर्तों के अनुसार स्थापित हो जाती है:

- (क) अनुमोदित परियोजना रिपोर्ट में निर्धारित क्षमता के अनुसार, जब परियोजना द्वारा भौतिक उत्पादन के 25% स्तर को प्राप्त किया गया हो, उसके बाद प्रारम्भ होने वाले वित्त वर्ष के प्रारम्भ से, अथवा
- (ख) कोयले तक पहुँचने के 2 वर्षों के अंदर, अथवा

(ग) वित्तीय वर्ष की शुरुआत से जिसमें उत्पादन का मूल्य कुल, खर्चों से अधिक है।

इनमें से जो भी पहले घट जाय;

राजस्व उत्पत्ति पर, पूँजीगत चालू कार्य के तहत परिसम्पत्तियों का सम्पत्ति, संयंत्र या उपकरण के एक अंश के रूप में अन्य खनन आधारभूत संरचनाएँ के शीर्षक के तहत पुनर्वर्गीकरण किया जाता है। अन्य खनन मूल आधारभूत संरचनाओं का क्रण-शोधन उस खान के राजस्वीकरणसे 20 वर्षों तक या फिर खान के सम्पूर्ण जीवनकाल, जो भी कम हो, के लिए किया जाता है।

2.12 अस्पर्शनीय परिसम्पत्तियाँ

प्रारंभिक लागत मान्यता पर अलग से अधिग्रहित अस्पर्शनीय परिसम्पत्तियों को मापा जाता है। लागत में परिसंपत्तियों को उसके इच्छित उपयोग के लिए तैयार करने के लिए आवश्यक कोई भी प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार व्यय शामिल है। प्रारंभिक मान्यता के बाद, अमूर्त संपत्तियों को किसी भी संचित परिशोधन और संचित हानि क्षति को घटाकर लागत पर ले जाया जाता है। इसके बाद के व्यय को परिसंपत्ति की वहन राशि में वृद्धि के रूप में मान्यता दी जाती है जब यह संभव हो कि खर्च की गई लागत से प्राप्त होने वाला भविष्य का आर्थिक लाभ समूह को मिलेगा और वस्तु की लागत को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है।

अमूर्त संपत्ति के किसी मद को निपटान पर या जब इसके उपयोग या निपटान से भविष्य में कोई आर्थिक लाभ की उम्मीद नहीं होती है, तब इसकी मान्यता रद्द करने से उत्पन्न होने वाले लाभ या हानि को शुद्ध निपटान आय और परिसंपत्ति की वहन राशि के बीच अंतर के रूप में मापा जाता है और परिसंपत्ति की मान्यता रद्द होने पर लाभ और हानि के विवरण में मान्य किया जाता है।

आंतरिक स्तर पर उत्पादित अस्पर्शनीय को, पूँजी विकास मूल्यों के अलावा, पूँजीकृत नहीं किया जाता है। इसके बदले में, संबंधित व्ययों को लाभ एवं हानि के विवरण तथा अन्य व्यापक आय के मद में व्यय होने की अवधि के रूप में प्रदर्शित किया जाता है।

अस्पर्शनीय परिसम्पत्तियों के उपयोगी जीवन का आंकलन या तो निश्चित या अनिश्चित के रूप में किया जाता है। निश्चित जीवनकाल वाली अस्पर्शनीय परिसम्पत्तियों की क्रणमुक्ति उनके उपयोगी जीवनकाल के लिए किया जाता है और यदि उसमें कहीं किसी प्रकार की हानि हुई हो, तो हानि का आंकलन किया जाता है। निश्चित जीवनकाल वाली उपयोगी अस्पर्शनीय परिसम्पत्तियों की क्रणमुक्ति अवधि एवं क्रणमुक्ति विधि की कम से कम प्रत्येक प्रतिवेदन की अवधि के अंत में समीक्षा की जाती है।

यह माना जाता है कि अपेक्षित उपयोगी जीवनकाल में परिवर्तन या परिसम्पत्ति में निहित भविष्य के आर्थिक लाभ के खपत के अपेक्षित पैटर्न को क्रणमुक्ति की अवधि या विधि को परिवर्तित करते हैं, तथा इन्हें खातालेखन अनुमानों में परिवर्तन माना जाता है। सीमित जीवनकाल वाली अस्पर्शनीय परिसम्पत्तियों पर किए गए क्रणमुक्ति व्यय को लाभ एवं हानि खाते में प्रदर्शित किया जाता है।

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

असीमित जीवनकाल वाली अस्पर्शनीय परिसम्पत्तियों पर ऋणमुक्ति नहीं की जाती है, बल्कि इसे प्रत्येक प्रतिवेदन की तिथि पर हानि के लिए जाँचा जाता है।

बाह्य एजेंसियों (अर्थात् सीआईएल के लिए चिह्नित नहीं) को बिक्री किए जाने के लिए चिह्नित समूह के तौर पर रखी गई गवेषणा एवं मूल्यांकन परिसम्पत्तियोंको अस्पर्शनीय परिसम्पत्ति के तौर पर वर्गीकृत किया जाता है तथा इनका निपटान के लिए परीक्षण किया जाता है।

शोध पर होने वाले व्यय को जब भी खर्च किया जाता है, व्यय में शामिल किया जाता है। विकास पर व्यय को केवल तभी पूँजीकृत किया जाता है यदि व्यय को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है, उत्पाद या प्रक्रिया तकनीकी और व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य है, भविष्य में आर्थिक लाभ संभावित हैं और समूह का इरादा विकास को पूरा करने और संपत्ति का उपयोग करने या बेचने के लिए पर्याप्त संसाधन हैं।

2.13 परिसम्पत्तियों की हानि (वित्तीय परिसम्पत्तियों के अलावा)

प्रत्येक प्रतिवेदन की अवधि के बाद समूह आंकलन करता है कि क्या ऐसा इंगित हुआ है कि किसी परिसम्पत्ति में कोई हानि हुई है या नहीं। यदि ऐसा कोई इंगित मिलता है, तो समूह उस परिसम्पत्ति से बिक्री से उगाही-योग्य रकम का आंकलन करती है। यदि उस परिसम्पत्ति से बिक्री से उगाही-योग्य रकम उसकी राजस्व उत्पन्न करने की क्षमता से अधिक हो और बिक्री के समय व्ययों के बाद भी सही मूल्य प्राप्त हो, जब तक कि वह परिसम्पत्ति अन्य परिसम्पत्तियों एवं समूहों से अलग, स्वतंत्र तरीके से पर्याप्त राजस्व अर्जन नहीं करे, जिसके लिए उगाही-योग्य रकम के बारे में उस राजस्व-अर्जन करने वाली इकाई के बारे में विचार किया जाता है, जिसकी वो परिसम्पत्ति हो। हानि के परीक्षण के मामले में समूह प्रत्येक खान को अलग-अलग राजस्व-अर्जन इकाई मानती है।

यदि किसी परिसम्पत्ति की उगाही-योग्य रकम धारित रकम से कम आकलित हो, तो उगाही-योग्य रकम को कम कर धारित रकम के बराबर कर दिया जाता है तथा हानि को लाभ एवं हानि विवरण में प्रदर्शित किया जाता है।

2.14 सम्पत्ति निवेश

ऐसी सम्पत्ति (भूमि या भवन या फिर भवन का एक अंश या दोनों), जिसे किराया अर्जित करने या पूँजी में वृद्धि करने के लिए रखा गया हो, या फिर दोनों बजह से, ना कि उत्पादन करने या सामग्री की आपूर्ति करने या फिर प्रशासनिक उपयोग के लिए; या फिर सामान्य व्यवसाय के क्रम में बिक्री किए जाने के लिए, उसे निवेश सम्पत्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

सम्पत्ति निवेश को ग्राथिक स्तर पर इसके मूल्य, संबंधित लेनदेन के व्ययों सहित व जहाँ भी प्रयोग्य हो, ऋण मूल्यों सहित मूल्यांकन किया जाता है।

सम्पत्तियों के निवेश पर मूल्यहास उनके उपयोगी जीवनकाल हेतु सीधी रेखा विधि से किया जाता है।

2.15 वित्तीय साधन

कोई वित्तीय साधन एक ऐसा अनुबंध होता है जो कि एक ओर किसी एक इकाई की वित्तीय परिसम्पत्ति को जन्म देता है तथा दूसरी ओर

किसी दूसरी इकाई की वित्तीय दायित्व या इकिटी प्रतिभूति की भी सृष्टि करता है।

2.15.1 वित्तीय परिसम्पत्तियाँ

2.15.1 प्रारम्भिक स्वीकृति एवं माप

सभी वित्तीय परिसम्पत्तियों को सर्वप्रथम उचित मूल्य पर स्वीकृति दी जाती है, विशेष कर उन मामलों में जहाँ वित्तीय परिसम्पत्तियों को लाभ या हानि, साथ में उसके अधिग्रहण के क्रम में लेनदेन के लिए किए गए मूल्यों सहित, उचित मूल्य पर नहीं लिखा गया हो। जिन मामलों में बाजार में (नियमित व्यापारिक तरीके से) निर्धारित प्रथा या नियम के अनुसार किसी निर्धारित अवधि में परिसम्पत्ति की डिलीवरी की जानी हो, उसके लिए वित्तीय सम्पत्ति के क्रय या विक्रय को व्यापार की तिथि पर स्वीकृति देती है, अर्थात् - वह तिथि जब समूह उस सम्पत्ति के क्रय या विक्रय करने का निर्णय लेता है। हालाँकि, व्यापार प्राप्त जिनमें कोई महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक नहीं होता है, उन्हें लेनदेन मूल्य पर मापा जाता है।

2.15.2 आगामी माप

आगामी माप के उद्देश्य हेतु, वित्तीय परिसम्पत्तियों को चार वर्गों में वर्गीकृत किया गया है :

- ऋणमुक्ति मूल्य पर ऋण प्रतिभूतियाँ
- अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर ऋण प्रतिभूतियाँ (एफवीटीओसीआई)
- लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर ऋण प्रतिभूतियाँ, डेराइवेटिव्स एवं इकिटी प्रतिभूतियाँ (एफवीटीपीएल)
- अन्य व्यापक आय के अलावा उचित मूल्य पर नापी गई ऋण प्रतिभूतियाँ (एफवीटीओसीआई)

2.15.2.1 ऋणमुक्त मूल्य पर ऋण प्रतिभूतियाँ

किसी 'ऋण प्रतिभूति' को ऋणमुक्त मूल्य पर तब मापाजाता है, जब निम्नलिखित दोनों शर्तों की पूर्ति हो:

- क) उस परिसम्पत्ति को एक व्यावसायिक मॉडल में रखा गया हो, जिसका उद्देश्य अनुबंधीय नकद प्रवाह को एकत्रित करना है, तथा
- ख) परिसम्पत्तीय की अनुबंधीय शर्तें निर्दिष्ट तिथियों पर लागू होती हों, जो कि केवल बकाया मूलधन के भुगतान हेतु आंशिक मूल एवं व्याज के भुगतान (एसपीपीआई) से संबंधित हों।

प्रारम्भिक नाप के बाद, ऐसी वित्तीय परिसम्पत्तियों को इसके बाद ऋणमुक्त मूल्य पर प्रभावी व्याज दर (ईआईआर) विधि से नापा जाता है। ऋणमुक्त मूल्य की गणना अधिग्रहण हेतु प्राप्त किसी छूट या प्रीमियम

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

एवं ईआईएल के अट्रूट अंग के तौर पर प्रयोग शुल्क या मूल्य को ध्यान में रख कर किया जाता है। ईआईआर क्रणमुक्ति को लाभ एवं हानि विवरण में वित्तीय आय में जोड़ा जाता है। अलगाव से होने वाली हानि को लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृति दी जाती है।

2.15.2.2 एफवीटीओसीआई पर ऋण प्रतिभूति

एफवीटीओसीआई पर किसी झक्कण प्रतिभूतिफको तब वर्गीकृत किया जाता है, जब निम्नलिखित दोनों शर्तों की पूर्ति हो :

- क) व्यावसायिक मॉडल की पूर्ति, अनुबंधीय नकद प्रवाह एकत्रीकरण तथा वित्तीय परिसम्पत्ति की बिक्री, दोनों द्वारा होती हो, तथा
- ख) परिसम्पत्ति का अनुबंधीय नकद प्रवाह एसपीआई का प्रतिनिधित्व करता हो।

एफवीटीओसीआई वर्ग में शामिल ऋण प्रतिभूतियों की नाप प्रारम्भ में तथा प्रत्येक प्रतिवेदन तिथि पर उचित मूल्य पर की जाती है। उचित मूल्यों का चलन अन्य व्यापक आयों (ओसीआई) में स्वीकृत होता है। पर, समूह ब्याज की आय, विलगन हानि एवं वापसी तथा विदेशी मुद्रा विनिमय से हुए लाभ या हानि को लाभ एवं हानि विवरण में दर्शाता है। परिसम्पत्ति की अस्वीकृति होने पर, अन्य व्यापक आयों में पहले स्वीकृत एकत्रित लाभ या हानि को लाभ एवं हानि विवरण में पुनः श्रेणीकृत किया जाता है। एफवीटीओसीआई ऋण प्रतिभूति रखने के कारण अर्जित ब्याज को ईआईआर विधि के प्रयोग के द्वारा ब्याज की आय के रूप में प्रदर्शित किया जाता है।

2.15.2.3 एफवीटीपीएलपर ऋण प्रतिभूति

एफवीटीपीएल ऋण प्रतिभूतियों का अंतशेष वर्ग है। कोई भी ऋण प्रतिभूति, जो कि श्रेणीकरण की शर्तों को ऋणमुक्त मूल्य या एफवीटीओसीआई के रूप में पूरा नहीं करती हो, उसे पुनः एफवीटीपीएलमें श्रेणीकृत किया जाता है।

इसके साथ ही, समूह किसी ऋण प्रतिभूति को, जो कि ऋणमुक्त मूल्य या एफवीटीओसीआई होने की शर्तों के अनुसार हों, उन्हें एफवीटीपीएलमें होने की निर्धारित करने का चुनाव कर सकती है। पर, ऐसा चुनाव की स्वीकृति तभी दी जाती है, जबकि ऐसा करने से किसी नाप या स्वीकृति में विसंगति (जिसे झग्खातालेखन में बेमेलफ कहा जाता है) को कम या समाप्त किया जा सके। समूह ने किसी ऋण प्रतिभूति को एफवीटीपीएल में निर्धारित नहीं किया है।

एफवीटीपीएल श्रेणी में समाहित ऋण प्रतिभूतियों की नाप लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृत सभी शुल्कों सहित उचित मूल्य पर की जाती है।

2.15.2.4 अनुषंगियों, सहयोगियों एवं संयुक्त उद्यमों में इकिटी निवेश

इण्ड एएस 101 (इण्ड एसआई की प्रथम बार स्वीकृति) के अनुपालनानुसार, इन निवेशों की अग्रेषित रकमों को पहले के जीएपीके अनुसार, बदलाव की तिथि पर समझी गई लागत माना जाता था। इसी तरह से अनुषंगियों, सहयोगियों एवं संयुक्त उद्यमों में इकिटी निवेश को लागत पर नापा जाता है।

समेकित वित्तीय विवरण के मामले में, एसोस्ट्रस और संयुक्त उद्यमों में इकिटी निवेश का खातालेखन इण्ड एएस 28 के पैरा 10 में निर्धारित इकिटी विधि से किया जाएगा।

2.15.2.5 अन्य इकिटी निवेश

इण्ड एएस 109 के दायरे में सभी इकिटी निवेशों को उचित मूल्य पर लाभ या हानि द्वारा मापा जाता है।

अन्य सभी इकिटीविलेखों के लिए, समूह एक ऐसा चुनाव कर सकती है जिससे इसे अन्य समेकित आय में सही मूल्य पर परिवर्तित कर दर्शाया जा सके। समूह ऐसा चुनाव विलेख-दर-विलेख के आधार पर करती है। इसका वर्गीकरण प्रारम्भिक स्वीकृति के आधार पर किया जाता है तथा यह गैर-वापसी योग्य होता है।

एफवीटीओसीआई में वर्गीकृत इकिटी प्रतिभूति के सभी उचित मूल्य परिवर्तन ओसीआई में मान्य किए जाते हैं। लाभ और हानि के विवरण में उचित मूल्य लाभ और हानि का बाद में कोई पुनर्वर्गीकरण नहीं किया जाता है। हालांकि, समूह संचयी लाभ या हानि को इकिटी में स्थानांतरित कर सकता है। जब समूह का भुगतान प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो जाता है, तो ऐसे निवेशों से प्राप्त लाभांश को लाभ और हानि के विवरण में अन्य आय के रूप में मान्यता दी जाती है।

एफवीटीपीएल श्रेणी में शामिल इकिटी प्रतिभूतियों को पी एंड एल में मान्य सभी परिवर्तनों के साथ उचित मूल्य पर मापा जाता है।

2.15.2.6 अस्वीकरण

कोई वित्तीय परिसम्पत्ति (या, जहाँ भी प्रयोग्य हो, वित्तीय परिसम्पत्ति का एक अंश या इसी प्रकार की वित्तीय परिसम्पत्ति के समूह का एक अंश) प्राथमिक रूप से तब अस्वीकृत होता है (अर्थात् - तुलन-पत्र से हटाया जाता है) जब -

- परिसम्पत्तियों से नकद प्रवाह प्राप्ति का अधिकार समाप्त हो गया हो, अथवा
- समूह ने परिसम्पत्तियों से नकद प्रवाह का अधिकार हस्तांतरित कर दिया हो अथवा इससे प्राप्त नकद प्रवाह को किसी थर्ड पार्टी को पास-थू व्यवस्था के तहत देने का दायित्व ग्रहण

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

किया हो तथा या फिर (क) समूह ने बड़ी मात्रा में इस परिसम्पत्ति से संबंधित सभी जोखिमों एवं लाभ को हस्तांतरित किया हो, या (ख) समूह ने ना तो बड़ी मात्रा में इस परिसम्पत्ति से संबंधित सभी जोखिमों एवं लाभ को हस्तांतरित किया हो, पर परिसम्पत्ति पर नियंत्रण को हस्तांतरित कर दिया हो।

जब समूह किसी परिसम्पत्ति से नकद प्रवाह के अधिकार को हस्तांतरित करती है अथवा झपास-थ्रूफ्र व्यवस्था पर सहमत होती है, तो यह इस तथ्य का आंकलन करती है कि किस हद तक इसने स्वामित्व के जोखिमों एवं लाभ को पास रखा है। जब समूह ने ना तो बड़ी मात्रा में इस परिसम्पत्ति से संबंधित सभी जोखिमों एवं लाभ को हस्तांतरित किया हो, तथा ना ही इस पर नियंत्रण को हस्तांतरित किया हो, समूह इस हस्तांतरित परिसम्पत्ति को इसके साथ संबंध होने तक स्वीकृति देती रहती है। ऐसे मामले में कम्पनी इससे जुड़े दायित्व को भी स्वीकृति देती है। हस्तांतरित परिसम्पत्ति तथा संबंधित दायित्व का आंकलन ऐसे आधार पर किया जाता है जो कि समूह के अधिकारों एवं दायित्व को दर्शाता है। हस्तांतरित परिसम्पत्ति से निरंतर संबंध बनाए रखने से गारंटी का प्रारूप तैयार हो जाता है, जिसका आंकलन परिसम्पत्ति का मूल अग्रेषित रकम की निम्न मात्रा तथा अधिकतम राशि जो समूह द्वारा प्रदेय हो, उसके अनुसार होता है।

2.15.2.7 वित्तीय परिसम्पत्तियों पर क्षति (उचित मूल्य के अलावा)

इण्ड एएस 109 के अनुसार, समूह अपेक्षित क्रेडिट लॉस (ईसीएल) मॉडल को परिसम्पत्तियों में क्षति के आंकलन एवं स्वीकृति के लिए निम्नलिखित परिसम्पत्तियों तथा जमा (क्रेडिट) जोखिम प्रभाव पर प्रकट करती है :-

- क) वित्तीय परिसम्पत्तियाँ, जो कि क्रण विलेख हैं, तथा परिशोधित लागत पर आंकी जाती हैं, जैसे कि - क्रण, क्रण प्रतिभूतियाँ, जमा, व्यावसायिक प्राप्य एवं बैंक शेष।
- ख) वित्तीय परिसम्पत्तियाँ, जो कि क्रण विलेख हैं तथा एफकीटीओसीआई के तौर पर आंके जाते हैं।
- ग) इण्ड एएस 116 के तहत प्राप्य पट्टे।
- घ) नकद अथवा अन्य वित्तीय परिसम्पत्ति प्राप्ति हेतु व्यावसायिक प्राप्य अथवा कोई अन्य संविदात्मक अधिकार, जो कि इण्ड एएस 115 के तहत लेनदेन के द्वारा फलित होते हों।

समूह द्वारा क्षति हानि की स्वीकृति हेतु निम्नलिखित सहज पद्धति अपनाई जाती है :

- व्यावसायिक प्राप्य अथवा संविदात्मक राजस्व प्राप्य; तथा

- इण्ड एएस 116 के तहत लेनदेन से जनित सभी प्राप्य पट्टे।

सहज पद्धति का प्रयोग करने हेतु समूह को क्रेडिट जोखिम के लिए तरीका बदलना नहीं पड़ता है। बल्कि, यह जीवन भर के ईसीएलों पर आधारित क्षति से हानि के प्रावधान को स्वीकृति प्रत्येक प्रतिवेदन तिथि पर, इसके प्राथमिक स्वीकृति से ही दिया करती है।

2.15.3 आर्थिक देयताएं

2.15.3.1 प्रारंभिक मान्यता और माप

समूह की आर्थिक देयताओं में व्यावसायिक तथा अन्य देय, क्रण तथा बैंक ओवरड्राफ्ट सहित उधारी होती है।

सभी आर्थिक देयताओं को प्रारंभिक स्तर पर उचित मूल्य पर तथा, क्रण एवं उधारी तथा देय के मामलों में, प्रत्यक्ष देय लेनदेन की लागतों को घटा कर नापा जाता है।

2.15.3.2 अनुवर्ती माप

आर्थिक देयताओं की माप इसके वर्गीकरण पर निर्भर होती है, जैसा कि नीचे वर्णित है :

2.15.3.3 लाभ एवं हानि द्वारा उचित मूल्य पर आर्थिक देयताएं

लाभ एवं हानि द्वारा उचित मूल्य पर आर्थिक देयताओं के तहत वो आर्थिक देयताएं भी होती हैं जिन्हें व्यापार करने हेतु रखा जाता है तथा लाभ अथवा हानि के द्वारा उचित मूल्य पर प्राथमिक स्वीकृति के बाद रखी गई आर्थिक देयताएं होती हैं। आर्थिक देयताओं को इस प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है कि उनकी प्रकृति ऐसी होती है कि उन्हें तात्कालिक भविष्य में पुनः क्रय के लिए रखा जाता है। इस वर्ग में समूह द्वारा लिए गए व्युत्पन्न वित्तीय साधन होते हैं, जिन्हें एएस 109 द्वारा परिभाषित हेजिंग (बचाव उपाय) के संबंधों में हेजिंग साधन के तौर पर नहीं स्वीकृत होते हैं। अलग किए गए अंतर्निहित व्युत्पन्नों को भी व्यापार के लिए वर्गीकृत किया जाता है, यदि वे प्रभावी हेजिंग साधन के तौर पर परिभाषित ना हों तो।

व्यापार के लिए रखी गई देयताओं से लाभ या हानि को लाभ या हानि के तौर पर स्वीकृत किया जाता है।

2.15.3.4 परिशोधित लागत पर आर्थिक देयताएं

प्रारंभिक स्वीकृति के बाद, इन्हें परिशोधित लागत पर प्रभावी व्याज दर विधि से नापा जाता है। लाभ एवं हानियों को लाभ अथवा हानि के तौर पर तभी माना जाता है, जब देयताओं को अस्वीकृत कर दिया जाता है, साथ ही में प्रभावी व्याज दर परिशोधन

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

विधि का प्रयोग भी किया जाता है। परिशोधित लागत का आंकलन अधिग्रहण के समय लगे किसी डिस्काउंट अथवा प्रीमियम एवं शुल्कों व लागतों, जो कि प्रभावी ब्याज दर के अभिन्न अंग हैं, पर भी विचार किया जाता है। प्रभावी ब्याज दर परिशोधन को वित्तीय लागत के तौर पर लाभ एवं हानि के विवरण में समाहित किया जाता है।

2.15.3.5 अस्वीकृति

कोई आर्थिक देयता तभी अस्वीकृत होती है, जब देयता के तहत दायित्व पूरा हो जाए अथवा खारिज हो जाए या फिर इसकी अवधि समाप्त हो जाए। जब कोई वर्तमान आर्थिक देयता किसी दूसरे रूप में उसे ऋणदाता से बहुत अलग प्रकार की शर्तों पर पुनः लागू हो, या फिर वर्तमान की देयता की शर्तें बृहत रूप से संशोधित हो जाएं, तो इस प्रकार के बदलाव या संशोधन को मूल देयता की अस्वीकृति तथा नई देयता की स्वीकृति माना जाएगा। किसी आर्थिक देयता (अथवा आर्थिक देयता के एक अंश) की समाप्ति अथवा किसी दूसरे को हस्तांतरित किए जाने के बाद तथा इसकी एवज में भुगतान की प्राप्ति के बाद, किसी भी गैर-नकद परिसम्पत्ति के हस्तांतरण अथवा अधिगृहित देयताओं सहित, इसकी अग्रेषित रकम व प्राप्ति की रकम के बीच के अंतर को लाभ अथवा हानि माना जाएगा।

2.15.4 वित्तीय परिसंपत्तियों का पुनःवर्गीकरण

प्रारंभिक स्वीकृति के समय समूह वित्तीय परिसम्पत्तियों व देयताओं के वर्गीकरण को निर्धारित करती है। प्रारंभिक स्वीकृति के बाद, इकट्ठी विलेख एवं आर्थिक देयता के प्रकार की किसी वित्तीय परिसम्पत्तियों का पुनः वर्गीकरण नहीं किया जाता है। ऋण विलेख प्रकार की वित्तीय परिसम्पत्तियों के लिए, पुनः वर्गीकरण तभी किया जाता है जब इन परिसम्पत्तियों के प्रबंधन के लिए व्यावसायिक माडल में परिवर्तन हो। व्यावसायिक माडल में परिवर्तन बहुत कम बार किए जाने की आशा की जाती है। समूह का वरिष्ठ प्रबंधन, समूह की प्रचालन गतिविधियों में बड़े स्तर पर प्रभाव डालने वाले किसी आंतरिक अथवा बाहरी परिवर्तन के कारण व्यावसायिक माडल में परिवर्तन का निर्धारण करता है। ऐसे परिवर्तन बाहरी पार्टियों को दिखाई देते हैं। व्यावसायिक माडल में परिवर्तन तभी होता है जबकि कोई समूह प्रारम्भ हो अथवा अपना कोई ऐसी गतिविधि बंद करे, जिसका उसके निष्पादन पर बड़ा प्रभाव पड़ता हो। यदि समूह अपनी परिसम्पत्तियों का पुनः वर्गीकरण करे, तो यह पुनः वर्गीकरण उसी तिथि से प्रभावी होगा जब पुनः वर्गीकरण किया गया था, जो कि व्यावसायिक माडल में परिवर्तन के ठीक बाद की प्रतिवेदन अवधि का पहला दिन होगा। समूह किसी भी पहले स्वीकृत लाभ, हानि (क्षति के कारण हुए लाभ अथवा हानि सहित) अथवा ब्याज का पुनः विवरण नहीं देती है।

निम्नलिखित सारणी में विभिन्न प्रकार के पुनः वर्गीकरण तथा उन्हें लेखाबद्ध करने के कारण दर्शाए गए हैं-

मूल वर्गीकरण	पुनः वर्गीकरण	लेखांकन उपचार
परिशोधित लागत	एफवीटीपीएल	पुनः वर्गीकरण की तिथि पर उचित मूल्य नापा जाता है। पूर्व परिशोधन लागत तथा उचित मूल्य के बीच के अंतर को लाभ एवं हानि में स्वीकृत किया जाता है।
एफवीटीपीएल	परिशोधित लागत	पुनः वर्गीकरण की तिथि पर इसका उचित मूल्य इसकी कुल अग्रेषित रकम बन जाती है। ईआईआर की गणना नई कुल वहन राशि के आधार पर की जाती है।
परिशोधित लागत	एफवीटीओसीआई	पुनः वर्गीकरण की तिथि पर उचित मूल्य मापा जाता है। पूर्व परिशोधन लागत तथा उचित मूल्य के बीच के अंतर को ओसीआई में स्वीकृत किया जाता है। पुनः वर्गीकरण के कारण ईआईआर में कोई परिवर्तन होता है।
एफवीटीओसीआई	परिशोधित लागत	पुनः वर्गीकरण की तिथि पर इसका उचित मूल्य इसकी कुल वहन राशि बन जाती है। पर, ओसीआई में एकत्रित लाभ अथवा हानि को सही मूल्य के साथ समायोजित किया जाता है। इसके फलस्वरूप, परिसम्पत्ति का आंकलन इस प्रकार किया। जाता है कि इसे सदैव परिशोधित लागतपर ही आंका गया था।
एफवीटीपीएल	एफवीटीओसीआई	पुनः वर्गीकरण की तिथि पर इसका उचित मूल्य इसकी कुल वहन राशि बन जाती है। कोई अन्य समायोजन आवश्यक नहीं।
एफवीटीओसीआई	एफवीटीपीएल	परिसम्पत्तियों को उचित मूल्य पर आंका जाता है। ओसीआई में स्वीकृत एकत्रित हानि अथवा लाभ को पुनः वर्गीकरण की तिथि पर लाभ एवं हानि विवरण पहले में पुनः वर्गीकृत किया जाता है।

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

2.15.5 वित्तीय साधनों की पूर्ति (ऑफसेटिंग)

वित्तीय परिसम्पत्तियों एवं वित्तीय दायित्वों को पूरा किया जाता है तथा शुद्ध रकम को समेकित तुलन-पत्र में प्रतिवेदित किया जाता है, यदि कोई इस प्रकार का प्रभावी कानूनी अधिकार हो जिससे स्वीकृत रकमों को पूरा किया जा सके तथा इसे शुद्ध आधार पर निपटारा करने की मंशा हो, ताकि एक साथ परिसम्पत्तियों की प्राप्ति व देयताओं का निपटारा किया जा सके।

2.15.6 नकद और नकद समतुल्य

तुलन पत्र में नकदी और नकद समकक्ष में बैंकों तथा हाथों की नकदी एवं तीन महीने या उससे कम की मूल परिपक्तता वाले अल्पकालिक जमा शामिल हैं, जो मूल्य में परिवर्तन के महत्वहीन जोखिम के अधीन हैं। नकद प्रवाह के समेकित विवरण के प्रयोजन हेतु, नकद और नकद समकक्षों में ऊपर परिभाषित अनुसार नकदी और अल्पकालिक जमा शामिल हैं, शुद्ध बकाया बैंक ओवरड्राफ्ट, इन्हें कंपनी के नकद प्रबंधन का एक अभिन्न हिस्सा माना जाता है।

2.16. उधार लागत

उधारी की लागत को तब और उसी तरह से दर्शाया जाता है जब वो होते हैं, मगर तब नहीं जब कि वे किसी स्वीकृति योग्य परिसंपत्ति के अधिग्रहण, निर्माण अथवा उत्पादन से सीधे संबंधित हों, जैसे कि - वो परिसम्पत्तियाँ जिन्हें उनके प्रयोग के उद्देश्य के अनुसार निर्मित होने में अधिकतम समय लगे। ऐसे मामलों में उन्हें प्रयोग होने लायक तैयार हो जाने की तिथि पर उन स्वीकृति योग्य परिसम्पत्तियों की लागत के मंशानुसार पूँजीगत किया जाता है।

2.17 कर-प्रणाली

आयकर व्यय, वर्तमान में देय कर और आस्थगित कर के योग को प्रदर्शित करता है।

वर्तमान कर आयकर की वह देय राशि (पुनर्प्राप्य) है, जो कि किसी अवधि हेतु कर-योग्य लाभ (कर हानि) होता है। कर-योग्य लाभ, लाभ एवं हानि विवरण तथा अन्य समेकित आय में प्रतिवेदित झङ्खकर पूर्व लाभफक से अलग प्रकार का होता है, क्योंकि इसके तहत वो

आय अथवा व्यय के मद नहीं होते हैं, जो पहले के वर्षों में कर-योग्य अथवा काटे जाने लायक थे, तथा इनके साथ ही वो मद भी होते हैं जो कि कभी भी कर-योग्य अथवा कटौती योग्य राशि होते हैं। वर्तमान कर-देयता के प्रति समूह की देयता का आंकलन उन कर-दरों के प्रयोग द्वारा किया जाता है, जिन्हें प्रतिवेदन की अवधि के अंत में क्रियान्वित अथवा बड़े अंश में क्रियान्वित किया गया हो।

आस्थगित कर देयताएँ सामान्यतया सभी कर-योग्य अस्थायी असमानता के तौर पर मान्य होती हैं। आस्थगित कर परिसम्पत्तियाँ सामान्यतया उन सभी कटौती योग्य अस्थायी असमानता पर तब तक चिह्नित होती हैं, जब तक कि उन सम्भाव्य कर-योग्य लाभों में हो जिनसे उन कटौती योग्य अस्थायी असमानताओं से लाभ लिया जा सके। ऐसी परिसम्पत्तियाँ एवं देयताएँ तब तक नहीं मान्य होती हैं, जब तक कि अस्थायी असमानता, जो कि किसी अन्य परिसम्पत्तियों एवं देयताओं के किसी ऐसे लेनदेन से संबंधित हों, जिससे ना तो कर-योग्य लाभ अथवा खातालेखन लाभ होता हो, तथा इनके द्वारा साख अथवा प्रारम्भिक स्वीकृति (किसी व्यावसायिक मिश्रण के अलावा) से उत्पन्न हो।

आस्थगित कर-देयताएँ अनुषंगियों तथा सहायकों में निवेश से संबंधित कर-योग्य अस्थायी असमानताओं के तौर पर चिह्नित होती हैं, केवल तब नहीं जबकि समूह अस्थायी असमानता को पलटने लायक नियंत्रण की स्थिति में हो तथा यह सम्भाव्य हो कि अस्थायी असमानता निकट भविष्य में पलटेगी नहीं। ऐसे निवेशों एवं ब्याज से संबंधित काटे जाने लायक अस्थायी असमानताओं से उत्पन्न आस्थगित कर परिसम्पत्तियाँ केवल उसी हद तक स्वीकृत होती हैं, जबकि यह सम्भावना हो कि पर्याप्त कर-योग्य लाभ होंगे जो अस्थायी असमानताओं के समायोजन हेतु लाभकारी होंगे।

आस्थगित कर परिसम्पत्तियों की वहन राशि पर प्रत्येक प्रतिवेदन अवधि के अंत में समीक्षा की जाती है तथा इस हद तक घटाया जाता है कि यह सम्भव नहीं हो कि किसी परिसम्पत्ति की पूर्ण अथवा आंशिक प्राप्ति हेतु पर्याप्त कर-योग्य लाभ उपलब्ध हों। प्रत्येक प्रतिवेदन वर्ष के अंत में अस्वीकृत आस्थगित कर परिसम्पत्तियों का पुनर्अंकलन होता है तथा उन्हें उस हद तक स्वीकृत किया जाता है। कि यह सम्भावना हो जाए कि आस्थगित कर परिसम्पत्ति की पूर्ण अथवा आंशिक प्राप्ति हेतु पर्याप्त कर-योग्य लाभ उपलब्ध हों।

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

आस्थगित कर परिसम्पत्तियों एवं देयताओं का आंकलन उस अवधि में सम्भावित प्रयोग कर-दर पर, कर-दर (तथा कर के कानूनों), जो कि प्रतिवेदन की अवधि के अंत तक लागू अथवा काफी हद तक लागू किए गए हों, के अनुसार किया जाता है, जिसके दौरान उस देयता का समाधान अथवा परिसम्पत्ति की पुनर्प्राप्ति होती है।

आस्थगित कर देनदारियों और परिसंपत्तियों का माप उन कर परिणामों को दर्शाता है जो उस तरीके से होंगे, जिसमें समूह रिपोर्टिंग अवधि के अंत में, अपनी परिसंपत्तियों और देनदारियों की अग्रणीत राशि की वसूली या निपटान की अपेक्षा करता है।

लाभ या हानि में वर्तमान एवं आस्थगित कर को मान्य किया जाता है, केवल तब नहीं जबकि वे उन मदों से संबंधित हों जो कि अन्य समेकित आय अथवा सीधे इकट्ठी से संबंधित हों। ऐसे मामलों में वर्तमान एवं आस्थगित कर भी अन्य समेकित आय अथवा इकट्ठी में यथानुसार प्रदर्शित किए जाते हैं। जब वर्तमान कर अथवा आस्थगित कर किसी व्यावसायिक मिश्रण के प्रारम्भिक खाता लेखन से उत्पन्न हों, तो कर का प्रभाव व्यावसायिक मिश्रण के खाता-लेखन में समाहित किया जाता है।

आस्थगित आयकर परिसंपत्तियों और देनदारियों की भरपाई तब की जाती है जब वर्तमान कर देनदारियों के विरुद्ध वर्तमान कर परिसंपत्तियों की भरपाई करने का कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार प्राप्त होता है, और जब आस्थगित आयकर परिसंपत्तियाँ और देनदारियाँ एक ही कराधान प्राधिकरण द्वारा कर योग्य इकाई या विभिन्न कर योग्य संस्थाओं पर लगाए गए आयकर से संबंधित होती हैं, जहां निवल आधार पर शेष राशि का निपटान करने का झरादा होता है।

2.18 कर्मचारी हितलाभ

2.18.1 अन्यावधि हितलाभ

अल्पकालिक कर्मचारी लाभ कर्मचारी लाभ हैं (समाप्ति लाभों के अलावा) जिनका वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि, जिसमें कर्मचारी संबंधित सेवा प्रदान करते हैं, की समाप्ति के बाद बारह महीने से पहले पूरी तरह से निपटान होने की उम्मीद है।

सभी अल्पकालिक कर्मचारी लाभ उस अवधि में मान्य किए जाते हैं जिसमें कर्मचारियों द्वारा सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

2.18.2 सेवानिवृत्ति उपरान्त हित लाभ तथा अन्य दीर्घावधि कर्मचारी हितलाभ

2.18.2.1 परिभाषित अंशदान योजनाएँ

एक परिभाषित अंशदान योजना भविष्य निधि एवं पेंशन की एक सेवानिवृत्ति उपरान्त हितलाभ योजना है, जिसके तहत समूह कोष में निर्धारित अंशदान करती है, जिसका

एक अलग सांविधिक द्वारा रखरखाव किया है, जिसे एक कानून के क्रियान्वयन के तहत किया गया है तथा समूह के लिए कोई भी और अधिक राशि भुगतान करने हेतु कोई कानूनी अथवा सूजनात्मक बाध्यता नहीं है। परिभाषित अंशदान योजनाओं में अंशदान की बाध्यताओं को कर्मचारी हितलाभ व्यय के तौर पर लाभ एवं हानि विवरण में उस अवधि के लिए दर्शाया जाता है जब कर्मचारी द्वारा सेवाएं प्रदान की गई हो।

2.18.2.2 परिभाषित हितलाभ योजनाएँ

परिभाषित हितलाभ योजनाएँ एक सेवानिवृत्ति उपरान्त हितलाभ योजना है, जो कि परिभाषित अंशदान योजना के अलावा अन्य है। परिभाषित लाभ योजनाओं के संबंध में समूह के शुद्ध दायित्व की गणना कर्मचारियों द्वारा वर्तमान और पूर्व अवधि में उनकी सेवा के बदले अर्जित भविष्य के लाभ की मात्रा का अनुमान लगाकर की जाती है। इस हितलाभ को इसके वर्तमान मूल्य को जानने के लिए डिस्काउन्ट किया जाता है तथा नियोजित परिसम्पत्तियों के सही मूल्य, यदि कोई हो तो, में से घटाया जाता है। डिस्काउन्ट की दरें प्रतिवेदन की तिथि पर भारत सरकार की प्रतिभूतियों की बाजारी दरों पर आधारित होती है, क्योंकि उक्त रिपोर्टिंग तिथि में परिषक्ता तिथि होती है जो कंपनी के दायित्वों के अनुसार होती है और इसे उसी मुद्रा में दर्शाया जाता है जिसमें लाभ का भुगतान करने की उम्मीद की जाती है।

बीमांकिक मूल्यांकन के प्रयोग में डिस्काउन्ट दर, परिसम्पत्तियों से लाभ, भविष्य में वेतन वृद्धि, मृत्यु आदि के बारे में कल्पनाएँ की जाती हैं। इन योजना के दीर्घावधि प्रकार के होने के कारण, ऐसी कल्पना में कुछ अनिश्चितता रहती है। यह गणना प्रत्येक तुलनपत्र पर एक जीवनांकक द्वारा इकाई क्रेडिट विधि द्वारा की जाती है। जब इस गणना का परिणाम कम्पनी के हित में हो, तो स्वीकृत परिसम्पत्ति उपलब्ध आर्थिक लाभों तक ही सीमित रहती है, जो कि इस योजना से भविष्य में किसी प्रकार के प्राप्य अथवा योजन अंशदान में कमी के तौर पर हों। समूह को आर्थिक लाभ जब होता है, यदि वह योजना की अवधि के दौरान प्राप्त हो सके, अथवा योजना की देयताओं का निपटान किया जा सके।

शुद्ध हितलाभ देयता का पुनर्आंकलन, जिसके तहत नियोजित परिसम्पत्ति (ब्याज के अलावा) से लाभ तथा परिसम्पत्ति सीमा तथा परिसम्पत्ति सीमा (यदि हो, ब्याज के अलावा) के प्रभाव को बीमांकित लाभ आय को तत्काल अन्य समेकित आय के तहत किया जाता है। समूह द्वारा डिस्काउन्ट प्रयोग से शुद्ध परिभाषित बाध्यता के आंकलनहेत वार्षिक अवधि के प्रारम्भ

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

में तब की शुद्ध परिभाषित हितलाभ देयता (परिसम्पत्ति) के अनुसार, अवधि के लिए शुद्ध परिभाषित हितलाभ देयता (परिसम्पत्ति) के अनुसार, इस अवधि में इस मद में अंशदान तथा हितलाभों के भुगतान के कारण हुए किसी भी प्रकार के परिवर्तन के आधार पर शुद्ध ब्याज व्यय (आय) को निर्धारित किया जाता है। परिभाषित हितलाभ योजनाओं से संबंधित शुद्ध ब्याज व्यय को लाभ एवं हानि विवरण में मान्य किया जाता है।

जब योजना के हितलाभ में सुधार होते हैं, तो कर्मचारी की पूर्व सेवा से संबंधित हितलाभ का अंश तत्काल व्यय के तौर पर लाभ एवं हानि विवरण में मान्य किया जाता है।

2.18.3 अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ

अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ में अल्पकालिक कर्मचारी लाभ, सेवानिवृत्ति पश्चात लाभ तथा सेवामुक्ति लाभ के अलावा सभी कर्मचारी लाभ शामिल हैं।

अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभों में वे मद शामिल हैं जिनका वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि, जिसमें कर्मचारी संबंधित सेवा प्रदान करते हैं, जिनकी समाप्ति के बाद बाहर महीने से पहले पूरी तरह से निपटान की उम्मीद नहीं है।

अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभों के लिए, निम्नलिखित राशियों का कुल योग लाभ या हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त है:

- (क) सेवा लागत
- (ख) शुद्ध परिभाषित लाभ देयता (परिसम्पत्ति) पर शुद्ध ब्याज
- (ग) शुद्ध परिभाषित लाभ दायित्व (संपत्ति) का पुनः माप

2.19 विदेशी मुद्रा

विदेशी मुद्राओं में लेनदेन को उस तिथि की प्रचलित विनिमय दर के अनुसार समूह की प्रतिवेदित मुद्रा में परिवर्तित किया जाता है। रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बकाया विदेशी मुद्रा में मौद्रिक संपत्ति और देनदारियां विदेशी मुद्राओं में परिवर्तित मौद्रिकपरिसम्पत्तियों एवं प्रतिवेदन की अवधि के अंत में प्रचलित परिवर्तन दरों के अनुसार स्वीकृत किया जाता है। मौद्रिक परिसम्पत्तियों एवं देयताओं के समाधान करने अथवा अवधि के दौरान प्राथमिक स्वीकृति अथवा पूर्वावधि पर दरों के बीच के अंतर को लाभ एवं हानि के तहत उनके घटने की अवधि में प्रदर्शित किया जाता है।

विदेशी मुद्रा में गैर-मौद्रिक मदों का मूल्यांकन लेनदेन की तिथि पर विनिमय दर के अनुसार किया जाता है।

2.20 स्ट्रिपिंग गतिविधि व्यय / समायोजन

खुले खनन के मामलों में, खान की अपशिष्ट सामग्री (ओवरबर्डन), जिसमें कोयले की तह पर की मिट्टी व चट्टानें होती हैं, उन्हें हटा कर ही कोयले को निकाला जा सकता है इस प्रकार की अपशिष्ट निकासी को स्ट्रिपिंग कहा जाता है। खुली खदानों में, समूह को खान की पूर्ण आयु (तकनीकी आंकलन के अनुसार) होने तक इस प्रकार के व्यय करने पड़ते हैं।

अतः एक नीति के तौर पर, एक मिलियन टन तथा इससे अधिक वार्षिक क्षमता वाली खानों में, स्ट्रिपिंग की लागत को प्रत्येक खान में तकनीकी तौर पर मूल्यांकित स्ट्रिपिंग अनुपात (ओबी:कोयला), स्ट्रिपिंग गतिविधि के लिए समुचित समायोजन सहित तथा अनुपात-विचलन खाते में खान के राजस्वीकृत होने के बाद आंकलित किया जाता है।

तुलन-पत्र की तिथि पर स्ट्रिपिंग गतिविधि परिसम्पत्ति तथा अनुपात विचलन से शुद्ध अंतरेष्टों, को स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन के रूप में गैर-चालू प्रावधान / अन्य गैर-चालू परिसम्पत्ति के मद में, मामले के अनुसार प्रदर्शित किया जाता है।

ओवरबर्डन की प्रतिवेदित मात्रा को खातों के अनुसार ओबीआर के अनुपात की गणना के लिए लिखा जाता है, जहाँ प्रतिवेदित मात्रा एवं नापी गई मात्रा के बीच के अंतर को, इन दोनों वैकल्पिक अनुमत सीमाओं में से कम वाले के साथ माना जाता है, जिसका वर्णन निम्नलिखित है :-

खान की वार्षिक ओबीआर मात्रा	अंतर की अनुमत सीमा (%)
1 मिलियन क्यू. मीटर से कम	+/- 5%
1 व 5 मिलियन क्यू. मीटर के बीच	+/- 3%
5 मिलियन क्यू. मीटर से अधिक	+/- 2%

यद्यपि, जहाँ अंतर उपरोक्त अनुमत सीमाओं से अधिक हो, तो मापी गई मात्रा मानी जाती है।

एक मिलियन टन से कम दर पर आंकी गई खानों के मामले में, उपरोक्त नीति नहीं प्रयुक्त होती है तथा वर्ष के दौरान लगी स्ट्रिपिंग गतिविधि की लागत को लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृत किया जाता है।

2.21 भण्डार-सूची

2.21.1 कोयले के भण्डार

कोयला /कोल भण्डार में लागत तथा शुद्ध प्राप्य मूल्य से कम पर प्रदर्शन किया जाता है। भण्डार की लागत की गणना भारित औसत विधि का उपयोग करके की जाती है। शुद्ध प्राप्य मूल्य से भण्डार के आंकलित विक्रय मूल्य में से सभी अनुमानित लागत तथा विक्रय से संबंधित आवश्यक लागत को घटा कर पाए गए मूल्य का तात्पर्य होता है।

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

कोयले के खातानुसार भण्डार को खातों में तब माना जाता है जबकि खातानुसार भण्डार व नापे गए भण्डार के बीच $+/- 5\%$ का अंतर हो तथा जिन मामलों में अंतर $+/- 5\%$ से अधिक हो, तो नापी गई मात्रा ही मानी जाती है। ऐसे भण्डारों का मूल्यांकन उनके शुद्ध प्राप्य मूल्य अथवा लागत, जो भी कम हो, उसके अनुसार माना जाता है। कोक को कोयले के भण्डार का ही एक अंश माना जाता है।

कोयला एवं कोक के फाइन्स का मूल्यांकन उनके शुद्ध प्राप्य मूल्य अथवा लागत, जो भी कम हो, के अनुसार किया जाता है तथा इसे कोयले के भण्डार का ही एक अंश माना जाता है।

स्लरी (कुकिंग/सेमी-कुकिंग), वाशरियों की मिडलिंग तथा सह-उत्पादों का मूल्यांकन शुद्ध प्राप्य मूल्य के अनुसार किया जाता है तथा इसे कोयले के भण्डार का ही एक अंश माना जाता है।

2.21.2 भण्डार एवं पुर्जे

केन्द्रीय एवं क्षेत्रीय भण्डारों में सामग्री एवं पुर्जों के भण्डार (जिनमें खुदरा औजार भी होते हैं) पर उनके मूल्यांकित भण्डार के खातों के अंतर्शेष के अनुसार माना जाता है तथा उनका मूल्यांकन लागत पर भारित औसत विधि से किया जाता है। कोलियरियों/उपभण्डारों/ड्रिलिंगकैम्पों/खपत केन्द्रों के सामग्री एवं पुर्जा भण्डारों को वर्ष के अंत में ही उनके भौतिक परीक्षित भण्डार के अनुसार माना व लागत पर मूल्यांकित किया जाता है।

5 वर्षों तक अप्रचालित सामग्रियों एवं पुर्जों के अनुपयोगी, क्षतिग्रस्त तथा अप्रचालित भण्डारों के लिए 100% की दर पर व पुर्जों पर 50% की दर पर प्रावधान किए जाते हैं।

2.21.3 अन्य भण्डार

कार्यालयों के भण्डारों को चालू-कार्य सहित लागत पर मूल्यांकित किया जाता है। छपाई की सामग्रियों (चालू कार्य सहित) तथा प्रेस की स्टेशनरी तथा केंद्रीय अस्पताल की दवाओं का मूल्यांकन उनकी लागत के अनुसार किया जाता है।

परंतु, स्टेशनरी के भण्डार (प्रेस में पड़ी हुई के अलावा ईंटों, बालू, दवा (केन्द्रीय अस्पताल में पड़ी हुई के अलावा), हवाई जहाज के पुर्जों तथा स्क्रैप को भण्डारों के तहत नहीं माना जाता है, क्योंकि उनका मूल्य अधिक नहीं होता है।

2.22 प्रावधान, आकस्मिक देयताएँ एवं आकस्मिक परिसम्पत्तियाँ

प्रावधान तभी स्वीकृत होते हैं जब समूह के समक्ष वर्तमान देयता (कानूनी अथवा सृजनात्मक) किसी पहले की घटना के कारण उपस्थित हो, तथा इसकी सम्भावना हो कि इसके समाधान के लिए कुछ आर्थिक व्ययों की आवश्यकता होगी तथा ऐसी आर्थिक व्यवस्था

का उचित आंकलन किया जा सकता है। जिन मामलों में संपत्ति का समय महत्व भौतिक हो, वहाँ उस देयता के समाधान हेतु प्रावधानों को अपेक्षित व्यय के वर्तमान मूल्य को दर्शाया जाता है।

सभी प्रावधानों की तुलन-पत्र की तिथि पर समीक्षा की जाती है तथा उन्हें वर्तमान के सर्वोत्तम आंकलन को प्रदर्शित करने हेतु समायोजित किया जाता है।

जिन मामलों में आर्थिक लाभ निकलना सम्भव नहीं हो, अथवा रकम का आंकलन करना सम्भव नहीं हो, उस देयता का आकस्मिक देयता माना जाता है, तब तक कि जब उससे आर्थिक व्यय की सम्भावना दूरस्थ न हो। सम्भावितदेयताएँ, जिनके अस्तित्व के बारे में एक या अधिक कम्पनी के पूर्ण नियंत्रणाधीन नहीं होने वाली भविष्य की घटना के होने या नहीं होने से से पुष्टिकरण होगा, उनके आकस्मिक देयता के तौर पर माना जाएगा, इनको आकस्मिक देयता माना जाएगा, तब तक कि आर्थिक लाभ की सम्भावना दूरस्थ न हो।

आकस्मिक संपत्तियाँ संभावित संपत्तियाँ हैं जो विगत घटनाओं से उत्पन्न होती हैं और जिनके अस्तित्व की पुष्टि केवल एक या एक से अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाओं के घटित होने या न होने से होती है जो पूरी तरह से समूह के नियंत्रण में नहीं हैं। वित्तीय विवरणों में आकस्मिक संपत्तियों का प्रकटीकरण तब किया जाता है जब प्रबंधन के निर्णय के आधार पर आर्थिक लाभ का प्रवाह संभावित हो। यह सुनिश्चित करने के लिए लगातार मूल्यांकन किया जाता है कि विकास वित्तीय विवरणों में उचित रूप से परिलक्षित हो।

2.23 प्रति शेयर आय

मूल प्रति शेयर आय की गणना अवधि के दौरान करोपरान्त शुद्ध लाभ को बकाया इकट्ठी शेयरों के भारित से विभाजित करके की जाती है। प्रति शेयर घटी (डाइल्यूड) आय की गणना करोपरान्त शुद्ध लाभ को प्रति शेयर आय के हकदार इकट्ठी शेयरों के भारित औसत से भाग करके की जाती है तथा उन इकट्ठी शेयरों के भारित औसत से भी जो कि हासित संभावित शेयरों के परिवर्तन द्वारा जारी किए जा सकते थे।

2.24 निर्णय, आंकलन एवं धारणाएँ

इण्ड एस के अनुसार वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति के लिए प्रबंधन को ऐसे निर्णय, आंकलन एवं धारणाएँ करनी होती हैं जो कि वित्तीय विवरणों की तिथि तक की खाता-लेखन नीतियों तथा परिसम्पत्तियों व देयताओं की प्रतिवेदित अवधि के दौरान राजस्व एवं व्ययों की पुष्टि करें। जटिल एवं अधिकरण संबंधी निर्णयों का प्रयोग तथा इन वित्तीय विवरणों में मान्यताओं का प्रयोग स्पष्ट किया जाना चाहिए। अवधिनुसार खाता लेखन आंकलन में परिवर्तन हो सकता है। वास्तविक परिणाम उन आंकलनों से भिन्न हो सकते हैं। आंकलन तथा उनके तहत की मान्यताओं की समीक्षा निरंतर की जाती है।

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

खातालेखन आंकलन में संशोधनों को आंकलन किए जाने की अवधि में स्वीकृति दी जाती है तथा जब सामग्रिक हो, तो इनके प्रभाव को वित्तीय विवरणों में प्रकाशित किया जाता है।

2.24.1 निर्णय

समूह की खाता लेखन नीतियों के क्रियान्वयन के दौरान, प्रबंधन ने निम्नलिखित निर्णय किए हैं, जिहोंने वित्तीय विवरणों में चिह्नित राशियों पर सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है:

2.24.1.1 खातालेखन नीति की सृष्टि

खातालेखन नीति की सृष्टि इस प्रकार से की जाती है कि इनके परिणामस्वरूप वित्तीय विवरणों में सभी लेनदेन, अन्य घटनाओं तथा परिस्थितियों के बारे में महत्वपूर्ण व विश्वसनीय सूचना दी जा सके। इन नीतियों का उन मामलों में प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए जहाँ इनके प्रयोग का कोई भौतिक प्रभाव ना हो।

यदि किसी लेनदेन, अन्य घटना अथवा परिस्थिति के लिए कोई निर्दिष्ट प्रभावी इण्ड एएस उपलब्ध नहीं हो, तो प्रबंधन ने अपने निर्णयानुसार एक खातालेखन नीति विकसित तथा प्रयोग की है जिससे निम्नलिखित सूचनाएँ प्राप्त होती हैं :

क) प्रयोगकर्ताओं की आर्थिक निर्णय करने की आवश्यकताओं से संबंधित, तथा

ख) वित्तीय विवरणों में विश्वसनीयता : तथा

- (i) समूह की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन एवं नकद प्रवाह का निष्पापूर्वक चित्रण; (ii) लेनदेन के आर्थिक तत्व, अन्य घटनाओं एवं परिस्थितियों को दर्शाना, ना कि केवल इनके कानूनी रूप को;
- (iii) निष्पक्ष हों, यानि - पक्षपात से रहीत; (iv) विवेकपूर्ण हों; तथा (v) सामग्रिक तौर पर सभी प्रकार से निरंतरतापूर्वक पूर्ण हों।

निर्णय करते समय प्रबंधन अवरोही क्रम में, निम्नलिखित स्रोतों से संदर्भ तथा इनकी उपयोगिता के बारे में विचार करता है :-

(क) समान एवं संबंधित मामलों पर कार्रवाई हेतु इण्डएएस की आवश्यकताएँ; तथा

(ख) संरचना में परिस्पत्तियों, देयताओं, आय एवं व्ययों की परिभाषाएँ, स्वीकृति की शर्तें तथा नाप के सिद्धांत।

निर्णय करते समय, प्रबंधन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय खाता-लेखन मानदण्ड के वर्तमान की व्याख्याओं पर विचार करता है, जिनके अभाव में इसी प्रकार की मान्यताओं के आधार पर

अन्य खातालेखन मानदण्ड स्थापित करने वाली संस्थाओं, अन्य खाता-लेखन साहित्य तथा उद्योग में मान्य पद्धतियों पर भी इस प्रकार से विचार किया जाता है जिनसे उपरोक्त पैराग्राफ में उद्धृत स्रोतों से किसी प्रकार का मतभेद ना हो।

समूह का प्रचालन खनन क्षेत्र में है (एक ऐसा क्षेत्र, जिसमें खोज, मूल्यांकन, उत्पादन चरणों को विकसित करना विभिन्न स्थालाकृत एवं भूखनन क्षेत्र में है, जो कि दशकों तक चलने वाले पट्टों तथा निरंतर परिवर्तनों पर आधारित होता है), यहाँ खाता-लेखन नीति उद्योग की निर्दिष्ट पद्धतियों के अनुसार विकसित हुई है, जिसे अनुसंधान समितियों से सहायता मिली है तथा कई दशकों से इनके निरंतर प्रयोग किए जाने के कारण विभिन्न नियंत्रकों से अनुमोदन प्राप्त हुए हैं। किसी निर्दिष्ट खातालेखन साहित्य, के अभाव में, कुछ निर्दिष्ट क्षेत्रों में दिशानिर्देश एवं मान दण्ड विकसित हो रहे हैं। समूह अपने खातालेखन नीतियों को खातालेखन साहित्य के विकास के अनुरूप विकसित करने का प्रयास कर रहा है तथा इसमें किसी भी प्रकार के विकास को यथानुसार इण्डएएस 8 में वर्णित पद्धतिनुसार लेखाबद्ध किया जाएगा।

2.24.1.2 सामग्रिकता

इण्ड आईएएस उन सभी मदों पर लागू होता है जो सामग्री प्रकार के होते हैं। प्रबंधन इस बात पर विचार कर वित्तीय विवरणों में कौन से एकल आइटम अथवा आइटमों के समूहों को सामग्री माना जाएगा। सामग्रिकता पर निर्णय आइटम के आकार अथवा प्रकृति के अनुसार लिया जाता है। इसमें निर्णय लेने का कारक यह होता है कि क्या चूक अथवा गलत बयानी से एकल अथवा सामूहिक रूप से उन आर्थिक निष्पत्तियों पर प्रभाव पड़ेगा जिनको उपयोगकर्ता वित्तीय विवरणों के आधार पर प्रयोग करते हैं। प्रबंधन इण्ड आईएएस की अनुपालन आवश्यकताओं को निर्धारित करने हेतु सामग्रिकता के निर्णय का प्रयोग करता है। विशेष परिस्थितियों में किसी एकल मद अथवा मदों के समूह की प्रकृति अथवा अथवा निर्णयकारी कारक सिद्ध होते हैं। इसके अलावा, समूह को जब भी कानूनी आवश्यकता हो, असामग्रिक मदों को अलग से प्रस्तुत करने की आवश्यकता हो सकती है।

01.04.2019 से प्रभावी, पूर्व अवधि से संबंधित चालू वर्ष में पाई गई त्रुटियों / चूक को असामग्रिक तथा वर्तमान वर्ष के दौरान समायोजित किया गया है, यदि कुल मिलाकर ऐसी सभी त्रुटियों और चूक सीआईएल समेकित के अंतिम ऑडिट किए गए वित्तीय विवरण के अनुसार परिचालन (वैधानिक शुल्क के शुद्ध) से कुल राजस्व का 1% से अधिक नहीं हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

2.24.1.3 प्रचालनगत पट्टा

समूह द्वारा पट्टा व्यवस्था को अपनाया गया है। समूह ने, शर्तों के मूल्यांकन के आधार पर तथा व्यवस्था की स्थितियों के अनुसार, जैसे कि पट्टे की अवधि उस व्यावसायिक सम्पत्ति के आर्थिक जीवनकाल से अधिक नहीं है तथा उस परिसम्पत्ति का उचित मूल्य, तथा यह भी इसके स्वामित्व से सम्बन्धित सभी महत्वपूर्ण जोखिम एवं लाभ तथा प्रचालन पट्टे के करार के खातों पर भी भलीभांति निर्धारण किया है।

2.24.2 आंकलन एवं धारणाएँ

प्रतिवेदन की तिथि पर भविष्य तथा अनुमानित अनिश्चितता के अन्य प्रमुख स्रोतों से संबंधित प्रमुख धारणाएँ, जिनके द्वारा अगले वर्ष तक परिसम्पत्ति एवं दायित्वों के सामग्रिक समायोजन को अग्रिष्ठ करने में बड़ा जोखिम हो, उनका निम्नलिखित वर्णन है। समूह ने अपनी धारणाएँ तथा आंकलन को उपलब्ध मानकों के अनुसार तैयार किया है, जो कि समेकित वित्तीय विवरण की प्रस्तुति के समय उपलब्ध थे। वर्तमान परिस्थितियाँ तथा भविष्य की घटनाओं के बारे में धारणाएँ, मगर, बाजारी परिवर्तनों अथवा समूह के नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों के कारण परिवर्तित हो सकती हैं। ऐसे परिवर्तनों को उनके होने पर धारणाओं में प्रदर्शित किया जाता है।

अनुमान, निर्णय और संबंधित धारणाएँ ऐतिहासिक अनुभव और अन्य कारकों पर आधारित होती हैं जिन्हें प्रासंगिक माना जाता है। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं।

अनुमानों और अंतर्निहित धारणाओं की समीक्षा निरंतर आधार पर की जाती है। लेखांकन अनुमानों में संशोधन को उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें अनुमान संशोधित होता है और भविष्य की अवधि प्रभावित होती है।

लेखांकन नीतियों के अनुप्रयोग के लिए जटिल और व्यक्तिप्रक निर्णयों से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णयों और लेखांकन अनुमानों की आवश्यकता होती है और इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में मान्यताओं के उपयोग का प्रकटीकरण यहां नीचे किया गया है:

2.24.2.1 गैर-आर्थिक साधनों की क्षति

क्षति इंगित तब होती है, जब किसी परिसम्पत्ति या नकद उत्पन्न करने वाली इकाई का मूल्य उससे प्राप्य रकम से अधिक हो जाए, जो कि इसके उचित मूल्य में से इसके निपटारे के मूल्य को घटाने तथा इसके उपयोग के मूल्य से अधिक हो। क्षति आंकलन हेतु समूह एकल खानों को अलग-अलग नकद उत्पन्न करने वाली इकाई मानती है। मूल्यांकन के लिए डीसीएफ मॉडल का प्रयोग किया जाता है नकद प्रवाह की गणना अगले पाँच वर्षों के बजट से

प्राप्त होती है तथा इसमें वो पुनः संरचनात्मक गतिविधियाँ नहीं होती हैं जिनके प्रति कम्पनी प्रतिबद्ध ना हो अथवा वो भविष्य के निवेश जो परिसम्पत्ति के परीक्षित सीजीयू के निष्यादन में वृद्धि करते हैं। प्राप्य राशि डीसीएफमॉडल के लिए उपयोग की जाने वाली छूट दर के साथ-साथ भविष्य की अपेक्षित नकदी-प्रवाह और बाह्य गणना प्रयोजनों के लिए उपयोग की जाने वाली वृद्धि दर के प्रति संवेदनशील होता है। ये आंकलन अन्य खनन मौलिक संरचनाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होते हैं। विभिन्न सीजीयू की प्राप्य रकम के निर्धारण के लिए प्रयोग प्रमुख धारणाओं का प्रकटीकरण किया गया है तथा आगे भी संबंधित टिप्पणियों वे चर्चित हैं।

2.24.2.2 कर

आस्थगित करों को को बिना प्रयोग की गई कर-हानि को उस सीमा तक स्वीकृत किया जाता है कि कर-योग्य लाभ उपलब्ध होगा जिसके एवज में हानि का उपयोग किया जा सकेगा। स्वीकृति-योग्य आस्थगित कर परिसम्पत्तियों की रकम के निर्धारण के लिए प्रबंधन के बड़े निर्णय की आवश्यकता होती है, जो कि सही समय तथा भविष्य के कर-योग्य लाभों के साथ-साथ भविष्य की कर-योग्य रणनीति पर आधारित होती है।

2.24.2.3 परिभाषित हितलाभ योजनाएँ

परिभाषित हितलाभ आनुतोषिक योजना एवं सेवानिवृत्ति उपरान्त चिकित्सा हितलाभों की लागत तथा आनुतोषिक देयता के वर्तमान मूल्य का निर्धारण बीमांकित मूल्यांकन पद्धति से किया जाता है। किसी बीमांकित मूल्यांकन कार्य में विभिन्न प्रकार की धारणाओं का प्रयोग करना पड़ता है, जो कि भविष्य की वास्तविक घटनाओं से भिन्न हो सकती हैं। इनके तहत डिस्काउण्ट दर, भविष्य की वेतन-वृद्धि तथा मृत्यु दर पर भी विचार करना पड़ता है।

मूल्यांकन से संबंधित जटिलताओं तथा इसकी दीर्घकालिक प्रकृति के कारण, परिभाषित हितलाभ देयता इन धारणाओं में परिवर्तन के प्रति अति-संवेदनशील होती है। सभी धारणाओं पर प्रत्येक प्रतिवेदन की तिथि पर समीक्षा की जाती है। सबसे अधिक परिवर्तित होने वाला प्राचलिंडिस्काउण्ट-दर है। भारत में प्रचलित योजनाओं के लिए सही डिस्काउण्ट-दर का निर्धारण करने हेतु, प्रबंधन भारत सरकार की मुद्राओं की प्रतिभूतियों पर विचार करती है जो कि सेवानिवृत्ति हितलाभ देयता की मुद्राओं के अनुकूल होती है।

मृत्यु-दर के तथ्य देश में सार्वजनिक स्तर पर उपलब्ध आंकड़ों पर आधारित होते हैं। ये मृत्यु-दर के आंकड़े केवल अंतरालों पर जन सांख्यिकीय परिवर्तनों के कारण परिवर्तित होते हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

2.24.2.4 वित्तीय उपकरणों का उचित मूल्य माप

उचित मूल्य वह कीमत है जो किसी परिसंपत्ति को बेचने के लिए प्राप्त की जाएगी या मौजूदा बाजार स्थितियों के तहत माप तिथि पर बाजार सहभागियों के बीच एक व्यवस्थित लेनदेन में देनदारी को स्थानांतरित करने के लिए भुगतान किया जाएगा। समूह उचित मूल्य पर मापी गई परिसंपत्तियों और देनदारियों को ऐसे माप के लिए नियोजित लागतों का निरीक्षण करने की क्षमता के आधार पर तीन स्तरों में से एक में वर्गीकृत करता है:

(क) स्तर 1: लागतें समान परिसंपत्तियों या देनदारियों के लिए सक्रिय बाजारों में उद्भूत कीमतें (असमायोजित) हैं।

(ख) स्तर 2: उद्भूत कीमतों के अलावा अन्य लागतें स्तर 1 के भीतर शामिल हैं जो परिसंपत्ति या दायित्व के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से परखने योग्य हैं।

(सी) स्तर 3: परिसंपत्ति या देनदारी के लिए लागतें जो अवलोकनीय बाजार डेटा (अवलोकन योग्य लागतें) पर आधारित नहीं हैं।

उचित मूल्यों के माप के संबंध में समूह के पास एक स्थापित नियंत्रण ढांचा है। इसमें एक वित्ती टीम शामिल है जिसके पास सभी महत्वपूर्ण उचित मूल्य मापों की देखरेख करने की समग्र जिम्मेदारी है जो नियमित रूप से महत्वपूर्ण अप्राप्य इनपुट, मूल्यांकन समायोजन और उचित मूल्य पदानुक्रम की समीक्षा करते हैं जिसके तहत मूल्यांकन को वर्गीकृत किया जाना चाहिए।

2.24.2.5 विकासाधीन अस्पर्शनीय परिसम्पत्ति

खातालेखन नीति के अनुसार समूह किसी परियोजना के अधीन विकासाधीन अस्पर्शनीय परिसम्पत्तियों को पूँजीगत

2.25 प्रयुक्त शब्द-संक्षेप:

क्र.	संजीवू	कैश जेनरेटिंग यूनिट	ख.	ईसीएल	ईस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड
क	डीसीएफ	डिस्काउन्टेड कैश फ्लो	क	बीसीसीएल	भारत कोर्किंग कोल लिमिटेड
ख	एफवीटीओसीआई	फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेन्सिव इन्कम	ख	सीसीएल	सेन्ट्रल कोलफिल्ड्स लिमिटेड
ग	एफवीटीपीएल	फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एण्ड लॉस	ग	एसईसीएल	साउथ ईस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड
घ	जीएपी	जेनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिसिपल	घ	एमसीएल	महानदी कोलफिल्ड्स लिमिटेड
ঠ	ইন্স্ট্রীজ এসএম	ইণ্ডিয়নঅকাউন্টিংস্টেণ্ডর্স	ঠ	এনসীএল	নোর্দেন কোলফিল্ড্স লিমিটেড
চ	আওসীআই	অন্য কোম্প্রিহেন্সিভিইন্কম	চ	ডব্ল্যুসীএল	বেস্টর্ন কোলফিল্ড্স লিমিটেড
ছ	পি এণ্ড এল	প্রোফিট এণ্ড লোস	ছ	সীএমপীড়িআইএল	সেন্ট্রল মাইন প্লানিং এণ্ড ডিজাইন ইঞ্সটিউট লিমিটেড
জ	পীপীআই	প্রোপর্টি, প্লাণ্ট এণ্ড ইকীপমেন্ট	জ	এনইসী	নোর্থ ঈস্টর্ন কোলফিল্ড্স
ঝ	এসপীপীআই	সোললী পেমেন্ট আঁক প্রিসিপল এণ্ড ইন্ট্রেস্ট	ঝ	আইআইসীএম	ইণ্ডিয়ন ইঞ্সিটিউট আঁক কোল মেনেজমেন্ট
জ	ইআইআর	ইফেক্টিভ ইন্ট্রেস্ট রেট	জ	সীআইএল	কোল ইণ্ডিয়া লিমিটেড

करती है। लागतों का प्रारम्भिक पूँजीकरण प्रबंधन के इस निर्णय पर निर्भर करता है कि इसका तकनीकी तथा आर्थिक औचित्य का पुष्टिकरण हुआ है, सामान्यतया तब जब कि परियोजना का प्रतिवेदन बनाया एवं अनुमोदित किया जाता है।

2.24.2.6 खान-बंदी, साइट बहाली तथा बंदी संबंधी दायित्व निर्वहन हेतु प्रावधान

खान-बंदी, साइट बहाली तथा बंदी संबंधी दायित्व हेतु प्रावधान के उचित मूल्यांकन के समय, डिस्काउन्ट दरों, साइट बहाली तथा संरचनाओं को अलग करने हेतु अपेक्षित व्यय एवं इनके लिए लगने वाले समय आदि की लागत के बारे में धारणाएँ एवं आकलन किए जाते हैं। समूह द्वारा प्रावधानों का आकलन डीसीएफ विधि से परियोजना/खान के जीवनकाल निम्नलिखित आधार पर किया जाता है -

- कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रति हेक्टेयर की आंकलित लागत।
- डिस्काउन्ट दर (कर पूर्व) जो कि रकम के समय मूल्य तथा निर्दिष्ट देयता से संबंधित जोखिम के वर्तमान बाजारी आंकलन मूल्य को दर्शाती हो।

2.24.2.7 स्ट्रिपिंग गतिविधि

खदान के औसत स्ट्रिपिंग अनुपात (मानक अनुपात) की तुलना में ओबी से कोयले के वर्तमान अनुपात के आधार पर रेशियो वेरिएंस रिज़र्व को या रिवर्स आधार पर मान्य किया जाता है। परियोजना रिपोर्ट के अनुसार मानक अनुपात खदान के कोयला भंडार और खदान के जीवनकाल के दौरान हटाए जाने वाले ओवरबर्डन पर आधारित हैं। परियोजना की भू-खनन स्थितियों में परिवर्तन के परिणामस्वरूप आम तौर पर अनुपात में परिवर्तन होगा, अनुपात में ऐसे परिवर्तनों को संभावित रूप से ध्यान में रखा जाता है।

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी

टिप्पणी 3 : संपत्ति, संचय और उपकरण

	पूर्ण स्वामी ता वाली भूमि	अन्य भूमि	भूमि सुधार / साइट बहाली लागत ³	संचय एवं उपकरण ⁴	फलिसर व प्रिस्प्रर	वाहनों उपकरण	कर्मालय उपकरण	दूसरंचार	रेलवे साफिंग	हवाई जहाज	अन्य खस्त अवसरण	संपत्ति का सर्वे शुल्किया	रेल गतिविधा ⁵	अन्य	कुल	
सकल वहन राशि:																
1 अप्रैल, 2021 तक	684.91	14,666.72	3,419.24	4,508.88	21,793.73	372.45	207.30	343.12	206.09	1,411.92	0.58	3,023.24	330.91	4,388.58	3.44	55,361.11
परिवर्द्धन	183.06	2,288.66	304.87	508.17	3,693.74	19.41	53.68	85.07	203.11	352.11	-	650.02	58.27	1,163.98	0.68	9,564.83
विलोपन / समायोजन	(32.94)	32.46	(63.98)	105.47	(826.87)	(102.44)	(6.55)	2.05	(5.58)	(45.73)	(0.58)	(33.78)	(45.73)	-	-	(963.67)
31 मार्च, 2022 तक	835.03	16,987.84	3,660.13	5,122.52	24,660.60	289.42	263.03	421.64	417.19	1,765.26	-	3,639.48	343.45	5,552.56	4.12	63,962.27
1 अप्रैल, 2022 तक	835.03	16,987.84	3,660.13	5,122.52	24,660.60	289.42	263.03	421.64	417.19	1,765.26	-	3,639.48	343.45	5,552.56	4.12	63,962.27
परिवर्द्धन	109.28	2,562.19	397.05	1,033.07	2,316.96	34.25	76.19	85.44	34.78	142.21	-	908.44	81.29	346.25	0.06	8,127.46
विलोपन / समायोजन	(6.17)	(28.99)	(150.79)	(9.39)	(332.34)	(9.31)	(0.15)	(54.65)	(0.52)	(89.60)	-	(27.09)	(95.01)	(1,788.25)	(1.53)	(2,593.79)
31 मार्च, 2023 तक	938.14	19,521.04	3,906.39	6,146.20	26,645.22	314.36	339.07	452.43	451.45	1,817.87	-	4,520.83	329.73	4,110.56	2.65	69,495.94
संचित मूल्यहस्त और हानि																
1 अप्रैल, 2021 तक	-	3,263.40	1,652.24	1,015.20	8,973.26	161.80	85.74	202.58	142.57	300.87	-	1,232.98	82.99	491.30	2.53	17,607.46
वर्ष में मूल्यहस्त	-	837.06	248.34	217.71	2,095.52	19.19	27.47	57.39	40.85	98.75	-	288.44	5.03	256.70	0.02	4,192.47
वर्ष में हानि	-	-	5.72	0.17	0.28	-	-	0.01	-	-	-	54.21	(2.57)	-	-	57.82
विलोपन / समायोजन	-	(3.35)	(3.80)	49.07	(622.48)	(8.73)	0.64	(12.31)	(4.75)	0.58	-	14.50	(2.64)	-	-	(593.27)
31 मार्च, 2022 तक	-	4,097.11	1,902.50	1,282.15	10,446.58	172.26	113.85	247.67	178.67	400.20	-	1,590.13	82.81	748.00	2.55	21,264.48
1 अप्रैल, 2022 तक	-	4,097.11	1,902.50	1,282.15	10,446.58	172.26	113.85	247.67	178.67	400.20	-	1,590.13	82.81	748.00	2.55	21,264.48
वर्ष में मूल्यहस्त	-	927.29	311.14	284.75	1,877.68	19.93	35.59	68.15	55.29	117.08	-	440.49	5.42	262.50	0.05	4,405.36
वर्ष में हानि	-	-	-	1.32	0.37	-	0.03	0.02	-	-	-	78.06	10.50	-	-	90.30
विलोपन / समायोजन	-	(1.31)	-	(1.27)	(656.18)	8.68	(39.93)	(34.16)	(0.52)	(21.92)	-	(16.35)	(2.75)	(2.53)	(712.17)	
31 मार्च, 2023 तक	-	5,023.09	2,213.64	1,566.95	11,668.45	200.87	145.54	281.68	233.44	495.36	-	2,128.75	82.38	1,007.75	0.07	25,047.97
शुद्ध वहन गणि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31 मार्च, 2023 तक	938.14	14,497.95	1,692.75	4,579.25	14,976.77	113.49	193.53	170.75	218.01	1,322.51	-	2,392.08	247.35	3,102.81	2.58	44,447.97
31 मार्च, 2023 तक	835.03	12,890.73	1,757.63	3,840.37	14,214.02	117.16	149.18	173.97	238.52	1,365.06	-	2,049.35	260.64	4,804.56	1.57	42,697.79

1. भारतीय कोलाला प्रबंधन संस्थान :

- 31.03.2023 को 11.06 कोरोड रूपये (31.03.2022 को 11.49 कोरोड रूपये) के लिखित मूल्य वाले संचय और मशानी और संबंधित भवन तथा अन्य प्रसंसंपत्तियों सहित फिक्स्ड पार्संपत्तियों को सामस्टी प्रजीकरण आधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत एक सोसाइटी,
- इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कोल मैनेजमेंट, को रह करने वाले और मशानी और माडा पर दिया गया है।
- 2. नोट 2.8 में उल्लिखित उपयोगी जीवन के अधार पर मूल्यहस्त प्रदान किया गया है। हालांकि, समति के एक अलग वर्ग के भीतर सात्रिति कुछ संपत्तियों के मूल्य को अलग करने के लिए तकनीकी मूल्यांकन के पूरा होने तक, इन संपत्तियों पर संपत्ति के गैर-पृथक वर्ग के उपयोगी जीवन के अधार पर मूल्यहस्त प्रदान किया गया है।
- 3. भूमि सह वर्तमान और पिछले वर्ष के दौरान अपने उचित संचय और उपकरण का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया गया।
- 4. समूह ने वर्तमान और पिछले वर्ष के दौरान अपने उचित संचय और उपकरण का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया गया।
- 5. क्षणिता में संचलन के लिए टिप्पणी 38(8)(ए) का कुटनोट 1 देखें।
- 6. वर्च के दौरान तेत कार्गिड़र में समाचारेन के लिए 6.1 का कुटनोट 1 देखें।
- 7. साधारण क्रमियों में से एक, महानदी कालफिल्ड इंस्पील के समध में, 102.36 एकड़ क्रीहोल्ड भूमि और रिकार्ड ऑफ इंस्पील के अनुसार कंपनी के नाम पर थे, परन्तु 31 मार्च, 2023 तक के रिकार्ड और पुस्तकों के साथ समाजस्य के तहत थे।

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

टिप्पणि 4: पूँजीगत कार्य प्रगतिरत

	भवन (जलापूर्ति, सड़कों और पुलिया सहित)	संयंत्र एवं उपकरण	रेलवे साइडिंग	अन्य खनन अवसंरचना/विकास	निर्माणाधीन रेल कॉरिडोर ²	सौर परियोजना	अन्य	कुल
सकल वहन राशि:								
1 अप्रैल, 2021 तक	1,582.96	2,385.15	1,357.83	2,480.59	2,618.46	-	104.37	10,529.36
परिवर्धन	803.00	2,485.41	381.69	1,917.85	1,269.86	13.23	557.07	7,428.11
पूँजीकरण / विलोपन	(406.25)	(1,630.27)	(204.84)	(1,451.23)	(1,244.41)	-	(95.79)	(5,032.79)
31 मार्च, 2022 तक	1,979.71	3,240.29	1,534.68	2,947.21	2,643.91	13.23	565.65	12,924.68
1 अप्रैल, 2022 तक	1,979.71	3,240.29	1,534.68	2,947.21	2,643.91	13.23	565.65	12,924.68
परिवर्धन	930.32	4,243.11	989.98	1,796.47	319.82	287.33	305.07	8,872.10
पूँजीकरण / विलोपन	(959.72)	(1,626.59)	(133.91)	(1,435.16)	(2,052.12)	(1.90)	(96.04)	(6,305.44)
31 मार्च, 2023 तक	1,950.31	5,856.81	2,390.75	3,308.52	911.61	298.66	774.68	15,491.34
संचित हानि								
1 अप्रैल, 2021 तक	11.80	48.93	1.11	70.37	-	-	0.07	132.28
वर्ष के लिए हानि	4.96	0.76	0.76	88.12	-	-	0.14	94.74
विलोपन / समायोजन	(4.19)	(0.03)	(0.92)	(10.95)	-	-	0.02	(16.07)
31 मार्च, 2022 तक	12.57	49.66	0.95	147.54	-	-	0.23	210.95
1 अप्रैल, 2022 तक	12.57	49.66	0.95	147.54	-	-	0.23	210.95
वर्ष के लिए हानि	16.60	2.54	0.41	7.01	-	-	0.02	26.58
विलोपन / समायोजन	(1.72)	6.09	0.18	(13.31)	-	-	(0.05)	(8.81)
31 मार्च, 2023 तक	27.45	58.29	1.54	141.24	-	-	0.20	228.72
शुद्ध वहन राशि								
31 मार्च, 2023 तक	1,922.86	5,798.52	2,389.21	3,167.28	911.61	298.66	774.48	15,262.62
31 मार्च, 2022 तक	1,967.14	3,190.63	1,533.73	2,799.67	2,643.91	13.23	565.42	12,713.73

1. कैपिटल-वर्क-इन प्रोग्रेस (सकल) का एजिंग शेड्यूल:

	31-03-2023 तक पूँजीगत कार्य प्रगति पर है				
	एक वर्ष से कम	1-2 साल	2-3 साल	3 वर्ष से अधिक	कुल
प्रगतिरत परियोजनाएं:					
भवन (पानी की आपूर्ति, सड़कों और पुलिया सहित)	1,072.28	172.35	312.58	392.71	1,949.92
संयंत्र और उपकरण	2,496.67	1,811.98	629.54	904.20	5,842.39
रेलवे साइडिंग	882.31	553.70	232.13	719.68	2,387.82
अन्य खनन अवसंरचना/विकास	1,283.34	1,071.40	218.18	629.85	3,202.77
निर्माणाधीन रेल कॉरिडोर	115.89	675.56	67.71	52.45	911.61
सौर परियोजना	243.12	55.54	-	-	298.66
अन्य	736.26	14.42	23.49	0.51	774.68

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

टिप्पणि 4: पूँजीगत कार्य प्रगतिरत (जारी.)

	31-03-2023 तक पूँजीगत कार्य प्रगति पर है				
	एक वर्ष से कम	1-2 साल	2-3 साल	3 वर्ष से अधिक	कुल
अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएँ:					
भवन (जलापूर्ति, सड़कों और पुलिया सहित)	-	0.21	0.02	0.16	0.39
संयंत्र और उपकरण	-	-	-	14.42	14.42
रेलवे साइडिंग	-	-	-	2.93	2.93
अन्य खनन अवसंरचना/विकास	-	-	-	105.75	105.75
कुल	6,829.87	4,355.16	1,483.65	2,822.66	15,491.34

	31-03-2022 तक पूँजीगत कार्य प्रगति पर है				
	एक वर्ष से कम	1-2 साल	2-3 साल	3 वर्ष से अधिक	कुल
प्रगतिरत परियोजनाएँ:					
भवन (जलापूर्ति, सड़कों और पुलिया सहित)	680.91	263.33	184.44	848.28	1,976.96
संयंत्र और उपकरण	1,672.61	726.88	296.63	530.99	3,227.11
रेलवे साइडिंग	629.12	325.51	204.34	354.98	1,513.95
अन्य खनन अवसंरचना/विकास	1,043.69	616.75	192.63	989.41	2,842.48
निर्माणाधीन रेल कॉरिडोर	966.13	887.66	46.24	743.88	2,643.91
सौर परियोजना	13.23	-	-	-	13.23
अन्य	502.98	30.02	22.60	10.05	565.65
अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएँ:					
भवन (पानी की आपूर्ति, सड़कों और पुलिया सहित)	-	-	-	2.75	2.75
संयंत्र और उपकरण	-	-	-	13.18	13.18
रेलवे साइडिंग	-	-	-	20.73	20.73
अन्य खनन अवसंरचना/विकास	-	-	-	104.73	104.73
कुल	5,508.67	2,850.15	946.88	3,618.98	12,924.68

किसी भी प्रगतिरत परियोजना के लिए वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि को पुराने कार्यक्रम के प्रयोजन के लिए परियोजना शुरू होने के वर्ष में किए गए व्यय के रूप में माना जाता है।

- वर्ष के दौरान निर्माणाधीन रेल कॉरिडोर में समायोजन के लिए 6.2 का फुटनोट 2 देखें।

पूँजी-कार्य-प्रगति (सीडब्ल्यूआर्डीपी) (सकल)

2. भौतिक पूँजी-कार्य-प्रगति के लिए अतिदेय (सकल):

	में पूरा किया जाना है		
	एक वर्ष से कम	1-2 साल	2-3 साल
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड			
प्रगतिरत परियोजनाएँ:			
भवन (जलापूर्ति, सड़कों और पुलिया सहित)			
झांझरा परियोजना में लॉन्गवॉल वर्कशॉप निर्माण	5.35		
संयंत्र और उपकरण			
झांझरा परियोजना में सीएचपी का निर्माण	65.32		
रेलवे साइडिंग			
झांझरा में नई रेलवे साइडिंग का निर्माण	76.79		
अन्य खनन अवसंरचना/विकास			
झांझरा परियोजना में ड्रिफ्ट ड्राइव	4.08		
अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएँ:			
अन्य खनन अवसंरचना/विकास			
पांडवेश्वर एरिया के अंतर्गत पांडवेश्वर यूजी में रिटर्न रोड के साथ रुफ बोलिंग			0.02
खोद्वाडीह यूजी में अनुभागीय ठहराव			0.01

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

टिप्पणि 4: पूँजीगत कार्य प्रगतिरत (जारी.)

	में पूरा किया जाना है			
	एक वर्ष से कम	1-2 साल	2-3 साल	3 वर्ष से अधिक
बनबहाल गांव के 25 एमवीए सब-स्टेशन के पास पाँच 6.6 केवी फीडरों के खदान सीमा के साथ परित्यक्त 4 एमवीए सब-स्टेशन और शंकरपुर डंप के माध्यम से स्थानांतरित करना और सोनपुर बाज़ारी परियोजना में एक 25 एमवीए सब-स्टेशन से डायवर्ट एनएच-60 के साथ सेक्टर 3 में स्थानांतरित करना।				2.10
कुल	151.54	-	-	2.13
भारत कोकिंग कोल लिमिटेड				
प्रगतिरत परियोजनाएं:				
भवन (जलापूर्ति, सड़कों और पुलिया सहित)				
2 एमटीपीए भोजूड़ीह एनएलडब्ल्यू वाशरी	48.66			
2.5 एमटीपीए पाथेरडीह एनएलडब्ल्यू वाशरी	14.92			
संयंत्र और उपकरण				
जोगथा में फीडर ब्रेकर				0.66
2 एमटीपीए भोजूड़ीह एनएलडब्ल्यू वाशरी	53.03			
2.5 एमटीपीए पाथेरडीह एनएलडब्ल्यू वाशरी	6.75			
5 एमटीपीए पाथेरडीह एनएलडब्ल्यू वाशरी	12.22	10.38		
रेलवे साइडिंग				
सीएचपी सह साइलो, महेशपुर		34.92		
2 एमटीपीए भोजूड़ीह एनएलडब्ल्यू वाशरी	51.45			
2.5 एमटीपीए पाथेरडीह एनएलडब्ल्यू वाशरी	24.71			
5 एमटीपीए पाथेरडीह एनएलडब्ल्यू वाशरी		11.53		
अन्य खनन अवसंरचना/विकास				
2 एमटीपीए भोजूड़ीह एनएलडब्ल्यू वाशरी	36.33			
2.5 एमटीपीए पाथेरडीह एनएलडब्ल्यू वाशरी	14.55			
5 एमटीपीए पाथेरडीह एनएलडब्ल्यू वाशरी	1.19			
कुल	263.81	56.83	-	0.66
सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड				
प्रगतिरत परियोजनाएं:				
भवन (जलापूर्ति, सड़कों और पुलिया सहित)				
उत्तर उरीमारी ओसी बिरसा परियोजना - एनडीसी और जेकेईपीएल (जेवी) - 2444 दिनांक 21.03.18 पर 04 नग डी-टाइप कार्टर और 12 नग सी-टाइप कार्टर का निर्माण	3.64			
बिरसा में 16 एमक्यू टाइप कार्टर और 16 बी टाइप कार्टर का निर्माण	1.24			
बी एंड के में बिल्डिंग	0.28			
संयंत्र और उपकरण				
मशीन संख्या 9038 से 9040 के तहत डब्ल्यू/बी का निर्माण	0.67			
डब्ल्यू/बी अंडर कंस्ट्रक्शन - अशोका मेटालिक्स	1.35			
कोनार वाशरी	5.00			
पानी का फव्वारा	0.11			
रेलवे साइडिंग				
रेलवे साइडिंग - राइट्स लिमिटेड-332/02.11.13332/02.11.13 मै.	191.31			
राइट्स लिमिटेड				
अन्य खनन अवसंरचना/विकास				
गोविंदपुर फेज-2 में कोनार नदी पर उच्च स्तरीय पुल का निर्माण	2.34			
गोविंदपुर ओसीपी में मॉटिको नाला का डायवर्जन	1.90			
बीआरओ रोड के पास टो वॉल और कच्ची नाली उपलब्ध कराना	0.13			
विस्तृत इंजीनियरिंग सर्वेक्षण/मार्ग सरेखण सर्वेक्षण	0.10			
कुल	203.60	4.47	-	-
नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड				
संयंत्र और उपकरण				
कोल हैंडलिंग प्लांट (10 एमटीपीए) - दुधीचुआ	658.44			

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

टिप्पणि 4: पूँजीगत कार्य प्रगतिरत (जारी.)

	में पूरा किया जाना है			
	एक वर्ष से कम	1-2 साल	2-3 साल	3 वर्ष से अधिक
कोल हैंडलिंग प्लाट (15 एमटीपीए) - जयंत	335.30			
50 मेगावाट सौर पीवी परियोजना - निगाही	156.88			
कोल हैंडलिंग प्लाट (2 एमटीपीए) - अमलोहरी	105.58			
ब्लॉक-बी में 20 मीटर वाया डक्ट का निर्माण	16.07			
कोल हैंडलिंग प्लाट (4.5 एमटीपीए) - ब्लॉक-बी	13.10			
नए डी टाईप कार्यर में बगीचे के लिए प्रकाश व्यवस्था	0.01			
रेलवे साइडिंग				
रेलवे साइडिंग - अमलोहरी से बरगवां तक रेल कनेक्टिविटी के लिए	2.93			
व्यवहार्यता अध्ययन				
अन्य				
औद्योगिक जलापूर्ति हेतु पाईप लाईन कार्य	0.15			
कुल	1,288.46	-	-	-
वेस्टर्न कोलफ्लोइल्डस लिमिटेड				
प्रगतिरत परियोजनाएँ:				
भवन (जलापूर्ति, सड़कों और पुलिया सहित)				
सीएचपी निर्माण के लिए भू-तकनीकी मिट्टी जांच	0.02			
33 केवी सब स्टेशन का निर्माण	0.67			
सीएचपी निर्माण	1.79			
कैलाश नगर में चारदीवारी का निर्माण	0.43			
सुंदर नगर में बाउंड्री वॉल का निर्माण	0.24			
बणी क्षेत्र के पेंगंगा ओसीपी में स्थायी तटबंध के साथ गाडेगांव गांव के लिए	0.51			
परिवर्तित सड़क का निर्माण				
बणी क्षेत्र के निलर्जई ओसीपी में वर्धा नदी पुल के पास प्रस्तावित पहुंच ट्रैक से	1.28			
नायगांव चेकपोस्ट तक कोयला परिवहन सड़क का निर्माण				
पेनगंगा में 2 वेब्रिज हाउस का निर्माण	0.07			
पेनगंगा ओसीपी एफलुएंट ट्रीट में ईटीपी का निर्माण	0.20			
ट्रैक से लोद मोबाइल तक डब्ल्यूबीएम रोड का निर्माण	0.18			
नमग से ओसी तक 100 मीटर गहरे बोर वेल का निर्माण	0.13			
नमग से ओसी कार्यशाला में कंक्रीट फुटपाथ का निर्माण	0.21			
नमग से ओसी में न्यू शिफ्टेड कोल स्टॉक के लिए स्प्रिंकली अरेंज्ड	0.08			
नया डम्पर रिपेयर शेड, पंप शेड आदि का निर्माण	0.53			
प्रो के लिए चेन लिंक फेंसिंग द्वारा बाउंड्री वॉल बनाना	0.09			
1 सीए आवास के लिए भवन का निर्माण	0.12			
नए शिप्ट किए गए कोयला स्टॉक में छिड़काव की व्यवस्था	0.10			
बैरियर से कोयला परिवहन मार्ग का डायवर्जन	0.22			
वाईएसए में ओह लाइन पोल का निर्माण	0.30			
कैपेसिटर बैंक और एक्सेटेशन के लिए कमरे का निर्माण	0.03			
संयंत्र और उपकरण				
हेड लाइन येकोना के ऊपर 3.3 केवी का इरेक्शन	0.03			
रेलवे साइडिंग				
बणी क्षेत्र की मुंगोली निर्गुड़ा ओपनकास्ट खदान में रेलवे साइडिंग का परामर्श और निर्माण	0.83			
अन्य खनन अवसंरचना/विकास				
1 क्रॉस माप बहाव का संचालन	0.49			
3 क्रॉस माप बहाव का संचालन	0.37			
ड्राइव ऑफ एक्स मेज़र स्टोन ड्रिफ्ट	0.19			
इनकलाइन शाफ्ट का ड्राइवेज	0.15			
5 एमआईटी एसीपी	1.01			
आंतरिक सड़कों का निर्माण	1.83			
कुल	12.10	-	-	-

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

टिप्पण 4: पूँजीगत कार्य प्रगतिरत (जारी.)

	में पूरा किया जाना है			
	एक वर्ष से कम	1-2 साल	2-3 साल	3 वर्ष से अधिक
साउथ ईस्टर्न कोलफारील्ड्स लिमिटेड				
भवन (जलापूर्ति, सड़कों और पुलिया सहित)				
भटगांव क्षेत्र				
बीएसए के नए एमक्यू और प्रगति विहार कॉलोनी में 0.35 एमएलडी क्षमता के सेवरेज ट्रैटमेंट प्लांट (एसटीपी) का निर्माण	-	-	-	2.01
टर्नकी आधार पर भटगांव क्षेत्र के पी एंड टी एक्सचेंज के पास भटगांव कॉलोनी में सर्वेक्षण, योजना, डिजाइनिंग, ड्राइंग और परीक्षण और कमीशनिंग द्वायल रनिंग और संचालन और रखरखाव चार वर्षों के लिए सहित 0.50 एमएलडी क्षमता के सीवरेज ट्रैटमेंट प्लांट (एसटीपी) का निर्माण।	-	-	-	3.17
भटगांव क्षेत्र के जगन्नाथपुर ओसीपी में सर्विस रोड (फेज-II) का निर्माण	-	-	1.87	-
भटगांव क्षेत्र के जगन्नाथपुर ओसीपी में सर्विस रोड नंबर 2 के लिए 3.05 मीटर स्पैन आरसीसी के लिए पुलिया का निर्माण	-	-	0.10	-
भटगांव क्षेत्र की ऊर्जानगर कॉलोनी में टर्नकी आधार पर 0.35 एमएलडी क्षमता के एसटीपी का निर्माण	-	-	-	2.34
भटगांव क्षेत्र के शक्तिनगर कॉलोनी में टर्नकी आधार पर 0.50 एमएलडी क्षमता के एसटीपी का निर्माण	-	-	-	2.47
जोहिला क्षेत्र				
पाली उप क्षेत्र के बगल में बाउंड्री वाल का निर्माण	-	0.03	-	-
जोहिला क्षेत्र में ट्रंकी आधार पर 0.35 एमएलडी के एसटीपी का निर्माण	-	-	-	0.21
विंध्य खदान में माहुरा पीएमजीएसवाई रोड का डायवर्जन	-	-	1.52	-
कोरबा क्षेत्र				
2 नग वाटर कूलर की स्थापना	-	-	0.02	-
फिरिंग सहित वाटर स्प्रिंकलर	-	-	-	0.36
कोल्याला परिवहन के लिए सड़क	1.27	-	-	-
रिसड़ी से राजगामार तक सड़क का चौड़ीकरण और मजबूतीकरण	-	2.57	-	-
1000 लीटर क्षमता की आरओ उपचार इकाई	0.10	-	-	-
दबाव रेत फिल्टर 7000 जीपीएच	0.08	-	-	-
एसआरके में 400 एमक्यू का निर्माण	-	-	-	0.53
1000 लीटर क्षमता की आरओ उपचार इकाई	0.10	-	-	-
प्रयोगशाला और मूत्रालयों का निर्माण	-	-	-	0.05
खदान में चारदीवारी (सरईपाली ओसीपी)	-	-	-	0.03
सरायपाली ओसीपी में स्टोर और कार्यालय का निर्माण	-	-	0.02	-
सरायपाली ओसीपी में विविध कार्य के लिए 02 नग अस्थायी शेड	-	-	-	0.03
सरायपाली ओसीपी में प्राथमिक चिकित्सा केंद्र / डिस्पेंसरी	0.07	-	-	-
सरायपाली ओसीपी में कैंटीन (75 वर्ग मीटर) का निर्माण	0.09	-	-	-
सरायपाली ओसीपी में बूम बैरिंग के लिए शेड उपलब्ध कराना	0.03	-	-	-
सरायपाली ओसीपी में एप्रोच रोड का निर्माण	-	1.08	-	-
बांकी यूजी में माइनर क्वार्टर का निर्माण	-	-	-	0.07
संयंत्र और उपकरण				
भटगांव क्षेत्र				
220वी 5 तार ओएच लाइन का आरेखण	-	-	-	0.22
जोहिला क्षेत्र				
11 केवी एचटी लाइन का बी-डायवर्जन	-	0.02	-	-
जोहिला क्षेत्र में 11 केवी एमपीईबी ओएच लाइन डाइवेशन	-	0.03	-	-
कोरबा क्षेत्र				
04 नग पीजोमीटर का निर्माण	0.11	-	-	-
04 नग पीजोमीटर का निर्माण	0.04	-	-	-
एसआरके-बीएलजी के लिए 8 पीजोमीटर का निर्माण	0.08	-	-	-
सरायपाली ओसीपी में निगरानी के लिए पीजोमीटर की स्थापना	0.05	-	-	-

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

टिप्पणि 4: पूँजीगत कार्य प्रगतिरत (जारी.)

	में पूरा किया जाना है			
	एक वर्ष से कम	1-2 साल	2-3 साल	3 वर्ष से अधिक
अन्य खनन अवसंरचना/विकास	-	-	-	-
भटगांव क्षेत्र	-	-	-	-
भटगांव क्षेत्र में करौंजी से भटगांव रेलवे साइडिंग तक पूर्ण ट्रैक नवीनीकरण / मरम्मत और रेलवे ट्रैक के अन्य सुधार कार्यों के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श हॉल रोड और कोल स्टॉक यार्ड के साथ फिफ्कस्ड टाइप स्प्रिंकलर सिस्टम	-	-	-	39.94
जेओसीपी पर एनआरवी में वर्षा जल संचयन की व्यवस्था	0.06	-	-	-
भटगांव क्षेत्र के जगन्नाथपुर ओसीपी में एचईएमएम वाशिंग प्लेटफॉर्म पर तेल और ग्रीस ट्रैप का निर्माण। (पूँजीगत मद के तहत)	0.03	-	-	-
कोरबा क्षेत्र	0.04	-	-	-
एमकेपी में साइलो साइडिंग का निर्माण	-	-	-	-
तीसरे चरण की गतिविधियों के तहत पीएमसी कार्य	92.05	-	-	-
एसआरके एमएम में हार्ड स्टोन में 1 ड्रिफ्ट के ड्राइवेज का काम	22.23	-	-	-
कोयला स्टॉक के पास कंसर्टिना कॉइल्स की स्थापना	-	-	-	0.11
कुल	116.41	3.73	3.54	51.72
महानदी कोलफ्रील्ड्स लिमिटेड				
प्रगतिरत परियोजनाएँ:				
भवन (जलापूर्ति, सड़कों और पुलिया सहित)				
बसुंधरा में आरसीसी स्वागत द्वारा	0.11			
गर्जनबहाल में ई-एंड एम कार्यशाला	2.05			
एचईएमएम कार्यशाला जीओसीपी में बुनियादी ढांचा	0.01			
928 कार्टर का निर्माण	65.01			
कुल्दा वर्कशॉप से लालमा चौक तक ब्लैक टॉपिंग रोड	0.01			
928 कार्टर का निर्माण	0.01			
1 ब्रिज का निर्माण	23.85			
कार्मिक छात्रावास का निर्माण	4.42			
तामांडो (एमआईसीएम) में प्रस्तावित एमआईएनआरईएम के लिए भवन का निर्माण	-	125.26	-	0.50
संयंत्र और उपकरण				
वेस्को ओएच लाइन को 33/11 सबस्टेशन से पुलिस फँकड़ी में स्थानांतरित करना	0.82	-	-	-
ब्हील वाशिंग सिस्टम कुल्दा	0.70	-	-	-
ब्हील वाशिंग सिस्टम कुल्दा	0.42	-	-	-
15 ब्रिज	3.06	-	-	-
दुदुका चौक में स्ट्रीट लाइटिंग की व्यवस्था	0.67	-	-	-
रैपिड लोडिंग सिस्टम	-	-	-	-
सलो एओसीपी के रेल कनेक्टिविटी के लिए एफएसआर और डीपीआर तैयार करना	-	-	-	-
- जीओसीपी के 132/33 केवी एस/एस के ई-एनआईटी और लागत अनुमान की तैयारी	-	1.03	3.43	-
- भुवनेश्वरी सीएचपी/साइलो फेज-1	-	-	-	261.96
रेलवे साइडिंग				
02 प्रस्तावित आरएलएस के लिए रेल इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास		55.68		
अन्य खनन अवसंरचना/विकास				
कोयला स्टॉक के ओसी के साथ विंड बैरियर सिस्टम	1.46	-	-	-
06 ब्रिज की स्थापना के लिए सिविल कार्य	0.86	-	-	-
कुल्दा खदान, कोल स्टॉक के अंदर पीक्यूसी रोड	3.24	-	-	-
बांकीबहाल से भेड़ाबहाल तक फँकोर लेन कोल कॉरिडोर का निर्माण	-	432.50	-	-
1 पुल का निर्माण	3.51	-	-	-
2 पुल का निर्माण	16.01	-	-	-
दुदुका से सुंदरगढ़ तक सड़क की मरम्मत	9.01	-	-	-
तालचर से परादीप बंदरगाह के बीच स्वचालित सिजनलिंग	-	-	16.90	-

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

टिप्पण 4: पूँजीगत कार्य प्रगतिरत (जारी.)

	में पूरा किया जाना है			
	एक वर्ष से कम	1-2 साल	2-3 साल	3 वर्ष से अधिक
निर्माणाधीन रेल कॉरिडोर			-	-
जेएसजी से सरडेगा डबल लाइन			331.20	
अस्थायी रूप से निर्लंबित परियोजनाएँ:				
एयूसी-ओएमआई-पीएस	1.34			
एयूसी-ओएमआई	45.55			
ओएमआई	0.80			
अमूर्त संपत्ति (संशोधित परियोजना योजना की तैयारी)	0.22	-	-	-
कुल	183.13	614.47	351.53	262.46
कल योग	2,219.06	679.50	355.06	316.97

टिप्पण 5: अन्वेषण और मूल्यांकन संपत्ति

(₹ करोड़ में)

	अन्वेषण और मूल्यांकन लागत
सकल वहन राशि:	
1 अप्रैल, 2021 तक	4,634.02
परिवर्धन	344.43
प्रगतिरत पूँजीगत कार्य में स्थानांतरण/विलोपन	(1,044.97)
31 मार्च, 2022 तक	3,933.48
1 अप्रैल, 2022 तक	3,933.48
परिवर्धन	1,104.08
प्रगतिरत पूँजीगत कार्य में स्थानांतरण/विलोपन	(51.22)
31 मार्च, 2023 तक	4,986.34
संचित हानि	
1 अप्रैल, 2021 तक	28.21
वर्ष के लिए शुल्क	32.37
विलोपन / समायोजन	(0.65)
31 मार्च, 2022 तक	59.93
1 अप्रैल, 2022 तक	59.93
वर्ष के लिए शुल्क	1.56
31 मार्च, 2023 तक	61.49
शुद्ध वहन राशि	
31 मार्च, 2023 तक	4,924.85
31 मार्च, 2022 तक	3,873.55

अन्वेषण और मूल्यांकन

1. एंजिंग शेड्यूल अन्वेषण और मूल्यांकन (सकल)

	31-03-2023 तक अन्वेषण और मूल्यांकन में राशि				
	एक वर्ष से कम	1-2 साल	2-3 साल	3 वर्ष से अधिक	कुल
प्रगतिरत परियोजनाएँ:					
अन्वेषण और मूल्यांकन	954.17	422.98	284.77	3,272.63	4,934.55
अस्थायी रूप से निर्लंबित परियोजनाएँ:					
अन्वेषण और मूल्यांकन	-	0.54	20.56	30.69	51.79
कुल	954.17	423.52	305.33	3,303.32	4,986.34

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

टिप्पणि 5: अन्वेषण और मूल्यांकन संपत्ति (जारी.)

	31-03-2023 तक अन्वेषण और मूल्यांकन में राशि				
	एक वर्ष से कम	1-2 साल	2-3 साल	3 वर्ष से अधिक	कुल
प्रगतिरत परियोजनाएँ:					
अन्वेषण और मूल्यांकन	472.09	378.65	236.42	2,794.31	3,881.47
अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएँ:					
अन्वेषण और मूल्यांकन	0.54	1.28	20.32	29.87	52.01
कुल	472.63	379.93	256.74	2,824.18	3,933.48

2. अतिदेय सामग्री अन्वेषण और मूल्यांकन

	में पूरा किया जाना है			
	एक वर्ष से कम	1-2 साल	2-3 साल	3 वर्ष से अधिक
भारत कोकिंग कोल लिमिटेड				
प्रगतिरत परियोजनाएँ:				
सिंगारा और कपूरिया ब्लॉक, थग			46.49	
ब्लॉक VIII, बस्ताकोला			6.85	
कुल		-	53.34	-
सेंट्रल कोलफक्टील्ड्स लिमिटेड				
अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएँ:				
अशोक वाशरी			0.76	0.79
कुल		-	0.76	0.79
महानदी कोलफक्टील्ड्स लिमिटेड				
प्रगतिरत परियोजनाएँ:				
हेमगिरी सेक्टर-1				5.79
मधुपुर				5.22
प्रजापारा				2.02
बैतरणी				0.01
गौतमधारा				0.01
कुल		-	-	13.05

किसी चल रही परियोजना के लिए वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि को पुराने कार्यक्रम के प्रयोजन के लिए परियोजना शुरू होने के वर्ष में किए गए व्यय के रूप में माना जाता है।

टिप्पणी 6.1: अमूर्त संपत्ति

	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	अमूर्त अन्वेषक संपत्ति	रेल गलियारा ¹	अन्य	कुल
सकल वहन राशि:					
1 अप्रैल, 2021 तक	36.57	32.32	-	29.33	98.22
परिवर्धन	11.72	25.97	-	-	37.69
विलोपन / समायोजन	0.01	29.51	-	-	29.52
31 मार्च, 2022 तक	48.30	87.80	-	29.33	165.43
1 अप्रैल, 2022 तक	48.30	87.80	-	29.33	165.43
परिवर्धन	292.84	-	591.87	-	884.71
विलोपन / समायोजन	-	-	1,788.26	-	1,788.26
31 मार्च, 2023 तक	341.14	87.80	2,380.13	29.33	2,838.40
संचित परिशोधन					
1 अप्रैल, 2021 तक	23.13	-	-	29.33	52.46
वर्ष के लिए शुल्क	7.35	-	-	-	7.35
31 मार्च, 2022 तक	30.48	-	-	29.33	59.81

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

टिप्पणी 6.1: अमूर्त संपत्ति (जारी.)

	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	अमूर्त अन्वेषक संपत्ति	रेल गलियारा ¹	अन्य	कुल
1 अप्रैल, 2022 तक	30.48	-	-	29.33	59.81
वर्ष के लिए शुल्क	52.57	-	133.93	-	186.50
विलोपन / समायोजन	0.01	-	3.97	-	3.98
31 मार्च, 2023 तक	83.06	-	137.90	29.33	250.29
शुद्ध वहन राशि					
31 मार्च, 2023 तक	258.08	87.80	2,242.23	-	2,588.11
31 मार्च, 2022 तक	17.82	87.80	-	-	105.62

1. एसइसीएल की सहायक कंपनी सीइआरएल के मामले में, इंस्टीट्यूट ऑफ़ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ़ इंडिया (आईसीएआई) की विशेषज्ञ सलाहकार समिति से प्राप्त राय के मद्देनजर, रेल कॉरिडोर जो संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का हिस्सा था, इस वर्ष से प्रभावी है अमूर्त संपत्ति के रूप में माना जाता है। तदनुसार, वर्ष की शुरुआत में ₹1788.26 करोड़ की ऐसी संपत्ति का वहन मूल्य वहां से स्थानांतरित कर दिया गया है और अमूर्त संपत्ति के तहत रेल कॉरिडोर के रूप में दर्ज किया गया है।

टिप्पणी 6.2: विकासरत अमूर्त संपत्ति

	विकास के तहत ईआरपी ¹	विकास के तहत रेल कॉरिडोर ²	कुल
वहन राशि:			
1 अप्रैल, 2021 तक	86.17		86.17
परिवर्धन	85.28		85.28
पूंजीकरण / विलोपन	11.96		11.96
31 मार्च, 2022 तक	183.41	-	183.41
1 अप्रैल, 2022 तक	183.41	-	183.41
परिवर्धन	37.33	307.33	344.66
पूंजीकरण / विलोपन	(220.32)	2,051.60	1,831.28
31 मार्च, 2023 तक	0.42	2,358.93	2,359.35

1. विकासरत ईआरपी में ₹ 0.42 करोड़ की राशि एसइसीएल में के विकसित किये जा रहे अलग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर भी शामिल है।
2. एसइसीएल की सहायक कंपनियां, सीइआरएल और सीइडब्ल्यूआरएल के मामले में, इंस्टीट्यूट ऑफ़ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ़ इंडिया (आईसीएआई)) की विशेषज्ञ सलाहकार समिति से प्राप्त राय के मद्देनजर, रेल कॉरिडोर जो कि इस वर्ष से प्रभावी कैपिटल वर्क-इन प्रोग्रेस का हिस्सा है, को निर्माणाधीन अमूर्त संपत्ति के रूप में माना जाता है। तदनुसार, वर्ष की शुरुआत में ₹ 2051.60 करोड़ की ऐसी संपत्ति का वहन मूल्य वहां से स्थानांतरित किया गया है और विकास के तहत अमूर्त संपत्ति के तहत निर्माणाधीन रेल कॉरिडोर के रूप में दर्ज किया गया है।

विकासरत अमूर्त संपत्ति

1. विकासरत एंजिंग शेड्यूल अमूर्त संपत्ति

	31-03-2023 को विकास के तहत अमूर्त संपत्ति में राशि				
	एक वर्ष से कम	1-2 साल	2-3 साल	3 वर्ष से अधिक	कुल
प्रगतिशील परियोजनाएं:					
विकास के तहत ईआरपी	0.42	-	-	-	0.42
विकास के तहत रेल गलियारा	1,128.96	379.53	242.29	608.15	2,358.93
कुल	1,129.38	379.53	242.29	608.15	2,359.35

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

टिप्पणी 6.2: विकासरत अमूर्त संपत्ति (जारी.)

	31-03-2022 को विकास के तहत अमूर्त संपत्ति में राशि				
	एक वर्ष से कम	1-2 साल	2-3 साल	3 वर्ष से अधिक	कुल
प्रगतिरत परियोजनाएँ:					
विकास के तहत ईआरपी	-	-	183.41	-	183.41
कुल	-	-	183.41	-	183.41

किसी चल रही परियोजना के लिए वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि को पुराने कार्यक्रम के प्रयोजन के लिए परियोजना शुरू होने के वर्ष में किए गए व्यय के रूप में माना जाता है।

टिप्पण - 07 : निवेश (गैर चालू)

(₹ करोड़ में)

	31-03-2023 तक	31-03-2022 तक
सहकारी शेयरों में निवेश (गैर- उद्धृत)	0.08	0.08
संयुक्त उद्यमों में इक्विटी शेयर (गैर- उद्धृत)	7.75	7.75
इंटरनेशनल कोल वैंचर प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली ₹ 10 प्रत्येक मूल्य का पूर्ण भुगतानित 2800000 इक्विटी शेयर (विगत वर्ष इक्विटी शेयर ₹ 10 प्रत्येक मूल्य का पूर्ण भुगतानित 2800000)	0.08	0.02
सीआईएल एनटीपीसी ऊर्जा प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली ₹ 10 प्रत्येक मूल्य का पूर्ण भुगतानित 76900 इक्विटी शेयर (विगत वर्ष ₹ 10 प्रत्येक मूल्य का पूर्ण भुगतानित 76900 इक्विटी शेयर)	809.30	798.09
तालचेर फर्फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, भुवनेश्वर, उड़ीसा ₹ 10 प्रत्येक मूल्य का पूर्ण भुगतानित 805480826 इक्विटी शेयर (विगत वर्ष ₹ 10 प्रत्येक मूल्य का पूर्ण भुगतानित 805480826 इक्विटी शेयर)	2,266.86	1,620.64
हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड, नई दिल्ली ₹ 10 प्रत्येक मूल्य का पूर्ण भुगतानित 2295955000 इक्विटी शेयर (विगत वर्ष ₹ 10 प्रत्येक मूल्य का पूर्ण भुगतानित 1629415000 इक्विटी शेयर)	1.33	0.39
कोल लिग्राइट ऊर्जा विकास प्राइवेट लिमिटेड, कोलकाता, पश्चिम बंगाल ₹ 10 प्रत्येक मूल्य का पूर्ण भुगतानित 10000 इक्विटी शेयर (विगत वर्ष ₹ 10 प्रत्येक मूल्य का पूर्ण भुगतानित 10000 इक्विटी शेयर)	3,085.32	2,426.89
कुल	3,085.40	2,426.97
अनउद्धृत निवेशों की सकल राशि:	3,085.40	2,426.97

1. वर्गीकरण के लिए टिप्पण 38 (5) देखें

2. सहकारी शेयरों में निवेश का विवरण (अनउद्धृत)

(₹ करोड़ में)

	31-03-2023 तक	31-03-2022 तक
कोल माइन्स ऑफिसर्स कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड में बी श्रेणी के शेयर ₹1000 प्रति शेयर के 500 शेयर (विगत वर्ष ₹1000 प्रति शेयर के 500 शेयर)	0.05	0.05
दिशेसगढ़ कॉलियरी वर्कर्स सेंट्रल को-ऑप्ट स्टोर लिमिटेड में डी श्रेणी के शेयर ₹100 प्रति शेयर के 1000 शेयर (विगत वर्ष ₹100 प्रति शेयर के 1000 शेयर)	0.01	0.01
मुम्पा कोलफील्ड कॉलियरी वर्कर्स सेंट्रल को-ऑप्ट स्टोर लिमिटेड ₹25 प्रति शेयर 4000 शेयर (विगत वर्ष ₹25 प्रति शेयर के 4000 शेयर)	0.01	0.01
सोदेपुर कॉलियरी कर्मचारी सह-ऑप्ट क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड में बी श्रेणी के शेयर ₹ 100 प्रति शेयर के 500 शेयर (विगत वर्ष ₹100 प्रति शेयर के 500 शेयर)	0.005	0.005
धेनोमेन कॉलियरी कर्मचारी सहकारी क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड में बी श्रेणी के शेयर ₹100 प्रति शेयर के 500 शेयर (विगत वर्ष ₹100 प्रति शेयर के 500 शेयर)	0.005	0.005

3. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 (4) के अनुसार आवश्यक निवेश का विवरण ऊपर टिप्पण संख्या 7 के तहत प्रकट किया गया है।

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

टिप्पणि - 07 : निवेश (चालू)

म्युचुअल फंड (अनउद्धृत)

(₹ करोड़ में)

	इकाइयाँ	एनएवी (₹)	31-03-2023 तक	31-03-2022 तक
एसबीआई म्युचुअल फंड - ओबरनाइट	1809514.529 (विगत वर्ष 3245767.142)	3649.25 (विगत वर्ष 3461.35)	660.32	1,085.50
एसबीआई म्युचुअल फंड - अलट्रा मैग्नम	4038689.331 (विगत वर्ष 3096076.582)	5158.42 (विगत वर्ष 4897.07)	2,083.32	1,516.18
एसबीआई म्युचुअल फंड - लिकिड फंड	2971530.161 (विगत वर्ष 9146525.485)	3523.3 (विगत वर्ष 3333.09)	1,046.97	3,044.41
केनरा रोबेको म्युचुअल फंड	244893.195 (विगत वर्ष 387150.7)	2696.71 (विगत वर्ष 2549.8)	66.04	77.21
यूनियन केबीसी म्युचुअल फंड	185567.287 (विगत वर्ष 111140.289)	2169.45 (विगत वर्ष 2050.95)	40.27	13.83
बैंक ऑफक बड़ौदा म्युचुअल फंड	605183.757 (विगत वर्ष 434307.882)	2595.47 (विगत वर्ष 2452.93)	157.09	106.55
			4,054.01	5,843.68
अन्य				
अन्य (सिक्योर्ड बॉन्ड्स में निवेश - उद्धृत)			-	649.95
कुल			4,054.01	6,493.63
अनउद्धृत निवेशों की सकल राशि:			4,054.01	5,843.68
उद्धृत निवेश और बाजार मूल्य की सकल राशि:			-	649.95

1. वर्गीकरण के लिए टिप्पणि 38 (5) देखें

2. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 (4) के अनुसार आवश्यक निवेश का विवरण ऊपर टिप्पणि 7के तहत प्रकट किया गया है।

टिप्पणि - 08 : ऋण

	31-03-2023 तक	31-03-2022 तक
गैर चालू		
कॉर्पोरेट निकाय और कर्मचारियों को ऋण		
- सुरक्षित, अच्छा माना जाता है	12.91	11.18
- असुरक्षित, अच्छा माना जाता है	86.81	86.54
- साख वाहन	2.15	1.94
	101.87	99.66
घटाव: संदिध ऋणों के लिए भत्ता ²	2.15	1.94
गैर-व्याज वाले अग्रिम पर आस्थिति संपत्ति	272.49	257.75
कुल	372.21	355.47
चालू		
कॉर्पोरेट निकाय और कर्मचारियों को ऋण		
- सुरक्षित, अच्छा माना जाता है	1.17	0.32
- असुरक्षित, अच्छा माना जाता है	19.62	-
कुल	20.79	0.32

1. संबंधित पार्टियों को ऋण के लिए - टिप्पणि 38(2)(viii) देखें

2. अलाउंस में मूवमेंट के लिए - टिप्पणि 38(8)(ए) देखें

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

टिप्पण - 09 : अन्य वित्तीय संपत्तियां

(₹ करोड़ में)

	31-03-2023 तक	31-03-2022 तक
गैर चालू		
प्रतिभूति जमा राशि	503.49	347.62
घटाव: संदिग्ध प्रतिभूति जमा के लिए भत्ता ²	22.05	22.28
	481.44	325.34
12 महीने से अधिक की परिपक्ता वाली बैंक जमा	309.29	372.19
खदान बंदी योजना के तहत बैंक में जमा ³	10,120.99	8,916.38
स्थानांतरण एवं पुनर्वास निधि योजनान्तर्गत बैंक में जमा ⁴ और ⁶	5,320.15	4,838.28
	15,750.43	14,126.85
अन्य जमा और प्राप्य ⁵	72.18	49.05
घटाव: संदिग्ध जमा और प्राप्य राशियों के लिए भत्ता ²	3.76	2.45
	68.42	46.60
कुल	16,300.29	14,498.79

टिप्पणियाँ:

- निदेशकों से देय राशि के लिए - टिप्पण 38(2)(viii) देखें
- अलाउंस में मूवमेंट के लिए - टिप्पण 38(8)(ए) देखें
- खदान बंदी योजना के तहत बैंक में जमा -**

खान बंदी योजना की तैयारी के लिए भारत सरकार के कोयला मंत्रालय से प्राप्त दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए एक ऐस्क्रो खाता खोला गया है। ऐस्क्रो खाते में अर्जित व्याज सहित कुल जमा राशि का 50% तक हर पांच साल बाद दिशानिर्देशों के अनुसार बंदी योजना की आवधिक परीक्षा के अनुरूप जारी किया जा सकता है। (साइट बहाली / खान बंदी के लिए प्रावधान की टिप्पणी- 21 देखें)।

(₹ करोड़ में)

	31-03-2023 तक	31-03-2022 तक
ऐस्क्रो अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस	8,916.38	8,048.44
जोड़: वर्ष के दौरान जमा राशि	902.58	730.20
जोड़: वर्ष के दौरान जमा व्याज (टीडीएस का शुद्ध)	393.31	247.67
घटाव: वर्ष के दौरान निकाली गई राशि	91.28	109.93
समाप्त तिथि पर ऐस्क्रो खाते में शेष राशि	10,120.99	8,916.38

- स्थानांतरण एवं पुनर्वास निधि योजनान्तर्गत बैंक में जमा**

कोयला मंत्रालय के निर्देश के बाद होलिंग कंपनी ने ईस्टर्न कोलफरील्ड्स लिमिटेड और भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के अस्थिर क्षेत्रों में आग और स्थिरकरण से निपटने के लिए स्थानांतरण और पुनर्वास के लिए कार्य योजना के कार्यान्वयन के लिए एक कोष स्थापित किया है।

इस संबंध में अनुमोदित परियोजनाओं के कार्यान्वयन के आधार पर निधि का उपयोग (ईसीएल और बीसीसीएल द्वारा) किया जाता है। सीआईएल की कोयला उत्पादक अनुषंगी कंपनियाँ इस कोष में प्रति वर्ष अपने संबंधित कोयला प्रेषण के प्रति टन ₹6/- का योगदान दे रही हैं, जो संबंधित परियोजनाओं को लागू करने वाली अनुषंगी कंपनियों/एजेंसियों द्वारा वितरित/उपयोग किए जाने तक सीआईएल की हिरासत में रहता है।

- अन्य जमा और प्राप्य राशियों में ₹ 35.34 करोड़ का अग्रिम शामिल है, जो यहां नीचे दिया गया है:**

कोल इंडिया लिमिटेड ने मैसर्स माइनिंग एंड एलाइड मशीनरी कॉरपोरेशन (परिसमाप्त के तहत) की निर्दिष्ट संपत्ति प्राप्त करने के लिए 08.06.2010 को मैसर्स बीईएमएल लिमिटेड और मैसर्स दामोदर वैली कॉरपोरेशन (डीवीसी) के साथ एक कंसोर्टियम समझौता किया। समझौते में अन्य बातों के साथ-साथ बीईएमएल, सीआईएल और डीवीसी के बीच क्रमशः 48:26:26 के शेयरधारिता पैरेंट के साथ एक संयुक्त उद्यम कंपनी के गठन का प्रावधान है। सीआईएल ने कलकत्ता के माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आधार पर उक्त अधिग्रहण के लिए 100 करोड़ रुपये की बोली पर विचार करने के लिए अपने आनुपातिक हिस्से का भुगतान किया है। 31.03.2023 तक बोली पर विचार और अन्य विविध व्यय के लिए ₹35.34 करोड़ (विगत वर्ष ₹34.96 करोड़) की राशि का भुगतान किया गया था। इसके अलावा एमएमसी इंडस्ट्रीज लिमिटेड (एमआईएल) के नाम से एक कंपनी बनाई गई है और 25 अगस्त 2010 को बीईएमएल की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में संयुक्त उद्यम गठन के उद्देश्य से शामिल की गई है। कंसोर्टियम समझौते के नियमों और शर्तों के अनुसार, एक शेयरधारकों के समझे और संयुक्त उद्यम समैते को निष्पादित किया जाना था। हालांकि शेयरधारकों के समझौते और संयुक्त उद्यम समैते को अभी तक निष्पादित नहीं किया गया है।

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

टिप्पणि - 09 : अन्य वित्तीय संपत्तियां (जारी)

6. उपरोक्त में एस्क्रो से जारी किए जाने वाले ₹300 करोड़ और कंपनी के कोष में स्थानांतरण शामिल हैं, जो कि कंपनी द्वारा अदा की गई देनदारी के बराबर राशि है।

(₹ करोड़ में)

चालू	31-03-2023 तक	31-03-2022 तक
प्रतिभूति जमा राशि	23.61	9.89
खखउच के पास बैलेंस	5.41	5.00
अर्जित ब्याज	716.92	515.27
अन्य जमा और प्राप्य	2,024.18	2,166.47
घटाव: संदिग्ध जमा और प्राप्य राशियों के लिए भत्ता ²	53.16	75.72
	1,971.02	2,090.75
कुल	2,716.96	2,620.91

1. निदेशकों से देय राशि के लिए - टिप्पणि 38(2)(viii) देखें

2. अलाउंस में मूवर्मेंट के लिए - टिप्पणि 38(8)(ए) देखें

टिप्पणि - 10: गैर-चालू परिसंपत्तियां

(₹ करोड़ में)

पूँजी अग्रिम	31-03-2023 तक	31-03-2022 तक
घटाव: संदिग्ध अग्रिमों के लिए भत्ता ²	5,271.43	3,310.58
	8.76	11.43
	5,262.67	3,299.15
पूँजी अग्रिमों के अलावा अन्य अग्रिम		
अन्य जमा और अग्रिम	98.82	116.79
घटाव: संदिग्ध जमाओं के लिए भत्ता ²	5.57	7.14
	93.25	109.65
प्रगतिशील खदान बंद करने पर किया गया खर्च ³	4,250.23	2,999.14
कुल	9,606.15	6,407.94

1. निदेशकों से देय राशि के लिए - टिप्पणि 38(2)(viii) देखें

2. अलाउंस में मूवर्मेंट के लिए - टिप्पणि 38(8)(ए) देखें

3. उपर्युक्त खदान बंद करने की योजना तैयार करने के लिए कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार मान्यता प्राप्त समवर्ती व्यय का प्रतिनिधित्व करता है।

टिप्पणी - 11 : अन्य चालू परिसंपत्तियां

(₹ करोड़ में)

पूँजी अग्रिमों के अलावा अन्य अग्रिम	31-03-2023 तक	31-03-2022 तक
वैधानिक देय राशि का अग्रिम भुगतान	1,387.59	765.30
घटाव: संदिग्ध वैधानिक देय राशि के लिए भत्ता ²	-	0.89
	1,387.59	764.41
अन्य जमा और अग्रिम ³ और ⁴	17,837.68	16,776.89
घटाव: संदिग्ध अन्य जमाराशियों और अग्रिमों के लिए भत्ता ²	55.39	36.33
	17,782.29	16,740.56
प्रगतिशील खदान बंद करने पर हुआ खर्च ⁶	675.20	494.63
प्राप्य इनपुट टैक्स क्रेडिट ⁵	11,589.85	8,899.75
कुल	31,434.93	26,899.35

1. निदेशकों से देय राशि के लिए - टिप्पणि 38(2)(viii) देखें

2. अलाउंस में मूवर्मेंट के लिए - टिप्पणि 38(8)(ए) देखें

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

टिप्पणी - 11 : अन्य चालू परिसंपत्तियाँ (जारी.)

3. इसमें निस्तारित मामलों के रिफर्न्ड, जो अभी प्राप्त होना है, और प्रोटेस्ट के तहत जमा राशि शामिल है : - आयकर ₹ 1413.97 करोड़ (विगत वर्ष ₹ 1413.97 करोड़), बिक्री कर ₹ 614.64 करोड़ (विगत वर्ष ₹ 594.11 करोड़), नॉर्दर्न कोलफ़रील्ड्स लिमिटेड में सेवा कर ₹ 14.73 करोड़ (विगत वर्ष ₹ 11.18 करोड़), और साउथ ईस्टर्न कोलफ़रील्ड्स लिमिटेड में आयकर ₹ 8902.72 करोड़ (विगत वर्ष ₹ 7,842.09 करोड़)।
4. अतिरिक्त सीएसआर ₹125.89 करोड़ (विगत वर्ष ₹ 198.42 करोड़) शामिल है (टिप्पण - 29 सीएसआर व्यय के लिए अनुलग्नक देखें)
5. इसमें आउटपुट पर जीएसटी के एचजे में उपयोग के लिए उपलब्ध इनपुट सामग्री / सेवाओं पर भुगतान किए गए जीएसटी से संबंधित इनपुट टैक्स क्रेडिट के ₹11,589.85 करोड़ (पीवाई ₹ 8,899.75 करोड़) शामिल है। इसमें काफ़ी हद तक रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म (आरसीएम) के तहत 18% की दर से भुगतान किए गए खनन संचालन रॉयल्टी पर देय जीएसटी शामिल है, जिसकी वसूली, कोयले पर देय शुल्क की दर 5% तक ही सीमित है। विपरीत कर संरचना के कारण जमा होने वाली राशि, भले ही इस संबंध में जारी अधिसूचना के अनुसार वापसी योग्य नहीं है, को इस बात को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ाया जाता है कि इसका उपयोग करने के लिए कोई समय सीमा नहीं है।
6. टिप्पण 10 का फुटनोट 3 देखें।

टिप्पण - 12: सामग्री सूची

	(₹ करोड़ में)	31-03-2023 तक	31-03-2022 तक
कोयले का भंडार (तैयार माल)		6,079.18	5,413.01
विकासशील परियोजनाओं में कोयले का भंडार		25.93	0.15
स्टोर और पुर्जों का स्टॉक (शुद्ध)		6,105.11	5,413.16
जोड़: मार्गस्थ भंडार (स्टोर-इन-ड्रांजिट)		1,930.95	1,560.46
		1.18	1.18
		1,932.13	1,561.64
केंद्रीय अस्पताल में दवा का स्टॉक		13.50	9.01
कार्यशाला कार्य (वर्कशॉप जॉब्स), प्रेस कार्य और अन्य		103.94	91.87
		117.44	100.88
कुल		8,154.68	7,075.68

1. स्टोर और पुर्जों के भंडार में कुछ धीमी गति से चलने वाली, स्थूल और अप्रचलित वस्तुएं शामिल हैं। इस तरह के चल, अचल और अप्रचलित मदों के लिए अप्रचलन के लिए क्षति भत्ता बहियों में रखा जाता है और कंपनी की नीति के अनुसार यह पर्यास है और आगे हानि भत्ता की आवश्यकता नहीं है। मूल्यांकन की विधि : टिप्पण संख्या 2.21 देखें - सामग्री सूची पर महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ

टिप्पण - 13 : व्यापार प्राप्य

	(₹ करोड़ में)	31-03-2023 तक	31-03-2022 तक
सुरक्षित समझा गया सामान		36.61	78.79
असुरक्षित समझा गया सामान		13,023.87	11,288.89
साख हानि		2,722.13	2,424.53
घटाव: अशोध्य और संदिध त्रयों के लिए भत्ता²		15,782.61	13,792.21
कुल		2,722.13	2,424.53
		13,060.48	11,367.68

1. निदेशकों से देय राशि के लिए - टिप्पण 38(2)(viii) देखें
2. अलाउस में मूवर्मेट के लिए - टिप्पण 38(8)(ए) देखें
3. उपरोक्त व्यापार प्राप्तियाँ ₹724.47 करोड़ (विगत वर्ष ₹ 986.63 करोड़) कोयले की गुणवत्ता भिन्नता का योग है।
4. व्यापार प्राप्य में सितंबर 2017 से अगस्त 2020 तक की अवधि के लिए एनटीपीसी से वसूली योग्य राशि शामिल है, जो 0-3 किलोमीटर की लीड दूरी के लिए कोयले की आपूर्ति के लिए भूतल परिवहन शुल्क (एसटीसी) के रूप में है एवं एमआरसीडी (सार्वजनिक उद्यम विभाग के अधीन तंत्र) में निर्णय के लिए लंबित है, जहां प्रबंधन को अनुकूल परिणाम की उमीद है।

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

टिप्पणि - 13 : व्यापार प्राप्य (जारी.)

31-03-2023 तक

व्यापार प्राप्य समयावधि अनुसूची	लेन-देन की तारीख से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया					कुल
	6 महीने से कम	6 महीने 1 साल	1-2 साल	2-3 साल	3 वर्ष से अधिक	
(i) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - अच्छा माना गया	9,808.94	323.86	1,049.62	668.60	1,096.85	12,947.87
(ii) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - साख हानि	-	-	-	0.46	1,050.24	1,050.70
(iii) विवादित व्यापार प्राप्य - अच्छा माना गया	-	-	2.86	81.71	376.10	460.67
(iv) विवादित व्यापार प्राप्य - साख हानि	30.32	18.17	76.73	58.56	1,139.59	1,323.37
कुल	9,839.26	342.03	1,129.21	809.33	3,662.78	15,782.61
अशोध्य और संदिध्य ऋणों के लिए भत्ता	30.32	18.17	76.73	71.82	2,525.09	2,722.13
अपेक्षित ऋण घाटा (हानि भत्ता प्रावधान) - %	0%	5%	7%	9%	69%	17%

31-03-2022 तक

व्यापार प्राप्य समयावधि अनुसूची	लेन-देन की तारीख से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया					कुल
	6 महीने से कम	6 महीने-1 साल	1-2 साल	2-3 साल	3 वर्ष से अधिक	
(i) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - अच्छा माना गया	7,062.28	984.29	1,697.04	1,084.12	1,220.65	12,048.38
(ii) निर्विवाद व्यापारिक प्राप्य - साख हानि	-	-	0.46	3.94	66.57	70.97
(iii) विवादित व्यापार प्राप्य - अच्छा माना गया	-	-	-	-	31.89	31.89
(iv) विवादित व्यापार प्राप्य - साख जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि	-	-	82.10	128.74	301.25	512.09
(v) विवादित व्यापार प्राप्य - साख हानि	86.91	23.46	8.73	86.96	922.82	1,128.88
कुल	7,149.19	1,007.75	1,788.33	1,303.76	2,543.18	13,792.21
अशोध्य और संदिध्य ऋणों के लिए भत्ता	86.91	23.46	9.19	90.90	2,214.07	2,424.53
अपेक्षित ऋण घाटा (हानि भत्ता प्रावधान) - %	1%	2%	1%	7%	87%	18%

टिप्पणि - 14: नकद और नकद समतुल्य

(₹ करोड़ में)

	31-03-2023 तक	31-03-2022 तक
(ए) बैंकों में शेष राशि		
- जमा खातों में 3	2,148.66	2,837.43
- चालू खातों में		
- ब्याज वहन (सीएलटीडी. ए/सी आदि)	2,148.26	1,951.55
- गैर ब्याज वहन	623.11	1,396.16
- कैश क्रेडिट खातों में	34.39	0.96
(बी) भारत के बाहर बैंक बैलेंस	0.12	0.09
(सी) प्राथमिक व्यापारियों के साथ आईसीडी ¹	520.00	785.78
(डी) हाथ में चेक, ड्राफ्ट और स्टाम्प	0.09	0.02
(ड) हाथ में नकदी	0.01	0.02
(च) अन्य ई-प्रोक्योरमेंट खाता/जेम खाता/अदायगी राशि	190.74	91.47
कुल	5,665.38	7,063.48

- प्राथमिक व्यापारियों के साथ आईसीडी प्राथमिक व्यापारियों द्वारा स्वीकार की जाने वाली अंतर-कॉर्पोरेट जमाराशियाँ हैं जिनकी मूल परिपक्षता अवधि निवेश की तारीख से 7 से 15 दिनों के बीच होती है।
- नकद और नकद समतुल्यों में हाथ में और बैंक में नकद, स्वीप खाते और बैंकों में तीन महीने या उससे कम अवधि की मूल परिपक्षता वाले सावधि जमा शामिल हैं।
- टिप्पणि 9 अन्य वित्तीय संपत्ति के फुटनोट 6 का संदर्भ लें।

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

टिप्पणि - 15 : अन्य बैंक शेष

	(₹ करोड़ में)	31-03-2023 तक	31-03-2022 तक
बैंकों के पास शेष राशि			
जमा खाते		33,386.78	22,035.42
जमा खाते (विशिष्ट उद्देश्यों के लिए ¹ और ²)		854.19	791.35
अभुगतानित लाभांश खाते		15.50	12.78
लाभांश खाते		-	62.20
कुल		34,256.47	22,901.75

- विशिष्ट उद्देश्यों के लिए जमा, बैंक जमा हैं जो न्यायालय के आदेश के अनुसार ग्रहणाधिकार / निर्धारित और अन्य विशिष्ट उद्देश्यों के लिए रखी गई हैं।
- अन्य बैंक बैलेंस में निम्न शामिल हैं - विशिष्ट उद्देश्यों के लिए डिपॉजिट और बैंक डिपॉजिट जिसके रिपोर्टिंग तिथि के 12 महीनों के भीतर नकद में वसूल होने की उम्मीद है।

टिप्पणि - 16 : इक्विटी शेयर पूँजी

	(₹ करोड़ में)	31-03-2023 तक	31-03-2022 तक
जारी, अधिदत्त और प्रदत्त शेयर पूँजी			
₹10/- प्रत्येक मूल्य का पूर्ण भुगतानित 6,16,27,28,327 इक्विटी शेयर		6,162.73	6,162.73
₹10/- प्रत्येक मूल्य का पूर्ण भुगतानित इक्विटी शेयर (विगत वर्ष 6,16,27,28,327)			
कुल		6,162.73	6,162.73

- कंपनी में प्रत्येक शेयरधारकों द्वारा धारित 5% से अधिक शेयर

शेयरधारकों का नाम		धारित शेयरों की संख्या	कुल शेयरों का%	% वर्ष के दौरान परिवर्तन
भारत के माननीय राष्ट्रपति (प्रमोटर)	31-03-2023 तक	4075634553	66.13	0.00%
	31-03-2022 तक	4075634553	66.13	
भारतीय जीवन बीमा निगम	31-03-2023 तक	678015625	11.00	0.00%
	31-03-2022 तक	678015625	11.00	

- रिपोर्टिंग अवधि के आरंभ और अंत में बकाया इक्विटी शेयरों का पुनर्गठन:-

विवरण	शेयर की संख्या	मात्रा	(₹ करोड़ में)
01.04.2018 को शेष	6,20,74,09,177	6,207.41	
घटाव: वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान कंपनी द्वारा वापस खरीदे गए शेयर	4,46,80,850	44.68	
31.03.2019 को शेष	6,16,27,28,327	6,162.73	
वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान बदलाव	-	-	
31.03.2020 तक शेष	6,16,27,28,327	6,162.73	
वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान बदलाव	-	-	
31.03.2021 तक शेष	6,16,27,28,327	6,162.73	
समाप्त अवधि के दौरान बदलाव	-	-	
31.03.2022 तक शेष	6,16,27,28,327	6,162.73	
समाप्त अवधि के दौरान बदलाव	-	-	
31.03.2023 को शेष	6,16,27,28,327	6,162.73	

- स्टॉक एक्सचेंज में कोल इंडिया लिमिटेड के शेयरों की लिस्टिंग

कोल इंडिया लिमिटेड के शेयर भारत के दो प्रमुख स्टॉक एक्सचेंजों जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में 4 नवंबर, 2010 से सूचीबद्ध हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

टिप्पणी - 16 : इक्विटी शेयर पूँजी (जारी.)

भारत सरकार द्वारा शेयरों के विनिवेश / बायबैक का विवरण नीचे दिया गया है:

विनिवेश का वित्तीय वर्ष	विनिवेश किए गए शेयरों का %	विनिवेशित शेयरों की संख्या	तरीका
2010-11	10.00%	631636440.00	आईपीओ
2013-14	0.35%	22037834.00	सीपीएसई-ईटीएफ
2014-15	10.00%	631636440.00	ओएफएस
2015-16	0.001%	83104.00	सीपीएसई-ईटीएफ
2016-17	1.25%	78842816.00	बापस खरीद
2016-17	0.92%	57156437.00	सीपीएसई-ईटीएफ
2017-18	0.31%	19299613.00	भारत 22-ईटीएफ
2018-19	0.23%	13991488.00	भारत 22-ईटीएफ
2018-19	3.19%	198003931.00	ओएफएस
2018-19	2.21%	137311943.00	सीपीएसई-ईटीएफ
2018-19	0.01%	681840.00	ओएफएस
2018-19	0.38%	23779267.00	भारत 22-ईटीएफ
2018-19	1.37%	84592894.00	सीपीएसई-ईटीएफ
2018-19	0.19%	44293572.00	बापस खरीदे
2019-20	1.70%	104977641.00	सीपीएसई-ईटीएफ एफएफओ5
2019-20	0.21%	12835528.00	भारत 22 ईटीएफ
2019-20	2.91%	179569059.00	सीपीएसई-ईटीएफ एफएफओ6
कुल		2240729847.00	

इसप्रकार, 31-03-2023 को भारत सरकार द्वारा धारित शेयरों की संख्या बकाया कुल 6162728327 शेयरों की संख्या का 66.13% थी।

4. कंपनी के पास इक्विटी शेयरों का केवल एक वर्ग है जिसका अंकित मूल्य ₹ 10/- प्रति शेयर है। इक्विटी शेयरों के धारक समय-समय पर घोषित लाभांश प्राप्त करने के हकदार हैं और शेयरधारकों की बैठक में उनके शेयर होल्डिंग के अनुपात में मतदान के अधिकार के हकदार हैं। निदेशक मंडल द्वारा प्रस्तावित लाभांश वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन है। परिसमाप्त की स्थिति में, इक्विटी शेयरधारक सभी तरीही राशि के भुगतान के बाद कंपनी की शेष संपत्ति प्राप्त करने के लिए पात्र हैं, जो कि शेयरहोल्डिंग के अनुपात में है।

टिप्पणी 17: अन्य इक्विटी

(₹ करोड़ में)

विवरण	आरक्षित और अधिशेष					ओसीआई - किसी विदेशी ऑपरेशन के वित्तीय विवरणों के अनुवाद में विनियम अंतर ⁶	कुल
	कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व ¹	कैपिटल रिजर्व ²	सामान्य रिजर्व ³	प्रतिधारित आय ⁴	ओसीआई - परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्माप (कर का शुद्ध) ⁵		
01.04.2022 को शेष	1,202.96	1,566.57	17,641.59	17,451.80	(883.33)	0.72	36,980.31
वर्ष में कुल व्यापक आय				28,165.19	264.46	0.17	28,429.82
अंतरिम लाभांश				(12,479.57)			(12,479.57)
अंतिम लाभांश				(1,848.82)			(1,848.82)
वर्ष के दौरान जोड़	-	2.63	-	-	-		2.63
वर्ष के दौरान समायोजन	-	(1.40)	-	(22.80)	21.99	-	(2.21)
सामान्य रिजर्व से / में स्थानांतरण			1,326.83	(1,326.83)			-
31.03.2023 को शेष	1,202.96	1,567.80	18,968.42	29,938.97	(596.88)	0.89	51,082.16

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

टिप्पणी 17: अन्य इक्विटी (जारी.)

(₹ करोड़ में)

विवरण	आरक्षित और अधिशेष					ओसीआई – किसी विदेशी ऑपरेशन के वित्तीय विवरणों के अनुवाद में विनिमय अंतर ⁶	कुल
	कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व ¹	कैपिटल रिजर्व ²	सामान्य रिजर्व ³	प्रतिधारित आय ⁴	ओसीआई – परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्माप (कर का शुद्ध) ⁵		
01.04.2021 को शेष	1,202.96	1,565.45	16,779.18	11,740.96	(934.42)	0.50	30,354.63
वर्ष में कुल व्यापक आय				17,358.10	51.09	0.22	17,409.41
अंतरिम लाभांश				(8,627.82)			(8,627.82)
अंतिम लाभांश				(2,156.97)			(2,156.97)
वर्ष के दौरान जोड़	–	2.20	–	–	–		2.20
वर्ष के दौरान समायोजन	–	(1.08)	–	(0.06)	–		(1.14)
सामान्य रिजर्व से / में स्थानांतरण			862.41	(862.41)			–
31.03.2022 तक शेष	1,202.96	1,566.57	17,641.59	17,451.80	(883.33)	0.72	36,980.31

1. कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व:

(क) कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व तब बनाया जाता है जब कंपनी फ्री रिजर्व या सिक्योरिटीज प्रीमियम से अपना हिस्सा खरीदती है, इसलिए खरीदे गए शेयरों के नाममात्र मूल्य के बराबर राशि को कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में स्थानांतरित कर दिया जाता है। रिजर्व का उपयोग कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 69 के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है।

(ख) होल्डिंग कंपनी के मामले में:

कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व का विवरण

विवरण	अमाउंट (₹ करोड़ में)	वर्ष
गैर-संचयी 10% प्रतिदेय वरीयता शेयर पूँजी मोचन	904.18	एफ वाई 2000-01
इक्विटी शेयर का बायबैक	108.95	एफ वाई 2016-17
इक्विटी शेयर का बायबैक	44.68	एफ वाई 2018-19
कुल	1057.81	

2. कैपिटल रिजर्व :

उपरोक्त कैपिटल रिजर्व में अनुषंगी कंपनियों में निवेश और अनुषंगी कंपनियों यथा वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान नॉर्डन कोलफील्ड्स लिमिटेड (एनसीएल), महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल), साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल) और वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान सीएमपीडीआईएल द्वारा बोनस शेयर जारी करने के लिए समेकन पर मान्यता प्राप्त अनुषंगी कंपनियों की शेयर पूँजी के बीच का अंतर शामिल है।

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड (सीएमपीडीआईएल) के मामले में, एक कार्यान्वयन एंजेंसी के रूप में एसएंडटी, पीआई, ईएमएससी, सीसीडीए आदि के तहत प्राप्त अनुदान/निधि और परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए उपयोग की जाने वाली धनराशि को कैपिटल रिजर्व के रूप में माना जाता है और उस पर मूल्यहास को कैपिटल रिजर्व खाता में डेबिट किया जाता है। अनुदान के माध्यम से बनाई गई संपत्ति का स्वामित्व उस प्राधिकारी के पास होता है जिससे अनुदान प्राप्त होता है। 31.03.2023 और 31.03.2022 तक अनुदान का शेष क्रमशः ₹ 20.13 करोड़ और ₹ 18.90 करोड़ है।

3. सामान्य भंडार (जेनरल रिजर्व):

विनियोग उद्देश्यों के लिए प्रतिधारित आय से लाभ को स्थानांतरित करने के लिए समय-समय पर सामान्य भंडार का उपयोग किया जाता है।

4. प्रतिधारित आय:

प्रतिधारित आय, विनियोजन के बाद आज तक अर्जित समूह का लाभ है। प्रतिधारित आय 31-03-2023 तक ईसीएल, बीसीसीएल, डब्ल्यूसीएल और सीआईएएल की कुल संचित हानि है, जो ₹ 3891.37 करोड़ (पी.वाई. ₹ 5576.28 करोड़) है।

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

टिप्पणी 17: अन्य इक्विटी (जारी.)

5. अन्य व्यापक आय (ओसीआई):

ग्रेच्युटी और पोस्ट रिटायरमेंट मेडिकल बेनिफिट के एक्चुरियल बेनिफिट के उचित मूल्य में परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करता है।

6. इसमें अन्य व्यापक आय (ओसीआई) - विदेशी अनुषंगी कंपनी के वित्तीय विवरणों के अंतरण में विनिमय अंतर शामिल हैं।

7. होलिंग कंपनी के निदेशक मंडल ने कंपनी की आगामी वार्षिक आम बैठक में अनुमोदन के अधीन ₹ 4 (40%) के अंतिम लाभांश की सिफारिश की है। प्रति इक्विटी शेयर ₹ 5.25 (52.50%) का दूसरा अंतरिम लाभांश और ₹ 15.00 (150%) प्रति इक्विटी शेयर का पहला अंतरिम लाभांश वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए क्रमशः 31 जनवरी 2023 और 07 नवंबर 2022 को घोषित किया गया था। होलिंग कंपनी ने पिछले वित्तीय वर्ष के लिए प्रति इक्विटी शेयर ₹ 3.00 (30%) का अंतिम लाभांश और ₹ 14 (140%) प्रति इक्विटी शेयर का अंतरिम लाभांश घोषित किया है।

टिप्पणी – 18 : उधार

(₹ करोड़ में)

	31-03-2023 तक	31-03-2022 तक
गैर - चालू		
सावधि ऋण		
बैंकों से ¹ और ²	4,087.19	3,284.13
अन्य से ³	19.06	17.65
	4,106.25	3,301.78
सुरक्षित		
बैंकों से	3,927.33	3,284.13
अन्य से	19.06	17.65
असुरक्षित		
बैंकों से	159.86	155.35
चालू		
बैंक से		
- बैंक ओवरड्राफ्ट	-	0.18
लंबी अवधि के उधार की चालू परिपक्ता ¹	8.48	7.80
	8.48	7.98
सुरक्षित		
बैंकों से	0.03	0.18
असुरक्षित		
बैंकों से	8.45	7.80

1. निदेशकों और अन्य द्वारा गारंटीकृत ऋण:

ऋण का विवरण	राशि करोड़ रुपये में	गारंटी की प्रकृति
एक्सपोर्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, कनाडा, बैंक्यू नेशनल डी पेरिस एंड नाटेक्सिस बैंक्यू, फ्रांस	155.94	भारत के राष्ट्रपति द्वारा निष्पादित गारंटी
	3.92	भारत सरकार ने हमारे सभी भुगतान दायित्वों के संबंध में एक अपरिवर्तीय और बिना शर्त गारंटी प्रदान की है।

एक्सपोर्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, कनाडा, ऋण के ₹ 7.79 करोड़ (विगत वर्ष ₹ 7.18 करोड़) और बैंक्यू नेशनल डी पेरिस एंड नाटेक्सिस बैंक्यू, फ्रांस के ₹ 0.66 करोड़ (विगत वर्ष ₹ 0.62 करोड़) के दीर्घावधि उधार की वर्तमान परिपक्ता पर उपरोक्त के समान गारंटी प्रदत्त है।

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

टिप्पणी - 18 : उधार (जारी.)

पुनः भुगतान कार्यक्रम :

एक्सपोर्ट डेवलपमेंट कापोरेशन कनाडा: किश्तों की अदायगी अर्ध-वार्षिक यानी 31 जनवरी और 31 जुलाई को की जाती है और ऋण सुविधाएं 30 सितंबर, 2028 को पूरी की जाएंगी।

बैंक्यू नेशनल डी पेरिस एंड नाटेक्सिस बैंक्यू, फ्रांस: इन ऋण सुविधाओं के तहत चुकौती 30 सितंबर 2030 को पूर्ण होगा।

2. बैंकों से गैर चालू सावधि ऋण :

एसईआरएल की सहायक कंपनी सीईआरएल ने इंडियन बैंक की ब्याज दर 1 वर्ष एमसीएलआर +0.75 बी.पी. पर ₹2443.00 करोड़ के टर्म लोन (आरटीएल) प्राप्त करने के लिए 24.11.2017 को इंडियन बैंक के नेतृत्व वाले बैंकों के एक संघ के साथ टर्म लोन फाइनेंसिंग दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किये हैं। ऋण की चुकौती अवधि होगी: (i) 2 वर्ष की अधिस्थगन अवधि के बाद 14 वर्ष की अवधि में मूलधन; (ii) ब्याज राशि का भुगतान मासिक आधार पर किया जाएगा। सावधि ऋण निम्नलिखित द्वारा सुरक्षित है: (ए) परियोजना की वर्तमान और भविष्य दोनों की सभी अचल स्थिर संपत्तियों (फ्रिहोल्ड और लीज होल्ड सहित), प्रोजेक्ट एसेट्स को छोड़कर पर पहला प्रभार; (बी) परियोजना के संबंध में वर्तमान और भविष्य दोनों में, परियोजना संपत्तियों को छोड़कर सभी मूर्त चल संपत्तियों पर दृष्टिबंधक के माध्यम से प्रथम श्रेणी का समान शुल्क; (सी) रियायत समझौते द्वारा कवर की गई सीमा तक, बीमा अनुबंधों के असाइनमेंट सहित परियोजना के संबंध में सभी अधिकारों, हितों और दायित्वों पर दृष्टिबंधक के माध्यम से प्रथम श्रेणी का समान शुल्क; (डी) परियोजना के संबंध में सीईआरएल के सभी खातों और वर्तमान परिसंपत्तियों पर प्रथम श्रेणी का समान शुल्क और प्रासियों पर प्रथम शुल्क; (ई) रियायत समझौते और एस्क्रो समझौते में निर्दिष्ट प्राथमिकता के अनुसार अनुमेय सीमा के अधीन परियोजना के संबंध में सीईआरएल की सभी अमूर्त संपत्तियों पर दृष्टिबंधन के माध्यम से प्रथम श्रेणी का समान शुल्क; (एफ) सीईआरएल की कुल शेयरधारिता के 51% के लिए गैर निपाटन उपक्रम, इस शर्त के साथ कि डिफॉल्ट की स्थिति होने पर कुल शेयरधारिता का 24% प्रतिभूति ट्रस्टी के पक्ष में गिरवी रखा जाएगा; (जी) परियोजना परिसंपत्तियां प्रतिभूति का हिस्सा नहीं बनेंगी।

“सीईडब्ल्यूआरएल ने भारतीय स्टेट बैंक की 1 साल की एमसीएलआर +125 बीपीएस की ब्याज दर पर 3976.00 करोड़ के रूपये टर्म लोन (आरटीएल) का लाभ उठाने के लिए 04.09.2020 को भारतीय स्टेट बैंक के नेतृत्व में बैंकों के एक संघ के साथ सावधि ऋण वित्तपोषण पर समझौता किया है। ऋण की चुकौती अवधि होगी: एससीओडी से 2 साल की मोहलत अवधि के बाद संरचित त्रैमासिक किश्तों में 14 साल की अवधि में मूलधन; (ii) ब्याज राशि का भुगतान मासिक आधार पर किया जाएगा। सावधि ऋण (ए) उधारकर्ता की सभी अचल संपत्तियों पर पहला प्रभार; प्रोजेक्ट एसेट्स को छोड़कर, वर्तमान और भविष्य दोनों में; (बी) उधारकर्ता की सभी मूर्त चल संपत्तियों पर पहला प्रभार, जिसमें चल संयंत्र और मशीनरी, मशीनरी स्पेयर, उपकरण और सहायक उपकरण, फर्नीचर, फिक्स्चर, वाहन और अन्य सभी चल संपत्ति, वर्तमान और भविष्य दोनों, जमा, परियोजना संपत्तियों को छोड़कर : (सी) एस्क्रो खाता और उसके उप-खातों (या उसके प्रतिस्थापन में कोई भी खाता) सहित सभी प्राप्य, चालू संपत्ति और उधारकर्ता के खातों पर पहला प्रभार, जो इस समझौते और पूरक एस्क्रो समझौते, या परियोजना के संबंध में अन्य परियोजना दस्तावेज या अनुबंध, और समय-समय पर उसमें जमा सभी धनराशि, और सभी प्राप्य और अनुमत निवेश या अन्य प्रतिभूतियां; इनमें से किसी के अनुसार खोला जा सकता है। (डी) उधारकर्ता की सभी अमूर्त संपत्तियों पर पहला प्रभार, जिसमें गुडविल, अधिकार, उधारकर्ता के उपक्रम, और वर्तमान और भविष्य दोनों में, परियोजना परिसंपत्तियों को छोड़कर, शामिल हैं, लेकिन सीमित नहीं हैं, बशर्ते कि, उत्पन्न होने वाली सभी प्राप्तियां से एस्क्रो खाते में जमा किया जाएगा और उस पर प्रभार रियायत समझौते के अनुच्छेद 25 और एस्क्रो समझौते के खंड 4 में निर्दिष्ट प्राथमिकता के अनुसार अनुमेय सीमा के अधीन होगा। इसके अलावा, बिना मांग वाली पूंजी पर शुल्क, रियायत समझौते के प्रावधानों के अधीन होगा; (ई) परियोजना के संबंध में या नामिति के रूप में प्रतिभूति ट्रस्टी के पक्ष में उधारकर्ता के सभी अधिकार, शीर्षक, हित, दायित्व, लाभ, दावे और मांगें, जो भी हों, ऋणी के सभी अधिकार, शीर्षक और हित, किसी भी सरकारी प्राधिकरण से मांगे जाने के लिए आवश्यक सभी अनुमोदनों के तहत, उधारकर्ता के सभी अधिकार, शीर्षक, ब्याज, लाभ, दावे और मांगें, जो भी हो, कोई भी ऋण पत्र, गारंटी, जिसमें ठेकेदार गारंटी और परिसमापन नुकसान शामिल हैं और परियोजना दस्तावेजों के लिए किसी भी पार्टी द्वारा प्रदान किया गया प्रदर्शन बांद; और सभी बीमा अनुबंध परियोजना आस्तियों में या उसके तहत उधारकर्ता के सभी अधिकार, शीर्षक, हित, लाभ, दावे और मांगें, जो भी हों, प्रतिभूति का हिस्सा नहीं होंगे।

3. दूसरों से गैर चालू सावधि ऋण

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड से ऋण

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड से ऋण में मैसर्स छत्तीसगढ़ पूर्व-पश्चिम रेलवे लिमिटेड (सीईडब्ल्यूआरएल) के ₹ 10.87 करोड़ (₹ 10.06 करोड़) शामिल हैं, जो बनाए/विकसित किए जाने वाले सभी बुनियादी ढांचे और उधार की चुकौती अवधि के सभी भविष्य की प्राप्तियों पर प्रथम अधिकार द्वारा सुरक्षित हैं। ऋण स्थगन अवधि को छोड़कर चुकौती की अवधि 5 वर्ष का होगा जो ऋण समझौते पर हस्ताक्षर करने की तारीख से पांच वर्ष से अधिक नहीं होगा। ब्याज दर 07.09.2020 तक 8.65% प्रति वर्ष और 08.09.2020 से 8.25% प्रति वर्ष है, जो तिमाही आधार पर चक्रवृद्धि के साथ है।

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

टिप्पणी - 18 : उधार (जारी.)

सीएसआईडीसीएल से ऋण

सीएसआईडीसीएल से ऋण में मैसर्स छत्तीसगढ़ ईस्ट-वेस्ट रेलवे लिमिटेड (सीईडब्ल्यूआरएल) के ₹4.20 करोड़ (₹3.88 करोड़) शामिल हैं, जो कि निर्मित/विकसित किए जाने वाले सभी बुनियादी ढांचे और उधारकर्ताओं के भविष्य के सभी प्राप्त पर पहले अधिकार द्वारा सुरक्षित हैं। ऋण की चुकौती अवधि अधिस्थगन अवधि को छोड़कर 5 वर्ष की होगी बशर्ते ऋण समझौते पर हस्ताक्षर करने की तारीख से पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी। ब्याज दर 07.09.2020 तक 8.65% प्रति वर्ष और 08.09.2020 से 8.25% प्रति वर्ष है, जो तिमाही आधार पर चक्रवृद्धि होगी।

4. चालू संपत्तियों पर प्रतिभूति के मामले में:

तैयार माल की भौतिक मात्रा और कार्य-प्रगति का पता उत्पादन और अन्य अभिलेखों से लगाया जाता है और समूह द्वारा इस संबंध में पालन किए जाने के आधार पर प्रत्येक तिमाही में इसका मूल्यांकन किया जाता है। चालू संपत्तियों के लिए बैंकों को प्रस्तुत त्रैमासिक विवरणी/विवरण में ये सूची और बहियों और अभिलेखों से ली गई और अनुपालन की गई अन्य चालू संपत्तियों के आंकड़े शामिल हैं और इस प्रकार वे इससे सहमत हैं।

टिप्पण - 19: व्यापार देय

(₹ करोड़ में)

	31-03-2023 तक	31-03-2022 तक
चालू		
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का कुल बकाया	53.90	42.54
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के अलावा देनदारों की कुल बकाया राशि	8,495.28	8,560.99
कुल	8,549.18	8,603.53

1. साख अवधि:- क्रय आदेश के अनुबंध के नियमों और शर्तों के अनुसार व्यापार देय के लिए भुगतान किया जाता है।

2. व्यापार देय के तहत विविध लेनदारों का खुलासा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (अधिनियम) के तहत परिभाषित आपूर्तिकर्ताओं की प्रकृति के संबंध में कंपनी के पास उपलब्ध जानकारी पर आधारित है।

3. व्यापार देय समयावधि कार्यक्रम

31-03-2023 तक

विवरण	लेन-देन की तारीख से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया				
	एक वर्ष से कम	1-2 साल	2-3 साल	3 वर्ष से अधिक	कुल
i) एमएसएमई	53.90	-	-	-	53.90
ii) अन्य	7,604.68	529.14	117.47	168.28	8,419.57
iii) विवादित बकाया - एमएसएमई	-	-	-	-	-
iv) विवादित बकाया - अन्य	-	-	-	75.71	75.71
v) बिना बिल की बकाया राशि	-	-	-	-	-
कुल	7,658.58	529.14	117.47	243.99	8,549.18

31-03-2022 तक

विवरण	लेन-देन की तारीख से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया				
	एक वर्ष से कम	1-2 साल	2-3 साल	3 वर्ष से अधिक	कुल
i) एमएसएमई	42.54	-	-	-	42.54
ii) अन्य	7,671.55	375.39	137.08	295.31	8,479.33
iii) विवादित बकाया - एमएसएमई	-	-	-	-	-
iv) विवादित बकाया - अन्य	-	-	-	81.66	81.66
v) बिना बिल की बकाया राशि	-	-	-	-	-
कुल	7,714.09	375.39	137.08	376.97	8,603.53

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

टिप्पणी - 20 : अन्य वित्तीय देनदारियाँ

(₹ करोड़ में)

	31-03-2023 तक	31-03-2022 तक
गैर चालू		
प्रतिभूति जमा	3,201.38	2,470.80
अन्य	6.19	7.04
कुल	3,207.57	2,477.84
चालू		
आईआईपीएम का चालू खाता	-	0.21
अभुगतानित लाभांश ¹	15.50	15.18
प्रतिभूति जमा	1,514.17	1,875.24
अग्रिम धन	720.48	559.34
पूंजीगत व्यय के लिए देय ⁵		
ए. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का कुल बकाया	-	-
बी. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के अलावा लेनदारों की कुल बकाया राशि	5,169.81	3,757.12
कर्मचारी लाभ के लिए देयता	3,825.46	3,654.10
अन्य ² और ³	1,569.77	1,569.88
कुल	12,815.19	11,431.07

- वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान, वित्त वर्ष 2014-15 के अंतिम लाभांश से संबंधी ₹ शून्य (विगत वर्ष ₹ 0.71 करोड़) करोड़ की राशि को निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष (आईईपीएफ) में स्थानांतरित कर दिया गया है क्योंकि यह अभुगतानित लाभांश खाते में स्थानांतरित होने की तारीख से सात साल की अवधि के लिए अभुगतानित और गैर-दावा था।
- अन्य वित्तीय देनदारियाँ - चालू खाते में ₹ 663.03 करोड़ (₹ 656.54 करोड़) शामिल हैं जो साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड से संबंधित विभिन्न अदालतों / मध्यस्थता के समक्ष लंबित मामलों के कारण ग्राहकों और कर्मचारियों से प्राप्त राशि और ऐसी देनदारियों से संबंधित बैंक जमा पर अर्जित ब्याज है।
- उपरोक्त अन्य में अव्ययित सीएसआर व्यय शामिल हैं (अनुलग्नक - टिप्पणी - 29 सीएसआर व्यय देखें)
- वर्गीकरण के लिए टिप्पणी 38 (5) देखें
- 31 मार्च, 2023 तक सूक्ष्म और लघु उद्यमों पर कोई बकाया नहीं है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत प्रकट की जाने वाली जानकारी, ऐसे पक्षों की पहचान समूह के पास उपलब्ध जानकारी के आधार पर निर्धारित की गई है।
- जैसा कि कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के वेब पेज पर उपलब्ध है, सुरक्षित त्रिगों के संबंध में संपत्तियों के खिलाफ आरोप आरओसी के साथ दर्ज किए गए हैं।

अनुषंगी कंपनियों के पास संबंधित चार्ज धारकों से एनओसी प्राप्त होने पर, समय-सीमा के भीतर, जहां भी लागू हो, एमसीए के साथ चार्ज संतुष्टि ई-फर्म दाखिल करने की एक प्रणाली है।

टिप्पणी - 21: प्रावधान

(₹ करोड़ में)

	31-03-2023 तक	31-03-2022 तक
गैर चालू		
कर्मचारी लाभ		
प्रैच्यूटी	1,057.05	2,376.24
अवकाश नकदीकरण	1,425.65	1,088.28
सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ	1,780.75	2,281.66
अन्य कर्मचारी लाभ	304.26	292.21
अन्य प्रावधान	4,567.71	6,038.39
साइट की बहाली/खान बंदी ¹	7,784.22	7,238.71
स्थिरिंग गतिविधि समायोजन	56,476.01	52,666.89
अन्य	0.01	0.01
कुल	68,827.95	65,944.00

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

टिप्पणी - 21: प्रावधान (जारी.)

(₹ करोड़ में)

	31-03-2023 तक	31-03-2022 तक
लालू		
कर्मचारी लाभ		
ग्रैच्यूटी	1,062.05	1,395.96
अवकाश नकदीकरण	402.06	303.77
सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ	209.49	171.66
अनुग्रह राशि	1,724.82	1,809.68
प्रदर्शन से संबंधित भुगतान	1,963.30	1,434.27
अन्य कर्मचारी लाभ ²	9,359.53	1,090.86
	14,721.25	6,206.20
अन्य प्रावधान		
अन्य	242.13	18.19
कुल	14,963.38	6,224.39

1. साइट बहाली/खान बंद करने का प्रावधान

कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार कंपनी का दायित्व भूमि पुनरुद्धार और अवसंरचनाओं को हटाने के लिए व्यय में सतह के ऊपर और भूमिगत खाने - दोनों शामिल है। खान बंदी, स्थल पुस्थापनाएवं अवसंरचना को हटाने के लिए दायित्व का अनुमान भविष्य में कार्यों की आवश्यकतानुरूप किया जाने वाले व्यय का समय और विस्तृत गणना तथा तकनीकी मूल्यांकन के अनुसार होने वाले व्यय पर आधारित है। खान बंदी व्यय अनुमोदित खान बंद योजना के अनुसार प्रदान किया जाता है। मुद्रास्फीति के लिए खर्चों का अनुमान बढ़ा है, और फिर रियायती दर (@ 8%) पर छूट दी जाती है जो धन के समय मूल्य के वर्तमान बाजार मूल्यांकन और जोखिम को दर्शाती है, इस प्रकार प्रावधान की राशि अपेक्षित व्यय के वर्तमान मूल्य को दर्शाती है जिसके दायित्व को निपटाने के लिए आवश्यकता होती है। छूट के प्रभाव के कारण प्रावधान का मूल्य समय के साथ बढ़ता जा रहा है; जो वित्तीय व्यय के रूप में मान्यता प्राप्त व्यय का निर्माण करता है। खान बंदी योजना के कार्यान्वयन के लिए उपरोक्त दिशा-निर्देशों के संदर्भ में, एक एस्क्रो खाता खोला गया है। (टिप्पणी देखें - 9)

भूमि सुधार/साइट बहाली/खान बंद करने का समाधान:

(₹ करोड़ में)

	31-03-2023 तक	31-03-2022 तक
शुरूआती तारीख पर साइट बहाली का प्रावधान	7,238.71	6,731.50
साइट बहाली प्रावधान का जोड़	282.97	422.67
जोड़: अवधि के दौरान प्रभारित प्रावधान को समाप्त करना	504.75	449.99
घटाव: अवधि के दौरान निकासी	242.21	365.45
खदान बंद करने का प्रावधान	7,784.22	7,238.71

2. वेतन और मजदूरी के सभी तत्वों में वृद्धि के कुल प्रभाव पर विचार करते हुए, गैर-कार्यपालकों के लिए राष्ट्रीय कोयला मजदूरी समझौते (NCWA-दख) को अंतिम रूप देने के लिए ₹ 9252.24 करोड़ का अनुमानित प्रावधान (पिछले वर्षों से अग्रेषित किए गए ₹ 1080.97 करोड़ शामिल हैं) @ रु. 19,100/- प्रति कर्मचारी (गैर-कार्यकारी) प्रति माह 01.07.2021 से 31.03.2023 (पीवाई ₹ 1080.97 करोड़) की अवधि के लिए मान्यता प्राप्त है।

गैर-कार्यकारी कर्मचारियों के दीर्घकालिक लाभों के बीमांकिक मूल्यांकन में वित्तीय धारणा योजना की औपचारिक शर्तों में निर्धारित सभी लाभों के लिए वेतन में 6.25% प्रति वर्ष की वृद्धि पर विचार करती है, इसमें NCWA भी शामिल है। टिप्पणी 28 कर्मचारी लाभ व्यय का फुटनोट 1 देखें।

3. प्रावधान में संचलन के लिए - टिप्पण संख्या 38(8) (ए) देखें

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

टिप्पणि - 22 : अन्य गैर चालू देयताएं

	31-03-2023 तक	31-03-2022 तक	(₹ करोड़ में)
स्थानांतरण और पुनर्वास निधि ¹ और ²	5,918.97	5,872.67	
आस्थगित आय (सरकारी अनुदान)	592.06	653.97	
अन्य	315.96	1.07	
कुल	6,826.99	6,527.71	

1. टिप्पणि 9 का फुटनोट 4 देखें।

2. टिप्पणि 9 का फुटनोट 6 देखें।

टिप्पणि - 23 : अन्य चालू देयताएं

	31-03-2023 तक	31-03-2022 तक	(₹ करोड़ में)
सांविधि बकाया	8,611.42	7,880.54	
ग्राहकों/अन्य से अग्रिम	20,685.04	20,302.51	
उपकर समकारी खाता ¹	2,634.24	2,645.38	
अन्य देयताएं ²	383.24	68.89	
कुल	32,313.94	30,897.32	

1. ईसीएल के मामले में, पिछले दो वर्षों के औसत उत्पादन के आधार पर कोयला धारक भूमि के वार्षिक मूल्य पर उपकर का भुआतान करने की प्रक्रिया में, प्रत्येक वर्ष के 1 अप्रैल को प्रचलित दर पर मूल्य निर्धारण और मूल्य पर ग्राहकों से की गई वसूली पिछले वित्तीय वर्ष के 31 मार्च को प्रचलित बिक्री मूल्य को ध्यान में रखते हुए कोयले के प्रेषण के बाद, ₹ 1750.61 करोड़ (₹ 1853.29 करोड़) की देय राशि शेष है, जिसे उपकर समकारी खाते के तहत दिखाया गया है।

2. उपरोक्त में होलिंग कंपनी को सरकारी अनुदान के ₹ 0.11 करोड़ (विगत वर्ष ₹ 0.11 करोड़) शामिल हैं।

टिप्पणि - 24 : संचालन से राजस्व

	31-03-2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31-03-2022 को समाप्त वर्ष के लिए	(₹ करोड़ में)
बिक्री			
बिक्री	1,87,455.57	1,52,603.30	
घटाव: सांविधिक लेवी	59,828.10	52,040.73	
बिक्री (शुद्ध) (ए)^{1,2} और³	1,27,627.47	1,00,562.57	
अन्य संचालनगत राजस्व			
रेत भराई और सुरक्षात्मक कार्यों के लिए सब्सिडी	3.38	1.46	
लदाई और अतिरिक्त परिवहन शुल्क	6,449.90	5,498.26	
घटाव: सांविधिक लेवी	311.33	261.87	
	6,138.57	5,236.39	
निकासी सुविधा शुल्क	4,369.60	3,813.56	
घटाव: सांविधिक लेवी	208.22	181.49	
	4,161.38	3,632.07	
अन्य सेवाओं से राजस्व ⁴	367.20	327.47	
घटाव: सांविधिक लेवी	46.09	44.54	
	321.11	282.93	
अन्य संचालन राजस्व (शुद्ध) (बी)	10,624.44	9,152.85	
संचालनों से राजस्व (ए+बी)	1,38,251.91	1,09,715.42	

1. शुद्ध बिक्री (लेवी का शुद्ध) में गारे पाल्मा IV/2&3 खदान से संबंधित 23.26 लाख टन (पिछले वर्ष 27.13 लाख टन) कोयले की बिक्री पर 617.46 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 349.36 करोड़ रुपये) शामिल है और गारे पाल्मा IV/1 0.00 लाख टन (पिछले वर्ष 0.00 लाख टन) कोयले की बिक्री पर शून्य (पिछले वर्ष ₹. शून्य), जिसके लिए कोल इंडिया लिमिटेड को एसईपीएल के माध्यम से 01.04.2015 से एक नामित संरक्षक के समान संरक्षक नियुक्त किया गया है। कोयला मंत्रालय के दिनांक 21 अप्रैल, 2013 के पत्र के अनुसार 22.04.2023 से कस्टोडियन की क्षमता में गारे पाल्मा IV/2 और 3 से कोयले की रोकने का निर्देश दिया गया है।

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

टिप्पणी - 24 : संचालन से राजस्व (जारी.)

- उपर्युक्त कोयले की बिक्री अनुमानित कोयला गुणवत्ता भिन्नता (उत्क्रमण का शुद्ध) ₹ 259.57 (विगत वर्ष ₹ 73.90 करोड़) से बढ़ी/(कमी) हुई है।
- बिक्री में 31-03-2023 को समाप्त वर्ष के लिए ₹ 469.74 करोड़ (विगत वर्ष ₹ शून्य करोड़) की राशि के 357006.5 टन आयातित कोयले की बिक्री भी शामिल है।
- अन्य सेवाओं से राजस्व में मुख्य रूप से सीएमपीडीआईएल द्वारा प्रदान की जाने वाली परामर्श और अन्य सेवाएं शामिल हैं, जो सीआईएल की सहायक कंपनी है।

टिप्पण - 25 : अन्य आय

	31-03-2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31-03-2022 को समाप्त वर्ष के लिए
ब्याज आय ¹	3,069.09	1,612.55
म्युचुअल फंड से लाभांश आय	-	11.01
अन्य गैर-परिचालन आय (ऐसी आय से सीधे तौर पर जुड़े खर्चों का शुद्ध)		
संपत्ति की बिक्री पर लाभ	28.13	-
म्युचुअल फंड की बिक्री पर लाभ	338.35	138.42
पट्टा किराया ²	39.28	31.08
देयता/प्रावधान रिटेन बैंक (शुद्ध)	1,699.19	1,186.15
उचित मूल्य परिवर्तन (शुद्ध)	(33.43)	109.07
विविध आय ³	1,410.05	793.13
कुल	6,550.66	3,881.41

1. आयकर रिफंड पर ब्याज ₹ 183.36 करोड़ (विगत वर्ष ₹ 446.05 करोड़) शामिल है।

2. टिप्पण 38 (8) (ई) देखें

3. ग्राहक और ठेकेदार से जुर्माने की वसूली, ईएमडी/एसडी की जब्ती, एलडी की बुकिंग आदि के कारण विविध आय में ₹ 617 करोड़ की वृद्धि।

टिप्पण - 26 : खपत की गई सामग्री की लागत

	31-03-2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31-03-2022 को समाप्त वर्ष के लिए
विस्फोटक	5,655.13	3,121.33
लकड़ी	14.66	14.48
तेल और स्नेहक	5,284.00	4,298.74
एचईएम पुर्जों	1,435.27	1,112.04
अन्य उपभोग्य भंडार और पुर्जे	1,167.94	896.92
कुल	13,557.00	9,443.51

टिप्पणी - 27: परिष्कृत सामान भंडार, चालू कार्य एवं स्टॉक इन ट्रेड के सूची में बदलाव

	31-03-2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31-03-2022 को समाप्त वर्ष के लिए
कोयले के भंडार में परिवर्तन		
कोयले का अथ भंडार	5,413.13	7,616.00
अथ भंडार को राजस्व में परिवर्तित किया गया	-	3.08
कोयले का अंत भंडार	6,079.18	5,413.13
कार्यशाला के भंडार में परिवर्तन	(666.05)	2,205.95
कार्यशाला से तैयार माल का अथ भंडार, और प्रेस जॉब्स	91.87	194.41
कार्यशाला से तैयार माल अंत भंडार और और प्रेस जॉब्स बनाए	103.94	91.87
कुल	(12.07)	102.54
1. विकासशील खानों में कोयले का अथ भंडार पिछली अवधि के दौरान राजस्व में स्थानांतरित कर दिया गया है क्योंकि डब्ल्यूसीएल में विकासशील कुछ खदानें कंपनी की नीति के अनुसार चालू हो गई हैं।	(678.12)	2,308.49

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

टिप्पणी - 28 : कर्मचारी लाभ संबंधी व्यय

	31-03-2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31-03-2022 को समाप्त वर्ष के लिए
वेतन और मजदूरी (भते और बोनस आदि सहित) 1	38,644.35	30,534.07
भविष्य निधि और अन्य निधियों में अंशदान ²	8,369.00	7,905.73
कर्मचारी कल्याण व्यय	2,395.81	2,033.41
कुल	49,409.16	40,473.21

1. वेतन और मजदूरी में ₹ 8152.75 करोड़ का प्रावधान शामिल है (अन्य खनन अवसंरचना में पूंजीकृत के लिए ₹ 18.52 करोड़ को छोड़कर) (विगत वर्ष ₹ 1080.97 करोड़)। टिप्पण 21 का फुटनोट 2 देखें।

2. उपरोक्त में अधिकारियों के लिए परिभाषित मुआवजा अंशदान पेंशन योजना पर प्रतिपूरक ब्याज शामिल है।

टिप्पण - 29 : कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय

	31-03-2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31-03-2022 को समाप्त वर्ष के लिए
सीएसआर व्यय ¹	586.50	548.98
कुल	586.50	548.98

1. होलिडंग कंपनी के मामले में, ₹ 86.89 करोड़ के अतिरिक्त सीएसआर व्यय को 31.03.2022 तक अग्रिम के रूप में आगे बढ़ाया गया और जो अप्रयुक्त रहा, वर्ष के दौरान चार्ज ऑफ किया गया है।

टिप्पण 29 का अनुलग्नक: सीएसआर व्यय (नकद में व्ययित)

	(₹ करोड़ में)	
	2022-23	2021-22
क. आवश्यक सीएसआर व्यय और सीएसआर व्यय का ब्यौरा		
(ए) वर्ष के दौरान खर्च की जाने वाली आवश्यक राशि	447.32	459.27
(बी) वर्ष के दौरान खर्च की जाने वाली बोर्ड द्वारा अनुमोदित राशि	591.75	648.98
(सी) वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि:		
(i) किसी संपत्ति का निर्माण/अधिग्रहण	237.71	250.05
(ii) उपरोक्त (i) के अलावा अन्य उद्देश्यों पर	264.16	336.16
कुल	501.87	586.21

	(₹ करोड़ में)	
	2022-23	2021-22
ख. मान्यता प्राप्त सीएसआर व्यय और खर्च किए गए सीएसआर व्यय का मिलान		
सीएसआर खर्च	501.87	586.21
घटाव: वर्ष के दौरान आगे अग्रेषित किया गया/(उपयोग किया गया/चार्ज ऑफ किया गया)।	(72.53)	52.53
जोड़: चल रही परियोजनाओं पर अव्ययित सीएसआर व्यय	12.10	15.3
जोड़: चालू के अलावा अन्य पर अव्ययित सीएसआर व्यय	-	0
पी एंड एल में मान्यता प्राप्त राशि	586.50	548.98

	(₹ करोड़ में)	
	2022-23	2021-22
ग. चल रही परियोजना के अलावा अन्य अव्ययित राशि धारा 135(5)		
अथ जमा	-	-
अनूसूची सात के विशिष्ट कोष में 6 महीने के भीतर जमा।	-	-
वर्ष के दौरान खर्च की जाने वाली राशि	-	-
वर्ष के दौरान व्यय की गई राशि	-	-

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

टिप्पणि 29 का अनुलग्नक: सीएसआर व्यय (नकद में व्ययित) (जारी.)

घ. खर्च की गई अतिरिक्त राशि [धारा 135(5)¹]

वर्षवार विवरण	2022-23	2021-22	2020-21
अथ जमा	198.42	135.50	-
वर्ष के दौरान खर्च की जाने वाली राशि	382.28	388.56	299.79
साल के दौरान खर्च की गई राशि/चार्ज-ऑफ ²	309.75	451.48	435.29
अंत जमा शेष	125.89	198.42	135.50

1. नॉर्डन कोलफील्ड्स लिमिटेड, साउथ ईस्टन कोलफील्ड्स लिमिटेड, महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड, सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 (5) के अनुसार किए गए अतिरिक्त सीएसआर व्यय शामिल है।

2. टिप्पणि 29 कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय का फुटनोट 1 देखें।

(₹ करोड़ में)

ड. अव्ययित चल रही परियोजना [धारा 135(6)] (वर्ष-वार)	2022-23	2021-22
अथ जमा	कंपनी के साथ	-
	अलग सीएसआर खाते में	20.13
वर्ष के दौरान खर्च की जाने वाली राशि	43.39	-
वर्ष के दौरान व्यय की गई राशि	33.23	-
	अलग सीएसआर खाते में	7.04
अंत जमा शेष	कंपनी के साथ	-
	अलग सीएसआर खाते में	10.16
		13.09

सीएसआर व्यय की देयता के लिए प्रावधान

2022-23

अथ जमा	2022-23
अवधि के दौरान जोड़	122.34
वर्ष के दौरान समायोजन	91.76
जमा शेष	104.33
	109.77

उपरोक्त जानकारी सहायक कंपनियों के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों से लाइन टू लाइन आधार पर संकलित किया गया है।

टिप्पणि - 30: मरम्मत

(₹ करोड़ में)

	31-03-2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31-03-2022 को समाप्त वर्ष के लिए
इमारत	884.36	758.18
संयंत्र एवं उपकरण	856.81	845.15
अन्य	31.11	29.00
कुल	1,772.28	1,632.33

टिप्पणि - 31: अनुबंध व्यय

(₹ करोड़ में)

	31-03-2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31-03-2022 को समाप्त वर्ष के लिए
परिवहन शुल्क	5,267.41	4,579.63
वैगन लदाई	268.04	276.11
संयंत्र और उपकरणों को किराए पर लेना	17,376.52	13,591.48
अन्य अनुबंधात्मक कार्य	258.60	282.07
सीएमपीडीआई में अनुबंधात्मक व्यय ¹	118.64	145.87
कुल	23,289.21	18,875.16

1. सीएमपीडीआई द्वारा समूह कंपनियों के बाहर के विक्रेताओं को ड्रिलिंग और अन्वेषण आदि संविदात्मक कार्य सौंपे गए हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

टिप्पण - 32 : वित्त लागत

	31-03-2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31-03-2022 को समाप्त वर्ष के लिए
ब्याज खर्च		(₹ करोड़ में)
छूट की समाप्ति	546.09	456.81
उचित मूल्य परिवर्तन (शुद्ध)	10.67	53.50
अन्य उधार लागत	127.55	31.18
कुल	684.31	541.49

टिप्पण - 33: प्रावधान

	31-03-2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31-03-2022 को समाप्त वर्ष के लिए
संदिधि ऋण	334.23	106.74
संदिधि अग्रिम	26.44	5.73
भंडार और पुर्जे	14.26	42.54
अन्य	-	17.76
कुल	374.93	172.77

टिप्पण - 34: राइट ऑफ (पिछले प्रावधानों का शुद्ध)

	31-03-2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31-03-2022 को समाप्त वर्ष के लिए
संदिधि ऋण	191.90	16.58
घटाव :- पहले प्रदान किया गया	-	16.58
	191.90	-
संदिधि अग्रिम	0.67	4.08
कम :- पहले प्रदान किया गया	-	3.94
	0.67	0.14
अन्य	21.47	11.42
कम :- पहले प्रदान किया गया	21.44	-
	0.03	11.42
कुल	192.60	11.56

टिप्पण - 35 : अन्य व्यय

	31-03-2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31-03-2022 को समाप्त वर्ष के लिए
यात्रा व्यय	228.20	117.61
प्रशिक्षण संबंधी व्यय	57.39	44.06
टेलीफोन और इंटरनेट	165.41	110.30
विज्ञापन और प्रचार	33.44	26.70
माल भाड़ा शुल्क	34.92	28.51
विलम्ब शुल्क (डेमरेज)	80.25	88.65
सुरक्षा व्यय	1,328.97	1,210.86
विधि संबंधी व्यय	28.17	21.62
परामर्श शुल्क	43.34	60.22
अंडर लोडिंग शुल्क	477.62	593.82
संपत्तियों की बिक्री/छोड़ने/सर्वेक्षण पर हानि	-	15.48
लेखा परीक्षक का पारिश्रमिक और व्यय		
लेखापरीक्षा शुल्क के लिए	2.66	2.71
कराधान मामलों के लिए	0.29	0.24
अन्य सेवाओं के लिए	1.31	1.35
व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए	1.18	1.46

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

टिप्पणी - 35 : अन्य व्यय

(₹ करोड़ में)

	31-03-2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31-03-2022 को समाप्त वर्ष के लिए
आंतरिक और अन्य लेखापरीक्षा व्यय	23.85	22.96
पुनर्वास शुल्क	416.69	397.16
पट्टा किंवद्दा और हायरिंग चार्ज	592.27	544.13
दरें और कर	800.47	520.87
बीमा	9.54	7.67
विनिमय दर विचरण पर हानि	4.55	7.17
अन्य बचाव/सुरक्षा व्यय	32.83	28.81
साइर्डिंग रखरखाव शुल्क	120.58	88.47
अनुसंधान, विकास और सर्वेक्षण व्यय	131.47	31.82
पर्यावरण और वृक्षारोपण व्यय	355.50	254.53
दान, पुस्कार और अनुदान	87.30	14.39
विविध व्यय	833.54	791.34
कुल	5,891.74	5,032.91

1. टिप्पण 38 (8) (ई) देखें

टिप्पण - 36 : कर व्यय

(₹ करोड़ में)

	31-03-2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31-03-2022 को समाप्त वर्ष के लिए
चालू वर्ष	9,321.36	6,235.80
विगत वर्षों	68.39	21.32
कुल चालू कर	9,389.75	6,257.12
आस्थगित कर	486.12	(19.26)
कुल	9,875.87	6,237.86

कर व्यय का समाधान:

(₹ करोड़ में)

	31-03-2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31-03-2022 को समाप्त वर्ष के लिए
कर से पहले लाभ/(हानि)		
25.168% की आयकर दर पर (31.03.2022: 25.168%)	38000.81	23616.28
घटाव: छूट प्राप्त आय पर कर	9,564.04	5,943.75
जोड़: गैर-कटौती योग्य व्यय पर कर/(कर उद्देश्य के लिए अतिरिक्त व्यय की अनुमति)	13.38	16.08
पिछले वर्ष के कर के लिए समायोजन	256.82	288.87
लाभ और हानि के विवरण में दर्ज किए गए आयकर व्यय	68.39	21.32
प्रभावी आयकर दर :	9,875.87	6,237.86
आस्थगित कर संपत्तियों/(देनदारियों) के घटक के लिए टिप्पण 38 (8) (बी) देखें	25.99%	26.41%

आस्थगित कर संपत्तियों/(देनदारियों) के घटक के लिए टिप्पण 38 (8) (बी) देखें

टिप्पण - 37 : अन्य व्यापक आय

(₹ करोड़ में)

	31-03-2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31-03-2022 को समाप्त वर्ष के लिए
वे मद्दें जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		
परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्मूल्यांकन!	353.40	90.28
उन मद्दों से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा	353.40	90.28
परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्मूल्यांकन	(88.94)	(39.19)

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

टिप्पण - 37 : अन्य व्यापक आय (जारी.)

	31-03-2023 को समाप्त वर्ष के लिए (88.94)	31-03-2022 को समाप्त वर्ष के लिए (39.19)
वे मर्दें जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा		(₹ करोड़ में)
संयुक्त उद्यमों में ओसीआई का हिस्सा	0.03	0.22
एक विदेशी ऑपरेशन के वित्तीय विवरणों के अनुवाद में विनिमय अंतर	0.14	-
	0.17	0.22
कुल	264.63	51.31

1. ग्रेचुटी के ₹ 357.24 करोड़ (विगत वर्ष ₹ 110.11 करोड़) और सेवानिवृत्ति के बाद के चिकित्सा लाभ ₹ -3.83 करोड़ (विगत वर्ष ₹ -19.83 करोड़) शामिल है।

टिप्पण 38: 31-03-2023 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों के लिए अतिरिक्त टिप्पणी

1 क) आकस्मिक देयताएं

I कंपनी के विस्तृद्ध दावों को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है (जिस सीमा तक प्रावधान नहीं किया गया है)

	केंद्र सरकार	राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकरण	केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम	अन्य	कुल
01.04.2022 को अंत शेष	37,056.69	57,479.87	50.31	4,638.84	99,225.71
अवधि के दौरान जोड़	12,029.53	780.08	-	2,347.11	15,156.72
इस अवधि के दौरान निपटाया गया दावा:					
क. ओपनिंग बैलेंस से	4,558.29	44,755.47	1.13	458.67	49,773.56
ख. अवधि के दौरान वृद्धि से बाहर	3.24	0.31	-	5.42	8.97
31-03-2023 को अंत शेष	44,524.69	13,504.17	49.18	6,521.86	64,599.90

	केंद्र सरकार	राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकरण	केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम	अन्य	कुल
01.04.2021 को अंत शेष	34,396.39	55,917.03	50.31	4,026.38	94,390.11
अवधि के दौरान जोड़	3,901.27	1,783.27	-	742.32	6,426.86
इस अवधि के दौरान निपटाया गया दावा:					
क. ओपनिंग बैलेंस से	1,240.96	176.80	-	129.86	1,547.62
ख. अवधि के दौरान वृद्धि से बाहर	0.01	43.63	-	-	43.64
31-03-2022 को अंत शेष	37,056.69	57,479.87	50.31	4,638.84	99,225.71

आकस्मिक देयता

क्र.सं.	विवरण	31-03-2023	31-03-2022
1	केंद्र सरकार		
	आयकर	33,607.44	27,156.15
	केंद्रीय उत्पाद शुल्क	5,034.55	5,033.94
	स्वच्छ ऊर्जा उपकर	3,135.86	2,444.65
	केंद्रीय बिक्री कर	1,674.01	1,780.11
	सेवा कर	693.41	634.04
	अन्य, (कृपया निर्दिष्ट करें)	379.42	7.80
	कुल	44,524.69	37,056.69
2	राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकरण		
	रॉयलटी	3,900.48	4,024.31
	पर्यावरण निकासी	2,915.04	46,188.70
	बिक्री कर/वैट	3,056.91	3,091.71

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

टिप्पणि 38: 31-03-2023 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों के लिए अतिरिक्त टिप्पणी (जारी.)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	31-03-2023	31-03-2022
	प्रवेश कर	783.35	764.69
	विद्युत शुल्क	91.26	114.34
	एमएडीए	420.73	475.36
	अन्य	2,336.40	2,820.76
	कुल	13,504.17	57,479.87
3	केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम		
	मध्यस्थता की कार्यवाही	-	1.13
	मुकदमेबाजी के तहत कंपनी के खिलाफ मुकदमा	0.15	0.15
	अन्य, (कृपया निर्दिष्ट करें)	49.03	49.03
	कुल	49.18	50.31
4	अन्य: (यदि कोई हो)		
	विविध - भूमि और अन्य	5,278.69	3,744.20
	कर्मचारी संबंधित आदि	1,243.17	894.64
	कुल	6,521.86	4,638.84
	कुल योग	64,599.90	99,225.71

समूह के लंबित मुकदमे में समूह के खिलाफ दावा और लंबित कर/सांविधिक/सरकारी प्राधिकरणों की कार्यवाही शामिल है। समूह ने अपने सभी लंबित मुकदमों और कार्यवाहियों की समीक्षा की है और पर्याप्त प्रावधान किए हैं, और अपने समेकित वित्तीय विवरणों में, जहां लागू हो, आकस्मिक देनदारियों का खुलासा किया है। समूह को उम्मीद नहीं है कि इन कार्यवाहियों के परिणाम का उसकी वित्तीय स्थिति पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। उपरोक्त के संबंध में भावी नकटी बहिर्वाह निर्णयों/निर्णयों के परिणाम पर निर्भर हैं।

आकस्मिक संपत्ति: एक आकस्मिक संपत्ति एक संभावित संपत्ति है जो पिछली घटनाओं से उत्पन्न होती है और जिसका अस्तित्व केवल एक या एक से अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाओं की घटने या ना-घटने पर निर्भर करता है जो पूरी तरह से इकाई के नियंत्रण में नहीं है। व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम के दौरान, कई अनसुलझे दावे चालू में बकाया हैं। इस तरह के दावों के संबंध में आर्थिक लाभों के प्रवाह को संबंधित घटनाओं और परिस्थितियों से जुड़ी अनिश्चितताओं के कारण मापा नहीं जा सकता है।

कोल इंडिया लिमिटेड - समेकित

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई), मेसर्स कोल इंडिया लिमिटेड, मेसर्स वेस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड, मेसर्स साउथ ईस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड, मैसर्स महानंदी कोलफिल्ड्स लिमिटेड (मामले में मविपरीतपार्टी के रूप में कहा जाता है) के कुछ आचरणों के खिलाफ कुछ कोयला ग्राहकों (मामले में ममुख्यबिराफ कहे जाने वाले) की शिकायतों के आधार पर ने मामले की सुनवाई की और दिनांक 09.12.2013 के अपने आदेश द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ ₹ 1773.05 करोड़ का जुर्माना लगाया। उपरोक्त आदेश के खिलाफ अपील प्रतिस्पर्धा अपीलीय न्यायाधिकरण के पास दायर की गई थी और उनके निर्णय दिनांक 17.05.2016 के अनुसार कोल इंडिया लिमिटेड को अपील की अनुमति दी गई है, सीसीआई के विवादित आदेश को खारिज कर दिया गया है और मामलों में मुद्दे को नए सिरे से जानकारी के साथ निर्णय लेने के लिए आयोग के पास वापस भेज दिया गया है। सीसीआई ने 24 मार्च, 2017 को नया आदेश पारित किया जिसमें जुर्माने को घटाकर ₹ 591.01 करोड़ कर दिया गया। कोल इंडिया लिमिटेड ने ताजा विवादित आदेश के खिलाफ एनसीएलएटी के समक्ष अपील दायर की है और विवादित आदेश के संचालन पर रोक लगा दी गई है।

ईस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड

एमएमडीआर अधिनियम 1957 के तहत अवैध या गैर-कानूनी खनन खनिज के लिए दंड के रूप में झारखंड राज्य और जिला खनन अधिकारी धनबाद की मांग : झारखंड सरकार ने खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 के तहत अवैध या गैर-कानूनी रूप से ₹ 2,178.14 करोड़ के खनिज खनन के लिए दंड के रूप में मांग उठाई है। झारखंड राज्य और जिला खनन अधिकारी, धनबाद ने राजमहल क्षेत्र, एसपी माइंस और मुगमा क्षेत्र को 11 डिमांड नोटिस जारी किए थे, जिसमें उपरोक्त दंड का दावा किया गया था। सीजीएम (जीएम आई/सी), राजमहल, एसपी खान, ईसीएल के मुगमा क्षेत्र ने पुनरीक्षण प्राधिकरण, कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के समक्ष कथित उल्लंघन के संबंध में झारखंड राज्य द्वारा जारी डिमांड नोटिस को चुनौती देते हुए 11 पुनरीक्षण आवेदन दायर किए हैं।

पुनरीक्षण प्राधिकरण, माननीय कोयला न्यायाधिकरण, कोयला मंत्रालय ने दिनांक 22.01.2018 के आदेश द्वारा मांग नोटिस पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। इसके अलावा, पुनरीक्षण प्राधिकरण, माननीय कोयला न्यायाधिकरण, कोयला मंत्रालय ने निर्देश दिया है कि आपत्तिजनक मांग नोटिस के अनुसार उत्तरदाताओं द्वारा आवेदक के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं की जाएगी। इस मामले में झारखंड सरकार को जवाबी हलफनामा प्रस्तुत किया गया था और दिनांक 12.04.2022 को पुनरीक्षण प्राधिकरण, माननीय कोयला न्यायाधिकरण, कोयला मंत्रालय ने अपने आदेश दिनांक 29.06.2022 द्वारा राज्य द्वारा पारित आदेश को रद्द कर दिया था। और मामले को कानून के अनुसार आगे बढ़ने और मामले में नए सिरे से निर्णय लेने के लिए प्रतिवादी को वापस भेज दिया गया है।

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

टिप्पणि 38: 31-03-2023 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों के लिए अतिरिक्त टिप्पणी (जारी.)

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड

- i) भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 2014 के रिट पीटिशन (सी) सं. 114 कॉमन कॉर्ज बनाम यूनियन ऑफ इंडिया व अन्य में दिनांक 02.08.2017 के निर्णय के अनुसरण में राज्य सरकार द्वारा कंपनी की 47 परियोजनाओं/खानों/कोलियरियों के संबंध में ₹ 17344.46 करोड़ की मांग नोटिस जारी की गई है। यह आरोप लगाया गया है कि कोयले का उत्पादन या तो पर्यावरण मंजूरी, वन मंजूरी, संचालन के लिए सहमति और/या एनओसी/स्थापना की सहमति के बिना या ऐसी मंजूरी के तहत दी गई उत्पादन की स्वीकृत सीमा से परे किया गया है। एमएमडीआर अधिनियम की धारा 30 के साथ पठित खनिज रियायत नियम, 1960 के नियम 55(5) के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए उपरोक्त मांग नोटिस के निष्पादन पर अगले आदेश तक रोक लगा दी गई है। तदनुसार, उपरोक्त राशि को आकस्मिक देयता के रूप में दिखाया गया है। एमएमडीआर अधिनियम, 1957 की धारा 30 के तहत जेएस एंड आरए द्वारा जारी 03.11.2022 के एक आदेश में कंपनी की 20 परियोजनाओं/खानों/कोलियरियों के संबंध में ₹ 9641.56 करोड़ की राशि का मांग नोटिस रद्द कर दिया गया।
- ii) बीसीसीएल में, कैपिट्व पावर प्लांट (डब्ल्यूजे क्षेत्र) के लीज समझौते पर विवाद के कारण, 2014-15 के दूसरे वर्ष से बकाया लीज किराए पर सेवा कर (2014-15 के पहले वर्ष के लिए सर्विस टैक्स इसी बकाया लीज पर किराया पहले ही भुगतान किया जा चुका है) से 2015-2016 के तीसरे वर्ष (15.12.2016 को कंपनी को सौंप दिया गया संयंत्र) की राशि ₹ 1.06 करोड़ को आकस्मिक देयता के तहत दिखाया गया है।
- iii) बीसीसीएल ने ₹ 252.23 करोड़ की राशि के होल्डिंग टैक्स के भुगतान के लिए धनबाद नगर निगम के डिमांड नोटिस के खिलाफ माननीय झारखंड उच्च न्यायालय के समक्ष जिसका नंबर है- 2015 का WP(T)3583 एक रिट याचिका दाखिल की है। चूंकि मामला न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिए इसे होल्डिंग टैक्स शीर्षक के तहत आकस्मिक देयता के रूप में दिखाया गया है।
- iv) समझौते की शर्तों के अनुसार, मधुबन कोल वॉशरी (एमसीडब्ल्यू) द्वारा डीएलएफ को (i) रिजेक्ट और (ii) स्टार्ट-अप/बैक अप/आपातकालीन बिजली की आपूर्ति की लागत के मुकाबले डीएलएफ से प्राप्त हैं और डीएलएफ द्वारा स्थापित कैपिट्व पावर प्लांट (सीपीपी) से एमसीडब्ल्यू द्वारा प्राप्त ऊर्जा के लिए डीएलएफ को देय हैं। मामला न्यायालय में विचाराधीन है - एक धनबाद न्यायालय में और दूसरा विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण, नई दिल्ली में - सीपीपी के गारंटीकृत प्रदर्शन से कम की तुलना में अस्वीकृत की कीमत/गुणवत्ता पर विवादों के कारण। तदनुसार, इस स्तर पर शुद्ध बकाया पर प्राप्त/देय ब्याज का हिसाब नहीं दिया गया है। हालांकि, 31 दिसंबर, 2022 तक ₹ 35.46 करोड़ (31 मार्च, 2022 तक ₹ 33.54 करोड़) डीएलएफ को देय होगा और इसलिए इसे आकस्मिक देयता के रूप में माना गया है।

सेंट्रल कोलफिल्ड्स लिमिटेड

‘कॉमन कॉर्ज बनाम यूओआई और अन्य (डब्ल्यू.पी. (सी) संख्या 114/2014) के मामले में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद, झारखंड के कुछ जिला खनन अधिकारियों ने 42 परियोजनाओं में मांग नोटिस जारी किए, आरोप लगाया इन परियोजनाओं में उत्पादन उपलब्ध पर्यावरणीय मंजूरी सीमा से अधिक है।

कंपनी ने एमएमडीआर अधिनियम के तहत निर्णायक प्राधिकारी, माननीय कोयला न्यायाधिकरण, कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के समक्ष उपरोक्त मांगों के खिलाफ विधिवत पुनरीक्षण याचिका दायर की है। भारत सरकार के कोयला मंत्रालय के पुनरीक्षण प्राधिकारी ने अपने अंतरिम आदेश दिनांक 16.01.2018 में पुनरीक्षण आवेदन को स्वीकार कर लिया है और अगले आदेश तक ₹ 13568.50 (₹ 13568.50 करोड़) के मांग आदेश के निष्पादन पर रोक लगा दी है।

सीसीएल ने मुआवजे की मांग नोटिस का मूल्यांकन किया है, निपटान में संसाधनों के बहिर्वाह की संभावना दूरस्थ है और तदनुसार रिपोर्टिंग के प्रयोजन के लिए इसे आकस्मिक दायित्व के रूप में नहीं माना गया है।

साउथ ईस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड

समाहर्ता रायगढ़ एवं कोरेखा एवं कोरिया द्वारा ₹ 10182.64 करोड़ की पर्यावरण स्वीकृति की सीमा से अधिक उत्पादन, खनन योजना एवं एम०एम०डीआर० अधिनियम की धारा 21(5) इत्यादि की मांग हेतु कारण बताओ/मांग नोटिस जारी किया गया है। कुछ नोटिसों के उत्तर/अपील की गई है। संबंधित कलेक्टरों को प्रस्तुत किया गया है और कानूनी पुनरीक्षण के लिए कुछ उत्तर प्रक्रियाधीन हैं।

II गारंटी

31-03-2023 तक जारी की गई बैंक गारंटी ₹ 4227.27 करोड़ (विगत वर्ष ₹ 4106.33 करोड़) है।

III साख पत्र

31-03-2023 तक क्रेडिट का बकाया पत्र ₹ 2061.65 करोड़ (विगत वर्ष ₹ 2268.39 करोड़) है।

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

टिप्पणि 38: 31-03-2023 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों के लिए अतिरिक्त टिप्पणी (जारी.)

ख) प्रतिबद्धताएं

शेष अनुबंधों की अनुमानित राशि पूँजी खाते पर निष्पादित की जानी है और इसके लिए प्रदान नहीं किया गया है: ₹ 22640.61 करोड़ (विगत वर्ष ₹ 15082.02 करोड़) (अग्रिम का शुद्ध ₹ 5271.43 करोड़ (विगत वर्ष ₹ 3310.58 करोड़))।

अन्य प्रतिबद्धताएं: ₹ 72623.17 करोड़ (विगत वर्ष ₹ 56511.27 करोड़)।

2 संबंधित पार्टी की जानकारी

क) समूह सूचना

I) अनुषंगी कंपनियाँ

क्र. सं.	इकाई का नाम	मुख्य गतिविधियाँ	इसके निगमन का देश	% इकिटी व्याज	31-03-2023	31-03-2022
1	ईस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड (ईसीएल)	कोयला खनन	भारत	100%	100%	100%
2	भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल)	कोयला खनन	भारत	100%	100%	100%
3	सेंट्रल कोलफिल्ड्स लिमिटेड (सीसीएल)	कोयला खनन	भारत	100%	100%	100%
4	नॉर्दर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड (एनसीएल)	कोयला खनन	भारत	100%	100%	100%
5	वेस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड (डब्ल्यूसीएल)	कोयला खनन	भारत	100%	100%	100%
6	साउथ ईस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल)	कोयला खनन	भारत	100%	100%	100%
7	महानदी कोलफिल्ड्स लिमिटेड (एमसीएल)	कोयला खनन	भारत	100%	100%	100%
8	सीएमपीडीआई लिमिटेड (सीएमपीडीआई)	कोयला और खनिज अन्वेषण में परामर्शी सहायता	भारत	100%	100%	100%
9	कोल इंडिया अफ्रीकाना लिमिटेड, मोज़ाम्बिक (CIAL)	कोयला खनन	मोज़ाम्बिक	कोटा पूँजी	कोटा पूँजी	कोटा पूँजी
10	सीआईएल सोलर प्रा. लिमिटेड (सीएसपीएल)	सौर ऊर्जा	भारत	100%	100%	100%
11	सीआईएल नवीकरणीय ऊर्जा लिमिटेड (सीएनयूएल)	नवीकरणीय ऊर्जा	भारत	100%	100%	100%

II) संयुक्त उधम कंपनियाँ

क्र. सं.	इकाई का नाम	मुख्य गतिविधियाँ	इसके निगमन का देश	% इकिटी व्याज	31-03-2023	31-03-2022
1	इंटरनेशनल कोल वेंचर प्राइवेट लिमिटेड (आईसीवीएल)	कोयला	भारत	0.19%	0.19%	0.19%
2	सीआईएल एनटीपीसी ऊर्जा प्राइवेट लिमिटेड (सीएनयूपीएल)	ऊर्जा	भारत	50.00%	50.00%	50.00%
3	तालचेर फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (टीएफएल)	उर्वरक	भारत	33.33%	33.33%	33.33%
4	हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड (एचयूआरएल)	उर्वरक	भारत	33.33%	33.33%	33.33%
5	कोल लिग्राइट ऊर्जा विकास प्राइवेट लिमिटेड (सीएलयूपीएल)	ऊर्जा	भारत	50.00%	50.00%	50.00%

III) रोजगार उपरांत लाभ निधि और अन्य

क्र. सं.	इकाई का नाम	प्रकृति	इसके निगमन का देश
1	कोल इंडिया कर्मचारी ग्रेचुटी फंड	विश्वास	भारत
2	कोयला खान भविष्य निधि (सीएमपीएफ)	कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के नियंत्रणाधीन सांविधिक निकाय	भारत
3	कोल इंडिया सुपरनेशन बेनिफिट फंड ट्रस्ट	विश्वास	भारत
4	कर्मचारियों के लिए अंशदायी सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा योजना संशोधित	विश्वास	भारत
5	सीआईएल अधिकारी परिभाषित अंशदान पैशन ट्रस्ट	विश्वास	भारत
6	भारतीय कोयला प्रबंधन संस्थान (आईआईसीएम)	पंजीकृत सोसायटी	भारत
7	कोल इंडिया स्पोर्ट्स प्रमोशन एसोसिएशन (सीआईएसपीए)	पंजीकृत सोसायटी	भारत

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

टिप्पण 38: 31-03-2023 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों के लिए अतिरिक्त टिप्पणी (जारी.)

iv) प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

कोल इंडिया लिमिटेड

नाम	पद	इस तिथि से
श्री प्रभाद अग्रवाल	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक	01.02.2020
	निदेशक (वित्त) - अतिरिक्त प्रभार	29.12.2021 - 28.12.2022
श्री बी. वीरा रेड्डी	निदेशक (तकनीकी)	01.02.2022
	निदेशक (विपणन) अतिरिक्त प्रभार	01.05.2022 - 22.12.2022
श्री एस.एन. तिवारी	निदेशक (विपणन)	29.12.2022
	निदेशक (विपणन)	01.12.2019 - 30.04.2022
श्री मुकेश चौधरी	निदेशक (व्यवसाय विकास)	23.12.2022
श्री देवाशीष नंदा	निदेशक (कार्मिक)	11.07.2022
श्री विनय रंजन	स्वतंत्र निदेशक	28.07.2021
प्रो. जी. नागेश्वर राव	स्वतंत्र निदेशक	01.11.2021
डॉ. अरुण कुमार उरांव	स्वतंत्र निदेशक	05.11.2021
श्री कामेश कांत आचार्य	स्वतंत्र निदेशक	02.11.2021
श्री दिनेश सिंह	स्वतंत्र निदेशक	01.11.2021
श्री मकवाना पी कलाभाई	स्वतंत्र निदेशक	02.11.2021
श्री बी राजेशचंद्र	स्वतंत्र निदेशक	01.11.2021
कैप्टन घनश्याम सिंह राठोड़	स्वतंत्र निदेशक	01.03.2023
श्री बी.के. तिवारी	स्वतंत्र निदेशक	29.11.2019 - 21.02.2023
श्री नागराजू मदिला	सरकार द्वारा नामित निदेशक	22.02.2023
सुश्री निरुपमा कोटरू	सरकार द्वारा नामित निदेशक	15.06.2021
श्री एस.के. मेहता	सीएफओ	01.01.2022
श्री एम. विश्वनाथन	कंपनी सचिव	14.12.2011 - 30.09.2022
श्री बी पी दुबे	कंपनी सचिव	21.10.2022

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड

नाम	पद	इस तिथि से
श्री अम्बिका प्रसाद पांडा	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक	01.02.2022
श्री जयप्रकाश गुप्ता	निदेशक (तकनीकी) पी एंड पी	18.06.2018
मो. अंजर आलम	निदेशक (वित्त)	15.09.2022
श्री बी. वीरा रेड्डी	अंशकालिक आधिकारिक निदेशक	12.05.2022
सुश्री आहुति स्वैन	निदेशक (कार्मिक)	18.11.2022
श्री संजय कुमार सिंह	निदेशक (तकनीकी/संचालन) - अतिरिक्त प्रभार	01.12.2022 - 31.01.2023
श्री उदय अनंतराव काओले	निदेशक (तकनीकी/पी एंड पी) - अतिरिक्त प्रभार	01.12.2022 - 08.12.2022
श्री नीलेंदु कुमार सिंह	निदेशक (तकनीकी/पी एंड पी)	09.12.2022
श्री नीलाद्रि राय	निदेशक (तकनीकी/संचालन)	01.02.2023
श्री अनिमेष भारती	आर्थिक सलाहकार, कोयला मंत्रालय, अंशकालिक आधिकारिक निदेशक	17.03.2020- 04.07.2022
श्री हर कुमार हाजोंग	आर्थिक सलाहकार, कोयला मंत्रालय, अंशकालिक आधिकारिक निदेशक	05.07.2022
श्री एसएन तिवारी	अंशकालिक आधिकारिक निदेशक	05.07.2021 - 30.04.2022
श्री अनिल कुमार गनेरीवाला	स्वतंत्र निदेशक	10.07.2019 - 09.07.2022
श्रीमती धर्मशीला गुप्ता	स्वतंत्र निदेशक	01.11.2021
श्री शिव नारायण पाण्डेय	स्वतंत्र निदेशक	01.11.2021
श्री शिव तपस्या पासवान	स्वतंत्र निदेशक	01.11.2021
श्री शरद कुमार सोमानी	सीएफओ	04.02.2022-14.09.2022
श्री रामबाबू पाठक	कंपनी सचिव	02.07.2018

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

टिप्पणि 38: 31-03-2023 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों के लिए अतिरिक्त टिप्पणी (जारी.)

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड

नाम	पद	इस तिथि से
श्री समीरन दत्ता	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक	28.12.2021
	निदेशक (वित्त) अतिरिक्त प्रभार	18.07.2019 - 14.04.2023
	निदेशक (कार्मिक) अतिरिक्त प्रभार	01.08.2022 - 31.10.2022
श्री पी.वी.के.आ.र मल्लिकार्जुन	निदेशक (कार्मिक)	01.06.2020-31.07.2022
श्री हर्ष नाथ मिश्र	निदेशक (कार्मिक)	01.11.2022 - 22.02.2023
श्री मुरली कृष्ण रमेया	निदेशक (कार्मिक)	23.02.2023
श्री संजय कुमार सिंह	निदेशक (तकनीकी/पी एंड पी/ओपी)	05.02.2022
श्री उदय अंतराव काओले	निदेशक (तकनीकी/पी एंड पी)	22.08.2022
श्री राकेश कुमार सहाय	निदेशक (वित्त)	14.04.2023
श्री बी. वीरा रेड्डी	अंशकालिक निदेशक, (डी (टी) सीआईएल	24.02.2022-23.08.2022
श्री आनंदजी प्रसाद	अंशकालिक निदेशक (परियोजना सलाहकार, एमओसी, सरकार द्वारा नामित)	03.01.2022
श्री देवाशी नंदा	अंशकालिक निदेशक (निदेशक (बीडी), सीआईएल)	23.08.2022
लेफ्टिनेंट जनरल नरेंद्र सिंह	स्वतंत्र निदेशक	10.07.2019 - 09.07.2022
श्रीमती शशि सिंह	स्वतंत्र निदेशक	01.11.2021
श्री आलोक कुमार अग्रवाल	स्वतंत्र निदेशक	01.11.2021
श्री सत्यनाथ पांडा	स्वतंत्र निदेशक	01.11.2021
श्री राम कुमार राय	स्वतंत्र निदेशक	31.03.2022
श्री बीके पार्सु	कंपनी सचिव	30.08.2013

सेंट्रल कोलफिल्ड्स लिमिटेड

नाम	पद	इस तिथि से
श्री मल्लिकार्जुन प्रसाद पोलावरापु	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक	01.09.2020
श्री राम बाबू प्रसाद	निदेशक (तकनीकी/संचालन)	14.05.2022
श्री के.आर. वासुदेवन	निदेशक (वित्त)	01.07.2021 - 09.06.2022
श्री पवन कुमार मिश्र	निदेशक (वित्त) सीएफओ	10.06.2022 24.08.2022
श्री पी.वी.के.आर. मल्लिकार्जुन राव	निदेशक (कार्मिक)	23.07.2021-31.07.2022
श्री हर्ष नाथ मिश्र	निदेशक (कार्मिक)	24.08.2022
श्री एस के गोमास्ता	निदेशक (तकनीकी/पी एंड पी)	01.11.2021 - 25.10.2022
श्री बी. साईराम	निदेशक (तकनीकी/पी एंड पी)	26.10.2022
सुश्री संतोष	अंशकालिक निदेशक, उप. महानिदेशक, एमओसी	03.01.2022
श्री अजितेश कुमार	अंशकालिक सरकारी नामित निदेशक	22.02.2023
श्री हरबंस सिंह	स्वतंत्र निदेशक	10.07.2019 - 09.07.2022
श्रीमती जाजुला गौरी	स्वतंत्र निदेशक	10.07.2019 - 09.07.2022
श्री रमेश कुमार सोनी	स्वतंत्र निदेशक	01.11.2021
श्री विनय रंजन	अंशकालिक निदेशक, (डी (पी) सीआईएल)	05.08.2021
श्री राजेंद्र सिंह	महाप्रबंधक(वित्त)/सीएफओ	01.01.2022-23.08.2022
श्री अमरेश प्रधान	कंपनी सचिव	31.08.2022
श्री रवि प्रकाश	कंपनी सचिव	13.07.2017-31.08.2022

वेस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड

नाम	पद	इस तिथि से
श्री मनोज कुमार	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक	01.01.2021
	निदेशक (वित्त) - अतिरिक्त प्रभार	07.01.2022
डॉ. संजय कुमार	निदेशक (कार्मिक)	23.07.2015
श्री जय प्रकाश द्विवेदी	निदेशक (तकनीकी)	04.02.2022

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

टिप्पणि 38: 31-03-2023 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों के लिए अतिरिक्त टिप्पणी (जारी.)

नाम	पद	इस तिथि से
श्री अनिल कुमार सिंह	निदेशक (तकनीकी)	14.05.2022
श्री रामहेर	कंपनी सचिव	07.10.2021 - 06.10.2022
श्री एम.के. बालुका	सीएफओ	09.03.2022
श्रीमती रितु वार्ष्णेय	कंपनी सचिव	07.10.2022
श्री भवानी प्रसाद पति	सरकार द्वारा नामित निदेशक	17.03.2020 - 22.02.2023
श्री सुदर्शन भगत	सरकार द्वारा नामित निदेशक	22.02.2023
श्री विनय रंजन	सरकार द्वारा नामित निदेशक	05.08.2021 - 27.01.2023
श्री मुकेश चौधरी	सरकार द्वारा नामित निदेशक	27.01.2023
डॉ दर्शन सी देशमुख	स्वतंत्र निदेशक	25.07.2019 - 24.07.2022
श्री भाग चंद अग्रवाल	स्वतंत्र निदेशक	01.11.2021
श्री कांतिलाल चतुरभाई पटेल	स्वतंत्र निदेशक	01.11.2021
श्री बलराम नंदवानी	स्वतंत्र निदेशक	01.11.2021
श्री बिनोद बिहारी दास	स्वतंत्र निदेशक	01.11.2021

नॉर्डन कोलफिल्ड्स लिमिटेड

नाम	पद	इस तिथि से
श्री भोला सिंह	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक	01.01.2022
	निदेशक (तकनीकी/पी एंड पी) (अतिरिक्त प्रभार)	01.10.2022 - 27.12.2022
	निदेशक (वित्त) (अतिरिक्त प्रभार)	01.06.2022 - 27.09.2022
श्री एस. एन. तिवारी	आधिकारिक अंशकालिक निदेशक	23.12.2019 से 30.04.2022 तक
श्री वी.के. तिवारी	आधिकारिक अंशकालिक निदेशक	03.01.2022- 22.02.2023
श्री मरापल्ली वेंकटेशवरलू	आधिकारिक अंशकालिक निदेशक	22.02.2023
श्री विनय रंजन	आधिकारिक अंशकालिक निदेशक	12.05.2022
श्री त्रिकम बिजल छंगा	स्वतंत्र निदेशक	01.11.2021- 13.11.2022
श्रीमती मुखीना बंसल	स्वतंत्र निदेशक	01.11.2021
श्री संजीव झा	स्वतंत्र निदेशक	01.11.2021 - 09.02.2023
डॉ. अर्निद्य सिन्हा	निदेशक (टी/ओ)	30.04.2020
	निदेशक (कार्मिक) (अतिरिक्त प्रभार)	01.06.2022 - 21.09.2022
श्री आर.एन. दुबे	निदेशक (वित्त) और सीएफओ, निदेशक (कार्मिक) (अतिरिक्त प्रभार)	01.06.2020 से 31.05.2022
		01.08.2021 से 31.05.2022
श्री रजनीश नारायण	जीएम (वित्त) और सीएफओ	27.09.2022
श्री एस.एस. सिन्हा	निदेशक (तकनीकी / पी एंड पी)	01.08.2020 - 30.09.2022
श्री मनीष कुमार	निदेशक (कार्मिक)	21.09.2022
श्री जितेंद्र मलिक	निदेशक (तकनीकी / पी एंड पी)	27.12.2022
श्री दीपेन मेहरा	जीएम (वित्त) और सीएफओ	27.07.2022 - 28.10.2022
श्री सुशांत कुमार पांडा	कंपनी सचिव	04.07.2022
श्री हर्ष चौहान	कंपनी सचिव	28.01.2019 से 04.07.2022 तक

साउथ ईस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड

नाम	पद	इस तिथि से
डॉ. पीएस मिश्रा	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक	28.01.2022
	निदेशक (वित्त) (अतिरिक्त प्रभार)	01.04.2022 - 11.08.2022
	निदेशक (कार्मिक) (अतिरिक्त प्रभार)	01.10.2022-12.01.2023
श्री एम.के. प्रसाद	निदेशक (तकनीकी) संचालन	01.11.2020 - 30.09.2022
	निदेशक (कार्मिक) (अतिरिक्त प्रभार)	01.11.2022- 30.09.2022
श्री एस.के. पाल	निदेशक (तकनीकी) / संचालन	01.10.2022
	निदेशक (तकनीकी) / पी एंड पी	15.12.2020 - 09.12.2022
श्री एस.एन. कापड़ी	निदेशक (वित्त)	12.08.2022
	सीएफओ	27.09.2022

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

टिप्पणि 38: 31-03-2023 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों के लिए अतिरिक्त टिप्पणी (जारी.)

नाम	पद	इस तिथि से
श्री एस.एन. कापड़ी	निदेशक (तकनीकी) / पी एंड पी	09.12.2022
श्री देवाशीष आचार्य	निदेशक (कार्मिक)	12.01.2023
श्री भवानी प्रसाद पति	सरकार द्वारा नामित निदेशक	22.02.2023
सुश्री विस्मिता तेज	सरकार द्वारा नामित निदेशक	30.12.2020 – 21.02.2023
श्री बी. वीरा रेड्डी	सरकार द्वारा नामित निदेशक	24.02.2022
श्री एस.के. देशपांडे	स्वतंत्र निदेशक	25.07.2019 – 24.07.2022
सीएस (डॉ.) श्याम अग्रवाल	स्वतंत्र निदेशक	01.11.2021
. गजनन देवराव अशोले	स्वतंत्र निदेशक	01.03.2023
श्री टांकाधर त्रिपाठी	स्वतंत्र निदेशक	01.11.2021
श्री अजय कुमार पाण्डेय	सीएफओ	02.05.2022 – 26.09.2022
श्री स्वनिल सुधांशु	कंपनी सचिव	01.12.2022
श्री. एस.एम. यूनुस	कंपनी सचिव	17.08.2010 – 30.11.2022

महानदी कोलफिल्ड्स लिमिटेड

नाम	पद	इस तिथि से
श्री ओपी सिंह	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक	01.01.2022
	निदेशक (तकनीकी-संचालन)	01.09.2016 – 22.08.2022
श्री के.आर. वासुदेवन	निदेशक (वित्त)	04.02.2018 – 31.07.2022
श्री ए.के. बेहरा	निदेशक (वित्त)	01.08.2022
श्री जुगल बोरा	निदेशक (तकनीकी-पी एंड पी)	19.04.2022
श्री एसके पाल	निदेशक (तकनीकी-पी एंड पी)	01.12.2021-19.04.2022
श्री के. राव	निदेशक (कार्मिक)	18.12.2019
श्री एस. के. बेहरा	कंपनी सचिव	15.11.2021-25.04.2022
श्री सौभाग्य परिदा	कंपनी सचिव	25.04.2022
श्री विनय रंजन	अंशकालिक आधिकारिक निदेशक	12.05.2022 – 09.07.2022
श्री एसएन तिवारी	अंशकालिक आधिकारिक निदेशक	23.12.2019-12.05.2022
श्री नागराजू मदिरला	अंशकालिक आधिकारिक निदेशक	17.03.2020
श्री एस. मोहन	स्वतंत्र निदेशक	10.07.2019 – 23.08.2022
डॉ. देवाशीष नंदा	अंशकालिक आधिकारिक निदेशक	23.08.2022
श्री संजीव कुमार कस्सी	अंशकालिक आधिकारिक निदेशक	22.02.2023
श्री मुकेश कुमार चौधरी	अंशकालिक आधिकारिक निदेशक	27.01.2023
डॉ. आशा लकड़ा	स्वतंत्र निदेशक	01.11.2021

सीएमपीडीआईएल

नाम	पद	इस तिथि से
श्री मनोज कुमार	अध्यक्ष सह-प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार)	04.10.2021
श्री बी वीरा रेड्डी	अंशकालिक आधिकारिक निदेशक	24.02.2022
श्री आर.एन. झा	निदेशक तकनीकी	30.01.2019
श्री अजय कुमार	निदेशक तकनीकी	26.10.2022
श्री सतेन्द्र कुमार गोमस्ता	निदेशक तकनीकी	25.02.2020 – 09.07.2022
श्री कृष्ण चंद्र पाण्डेय	स्वतंत्र निदेशक	10.07.2019 – 09.07.2022
श्रीमती अलका पांडा	स्वतंत्र निदेशक	10.07.2019 – 09.07.2022
श्री मुकेश चौधरी	सरकार द्वारा नामित निदेशक	26.05.2020 – 07.12.2022
श्री शंकर नागाचारी	निदेशक तकनीकी	02.09.2022
श्री प्रमोद सिंह चौहान	स्वतंत्र निदेशक	16.10.2019 – 15.10.2022
श्री पी.के. प्रसाद	मुख्य वित्तीय अधिकारी	01.04.2021
श्री अभिषेक मूंदडा	कंपनी सचिव	18.02.2016

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

टिप्पणि 38: 31-03-2023 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों के लिए अतिरिक्त टिप्पणी (जारी.)

V) प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	सीएमडी, पूर्णकालिक निदेशकों और कंपनी सचिव को भुगतान	31-03-2023	31-03-2022
i)	लघु अवधि के कर्मचारी लाभ	27.53	31.71
ii)	रोजगार के बाद के लाभ	11.40	6.26
iii)	अन्य दीर्घकालिक लाभ	-	-
iv)	समाप्ति लाभ	-	-
v)	शेयर आधारित भुगतान	-	-
कुल		38.93	37.97

टिप्पणी:

- (i) उपरोक्त के अलावा, पूर्णकालिक निदेशकों को सेवा शर्तों के अनुसार ₹2000 प्रति माह के भुगतान पर 1000 किलोमीटर की अधिकतम सीमा तक निजी यात्रा के लिए कारों के उपयोग की अनुमति दी गई है।

VI) स्वतंत्र निदेशकों को भुगतान

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	स्वतंत्र निदेशकों को भुगतान	31-03-2023	31-03-2022
i)	बैठक शुल्क	1.45	1.19

VII) प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के पास बकाया राशि

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31-03-2023	31-03-2022
i)	देय राशि	0.02	0.44
ii)	प्राप्य राशि	-	-

VIII) कंपनी के निदेशकों या अन्य अधिकारियों से अलग-अलग या किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से कोई व्यापार या अन्य प्राप्य देय नहीं हैं। न ही कोई व्यापार या अन्य प्राप्य क्रमशः फर्मों या निजी कंपनियों से देय हैं जिनमें कोई निदेशक भागीदार, निदेशक या सदस्य है। इसके अलावा संबंधित पार्टीयों (निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्ति और अन्य) का कोई ऋण नहीं है।

3 विविध जानकारी

- i) पिछले वर्ष के आंकड़ों को तुलनीय बनाने के लिए, जहां आवश्यक हो, पुनर्सूचित किया गया है।
- ii) टिप्पणि - 1 और 2 क्रमशः कॉर्पोरेट जानकारी और महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, टिप्पणी 3 से 23, 31-03-2023 तक बैलेंस शीट का हिस्सा है और 24 से 37 उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि के विवरण का हिस्सा है। टिप्पणि - 38 वित्तीय विवरणों के अतिरिक्त नोट्स का प्रतिनिधित्व करता है।
- iii) समेकित वित्तीय विवरण, कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा उनकी दिनांक 07 मई, 2023 की बैठक में शेयरधारकों को अंगीकार करने के लिए जारी करने के लिए अनुमोदित किया गया है।
- iv) बंद की गई कंपनियों के साथ लेन-देन की व्यापक सूची का पता लगाने और प्रदान करने के लिए कोई प्रणाली नहीं है। हालाँकि, समूह के पास उपलब्ध जानकारी के आधार पर, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 के तहत बंद की गई कंपनियों के साथ कोई लेन-देन नहीं हुआ।

4 संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं और अनुषंगी कंपनियों में व्याज की समेकन और वित्तीय रिपोर्टिंग के सिद्धांत

- i) समेकन में उपयोग की जाने वाली अनुषंगी कंपनियों के वित्तीय विवरण मूल कंपनी के समान रिपोर्टिंग तिथि अर्थात् समाप्त वर्ष के 31.03.2023 को तक तैयार किए जाते हैं।
- ii) ii) समेकित वित्तीय विवरण कोल इंडिया लिमिटेड, इसकी पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनियों, अर्थात् ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ईसीएल), भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल), सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल), नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एनसीएल), वेस्टर्नकोलफील्ड्स लिमिटेड (डब्ल्यूसीएल), साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल), महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल), सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड (सीएमपीडीआईएल), कोल इंडिया अफ्रीकाना लिमिटेड

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

टिप्पणि 38: 31-03-2023 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों के लिए अतिरिक्त टिप्पणी (जारी.)

(विदेशी अनुषंगी कंपनी); संयुक्त उद्यम कंपनियाँ, अर्थात्, सीआईएल-एनटीपीसी ऊर्जा प्राइवेट लिमिटेड, इंटरनेशनल कोल वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड (आईसीबीएल), हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड (एचयूआएल), तलचर फर्टिलाइज़र्स लिमिटेड (टीएफएल) और कोल लिग्राइट ऊर्जा विकास प्राइवेट लिमिटेड (सीएलयूबीपीएल) से संबंधित हैं।

बी) समेकित वित्तीय विवरणों में दो पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनियाँ भी शामिल हैं यथा सोलर वैल्यू चेन (इनगॉट-वेफर-सेल मॉड्यूल) के निर्माण के लिए सीआईएल सोलर पीवी लिमिटेड और नवीकरणीय ऊर्जा के लिए सीआईएल नवकरणी ऊर्जा लिमिटेड जिनकी स्थापना 16 अप्रैल, 2021 को किया गया था।

सी) आठ सहायक कंपनियों के वित्तीय आंकड़ों के रूप में उनके स्वतंत्र लेखा परीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों को ही स्वीकार किया गया है और शेष तीन सहायक कंपनियों अर्थात् सीआईएल सोलर पीवी लिमिटेड, सीआईएल नवीकरणीय ऊर्जा विकास प्राइवेट लिमिटेड और कोल इंडिया अफ्रीकाना लिमिटाडा के संबंध में गैर-लेखापरीक्षित होने के कारण, समेकन उद्देश्य के लिए प्रबंधन द्वारा प्रमाणित आंकड़ों को ही शामिल किया गया है।

iii) सीआईएल और एनटीपीसी के बीच 27 अप्रैल, 2010 को 50:50 की संयुक्त उद्यम कंपनी सीआईएल एनटीपीसी ऊर्जा प्राइवेट लिमिटेड का गठन किया गया था। कंपनी की अधिकृत शेयर पूँजी ₹ 10 करोड़ है और जारी, सदस्यता और भुगतान की गई शेयर पूँजी ₹ 0.15 करोड़ है। ने 31.03.2023 को समाप्त वर्ष तक ₹ 0.075 करोड़ का निवेश किया है। 31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए उक्त कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित प्रबंधन द्वारा हस्ताक्षरित वित्तीय विवरण को इकिटी पद्धति का उपयोग करके समेकन में माना गया है।

iv) कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल), राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, गेल (इंडिया) लिमिटेड और फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के बीच 27 अक्टूबर, 2015 के एक संयुक्त उद्यम समझौते के आधार पर कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत 13 नवंबर, 2015 को तलचर फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (पूर्व में राष्ट्रीय कोल गैस फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के रूप में जाना जाता था) नामक एक संयुक्त उद्यम कंपनी की स्थापना की गई। संयुक्त उद्यम कंपनी ने ₹ 4200 करोड़ की शेयर पूँजी को अधिकृत किया है और ₹ 2416.45 करोड़ की पूँजी जारी की है, जिसमें से कोल इंडिया लिमिटेड के पास 31.03.2023 को इकिटी शेयरों के ₹ 805.48 करोड़ अंकित मूल्य के 805480826 शेयर हैं। 31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए उक्त संयुक्त उद्यम कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित प्रबंधन प्रमाणित वित्तीय विवरण को इकिटी पद्धति का उपयोग करके समेकन में लाया गया है।

v) सीआईएल ने विदेशों में कोंकिंग कोयले की संपत्ति के अधिग्रहण के लिए सीआईएल/सेल/आरआईएनएल/एनटीपीसी और एनएमडीसी से जुड़े संयुक्त उद्यम के माध्यम से विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) के गठन के संबंध में एक समझौता ज्ञापन (24 नवंबर, 2007 को आयोजित 237वीं बैठक में अपने बोर्ड से अनुमोदन के माध्यम से) में प्रवेश किया था। एसपीवी के गठन को कैबिनेट, भारत सरकार द्वारा दिनांक 8 नवंबर, 2007 की अपनी स्वीकृति के अनुसार अनुमोदित किया गया था। उक्त एसपीवी अर्थात् इंटरनेशनल कोल वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड का गठन तत्कालीन कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत 20 मई, 2009 को ₹ 1.00 करोड़ की अधिकृत पूँजी और ₹ 0.70 करोड़ की चुकता पूँजी के साथ किया गया था। 31.03.2022 तक, अधिकृत पूँजी और प्रदत्त पूँजी क्रमशः ₹ 3500 करोड़ और ₹ 1460.29 करोड़ थी। उपरोक्त प्रदत्त पूँजी में से, कोल इंडिया लिमिटेड के पास इकिटी शेयरों के 0.19% शेयर यानी ₹ 2.8 करोड़ अंकित मूल्य का स्वामित्व है। 31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए संयुक्त उद्यम कंपनी के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण पर इकिटी पद्धति का उपयोग करते हुए समेकन पर विचार किया गया है।

vi) एफसीआईएल की सिंदीरी और गोरखपुर उर्वरक इकाइयों के पुनरुद्धार के लिए कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) और एनटीपीसी लिमिटेड के बीच एक संयुक्त उद्यम समझौता 16 मई, 2016 को निष्पादित किया गया था। तदनुसार, हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड (एचयूआरएल) नामक एक संयुक्त उद्यम कंपनी को 15 जून, 2016 को कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत स्थापित किया गया था। इसके बाद, कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल), एनटीपीसी लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल), फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एफसीआईएल) और हिंदुस्तान उर्वरक निगम लिमिटेड (एचएफसीएल) के बीच एचयूआरएल के माध्यम से एफसीआईएल के सिंदीरी और गोरखपुर उर्वरक इकाई तथा एचएफसीएल के बौरीनी इकाई के पुनरुद्धार के लिए 31 अक्टूबर, 2016 को एक पूरक समझौता निष्पादित किया गया था। संयुक्त उद्यम कंपनी ने ₹ 8000 करोड़ की शेयर पूँजी को अधिकृत किया है, जिसे ₹ 10 प्रत्येक के 800 करोड़ इकिटी शेयरों में विभाजित किया गया है। दिनांक 13.07.2016 के कैबिनेट अनुमोदन के अनुसार यह सहमति हुई है कि एफसीआईएल और एचएफसीएल मिलकर परियोजना के वाणिज्यिक उत्पादन के प्रारंभ होने के समय कंपनी में 10.99% इकिटी शेयरधारिता रखेंगे और अन्य तीन पार्टियों अर्थात् सीआईएल, एनटीपीसी और आईओसीएल के पास एफसीआईएल और एचएफसीएल को एक साथ शेयर प्रदान करने के बाद समान इकिटी शेयरधारिता रखेंगे।

संयुक्त उद्यम कंपनी ने ₹ 6887.89 करोड़ की शेयर पूँजी जारी और भुगतान की है, जिसमें से कोल इंडिया लिमिटेड के पास 31.03.2023 को इकिटी शेयरों के ₹ 2295.96 करोड़ अंकित मूल्य के 2295955000 शेयर हैं। 31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए संयुक्त उद्यम कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित प्रबंधन द्वारा हस्ताक्षरित वित्तीय विवरण को इकिटी पद्धति का उपयोग करके समेकन में माना गया है।

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

टिप्पणि 38: 31-03-2023 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों के लिए अतिरिक्त टिप्पणी (जारी.)

vii) कोल लिग्राइट ऊर्जा विकास प्राइवेट लिमिटेड (सीएलयूबीपीएल) कोल इंडिया लिमिटेड (50%) और एनएलसी इंडिया लिमिटेड (50%) के बीच एक संयुक्त उद्यम कंपनी है, जिसे 08 अक्टूबर, 2020 के एनएलसीआईएल के साथ उद्यम भागीदार के रूप में संयुक्त उद्यम समझौते के तहत 10 नवंबर, 2020 को निगमित किया गया था। कंपनी की अधिकृत शेयर पूँजी ₹ 0.10 करोड़ है और जारी, सदस्यता और भुगतान की गई शेयर पूँजी ₹ 0.02 करोड़ है। वर्तमान में कोल इंडिया लिमिटेड ने संयुक्त उद्यम कंपनी में ₹ 0.01 करोड़ (अर्थात् 50%) का निवेश किया है। वर्ष 31.03.2023 के लिए उक्त कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित प्रबंधन प्रमाणित वित्तीय विवरण को इकट्ठी पद्धति का उपयोग करके समेकन में माना गया है।

viii) संयुक्त संचालन:

सीआईएल और ओएनजीसी ने हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय (डीजीएच) के तत्वावधान में भारत सरकार की सीबीएम नीति के अनुसार संयुक्त संचालन के रूप में झारिया और रानीगंज उत्तरी सीबीएम ब्लॉक में सीबीएम विकास और संचालन के लिए समझौता किया है।

1. झारिया सीबीएम ब्लॉक (स्टेज-) की विकास योजना पहले से ही सीआईएल और ओएनजीसी द्वारा अनुमोदित है, हालांकि विकास चरण की स्वीकार्य प्रारंभ तिथि डीजीएच से स्पष्टीकरण के अधीन है। 31.03.2023 तक सीआईएल का भागीदारी हिस्सेदारी (पीआई) 26% है।
2. रानीगंज नॉर्थ सीबीएम ब्लॉक में सीबीएम विकास और संचालन परियोजना सीआईएल और ओएनजीसी प्रबंधन के विचाराधीन है।
3. वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए सीबीएम झारिया ब्लॉक के प्रबंधन प्रमाणित अनंतिम बिलिंग विवरण पर विचार किया गया है।

ix) महानदी कोलफिल्ड्स लिमिटेड (एमसीएल) के वित्तीय विवरणों को इसकी चार अनुषंगी कंपनियों के साथ समेकित किया गया है जो निम्नानुसार हैं:

कोयला मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार संयुक्त उद्यम समझौते के आधार पर अनुषंगी कंपनियों को निगमित करने पर, एमसीएल ने पूँजी और अन्य व्यय के लिए पैसा जमा किया है / डेबिट स्थानांतरित किया है।

31.03.2023 को अनुषंगी कंपनियों की स्थिति निम्नानुसार है:-

अनुषंगी कंपनी का नाम	पता	संस्थापन की तारीख	अनुषंगी कंपनी में हिस्सेदारी (%)		गैर-नियंत्रित व्याज (₹ करोड़ में)	
			31-03-2023	31-03-2022	31-03-2023	31-03-2022
1) एमएनएच शक्ति लिमिटेड	आनंद विहार, बुर्ला, संबलपुर	16.07.2008	70.00%	70.00%	12.67	12.62
2) एमजेएसजे कोल लिमिटेड	हाउस नंबर 42, पहली मंजिल, आनंद नगर, हकीम पारा, अंगुल	13.08.2008	60.00%	60.00%	30.34	30.06
3) महानदी बेसिन पावर लिमिटेड	प्लॉट नंबर जी-3, मंचेश्वर रेलवे कॉलोनी, भुवनेश्वर	02.12.2011	100.00%	100.00%	0.00	0.00
4) महानदी कोल रेलवे लिमिटेड	एमडीएफ कक्ष, कॉर्पोरेट कार्यालय, एमसीएल मुख्यालय, जागृति विहार, बुर्ला, संबलपुर	31.08.2015	71.11%	71.11%	25.61	25.74

उपरोक्त अनुषंगी कंपनियों के 31.03.2023 को समाप्त वर्ष तक के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों पर समेकन पर विचार किया गया है।

x) साउथ ईस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल) के वित्तीय विवरणों को इसकी दो अनुषंगी कंपनियों के साथ समेकित किया गया है जो निम्नानुसार हैं:

साउथ ईस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल), इकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (इरकॉन) और छत्तीसगढ़ सरकार (जीओसीजी) के बीच दो रेलवे कॉरिडोर अर्थात् ईस्ट कॉरिडोर और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, अनुषंगी कंपनियों की स्थापना हेतु 03.11.2012 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। एसईसीएल की 2 (दो) अनुषंगी कंपनियों अर्थात् मेसर्स छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड (सीईआरएल) और मेसर्स छत्तीसगढ़ ईस्ट-वेस्ट रेलवे लिमिटेड (सीईआडब्ल्यूएल) को पूर्ववर्ती कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत निगमित किया गया है तथा इनके द्वारा पूँजी और अन्य व्यय के लिए पैसा जमा किया है / डेबिट स्थानांतरित किया है।

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

टिप्पणि 38: 31-03-2023 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों के लिए अतिरिक्त टिप्पणी (जारी.)

31.03.2023 को अनुषंगी कंपनियों की स्थिति निम्नानुसार है:-

अनुषंगी कंपनी का नाम	पता	संस्थापन की तारीख	अनुषंगी कंपनी में हिस्सेदारी (%)		गैर-नियंत्रित ब्याज (₹ करोड़ में)	
			31-03-2023	31-03-2022	31-03-2023	31-03-2022
1) मैसर्स छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड	महादेव घाट रोड, रायपुर चौक, रायपुर -492013	12.03.2013	63.97%	64.71%	265.71	299.19
2) मैसर्स छत्तीसगढ़ ईस्ट-वेस्ट रेलवे लिमिटेड	महादेव घाट रोड, रायपुर चौक, रायपुर -492013	25.03.2013	66.18%	65.12%	243.48	206.73
कुल					509.19	505.92

उपरोक्त अनुषंगी कंपनियों के 31.03.2023 को समाप्त वर्ष तक के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों पर समेकन पर विचार किया गया है।

xii) सेंट्रल कोलफिल्ड्स लिमिटेड (सीसीएल) के वित्तीय विवरणों को इसकी एक अनुषंगी कंपनी के साथ निम्नानुसार समेकित किया गया है:

अनुषंगी कंपनी का नाम	पता	संस्थापन की तारीख	अनुषंगी कंपनी में हिस्सेदारी (%)		गैर-नियंत्रित ब्याज (₹ करोड़ में)	
			31-03-2023	31-03-2022	31-03-2023	31-03-2022
1) मैसर्स झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड	दरभंगा हाउस, रांची	31.08.2015	64.00%	73.67%	192.87	99.45

उपरोक्त अनुषंगी कंपनी के 31.03.2023 को समाप्त वर्ष तक के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों पर समेकन में विचार किया गया है।

xiii) विदेशी अनुषंगी कंपनी में निवेश

कोल इंडिया लिमिटेड ने मोजाम्बिक गणराज्य में 100% स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी बनाई, जिसका नाम कोल इंडिया अफ्रीकाना लिमिटेड (सीआईएल) रखा गया। इस तरह के गठन पर प्रारंभिक भुगतान पूँजी (कोटा कैपिटल के रूप में जाना जाता है) ₹ 0.53 करोड़ थी। मोजाम्बिक (पीजीसी-पीई) में छोटी संस्थाओं के लिए सामान्य लेखा योजना के अनुसार के 31.03.2023 के प्रबंधन पर हस्ताक्षर किए गए वित्तीय विवरणों को समेकन के लिए माना गया है। भारतीय जीएपी के साथ अंतर के लिए समायोजन, यदि कोई हो, नगण्य होने पर विचार नहीं किया गया है।

xiv) महत्वपूर्ण लेखा नीतियों और इन समेकित वित्तीय विवरणों के टिप्पणियों का उद्देश्य सूचनात्मक प्रकटीकरण के साधन और समूह की समेकित स्थिति को बेहतर ढंग से समझने के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करना है। इस उद्देश्य को स्वीकार करते हुए, समूह ने व्यक्तिगत वित्तीय विवरणों से केवल ऐसी नीतियों और टिप्पणियों का खुलासा किया है, जो उचित रूप से आवश्यक प्रकटीकरण प्रस्तुत करते हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी

टिप्पणा 38: 31-03-2023 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों के लिए अतिरिक्त टिप्पणी (जारी।)
xiv) 31.03.2023 तक अनुंष्ठानिकों/संचयक उद्यमों से संबंधित अतिरिक्त जानकारी (कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के अनुसार)

संस्था का नाम	नेट एसेट्स, यानी टोटल एसेट्स माइनस ट्रांसल लायबिलिटीज		लाभ या हानि में हिस्सा		अन्य व्यापक आय में हिस्सा		कुल व्यापक आय में हिस्सा
	समेकित शुद्ध संपत्ति के % के रूप में	(₹ करोड़ में)	राशि या हानि के % के रूप में	समेकित लाभ राशि (₹ करोड़ में)	समेकित अन्य व्यापक आय के % के रूप में (₹ करोड़ में)	राशि समेकित आय के % के रूप में (₹ करोड़ में)	
कोल इंडिया लिमिटेड	3.73	2,165.16	1.91	536.60	(47.40)	(125.42)	1.45 411.18
अनुष्ठानी							
भारतीय							
ईस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड	4.38	2,543.87	2.19	616.42	42.99	113.74	2.57 730.16
भारत कोर्क्स कोल लिमिटेड	6.52	3,784.13	2.29	645.01	(50.89)	(134.65)	1.80 510.36
सेंट्रल कोलफिल्ड्स लिमिटेड	18.13	10,517.02	9.80	2,755.14	67.12	177.59	10.33 2,932.73
नॉर्दर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड	19.26	11,176.47	24.80	6,973.99	(3.56)	(9.41)	24.53 6,964.58
वेस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड	3.60	2,090.93	1.66	466.46	44.84	118.65	2.06 585.11
साउथ ईस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड	12.75	7,398.81	8.61	2,420.24	22.40	59.28	8.73 2,479.52
महानदी कोलफिल्ड्स लिमिटेड	22.92	13,298.99	47.87	13,462.98	17.11	45.26	47.58 13,508.24
सेंट्रल माइन एवं डिजाइन इंटरीक्यूट लिमिटेड	2.13	1,237.78	1.05	296.66	7.34	19.42	1.11 316.08
सीआईएल सोलर पीवी लिमिटेड	-	0.05	-	-	-	-	-
सीआईएल नवीकरणीय ऊर्जा लिमिटेड	-	0.05	-	-	-	-	-
विदेश							
कोल इंडिया अप्रिकाना लिमिटेड, मोजाबिक	(0.09)	(53.69)	-	(0.17)	0.05	0.14	- (0.03)
सभी अनुष्ठानी कंपनियों में गैर नियंत्रित हित	1.33	770.68	(0.14)	(40.25)	-	-	(0.14) (40.25)
कुल (क)	94.68	54,930.25	100.03	28,133.08	100.00	264.60	100.03 28,397.68
संस्कृत उद्यम (इकिटी पद्धति के अनुसार निवेश)							
भारतीय							
इस्टर्नशेनल कोल चैक्स प्राइवेट लिमिटेड	0.01	7.75	-	-	-	-	-
सीआईएल एनटीपीसी ऊर्जा प्राइवेट लिमिटेड	-	0.08	-	0.06	-	-	0.06
तीलचौर फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	1.39	809.30	0.04	11.21	-	-	0.04 11.21
हिंदुत्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड	3.91	2,266.86	(0.07)	(20.35)	-	-	(0.07) (20.35)
कोल लिप्राइट ऊर्जा विकास प्राइवेट लिमिटेड	-	1.33	-	0.94	-	-	- 0.94
कुल (ख)	5.32	3,085.32	(0.03)	(8.14)	-	-	(0.03) (8.14)
कुल (क+ख)	100.00	58,015.57	100.00	28,124.94	100.00	264.60	100.00 28,389.54

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

टिप्पणि 38: 31-03-2023 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों के लिए अतिरिक्त टिप्पणी (जारी.)

5 उचित मूल्य मापन

(क) श्रेणी के अनुसार वित्तीय साधन

(₹ करोड़ में)

	31.03.2023	31.03.2022		
	एफबीटीपीएल	परिशोधित लागत	एफबीटीपीएल	परिशोधित लागत
वित्तीय पूँजी				
निवेश** :				
सुरक्षित बांड		0.00		649.95
सहकारी शेयर		0.08		0.08
स्युचुअल फंड / आईसीडी	4,054.01		5,843.68	
ऋण		393.00		355.79
जमा और प्राप्य		19,017.25		17,119.70
व्यापार प्राप्तियाँ**		13,060.48		11,367.68
नकद और नकद समतुल्य		5,665.38		7,063.48
अन्य बैंक बैलेंस		34,256.47		22,901.75
वित्तीय देनदारियाँ				
उधार और पट्टे की देनदारियाँ		4,331.42		3,513.64
व्यापार देनदारियाँ		8,549.18		8,603.53
प्रतिभूति जमा और बयाना राशि		5,436.03		4,905.38
अन्य देनदारियाँ		10,586.73		9,003.53

* संयुक्त उद्यमों में इकिटी शेयरों में निवेश को इकिटी पद्धति का उपयोग करके मापा जाता है जो 31.03.2023 को ₹ 3085.32 करोड़ (₹ 2426.89 करोड़) है और ऊपर नहीं मापा जाता है।

** व्यापार प्राप्य से घटाए गए कोयले की गुणवत्ता भिन्नता के लिए भत्ता।

(ख) उचित मूल्य पदानुक्रम

निचे दी गई लालिका वित्तीय साधनों के उचित मूल्यों को निर्धारित करने में लिए गए निर्णयों और अनुमानों को दर्शाती है जो (ए) मान्यता प्राप्त और उचित मूल्य पर मापा जाता है और (बी) परिशोधन लागत पर मापा जाता है और जिसके लिए वित्तीय विवरणों में उचित मूल्यों का खुलासा किया जाता है। उचित मूल्य के निर्धारण में प्रयुक्त निविटियों की विश्वसनीयता के बारे में एक संकेत प्रदान करने के लिए, समूह ने अपने वित्तीय साधनों को लेखांकन मानक के तहत निर्धारित तीन स्तरों में वर्गीकृत किया है।

(₹ करोड़ में)

उचित मूल्य पर मापी गई वित्तीय आस्तियाँ और देनदारियाँ	31.03.2023		31.03.2022	
	स्तर 1	स्तर 3	स्तर 1	स्तर 3
एफबीटीपीएल की वित्तीय परिसंपत्तियाँ				
निवेश :				
स्युचुअल फंड / आईसीडी	4054.01		5843.68	

(₹ करोड़ में)

परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय संपत्तियाँ और देनदारियाँ जिसके लिए उचित मूल्य का खुलासा किया गया है	31.03.2023		31.03.2022	
	स्तर 1	स्तर 3	स्तर 1	स्तर 3
वित्तीय आस्ति				
निवेश :				
सुरक्षित बांड		0.00		649.95
सहकारी शेयर		0.08		0.08
ऋण		393.00		355.79
जमा और प्राप्य		19,017.25		17,119.70
व्यापार प्राप्तियाँ		13,060.48		11,367.68
नकद और नकद समतुल्य		5,665.38		7,063.48
अन्य बैंक बैलेंस		34,256.47		22,901.75
वित्तीय देनदारियाँ				
उधारी		4,331.42		3,513.64
व्यापार देनदारियाँ		8,549.18		8,603.53
प्रतिभूति जमा और बयाना राशि		5,436.03		4,905.38
अन्य देनदारियाँ		10,586.73		9,003.53

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

टिप्पणि 38: 31-03-2023 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों के लिए अतिरिक्त टिप्पणी (जारी.)

प्रत्येक स्तर का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है:

स्तर 1: स्तर 1 पदानुक्रम में उद्धृत कीमतों का उपयोग करके मापे गए वित्तीय साधन शामिल हैं। इसमें म्युचुअल फंड शामिल है जिसका मूल्यांकन रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार क्लोजिंग नेट एसेट वैल्यू (एनएवी) का उपयोग करके किया जाता है।

स्तर 2: एक सक्रिय बाजार में कारोबार नहीं करने वाले वित्तीय साधनों का उचित मूल्य मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है जो अवलोकन योग्य बाजार डेटा के उपयोग को अधिकतम करते हैं और इकाई-विशिष्ट अनुमानों पर जितना संभव हो उतना कम भरोसा करते हैं। यदि किसी लिखत के उचित मूल्य के लिए आवश्यक सभी महत्वपूर्ण निविष्टियाँ प्रेक्षणीय हैं, तो लिखत को स्तर 2 में शामिल किया जाता है।

स्तर 3: यदि एक या अधिक महत्वपूर्ण निविष्टियाँ अवलोकनीय बाजार डेटा पर आधारित नहीं हैं, तो लिखत को स्तर 3 में शामिल किया जाता है। यह निवेश, सुरक्षा जमा और स्तर 3 में शामिल अन्य देनदारियों के मामले में है।

(ग) उचित मूल्य निर्धारित करने में प्रयुक्त मूल्यांकन तकनीक

वित्तीय साधनों के मूल्य निरूपण के लिए उपयोग की जाने वाली मूल्यांकन तकनीकों में म्युचुअल फंड में निवेश के संबंध में उपकरणों के उद्धृत बाजार मूल्य (एनएवी) का उपयोग शामिल है।

(घ) महत्वपूर्ण गैर-अवलोकन योग्य इनपुट का उपयोग करके उचित मूल्य माप

वर्तमान में महत्वपूर्ण गैर-अवलोकन योग्य इनपुट का उपयोग करके कोई उचित मूल्य माप नहीं है।

(ङ.) परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय संपत्तियों और देनदारियों का उचित मूल्य

व्यापार प्राप्तियों, अल्पावधि जमा, नकद और नकद समकक्षों, व्यापार देय की अग्रणीत राशियों को उनकी अल्पकालिक प्रकृति के कारण उनके उचित मूल्यों के समान माना जाता है।

समूह मानता है कि प्रतिभूति जमा में महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक शामिल नहीं है। प्रतिभूति जमा कंपनी के प्रदर्शन के साथ मेल खाते हैं और अनुबंध को वित्त के प्रावधान के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए राशि को बचाए रखने की आवश्यकता होती है। प्रत्येक महत्वपूर्ण भुगतान के एक निर्दिष्ट प्रतिशत की रोक समूह के हित की रक्षा करने के लिए है, जबसे ठेकेदार अनुबंध के तहत अपने दायित्वों को पर्याप्त रूप से पूरा करने में विफल होता है। तदनुसार, प्रतिभूति जमा की लेनदेन लागत को प्रारंभिक स्वीकृति पर उचित मूल्य के रूप में माना जाता है और बाद में परिशोधन लागत पर मापा जाता है।

महत्वपूर्ण आकलन: वित्तीय साधनों का उचित मूल्य जो एक सक्रिय बाजार में कारोबार नहीं किया जाता है, मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है। समूह एक विधि का चयन करने के लिए अपने निर्णय का उपयोग करता है और प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उपयुक्त अनुमान लगाता है।

6 वित्तीय जोखिम प्रबंधन

वित्तीय जोखिम प्रबंधन के उद्देश्य और नीतियाँ

समूह की प्रमुख वित्तीय देनदारियों में व्यापार और अन्य देनदारियां शामिल हैं। इन वित्तीय देनदारियों का मुख्य उद्देश्य समूह के संचालन को वित्तपोषित करना और इसके संचालन का समर्थन करने के लिए गारंटी प्रदान करना है। समूह की प्रमुख वित्तीय संपत्तियों में ऋण, व्यापार और अन्य प्राप्य, और नकद और नकद समकक्ष शामिल हैं जो सीधे इसके संचालन से प्राप्त होते हैं।

समूह बाजार जोखिम, क्रेडिट जोखिम और तगलता जोखिम के संपर्क में होते हैं। समूह का वरिष्ठ प्रबंधन इन जोखिमों के प्रबंधन की देवरेख करता है। समूह का वरिष्ठ प्रबंधन जोखिम समिति द्वारा समर्थित होता है, जो अन्य बातों के साथ-साथ वित्तीय जोखिमों और समूह के लिए उपयुक्त वित्तीय जोखिम शासन ढांचे पर सलाह देता है। जोखिम समिति निदेशक मंडल को यह आश्वासन देती है कि समूह की वित्तीय जोखिम गतिविधियाँ उचित नीतियों और प्रक्रियाओं द्वारा संचालित होती हैं और समूह की नीतियों और जोखिम उद्देश्यों के अनुसार वित्तीय जोखिमों की पहचान, मापन और प्रबंधन किया जाता है। निदेशक मंडल इनमें से प्रत्येक जोखिम के प्रबंधन के लिए नीतियों की समीक्षा और सहमति देता है, जिन्हें नीचे संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है।

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

टिप्पणि 38: 31-03-2023 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों के लिए अतिरिक्त टिप्पणी (जारी.)

यह टिप्पणी जोखिम के उन स्रोतों की व्याख्या करता है जिनसे प्रतिष्ठान को अवगत कराया जाता है और संस्था वित्तीय विवरणों में जोखिम और बचाव लेखांकन के प्रभाव का प्रबंधन कैसे करती है।

जोखिम	से उत्पन्न होने वाला एक्सपोजर	माप	प्रबंध
ऋण जोखिम	परिशोधित लागत पर मापी गई नकद और नकद समकक्ष, व्यापार प्राप्त वित्तीय संपत्ति	उम्र बढ़ने का विश्लेषण / क्रेडिट रेटिंग	सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई दिशानिर्देश), बैंक जमाराशियों की क्रेडिट सीमा और अन्य प्रतिभूतियों का विविधीकरण
तरलता जोखिम	उधार और अन्य देनदारियां	आवधिक नकदी प्रवाह	प्रतिबद्ध क्रेडिट लाइनों और उधार लेने सुविधाओं की उपलब्धता
बाजार जोखिम-विदेशी मुद्रा	भविष्य के वाणिज्यिक लेन-देन, मान्यता प्राप्त वित्तीय संपत्तियां और देनदारियां भारतीय रूपये में अंकित नहीं हैं।	नकदी प्रवाह पूर्वानुमान संबंदनशीलता विश्लेषण	वरिष्ठ प्रबंधन और लेखापरीक्षा समिति द्वारा नियमित निगरानी और समीक्षा।
बाजार जोखिम-व्याज दर	नकद और नकद समकक्ष, बैंक जमा और म्यूचुअल फंड	नकदी प्रवाह पूर्वानुमान संबंदनशीलता विश्लेषण	सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई दिशानिर्देश), वरिष्ठ प्रबंधन और लेखा परीक्षा समिति द्वारा नियमित निगरानी और समीक्षा।

भारत सरकार द्वारा जारी डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार निदेशक मंडल द्वारा समूह जोखिम प्रबंधन किया जाता है। बोर्ड समग्र जोखिम प्रबंधन के साथ-साथ अतिरिक्त तरलता के निवेश को कवर करने वाली नीतियों के लिए लिखित सिद्धांत प्रदान करता है।

साथ जोखिम प्रबंधन:

प्राप्तियां मुख्य रूप से कोयले की बिक्री से उत्पन्न होती हैं। कोयले की बिक्री को मोटे तौर पर ईंधन आपूर्ति समझौतों (एफएसए) और ई-नीलामी के माध्यम से बिक्री के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

मैक्रो - आर्थिक जानकारी (जैसे विनियामक परिवर्तन) को ईंधन आपूर्ति समझौते (एफएसए) और ई-नीलामी शर्तों के हिस्से के रूप में शामिल किया गया है।

ईंधन आपूर्ति समझौते (एफएसए)

नई कोयला वितरण नीति (एनसीडीपी) की परिकल्पना और शर्तों के अनुसार, समूह ग्राहकों के साथ या राज्य नामित एजेंसियों के साथ कानूनी रूप से लागू करने योग्य एफएसए में प्रवेश करता है जो बदले में अंतिम ग्राहकों के साथ उचित वितरण व्यवस्था में प्रवेश करता है। एफएसए को मोटे तौर पर इसमें वर्गीकृत किया जा सकता है:

- राज्य बिजली उपयोगिताओं, निजी बिजली सहित बिजली उपयोगिताओं के क्षेत्र में ग्राहकों के साथ एफएसए यूटिलिटीज ('पीपीयूफ') और स्वतंत्र बिजली उत्पादक ('आईपीपीफ');
- गैर-विद्युत उद्योगों में ग्राहकों के साथ एफएसए (कैप्टिव पावर प्लांट ('सीपीपी' सहित); और
- राज्य द्वारा नामित एजेंसियों के साथ एफएसए।

ई-नीलामी योजना

कोयले की ई-नीलामी योजना उन ग्राहकों के लिए कोयले तक पहुंच प्रदान करने के लिए शुरू की गई है, जो विभिन्न कारणों से एनसीडीपी के तहत उपलब्ध संस्थागत तंत्र के माध्यम से अपनी कोयले की आवश्यकता को पूरा करने में सक्षम नहीं थे, उदाहरण के लिए, एनसीडीपी के तहत उनकी मानक आवश्यकताओं को पूर्ण आवंटन से कम होना, उनकी कोयले की मौसमी आवश्यकताएँ और कोयले की सीमित आवश्यकता जो दीर्घकालिक लिंकेज की गारंटी नहीं देती है। ई-नीलामी के तहत पेश किए जाने वाले कोयले की मात्रा की कोयला मंत्रालय द्वारा समय-समय पर समीक्षा की जाती है।

क्रेडिट जोखिम तब उत्पन्न होता है जब एक प्रतिपक्ष संविदात्मक दायित्वों पर चूक करता है जिसके परिणामस्वरूप समूह को वित्तीय नुकसान होता है।

प्रत्याशित ऋण हानि के लिए प्रावधान: समूह संदिधि/ऋण बाधित आस्तियों के लिए जीवन भर प्रत्याशित ऋण हानि (सरलीकृत दृष्टिकोण) द्वारा अपेक्षित ऋण जोखिम हानि प्रदान करता है। संदर्भ टिप्पणि - 13, व्यापार प्राप्तियां

वित्तीय आस्तियों की क्षति के लिए महत्वपूर्ण अनुमान और निर्णय

ऊपर बताए गए वित्तीय आस्तियों के लिए हानि प्रावधान डिफॉल्ट के जोखिम और संभावित हानि दरों के बारे में धारणाओं पर आधारित हैं। समूह इन अनुमानों को बनाने और समूह के पिछले इतिहास, मौजूदा बाजार स्थितियों के साथ-साथ प्रत्येक रिपोर्टिंग वर्ष के अंत में भविष्योन्मुखी अनुमानों के आधार पर, हानि गणना के लिए इनपुट का चयन करने में निर्णय का उपयोग करता है।

સમેકિત વિત્તીય વિવરણોં પર ટિપ્પણીયાઁ

ટિપ્પણી 38: 31-03-2023 કો સમાસ વર્ષ કે લિએ સમેકિત વિત્તીય વિવરણોં કે લિએ અતિરિક્ત ટિપ્પણી (જારી.)

તરલતા જોખિમ

વિવેકપૂર્ણ ચલનિધિ જોખિમ પ્રબંધન કા અર્થ હૈ, પર્યાસ નકદી ઔર વિપળન યોગ્ય પ્રતિભૂતિયોં કો બનાએ રહ્યા હોને પર દાયિત્વોં કો પૂરા કરને કે લિએ પર્યાસ માત્રા મેં પ્રતિબદ્ધ ઋણ સુવિધાઓં કે માધ્યમ સે ધન કી ઉપલબ્ધતા। અંતર્નિહિત વ્યવસાયોં કી ગતિશીલ પ્રકૃતિ કે કારણ, સમૂહ કોષાગાર પ્રતિબદ્ધ ક્રેડિટ લાઇનોં કે તહત ઉપલબ્ધતા બનાએ રહ્યા હુએ વિત્ત પોષણ મેં લચીલાપન બનાએ રહ્યા હૈ।

પ્રબંધન અપેક્ષિત નકદી પ્રવાહ કે આધાર પર સમૂહ કી ચલનિધિ સ્થિતિ (અનહત ઉધાર સુવિધાઓં સહિત) ઔર નકદી ઔર નકદ સમકક્ષોં કે પૂર્વનુમાનોં કી નિગરાની કરતા હૈ। યાં આમતૌર પર સમૂહ દ્વારા નિર્ધારિત અભ્યાસ ઔર સીમાઓં કે અનુસાર સ્થાનીય સ્તર પર કિયા જાતા હૈ। કોલ ઇંડિયા લિમિટેડ કી બૈંક ઉધારી કો બૈંકોં કે સંઘ કે ભીતર કોયલે, સ્ટોર ઔર સ્પેયર પાર્ટ્સ કે સ્ટોક ઔર ઔર ઉસકી અનુષંગી કંપનીઓં કે બહી ઋણોં કે ખિલાફ ચાર્જ બનાકર સુરક્ષિત કિયા ગયા હૈ। સીઆઈએલ કે લિએ ઉપલબ્ધ કુલ કાર્યશીલ પૂંજી ઋણ સીમા ₹ 430.00 કરોડ હૈ, જિસમે સે નિધિ આધારિત સીમા ₹ 140.00 કરોડ હૈ ઔર ગૈર-નિધિ આધારિત સીમા ₹ 290.00 કરોડ હૈ। ઇસકે અલાવા, ₹ 5190.00 કરોડ (₹ 5000.00 કરોડ) કો એચ્ઇએમેમ કે આયાત કી સુવિધા કે લિએ કંસોર્ટિયમ કે બાહ્ર ગૈર-નિધિ આધારિત સીમા કે રૂપ મેં સ્થાપિત કિયા ગયા થા। કોલ ઇંડિયા લિમિટેડ ઉસ સીમા તક આકસ્મિક રૂપ સે ઉત્તરદારી હૈ જિસ હદ તક અનુષંગી કંપનીઓં દ્વારા વાસ્તવ મેં ઐસી સુવિધા કા ઉપયોગ કિયા જાતા હૈ।

સીઆઈએલ કો એચડીએફસી બૈંક લિમિટેડ સે ₹ 364.30 કરોડ કા સાવધિ ઋણ સ્વીકૃત કિયા ગયા હૈ, જો ગુજરાત મેં કંપની કે 100 મેગાવાટ સૌર પરિયોજના કે સંયંત્ર ઔર ઉપકરણ ઔર ચલ સંપત્તિ પર વિશેષ પ્રભાર બનાકર સુરક્ષિત હૈ।

બાજાર જોખિમ

ક) વિદેશી મુદ્રા જોખિમ

વિદેશી મુદ્રા જોખિમ ભવિષ્ય કે વાળિન્ઝિક લેનદેન ઔર સ્વીકૃતિ પ્રાપ પરિસંપત્તિયોં યા મુદ્રા મેં મૂલ્યવર્ગીકૃત કી ગઈ દેનદારિયોં સે ઉત્પન્ન હોતી હૈ, જો સમૂહ કી કાર્યાત્મક મુદ્રા નહીં હૈ (આઈએનાર). કંપની વિદેશી મુદ્રા લેનદેન સે ઉત્પન્ન વિદેશી મુદ્રા જોખિમ કે સંપર્ક મેં રહતા હૈ। વિદેશી ઑપરેશન કે સંબંધ મેં વિદેશી મુદ્રા વિનિમય જોખિમ કો મહત્વહીન માના જાતા હૈ। સમૂહ આયાત ભી કરતા હૈ ઔર જોખિમ નિયમિત અનુવર્ત્તી દ્વારા પ્રબંધિત કિયા જાતા હૈ। સમૂહ કી એક નીતિ હૈ જિસે વિદેશી મુદ્રા જોખિમ મહત્વપૂર્ણ હોને પર લાગૂ કિયા જાતા હૈ।

ખ) નકદી પ્રવાહ ઔર ઉચિત મૂલ્ય બ્યાઝ દર જોખિમ

સમૂહ કા મુખ્ય બ્યાઝ દર જોખિમ બૈંક જમા સે ઉત્પન્ન હોતા હૈ, બ્યાઝ દર મેં પરિવર્તન સમૂહ કો નકદી પ્રવાહ બ્યાઝ દર જોખિમ કે લિએ ઉજાગ કરતા હૈ। સમૂહ કી નીતિ અપની અધિકાંશ જમાઓં કો નિશ્ચિત દર પર બનાએ રહ્યા હૈ।

સમૂહ સાર્વજનિક ઉદ્યમ વિભાગ (ડીપીઈઝ) કે દિશાનિર્દેશોં, બૈંક જમારાશિયોં કે ક્રેડિટ સીમા ઔર અન્ય પ્રતિભૂતિયોં કે વિવિધીકરણ કા ઉપયોગ કરકે જોખિમ કા પ્રબંધન કરતા હૈ।

પૂંજી પ્રબંધન

એક સરકારી ઇકાઈ હોને કે નાતે સમૂહ અપની પૂંજી કા પ્રબંધન વિત્ત મંત્રાલય કે તહત નિવેશ ઔર સાર્વજનિક સંપત્તિ પ્રબંધન વિભાગ કે દિશાનિર્દેશોં કે અનુસાર કરતા હૈ।

સમૂહ કી પૂંજી સંરચના ઇસ પ્રકાર હૈ:

(₹ કરોડ મેં)

	31.03.2023	31.03.2022
ઝિક્રિટી શેયર પૂંજી	6162.73	6162.73
દીર્ઘકાલિક ઋણ	4106.25	3301.78

7 કર્મચારી લાભ: માન્યતા ઔર માપન (ઇંડ એસ-19)

પરિભાસ્ત લાભ યોજનાએં:

ક) ગ્રેવ્યુટી

કંપની, રોજગાર કે બાદ પરિભાસ્ત લાભ યોજના (ગ્રેવ્યુટી યોજના) કે તહત પાત્ર કર્મચારીયોં કો કવર કરતે હુએ ગ્રેવ્યુટી પ્રદાન કરતી હૈ। ગ્રેવ્યુટી યોજના પૂરી તરહ સે ભારતીય જીવન બીમા નિગમ કે ટ્રસ્ટ કે માધ્યમ સે વિત્ત પોષિત હૈ, જિસમે નિયોક્તા કા યોગદાન મૂલ વેતન ઔર મહાંગાઈ ભતે કા 2.01% હૈ। ગ્રેવ્યુટી કા ભુગતાન કંપની કી નીતિ કે અનુસાર કંપની સે અલગ હોને કે સમય અધિકતમ 0.20 કરોડ રૂપયે કી સીમા કે અધીન ગ્રેવ્યુટી ભુગતાન અધિનિયમ 1972 કે સંશોધિત પ્રાવધારનોં કે અનુસાર કિયા જાતા હૈ। ગ્રેવ્યુટી યોજના કે સંબંધ મેં બૈલેન્સ શીર્ટ મેં માન્યતા પ્રાપ દેયતા યા પરિસંપત્તિ રિપોર્ટિંગ વર્ષ કે અંત મેં પરિભાસ્ત લાભ દાયિત્વ કા વર્તમાન મૂલ્ય હૈ, જિસમે સે યોજના સંપત્તિ કા ઉચિત મૂલ્ય ઘટા દિયા જાતા હૈ। પરિભાસ્ત લાભ દાયિત્વ કી ગણના પ્રત્યેક રિપોર્ટિંગ તિથિ પર અનુમાનિત યૂનિટ ક્રેડિટ પદ્ધતિ કા ઉપયોગ કરકે બીમારીકોં દ્વારા

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

टिप्पणि 38: 31-03-2023 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों के लिए अतिरिक्त टिप्पणी (जारी.)

की जाती है। अनुभव समायोजन और बीमांकिक मान्यताओं में परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले पुनः माप लाभ और हानियों को उस वर्ष में मान्यता दी जाती है जिसमें वे सीधे अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में होते हैं।

ख) सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ - अधिकारी (सीपीआरएमएसई)

कंपनी में सेवानिवृत्ति के बाद की चिकित्सा लाभ योजना है जिसे सीआईएल और उसकी सहायक कंपनियों के अधिकारी के लिए अंशदायी सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा योजना (सीपीआरएमएसई) के रूप में जाना जाता है, जो कंपनी अस्पताल / पैनलबद्ध अस्पतालों या आउट पेशेंट / केवल भारत में अधिवास में अधिकारियों और उनके जीवनसाथी को अधिकतम सीमा के अन्तर्गत मेडिकेयर प्रदान करती है, बशर्ते कि अधिकारी निम्न शर्तों के तहत सेवानिवृत्ति हुए हो- सेवा सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्ति के कारण या चिकित्सा आधार पर कंपनी द्वारा सेवामुक्त किये जाने या सामान्य कोयला संवर्ग के तहत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना या समय-समय पर तैयार और लागू स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के तहत। सीआईएल और उसकी सहायक कंपनियों की सेवाओं से इस्तीफा देने वाले अधिकारियों को सदस्यता नहीं दी जाती है। बिना किसी ऊपरी सीमा के निर्दिष्ट बीमारियों को छोड़कर, संयुक्त रूप से या अलग-अलग साथ में लिए गए सेवानिवृत्ति अधिकारियों और पति या पत्नी के लिए पूरे जीवन के दौरान प्रतिपूर्ति योग्य अधिकतम राशि 25 लाख रुपये है। इस योजना का वित्तपोषण केवल इस उद्देश्य के लिए समूह स्तर पर सीआईएल द्वारा बनाए गए ट्रस्ट के माध्यम से किया जाता है। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर किए गए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर योजना के लिए देयता की पहचान की जाती है।

ग) सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ - गैर अधिकारी (सीपीआरएमएस-एनई)

वेतन समझौते के तहत सामाजिक सुरक्षा योजना के एक भाग के रूप में, कंपनी गैर-अधिकारियों को सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्ति के कारण या चिकित्सा आधार पर कंपनी द्वारा सेवामुक्त किये जाने पर या समय-समय पर लागू स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के तहत सेवानिवृत्ति या कंपनी से 57 वर्ष या उससे अधिक की आयु में कंपनी से इस्तीफा देने की स्थिति में गैर-अधिकारियों और उनके पति या पत्नी और दिव्यांग बच्चे (बच्चों) या मृत्यु होने पर जीवनसाथी और दिव्यांग बच्चे (बच्चों) को गैर-अधिकारियों के लिए अंशदायी सेवा उपरांत स्वास्थ्य देखभाल योजना (सीपीआरएसई-एनई) की अधिकतम सीमा के अधीन केवल भारत में अधिवास के दौरान कंपनी अस्पताल / पैनलबद्ध अस्पताल या आउट पेशेंट में चिकित्सा देखभाल प्रदान कर रही है। निर्दिष्ट बीमारियों के लिए बगैर किसी ऊपरी सीमा के, सेवानिवृत्ति गैर-कार्यकारियों, पति या पत्नी और दिव्यांग बच्चे (बच्चों) के लिए पूरे जीवन के दौरान प्रतिपूर्ति योग्य अधिकतम राशि संयुक्त रूप से या अलग-अलग 8 लाख रुपये है। केवल इस उद्देश्य के लिए समूह स्तर पर सीआईएल द्वारा बनाए गए ट्रस्ट के माध्यम से इस योजना का वित्तपोषण किया जाता है। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर किए गए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर योजना के लिए देयता की पहचान की जाती है।

परिभाषित योगदान योजनाएं

क) भविष्य निधि और पेंशन

कंपनी पात्र कर्मचारी के वेतन के एक निश्चित प्रतिशत के आधार पर भविष्य निधि और पेंशन निधि के लिए पूर्व निर्धारित दरों पर निश्चित अंशदान अर्थात् मूल वेतन और महंगाई भत्ता का 12% और 7% क्रमशः भविष्य निधि और पेंशन निधि के लिए भुगतान करती है। इन निधियों को कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के नियंत्रण में एक अलग वैधानिक निकाय द्वारा संचालित किया जाता है, जिसका नाम कोयला खाना भविष्य निधि संगठन (सीएपीएफओ) है। इस अवधि के लिए निधि के योगदान को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी गई है।

ख) सीआईएल अधिकारी परिभाषित अंशदान पेंशन योजना (एनपीएस)

कंपनी, कंपनी के अधिकारियों को रोजगार के बाद अंशदायी पेंशन योजना प्रदान करती है जिसे सीआईएल अधिकारी परिभाषित अंशदान पेंशन योजना -2007 (एनपीएस) के रूप में जाना जाता है। एनपीएस को इस उद्देश्य के लिए गठित समूह स्तर पर अलग ट्रस्ट के माध्यम से प्रशासित किया जा रहा है। कंपनी का दायित्व भविष्य निधि, ग्रेचुटी, सेवानिवृत्ति के बाद के चिकित्सा लाभों के लिए नियोक्ता का योगदान - कार्यकारी यानी सीपीआरएसई या कोई अन्य सेवानिवृत्ति लाभ को मूल वेतन और महंगाई भत्ते के अधिकतम 30% में से घटाने के बाद शेष राशि का ट्रस्ट में योगदान करना है। मूल और महंगाई भत्ते के 6.99% के वर्तमान नियोक्ता योगदान को लाभ और हानि के विवरण के लिए प्रभारित किया जा रहा है।

अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ

क) अवकाश नकदीकरण

कंपनी के अधिकारियों को कंपनी 30 दिनों की कुल अर्जित छुट्टी (ईएल) और 20 दिनों के अर्ध-वैतनिक छुट्टी (एचपीएल) का लाभ प्रदान करती है, जो हर साल जनवरी और जुलाई के पहले दिन अर्धवार्षिक आधार पर अर्जित और जमा किया जाता है। सेवा के दौरान प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में एक बार कुल जमा ईएल की 75% का नकदीकरण किया जा सकता है, जो अधिकतम 60 दिनों के ईएल

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

टिप्पणि 38: 31-03-2023 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों के लिए अतिरिक्त टिप्पणी (जारी.)

नकदीकरण की सीमा के अधीन है। संचित एचपीएल को सेवा की अवधि के दौरान नकदीकरण की अनुमति नहीं है। सेवानिवृत्ति पर, ईएल और एचपीएल दोनों को एक साथ नकदीकरण के लिए मान्य है, जो एचपीएल के योग के बिना 300 दिनों की समग्र सीमा के अधीन है। गैर-अधिकारियों के मामले में, छुट्टी नकदीकरण राष्ट्रीय कोयला मजदूरी समझौते (एनसीडब्ल्यूए) द्वारा शासित है और वर्तमान में कामगार प्रति वर्ष 15 दिनों की दर से अर्जित अवकाश का नकदीकरण पाने के हकदार हैं और मृत्यु, सेवानिवृत्ति, सेवावकाश और वीआरएस के कारण सेवा समाप्त होने पर, शेष अवकाश या 150 दिन जो भी कम हो, नकदीकरण के लिए मान्य है। इसलिए, अर्जित छुट्टी के लिए देनदारियों को सेवा के दौरान और साथ ही कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के बाद निपटाने की उम्मीद है। इसलिए उन्हें अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक कर्मचारियों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के संबंध में अपेक्षित भविष्य के भुगतान के वर्तमान मूल्य के रूप में मापा जाता है। रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बाजार प्रतिफल का उपयोग करके लाभों को छूट दी जाती है, जिसमें संबंधित दायित्व की शर्तों के अनुसार शर्तें होती हैं। योजना के तहत देयता प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार कंपनी द्वारा वहन की जाती है।

ख) जीवन बीमा योजना (एलसीएस)

सामाजिक सुरक्षा योजना के एक भाग के रूप में, समूह की एक जीवन बीमा योजना है जिसे कोल इंडिया लिमिटेड की जीवन बीमा योजना (एलसीएस) के रूप में जाना जाता है, जिसमें सभी अधिकारी और गैर-अधिकारी संवर्ग के कर्मचारी शामिल हैं। सेवा के दौरान मृत्यु के मामले में, योजना के तहत नामितों को 01.10.2017 से 1,25,000 रुपये की राशि का भुगतान किया जाता है। लाभ की अपेक्षित लागत को तब पहचाना जाता है जब कोई घटना होती है जो योजना के तहत देय लाभ का कारण बनती है।

ग) निपटान भत्ते

वेतन समझौते के हिस्से के रूप में, एनसीडब्ल्यूए के तहत शासित सभी गैर-अधिकारी संवर्ग के कर्मचारियों को 31.10.2010 को या उसके बाद सेवानिवृत्ति भत्ते के रूप में 12000/- रुपये की एकमुश्त राशि का भुगतान किया जाता है। योजना के तहत देयता प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार कंपनी द्वारा वहन की जाती है।

घ) समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा (जीपीएआईएस)

कंपनी ने यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से कंपनी के अधिकारियों को व्यक्तिगत दुर्घटना के खिलाफ कवर करने के लिए कोल इंडिया एक्जीक्यूटिव्स ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम (जीपीएआईएस) नामक समूह बीमा योजना ली है। दुनिया भर में 24 घंटे के आधार पर सभी प्रकार की दुर्घटनाओं को कवर करता है। योजना का प्रीमियम कंपनी द्वारा वहन किया जाता है।

इ) अवकाश यात्रा रियायत (एलटीसी)

वेतन समझौते के एक भाग के रूप में, गैर-अधिकारी कर्मचारी 4 साल के ब्लॉक में एक बार अपने गृह नगर और झज्जूभारत भ्रमणझज्जू के लिए यात्रा सहायता के हकदार हैं। गृह नगर और झज्जूभारत भ्रमणझज्जूका दौरा करने के लिए क्रमशः 8000/- और 12000/- रुपये की एकमुश्त राशि का भुगतान किया जाता है। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर योजना के लिए देयता की पहचान की जाती है।

च) खदान दुर्घटना लाभ पर आश्रित को मुआवजा

वेतन समझौते के तहत सामाजिक सुरक्षा योजना के एक हिस्से के रूप में, कंपनी कर्मचारी मुआवजा अधिनियम, 1923 के तहत स्वीकार्य लाभ प्रदान करती है। घातक खदान दुर्घटना के मामले में एक कर्मचारी के परिजनों को 07.11.2019 से 15 लाख रुपये की राशि का भुगतान किया जाता है। लाभ की अपेक्षित लागत को तब शामिल किया जाता है जब कोई घटना घटित होती है जो योजना के तहत देय लाभ का कारण बनती है।

परिभाषित लाभ योजनाओं और अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ योजनाओं की वित्तीय स्थिति निम्नानुसार है:

(i) वित्त पोषित

- * ग्रेचुटी
- * अवकाश नकदीकरण
- * सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ - अधिकारी (सीपीआरएमएसई)
- * सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ - गैर अधिकारी (सीपीआरएमएस-एनई)

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

टिप्पणि 38: 31-03-2023 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों के लिए अतिरिक्त टिप्पणी (जारी.)

(i) निधिरहित

- * जीवन बीमा योजना
- * निपटान भत्ता
- * समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा
- * अवकाश यात्रा रियायत
- * खदान दुर्घटना लाभ के तहत आश्रित को मुआवजा

बीमांकक द्वारा किए गए मूल्यांकन के आधार पर 31-03-2023 को वास्तविक प्रावधान ₹ 29789.47 करोड़, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	प्रारंभिक बीमांकिक देयता 01.04.2021	पिछले वर्ष के दौरान वृद्धिशील देयता	प्रारंभिक बीमांकिक देयता 01.04.2022	वर्ष के दौरान वृद्धिशील देयता	कलोजिंग एक्युरियल लायबिलिटी ऑन 31-03-2023
ग्रेचुरी	21,191.64	(590.06)	20,601.58	(1,032.73)	19,568.85
छुट्टी	4,491.75	(87.76)	4,403.99	811.05	5,215.04
निपटान भत्ता	193.72	(8.71)	185.01	(15.19)	169.82
अवकाश यात्रा रियायत	270.53	(36.92)	233.61	(0.48)	233.13
सेवानिवृत्त उपरांत चिकित्सा लाभ	2,621.96	1,903.32	4,525.28	77.35	4,602.63
कुल	28,769.60	1,179.87	29,949.47	(160.00)	29,789.47

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

ग्रेचुटी लाभ का बीमांकिक मूल्यांकन 31-03-2023 प्रमाण पत्र इंडस्ट्रीज़ 19 के अनुसार

31-03-2023 को समाप्त वर्ष के लिए परिभाषित लाभ लागत का प्रकटीकरण

क	लाभ और हानि (पी एंड एल)	31-03-2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31-03-2022 को समाप्त वर्ष के लिए
1	चालू सेवा लागत	495.82	963.59
2	पिछली सेवा लागत - योजना संशोधन	-	-
3	कटौती लागत / (क्रेडिट)	-	-
4	निपान लागत / (क्रेडिट)	-	-
5	सेवा लागत	495.82	963.59
6	शुद्ध परिभाषित लाभ देयता / (संपत्ति) पर शुद्ध ब्याज	181.70	250.60
7	(लाभ)/हानि की तत्काल मान्यता - अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ	-	-
8	पी एंड एल में मान्यता प्राप्त लागत	677.52	1,214.19

ख	अन्य व्यापक आय (ओसीआई)	31-03-2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31-03-2022 को समाप्त वर्ष के लिए
1	डीबीओ अनुभव के कारण बीमांकिक (लाभ) / हानि	397.71	(113.36)
2	डीबीओ धारणा परिवर्तन के कारण बीमांकिक (लाभ)/ हानि	(621.20)	66.00
3	अवधि के दौरान उत्पन्न होने वाली बीमांकिक (लाभ)/ हानि	(223.49)	(47.36)
4	योजना आस्तियों पर प्रतिलाभ (अधिक)/छूट दर से कम	(133.75)	(62.75)
5	बीमांकिक (लाभ)/हानि ओसीआई में मान्यता प्राप्त	(357.24)	(110.11)

ग	परिभाषित लाभ लागत	31-03-2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31-03-2022 को समाप्त वर्ष के लिए
1	सेवा लागत	495.82	963.59
2	शुद्ध परिभाषित लाभ देयता / (संपत्ति) पर शुद्ध ब्याज	181.70	250.60
3	ओसीआई में मान्यता प्राप्त बीमांकिक (लाभ)/हानि	(357.24)	(110.11)
4	(लाभ)/हानि की तत्काल मान्यता - अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ योजनाएं	-	-
5	परिभाषित लाभ लागत	320.28	1,104.08

घ	मान्यताएँ	31-03-2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31-03-2022 को समाप्त वर्ष के लिए
1	छूट की दर	7.30%	6.80%
2	वेतन वृद्धि की दर	कार्यकारी अधिकारी: 9% ; गैर कार्यकारी अधिकारी: 6.25%	कार्यकारी अधिकारी: 9% ; गैर कार्यकारी अधिकारी: 6.25%
3	निकासी दर	0.30%	0.30%
4	मृत्यु दर	इंडियन एश्योर्ड लाइव्स मॉर्टलिटी (2006- 08) अल्टीमेट	इंडियन एश्योर्ड लाइव्स मॉर्टलिटी (2006- 08) अल्टीमेट

नमूना मृत्यु दर

आयु	दरें	आयु	दरें
20	0.000888	45	0.002874
25	0.000984	50	0.004946
30	0.001056	55	0.007888
35	0.001282	60	0.011534
40	0.001803	65	0.017009

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

ग्रेचुटी लाभ का बीमांकिक मूल्यांकन 31-03-2023 प्रमाण पत्र इंडस्ट्रीज़ 19 के अनुसार

31-03-2023 को शुद्ध तुलन-पत्र की स्थिति

क्र.	शुद्ध तुलन पत्र की स्थिति का विकास	31-03-2023	31-03-2022
1	परिभाषित लाभ दायित्व (डीबीओ)	(19,568.85)	(20,601.58)
2	योजना परिसंपत्ति का उचित मूल्य (एफबीए)	17,517.04	16,988.96
3	वित्त पोषित स्थिति अधिशेष/(घाटा)	(2,051.81)	(3,612.62)
4	एसेट सीलिंग का प्रभाव	-	-
5	शुद्ध परिभाषित लाभ संपत्ति / (देयता)	(2,051.81)	(3,612.62)

ख्र.	शुद्ध तुलन पत्र की स्थिति का समाधान	31-03-2023	31-03-2022
1	पूर्व अवधि के अंत में शुद्ध परिभाषित लाभ संपत्ति / (देयता)।	(3,612.62)	(4,808.25)
2	सेवा लागत	(495.82)	(963.59)
3	शुद्ध परिभाषित लाभ देयता/(परिसंपत्ति) पर शुद्ध ब्याज	(181.70)	(250.60)
4	ओसीआई में मान्यता प्राप्त राशि	357.24	110.11
5	नियोक्ता योगदान	1,881.09	1,967.30
6	कंपनी द्वारा सीधे भुगतान किया गया लाभ	-	332.41
7	अधिग्रहण क्रेडिट / (लागत)	-	-
8	Divestitures	-	-
9	समाप्त लाभों की लागत	-	-
10	वर्तमान अवधि के अंत में शुद्ध परिभाषित लाभ संपत्ति / (देयता)।	(2,051.81)	(3,612.62)

31-03-2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में लाभ दायित्वों और संपत्तियों में परिवर्तन

क्र.	परिभाषित लाभ दायित्व में परिवर्तन (डीबीओ)	31-03-2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31-03-2022 को समाप्त वर्ष के लिए
1	पूर्व अवधि के अंत में डीबीओ	20,601.58	21,191.64
2	चालू सेवा लागत	495.82	963.59
3	डीबीओ पर ब्याज लागत	1,311.93	1,353.67
4	कटौती (क्रेडिट) / लागत	-	-
5	निपटान (क्रेडिट) / लागत	-	-
6	पिछली सेवा लागत - योजना संशोधन	-	-
7	अधिग्रहण (क्रेडिट) / लागत	-	-
8	बीमांकिक (लाभ)/हानि - अनुभव	397.71	(113.36)
9	बीमांकिक (लाभ)/हानि - जनसांख्यिकीय अनुमान	-	-
10	बीमांकिक (लाभ)/हानि - वित्तीय अनुमान	(621.20)	66.00
11	कंपनी द्वारा सीधे भुगतान किए गए लाभ	-	(332.41)
12	योजना संपत्तियों से भुगतान किए गए लाभ	(2,616.99)	(2,527.55)
13	वर्तमान अवधि के अंत में डीबीओ	19,568.85	20,601.58

ख्र.	आस्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन	31-03-2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31-03-2022 को समाप्त वर्ष के लिए
1	पूर्व अवधि के अंत में संपत्ति का उचित मूल्य	16,988.96	16,383.39
2	अधिग्रहण समायोजन	-	-
3	योजनाबद्ध संपत्तियों पर ब्याज आय	1,130.23	1,103.07
4	नियोक्ता योगदान	1,881.09	1,967.30
5	चूट दर से अधिक / (कम) योजनाबद्ध संपत्ति पर वापसी	133.75	62.75
6	भुगतान किए गए लाभ	(2,616.99)	(2,527.55)
7	वर्तमान अवधि के अंत में संपत्ति का उचित मूल्य	17,517.04	16,988.96

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

ग्रेचुटी लाभ का बीमांकिक मूल्यांकन 31-03-2023 प्रमाण पत्र इंडस्ट्रीज़ 19 के अनुसार
अतिरिक्त प्रकटीकरण सूचना

क	समाप्त होने वाले वर्ष के लिए अपेक्षित लाभ भुगतान	
1	मार्च 31, 2024	2,218.02
2	मार्च 31, 2025	2,298.53
3	मार्च 31, 2026	2,252.85
4	मार्च 31, 2027	2,224.94
5	मार्च 31, 2028	2,240.10
6	31 मार्च, 2029 से 31 मार्च, 2033 तक	9,420.36
7	10 वर्ष से अधिक	15,022.65
ख	31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए अपेक्षित नियोक्ता योगदान	409.22
ग	परिभाषित लाभ दायित्व की भारित औसत अवधि	7 साल
घ	उपर्जित लाभ दायित्व 31-03-2023 पर	15,730.79

ड	31-03-2023 तक योजना संपत्ति की जानकारी	प्रतिशत
	भारत सरकार प्रतिभूतियाँ (केंद्रीय और राज्य)	0%
	उच्च गुणवत्ता वाले कॉरपोरेट बॉन्ड (सार्वजनिक क्षेत्र के बॉन्ड सहित)	0%
	सूचीबद्ध कंपनियों के इकिटी शेयर	0%
	संपत्ति	0%
	नकद (विशेष जमा सहित)	0%
	बीमा की योजनाएँ - पारंपरिक उत्पाद	100%
	बीमा की योजनाएँ - यूलिप उत्पाद	0%
	अन्य	0%
	कुल	100%

च	चालू और गैर-चालू देयता व्यौग	31-03-2023
1	चालू में दायित्व	2,141.24
2	गैर चालू देयता	17,427.61
3	31-03-2023 को देयता	19,568.85

संवेदनशीलता का विश्लेषण		
	31 मार्च 2022 को आधार मान्यताओं पर डीबीओ	19,568.85
क	छूट की दर	
1	31-03-2023 तक छूट दर	7.30%
1	छूट दर में 0.5% की वृद्धि के कारण डीबीओ पर प्रभाव	(583.11)
	प्रतिशत प्रभाव	-3%
2	छूट दर में 0.5% की कमी से डीबीओ पर असर	621.20
	प्रतिशत प्रभाव	3%

ख	वेतन वृद्धि दर	
	31-03-2023 तक वेतन वृद्धि दर	कार्यकारी अधिकारी: 9% ; गैर कार्यकारी अधिकारी: 6.25%
1	वेतन वृद्धि में 0.5% की वृद्धि के कारण डीबीओ पर प्रभाव	235.12
	प्रतिशत प्रभाव	1%
2	वेतन वृद्धि में 0.5% की कमी से डीबीओ पर असर	235.12
	प्रतिशत प्रभाव	-1%

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

31-03-2023 की स्थिति के अनुसार अवकाश लाभ का बीमांकिक मूल्यांकन इंड एस 19 के अनुसार प्रमाण पत्र

31-03-2023 को समाप्त वर्ष के लिए परिभाषित लाभ लागत का प्रकटीकरण

क	लाभ और हानि (पी एंड एल)	31-03-2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31-03-2022 को समाप्त वर्ष के लिए
1	चालू सेवा लागत	954.32	675.34
2	पिछली सेवा लागत - योजना संशोधन	-	-
3	कटौती लागत / (क्रेडिट)	-	-
4	निपटान लागत / (क्रेडिट)	-	-
5	सेवा लागत	954.32	675.34
6	शुद्ध परिभाषित लाभ देयता / (संपत्ति) पर शुद्ध ब्याज	59.64	109.85
7	(लाभ)/हानि की तत्काल मान्यता - अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ	406.92	(161.68)
8	पी एंड एल में मान्यता प्राप्त लागत	1,420.88	623.51

ख	परिभाषित लाभ लागत	31-03-2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31-03-2022 को समाप्त वर्ष के लिए
1	सेवा लागत	954.32	675.34
2	शुद्ध परिभाषित लाभ देयता / (संपत्ति) पर शुद्ध ब्याज	59.64	109.85
3	ओसीआई में मान्यता प्राप्त बीमांकिक (लाभ)/हानि	-	-
4	(लाभ)/हानि की तत्काल मान्यता - अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ योजनाएं	406.92	(161.68)
5	परिभाषित लाभ लागत	1,420.88	623.51

ग	मान्यताएँ	31-03-2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31-03-2022 को समाप्त वर्ष के लिए
1	छूट की दर	7.30%	6.80%
2	वेतन वृद्धि की दर	अधिकारी: 9%; गैर- अधिकारी: 6.25%	अधिकारी: 9%; गैर- अधिकारी: 6.25%
3	निकासी दर	0.30%	0.30%
4	मृत्यु दर	इंडियन एश्योर्ड लाइव्स मॉर्टलिटी (2006- 08) अल्टीमेट	इंडियन एश्योर्ड लाइव्स मॉर्टलिटी (2006- 08) अल्टीमेट

नमूना मृत्यु दर

आयु	दरें	आयु	दरें
20	0.000888	45	0.002874
25	0.000984	50	0.004946
30	0.001056	55	0.007888
35	0.001282	60	0.011534
40	0.001803	65	0.017009

31-03-2023 को शुद्ध तुलन-पत्र की स्थिति

क	शुद्ध तुलन पत्र की स्थिति का विकास	31-03-2023	31-03-2022
1	परिभाषित लाभ दायित्व (डीबीओ)	(5,215.04)	(4,403.99)
2	योजना परिसंपत्ति का उचित मूल्य (एफवीए)	3,423.33	3,020.78
3	वित्त पोषित स्थिति अधिशेष/(घाटा)	(1,791.71)	(1,383.21)
4	एसेट सीलिंग का प्रभाव	-	-
5	शुद्ध परिभाषित लाभ संपत्ति / (देयता)	(1,791.71)	(1,383.21)

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

31-03-2023 की स्थिति के अनुसार अवकाश लाभ का बीमांकिक मूल्यांकन इंड एस 19 के अनुसार प्रमाण पत्र

ख	शुद्ध तुलन पत्र की स्थिति का समाधान	31-03-2023	31-03-2022
1	पूर्व अवधि के अंत में शुद्ध परिभाषित लाभ संपत्ति / (देयता)।	(1,383.22)	(2,447.53)
2	सेवा लागत	(954.32)	(675.34)
3	शुद्ध परिभाषित लाभ देयता/(परिसंपत्ति) पर शुद्ध ब्याज	(59.64)	(109.85)
4	ओसीआई में मान्यता प्राप्त राशि	(406.92)	161.68
5	नियोक्ता योगदान	1,012.38	1,346.06
6	कंपनी द्वारा सीधे भुगतान किया गया लाभ	-	341.77
7	अधिग्रहण क्रेडिट / (लागत)	-	-
8	अनावरण	-	-
9	समाप्त लाभों की लागत	-	-
10	वर्तमान अवधि के अंत में शुद्ध परिभाषित लाभ संपत्ति / (देयता)।	(1,791.72)	(1,383.21)

31-03-2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में लाभ दायित्वों और संपत्तियों में परिवर्तन

क	परिभाषित लाभ दायित्व में परिवर्तन (डीबीओ)	31-03-2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31-03-2022 को समाप्त वर्ष के लिए
1	पूर्व अवधि के अंत में डीबीओ	4,403.99	4,491.76
2	चालू सेवा लागत	954.32	675.34
3	डीबीओ पर ब्याज लागत	270.38	277.33
4	कटौती (क्रेडिट) / लागत	-	-
5	निपटान (क्रेडिट) / लागत	-	-
6	पिछली सेवा लागत - योजना संशोधन	-	-
7	अधिग्रहण (क्रेडिट) / लागत	-	-
8	बीमांकिक (लाभ)/हानि - अनुभव	668.77	(172.93)
9	बीमांकिक (लाभ)/हानि - जनसांख्यिकीय अनुमान	-	-
10	बीमांकिक (लाभ)/हानि - वित्तीय अनुमान	(226.78)	18.83
11	कंपनी द्वारा सीधे भुगतान किए गए लाभ	-	(341.77)
12	योजना संपत्तियों से भुगतान किए गए लाभ	(855.64)	(544.57)
13	वर्तमान अवधि के अंत में डीबीओ	5,215.04	4,403.99

ख	आस्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन	31-03-2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31-03-2022 को समाप्त वर्ष के लिए
1	पूर्व अवधि के अंत में संपत्ति का उचित मूल्य	3,020.78	2,044.23
2	अधिग्रहण समायोजन	-	-
3	योजनाबद्ध संपत्तियों पर ब्याज आय	210.74	167.48
4	नियोक्ता योगदान	1,012.38	1,346.06
5	छूट दर से अधिक / (कम) योजनाबद्ध संपत्ति पर वापसी	35.06	7.58
6	भुगतान किए गए लाभ	(855.64)	(544.57)
7	वर्तमान अवधि के अंत में संपत्ति का उचित मूल्य	3,423.32	3,020.78

अतिरिक्त प्रकटीकरण सूचना

क	समाप्त होने वाले वर्ष के लिए अपेक्षित लाभ भुगतान	
1	मार्च 31, 2024	469.95
2	मार्च 31, 2025	525.67
3	मार्च 31, 2026	518.99
4	मार्च 31, 2027	514.13
5	मार्च 31, 2028	525.87
6	31 मार्च, 2029 से 31 मार्च, 2033 तक	2,280.46
7	10 वर्ष से अधिक	7,393.02
ख	31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए अपेक्षित नियोक्ता योगदान	1,004.43
ग	परिभाषित लाभ दायित्व की भारित औसत अवधि	9 साल
घ	उपर्जित लाभ दायित्व 31-03-2023 पर	3,231.89

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

31-03-2023 की स्थिति के अनुसार अवकाश लाभ का बीमांकिक मूल्यांकन इंड एस 19 के अनुसार प्रमाण पत्र

ड	31-03-2023 तक योजना संपत्ति की जानकारी	प्रतिशतता
	भारत सरकार प्रतिभूतियां (केंद्रीय और राज्य)	0%
	उच्च गुणवत्ता वाले कॉर्पोरेट बॉन्ड (सार्वजनिक क्षेत्र के बॉन्ड सहित)	0%
	सूचीबद्ध कंपनियों के इकिटी शेयर	0%
	संपत्ति	0%
	नकद (विशेष जमा सहित)	0%
	बीमा की योजनाएँ – पारंपरिक उत्पाद	100%
	बीमा की योजनाएँ – यूलिप उत्पाद	0%
	अन्य	0%
	कुल	100%

च	चालू और गैर-चालू देयता ब्यौरा	31-03-2023
1	चालू में दायित्व	453.69
2	गैर चालू देयता	4,761.36
3	31-03-2023 को देयता	5,215.04

संवेदनशीलता का विश्लेषण		
	31 मार्च 2022 को आधार मान्यताओं पर डीबीओ	5,215.04
क	छूट की दर	
	31-03-2023 तक छूट दर	7.30%
1	छूट दर में 0.5% की वृद्धि के कारण डीबीओ पर प्रभाव	(208.85)
	प्रतिशत प्रभाव	-4%
2	छूट दर में 0.5% की कमी से डीबीओ पर असर	226.78
	प्रतिशत प्रभाव	4%

ख	वेतन वृद्धि दर	
	31-03-2023 तक वेतन वृद्धि दर	अधिकारी: 9%; गैर-अधिकारी: 6.25%
1	वेतन वृद्धि में 0.5% की वृद्धि के कारण डीबीओ पर प्रभाव	225.90
	प्रतिशत प्रभाव	4%
2	वेतन वृद्धि में 0.5% की कमी से डीबीओ पर असर	(210.02)
	प्रतिशत प्रभाव	-4%

31-03-2023 के अनुसार सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ का बीमांकिक मूल्यांकन इंड एस 19 के अनुसार आईएनडी प्रमाण पत्र 31-03-2023 को समाप्त वर्ष के लिए परिभाषित लाभ लागत का प्रकटीकरण

क	लाभ और हानि (पी एंड एल)	31-03-2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31-03-2022 को समाप्त वर्ष के लिए
1	चालू सेवा लागत	108.48	101.57
2	विगत सेवा लागत - योजना संशोधन	-	1550.52
3	कटौती लागत / (क्रेडिट)	-	-
4	निपटान लागत / (क्रेडिट)	-	-
5	सेवा लागत	108.48	1652.09
6	शुद्ध परिभाषित लाभ देयता / (संपत्ति) पर शुद्ध ब्याज	143.39	162.32
7	(लाभ)/हानि की तत्काल मान्यता - अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ	-	-
8	लाभ एवं हानि में मान्यता प्राप्त लागत	251.87	1814.41

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

31-03-2023 के अनुसार सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ का बीमांकिक मूल्यांकन इंड एस 19 के अनुसार आईएनडी प्रमाण पत्र

ख	अन्य व्यापक आय (ओसीआई)	31-03-2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31-03-2022 को समाप्त वर्ष के लिए
1	डीबीओ अनुभव के कारण बीमांकिक (लाभ) / हानि	255.12	(91.31)
2	डीबीओ धारणा परिवर्तन के कारण बीमांकिक (लाभ) / हानि	(274.16)	239.71
3	बीमांकिक (लाभ)/अवधि के दौरान उत्पन्न होने वाली हानि	(19.04)	148.40
4	योजना आस्तियों पर प्रतिलाभ (अधिक)/छूट दर से कम	22.87	(128.57)
5	ओसीआई में मान्यता प्राप्त बीमांकिक (लाभ)/हानि	3.83	19.83

ग	परिभाषित लाभ लागत	31-03-2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31-03-2022 को समाप्त वर्ष के लिए
1	सेवा लागत	108.48	1,652.09
2	शुद्ध परिभाषित लाभ देयता / (संपत्ति) पर शुद्ध व्याज	143.39	162.32
3	ओसीआई में मान्यता प्राप्त बीमांकिक (लाभ)/हानि	3.83	19.83
4	(लाभ)/हानि की तत्काल मान्यता - अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ योजनाएं	-	-
5	परिभाषित लाभ लागत	255.70	1,834.24

घ	मान्यताएँ	31-03-2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31-03-2022 को समाप्त वर्ष के लिए
1	छूट की दर	7.30%	6.80%
2	चिकित्सा मुद्रास्फीति दर	0.00%	0.00%
3	निकासी दर	0.30%	0.30%
	मृत्यु दर - सेवाकालीन	इंडियन एश्योर्ड लाइव्स मॉर्टलिटी (2006-08) अल्टीमेट	इंडियन एश्योर्ड लाइव्स मॉर्टलिटी (2006-08) अल्टीमेट
4	मृत्यु दर - सेवानिवृत्ति के बाद	वार्षिकी प्राप्तकर्ता व्यक्तिगतारीय की मृत्यु तालिका (2012-15)	वार्षिकी प्राप्तकर्ता व्यक्तिगतारीय की मृत्यु तालिका (2012-15)
	औसत चिकित्सा लागत ()	अधिकारी: अधिवास लाभ - ₹ 36,000 प्रति वर्ष। अस्पताल में भर्ती लाभ - ₹ 35,000 प्रति वर्ष। कर्मचारी: अधिवास लाभ + अस्पताल में भर्ती लाभ संयुक्त - ₹ 18,000 प्रति वर्ष। पति/पत्नी सदस्य से 5 वर्ष छोटे हैं	अधिकारी: अधिवास लाभ - ₹ 36,000 प्रति वर्ष। अस्पताल में भर्ती लाभ - ₹ 35,000 प्रति वर्ष। कर्मचारी: अधिवास लाभ + अस्पताल में भर्ती लाभ संयुक्त - ₹ 18,000 प्रति वर्ष। पति/पत्नी सदस्य से 5 वर्ष छोटे हैं
5	जीवनसाथी की उम्र का अंतर		

नमूना मृत्यु दर: भारतीय सुनिश्चित जीवन मृत्यु दर (2006-08) अंतिम तालिका

आयु	दरें	आयु	दरें
20	0.000888	45	0.002874
25	0.000984	50	0.004946
30	0.001056	55	0.007888
35	0.001282	60	0.011534
40	0.001803	65	0.017009

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नमूना मृत्यु दर: भारतीय वार्षिक वार्षिकी मृत्यु दर तालिका (2012-15)

आयु	दरें
60	0.006349
65	0.01007
70	0.016393
75	0.027379
80	0.04673

31-03-2023 को शुद्ध तुलन पत्र की स्थिति

क्र.	शुद्ध तुलन पत्र की स्थिति का विकास	31-03-2023	31-03-2022
1	परिभाषित लाभ दायित्व (डीबीओ)	(4,602.63)	(4,525.28)
2	योजनाबद्ध संपत्ति का उचित मूल्य (एफवीए)	2,573.60	2,081.12
3	वित्त पोषित स्थिति अधिशेष/(घाटा)	(2,029.03)	(2,444.16)
4	एसेट सीलिंग का प्रभाव	-	-
5	शुद्ध परिभाषित लाभ संपत्ति / (देयता)	(2,029.03)	(2,444.16)

ख्र.	शुद्ध तुलन पत्र की स्थिति का समाधान	31-03-2023	31-03-2022
1	पूर्व अवधि के अंत में शुद्ध परिभाषित लाभ संपत्ति / (देयता)।	(2,444.16)	(1,803.49)
2	सेवा लागत	(108.48)	(1,652.09)
3	शुद्ध परिभाषित लाभ देयता/(परिसंपत्ति) पर शुद्ध ब्याज	(143.39)	(162.32)
4	ओसीआई में मान्यता प्राप्त राशि	(3.83)	(19.83)
5	नियोक्ता योगदान	670.84	1,115.76
6	कंपनी द्वारा सीधे भुगतान किया गया लाभ	-	77.80
7	अधिग्रहण क्रेडिट / (लागत)	-	-
8	डाईवेस्टीचरस	-	-
9	सेवा समाप्ति लाभों की लागत	-	-
10	वर्तमान अवधि के अंत में शुद्ध परिभाषित लाभ संपत्ति / (देयता)।	(2,029.02)	(2,444.17)

31-03-2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में लाभ दायित्वों और संपत्तियों में परिवर्तन

क्र.	परिभाषित लाभ दायित्व में परिवर्तन (डीबीओ)	31-03-2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31-03-2022 को समाप्त वर्ष के लिए
1	पूर्व अवधि के अंत में डीबीओ	4,525.28	2,621.96
2	वर्तमान सेवा लागत	108.48	101.57
3	डीबीओ पर ब्याज लागत	297.20	254.08
4	कटौती (क्रेडिट) / लागत	-	-
5	निपटान (क्रेडिट) / लागत	-	-
6	पिछली सेवा लागत - योजना संशोधन	-	1,550.52
7	अधिग्रहण (क्रेडिट) / लागत	-	-
8	बीमांकिक (लाभ)/हानि - अनुभव	255.12	(91.31)
9	बीमांकिक (लाभ)/हानि - जनसांख्यिकीय अनुमान	-	212.20
10	बीमांकिक (लाभ)/हानि - वित्तीय अनुमान	(274.16)	27.51
11	कंपनी द्वारा सीधे भुगतान किए गए लाभ	-	(77.80)
12	योजना संपत्तियों से भुगतान किए गए लाभ	(309.30)	(73.45)
13	वर्तमान अवधि के अंत में डीबीओ	4,602.62	4,525.28

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

ख	सम्पत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन	31-03-2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31-03-2022 को समाप्त वर्ष के लिए
1	पूर्व अवधि के अंत में संपत्ति का उचित मूल्य	2,081.12	818.47
2	अधिग्रहण समायोजन	-	-
3	योजना संपत्तियों पर ब्याज आय	153.81	91.76
4	नियोक्ता योगदान	670.84	1,115.76
5	छूट दर से अधिक / (कम) योजना संपत्ति पर वापसी	(22.87)	128.57
6	भुगतान किए गए लाभ	(309.30)	(73.45)
7	वर्तमान अवधि के अंत में संपत्ति का उचित मूल्य	2,573.60	2,081.11

अतिरिक्त प्रकटीकरण सूचना

क	समाप्त होने वाले वर्ष के लिए अपेक्षित लाभ भुगतान	
1	मार्च 31, 2024	231.09
2	मार्च 31, 2025	257.38
3	मार्च 31, 2026	283.16
4	मार्च 31, 2027	304.99
5	मार्च 31, 2028	326.15
6	31 मार्च, 2029 से 31 मार्च, 2033 तक	1,863.19
7	10 वर्ष से अधिक	9,809.83
ख	परिभाषित लाभ दायित्व की भारित औसत अवधि	12 वर्ष
ग	उपर्जित लाभ दायित्व 31-03-2023 पर	4,602.63

संबंदनशीलता का विश्लेषण

क	31 मार्च 2022 को आधार मान्यताओं पर डीबीओ	4,602.63
ख	छूट की दर	
	31-03-2023 तक छूट दर	7.30%
1	छूट की दर में 0.5% की बढ़ोतरी से डीबीओ पर असर	(249.26)
	प्रतिशत प्रभाव	-5%
2	छूट की दर में 0.5% की कमी से डीबीओ पर असर	274.16
	प्रतिशत प्रभाव	6%

8 अन्य सूचना

क) प्रावधान और भत्ते

31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए बीमांकिक रूप से मूल्यांकित कर्मचारी लाभों से संबंधित प्रावधानों को छोड़कर इंड एस-37 के अनुसार विभिन्न प्रावधानों की स्थिति और संचलन नीचे दिया गया है:

विवरण	चालू शेष 01.04.2021	अवधि के दौरान जोड़	अवधि के दौरान राइट बैक/समायोजन/ भुगतान	01.04.2022 को ओपनिंग बैलेंस	अवधि के दौरान जोड़	अवधि के दौरान राइट बैक/समायोजन/ भुगतान	31.03.2023 को ओपनिंग बैलेंस
							(₹ करोड़ में)
टिप्पण 3:- संपत्ति, संयंत्र और उपकरण :							
संपत्ति की विनिष्टीकरण :	205.79	57.82	-	263.61	90.30	-	353.91
टिप्पण 4:- पूँजीगत कार्य प्रगति में :							
सीडब्ल्यूआई के मद में :	54.52	86.07	-	140.59	25.22	-	165.81
टिप्पण 5:- अन्वेषण और मूल्यांकन संपत्ति :							
प्रावधान और हानि:	9.29	18.52	-	27.81	1.55	-	29.36
टिप्पण 8:- क्रण :							
अन्य क्रण - गैर चालू	1.95	-	0.01	1.94	0.21	-	2.15

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

(₹ करोड़ में)

विवरण	चालू शेष 01.04.2021	अवधि के दौरान जोड़	अवधि के दौरान राइट बैंक/समायोजन/ भुगतान	01.04.2022 को ओपनिंग बैलेंस	अवधि के दौरान जोड़	अवधि के दौरान राइट बैंक/समायोजन/ भुगतान	31.03.2023 को ओपनिंग बैलेंस
टिप्पण 9:- अन्य वित्तीय संपत्तियाँ:							
गैर-चालू							
सुरक्षा जमा	22.20	0.08	-	22.28	-	0.23	22.05
अन्य जमा और प्राप्य	7.17	-	4.72	2.45	1.31	-	3.76
चालू							
अन्य जमा और प्राप्य	72.61	3.11	-	75.72	-	22.56	53.16
टिप्पण 10:- अन्य गैर-चालू संपत्तियाँ :							
पूँजीगत अग्रिम	10.32	1.11	-	11.43	-	2.67	8.76
अन्य जमा और प्राप्य	2.33	4.81	-	7.14	-	1.57	5.57
टिप्पण 11:- अन्य चालू संपत्तियाँ:							
वैधानिक देय राशि का अग्रिम भुगतान	0.89	-	-	0.89	-	0.89	-
अन्य अग्रिम और जमा	34.22	2.11	-	36.33	19.06	-	55.39
टिप्पण 13: व्यापार प्राप्य:							
अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान :	2,542.73	-	118.20	2,424.53	297.60	-	2,722.13
टिप्पण 21:- गैर-चालू							
कर्मचारी लाभ							
ग्रेच्युटी	3,073.31	-	697.07	2,376.24	-	1,319.19	1,057.05
अवकाश नकदीकरण	2,058.69	-	970.41	1,088.28	337.37	-	1,425.65
सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ	2,218.05	63.61	-	2,281.66	-	500.91	1,780.75
अन्य कर्मचारी लाभ	552.74	-	260.53	292.21	12.05	-	304.26
अन्य प्रावधान							
साइट की बहाली/खान बंद करना	6,731.50	507.21	-	7,238.71	545.51	-	7,784.22
स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन	48,906.04	3,760.85	-	52,666.89	3,809.12	-	56,476.01
अन्य	0.26	-	0.25	0.01	-	-	0.01
चालू							
कर्मचारी लाभ							
ग्रेच्युटी (निधि का शुद्ध)	1,883.90	-	487.94	1,395.96	-	333.91	1,062.05
अवकाश नकदीकरण (निधि का शुद्ध)	389.48	-	85.71	303.77	98.29	-	402.06
सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ (निधि का शुद्ध)	220.41	-	48.75	171.66	37.83	-	209.49
एक्स-ग्रेसिया	1,714.80	94.88	-	1,809.68	-	84.86	1,724.82
प्रदर्शन से संबंधित भुगतान	1,027.07	407.20	-	1,434.27	529.03	-	1,963.30
अन्य कर्मचारी लाभ	245.15	845.71	-	1,090.86	8,268.67	-	9,359.53
अन्य प्रावधान							
अन्य	41.47	-	23.28	18.19	223.94	-	242.13

(ख) आस्थगित कर संपत्तियों के घटक और (देयताएं)

(₹ करोड़ में)

विवरण	01.04.2022 को शेष	वर्ष के दौरान लाभ और हानि में मान्य/ (उलट)	वर्ष के दौरान अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त	31.03.2023 को शेष
आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ:				
संदिग्ध अग्रिमों, दावों और ऋणों के लिए प्रावधान	1,043.93	107.95		935.98
कर्मचारी लाभ	2,169.55	(838.35)		3,007.90
अन्य	1,678.55	386.63		1,291.92
कुल (क)	4,892.03	(343.77)		5,235.80

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

विवरण	01.04.2022 को शेष	वर्ष के दौरान लाभ और हानि में मान्य/ (उलट)	वर्ष के दौरान अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त	(₹ करोड़ में) 31.03.2023 को शेष
विलम्बित कर देयता:				
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त संपत्ति से संबंधित	1,392.88	620.62		2,013.50
अन्य	235.30	104.14		339.44
कुल (ख)	1,628.18	724.76	-	2,352.94
निवल आस्थगित कर परिसंपत्ति/(आस्थगित कर देयता) (क-ख)	3,263.85	380.99	-	2,882.86
डी. परिभाषित लाभ योजना का पुनर्माप डीटीएल(+) /डीटीए(-)	63.22	105.13	5.37	(36.54)
निवल आस्थगित कर परिसंपत्ति (ड.=ग+घ)	3,327.07	486.12	5.37	2,846.32

के रूप में खुलासा:

	01.04.2022 को शेष	31.03.2023 को शेष
आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ	4128.42	4177.00
विलम्बित कर देयता	801.35	1330.68
	3327.07	2846.32

ग) खंड रिपोर्टिंग

समूह मुख्य रूप से कोयले के उत्पादन और बिक्री के एकल खंड के कारोबार में लगा हुआ है।

घ) प्रति शेयर आय

क्र. सं.	विवरण	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए
i)	इकिटी शेयर धारकों को देय कर पश्चात शुद्ध लाभ	28,165.19	17,358.10
ii)	इकिटी शेयरों के भारित औसत संख्या का बकाया	6162728327	6162728327
iii)	रुपये में मूल और मिश्रित आय प्रति शेयर (अंकित मूल्य ₹10/- प्रति शेयर)	₹ 45.70	₹ 28.17

इ) पट्टे

- i) साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ने मैसर्स अपोलो हॉस्पिटल इंटरप्राइजेज लिमिटेड, चेन्नई के साथ निष्पादित 19मार्च, 2001 के के लाइसेंस समझौते के अनुसार, 2,97,099.74 वर्ग फीट (27611.50 वर्गमीटर) में पूरी तरह से निर्मित मुख्य अस्पताल भवन और 55,333 वर्ग फीट (5142.47 वर्गमीटर) जमीन पर बने आवासीय कार्टर और सबस्टेशन बिल्डिंग, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट और पंप हाउस जैसे सुपरस्ट्रक्चर के साथ उक्त संस्था को सौंपा और उपयोग करने का अधिकार दिया है। लाइसेंस समझौते में लीज शुरू होने की प्रभावी तारीख यानी नवंबर 2001 से 30 साल के लीज वर्ष का प्रावधान है।

अपोलो अस्पताल द्वारा देय लीज रेंटल का हिसाब समझौते के अनुसार किया जाता है। अनुबंध के अनुसार, मुख्य अस्पताल भवन के लिए तुलन पत्र की तिथि पर, अपोलो अस्पताल से प्राप्य लीज रेंटल ₹4/- प्रति वर्ग फीट प्रति माह (₹4/- प्रति वर्ग फीट प्रति माह), ₹1.43 करोड़ प्रति वर्ष है या लाइसेंसधारी के अस्पताल के इस प्रभाग के संचालन से प्राप्त शुद्ध लाभ का 1/3, जो भी अधिक हो और आवासीय कार्टरों के लिए दर ₹2/- प्रति वर्ग फीट प्रति माह (₹2/- प्रति वर्ग फीट प्रति माह) ₹0.13 करोड़ प्रति वर्ष है। तुलन पत्र की तारीख को समाप्त वर्ष के लिए अपोलो अस्पताल द्वारा लीज रेंटल के तहत न्यूनतम किराया ₹1.56 करोड़ (₹1.56 करोड़) है।

अचल संपत्तियों की अनुसूची के तहत प्रस्तुत अपोलो हॉस्पिटल इंटरप्राइजेज लिमिटेड को पट्टे पर दी गई सकल संपत्ति की लागत ₹31.32 करोड़ (₹31.32 करोड़) है, तुलन पत्र की तारीख के अनुसार संचित मूल्यहास ₹12.90 करोड़ (₹12.34 करोड़) है। समाप्त अवधि के लिए लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त मूल्यहास ₹0.56 करोड़ (₹0.56 करोड़) है।

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

31.03.2022 को कुल मिलाकर भविष्य में प्राप्त होने वाला न्यूनतम पट्टा निम्नलिखित में से प्रत्येक वर्ष के लिए ₹ 12.45 करोड़ (₹ 14.01 करोड़) है, जो निम्नानुसार है:

विवरण	31.03.2023	31.03.2022
(I) एक वर्ष से अधिक नहीं	1.56	1.56
(II) एक वर्ष से अधिक और पांच वर्ष से अधिक नहीं	6.23	6.23
(III) पांच साल से अधिक और पट्टे के वर्ष तक	4.66	6.22

लाभ और हानि खाते में किसी भी आकस्मिक किराए को आय के रूप में मान्यता नहीं दी जाती है।

- ii) क) एसईसीएल ने दिनांक 03.01.2007 के लाइसेंस समझौतों और और 16.05.2008 के निष्पादन के अनुसार मेसर्स आर्यन कोल बेनिफिशिएशंस प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली को गेवरा क्षेत्र में पूरी तरह से निर्मित रेलवे साइडिंग जूनाडीह नंबर 3 को 23.05.2006 से 20 साल के लिए लीज पर इस्तेमाल करने का अधिकार दिया है। वर्तमान अवधि/वर्ष के लिए पट्टा किराया ₹ 2.41 करोड़ (₹ 1.99 करोड़) प्राप्त / प्राप्त्य।
- ख) एसईसीएल ने दिनांक 03.01.2007 के लाइसेंस समझौतों और 16.05.2008 के निष्पादन के अनुसार मेसर्स आर्यन कोल बेनिफिशिएशंस प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली को 23.08.1999 से 20 साल के लीज वर्ष के लिए गेवरा क्षेत्र में पूरी तरह से निर्मित रेलवे साइडिंग जूनाडीह नंबर 4 का उपयोग करने का अधिकार दिया है। वर्तमान अवधि/वर्ष के लिए पट्टा किराया ₹ 2.44 करोड़ (₹ 2.02 करोड़) प्राप्त / प्राप्त्य। लीज एग्रीमेंट का नवीनीकरण प्रक्रियाधीन है।
- ग) एसईसीएल ने मेसर्स स्पेक्ट्रम कोल एंड पावर लिमिटेड (पूर्व में एसटीसीएलआई कोल वाशरी लिमिटेड के रूप में जाना जाता था) के साथ निष्पादित दिनांक 15.10.2007 के पट्टा समझौते के अनुसार, उक्त को पूरी तरह से निर्मित रेलवे साइडिंग लाइन नंबर 2 दीपका क्षेत्र का उपयोग करने का अधिकार, पत्र संख्या. 13-14/81 दिनांक 18.07.14 के माध्यम से 30 साल के लिए दिया है जो अक्टूबर 2007 से प्रभावी है। वर्तमान अवधि /वर्ष के लिए पट्टा किराया ₹ 2.78 करोड़ (₹ 2.53 करोड़) प्राप्त/प्राप्त्य।
- घ) मेसर्स स्पेक्ट्रम कोल एंड पावर लिमिटेड (पूर्व में एसटीसीएलआई कोल वाशरी लिमिटेड के रूप में जाना जाता था) को पट्टे पर दी गई संपत्ति (लाइन नंबर-2) ₹ 19.66 करोड़ (₹ 19.23 करोड़) और बैलेंस शीट की तारीख के अनुसार संचित मूल्यहास ₹ 15.32 करोड़ है (₹ 14.84 करोड़) है।

निम्नलिखित अवधियों में से प्रत्येक के लिए वर्ष के अंत में प्राप्त भावी न्यूनतम पट्टा किराया ₹ 107.66 करोड़ (₹ 112.17 करोड़) है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2023				31.03.2022
	जूनाडीह एसडीजी - 3(क)	जूनाडीह एसडीजी - 4*(बी)	लाइन नंबर 2(डी)	कुल	
एक साल से अधिक नहीं	5.07	5.14	3.06	13.27	12.06
एक वर्ष से अधिक और पांच वर्ष से अधिक नहीं	6.63	0.00	15.61	22.24	23.48
पांच साल से अधिक और पट्टे की अवधि तक	0.00	0.00	72.15	72.15	76.63
कुल	11.70	5.14	90.82	107.66	112.17

लाभ और हानि खाते में किसी आकस्मिक किराए को आय के रूप में मान्यता नहीं दी जाती है।

- iii) एसईसीएल ने मैसर्स गुजरात स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, वडोदरा, गुजरात के साथ दिनांक 17.10.2005 के लाइसेंस समझौते के अनुसार दिनांक 17.10.2005 से प्रभावी 20 साल के लिए गेवरा क्षेत्र में रेलवे साइडिंग जूनाडीह लाइन नंबर 5 के निर्माण और संचालन के लिए भूमि का उपयोग करने का अधिकार दिया है। वर्तमान अवधि/वर्ष के लिए पट्टा किराया ₹ 1.48 करोड़ (₹ 1.34 करोड़) प्राप्त हुआ है।

कंपनी ने मेसर्स स्पेक्ट्रम कोल एंड पावर लिमिटेड (पूर्व में एसटीसीएलआई कोल वाशरी लिमिटेड के रूप में जाना जाता था) के साथ निष्पादित 30 वर्ष के एवं वर्ष 01.11.1996 से प्रभावी लीज समझौतों के तहत दीपका प्रोजेक्ट में वाशरी और साइडिंग सुविधाओं के निर्माण के लिए भूमि का उपयोग करने का अधिकार दिया है। चालू अवधि/वर्ष के दौरान पट्टा किराया ₹ 4.28 करोड़ (₹ 3.89 करोड़) प्राप्त/प्राप्त्य।

मैसर्स स्पेक्ट्रम कोल एंड पावर लिमिटेड (पूर्व में एसटीसीएलआई कोल वाशरी लिमिटेड के रूप में जाना जाता था) को पट्टे पर दी गई संपत्ति यथा भूमि के लिए ₹ 1.27 करोड़ (₹ 0.98 करोड़) और बैलेंस शीट की तारीख के अनुसार संचित मूल्यहास ₹ 0.68 करोड़ (₹ 0.59 करोड़) है।

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

निम्नलिखित अवधियों में से प्रत्येक के लिए वर्ष के अंत में कुल प्राप्य भविष्य का न्यूनतम पट्टा किराया ₹24.41 करोड़ (₹30.03 करोड़) है:

वर्ष	31.03.2023			31.03.2022
	जूनाडीह एसडीजी -5 (क) के लिए भूमि	वाशरी और साइंडिंग के लिए भूमि (ख)	कुल (क+ख)	
एक साल से अधिक नहीं	3.12	7.82	7.82	7.11
एक वर्ष से अधिक और पांच वर्ष से अधिक नहीं	2.87	16.59	16.59	22.92
पांच साल से अधिक और पट्टे की अवधि तक	0	0	0	0
कुल	5.99	24.41	24.41	30.03

लाभ और हानि खाते में किसी आकस्मिक किराए को आय के रूप में मान्यता नहीं दी जाती है।

- iv) सीसीएल ने पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के साथ लीज एग्रीमेंट के तहत कंपनी की 15.50 एकड़ जमीन के इस्तेमाल का अधिकार दिया है। परिसंपत्ति की सकल वहन राशि की लागत ₹ 7.90 करोड़ (विगत वर्ष ₹ 7.90 करोड़) है और उस पर प्रगतिशील मूल्यहास ₹ 7.90 करोड़ (विगत वर्ष ₹ 7.90 करोड़) है और शून्य (विगत वर्ष शून्य) है। लीज की शेष अवधि के लिए कुल प्राप्य भावी न्यूनतम लीज भुगतान ₹ 2.58 करोड़ है। प्राप्य भावी पट्टा भुगतानों का विवरण निम्नानुसार है:-

विवरण	31.03.2023	31.03.2022
(I) एक वर्ष से अधिक नहीं	0.21	0.19
(II) एक वर्ष से अधिक और पांच वर्ष से अधिक नहीं	0.86	0.77
(III) पांच साल से अधिक और पट्टे के वर्ष तक	1.51	1.83
कुल	2.58	2.79

- v) लीज एग्रीमेंट के तहत ईआईपीएल को कंपनी की जमीन पर का अधिभोग करने और उसके इस्तेमाल का अधिकार दिया गया है। संपत्ति की सकल वहन राशि की लागत ₹ 4968 (विगत वर्ष ₹ 4968) है और उस पर प्रगतिशील मूल्यहास ₹ 4968 (विगत वर्ष ₹ 4968) है और शून्य (₹ शून्य) है। लीज की शेष अवधि के लिए कुल प्राप्य भावी न्यूनतम लीज भुगतान 0.90 लाख है। मामला भूमि पंचाट के समक्ष लंबित है।

- vi) कंपनी (वाशरी कंस्ट्रक्शन डिवीजन) ने धनबाद डिवीजन के तहत 5 एमटीपीए पीईएच में 35 साल के लिए 01.04.2017 से 31.03.2053 तक ₹23.24 करोड़ में निजी साइंडिंग के निर्माण और संचालन के लिए दिनांक 12.06.2020 के पट्टे समझौते के माध्यम से लगभग 10.647 एकड़ रेलवे भूमि ली थी। 07.08.2019 को अग्रिम भुगतान किया गया।

- vii) बीसीसीएल (सिजुआ क्षेत्र) ने आद्रा मंडल के अंतर्गत लोयाबाद स्टेशन पर कोयले की आग को नियंत्रित करने के लिए 22.03.2022 से 35 वर्षों के लिए 22.03.2022 को ₹ 25.09 करोड़ के अग्रिम भुगतान के जरिए ओपनकास्ट परियोजना के लिए लीज एग्रीमेंट दिनांक 22.03.2022 के तहत लगभग 9.55 एकड़ की रेलवे भूमि ली थी।

- viii) कंपनी ने वाहनों/दूरसंचार को किराए पर लेने के लिए पट्टा समझौता किया है। लीज एग्रीमेंट 3 से 5 साल की अवधि के लिए होगा। इंड एएस के अनुसार प्रकटीकरण आवश्यकताएं इस प्रकार हैं:-

इंड एएस के अनुसार प्रकटीकरण आवश्यकताएं इस प्रकार हैं।

(₹ करोड़ में)					
क्र. सं. विवरण	सकल ब्लॉक	प्रगतिशील परिशोधन	लिखित डाउन वैल्यू	पट्टा देयता	वित्तीय लागत
1 वाहनों	52.72	11.74	40.98	212.64	15.81
2 दूरसंचार	181.42	60.47	120.95		

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

पट्टे की अवधि के दौरान कुल देय भविष्य की न्यूनतम पट्टा राशि ₹ 212.64 करोड़ है। देय भावी लीज भुगतान का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	विवरण	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
1	एक वर्ष से अधिक नहीं	58.85	43.93
2	एक वर्ष से अधिक और तीन वर्ष से अधिक नहीं	115.93	97.64
3	तीन वर्ष से अधिक और पट्टे के वर्ष तक	37.86	58.71
	कुल	212.64	200.28

ix) डब्ल्यूजे क्षेत्र का कैप्टिव पावर प्लांट: बीसीसीएल में, 18 मार्च 2010 के पट्टा अनुबंध के अनुसार पश्चिमी झारिया क्षेत्र के कैप्टिव पावर प्लांट के पट्टे का पट्टा किराया ₹. 6.60 करोड़ प्रति वर्ष (टैक्स सहित) पट्टेदार मेसर्स ओएसडी कोक (कंसोर्टियम) प्राइवेट लि. से प्राप्त था। पट्टा 20 वर्षों के लिए वैध था। पट्टेदार ने झारखंड उच्च न्यायालय में शुल्क मूल्य निरूपण आदि के विवादों पर रिट याचिका दायर की है और पावर प्लांट के संचालन के साथ-साथ पट्टा किराया के भुगतान को भी रोक दिया है। प्लांट को झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त मध्यस्थ के निर्णय के अनुसार 16 दिसंबर, 2015 से बीसीसीएल को सौंप दिया गया है। उपरोक्त के मद्देनजर, वर्ष 2014-15 के लिए ₹. 6.60 करोड़ और वर्ष 2015-16 के लिए ₹. 4.67 करोड़ (15 दिसंबर, 2015 तक) का बकाया पट्टा किराया का हिसाब नहीं दिया गया है।

च) बीमा और वृद्धि के दावे

प्रवेश/अंतिम निपटान के आधार पर बीमा और वृद्धि के दावों का लेखा-जोखा लिया जाता है।

छ) लेखा में किए गए प्रावधान

खातों में धीमी गति से चल रहे/अचल/पुराने स्टोर, प्राप्त दावों, अग्रिमों, संदिधि ऋणों आदि के लिए किए गए प्रावधान को संभावित नुकसान को कवर करने के लिए पर्याप्त माना जाता है।

ज) चालू संपत्ति, ऋण और अग्रिम आदि।

प्रबंधन की राय में और उनके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, व्यापार के सामान्य पाठ्यक्रम में चालू संपत्तियों, ऋणों और अग्रिमों पर वसूली का मूल्य उस राशि से कम नहीं होगा जिस पर उन्हें बैलेंस शीट में बताया गया है।

झ) चालू देनदारियाँ

अनुपानित देयता वहाँ प्रदान की गई है जहाँ वास्तविक देयता को मापा नहीं जा सकता है।

ज) शेष राशि की पुष्टि

प्रबंधन की राय में और उनके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, व्यापार के सामान्य पाठ्यक्रम में मौजूदा संपत्तियों, ऋणों और अग्रिमों पर वसूली का मूल्य उस राशि से कम नहीं होगा जिस पर उन्हें बैलेंस शीट में बताया गया है। पार्टियों के डेबिट/क्रेडिट बैलेंस की पुष्टि और वसूली के अधीन हैं।

ट) अनुषंगी कंपनियों के वित्तीय विवरणों में रिपोर्ट किए गए अन्य मामले

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड

- मास्टर प्लान के तहत फंड: ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ईसीएल) कंपनी के कोयला असर/आग प्रभावित लीजहोल्ड क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों के पुनर्वास से निपटने के लिए मास्टर प्लान के तहत फंड प्राप्त करता है। आसनसोल दुर्गापुर विकास प्राधिकरण (ADDA) गैर-ईसीएल घरों में रहने वाले व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए कार्यान्वयन एजेंसी है, जिसके लिए कंपनी एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करती है। नोडल एजेंसी के रूप में प्राप्त फंड को को एडवांस कर दिया जाता है और इस तरह के एडवांस (नोट-11 में अन्य एडवांस के तहत दिखाया गया है) के साथ-साथ संबंधित फंड को द्वारा प्रस्तुत उपयोगिता विवरण के आधार पर समायोजित किया जाता है। 31 मार्च, 2023 तक (31 मार्च, 2022 को ₹ 11.44 करोड़) ₹ 311.44 करोड़ की अप्रयुक्त निधि उनके समायोजन के लिए से उपयोग प्रमाण पत्र की प्रतीक्षा कर रही है।

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

विवरण	31.03.2023	31.03.2022
अवधि/वर्ष के प्रारंभ में मास्टर प्लान के अंतर्गत अप्रयुक्त निधि का आरंभिक शेष	11.44	11.44
अवधि/वर्ष के दौरान प्राप्त निधि	300.00	0.00
अवधि/वर्ष के दौरान उपयोगिता/समायोजन	0.00	0.00
अप्रयुक्त निधि का अंतिम शेष	311.44	11.44

- ii) 2011 की एएसटी संख्या- 617 दिनांक 26.08.2011 (संदर्भ-टिप्पणी-11) में माननीय उच्च न्यायालय, कलकत्ता के निर्देश के अनुसार डिसेरगढ़ विद्युत आपूर्ति निगम लिमिटेड (वर्तमान में इंडिया पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड) को बिजली आपूर्ति की बहाली के लिए ₹ 8.00 करोड़ की राशि का अग्रिम भुगतान किया गया था।
- iii) आईपीसीएल को उनके द्वारा दिए गए डिस्केनेशन नोटिस के मद्देनजर 3.96 करोड़ रुपये की एक तदर्थ अग्रिम राशि का भुगतान किया गया था जो माननीय लोकपाल, डब्ल्यूबीईआरसी के समक्ष अपील कार्यवाही में लंबित है। उक्त राशि को टिप्पणी-11 (अन्य चालू संपत्ति) के तहत दर्शाया गया है।
- iv) ए.एस.टी. नं. 1904/2011, दिनांक: 21.12.2011 में माननीय उच्च न्यायालय, कलकत्ता के निर्देशानुसार, आईपीसीएल को बिजली बिल के लिए सुरक्षा जमा के रूप में 39.19 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान किया गया है। उक्त राशि को टिप्पणी-10 (अन्य गैर चालू परिसंपत्ति) के तहत दर्शाया गया है। उपरोक्त मामलों के विवाद के समाधान के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त मध्यस्थ के समक्ष रखा गया था। मध्यस्थ ने अपने आदेश दिनांक 15 फरवरी 2021 के द्वारा निर्णय दिया है कि चूंकि उठाया गया मुद्दा कलकत्ता उच्च न्यायालय में लंबित एक रिट याचिका का विषय है, इसलिए वर्तमान मध्यस्थता में इस मुद्दे का निर्णय नहीं किया जा सकता है।
- उपरोक्त मामले के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली, (अपीलीय क्षेत्राधिकार) के समक्ष मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 34 के तहत अपील दायर की गई है। उक्त अपील को माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली द्वारा दिनांक 29 अक्टूबर 2021 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था।
- v) कोयला मंत्रालय, भारत सरकार ने कंपनी को अमरकोंडा, मुर्गांदंगल, ब्राह्मणी और चिछोरो पटसीमल नाम के कोयला ब्लॉक आवंटित किए थे। ग्रामीणों /स्थानीय निवासियों के प्रबल प्रतिरोध के कारण अन्वेषण कार्य नहीं किया जा सका। ईसीएल द्वारा 12 जुलाई, 2022 को कोयला मंत्रालय को कोयला ब्लॉक सौंपने के लिए एक आवेदन दर्ज किया गया था। हालांकि सीआईएल बोर्ड ने 04.01.2023 को आयोजित अपनी 448वीं बैठक में ब्लॉकों को बरकरार रखने का फैसला किया। ईसीएल ने आवेदन वापस ले लिया है।
- vi)) ईसीएल और बिहार स्टेट पावर कंपनी लिमिटेड के बीच 2016-17 से 2020-21 तक कोयले की कमी के एवट में मुआवजे के दावे के संबंध में एमआरसीडी को विवाद भेजा गया है। एमआरसीडी के निर्णय के आधार पर राशि की मात्रा निर्धारित की जा सकती है।

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड

- i) परबतपुर (सेंट्रल) कोयला खदान का कब्ज़ा: इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग लिमिटेड को भारत सरकार (जीओआई) द्वारा 2006 में परबतपुर (केंद्रीय) कोयला खदान (बोकारो) के आबंटन को दिनांक 31.03.2015 से रद्द कर दिया गया और उसके बाद भारत सरकार (जीओआई) ने उक्त खदान को कोल माइंस (विशेष प्रावधान) द्वितीय अध्यादेश, 2014 (अ.श.सं. 13016/36/2015-सीए- दिनांक 31.03.2015 संयुक्त सचिव एमओसी द्वारा जारी) के प्रावधानों के संदर्भ में पदनामित संरक्षक यानी अध्यक्ष सीआईएल को उक्त खदान सौंपी। अध्यक्ष, सीआईएल ने, बदले में, सीएमडी, बीसीसीएल को अपनी ओर से कार्य करने के लिए अधिकृत किया (सीआईएल /सीएच / संरक्षण / 27/1608 दिनांक 31.03.2015)। तदनुसार, परबतपुर (मध्य) कोयला खदान को कंपनी के पूर्वी झारिया क्षेत्र (धनबाद) के प्रशासनिक नियंत्रण में रखा गया (कार्यालय आदेश संख्या कंपनी: सीएस: एफ17 (ए): 138 दिनांक 03/04/2015 कंपनी के कंपनी सचिव द्वारा जारी)।

अब, भारत सरकार, कोयला मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन सं.13016/77/2015- दिनांक 06.10.2015 द्वारा, परबतपुर (मध्य) कोयला खदान को मेसर्स सेल को आवंटित किया गया है और नामित संरक्षक अर्थात् अध्यक्ष, सीआईएल को सलाह दी गई है कि खदान सेल को सौंप दें। तदनुसार, इसे सेल को सौंप दिया गया है, जिसकी पुष्टि जीएम, पूर्वी झारिया क्षेत्र ने अपने पत्र क्रमांक बीसीसीएल/जीएम/ईजे/ 2016/1429 दिनांक 28.07.2016 द्वारा की है। इसके अलावा, दिनांक 28.07.2016 तक कंपनी ने रु. 5.08 करोड़ (बिजली बिल रु. 4.04 करोड़, मरम्मत और रखरखाव और अन्य रु. 1.04 करोड़) संरक्षक के रूप में खान के आधिपत्य को बनाए रखने पर खर्च किए हैं जो कि खातों में मप्राप्यक के रूप में बुक किए गए हैं।

उल्लेखनीय है कि बीसीसीएल के ₹ 5.08 करोड़ के दावे के विरुद्ध, सेल ने खदान आदि से पानी निकालने के लिए ₹ 17.00 करोड़ का भी दावा किया है, जिसे बीसीसीएल प्रबंधन द्वारा उचित रूप से स्वीकार नहीं किया गया था।

भारत के राजपत्र एफ.सं. सीबीए-2-13016/1/2018-सीबीए-2 दिनांक 13 फरवरी, 2020 में अधिसूचना के तहत, भारत सरकार ने फिर से उक्त खानों के प्रबंधन और संचालन के लिए अध्यक्ष, सीआईएल को नियुक्त किया। उक्त खदान के प्रबंधन और संचालन के लिए खनिज कानून (संशोधन) अध्यादेश 2020 द्वारा संशोधित कोयला खान (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 2015 के प्रासंगिक प्रावधानों और उसके तहत बनाए

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

गए नियमों के अनुसार, सीआईएल के अध्यक्ष ने बदले में सीएमडी, बीसीसीएल को उक्त खानों के प्रबंधन और संचालन के लिए उनकी ओर से कार्य करने के लिए अधिकृत किया।

तदनुसार खदान को महाप्रबंधक, ईस्टर्न झारिया एरिया (धनबाद) के प्रशासनिक नियंत्रण में रखा गया है, तथा वह पत्र सं . बीसीसीएल/ डी(टी)/पीएंडपी/एफ-83(बी)/2020/45 दिनांक 03/03/2020 के माध्यम से वे तत्काल प्रभाव से प्रबंधित और संचालित करने के लिए प्राधिकृत किये गये हैं ।

31 मार्च, 2023 को कस्टोडियन के रूप में दूसरी बार खदान का कब्जा लेने की तिथि से, कंपनी ने खदान को संरक्षक के रूप में बनाए रखने पर ₹ 30.26 करोड़ खर्च किए हैं, जिसे वित्तीय विवरणों में मप्राप्यफ के रूप में दर्ज किया गया है।

- ii) पूर्व में, बीसीसीएल रॉयल्टी और एसईडी पर उत्पाद शुल्क का भुगतान नहीं कर रहा था, लेकिन सीआईएल की सलाह पर, कंपनी ने 01.03.2011 से 28.02.2013 की अवधि के लिए ₹ 73.99 करोड़ का भुगतान जारी किया। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, रॉयल्टी और एसईडी पर उत्पाद शुल्क के नियमित बिलिंग के अलावा, पूर्व अवधि के लिए उपभोक्ताओं पर ₹ 78.10 करोड़ के पूरक बिल बनाए गए थे। कंपनी ने अब तक (31.03.2022 तक) ₹ 73.15 करोड़ की वसूली की है और शेष राशि ₹ 4.95 करोड़ जो अभी तक वसूल नहीं हुई है। अप्राप्त राशि ज्यादातर ई-नीलामी उपभोक्ताओं की है, जिसमें से 17 उपभोक्ताओं ने कानून की अदालत में कंपनी द्वारा ₹ 0.28 करोड़ की मांग का विरोध किया है। 31.03.2022 तक ₹ 4.95 करोड़ की राशि के मुकाबले ₹ 4.95 करोड़ का प्रावधान है।
- iii) कंपनी (बीसीसीएल, कोलकाता कार्यालय) ने कोलकाता के उच्च न्यायालय में मेसर्स टर्नर मॉरिसन लिमिटेड, कोलकाता के बिलाफ निम्न के लिए एक दीवानी मुकदमा दायर किया है (2013 का जीए नंबर 2797/2013 का सीएस नंबर 11) (i) यह घोषणा कि कंपनी 6, ल्यॉस रेंज, कोलकाता-700001 में अपने वर्तमान कार्यालय परिसर की वैध मालिक है, (ii) एक घोषणा कि उनके बीच मकान मालिक और किरायेदार के रूप में कोई संबंध नहीं था और (iii) कंपनी द्वारा मेसर्स टर्नर मॉरिसन लिमिटेड, कोलकाता को किराए आदि के एवज में व्याज सहित ₹ 187.74 करोड़ के एक डिक्री का भुगतान पहले ही किए गए। इसके अलावा, अदालत में कंपनी के कुछ और दावे ₹ 0.04 करोड़ के हैं।
- iv) मास्टर प्लान के तहत फंड: भारत कोइंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल) को कोल इंडिया लिमिटेड से मास्टर प्लान के तहत आग से निपटने और कंपनी के लीजहोल्ड के कोयला असर/आग प्रभावित क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए फंड प्राप्त होता है। कंपनी अग्रिम परियोजनाओं और कंपनी घरों में रहने वाले व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए कार्यान्वयन एजेंसी है। झारिया पुनर्वास एवं विकास प्राधिकरण (जेआरडीए) गैर-बीसीसीएल घरों में रहने वाले व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए कार्यान्वयन एजेंसी है, जिसके लिए कंपनी एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करती है। नोडल एजेंसी के रूप में प्राप्त निधि को जेआरडीए को अग्रिम दिया जाता है और इस तरह के अग्रिम (टिप्पण-11 में अन्य अग्रिम के तहत दिखाया गया है) के साथ-साथ प्रासंगिक निधि, दोनों को जेआरडीए द्वारा प्रस्तुत उपयोगिता विवरण के आधार पर समायोजित किया जाता है। 31 मार्च, 2023 तक (31 मार्च, 2022 को ₹ 428.86 करोड़ की स्थिति के अनुसार) ₹ 111.21 करोड़ का अग्रिम जेआरडीए को उनके समायोजन के लिए उपयोग प्रमाण पत्र की प्रतीक्षा में है।

31 मार्च, 2022 तक मास्टर प्लान के तहत अप्रयुक्त निधि की स्थिति नीचे दर्शाई गई है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
अवधि/वर्ष के प्रारंभ में मास्टर प्लान के अंतर्गत अप्रयुक्त निधि का आरंभिक शेष	471.56	287.28
अवधि/वर्ष के दौरान प्राप्त निधि	1.75	197.48
अवधि/वर्ष के दौरान उपयोगिता/समायोजन	325.75	13.20
अप्रयुक्त निधि का अंतिम शेष	147.56	471.56

सेंट्रल कोलफिल्ड्स लिमिटेड

- i) रजरप्पा और गिद्दी कैप्टिव पावर प्लांट की पूंजीकरण लागत पर लंबे समय से विवाद चल रहा है, जिसे ईआईपीएल द्वारा बिल्ट ओन एंड ऑपरेट (बीओओ) के आधार पर कमीशन किया गया है और यह विवाद 2009 की सिविल अपील संख्या 7403 में लंबित है, जिसे कंपनी ने पहले दायर किया था। माननीय उच्चतम न्यायालय ने झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग के दिनांक 31.07.2009 के आदेश के विरुद्ध अपील अधिकरण द्वारा भी विधिवत पुष्टि की। उक्त अपील में पारित माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 14.09.12 और 23.11.12 के अंतरिम आदेशों के अनुसार, कंपनी पर 2012-13 में मार्च, 2008 की अवधि तक ₹ 94.33 करोड़ की देनदारी थी। जिसमें से योग्य कटौती करने के बाद को ₹ 83.03 करोड़ का भुगतान किया गया था। इसके अलावा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार क्रमशः 20.11.13 और 10.01.14 को ₹ 75 करोड़ और ₹ 25 करोड़ का तदर्थ भुगतान किया गया था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार अप्रैल 2008 से मार्च 2014 तक देय संशोधित राशि की गणना मार्च 2008 की अवधि तक संशोधित टैरिफ निर्धारित करने में जे-एस-ईआरसी द्वारा अपनाई गई पद्धति के आधार पर की गई थी। तदनुसार, वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान ₹ 94.33 करोड़ के अतिरिक्त ₹ 23.25 करोड़ की राशि प्रदान की गई थी, जो पहले से ही 2012-13 के वित्तीय विवरणों में प्रदान की गई थी। वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए ₹ 3.26 करोड़ की अतिरिक्त देनदारी प्रदान की गई है। वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए ₹ 0.26 करोड़ की अतिरिक्त देनदारी भी प्रदान की गई है।

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

ईआईपीएल से शेष प्राप्य राशि का विवरण इस प्रकार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2023 तक
क) मार्च 08 तक की अवधि के लिए विभेदक टैरिफ - जिसके संबंध में 2012-13 के वित्तीय विवरणों में देयता प्रदान की गई है।	94.33
ख) अप्रैल 08-मार्च14 की अवधि के लिए डिफरेंशियल टैरिफ जिसके संबंध में वर्ष 2013-14 में देयता प्रदान की गई है।	23.25
ग) मानित ऊर्जा प्रभारों के संबंध में पुरानी रख-रखाव राशि	31.36
घ) वर्ष 2014-15 के लिए विभेदक टैरिफ	3.26
ई) वर्ष 2015-16 के लिए विभेदक टैरिफ (रजरप्पा क्षेत्र)	0.26
	152.46
घटाव: तदर्थ भुगतान (माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार)	183.03
निवल शेष राशि (शीर्षक के दावों और अन्य प्राप्तियों के तहत टिप्पण - 9 में दिखाया गया है)	30.57

हालांकि, ईआईपीएल ने 17.09.2012 को ₹ 302.63 करोड़ की अपनी मांग प्रस्तुत की है, जिसमें विलंबित भुगतान पर ब्याज के कारण ₹ 134.20 करोड़ शामिल हैं जो पीपीए के दायरे से बाहर है और मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है।

मेसर्स ईआईपीएल के साथ ऊर्जा खरीद अनुबंध के खंड 1.18.3 के अनुसार, संबंधित बिजली संयंत्र के शुरू होने से एक वर्ष की समाप्ति की तारीख से, ईंधन लागत में भिन्नता के कारण शुल्क सूची के ईंधन घटकों की वृद्धि / कमी निर्धारित की जाएगी। पीपीए के खंड 1.14 के अनुसार अस्वीकार की प्रारंभिक कीमत ₹.90 प्रति टन थी।

तदनुसार, पीपीए के खंड 1.18.3 के अनुसार गणना की गई थी तथा ईंधन की लागत में वृद्धि के कारण संशोधित टैरिफ के देय अतिरिक्त टैरिफ के साथ रिजेक्ट के मूल्य में संशोधन के कारण अतिरिक्त राजस्व प्राप्ति को वर्ष 2013-14 के वित्तीय विवरणी में विचार किया गया था और ईआईपीएल के पूरक बिल में भी वृद्धि की गई थी।

इसके बाद, वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान बिक्री और विपणन विभाग की सीसीएल स्थायी समिति की सिफारिशों के आधार पर अस्वीकार की कीमत को फिर से पुनरीक्षण किया गया और उसे डीएलएफ लिमिटेड के निदेशक (ऑपरेशन) को पत्र संदर्भ सं. जीएम (ईएंडएम) / डीएलएफ / 14 / 3530-36 दिनांक 17.11.2014 द्वारा सूचित किया गया था। पत्र के अनुसार, 01.01.2012 से पहले लागू मूल्य निर्धारण की यूएचबी प्रणाली के तहत जी ग्रेड स्लेक कोल जो सबसे कम ग्रेड था, उसे जुलाई, 2000 से दिसंबर, 2011 की अवधि के लिए ईआईपीएल से लिया जाएगा।

उपरोक्त पत्र के जारी होने के परिणामस्वरूप, बिक्री बिल और बिजली शुल्क को संशोधित किया गया है। 31.03.2016 की स्थिति के अनुसार, बढ़े हुए टैरिफ को समायोजित करने के बाद रिजेक्ट की आपूर्ति के कारण ईआईपीएल से प्राप्य राशि ₹ 38.69 करोड़ थी। इसके अलावा वर्ष 2016-17 में ₹ 1.64 करोड़ का प्रावधान किया गया था, जिससे कुल प्रावधान ₹ 40.33 करोड़ हो गया। इसका भुगतान न करने के कारण, कंपनी द्वारा निम्नलिखित कर्तव्याई की गई है :

विद्युत खरीद अनुबंध दिनांक 8 फरवरी, 1993 के खंड 2.6 अनुसार अनुबंध के संबंध में या उससे उत्पन्न किसी भी विवाद की स्थिति में, मध्यस्थता अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सीआईएल और ईआईपीएल को पारस्परिक रूप से स्वीकार्य मध्यस्थ की एकमात्र मध्यस्थता को संदर्भित किया जाएगा। उभरती स्थिति यह है कि जैसा कि समझौते के पक्षकार एक मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए पारस्परिक रूप से सहमत होने में विफल रहे हैं, याचिकार्कता (सीसीएल) के पास मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 11 (6) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए उच्च न्यायालय की शरण में जाने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं बचता है। मध्यस्थता आवेदन 7 अप्रैल, 2016 को दायर किया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 2017-18 के दौरान समझौते के दावे के अनुसार एलडी मध्यस्थ नियुक्त की है और मामला एलडी मध्यस्थ के समक्ष लंबित है।

- ii) कोयला खान (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 2015 के तहत कोल ब्लॉक कोटर बसंतपुर और पंचमो कोल ब्लॉक के आवंटन के लिए कोल इंडिया लिमिटेड और भारत के राष्ट्रपति के साथ किए गए समझौते के अनुसार, और उसके पश्चात खानों के संचालन और वाणिज्यिक उपयोग के लिए सीसीएल को आवंटित, सीसीएल ने आवंटन के लिए नामित प्राधिकरण के नामित बैंक खाते में ₹ 30.97 करोड़ के रूप में अग्रिम शुल्क का 75% और ₹ 9.91 करोड़ की निश्चित राशि और ₹ 286.14 करोड़ की प्रदर्शन बैंक गारंटी (प्रदर्शन सुरक्षा) प्रस्तुत की है। ₹ 40.88 करोड़ (अग्रिम शुल्क ₹ 30.97 करोड़ और सुरक्षा जमा ₹ 9.91 करोड़) टिप्पणी-5 में अन्वेषण मूल्यांकन परिसंपत्तियों के अंतर्गत प्रदर्शित है। चूंकि तीसरी किस्त का भुगतान करने के लिए निर्धारित दिशा-निर्देशों की शर्तों को अभी तक पूरा नहीं किया गया है, शेष राशि ₹ 10.33 करोड़ को पूँजी प्रतिबद्धता के तहत दिखाया गया है।
- iii) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 206 सी के तहत सड़क मार्ग से बिक्री वाले ग्राहकों से टीसीएस के संबंध में आयकर विभाग की ₹ 106.56 करोड़ की राशि मांग के विरुद्ध, विभाग ने कंपनी के बैंक खाते को संलग्न करके ₹ 71.79 करोड़ एकत्र किया है तथा ₹ 34.77 करोड़ की शेष राशि कंपनी द्वारा जमा किया गया है। सीसीएल ने ग्राहकों से बैलेंस शीट की तारीख के अनुसार ₹ 77.53 करोड़ की वसूली की है और शेष ₹ 27.99 करोड़ वसूली की प्रक्रिया में है।

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

इसके बाद, सीआईटी (ए) द्वारा मामले का निपटारा किया गया और उक्त आदेश के खिलाफ सीसीएल ने आईटीएटी के समक्ष अपील की क्योंकि सीआईटी (ए) द्वारा जारी आदेश मूक प्रकृति का था। ने अपने 23.01.2023 के आदेश में के पक्ष में फैसला सुनाया और द्वारा उठाए गए सभी आधारों को अनुमति दी।

- iv) सीसीएल और सेल/ आरआईएनएल के बीच हुए समझौता अनुबंध में परस्पर सहमत मूल्य, जिसपर सीसीएल तथा सेल/आरआईएनएल के प्रतिनिधियों ने विधिवत हस्ताक्षर किए तथा जो 31.03.2017 तक के लिए वैध है, पर सीसीएल मेसर्स सेल एवं आरआईएनएल को धूलाई की हुई मध्यम कोरिंग कोल (डब्ल्यूएमसीसी) की आपूर्ति करता था। इस तरह का अंतिम समझौता ज्ञापन वित्त वर्ष 2016-17 के लिए यानी 31.03.2017 तक वैध था और वित्त वर्ष 2016-17 के लिए लागू सहमत मूल्य रुपये 5780/- प्रति टन था। सीआईएल के निर्देश के अनुसार, ने सरकार की नई कोयला वितरण नीति (एनसीडीपी) द्वारा परिकल्पित आयात समानता के सिद्धांत पर विचार करते हुए सीसीएल की कीमत अधिसूचित की। हालाँकि, सेल और आरआईएनएल दोनों ने उक्त मामले में अपनी चिंताओं, अर्थात् सहमत मूल्य तंत्र के खिलाफ एकत्रफा मूल्य संशोधन, को उठाया था। इसके बाद इन पार्टियों (सीसीएल, सेल और आरआईएनएल) के बीच विचार-विमर्श सहित कई पत्रों का आदान-प्रदान हुआ, लेकिन उक्त मामले में कोई सहमति नहीं बन पाई। हालाँकि, उक्त मामले में कई दौर के अनुयन के बाद 28/07/2018 से 6500/- प्रति टन की पारस्परिक रूप से सहमत तदर्थ कीमत लागू की गई है और आगे एक स्वतंत्र एजेंसी की सिफारिश पर आयात समता मूल्य तंत्र पर मूल्य निर्धारण को लागू करने पर सहमति हुई है। हालाँकि, उक्त मामले में आज तक कोई ठोस प्रगति नहीं हुई है।
- v) सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार ने पत्र क्रमांक 5/सा.भू (सीसीएल) रामगढ़- 303/2012-519 (5)/रा. दिनांक 07/02/2020 के माध्यम से अध्यक्ष, कोल इंडिया लिमिटेड से सीसीएल के कमांड एरिया के तहत 36179.30 एकड़ सरकारी भूमि के विरुद्ध ₹ 26218.15 करोड़ की मांग की है। मांग में पट्टा अवधि के लिए भूमि का पट्टा बंदोबस्ती के रूप में किराया, उपकर और सलामी शामिल है।

सीसीएल द्वारा भूमि का अधिग्रहण केंद्र सरकार द्वारा सीबीए (ए एंड डी) अधिनियम, 1957 की धारा 9(1) के तहत जारी अधिसूचना के अनुसार किया गया है और भौतिक कब्जा सीबीए (ए एंड डी) अधिनियम, 1957 की धारा 12 के तहत लिया गया है, जो सभी बाधाओं से मुक्त है। तदनुसार, सीसीएल राज्य सरकार द्वारा उठाई गई मांग से सहमत नहीं थी। हालाँकि, कंपनी कोयला धारक क्षेत्र (अधिग्रहण और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 13(5) के प्रावधानों के अनुसार झारखण्ड सरकार को वर्तमान ग्रामीण कृषि सर्कल दर पर भूमि मुआवजे का भुगतान करने के लिए सहमत है। 5392.75 एकड़ सरकारी भूमि के लिए वर्तमान ग्रामीण कृषि दर के आधार पर भूमि मुआवजे की अस्थायी देनदारी 778.62 करोड़ रुपये बनती है, जो जिला अधिकारियों और सीसीएल द्वारा सत्यापन के अधीन है, सीसीएल ने ₹ 1990.77 करोड़ का तदर्थ भुगतान जारी किया है। ₹ 778.62 करोड़ की अस्थायी देनदारी पीपीई के तहत अन्य भूमि के रूप में पूंजीकृत किया गया है।

वेस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड

- i) मध्य प्रदेश ग्रामीण अवसंरचना तथा सड़क विकास अधिनियम 2005 (एमपीजीएटीएसवीए 2005) के अंतर्गत 5% कर लगाने के विरुद्ध, कुछ उपभोक्ताओं के साथ-साथ डब्ल्यूसीएल ने मध्य प्रदेश, जबलपुर के माननीय उच्च न्यायालय का रुख किया है, जिसके तहत अंतरिम आदेश दिनांक 15/02/2006 द्वारा कंपनी को निर्देश दिया गया है कि वे राज्य सरकार को कर का भुगतान न करें तथा राशि को सावधि जमा में रखें। मामला पर बाद में जबलपुर उच्च न्यायालय द्वारा मप्र सरकार के पक्ष में निर्णय दिया गया था जिसके खिलाफ डब्ल्यूसीएल ने माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष एसएलपी दायर की है और यह मामला अभी भी विचाराधीन है। भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 02-08-2010 के अपने अंतरिम आदेश द्वारा कंपनी को एमपीजीएटीएसवीए (2005) के अनुसार विरोध के तहत सभी वर्षों के लिए अपना रिटर्न दाखिल करने का निर्देश दिया और कंपनी द्वारा दाखिल रिटर्न का आकलन पूरा करने के लिए मूल्यांकन अधिकारी को निर्देश दिया।

माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में, 31/03/2023 तक मूल्यांकन अधिकारियों ने कंपनी के विरुद्ध कुल ₹ 746.53 करोड़ (708.24 करोड़) की मांग की, जिसका कानूनी सलाह के अनुसार पूर्ण भुगतान किया गया है। हालाँकि, कंपनी ने मूल्यांकन आदेश / मांग नोटों के खिलाफ सक्षम अपीलीय प्राधिकरण, जबलपुर और भोपाल के समक्ष अपील की है।

दिनांक 31/03/2023 तक, एमपीजीएटीएसवीए कर (31 मार्च 2016 तक वैट / सीएसटी सहित) के कारण ग्राहकों से ₹ 787.81 करोड़ (₹ 745.29 करोड़) की राशि प्राप्त हुई है। इनमें से आकलन अधिकारी द्वारा की गई मांग के विरुद्ध 31/03/2023 तक ₹ 746.53 करोड़ का भुगतान किया गया (जिसमें वैट / सीएसटी के लिए ₹ 5.91 करोड़ रुपये शामिल हैं)।

शेष राशि ₹ 41.29 करोड़ में से ₹ 34.58 करोड़ रुपये जमा खाते में हैं, जिससे अंतशेष शेष राशि ₹ 6.71 करोड़ जमा किए जाने हेतु पास में है। इस खाते पर किए गए सावधि जमा पर अर्जित संचयी ब्याज को देयता में जोड़ा जाता है।

- ii) खनिज वैधीकरण अधिनियम, 1992 के अधिनियमन के आधार पर, कंपनी ने उपकर और अन्य करों के खाते पर 4.4.1991 तक ग्राहकों के लिए ₹ 3.21 करोड़ (₹ 3.21 करोड़) की राशि के पूरक बिल जारी किए हैं। माननीय पट्टना उच्च न्यायालय की रांची खंडपीठ द्वारा कंपनी के पक्ष में दिये गये निर्णय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका के लंबित परिणाम को अन्य वर्तमान देयताओं के तहत रॉयल्टी पर उपकर के दायित्व के रूप में दर्शाया गया है।

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

iii) विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं द्वारा विस्फोटकों की आपूर्ति के लिए दर अनुबंध (आरसी) 28 फरवरी, 2008 को समाप्त हो गई थी और इसका नवीनीकरण लम्बित होने पर आपूर्तिकर्ताओं को उसी प्रचलित दरों पर इस शर्त पर आपूर्ति जारी रखने के लिए कहा गया था, कि इस तरह की विस्तारित अवधि के दौरान आपूर्ति नए आरसी में तय की गई दरों के अनुसार नियंत्रित किया जाएगा। यह 28 जुलाई, 2006 तक जारी रहा।

नए आरसी को अंतिम रूप दिया गया और 29 जुलाई, 2006 से विस्फोटकों की कम की गई कीमत के साथ लागू किया गया और भुगतान की गई अतिरिक्त राशि की वसूली आपूर्तिकर्ताओं से की गई, जिसके खिलाफ कुछ आपूर्तिकर्ताओं ने माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय के समक्ष दीवानी मुकदमा दायर किया जिसपर माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय ने दिसंबर 2006 में रिकवरी के खिलाफ रोक लगा दी।

तदनुसार, सीआईएल ने डब्ल्यूसीएल को छह आपूर्तिकर्ताओं से कटौती की गई राशि वापस करने का निर्देश दिया। माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय ने इन आपूर्तिकर्ताओं को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त संयुक्त प्राप्तकर्ता के समक्ष विवादित राशि जमा करने के लिए कहा। लेकिन आपूर्तिकर्ता ऐसा करने में विफल रहे और माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय ने जुलाई 2008 में ऐसे आपूर्तिकर्ताओं को किए गए अतिरिक्त भुगतान की वसूली पर से रोक हटा दी।

अतः सीआईएल ने डब्ल्यूसीएल को न्यायालय के निर्देशों के अनुसार आपूर्तिकर्ताओं के चालू बिलों से इस तरह की वसूली को फिर से शुरू करने का निर्देश दिया। हालांकि, 2008-09 से निपटान के लिए लंबित मामले के कारण ₹2.58 करोड़ की वसूली को खाते बही में देयता के तहत रखी गई है।

iv) डब्ल्यूसीएल और पॉवर यूटिलिटीज कंपनियों के बीच सीएसआईआर-सीआईएमआर, थर्ड पार्टी सैंपलिंग एजेंसी के साथ त्रिपक्षीय समझौते के अनुसार, सीआईएमएफआर द्वारा कोयला सैंपलिंग की जाती है। डब्ल्यूसीएल और बिजली उपयोगिताओं द्वारा विधिवत स्वीकार किए गए सीआईएमएफआर के परिणाम के आधार पर, बिजली उपयोगिताओं को क्रेडिट / डेबिट टिप्पणी जारी किया जाता है और इसका हिसाब लगाया जाता है। सीआईएमएफआर द्वारा किए गए कोयले के नमूने की गुणवत्ता के कारण अतीत के रुझान के आधार पर, चालू वर्ष के लिए ₹196.25 करोड़ की राशि के ग्रेड स्लिपेज का प्रावधान किया गया है, जिसके लिए रिपोर्ट प्राप्त होना बाकी है और साथ ही विवाद के मामले में रेफरी से रिपोर्ट प्राप्त करना भी बाकी है।

v) मूल्यहास के प्रावधान के साथ बोरिंग और विकास व्यय की राशि ₹2.48 करोड़ (₹4.71 करोड़) दो साल की समाप्ति के बाद वर्ष के दौरान खातों से निकाली गई है, जिस वर्ष में इहें पूरी तरह से परिशोधित किया गया है। वर्ष के दौरान दो साल की समाप्ति के बाद मूल्यहास के प्रावधान के साथ ₹2.48 करोड़ (₹4.71 करोड़) के साथ बोरिंग और विकास खर्च की संभावना को इस वर्ष के दौरान खातों से निकाल लिया गया है, जिसमें ये पूरी तरह से परिशोधन योग्य हैं।

vi) भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार कोल इंडिया लिमिटेड के माध्यम से, डब्ल्यूसीएल ने 01.04.2015 से गैटीटोरिया ओसी और मकरी मंगोली ओसी माइंस को अपने संरक्षण में ले लिया है। हालांकि, एमओसी के आदेश संख्या एनए-104/4/2020-एनए, दिनांक 18/11/2021 के तहत गेटिटोरिया (पूर्व) और गैटोरिया (पश्चिम), बोल्डर स्टोन मार्ट प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में निहित है। इसलिए, ये ब्लॉक 24/12/2021 को सौंप दिए गए। मकरी - मंगोली ओसी खानों को एमओसी के आदेश संख्या एनए-104/18/2020-एनए, दिनांक 24/03/2021 के तहत मेसर्स यजदानी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में निहित किया गया है। जिसे 30.04.2022 को सौंप दिया गया है।

महानदी कोलफिल्ड्स लिमिटेड

i) एमसीएल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड एनर्जी मैनेजमेंट (एमआईएनआईएम) का निर्माण: यह समूह ठेकेदार मेसर्स एनबीसीसी के माध्यम से प्राक्तित कुल मूल्य ₹138.83 करोड़ से मएमसीएल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड एनर्जी मैनेजमेंट का निर्माण कर रहा है। निर्माण कार्य रोक दिया गया था क्योंकि भुवनेश्वर विकास प्राधिकरण ने पहले अनुमोदन के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया था। हालांकि 02.11.2018 को बीडीए ने एमसीएल के पक्ष में आवश्यक अनुमति प्रदान की है। एमओयू को 09.01.2020 से दो साल की अवधि के लिए पुनर्वैध किया गया है और उपरोक्त कार्य 12 महीने के भीतर पूरा किया जाना है और संशोधित परियोजना लागत 155.33 करोड़ रुपये है। 04.08.2021 को सचिव, एमओसी द्वारा दी गई समय-सीमा के अनुसार 15 दिनों के भीतर एनबीसीसी ने काम फिर से शुरू नहीं किया गया है। कई पत्रों के बाद, एनबीसीसी को पत्र जारी होने की तारीख से 15 दिनों के भीतर यानी 12.10.2021 को काम शुरू करने के लिए अंतिम नोटिस दिया गया है, जिसमें विफल होने पर एमसीएल के पास समझौता ज्ञापन को समाप्त करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा।

05.01.2022 को एमओयू के अनुसार दंडात्मक प्रावधान के साथ सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित एनबीसीसी के साथ समझौता ज्ञापन की समाप्ति की सूचना एनबीसीसी को दी गई है। शेष कार्य के लिए पीएमसी का कार्य सीएपीडीआईएल, रांची को पत्र संख्या एमसीएल/संबलपुर/सिविल/21-22/1641 दिनांक 02.02.2022 के माध्यम से सौंपा गया। समूह ने 31.03.2022 तक संस्थान के निर्माण के लिए ₹ 121.27 करोड़ खर्च किए हैं।

ii) बलियापांडा मौजा, पुरी में भूमि: बलियापांडा मौजा, पुरी में 5 एकड़ भूमि राशि ₹ 0.94 करोड़ (चारदीवारी के लिए जमा सहित) में पुरी नगरपालिका से 01.04.1996 से 99 वर्ष की लीज अवधि के लिए लीज पर ली गई। तथापि, तहसीलदार, पुरी ने कलेक्टर, पुरी को संबोधित करते हुए एवं एमसीएल, भुवनेश्वर को एक प्रति प्रेषित करते हुए अपने कार्यालय ज्ञापन सं. 7206, दिनांक 21.08.2004 में कहा कि उक्त क्षेत्र मीठा पानी के क्षेत्र के अंतर्गत आता है और इसे सरकार द्वारा आवास एवं शहरी विकास विभाग में प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया गया है। यद्यपि उक्त भूमि ‘मीठा

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

पानी के क्षेत्र” के अंतर्गत आती है, तहसीलदार, पुरी ने 2008-09 तक उपकर सहित भू-जल किराया स्वीकार किया है। आगे निदेशक (का.), एमसीएल ने पत्र संख्या 4707, दिनांक 08.01.2019 के माध्यम से स्टाल परियोजना शुरू करने के लिए वैकल्पिक भूमि जल्द से जल्द सौंपने के लिए कलेक्टर, पुरी से अनुरोध किया। भूमि के वैकल्पिक पैच के आवंटन के लिए 05.12.2019 को डीजीएम, एमसीएल द्वारा कलेक्टर, पुरी को पत्र लिखा गया है। इसके बाद, उप. महाप्रबन्धक, एमसीएल और मुख्य प्रबन्धत (खनन) ने 18.12.2020 को कलेक्टर, पुरी से मुलाकात की। कलेक्टर का मत था कि नगर पालिका द्वारा भूमि उनके अधिकार क्षेत्र से परे गलत तरीके से एमसीएल को पट्टे पर दी गई थी, इसलिए नगर पालिका एमसीएल के पक्ष में कोई वैकल्पिक भूमि आवंटित नहीं कर सकती है और पूर्व में नगर पालिका, पुरी के पास जमा की गई भूमि के प्रीमियम की वापसी के लिए आवेदन करने का सुझाव दिया। एमसीएल ने नगर पालिका, पुरी में धनवापसी के लिए आवेदन किया है और मामला प्रक्रियाधीन है।

- iii) 24 सितंबर 2014 को, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आवंटन प्रक्रिया को मनमाना और आवंटन को अवैध बताते हुए 1993-2012 के दौरान किए गए 204 कोयला ब्लॉकों के आवंटन को रद्द कर दिया। तदनुसार समूह के पक्ष में पहले आवंटित उत्कल ए. (गोपाल प्रसाद पश्चिम सहित) और तालाबीरा और (एमएनएच शक्ति लिमिटेड, एमसीएल की सहायक कंपनी) नामक कोयला ब्लॉक को भी अनावंटित किया गया था।
- iv) कोयला खदान (विशेष प्रावधान) अधिनियम 2015 के प्रावधानों के अनुसार, सरकार ने नेवेली लिग्राइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पिछले आवंटियों में से एक) को तालाबीरा और कोयला ब्लॉक आवंटित किया है, जिसकी सूचना दिनांक 17 फरवरी 2016 को प्रेषित पत्र के माध्यम से दी गयी। शक्ति लिमिटेड, एमसीएल की एक सहायक कंपनी नामित प्राधिकारी, एमओसी के माध्यम से भूमि के अधिग्रहण, प्रगति में पूँजीगत कार्य और अमूर्त संपत्ति के लिए खर्च की गई राशि के लिए नए आवंटी से मुआवजा पाने की हकदार है। कोयला खदान (विशेष प्रावधान) अधिनियम के तहत नामित प्राधिकारी द्वारा मुआवजा निर्धारित किया जा रहा है और कंपनी द्वारा चरणबद्ध तरीके से प्राप्त किया जाएगा। कंपनी को वित्त वर्ष 2016-17 में जियोलॉजिकल रिपोर्ट और रेलवे साइर्डिंग आदि के लिए ₹ 18.55 करोड़ मिले हैं।

ठ) गबन, धोखाधड़ी, अधिक भुगतान, चोरी आदि मामले

- i) वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान व्यक्तिगत लाभ के लिए कंपनी के कोष के गबन का मामला प्रबंधन के संज्ञान में आया। विभिन्न एजेंसियों द्वारा मामले की जांच की जा चुकी है और वसूली के लिए उचित कार्रवाई की जा रही है। कोल इंडिया लिमिटेड के आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग के अनुमान के अनुसार, यह राशि लगभग 1.17 करोड़ है।
- ii) सोहागपुर क्षेत्र में एक लिपिक द्वारा वेतन/मजदूरी बिलिंग के संबंध में ₹ 0.16 करोड़ की धोखाधड़ी का एक मामला सामने आया है, जिसमें से ₹ 0.09 करोड़ उसके द्वारा जमा कर दिए गए हैं। शेष राशि की वसूली आज तक नहीं हुई है और इसमें शामिल व्यक्ति को सेवा से व्याप्ति कर दिया गया है। मामले की जांच सीबीआई, जबलपुर द्वारा की जा रही है और कंपनी द्वारा चरणबद्ध तरीके से प्राप्त किया जाएगा।
- iii) बिश्रामपुर क्षेत्र में एक सुरक्षा एजेंसी को ₹ 1.21 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान किए जाने की सूचना है। मामले की जांच सीबीआई, रायपुर द्वारा की जा रही है और परीक्षण और अभियोजन साक्ष्य चरण में हैं।
- iv) कोरबा क्षेत्र में एक सुरक्षा एजेंसी को ₹ 0.32 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान किए जाने की सूचना है। मामले की जांच सीबीआई, रायपुर द्वारा की जा रही हैं और यह परीक्षण और अभियोजन साक्ष्य चरण में हैं।
- v) कोतमा जमुना एरिया में सुरक्षा एजेंसी को अतिरिक्त ₹ 1.40 करोड़ की राशि का भुगतान किए जाने की सूचना है। मामले की जांच सीबीआई, जबलपुर द्वारा की जा रही है और विचाराधीन है और अभियोजन साक्ष्य के स्तर पर है।
- vi) जोहिला एरिया में एक सुरक्षा एजेंसी को ₹ 1.10 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान किए जाने की सूचना है। मामले को सीबीआई, जबलपुर द्वारा निपटाया जा रहा है और परीक्षण और अभियोजन साक्ष्य चरण के तहत है।
- vii) बिसरामपुर क्षेत्र के आमेरा ओसी पर ओबी ठेकेदार की तैनाती और ₹ 0.28 करोड़ के भुगतान में अनियमितताएं। मामला सीबीआई, रायपुर में विचाराधीन है और प्री चार्ज स्टेज में है।
- viii) इस अवधि के दौरान ₹ 0.25 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 0.25 करोड़) माल की चोरी हुई है, जिसका विधिवत हिसाब लगाया गया है।
- ix) वर्ष 1993-94 के दौरान चंद्रपुर क्षेत्र के नंदगाँव क्षेत्र में एक संदिध धोखाधड़ी मामले का पता चला था, जिसकी मात्रा आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग द्वारा ₹ 0.12 करोड़ आंकी गई थी। तत्पश्चात, पार्टी से ₹ 0.02 करोड़ की राशि वसूल की गई है और शेष राशि के मिलान के लिए बहियों में प्रावधान किया गया है। मामला केस सं. आरसी1 (ए) / 96 डीटीटी 03.01.1996, चंद्रपुर के तहत सीबीआई जांच के दायरे में है।
- x) वर्ष 1995-96 के दौरान, सीडब्ल्यूएस स्टोर्स में चोरी का एक मामला संदिध था और पुलिस शिकायत दर्ज की गई थी। विभागीय जांच के दौरान कई कार्डेंस को जब्त/जांच के लिए बाहर ले जाया गया। जांच के अंतिम परिणाम लंबित होने तक, वर्कशॉप में ₹ 0.14 करोड़ का प्रावधान जारी है।

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

ड) वर्ष के दौरान संयुक्त उद्यम संस्थाओं द्वारा पूँजीगत व्यय का विवरणः:

इकाई का नाम	इंटरनेशनल कोल वैंचर्स प्राइवेट लिमिटेड	सीआईएल एनटीपीसी ऊर्जा प्राइवेट लिमिटेड	तालचर फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड	(₹ करोड़ में) कोल लिग्राइट ऊर्जा विकास प्राइवेट लिमिटेड
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण में वृद्धि	-	-	0.18	7,633.93	-
प्रगतिशील पूँजीगत कार्य में परिवर्तन	-	-	1076.48	-2912.62	-
अन्वेषण और मूल्यांकन में वृद्धि	-	-	-	-	-
अमूर्त संपत्ति में वृद्धि	-	-	-	0.20	-
पूँजीगत अग्रिम में परिवर्तन	-	-	-377.25	-30.23	-
कुल पूँजीगत व्यय	-		699.41	4691.28	-
संस्थाओं में सीआईएल की हिस्सेदारी का प्रतिशत	0.19%	50.00%	33.33%	33.33%	50.00%
संयुक्त उद्यम के कैपेक्स में सीआईएल की हिस्सेदारी	0.00	-	233.14	1563.76	-

* केवल समझौता ज्ञापन उद्देश्यों के लिए कैपेक्स गणना के लिए प्रकटीकरण। उपरोक्त संयुक्त उद्यमों का समेकन इकिटी पद्धति का उपयोग करके किया गया है।

द अलग-अलग राजस्व जानकारी:

नीचे दी गई तालिका इंड एएस 115 की आवश्यकता के अनुसार ग्राहकों की जानकारी के साथ अनुबंध से अलग-अलग राजस्व प्रस्तुत करती है, कोयले और अन्य की बिक्री से राजस्व के साथ अनुबंध से राजस्व:

विवरण	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए
वस्तु या सेवा के प्रकार		
- कोयला	1,27,607.70	1,00,429.32
- अन्य	19.77	133.25
कोयले और अन्य की बिक्री से कुल राजस्व	1,27,627.47	1,00,562.57
ग्राहकों के प्रकार		
विद्युत क्षेत्र	86,043.63	73,701.25
- गैर-विद्युत क्षेत्र	41,837.48	27,027.76
- अन्य या सेवाएं	(253.64)	(166.44)
कोयले और अन्य की बिक्री से कुल राजस्व	1,27,627.47	1,00,562.57
अनुबंध के प्रकार		
- एफएसए	94,131.60	77,618.28
- ई नीलामी	31,463.73	22,015.89
- अन्य	2,032.14	928.40
कोयले और अन्य की बिक्री से कुल राजस्व	1,27,627.47	1,00,562.57
वस्तु या सेवा का समय		
समय के भीतर वस्तु का हस्तांतरण	1,12,858.18	90,261.12
अधिसमय में हस्तांतरित वस्तु	14,769.29	10,301.45
समय के भीतर स्थानांतरित की गई सेवाएं	-	-
अधिसमय में स्थानांतरित की गई सेवाएं	-	-
कोयले और अन्य की बिक्री से कुल राजस्व	1,27,627.47	1,00,562.57

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

ण) सीआईएल और आईआईसीएल

सीआईएल ने संपत्तियाँ यथा- भूमि, भवन, संरचनाएं, फर्नीचर और जुड़नार और अन्य संपत्तियाँ को पट्टे पर दिया है। मौजूदा पट्टा समझौता 01.04.2015 से 31.03.2020 तक वैध है। पट्टा के नवीनीकरण की प्रक्रिया चल रही है। सीआईएल को देय का पट्टा किराया ₹ 0.01 करोड़ प्रति वर्ष है।

त) खानों का निलंबन

कोल इंडिया लिमिटेड के कार्यात्मक निदेशक ने दिनांक 05 जून, 2020 की अपनी 229वीं बैठक के माध्यम से एनईसी (टिक्क, टिपोंग और तिरप कोलियरी में) में खनन कार्य को 03 जून, 2020 से वानिकी और अन्य वैधानिक मंजूरी प्राप्त होने तक अस्थायी रूप से निलंबित करने के निर्णय की पुष्टि की है। स्वीकृतियाँ प्राप्त कर ली गई हैं और खानों को चालू कर दिया गया है। प्रधान मुख्य वन संरक्षक और वन बल के प्रमुख, असम कार्यालय ने वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 से 24.10.2019 से प्रभावी, के तहत केंद्र सरकार से अंतिम अनुमोदन (स्टेज - क्लीयरेंस) लंबित होने के कारण टिक्कों ओसीपी में कोयला खनन या अन्य गतिविधि नहीं करने का निर्देश दिया है।

हालांकि 10 फरवरी, 2022 से टिक्क एक्सटेंशन ओसीपी खानों में खनन कार्य शुरू कर दिया गया है।

थ) विदेशी संस्थाओं (मध्यस्थों) सहित किसी भी अन्य व्यक्ति (व्यक्तियों) या इकाई (ओं) को या उनमें कोई, इस समझ के साथ कि चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कि मध्यस्थ समूह (अंतिम लाभार्थियों) द्वारा या उसकी ओर से पहचानी गई पार्टी को उधार देगा या निवेश करेगा, समूह द्वारा कोई धनराशि (या तो उधार ली गई धनराशि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या किसी प्रकार के फंड से) अग्रिम या उधार या निवेश नहीं की गई है।

समूह को किसी भी पार्टी (फंडिंग पार्टी) से कोई फंड प्राप्त नहीं हुआ है, इस समझ के साथ कि समूह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से फंडिंग पार्टी द्वारा या उसकी ओर से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को उधार देगा या निवेश करेगा (अंतिम लाभार्थी) या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या ऐसी ही कोई चीज़ प्रदान करें।

द) समूह के पास उपलब्ध जानकारी के आधार पर, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 के तहत बंद की गई कंपनियों के साथ कोई लेन-देन नहीं हुआ।

टिप्पण 1 से 38 पर हस्ताक्षर।

हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

लोढ़ा एंड कंपनी के लिए

चार्टर्ड अकाउंटेंट

फर्म पंजीकरण संख्या 301051ई

बोर्ड की ओर से

ह0।-

(आरपी सिंह)

साझेदार

सदस्यता संख्या 052438

ह0।-

(प्रमोद अग्रवाल)

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक और सीईओ

डीआईएन- 00279727

ह0।-

(देबाशीष नंदा)

निदेशक (व्यवसाय विकास/वित्त)

डीआईएन- 09015566

दिनांक : 7 मई, 2023

स्थान : शिलांग

ह0।/-

(सुनील कुमार मेहता)

कार्यकारी निदेशक (वित्त)/सीएफओ

ह0।/-

(बीपी दुबे)

कंपनी सचिव

शेयरधारकों से हरित पहल हेतु अपील

ऐसे शेयरधारक जिन्होने डीमैट फॉर्म में कंपनी के शेयर रखे हैं उनसे अनुरोध है कि वे अपनी ई-मेल आईडी को अपनी डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत करें। भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपनी सहमति निम्नलिखित प्रारूप पर हमारे रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट, मेसर्स अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड को प्रेषित करें।

मेसर्स अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड

दिनांक:

यूनिट: कोल इंडिया

मेसर्स अलंकित असाइनमेंट लिमिटेड

205-208 अनारकली कॉम्प्लेक्स झांडेवालान एक्सटेंशन,

नई दिल्ली - 110 055

फ़ोन नंबर: 011-4254-1234/2354-1234

फैक्स नंबर: 011-4154-3474

ई-मेल आईडी: rta@alankit.com

वेबसाइट: www.alankit.com

टोल फ्री नंबर-1860-121-2155

मैं/हम..... भौतिक रूप में कंपनी के..... शेयर धारक हैं, हम नोटिस, वार्षिक रिपोर्ट सहित सभी संचार यहां निम्नवत दिए गए/मेरे/हमारे ई-मेल आईडी के माध्यम से प्राप्त करना चाहते हैं:

फोलियो नंबर..... ई-मेल आईड.....

प्रथम धारक के हस्ताक्षर



कोल इंडिया लिमिटेड

एक महारत्न कंपनी

पंजीकृत कार्यालय-कोल भवन, परिसर सं.-04 एमएआर, प्लॉट नं-एएफ-3,
एक्शन एरिया -1 ए, न्यू टाउन, राजारहाट, कोलकाता -700156

दूरभाष : 033-23245555

ईमेल—complianceofficer.cil@coalindia.in, Website: www.coalindia.in सीआईएन: L23109WB1973GOI028844

सूचना

दिनांक : 18 जुलाई, 2023

कोल इंडिया लिमिटेड की 49वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना

कोल इंडिया लिमिटेड के सदस्यों को सूचित किया जाता है कि कंपनी की 49वीं वार्षिक आम बैठक बुधवार, 23 अगस्त, 2023 को सुबह 11 बजे बीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (बीसी)/अन्य ऑडियो-विजुअल विधियों (ओएवीएम) के माध्यम से निम्नलिखित व्यवसायों का लेन-देन करने के लिए आयोजित की जाएगी:

सामान्य व्यवसाय :

1. प्राप्त करना, विचार करना और अपनाना:
 - क. 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के स्टैंडअलोन लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणी सहित 31 मार्च, 2023 तक की लेखा परीक्षित तुलन-पत्र और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि का विवरण और निदेशक मंडल, वैधानिक लेखापरीक्षक और भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट।
 - ख. 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए कंपनी के समेकित लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण सहित 31 मार्च, 2023 तक की लेखा परीक्षित तुलन पत्र और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि का विवरण और उस पर वैधानिक लेखापरीक्षक और भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट।
- वित्त वर्ष 2022-23 के लिए इकिटी शेयरों पर क्रमशः 15/- रुपये प्रति शेयर (150%) और 5.25/- रुपये प्रति शेयर (52.50%) का प्रदत्त पहली एवं दूसरी अंतरिम लाभांश की पुष्टि और वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए इकिटी शेयरों पर अंतिम लाभांश 4/- रुपये प्रति शेयर (40%) घोषित किया गया।
- श्री विनय रंजन डीआईएन-03636743 के स्थान पर एक निदेशक नियुक्त करना, जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152 (6) और कंपनी के अंतर्नियम के अनुच्छेद 39 (जे) के अनुसार क्रमावर्ती द्वारा सेवानिवृत्त होते हैं और पात्र होने पर स्वयं को पुनर्नियुक्ति के लिए प्रस्तुत करते हैं।

विशेष व्यवसाय: – साधारण संकल्प

मद सं. 5:

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और यदि उचित समझा गया, तो साधारण संकल्प के रूप में संशोधन सहित या बिना संशोधन के पारित करना:

“यह प्रस्ताव किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 (3) और अन्य लागू प्रावधानों (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 (किसी अन्य सार्विधिक संशोधन या कुछ समय के लिए इसके पुनः अधिनियमन सहित) के प्रावधानों के अनुसरण में इस संकल्प के व्याख्यात्मक विवरण में निर्धारित लेखापरीक्षा शुल्क और लागू करों के 50% तक सीमित वास्तविक रूप से फुटकर व्यय में से 4,40,000/- रुपये का पारिश्रमिक, मैसर्स आर. एम. बंसल एंड कंपनी, लागत लेखापरीक्षक (पंजीकरण संख्या '000022) को देय है, जिन्हें 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए सीआईएल (स्टैंडअलोन) के लागत रिकॉर्ड की लेखापरीक्षा करने के लिए कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा लागत लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था और इसके द्वारा इसकी पुष्टि की जाती है।”

विशेष व्यवसाय: – साधारण संकल्प

मद सं. 6:

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और यदि उचित समझा गया, तो साधारण संकल्प के रूप में संशोधन सहित या बिना संशोधन के पारित करना:

“यह प्रस्ताव किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152 और अन्य लागू प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों (कुछ समय के लिए लागू किसी भी वैधानिक संशोधन या पुनः अधिनियम सहित) और संबंधित अधिकारियों द्वारा जारी किसी भी अन्य दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसार, श्री नागराजू मदिराला डीआईएन: 06852727, जिन्हें निदेशक मंडल द्वारा 22 फरवरी 2023 से कंपनी के अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161 (1) के अनुसार इस वार्षिक आम बैठक की तारीख तक कार्यालय और जिनके संबंध में कंपनी को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160 (1) के तहत एक सदस्य से लिखित में नोटिस प्राप्त हुआ है, जिसमें निदेशक के पद के लिए उनकी उम्मीदवारी का प्रस्ताव किया गया है, कोयला मंत्रालय के दिनांक 22 फरवरी, 2023 के पत्र सं.-21/3/2011-एसओ/बीए/ईएसटीटी के अनुसार 22 फरवरी 2023 से और अगले आदेश तक कंपनी के आधिकारिक अंशकालिक निदेशक नियुक्त किया जाता है। वे क्रमावर्ती द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी हैं।”

“आगे यह भी प्रस्ताव किया जाता है कि कंपनी सचिव को इसके अंतर्गत नियम के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों के अंतर्गत एमसीए के पास आवश्यक फॉर्म दाखिल करने के लिए अधिकृत किया जाता है।”

विशेष व्यवसाय : विशेष संकल्प

मद सं. 7

निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार करना और यदि उचित समझा गया, तो साधारण प्रस्ताव के रूप में संशोधन सहित या बिना संशोधन के पारित करना:

“यह प्रस्ताव किया जाता है कि अनुसूची IV के साथ पठित धारा 149, 150, 152 के प्रावधानों एवं समय-समय पर संशोधित कंपनी अधिनियम, 2013 के कोई अन्य लागू प्रावधानों तथा इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों(कोई भी वैधानिक संशोधन या कुछ समय के लिए लागू इसके पुनः अधिनियम सहित) और सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 और संबंधित प्राधिकरणों द्वारा जारी किए गए किसी भी अन्य दिशानिर्देश के प्रावधानों के अनुसरण में श्री घनश्याम सिंह राठौर, [डीआईएन: 09615384], जिन्हें निदेशक मंडल द्वारा 1 मार्च, 2023 से एक स्वतंत्र निदेशक की क्षमता में अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था और जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161 (1) के अनुसार वार्षिक आम बैठक की तारीख तक पद पर बने रहेंगे, जिसने यह घोषणा प्रस्तुत की है कि वे अधिनियम की धारा 149 (6) और उसके तहत बनाए गए नियमों और सेबी सूचीकरण विनियमों के विनियम 16 (1) (बी) में यथा संशोधित स्वतंत्रता के मानदंडों को पूरा करते हैं और जिनके संबंध में कंपनी को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160 (1) के तहत किसी सदस्य से लिखित में नोटिस प्राप्त हुआ है, जिसमें निदेशक के पद के लिए उनकी उम्मीदवारी का प्रस्ताव किया गया है और कोयला मंत्रालय के पत्र सं 21/19/2021-बीए/स्थापना-(i) दिनांक 1 मार्च, 2023 द्वारा उन्हें 1 मार्च 23 से या अगले आदेश तक तीन साल की अवधि के लिए स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है। वे क्रमावर्ती सेवानिवृत्ति के लिए उत्तरदायी नहीं हैं।”

“आगे यह प्रस्ताव किया जाता है कि कंपनी सचिव को इसके अंतर्गत पठित नियम के साथ कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों के तहत एमसीए के पास आवश्यक फॉर्म दाखिल करने के लिए अधिकृत किया जाता है।”

विशेष व्यवसाय: – साधारण प्रस्ताव

मद सं. 8

निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार करना और यदि उचित समझा गया, तो साधारण प्रस्ताव के रूप में संशोधन सहित या बिना संशोधन के पारित करना:

“यह प्रस्ताव किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152 और किसी भी अन्य लागू प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों (किसी भी वैधानिक संशोधन या कुछ समय के लिए लागू होने सहित) और संबंधित अधिकारियों द्वारा जारी किसी भी अन्य दिशानिर्देश के प्रावधानों के अनुसार, श्री पी एम प्रसाद डीआईएन: 08073913, जिन्हें निदेशक मंडल द्वारा कंपनी के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक के रूप में कार्य करने के लिए 1 जुलाई, 2023 से अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। वे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161 (1) के संदर्भ में इस वार्षिक आम बैठक तक पद पर बने रहेंगे और जिसके संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160 (1) के अंतर्गत किसी सदस्य से कंपनी को लिखित में नोटिस मिला है, जिसमें निदेशक के पद के लिए उनकी उम्मीदवारी का प्रस्ताव है, और इसके द्वारा उन्हें कोयला मंत्रालय के दिनांक 28 जून, 2023 के पत्र सं. 21/26/2022-स्थापना के अनुसार 1 जुलाई, 2023 से 31 अक्टूबर, 2025 तक या अगले आदेश तक कंपनी के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक के रूप में कार्य करने के लिए पूर्णकालिक निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है। वे क्रमावर्ती सेवानिवृत्ति के लिए उत्तरदायी नहीं हैं।”

“आगे यह भी प्रस्ताव किया जाता है कि कंपनी सचिव को इसके अंतर्गत पठित नियम के साथ कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों के तहत एमसीए के पास आवश्यक फॉर्म दाखिल करने के लिए अधिकृत किया जाता है।”

निदेशक मंडल के आदेश से कृते कोल इंडिया लिमिटेड

ह/-

(बी.पी. दुबे)

कंपनी सचिव और
अनुपालन अधिकारी

दिनांक : 18 जुलाई, 2023

पंजीकृत कार्यालय:

कोल भवन, परिसर सं.-04 एमएआर,
प्लॉट सं.-एफ-III, ऐक्शन एरिया-1ए,
न्यू टाउन, राजारहाट, कोलकाता-700156
ईमेल-complianceofficer.cil@coalindia.in
वेबसाइट: www.coalindia.in
सीआईएन: L23109WB1973GOI028844

नोट:-

1. कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) ने दिनांक 5 मई, 2020, 13 जनवरी, 2021, 8 दिसंबर, 2021, 14 दिसंबर, 2021 और 5 मई, 2022 (सामूहिक रूप से एमसीए परिपत्र के रूप में संदर्भित) के परिपत्र के साथ पठित अपने दिनांक 28 दिसंबर, 2022 के परिपत्र के माध्यम से वीसी/ओएवीएम के माध्यम से सर्वजनिक स्थान पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना वार्षिक आम बैठक (एजीएम) आयोजित करने की अनुमति दी थी। इसके अतिरिक्त, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) ने भी अपने दिनांक 5 जनवरी, 2023 के परिपत्र द्वारा कितिपथ रियायतें प्रदान की थीं। कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम"), सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 ("सेबी सूचीकरण विनियम"), एमसीए परिपत्रों और सेबी परिपत्रों के प्रावधानों के अनुपालन में, कंपनी की वार्षिक आम बैठक वीसी / ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जा रही है। कंपनी के पंजीकृत कार्यालय को वार्षिक आम बैठक का स्थान माना जाएगा।
 2. चूंकि यह वार्षिक आम बैठक एमसीए परिपत्रों के अनुसरण में वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जा रही है, इसलिए सदस्यों की वास्तविक उपस्थिति को समाप्त कर दिया गया है। तदनुसार, सदस्यों द्वारा प्रतिनिधि की नियुक्ति की सुविधा एजीएम के लिए उपलब्ध नहीं होगी और इसलिए प्रतिनिधि फॉर्म और उपस्थिति पर्ची इस नोटिस के साथ संलग्न नहीं हैं। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने वाले सदस्यों को अधिनियम की धारा 103 के तहत गणपूर्ति के उद्देश्य के लिए गिना जाएगा।
 3. कंपनी इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों (ई-वोटिंग) द्वारा मतदान की सुविधा प्रदान कर रही है और नोटिस में निर्धारित व्यवसाय इस तरह के मतदान के माध्यम से किया जाएगा। ई-वोटिंग से संबंधित जानकारी और निर्देश इस नोटिस में नोट सं. 23 में दिए गए हैं।
 4. 7 मई, 2023 को आयोजित कंपनी की 451 वीं बैठक में निदेशक मंडल द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार इकिटी शेयरों पर अंतिम लाभांश, यदि वार्षिक आम बैठक में घोषित किया जाता है, तो कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार वार्षिक आम बैठक में अनुमोदन के 30 दिनों के भीतर उन सदस्यों या उनके अधिदेशितों को भुगतान कर दिया जाएगा, जिनके नाम 18 अगस्त, 2023 को कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज हैं।
 5. सदस्यों को सलाह दी जाती है कि वे अपने इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन प्रणाली (ईसीएस) अधिदेश प्रस्तुत करें ताकि कंपनी ईसीएस के माध्यम से प्रेषण करने में सक्षम हो सके। भौतिक रूप में शेयर रखने वाले लोग ईसीएस अधिदेश फॉर्म प्राप्त कर इसे मेसर्स अलंकित असाइनमेंट लिमिटेड, कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण अभिकर्ता (आरटीए) को भेज सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक शेयर रखने वाले लोग प्राप्त कर ईसीएस अधिदेश फॉर्म सीधे अपने निक्षेपागार सहभागी (डीपी) को भेज सकते हैं। जिन लोगों ने पहले ही पूर्ण विवरण के साथ कंपनी / आरटीए / डीपी को ईसीएस अधिदेश फॉर्म भेज दिया है, उन्हें इसे फिर से भेजने की आवश्यकता नहीं है।
 6. इलेक्ट्रॉनिक विधि में शेयर धारण करने वाले सदस्य ध्यान दें कि उनके संबंधित निक्षेपागार खातों के खिलाफ पंजीकृत बैंक विवरण का उपयोग कंपनी द्वारा लाभांश के भुगतान के लिए किया जाएगा। कंपनी या मैसर्स अलंकित असाइनमेंट लिमिटेड बैंक विवरण या बैंक अधिदेश के किसी भी परिवर्तन के लिए इलेक्ट्रॉनिक विधि में शेयर धारण करने वाले सदस्यों से सीधे प्राप्त किसी भी अनुरोध पर कार्रवाई
 7. सदस्य किसी ऐसे व्यक्ति को नामित करके कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 72 के अनुसार नामांकन की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं, जिसे फॉर्म-एसएच -13 में उल्लिखित घटना घटित होने पर कंपनी में उनके शेयर निहित होंगे। फॉर्म-एसएच-13 को मैसर्स अलंकित असाइनमेंट लिमिटेड, कंपनी के आरटीए को दो प्रतियों में जमा करना होगा। अमूर्त रूप में धारित शेयरों के मामले में, नामांकन संबंधित निक्षेपागार सहभागी के पास दर्ज किए जाएंगे।
 8. सदस्यों से अनुरोध है कि वे पते और बैंक खाते में किसी भी परिवर्तन के लिए निम्नलिखित को तुरंत सूचित करें:
 - अमूर्त रूप में धारित शेयरों के संबंध में अपने डीपी को, और
 - कंपनी को उसके पंजीकृत कार्यालय में अथवा उसके आरटीए, मैसर्स अलंकित असाइनमेंट्स स्कॉलिमिटेड को उनके भौतिक शेयरों, यदि कोई हो, के संबंध में, उनके फोलियो नंबर का उल्लेख करते हुए सूचित किया करें।
 9. संस्थागत/कॉर्पोरेट शेयरधारक (व्यक्तियों/एचयूएफ, एनआरआई आदि के अलावा) को अपने बोर्ड या शासी निकाय संकल्प/प्राधिकरण आदि की स्कैन की हुई प्रति (पीडीएफ/जेपीजी प्रारूप) भेजनी होती है, जिसमें उसके प्रतिनिधि को अपनी ओर से वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने और रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान करने के लिए अधिकृत करना होता है। उक्त संकल्प/प्राधिकरण आपके पंजीकृत ई-मेल द्वारा pcs.saurabhbasu@gmail.com, संविक्षक को भेजे जाएंगे और उसकी एक प्रति evoting@nsdl.co.in को भी दिए जाएंगे। संस्थागत शेयरधारक (अर्थात् व्यक्तियों, एचयूएफ, एनआरआई आदि के अलावा) भी अपने लॉगिन में "ई-वोटिंग" टैब के तहत प्रदर्शित "अपलोड बोर्ड संकल्प / प्राधिकरण पत्र" पर क्लिक करके अपने बोर्ड संकल्प / बकालतनामा / प्राधिकरण पत्र आदि अपलोड कर सकते हैं।
 10. अप्रवासी भारतीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे मैसर्स अलंकित असाइनमेंट लिमिटेड को निम्नलिखित के बारे में तुरंत सूचित करें:
 - स्थायी रूप से बसने के लिए भारत लौटने पर उनकी आवासीय स्थिति में परिवर्तन
 - भारत में संधारित उनके बैंक खाते का विवरण पूर्ण नाम, शाखा, खाता का प्रकार, खाता संख्या, आईएफएससी कोड और पिन कोड संख्या के साथ बैंक का पता, यदि पहले नहीं दिया गया है।
 11. आपकी कंपनी के निदेशक मंडल ने क्रमशः 7 नवम्बर, 22 और 31 जनवरी, 23 को आयोजित अपनी 447वीं और 449वीं बैठक में कंपनी की प्रदत्त इकिटी शेयर पूँजी पर क्रमशः प्रथम अंतरिम लाभांश 150% (रु 15/- प्रति शेयर) और दूसरा अंतरिम लाभांश 52.5% (रु. 5.25/- प्रति शेयर) घोषित किया था जिसका भुगतान क्रमशः दिसंबर, 22 और मार्च, 23 में किया गया था। जिन सदस्यों ने अपने लाभांश वारंट प्राप्त नहीं किए हैं या नहीं भुगताए हैं, वे लाभांश वारंट प्राप्त करने के लिए मैसर्स अलंकित असाइनमेंट लिमिटेड, रजिस्ट्रार और कंपनी के शेयर अंतरण अभिकर्ता से संपर्क कर सकते हैं।
- कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 124 के तहत अदावी लाभांश, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 125 के तहत निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में अप्रदत्त लाभांश राशि के हस्तांतरण और निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि लेखा, लेखापरीक्षा, हस्तांतरण और वापसी नियम 2017 से संबंधित प्रावधानों को

अधिसूचित किया था। इन नियमों के अनुसार, ऐसे लाभांश, जिसे शेयरधारक द्वारा क्रमागत सात वर्षों की अवधि के लिए भुनाया /दावा नहीं किया जाता है, निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (आईपीएफ) को हस्तांतरित किया जाएगा। नियमों में कंपनियों को उन शेयरधारकों के शेयरों को आईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में स्थानांतरित करने का भी अधिदेश दिया गया है, जिनके लाभांश क्रमागत सात वर्षों की अवधि के लिए अप्रदत्त/अदावे रह जाते हैं। इसलिए, कंपनी सभी शेयरधारकों से निर्धारित अवधि के दौरान अपने संबंधित लाभांश को भुनाने/दावा करने का आग्रह करती है। कंपनी ने कंपनी की वेबसाइट (www.coalindia.in), तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय की वेबसाइट (www.mca.gov.in) पर कंपनी के पास पड़ी अप्रदत्त और अदावी राशि का विवरण अपलोड कर दिया है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 125 और निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि लेखाकरण, लेखापरीक्षा, हस्तांतरण और प्रतिदेय नियम 2017 के अनुसार, कंपनी ने दिनांक 17.04.2023 को आईपीएफ प्राधिकरण को अंतरिम लाभांश 2015-16 का रु.1,61,82,451/- अंतरण किया गया। इसका ब्यौरा सीआईएल की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। कंपनी ने आईपीएफ नियम 2017 के अनुसार आईपीएफ में इस तरह के लाभांश के अंतरण से पहले उन सदस्यों को अपने अदावी लाभांश का दावा करने के लिए अनुस्मारक भेजे थे। अदावी लाभांश का विवरण कंपनी की वेबसाइट www.coalindia.in पर भी अपलोड किया गया है। जिन सदस्यों ने प्रथम और द्वितीय अंतरिम लाभांश 2016-17 और उसके बाद कंपनी द्वारा घोषित अन्य लाभांशों

कंपनी द्वारा अब तक घोषित अदावी लाभांश के आईपीएफ खाते में अंतरण के लिए नियत तिथियां निम्नानुसार हैं:

विवरण	घोषणा तिथि	अंतरण की नियत तिथि
पहला अंतरिम लाभांश 2016-17	06.03.2017	05.04.2024
दूसरा अंतरिम लाभांश 2016-17	26.03.2017	25.04.2024
अंतरिम लाभांश 2017-18	10.03.2018	09.04.2025
पहला अंतरिम लाभांश 2018-19	20.12.2018	19.01.2026
दूसरा अंतरिम लाभांश 2018-19	14.03.2019	13.04.2026
अंतरिम लाभांश 2019-20	12.03.2020	11.04.2027
पहला अंतरिम लाभांश 2020-21	11.11.2020	10.12.2027
दूसरा अंतरिम लाभांश 2020-21	05.03.2021	04.04.2028
अंतिम लाभांश 2020-21	15.09.2021	14.10.2028
पहला अंतरिम लाभांश 2021-22	29.11.2021	28.12.2028
दूसरा अंतरिम लाभांश 2021-22	14.02.2022	13.03.2029
अंतिम लाभांश 2021-22	30.08.2022	29.09.2029
पहला अंतरिम लाभांश 2022-23	07.11.2022	06.12.2029
दूसरा अंतरिम लाभांश 2022-23	31.01.2023	02.03.2030

12. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के अनुसरण में, सरकारी कंपनी के लेखा परीक्षकों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 (5) के तहत और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 142 की उप-धारा (1) के संदर्भ में भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (सी एंड एजी) द्वारा नियुक्त या पुनः नियुक्त किया जाना है। उनका पारिश्रमिक कंपनी द्वारा वार्षिक आम बैठक में या इस तरह से तय किया जाना चाहिए जैसा कि कंपनी आम बैठक में निर्धारित करे। आपकी कंपनी के सदस्यों ने 29 सितम्बर, 2001 को आयोजित अपनी 27वीं वार्षिक आम बैठक में निदेशक मंडल को सांविधिक लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक निर्धारित करने के लिए प्राधिकृत किया था।
13. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 170 के अंतर्गत रखे गए निदेशकों का रजिस्टर, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक और उनकी शेयरधारिता एजीएम में सदस्यों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से निरीक्षण के लिए उपलब्ध होगी।
14. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के तहत रखे गए अनुबंधों या व्यवस्थाओं का रजिस्टर, जिसमें निदेशक रुचि रखते हैं, एजीएम में सदस्यों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से निरीक्षण के लिए उपलब्ध होगा।

15. साथ में दिए गए नोटिस में उल्लिखित सभी दस्तावेज एजीएम में निरीक्षण के लिए खुले हैं और ऐसे दस्तावेज कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में भौतिक या इलेक्ट्रॉनिक रूप में निरीक्षण के लिए भी उपलब्ध होंगे और इसकी प्रतियां कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में सुबह 11.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक 3 अगस्त, 2023 से 14 अगस्त, 2023 तक सामान्य कार्य अवधि के दौरान निरीक्षण के लिए भी उपलब्ध होंगी।
16. उपर्युक्त एमसीए परिपत्रों और सेबी परिपत्रों के अनुपालन में, एकीकृत वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 सहित वार्षिक आम बैठक की सूचना केवल उन सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजी जा रही है जिनके इमेल पते कंपनी / निक्षेपागार के साथ पंजीकृत हैं। सदस्य गण ध्यान दें कि नोटिस और एकीकृत वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 कंपनी की वेबसाइट www.coalindia.in, शेयर बाजार की वेबसाइट अर्थात् बीएसई और एनएसई की वेबसाइट क्रमशः

www.bseindia.com और www.nseindia.com तथा एनएसडीएल की वेबसाइट <https://www.evoting.nsdl.com>. पर भी उपलब्ध होंगी।

17. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152 के अनुसार श्री विनय रंजन डीआईएन-03636743 और डॉ बी वीरा रेण्डी डीआईएन-08679590, निदेशक, आम बैठक में क्रमानुसार सेवानिवृत्त होते हैं और पात्र होने के नाते, स्वयं को पुनर्नियुक्ति के लिए प्रस्तुत करते हैं। (i) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 36(3) और (ii) भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सामान्य बैठकों पर सचिवीय मानक (एसएस-2) के पैरा 1.2.5 के प्रावधानों के अनुसार प्रदान किए जाने वाले अपेक्षित निदेशकों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं। निदेशकों ने अपनी पुनर्नियुक्ति के लिए अपेक्षित सहमति/घोषणा प्रस्तुत कर दी है।

निदेशक का नाम	श्री विनय रंजन	डा. बी. वीरा रेण्डी
डीआईएन	03636743	08679590
जन्म तिथि	08.12.1970	20.08.1964
राष्ट्रीयता	भारतीय	भारतीय
बोर्ड में नियुक्ति की तिथि	28.07.2021	01.02.2022
योग्यता	बीएससी (भौतिकी) पीजी डिप्लोमा (पीएम एंड आईआर) इनसीड (पूर्व छात्र)	बी.टेक (खनन) / प्रथम श्रेणी प्रबंधक योग्यता प्रमाणपत्र - डीजीएमएस एम.टेक (खनन) पीएचडी
अन्य सूचीबद्ध कंपनियों में रखे गए निदेशकों की सूची	लागू नहीं	लागू नहीं
अन्य सूचीबद्ध कंपनियों में अन्य समितियों की सदस्यता	लागू नहीं	लागू नहीं
कोल इंडिया लिमिटेड में अन्य समितियों की सदस्यता	हितधारक संबंध समिति, जोखिम प्रबंधन समिति, समिति, सीएसआर समिति और शेयर हस्तांतरण समिति	लेखापरीक्षा समिति, जोखिम प्रबंधन समिति, परियोजनाओं के मूल्यांकन और अनुमोदन के लिए अधिकार प्राप्त उप-समिति और शेयर हस्तांतरण समिति संबंधित नहीं
निदेशकों के बीच आपसी संबंधों का प्रकटीकरण	संबंधित नहीं	
विशेषज्ञता	मानव संसाधन के संपूर्ण क्षेत्र में विविध अनुभव, जिसमें बड़े पैमाने पर पार्श्व/परिसर भर्ती, प्रतिभा प्रबंधन आदि शामिल हैं।	कोयला खनन, योजना, खरीद और संचालन में विविध अनुभव
कोल इंडिया लिमिटेड में शेयरधारिता	शून्य	शून्य

एकीकृत वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 में “निदेशकों की संक्षिप्त ब्यौरे” के अंतर्गत श्री विनय रंजन एवं डा. बी. वीरा रेण्डी का ब्यौरा दिया गया है।

18. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) ने प्रतिभूति बाजार में प्रत्येक भागीदार द्वारा स्थायी खाता संख्या (पैन) प्रस्तुत करना अनिवार्य कर दिया है। इसलिए, इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध किया जाता है कि वे अपने निक्षेपागार प्रतिभागिता को अपना पैन जमा करें, जिसके साथ वे अपने डीमैट खाते हैं। भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्य कंपनी/मैसर्स अलंकित असाइनमेंट लिमिटेड को अपना पैन प्रस्तुत कर सकते हैं।

19. विशेष व्यवसायों के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 (1) के अनुसरण में व्याख्यातक विवरण संलग्न है।
20. जिन सदस्यों के पास एक ही नाम से कई फोलियो में भौतिक रूप में शेयर हैं या नामों के एक ही क्रम में संयुक्त धारिता है, उनसे अनुरोध

है कि वे शेयर प्रमाण पत्र मैसर्स अलंकित असाइनमेंट लिमिटेड को एक फोलियो में समेकित करने के लिए भेजें। सेबी ने निर्धारित किया है कि सूचीबद्ध कंपनियों की प्रतिभूतियों को 1 अप्रैल, 2019 से केवल अमूर्त रूप में स्थानांतरित किया जा सकता है। उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए और अमूर्तिकरण के विभिन्न लाभ लेने के लिए सदस्यों को सलाह दी जाती है कि वे भौतिक रूप में उनके द्वारा धारित शेयरों को अभौतिक रूप में अमूर्त करें। सेबी ने परिपत्र सं. सेबी/एचओ/एमआईआरएसडी/एमआईआरएसडीआरटीएमबी/पी/सीआईआर/2021/687 दिनांक 14 दिसंबर, 2021, परिपत्र सं. सेबी/एचओ/एमआईआरएसडीपीओडी-1/पी/सीआईआर/2023/37 दिनांक 16 मार्च, 2023 के साथ पठित अपने परिपत्र सं. सेबी/एचओ/एमआईआरएसडीआरटीएमबी/पी/सीआईआर/2021/655 दिनांक 3 नवंबर, 2021 के द्वारा भौतिक प्रतिभूति धारकों को पैन, केवाईसी विवरण और नामांकन प्रस्तुत करना अनिवार्य कर दिया गया है। तदनुसार, सीआईएल ने 1616 भौतिक

शेयरधारकों को पत्र भेजकर उन्हें अपने केवाईसी अद्यतन करने के लिए सूचित किया था। शेयरधारकों को यह भी सूचित किया गया था कि यदि 1 अक्टूबर, 2023 को या उसके बाद फोलियो में केवाईसी दस्तावेज उपलब्ध नहीं रहते हैं, तो आरटीए द्वारा ऐसे फोलियो को फ्रीज कर दिया जाएगा। एक बार फोलियो फ्रीज हो जाने के बाद, ऐसे फोलियो में किसी भी सेवा अनुरोध को आरटीए द्वारा पूर्ण दस्तावेज प्राप्त होने के बाद ही संसाधित किया जाएगा। यदि फोलियो 31 दिसंबर, 2025 तक फ्रीज रहता है, तो इसे आवश्यक कार्रवाई के लिए बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 और / या धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत प्रशासनिक प्राधिकरण को भेजा जाएगा। इसलिए, भौतिक शेयरधारकों से सीआईएल की वेबसाइट

(www.coalindia.in) पर जाकर “निवेशक टैब / शेयरधारक फॉर्म” के अंतर्गत आवश्यक फॉर्म भरने और इसे मैसर्स अलंकित असाइनमेंट लिमिटेड, 205-208 अनारकली कॉम्प्लेक्स झंडेवालान एक्सटेंशन, नई दिल्ली - 110 055 के पते पर भेजने का अनुरोध किया जाता है।

21. स्रोत पर कर कटौती योग्य/विद्योहोल्डिंग टैक्स: आयकर अधिनियम, 1961 ('अधिनियम') की आवश्यकता के अनुसार कंपनी को अपने शेयरधारकों को दिए गए लाभांश पर निर्धारित दरों पर करों में कटौती करने की आवश्यकता होगी। कटौती योग्य कर की दर शेयरधारक की आवासीय स्थिति और शेयरधारक द्वारा कंपनी को / लाभांश भुगतान के लिए प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर अलग-अलग होगी।

निवासी शेयरधारक:

विवरण	लागू दर	आवश्यक दस्तावेज (यदि कोई हो)
पैन सहित	10.00.%	<p>निम्नलिखित मामलों में करों की कोई कटौती नहीं:</p> <ul style="list-style-type: none"> यदि वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान निवासी व्यक्तिगत शेयरधारक को लाभांश आय रु. 5,000/- से अधिक नहीं है। यदि शेयरधारक को किसी परिपत्र या अधिसूचना के माध्यम से टीडीएस प्रावधानों से हूट दी गई है और इसके संबंध में दस्तावेजी साक्ष के साथ पैन की सत्यापित प्रति प्रदान की जाती है <p>अधिनियम के अनुसार पैन और आवासीय स्थिति को निष्केपागार के साथ अद्यतन करें, यदि पहले से नहीं किया गया है, (यदि इकिटी शेयर डीमैट विधि में हैं) और कंपनी के रजिस्ट्रार और अंतरण एजेंटों (आरटीए) के साथ - अलंकित असाइनमेंट लिमिटेड, अलंकित हाउस 4 ई / 2, झंडेवालान एक्सटेंशन नई दिल्ली -110055 (यदि इकिटी शेयर भौतिक विधि में हैं)।</p>
बिना पैन/अमान्य पैन (अधिनियम की धारा 206ए) / आयकर विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई अनुपालन जांच सुविधा (अधिनियम की धारा 206एवी) के अनुसार कर की उच्च कटौती के उद्देश्य से मनिर्दिष्ट व्यक्तियोंके रूप में पहचाने गए शेयरधारक (अधिनियम की धारा 206 एवी)	20%	लागू नहीं
फॉर्म 15 जी / फॉर्म 15 एच प्रस्तुत करना	शून्य	<p>विधिवत सत्यापित फॉर्म 15 जी (निवासी व्यक्ति पर लागू) या 15 एच (60 वर्ष और उससे अधिक आय के व्यक्ति पर लागू) पैन कार्ड की स्व-सत्यापित प्रति के साथ प्रस्तुत किया जाना है। (यह फॉर्म केवल तभी जमा किया जा सकता है जब वित्त वर्ष 2023-24 के लिए अनुमानित कुल आय पर शेयरधारक का कर शून्य है)।</p> <p>प्रपत्र नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड किए जा सकते</p> <p>https://www.incometaxindia.gov.in/pages/downloads/most-used-forms.aspx</p>
अधिनियम की धारा 197 के अंतर्गत आदेश प्रस्तुत करना	आदेश में दी गई दर	कर प्राधिकारी से प्राप्त निम्न/शून्य विधारित टैक्स प्रमाण पत्र। उक्त प्रमाण पत्र में निर्दिष्ट दर पर कर काटा जाएगा, बाशर्ते उसकी स्व-प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की जाती है। प्रमाण पत्र वित्त वर्ष 2023-24 के लिए वैध होना चाहिए और लाभांश आय को कवर करना चाहिए।
अधिनियम की धारा 194 के तहत निर्दिष्ट बीमा कंपनी	शून्य	पैन कार्ड की स्व-सत्यापित प्रति और आईआरडीएआई द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाणन की प्रति सहित स्व-घोषणा कि उसके स्वामित्व वाले शेयरों के संबंध में उसका पूर्ण लाभकारी हित है।
अधिनियम की धारा 10 के खंड (23 डी) के तहत निर्दिष्ट म्यूचुअल फंड	शून्य	स्व-घोषणा कि वे पैन कार्ड और पंजीकरण प्रमाण पत्र की स्व-सत्यापित प्रति सहित अधिनियम की धारा 10 (23 डी) में निर्दिष्ट हैं।

विवरण	लागू दर	आवश्यक दस्तावेज़ (यदि कोई हो)
नई पेंशन प्रणाली के लिए या उसकी ओर से कोई भी व्यक्ति - अधिनियम की धारा 10 के खंड (44) के तहत ट्रस्ट	शून्य	स्व-घोषणा कि वे अधिनियम की धारा 10 (44) के अनुसार निर्दिष्ट हैं।
भारत में स्थापित वैकल्पिक निवेश निधि (एआईएफ)	शून्य	पैन कार्ड की स्व-सत्यापित प्रति और सेबी द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र सहित स्व-घोषणा कि वे अधिनियम की धारा 10 (23एफबीए) में निर्दिष्ट हैं और सेबी विनियमों के तहत श्रेणी I या श्रेणी II एआईएफ के रूप में स्थापित हैं।

अनिवासी शेयरधारक:

विवरण	लागू दर	आवश्यक दस्तावेज़ (यदि कोई हो)
विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई)/ विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (एफपीआई)	20% (लागू अधिभार और उपकर के अलावा)	अधिनियम के अनुसार पैन और कानूनी इकाई की स्थिति को तो निक्षेपागार के साथ (यदि इकिटी शेयर डीमैट विधि में हैं) अदृतन / सत्यापित करें, यदि पहले से नहीं किया गया है, या कंपनी के रजिस्ट्रार और अंतरण एजेंट अलंकित असाइनमेंट लिमिटेड 4 ई /2, ड्रेंडेवालान एक्सटेंशन नई दिल्ली -110055 (यदि इकिटी शेयर भौतिक विधि में हैं)। स्व-घोषणा प्रस्तुत करें कि शेयरों में निवेश सामान्य एफडीआई मार्ग के तहत किया गया है या एफपीआई मार्ग के तहत।
अन्य अनिवासी शेयरधारक	20% (लागू अधिभार और उपकर के अलावा)	अधिनियम के अनुसार पैन और कानूनी इकाई की स्थिति को तो निक्षेपागार के साथ (यदि इकिटी शेयर डीमैट विधि में हैं) अदृतन / सत्यापित करें, यदि पहले से नहीं किया गया है, या कंपनी के रजिस्ट्रार और अंतरण एजेंट अलंकित असाइनमेंट लिमिटेड 4 ई /2, ड्रेंडेवालान एक्सटेंशन नई दिल्ली -110055 (यदि इकिटी शेयर भौतिक विधि में हैं)।
कर संधि के तहत निर्धारित निम्न दर जो अनिवासी शेयरधारक (एफपीआई मार्ग के तहत किए गए निवेश के अलावा) पर लागू होती है	कर संधि दर**	<p>कर संधि दर को लागू करने के लिए, निम्नलिखित सभी दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:</p> <ol style="list-style-type: none"> भारतीय कर पहचान संख्या (पैन) की स्व-सत्यापित प्रति। शेयरधारक जिस देश का निवासी है उस देश के कर अधिकारियों से प्राप्त रिकॉर्ड विधि के अनुसार मान्य कर निवास प्रमाणपत्र (टीआरसी) की स्व-सत्यापित प्रति। भारतीय आयकर पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से दाखिल फॉर्म -10 एफ। घोषणा प्रारूप निम्नलिखित लिंक से डाउनलोड किया जा सकता है <p>https://www.incometaxindia.gov.in/forms/income-tax%20rules/10312000000007197.pdf</p> <ol style="list-style-type: none"> अनिवासी से स्व-घोषणा, जो मुख्य रूप से निम्नलिखित को कवर करती है: <ul style="list-style-type: none"> अनिवासी संबंधित कर संधि के लाभ का दावा करने के लिए पात्र है; लाभांश आय प्राप्त करने वाले अनिवासी ऐसी आय के लाभकारी स्वामी हैं; लाभांश आय भारत में किसी भी स्थायी प्रतिष्ठान (पीई) या निश्चित आधार से जिम्मेदार/प्रभावी रूप से जुड़ी नहीं है; अनिवासी संबंधित कर संधि में निर्धारित किसी भी अन्य शर्त और बहुपक्षीय साधन ('एमएलआई') के तहत प्रावधानों का अनुपालन करता है; अनिवासी के पास भारत में प्रभावी प्रबंधन का स्थान नहीं है। <p>** टीडीएस के लिए कर संधि की लाभकारी दर का अनुप्रयोग कंपनी के विवेक पर है और कंपनी द्वारा प्रलेखन की पूर्णता और उसकी समीक्षा पर निर्भर करेगा।</p>
अनिवासी शेयरधारक जो अधिनियम की धारा 94 ए (1) के तहत परिभाषित अधिसूचित क्षेत्राधिकार क्षेत्र के कर निवासी हैं	30%	-
सॉवरेन वेल्थ फंड, पेंशन फंड, अधिनियम की धारा 10 (23एफई) के तहत अधिसूचित अन्य निकाय	शून्य	अधिनियम की धारा 10(23एफई) के तहत निर्धारित शर्तों को पूरा करने के लिए पुख्ता करते हुए स्व-घोषणा।
धारा 197 के तहत आदेश प्रस्तुत करना (अर्थात् निम्न या शून्य कर प्रमाण पत्र विधारण)	आदेश में दी गई दर	कर प्राधिकारी से प्राप्त निम्न/शून्य विधारण टैक्स प्रमाण पत्र। उक्त प्रमाण पत्र में निर्दिष्ट दर पर कर काटा जाएगा, बशर्ते कि उसकी स्व-प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करते हैं। प्रमाण पत्र वित वर्ष 2023-24 के लिए वैध होना चाहिए और लाभांश आय को कवर करता हो।

विवरण	लागू दर	आवश्यक दस्तावेज़ (यदि कोई हो)
बिना पैन/अमान्य पैन (अधिनियम की धारा 206ए)	20% (लागू अधिभार और उपकर के अलावा)	लागू नहीं
आयकर विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई मअनुपालन जांच सुविधाफ (अधिनियम की धारा 206 एवी) के अनुसार कर की उच्च कटौती के उद्देश्य से शेयरधारकों को 'निर्दिष्ट व्यक्तियों' के रूप में पहचान की गई	40% (लागू अधिभार और उपकर के अलावा)	लागू नहीं

** कंपनी लाभांश राशि पर कर कटौती / विधारण के समय लाभकारी कर संधि दरों को लागू करने के लिए बाध्य नहीं है। लाभकारी कर संधि दर का अनुप्रयोग अनिवासी शेयरधारक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की पूर्णता और उसकी समीक्षा पर कंपनी की संतुष्टि पर निर्भर करेगा। इसके अलावा, कंपनी विधारित राशि का निर्धारण करते समय शेयरधारक की कर संधि में मौजूद मोस्ट फेवर्ड नेशन क्लॉज, यदि कोई हो, के प्रभाव पर विचार नहीं करेगी।

नोट्स:

- (i) यदि उपरोक्त विवरण/दस्तावेजों की प्राप्ति के अभाव में लाभांश पर कर उच्च दर से काटा जाता है, तो भी आपके पास आयकर विवरण दाखिल करते समय भुगतान किए गए अतिरिक्त कर की वापसी का दावा करने का विकल्प होगा। काटे गए ऐसे करों के लिए कंपनी के खिलाफ कोई दावा नहीं किया जाएगा।

कर कटौती को सत्यापित करने के लिए शेयरधारक <https://incometaxindiaefiling.gov.in> पर अपने ई-फाइलिंग खाते से अपने फॉर्म 26एस / वार्षिक सूचना विवरण (एआईएस) की जांच भी कर सकते हैं।

- (ii) इन दस्तावेजों को, जैसा लागू हो, कंपनी सचिव, कोयला भवन, कोर-2, तीसरी मंजिल, परिसर संख्या 04, एमएआर, प्लॉट सं.एफ-3, एक्शन एरिया 1ए, न्यू टाउन, राजारहाट, कोलकाता-700156 के पते पर 22 अगस्त, 2023 को हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र के साथ भेजना आवश्यक है ताकि कंपनी उचित टीडीएस दरों का निर्धारण कर सके। दस्तावेजों को जल्द से जल्द भेजने की सलाह दी जाती है ताकि कंपनी उचित टीडीएस दरों को निर्धारित करने के लिए दस्तावेजों का मिलान कर सके। अनुरोध पत्र के साथ दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति आपके पंजीकृत ईमेल से कंपनी की ईमेल आईडी cil.taxdoc@coalindia.in पर भेजी जानी चाहिए।

(iii) लाभांश के भुगतान के लिए टीडीएस की गणना के उद्देश्य से 22 अगस्त, 2023 के बाद या cil.taxdoc@coalindia.in के अलावा किसी अन्य ईमेल पते से प्राप्त कर निर्धारण/कटौती से संबंधित किसी भी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।

(iv) हम आपसे यह भी अनुरोध करते हैं कि यदि आप इलेक्ट्रॉनिक शेयरधारी हैं, तो अपने निक्षेपागार सहभागी में अपने बैंक खाते के विवरण जमा / अद्यतन करें। यदि आपकी शेयरधारिता भौतिक रूप में है, तो आपको पहले शेयरधारक द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित सह-पत्र की स्कैन की हुई प्रति, अपने नाम और बैंक खाते के विवरण के साथ रद्द चेक पत्र और अपने पैन कार्ड की एक प्रति, विधिवत स्व-सत्यापित, अलंकित असाइनमेंट लिमिटेड को 4 ई / 2 झांडेवालान एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110055 पर प्रस्तुत करनी होगी। यह सीधे आपके बैंक खाते में लाभांश प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करेगा। यदि रद्द किए गए चेक पत्र में आपका नाम नहीं है, तो कृपया विधिवत स्व-सत्यापित बैंक पास-बुक विवरण की एक प्रति संलग्न करें। हम आपसे अलंकित असाइनमेंट लिमिटेड 4ई/2, झांडेवालान एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110055 में निक्षेपागार/आरटीए के साथ अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को पंजीकृत /अद्यतन करने का भी अनुरोध करते हैं।

कर संबंधी मुद्रों पर स्पष्टीकरण या प्रश्न पूछने के लिए, कृपया cil.taxdoc@coalindia.in पर अपना मेल भेजें। कृपया अपने मेल में संपर्क नंबर और पैन को भी सूचित करें ताकि हम किसी प्रकार के मुद्रे होने की स्थिति में आपसे संपर्क कर सकें।

22. सदस्यों से अनुरोध है कि वे नीचे उल्लिखित पतों में से किसी एक पर हमारे रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण अभिकर्ताओं को लाभांश मामलों पर कर के अलावा सभी पत्राचार का संबोधन करें:

पंजीकृत कार्यालय

मैसर्स अलंकित असाइनमेंट लिमिटेड

205-208 अलंकित कॉम्लेक्स झांडेवालन एक्सटेंशन,

नई दिल्ली - 110 055

दूरभाष सं.: 011-4254-1234/2345-1234

ई-मेल पता: rta@alankit.com

वेबसाइट: www.alankit.com

टोल फ्री सं.-1860-121-2155

वेबसाइट-www.alankit.com

कोलकाता का पता

मैसर्स अलंकित असाइनमेंट लिमिटेड

3बी भूतल, लाल बाजार स्ट्रीट

कोलकाता- 700 001

ई-मेल पता: rta@alankit.com

दूरभाष सं.: 033-4401-4100/4200

टोल फ्री सं.-1860-121-2155

लाभांश संबंधी पत्राचार पर कर के लिए, सदस्यों से निम्नलिखित पते और ईमेल आईडी पर संवाद करने का अनुरोध किया जाता है: -

कंपनी सचिव,
कोल भवन, कोर - 2, तीसरी मंजिल, परिसर संख्या 04,
एमएआर, प्लॉट सं.एफ-3, एक्शन एरिया 1ए,
न्यू टाउन, राजारहाट, कोलकाता - 700156
ई-मेल- cil.taxdoc@coalindia.in

23. रिमोट ई-वोटिंग की प्रक्रिया:-

सदस्य नोटिस में उल्लिखित प्रक्रिया का पालन करते हुए बैठक शुरू होने के निर्धारित समय से 15 मिनट पहले और बाद में वीसी/ओएवीएम विधि से एजीएम में शामिल हो सकते हैं। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने की सुविधा 1000 सदस्यों के लिए पहले आओ पहले पाओ के आधार पर उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें बड़े शेयरधारक (2% या अधिक शेयरधारिता रखने वाले शेयरधारक), प्रमोटर, संस्थागत निवेशक, निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक, लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष, नामांकन और पारिश्रमिक समिति और हितधारक संबंध समिति, लेखापरीक्षक आदि शामिल नहीं होंगे, जिन्हें पहले आओ पहले पाओ के आधार पर बिना रोके के एजीएम में भाग लेने की अनुमति है। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने वाले सदस्यों की उपस्थिति की गणना कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के तहत गणपूर्ति के उद्देश्य के लिए की जाएगी।

कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 (यथा संशोधित) और सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम 2015 (यथा संशोधित) के नियम 44 और कॉर्पोरेट कार्य मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी परिपत्रों दिनांक 08 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल, 2020, 05 मई, 2020, 13 जनवरी, 2021, 5 मई, 2022, 28 दिसंबर, 2022 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधानों के अनुसार कंपनी एजीएम में किए जाने वाले व्यवसाय के संबंध में अपने सदस्यों को रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान कर रही है। इस उद्देश्य के लिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से मतदान की सुविधा के लिए, कंपनी ने अधिकृत एजेंसी के रूप में नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) के साथ एक समझौता किया है। एनएसडीएल द्वारा एजीएम की तारीख पर दूरस्थ ई-वोटिंग प्रणाली के साथ-साथ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का उपयोग करके सदस्यों द्वारा वोट डालने की सुविधा प्रदान की जाएगी।

दूरस्थ ई-वोटिंग और आम बैठक में शामिल होने के लिए सदस्यों के लिए अनुदेश निम्नानुसार हैं: -

शेयरधारकों के प्रकार	लॉगिन विधि
एनएसडीएल के पास डीमैट विधि में प्रतिभूतियाँ धारित व्यक्तिगत शेयरधारक।	1. मौजूदा आईडीइएस प्रयोक्ता एनएसडीएल की ई-सर्विस वेबसाइट अर्थात् https://eservices.nsdl.com पर पर्सनल कंप्यूटर अथवा मोबाइल पर जा सकते हैं। ई-सर्विस मुख्य पृष्ठ के “लॉगिन” आइकन के अंतर्गत “बेनेफिशियल ऑनर” पर क्लिक करें जो आईडीइएस अनुभाग में उपलब्ध है ये आपको आपकी मौजूदा प्रयोक्ता आईडी एवं पासवर्ड दर्ज करने के लिए कहेगा। सफल सत्यापन के पश्चात आप मूल्य वर्धित सेवा के अंतर्गत ई-वोटिंग सेवा देख सकेंगे। ई-वोटिंग सर्विस के तहत “एक्सेस ई-वोटिंग” पर क्लिक करें और ई-वोटिंग पृष्ठ खुल जाएगा। कंपनी के नाम अथवा ई-वोटिंग सेवा प्रदाता अर्थात् एनएसडीएल पर क्लिक करें इसके बाद आपको दूरस्थ ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपने वोट डालने या आभासी बैठक में शामिल होने एवं बैठक के दौरान वोट डालने के लिए एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर पुनर्निर्देशित करेगा।
	2. यदि आप आईडीइएस पर पंजीकृत नहीं हैं तो https://eservices.nsdl.com .. पर पंजीकरण के लिए वकल्प उपलब्ध है। “आईडीइएस पोर्टल के लिए ऑनलाइन पंजीकरण” का चयन करें अथवा https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp पर क्लिक करें

शेयरधारकों के प्रकार	लॉगिन विधि
	<p>3. एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर जाएँ। निम्नलिखित यूआरएल: <https://www.evoting.nsdl.com/> परसनल कंप्यूटर अथवा मोबाइल पर टाइप करें और वेबब्राउजर खोलें। ई-वोटिंग प्रणाली का मुख पृष्ठ खुलने पर झ़अंशधारी/सदस्य अनुभाव के अंतर्गत उपलब्ध “लॉगइनफ बटन पर क्लिक करें। एक नई स्क्रीन खुलेगी। आपको अपने प्रयोक्ता आईडी(अर्थात् एनएसडीएल की अपनी सोलह अंकों की डीमैट खाता सं.) , पासवर्ड/ओटीपी एवं स्क्रीन पर प्रदर्शित सत्यापन कोड दर्ज करना होगा। सफल प्रमाणीकरण के पश्चात आपको एनएसडीएल की निष्कपागार साइट पर पुनर्निर्देशित किया जाएगा जहाँ आपको ई-वोटिंग पृष्ठ दिखाई देगा। कंपनी के नाम अथवा ई-वोटिंग सेवा प्रदाता अर्थात् एनएसडीएल पर क्लिक करें इसके बाद आपको दूस्थ ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपने वोट डालने या आभासी बैठक में शामिल होने एवं बैठक के दौरान वोट डालने के लिए एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर पुनर्निर्देशित करेगा।</p> <p>4. अंशधारक/सदस्य बिना सीम वोटिंग अनुभाव प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन कर एनएसडीएल मोबाइल ऐप “एनएसडीएल स्पीडी” (“NSDL Speede”) सुविधा डाउनलोड कर सकते हैं।</p> <p style="text-align: center;">एन.एस.डी.एल. मोबाइल ऐप पर उपलब्ध</p> <div style="text-align: center;">     </div>
व्यक्तिगत शेयरधारकों की सीडीएसएल के साथ डीमैट विधि से प्रत्याभूति धारिता	<p>1. प्रयोक्ता जिन्होंने सीडीएसएल आसान/सबसे आसान सुविधा के विकल्प का चयन किया है, वे अपने मौजूदा प्रयोक्ता आईडी एवं पासवर्ड से लॉगइन कर सकते हैं। विकल्प किसी प्रमाणीकरण के ई-वोटिंग पृष्ठ पर जाने के लिए उपलब्ध कराए जाएँगे। जिन प्रयोक्ताओं को इज़ी/इजिएस्ट में लॉगइन करना है उनसे अनुरोध है कि वे सीडीएसएल वेबसाइट www.cdsindia.com पर जाकर लॉगइन बटन तथा न्यू सिस्टम मईज़ी टैब बटन पर क्लिक करें इसके बाद प्रयोक्ता का मौजूदा मईज़ी प्रयोक्ता का नाम एवं पासवर्ड।</p> <p>2. इज़ी/इजिएस्ट प्रयोक्ता में सफल लॉगइन करने के बाद प्रयोक्ता योग्य कंपनियों के लिए ई-वोटिंग विकल्प देख सकते हैं जहाँ कंपनी द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार ई-वोटिंग चल रही है। ई-वोटिंग विकल्प पर क्लिक करने पर प्रयोक्ता दूस्थ ई-वोटिंग अवधि को दौरान वोट डालने के लिए या बैठक के दौरान आभासी बैठक में शामिल होने एवं बैठक के दौरान विटिंग करने के लिए ई-वोटिंग सेवा प्रदाता के ई-वोटिंग पृष्ठ देख सकेंगे। इसके अतिरिक्त सभी ई-वोटिंग सेवा प्रदाता की प्रणाली पर पहुँचने के लिए लिंक भी उपलब्ध कराई गई है ताकि प्रयोक्ता सीधे ई-वोटिंग सेवा प्रदाता की वेबसाइट पर जा सकें।</p> <p>3. यदि प्रयोक्ता इज़ी/इजिएस्ट के लिए पंजीकृत नहीं है तो पंजीकरण के लिए विकल्प सीडीएसएल की वेबसाइट www.cdsindia.com पर उपलब्ध है। लॉगइन एवं नई प्रणाली मईज़ी टैब पर क्लिक करें इसके बाद पंजीकरण विकल्प पर क्लिक करें।</p> <p>4. वैकल्पिक रूप से, उपयोगकर्ता सीधे डीमैट खाता संख्या और पैन नंबर द्वारा www.cdsindia.com के मुख पृष्ठ पर उपलब्ध ई-वोटिंग लिंक से ई-वोटिंग पृष्ठ तक पहुँच सकता है। यह प्रणाली डीमैट खाते में दर्ज पंजीकृत मोबाइल और ईमेल पर ओटीपी भेजकर उपयोगकर्ता को प्रमाणित करेगी। सफल प्रमाणीकरण के बाद, उपयोगकर्ता ई-वोटिंग विकल्प देख सकेगा जहाँ ई-वोटिंग चल रही है और सभी ई-वोटिंग सेवा प्रदाताओं की प्रणाली तक सीधे पहुँचने में भी सक्षम होगा।</p>
व्यक्तिगत शेयरधारक (डीमैट विधि में प्रतिभूतियों को धारित) अपने निष्केपागार सहभागियों के माध्यम से लॉगिन करें	आप ई-वोटिंग सुविधा के लिए एनएसडीएल/सीडीएसएल के साथ पंजीकृत अपने निष्केपागार सहभागी के माध्यम से अपने डीमैट खाते के लॉगिन परिचय पत्र का उपयोग करके भी लॉगिन कर सकते हैं। लॉग इन करने पर आपको ई-वोटिंग का विकल्प दिखाई देगा। ई-वोटिंग विकल्प पर क्लिक करें, आपको सफल प्रमाणीकरण के बाद एनएसडीएल / सीडीएसएल निष्केपागार साइट पर पुनर्निर्देशित किया जाएगा, जिसमें आप ई-वोटिंग सुविधा देख सकते हैं। कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता यानी एनएसडीएल पर क्लिक करें और आपको दूस्थ ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट डालने या बैठक के दौरान आभासी बैठक और वोटिंग में शामिल होने के लिए एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर पुनर्निर्देशित किया जाएगा।

महत्वपूर्ण नोट: जो सदस्य उपयोगकर्ता आईडी / पासवर्ड पुनर्प्राप्त करने में असमर्थ हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे उपर्युक्त वेबसाइट पर उपलब्ध फॉरेट यूजर आईडी और फॉरेट पासवर्ड विकल्प का उपयोग करें।

निकेपागार अर्थात् एनएसडीएल और सीडीएसएल के माध्यम से लॉगिन से संबंधित किसी भी तकनीकी समस्याओं के लिए डीमैट विधि में प्रतिभूतियाँ धारित करने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए हेल्पडेस्क।

लॉगिन प्रकार	हेल्पडेस्क का विवरण
एनएसडीएल में डीमैट विधि में प्रतिभूतियाँ धारित व्यक्तिगत शेयरधारक	लॉगिन में किसी भी तकनीकी समस्या का सामना करने वाले सदस्य एनएसडीएल हेल्पडेस्क से evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजकर संपर्क कर सकते हैं या 022 - 4886 7000 और 022 - 2499 7000 पर कॉल कर सकते हैं।
सीडीएसएल में डीमैट विधि में प्रतिभूतियाँ धारित व्यक्तिगत शेयरधारक	लॉगिन में किसी भी तकनीकी समस्या का सामना करने वाले सदस्य सीडीएसएल हेल्पडेस्क से helpdesk.evoting@cdslindia.com पर अनुरोध भेजकर संपर्क कर सकते हैं या 022-23058738 या 022-23058542-43 पर संपर्क कर सकते हैं।

ख) डीमैट विधि में प्रतिभूतियाँ धारित व्यक्तिगत शेयरधारकों और भौतिक विधि में प्रतिभूतियाँ धारित शेयरधारकों के अलावा अन्य शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग और आभासी बैठक में शामिल होने के लिए लॉगिन विधि। एनएसडीएल ई-वोटिंग वेबसाइट पर लॉग-इन कैसे करें?

1. एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर जाएं। निम्न यूआरएल: <https://www.evoting.nsdl.com> लिखकर या तो पर्सनल कंप्यूटर पर या मोबाइल पर वेब ब्राउज़र खोलें।
2. एक बार ई-वोटिंग प्रणाली का मुख पृष्ठ लॉन्च हो जाने के बाद, “लॉगिन” बटन पर क्लिक करें जो ‘शेयरधारक / सदस्य’ अनुभाग के अंतर्गत उपलब्ध है।
3. इसके बाद एक नई स्क्रीन खुलेगी। स्क्रीन पर प्रदर्शित आपको अनुसार अपनी प्रयोगकर्ता आईडी, अपना पासवर्ड / ओटीपी और सत्यापन कोड दर्ज करना होगा। वैकल्पिक रूप से, यदि आप एनएसडीएल ई-सेवा अर्थात् आईडीईएस के लिए पंजीकृत हैं, तो आप अपने मौजूदा आईडीईएस लॉगिन के साथ <https://eservices.nsdl.com/> पर लॉग-इन कर सकते हैं। एक बार जब आप अपने लॉग-इन परिचय पत्र का उपयोग करने के बाद एनएसडीएल ई-सेवा में लॉग-इन करते हैं, तो ई-वोटिंग पर क्लिक करें और आप चरण 2 पर आगे बढ़ सकते हैं अर्थात् इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं।
4. आपका उपयोगकर्ता आईडी विवरण नीचे दिया गया है:

शेयर धारण करने का तरीका अर्थात् डीमैट (एनएसडीएल या सीडीएसएल) या भौतिक	आपकी उपयोगकर्ता आईडी है:
क) उन सदस्यों के लिए जो एनएसडीएल के साथ डीमैट खाते में शेयर रखते हैं।	8 अंकों डीपी आईडी के बाद 8 अंकों की ग्राहक आईडी उदाहरण के लिए, यदि आपकी डीपी आईडी आईएन300 * *** है और ग्राहक आईडी 12 * *** है, तो आपकी उपयोगकर्ता आईडी आईएन300 * ***12* *** * * * है।
ख) उन सदस्यों के लिए जिनके सीडीएसएल के साथ डीमैट खाते में शेयर हैं।	16 अंकों की लाभार्थी आईडी उदाहरण के लिए, यदि आपकी लाभार्थी आईडी 12***** है तो आपकी उपयोगकर्ता आईडी 12 ***** होगी
ग) भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों के लिए।	कंपनी के साथ पंजीकृत सम संख्या के बाद फोलियो संख्या उदाहरण के लिए, यदि फोलियो सं. 001 * *** है और सम सं. 101456 है तो उपयोगकर्ता आईडी 101456001 है।

5. व्यक्तिगत शेयरधारकों के अलावा अन्य शेयरधारकों के लिए पासवर्ड विवरण नीचे दिए गए हैं:
 - क) यदि आप पहले से ही ई-वोटिंग के लिए पंजीकृत हैं, तो आप लॉगिन करने और अपना वोट डालने के लिए अपने मौजूदा पासवर्ड का उपयोग कर सकते हैं।
 - ख) यदि आप पहली बार एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली का उपयोग कर रहे हैं, तो आपको मप्रारंभिक पासवर्डफ प्राप्त करने की आवश्यकता होगी जो आपको सूचित किया गया था। एक बार जब आप अपना मप्रारंभिक पासवर्डफ पुनर्प्राप्त कर लेते हैं, तो आपको मप्रारंभिक पासवर्डफ दर्ज करना होगा और प्रणाली आपको अपना पासवर्ड बदलने के लिए मजबूर करेगा।
 - ग) अपना ‘प्रारंभिक पासवर्ड’ कैसे पुनः प्राप्त करें? (i) यदि आपकी ईमेल आईडी आपके डीमैट खाते में या कंपनी के साथ पंजीकृत है, तो आपका ‘प्रारंभिक पासवर्ड’ आपको आपकी ईमेल आईडी पर सूचित किया जाता है। ईमेल
6. यदि आप “प्रारंभिक पासवर्ड” पुनर्प्राप्त करने में असमर्थ हैं या प्राप्त नहीं किया है या अपना पासवर्ड भूल गए हैं:
 - क) “प्रयोगकर्ता विवरण/पासवर्ड भूल गया” पर क्लिक करें(यदि आप एनएसडीएल या सीडीएसएल के साथ अपने डीमैट खाते में शेयर धारित करते हैं) विकल्प www.evoting.nsdl.com. पर उपलब्ध है।

खोलें और संलग्न यानी .पीडीएफ फाइल खोलें। पीडीएफ फाइल खोलने के लिए पासवर्ड एनएसडीएल खाते के लिए आपकी 8 अंकों की ग्राहक आईडी, सीडीएसएल खाते के लिए ग्राहक आईडी के अंतिम 8 अंक या भौतिक रूप में धारित शेयरों के लिए फोलियो संख्या है। .पीडीएफ फाइल में आपकी मउपयोगकर्ता आईडीफ और आपका मप्रारंभिक पासवर्डफ है। (ii) यदि आपकी ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं है, तो कृपया उन शेयरधारकों के लिए प्रक्रिया में नीचे उल्लिखित चरणों का पालन करें जिनकी ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं हैं।

6. यदि आप “प्रारंभिक पासवर्ड” पुनर्प्राप्त करने में असमर्थ हैं या प्राप्त नहीं किया है या अपना पासवर्ड भूल गए हैं:
 - क) “प्रयोगकर्ता विवरण/पासवर्ड भूल गया” पर क्लिक करें(यदि आप एनएसडीएल या सीडीएसएल के साथ अपने डीमैट खाते में शेयर धारित करते हैं) विकल्प www.evoting.nsdl.com. पर उपलब्ध है।

- ख) भौतिक प्रयोगकर्ता पासवर्ड पुनःस्थापित करें?” (यदि आप भौतिक विधि में शेयर धारण करते हैं) विकल्प www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध है।
- ग) यदि फिर भी आप उपर्युक्त दो विधियों से अपना पासवर्ड पाने में असमर्थ हैं तो आप अपना डीमैट खाता संख्या/फोलियो संख्या, पैन संख्या, अपना नाम तथा अपने पंजीकृत पते का उल्लेख करते हुए evoting@nsdl.co.in पर अपना अनुरोध भेज सकते हैं।
- घ) सदस्य एनएसडीएल की ई-वोटिंग प्रणाली पर वोट डालने के लिए ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) आधारित लॉगिन का भी उपयोग कर सकते हैं।
7. अपना पासवर्ड दर्ज करने के बाद, चेक बॉक्स पर चयन करके “नियम और शर्तों से सहमत हूं” पर टिक करें।
8. अब, आपको “लॉगिन” बटन पर क्लिक करना होगा।
9. “लॉगिन” बटन पर क्लिक करने के बाद, ई-वोटिंग का मुख पृष्ठ खुल जाएगा।

चरण 2: एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डालें और आप बैठक में शामिल हों।

एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट कैसे डालें और कैसे आप बैठक में शामिल हों?

1. चरण 1 पर सफल लॉगिन के बाद, आप उन सभी कंपनियों को “ईवन” देख पाएंगे जिनमें आपका शेयर है और जिनके मतदान चक्र और आप बैठक सक्रिय स्थिति में हैं।
2. उस कंपनी के “ईवन” का चयन करें जिसके लिए आप दूरस्थ ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट डालना चाहते हैं और आप बैठक के दौरान अपना वोट डालना चाहते हैं। आभासी बैठक में शामिल होने के लिए, आपको “आप बैठक में शामिल हों” के तहत “वीसी / ओएवीएम” लिंक पर क्लिक करना होगा।
3. अब आप वोटिंग पेज खुलते ही ई-वोटिंग के लिए तैयार हैं।
4. उचित विकल्पों का चयन करके अपना वोट डालें अर्थात् सहमति या असहमति, उन शेरों की संख्या को सत्यापित / संशोधित करें जिनके लिए आप अपना वोट डालना चाहते हैं और “जमा करें” पर क्लिक करें और संकेत मिलने पर “पुष्टि करें” पर भी क्लिक करें।
5. पुष्टि होने पर, संदेश “सफलतापूर्वक वोट डाला गया” प्रदर्शित होगा।
6. आप पुष्टिकरण पृष्ठ पर प्रिंट विकल्प पर क्लिक करके अपने द्वारा डाले गए वोटों का प्रिंटआउट भी ले सकते हैं।
7. एक बार जब आप प्रस्ताव पर अपने वोट की पुष्टि कर लेते हैं, तो आपको अपना वोट संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

शेयरधारकों के लिए सामान्य दिशानिर्देश

1. संस्थागत शेयरधारकों (अर्थात् व्यक्तियों, एचयूएफ, एनआरआई आदि के अलावा) को विधिवत् अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के सत्यापित नमूना हस्ताक्षर के साथ संबंधित बोर्ड संकल्प / प्राधिकरण पत्र आदि की स्कैन की हुई प्रति (पीडीएफ / जेपीजी प्रारूप) evoting@nsdl.co.in को प्रति सहित संवीक्षक को pcs.saurabhbasu@gmail.com पर भेजना आवश्यक है, जो मतदान करने के लिए अधिकृत हैं। संस्थागत शेयरधारक (अर्थात् व्यक्तियों, एचयूएफ, एनआरआई आदि के अलावा) भी अपने लॉगिन में “ई-वोटिंग” टैब के तहत प्रदर्शित “अपलोड बोर्ड संकल्प / प्राधिकरण पत्र” पर क्लिक करके अपने बोर्ड संकल्प / पावर ऑफ अटोर्नी / प्राधिकरण पत्र आदि अपलोड कर सकते हैं।
2. भौतिक रूप में शेयर धारण करने वाला कोई भी व्यक्ति और गैर-व्यक्तिगत शेयरधारक, जो कंपनी के शेरों का अधिग्रहण करता है और ई-मेल के माध्यम से नोटिस भेजे जाने के बाद कंपनी का सदस्य बन जाता है और कट-ऑफ तारीख के अर्थात् 16 अगस्त, 2023 अनुसार शेयर रखता है वे evoting@nsdl.co.in या जारीकर्ता/आरटीए पर अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि, यदि आप पहले से ही दूरस्थ ई-वोटिंग के लिए एनएसडीएल के साथ पंजीकृत हैं, तो आप अपना वोट डालने के लिए अपने मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर सकते हैं। यदि आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं, तो आप www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध “उपयोगकर्ता विवरण /पासवर्ड भूल गए” या “भौतिक उपयोगकर्ता पासवर्ड” विकल्प का उपयोग करके अपना पासवर्ड पुनःस्थापित कर सकते हैं या टोल फ्री नं. 1800 1020 990 एवं 1800 22 44 30 पर फोन कर सकते हैं। डीमैट विधि में प्रतिभूतियां धारण करने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के मामले में जो कंपनी के शेरों का अधिग्रहण करते हैं और नोटिस भेजने के बाद कंपनी के सदस्य बन जाते हैं और कट-ऑफ तिथि अर्थात् 16 अगस्त, 2023 को शेयर धारण करते हैं तो वे एजीएम के नोटिस में चरण 1 के तहत उल्लिखित चरणों का पालन कर सकते हैं: “एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली तक पहुंच” (ऊपर)।
3. दृढ़ता से अनुशंसा की जाती है कि अपना पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति के साथ साझा न करें और अपना पासवर्ड गोपनीय रखने के लिए अत्यंत सावधानी बरतें। सही पासवर्ड दर्ज करने के पांच असफल प्रयासों पर ई-वोटिंग वेबसाइट पर लॉगिन अक्षम हो जाएगा। ऐसी परिस्थिति में आपको पासवर्ड पुनःस्थापन के लिए www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध विकल्प “प्रयोगकर्ता विवरण /पासवर्ड भूल गया” या “भौतिक प्रयोगकर्ता पुनःस्थापन पासवर्ड?” पर जाना होगा।
4. किसी भी प्रश्न के लिए आप www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड अनुभाग में शेयरधारकों के लिए उपलब्ध ई-वोटिंग प्रयोगकर्ता मैन्युअल एवं शेयरधारकों के लिए बहुधा पूछे जाने वाले प्रश्न(एफएक्यू) का संदर्भ ले सकते हैं या: 022 - 4886 7000 एवं 022 - 2499 7000 पर फोन कर सकते हैं अथवा श्री अमित विशाल, एवीपी, एनएसडीएल एवं/या सुश्री पल्लवी म्हात्रे, वरिष्ठ प्रबंधक, एनएसडीएल को evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेज सकते हैं।

उन शेयरधारकों के लिए प्रक्रिया जिनकी ईमेल आईडी इस नोटिस में निर्धारित प्रस्तावों के लिए ई-वोटिंग के लिए उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने और ई-मेल आईडी के पंजीकरण के लिए निक्षेपागार के साथ पंजीकृत नहीं हैं:

1. यदि शेयर भौतिक विधि में धारित होते हैं, तो कृपया फोलियो नंबर, शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाण पत्र स्कैन की हुई प्रति(आगे और पीछे), पैन (पैन कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन की हुई प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन की हुई प्रति) को ईमेल (कंपनी के ईमेल आईडी) द्वारा उपलब्ध कराएँ।
2. यदि शेयर डीमैट विधि में धारित हैं, तो कृपया डीपीआईडी-सीएलआईडी (16 अंकों का डीपीआईडी + सीएलआईडी या 16 अंकों की लाभार्थी आईडी), नाम, क्लाइंट मास्टर या समेकित खाता विवरण की प्रति, पैन (पैन कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन की हुई प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन की हुई प्रति) (कंपनी ईमेल आईडी) पर उपलब्ध कराएँ। यदि आप डीमैट विधि में प्रतिभूतियां धारित करने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक हैं, तो आपसे अनुरोध है कि आप चरण 1 (ए) में उल्लिखित लॉगिन विधि का संर्दर्भ लें अर्थात् ई-वोटिंग के लिए लॉगिन विधि और डीमैट विधि में प्रतिभूतियां धारित करने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए आभासी बैठक में शामिल होना।
3. विकल्पतः शेयरधारक/सदस्य ई-वोटिंग के लिए प्रयोगकर्ता आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त करने के लिए उपर्युक्त उल्लिखित दस्तावेज उपलब्ध कराते हुए evoting@nsdl.co.in को अनुरोध भेज सकते हैं।
4. सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा उपलब्ध कराई गई ई-वोटिंग सुविधा पर 9 दिसंबर, 2020 के सेबी के परिपत्र के अनुसार, डीमैट विधि में प्रतिभूतियां धारित व्यक्तिगत शेयरधारकों को निक्षेपागार और निक्षेपागार सहभागियों के पास खोले गए अपने डीमैट खाते के माध्यम से मतदान करने की अनुमति है। ई-वोटिंग सुविधा का उपयोग करने के लिए शेयरधारकों को अपने डीमैट खाते में अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सही ढंग से अद्यतन करना आवश्यक है।

एजीएम के दिन ई-वोटिंग के लिए सदस्यों के लिए निर्देश निम्नानुसार हैं:-

1. एजीएम के दिन के लिए ई-वोटिंग की प्रक्रिया वही है जैसा ऊपर दूरस्थ ई-वोटिंग के लिए निर्देश उल्लिखित है।
 2. केवल वे ही सदस्य/शेयरधारक, जो वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में उपस्थित रहेंगे और जिन्होंने दूरस्थ ई-वोटिंग के माध्यम से प्रस्तावों पर अपना वोट नहीं डाला है और अन्यथा ऐसा करने से नहीं रोका गया है, एजीएम के दौरान ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से ऐसे प्रस्तावों पर मतदान करने के लिए पात्र होंगे।
 3. जिन सदस्यों ने दूरस्थ ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान किया है, वे एजीएम में भाग लेने के लिए पात्र होंगे। हालांकि, वे एजीएम में मतदान करने के पात्र नहीं होंगे।
 4. एजीएम के दिन ई-वोटिंग की सुविधा से संबंधित किसी भी शिकायत के लिए संपर्क किए जाने वाले व्यक्ति का विवरण वही व्यक्ति का होगा जिसका उल्लेख दूरस्थ ई-वोटिंग के लिए किया गया है।
- वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने के लिए सदस्यों के लिए अनुदेश निम्नानुसार हैं:
1. सदस्यों को एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने की सुविधा प्रदान की जाएगी। सदस्य एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली तक पहुंच के लिए ऊपर उल्लिखित चरणों का पालन करके पहुंच सकते हैं। सफल लॉगिन के बाद, आप कंपनी के नाम के विरुद्ध “बैठक में शामिल हों” मेनू के अंतर्गत “वीसी / ओएवीएम लिंक” का लिंक देख सकते हैं। आपसे अनुरोध है कि आप आप बैठक मेनू में शामिल होने के अंतर्गत वीसी / ओएवीएम लिंक पर क्लिक करें। वीसी/ओएवीएम के लिए लिंक शेयरधारक/सदस्य लॉगिन में उपलब्ध होगा जहां कंपनी का इवन प्रदर्शित होगा। कृपया ध्यान दें कि जिन सदस्यों के पास ई-वोटिंग के लिए प्रयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड नहीं है या वे प्रयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड भूल गए हैं, तो वे अंतिम मिनट के व्यस्त समय से बचने के लिए नोटिस में उल्लिखित दूरस्थ ई-वोटिंग निर्देशों का पालन करके इसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं।
 2. सदस्यों को बेहतर अनुभव के लिए लैपटॉप के माध्यम से बैठक में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
 3. इसके अलावा सदस्यों को बैठक के दौरान किसी भी गड़बड़ी से बचने के लिए कैमरे की अनुमति देने और अच्छी गति के साथ इंटरनेट का उपयोग करने की आवश्यकता होगी।
 4. कृपया ध्यान दें कि मोबाइल उपकरण या टैबलेट या लैपटॉप के माध्यम से जुड़ने वाले प्रतिभागी जो मोबाइल हॉटस्पॉट के माध्यम से जुड़ते हैं उन्हें अपने संबंधित नेटवर्क में उत्तर-चढ़ाव के कारण ऑडियो / वीडियो में बाधा आ सकता है। इसलिए किसी भी प्रकार की उपरोक्त गड़बड़ियों को कम करने के लिए स्थिर वाई-फाई या लैन कनेक्शन का उपयोग करने की सिफारिश की जाती है।
 5. शेयरधारक जो बैठक के दौरान अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं / प्रश्न पूछना चाहते हैं, वे खुद को एक वक्ता के रूप में पंजीकृत कर सकते हैं और साथ ही अपने नाम, डीमैट खाता संख्या / फोलियो नंबर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर का उल्लेख करते हुए [Complianceofficer. cil@coalindia.in](mailto:cil@coalindia.in) पर 14 अगस्त 2023 को 17.00 बजे (आईएसटी) तक अग्रिम रूप से अपने प्रश्न भेज सकते हैं।
 6. जिन शेयरधारकों ने खुद को वक्ता के रूप में पंजीकृत किया है, उन्हें केवल बैठक के दौरान अपने विचार व्यक्त करने / प्रश्न पूछने की अनुमति दी जाएगी।
 7. जब पहले से पंजीकृत किसी वक्ता को बैठक में बोलने के लिए आमंत्रित किया जाता है, लेकिन वह जवाब नहीं देता/देती है, तो अगले वक्ता को बोलने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। तदनुसार, सभी वक्ताओं से अनुरोध है कि वे अच्छी इंटरनेट गति सहित वीडियो / कैमरा के साथ उपकरण से जुड़ें।
 8. कंपनी एजीएम के सुचारू संचालन के लिए प्रश्नों की संख्या और वक्ताओं की संख्या को सीमित करने का अधिकार सुरक्षित रखती है।
 9. जिन सदस्यों को एजीएम से पहले या उसके दौरान सहायता की आवश्यकता है, वे सुश्री पल्लवी म्हात्रे, वरिष्ठ प्रबंधक, एनएसडीएल से evoting@nsdl.co.in पर संपर्क कर सकते हैं या 022 - 4886 7000 एवं 022 - 2499 7000 पर कॉल कर सकते हैं।

वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए ईमेल आईडी तथा ई-वोटिंग और बैंक के अद्यान के लिए प्रयोगकर्ता आईडी/पासवर्ड के पंजीकरण की प्रक्रिया:-

भौतिक धारणा	ईमेल पते को पंजीकृत करने के लिए फोलियो नंबर, शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाण पत्र (आगे और पीछे), पैन (पैन कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन की हुई प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन की हुई प्रति) उपलब्ध कराते हुए रजिस्ट्रर एवं कंपनी के अंतरण अभिकर्ता, मैसर्स अलंकित असाइनमेंट लिमिटेड को complianceofficer.cil@coalindia.in rta@alankit.com lalit@alankit.com पर अनुरोध भेजें। बैंक खाता विवरण अद्यान करने के मामले में निम्नलिखित अतिरिक्त विवरण उपलब्ध कराने की आवश्यकता है: क) बैंक का नाम और शाखा जिसमें आप लाभांश प्राप्त करना चाहते हैं, ख) बैंक खाते का प्रकार, ग) कार बैंकिंग समाधान के कार्यान्वयन के पश्चात उनके बैंकों द्वारा आवंटित बैंक खाता संख्या घ) 9 अंकों का एमआईसीआर कोड संख्या, और च) 11 अंकों का आईएफएससी कोड छ) रद्द चेक की हुई प्रति जिसमें पहले शेयरधारक का नाम हो।
डीमैट धारणा	कृपया अपने निक्षेपागार सहभागी (डीपी) से संपर्क करें और अपने डीपी द्वारा बताई गई प्रक्रिया के अनुसार, अपने डीमैट खाते में अपना ईमेल पता और बैंक खाता विवरण पंजीकृत करें।

सदस्य वैकल्पिक रूप से बिंदु (1) या (2) में उल्लिखित विवरण, जैसा मामला हो, उपलब्ध कराते हुए उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने के लिए evoting@nsdl.co.in को ई-मेल अनुरोध भेज सकता है।

सामान्य अनुदेश:-

क) कोई भी प्रश्न पूछने के लिए, सदस्यों को निम्नलिखित से संपर्क करने का अनुरोध किया जाता है:

नाम: सुश्री पल्लवी म्हात्रे,
पदनाम: - वरिष्ठ प्रबंधक, एनएसडीएल,
ई-मेल आईडी evoting@nsdl.co.in
पता: ट्रेड वर्ल्ड, “ए” विंग, 4 थी मंजिल, कमला मिल्स कंपाउंड,
लोअर परेल, मुंबई 400 013

संपर्क व्यौरा: 022 - 24994545 या टोल फ्री सं. 18002222990.

ख) मेसर्स एस बसु एंड एसोसिएट्स के सीएस सौरभ बसु, प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव, कोलकाता ई-मेल आईडी- pcs.saurabhbasu@gmail.com को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से एजीएम में दूरस्थ ई-वोटिंग प्रक्रिया और ई-वोटिंग की जांच करने के लिए संबीक्षक नियुक्त किया गया है।

ग) शेयरधारकों के मतदान अधिकार कंपनी की प्रदत्त इकट्ठी शेयर पूँजी दिनांक के अनुसार उनके शेयरों के अनुपात में होंगे।

घ) संबीक्षकर्ता, आम बैठक में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के माध्यम से मतदान के समाप्त के तुरंत बाद, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के माध्यम से बैठक के दौरान डाले गए वोटों और दूरस्थ ई-वोटिंग के माध्यम से डाले गए वोटों को खोलकर गिनती करेगा और बैठक के समाप्त से दो कार्य दिवस के भीतर, पक्ष या विपक्ष में डाले गए कुल वोटों की अध्यक्ष

को और उनकी अनुपस्थिति में सीआईएल के किसी निदेशक के लिए एक समेकित संबीक्षक रिपोर्ट तैयार करेगा।

ड) एजीएम की समाप्ति के दो कार्य दिवसों के भीतर प्रस्ताव के पक्ष और विपक्ष में डाले गए मतों की संख्या के विवरण सहित मतदान के परिणाम घोषित किए जाएंगे। स्क्रूटिनाइज़र की रिपोर्ट के साथ घोषित परिणाम कंपनी की वेबसाइट पर रखे जाएंगे संबीक्षक की रिपोर्ट सहित घोषित परिणाम कंपनी की वेबसाइट www.coalindia.in और एनएसडीएल की वेबसाइट - www.evoting.nsdl.com पर अपलोड किए जाएंगे। इसके अलावा, परिणाम को कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित किए जाएंगे। इसकी सूचना बीएसई और एनएसई को भी दी जाएगी।

निदेशक मंडल के आदेश से कृते कोल इंडिया लिमिटेड

ह/-

(बी.पी. दुबे)

कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी

दिनांक : 18 जुलाई, 2023

पंजीकृत कार्यालयः

कोल भवन, परिसर सं.-04 एमएआर,
प्लॉट सं.-एफ-III, एक्शन एरिया-1ए,
न्यू टाउन, राजरहाट, कोलकाता - 700156
ई-मेल-complianceofficer.cil@coalindia.in
वेबसाइट: www.coalindia.in
सीआईएन: L23109WB1973GOI028844

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 (1) के अनुसरण में विवरणः

निम्नलिखित विवरण सह नोटिस में उल्लिखित विशेष कार्य से संबंधित सभी भौतिक तथ्यों को निर्धारित किया गया है:

मद सं. 5:

बोर्ड ने निम्नलिखित विवरणों के अनुसार 21 अक्टूबर, 2022 को आयोजित अपनी 446 वीं बैठक में 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए सीआईएल (स्वतंत्र) के लागत रिकॉर्ड की लेखापरीक्षा करने के लिए लागत लेखापरीक्षक की नियुक्ति और पारिश्रमिक को मंजूरी दे दी

लागत लेखापरीक्षक का नाम - मैसर्स आर एम बंसल एंड कंपनी
लेखापरीक्षा शुल्क -

- (क) 2022-23 के लिए लागत लेखापरीक्षा: ₹ 4,40,000 /-
- (ख) फुटकर खर्च की प्रतिपूर्ति लेखापरीक्षा शुल्क के 50% तक सीमित वास्तविक पर की जाएगी।

(ग) लागू करें का अतिरिक्त भुगतान किया जाएगा।

कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 14 के साथ पठित अधिनियम की धारा 148 (3) के प्रावधारों के अनुसार, मैसर्स आर.एम. बंसल एंड कंपनी, लागत लेखापरीक्षक को देय बोर्ड द्वारा अनुमोदित पारिश्रमिक को कंपनी के शेयरधारकों द्वारा अनुसमर्थ किया जाना है। तदनुसार, 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए मैसर्स आर.एम. बंसल एंड कंपनी, लागत लेखापरीक्षक को देय पारिश्रमिक के बारे में नोटिस के मद सं. 5 में निर्धारित अनुसार साधारण संकल्प पारित करके शेयरधारकों के अनुसमर्थन की मांगी जाती है।

कोई भी निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कर्मी या उनके रिश्तेदार, प्रस्ताव में वित्तीय मामलों रूप से या अन्यथा उसके बारे में सोचता हैं। बोर्ड सदस्यों के अनुमोदन के लिए मद संख्या 5 में निर्धारित संकल्प की सिफारिश करता है।

मद सं. 6:

निदेशक मंडल ने श्री नागराजू मद्दिराला को डीआईएन: 06852727, आधिकारिक अंशकालिक निदेशक (सरकार द्वारा नामित) नियुक्त किया था और निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किए थे:

“यह प्रस्ताव किया गया कि कंपनी के अंतर्नियम के अनुच्छेद 39 (सी), कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161 (1) और कोयला मंत्रालय के 22 फरवरी, 2023 के पत्र संख्या 21/3/2011-एएसओ/बीए/ईएसटीटी के अनुसारण में बोर्ड ने कोयला मंत्रालय के अंतिरिक्त निदेशक (सरकारी निदेशक) के रूप में श्री नागराजू मद्दिराला, आईएएस, अतिरिक्त सचिव, कोयला मंत्रालय डीआईएन: 06852727 की नियुक्ति का लिखित वर्णन लिया जाता है। वह अगली एजीएम की तारीख तक या एजीएम आयोजित करने की अंतिम तारीख तक, जो भी पहले हो, पद पर बने रहेंगे।

“यह भी प्रस्ताव किया गया है कि कंपनी सचिव/कोई भी कार्यकारी निदेशक इस मामले में आगे आवश्यक कार्रवाई करने के लिए अधिकृत है, जिसमें आवश्यक फॉर्म दाखिल करना, डिजिटल हस्ताक्षर करने और ऐसे सभी कार्य शामिल हैं जो उपरोक्त प्रस्ताव को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक हो सकते हैं।”

कंपनी अधिनियम, 2013 यथा संशोधित की धारा 160 के प्रावधारों के तहत कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152 के प्रावधारों के अंतर्गत निदेशक के रूप में श्री नागराजू मद्दिराला की उम्मीदवारी का प्रस्ताव करते हुए किसी सदस्य से कंपनी को लिखित में एक नोटिस प्राप्त हुआ है। कंपनी को उनसे लिखित में प्राप्त हुई है: (i) कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) नियम, 2014 के नियम 8 के अनुसार फॉर्म डीआईआर 2 में निदेशक के रूप में कार्य करने के लिए, (ii) कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) नियम, 2014 के संदर्भ में फॉर्म डीआईआर 8 में सूचना, इस आशय की कि वह कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 की उपधारा (2) के तहत अयोग्य नहीं है, लिखित सहमति प्राप्त हुई है, और यह कि उन्हें सेबी या किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा किसी कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त होने या कंपनी के निदेशक के रूप में बने रहने से वंचित नहीं किया गया है। उनकी नियुक्ति की सिफारिश नामांकन और पारिश्रमिक समिति द्वारा 1 मार्च, 2023 को कंपनी अधिनियम 2023 की धारा 175 के तहत 2022-23 के परिपत्र संकल्प संख्या 3 के माध्यम से की जाती है। श्री नागराजू मद्दिराला, आईएएस डीआईएल: 06852727 को 22 फरवरी, 2023 से या उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख तक या कोयला मंत्रालय के पत्र संख्या 21/3/2011-एएसओ/बीए/ईएसटीटी दिनांक 22 फरवरी, 2023 के अनुसार अगले आदेश तक कंपनी के अंशकालिक निदेशक (सरकारी नामिति) के रूप में नियुक्त करने के लिए सदस्यों का अनुमोदन मांगा गया है। वे क्रमानुसार सेवानिवृत्त होंगे।

श्री नागराजू मद्दिराला ने 22 फरवरी, 2023 से कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) के बोर्ड में अंशकालिक निदेशक (सरकारी नामिति) का कार्यभार ग्रहण कर लिया है। वे 1993 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। उन्होंने हैदराबाद विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर किया। सेवा के दौरान उन्होंने सार्वजनिक व्यवस्था, राजस्व और विकास प्रशासन, जनजातीय विकास, वित्त, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों, उद्योग और वाणिज्य, स्वास्थ्य देखभाल और राज्य वित्त के क्षेत्रों में राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य किया। राज्य सरकार में उन्होंने जिलाधिकारी, निदेशक, अनुसूचित जन जाति कल्याण, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, वित्त और उद्योग एवं वाणिज्य विभागों के सचिव/प्रमुख सचिव के रूप में कार्य किया। वर्ष 2004-08 के दौरान उन्होंने वित्त मंत्रालय, आर्थिक मामलों के विभाग में जापान / उत्तरी अमेरिका और विश्व बैंक संभागों में निदेशक के रूप में कार्य किया। इसके बाद, उन्होंने 2008 से 2012 तक वाशिंगटन डीसी में विश्व बैंक में कार्यकारी निदेशक के सलाहकार के रूप में काम किया। वे 2012-13 में एक वर्ष के लिए पैसिल्वेनिया विश्वविद्यालय, अमेरिका में अतिथि अध्येता और 2018-19 में स्टोनहिल कॉलेज में अतिथि अनसंधान स्कॉलर थे। उन्होंने 30.01.2020 को कोयला मंत्रालय के संयुक्त सचिव के रूप में कार्यभार संभाला और पदोन्नति के बाद दिनांक 03.11.2020 से कोयला मंत्रालय के अंतिरिक्त सचिव के रूप में कार्यभार संभाला। उनके पास कोल इंडिया लिमिटेड का कोई शेयर नहीं है।

श्री नागराजू मद्दिराला, जिनसे संकल्प संबंधित है, को छोड़कर कोई भी निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्यकारी या उनके रिश्तेदार इस प्रस्ताव में वित्तीय या अन्यथा रुचि या सरोकार नहीं रखते हैं। बोर्ड, सदस्यों के अनुमोदन के लिए मद संख्या 6 में निर्धारित संकल्प की सिफारिश करता है।

मद सं. 7:

निदेशक मंडल ने श्री घनश्याम सिंह राठौर डीआईएन:09615384 को 1 मार्च 2023 से तीन वर्ष की अवधि के लिए कोल इंडिया लिमिटेड के बोर्ड में गैर-आधिकारिक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया था और निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किए थे:

“यह संकल्प किया जाता है कि कंपनी के अंतर्नियम के अनुच्छेद-39 (सी), कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा -149 और 161 (1) और कोयला मंत्रालय के दिनांक 1 मार्च, 2023 के पत्र संख्या 21/19/2021-बीए-एसटीटी-(i) के अनुसार, बोर्ड ने श्री घनश्याम सिंह राठौर (डीआईएन:09615384) की कोल इंडिया लिमिटेड के बोर्ड में अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्ति को रिकॉर्ड पर लिया है। वह अगली एजीएम की तारीख तक या एजीएम आयोजित करने की अंतिम तारीख तक, जो भी पहले हो, पद पर बने रहेंगे।”

“आगे यह संकल्प किया जाता है कि कंपनी सचिव/कोई भी कार्यकारी निदेशक इस मामले में आगे आवश्यक कार्रवाई करने के लिए अधिकृत है, जिसमें आवश्यक फॉर्म दाखिल करना, डिजिटल हस्ताक्षर करना और ऐसे सभी कार्य शामिल हैं जो उपरोक्त प्रस्ताव को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक हो सकते हैं।”

यथा संशोधित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160 के प्रावधानों के तहत कंपनी को एक सदस्य से लिखित में नोटिस प्राप्त हुआ है, जिसमें निदेशक के रूप में श्री घनश्याम सिंह राठौर की उम्मीदवारी का प्रस्ताव किया गया है, जिसे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 के प्रावधानों के तहत नियुक्त किया जाना है। कंपनी को उनसे (i) कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) नियम, 2014 के नियम 8 के अनुसार फॉर्म डीआईआर-2 में निदेशक के रूप में कार्य करने के लिए लिखित में सहमति मिली है, (ii) कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) नियम, 2014 के संदर्भ में फॉर्म डीआईआर-8 में इस आशय की सूचना कि वह कंपनी अधिनियम की धारा 164 की उपधारा (2) के तहत अयोग्य नहीं है। उन्होंने स्वतंत्रता की घोषणा भी दी है। उनकी नियुक्ति की सिफारिश नामांकन और पारिश्रमिक समिति द्वारा कंपनी अधिनियम 2023 की धारा 175 के तहत 3 मार्च 2023 के वर्ष 2022-23 के परिपत्र संकल्प संख्या 4 के माध्यम से की जाती है। कोयला मंत्रालय के दिनांक 1 मार्च, 2023 के पत्र संख्या 21/19/2021-बीए-स्थापना-(i) के अनुसार श्री घनश्याम सिंह राठौर की 1 मार्च, 2023 से और अगले आदेश तक कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए प्रस्ताव में सदस्यों का अनुमोदन मांगा गया है। वे क्रमावर्ती सेवानिवृत्त के लिए उत्तरदायी नहीं हैं।

क) संक्षिप्त रिज्यूमे:

श्री घनश्याम सिंह राठौर को 1 मार्च, 2023 से कोल इंडिया लिमिटेड के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। उनका जन्म 19 जुलाई 1966 को हुआ था और उन्होंने हिंदू कॉलेज, दिल्ली से कला में स्नातक की डिग्री पूरी की। उन्होंने हाई एलटीरूड माउंटेन

वारफेयर, रेडियो इंस्ट्रुमेंट्स और पार्ट ‘बी’ में प्रोफेशनल आर्मी कोर्स भी पूरा किया है और सेना में अपने कार्यकाल के दौरान जनशक्ति प्रबंधन और प्रशासन में भी प्रशिक्षण लिया था। उन्होंने अपने करियर के दौरान 42 बछतरबंद रेजिमेंट में स्काइन लीडर के रूप में कार्य किया और तकनीकी संचालन में स्वतंत्र टीमों को नेतृत्व प्रदान किया। उन्होंने सैन्य मामलों, प्रशासन और अधीनस्थ कर्मचारियों के प्रबंधन पर वरिष्ठ अधिकारियों को अपनी सलाह भी दी थी। विशेषज्ञता और दक्षता के उनके क्षेत्रों में प्रबंधन, प्रशासन और तकनीकी संचालन शामिल हैं।

ख) विशिष्ट कार्यात्मक क्षेत्रों में विशेषज्ञता की प्रकृति:

उनके पास अधीनस्थ कर्मचारियों का विशेषज्ञ प्रशासन और प्रबंधन है। विशेषज्ञता और दक्षता के उनके क्षेत्रों में प्रबंधन, प्रशासन और तकनीकी संचालन शामिल हैं।

ग) निदेशकों के बीच संबंधों का प्रकटीकरण

वे सीआईएल के किसी अन्य निदेशक से संबंधित नहीं हैं।

घ) सूचीबद्ध संस्थाओं के नाम जिनमें वे निदेशक पद भी धारण करता है और सूचीबद्ध संस्थाओं के साथ बोर्ड की समितियों की सदस्यता भी रखता है, जिनसे व्यक्ति ने पिछले तीन वर्षों में इस्तीफा दे दिया है

क्र. सं.	कंपनी का नाम	निदेशक पद की श्रेणी
1	शून्य	लागू नहीं

उन्होंने पिछले तीन वर्षों में किसी भी सूचीबद्ध कंपनी में इस्तीफा नहीं दिया है।

समितियों में सदस्यता/अध्यक्षता:

क्र. सं.	कंपनी का नाम	निदेशक पद की श्रेणी
1	कोल इंडिया लिमिटेड	शून्य

च) लाभकारी स्वामी के रूप में शेयरधारिता सहित सूचीबद्ध इकाई में गैर-कार्यकारी निदेशकों की शेयरधारिता

श्री घनश्याम सिंह राठौर के पास कोल इंडिया लिमिटेड का कोई शेयर नहीं है।

छ) स्वतंत्र निदेशकों के मामले में, कार्य के लिए आवश्यक कौशल और क्षमताएं और रीति जिसमें प्रस्तावित व्यक्ति ऐसी आवश्यकताओं को पूरा करता है।

नामांकन और पारिश्रमिक समिति द्वारा की गई सिफारिश और बोर्ड द्वारा अनुमोदित इस भूमिका के लिए आवश्यक कौशल/विशेषज्ञता/क्षमता निम्नलिखित है और श्री घनश्याम सिंह राठौर उक्त आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।

क्र. सं.	कौशल/विशेषज्ञता/क्षमता का क्षेत्र
1	कार्यकारी नेतृत्व
2	शासन का अनुभव
3	वित्तीय कुशाग्रता
4	रणनीति / जोखिम प्रबंधन
5	व्यावसायिक स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण

श्री घनश्याम सिंह राठौर, जिनसे यह संकल्प संबंधित है, को छोड़कर कोई भी निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदार इस प्रस्ताव में वित्तीय या अन्य रूप से रुचि या सरोकार नहीं रखते हैं या अन्यथा। बोर्ड/समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए उसे बैठने के शुल्क के अलावा कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जा रहा है। निदेशक मंडल ने विचार किया कि श्री घनश्याम सिंह राठौर की पृष्ठभूमि और अनुभव को देखते हुए उन्हें 1 मार्च, 2023 से 28 फरवरी, 2026 तक या कोयला मंत्रालय के अगले आदेश तक कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त करना कंपनी के हित में होगा। निदेशक मंडल सदस्यों के अनुमोदन के लिए मद सं. 7 में निर्धारित विशेष संकल्प की सिफारिश करता है।

मद सं. 8:

निदेशक मंडल ने एनआरसी की सिफारिश के आधार पर अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक के रूप में कार्य करने के लिए अतिरिक्त निदेशक के रूप में श्री पी एम प्रसाद डीआईएन: 08073913 की नियुक्ति की पुष्टि की थी और निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किए थे:

यह प्रस्ताव किया जाता है कि कंपनी के अंतर्नियम के अनुच्छेद 39 (सी), कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा-161 (1) के अनुसरण में और कोयला मंत्रालय के पत्र संख्या 21/26/2022-स्थापना दिनांक 28 जून, 2023 और उसके बाद सीआईएल से दिनांक 28 जून, 2023 के आदेश संख्या-सीआईएल/सी5ए (खत)/2023/सीएमडी-सीआईएल/पीएमपी/बी-543 के अनुसार, 1 जुलाई, 2023 से और अगले आदेश तक कोल इंडिया लिमिटेड के बोर्ड में अतिरिक्त निदेशक के रूप में श्री पी एम प्रसाद डीआईएन: 08073913 की नियुक्ति को एतद्वारा बोर्ड "लिपिवद्ध" करता है। वे अगली एजीएम की तारीख तक या एजीएम आयोजित करने की अंतिम तारीख तक, जो भी पहले हो, पद पर बने रहेंगे।

“आगे यह भी प्रस्ताव किया जाता है कि कंपनी सचिव या सीआईएल का कोई भी कार्यात्मक निदेशक इस मामले में आगे आवश्यक कार्रवाई करने के लिए अधिकृत है, जिसमें आवश्यक फॉर्म दाखिल करना, डिजिटल हस्ताक्षर करना और ऐसे सभी कार्य शामिल हैं जो उपरोक्त प्रस्तावों को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक हो सकते हैं।”

कंपनी को कंपनी (संशोधन) अधिनियम 2017 द्वारा यथासंशोधित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160 के प्रावधानों के तहत लिखित में एक सदस्य से नोटिस प्राप्त हुआ है, जिसमें निदेशक के रूप में श्री पी एम प्रसाद की उम्मीदवारी का प्रस्ताव किया गया है, जिसे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149, 152 के प्रावधानों के तहत नियुक्त किया जाना है। कंपनी को उनसे लिखित में निम्नलिखित सहमति प्राप्त हुई है: (i) कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) नियम, 2014 के नियम 8 के अनुसार फॉर्म डीआईआर-2 में निदेशक के रूप में कार्य करने के लिए सहमति,

(ii) कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) नियम, 2014 के संदर्भ में फॉर्म डीआईआर-8 में सूचना, इस आशय की कि वह कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 की उपधारा (2) के तहत अयोग्य नहीं है, और यह कि उन्हें सेबी या किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा किसी कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त होने या उप पद पर बने रहने से वंचित नहीं किया गया है। प्रस्ताव पर कोयला मंत्रालय के दिनांक 28 जून, 2023 के पत्र संख्या 21/26/2022-स्थापना के अनुसार 31 अक्टूबर, 2025 तक या अगले आदेश तक कंपनी के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक के रूप में कार्य करने के लिए श्री पी एम प्रसाद की पूर्णकालिक निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए सदस्यों की मंजूरी मांगी गई है। वे क्रमावर्ती सेवानिवृत्त के लिए उत्तरदायी नहीं हैं।

श्री पीएम प्रसाद ने 1 जुलाई 2023 को कोल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक का पदभार ग्रहण कर लिया है। इससे पहले वे 01/09/2020 से सेंट्रल कोलफिल्ड्स लिमिटेड (सीसीएल) के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक (सीएमडी) का प्रभार संभाल रहे थे। श्री प्रसाद को संचालन और प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं में 38 वर्षों का अनुभव है। श्री प्रसाद ने उस्मानिया विश्वविद्यालय से खनन इंजीनियरिंग की है। उन्होंने धनबाद के इंडियन स्कूल ऑफ माइन्स (आईआईटी-आईएसएम) से ‘ओपन-कास्ट माइनिंग’ में एमटेक किया। 1988 में उन्होंने डीजीएमएस से प्रथम श्रेणी खान प्रबंधक प्रमाण पत्र प्राप्त किया। उन्होंने 1997 में नागपुर विश्वविद्यालय से कानून में डिग्री भी प्राप्त की। श्री प्रसाद ने 1984 में कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) की सहायक कंपनी वेस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड (डब्ल्यूसीएल) के साथ एक कार्यकारी प्रशिक्षण के रूप में अपना करियर शुरू किया। उन्होंने समर्पण, कड़ी मेहनत, ईमानदारी और गतिशील नेतृत्व का प्रदर्शन किया। उन्होंने कंपनी में विभिन्न भूमिकाओं के माध्यम से प्रगति की और महानदी कोलफिल्ड्स लिमिटेड (एमसीएल) में लिंगराज क्षेत्र के महाप्रबंधक बने। 1994-95 में, उन्होंने डीआरसी खानों को फिर से खोलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जो डब्ल्यूसीएल में उनकी तैनाती के दौरान भूमिगत आग से प्रभावित हुई थी। इस उल्लेखनीय कार्य के लिए, उन्हें 1995 में कोयला सचिव, कोयला मंत्रालय (एमओसी) और अध्यक्ष, कोल इंडिया लिमिटेड से मर्सर्वेष खान प्रबंधकफ के रूप में सम्मानित किया गया था। एमसीएल में महाप्रबंधक के रूप में अपने सफल कार्यकाल के दौरान, वे मार्च, 2010 से ‘कनिहा ओपन कास्ट प्रोजेक्ट’ के सफल उद्घाटन और संचालन के लिए उत्तरदायी थे। उन्हें वर्ष 2014-15 में 26.00 मीट्रिक टन के कोयला भंडार को खोलने के लिए हिंगुला ओपनकास्ट क्षेत्र में नाले के पथांतरण और तालचर कोलफिल्ड्स में नई रेलवे साइडिंग नंबर 9 की शुरुआत का श्रेय भी दिया जाता है। सुरक्षा पर उनका विशेष लगाव है और जिन परियोजनाओं के साथ वे जुड़े थे, उन्होंने विभिन्न प्रतियोगिताओं में कई पुरस्कार जीते हैं, जिसमें दो परियोजनाओं के लिए हैट्रिक भी शामिल है यानी पदाधार ओपनकास्ट, 1996 और 1998 के बीच डब्ल्यूसीएल और 2004 और 2006 के बीच नंदीगां यूजी माइन, एमसीएल। मई, 2015 में उन्होंने एनटीपीसी में कार्यकारी निदेशक (कोयला खनन) के रूप में कार्य ग्रहण किया। उन्हें एमडीओ परियोजनाओं को पुरस्कृत करने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए जाना जाता है और उन्होंने पकरीबरवाडीह कोयला ब्लॉक (एनटीपीसी की पहली परियोजना) को पुरस्कृत किया और शेष कोयला ब्लॉकों के लिए एनआईटी को चालू कराया। मार्च 2016 में, उन्होंने हजारीबाग, झारखंड का कार्यकारी निदेशक सह परियोजना प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने पकरीबरवाडीह खदान, हजारीबाग में कोयला खनन कार्यों को चालू करने में नेतृत्व प्रदान किया।

2016 में उनके कार्यकाल के दौरान, पकरीबरवाड़ीह को मस्वर्ण शक्ति पुरस्कारफ में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फरवरी, 2018 में उन्होंने उत्तरी कोलफिल्ड्स लिमिटेड (एनसीएल) में निदेशक तकनीकी (पी एंड पी) के रूप में कार्यग्रहण किया। उनके नेतृत्व में, एनसीएल को पर्यावरण संरक्षण में उत्कृष्ट कार्य के लिए जून 2018 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन में सम्मानित किया गया था। उन्होंने अगस्त 2019 में भारत कोर्किंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल) के सीएमडी का पदभार संभाला था। चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बीच, उन्होंने प्रतिबद्धता, उत्साह और समर्पण के साथ नेतृत्व किया। उन्होंने कोविड-19 महामारी के खिलाफ कंपनी की लड़ाई का नेतृत्व किया और कंपनी के समग्र प्रदर्शन को बदलने के लिए विभिन्न पहलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। श्री प्रसाद अपने पारस्परिक कौशल के लिए प्रसिद्ध हैं और वे टीम वर्क में दृढ़ विश्वास रखते हैं और वे उत्कृष्ट तकनीकी विशेषज्ञता रखते हैं। उनके मार्गदर्शन में कंपनी नए कीर्तिमान प्राप्त करने और सफलता की ऊंचाइयों को छूने के लिए तैयार हैं।

कोल इंडिया लिमिटेड का कोई मौजूदा निदेशक श्री पी एम प्रसाद से संबंधित नहीं है। उन्होंने यह घोषणा भी की है कि सेबी के आदेश या किसी अन्य सांविधिक प्राधिकारी के आदेश के अनुसार उन्हें निदेशक का पद धारण करने से नहीं रोका गया है।

श्री पी एम प्रसाद के पास किसी अन्य सूचीबद्ध कंपनी के बोर्ड में किसी निदेशक पद और समिति की सदस्यता नहीं है। उनके और उनके निकटतम रिश्तेदारों के पास सीआईएल का कोई शेयर नहीं है।

श्री पी एम प्रसाद, जिनसे यह संकल्प संबंधित है, को छोड़कर कोई भी

निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदार इस प्रस्ताव में वित्तीय या अन्य रूप से रुचि या सरोकार नहीं रखते हैं।

नामांकन और पारिश्रमिक समिति द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार, निदेशक मंडल ने विचार किया कि श्री पी एम प्रसाद की पृष्ठभूमि और अनुभव को देखते हुए, उन्हें 31 अक्टूबर 2025 तक या अगले आदेश तक अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक के रूप में कार्य करने के लिए कंपनी के पूर्णकालिक निदेशक के रूप में नियुक्त करना कंपनी के हित में होगा। बोर्ड सदस्यों के अनुमोदन के लिए मद संख्या 8 में निर्धारित संकल्प की सिफारिश करता है।

निदेशक मंडल के आदेश से
कृते कोल इंडिया लिमिटेड

ह/-

(बी.पी. दुबे)

कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी

दिनांक : 18 जुलाई, 2023

पंजीकृत कार्यालय:

कोल भवन, परिसर सं.-04 एमएआर,
प्लॉट सं.-एफ-III, एक्शन एरिया-1ए,
न्यू टाउन, राजरहाट, कोलकाता - 700156
ई-मेल-complianceofficer.cil@coalindia.in
वेबसाइट: www.coalindia.in

सीआईएन: L23109WB1973GOI028844

प्रमुख संक्षिप्ताक्षर

1. ईसीएल
 2. बीसीसीएल
 3. सीसीएल
 4. एनसीएल
 5. डब्ल्यूसीएल
 6. एसईसीएल
 7. एमसीएल
 8. सीआईएएल
 9. एचयूआरएल
 10. टीएफएल
 11. आईसीवीएल
 12. सीईआरएल
 13. सीईडब्ल्यूआरएल
 14. एमबीपीएल
 15. एमसीआरएल
 16. सीबीएम
 17. सीआईएमएफआर
 18. सीएमपीएफओ
 19. सीपीपी
 20. सीपीआरएमएसई
 21. सीएसआईआर
 22. सीडब्ल्यूएस
 23. ईएसी
 24. ईसी
 25. ईआईए
 26. ईआरपी
 27. एफसी
 28. एफएमसी
 29. जीसीवी
 30. एचईमएम
 31. आईसीएफआरई
 32. आईआईसीएम
 33. जेबीसीसीआई
 34. एमसीपी
 35. एमएमटीआर अधिनियम
 36. एमओईएफ एवं सीसी
 37. एनसीडब्ल्यूए
 38. नीरी
 39. एनजीआरबीसी
 40. ओबी
 41. ओसी
 42. ओएचएस
 43. ओएचएसएस
 44. पीपीए
 45. आर एंड आर
 46. आरएलएस
 47. शक्ति
 48. एसपीसीवी
 49. यूजी
 50. यूजीएमएम
- ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
 - भारत कोकिंग कोल लिमिटेड
 - सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड
 - नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
 - वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
 - साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
 - महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड
 - कोल इंडिया आपरीकाना लिमिटेड
 - हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड
 - तालचर फर्टिलाइजर्स लिमिटेड
 - इंटरनेशनल कोल वेंचर्स प्रा. लिमिटेड
 - छत्तीसगढ़ ईस्ट रेल लिमिटेड
 - छत्तीसगढ़ ईस्ट वेस्ट रेल लिमिटेड
 - महानदी बेसिन पावर लिमिटेड
 - महानदी कोल रेलवे लिमिटेड
 - कोल बेड मीथेन
 - केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान
 - कोयला खान भविष्य निधि संगठन
 - कैप्टिव पावर प्लांट
 - अधिकारियों के लिए अंशादारी सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा योजना
 - वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद
 - कोयला जल घोल
 - विशेषज्ञ सलाहकार समिति
 - पर्यावरण मंजूरी
 - पर्यावरणीय प्रभाव आकलन
 - एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग
 - बन मंजूरी
 - फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी
 - सकल कैलोरी मान
 - भारी पृथ्वी चालन मशीनें
 - भारतीय वानिकी अनुसंधान परिषद
 - भारतीय कोयला प्रबंधन संस्थान
 - कोयला उद्योग के लिए संयुक्त द्विपक्षीय समिति
 - खदान बंद करने की योजना
 - खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 और 2015
 - पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
 - राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता
 - राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान
 - जिम्मेदार व्यावसायिक आचरण पर राष्ट्रीय दिशानिर्देश
 - ओवररबर्डन
 - ओपनकास्ट
 - व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा
 - व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा मूल्यांकन शृंखला
 - बिजली खरीद समझौता
 - पुनर्वास और पुनर्स्थापन
 - रैपिड लोडिंग सिस्टम
 - भारत में पारदर्शी तरीके से कोयला (कोल) के दोहन और आवंटन की योजना
 - राज्य प्रटूषण नियंत्रण बोर्ड
 - भूमिगत
 - भूमिगत खदान मानचित्र

टिप्पणियाँ





कोल इंडिया लिमिटेड एक महारत्न कंपनी

कोयला भवन, परिसर संख्या-०४ मार्च,
प्लॉट नंबर-एएफ-III, एक्शन एरिया-१ए,
न्यूटाउन, राजारहाट, कोलकाता - 700156

www.coalindia.in

CIN: L23109WB1973GOI028844